भारतीय अब्दकोश

[शकाब्द १८८३]

Indian Year Book

1961-62

सम्पादक
श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र
श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना-६

प्रकाशक :
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना-६

शकाब्द १८८३; विक्रमाब्द २०१८, खृष्टाब्द १९६१-६२

मूल्य सजिल्द ८) रुपये मात्र

मुद्रक :
घनश्याम प्रेस
नवीन कोठी, पटना-४

वक्तव्य

परिषद् की ओर से 'भारतीय अब्दकोश', शकाब्द १८८३ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। परिषद् अपने अल्पकालीन जीवन में राष्ट्रभाषा हिन्दी की समृद्धि और विकास की दिशा में, अपने प्रकाशनों द्वारा जो थोड़ी-बहुत सेवा कर सकी है, उस पर भारत के लोकनायकों, मनीषी विद्वानों और प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं ने उत्साहवर्द्धक वाणी से हमें अनुप्राणित एवं प्रोत्साहित किया है। गत वर्ष परिषद् ने अपने विशिष्ट प्रकाशनों के अतिरिक्त वार्षिक अब्दकोश प्रकाशित करने का भी संकल्प किया। यह अब्दकोश उसी शृंखला की दूसरी कड़ी है। परिषद् चाहती है कि ऐसी कड़ी हर साल जुड़ती चले।

अब्दकोश-जैसी चीजों के निर्माण और उसके संकलन-सम्पादन में बड़े धैर्य और लगन की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिक्षण राजनीतिक धाराओं में परिवर्त्तन आता रहता है। यही कारण है कि हमें प्रेस पर चढ़े हुए मैटर में भी तदनुसार काट-छाँट करनी पड़ी है। हमने चाहा है कि जहाँतक सम्भव हो, चीज अप-टु-डेट निकाली जाय। इस अब्दकोश में अँगरेजी के प्राविधिक शब्दों को लेकर कठिनाई आई। हमने यथासम्भव उपलब्ध कोशों से सहायता लेकर उन शब्दों के स्थानों में हिन्दी-पर्यायों को रखने का प्रयत्न किया है। फिर भी, कुछ अप्रचलित हिन्दी-शब्दों को रखने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा।

हम नहीं कह सकते कि प्रस्तुत पुस्तक को सर्वाङ्गपूर्ण बनाने में हमें कहाँतक सफलता मिली है। हमें केवल इसी बात से प्रसन्नता है कि जितनी सतर्कता इस कार्य में बरतनी चाहिए, बरती गई है। फिर भी, निःसंदिग्ध भाव से नहीं कहा जा सकता कि यह बिलकुल दोषमुक्त है। सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान दिलायें, जिससे हम इसे भविष्य में और भी सुन्दर और निर्दोष बना सकें।

जिन पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, इयर-बुकों आदि से हमें सामग्री-संकलन में सहायता मिली, हम उनके लिए भी आभारी हैं। घनश्याम प्रेस ने हमारे इस अनुष्ठान में पूर्ण सहयोग दिया, जिसके लिए हम प्रेस के अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
हरिशयनी एकादशी, २०१८ वि०

भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'
संचालक

प्रस्तावना

'भारतीय अब्दकोश' का प्रथम संस्करण सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुआ था। हिन्दी-भाषा-भाषी शिक्षित जनों में उसके प्रति जिस प्रकार का आग्रह एवं अभिरुचि दिखलाई पड़ी, उससे हमें अपने इस नवीन प्रयास में उत्साह मिला। श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशुजी ने योजना के आरम्भ से ही इस कार्य में जो दिलचस्पी दिखलाई है और समय-समय पर अपने बहुमूल्य परामर्शों से इस योजना को सफल बनाने के जो कार्य किये हैं, वे निश्चय ही बहुत श्लाघ्य हैं। सच पूछा जाय, तो अब्दकोश-योजना के प्राणदाता श्रीसुधांशुजी ही हैं और उनकी सत्प्रेरणा तथा प्रोत्साहन इस कार्य में आदि से अन्त तक मिलता रहा है। परिषद् के माननीय सदस्यों ने अब्दकोश की उपादेयता को मुक्तकंठ से स्वीकार किया और उनमें कितनों ने ही अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें उपकृत किया। उनके सुझावों और सम्मतियों को यथासम्भव ध्यान में रखकर शकाब्द १८८३ (सन् १९६१–६२ ई०) के इस संस्करण में अनेक समयानुकूल संशोधन एवं परिवर्द्धन किये गये हैं, सामयिक महत्त्वपूर्ण विषयों एवं सूचनाओं का सन्निवेश किया गया है, जिससे पुस्तक के कलेवर में यथेष्ट वृद्धि हुई है। यों तो हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों और विभिन्न विषयों की वार्षिक प्रगति के सम्बन्ध में जो सब सूचनाएँ एवं विवरण दिये गये हैं, वे पर्याप्त अथवा अपने-आप में सम्पूर्ण हैं, फिर भी हमारा प्रयास यह अवश्य रहा है कि कोई आवश्यक ज्ञातव्य विषय छूट न जाय। किन्तु, इतने पर भी त्रुटियाँ रह गई होंगी, इसे हम निःसंकोच स्वीकार करते हैं।

आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देश परस्पर उत्तरोत्तर घनिष्ठ सम्पर्क में आते जा रहे हैं और स्वार्थ-सम्बन्ध की दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भरशील हो रहे हैं। विश्व-शान्ति एवं विश्व-कल्याण की दृष्टि से भी यह अभीष्ट है कि विश्व की विभिन्न जातियों के बीच प्रगाढ़ परिचय हो और मानवीय भावनाओं द्वारा सब मनुष्य एक सूत्र में ग्रथित हों। इस दृष्टि से भी इस प्रकार के अब्दकोश या 'इयर-बुक' के प्रकाशन की आवश्यकता सर्वजन-सम्मत है। यही कारण है कि संसार की प्रायः सभी समुन्नत भाषाओं में वार्षिक प्रगति के विवरण प्रस्तुत करनेवाले 'इयर-बुक' नियमित रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। छोटे-बड़े आकारों में उनकी संख्या भी एकाधिक होती है। एक-एक देश या एक-एक विषय के भी अलग-अलग वार्षिक ग्रन्थ हैं और ऐसे बृहदाकार वार्षिक ग्रन्थ भी हैं, जिनमें एक ही जिल्द में एक देश या पृथ्वी के सभी देशों के विविध ज्ञातव्य विषय एक साथ सन्निविष्ट कर दिये जाते हैं। हमारे देश में अँगरेजी भाषा में अनेक डाइरेक्टरी, इयर-बुक आदि छोटे-बड़े आकारों में चालीस-पचास वर्षों से निकल रहे हैं और उनका प्रचार भी यथेष्ट है। किन्तु, हिन्दी में इस प्रकार के वार्षिक ग्रन्थों का अभाव है।

देश में इस समय राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुमुखी प्रयास हो रहे हैं, उनके प्रति जनसाधारण की दिलचस्पी बढ़ रही है और विषयों के जानने और समझने की दिशा में उनकी उत्कंठा उद्दीप्त हो रही है। इसके साथ ही अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो सब घटनाएँ द्रुत गति से घटित हो रही हैं और जिनका प्रभाव हमारे राष्ट्र-जीवन पर सार्थक रूप में पड़ रहा है, उनका सही-सही ज्ञान लोगों को हो सके, यह भी सर्वथा वांछनीय है। किन्तु देश-विदेश के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष की आवश्यक और उपयोगी जानकारी देनेवाली पुस्तकें अँगरेजी में ही उपलब्ध होने के कारण हिन्दी के पाठक इन विषयों के ज्ञान से सर्वथा वंचित रह जाते हैं। एक स्वाधीन देश के

नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभ्य संसार की गति-विधियों के प्रति सचेतन बनकर स्वदेश एवं स्वराष्ट्र की समस्याओं पर विचार करें। ज्ञान-विज्ञान की परिधि आज अत्यन्त विस्तृत हो गई है और सब कुछ को ठीक तरह से जाने और समझे बिना हम सही तरीके से दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्र को उन्नति एवं कल्याण के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते।

राष्ट्रभाषा हिन्दी में विविधविषयक कोई अब्दकोश नहीं है। अतएव, इस अभाव की पूर्त्ति के लिए परिषद् की ओर से गत वर्ष से इस भारतीय अब्दकोश का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। हिन्दी-पाठकों की ज्ञान-पिपासा जिस रूप में बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह अब्दकोश उनकी उस पिपासा को बहुलांश में शान्त करने में समर्थ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हिन्दी-पाठकों ने यदि इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया और इससे वे लाभान्वित हुए, तो इतने से ही हम अपने श्रम को सार्थक समझेंगे।

हमारी इच्छा थी कि यह अब्दकोश और भी अधिक विविध विषय-संपन्न हो, किन्तु हम इसे वैसा नहीं बना सके, जिसका एक विशेष कारण यह है कि इससे पुस्तक की पृष्ठ-संख्या और भी बढ जाती और शायद मूल्य इतना अधिक हो जाता कि उस मूल्य में पुस्तक खरीदना औसत हिन्दी-पाठकों के लिए कठिन होता। अब्दकोश विलम्ब से निकल रहा है, इसका हमें खेद है। जनगणना-सम्बन्धी आँकड़े देर से प्राप्त होने तथा अन्य कतिपय अनिवार्य कारणों से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी, पाठक पिछले संस्करण की अपेक्षा इसे अधिक उपयोगी एवं तथ्यपूर्ण पायेंगे।

पुस्तक में जो त्रुटियाँ रह गई हैं, उनके लिए हम अपने पाठकों से क्षमा-याचना करते हैं। इसे और भी अधिक सुन्दर और उपयोगी बनाने के लिए उनके जो सुझाव और अभिमत होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। हम अपने पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे उदारतापूर्वक इस ग्रन्थ को अपनायेंगे, तो प्रतिवर्ष उन्हें इसकी सामग्री एवं साज-सज्जा में उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखाई पड़ेगा और हिन्दी-संसार के लिए यह एक लोकप्रिय प्रकाशन सिद्ध होगा।

अब्दकोश के इस संस्करण में अन्य कई अध्यायों के साथ-साथ भारत और बिहार के खेल-कूद-विषयक अध्याय जोड़े गये हैं। आशा है, खेल-कूदप्रेमी पाठकों को यह अंश बहुत पसन्द होगा। ये दोनों अध्याय 'सर्चलाइट' के खेल-कूद-रिपोर्टर तथा दैनिक 'प्रदीप' के सहकारी सम्पादक श्रीमेवालाल शास्त्री ने तैयार किया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अब्दकोश के तैयार करने में हमें परिषद्-परिवार के श्रीरामकिशोर ठाकुर से सबसे अधिक सहायता मिली है। उन्होंने प्रायः आरम्भ से आजतक जिस उत्तरदायित्व और मनोयोगपूर्वक कार्य-सम्पादन में योग-दान किया है, उसके लिए वे विशेष रूप से धन्यवादार्ह हैं। इनके अतिरिक्त श्रीशैलेन्द्रप्रसाद सिंह, श्रीचन्द्रेश्वरप्रसाद 'नीरव' आदि से भी सहायता मिलती रही है, जिसके लिए उन्हें साधुवाद। इस अवसर पर हम 'इण्डियन नेशन' के संयुक्त सम्पादक श्रीब्रजनन्दन 'आजाद' को भी नहीं भूल सकते, जिनके सत्परामर्श से हम लाभान्वित हुए हैं।

—संपादक

विषय-सूची

प्रथम भाग—ब्रह्माण्ड

द्वितीय भाग—विश्व

तृतीय भाग—भारत

विषय | पृष्ठ-संख्या

चतुर्थ भाग—बिहार

★

हमारे प्रकाशन

यह सभी स्वीकार करते हैं कि परिषद् के प्रकाशन हिन्दी-
जगत् के गौरव-ग्रन्थ हैं। देश के विभिन्न विषयों
के मूर्द्धन्य विद्वानों की कृतियों के स्वाध्याय
से अपने मानस को आलोकित
कीजिए। हमारे ६८ ग्रन्थों के
सेट से अपने पुस्तकालय
को सम्पन्न
कीजिए।

☆

परिषद् का दूसरा उपायन

साहित्य, संस्कृति और साधना-प्रधान त्रैमासिकी

परिषद्-पत्रिका

कम मूल्य में उच्च से उच्चतर और विविध साहित्य इस पत्रिका में आपको उपलब्ध होगे। राष्ट्र के माने-जाने सुधी चिन्तको का सहयोग इसे प्राप्त है।

वार्षिक मूल्य ६.०० ; एक अंक १.५० नये पैसे।

पत्रिका के कतिपय विशिष्ट लेखक :

महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, पं० परशुराम चतुर्वेदी आदि-आदि।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना - ६

भारतीय अब्दकोश

[१८८३ शकाब्द]

प्रथम भाग

ब्रह्माण्ड

ब्रह्माण्ड की इयत्ता कल्पनातीत है। रात्रि के समय हमें आकाश में जो सर्वत्र टिमटिमाते तारे नजर आते हैं, वे हमारी पृथ्वी के ही समान, उससे छोटे और उससे सैकड़ो-सहस्रो, लाखों-करोड़ो गुने बड़े पिंड हैं। खुली आँखो से तो वे सहस्रो की संख्या मे ही दिखाई पड़ते हैं। परन्तु दूरवीक्षण-यन्त्र के आविष्कार के बाद तो वे पहले से भी बहुत अधिक संख्या मे दिखाई पड़ने लगे। ये दूरवीक्षण-यन्त्र भी ज्यों-ज्यो विशाल बनते गये, त्यो-त्यो आकाशस्थ पिंड इनकी सहायता से अधिकाधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगे। अबतक के बने दूरवीक्षण-यन्त्रों से ये पिंड लगभग आधे नील की संख्या में दिखाई पड़ने लगे हैं। इस प्रकार, आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर बृहदाकार मे बननेवाले दूरवीक्षण-यन्त्रो से ये पिंड अधिकाधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगेंगे और फिर उनकी संख्या गणना के परे हो जायगी। इस प्रकार, इस अनंत ब्रह्माण्ड की कल्पना करना किसी प्रकार सम्भव नही है।

और फिर, इन पिंडों की स्थूलता, दूरी आदि के सम्बन्ध में भी यही बात है। स्थिर-से दीखनेवाले हमारे निकटवर्त्ती तारे ही हमसे नीलों मील दूर हैं और इनकी आपस की दूरी भी न्यूनाधिक कुछ इसी प्रकार की है। दूरवर्त्ती तारो की दूरी हम मीलों मे नहीं बता सकते। उनकी दूरी निकालने के लिए हमे प्रकाश-वर्ष की इकाई माननी पड़ती है। प्रकाश प्रति सेकेंड १,८६,००० मील की गति से चलकर एक वर्ष मे जितनी दूर जाता है, उस दूरी की इकाई को वैज्ञानिक प्रकाश-वर्ष कहते हैं। जब दूरी नापने में इस इकाई से भी काम नहीं चलता, तब और भी लम्बी दूरी की दूसरी-तीसरी इकाई आरम्भ की जाती है।

आकाश के बहुत-से तारे तो हमसे इतने दूर हैं कि उनके प्रकाश लाखों-करोड़ों वर्षों मे, बल्कि इससे भी अधिक दिनों मे हमारे पास पहुचते हैं। तारो के आकार-प्रकार, उपादान एवं गति भी भिन्न-भिन्न हैं और वे ऐसे हैं कि जानकर आश्चर्य होता है।

कहते हैं कि सभी तारे चलायमान हैं, परन्तु उनके अत्यन्त दूर रहने के कारण सबकी गति हम नहीं परख सकते। शायद, हजारो-लाखो वर्षो मे हम उन्हे कुछ खिसकते हुए देख सकते है। प्राचीन भारतीय विद्वानो का यह मत है और आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी इसी निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि शून्य मे स्थित सभी पिंड किसी महान् शक्ति को केन्द्र बनाकर उसके चारो ओर चक्कर काट रहे हैं। भारतीय उसी महान् शक्ति को ब्रह्म कहते है। उसी ब्रह्म के असंख्य अंश किसी विकार-वश उससे अलग होकर भी आकर्षण के कारण उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये सभी पिंड प्रायः अंडाकार वृत्त मे घूमते हैं, अतएव इस समस्त पिंड-समूह का नाम ब्रह्माण्ड पड़ा। वैज्ञानिकों का मत है कि बहुत तेजी से घूमनेवाले सभी पिंड प्रायः अंडाकार वृत्त मे ही घूमते है।

वैज्ञानिक उन्नति बड़ी तीव्र गति से होते रहने से और विशेषकर इधर मानव-कृत ग्रहों-उपग्रहों के निर्माण से इस भौतिक जगत् के सम्बन्ध में लोगों को नित्य नई-नई बातों का पता चल

रहा है। एक रूसी प्राणिशास्त्रवेत्ता डॉ० यूरो रॉल ने लिखा है कि हमारे तारक-पुंजों के अन्तगत करीब डेढ़ लाख ग्रह हैं, जिनमें बहुतों के अन्दर कई प्रकार के प्राणी विकास की भिन्न-भिन्न स्थिति में हैं। कुछ ग्रहों मे मनुष्य से मिलते-जुलते प्राणी भी रहते हैं।

आकाशस्थ पिंडों के प्राय अलग-अलग समूह हैं। जैसे, हमारा सौर परिवार है, वैसे ही अनगिनत दूसरे सौर परिवार हैं। हमारे सौर परिवार का केन्द्र सूर्य है। घूमते-घूमते सूर्य से ही समय-समय पर कई खंड निकलकर उसके चारो ओर चक्कर काटने लगे। वे सब उसके ग्रह कहलाये। उन ग्रहो के भी अलग-अलग खंड हुए और वे अपने-अपने ग्रहो के चतुर्दिक् घूमने लगे, जो उपग्रह कहलाये। इस सौर परिवार के अन्दर बहुत-से धूमकेतु भी हैं, जो अपनी निराली चाल से घूमते रहते हैं। उल्का भी इसी परिवार के अंग है। हमारा सूर्य अपने इस समस्त परिवार को लेकर अन्य सूर्यों की भाँति एक अज्ञात शक्ति ब्रह्म के चारो ओर घूम रहा है।

आकाशस्थ पिंडों मे हम केवल अपने सौर परिवार के पिंडो की गति देख सकते हैं। शेष तारे अत्यन्त दूरी के कारण स्थिर-से दीख पड़ते हैं। अतएव, हम अपनी गणना की सुविधा के लिए और अपने सौर परिवार के पिंडो की गति-विधि समझने के लिए शेष तारों को स्थिर मानकर ही चलते हैं। पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती रहती है, इसलिए आकाश के सभी तारे सामूहिक रूप से प्रतिकूल दिशा में, अर्थात् पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए मालूम पड़ते हैं। भारतीय ज्योतिषी इसी को प्रवहमान वायु से तारो का चलना कहते हैं।

हमारे सूर्य का सबसे निकटवर्त्ती ग्रह बुध है। उसके बाद क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। अन्तिम तीन ग्रहों को देखने के लिए दूर-वीक्षण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन ग्रहों में कई के उपग्रह भी हैं, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा है। अन्य उपग्रहों का पता दूरवीक्षण-यंत्र से लगा है। इन ग्रहों और उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए तथा अपनी कक्षाओं पर चलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकाश में खुली आँखो से दिखाई पड़नेवाले सभी ग्रहो के तारे बहुत चमकीले हैं और उनकी गणना प्रथम श्रेणी के तारों मे होती है। सभी ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा करने की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य से किसी ग्रह की दूरी सदा एक-सी नहीं रहती, बल्कि बदलती रहती है। इसलिए यह दूरी प्राय औसत रूप में बताई जाती है। सूर्य से जो ग्रह जितना दूर है, उसका तापमान उतना ही कम है।

सूर्य—सूर्य एक प्रकाशमान और अग्निमय गोलाकार पिंड है, जो गैस से भरा हुआ है। पृथ्वी से इसकी दूरी ९ करोड़, ३० लाख मील और इसका व्यास ८ लाख, ६५ हजार मील है। पृथ्वी से इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुना और आकार १० लाख गुना से अधिक है। इसकी सतह का तापमान ६ हजार डिग्री सेंटिग्रेड या ११ हजार डिग्री फारेनहाइट है, किन्तु इसके भीतर का तापमान १ करोड़ सेंटिग्रेड है। पृथ्वी की भाँति सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, किन्तु यह अपनी विषुवत्-रेखा पर २५ दिनो मे और ध्रुवों पर ३३ दिनो में एक चक्कर पूरा करता है। घूमने के समय में इस अन्तर का कारण सूर्य का गैसमय होना बताया जाता है। कहते हैं कि सूर्य के आन्तरिक महाताप के कारण उसमे आँधी-सी उठती रहती है और उसी के सिलसिले मे कभी-कभी कुछ काले धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं।

सूर्य से ग्रहों की दूरी, ग्रहों का परिमाण, ग्रहो के परिक्रमण की अवधि और उनके उपग्रह इस प्रकार हैं—

ग्रह	सूर्य से औसत दूरी (लाख मीलों मे)	औसत व्यास (मीलों में)	सूर्य के परिक्रमण की अवधि (दिनो में)	उपग्रह-संख्या
वुध	३६०	३,०००	८७.९७	०
शुक्र	६७०	७,६००	२२४ ७०	०
पृथ्वी	९३०	७,९२०	३६५·२६	१
मंगल	१,४१०	४,२००	६८६.९८	२
वृहस्पति	४,८३०	८८,७००	४,३३२.५९	१२
शनि	८,८६०	७५,१००	१०,७५९ २९	९
यूरेनस	१७,८२०	३०,९००	३०,६८५.९३	५
नेपच्यून	२७,९३०	३३,०००	६०,१८७ ६४	२
प्लूटो	३७,०००	३,६५०	९०,४७० २३	०

वुध—वुध आकार मे सभी ग्रहो से छोटा और दूरी मे सभी की अपेक्षा सूर्य से निकट है। सूर्य से इसकी दूरी ३ करोड, ६० लाख मील और इसका औसत व्यास ३ हजार मील है। गगन-मण्डल मे यह सूर्य से २१ अंश से अधिक दूर नही जाता और प्रति सेकेण्ड ३० मील चलकर ८८ दिनों के अन्दर ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से निकट होने के कारण इसे हम वहुत कम देख पाते हैं। जव यह आकाश में सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पश्चिम की ओर रहता है, तव हम इसे सूर्योदय के पूर्व वहुत थोडी देर के लिए क्षितिज के पास साफ आकाश मे देख सकते हैं। उसी प्रकार सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पूरव दिशा में रहने की हालत मे सूर्यास्त के वाद थोड़ी देर के लिए यह साफ आकाश में दिखाई पड़ता है। कहते है कि इसका केवल एक ही भाग सूर्य की ओर रहता है। इसका कोई उपग्रह नही है।

शुक्र—शुक्र आकार में पृथ्वी से कुछ ही छोटा है। इसका औसत व्यास ७ हजार ६ सौ मील है। सूर्य से इसकी दूरी ६ करोड ७० लाख मील है। सूर्य से निकट होने के कारण यह केवल प्रात और सायं क्षितिज से ४५ अंश के अन्दर ही दिखाई पड़ता है। सूर्य से पश्चिम रहने पर यह प्रात काल पूरव में दिखाई पड़ता है। परन्तु जव यह सूर्य से पूरव रहता है, तव सन्ध्याकाल मे पश्चिम की ओर दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर ३० दिनों मे एक वार घूम जाता है। इसकी धुरी सूर्य की कक्षा पर ८ अंश पर झुकी हुई है। सूर्य की परिक्रमा करने मे इसे २२५ दिन लगते है। यह आकाश का सवसे वडा और चमकीला तारा है, इसी से वहुत-से लोग इसे पहचानते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है।

पृथ्वी—पृथ्वी आकार में नारंगी के समान गोल है, जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चिपटे-से है। यदि कोई किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखे, तो यह भी आकाश में एक चमकते हुए तारे के समान दिखाई पड़ेगी। यह ग्रहो मे पाँचवा वड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ९ करोड, ३० लाख मील है। इसका क्षेत्रफल १९, ६९ ५०,२८४ वर्गमील है। विषुवत्-रेखा पर इसकी परिधि २४,९०,२३६ मील और व्यास ७,९२० मील है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि २४,८६०·४९ मील है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर

जाने पर प्रत्येक ५० फीट पर प्राय. १० डिग्री फारेनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर के मध्यभाग में तो इतनी गर्मी है कि वह भाग पिघली हुई धातु के समान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर २४ घंटे में एक वार घूमती है। यह सूर्य के चारों ओर जिस अंडाकार रास्ते से परिक्रमा करती है, उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे ३६५ दिन, ५ घंटे, ४८ मिनट, ४६ $\frac{?}{१०}$ सेकेण्ड लगते हैं। इतने समय को वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के अंडाकार कक्षा पर घूमने और उस पर इसकी धुरी के ६६½ अंश झुके रहने के कारण ऋतुएँ बनती हैं। इसका एक उपग्रह चन्द्रमा है, जिसके विषय में अलग लिखा गया है।

चन्द्रमा—यह पृथ्वी का उपग्रह है, जिसका हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी २,३८,८६० मील है। यह पृथ्वी के चारों ओर औसतन २७ दिन, ७ घंटे, ४३ मिनट और १२ सेकेण्ड मे घूम जाता है। अपनी धुरी पर इसके घूमने की भी यही अवधि है। किन्तु पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य का परिक्रमण करने की अपनी गति के फलस्वरूप चान्द्र मास की औसत अवधि २६ दिन, १२ घंटे, ४४ मिनट और ५ सेकेण्ड है। इसका सदा आधा भाग ही हमारे सामने रहता है। इसका व्यास २,१६० मील है। इसका अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान रहता है। सूर्य और मुख्यत चन्द्रमा के कारण समुद्र मे ज्वार-भाटा आता है। कहते हैं कि चन्द्रमा पर वायु नहीं है, अतएव यह कोई प्राणी नहीं रह सकता। इसका जो भाग सूर्य की ओर रहता है, उसका तापमान २००° सेण्टिग्रेड है। आधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रमा पर जाने की चेष्टा वहुत दिनो से कर रहे है। इधर रूस और संयुक्तराज्य अमेरिका की ओर से समय-समय पर चन्द्रमा पर रॉकेट भेजने के प्रयत्न हुए हैं। सर्वप्रथम रूस का एक रॉकेट चन्द्रमा पर सन् १६५६ के १४ सितम्बर को १२ वजे (मास्को समय) रात के वाद पहुँचा है।

मंगल—मंगल आकाश मे चमकता हुआ लाल रंग का एक तारा है। पृथ्वी के नजदीक आने पर यह और भी प्रकाशमान दीखता है। अभी हाल मे यह सन् १६५६ ई० में पृथ्वी के सबसे निकट आया था। उस समय यह पृथ्वी से केवल साढे तीन करोड मील दूर था। यह स्थिति इसके पहले १६२४ ई० में आई थी और फिर, १६७१ ई० मे भी आयेगी। भारतीय ज्योतिषियों के मतानुसार यह पृथ्वी से ही अलग होकर एक दूसरा ग्रह वन गया है, इसी लिए इसको भौम, कुज और महीसुत भी कहा जाता है। इसका व्यास ४,२०० मील है, जो पृथ्वी के आधे व्यास से कुछ ही अधिक है। यह सूर्य से औसतन १४ करोड, १० लाख मील दूर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर रहने के कारण यहाँ की आवोहवा पृथ्वी की आवोहवा से ठंडी है। यह प्रति सेकेण्ड १५ मील चलकर ६८७ दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह अपनी धुरी पर २४ घंटे, ३७ मिनट में घूम जाता है। इसकी धुरी पृथ्वी की धुरी की तरह झुकी हुई है। इस कारण, यहाँ भी ऋतु-परिवर्त्तन होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के समान यहाँ भी जीवधारी हैं।

मंगल के दो उपग्रह हैं, जिनके नाम 'फोवस' और 'डिमोस' हैं। इनका पता सन् १८७७ ई० में लगा था। फोवस निकटवर्त्ती उपग्रह है। इसका व्यास १० मील है और यह ७ घंटे में मंगल के चारों ओर घूम आता है। डिमोस दूरवर्त्ती उपग्रह है। इसका व्यास ५ मील है और यह ३० घंटे मे मंगल की परिक्रमा करता है।

बृहस्पति—बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ४८ करोड़, ४० लाख मील है। विषुवत्-रेखा पर इसका औसत व्यास ८८ हजार, ७ सौ मील है। इसका गुरुत्व सभी ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व के दूना से भी अधिक है। आकाश मे शुक्र के बाद यही चमकीला ग्रह है। यह केवल १० घंटे मे अपनी धुरी पर घूम जाता है। इतने बड़े ग्रह का १० घटे में घूम जाना इतनी आश्चर्यजनक गति प्रकट करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग १२ वर्ष लगते हैं। आकाश मे एक राशि को पार करने मे इसे एक वर्ष लगता है।

बृहस्पति के १२ उपग्रह हैं, जिनमे ४ बड़े और ८ छोटे हैं। बड़े उपग्रह चन्द्रमा और बुध की तरह बड़े हैं। सबसे पीछे के चार उपग्रह बृहस्पति की अपनी गति की प्रतिकूल दिशा मे घूमते हैं, जो आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद ये चार उपग्रह मगल और बृहस्पति के बीचवाले स्थान मे घूमनेवाले लघुग्रह-समूह मे से हों, जो बृहस्पति के आकर्षण से इसके दायरे मे आ गये हों।

शनि—यह भी एक बड़ा तारा है, पर देखने मे कुछ धुँधला-सा है। आकाश मे मन्द गति से चलने के कारण इसका नाम शनि या शनैश्चर पड़ा। यह लगभग तीस वर्षों मे सूर्य की परिक्रमा करता है, किन्तु अपनी धुरी पर एक बार घूम जाने मे इसे १० घंटे ही लगते है। सूर्य से इसकी दूरी ८८ करोड़, ६० लाख मील है, अर्थात् बृहस्पति की दूरी से भी लगभग दूनी। विषुवत्-रेखा पर इसका औसत व्यास ७५ हजार मील है। दूरवीक्षण-यंत्र से देखने पर इसके चारो ओर मंडलाकार तीन परिवेष्टन मालूम पड़ते हैं। परिवेष्टन का आरम्भ शनि की सतह से ७,००० मील बाद होता है, जो विषुवत्-रेखा के ऊपर ३५,००० मील के घेरे मे है। वेष्टनो को मिलाकर शनि का व्यास १ लाख ७० हजार मील है। शनि के ६ उपग्रह हैं, जिनमे तीन बहुत बड़े हैं। एक उपग्रह 'टीटन' का व्यास ३,५०० मील है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि किसी उपग्रह के नष्ट-भ्रष्ट होने से ही ये परिवेष्टन बने हैं।

यूरेनस—यूरेनस दूरवीक्षण-यंत्र से ही स्पष्टतः दिखाई पड़नेवाला ग्रह है। पर, कभी-कभी यह मुश्किल से खुली आँखों से भी देखा जाता है। इसका पता सन् १७८१ ई० मे लगा था। सूर्य से इसकी दूरी १ अरब, ७८ करोड़, २० लाख मील है। इसका व्यास ३०,६०० मील है। यह ८४ वर्षों मे एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके पाँच उपग्रह हैं। यूरेनस का भारतीय नाम 'इन्द्र' दिया गया है।

नेपच्यून—यह दूरवीक्षण-यंत्र से ही देखा जा सकता है। इसका पता सन् १८४६ ई० में लगा था। सूर्य से इसकी दूरी २ अरब, ७६ करोड़ और ३० लाख मील है। इसका औसत व्यास ३३ हजार मील है। यह लगभग १६५ वर्षों मे सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके दो उपग्रह हैं। दूसरे उपग्रह का पता सन् १६४८ ई० में लगा था। नेपच्यून का भारतीय नाम 'वरुण' दिया गया है।

प्लूटो—यह सूर्य का सबसे दूरवर्ती ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ३ अरब, ७० करोड़ मील है। आकार मे यह सबसे छोटा ग्रह बुध से कुछ ही बड़ा है। इसका व्यास ३,७५० मील है। यह २४८ वर्षों मे सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रह का पता नहीं लगा है।

एक नया ग्रह—रूस के वैज्ञानिकों ने ११ फरवरी, १६६० ई० को दावा किया था कि मकर राशि के तारक-पुंजों का चित्र लेते समय वे अचानक एक ग्रह का पता लगा सके हैं। सन् १६५७ ई० में ही मास्को-विश्वविद्यालय के छात्र एडवर्ट वेनिसुक ने वैज्ञानिकों का ध्यान इस ग्रह की ओर आकृष्ट किया था।

छोटे-छोटे ग्रह—बड़े-बड़े ग्रहों के अतिरिक्त छोटे-छोटे ग्रह भी बहुत हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ही दूर-वीक्षणयंत्र से १,५०० से अधिक छोटे-छोटे ग्रह देखे गये हैं। इन ग्रहों में सबसे बड़े 'सिरस' का व्यास ४८५ मील, 'पल्लस' का २८० मील, 'जूनो' का १५० मील और 'वेस्टा' का २४१ मील है।

नवग्रह—भारतीय फलित ज्योतिष में नव ग्रह बताये गये हैं। ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव बताने में स्वयं पृथ्वी की ग्रहों में गणना करने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर प्रभाव डालनेवाले सूर्य और उपग्रह चन्द्रमा को भी ग्रह कहा गया है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि तो ग्रह हैं ही। इस प्रकार सात ग्रह हुए। शेष दो ग्रह राहु और केतु कहलाये। ये दोनों सूर्य और चन्द्रमा की कक्षा के दो सम्पात-बिन्दु हैं। आकाश में उत्तर की ओर बढ़ते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को काटती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को राहु और दक्षिण की ओर नीचे उतरते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को पार करती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को केतु कहते हैं। ये दोनों बिन्दु बराबर बदलते रहते हैं। ये ही 'नौ नवग्रह' कहलाये।

धूमकेतु—कभी-कभी आकाश में धूमकेतु या पुच्छल तारे दिखाई पड़ते हैं। ये छोटे-बड़े कई प्रकार के हैं। कुछ पुच्छल तारे दूरवीक्षण-यंत्र से ही देखे जा सकते हैं। अबतक लोगों ने लगभग १००० धूमकेतुओं का पता लगाया है। इनमें कुछ की गति आदि का भी पता चल गया है। यह प्रायः दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है। सन् १६१० ई० में 'हेली' नामक धूमकेतु पूरब की ओर प्रातःकाल में दिखाई पड़ा और क्रम से बढ़ते हुए सारे आकाश में छा गया तथा कई महीनों तक दिखाई पड़ता रहा। यह पुनः सन् १६८५ ई० में दिखाई देगा। इधर सन् १६५७ ई० के अप्रैल में 'अरैण्ड रोलैण्ड' और अगस्त में 'मारकोज' नामक धूमकेतु उत्तर-पश्चिम दिशा में संध्या समय कई दिनों तक दिखाई पड़े थे। अक्टूबर, १६५८ ई० में 'डोनाटी' नामक धूमकेतु दिखाई पड़ा।

उल्कापात—अंतरिक्ष में चक्कर काटनेवाले सौर परिवार के छोटे-छोटे पिंड कभी-कभी पृथ्वी के आकर्षण में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शायद धूमकेतुओं से आते हैं। इन पिंडों में अधिकांश पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने पर वायु की रगड़ से प्रकाश-रेखा में परिणत होकर नष्ट हो जाते हैं। हम प्रायः प्रत्येक रात्रि में इन प्रकाश-रेखाओं को देखा करते हैं। कुछ बड़े पिंड वायु की रगड़ से क्षीण होते हुए भी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। पृथ्वी पर गिरी हुई सबसे बड़ी उल्का दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका के ग्रूटफाउण्टेन नामक स्थान में स्थित बताई जाती है। इसका वजन ७० टन है। दूसरी बड़ी उल्का ग्रीनलैण्ड के केप-मौर्क नामक स्थान में मिली है और वह न्यूयार्क के एक संग्रहालय में रखी गई है। वह तौल में ३४ टन से भी अधिक है। वहां छोटी-बड़ी कई और भी उल्काओं का संग्रह है।

तारक-पुञ्ज—आकाश के तारो को पहचानने के लिए उनमे से मुख्य-मुख्य तारो के नाम रख दिये गये हैं। फिर, समस्त तारक-समूह को अलग-अलग पुञ्जों मे बॉटा गया है। हम चीन, भारत, अरब, मिस्र तथा आधुनिक पाश्चात्य देशों के अनुसार तारो के नाम और पुञ्ज भिन्न-भिन्न पाते हैं। आधुनिक ज्योतिषियो ने पहचान के लिए छोटे-छोटे तारो के नम्बर भी दे दिये हैं और समस्त तारक-समूह को ८८ पुञ्जो में बॉटा है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार आकाश के कुछ मुख्य तारे या तारक-पुञ्ज इस प्रकार हैं—सप्तर्षि, शिशुमार-चक्र, शेषनाग, पुलोमा, कालका, कपि (गणेश), हिरण्याक्ष, वराह, उपदानवी, शुनी, हस्तसर्प, ईश, सुनीति, दशानन, सर्पमाता, वीणा, खगेश, हयशिरा, त्रिक, जलकेतु, ब्रह्मा, कालपुरुष, वैतरणी, अगस्त, त्रिशंकु, क्रौञ्च और काकभुशुण्डि। भारतीय, गणना के लिए जिन तारक-पुञ्जो की विशेष आवश्यकता होती है, वे नक्षत्र और राशि के नाम से जाने जाते हैं। नक्षत्रो की संख्या २७ और राशियो की संख्या १२ है, जिनका विशेष विवरण आगे दिया गया है।

आकाश-गंगा—यह छोटे-छोटे धुँधले प्रकाशवाले सघन तारक-पुञ्जों की चौड़ी पङ्क्ति है, जो साधारणत उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। बीच में इसकी दो शाखाएँ भी हो गई हैं, जो आगे चलकर फिर मिल जाती हैं। यह अँधेरी रात में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। असंख्य धुँधले तारक-पुञ्जो की ऐसी पंक्ति क्या है, क्यो है और कितनी दूरी पर है, यह समझ सकना बहुत कठिन है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तारक-पुञ्जो मे भी हमारे सूर्य और ग्रह-उपग्रह-जैसे न मालूम कितने तारे होंगे।

नक्षत्र—सूर्य, चन्द्र एव ग्रहगण तारो के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। सूर्य जिस मार्ग से तारों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलकर वर्ष-भर में चक्कर पूरा करता है, उसे क्रान्ति-वृत्त कहा जाता है। चन्द्रमा भी इसके आसपास ही पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है और मध्य गति से २७ दिन, १६ घड़ी, १८ पल और १६ विपल में उसे पूरा करता है। ६० विपल का एक पल, ६० पल की एक घड़ी या दंड और ६० घड़ी या दंड का एक अहोरात्र होता है। चन्द्रमा के २७ दिनो में चक्कर पूरा करने के कारण गगन-मंडल को २७ भागों मे बाटकर प्रत्येक भाग के नक्षत्र-पुञ्ज का प्राय उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दे दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र १३⅓ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक-सी नहीं होती। इसलिए, एक नक्षत्र को पार करने मे चन्द्रमा को ५८ से लेकर ६५ दंड तक लग जाता है। अत, प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं होता। सूर्योदय-काल से जितने घड़ी-पल या घंटा-मिनट तक चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है, पंचांग मे उस नक्षत्र के नाम के सामने वही अंक लिख दिया जाता है। जो नक्षत्र एक सूर्योदय के पीछे आरम्भ होकर दूसरे सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाता है, उसका समय कोष्ठक मे नीचे छोटे अंक से दे दिया जाता है, पर स्थानाभाव से नाम नहीं दिया जाता। आकाश मे पश्चिम से पूरब की ओर २७ नक्षत्रो के नाम ये हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ श्रवण, धनिष्ठा शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बाँटते हैं। फलित ज्योतिष मे उत्तराषाढ़ के चौथे चरण और श्रवण के पहले १५वें भाग को अभिजित् नक्षत्र कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र को साधारण

जन 'नक्षत्रचित्रा' भी कहते हैं और इसे बहुत लोग पहचानते हैं। एक नक्षत्र की पहचान के बाद मोटामोटी १३⅓ अंशों की दूरी पर सूर्य और चन्द्रमा के मार्गों के बीच आकाश में दूसरे नक्षत्रों को पहचानने की चेष्टा की जा सकती है। चन्द्रमा किस दिन किस नक्षत्र पर कितने समय तक रहता है, यह पंचांगों में दिया रहता है। इससे भी नक्षत्रों के पहचानने में सहायता मिलती है।

राशि—जिस प्रकार चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार नक्षत्र की कल्पना की गई है, उसी प्रकार सूर्य की मासिक गति के अनुसार राशि की कल्पना हुई है। आकाश में सूर्य के मार्ग क्रान्ति-वृत्त के १२वें भाग को राशि कहते हैं। इसी प्रकार एक राशि ३० अंश की हुई। १२ राशियों के नाम आकाश के १२ भागों के तारों की राशि, अर्थात् समूह के कल्पित रूप के अनुसार पड़े हैं। आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर १२ राशियाँ ये हैं—मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन। मेष तारक-राशि का रूप भेड़ के समान और वृष का बैल के समान है। मिथुन का रूप आकाश-गंगा की नौका में बैठे एक स्त्री और पुरुष का है। कर्क का रूप केकड़ा और सिंह का रूप बैठे सिंह के समान है। कन्या का रूप हाथ में धान का पौधा लिये एक बालिका के समान है। तुला का रूप तराज़ू, वृश्चिक का बिच्छू और धनु का अश्वारोही धनुर्धारी व्यक्ति के सदृश है। मकर का रूप मगर के समान और कुम्भ का रूप घड़ा से पानी पटाते हुए एक वृद्ध-सा है। मीन की शक्ल दो मछलियों की तरह है। सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के रूप इतने स्पष्ट हैं कि आसानी से आकाश में पहचाने जा सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि का आदि विन्दु एक ही है। प्रत्येक राशि २¼ नक्षत्र की है। सम्पूर्ण अश्विनी और भरणी नक्षत्र तथा कृत्तिका का एक चरण मिलकर मेष राशि, इसी प्रकार कृत्तिका का शेष तीन चरण, रोहिणी सम्पूर्ण तथा मृगशिरा के प्रथम दो चरण मिलकर वृष राशि हुई। इसी तरह अन्य नक्षत्रों और राशियों का सम्बन्ध समझना चाहिए। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब मेष-संक्रान्ति कहलाती है और जब वृष में प्रवेश करता है, तब वृष-संक्रान्ति कही जाती है। इसी प्रकार, अन्य राशियों में सूर्य के प्रवेश की बात समझनी चाहिए।

किसी समय मेष-संक्रान्ति के अवसर पर ही रात-दिन बराबर होते थे, पर क्रमशः हटते-हटते अब २३ दिन पहले ही ऐसा होता है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि के आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वे निरयन राशियाँ होती हैं। पर क्रान्तिवृत्त और विषुवत्-वृत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात-विन्दु से राशियों की गणना करने पर वे सायन राशियाँ होती हैं। यह सम्पात-विन्दु प्रतिवर्ष ५६ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशि में सं० २०१८ विक्रमाब्द के आरम्भ में २३ अंश, १८ कला और १० विकला का अन्तर है।

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक अहोरात्र में राशि-चक्र एक परिक्रमा कर लेता है। इससे भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न राशियाँ पूर्वी क्षितिज पर उदय होती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार राशियों का उदय-काल भिन्न-भिन्न होता है। जिस समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर लगी रहती है, उस समय वह राशि लग्न कहलाती है।

ग्रहों की गति—सूर्य, चन्द्र और भिन्न-भिन्न ग्रह कब, किस नक्षत्र और राशि में रहते हैं, यह पंचांग में दिया रहता है। उसके सहारे आकाश में हम उन्हें देख सकते हैं। ये सब प्रतिदिन आकाश के स्थिर तारों के बीच पूरब की ओर कुछ-कुछ खिसकते रहते हैं। इसलिए,

लगातार कई दिनों तक देखते रहने से उन्हें पहचानना कठिन नही होता। ग्रहों की दो गतियाँ होती हैं—मार्गी और वक्री। ग्रहो के साधारणत: अपने मार्ग पर पूरब की ओर चलने को मार्गी गति कहते हैं। कभी-कभी ग्रह थोडे समय के लिए पश्चिम की ओर पीछे हटते हैं। इसे ही वक्री गति कहते हैं। भारतीय गणनानुसार सूर्य एवं ग्रहों की दैनिक मध्य गति नीचे दी जाती है—

	अंश	कला	विकला	प्रविकला	पराविकला
सूर्य	०	५९	८	१०	२१
चन्द्र	१३	१०	३४	३५	०
बुध	४	५	३२	१८	९
शुक्र	१	३६	७	४४	३५
मंगल	०	३१	२६	२८	७
वृहस्पति	०	४	५९	९	९
शनि	०	२	०	२२	५१
यूरेनस	०	०	४२	१३	४८
नेपच्यून	०	०	२१	३१	४८
प्लूटो	०	०	१४	१९	१२
राहु और केतु	०	३	१०	४९	१२

कालमान

भारत मे काल का सबसे बड़ा मान ब्रह्मायु है। १०० ब्राह्म वर्ष की एक ब्रह्मायु और ३६० ब्राह्म अहोरात्र का एक ब्राह्म वर्ष माना जाता है। एक ब्राह्म दिन और एक ब्राह्म रात का एक ब्राह्म अहोरात्र होता है। एक ब्राह्म दिन या एक ब्राह्म रात को कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में १४ मन्वन्तर, अर्थात् १००० महायुग, दैवयुग या चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग माने जाते हैं। कलियुग का मान ४,३२,००० मानव-वर्ष है। कलियुग से दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग है। इस प्रकार, एक महायुग ४३,२०,००० मानव-वर्ष का होता है, और एक ब्रह्मायु मे ३१,१०,४०,००,००,००,००० मानव-वर्ष होते है। कहते हैं, प्रत्येक कल्प के अन्त मे महाप्रलय होता है और उसके बाद फिर सृष्टि होती है। इन सबका कारण पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना और सूर्य का सपरिवार ब्रह्म की परिक्रमा करना बताया जाता है

प्राचीन भारतीय विद्वानो की गणना के अनुसार इस समय आधी ब्रह्मायु बीत चुकी है। शेष आधी के प्रथम ब्राह्म वर्ष का प्रथम दिवस, अर्थात् प्रथम कल्प है। इस कल्प का नाम श्वेतवाराह कल्प है। इस कल्प के ६ मन्वन्तर—स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत और चाक्षुष बीत चुके हैं। यह सातवां मन्वन्तर वैवस्वत वर्तमान है। इस मन्वन्तर के २७ महायुग बीत गये हैं। २८वें महायुग के भी तीन युग बीत चुके, चौथा कलियुग वर्त्तमान है। कलियुग के भी २०१८ वि० की मेष-संक्रान्ति तक ५,०६२ वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार, कल्प से, अर्थात् सृष्टि से लेकर संवत् २०१८ विक्रमीय तक १,९७,२९,४९,०६२ वर्ष हुए हैं। आज के वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु स्थूल गणनानुसार २ अरब वर्ष बताते हैं। हमारे यहां प्रत्येक शुभ कार्य के संकल्प में सृष्टि के आरम्भ से ही काल की गणना की जाती है।

वर्ष—पृथ्वी जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है, उतने समय का वर्ष होता है। इस परिक्रमा में ३६५ दिन, ५ घंटे, ४८ मिनट और ४६.७ सेकेण्ड लगते हैं। अतएव, सौर वर्ष ३६५ दिन के होते हैं। जितना समय बचता है, उसे ४ वर्षों तक लगातार जोड़ने पर २३ घंटे, १५ मिनट और १८.८ सेकेण्ड होते हैं। इसलिए, चौथे वर्ष एक निश्चित महीने में एक दिन जोड़कर ३६६ दिन का वर्ष बना लेते हैं। फिर, इसमें जो थोड़ा समय बचा रहता है, उसे पूरा करने के लिए १००वें वर्ष में ४ से वर्ष का एक दिन नहीं बढ़ाते हैं। फिर भी, जो कमी-बेशी रह जाती है, उसे ४०० वर्षों में ठीक कर लेते हैं, अर्थात् १००वे वर्ष में एक नहीं बढ़ाते, पर ४००वे वर्ष मे बढ़ा देते हैं।

चन्द्रमा की गति के हिसाब से लोग चान्द्र वर्ष मानते हैं। चन्द्रमा जितने समय मे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे मास मानकर १२ मास का एक वर्ष मान लेते हैं। चान्द्र वर्ष मे लगभग ३५४ दिन, ६ घंटे होते हैं।

सवत्सर—जितने समय मे बृहस्पति मध्यम गति से एक राशि पर चलता है, उसे संवत्सर कहते हैं। एक संवत्सर ३६१ दिन, १ घड़ी और ३६ पल के लगभग होता है। यह भी एक प्रकार का वर्ष ही है। सौर वर्ष से यह ४ दिन, १२ घड़ी और ५५ पल कम पड़ता है। भारतीय ज्योतिषियों ने ६० संवत्सरों का एक चक्र माना है। वे क्रमश एक के बाद दूसरे आते है। संवत्सरों के नाम इस प्रकार है—प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत्, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत्, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुन्दुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और क्षय।

सन्-संवत्—वर्ष की गणना का आरम्भ लोग भिन्न-भिन्न प्रमुख समयों या घटनाओं से करते हैं। कुछ लोग सृष्टि के आरम्भ से ही वर्ष का हिसाब करते हैं और *सृष्टि-संवत्* लिखते हैं। युधिष्ठिर के समय से *युधिष्ठिराब्द*, कलि के आरम्भ से *कलि-संवत*, बुद्ध के दिनों से *बुद्धाब्द* और महावीर जैन के समय से *जैनाब्द* (वीराब्द) चले। इसी तरह से और भी कई संवत् चले। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से *विक्रम-संवत्* और शक शालिवाहन के समय से *शक-संवत्* चले। यद्यपि इन दोनो संवतो का प्रचार भारतवर्ष में सार्वदेशिक रूप से है, तथापि भारत-सरकार ने शक-संवत् को राष्ट्रीय संवत् स्वीकार किया है। उत्तर भारत में विक्रम-संवत् और दक्षिण भारत में शक-संवत् का विशेष प्रचार है। मिथिला में १२वीं शताब्दी के राजा लक्ष्मणसेन का चलाया हुआ *लक्ष्मण-संवत्* प्रचलित है। ईसामसीह के मृत्युकाल से *ईसवी-सन्* यूरोप में चला हुआ है। अँगरेजी शासन-काल से भारत में भी इसका सर्वत्र प्रचार है। मुसलमानों का *हिजरी सन्* मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना भागने के समय से चला हुआ है। अकबर के मन्त्री टोडरमल ने हिजरी संवत् का भारतीय चान्द्र मासों से सम्बन्ध रखकर उसे *फसली-सन्* के नाम से चलाया। बंगाल में लोगों ने उसी का सौर मास से सम्बन्ध रखकर *बँगला सन्* नाम दिया। कुछ लोग *तुलसी-संवत्*, *चैतन्य-संवत्*, *दयानन्दाब्द* आदि भी चलाते हैं। पुराने समय मे और भी बहुत-से संवत् चले और फिर उनका व्यवहार उठ गया।

परन्तु उपर्युक्त सन-संवत् अब भी चल रहे हैं। *यहूदी-संवत्* यहूदी लोगो मे प्रचलित है; यह सृष्टि के आरम्भ से माना जाता है। पर, उनके हिसाब से सृष्टि विक्रम-संवत् से सिर्फ ३,८१७ वर्ष पहले हुई थी।

सभी भारतीय संवतो का सम्बन्ध सौर और चान्द्र दोनो गणनाओं से है। अँगरेजी सन् केवल सौर गणना पर और हिजरी सन् केवल चान्द्र गणना पर चलते हैं। चान्द्र गणना पर चलने के कारण हिजरी महीनो को ऋतुओ से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कभी कोई महीना जाड़ा मे, कभी गर्मी मे और कभी बरसात मे पड जाता है। यहूदी-संवत् दोनों पर निर्भर करता है।

संवतो का आरम्भ भिन्न-भिन्न महीनो से होता है। भारतीय संवतों का आरम्भ सौर गणनानुसार साधारणत: मेष-संक्रान्ति, अर्थात् सौर वैशाख से होता है। मेष-संक्रान्ति प्राय १३ अप्रैल को होती है। उसी प्रकार चान्द्र गणना के हिसाब से संवत् साधारणत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होते हैं। भारतीय ज्योतिषियो का कहना है कि सृष्टि का आरम्भ इसी दिन हुआ था। वर्षारम्भ की ये दो तिथियाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। सम्भव है कि गणना के आरम्भ मे ये दो तिथियाँ एक ही दिन पडी हों। गुजरात, काठियावाड आदि मे विक्रम-संवत् या वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ किया जाता है। बुद्धाब्द वैशाख-पूर्णिमा से और जैनाब्द कार्तिक-अमावास्या से आरम्भ होता है। फसली-सन् आश्विन से आरम्भ किया जाता है, पर मिथिलावाले श्रावण से ही वर्ष का आरम्भ मानकर तभी से नये वर्ष का पंचाग तैयार करते हैं। हिजरी-सन् मुसलमानी महीना मुहर्रम से शुरू होता है।

मास—मास सौर और चान्द्र दो प्रकार के होते हैं। सूर्य जितने समय तक एक राशि में रहता है, उतने समय को सौर मास कहते है। सूर्य जिस समय जिस राशि मे प्रवेश करता है, उस समय उस राशि की संक्रान्ति होती है। कहीं संक्रान्ति के दिन से और कहीं अगले प्रातःकाल से मास का आरम्भ मानते है। सौर मास का नाम प्राय राशि के नाम पर ही रहता है। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर भिन्न ही हैं, पर सौर मास को भी चान्द्र मास के नाम से ही पुकारते है, जैसे मेष सौर मास को वैशाख, वृष को ज्येष्ठ, मिथुन को आषाढ, कर्क को श्रावण, सिंह को भाद्र, कन्या को आश्विन, तुला को कार्त्तिक, वृश्चिक को अग्रहायण, धनु को पौष, मकर को माघ, कुम्भ को फाल्गुन और मीन को चैत्र। सूर्य की गति एक-सी नहीं होती। उसे भिन्न-भिन्न राशियो को पार करने मे भिन्न-भिन्न समय लगते है, इसलिए सौर मास के दिन मे दो-एक दिन का अन्तर हो जाया करता है। स्थूल गणनानुसार कुछ लोगों ने सौर मास के दिन निश्चित कर दिये हैं। मेष, वृष, कर्क, सिंह तथा कन्या के ३१ दिन, मिथुन के ३२ दिन, वृश्चिक और धनु के २९ दिन तथा तुला, मकर, कुम्भ और मीन के ३० दिन माने गये है। चौथे वर्ष मे कुम्भ के ३१ दिन माने जाते है। इन्हे याद रखने के लिए एक रोला छन्द है—

> 'बत्तिस मिथुन दिनेस किरन इकतीस मेष गनु। तीस तुला घट मकर मीन उनतीस वृश्चिक धनु ॥
> तिमि चौथे बरस कुम्भ इकतीस गिनिये। किये याद सो मास शेष जो कछु न पैये ॥'

चन्द्रमा के पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चान्द्र मास होते हैं। चान्द्र मास दो तरह के होते हैं—एक अमान्त और दूसरा पूर्णिमान्त। एक अमावास्या के बाद से दूसरे अमावास्या तक के समय को अमान्त चान्द्र मास और एक पूर्णिमा के बाद से दूसरी पूर्णिमा तक के समय को पूर्णिमान्त चान्द्र मास कहते हैं। जब सूर्य और चन्द्र आकाश में एक जगह दिखाई पड़ते हैं, तब उसे

अमावस और जब वे दोनों ठीक विपरीत दिशा में आमने-सामने १८० अंश पर होते हैं, तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। अमावस को चाँद नहीं दिखाई पड़ता। फिर, वह धीरे-धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण गोल दिखाई पड़ता है। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं, यह कहा जा चुका है। चैत्र मास का पूर्ण चन्द्र चित्रा नक्षत्र पर या उसके आस-पास रहता है। उसी तरह वैशाख का विशाखा के पास और ज्येष्ठ का ज्येष्ठा के पास रहता है। इसी भाँति और महीनों का समझना चाहिए।

चान्द्र मास कभी २९, कभी ३० और कभी ३१ दिन का होता है। औसत हिसाब से चान्द्र मास २९ दिन, १२ घंटे, ३७ मिनट का होता है और चान्द्र वर्ष ३५४ दिन, ६ घंटे का। सौर वर्ष ३६५ दिन, ६ घंटों का होने से दोनों में १० दिन, २१ घंटे का अन्तर पड़ जाता है। अतएव ऋतु और सौर वर्ष का मेल रखने के लिए प्रत्येक ३३वें सौर मास में एक चान्द्र मास अधिक गिन लेते हैं, जिसे अधिमास या मलमास कहते हैं। जिस अमांत चान्द्र मास में संक्रान्ति नहीं पड़ती, उसी मास को अधिमास कहते हैं। हिसाब पूरा होने में कुछ बाकी रह जाता है, अतएव उसे पूरा करने के लिए कभी-कभी चान्द्र मास का क्षय भी मान लेते हैं। जिस मास में दो संक्रान्ति पड़ जाती हैं, वही लुप्त माना जाता है। किन्तु, जिस वर्ष में एक क्षयमास होता है, उस वर्ष दो अधिमास होते हैं। क्षयमास कभी १४१ वर्ष में और कभी १९ वर्ष में होता है। आगे २०२० विक्रमाब्द के कार्त्तिक में, २०३९ के पौष में, २१८० के अगहन में और २१९९ के पौष में क्षयमास होंगे।

ऋतुएँ—ऋतुएँ दो-दो मास की होती हैं। ज्यौतिष के हिसाब से चैत्र-वैशाख को वसन्त, ज्येष्ठ-आषाढ़ को ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद को वर्षा, आश्विन-कार्त्तिक को शरद्, अगहन-पौष को हेमन्त और माघ-फाल्गुन को शिशिर कहते हैं। वैद्यक रीति से फाल्गुन-चैत्र को वसन्त और वैशाख-ज्येष्ठ को ग्रीष्म कहते हैं। इसी तरह आगे भी समझना चाहिए।

तिथि—मास तिथियों में बँटे होते हैं। भारतीय गणनानुसार सूर्य जिस राशि को जितने दिन में पार करता है, उस सौर मास में उतनी तिथियाँ होती हैं। अँगरेजी महीने की तारीखें भी इसी हिसाब से निश्चित कर दी गई हैं। हिजरी चान्द्र महीने की तारीखें अमावस के बाद चाँद उगने के दिन से दूसरे दूज के चाँद के पूर्व तक गिन ली जाती हैं। परन्तु, हिन्दू लोग चान्द्र तिथियों की गणना यज्ञ एवं पर्व आदि के निमित्त चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार करते हैं। पहले मास के दो भाग कर लिये जाते हैं, जिन्हें पक्ष कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की १५ तिथियाँ होती हैं। ये १५ तिथियाँ १३ दिनों से १६ दिनों तक में समाप्त होती हैं। पक्ष का अन्त अमावास्या और पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चन्द्र का मध्य-विन्दु एक स्थान में एक सीध में हो जाता है, तब अमावस पूरी होती है। उसके बाद चन्द्रमा सूर्य से जितने समय में १२ अंश दूर हट जाता है, उतने समय में एक तिथि होती है। इस प्रकार, प्रत्येक बारह-बारह अंशों पर तिथियाँ बदलती हैं। १५वीं तिथि का अंत होने पर चन्द्रमा सूर्य से १८० अंश दूर जाकर ठीक आमने-सामने हो जाता है। तब पूर्णिमा की तिथि पूरी होती है। यह शुक्ल पक्ष कहलाता है। इसमें चन्द्रमा क्रमशः बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आरम्भ होता है और चन्द्रमा घटने लगता है। इसमें भी वही १२-१२ अंशों के अंतर पर १५ तिथियाँ होती हैं। १५वीं तिथि के अंत में फिर सूर्य और चन्द्र एक स्थान पर आ जाते हैं और अमावस होती है। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावास्या और पूर्णिमा हैं।

चन्द्रमा की गति एक-सी नहीं होती, इसलिए उसे १२ अंशों के पार करने मे ५४ से ६५ दंड तक लगते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय लगभग ६० दंड का होता है। इसलिए, कभी-कभी दो तिथियाँ एक ही दिन या वार मे पूरी होती है। सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी की प्रधानता मानी जाती है और पंचांगों मे वार के सामने वही तिथि लिखी जाती है। उसके नीचे छोटे अक्षरो मे दूसरी तिथि का समाप्ति-काल लिख दिया जाता है। आगे दूसरे वार मे तीसरी तिथि का नाम दिया जाता है, जो सूर्योदय-काल मे रहती है। इस तरह यह दूसरी तिथि व्यवहार मे क्षय-तिथि या अवम तिथि कहलाती है। कभी-कभी कोई तिथि एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल मे भी कुछ देर तक जाती है। ऐसी अवस्था मे दोनो दिन उस तिथि का नाम लिखा जाता है। इसे ही तिथि-वृद्धि कहते हैं।

करण—तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। शुभाशुभ मुहूर्त्त का विचार करने मे ज्योतिषी इसका उपयोग करते है, अतएव पंचांगो मे इसका उल्लेख रहता है। करण ११ है—बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। प्रथम सात को चर करण और अंतिम चार को स्थिर करण कहते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के उत्तरार्द्ध मे बव करण का आरम्भ होता है और प्रथम सात पर करण क्रम-क्रम से चलते हैं। अंत मे चार स्थिर करण महीने मे सिर्फ एक वार आते है—कृष्ण-पक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्द्ध मे शकुनि, अमावस के पूर्वार्द्ध मे चतुष्पद, उत्तरार्द्ध मे नाग और शुक्ल-पक्ष प्रतिपदा के पूर्वार्द्ध में किंस्तुघ्न। विष्टि का दूसरा नाम भद्रा है।

योग—नक्षत्र की तरह योग की संख्या भी २७ मानी गई है। अश्विनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से सूर्य और चन्द्र जिस समय जितने अंश दूर होते हैं, उनके योगफल मे नक्षत्र के मान १३⅓ अंश से भाग देने पर जितना भागफल होता है, उतने योग उस समय वीते हुए माने जाते हैं और अगला योग वर्त्तमान समझा जाता है। किसी कार्य के करने मे फल-सिद्धि के लिए नक्षत्र, योग, करण आदि का विचार किया जाता है। अतएव, पंचांगो मे प्रतिदिन के योग के नाम दिये रहते है, २७ योग ये हैं—विष्कुम्भ, प्रीति, आयुष्मान्, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान्, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्र, ब्रह्म, ऐन्द्र, वैधृति।

वार—संसार में प्राय सर्वत्र वार; अर्थात दिन सात माने गये है। उनके नाम भी सब जगह सूर्य एवं ग्रहो के नाम पर रखे गये है। क्रम भी एक सिद्धात पर स्थिर किया गया है। वारों के नाम ये है—रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। साधारणत एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल तक वार की गणना की जाती है। एक वार मे एक दिन और एक रात्रि होती है। दिनमान में प्राय बराबर अन्तर होने पर भी दोनो का योग सदा ६० दंड या घड़ी के लगभग होता है। भारत मे भी प्राचीन काल में किसी समय आज की पाश्चात्य पद्धति की तरह दोपहर रात के बाद से वार की प्रवृत्ति मानी जाती थी।

गोल और अयन, रात्रिमान और दिनमान—यदि आकाश-मंडल के दो समान भाग इस प्रकार किये जाये कि एक भाग के मध्य में उत्तरी ध्रुव और दूसरे भाग के मध्य में दक्षिणी ध्रुव पड़े, तो पहले भाग को उत्तरी गोलार्द्ध और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्द्ध कहेंगे। भूमध्य या विषुवत्-रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभाजित माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध मे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या—ये ६ राशियाँ पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्द्ध मे शेष ६ राशियाँ।

जब सूर्य भूमध्य-रेखा के सामने सायन मेष पर आता है, तब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्द्ध में होता है। जब सूर्य सायन कर्क पर पहुँचता है, तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर, उत्तर में क्रम-क्रम से दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है। भूमध्य-रेखा के सामने सायन तुला पर सूर्य के आने पर फिर सर्वत्र दिन-रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रवेश कर जब सायन मकर पर पहुँचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसका उल्टा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। वहाँ से सूर्य उत्तरायण होता है, जिससे दक्षिण में दिन क्रम-क्रम से छोटा और रात कुछ-कुछ बड़ी होने लगती है। अन्त में पुनः सूर्य भूमध्य-रेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्य-रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ६० अंश की होती है। भूमध्य-रेखा पर दिनमान और रात्रिमान सदा १२ घंटे का होता है। भूमध्य-रेखा से उत्तर या दक्षिण बढ़ने पर दिनमान या रात्रिमान बड़ा होने लगता है। ६६½ अंश पर सबसे बड़ा दिनमान या रात्रिमान २४ घंटे का, ७० अंश पर २ मास का, ७८½ अंश पर ४ मास का और ६० अंश पर छह मास का का होता है।

समय का सूक्ष्म मान—भारतीय गणकों ने समय का बड़ा-से-बड़ा मान ब्रह्मायु बताया है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसी प्रकार समय का छोटा-से-छोटा मान भी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सुदीर्घ काल में सूक्ष्म गणना की कई पद्धतियाँ चलीं। घड़ी, दंड, पल और विपल की बात पहले बताई जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सूक्ष्म मान की दो और पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति के अनुसार सूक्ष्मतम मान त्रुटि और दूसरी के अनुसार तत्परस है। एक दिन-रात में १७,४६,६०,००,००० त्रुटियाँ या ४६, ६५, ६०, ००, ००० तत्परस होते हैं। आज के उन्नत पाश्चात्य देशों में समय का सूक्ष्मतम मान सेकेण्ड है, पर हमारे यहाँ लोग सेकेण्ड को भी २,०२,५०० त्रुटियों या ५,४०,००० तत्परसों में बाँट चुके थे। दोनों पद्धतियों के मान इस प्रकार हैं—

१००	त्रुटि	=	१	लव
३०	लव	=	१	निमेष
२७	निमेष	=	१	गुर्वाक्षर
१०	गुर्वाक्षर	=	१	प्राण
६	प्राण	=	१	विघटिका
६०	विघटिका	=	१	घटिका
६०	घटिका	=	१	दिन-रात

६०	तत्परस	=	१	परस
६०	परस	=	१	विलिप्ता
६०	विलिप्ता	=	१	लिप्ता (विपल)
६०	लिप्ता	=	१	विघटिका (पल)
६०	विघटिका	=	१	घटिका (दंड)
६०	घटिका	=	१	दिन-रात

मुस्लिम कलेण्डर—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुसलमानों का हिजरी-सन मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना चले जाने के समय से प्रारम्भ हुआ है। हिजरी-सन् का प्रथम दिन १६ जुलाई, ६२२ ई० होता है। हिजरी विशुद्ध चान्द्र वर्ष है। हिजरी साल की औसत अवधि ३५४ दिन ८ घंटे और ४८ मिनट होती है। चान्द्र मास की अवधि २६ दिन १२ घंटे, ४४ मिनट और ५ सेकेण्ड की होती है, यह पहले लिखा जा चुका है। साल के १२ महीने होते हैं और

महीनों के साधारणतः क्रमशः ३० और २६ दिन। अन्तिम महीने मे एक दिन और जोड दिया जाता है। ३०वें वर्ष के अंत में १ दिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा हिसाब इसलिए रखा जाता है कि मास का प्रथम दिन उस दिन पड सके, जिस दिन नवीन चन्द्र का दर्शन होता है; अर्थात् शुक्ल द्वितीया रहती है। हिजरी महीनो के नाम इस प्रकार हैं—मुहर्रम, सफर, रविउल औव्वल, रवि उस्सानी, जमादि-उल-औव्वल, जमादि उस्सानी, रज्जव, शावान, रमजान, सव्वाल जिकाद और जिलहिज।

रोमन और ईसाई कलेण्डर—यूरोप का सबसे पुराना कलेण्डर रोमन कलेण्डर बताया जाता है, जो रोम के स्थापना-काल से, अर्थात् ७५३ ई० पू० से आरम्भ हुआ था। इसे रोमुलस नामक व्यक्ति ने आरम्भ किया था। उसने साल के ३०४ दिन माने और साल को मार्च से आरंभ कर कुल १० महीनों मे बाँटा। पीछे नूमा पम्पेलियस ने जनवरी और फरवरी ये दो मास बढाये। इस प्रकार, साल के १२ मास और ३५५ दिन हुए। प्रत्येक मास क्रमशः ३० और २६ दिन का होने लगा। ईसा से ४५ वर्ष पूर्व रोमन विजेता जूलियस सीजर (१०० ई० पू० से ४४ ई० पू०) ने इस कलेण्डर मे कुछ सुधार कर साल मे ३६५ दिन बनाये। प्रत्येक चौथे वर्ष को लीपियर माना, जिसमे फरवरी २८ दिन के बदले २६ दिन की होने लगी, यह जूलियन कलेण्डर कहलाया। पोप ग्रेगरी १३वाँ (सन १५०२–१५८५ ई०) ने इस कलेण्डर मे फिर सुधार कर १५८२ ई० के ५ अक्टूबर को १५ अक्टूबर करार दिया और यह भी निश्चित किया कि प्रत्येक १०० वर्ष मे लीपियर नही होगा, किन्तु ४०० वर्ष पर लीपियर हुआ करेगा। इसीसे सन् १६०० ई० लीपियर नहीं हुआ, किन्तु २००० ई० लीपियर होगा। १५८२ ई० से समस्त कैथोलिक देशों मे और १७५२ ई० से ब्रिटेन और इसके औपनिवेशिक देशो मे ग्रेगोरियन कलेण्डर आरम्भ हुआ। सन् १७५२ ई० से ही पहली जनवरी का दिन वर्ष का प्रथम दिन माना जाने लगा। इसी दिन इंगलैंड का विजेता विलियम राजगद्दी पर बैठा था। रूस ने सन् १६१८ ई० मे इस कलेण्डर को आरम्भ किया। अब तो यह अन्तरराष्ट्रीय कलेण्डर हो गया है। ईसवी सन ईसा के जन्म-काल से चला हुआ माना जाता है, किन्तु अब अनुसधायकों का कहना है कि ईसा का जन्म सन् १ मे नही, बल्कि इसके चार वर्ष पूर्व ही हुआ था। अंगरेजी महीनो के प्रथम ६ नाम देवताओं के नाम पर, ७वें-८वें बादशाहो के नाम पर और शेष संख्या के नाम पर हैं।

यहूदी-कलेण्डर—इस कलेण्डर मे वर्ष के अंदर सौर गणनानुसार ३६५ दिन होते हैं। मास की गणना चान्द्र गणनानुसार होती है। १६ वर्षो के चक्र मे पहला, दूसरा, चौथा, पाचवाँ, सातवाँ, नौवाँ, दसवाँ बारहवाँ, तेरहवाँ, पन्द्रहवाँ, सोलहवाँ और अठारहवाँ वर्ष १२ महीनों के और शेष वर्ष १३ महीनों के होते हैं। साधारण वर्ष की अवधि ३५३, ३५४ या ३५५ दिनों की और लीपियर की अवधि ३८३, ३८४ या ३८५ दिनों की होती है। इस प्रकार, १६ वर्षों के चक्र मे औसत वर्ष ३,६५ दिनों का होता है। वर्ष का आरम्भ सृष्टि के आरम्भ से माना जाता है। यहूदी लोग सृष्टि का आरम्भ ईसा से केवल ३७६० वर्ष पूर्व मानते हैं। पर्व-त्योहार आदि के दिन की गणना सूर्यास्त के बाद आरम्भ होती है। इनका समय ग्रीनविच समय से २ घण्टा, २१ मिनट पूर्व ही रहता है; क्योंकि यह जेरुसलम-मेरिडियन का समय मानता है।

पारसी-कलेण्डर—इसका व्यवहार भारत और ईरान के पारसियों द्वारा होता है। इस कलेण्डर का आरम्भ १६ जून ६३२ ई० में हुआ था। इसे 'जोरोस्ट्रियन कलेण्डर' भी कहते हैं; क्योंकि यह पारसी-धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र या जोरोस्टर के नाम पर चलाया गया है।

बौद्ध कलेण्डर—इसकी गणना महात्मा बुद्ध के जन्म-काल, ५८३ ईसवी पूर्व से प्रारम्भ हुई थी, यद्यपि अब बुद्ध का जन्म-काल ४८७ ई० पू० माना जाता है। बौद्ध संवत् वैशाखी पूर्णिमा से आरम्भ होता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था।

जैन कलेण्डर—यह कलेण्डर जैनों के २४वें तीर्थंकर भगवान महावीर के मृत्यु-काल (ई० पू० ५२७) से आरम्भ होता है।

भारत का राष्ट्रीय कलेण्डर—भारत-सरकार ने शक संवत् को राष्ट्रीय संवत् स्वीकार किया है, यह लिखा जा चुका है। राष्ट्रीय संवत् के साथ ही राष्ट्रीय मास और राष्ट्रीय तिथि भी निश्चित कर दी गई है। यह प्रायः सायन सौर गणनानुसार है। वर्ष का आरम्भ चैत्र से किया जाता है। इस राष्ट्रीय चैत्र मास का आरम्भ २२ मार्च को हुआ करेगा, यह निश्चित कर दिया गया है। यह गणना २२ मार्च, सन् १६५७ ई०, अर्थात १८८० शकाब्द के १ चैत्र से आरम्भ की गई है। प्रत्येक मास के दिनों की संख्या भी निश्चित कर ली गई है। साधारणतः, चैत्र के दिन ३० होंगे और आगे के ५ मास वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादो के दिन ३१। फिर शेष ६ मास आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन के दिन ३१ रहेंगे। हाँ, चौथे वर्ष ईसवी-सन् के (लीप-ईयर) में वर्ष या चैत्र का आरम्भ २१ मार्च को ही होगा और उस वर्ष चैत्र के दिन ३१ रहेंगे। इस गणना में सुविधा रहेगी, अन्तर्राष्ट्रीय अँगरेजी तिथि के साथ राष्ट्रीय तिथि का एक निश्चित सम्बन्ध बना रहेगा, भारतीय सौर या चान्द्र तिथि के साथ भी बहुत कुछ सम्बन्ध कायम रहेगा और सौर वर्ष के ३६५ दिन भी पूरे हो जायेंगे। अँगरेजी के किस मास की, किस तिथि से राष्ट्रीय मास की पहली तिथि आरम्भ होगी और उस राष्ट्रीय मास की दिन-संख्या क्या होगी, यह आगे लिखा जा रहा है—

अँग० मास-तिथि	राष्ट्रीय मास	दिन-संख्या	अँग० मास-तिथि	राष्ट्रीय मास	दिन-संख्या
मार्च २२ से (लीप-ईयर में २१ मार्च से)	चैत्र	३०-३१	सितम्बर २३ से	आश्विन	३०
			अक्तूबर २३ से	कार्तिक	३०
अप्रैल २१ से	वैशाख	३१	नवम्बर २२ से	अगहन	३०
मई २२ से	जेष्ठ	३१	दिसम्बर २२ से	पूस	३०
जून २२ से	आषाढ	३१	जनवरी २१ से	माघ	३०
जुलाई २३ से	श्रावण	३१	फरवरी २० से	फाल्गुन	३०
अगस्त २३ से	भादो	३१			

इधर कुछ वर्षों से भारत की राष्ट्रीय सरकार इण्डिया मेटिओरॉलॉजिकल डिपार्टमेण्ट से अपना एक बृहत् जहाजी पंचाग 'नॉटिकल अलमेनेक' निकालने लगी है। पहले से विश्व में ग्रेटब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, स्पेन और रूस के जहाजी पंचाग निकलते रहे हैं। हमारे जहाजी पंचागों को भी समस्त विश्व से मान्यता प्राप्त हुई है और यह सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें भारत की प्राचीन गणना-पद्धति का भी समावेश किया गया है।

पंचांग-काल—विश्व के पचागो के नये संस्करणो मे काल की माप की एक नई प्रणाली दी गई है। वर्षों के निरीक्षण-पर्यवेक्षण के बाद देखा गया है कि दिनानुदिन पृथ्वी की दैनिक गति मंद पड़ती जा रही है। पृथ्वी की दैनिक गति में १७०० ई० से अबतक ४७ सेकेण्ड की और

सन् १९०३ ई० से अवतक ३५ सेकेंड की कमी दीख पड़ी है। इस प्रकार, पृथ्वी की दैनिक गति में प्रति वर्ष औसत एक सेकेंड से कुछ अधिक की कमी हो रही है।

ग्रीनविच मध्यम काल, जिसे बाद को सार्वभौम काल समझा जाने लगा और जो पृथ्वी की दैनिक गति पर आधृत था, अब समय की माप का अनुपयुक्त मापदंड माना जाता है। समय की नई माप का, जिसे पञ्चाङ्ग-काल या 'एफिमेरिज टाइम' कहते हैं, विश्व के समस्त पञ्चाङ्गों में उल्लेख किया जाने लगा है। इसका निर्धारण चन्द्रमा की स्थिति के अनुसार किया जाता है।

स्टैण्डर्ड टाइम—प्रत्येक स्थान का समय कुछ-कुछ भिन्न होने पर भी समूचे देश के लिए एक स्टैण्डर्ड टाइम ठीक कर लिया जाता है। भारत का स्टैण्डर्ड टाइम सन् १९०६ ई० में ८२½° रेखांश या देशान्तर पूर्व के मध्यम काल के आधार पर निश्चित कर लिया गया है। ८२½° देशान्तर रेखा वाराणसी और कोकोनाड होकर जाती है। यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से ५½ घंटा पहले पड़ता है। सारे भारत के रेलवे, डाक एवं तारघर आदि इसी समय को व्यवहार में लाते हैं। सन् १८८४ ई० में एक अन्तरराष्ट्रीय मेरिडियन कान्फ्रेन्स हुई थी। उसने यह तय कर लिया कि ग्रीनविच, लंदन के पास से होकर जानेवाली मध्याह्न-रेखा (मेरिडियन लाइन) को ही प्रधान मध्याह्न-रेखा माना जाय और संसार के समय का हिसाब उसी से लगाया जाय। ग्रीनविच के मेरिडियन को शून्य अंश पर मानकर वहाँ से १८०° तक पूर्वीय और पश्चिमीय रेखांश की गणना की जाती है। ग्रीनविच के पूरब के किसी स्थान का समय जानने के लिए दूरी के हिसाब से ग्रीनविच के समय में प्रति १५° पर एक घंटा और १° पर चार मिनट का समय घटाना पड़ता है तथा पश्चिम के स्थानों के लिए जोड़ना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय तिथि-रेखा—प्रति १५° देशान्तर पर समय में एक घंटा का अन्तर पड़ता है, अतएव पृथ्वी की परिक्रमा में एक दिन का अन्तर होगा। यदि कोई यात्री किसी स्थान से किसी तारीख को पूरब चलकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, तो उसे अपने स्थान पर लौटने पर एक तारीख, अर्थात् एक दिन घटा हुआ ही जान पड़ेगा। उसी प्रकार, यदि कोई पश्चिम की ओर चलकर भ्रमण करता हुआ अपने स्थान पर लौटे, तो एक दिन बढ़ा हुआ जान पड़ेगा। इसलिए, यह मान लिया गया है कि पूरब की ओर से यात्रा करनेवाले प्रशान्त महासागर को १८०° रेखांश पर पार करने पर अपने हिसाब में एक दिन बढ़ा लें और पश्चिम की ओर यात्रा करनेवाले उक्त स्थान को पार करने पर एक दिन अपने हिसाब में घटा लें।

पञ्चाङ्ग-परिचय—जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण—इन पाँच प्रमुख अंगों का ब्यौरा दिया रहता है, उसे पञ्चाङ्ग कहते हैं। भारत में पञ्चाङ्ग प्रायः निरयन-पद्धति पर ही बनते हैं। आगे जो पञ्चाङ्ग दिया गया है, उसमें पहले वार, फिर क्रमशः तिथि, नक्षत्र, योग और करण दिये गये हैं। वार की प्रवृत्ति एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक रहती है। किस वार में कौन तिथि, नक्षत्र, योग और करण किस समय तक रहेंगे, यह घटी-पल में दिया गया है। इनमें से जो किसी वार में पूर्ण समय तक पड़ा है, उसके सामने में बाद का चिह्न दिया गया है। आगे दूसरे प्रकार के योग के नाम दिये गये हैं। इसके पश्चात् सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आया है। इससे दिनमान निकाला जा सकता है। फिर, रवि की क्रान्ति आकाश-मंडल की मध्य-रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर अंश और कला में दी गई है। तदुपरान्त चन्द्रोदय या चन्द्रास्त का समय दिया गया है।

फिर बँगला, राष्ट्रीय और अंगरेजी तिथियाँ लिखी गई हैं। शीर्षक के अन्दर मासों के नाम दे दिये गये हैं। स्थानाभाव से फसली और फारसी तिथियाँ नहीं दी जा सकीं। फसली तिथि पूर्णिमान्त मास के प्रथम दिन से आरम्भ होकर प्रतिदिन १, २ के क्रम से आगे बढ़ती हुई पूर्णिमा तक जाती है। फारसी महीना द्वितीया का चाँद दिखाई पड़ने के दूसरे दिन से आरम्भ होता है। पञ्चाङ्ग में फारसी महीनों के नाम दे दिये गये हैं। एक मास के आरम्भ से दूसरे मास के पूर्व तक फारसी तिथियाँ सीधे १,२ के क्रम से चलती हैं। अतएव पञ्चाङ्ग देखकर फारसी और फसली महीनों की गणना कर ली जा सकती है। आगे पर्व-त्योहार तथा सूर्य का नक्षत्र और राशि-प्रवेश, ग्रहों का राशि-प्रवेश एवं चन्द्र का राशि-प्रवेश आदि अनेक बातें यथास्थान दी गई हैं। मासों के अमान्त और पूर्णिमान्त दोनों माने जाने के कारण १५वीं तिथि के स्थान में ३० भी लिखा जाता है। इस पञ्चाङ्ग का समय भारत के मध्य भाग में स्थित काशी के समय के अनुसार है।

☆

विक्रमाब्द २०१८, राष्ट्रीय शकाब्द १८८२-८३, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ. प. न.	घ. प. यो.	घ. प. क.	घ. प. क.	घ. प.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र.क्रा. उ.	चं. अ. घं. मि.	वैं. चै.	रा. फा. चै.	अँ. मा. अ.	चैत्र-शुक्ल (समय—घड़ी-पल में)
गु.	१	४१ २८ उ.	४३ ४ गु.	४४ ३६ क्रि.	१३ ३६ व.	४१ २८	केतु	६ ३	५ ५७	१ २२	१८ ५०	३	२६	१७	चान्द्र वर्ष आरम्भ । आनन्द संवत्सर । सूर्य उ०भा० ।
शु.	२	३३ ५८ रे.	४४ २५ ब्र.	३८ ५५ ना.	६ ४३ कौ.	३७ ५८	धाता	६ २	५ ५८	० ५८	१६ ५१	४	२७	१८	चन्द्र-दर्शन। चन्द्र मेष ४४।२५ । बुध शत०४६।५३ ।
श.	३	२५ ३० अ.	४३ ४८ गृ.	३६ ३ तै.	३ ४४ ग.	३५ ३०	आनन्द	६ १	५ ५६	० ३४	२० ५१	५	२८	१९	रसजान ६ । मत्स्य-जयन्ती । रामदोलोत्सव । α
र.	४	२२ १३ भ.	४४ २१ वै.	३० ६ व.	४ ५१ वि.	३४ १३	चर	६ ०	६ ०	० ११ +	२१ ४८	६	२९	२०	वैनायकी चतुर्थी । सायन सूर्य मेष ४८।५४ ।
सो.	५	३४ १२ कृ.	४२ ८ वि.	२७ ६ ब.	४ १२ गा	३४ १२	गद	६ ०	६ ०	० १३	२२ ४४	७	३०	२१	श्रीपञ्चमी । रामराज्य-महोत्सव । चन्द्र वृ० ५६/४८ ।
मं.	६	३७ २६ रो.	४६ ११ प्री.	२५ १५ कौ.	४ ५० तै.	३५ २६	शुभ	५ ५९	६ १	० ३७	२३ ३७	८	१	२२	रा० चैत्र १ शकाब्द, १८८३ । [४१७।५७ ।
बु.	७	३८ २ मृ.	५३ २४ आ	२४ २० ग.	६ ४६ व	३८ २	मृत्यु	५ ५८	६ २	१ १	० २९	९	२	२३	महानिशा-पूजा । चन्द्र मि० २१।१७ ।
गु.	८	४१ ४४ आ.	५८ ४० सौ.	२४ ५० वि.	६ ५३ व.	४१ ४४	पद्म	५ ५७	६ ३	१ २४	१ १७	१०	३	२४	अशोकाष्टमी, दुर्गाष्टमी । [θ चन्द्र कर्क ४८।१२ ।
शु.	९	४३ १७ पु.	६० ० शो	२५ ८ बा.	१४ १ कौ	४३ १७	छत्र	५ ५७	६ ३	१ ४८	२ ३	११	४	२५	रामनवमी (सब की) । दुर्गा-नवमी ।
श.	१०	४७ २५ पु.	४ ४२ शो.	२६ २७ तै.	१८ ५१ ग.	५१ २५	केतु	५ ५६	६ ४	२ १२	२ ४६	१२	५	२६	शुक्र (वक्री) उ० भा० ४ चरण ४५।५५ । θ
र.	११	५६ ४३ पु.	११ ११ सु.	२८ १ व.	२४ ४ वि.	५६ ४३	धाता	५ ५५	६ ५	२ ३५	३ २७	१३	६	२७	कामदा एकादशी (स्मार्त्तों के लिए)
सो.	१२	६० ० श्ले	१७ ५७ धृ.	२९ ३२ त.	२९ १३ बा.	६० ०	आनन्द	५ ५४	६ ६	२ ५८	४ ६	१४	७	२८	कामदा एकादशी (वैष्णवों के लिए) । चन्द्र सिं० *
मं.	१२	१ ४४ म.	२४ १० शू.	३० ४० बा.	१ ४४ कौ.	३३ ५४	चर	५ ५४	६ ६	३ २२	४ ४३	१५	८	२९	प्रदोप । अनङ्ग त्रयोदशी व्रत । बुध पू०भा०१६।२४ ।
बु.	१३	६ ५ पू.	२६ ३५ गं.	३१ १३ तै.	६ ५ ग.	३७ ४७	गद	५ ५३	६ ७	३ ४५	५ २०	१६	९	३०	सूर्य रे० ५१।४८ । चन्द्र कन्या ४५।४२ ।
गु.	१४	९ २६ उ.	३४ १ वृ.	३१ ० व.	९ २६ वि.	४० ३७	शुभ	५ ५२	६ ८	४ ८	× ×	१७	१०	३१	पूर्णिमा (व्रत) । [α सौभाग्यसुन्दरी व्रत । गणगौरी जन्म ।
शु.	१५	११ ४६ ह.	३७ १६ ध्रु.	२९ ४८ न.	११ ४६ बा.	४२ १५	मृत्यु	५ ५१	६ ९	४ ३२	× ×	१८	११	१	पूर्णिमा (स्नानादि) । १ अप्रैल, १९६१ ।

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६७-६८, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८४२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय		सूर्यास्त		र. क्रा उ.		च. उ. घं.	मि.	अँ. चै. वै.	रा. नै.	अँ. अं.	वैशाख-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
र.	१	१२	४५	चि.	३९	१८	व्या	२७	४०	कौ.	१२	४५	तै.	४२	२७	पद्म	५	५१	६	९	४	५६	१९	२४	१९	१२	२	कच्छपावतार । चन्द्रतुला ८।१७।
चं.	२	१२	२८	स्वा.	४०	६	ह.	२४	३१	ग.	१२	२८	व.	४१	४४	छत्र	५	५०	६	१०	५	१९	२०	२०	२०	१३	३	मंगल पुन. १७।२।
मं.	३	१०	५९	वि.	३९	४३	व.	२०	२५	वि.	१०	५९	व.	३९	४०	श्रीवत्स	५	४९	६	११	५	४२	२१	१७	२१	१४	४	गणेश चतुर्थी । बुध मीन । ३२।४३ चन्द्र वृश्चिक †
बु.	४	८	२०	अनु.	३८	२०	सि.	१४	५४	वा.	८	२०	कौ.	३६	३२	सौम्य	५	४८	६	१२	६	४	२२	१७	२२	१५	५	शुक्रार्द्र क्यारम्भ । [† २४।४९
बृ.	५	४	४३	ज्ये.	३६	१	व्य.	९	७	तै.	४	४३	ग.	३२	२९	का. द.	५	४८	६	१२	६	२७	२३	१६	२३	१६	६	चन्द्रधनु, ३३।१ ।
शु.	६	० / ५४	१५ / ५२	मू.	३२	५७	व.	२ / ५३	४० / २	व.	०	१५	वि.	२७ / ५५	४१ / ८	सुस्थिर	५	४७	६	१३	६	५०	०	१३	२४	१७	७	——
श.	८	४९	३०	पू.	२९	१९	शि.	४८	१८	वा.	२२	१९	कौ	४९	३०	मातंग	५	४६	६	१४	७	१३	१	८	२५	१८	८	कालाष्टमी, शीतलाष्टमी शुक्रास्त पश्चिम २०।२४ ।*
र.	९	४३	३५	उ.	२५	१८	सि.	४०	५२	तै.	१६	३३	ग.	४३	३५	अमृत	५	४६	६	१४	७	३५	२	१	२६	१९	९	—— [* चन्द्र मकर ४३।१९।
चं.	१०	३७	३०	श्र.	२१	४	सा.	३२	५६	व.	१०	३३	वि.	३७	३०	सिद्धि	५	४५	६	१५	७	५७	२	५१	२७	२०	१०	बुधास्त पश्चिम १२।२३ । चन्द्र कुम्भ ४८।५८ ।
मं.	११	३१	३२	ध.	१६	५३	शु.	२५	१४	व.	४	३१	वा.	३१ / ५८	३२ / ४१	उत्पाद	५	४४	६	१६	८	१९	३	३७	२८	२१	११	वरुथिनी एकादशी ।
बु.	१२	२५	५१	श.	१३	१७	शु.	१७	४४	तै.	२५	५१	ग.	५३	१६	मानस	५	४३	६	१७	८	४१	४	२१	२९	२२	१२	प्रदोप । चन्द्र मीन ५५।४८। [‡ मास शिवरात्रि ।
बृ.	१३	२०	४१	पू.	९	५८	ब्र.	११	०	व.	२०	४१	वि.	४८	४०	मुद्गर	५	४३	६	१७	९	३	५	४	३०	२३	१३	शुक्रोदय पूरब २०।१५ । सूर्य अ०-मे० २६।६ ।‡
शु.	१४	१९	२८	उ.	७	१८	ऐं.	४ / ५४	३४ / १४	श.	१६	२८	च.	४४	५३	केतु	५	४२	६	१८	९	२५	५	४५	१	२४	१४	अमावास्या (श्राद्धादि निमित्त) । बुध रे० ११।१७ ।
श.	३०	१३	९	रे.	५	२७	वि.	५३	४८	ना.	१३	९	किं.	४१	५४	धाता	५	४१	६	१९	९	४६	०	०	२	२५	१५	अमावास्या (स्नानादि निमित्त) । चन्द्र मेष ५।२७ ।

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो	घ.	प.	क	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय		सूर्यान्त		र. क्रा. उ.		चं. घं.	उ. मि	नै. वै.	ग्रा. वै.	अं. मई	शुद्ध ज्येष्ठ-कृष्ण (समय—घडी-पल में)
चं.	१	४४	४१	स्वा	०	२१	व्य.	४०	४४	वा.	१५	२८	कौ	४४	४१	छत्र	५	३१	६	२६	१५	५	१६	६	१८	११	१	चन्द्र वृश्चिक ४५।१७ । मंगल पुष्य ३३।५६ । शनि-
मं.	२	४१	५६	वि	० / ५८	१५ / ४१	व.	३६	०	तै.	१३	२०	ग.	४१	५६	श्रीवत्स	५	३०	६	३०	१५	२३	२०	६	१९	१२	२	—— [⁺(वक्री) ११२६ । अगस्त्यास्त ५३।२४ ।
बु.	३	३८	१७	ज्ये	५६	५७	व.	३०	२८	व.	१०	८	वि.	३८	१७	ध्वांक्ष	५	३०	६	३०	१५	४१	२१	६	२०	१३	३	चन्द्र धनु ५६।५७ । गणेशचतुर्थी । राहु (वक्री)†
बृ.	४	३३	४४	मू.	५४	३	शि.	२४	१२	व.	६	१	बा	३३	४४	धूम्र	५	२९	६	३१	१५	५८	२२	८	२१	१४	४	—— [†मघा, चतुर्थ चरण ।
शु.	५	२८	२६	पू.	५०	३४	सि.	१७	४	कौ.	१	७	तै.	३८ / ५५	३१ / ३७	प्र मा.	५	२८	६	३२	१६	१५	२३	६	२२	१५	५	बुध कु० २२।२९ ।
श.	६	२२	४४	उ.	४६	२९	सा.	९	५१	व.	२२	४४	वि.	४९	४०	रक्त	५	२८	६	३२	१६	३२	२३	५६	२३	१६	६	चन्द्र मकर ४।३५ ।
र.	७	१६	३६	श्र.	४२	३०	शु	२ / ५२	१ / २	व.	१६	३६	बा.	४३	३४	गद	५	२७	६	३३	१६	४६	०	४६	२४	१७	७	बुध वृष ११।१ । [§ सूर्य कृ० ५५।१४ ।
चं.	८	१०	३२	ध.	३८	२१	व्र.	४७	१	कौ.	१०	३२	तै	३७	३३	शुभ	५	२७	६	३३	१७	५	१	३५	२५	१८	८	चन्द्र कुम्भ १०।२६ ।
मं.	९	४ / ५४	३३ / ११	श.	३४	२४	ऐं.	३६	३४	ग.	४	३३	व.	३१ / ५८	४३ / ५३	मृत्यु	५	२६	६	३४	१७	२१	२	१९	२६	१९	९	—— [‡ सूर्य कृ० २३।११ । शुक्र रे० ४०।४३ ।
बु.	११	५३	४२	पू	३०	५२	वै.	३२	२७	व.	२६	१८	बा.	५३	४२	पद्म	५	२६	६	३४	१७	३७	३	१	२७	२०	१०	चन्द्र मीन १३।४५ । अचला एकादशी (सब की) ।§
बृ.	१२	४९	११	उ.	२७	५६	वि	२५	४७	कौ	२१	२६	तै.	४९	११	छत्र	५	२५	६	३५	१७	५३	३	४१	२८	२१	११	—— [*बुधोदय पूर्व ५।४५ । बुध रो० ४३।५७ ।
शु.	१३	४५	३१	रे.	२५	४८	प्री	१९	४७	ग.	१७	२१	व.	४५	३१	श्रीवत्स	५	२४	६	३६	१८	८	४	२३	२९	२२	१२	चन्द्र मेष २५।४८ । प्रदोष । वट-सावित्री व्रतारम्भ ।*
श.	१४	४२	४७	अ.	२४	३९	आ.	१५	५	वि.	१४	९	श	४२	४७	सौम्य	५	२४	६	३६	१८	२३	५	५	३०	२३	१३	मास शिवरात्रि ।
र.	३०	४१	२२	भ	२४	३७	सौ.	१०	५१	च.	१२	४	ना.	४१	२२	का. द	५	२३	६	३७	१८	३८	×	×	३१	२४	१४	चन्द्र वृष ३६।५५ । अमावास्या । वट-सावित्री व्रत ।‡

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बंगला सन् १३६८, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१।

वा.	ति.	घ	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय		सूर्यास्त		र. क्रां. उ.		चं. उ. घं.	मि.	वृ. ज्ये.	रा. ज्ये.	अं. म. जु.	अधिक ज्येष्ठ-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
बु.	१	९	२	ज्ये.	१७	२६	सा.	४६	२४	कौ	९	२	तै.	३६	४५	ध्वाँक्ष	५	१६	६	४४	२१	५५	१६	५७	१७	१०	३१	चन्द्र धनु १७।२६।
बृ.	२	४ ५४	२८ ४५	मू.	१४	४२	शु.	३६	४३	ग.	४	२८	व.	३१ ५१	५० १३	धूम्र	५	१६	६	४४	२२	३	२०	५८	१८	११	१	——
शु.	४	५३	२८	पू.	११	१६	शु.	३२	३२	व.	२६	२१	बा.	५३	२८	प्र. मा	५	१६	६	४४	२२	११	२१	५८	१९	१२	२	चन्द्र मकर २५।२२।
श.	५	४७	२४	उ.	७	२६	ब्र.	२५	१	कौ	२०	२६	तै.	४७	२४	रक्ष	५	१५	६	४५	२२	१६	२२	४७	२०	१३	३	——
र.	६	४१	१२	श्र.	३ ५७	२३ ५१	ऐ.	१७	२२	ग.	१४	१८	व.	४१	१२	मूसल	५	१५	६	४५	२२	२१	२३	३५	२१	१४	४	चन्द्र कुंभ ३१।१८।
चं.	७	३५	५	श.	५५	१४	वै.	९	४५	वि.	८	८	व	३५	५	अमृत	५	१५	६	४५	२२	२३	०	२०	२२	१५	५	—— [शुक्र भरणी ४७।३३।
मं.	८	२९	१३	पू.	५१	३८	वि.	२ ५२	१९ ५३	वा.	२	९	कौ.	२९ ५६	१३ ३१	काण	५	१५	६	४५	२२	३६	१	२	२३	१६	६	चन्द्र मीन ३७।३२।
बु.	९	२३	५०	उ.	४८	३४	आ.	४८	३१	ग.	२३	५०	व.	५१	२८	लुम्ब	५	१४	६	४६	२२	४५	१	४२	२४	१७	७	सूर्य मृग० ४७।५२।
बृ.	१०	१९	५	रे.	४६	१५	सौ.	४२	२६	वि.	१९	५	व.	४७	२८	मित्र	५	१४	६	४६	२२	५१	२	२२	२५	१८	८	चन्द्र मेष ४३।१५।
शु.	११	१५	५१	अ	४४	५२	शो	३७	६	बा.	१५	५१	कौ.	४४	२९	वज्र	५	१४	६	४६	२२	५६	३	३	२६	१९	९	पुरुषोत्तमी एकादशी (सबके लिए)
श.	१२	१३	७	भ.	४०	३३	अ.	३२	३७	तै	१३	७	ग.	४२	१७	ध्वाँक्ष	५	१४	६	४६	२३	१	३	४५	२७	२०	१०	चन्द्र वृष ५६।४६। शनि-प्रदोष।
र.	१३	११	२९	कृ.	४५	२६	सु	२९	४	व.	११	२९	वि.	४१	१७	धूम्र	५	१४	६	४६	२३	५	४	२९	२८	२१	११	मास शिवरात्रि। बुध (वक्री) ४६।२०।
चं.	१४	११	६	रो.	४७	३४	धृ	२३	३५	श.	११	६	च	४१	३२	प्र. मा	५	१३	६	४७	२३	९	५	१५	२९	२२	१२	अमावास्या (श्राद्धादि निमित्त)।
मं.	३०	११	५७	मृ	५०	५६	शू.	२५	७	ना	११	५७	किं.	४३	१	रक्ष	५	१३	६	४७	२३	१३	×	×	३०	२३	१३	चन्द्र मिथुन १६।१५। अमावास्या (स्नानादि निमित्त)*

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ. प.	न.	घ. प.	यो.	घ. प.	क.	घ. प.	क.	घ. प.	योग	सूर्योदय घ. मि.	सूर्यास्त घ. मि.	र. क्रा. उ.	चं. अ. घं. मि.	वँ. ज्ये.	रा. ज्ये.आ	अँ. जू.	शुद्ध ज्येष्ठ-शुक्ल (समय—घडी-पल में)
बु.	१	१३ ४	गा.	५५ २८	गं.	२४ ३८	न.	१४ ४	वा.	४५ ४०	मुगल	५ १३	६ ४७	२३ १६	१६ ४४	३१	२४	१४	चन्द्र-दर्शन । करवीर व्रत । सूर्य मिथुन ४८।३६ ।
गु.	२	१० १२	पु.	६० ०	पु.	२५ ५	कौ.	१७ १६	नै.	४६ १५	सिद्धि	५ १३	६ ४७	२३ १८	२० ३६	१	२५	१५	चन्द्र कर्क ४४।३५ । जिलहिज्ज १२ । रम्भा *
शु.	३	२१ १४	पु.	० ५७	ध्रु.	२६ ११	ग.	२१ १४	व.	५३ ४२	लुम्ब	५ १३	६ ४७	२३ २१	२१ १७	२	२६	१६	लवण तृतीया । [* तृतीया ।
श.	४	२६ ४	पु.	७ ७	व्या	२७ ४६	वि.	२६ ४	व.	५८ ४२	मित्र	५ १३	६ ४७	२३ २३	२१ ५७	३	२७	१७	वैनायकी चतुर्थी। [‡ ३३।४२ । शुक्र कु० ३७।११ ।
र.	५	३१ १३	श्ले	१२ २७	ह.	२८ ३०	बा.	३१ १८	कौ.	६० ०	वज्र	५ १३	६ ४७	२३ २५	२२ ३६	४	२८	१८	चन्द्र सिंह १३।३७ । मंगल मघा और सिंह †
सो.	६	३५ ५	म.	२० १५	व	३१ ५	कौ.	३ ४०	नै.	३६ ५	ध्वांक्ष	५ १३	६ ४७	२३ २६	२३ १३	५	२९	१९	—— [† ५१।५८ । बुधास्त पूरब ३२।४० ।
मं.	७	४० १६	पू.	२६ ११	सि	३२ ११	ग.	८ १०	व.	४० १६	धूम्र	५ १३	६ ४७	२३ २६	२३ ४६	६	३०	२०	चन्द्र कन्या ४२।२७ ।
बु.	८	४३ ४३	उ.	३१ १७	व्य.	३२ ३६	वि.	११ ५५	व.	४३ ३३	प्र. मा	५ १३	६ ४७	२३ २७	० २५	७	३१	२१	सूर्य आर्द्रा ५०।३४ । सायन सूर्य कर्क ३६।२२ ।
गु.	९	४५ ४७	ह.	३५ १८	व.	३२ ११	बा.	१४ ३७	कौ.	४५ ४२	रक्ष	५ १३	६ ४७	२३ २६	१ १	८	१	२२	बुध (वक्री) १६।४२ ।
शु.	१०	४६ ३	चि	३८ ८	प.	३० ४८	तै.	१६ १०	ग.	४६ ३७	मुसल	५ १३	६ ४७	२३ २६	१ ३६	९	२	२३	चन्द्र तुला ६।४३ । गंगा-दशहरा ।
श.	११	४६ १७	स्वा.	३८ ४४	शि	२८ २६	व.	१६ २७	वि.	४६ १७	सिद्धि	५ १३	६ ४७	२३ २५	२ २०	१०	३	२४	निर्जला एकादशी (सबके निमित्त)
र.	१२	४४ ४३	वि	३७ ६	सि.	२५ ३	व.	१५ ३०	बा.	४४ ४३	उत्पात	५ १३	६ ४७	२३ २४	३ ५	११	४	२५	चन्द्र वृश्चिक २५।१० । कूर्म-जयन्ती ।
सो.	१३	४२ १	अनु.	३६ २०	सा.	२० ४३	गौ.	१३ २२	तै.	४२ १	मानस	५ १३	६ ४७	२३ २२	३ ५६	१२	५	२६	सोम प्रदोप । बुध (वक्री) मू० चतुर्थ चरण ‡
मं.	१४	३८ १८	ज्ये.	३३ ३१	शु.	१५ ४	ग.	१० ६	व.	३८ १८	मुद्गर	५ १३	६ ४७	२३ २०	४ ५२	१३	६	२७	चन्द्र धनु ३७।३५ ।
बु.	१५	३३ ४४	मू.	३१ १८	शु.	९ ६	वि.	६ १	व.	३३ ४४	केतु	५ १३	६ ४७	२३ १७	× ×	१४	७	२८	पूर्णिमा (व्रत-स्नानादि निमित्त) ।

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय घ.	मि.	सूर्यास्त घ.	मि.	र. क्रा. उ.		चं. उ. घं.	मि.	वैं आ.	रा० आ०	ॐ जू.-जु.	आषाढ-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
बृ.	१	२८	२७	पू.	३१	३८	ब्र.	२ ५२	३१ ५६	वा.	१	५	कौ.	२८ ५५	२७ ३३	धाता	५	१३	६	४७	२३	१४	१६	४२	१५	८	२९	चन्द्र मकर ४५।४१ । शुक्र वृष ४३।५४ ।
शु.	२	२२	३८	उ.	२७	४९	वै.	४८	३	ग.	२२	३८	व.	४९	३२	आनन्द	५	१३	६	४७	२३	११	२०	३९	१६	९	३०	——
श.	३	१६	२६	श्र.	२३	३७	वि.	४०	२५	वि.	१६	२६	व.	४३	२०	सुस्थिर	५	१४	६	४६	२३	७	२१	३०	१७	१०	१	चन्द्र कुम्भ ५१।२९ । गणेश चतुर्थी ।
र.	४	१०	१४	ध.	१९	२१	प्री.	२२	४३	वा.	१०	१४	कौ.	३७	११	मातंग	५	१४	६	४६	२३	२	२२	१८	१८	११	२	——
चं.	५	४ ५४	६ १०	श.	१४	१	आ.	२५	८	तै.	४	८	ग.	३१ ५८	१३ १८	अमृत	५	१४	६	४६	२२	५९	२३	२	१९	१२	३	चन्द्र मीन ५७।१८ । बुध (मार्गी) ७।४८ ।
मं.	७	५२	५६	पू.	११	४४	सौ.	१७	४८	वि.	२५	३७	व.	५२	५६	कॉण	५	१४	६	४६	२२	५३	२३	४३	२०	१३	४	——
बु.	८	४८	१२	उ.	८	३२	शो.	११	२६	वा.	२०	३४	कौ.	४८	१२	लुम्ब	५	१४	६	४६	२२	४७	०	२३	२१	१४	५	शीतलाष्टमी । कालाष्टमी । सूर्य पुन० ५४।१० । *
बृ.	९	४४	१८	रे.	६	३	अ.	५ ५४	२७ ३४	तै.	१६	१५	ग.	४४	१८	मित्र	५	१५	६	४५	२२	४१	१	४	२२	१५	६	चन्द्र मेष ६।३ । बुधोदय पश्चिम ३८।५२ ।
शु.	१०	४१	२३	अ.	४	२६	धृ.	५५	१३	व.	१२	५०	वि.	४१	२३	वज्र	५	१५	६	४५	२२	३५	१	४५	२३	१६	७	—— [† निमित्त) । शुक्र रोहिणी ५३।२३।
श.	११	३९	३७	भ.	३	५२	शू.	५१	३१	व.	१०	३०	वा.	३९	३७	ध्वांक्ष	५	१५	६	४५	२२	२९	२	२८	२४	१७	८	चन्द्र वृष १९।१ । योगिनी एकादशी (सबके †
र.	१२	३९	५	कृ.	४	२६	गं.	४८	५०	कौ.	९	२१	तै.	३९	५	धूम्र	५	१५	६	४५	२२	२२	३	११	२५	१८	९	—— [‡ आर्द्रा ४२।१६ ।
चं.	१३	४०	१	रो.	६	१५	वृ.	४७	९	ग.	९	३३	व.	४०	१	प्र. मा.	५	१५	६	४५	२२	१५	३	५९	२६	१९	१०	चन्द्र मिथुन ३७।४६ । सोम प्रदोष । बुध (मार्गी) ‡
मं.	१४	४१	५५	मृ.	९	१८	ध्रु.	४६	२८	वि.	१०	५७	श.	४१	५५	रक्ष	५	१६	६	४४	२२	८	४	४८	२७	२०	११	मास शिवरात्रि । मंगल पूर्वा फाल्गुनी १५।५३ ।
बु.	३०	४५	४	आ	१३	३२	व्या.	४६	४०	च.	१३	२८	ना.	४५	४	मुसल	५	१६	६	४४	२१	५९	×	×	२८	२१	१२	अमावास्या (व्रत-स्नानादि के निमित्त) ।
																												[* शनि (वक्री) पूर्वाषाढ २१।० । केतु शत० १३।८ ।

विक्रमाब्द २०१८, राष्ट्रीय शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६८, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ. प.	न.	घ. प.	यो.	घ. प.	क.	घ. प.	क.	घ. प.	योग	सूर्योदय घ. मि.	सूर्यास्त घ. मि.	र. क्रा. उ.	चं. उ. घं. मि.	वैं. श्रा.	रा. श्रा.	अं. जु. अ.	श्रावण-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
शु.	१	४५ ५	श्र.	४३ ३५	प्री.	१० ४८	वा.	१८ ७	कौ.	४५ ५	धूम्र	५ २३	६ ३७	१८ ५६	१६ १८	१२	६	२८	——
श.	२	३८ ५०	ध.	३६ २१	आ.	३/५२ ५२/२०	तै.	११ ५८	ग.	३८ ५०	प्र. मा.	५ २३	६ ३७	१८ ४५	२० ६	१३	७	२९	चन्द्र कुम्भ ११।२८। बुध कर्क १२।१७।
र.	३	३२ ४०	श.	३५ १२	शो	४७ ५७	व.	५ ४५	वि.	३२/५१ ४०/४१	रक्ष	५ २४	६ ३६	१८ ३१	२० ५६	१४	८	३०	गणेश चतुर्थी।
चं.	४	२६ ४३	पू.	३१ १८	अ.	४० ३७	वा.	२६ ४३	कौ.	५३ ५८	मुसल	५ २४	६ ३६	१८ १६	२१ ४५	१५	९	३१	चन्द्र मीन १७।१६। दुर्गा चतुर्थी। अंगारकी चतुर्थी।
मं.	५	२१ १३	उ.	२७ ५३	सु.	३३ ४१	तै.	२१ १३	ग.	४८ ४६	सिद्धि	५ २५	६ ३५	१८ १	२२ २२	१६	१०	१	मंगल उ० फा० ५३।३१। शुक्र आर्द्रा २६।६।
बु.	६	१६ १९	रे.	२५ ८	धृ.	२७ १८	व.	१६ १९	वि.	४४ ४०	उत्पात	५ २५	६ ३५	१७ ४६	२३ ३	१७	११	२	चन्द्र मेष २५।२८। सूर्य आश्लेषा ५८।२०।
बृ.	७	१३ १	अ.	२३ १४	शू.	२१ ३४	व.	१३ १	वा.	४१ ३२	मानस	५ २६	६ ३४	१७ ३०	२३ ४५	१८	१२	३	बुधास्त पश्चिम ७।२५।
शु.	८	१० ४	भ.	२२ २१	गं.	१६ ४२	कौ.	१० ४	तै.	३६ १०	मुद्गर	५ २६	६ ३४	१७ १४	० २८	१९	१३	४	चन्द्र-वृष ३७।२६।
श.	९	८ १६	कृ.	२२ ४०	वृ.	१३ २२	ग.	८ १६	व.	३७ ५८	केतु	५ २७	६ ३३	१६ ५८	१ १२	२०	१४	५	—— [बुध पुष्य १४।८।
र.	१०	७ ४०	रो.	२४ १३	ध्रु.	१० २६	वि.	७ ४०	व.	३८ १	धाता	५ २७	६ ३३	१६ ४२	१ ५७	२१	१५	६	चन्द्र-मिथुन ५५।३८।
चं.	११	८ २२	मृ	२७ ४	व्या	८ ३३	वा.	८ २२	कौ.	३९ २०	आनन्द	५ २८	६ ३२	१६ २६	२ ४२	२२	१६	७	कामदा एकादशी (सबके निमित्त)। मंगल कन्या a
मं.	१२	१० १८	आ	३१ ८	ह.	७ ३८	तै.	१० १८	ग.	४१ ५१	चर	५ २९	६ ३१	१६ ९	३ ३४	२३	१७	८	भौम प्रदोष।
बु.	१३	१३ २४	पु.	३६ १५	व.	७ ३७	व.	१३ २४	वि.	४५ १८	गद	५ २९	६ ३१	१५ ५२	४ २३	२४	१८	९	चन्द्र कर्क १६।५८। मास शिवरात्रि।
बृ.	१४	१७ ११	पु.	४२ ११	सि.	८ २१	श.	१७ ११	च.	४६ ३८	शुभ	५ ३०	६ ३०	१५ ३४	५ १४	२५	१९	१०	—— [a १६।१०। बुध आश्लेषा ५७।३६।
शु.	३०	२२ ५	श्ले	४८ ३६	व्य	६ ३६	ना.	२२ ५	किं.	५४ ३६	मृत्यु	५ ३०	६ ३०	१५ १६	× ×	२६	२०	११	चन्द्र-सिंह ४८।३६। अमावास्या (स्नान-दानादि निमित्त)। पिठौरा व्रत (पश्चिम में प्रसिद्ध)।

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६८, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ. प.	न.	घ. प.	यो.	घ. प.	क.	घ. प.	क.	घ. प.	योग	सूर्योदय घ. मि.	सूर्यास्त घ. मि.	र. का उ.	च. उ. घं. मि.	बँ. भाद्र	रा. भाद्र	अं. सि	भाद्रपद-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
र.	१	३२/५४ २६/११	पू.	५१ १४	सु.	६ ४६	कौ.	२ २८	तै.	२१/५६ ३४/३१	चर	५ ४१	६ १९	१० ४	१६ ३०	११	५	२७	चन्द्र मीन ३७।१३ । भौमनंदी जन्म ।
चं.	३	५१ १६	उ.	४७ ४५	वृ.	२/५२ ३३/५१	व.	२३ ५८	वि.	५१ १६	गद	५ ४१	६ १९	६ ४३	२० १५	१२	६	२८	कज्जली तृतीया ।
मं.	४	४६ ३१	रे.	४४ ५२	गं.	४८ ५२	व.	१८ ५४	वा.	४६ ३१	शुभ	५ ४२	६ १८	६ २२	२० ५८	१३	७	२९	चन्द्र मेष ४४।५२ । गणेश चतुर्थी ।*
बु.	५	४२ ३५	अ.	४२ ४६	वृ.	४३ १	कौ.	१४ ३३	तै.	४२ ३५	मृत्यु	५ ४३	६ १७	६ ०	२१ ४०	१४	८	३०	सूर्य पू. फा. ४५।४८ । बुध उ. फा. ५।३ ।
बृ.	६	३९ ३७	भ.	४१ ४३	ध्रु.	३७ ५६	ग.	११ ६	व.	३९ ३७	पद्म	५ ४४	६ १६	८ ३९	२२ २४	१५	९	३१	चन्द्र वृष ५६।४४ । बुध कन्या ५७।५० । हल षष्ठी ।
शु.	७	३७ ४७	कृ.	४१ ४५	व्या	३३ ४५	वि.	८ ४२	व.	३७ ४७	छत्र	५ ४४	६ १६	८ १७	२३ ८	१६	१०	१	कृष्ण जन्माष्टमी । [* बहुला चतुर्थी ।
श.	८	३७ १२	रो.	४३ ०	ह.	३० ३२	वा.	७ २९	कौ.	३७ १२	श्रीवत्स	५ ४५	६ १५	७ ५५	२३ ५४	१७	११	२	——
र.	९	३७ ५५	मृ.	४५ ३१	व.	२८ २२	तै.	७ ३३	ग.	३७ ५५	सौम्य	५ ४६	६ १४	७ ३३	० ४१	१८	१२	३	चन्द्र मिथुन १४।१६ । बुधोदय पूर्व ४८।२२ ।
चं.	१०	३९ ५५	आ.	४९ १६	सि.	२७ १३	व.	८ ५५	वि.	३९ ५५	का. द.	५ ४६	६ १४	७ ११	१ ३०	१९	१३	४	गुरु (वक्री) उत्तराषाढ चतुर्थ चरण ५४।२१ ।†
मं.	११	४३ ५	पु.	५४ ५	व्य.	२७ १	व.	११ ३०	वा.	४३ ५	सुस्थिर	५ ४७	६ १३	६ ४९	२ २०	२०	१४	५	चन्द्र कर्क ३७।५३ । जया एकादशी (सबके निमित्त) ।
बु.	१२	४७ १४	पु.	५९ ४९	व.	२७ ३७	कौ.	१५ १०	तै.	४७ १४	मातंग	५ ४८	६ १२	६ २७	३ १०	२१	१५	६	बुध हस्त ५०।३ । [† शुक्र श्ले. २८।५५ ।
बृ.	१३	५२ ४	श्ले	६० ०	व.	२८ ५०	ग.	१९ ३९	व.	५२ ४	अमृत	५ ४९	६ ११	६ ४	४ १	२२	१६	७	प्रदोष । कलियुगोत्पत्ति ।
शु.	१४	५७ १०	श्ले	६ ८	शि.	३० २३	वि.	२४ ३७	श.	५७ १०	मृत्यु	५ ४९	६ ११	५ ४२	४ ५१	२३	१७	८	चन्द्र सिंह ६।८ । मास शिवरात्रि ।
श.	३०	६० ०	म.	१२ ३७	सि.	३१ ५९	च.	२९ ४०	ना.	६० ०	पद्म	५ ५०	६ १०	५ १९	× ×	२४	१८	९	अमावास्या (श्राद्धादि निमित्त) ।
र.	३०	२ ९	पू.	१९ १०	सा.	३३ १५	ना.	२ ९	किं.	३४ २२	छत्र	५ ५१	६ ९	४ ५६	× ×	२५	१९	१०	चन्द्र कन्या ३५।३६ । अमावास्या (स्नान-दान निमित्त) ।

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६९, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय घ.	मि.	सूर्यास्त घ.	मि.	र. क्रा. उ.	च. अ. घं.	मि.	ग्रॅ० आश्विन	रा० आ.	अं० सि. अ.	आश्विन-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
चं.	१	२२	३८	उ.	७	३६	वृ.	१५	२७	कौ.	२२	३८	तै.	५०	१४	गद	६	२	५	५८	० ५१	१८	४८	९	३	२५	——
मं.	२	१७	५०	रे.	४	३७	ध्रु.	८	४८	ग.	१७	५०	व.	४६	११	शुभ	६	२	५	५८	१ १५	१९	३१	१०	४	२६	चन्द्र मेष ४।३७। बुध स्वाति ५३।१२।*
बु.	३	१४	३२	अ.	२	२२	व्या.	२ / ५४	४५ / ४२	वि.	१४	३२	व.	४३	५	मृत्यु	६	३	५	५७	१ ३८	२०	१५	११	५	२७	गणेश-चतुर्थी। सूर्य हस्त ८।५।
बृ.	४	११	३६	भ.	१	३	व.	५३	१	वा.	११	३६	कौ.	४०	४७	पद्म	६	४	५	५६	२ १	२१	०	१२	६	२८	चन्द्र वृष १६।१०। [* शुक्र पू. फा. ३४।३।
शु.	५	६	५५	कृ.	०	५०	सि.	४६	३१	तै.	६	५५	ग.	३६	३६	छत्र	६	५	५	५५	२ २५	२१	४७	१३	७	२९	गुरु (मार्गी) २०।५३।
श.	६	६	२३	रो.	१	४७	व्य.	४७	१	व.	६	२३	वि.	३६	४६	श्रीवत्स	६	५	५	५५	२ ४८	२२	३६	१४	८	३०	चन्द्र मिथुन ३२।५३।
र.	७	१०	६	मृ.	३	५६	व.	४५	३१	व.	१०	६	बा.	४१	१०	सौम्य	६	६	५	५४	३ ११	२३	२४	१५	९	१	महालक्ष्मी व्रत।
चं.	८	१२	१०	आ.	७	२५	प.	४४	५८	कौ.	१२	१०	तै.	४३	४७	का. द	६	७	५	५३	३ ३५	०	१४	१६	१०	२	चन्द्र कर्क ५५।५०। जीवत्पुत्रिका व्रत।†
मं.	९	१५	२४	पु.	११	५८	शि.	४५	१७	ग.	१५	२४	व.	४७	२२	सुस्थिर	६	८	५	५२	३ ५८	१	५	१७	११	३	मातृ नवमी। [† मंगल स्वाति ४०।४५।
बु.	१०	१९	२०	पु.	१७	१६	सि.	४६	१३	वि.	१९	२०	व.	५१	५०	मातंग	६	८	५	५२	४ २१	१	५६	१८	१२	४	—— [§ महालया-समाप्ति। पितृ-विसर्जन।
बृ.	११	२४	२१	श्ले	२३	३५	सा.	४७	३४	वा.	२४	२१	कौ.	५७	०	अमृत	६	९	५	५१	४ ४४	२	४६	१९	१३	५	चन्द्र सिंह २३।३५। इन्दिरा एकादशी‡
शु.	१२	२९	३९	म.	३०	११	शु.	४९	३	तै.	२९	३९	ग.	६०	०	कौण	६	१०	५	५०	५ ७	३	३८	२०	१४	६	—— [‡ गजके निमित्त)। बुध (वक्री) १४।२२।
श.	१३	३४	४७	पू.	३६	३६	शु	५०	१९	ग.	२	१३	व.	३४	४७	लुम्ब	६	१०	५	५०	५ ३०	४	२८	२१	१५	७	चन्द्र कन्या ५३।१४। शनि-प्रदोष। शुक्र उ.फा. २०।४३।
र.	१४	३९	२०	उ.	४२	२७	ब्र.	५१	७	वि.	७	४	श.	३९	२०	मित्र	६	११	५	४९	५ ५३	५	१९	२२	१६	८	मास शिवरात्रि। मंगल का अस्त पूरब।
चं.	३०	४३	१	ह.	४७	२६	ऐं	५१	१३	च.	११	११	ना.	४३	१	वज्र	६	१२	५	४८	६ १६	×	×	२३	१७	९	अमावास्या (स्नान-दानादि निमित्त)। §

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६९, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय घ.	सूर्योदय मि.	सूर्यास्त घ.	सूर्यास्त मि.	र. क्रा. उ.		चं. उ. घं.	चं. उ. मि.	वँ. का.	रा. क्रा.	ऑ. अ. न.	कार्त्तिक-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
मं.	१	४८	१६	अ.	२१	२०	व.	२०	३	वा.	२०	६	कौ.	४८	१६	अमृत	६	२३	५	३७	११	४६	१८	४	७	२	२४	सूर्य स्वा० २।३२ । गुरु मार्गी श्र० ५१।५३ ।
बु.	२	४५	२८	म.	१९	४५	सि.	१४	५५	तै.	१६	६	ग.	४५	२८	काण	६	२३	५	३७	१२	६	१८	५०	८	३	२५	चन्द्र वृष ३५।३७ ।
बृ.	३	४३	४८	कृ.	१९	१२	व्य.	१०	१०	व.	१४	३८	वि.	४३	४८	लुम्ब	६	२४	५	३६	१२	२७	१९	२६	९	४	२६	— [× निमित्त)शुक्र स्वा० ४८।३१। शुद्ध मघा ०।५
शु.	४	४३	२३	रो.	१९	५४	व.	६	२१	व.	१३	३५	बा.	४३	२३	मित्र	६	२५	५	३५	१२	४७	२०	२५	१०	५	२७	चन्द्र मिथुन ५०।५२ । गणेश-चतुर्थी । बुध *
श.	५	४४	१६	मु.	२१	५१	प.	३	३०	कौ.	१३	४९	तै.	४४	१६	वज्र	६	२५	५	३५	१३	८	२१	१४	११	६	२८	— [. (मार्गी) ५५।० । बुधोदय पश्चिम २०।५५ ।
सू.	६	४६	२६	आ.	२५	४	शि.	१	३९	ग.	१५	२१	व.	४६	२६	ध्वांक्ष	६	२६	५	३४	१३	२८	२२	५	१२	७	२९	शुक्र चि० ६।१५ । [† निमित्त) । गोवत्स द्वादशी ।
चं.	७	४९	४७	पु.	२९	२९	सि.	०	४४	वि.	१८	७	व.	४९	४७	धम्र	६	२७	५	३३	१३	४७	२२	५६	१३	८	३०	चन्द्र कर्क १३।२३ । [* सूर्य विशाखा १९।५८ ।
मं.	८	५४	७	पु.	३४	५३	सा.	०	४३	वा.	२१	५७	कौ	५४	७	प्र. मा.	६	२७	५	३३	१४	७	२३	४७	१४	९	३१	अहोई अष्टमी (महाराष्ट्र) । राधाष्टमी ।
बु.	९	५९	७	श्ले	४१	१	शु.	१	२३	तै.	२६	३७	ग.	५९	७	रक्ष	६	२८	५	३२	१४	२६	०	३९	१५	१०	१	चन्द्र सिंह ४१।१ । [‡ गोत्रि रात्रिव्रत । नरक [१]
बृ.	१०	६०	०	म.	४७	३०	शु.	२	२२	व	३१	४६	वि.	६०	०	मुसल	६	२९	५	३१	१४	४६	१	३०	१६	११	२	बुध (मार्गी) तुला ३२।४० ।
शु.	१०	४	२५	पू.	५३	५६	ब्र.	३	५४	वि.	४	२५	व.	३६	५९	सिद्धि	६	२९	५	३१	१५	४	२	२०	१७	१२	३	शुक्र तुला २८।१८ । [[१]चतुर्थी । कामेश्वरी §
श.	११	९	३४	उ.	५९	५५	ऐं.	५	९	वा.	९	३४	कौ.	४१	५२	उत्पात	६	३०	५	३०	१५	२३	३	१०	१८	१३	४	चन्द्र कन्या १०-२६ । रम्भा एकादशी (सबको†
सू.	१२	१४	१०	ह.	६०	०	वै.	५	५५	तै.	१४	१०	ग.	४९	१५	मानस	६	३०	५	३०	१५	४१	४	२	१९	१४	५	धन त्रयोदशी । मंगल वृश्चिक ४१।७ ।
चं.	१३	१८	२१	ह.	५	८	वि.	६	१५	व.	१८	२१	वि.	४९	४०	वज्र	६	३१	५	२९	१५	५९	४	५६	२०	१५	६	चन्द्र तुला ३७।१३ । धन्वन्तरि जन्म-दिवस । ‡
मं.	१४	२०	५९	चि.	९	१९	प्री.	५	३९	श.	२०	५९	च.	५१	४०	ध्वांक्ष	६	३२	५	२८	१६	१७	५	५०	२१	१६	७	दीपावली । [§ जयन्ती । हनुमान जन्म-दिवस ।*
बु.	३०	२२	२१	स्वा	१२	१९	आ	४	९	ना.	२२	२१	किं	५२	२५	धूम्र	६	३२	५	२८	१६	३४	×	×	२२	१७	८	चन्द्र वृश्चिक ५८।३९ । अमावास्या (स्नानदानादि ×

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६६, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय घ.	मि.	सूर्यास्त घ.	मि.	र. का. उ.		च. अ. घं.	मि.	वँ० अग.	रा० अग	अँ० न. दि.	मार्गशीर्ष-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
बृ.	१	१६	२३	रो.	३६	३८	शि.	२०	४२	कौ.	१६	२३	तै.	४६	१६	उत्पात	६	४०	५	२०	२०	२१	१८	१४	७	२	२३	——
शु.	२	१६	६	मृ.	४०	१५	सि.	१७	२६	ग.	१६	६	व.	४६	४०	मानस	६	४१	५	१६	२०	३३	१६	२	८	३	२४	चन्द्र मिथुन ६।५७ । बुधास्त पश्चिम २३।४७ ।
श.	३	२०	१२	आ.	४३	६	सा.	१५	१४	वि.	२०	१२	व.	५१	२४	मुद्गर	६	४१	५	१६	२०	४५	१६	५२	६	४	२५	गणेश चतुर्थी ।
सू.	४	२२	३५	पु.	४७	१४	शु.	१४	३०	वा.	२२	३५	कौ.	५४	२२	केतु	६	४२	५	१८	२०	५७	२०	४६	१०	५	२६	चन्द्र कन्या ३१।१३ ।
चं.	५	२६	६	पु.	५२	२२	शु.	१४	७	तै.	२६	६	ग.	५८	२५	धाता	६	४२	५	१८	२१	८	२१	३८	११	६	२७	बुध वृश्चिक ११।५७ । शुक्र वृश्चिक २८।१४ ।
मं.	६	३०	४०	श्ले	५८	१७	ब्र.	१४	३१	व.	३०	४०	वि.	६०	०	आनन्द	६	४२	५	१८	२१	१६	२२	२६	१२	७	२८	चन्द्र सिंह ५८।१७ ।
बु.	७	३५	५१	म.	६०	०	ऐं.	१५	२२	वि.	३	१५	व.	३५	५१	चर	६	४३	५	१७	२१	२६	२३	२०	१३	८	२६	मंगल ज्ये० ८।२६ । बुध अनु० १४।७ ।
बृ.	८	४१	१६	म.	४	४१	वै.	१६	४६	वा.	८	३४	कौ.	४१	१६	मुसल	६	४३	५	१७	२१	३६	०	१०	१४	६	३०	कालभैरवाष्टमी । शुक्र अनु० ७।१३ ।
शु.	६	४६	२६	पू.	११	६	वि.	१८	१०	तै.	१३	५३	ग.	४६	२६	सिद्धि	६	४४	५	१६	२१	४८	१	२	१५	१०	१	चन्द्र कन्या २७।४५ ।
श.	१०	५१	७	उ.	१७	३३	प्री.	१६	११	व.	१८	४८	वि.	५१	७	उत्पात	६	४४	५	१६	२१	५८	१	५३	१६	११	२	सूर्य ज्ये० २६।३ । शनि उत्तराषाढ १२।२४ ।
सू.	११	५४	५०	ह.	२२	५८	आ.	१६	३६	व.	२२	५८	वा.	५४	५०	मानस	६	४४	५	१६	२२	६	२	४४	१७	१२	३	चन्द्र तुला ५५।३२ उत्पन्न एकादशी (स्मार्त निमित्त) ।
चं.	१२	५७	२५	चि.	२७	२५	सौ	१६	२२	कौ.	२६	७	तै.	५७	२५	मुद्गर	६	४४	५	१६	२२	१४	३	३८	१८	१३	४	उत्पन्ना एकादशी (कुछ वैष्णवों के निमित्त) ।
मं.	१३	५८	४७	स्वा	३०	४१	शो.	१८	८	ग.	२८	६	व.	५८	४७	केतु	६	४५	५	१५	२२	२२	४	३५	१६	१४	५	भौम प्रदोष ।
बु.	१४	५८	५१	वि.	३२	४४	अ.	१५	५८	वि.	२८	४६	श.	५८	४१	धाता	६	४५	५	१५	२२	३०	५	३३	२०	१५	६	चन्द्र वृश्चिक १७।१३ । मास शिवरात्रि ।
बृ.	३०	५७	४१	ऽनु	३३	३२	सु.	१२	१४	च.	२८	१६	ना.	५७	४१	आनन्द	६	४५	५	१५	२२	३७	×	×	२१	१६	७	अमावास्या (स्नानदानादि निमित्त) बुध ज्ये० ६।५ ।

विक्रमाब्द २०१८, राष्ट्रीय शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६९, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१ ।

वा.	ति.	घ. प.	न.	घ. प.	यो.	घ. प.	क.	घ. प.	क.	घ. प.	योग	सूर्योदय घ. मि.	सूर्यास्त घ. मि.	र. क्रा. उ.	चं. उ. घं. मि.	चं. श्रा.	रा. श्रा.	अँ. जु. अ.	पौष-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
शु.	१	५८ ३०	आ.	६० ०	शु	२८ २०	वा.	२७ ५५	कौ.	५८ ३०	पद्म	६ ४७	५ १३	२३ २७	१७ ४२	७	१	२२	सायन सूर्य मकर २।४० । बुध पूर्वाषाढ २।१० ।
श.	२	६० ०	आ.	११ १४	ब्र.	२६ ४५	तै.	२६ ४४	ग.	६० ०	मुद्गर	६ ४७	५ १३	२३ २६	१८ ३६	८	२	२३	चन्द्र कर्क ४।१५ । [* अष्टका श्राद्ध ।
सू.	२	० ५८	पु.	५ १	ऐं.	२६ ८	ग.	० ५८	व.	३२ ४६	केतु	६ ४७	५ १३	२३ २५	१९ २७	९	३	२४	——[† पूर्वाषाढ ४७।५५ । शनि मकर ५।१५ ।
चं.	३	४ ३३	पु.	६ ५५	वै.	२६ १९	वि.	४ ३३	व.	३६ ४९	धाता	६ ४७	५ १३	२३ २४	२० २०	१०	४	२५	गणेश चतुर्थी ।
मं.	४	९ ५	श्ले	१५ २९	वि.	२७ १०	वा.	९ ५	कौ.	४१ ४१	आनन्द	६ ४७	५ १३	२३ २२	२१ ११	११	५	२६	चन्द्र सिंह १५।२९ ।
बु.	५	१४ १८	म.	२१ ५६	प्री.	२८ २६	तै.	१४ १८	ग.	४७ ३	चर	६ ४७	५ १३	२३ २०	२२ २	१२	६	२७	शुक्रवार्धक्यारम्भ १३।५ ।
बृ.	६	१९ ४९	पू.	२८ ३२	आ.	२९ ४७	व.	१९ १९	वि.	५२ २६	गद	६ ४७	५ १३	२३ १७	२२ ५३	१३	७	२८	चन्द्र कन्या ४५।६ । सूर्य पूर्वाषाढ ४४।४२ ।
शु.	७	२५ ४	उ.	३४ ४९	सौ	३० ५५	व.	२५ ४	वा.	५७ २३	शुभ	६ ४७	५ १३	२३ १४	२३ ४३	१४	८	२९	——
श.	८	२९ ४२	ह.	४० २९	शो.	३१ ३४	कौ.	२९ ४२	तै.	६० ०	मृत्यु	६ ४७	५ १३	२३ १०	० ३३	१५	९	३०	शुक्रास्त पूर्व १३।५ । बुध उत्तराषाढ २८।३४ ।*
सू.	९	३३ २४	चि.	४५ ७	अ.	३१ ३१	तै.	१ ३३	ग.	३३ २४	पद्म	६ ४६	५ १४	२३ ६	१ २६	१६	१०	३१	चन्द्र तुला १२।४६ । अन्वष्टका श्राद्ध । शुक्र †
चं.	१०	३५ ५६	स्वा	४८ ४१	सु.	३० ३६	व.	४ ४०	वि.	३५ ५६	छत्र	६ ४६	५ १४	२३ १	२ २१	१७	११	१	बुध मकर ३५।१० । बुधोदय पश्चिम ५०।१० ।
मं.	११	३७ १३	वि.	५१ २	धृ.	२८ ४५	व.	६ ३४	वा.	३७ १३	श्रीवत्स	६ ४६	५ १४	२२ ५६	३ १८	१८	१२	२	चन्द्र वृ० ३५।२७ । सफला एकादशी व्रत (सबके निमित्त) ।
बु.	१२	३७ १२	अनु.	५२ १९	शू.	२५ ५४	कौ.	७ १२	तै.	३७ १२	सौम्य	६ ४६	५ १४	२२ ५१	४ १६	१९	१३	३	——
बृ.	१३	३५ ५७	ज्ये	५२ ५	गं.	२२ ४	ग.	६ ३४	व.	३५ ५७	का. द.	६ ४६	५ १४	२२ ४६	५ १५	२०	१४	४	चन्द्र धनु २५।५ । प्रदोष । मास शिवरात्रि ।
शु.	१४	३३ ३२	मू.	५० ५९	वृ.	१७ २०	वि.	४ ४५	श.	३३ ३२	सुस्थिर	६ ४५	५ १५	२२ ३९	६ १२	२१	१५	५	—— मंगल पूर्वाषाढ २३।५० ।
श.	३०	३० ८	पू.	४८ ५०	ध्रु.	११ १९	च.	१ ५०	ना.	३० ५८	मातंग	६ ४५	५ १५	२२ ३३	× ×	२२	१६	६	अमावास्या (स्नानदानादि के निमित्त) ।

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६९, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६२।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योग	सूर्योदय घ.	मि.	सूर्यास्त घ.	मि.	र. क्रा	उ.	च.उ. घं.	मि.	वैं. भाद्र	ग. माद्र	अँ. सि.	माघ-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
सू.	१	४३	३४	पु.	२७	४७	प्री.	३८	४२	वा.	११	४१	कौ.	४३	३४	श्रीवत्स	६	४०	५	२०	१६	५६	१८	१७	७	१	२१	बुध धनिष्ठा १४।२६। शुक्र श्रवणा ५१।२७।
चं.	२	४८	१४	श्ले	३३	२८	आ.	३६	२१	तै.	१५	५४	ग.	४८	१४	सौम्य	६	३६	५	२१	१६	४६	१६	७	८	२	२२	चन्द्र सिंह ३३।२८। मंगल उत्तराषाढ २।२०।
मं.	३	५३	३०	म.	३६	४७	सौ.	४०	३०	व.	२०	५२	वि.	५३	३०	का.द.	६	३६	५	२१	१६	३२	१६	५८	९	३	२३	गुरु का वार्षस्यारम्भ ३३।१७। सूर्य श्रवणा ४८।५२।
बु.	४	५८	५६	पू.	४६	२१	शो.	४१	५२	व.	२६	१३	वा.	५८	५६	सुस्थिर	६	३८	५	२२	१६	१८	२०	४८	१०	४	२४	गणेश-चतुर्थी। गणेशोत्पत्ति।
बृ.	५	६०	०	उ.	५२	४३	अ.	४३	७	कौ.	३१	२२	तै.	६०	०	मार्तंग	६	३८	५	२२	१६	३	२१	३७	११	५	२५	चन्द्र कन्या २।५७।
शु.	५	४	७	ह.	५८	३२	सु.	४३	५६	तै.	४	७	ग.	३६	२२	अमृत	६	३७	५	२३	१८	४८	२२	२८	१२	६	२६	मंगल मकर २४।२५। बुध (वक्री) ५४।२३।
श.	६	८	३७	चि.	६०	०	धृ.	४४	१२	व.	८	२७	वि.	४०	२४	काण	६	३६	५	२४	१८	३३	२३	१६	१३	७	२७	चन्द्र तुला ३।१०। [‡ निमित्त)।
सू.	७	१२	१२	चि.	३	२६	शू.	४३	३८	व.	१२	१२	वा.	४३	२५	पद्म	६	३६	५	२४	१८	१८	०	११	१४	८	२८	गुरु का अस्त, पश्चिम ३३।१७।
चं.	८	१४	३७	स्वा	७	२३	गं.	४२	८	कौ.	१४	३८	तै.	४५	१२	छत्र	६	३५	५	२५	१८	२	१	६	१५	९	२९	चन्द्र वृश्चिक ५४।२२। अष्टका श्राद्ध।*
मं.	९	१५	४७	वि.	१०	१	वृ.	३६	४०	ग.	१५	४७	व.	४५	४४	श्रीवत्स	६	३५	५	२५	१७	४६	२	२	१६	१०	३०	—— [† निमित्त। शुक्र धनिष्ठा २४।५७।
बु.	१०	१५	४१	अनु	११	२८	ध्रु.	३६	१४	वि.	१५	४१	व.	४५	०	सौम्य	६	३४	५	२६	१७	२६	२	५७	१७	११	३१	बुधास्त, पश्चिम ४३।५५। [* श्रीरामानन्द-जयन्ती।
बृ.	११	१४	२०	ज्ये	११	४१	व्या	३१	५०	वा.	१४	२०	कौ.	४३	४	का. द.	६	३४	५	२६	१७	१२	३	५७	१८	१२	१	चन्द्र धनु ११।४१। षट्तिला एकादशी व्रत (सबको
शु.	१२	११	४६	मू.	१०	५०	ह.	२६	३३	तै.	११	४६	ग.	४०	२	सुस्थिर	६	३३	५	२७	१६	५५	४	५६	१९	१३	२	प्रदोष। बुध (वक्री) श्रवणा चतुर्थ चरण ३२।३१।
श.	१३	८	१७	पू.	८	५६	व.	२०	३४	व.	८	१७	वि.	३६	७	मार्तंग	६	३२	५	२८	१६	३८	५	५०	२०	१४	३	चन्द्र मकर २३।१६। मास शिवरात्रि।
सू.	१४	३ ५५	५७ ०	उ.	६	१५	सि.	१३	३३	श.	३	५७	च.	३१ ५८	२७ ५७	मुसल	६	३२	५	२८	१६	२०	×	×	२१	१५	४	मौनी अमावास्या (स्नान, दान, श्राद्ध आदि के ‡

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६९, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५३, ई० १९६२ ।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योगः	सूर्योदय घ.	मि.	सूर्यास्त घ.	मि.	र. क्रा.	द.	चं. उ. घं.	मि.	वैं. फा.	रा. फा.	अँ. फा. मा.	फाल्गुन-कृष्ण (समय—घटी-पल में)
मं.	१	३२	२४	पू.	६०	०	सु.	५५	३५	कौ.	३२	२४	तै.	६०	०	धूम्र.	६	२१	५	३९	११	३	१८	४०	८	१	२०	——
बु.	२	३७	५१	पू.	४	५६	धृ.	५६	५७	तै.	५	७	ग.	३७	५१	सुस्थिर	६	२०	५	४०	१०	४१	१९	३३	९	२	२१	चन्द्र कन्या २१।३२ । शुक्रोदय, पश्चिम में २३।० ।
बृ.	३	४२	५८	उ.	११	२४	शू.	५८	२	व.	१०	२४	वि.	४२	५८	मातंग	६	२०	५	४०	१०	२०	२०	१६	१०	३	२२	शुक्र पू० भा० ३७।४८ । [‡ निवृत्ति ४६।५ ।
शु.	४	४७	२३	ह.	१७	४५	गं.	५८	३२	व.	१५	११	बा.	४७	२३	अमृत	६	१९	५	४१	९	५८	२१	११	११	४	२३	चन्द्र तुला ५०।२१ । गणेश-चतुर्थी ।
श.	५	५०	५१	चि.	२२	५८	वृ.	५८	१८	कौ.	१९	७	तै.	५०	५१	काण	६	१८	५	४२	९	३६	२२	२	१२	५	२४	गुरु का उदय, पूरब ४६।५ । शुक्र बालत्व-निवृत्ति÷
सू.	६	५३	८	स्वा.	२७	७	ध्रु.	५७	१०	ग.	२२	०	व.	५३	८	लुम्ब	६	१८	५	४२	९	१३	२२	५४	१३	६	२५	मंगल धनिष्ठा ३९।२९ । [÷ २३।० ।
चं.	७	५४	१०	वि.	३०	५	व्या.	५५	५	वि.	२३	३९	व.	५४	१०	मित्र	६	१७	५	४३	८	५१	२३	४६	१४	७	२६	चन्द्र वृश्चिक १४।२१ ।
मं.	८	५३	५५	अनु	३१	४६	ह.	५२	१	बा.	२४	३	कौ.	५३	५५	वज्र	६	१६	५	४४	८	२९	०	४४	१५	८	२७	अष्टका श्राद्ध । श्रीजानकी-जयन्ती । गुरु-बालत्व- ‡
बु.	९	५२	२७	ज्ये.	३२	१६	व.	४७	५८	तै.	२३	११	ग.	५२	२७	ध्वांक्ष	६	१५	५	४५	८	६	१	४१	१६	९	२८	चन्द्र धनु ३२।१६ । [¹ सूर्य पूर्वाभाद्रपद १६।८ ।
बृ.	१०	४९	५१	मू.	३१	४०	सिं.	४३	३	व.	२१	९	वि.	४९	५१	धूम्र	६	१५	५	४५	७	४३	२	३८	१७	१०	१	—— [² निमित्त)। मंगल कुम्भ ८।३८ ।
शु.	११	४६	१५	पू.	३०	२	व्य.	३७	२०	व.	१८	३	बा.	४६	१५	प्र. मा.	६	१४	५	४६	७	२१	३	३५	१८	११	२	चन्द्र मकर ४४।२४। विजया एकादशी व्रत (सबके §
श.	१२	४१	४९	उ.	२७	२०	व.	३०	५५	कौ.	१४	२	तै.	४१	४९	रक्त	६	१३	५	४७	६	५८	४	३०	१९	१२	३	—— [§ निमित्त) । शुक्र मीन ३७।३५ ।
सू.	१३	३६	४४	श्र.	२४	१९	प.	२३	५६	ग.	९	१९	व.	३६	४४	गद	६	१२	५	४८	६	३५	५	२१	२०	१३	४	चन्द्र कुम्भ ५२।२४ । प्रदोष । महाशिवरात्रि व्रत ।¹
चं.	१४	३१	७	ध.	२०	३१	शि.	१६	३०	वि.	३	५५	श.	३१ / ५८	७ / ९	शुभ	६	१२	५	४८	६	१२	×	×	२१	१४	५	बुध धनिष्ठा ८।१९ । शुक्र उ० भा० १७।५२ ।
मं.	३०	२५	१२	श.	१९	२२	सि.	८	४०	ना.	२५	१२	किं.	५२	१०	मृत्यु	६	११	५	४९	५	४९	×	×	२२	१५	६	चन्द्र मीन ५८।१७ । अमावास्या (स्नानदानादि²

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बँगला सन् १३६८, फसली १३६९, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५३, ई० १९६२ ।

वा.	ति.	घ. प.	न.	घ. प.	यो.	घ. प.	क.	घ. प.	क.	घ. प.	योगः	सूर्योदय घ. मि.	सूर्यास्त घ. मि.	र. क्रा. द.	चं. अ. वं. मि.	बैं. का. चै.	रा. फा.	अँ. मार्च	फाल्गुन-शुक्ल (समय—घड़ी-पल में)
बु.	१	[illegible]	उ.	१२ १२	सा.	[illegible]	ब.	१८ ६	ता.	४६ १६	पद्म	६ १०	५ ५०	५ २६	१६ १४	२३	१६	७	चन्द्र-दर्शन ।
गु.	२	११ २४	रे.	८ ११	शु.	४५ ३४	कौ.	१३ २८	तै.	४० ४६	छत्र	६ १०	५ ५०	५ ३	२० १७	२४	१७	८	रमजान ६ । गुरु शत० २१।५६ ।
शु.	३	८ २	अ.	४ ३३	ब्र.	१८ २८	ग.	८ २	व.	३५ ३४	श्रीवत्स	६ ९	५ ५१	४ ३६	२१ २१	२५	१८	९	चन्द्र मेष ४।३३ । वैनायकी चतुर्थी, मंगलोदय*
श.	४	[illegible]	भ.	[illegible]	ऐं.	३१ ४६	वि.	३ ६	ब.	[illegible]	सौम्य	६ ८	५ ५२	४ १५	२२ २४	२६	१९	१०	बुध कुम्भ १३।२१ । [*पूरब ५८।२० ।
र.	५	[illegible]	कृ.	४७ १४	वै.	२४ ४०	कौ.	२७ ११	तै.	४७ ३१	धूम्र	६ ७	५ ५३	३ ५१	२३ २३	२७	२०	११	चन्द्र वृष १३।२६ । [‡ शुक्र रे० ०।४४ ।
सो.	६	[illegible]	रो.	[illegible]	वि.	२० २१	ग.	२४ २१	व.	५३ १२	प्र. मा.	६ ७	५ ५३	३ २७	० २२	२८	२१	१२	—— [† ३६।२४ । बुध शत० ४०।५१ ।
मं.	७	[illegible]	मृ.	४७ ११	प्री.	१७ ४७	वि.	२२ ३७	ब.	५२ ३	रत्न	६ ६	५ ५४	३ ३	१ १६	२९	२२	१३	चन्द्र मिथुन २६।५५ । केतु ध० ४६।२५ ।
बु.	८	[illegible]	आ.	५८ ५१	आ.	१२ १	बा.	२८ ६	कौ.	५२ ६	मुसल	६ ५	५ ५५	२ ४०	२ ६	३०	२३	१४	होलाष्टकारम्भ । सूर्य मीन १६।६ । मंगल शत†
गु.	१०	[illegible]	पु.	६० ०	सौ.	१० ३६	तै.	२२ ५१	ग.	५३ ३४	सिद्धि	६ ४	५ ५६	२ १७	२ ५४	१	२४	१५	चन्द्र कर्क ४६।१६ ।
शु.	११	[illegible]	पु.	२ १	गौ.	६ ३३	व.	२४ ५३	ति.	५६ १३	लुम्ब	६ ४	५ ५६	१ ५४	३ ४०	२	२५	१६	आमलकी एकादशी (स्मार्त और गृहस्थ निमित्त ।‡
श.	१२	[illegible]	पु.	६ १४	अं.	८ ४४	व.	२८ ५	ता.	५६ ५८	मित्र	६ ३	५ ५७	१ ३१	४ २२	३	२६	१७	आमलकी एकादशी (वैष्णवादि निमित्त) । ¹
र.	१३	[illegible]	श्ले.	११ २७	शु.	६ ६	गौ.	३२ १६	तै.	६० ०	वज्र	६ २	५ ५८	१ ७	५ ०	४	२७	१८	चन्द्र सिंह ११।२७ । प्रदोष ।
सो.	१३	[illegible]	म.	१ २४	उ.	१० ४	तै.	४ ३४	ग.	३७ ६	ध्रुव	६ १	५ ५९	० ४२	५ ३६	५	२८	१९	—— [¹ सूर्य उ० आ० ३६।५७ ।
मं.	१४	[illegible]	पू.	२४ २	[illegible]	११ २६	व.	६ ३४	वि.	४२ २२	धूम्र	६ १	५ ५९	० -१८	× ×	६	२९	२०	चन्द्र कन्या ४०।४१ । पूर्णिमा (व्रत निमित्त) ।
बु.	१५	१४ १	उ.	१० १८	ग.	१२ ४५	व.	१५ १	ता.	४७ ४१	प. मा.	६ ०	६ ०	० +६	× ×	७	३०	२१	पूर्णिमा (स्नानादि निमित्त)। सायन सूर्य मेष ४।५६ ।

विक्रमाब्द २०१८, शकाब्द १८८३, बॅंगला सन् १३६८, फसली १३६६, हिजरी १३८१, लक्ष्मणाब्द ८५३, ई० १९६२ ।

वा.	ति.	घ.	प.	न.	घ.	प.	यो.	घ.	प.	क.	घ.	प.	क.	घ.	प.	योगः	सूर्योदय घ.	मि.	सूर्यास्त घ.	मि.	र.क्रा. उ.		चं. उ. घं.	मि.	वँ. चै.	रा. चै.	अँ. मा. अ.	चैत्र-कृष्ण (समय—घड़ी-पल में)
बृ.	१	२०	२१	ह.	३६	४८	वृ.	१४	६	कौ.	२०	२१	तै.	५२	३२	रक्ष	५	५६	६	१	०	२२	१६	८	=	१	२२	होली वसन्तोत्सव । होलिका-भस्म-धारण । बुध
शु.	२	२४	४३	चि.	४२	१३	ध्रु.	१४	५८	ग.	२४	४३	व.	५६	२३	मुसल	५	५८	६	२	०	५६	२०	०	९	२	२३	चन्द्र तुला ६।३१ । [- पूर्व भाद्रपद ४२।२४ ।
श.	३	२८	४	स्वा	४६	३८	व्या	१५	२	वि.	२८	४	व.	५६	६	सिद्धि	५	५८	६	२	१	१६	२०	५३	१०	३	२४	गणेश-चतुर्थी (अंगारकी ४) । बुधास्त, पूर्व २४।० ।
सू.	४	३०	१५	वि.	४६	५३	ह.	१४	१४	वा	३०	१५	कौ.	६०	०	उत्पात	५	५७	६	१३	१	४३	२१	४७	११	४	२५	चन्द्र वृश्चिक ३४।५ ।
चं.	५	३१	६	अनु.	५१	५५	व.	१२	३१	कौ.	०	४२	तै.	३१	६	मानस	५	५६	६	१४	२	८	२२	४५	१२	५	२६	——
मं.	६	३०	४७	ज्ये.	५२	४३	सि.	६	४६	ग.	०	५८	व.	३०/५९	४७/५९	मुद्गर	५	५५	६	१५	२	३१	२३	४४	१३	६	२७	चन्द्र धनु ५२।४३ । शुक्र उ० मेष ४६।४३ ।
बु.	७	२६	१०	मू.	५२	२०	व्य.	६	५	वि.	२६	१०	वा.	५७	४६	केतु	५	५५	६	१५	२	५४	०	४५	१४	७	२८	बुध मीन १६।४१ ।
बृ.	८	२६	२८	पू.	५०	५७	व.	१/५४	२७/३४	कौ.	२६	२८	तै.	५४	३६	धाता	५	५४	६	१६	३	१७	१	४२	१५	८	२९	शीतलाष्टमी । अष्टका श्राद्ध ।
शु.	९	२२	४४	उ.	४८	३८	शि.	४६	५१	ग.	२२	४४	व.	५०	२७	आनन्द	५	५३	६	१७	३	४१	२	३७	१६	९	३०	चन्द्र मकर ५।२२ । बुध उत्तरा भाद्रपद ६।१७ ।
श.	१०	१८	११	श्र.	४५	३५	सि.	४३	६	वि.	१८	११	व.	४५	२५	सुस्थिर	५	५२	६	१८	४	४	३	३२	१७	१०	३१	सूर्य रेवती ७।१६ । मंगल पूर्व भाद्रपद ३८।३८ ।
सू.	११	१२	३६	ध.	४१	५६	सा.	३५	५२	वा.	१२	३६	कौ.	३६	५०	मातंग	५	५२	६	१८	४	२७	४	२३	१८	११	१	चन्द्र कुम्भ १३।४७ । पाप मोचिनी एकादशी व्रत[1]
चं.	१२	७	०	श.	३७	५६	शु.	२८	१८	तै.	७	०	ग.	३४	३	अमृत	५	५१	६	९	४	५०	५	१३	१९	१२	२	प्रदोष । वारुणी पर्व । [1] (व्रतके निमित्त) ।
मं.	१३	१/५४	८/०	पू.	३३	४६	शु.	२०	३०	व.	१	६	वि.	२८/५५	८/४	कौण	५	५०	६	१०	५	१४	×	×	२०	१३	३	चन्द्र मीन १६।५२ । मास शिवरात्रि ।
बु.	३०	४६	१४	उ.	२६	४२	ब्र.	१२	५१	च.	२२	१०	ना	४६	१४	लुम्ब	५	४६	६	११	५	३७	×	×	२१	१४	४	अमावास्या (स्नान-दानादि निमित्त) ।

निरयन सूर्य का नक्षत्र-प्रवेश-काल

सं० २०१८ वि०

नक्षत्र	तिथि		घड़ी-पल
उत्तर भाद्रपद	चैत्र शुक्ल १	(१७ मार्च, १९६१)	२४-२५
रेवती	चैत्र शुक्ल १२	(३० मार्च, १९६१)	५१-४८
अश्विनी	वैशाख कृष्ण १२	(१३ अप्रैल, १९६१)	२६-६
भरणी	वैशाख शुक्ल १२	(२७ अप्रैल, १९६१)	७-२०
कृत्तिका	ज्येष्ठ कृष्ण ११	(१० मई, १९६१)	५८-१४
रोहिणी	अधिक ज्येष्ठ शुक्ल ६	(२४ मई, १९६१)	४६-५
मृगशिरा	अधिक ज्येष्ठ कृष्ण ६	(७ जून, १९६१)	४७-५२
आर्द्रा	शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल ८	(२१ जून, १९६१)	५०-३८
पुनर्वसु	आषाढ कृष्ण ८	(५ जुलाई, १९६१)	५४-१०
पुष्य	आषाढ शुक्ल ६	(१९ जुलाई, १९६१)	५७-३६
आश्लेषा	श्रावण कृष्ण ६	(२ अगस्त, १९६१)	५८-२०
मघा	श्रावण शुक्ल ५	(१६ अगस्त, १९६१)	५४-५०
पूर्वा फाल्गुनी	भाद्र कृष्ण ५	(३० अगस्त, १९६१)	४१-४८
उत्तरा फाल्गुनी	भाद्र शुक्ल ३	(१३ सितम्बर, १९६१)	३०-२३
हस्त	आश्विन कृष्ण ३	(२७ सितम्बर, १९६१)	८-५
चित्रा	आश्विन शुक्ल १	(१० अक्टूबर, १९६१)	३८-४३
स्वाति	कार्तिक कृष्ण १	(२४ अक्टूबर, १९६१)	२-१२
विशाखा	कार्तिक कृष्ण १२	(६ नवम्बर, १९६१)	१९-४८
अनुराधा	कार्तिक शुक्ल १२	(१९ नवम्बर, १९६१)	३१-४९
ज्येष्ठा	मार्गशीर्ष कृष्ण ११	(२ दिसम्बर, १९६१)	३१-३
मूल	मार्गशीर्ष शुक्ल ८	(१५ दिसम्बर, १९६१)	४२-५४
पूर्वाषाढ	पौष कृष्ण ६	(२८ दिसम्बर, १९६१)	४९-४२
उत्तराषाढ	पौष शुक्ल ४	(१० जनवरी, १९६२)	४६-३
श्रवण	माघ कृष्ण ३	(२३ जनवरी, १९६२)	४८-५२
धनिष्ठा	माघ शुक्ल १	(५ फरवरी, १९६२)	५४-३२
शतभिषा	माघ शुक्ल १५	(१९ फरवरी, १९६२)	४-१३
पूर्व भाद्रपद	फाल्गुन कृष्ण १२	(४ मार्च, १९६२)	१२-८
उत्तर भाद्रपद	फाल्गुन शुक्ल १२	(१७ मार्च, १९६२)	३५-४०

ग्रहों का नक्षत्र-प्रवेश-काल

मंगल

नक्षत्र	तिथि		घड़ी-पल
पुनर्वसु	वैशाख कृष्ण २	(३ अप्रैल, १९६१)	१७-२
पुष्य	शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण १	(१ मई, १९६१)	३३-४९
आश्लेषा	अधिक ज्येष्ठ शुक्ल ११	(२९ मई, १९६१)	२८-३९
मघा	शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल ५	(१८ जून, १९६१)	५१-५८
पूर्वा फाल्गुनी	आषाढ कृष्ण १४	(११ जुलाई, १९६१)	१५-५३
उत्तरा फाल्गुनी	श्रावण कृष्ण ५	(१ अगस्त, १९६१)	५६-३१
हस्त	श्रावण शुक्ल १२	(२३ अगस्त, १९६१)	२-०
चित्रा	भाद्र शुक्ल २	(१२ सितम्बर, १९६१)	३६-७
स्वाति	आश्विन कृष्ण ८	(२ अक्टूबर, १९६१)	४०-४५
विशाखा	आश्विन शुक्ल १३	(२२ अक्टूबर, १९६१)	१७-३
अनुराधा	कार्तिक शुक्ल २	(१० नवम्बर, १९६१)	२५-४९
ज्येष्ठा	मार्गशीर्ष कृष्ण ७	(२९ नवम्बर, १९६१)	८-२६
मूल	मार्गशीर्ष शुक्ल १०	(१७ दिसम्बर, १९६१)	२६-४६
पूर्वाषाढ	पौष कृष्ण १३	(४ जनवरी, १९६२)	२३-५०
उत्तराषाढ	माघ कृष्ण २	(२२ जनवरी, १९६२)	२-२०
श्रवण	माघ शुक्ल ४	(८ फरवरी, १९६२)	२५-२५
धनिष्ठा	फाल्गुन कृष्ण ६	(२५ फरवरी, १९६२)	३६-२९
शतभिषा	फाल्गुन शुक्ल ९	(१४ मार्च, १९६२)	३९-२४
पूर्व भाद्रपद	चैत्र कृष्ण १०	(३१ मार्च, १९६२)	३८-३८

बुध

नक्षत्र	तिथि		घड़ी-पल
शतभिषा	चैत्र शुक्ल २	(१८ मार्च, १९६१)	४६-५३
पूर्व भाद्रपद	चैत्र शुक्ल १२	(२९ मार्च, १९६१)	१६-२४
रेवती	वैशाख कृष्ण १४	(१४ अप्रैल, १९६१)	१-१७
अश्विनी	वैशाख शुक्ल ६	(२१ अप्रैल, १९६१)	१२-९
भरणी	वैशाख शुक्ल १३	(२८ अप्रैल, १९६१)	१५-४३
कृत्तिका	ज्येष्ठ कृष्ण ५	(५ मई, १९६१)	२२-२९
रोहिणी	ज्येष्ठ कृष्ण ८	(८ मई, १९६१)	४३-५७
मृगशिरा	अधिक ज्येष्ठ शुक्ल ६	(२० मई, १९६१)	४०-२१
आर्द्रा	अधिक ज्येष्ठ शुक्ल १५	(२[illegible] मई, १९६१)	१६-४९
मृगशिरा (वक्री)	शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल १३	(२६ जून, १९६१)	३३-४२
आर्द्रा (मार्गी)	आषाढ कृष्ण १३	(१० जुलाई, १९६१)	४२-१६

नक्षत्र	तिथि		घड़ी-पल
पुनर्वसु	आषाढ शुक्ल ६	(२२ जुलाई, १९६१)	३६-५६
पुष्य	श्रावण कृष्ण ४	(३१ जुलाई, १९६१)	१४-८
आश्लेषा	श्रावण कृष्ण ११	(७ अगस्त, १९६१)	५७-३६
मघा	श्रावण शुक्ल ४	(१५ अगस्त, १९६१)	२१-१२
पूर्वा फाल्गुनी	श्रावण शुक्ल ११	(२२ अगस्त, १९६१)	३६-११
उत्तरा फाल्गुनी	भाद्र कृष्ण ५	(३० अगस्त, १९६१)	४-३
हस्त	भाद्र कृष्ण १२	(६ सितम्बर, १९६१)	५०-३
चित्रा	भाद्र शुक्ल ५	(१५ सितम्बर, १९६१)	२५-३१
स्वाति	आश्विन कृष्ण २	(२६ सितम्बर, १९६१)	५६-१२
चित्रा (वक्री)	आश्विन शुक्ल ५	(१४ अक्टूबर, १९६१)	३४-५०
स्वाति (मार्गी)	कार्तिक शुक्ल २	(१० नवम्बर, १९६१)	३७-४५
विशाखा	कार्तिक शुक्ल १२	(१९ नवम्बर, १९६१)	४७-१८
अनुराधा	मार्गशीर्ष कृष्ण ७	(२९ नवम्बर, १९६१)	१४-७
ज्येष्ठा	मार्गशीर्ष कृष्ण १५	(७ दिसम्बर, १९६१)	६-५
मूल	मार्गशीर्ष शुक्ल ७	(१४ दिसम्बर, १९६१)	४५-६
पूर्वाषाढ	पौष कृष्ण १	(२२ दिसम्बर, १९६१)	२७-०
उत्तराषाढ	पौष कृष्ण ८	(३० दिसम्बर, १९६१)	२८-३४
श्रवणा	पौष शुक्ल २	(८ जनवरी, १९६२)	२३-१८
धनिष्ठा	माघ कृष्ण १	(२१ जनवरी, १९६२)	१४-२६
श्रवणा (वक्री)	माघ कृष्ण १२	(२ फरवरी, १९६२)	३२-३१
धनिष्ठा (मार्गी)	फाल्गुन कृष्ण १४	(५ मार्च, १९६२)	२६-२६
शतभिषा	फाल्गुन शुक्ल ६	(१४ मार्च, १९६२)	४०-४१
पूर्व भाद्रपद	चैत्र कृष्ण १	(२२ मार्च, १९६२)	४२-२४
उत्तर भाद्रपद	चैत्र कृष्ण ६	(३० मार्च, १९६२)	६-१३

बृहस्पति

उत्तराषाढ (वक्री)	भाद्र कृष्ण १०	(४ सितम्बर, १९६१)	४६-२१
श्रवणा (मार्गी)	कार्तिक कृष्ण ५	(२८ अक्टूबर, १९६१)	३१-५६
धनिष्ठा	पौष शुक्ल ४	(१० जनवरी, १९६२)	४०-२६
शतभिषा	फाल्गुन शुक्ल ३	(८ मार्च, १९६२)	२१-४६

शुक्र

उत्तर भाद्रपद (वक्री)	चैत्र शुक्ल १०	(२६ मार्च, १९६१)	[illegible]
रेवती	ज्येष्ठ कृष्ण १४	(१४ मई, १९६१)	[illegible]
अश्विनी	अधिक ज्येष्ठ शुक्ल ११	(३० मई, १९६१)	[illegible]
भरणी	अधिक ज्येष्ठ कृष्ण १४	(१२ जून, १९६१)	[illegible]

नक्षत्र	तिथि		घड़ी-पल
कृत्तिका	शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल १३	(२६ जून, १९६१)	३७-११
रोहिणी	आषाढ कृष्ण ११	(८ जुलाई, १९६१)	५३-३३
मृगशिरा	आषाढ शुक्ल ७	(२० जुलाई, १९६१)	४८-४२
आर्द्रा	श्रावण कृष्ण ५	(१ अगस्त, १९६१)	२६-६
पुनर्वसु	श्रावण शुक्ल १	(१२ अगस्त, १९६१)	५७-४७
पुष्य	श्रावण शुक्ल १३	(२४ अगस्त, १९६१)	१७-१२
आश्लेषा	भाद्र कृष्ण १०	(४ सितम्बर, १९६१)	२८-५५
मघा	भाद्र शुक्ल ५	(१५ सितम्बर, १९६१)	३४-१३
पूर्वा फाल्गुनी	आश्विन कृष्ण २	(२६ सितम्बर, १९६१)	३४-३
उत्तरा फाल्गुनी	आश्विन कृष्ण १३	(७ अक्टूबर, १९६१)	२०-४६
हस्त	आश्विन शुक्ल ६	(१८ अक्टूबर, १९६१)	१६-३०
चित्रा	कार्त्तिक कृष्ण ६	(२६ अक्टूबर, १९६१)	६-१५
स्वाति	कार्त्तिक कृष्ण १५	(८ नवम्बर, १९६१)	४६-३१
विशाखा	कार्त्तिक शुक्ल ११	(१८ नवम्बर, १९६१)	२६-४२
अनुराधा	मार्गशीर्ष कृष्ण ८	(३० नवम्बर, १९६१)	७-१३
ज्येष्ठा	मार्गशीर्ष शुक्ल ३	(१० दिसम्बर, १९६१)	४२-२७
मूल	मार्गशीर्ष शुक्ल १५	(२१ दिसम्बर, १९६१)	१५-४६
उत्तराषाढ	पौष शुक्ल ५	(११ जनवरी, १९६२)	१६-२१
श्रवणा	माघ कृष्ण १	(२१ जनवरी, १९६२)	५१-२७
धनिष्ठा	माघ कृष्ण ११	(१ फरवरी, १९६२)	२४-५७
शतभिषा	माघ शुक्ल ८	(१२ फरवरी, १९६२)	०-१५
पूर्व भाद्रपद	फाल्गुन कृष्ण ३	(२२ फरवरी, १९६२)	३७-४८
उत्तर भाद्रपद	फाल्गुन कृष्ण १४	(५ मार्च, १९६२)	१७-५२
रेवती	फाल्गुन शुक्ल ११	(१६ मार्च, १९६२)	०-४४
अश्विनी	चैत्र कृष्ण ६	(२७ मार्च, १९६२)	४६-४३

शनि

पूर्वाषाढ (वक्री)	आषाढ कृष्ण ८	(५ जुलाई, १९६१)	२१-०
उत्तराषाढ	मार्गशीर्ष कृष्ण १०	(२ दिसम्बर, १९६१)	१२-२४

राहु

मघा (वक्री)	शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण ३	(३ मई, १९६१)	१८-८
मघा	कार्त्तिक कृष्ण १५	(८ नवम्बर, १९६१)	०-५

केतु

शतभिषा	आषाढ कृष्ण ८	(५ जुलाई, १९६१)	१३-८
धनु	फाल्गुन शुक्ल ८	(१३ मार्च, १९६२)	४६-२५

सूर्य एवं ग्रहों की संक्रान्ति, अर्थात् राशि-प्रवेश-काल

सं० २०१८ वि०

(निरयन राशियाँ)

सूर्य

राशि	तिथि		घड़ी-पल
मेष	वैशाख कृष्ण १३	(१३ अप्रैल, १९६१)	२६-६
वृष	ज्येष्ठ कृष्ण १५	(१४ मई, १९६१)	२३-११
मिथुन	शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल १	(१४ जून, १९६१)	४८-३६
कर्क	आषाढ शुक्ल ४	(१६ जुलाई, १९६१)	२६-५५
सिंह	श्रावण शुक्ल ५	(१६ अगस्त, १९६१)	५४-५०
कन्या	भाद्रपद शुक्ल ६	(१६ सितम्बर, १९६१)	५५-२८
तुला	आश्विन शुक्ल ८	(१७ अक्टूबर, १९६१)	२१-२८
वृश्चिक	कार्तिक शुक्ल ६	(१६ नवम्बर, १९६१)	१४-३०
धनु	मार्गशीर्ष शुक्ल ८	(१५ दिसम्बर, १९६१)	४२-५४
मकर	पौष शुक्ल ६	(१४ जनवरी, १९६२)	१-३४
कुम्भ	माघ शुक्ल ८	(१२ फरवरी, १९६२)	५६-०
मीन	फाल्गुन शुक्ल ६	(१४ मार्च, १९६२)	१६-६

मंगल

राशि	तिथि		घड़ी-पल
कर्क	वैशाख शुक्ल ६	(२४ अप्रैल १९६१)	५७-२३
सिंह	ज्येष्ठ शुक्ल ५	(१८ जून, १९६१)	५१-१८
कन्या	श्रावण कृष्ण ११	(७ अगस्त, १९६१)	१६-०
तुला	भाद्र शुक्ल १[illegible]	(२[illegible] सितम्बर, १९६१)	४२-८
वृश्चिक	कार्तिक कृष्ण १२	(५ नवम्बर, १९६१)	४१-७
धनु	मार्गशीर्ष शुक्ल १०	(१[illegible] दिसम्बर, १९६१)	१७-४६
मकर	माघ कृष्ण ५	([illegible] जनवरी, १९६२)	२४-३५
कुम्भ	फाल्गुन कृष्ण १[illegible]	(६ मार्च, १९६२)	८-३८

बुध

राशि	तिथि		घड़ी-पल
मीन	वैशाख कृष्ण ३	(४ अप्रैल, १९६१)	३२-४६
मेष	वैशाख शुक्ल ६	(२१ अप्रैल, १९६१)	१२-८
वृष	ज्येष्ठ कृष्ण ७	(७ मई, १९६१)	११-१
मिथुन	[illegible] शुक्ल १०	(२४ मई, १९६१)	७-२०
कर्क	[illegible] कृष्ण [illegible]	([illegible] जुलाई, १९६१)	१२-१७
सिंह	श्रावण शुक्ल [illegible]	(१६ अगस्त, १९६१)	२१-१२
कन्या	भाद्र कृष्ण [illegible]	([illegible], १९६१)	[illegible]

राशि	तिथि		घड़ी-पल
तुला	भाद्र शुक्ल ५	(१५ सितम्बर, १९६१)	२७-१
कन्या (वक्री)	आश्विन शुक्ल १५	(२३ अक्टूबर, १९६१)	१९-२
तुला (मार्गी)	कार्तिक कृष्ण १०	(२ नवम्बर, १९६१)	३२-४०
वृश्चिक	मार्गशीर्ष कृष्ण ५	(२७ नवम्बर, १९६१)	११-५७
धनु	मार्गशीर्ष शुक्ल ४	(१४ दिसम्बर, १९६१)	४५-९
मकर	पौष कृष्ण १०	(१ जनवरी, १९६२)	३५-१०
कुम्भ	फाल्गुन शुक्ल ४	(१० मार्च, १९६२)	१३-२१
मीन	चैत्र कृष्ण ७	(२८ मार्च, १९६२)	१९-४१

बृहस्पति

राशि	तिथि		घड़ी-पल
मकर	सं० २०१७ वि० के माघ शुक्ल ७ (२३ जनवरी, १९६१) से मकर-राशि में ही—क्रमशः वक्री और मार्गी होने के कारण।		

शुक्र

राशि	तिथि		घड़ी-पल
मेष	अधिक ज्येष्ठ शुक्ल १५	(३० मई, १९६१)	५६-५६
वृष	आषाढ कृष्ण १	(२९ जून, १९६१)	४३-५४
मिथुन	आषाढ शुक्ल ४	(२६ जुलाई, १९६१)	४०-३२
कर्क	श्रावण शुक्ल १०	(२१ अगस्त, १९६१)	२८-५
सिंह	भाद्र शुक्ल ५	(१५ सितम्बर, १९६१)	३४-१३
कन्या	आश्विन शुक्ल १	(१० अक्टूबर, १९६१)	११-५६
तुला	कार्तिक कृष्ण १०	(३ नवम्बर, १९६१)	२८-१८
वृश्चिक	मार्गशीर्ष कृष्ण ५	(२७ नवम्बर, १९६१)	२८-४
धनु	मार्गशीर्ष शुक्ल १५	(२१ दिसम्बर, १९६१)	१५-४९
मकर	पौष शुक्ल ८	(१३ जनवरी, १९६२)	५७-१७
कुम्भ	माघ शुक्ल २	(६ फरवरी, १९६२)	४२-२१
मीन	फाल्गुन कृष्ण ११	(२ मार्च, १९६२)	३७-३५

शनि

राशि	तिथि		घड़ी-पल
मकर	पौष कृष्ण ९	(३१ दिसम्बर, १९६१)	५९-५

राहु

राशि	तिथि		घड़ी-पल
कर्क	पौष शुक्ल ३	(९ जनवरी, १९६२)	५३-१५

केतु

राशि	तिथि		घड़ी-पल
मकर	पौष शुक्ल ३	(९ जनवरी, १९६२)	५३-१५

सायन राशियों में सूर्य का प्रवेश-काल

राशि	तिथि		घडी-पल
मेष	चैत्र शुक्ल ४	(२० मार्च, १९६१)	४८-५४
वृष	वैशाख शुक्ल ५	(२० अप्रैल, १९६१)	१६-१२
मिथुन	अधिक ज्येष्ठ शुक्ल ७	(२१ मई, १९६१)	१८-४२
कर्क	शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल ८	(२१ जून, १९६१)	३६-२२
सिंह	आषाढ शुक्ल ११	(२४ जुलाई, १९६१)	६-२३
कन्या	श्रावण शुक्ल १२	(२३ अगस्त, १९६१)	३३-१
तुला	भाद्र १४	(२३ सितम्बर, १९६१)	१५-४०
वृश्चिक	आश्विन शुक्ल १५	(२३ अक्टूबर, १९६१)	३७-३१
धनु	कार्तिक शुक्ल १५	(२२ नवम्बर, १९६१)	३०-८
मकर	पौष कृष्ण १	(२२ दिसम्बर, १९६१)	२-४०
कुम्भ	पौष शुक्ल १५	(२० जनवरी, १९६२)	२६-३२
मीन	माघ शुक्ल १५	(१६ फरवरी, १९६२)	६-०
मेष	फाल्गुन शुक्ल १५	(२१ मार्च, १९६२)	४-५६

द्वितीय भाग

विश्व

पृथ्वी का धरातल—यह पृथ्वी जल और स्थल दो भागों में बँटी है। इसका दो-तिहाई से अधिक भाग जल और एक-तिहाई से कम भाग स्थल है। किसी विद्वान् ने हिसाब लगाकर जल और स्थल का अनुपात ७०'८ और २९'२ माना है। समुद्र का क्षेत्रफल १४ करोड़ वर्गमील और स्थल का क्षेत्रफल ५ करोड़, ७० लाख वर्गमील है। सारे संसार की जन-संख्या सन् १९५५ के अनुमान के अनुसार, २ अरब, ५८ करोड़, ९० लाख है। समुद्र का आधा से अधिक भाग १२ हजार फीट से ३५ हजार फीट तक गहरा है। स्थल का सबसे ऊँचा भाग (हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट) समुद्र-तल से २९,१५० फीट ऊँचा है। भारत की प्राचीन पुस्तकों में सप्त समुद्र की बात लिखी है, परन्तु इस समय पाँच महासागर की ही गणना की जाती है—प्रशान्त महासागर, अतलान्तिक महासागर, भारतीय महासागर, उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर। पृथ्वी के जल-भाग के आधे में प्रशान्त महासागर और एक चौथाई में अतलान्तिक महासागर हैं। शेष एक चौथाई के अधिकांश भाग में भारतीय महासागर और थोड़े-से भाग में उत्तरीय ध्रुव के चारों ओर का उत्तरीय महासागर और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का दक्षिणी महासागर हैं।

यह पृथ्वी साधारणतः दो गोलार्द्धों में बाँटी जाती है। एक को पूर्वी गोलार्द्ध और दूसरे को पश्चिमी गोलार्द्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्द्ध में एशिया, यूरोप, अफ्रिका और अस्ट्रेलिया या ओसिनिया महादेश हैं तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी गोलार्द्ध की अपेक्षा पूर्वी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है। फिर, यह भूमंडल भूमध्य-रेखा द्वारा प्राकृतिक रूप से अन्य दो भागों में बाँटा गया है—उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध। दक्षिणी गोलार्द्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है।

विश्व के विभिन्न देश

एशिया

यूरोप और एशिया महादेश एक प्रकार से मिले हुए हैं और इस सम्मिलित महादेश को 'यूरेशिया' कहा जाता है। यूराल पर्वतमाला और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महादेश है। इसका विस्तार भू-पृष्ठ के एक तिहाई भाग में है और यहाँ संसार का दो-तिहाई जन-समूह निवास करता है। यह पूरब से पश्चिम ६,७०० मील लम्बा और उत्तर से दक्षिण ५,६०० मील चौड़ा है। यह १½° से ७२½° उत्तरीय अक्षांश और २६° से १७०° पूर्वी रेखांश तक फैला हुआ है। यह महादेश यूरोप के चौगुना से भी कुछ अधिक बड़ा है। यूरोप और अफ्रिका मिलकर या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मिलकर क्षेत्रफल में इसकी बराबरी कर सकते हैं। एशिया महादेश का समुद्री किनारा ४४ हज़ार मील लम्बा है। यह महादेश पाँच प्राकृतिक भागों में

बँटा हुआ है—उत्तर-पश्चिम का समतल मैदान, बीच का पहाड़ी भाग, दक्षिण का समतल मैदान, दक्षिण का पहाड़ी भाग और दक्षिण-पूरब के द्वीप-समूह। रूस को छोड़कर इस महाद्वीप का क्षेत्रफल १,६७,६७,४२६ वर्गमील और जनसंख्या १ अरब, ४८ करोड़, १० लाख है। रूस और टर्की एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों के अन्दर हैं, किन्तु दोनों के अधिकांश भाग एशिया में पड़ते हैं।

एशिया प्राचीन काल में सारी दुनिया के लिए सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र-स्थल था। हिन्दू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, कनफ्यूशियनिज्म, यहूदी, पारसी आदि धर्मों की उत्पत्ति यहीं हुई। प्राचीन मानव-वंश के अनुसार यहां मुख्यतः मंगोलियन, काकेशियन और मलय-जाति के लोग हैं। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड (स्याम) और तिब्बत के रहनेवाले मंगोल-जाति के समझे जाते हैं। बर्मा, नेपाल और पूर्व हिन्द के द्वीप-समूह के वासी भी मंगोल के ही वंशज हैं। रूसी भी मंगोल ही माने जाते हैं। फारस और अफगानिस्तान के निवासी मुख्यतः काकेशियन हैं। काकेशियन को इंडो-यूरोपियन भी कहते हैं। भारत और अरब के निवासी काकेशियन हैं। गर्म देश में रहने के कारण ये कुछ काले पड़ गये हैं।

राजनीतिक रूप से एशिया ६ भागों में बांटा जाता है—(१) पश्चिमी एशिया, जिसे यूरोप-वाले निकट पूर्व (नियर ईस्ट) कहते हैं; (२) उत्तरी एशिया, जिसे रूसी एशिया भी कहा जाता है, (३) पूर्वी एशिया जिसे यूरोपवाले सुदूर पूर्व (फार ईस्ट) कहते हैं; (४) हिन्द-चीन, (५) भारत और (६) हिंद-महासागर के टापू।

पश्चिमी एशिया में तुर्की (एशिया माइनर), इराक, लेबनान, इजरायल, सीरिया, अरब, ईरान (फारस या पर्शिया) और अफगानिस्तान देश हैं। पूर्वी एशिया के अन्दर चीन (दक्षिण मंगोलिया, मंचूरिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत-सहित), उत्तर मंगोलिया, कोरिया और जापान हैं।

हिन्द-चीन के अन्दर हिन्दुस्तान और चीन के बीच का प्रायद्वीप आता है, जिसमें फ्रांसीसी हिन्द-चीन, थाईलैंड, मलाया, स्ट्रेट सेटलमेंट और बर्मा (ब्रह्मदेश) हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत के अन्दर भारत पाकिस्तान, नेपाल और भूटान की गिनती हो जाती है। भारतीय द्वीपों में लंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलीबीज, न्यूगिनी और फिलिपाइन द्वीपपुंज हैं।

अफगानिस्तान

करांची है। अतः, इस देश के व्यापार और यातायात की कुंजी पाकिस्तान के हाथ में है। यह एक मुस्लिम राज्य है। राज्य के अधिकांश निवासी सुन्नी मुसलमान हैं। सन १९३२ ई० में यहाँ काबुल-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सन १९५६ ई० के राजीनामे के अनुसार रूस अफगानिस्तान के नव-निर्माण में सहायता पहुँचा रहा है।

अरब

स्थिति—दक्षिण-पश्चिम एशिया; क्षेत्रफल—१३,५०,००० वर्गमील; जन-संख्या—१,२०,००,०००। पहले यह एक ही राज्य था, पर अब यह ९ राज्यों में विभक्त है—(१) सऊदी अरब, (२) कुवैत, (३) बहरीन द्वीपपुंज, (४) कातर, (५) ट्रूसियल कोस्ट, (६) ओमान और मुसकैत, (७) अदन उपनिवेश (ब्रिटिश), (८) अदन संरक्षित (ब्रिटिश) और (९) यमन।

(१) सऊदी अरब—यह अरब के ⅘ भाग में फैला हुआ है। यहाँ वंश-परम्परागत बादशाह होता है। यहां शाह सऊद-बिन-अब्दुल अजीज (१९५३ से) तथा प्रधान मंत्री राजकुमार फैजल हैं। इसका क्षेत्रफल ८,७०,००० वर्गमील; जन-संख्या १,००,००,००० और राजधानी रियाध एवं मक्का है। यहां के मुख्य नगर बुरैदा, अनैजा, हुफूफ, हेल, जौफ और सकाका हैं। मक्का मुहम्मद साहब का जन्म-स्थान और मदीना मृत्यु-स्थान है।

(२) कुवैत—यह इराक और सऊदी अरब के बीच फारस की खाड़ी के किनारे एक स्वतंत्र अरब-राज्य है। इसका क्षेत्रफल ५,८०० वर्गमील, और राजधानी कुवैत है। यहाँ संसार-प्रसिद्ध तेल की खानें हैं।

(३) बहरीन द्वीपपुंज—यह द्वीपपुंज फारस की खाडी के पास ग्रेटब्रिटेन के संरक्षण मे स्वतंत्र है। इसका क्षेत्रफल २०० वर्गमील, जन-संख्या १,२०,००० तथा राजधानी मानामाह है। इसके वर्त्तमान शासक शेख सुलेमान बिन-अहमद-अल खलीफा हैं।

(४) कातर—यह फारस की खाड़ी के किनारे एक छोटा-सा प्रायद्वीप है, जो ब्रिटिश संरक्षण में एक शेख द्वारा शासित होता है। इसकी राजधानी डोहा है।

(५) ट्रूसियल कोस्ट—यह फारस की खाडी और ओमान की खाडी के बीच में स्थित है। यह सात अर्ध-स्वतंत्र शेखों द्वारा शासित होता है।

(६) ओमान और मुसकैत—यह अरब सागर के किनारे अरब के दक्षिण-पूरब भाग में है। यहो का क्षेत्रफल ८२,००० वर्गमील और जन-संख्या ५,५०,००० (१९५१) है। यहाँ के सुलतान सैयद-बिन-तिमुर हैं। सन् १९५७ ई० में ओमान के इमाम ने सुलतान के विरुद्ध विद्रोह किया, जो अँगरेजों की सहायता से दबा दिया गया।

(७-८) अदन—यह अरब के दक्षिण मे दो भागों में विभक्त है—अदन उपनिवेश और और अदन संरक्षित। अदन संरक्षित के २० विभिन्न प्रान्तों के गवर्नर अदन के ब्रिटिश गवर्नर के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

(९) यमन—यह अरब के दक्षिण-पश्चिम कोने में एक स्वतंत्र राज्य है। इसका क्षेत्रफल ७५,००० वर्गमील और जन-संख्या ५०,००,००० (१९५४) है। इसकी राजधानी साना है। सन् ६२८ ई० में यहाँ के लोगों ने इस्लाम-धर्म स्वीकार किया। यहाँ सन् १५३८ से १६३० ई० तक पुनः सन् १८४९ से १९१८ ई० तक तुर्कों का आधिपत्य रहा। सऊदी अरब और ग्रेटब्रिटेन के

बीच हुई सन् १९३४ ई० की सन्धि के अनुसार इसकी प्रभुसत्ता स्वीकार की गई। मार्च, १९५८ ई० में यह अरब-गणतंत्र-संघ में सम्मिलित हुआ। यहां के वर्त्तमान बादशाह इमाम अहमद बिन-अहिया-नसीर ली दीन अल्लाह एवं प्रधान मंत्री शेख-उल-इस्लाम अलबदर हैं।

अरमेनिया

यह एशिया-माइनर का वह भू-भाग है, जहां अरमेनियन जाति के लोग रहते हैं। उनकी अपनी एक भिन्न संस्कृति तो है, पर अपनी कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं है, जिसके लिए ये सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। इस समय इस भू-भाग के कुछ अंश ईरान में, कुछ तुर्की में और कुछ रूस में हैं।

इजराइल

स्थिति—एशिया महाद्वीप के भूमध्यसागर, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र देश से घिरा, **क्षेत्रफल**—८,०४८ वर्गमील; **जन-संख्या**—१९,७६,९३३ (१९५८); **राजधानी**—जेरूसलम; **भाषा**—हिब्रू; **धर्म**—यहूदी; **सिक्का**—इजराइली पौंड; **राष्ट्रपति**—इत्जहाक्बेन-ज्वी (१९५७ से)· **प्रधानमंत्री**—डेविड बेन गुरियन (१९५८ से) **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र। **मुख्य नगर**—हैफा, तेलअवीव, जाफा।

यहूदी जाति एशिया के प्राचीन देश फिलिस्तीन (पैलेस्टाइन) में अरबों के साथ ईसा के हजार वर्ष पूर्व से रहती थी। ईसा के ७० वर्ष बाद रोमन लोगों ने इन्हें जीतकर तितर-बितर कर दिया। इधर यहूदी लोग बहुत दिनों से अपने एक देश के निर्माण के लिए आन्दोलन करते आ रहे थे। ग्रेटब्रिटेन ने सन् १९१७ ई० में ही इसके सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। सन १९४८ ई० में यहूदियों ने राष्ट्रीय कौंसिल में पैलेस्टाइन के अधिकांश भाग इजरायल को यहूदियों का देश घोषित कर दिया। इस पर अरब-राष्ट्रों ने चढ़ाई कर दी, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर उन्हें हटना पड़ा। पैलेस्टाइन के दो भाग कर दिये गये—इजरायल और अरब-राज्य। जेरूसलम का शासन संयुक्त राष्ट्रसंघ के गवर्नर के अधीन रहा। पैलेस्टाइन अब ब्रिटेन का शासनाधीन राज्य नहीं रहा। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ। यहां की पार्लियामेण्ट का एक ही सदन है। यही सदन राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। यह कृषि-प्रधान देश है। यहां राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता का विकसित रूप देखने को मिलता है। थोड़े समय में ही इस राष्ट्र ने अच्छी उन्नति कर ली है।

इण्डोनेशिया

स्थिति—एशिया महाद्वीप का पूर्वी द्वीपसमूह; **क्षेत्रफल**—[illegible] वर्गमील; **जन-संख्या**—८,५४,००,००० (१९५७); **राजधानी**—जकार्ता; **भाषा**—बहासा इन्डोनेशिया; **धर्म**—मुस्लिम; **राष्ट्रपति**—डा० सुकर्णो (१९४५ से) तथा १९५९ ई० से प्रधानमंत्री भी, **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यहां के अधिकांश द्वीप प्राचीन काल में भारतीय अधिराज्य थे। अब भी यहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनेक चिह्न वर्तमान हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में यव (जावा), स्वर्ण-द्वीप (सुमात्रा) आदि के नाम आते हैं। १३वीं सदी में यहां मुसलमानों का आक्रमण हुआ। १६वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी यहां आये। फिर, डच लोगों का आगमन हुआ। उस समय इन द्वीपों को लोग डच इण्डीज कहने लगे। द्वितीय महासमर के समय सन् १९४२ ई० से १९४५ ई० तक यह जापानियों के अधिकार में रहा और उसके बाद फिर डचों के अधिकार में आ गया। यहां मुस्लिम जाति के लोग अधिक हैं। देश की ८० प्रतिशत जनता कृषि-कार्य में संलग्न है। सन् १९४२ ई० तक यह नेदरलैण्ड का एक उपनिवेश था, परन्तु १९४७ ई० में इसने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। ४ वर्षों के संघर्ष के बाद नेदरलैंड ने १९ दिसम्बर, १९४९ ई० को इसे पूर्ण स्वतंत्र कर दिया।

जुलाई, १९५९ ई० में राष्ट्रपति डॉ० सुकार्नो ने संविधान-परिषद को तोड़कर सन् १९४५ ई० के क्रान्तिकारी संविधान को लागू किया है, जिसके अनुसार उसे वास्तव में अधिनायक का अधिकार मिल गया है।

इराक

स्थिति—एशिया महादेश में ईरान, तुर्किस्तान और अरब से घिरा; **क्षेत्रफल**—१,७५,००० वर्गमील; **जनसंख्या**—६५,३८,१०९ (१९५७), **राजधानी**—बगदाद; **भाषा**—अरबी और कुरदीस; **धर्म**—मुस्लिम; **सिक्का**—दीनार; **सम्प्रभुता-परिषद् का अध्यक्ष**—जेनरल नजीब-अल-रुबाई (१९५८ से), **प्रधान मंत्री**—जेनरल अब्दुल करीम-अल-कासिम (१९५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र। **मुख्यनगर**—मोसल, बसरा।

दजला और फुरात नदियों की घाटियों में बसा यह देश प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस देश का प्राचीन नाम बैबिलोन था। पीछे इसका नाम मैसोपोटामिया और फिर इराक पड़ा। बैबिलोन नगर का खँडहर बगदाद के पास ही है। यह संसार के बड़े तेल-उत्पादक देशों में एक है। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व यह तुर्की के अधीन था। इस युद्ध के बाद तुर्की से मुक्त होकर ब्रिटेन के संरक्षकत्व में रहा। सन् १९२७ ई० की संधि के अनुसार इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जुलाई, १९५८ ई० में यहाँ एक बड़ी जनक्रांति हुई, जिसके पीछे सैनिक-शक्ति भी थी। इस क्रान्ति में यहाँ के शाह फैजल और प्रधानमंत्री मारे गये और जेनरल अब्दुल करीम कासिम के प्रधानमंत्रित्व में नवीन गणतांत्रिक शासन आरम्भ हुआ। इराक पहले बगदाद सैनिक-संगठन का सदस्य था, किन्तु अब यह संयुक्त अरब-संघ से संबद्ध हो गया है।

ईरान (फारस या पर्सिया)

स्थिति—एशिया महादेश में अफगानिस्तान, इराक और फारस की खाडी से घिरा; **क्षेत्रफल**—६,२८,०६० वर्गमील; **जन-संख्या**—१,८९,४४,८२१ (१९५६); **राजधानी**—तेहरान; **भाषा**—ईरानी; **धर्म**—इस्लाम, **सिक्का**—रीअल; **बादशाह**—मुहम्मद रेजा पहलवी **प्रधान मंत्री**—डॉ० शरीफ इमामी (अगस्त १९६० से); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र **मुख्य नगर**—तबरेज, इस्फहान, मशाद, अबादान, शिराज, करमनशाह, अहवाज, रश्त, हमदान।

फारस या पर्सिया एशिया का एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी का सन् १९३५ ई० में नया नाम ईरान पड़ा है। इसकी प्राचीन राजधानी

अस्फहान थी, फिर सिराज हुई। सिराज में ही यहाँ के दो प्रसिद्ध कवि—हाफिज और शेखसादी—का जन्म हुआ था। इसका बहुत बड़ा भाग मरुभूमि और पर्वतों से ढका है। कृषि यहा का मुख्य व्यवसाय है। यहा तेल की सबसे बड़ी खान है। यहा के निर्यात की वस्तुओं में मुख्य यही है। यहां कालीन बनाने का उद्योग भी अत्यन्त विकसित है। यहां की पार्लियामेण्ट के दो सदन हैं। शाह ही यहा के प्रधान मंत्री की नियुक्ति करता है, किन्तु प्रधानमंत्री यहां की पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

यहाँ की तेल की खानें मुख्यत. ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, नेदरलैंड आदि देशों की कम्पनियों के हाथ में हैं। सन १९५१ ई० में यहाँ के प्रधानमंत्री डॉ० मुहम्मद मुसादेग ने इन खानों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से विदेशी कम्पनियों का कारोबार बंद कर दिया। इस पर ग्रेट-ब्रिटेन, अमेरिका आदि ने घोर विरोध किया। इधर खानों के बंद होने से देश में बेकारी बढ़ी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर ग्रेट-ब्रिटेन आदि विदेशी शक्तियों ने यहा की सरकार को विघटित कर प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसादेग को तीन वर्ष के लिए कैद कर लिया और वे अपने अनुकूल नया शासन कायम करने में समर्थ हुए।

कम्बोडिया

स्थिति—इण्डोचीन के दक्षिण-पश्चिम, क्षेत्रफल—८८,७८० वर्गमील, जन-संख्या—५०,००,००० (१९५७); राजधानी—नोमपेन्ह; भाषा—कम्बोडियन या ख्मेर; धर्म—बौद्ध; शासक—राजकुमार नॉरोडोम सिहानुक (३ अप्रैल १९६० ई० से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—बटमबंग, कोमपोंगछाम।

उत्तर कोरिया (पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक)—स्थिति—एशिया के पूरब जापान-सागर और पीतसागर से घिरा; **क्षेत्रफल**—४६,८१४ वर्गमील; **जन-संख्या**—८३,७०,०००; **राजधानी**—प्योंगयांग; **भाषा**—कोरियन, चीनी, जापानी; **धर्म**—ईसाई, कनफ्यूसियन और बौद्ध; **प्रेसिडियम का अध्यक्ष**—कीमडुबॉग (१९४८), **प्रधानमंत्री**—कीम-इल-शुंग (१९४८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

मई, १९४५ ई० में कम्युनिस्टों ने यहाँ पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम से स्थायी सरकार कायम की। जून, १९५० ई० में जब इसने दक्षिणी कोरिया पर चढ़ाई की, तब अमेरिकी सेना ने आकर इसका सामना किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर मामला शान्त हुआ। जुलाई, १९५३ ई० में युद्ध-विराम-संधि हुई, जिसमें कोरिया के संबंध में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन करने का विचार हुआ। परन्तु यह सम्मेलन नहीं हो सका।

दक्षिण कोरिया (रिपब्लिक ऑफ् कोरिया)—स्थिति—पूर्वी एशिया में पीतसागर और जापान-सागर से घिरा; **क्षेत्रफल**—३८,४५२ वर्गमील; **जन-संख्या**—२,२२,५०,०००; **राजधानी**—सिउल, **भाषा**—कोरियन, चीनी; **धर्म**—ईसाई; **राष्ट्रपति**—हु-चुंग; (२७ अप्रैल, १९६० से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—पुसान, तैगू और इंकोन।

इसका निर्माण सन् १९४८ ई० में हुआ। यहा की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ का राष्ट्रपति सार्वजनिक मत से चुना जाता है और वही मंत्रिमंडल कायम करता है।

हाल में ही हुए चतुर्थ निर्वाचन मे डॉ० सिंगमेन री पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इससे देश के नवयुवकों, विशेष कर विद्यार्थी-वर्ग, ने १९ अप्रैल, १९६० ई० को विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप २६ अप्रैल को डॉ० री ने त्याग-पत्र दे दिया। दूसरे ही दिन नवीन निर्वाचन तक के लिए श्री हु-चुंग अन्तरिम राष्ट्रपति बनाये गये। उपराष्ट्रपति ली-की-पुंग ने तो सपरिवार आत्महत्या कर ली। पीछे वहा की नेशनल एसेम्बली ने ११ अगस्त को यून बोसून को राष्ट्रपति निर्वाचित किया।

चीन

चीन (खास)—स्थिति—एशिया का पूर्वी भाग; **क्षेत्रफल**—२२,७६,१३४ वर्गमील; **जन-संख्या**—६२,१२,२५,००० (१९५६); **राजधानी**—पीपिंग (पेकिंग); **भाषा**—चीनी; **धर्म**—बौद्ध, कनफ्यूसियन; **सिक्का**—चीनी डालर; **राष्ट्रपति**—लियो साओची (१९५६ से), **उप-राष्ट्रपति**—श्रीमती सनयात सेन; **प्रधानमत्री**—चाऊ-एन-लाइ; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (सोवियत ढंग का); **मुख्य नगर**—संघाई, तिएन्तसिन, शेन्याग, वूहन, चुकिंग, सियाग, कैण्टन, पोर्ट, आर्थरडैरेन, नानकिंग, सिंगताव, हरविन, तैयुआन, अनशान।

बृहत्तर चीन के अन्दर चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, सिक्याग (चीनी तुर्किस्तान) और तिब्बत हैं। खास चीन के २४ प्रात हैं। यह कृषि-प्रधान देश है, पर अब यहाँ उद्योग-धन्धे भी बड़ी तेजी से बढ रहे हैं। २,२०० वर्ष पूर्व चीनियों ने मध्य एशिया के तातार लोगों के आक्रमण से बचने के लिए १६०० मील लम्बी एक मजबूत और चौडी दीवार बनाई थी। इसकी ऊँचाई लगभग २५ फीट है। यह दीवार अब भी ज्यो-की-त्यों खडी है।

यहाँ १९१२ ई० में डॉ० सनयात सेन के नेतृत्व मे प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। सन् १९२७ ई० से च्याग-काइ-शेक यहाँ का वास्तविक शासक रहा। सन् १९४८ ई० में वह राष्ट्रपति भी बना। यहाँ की

राष्ट्रीय सरकार के साथ चीनी कम्युनिस्टों का कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। अन्त में कम्युनिस्ट विजयी हुए और अक्टूबर, १९४९ ई० में यहां पीपिंग (पेकिंग) में माओ-त्से-तुंग के अधीन नई कम्युनिस्ट सरकार कायम हुई। च्यांग-काई-शेक चीन की मुख्य भूमि से भागकर इसके एक द्वीप फारमोसा में चला गया और वहीं उसने संयुक्त राज्य अमेरिका की छत्रछाया में अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम की।

कम्युनिस्ट चीन के राष्ट्रपति का चुनाव वहां की कांग्रेस द्वारा ४ वर्षों के लिए होता है। यही पार्टी का मंत्रिमंडल बनाता है और प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है। माओ-त्से-तुंग के बाद लियो-शाओ-ची वहां के वर्त्तमान राष्ट्रपति हैं। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या १२२६ है। ग्रेटब्रिटेन, भारत आदि बहुत-से राष्ट्रों ने कम्युनिस्ट चीन-सरकार को मान्यता दी, पर संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी मान्यता नहीं दे रहा है और न इसे राष्ट्रसंघ का सदस्य होने देता है।

प्राचीन काल से चीन का भारत के साथ घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। पर इधर कुछ वर्षों में सीमा-सम्बन्धी प्रश्न पर दोनों के संबंध में कटुता उत्पन्न हो गई है। सन् १९५५ ई० से ही चीन भारत की उत्तरी सीमावर्ती ५७,००० वर्गमील भूमि को अपने नक्शे में दिखा रहा है। सन् १९५९ ई० में उसने भारत की उत्तरी सीमा के लोंगजू और लद्दाख-क्षेत्र पर चढ़ाई करके इसके कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया है। दोनों ओर से तनातनी जारी है। मार्च, १९६० ई० में चीन ने नेपाल के मुस्तांग-क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग ले लिया है।

मंगोलिया (भीतरी)—यह चीन के उत्तरी भाग में है। सम्पूर्ण मंगोलिया दो भागों में बंटा है—उत्तरी मंगोलिया और दक्षिणी मंगोलिया। उत्तरी मंगोलिया, जो बाहरी मंगोलिया भी कहलाता है, अब एक स्वतन्त्र राष्ट्र है, जिसकी चर्चा अलग की गई है। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया कम्युनिस्ट चीन के अधीन है। यह तीन प्रान्तों में विभक्त है। इसका क्षेत्रफल [illegible] वर्गमील और जनसंख्या ६१ लाख है। सन् १९४७ ई० में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे स्वशासित प्रान्त बनाया। इसकी राजधानी हुहेहोत (क्वेसुई) है।

साम्यवादी तिब्बती स्वशासित सरकार की घोषणा की गई। अप्रैल, १९५८ ई० में दोनों लामाओं ने चीनी साम्यवादी सरकार से विनम्र अपील की कि वह स्वशासन का अधिकार तीव्र गति से बढ़ाये। किन्तु, ऐसा होना तो दूर रहा, उल्टे वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के प्रति दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध जब चीनी सैनिकों ने कारर्वाई की, तब दलाई लामा विद्रोह कर बैठा, जिसमें हजारों तिब्बती मारे गये। अन्त में अपने को असमर्थ पाकर सन १९५९ ई० में उसने भारत की शरण ली। इस पर चीन-सरकार ने पंचन लामा को तिब्बत का शासक बनाया। पीछे तिब्बत की इस गड़बड़ी के सम्बन्ध में मलाया और आयरलैण्ड ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने प्रश्न उठाये। किन्तु, अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका है। दलाई लामा के साथ और उसके बाद भी बहुत-से तिब्बती शरणार्थी के रूप में भारत में आकर रह रहे हैं।

जापान

स्थिति—एशिया महाद्वीप के पूरब, **क्षेत्रफल**—१,४२,६४४ वर्गमील, **जन-संख्या**—९,०९,००,००० (१९५७); **राजधानी**—टोकियो; **भाषा**—जापानी; **धर्म**—बौद्ध और सिन्तो; **सिक्का**—येन; **सम्राट्**—हिरोहितो (१९२८); **प्रधानमंत्री**—हयाता इकेदा (१८ जुलाई १९६० से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत सवैधानिक राजतन्त्र। **मुख्य नगर**—ओसाका, क्योतो, नगोया, याकोहामा, कोबे।

इसमें चार मुख्य द्वीपों—होन्शु (मुख्य भू-खंड), होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे हजारों द्वीप सम्मिलित हैं। इन सबकी लम्बाई १२०० मील और चौड़ाई २०० मील है। यहाँ का अधिकांश भाग पर्वतों से ढका है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यह अपने ढंग के उद्योग-धन्धों के लिए संसार मे प्रसिद्ध है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह एशिया महादेश का सर्वाधिक उन्नतिशील देश है। द्वितीय महासमर में यह निरन्तर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की सीमा तक चला आया था, किन्तु एकाएक संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर एटम बम गिराने से इसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब से यह अमेरिका के वश में ही रहा। सितम्बर, १९५१ ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन आदि ४८ राष्ट्रों ने जापान के साथ सानफ्रासिस्को मे एक शान्ति-संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार जापान को स्वतन्त्र माना गया। भारत ने ९ जून, १९५२ ई० को इसके साथ अलग संधि करके इसकी सार्वभौम सत्ता को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने जापान की सद्भावना-यात्राएँ करके दोनों देशों के बीच मैत्री-सम्बन्ध को सुदृढ किया है। रूस के साथ इसकी सन् १९५६ ई० में संधि हुई, जिसके अनुसार रूस ने हावोमाई और सिकोतन टापू लौटा देने, राष्ट्रसंघ में इसकी सदस्यता का समर्थन करने तथा एक-दूसरे के अन्तरिक मामले मे हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया।

जुलाई, १९६० ई० में संशोधित जापानी-अमेरिकी सुरक्षा-संधि स्वीकार की गई। इसके फलस्वरूप जापान में विद्रोह फैल गया, जिससे नोबुसुके किशि ने १३ जुलाई, १९६० को प्रधानमंत्रित्व से त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद हयाता इकेदा प्रधानमंत्री चुने गये। राजा यहाँ का केवल नाममात्र का प्रधान है। उसके हाथ में शासन-सत्ता-सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं है। यहाँ की पार्लमेण्ट (डाईट) के दो सदन हैं।

जॉर्डन

स्थिति—पश्चिमी एशिया; **क्षेत्रफल**—३७,५०० वर्गमील; **जन-संख्या**—१४,७१,००० (१९५९), **राजधानी**—अमन; **भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम **सिक्का**—जॉर्डानी दीनार, **बादशाह**—हुसैन प्रथम (१९५३ से), **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

सन् १९४० ई० तक यह ट्रांस-जॉर्डन (शर्क अरदन) के नाम से प्रसिद्ध रहा। यहां कृषि-योग्य भूमि बहुत कम है। यहाँ का अधिकांश भाग चरागाह है। पहले यह फिलिस्तीन (पैलेस्टाइन) के अन्दर ब्रिटेन का एक आदिष्ट राज्य था। सन् १९४६ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। मई, १९४९ ई० में मिस्र के साथ इसकी एक सैनिक सन्धि हुई। यहां की पार्लमेण्ट की दो सभाएं हैं। सन् १९५७-५८ ई० में यहाँ के राष्ट्रवादियों ने मिस्र आदि की सहायता से ब्रिटेन के प्रभाव को दूर करने की बहुत कोशिश की, किन्तु वे सफल नहीं हुए। यहां मताधिकार केवल वयस्क पुरुषों को ही प्राप्त है। ३० अगस्त, १९६० ई० को यहां के प्रधानमंत्री श्रीहज्जा-अलमस जाली की बारह अन्य अफसरों के साथ बम-विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई।

तुर्की (टर्की)

स्थिति—यूरोप और एशिया का मिलन-स्थान; **क्षेत्रफल**—२,९६,५०० वर्गमील; **जन-संख्या**—२,६७,६७,००० (१९५६); **राजधानी**—अंगारा **भाषा**—तुर्की; **लिपि**—रोमन; **धर्म**—इस्लाम; **सिक्का**—तुर्की पौंड; **प्रधान शासक**—जेनरल जमाल गुरसेल; **शासन-स्वरूप**—सैनिक-शासन। **मुख्य नगर**—इस्ताम्बुल, इजमिर, अदन, बरसा और एस्किशेहिर।

तुर्की (टर्की), अनातोलिया, एशिया-कोचक या एशिया-माइनर ये सब नाम एक ही प्रायद्वीप के हैं।

इस देश का अधिकांश भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में है। यूरोप में यह ९,२५४ वर्गमील तथा एशिया में २,८५,२४६ वर्गमील में फैला हुआ है। इन दोनों भागों के बीच मारमारा सागर है। यहां के निवासी तुर्क, आर्मेनियन और कुर्द-जाति के लोग हैं। देश की करीब ७५ प्रतिशत जनता अपनी आय कृषि-उत्पादनों से प्राप्त करती है। सन् १९२३ ई० में यह [illegible] स्वतंत्र हुआ। इसका प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। यहां की पार्लमेण्ट की एक सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। यहां राष्ट्रपति ही प्रधान-मंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री [illegible] सदस्यों को चुनकर [illegible] पार्लमेण्ट के सामने पेश करता है। यहां सन् १९५० ई० से डेमोक्रेटिक पार्टी ही [illegible], किन्तु उसके शासन की [illegible] में सन् १९६० ई० को [illegible] विरोध [illegible] और राष्ट्रपति [illegible], प्रधानमंत्री [illegible], [illegible] ११ [illegible] [illegible]।

[illegible] ([illegible])

स्थिति—[illegible] **क्षेत्रफल**—[illegible] वर्गमील, **जन-संख्या**—[illegible] (१९५९) **राजधानी**—[illegible] **मुख्य नगर**—[illegible], **प्रधान मंत्री**—[illegible]।

यह द्वीप-समूह चीन का एक प्रान्त माना जाता है, जो चीन की मुख्य भूमि से ११० मील पूर्व प्रशान्त महासागर में स्थित है। सन १८९७ ई० में जापान ने इस पर अधिकार कर लिया था। द्वितीय विश्व-महायुद्ध में जापान के पराजित होने के बाद सन १९४५ ई० में यह पुनः चीन के साथ मिला दिया गया। चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादी सरकार का आधिपत्य हो जाने के बाद चीन की राष्ट्रीय सरकार का प्रधान च्यांग-काइ-शेक भागकर यहीं चला आया और संयुक्तराज्य अमेरिका की छत्रछाया में अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम की। संयुक्त राष्ट्रसंघ में यही चीन का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी सुरक्षा-परिषद् का भी स्थायी सदस्य है। इसके संविधानानुसार यहां की नेशनल एसेम्बली का चुनाव छह वर्षों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त यहां पांच काउन्सिलें हैं, जिनमें एक मन्त्रिमण्डल की भांति काम करती है। यहां के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन छह वर्षों के लिए होता है।

थाइलैण्ड (स्याम)

स्थिति—दक्षिण-पूर्वी एशिया; **क्षेत्रफल**—२,००,१४८ वर्गमील; **जन-संख्या**—२,१०,७६,००० (१९५७); **राजधानी**—बैंकॉक; **भाषा**—थाई; **धर्म**—बौद्ध; **सिक्का**—बहत; **राजा**—भूमिबोल अदुल यादेज; **प्रधानमंत्री**—सारित थानारात; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

स्यामी लोग ईसा की छठी शताब्दी मे मध्यचीन से इस देश में आये और तेरहवीं शताब्दी के आते-आते अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी राजधानी सुखोथाई थी। उसके बाद क्रमशः अयोध्या और थानबुरी यहां की राजधानी रहीं। सन् १८२४ ई० में यहाँ अँगरेजों की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता प्राप्त हुई, किन्तु राजा पूर्ववत् बना रहा। २४ जून, १९३२ ई० को यहाँ सैनिक-क्रान्ति हुई, जिसके बाद संवैधानिक शासन कायम हुआ। द्वितीय महासमर के समय, सन् १९४१ से १९४५ ई० तक, यहां जापानियों का आधिपत्य रहा। सन् १९४८ ई० मे यहाँ की सरकार ने इस देश का नाम स्याम से बदलकर थाइलैंड कर दिया। २० अक्टूबर, १९५८ ई० को यहां के प्रधान सेनापति सारित थानारात ने शासनाधिकार अपने हाथों मे ले लिया। तब से यही यहाँ का प्रधान मंत्री है और राजा नाम-मात्र का प्रधान शासक रह गया है।

यहां की ७० प्रतिशत भूमि जंगलो से ढकी है। देश के ६० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर करते हैं। चावल के उत्पादन मे संसार के अन्दर इसका छठा स्थान है। यहाँ से चावल, टीक की लकड़ी, रबर आदि विदेश भेजे जाते हैं।

यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। सन् १९५८ ई० के आरम्भ में यहाँ थोनोम कित्ति-काचोर्न के प्रधानमंत्रित्व मे नई सरकार बनी थी, परन्तु अक्टूबर में ही सैनिक-क्रान्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप इस समय फील्ड मार्शल सारित थानारात शासन-कार्य चला रहा है।

नेपाल

स्थिति—हिमालय और भारत के बीच; **क्षेत्रफल**—५४,००० वर्गमील; **जन-संख्या**—८४,३१,५४७ (१९५४); **राजधानी**—काठमाण्डू; **भाषा**—नेपाली; **धर्म**—हिन्दू; **सिक्का**—नेपाली रुपया; **राजा**—महेन्द्र वीर विक्रमशाह देव (१९५५ से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

इसकी लम्बाई ५०० मील और चौड़ाई करीब १५० मील है। हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट इसके उत्तरी भाग में है। यहाँ के निवासी गुरखा, मागर, गुरुंग, भुटिया और नेवार जाति के लोग हैं। पहले यह देश विभिन्न पहाड़ी जातियों की छोटी-छोटी रियासतों में बँटा था। सन १७६९ ई० में यहा गुरखों का बल बढ़ा। समस्त देश के लिए यहा एक राज-परिवार और राणाओं का एक मंत्री-परिवार हुआ। राजा और मंत्री दोनों वंश-परम्परागत होते रहे। राजा नाम-मात्र का शासक था। शासन का सारा काम मंत्री-परिवार के लोग करते रहे। राजा पाँच-सरकार और मंत्री तीन-सरकार कहलाते थे। सन १९५० ई० के विद्रोह के बाद वंश-परम्परागत मंत्री-परिवार का शासन समाप्त किया गया। उस समय महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रमशाह गद्दी पर थे। नवम्बर, १९५१ ई० में यहा नेपाली कांगरेस-पार्टी के नेता मातृकाप्रसाद कोइराला के प्रधान-मंत्रित्व में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल कायम किया गया। सन् १९५९ ई० से सर्वप्रथम निर्वाचित पार्लमेंट की दो सभाएँ—प्रतिनिधि-सभा और महासभा—बनाई गई, जिनके क्रमश १०९ और ३६ सदस्य हुए। बहुमत दल नेपाली कांगरेस-पार्टी के नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला के प्रधानमंत्रित्व में एक मंत्रिमंडल कायम किया गया।

१५ दिसम्बर, १९६० ई० को नेपाल-नरेश ने अकस्मात् वहा के प्रधानमंत्री तथा मंत्रि-मंडल के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके अतिरिक्त नेपाली संसद् के अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता तथा सभी भूतपूर्व प्रधान मंत्री भी कैद कर लिये गये और संसद् के दोनों सदनों को विघटित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भेजे गये नेपाल के सभी प्रतिनिधि वापस बुला लिये गये। केवल स्थायी प्रतिनिधि को वहाँ पूर्ववत् रहने दिया गया। नेपाल के पर्यटनकारी मंत्री बर्खास्त कर दिये गये तथा उन देशों की सरकारों को, जहा वे थे, उनकी पद-समाप्ति की सूचना दे दी गई।

कोइराला-सरकार के विरुद्ध निम्नांकित अभियोग थे—

(१) कोइराला-सरकार शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने में विफल रही।

(२) उसने बिना छान-बीन किये 'बिरता' के उन्मूलन का निर्णय किया था।

(३) उसने राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों को प्रोत्साहन देकर नेपाल को खतरे में डालने की साजिश की थी।

धर्म—इस्लाम; **सिक्का**—पाकिस्तानी रुपया; **राष्ट्रपति**—जेनरल मुहम्मद अयूब खाँ; **शासन-स्वरूप**—अधिनायक-तन्त्र; पश्चिमी पाकिस्तान के **मुख्य नगर**—लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, पेशावर; पूर्वी पाकिस्तान के **मुख्य नगर**—ढाका, चटगाव, राजशाही, सिलहट, जैसोर, रंगपुर।

इस नये मुस्लिम-राष्ट्र का निर्माण १४ अगस्त, १६४७ ई० को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। कायदेआजम मुहम्मद अली जिन्ना, जिनके नेतृत्व में भारत के मुस्लिम लीगी मुसलमानों ने पाकिस्तान का निर्माण किया, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जेनरल हुए। यह संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम-राष्ट्र है। यह दो भागों में विभक्त है—पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के अन्दर भारत के पुराने प्रान्त बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, पश्चिम पंजाब, भावलपुर की रियासत तथा अन्य कई छोटी-छोटी मुस्लिम रियासतें है। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और आसाम का सिलहट जिला है। पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्रफल समस्त पाकिस्तान का १६ प्रतिशत भाग है, किन्तु यहां की जनसंख्या समस्त पाकिस्तान की जन-संख्या के आधे से भी अधिक है। पाकिस्तान के दोनो भागों में भारत के अन्य प्रान्तो के बहुत-से मुस्लिम निवासी जा बसे हैं तथा वहां से बहुत-से हिन्दू भारत आ गये हैं। यह मुख्यतः कृषि-प्रधान देश है। पश्चिमी पाकिस्तान में गेहूं की तथा पूर्वी पाकिस्तान मे चावल, जूट और चाय की उपज होती है। यहां उद्योग-धन्धों तथा प्राकृतिक साधनों की बहुत कमी है।

२३ अगस्त, १६५५ ई० को पाकिस्तान बगदाद-संधि (सिएटो) में सम्मिलित हुआ। १४ अगस्त, १६५५ ई० से पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रान्त मिलाकर एक कर दिये गये। ७ अक्तूबर, १६५८ ई० से यहां सैनिक-शासन चल रहा है। वर्त्तमान में यहाँ का राष्ट्रपति ही एक परामर्शदात्री मंडल की सहायता से सब प्रकार का वैधानिक और शासन-सम्बन्धी काम करता है। यह अमेरिकी गुट में है और अमेरिका से इसे सैनिक सहायता प्राप्त है।

फिलिपाइन्स

स्थिति—एशिया के दक्षिण-पूर्व प्रशान्त महासागर का एक द्वीप-समूह; **क्षेत्रफल**—१,१५,६०० वर्गमील; **जन-संख्या**—२,३०,००,००० (१६५८); **राजधानी**—मनिला (नई राजधानी क्वेजोन सिटी); **भाषा**—टागालॉग (एक मलायन बोली), ॲंगरेजी और स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**—कारलोस पी गारसिया (१६५७ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—इलोइलो, केबू, जैम्बोअंगा, डवाओ, बेसिलन, बैकोलोड, बैगुइओ।

इसका समुद्र-तट १४,४०७ मील है। इसमें करीब ७,१०० द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें लुजोन, मिनडानाओ, सामार, नेग्रो, पालवान, मिनडोरा, मनिला, पानाय, बॉहोल, लेटे और मास-बाटे मुख्य हैं। इस द्वीप-समूह की करीब ६३ प्रतिशत भूमि खेती-योग्य है। कृषि यहाँ का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों की संख्या करीब १० है। इस देश में खानें अधिक हैं, पर अर्थाभाव के कारण उनसे उत्पादन बहुत कम होता है। स्पेनवाले सर्वप्रथम सन् १५२१ ई० में यहाँ आये और अपने देश के राजकुमार 'फिलिप' के नाम पर इस द्वीप-समूह का नाम 'फिलि-पाइन्स' रखा। यहाँ सन् १८६८ ई० तक स्पेनवालों का आधिपत्य रहा। स्पेन-अमेरिका-युद्ध के बाद सन् १८६६ ई० में यह संयुक्तराज्य अमेरिका के हाथ में आया। द्वितीय महासमर के समय

सन् १९४१ ई० से १९४५ ई० तक यह जापान के अधिकार में रहा। ४ जुलाई, १९४६ ई० को यह संयुक्त-राज्य अमेरिका के पंजे से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है।

फ्रांसीसी हिन्द-चीन (इण्डोचाइना)

यह एशिया के दक्षिण-पूरब भाग में है। ईसा के २१३ वर्ष पूर्व दक्षिण चीन के अनामी लोग यहाँ आ बसे थे। तब से यहाँ चीन का राज्य रहा। १७वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के एशिया में आने पर फ्रांस के व्यापारी इस देश के सम्पर्क में आये। उन लोगों ने एक-एक कर देश के समस्त भू-भाग पर अधिकार कर लिया। सैगाव इस देश की राजधानी रहा। द्वितीय महासमर के बाद फ्रांसीसियों ने इसे तीन भागों में बाँट दिया—लाओस, कम्बोडिया और वीतनाम। प्रथम दो भागों में वैधानिक राजतंत्र और अन्तिम भाग में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। वीतनाम के तीन भाग किये गये—उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। फ्रांसीसी हिन्द-चीन के इन सभी भू-भागों का संबंध फ्रांस से बना रहा। सन् १९४९ ई० की गणना के अनुसार इन समस्त भू-भागों का क्षेत्र-फल २,८६,००० वर्गमील और जन-संख्या २,७०,३०,००० थी। उत्तरी वीतनाम के साम्यवादियों ने साम्यवादी चीन-सरकार की सहायता प्राप्त कर मध्य और दक्षिणी वीतनाम पर चढ़ाई कर दी जिसका फ्रांसीसियों ने सामना किया। अन्त में राष्ट्रसंघ के बीच में पड़ने से सन् १९५४ ई० में युद्ध-विराम-संधि हुई। इस संधि-आयोग का भारत ही सभापति था। इस संधि के अनुसार वीतनाम के दो खंड कर दिये गये—उत्तरी वीतनाम और दक्षिणी वीतनाम। १७° उत्तर अक्षांश-रेखा दोनों के बीच की सीमा-रेखा मानी गई। इस प्रकार, फ्रांसीसी हिन्द-चीन के अब चार भाग हो गये हैं—(१) उत्तर वीतनाम, (२) दक्षिण वीतनाम, (३) लाओस और (४) कम्बोडिया। इन सबके विवरण अलग-अलग दिये गये हैं।

बर्मा

वर्मा में कुछ भारतीय व्यापारी और जमींदार भी हैं। सन १६४२ ई० के विद्रोह में लगभग पौने चार लाख भारतीय वर्मा छोड़कर स्वदेश वापस आ गये।

यह कृषि-प्रधान देश है। यहां धान की पैदावार सबसे अधिक होती है, किन्तु प्राकृतिक संपदाओं की भी यहां प्रचुरता है। चांदी और तांबे की खानें, सागवान की लकड़ी और पेट्रोल यहां की औद्योगिक संपत्ति के मुख्य साधन हैं।

भारत

स्थिति—एशिया महादेश के दक्षिण; **क्षेत्रफल**—१२,६६,६५१ वर्गमील; **जन-संख्या**—अनुमानतः ३६,७५,००,००० (१६५८), **राजधानी**—दिल्ली, **भाषा**—हिन्दी; **धर्म**—हिन्दू, इस्लाम; **सिक्का**—रुपया; **राष्ट्रपति**—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद; **उपराष्ट्रपति**—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ; **प्रधानमंत्री**—श्री जवाहरलाल नेहरू।

भारत के सम्बन्ध में विशेष विवरण आगे के खंडों में दिये गये हैं।

भूटान

स्थिति—हिमालय के दक्षिण-पूर्वी ढाल पर सिक्किम, बंगाल और आसाम से घिरा; **क्षेत्रफल**—१६,३०५ वर्गमील; **जन-संख्या**—६,४०,००० (१६५७); **राजधानी**—पुनखा; **भाषा**—भूटानी; **धर्म**—बौद्ध; **सिक्का**—भारतीय रुपया; **शासक**—महाराजा जिग्मेडोरजी वांगचुक; **शासन-स्वरूप**—राजतन्त्र।

ईसा की नवीं शताब्दी में तिब्बती सैनिकों ने भूटान पर आक्रमण कर दिया और वे यहां बस गये। सन् १७७४ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यहाँ के शासक के साथ संधि की। सन् १८६५ ई० की संधि के अनुसार इसे भारत से आर्थिक सहायता मिलने लगी। पीछे सन् १६१०ई० से इसकी परराष्ट्र-नीति भारत के हाथ में रही। सन् १६४६ ई० में स्वतंत्र भारत के साथ हुई संधि के अनुसार इसके वार्षिक साहाय्य की राशि ५ लाख कर दी गई।

सन् १६०७ ई० तक यहाँ का शासन पुराने तिब्बती ढंग का द्वैध शासन रहा, जिसमें धर्मराज और देवराज होते थे। धर्मराज को बुद्ध का अवतार ही माना जाता था। उसी वर्ष यहाँ के सर्वप्रथम वंश-परम्परागत महाराजा का निर्वाचन हुआ।

यह भारत-सरकार द्वारा संरक्षित एक अर्द्ध-स्वतन्त्र राष्ट्र है और संधि के अनुसार भारत से सम्बद्ध है। यहां भारत-सरकार का एक राजनीतिक अफसर रहता है।

मंगोलिया (बाहरी)

स्थिति—उत्तर-पूर्वी एशिया ; **क्षेत्रफल**—६,१४,२५० वर्गमील; **जन-संख्या**—१०,००,००० (१६५६); **राजधानी**—उलान बाटोर (पहले उर्गा); **भाषा**—चीनी; **धर्म**—बौद्ध लामा; **राष्ट्रपति**—जे० साम्बु; **प्रधानमंत्री**—त्साई० सेडनबल, **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (सोवियत ढंग का)।

मंगोलिया बहुत दिनों से चीन के अन्दर था। पीछे इसके दो भाग हुए—दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया और उत्तरी या बाहरी मंगोलिया। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया अब भी चीन के साथ है। यह मंगोल-जाति के लोगों का आदि-स्थान था। १३वीं शताब्दी में कुबलई और चंगेज खाँ के अधीन यह एक शक्तिशाली राज्य बना। सन् १६६१ ई० में यह चीन के मंचु-वंश के अधिकार में आया।

सन् १९११ ई० में उत्तरी या बाहरी मंगोलिया चीन से अलग होकर एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया। सन् १९४५ ई० की रूस-चीन-संधि के अनुसार चीन ने भी इसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली है। इसका उत्तरी भाग पहाड़ी भूमि है और दक्षिणी भाग मरुभूमि है, जो गोबी मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहां खेती नाम-मात्र के लिए होती है। यहां की अधिकांश भूमि गोचर है। यहां भेड़ और बकरियां अधिक पाली जाती हैं। यहां के अधिकांश निवासी यायावर या अर्द्ध-यायावर जाति के हैं।

मलाया

स्थिति—दक्षिण-पूर्वी एशिया; **क्षेत्रफल**—५०,६९० वर्गमील; **जन-संख्या**—६२,७६,९१५ (१९५७); **राजधानी**—कुआलालम्पुर; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्रात्मक अधिराज्य; **प्रधान शासक**—आदिल सैयद हस्सन जमालुल्लाई (२१ सितम्बर, १९६० ई० से)।

यह ११ राज्यों का एक संघ है, जिसमें जोहोर, केदाह, केलांटन, नग्रीसेम्बिलन, पहांग, पेराक, पेरलिस, सेलंगोर, ट्रेंगनू एवं पेनाग और मलक्का उपनिवेश हैं। ३१ अगस्त, १९५७ ई० में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर एक सीमित संवैधानिक राजतन्त्र बनाया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर ग्रेट-ब्रिटेन को छोड़ यही एक राजतन्त्रात्मक राज्य है। यहां का सर्वोच्च शासक राज्यों के वंशानुगत शासकों द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। संसार का एक तिहाई टीन यहां के पेराक स्थान में मिलता है। संसार में कुल जितना रबर होता है, उसका आधा अकेले मलाया देश में होता है। यहां चीनियों की संख्या भी काफी है। अधिकांश मलायावासी मुसलमान हैं। यहां की पार्लमेंट के दो सदन हैं। यहां का प्रधान शासक उक्त ११ विभिन्न राज्यों के शासकों द्वारा ५ वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। सुलतान हिसामुद्दीन आलमशाह के देहावसान के बाद पेरलिस-राज्य के आदिल सैयद हस्सन जमालुल्लाई २१ सितम्बर, १९६० ई० से प्रधान शासक बनाये गये हैं।

मालदिव

सिरिमावो भण्डारनायक (२१ जुलाई, १९६० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—जाफ्ना, कैण्डी, गॅले, निगोम्बो, कुरुनेगला, नुवारा-एलिया।

यहां के लगभग ८४ लाख व्यक्तियों में ४७½ लाख, अर्थात आधे से कुछ अधिक सिंहली और शेष दक्षिण-भारतीय-मिश्रित जातियां और यूरोपवासी हैं। यहां चाय, रबर और नारियल की खेती बहुत अधिक होती है। खाद्यान्न अधिकतर बाहर से मँगाया जाता है। प्राचीन काल में भारतीयों ने इस द्वीप को बसाया था। कहते हैं कि यहां के मूल निवासी सिंहली उन्हीं के वंशज हैं। इस द्वीप को पहले सिंहल-द्वीप भी कहते थे। १६वीं सदी में पुर्त्तगीज और १७वीं सदी में डच लोगों ने इसके समुद्र-तट के कुछ भागों पर अधिकार किया था। सन् १७८६ ई० में यह अँगरेजों के हाथ में आया। उस समय यह बम्बई प्रेसिडेन्सी में मिलाया गया था। सन् १८०२ ई० में यह एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बनाया गया। सन् १९४८ ई० की ४ फरवरी को राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत सुरक्षा और परराष्ट्र-नीति को छोड़कर शेष सभी विषयों में इसने उत्तरदायित्वपूर्ण अस्तित्व को प्राप्त किया। प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर श्रीभण्डारनायक ने घोषित किया था कि वे परराष्ट्र-नीति में तटस्थता के पक्ष में तथा बैंक, बीमा, यातायात, चाय-बगान आदि के राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं। गणतंत्र का संविधान स्वीकृत होने पर भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। जुलाई, १९५६ ई० में यहां गणतंत्र घोषित किया गया।

यहाँ के दस प्रतिशत निवासी तमिल हैं। भारतीय मूल के इन निवासियों की नागरिकता के प्रश्न पर सन् १९५३-५४ ई० से ही तनातनी चली आ रही थी। सन् १९५६ ई० में तमिल भाषा को एक सरकारी भाषा के पद से हटा देने पर बात और भी बढ़ गई। सन् १९५७ ई० के दिसम्बर में यहाँ के प्रधानमंत्री श्रीभण्डारनायक और भारतीय प्रधानमंत्री श्रीनेहरू के बीच इस प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ। सितम्बर, १९५९ ई० में एक विद्रोही युवक ने प्रधानमंत्री श्रीभण्डारनायक की हत्या कर दी। इसके बाद विजयानन्द दहनायक एवं डडले सेनानायक प्रधानमंत्री बनाये गये। तत्पश्चात्, २० जुलाई, १९६० ई० को यहाँ की संसद् का नवनिर्वाचन हुआ, जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीभण्डारनायक की विधवा पत्नी श्रीमती सिरिमावो भण्डारनायक के नेतृत्व में डेमोक्रैटिक सोशलिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। फलस्वरूप २१ जुलाई, १९६० ई० को श्रीमती सिरिमावो लंका की प्रधानमंत्रिणी बनाई गईं, जो विश्व की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट में सिनेट के ३० सदस्य और प्रतिनिधि-सभा के १०१ सदस्य हैं।

लाओस

स्थिति—हिन्द-चीन का मध्य एवं उत्तर-पश्चिम का भाग; **क्षेत्रफल**—८९,००० वर्गमील; **जन-संख्या**—२०,००,००० (१९५९); **शासन-केन्द्र**—वियनटियाने, **भाषा**—थाई, इण्डोनेशियन और चीनी; **धर्म**—बौद्ध; **राजा**—सवंग वथाना, **प्रधानमंत्री**—सोवन्ना फौमा (अगस्त, १९६० ई० से); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र। **मुख्य नगर**—उवाग, प्रवंग (राज-नगर), पाक्से, सवन्नखेत।

राजा ही यहाँ का धर्मगुरु होता है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है। यह पहले हिन्द-चीन का अंग था। सन् १९५४ ई० में जेनेवा-इकरारनामे के अनुसार लाओस की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई। अगस्त, १९६० ई० में साम्यवादियों ने कैप्टेन कोंग-ली की अधीनता में वहाँ की

दक्षिण वीतनाम

स्थिति—हिन्दचीन के दक्षिण-पूर्व; क्षेत्रफल—६५,७२६ वर्गमील; जन-संख्या—१,२३,६६,००० (१९५६); राजधानी—साइगॉन; भाषा—अनामी, फ्रेंच; धर्म—बौद्ध; राष्ट्रपति—न्गो दीन दीम; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

इसके अन्तर्गत अनाम और कोचीन-चीन हैं। मुख्यतः धान की खेती यहाँ के लोगों का प्रधान पेशा है। यहाँ का शासन संयुक्तराज्य अमेरिका के ढंग का है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है। यहाँ का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण करता है।

साइबेरिया, रूसी तुर्किस्तान और कोहकाफ

रूस का अधिकांश भाग एशिया में है, पर इसकी राजधानी यूरोपीय भाग के अन्दर होने से यह साधारणतः यूरोपीय राष्ट्र ही समझा जाता है। रूस के उपर्युक्त तीनों खंड एशिया के उत्तर और उत्तर-पश्चिम के बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। साइबेरिया का क्षेत्रफल ५० लाख वर्गमील है। लम्बाई-चौड़ाई में यह यूरोप से बड़ा है। यहाँ के मुख्य निवासी स्लाव-जाति के लोग हैं। रूसी तुर्किस्तान एशिया के उत्तर-पश्चिम भाग में है। यहाँ के निवासी किर्गिज, उजबेग और तुर्क जाति के हैं, जो सब-के-सब मुसलमान हैं। आरमेनिया की ऊँची जमीन और काकेशस पहाड़ों के बीच की जमीन को 'कोहकाफ' कहते हैं।

सिंगापुर

स्थिति—दक्षिण एशिया में मलाया के दक्षिण एक छोटा-सा द्वीप; क्षेत्रफल—२९१ वर्गमील; जन-संख्या—१४,६०,००० (१९५७); राजधानी—सिंगापुर; भाषा—चीनी, मलायन; धर्म—बौद्ध; राज्य का प्रधान—इचे यूसुफ-बिन-इशाक; प्रधानमंत्री—ली-कुआन-यू (जून, १९५९ ई० से), शासन-स्वरूप—ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त शासन।

सन १९४६ ई० में स्ट्रेट सेटलमेण्ट का उपनिवेश तोड़कर पेनाग और मलक्का को मलाया में तथा लेबुआन को ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो में मिला दिया गया। शेषांश सिंगापुर-उपनिवेश के नाम से कायम हुआ।

यह मलाया से जाहोर जल-डमरूमध्य द्वारा पृथक् होता है। यह २७ मील लम्बा और १४ मील चौड़ा है। रबर यहाँ की मुख्य उपज है। इसका महत्त्व व्यापारिक दृष्टि से अधिक है। प्रशान्त और हिन्द महासागर के मध्य में स्थिति होने के कारण यह पूर्व और पश्चिम के समुद्री मार्गों का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र है। १४० वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने के बाद ३ जून, १९५९ को इसे ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त-शासन प्राप्त हुआ।

सीरिया

स्थिति—एशिया महादेश का पश्चिमी किनारा; क्षेत्रफल—७२,२३४ वर्गमील; जन-संख्या—३९,७०,००० (१९५६), राजधानी—दमिश्क; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—सीरियन लिवियन पौंड; राष्ट्रपति—गैमेल अब्दुल नसीर (१९५८ से; संयुक्त अरब-गणतंत्र के राष्ट्रपति होने के कारण), शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक), मुख्य नगर—अलेपो, जेबेलड्रूज़े।

इस समय सीरिया नये संयुक्त अरब-गणतंत्र का एक सदस्य है। यह संसार का एक पुराना राष्ट्र है। पहले यह तुर्की-साम्राज्य के अन्तर्गत था। पीछे सन् १९२० से १९४० ई० तक फ्रांस का आदिष्ट राज्य रहा। इसके बाद यह गणतंत्र घोषित किया गया, किन्तु फ्रांसीसी सेना यहां से अप्रैल, १९४६ ई० में हटी। पूर्ण स्वतंत्रता के बाद भी यहां शान्तिपूर्वक शासन नहीं चल सका। सन् १९४९ से १९५१ ई० तक यहां बार बार सैनिक राज्य-क्रान्तियां हुईं। सन् १९५४ ई० में यहां सम्मिलित दल का शासन आरम्भ हुआ। जुलाई, १९५७ ई० में पारस्परिक सहायता के लिए रूस के साथ इसकी सन्धि हुई। पीछे सीरिया और संयुक्तराज्य अमेरिका ने एक-दूसरे देश के राजदूत को अपने यहां से हटा दिया। सीरिया, मिस्र के राष्ट्रपति जेनेरल अब्दुल नसीर के अरब-राष्ट्रों के संगठित करने के सिद्धान्त से सहमत है। अतः, जनमत के आधार पर, सन् १९५८ ई० के आरम्भ में दोनों राष्ट्रों ने मिलकर 'संयुक्त अरब-गणतंत्र' कायम किया और कर्नल अब्दुल नसीर इस संयुक्त गणतंत्र का राष्ट्रपति हुआ। १८ जुलाई, १९६० ई० से सीरिया की कार्यपालिका-परिषद् के अध्यक्ष नूरुद्दीन काहला संयुक्त अरब-गणतंत्र के उपराष्ट्रपति मनोनीत किये गये। मई, १९६० ई० से यहां समाचार-पत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

यूरोप

प्राचीन काल में एशिया महादेश सभ्यता और संस्कृति में सभी महादेशों से आगे बढ़ा हुआ था, परन्तु इधर तीन-चार सौ वर्षों में इसकी भौतिक अवनति हुई और इसके प्रतिकूल यूरोप ज्ञान-विज्ञान, उद्योग-धंधे, वाणिज्य-व्यवसाय सभी में बहुत उन्नति कर गया। सौ-डेढ़ सौ वर्षों के अन्दर इसने पृथ्वी के सभी महादेशों के प्राय सब देशों पर अपना अधिकार या प्रभाव जमा लिया। पर, एशिया अब इसके प्रभुत्व से छुटकारा पा रहा है और अफ्रिका के अधिकांश देश भी यूरोप की दासता से मुक्त हो गये हैं। पर, आस्ट्रेलिया और अमेरिका में आज भी यूरोप के मूल-निवासियों की ही बोलबाला है, यद्यपि वे अपने मूल देशों से स्वतन्त्र हो गये हैं। इधर संयुक्तराज्य अमेरिका की धाक अन्य महादेशों के साथ-साथ यूरोप पर भी जम रही है।

यह ६ गांवों का राज्य है, जो सन १२७८ ई० से ही कुछ हद तक स्वतंत्र है। इसका शासन एक कौंसल-जेनरल द्वारा होता है, जिसमें २४ सदस्य होते हैं। यह फ्रांस और स्पेन के बिशपों को कर देता है। यहां सन १९४१ ई० में सार्वजनिक मताधिकार को समाप्त कर परिवार के मुखिया द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई है।

अलबानिया

स्थिति—युगोस्लाविया, ग्रीस और एड्रियाटिक समुद्र से घिरा; **क्षेत्रफल**—१०,६२६ वर्गमील; **जन-संख्या**—१४,२१,००० (१९५६); **सिक्का**—अलबानियन फ्रैंक; **राजधानी**—तिराना; **भाषा**—अलबानियन; **धर्म**—इस्लाम और रोमन कैथोलिक; **चेयरमैन ऑफ् दी प्रेसिडियम ऑफ् पिपुल्स एसेम्बली**—मेजर जनरल हज्जी लेशी; **मंत्रिमंडल के अध्यक्ष**—कर्नल जेनरल मेहमत शेहू, **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (सोवियत ढंग का)। **मुख्य नगर**—ड्रेट, कोर्सी, स्कोडर, एलबासान, जीनोकस्टर।

यह कृषकों और पशुपालकों का देश है। यहां मुख्यतः घेग जाति के लोग हैं। इसमें २६ जिले और २२ नगर हैं। लगभग २००० वर्षों तक विभिन्न देशों के सैनिक इसे रौंदते रहे। सन १९१२ ई० में यह टर्की से स्वतन्त्र हुआ। द्वितीय महासमर में जर्मनी और इटली ने इसपर आक्रमण किया। सन १९४६ ई० में यहां गणतंत्र घोषित किया गया। यह सोवियत गुट के अन्दर है।

आस्ट्रिया

स्थिति—मध्य यूरोप; **क्षेत्रफल**—३२,३६६ वर्गमील, **जन-संख्या**—७०,००,००० (१९५८ ई०); **राजधानी**—वियना; **भाषा**—जर्मन; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—शिलिंग; **राष्ट्रपति**—अडोल्फ स्केर्फ (१९५७ ई० से), **चांसलर** (प्रधान मन्त्री)—डॉ० जुलियस रैब; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र; **मुख्य नगर**—ग्राज, लिंज, इन्सब्रुक, सल्जबर्ग।

प्रारंभ में अस्ट्रिया, अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य का एक भाग रहा। हैप्सबर्ग घराने का सम्राट् रुडॉल्फ सन् १२७३ ई० में रोम-साम्राज्य का सम्राट् बनाया गया। इस घराने के लोग नेपोलिन बोनापार्ट के उदय-काल, १८०६ ई० तक रोम-साम्राज्य पर शासन करते रहे। प्रथम महासमर के बाद अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य विघटित हो गया और अस्ट्रिया-गणतंत्र की स्थापना हुई। सन् १९३८ से १९४५ ई० तक इसपर जर्मनी का अधिकार रहा। पीछे इसपर ईंगलैंड आदि मित्र-राष्ट्रों का कब्जा हो गया। १७ वर्षों की परतंत्रता के बाद १५ मई, १९५५ ई० को यह स्वतन्त्र कर दिया गया। इसमें ९ प्रान्त हैं। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं।

आइसलैंड

स्थिति—उत्तरी अटलांटिक में आर्कटिक वृत्त के निकट एक द्वीप; **क्षेत्रफल**—३९,७५८ वर्गमील; **जन-सख्या**—१,६६,००० (१९५८); **राजधानी**—रेकजाविक, **भाषा**—आइसलैंडिक; **धर्म**—इभान जेलिकल लुदरन; **सिक्का**—क्रोन; **राष्ट्रपति**—असगीर असगीरसन (१९५६ से); **प्रधानमंत्री**—ओलाफर थार्स (१९५६ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र। **मुख्य नगर**—अकुरेरी, अफनर्फजोरो, कोपाभोगर।

दुनिया के ज्वालामुखीवाले देशों में इसका स्थान अग्रगण्य है। यहाँ की जमीन ऊँची-नीची तथा बंजर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मछली पकडना और उसका निर्यात करना है।

यह १९४४ ई० में डेनमार्क से स्वतन्त्र हुआ। यहां की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। आइसलैंड के पास उसकी कोई अपनी सेना नहीं है। परन्तु यह उत्तर अटलांटिक-संधि-संगठन का सदस्य है। सन १९५१ ई० की संधि के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका इस देश पर अपनी स्थल, वायु तथा जल-सेना रखता है। जून, १९५९ में यहां की पार्लमेण्ट का नवीन निर्वाचन हुआ।

आयरलैंड (आयरिश रिपब्लिक)

स्थिति—यूरोप महादेश के ब्रिटेन के पश्चिम अटलांटिक सागर में एक द्वीप; **क्षेत्रफल**—२६,५६६ वर्गमील, **जन-संख्या**—२८,८१,००० (१९५७), **राजधानी**—डबलिन, **भाषा**—आयरिश, **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—आयरिश पौंड; **राष्ट्रपति**—ईमोन-डी-वेलेरा (जून १९५९ से); **प्रधानमंत्री**—सीन लेमास (जून १९५९ से), **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्य नगर**—कॉर्क, लिमेरिक, वाटरफोर्ड, गाल्वे, बेलफास्ट।

यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहां की किलार्नी झील बहुत प्रसिद्ध है। इसने अप्रैल १९१६ ई० में ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर गणतंत्र की घोषणा की। किन्तु वह असफल रहा। १९१९ ई० में पुनः यहां की पार्लमेण्ट ने स्वतंत्रता की मांग की। दिसम्बर, १९२१ ई० में ब्रिटेन ने अल्स्टर (उत्तरी आयरलैंड) और दक्षिणी आयरलैंड को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया। उत्तरी आयरलैंड ने इसे स्वीकार कर लिया। दक्षिणी आयरलैंड (आयरिश फ्री स्टेट) अपना अधिकार सम्पूर्ण आयरलैंड पर मानता रहा, किन्तु १९२५ ई० में उत्तरी आयरलैंड ने ब्रिटेन के साथ ही रहने का निश्चय किया। दिसम्बर, १९३७ ई० के संविधान के अनुसार दक्षिणी आयरलैंड ने अपना नाम आयरलैंड ही रखा और इसे पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया। अप्रैल, १९४९ से यह इंगलैंड से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य रहना भी स्वीकार नहीं किया। यह अब भी चाहता है कि अल्स्टर इसके साथ रहे। आयरलैंड की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहां के राष्ट्रपति का चुनाव ७ वर्षों के लिए होता है।

साथ दिया था। यहाँ के वर्तमान गणतन्त्र की स्थापना सन १६४६ ई० में हुई थी। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। दोनों की सम्मिलित बैठक में राष्ट्रपति सात वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, पर वह पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

सन १६५४ ई० में स्वतन्त्र नगर ट्रिस्टे को इटली के साथ सम्बद्ध कर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् की देख-रेख में रखा गया। (विशेष विवरण के लिए देखो 'ट्रिस्टे'।)

ग्रीस (यूनान)

स्थिति—दक्षिणी यूरोप; **क्षेत्रफल**—५१,२४६ वर्गमील; **जन-संख्या**—८०,५०,००० (१६५७); **राजधानी**—एथेन्स; **भाषा**—ग्रीक और तुर्की; **धर्म**—ग्रीक आर्थोडॉक्स; **सिक्का**—ड्रॉक्मा; **शासक**—प्रथम किंग पॉल (१६४७ से); **प्रधानमन्त्री**—कान्सटेण्टिन कैरेमैनलिस (१६५८ से). **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत सवैधानिक राजतंत्र। **मुख्य नगर**—वोलोस, हेराकलियोन, थेसालोनिकी, पैट्रास।

यह एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के प्राचीन नगर-राज्यों में गणतान्त्रिक शासन-व्यवस्था थी। इसने महात्मा सुकरात, अरस्तू और प्लेटो-जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, जिनकी देन विविध ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आज भी महत्त्वपूर्ण है। यह वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता का जनक समझा जाता है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ी और दलदल भूमि है। यहाँ बहुत-से टापू हैं। मई, १६५८ ई० के चुनाव मे नेशनल रेडिकल यूनियन पार्टी की जीत हुई। सन १६५२ ई० से महिलाओं को भी मत प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ २१ से ५० वर्ष के उम्रवालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यह उत्तर अटलांटिक सन्धि-संगठन का सदस्य है। सन् १६५४ ई० मे इसने तुर्की और युगोस्लाविया के साथ बीस वर्षीय सैनिक साहाय्य-सन्धि की।

ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड

स्थिति—यूरोप के उत्तर-पश्चिम भाग में; **ग्रेटब्रिटेन का क्षेत्रफल**—८६,०४१ वर्गमील और **उत्तरी आयरलैण्ड** का ५,२३८ वर्गमील, **ग्रेटब्रिटेन की जन-संख्या**—५,१२,२१,००० और **उत्तरी आयरलैण्ड की जन-संख्या**—१३,७०,६३३ (१६५१); **राजधानी**—लंदन; **राजभाषा**—ॲंगरेजी; **जनभाषा**—ॲंगरेजी, स्कॉचवेल्स और आयरिश; **धर्म**—ईसाई, **सिक्का**—पौंड स्टर्लिंग; **रानी**—एलिजाबेथ द्वितीय (१६५२ से); **प्रधानमंत्री**—हेराल्ड मैकमिलन (१६५५ से); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र। **मुख्य नगर**—बरमिंघम, लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, ग्लासगो, साउदम्पटन, कारडिफ, एडिनबरा, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज।

ग्रेटब्रिटेन के अन्तर्गत इंगलैंड, वेल्स स्कॉटलैण्ड तथा ऑइल्स ऑफ् मैन और चैनेल द्वीप-पुंज हैं। उत्तरी आयरलैण्ड को मिलाकर सभी ब्रिटिश-द्वीपपुंज कहलाते हैं। पहले समस्त आयरलैण्ड ब्रिटिश-द्वीपपुञ्ज के अन्दर माना जाता था और वह ब्रिटिश शासन के अधीन था, किन्तु १६४६ ई० से दक्षिणी आयरलैण्ड पूर्ण स्वतंत्र हो गया है और केवल उत्तरी आयरलैण्ड ब्रिटिश शासन के अधीन रह गया है। ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड की वैधानिक सत्ता ब्रिटिश पार्लमेण्ट के अधीन है, जिसके दो सदन हैं—हाउस ऑफ् लार्ड्स (लार्ड-सभा) और हाउस

ऑफ् कॉमन्स (साधारण सभा)। पहले सदन के ८४० सदस्य हैं, जो प्रायः आजीवन सदस्य बने रहते हैं। दूसरे सदन के ६३० निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन ५ वर्षों के लिए होता है। उत्तरी आयरलैण्ड की भी अपनी पार्लमेण्ट है, किन्तु ब्रिटिश हाउस ऑफ् कामन्स में भी उसके १२ प्रतिनिधि रहते हैं। यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल कंजरवेटिव, लेबर और लिबरल हैं।

एक दिन ब्रिटेन का साम्राज्य संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और वह सभी महादेशों में फैला हुआ था। संयुक्तराज्य अमेरिका भी कभी ब्रिटिश साम्राज्य के ही अन्तर्गत था। कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी नहीं डूबता। किन्तु घटते-घटते भी इस साम्राज्य का घेरा अभी बहुत बड़ा है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, घाना और सिंगापुर, जिनके विवरण अलग दिये गये हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के ही अन्तर्गत हैं, यद्यपि भीतरी मामलों में ये सभी स्वतंत्र हैं। मिस्र, भारत, पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका भी पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर थे। ये सब द्वितीय महासमर के बाद स्वतंत्र हुए हैं। अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक द्वीपपुंज, वेस्ट इंडीज, प्रशान्त द्वीपपुंज और भूमध्यसागर में इसका साम्राज्य जहाँ-जहाँ है, वह नीचे दिया जाता है—

२,६३३ (१६४७)। (३) न्यूफाउण्डलैंड और लैब्रेडर—क्षेत्रफल—४२,७३४ वर्गमील और जन-संख्या—३,२१,१७१ (१६४७); राजधानी—सेंट जोन्स। (४) ब्रिटिश हाण्डुरास—कैरिबियन समुद्र का उपनिवेश, क्षेत्रफल—८,८६७ वर्गमील और जन-संख्या—६१,४०३ (१६४७), राजधानी—बेलिजा।

पश्चिमी द्वीपपुंज (वेस्ट इंडीज) —एण्टिगुआ, बरबाडो, डोमिनिका, ग्रेनाडा, जमैका, मौण्टसरेट, सेण्टक्रिस्टोफर, नेविस और एंग्विला, सेण्ट लूसिया, सेण्टविन्सेण्ट तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो। सन् १६५६ ई० में इन सबका एक संघ-राज्य कायम किया गया। मई, १६५७ ई० में इसका प्रथम गवर्नर-जेनरल—लॉर्ड रेल्स।

(१) बहमा द्वीप-समूह—क्षेत्रफल—४,४०४ वर्गमील और जन-संख्या ६६,६६१; निवासी—८५ प्रतिशत अश्वेताग। (२) बरबाडो द्वीपपुंज—क्षेत्रफल—१६६ वर्गमील और जन-संख्या—१,६६,०१२। (३) जमैका—क्षेत्रफल—४,४०४ वर्गमील और जन-संख्या—१२,३७,०६३, जिसमें श्वेताग १४,७०३, अश्वेताग २,१६,२५०; राजधानी—किंग्स्टन। (४) लीवार्ड द्वीपपुंज—क्षेत्रफल—४२३ वर्गमील और जन-संख्या—१,०८,७४७ (१६४६)। (५) ट्रिनिडाड—क्षेत्रफल—१,८६४ वर्गमील और जन-संख्या—५,५७,६७० (१६४६)। (६) विण्डवार्ड द्वीपपुंज—इसके अन्तर्गत ग्रेनाडा, सेण्ट-विन्सेंट, ग्रेनाडाइन्स, सेण्ट लूसिया और डोमिनिकन द्वीप हैं। सबका शासन एक गवर्नर के अधीन है।

प्रशान्त द्वीपपुंज—(१) फीजी—लगभग ३२२ द्वीपों का समूह; क्षेत्रफल ७,०८३ वर्गमील; जन-संख्या—२,६६,२७४ (१६४७), जिसमें ४,५६४ यूरोपीय, १,१८,०८३ मूल निवासी और १,२०,४१४ भारतीय, राजधानी—सुवा, शासन के लिए गवर्नर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव कौंसिल। लेजिस्लेटिव कौंसिल में ५ भारतीय सदस्य।

अन्य छोटे-छोटे द्वीप-समूह—गिलबर्ट और ऐलिस द्वीप-पुंज—उपनिवेश, सोलोमन द्वीपपुंज—रक्षित राज्य, न्यू हेब्रिड्स, कोण्डोमीनियन, टोंगो द्वीपपुंज, पिटकैर्न द्वीप, स्टारबक द्वीप, माल्डन द्वीप, कैरोलिन और वोस्टॉ-द्वीपपुंज आदि, आदि।

(१) पश्चिम समोआ—क्षेत्रफल—७०० वर्गमील और जन-संख्या—७१,६०५ (१६४७), संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में; (२) नैरो द्वीप—क्षेत्रफल—५,२६३ वर्गमील और जन-संख्या—३,१६० (१६४८), संयुक्त राष्ट्रसघ के ट्रस्टीशिप में; (३) ब्रिटिश उत्तरी वोर्नियो—क्षेत्रफल—२६,३८२ वर्गमील और जन-संख्या—२,७०,२३३ (१६३१); निवासी—मुख्यत मुसलमान और आदिवासी। (४) वरनिये—क्षेत्रफल—२,२२६ वर्गमील और जन-संख्या—४०,६७० (१६४७)। (५) सैरेवक—क्षेत्रफल—४७,००० वर्गमील और जन-संख्या—५,४६,३८१ (१६४७); राजधानी—कुचिंग। (६) हॉगकॉग—३२ वर्गमील, दूसरे द्वीपों को मिलाकर क्षेत्रफल ३६१ वर्गमील; कुल जन-संख्या—१७,५०,००० (१६४८), शासन-कार्य के लिए गवर्नर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव कौंसिल; साम्यवादी चीन-सरकार के बाद यहाँ जहाजी बेड़ा और टैंक का प्रबन्ध।

भूमध्यसागर में—(१) जिब्राल्टर—स्पेन के दक्षिण-पश्चिम भूमध्यसागर और अतलान्तिक सागर के मिलन-स्थान पर; १६१३ ई० से ब्रिटेन के अधिकार में। (२) माल्टा—सिसली से दक्षिण; क्षेत्रफल—१२२ वर्गमील और जन-संख्या ३ लाख से अधिक।

यहां पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहां का मंत्रिमंडल साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति चांसलर (प्रधानमंत्री) का चुनाव करता है।

पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक)—क्षेत्रफल—४१,६४५ वर्गमील, **जन-संख्या**—१,७८,३२,२०० (१९५७ ई०): **राजधानी**—बर्लिन; **भाषा**—जर्मन; **धर्म**—ईसाई: **सिक्का**—ड्यूश मार्क: **राष्ट्रपति**—विल्हेम पीक (१९५७ से): **प्रधानमंत्री**—ऑटो ग्रेटेवोल।

यहां का शासन सोवियत रूस के ढंग का है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव पार्लमेण्ट के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में होता है।

ट्रिस्टे

फरवरी, १९४७ ई० में यह एक स्वतन्त्र नगर बनाया गया था। सन १९५३ ई० मे इसको लेकर इटली और युगोस्लाविया में तनातनी हो गई, किन्तु राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् ने १९५४ ई० में इसे इटली के साथ सम्बद्ध कर अपनी ही देख-रेख में रखा।

डेनमार्क

स्थिति—यूरोप महादेश में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से घिरा; **क्षेत्रफल**—१६,५७६ वर्गमील, **जन-संख्या**—४५,००,००० (१९५७), **राजधानी**—कोपेनहेगेन; **भाषा**—डेनिश; **धर्म**—इभान जेलिकल लुथेरन: **सिक्का**—क्रोन: **शासक**—नवम फ्रेडरिक (१९४७ से), **प्रधानमंत्री**—एच्० सी० हैनसेन; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र. **मुख्य नगर**—आरहुस, ओडेन्स, आलबोर्ग, एस्बजर्ग, रैंडर्स, होरसेन्स।

यह यूरोप का प्राचीनतम राजतंत्रात्मक देश है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इसी का एक अंग है। यहां के मुख्य निर्यात की वस्तुएँ मक्खन, मांस, फार्म की तैयार की हुई वस्तुएँ आदि हैं। यहां की पार्लमेण्ट मे १७९ सदस्य हैं। यहां राजा ही मंत्रिमंडल का सभापति होता है। वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है। यहां सन् १९१५ ई० मे ही महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये है। प्रति व्यक्ति के हिसाब मे यहा का विदेशी व्यापार संसार मे सबसे बड़ा है।

नारवे

स्थिति—यूरोप के उत्तर-पश्चिम; **क्षेत्रफल**—१,२५,०६४ वर्गमील; **जन-संख्या**—३५,००,००० (१९५७); **राजधानी**—ओसलो; **भाषा**—लैंडसमाल, **धर्म**—इभान जेलिकल लुथेरन; **सिक्का**—क्रोन; **राजा**—पंचम ओलाव (१९५७ से). **प्रधानमंत्री**—इनर गेरहार्डसन (१९५५ से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र, **मुख्य बन्दरगाह**—बरगेन, स्टैवेंजर, ट्रोंडिम, नारविक।

नारवे के बिल्कुल उत्तरी भाग नार्थकेप के क्षेत्र में अर्द्धरात्रि में भी सूर्य का दृश्य दिखाई पड़ता है। मई के मध्य से जुलाई के अंत तक यहाँ सूर्यास्त नहीं होता। लगभग १८ नवम्बर से २३ जनवरी तक सूर्य क्षितिज पर ही रहता है। जाड़े के दिनों में यहाँ उत्तर की ओर विविध रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है, जिसे 'अरोड़ा बोरियलिस' या 'मेरु-प्रभा' कहते हैं। इसकी लम्बाई १,१०० मील और चौड़ाई ४ मील से २७० मील तक है। यह मुख्यत नाविकों का देश है। यहाँ की ७२ प्रतिशत भूमि अनुर्वर है। सदियों तक स्वतन्त्र रहता हुआ यह १३८१ से १८१४ ई० तक डेनमार्क के साथ मिला रहा। सन् १८१४ ई० के संविधानानुसार यहाँ संवैधानिक

४. **पुर्तगीज पश्चिमी अफ्रिका (अंगोला)**—यह अफ्रिका के पश्चिम में स्थित है और १५७५ ई० से ही पुर्तगाल के कब्जे में है। इसका क्षेत्रफल—४,८१,३५१ वर्गमील और जन-संख्या—४३,५४,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी लुएण्डा है।

५. **पुर्तगीज पूर्वी अफ्रिका (मोजाम्बिक)**—यह उत्तर में केप-डेलगाडो से लेकर दक्षिण में दक्षिण अफ्रिका-संघ तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल—२,९७,७३१ वर्गमील और जन-संख्या—६१,७०,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी लोरेन्को मारक्विस है।

६. **पुर्तगीज भारत**—यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें गोआ, दामन और द्यू द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल —१,५३७ वर्गमील और जन-संख्या—६,४७,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी पंजिम है। यहां की जनता पुर्तगाल के शासन से मुक्त होने के लिए सतत प्रयत्नशील है। यहां के आन्दोलनकारियों के प्रति की गई बर्बरता के विरोध में भारत-सरकार ने पुर्तगाल के साथ अपना सब सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया है।

७. **मकाओ**—चीन की कैंटन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल—६ वर्गमील है।

८. **पुर्तगीज टिमोर**—यह मलाया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल—७,३३० वर्गमील तथा जन-संख्या ४,८४,००० (१९५७) है।

पोलैंड

स्थिति—मध्य यूरोप; **क्षेत्रफल**—१,२०,३५५ वर्गमील; **जन-सख्या**—२,८५, ३५,००० (१९५७); **राजधानी**—वारसा; **भाषा**—पोलिश और जर्मन, **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**-ज्लोटी; **राज्य-सभा का अध्यक्ष**—एलेक्जेण्डर जावाडस्की, **मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष**—जोसेफ काइरान कीविज (१९५४ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र, **मुख्य नगर**—लॉज, लुब्लिन, क्रेकॉ, डॉजिंग, पोजनान।

यहा के मूल-निवासियों में स्लावोनिक जाति के लोग हैं। देश की ४५ प्रतिशत भूमि खेती के काम में लाई जाती है। यहा पर प्राकृतिक साधन अधिक हैं। पोलैंड का इतिहास ९वीं सदी के बाद आरम्भ होता है। १४वीं से १७वी सदी तक यह शक्तिशाली राष्ट्र रहा। उसके बाद यह विभाजित होकर प्रसा, रूस और अस्ट्रिया का अंग बन गया। प्रथम महासमर के बाद यह १९१८ ई० में स्वतन्त्र हुआ ही था कि सन् १९३९ ई० मे हिटलर ने इसपर पुन अधिकार जमा लिया और यह फिर जर्मनी और रूस मे विभक्त हो गया। सन् १९४१ ई० मे जर्मनी ने इसपर पूरा कब्जा कर लिया। अन्त में १९४५ ई० मे रूस ने इसे स्वतन्त्र किया। तब से रूस के प्रभाव में यहाँ साम्यवादी सरकार कायम है।

फिनलैण्ड

स्थिति—यूरोप महादेश का उत्तर-पश्चिमी भाग; **क्षेत्रफल**—१,३०,१६५ वर्गमील; **जन-सख्या**—४३,३३,००० (१९५७), **राजधानी**—हेलसिन्की; **भाषा**—फीनिश, स्वेडिश, **धर्म**--इभान जेलिकल लुदेरन; **सिक्का**—मार्का; **राष्ट्रपति**—डॉ० यूरहो केकोनन (१९५६ से), **प्रधान मंत्री**—प्रो० वी० जे० सुकुसेलैनन, **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र; **मुख्य नगर**—टुर्कू, टेम्पेरे, पोरी वासा, ओडलू, लहटी।

प्रेसिडियम के अध्यक्ष—दिमित्रार गानेव; मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष—अन्तोन युगोव (१९५६ ई० से). शासन-स्वरूप—गणतंत्र. मुख्य नगर—प्लॉवदिव, वार्ना, रूसे, बर्गास, दिमित्रोवो, प्लेविन।

यहाँ स्लाव जाति के लोगों की प्रधानता है। इन्होंने सातवीं सदी में इस देश को बसाया। दसवीं सदी में ये लोग ईसाई बने। सन् १३९६ ई० में तुर्कों ने बलगारिया को जीत लिया। सन् १९०८ ई० में यह जार फर्डिनेण्ड के शासन में स्वतंत्र हुआ। प्रथम और द्वितीय महासमर में यह जर्मनी के साथ था। सन् १९४७ ई० में यहाँ का संविधान सोवियत-संघ के आदर्श पर बनाया गया। यहाँ का शासन फादरलैण्ड फ्रंट नामक पार्टी चलाती है। सन् १९४९ ई० में सोवियत-संघ से इसकी आर्थिक संधि (समझौता) हुई, जिसके अनुसार देशोन्नति के लिए सोवियत-संघ की ओर से इसे सहायता मिलने लगा। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यही १५ सदस्यों की प्रेसिडियम का चुनाव करता है। प्रेसिडेण्ट राज्य-शासन का प्रधान रहता है। वास्तव में शासन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल चलाता है।

बेलजियम

स्थिति—उत्तर-पश्चिम यूरोप; क्षेत्रफल—११,७७९ वर्गमील; जन-संख्या—८९,८९,००० (१९५७). राजधानी—ब्रुसेल्स; भाषा—फ्रेंच और फ्लेमिश. धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बेलजियन फ्रैंक. राजा—बोदुआँ प्रथम, प्रधानमंत्री—एम० गास्टन इस्केन्स. शासन-स्वरूप—संवैधानिक वंश-परम्परागत राजतंत्र. मुख्य नगर—एण्टवर्प, घेण्ट, लीज, मैचेलोन, ड्यूर्न, ओस्टेण्ड, ब्रूगे।

ईसवी सन् से ५० वर्ष पूर्व रोमन विजेता जूलियस सीजर ने इस पर विजय प्राप्त की थी। १४वीं से १८वीं सदी तक यह क्रमशः फ्रांस, स्पेन और आस्ट्रिया के शासन में रहा। तत्पश्चात् यह पुनः फ्रांस और नेदरलैण्ड के अधीन हुआ। सन् १८३० ई० में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। प्रथम और द्वितीय महासमर के समय इसके अधिकांश भाग पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया था।

यह यूरोप का एक बहुत घना आबाद देश है, जिसमें एक वर्गमील के अन्दर औसतन ७१७८ व्यक्ति रहते हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। सन् १९५२ ई० से यह यूरोपीय सुरक्षा-समुदाय में सम्मिलित है।

मोनाको

स्थिति—यूरोप में फ्रांस के दक्षिण; क्षेत्रफल—आधा वर्गमील; जन-संख्या—२०,४२२ (१९५६); राजधानी—मॉण्टे-कार्लो. धर्म—ईसाई; राजा—रैनियर तृतीय (१९४९ से), सिक्का—फ्रांसीसी फ्रैंक; राजमंत्री—हेनरी सोउम; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतन्त्र।

सन् ९६८ ई० से यह स्वतंत्र रहा। सन १७९३ ई० में यह फ्रांस में मिला लिया गया। सन् १८१५ से १८६१ ई० तक यह सारडिनिया का रक्षित राज्य रहा। १८६१ ई० में यह फ्रांसीसियों के संरक्षकत्व में आया। किन्तु यह निरन्तर एक स्वतन्त्र देश माना जाता रहा है। यहाँ बहुत-से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं।

शासन के दो सदन हुए। सन् १९५२ ई० के बाद से यहाँ सोवियत संघ के प्रभाव में गणतंत्रात्मक शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ की ग्रैंड नेशनल एसेम्बली प्रेसिडियम तथा मंत्रिपरिषद् का निर्माण करती है।

लक्जेम्बर्ग

स्थिति—यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से घिरा; क्षेत्रफल—९९९ वर्गमील; जन-संख्या—३,१५,००० (१९५७), राजधानी—लक्जेम्बर्ग; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—फ्रैंक; प्रधान शासक—ग्रांड डचेस कार्लोट (१९१९ से), प्रधानमंत्री—पीरफीडेन (१९५८ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतन्त्र। मुख्य नगर—एश्अलजेट, डिफरडेञ्ज, डुडेलेञ्ज, पेटेञ्ज।

यह केवल ५५ मील लम्बा और ३४ मील चौड़ा भू-खण्ड है। यह सन् १८१५ ई० से १८६७ ई० तक जर्मन कन्फेडरेशन का एक अंग था। दोनों महायुद्धों में जर्मनी द्वारा कुचल दिये जाने के पश्चात् इसने सन् १९४८ ई० में अपनी निःशस्त्रीय तटस्थता रद्द की। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

लिचटेन्सटिन

स्थिति—यूरोप में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रिया के बीच; क्षेत्रफल—६२ वर्ग-मील; जन-संख्या—१५,०५१ (१९५७), राजधानी—वैडुज; भाषा—जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—स्विस फ्रैंक; राजा—फ्रांसिस जोसेफ द्वितीय; सरकार का प्रधान—अलेक्जेण्डर फ्रिक; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

यह छोटा-सा भू-भाग है। यह सन् १८६६ ई० तक जर्मन कन्फेडरेशन (संप्रधान) का सदस्य था, पर वास्तव में १९१८ ई० तक आस्ट्रिया के अधीन रहा। उसी साल यह स्वतंत्र घोषित किया गया। सन् १९२० ई० की संधि के अनुसार स्विट्जरलैंड इसके परराष्ट्र एवं डाक और तार-सम्बन्धी कार्यों का संचालन करता है। सिक्का भी यहाँ स्विट्जरलैंड का ही चलता है। यहाँ कोई सेना नहीं है, केवल ५० पुलिस हैं।

वैटिकन सिटी

स्थिति—इटली की राजधानी रोम के उत्तर-पश्चिम भाग में वैटिकन पहाड़ी पर; क्षेत्रफल—१०८ एकड़; जन-संख्या—१,००० (१९५७); राजधानी—वैटिकन सिटी; भाषा—रोमन; धर्म—ईसाई, प्रधान—पोप तेईसवाँ जोन (१९५८ से); शासन-स्वरूप—एकतन्त्र।

सन् १९२९ ई० में इटली के साथ हुई संधि के अनुसार यह एक स्वतन्त्र राज्य बनाया गया। इसके अपने सिक्के, पोस्ट ऑफिस, रेडियो और रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ का शासन-प्रबन्ध एक गवर्नर के हाथ में है। पोप को परामर्श देने के लिए ७० व्यक्तियों की समिति भी है। पोप की मृत्यु होने पर यही दूसरे पोप का निर्वाचन करती है। समिति के सदस्य पोप द्वारा जीवन-भर के लिए चुने जाते हैं। अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक मामलों में यह तटस्थ रहता है।

एलेक्सेई कोसी. प्रधानमंत्री—निकिता सर्गेयेविच ख्रुश्चेव (१९५८ से), शासन-स्वरूप—सोवियत समाजवादी गणतन्त्र; मुख्य नगर—लेनिनग्राड, कीव, खारकोव, बाकू, गोर्की, ओडिसा, रोस्टोव, [illegible], [illegible], तिफ्लिस।

देश के विस्तार से यह संसार का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो पृथ्वी के स्थल-भाग का छठा अंश है। रूसी राज्य का इतिहास नवीं सदी से मिलता है। उस समय उसकी राजधानी कीव थी। १३वीं सदी में यह मंगोल लोगों के अधिकार में आया और १४८० ई० में यह उनसे स्वतन्त्र हुआ। सन् १५४७ ई० में सर्वप्रथम चतुर्थ ईवान ने अपने को रूस का ज़ार घोषित किया। महान पिटर ने अपने राज्य का विस्तार कर १७२१ ई० में रूसी साम्राज्य की स्थापना की। सन् १९०५ ई० की क्रान्ति से साम्राज्य को एक भारी धक्का पहुंचा, पर १९१७ ई० की क्रान्ति ने तो साम्राज्य का अन्त ही कर दिया। देश का नया संविधान सन् १९१८ ई० में ही बना, पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का संगठन १९२२ ई० में हो गया। सन् १९३७ ई० के प्रारम्भ में स्टालिन-संविधान प्रचलित किया गया और उसके अनुसार १२ दिसम्बर को सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ। सन् १९४४ ई० के संशोधित संविधानानुसार सम्बद्ध गणतन्त्रों को सुरक्षा और परराष्ट्र-विभाग के सम्बन्ध में भी स्वतन्त्रता दी गई।

यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स १६ राज्यों में बंटा है, जिनके नाम राजधानी-सहित इस प्रकार हैं :—१. रशियन सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक (मास्को), २. यूक्रेन (कीव), ३. ब्येलोरुस्सिया (मिन्स्क), ४. आरमेनिया (इरिवान), ५. उजबेकिस्तान (ताशकन्द), ६. कजाकिस्तान (अलमाआता), ७ जॉर्जिया (तिफ्लिस), ८. अजरबैजान (बाकू), ९. लिथुआनिया (विलनिउस), १०. मोल्डाविया (किशिनी), ११. लटविया (रीगा), १२. किर्गिज (फ्रुंजे), १३. ताजिकिस्तान (स्टैलिनाबाद), १४. तुर्कमेनिस्तान (अश्कबाद), १५. एस्टोनिया (तालिन) और १६. करेलोफिनिश।

उपर्युक्त राज्यों में प्रथम तीन संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य भी हैं। उपर्युक्त एककों को संविधान में संघ-गणराज्य कहा गया है। प्रत्येक गणराज्य का अपना-अपना संविधान है।

देश की विधायिका सत्ता सुप्रीम सोवियत के हाथ में है, जिसके दो सदन हैं। इनकी बैठकें साल में दो बार हुआ करती हैं और इनका कार्यकाल चार वर्ष के लिए होता है। मन्त्रिपरिषद् सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी रहती है। पिछला निर्वाचन मार्च, १९५८ ई० में हुआ था। पार्टी कोंगरेस के १५०० सदस्य हैं। कोंगरेस की एक सेण्ट्रल कमिटी रहती है। प्रेसिडियम कायम करने का भी इसी को अधिकार है। पार्टी की नीति प्रेसिडियम ही निर्धारित करती है। रूसी प्रभाव के अन्तर्गत यूरोप के पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, बल्गेरिया, अलबानिया आदि राष्ट्र हैं, जो पारस्परिक रक्षा और समन्वित सैनिक प्रबन्ध के लिए वारसा-पैक्ट के सदस्य हैं। इन सबको तथा पूर्वी जर्मनी, साम्यवादी चीन, मंगोलियन रिपब्लिक, उत्तरी कोरिया और वीतनाम-राष्ट्रों को मिलाकर बने हुए गुट को लोग रूसी गुट कहते हैं। इधर कुछ दिनों से सोवियत रूस और चीन में भी सैद्धान्तिक मतभेद आ गया है। इसके विरुद्ध संसार का दूसरा बड़ा गुट एंग्लो-अमेरिका के प्रभाव में रहनेवाले राष्ट्रों का है।

यूरोप का पूर्वार्द्ध तथा एशिया का तृतीयांश सोवियत-संघ के राज्य-क्षेत्र में सम्मिलित है। वर्तमान सोवियत संविधान अपने समस्त नागरिकों के लिए धार्मिक उपासना तथा धर्म के विरुद्ध प्रचार करने की स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टल संघ का प्रधान कार्यालय इसी देश में क्रमशः जेनेवा और बर्न में स्थित है। जेनेवा में अक्सर बड़े-बड़े राष्ट्रों के शान्ति-सम्मेलन हुआ करते हैं।

स्विडन

स्थिति—यूरोप की उत्तर-पश्चिम सीमा—नार्वे और फिनलैंड से घिरा; क्षेत्रफल—१,७३,३७८ वर्गमील; जन-संख्या—७३,६७,००० (१९५८); राजधानी—स्टॉकहोम भाषा—स्विश; धर्म—लूथेरन प्रोटेस्टेण्ट; सिक्का—क्रोन; राजा—गुस्टाफ षष्ठ एडोल्फ प्रधानमन्त्री—टागे फ्रीट्जॉफ एरलान्डर; शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र, मुख्य नगर—गोटेबोर्ग, माल्मो, नॉरकोपिंग, हलसिंगबोर्ग।

स्विडन तीन प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है—उत्तरी भाग, मध्यभाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अधिकतर जंगलों से भरा है, मध्यभाग में बहुत-सी झीलें एवं खनिज-क्षेत्र हैं। दक्षिण का समुद्र-तट उपजाऊ भूमि है। सारे देश का करीब ५५ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा है। इस देश के उद्योग-धन्धों के मुख्य प्राकृतिक साधन जंगल, लोहा आदि खनिज पदार्थ तथा जल-शक्ति हैं। राष्ट्रीय उत्पादन का पंचमांश विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है। यहाँ के ६० प्रतिशत कारोबार सहकारी हैं। पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। पिछले तीन निर्वाचनों में यहाँ सोशल डेमोक्रेट्स का बहुमत रहा है।

हंगरी

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—३५,९०२ वर्गमील; जन-संख्या—९८,१२,००० (१९५७); राजधानी—बुडापेस्ट; भाषा—हंगरियन; धर्म—रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, प्रोटेस्टेण्ट; सिक्का— फोरिण्ट; गणतंत्र की अध्यक्षीय परिषद् का प्रधान—इस्तवान डोबी (१९५२ से), मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—फ्रैंक म्युनिच (१९५८ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (सोवियत ढंग का); मुख्य नगर—मिस्कोल्क, डेब्रिसीन, पेक्स, तवसेजेड।

यहाँ के प्राचीन मूल निवासियों में प्रधानतः स्लाव और जर्मेनिक जातियाँ थीं, जिनको बाद में पूरब से आनेवाली हूण और मग्यार जातियों ने कुचल डाला। सन् १५२६ ई० में तुर्कों ने इस देश पर आक्रमण किया। मग्यार जाति यहाँ की जन-संख्या का ९५ प्रतिशत है। १८५४ ई० में मग्यार देश की राजभाषा भी रही। द्वितीय विश्वयुद्ध में यह जर्मनी के साथ था। सन् १९४६ ई० में यहाँ गणतन्त्र की घोषणा की गई।

यह कृषि-प्रधान देश है। बॉक्साइट के उत्पादन में यह संसार में अग्रगण्य है। अगस्त, १९४९ ई० से यहाँ सोवियत ढंग का संविधान स्वीकार किया गया है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। इस देश पर सोवियत रूस का गहरा प्रभाव है, जिससे छुटकारा पाने के लिए १९५६ ई० में व्यापक विद्रोह हुआ। इमरेनागी ने १ नवम्बर को एक सम्मिलित दल की सरकार कायम की, किन्तु रूस ने तुरत चढाई कर सैनिकों की देख-रेख में ४ नवम्बर को पीजेन्ट पार्टी के नेता जनोस कादर के नेतृत्व में नई सरकार कायम कर दी। जनवरी, १९५८ ई० में कादर ने त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद नेशनल एसेम्बली ने फ्रैंक म्युनिच को प्रधानमंत्री बनाया।

अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टल संघ का प्रधान कार्यालय इसी देश में क्रमशः जेनेवा और बर्न में स्थित है। जेनेवा में अक्सर बड़े-बड़े राष्ट्रों के शान्ति-सम्मेलन हुआ करते हैं।

स्विडन

स्थिति—यूरोप की उत्तर-पश्चिम सीमा—नार्वे और फिनलैंड से घिरा; क्षेत्रफल—१,७३,३७८ वर्गमील; जन-संख्या—७३,६७,००० (१९५८); राजधानी—स्टॉकहोम; भाषा—स्विस; धर्म—लुथेरन प्रोटेस्टेण्ट; सिक्का—क्रोन, राजा—गुस्टाफ षष्ठ एडोल्फ, प्रधानमन्त्री—टागे फ्रीडिऑफ एरलान्डर; शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र; मुख्य नगर—गोटेबोर्ग, माल्मो, नॉरकोपिंग, हेलसिंगबोर्ग।

स्विडन तीन प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है—उत्तरी भाग, मध्यभाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अधिकतर जंगलों से भरा है, मध्यभाग में बहुत-सी झीलें एवं खनिज-क्षेत्र हैं। दक्षिण का समुद्रतट उपजाऊ भूमि है। सारे देश का करीब ५५ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा है। इस देश के उद्योग-धन्धों के मुख्य प्राकृतिक साधन जंगल, लोहा आदि खनिज पदार्थ तथा जल-शक्ति हैं। राष्ट्रीय उत्पादन का पंचमांश विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है। यहां के ६० प्रतिशत कारोबार गैरसरकारी हैं। पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। पिछले तीन निर्वाचनों में यहाँ सोशल डेमोक्रेट्स का बहुमत रहा है।

हंगरी

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—३५,६०२ वर्गमील; जन-संख्या—९८,१२,००० (१९५७); राजधानी—बुडापेस्ट; भाषा—हंगेरियन; धर्म—रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, प्रोटेस्टेण्ट; सिक्का—फोरिण्ट; गणतंत्र की अध्यक्षीय परिषद् का प्रधान—इस्त्वान डोबी (१९५२ से), मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—फ्रैंक म्युनिच (१९५८ से), शासन-स्वरूप—गणतंत्र (सोवियत ढंग का); मुख्य नगर—मिस्कोल्क, डेब्रिसीन, पेक्स, तवसेजेड।

यहां के प्राचीन मूल निवासियों में प्रधानतः स्लाव और जर्मनिक जातियाँ थीं, जिनको बाद में पूरब से आनेवाली हूण और मग्यार जातियों ने कुचल डाला। सन् १५२६ ई० में तुर्कों ने इस देश पर आक्रमण किया। मग्यार जाति यहां की जन-संख्या का ९५ प्रतिशत है। १८५४ ई० में मग्यार देश की राजभाषा भी रही। द्वितीय विश्वयुद्ध में यह जर्मनी के साथ था। सन् १९४६ ई० में यहां गणतन्त्र की घोषणा की गई।

यह कृषि-प्रधान देश है। बॉक्साइट के उत्पादन में यह संसार में अग्रगण्य है। अगस्त, १९४९ ई० से यहाँ सोवियत ढंग का संविधान स्वीकार किया गया है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। इस देश पर सोवियत रूस का गहरा प्रभाव है, जिससे छुटकारा पाने के लिए १९५६ ई० में व्यापक विद्रोह हुआ। इमरेनागी ने १ नवम्बर को एक सम्मिलित दल की सरकार कायम की, किन्तु रूस ने तुरत चढाई कर सैनिकों की देख-रेख में ४ नवम्बर को पीजेन्ट पार्टी के नेता जनोस कादर के नेतृत्व में नई सरकार कायम कर दी। जनवरी, १९५८ ई० में कादर ने त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद नेशनल एसेम्बली ने फ्रैंक म्युनिच को प्रधानमंत्री बनाया।

अफ्रिका महादेश

स्पेन
इफ्नी (स्पे०)
स्पेनिश सहारा
मोरोक्को
अलजीरिया (फ्रांस)
ट्युनिशिया
लिबिया
अपर वोल्टा गणतन्त्र
मॉरिटेनिया
सेनेगल
गैम्बिया (ब्रि०)
माली
नाइजर
चाड
सूडान
संयुक्त अरब गणतन्त्र (मिस्र)
सीरिया
इरिट्रिया
फ्रेंच सोमालीलैंड
इथोपिया
गीनी
पुर्तगीज गीनी
सियरालियोन
लाइबेरिया
आइवोरी कोस्ट
घाना
टोगो
दहोमी
नाइजीरिया
मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र
कैमेरून
गैबोन
ब्रिटिश कैमेरून्स
रियो मुनि (स्पेन)
कांगो गणतंत्र (ब्राजाविल)
कांगो गणतंत्र (लियोपोल्डविल)
युगाण्डा (ब्रि०)
सोमालिया
केनिया (ब्रि०)
रुआण्डा उरुण्डी (बेल०)
न्यासालैंड (ब्रि०)
टैंगानिका (ब्रि०)
अंगोला (पुर्त०)
उ० रोडेशिया
द० रोडेशिया
मालागासी गणतंत्र
दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका
मोजाम्बिक (पुर्त०)
बेचुआना लैंड
दक्षिण अफ्रिका संघ
स्वाजीलैंड (ब्रि०)
बासुटो लैंड (ब्रि०)
परतन्त्र ६,००,००,०००
स्वतन्त्र १७,६०,००,०००
जनसंख्या २४,००,००,०००
स्वतन्त्र
परतन्त्र

अफ्रिका

एशिया के बाद दूसरा बड़ा महादेश अफ्रिका ही है। इसका क्षेत्रफल १,१५,२६,४८० वर्गमील और समुद्री किनारा १६,००० मील है। विषुवत्-रेखा इस महादेश को लगभग दो बराबर भागों में बाँटती है। इसका उत्तरी भाग ३७° उ० अक्षांश तक और दक्षिणी भाग ३५° द० अक्षांश तक फैला हुआ है। पश्चिम में यह २०° पश्चिम देशान्तर और पूर्व में ५०° पूर्व देशान्तर तक विस्तृत है। उत्तरी गोलार्द्ध में इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण क्षेत्रफल के विचार से इसका दो तिहाई भाग उत्तरी गोलार्द्ध में और एक तिहाई भाग दक्षिणी गोलार्द्ध में है। सारा अफ्रिका एक बड़ी अधित्यका-सा है। उत्तर की ओर सहारा नामक एक बड़ी मरुभूमि है। इसके उत्तर में काकेशियन और दक्षिण में मूल-निवासियों के अन्तर्गत निग्रो जाति के लोग रहते हैं। इस महादेश में मिस्र अपनी पुरानी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। १९वीं शताब्दी में क्रम-क्रम से इंगलैंड, फ्रांस, इटली, बेलजियम, पुर्त्तगाल और स्पेन के लोगों ने आकर इस महादेश की एक-एक इंच भूमि को अपने अधिकार में कर लिया। किंतु, द्वितीय महासमर के बाद स्वतंत्रता की जो लहर एशिया से प्रारम्भ हुई, वह अफ्रिका में भी पहुँची। सन् १९५५ ई० के पूर्व मिस्र, इथोपिया, लीबिया और लाइबेरिया—केवल ये चार देश ही स्वतंत्र थे। पर अब ट्युनिशिया, मोरोक्को, सूडान, टोगो, अपर वोल्टा, आइवोरी कोस्ट, कांगो, कैमेरून, गीनी, गैबन, घाना, चाड, दक्षिण अफ्रिका-संघ, दहोमी, नाइजर, नाइजीरिया, मडागास्कर, मध्य अफ्रिकी गणतंत्र, माली, सेनेगल आदि राष्ट्र यूरोपवासियों के पंजे से अपने को मुक्त कर चुके हैं। इन राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है। मौरिटेनिया, गैम्बिया, केनिया, युगाण्डा, सियरालियोन तथा अन्य चार देश भी स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर हैं।

इस महादेश की जन-संख्या २२ करोड़ है, जिसमें करीब ५० लाख यूरोप की गोरी जातियाँ और ६ लाख भारतीय और पाकिस्तानी हैं।

अपर वोल्टा

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका—घाना और सूडान (फ्रेंच) के बीच; क्षेत्रफल—२,७४,१२२ वर्ग कीलोमीटर, जन-संख्या—३२,२६,००० (१९५७); राजधानी—वागाडोगो, सिक्का—फ्रैंक; शासन-स्वरूप—फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता के साथ गणतंत्र।

सन १९१९ ई० में अपर सेनेगल और नाइजर से कुछ भू-भाग काटकर अपर वोल्टा का निर्माण किया गया, किंतु १९३२ ई० में यह भू-भाग पुनः आइवोरी कोस्ट, सूडान और नाइजर के बीच बँट गया। ४ सितम्बर, १९४७ को इस राज्य का पुनर्निर्माण किया गया। यहाँ की कुल जन-संख्या में ३,७०० यूरोपीय एवं अन्य मिश्रित जातियों के लोग हैं। अगस्त, सन् १९६० में यह देश स्वतंत्र घोषित किया गया।

अल्जीरिया

स्थिति—उत्तरी अफ्रिका—भूमध्यसागर के किनारे; क्षेत्रफल—२३,८१,७४० वर्ग कीलो-मीटर; जन-संख्या—९५,२९,६२६ (१९५४); धर्म—इस्लाम, राजधानी—अल्जियर्स; सिक्का—फ्रैंक, डिलेग जेनरल—पॉल डिलॉव; जेनरल सेक्रेटरी—हेनरी टनग्रीराड; शासन-स्वरूप—फ्रांसीसी उपनिवेश, मुख्य नगर—ओरान, कौर्टेनटाइन, बोन, सीटी-बेल-अब्बास।

यह देश दो प्राकृतिक भागों में बँटा है—उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसके दक्षिणी भाग में सहारा मरुभूमि है।

प्राचीन काल में इसे नोमीडिया कहा जाता था। यह ईसवी सन से १४७ वर्ष पूर्व रोमन उपनिवेश बना। सन ४४० ई० के लगभग यह वान्डाल नामक गंवार जाति द्वारा विजित हुआ, जो उत्तर-पूर्वी जर्मनी से चलकर गॉल और स्पेन को रौंदती हुई यहां पहुंची थी। इस समय यह देश समृद्धि और सभ्यता की ऊंची चोटी से नीचे उतरकर बर्बरता की स्थिति को प्राप्त हुआ। सन ६५० ई० में मुस्लिम आक्रमण के बाद इसकी स्थिति में अधिक सुधार आया। सन १४६२ ई० में स्पेन से निष्कासित मूर और यहूदी अल्जीरिया चले आ बसे। सन १५१८ ई० में यह तुर्कों के अधिकार में आया। लगभग तीन शताब्दियों तक यह बारबरी जाति के समुद्री लुटेरों का अड्डा बना रहा, जो भूमध्यसागर होकर जहाज से जानेवाले यूरोपियनों और अमेरिकनों से चुंगी लिया करते थे। सन १८३० ई० में यह फ्रांसीसियों के शासन के अन्तर्गत आया।

यहां बहुत पहले से ही मूल-निवासियों द्वारा स्वातन्त्र्य-आन्दोलन चल रहा था। यहां के निवासियों में ८० प्रतिशत अरब हैं। अतः उन्हें खुश करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस की नेशनल एसेम्बली में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया। साथ ही, यहां के मुसलमानों को फ्रांस की नागरिकता प्रदान की गई। फिर भी आन्दोलन शान्त नहीं हुआ और सन १९५४ ई० से गुरिल्ला युद्ध (छापामार युद्ध) आरम्भ हो गया। उस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों आदमी मारे जा चुके हैं। सन १९५८ ई० में फरहात अब्बास के नेतृत्व में आन्दोलनकारियों ने काहिरा में एक समानान्तर सरकार कायम की है। इस स्थिति का सामना करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति जेनरल दगाल ने आत्म-निर्णय एवं जनमत के आधार पर अल्जीरिया को स्वतन्त्रता देने का आश्वासन दिया है। विद्रोहियों की ओर से यह मांग की गई है कि जनमत-ग्रहण करने के पूर्व फ्रांसीसी सेना अल्जीरिया से हटा ली जाय, किन्तु दगाल इसे मानने के लिए तैयार नहीं। अल्जीरिया के साम्राज्यवाद-विरोधी युद्ध का यह सातवां वर्ष है। अबतक यह युद्ध शान्त नहीं हुआ है।

आइवोरी कोस्ट

स्थिति—अफ्रिका महादेश के पश्चिमी भाग में लाइबेरिया और घाना के बीच, **क्षेत्रफल**—३,२२,४६३ वर्ग कीलोमीटर; **जन-संख्या**—३२,१४,१०० (१९५८); **राजधानी**—आबिदजान; **सिक्का**—फ्रैंक; **प्रधानमंत्री**—ऑगस्ट डेनिस; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र। **मुख्य नगर**—विनजेरविल और वोआके।

सर्वप्रथम सन् १८४२ ई० में इसपर फ्रांसीसियों ने अधिकार जमाया, लेकिन १८८२ ई० तक उनका लगातार और सक्रिय अधिकार नहीं रहा। ४ दिसम्बर, १९५८ को यहां फ्रांसीसी कम्युनिटी के अन्तर्गत गणतंत्र की स्थापना हुई। किन्तु, अगस्त १९६० से यह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया।

इथोपिया (अबिसीनिया)

स्थिति—अफ्रिका का उत्तर-पूर्वी भाग, **क्षेत्रफल**—३,५०,००० वर्गमील, **जन-संख्या**—१,६५,००,००० (१९५६); **राजधानी**—अदीसअबाबा, **भाषा**—अम्हारिक, अँगरेजी, **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—इथोपियन डालर; **राजा**—हेल सिलासी (१९५५ से), **प्रधानमंत्री**—बिटवोडेड मैकोनेन इण्डाकचन, **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र। **मुख्य नगर**—जिम्मा, डिस्सी, असमारा, गोण्डर।

यहाँ के प्राचीन मूल-निवासियों में हेमाइट और सेमाइन्ट जाति के लोग हैं। यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा कृषि और पशु-पालन है। आधुनिक औद्योगिक कार्य अमेरिकी आदि विदेशी फर्मों द्वारा होता है। सन् १९३५ ई० में यह इटली के अधिकार में आया और सन् १९४१ ई० में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मुक्त किया गया। यहाँ पार्लमेण्ट के दो सदन और एक मंत्रिमंडल हैं। सबके सदस्य सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं।

इथोपिया के उत्तर में स्थित इरीट्रिया पहले इटली का उपनिवेश था। सन् १९५२ ई० में उसे इथोपिया के साथ मिलाकर स्वायत्त शासन प्रदान किया गया। उसकी अपनी निर्वाचित एसेम्बली है, जो वहाँ की कार्यकारिणी परिषद् का चुनाव करती है।

सन् १९६० ई० के उत्तरार्द्ध में यहाँ के राजा हेल सिलासी के यूरोप जाने पर कुछ विद्रोहियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया। यह समाचार पाते ही हेल सिलासी तुरत स्वदेश लौट आया और अपने राजभक्त सैनिकों की सहायता से विद्रोहियों का दमन कर स्थिति सँभाल ली

कांगो (ब्राजविल)

(भूतपूर्व फ्रांसीसी कांगो)

स्थिति—मध्य अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—१,३८,००० वर्गमील; **जन-संख्या**—७,६०,००० (यूरोपीय १०,०००), **राजधानी** –ब्राजलविल, **सिक्का**—फ्रैंक; **राष्ट्रपति**—अब्बेफुलवर्ट योऊ लोऊ, **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र, **मुख्य नगर**—मकोआ, फ्रासविल, फोर्ट रूसेट, लौदिमा।

यह पहले फ्रासीसियो का उपनिवेश था। १५ अगस्त, १९६० को यह स्वतंत्र हुआ। कांगो नदी भूतपूर्व बेलजियन कांगो और फ्रेंच कांगो के बीच सीमा का काम करती है तथा दोनों कांगो की राजधानियां इसी नदी के किनारे आर-पार स्थित हैं। फ्रांस के साथ हुए करार के अनुसार इसने फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता स्वीकार की है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन चुका है। उष्णकटिबंधीय लकड़ियाँ, चीनाबादाम, ईख, पाम-कैरनेज आदि यहाँ की मुख्य उपज हैं। खनिज पदार्थों में तांबा और टिन पाये जाते हैं।

कांगो (लियोपोल्डविल)

(भूतपूर्व बेलजियन कांगो)

स्थिति—मध्य अफ्रिका, **क्षेत्रफल**—२३,४४,९३२ वर्ग कीलोमीटर, **जन-संख्या**—१,२१,७४,८८३ आदिवासी और १,१५,८०४ गोरी जातियाँ (१९५७); **राजधानी**—लियोपोल्डविल; **भाषाएं**—किस्वाहली या किंगवाना, शिलूबा या क्लिूबा, लिंगाला, किकोंगो, **राष्ट्रपति**—जोसेफ कासावुबु, **प्रधानमंत्री**—जोसेफ इलियो, **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र। **सिक्का**—कांगोली फ्रैंक; **मुख्य नगर**—एलिजाबेथविल।

उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण से सन् १९५९ ई० तक यह राज्य बेलजियम के अधिकार में था। यहां का शासन एक गवर्नर-जेनरल द्वारा होता था, जो बेलजियम के राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। जुलाई, १९६० में यह स्वतंत्र हुआ। किन्तु इसकी स्वतन्त्रता का प्रादुर्भाव भीषण रक्तपात और विद्रोह के बीच हुआ और दुर्भाग्यवश वह स्थिति अबतक जारी है। विगत ४ सितम्बर को यहां के प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने राष्ट्रपति जोसेफ कासावुबु को हटाकर प्रधानमंत्री के साथ-साथ स्वयं राष्ट्रपति होने की भी घोषणा कर दी। परिणाम-स्वरूप ६ सितम्बर को कासावुबु ने भी प्रधान-

मंत्री लुमुम्बा को हटाकर जोसेफ इलियो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस वीच यहां शान्ति-स्थापना के निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी सेना भेजी। इसी वीच लुमुम्बा लियोपोल्डविल-स्थित अपने निवास-स्थान पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, किन्तु करीव दो महीने वाद २ दिसम्बर को वह वहां से भाग निकला। लेकिन थोड़े ही दिन वाद वह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। १८ जनवरी, १९६१ ई० को वह कटंगा की एक जेल में भेज दिया गया, किन्तु वह वहां से भी भाग निकला। इसके वाद अज्ञात रूप से इसकी नृशंस हत्या कर दी गई। प्रायः समस्त संसार में लुमुम्बा की हत्या की तीव्र भर्त्सना की गई है। अवतक यहां की अशान्त एवं अराजकतापूर्ण स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया है। उधर वेल्जियम की फौज सिमट कर इसके दक्षिणी प्रान्त कटंगा में एकत्र हो गई तथा कटंगा वालों ने पृथक् एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। मार्च, १९६१ से यहां संघशासन (कनफेडरेशन) कायम किया गया है।

कैमेरून

स्थिति—अफ्रिका के मध्य भाग में नाइजीरिया और फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रिका के वीच; **चेत्रफल**—१,४३,४१५ वर्गमील; **जन-संख्या**—३१,८७,०००; **राजधानी**—याओउण्डे; **प्रधानमंत्री**—अहमदोउ आहिदजो; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

सन् १८८४ ई० में कैमेरून एक जर्मन उपनिवेश हुआ। प्रथम महासमर में जर्मनी के परास्त होने पर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) के आदेशानुसार यह भू-भाग ब्रिटेन और फ्रांस में बाँट दिया गया। उसका ⅘ भाग फ्रांस के अधीन रहा। सन् १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनाइटेड नेशन्स) के आदेश से यह फ्रांस के ट्रस्टीशिप में रखा गया। अतः यहां के शासन के लिए एक फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त हुआ। १ जनवरी, सन् १९६० को यह पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया गया। तत्पश्चात् यहाँ का अपना नया शासन-संविधान वनाया गया और नये निर्वाचन की तैयारी हुई।

गीनी

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका में दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर पुर्त्तगीज गीनी और सियरालियोन के वीच; **चेत्रफल**—२,४५,८५७ वर्ग कीलोमीटर; **जन-संख्या**—२४,९२,००० (१९५७); **राजधानी**—कोनाक्री; **सिक्का**—फ्रैंक; **भाषा**—फ्रेंच; **राष्ट्रपति**—एम० सेकोऊ तौरे, **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—कनकन, किन्दिया, लावे, सिगुइरी।

यह पहले फ्रांसीसियों के अधिकार में था, किन्तु २ अक्टूवर, १९५८ को स्वतंत्र हुआ। यह फ्रेंच कम्युनिटी में तो नहीं है, किन्तु कई राजीनामों के अनुसार इसने फ्रेंक-क्षेत्र में रहना और फ्रांसीसी भाषा को राजभाषा वनाना स्वीकार कर लिया है। यह अन्य संभाव्य साहाय्य और सहयोग के लिए फ्रांस से आशा रखता है। यहाँ की प्रमुख उपज में कहवा और केला हैं, जिनका निर्यात होता है। यहां के खनिज पदार्थों में वॉक्साइट और लोहा हैं।

गैवोन

स्थिति—गिनी की खाडी के किनारे फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रिका का दक्षिण-पश्चिमी भाग; **चेत्रफल**—२,६७,००० वर्ग कीलोमीटर (१,०३,००० वर्गमील); **जन-संख्या**—४,००,००० (जिसमें ४,५०० यूरोपीय); **राजधानी**—लिब्रेविल; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र, **प्रधानमंत्री**—एम० लियोन एम' वा; **सिक्का**—फ्रैंक, **मुख्य नगर**—पोर्ट जेंटिल, वेज, मकोकू और माइला।

यह राज्य पहले फ्रांस के अधीन था। १७ अगस्त, १९६० को यह फ्रांस की अधीनता से मुक्त हुआ। फ्रांस के साथ हुए राजीनामे के अनुसार यह फ्रांसीसी कम्युनिटी का सदस्य बना रहेगा। यहाँ की उपज में आवनूस नामक लकड़ी का विशेष महत्त्व है। पेट्रोलियम, मैंगनीज, लोहा और यूरेनियम यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ हैं।

घाना (गोल्डकोस्ट)

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका, **क्षेत्रफल**—६१,८४३ वर्गमील; **जन-संख्या**—४६,६१,००० (१९५६); **राजधानी**—अकरा; **सम्राज्ञी**—ग्रेटब्रिटेन की रानी द्वितीय एलिजाबेथ; **गवर्नर-जेनरल**—विलियम फ्रांसिस हेर (अर्ल ऑफ लिस्टोवेल); **राष्ट्रपति**—डॉ० क्वामे नक्रुमा (१ जुलाई, १९६० से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र। **मुख्य नगर**—सेकोण्डी-टाकोराडी, ओवुयासी, एवोमो।

यह देश बहुत वर्षों तक गोल्डकोस्ट के नाम से अँगरेजो के अधीन रहा। द्वितीय महासमर के बाद जर्मनी के अधीनस्थ टोगो का भाग भी इसमें मिला दिया गया। यहाँ सोना, हीरा, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं। मार्च, १९५७ मे यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यहाँ का गवर्नर-जेनरल ब्रिटिश सम्राट् द्वारा नियुक्त होता है। गवर्नर-जेनरल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल रहता है, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। जुलाई, १९६० से यह पूर्ण स्वतन्त्र गणतन्त्र राज्य घोषित किया गया था। डॉ० क्वामे नक्रुमा इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। इसके पूर्व डॉ० नक्रुमा विगत तीन वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर थे।

चाड

स्थिति—मध्य अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—१२,८३,००० वर्ग कीलोमीटर (४,९५,००० वर्ग-मील), **जन-संख्या**—२७,२८,६०० (जिसमें ७,६०० यूरोपीय जातियाँ); **राजधानी**—फोर्टलामी; **प्रधानमंत्री**—एम० फ्रैंकोइस टॉम्बल बाए, **सिक्का**—फ्रैंक; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्य नगर**—मसेन्या, मौण्डिजाफा, आर्ट, फया, ओन्नौर।

यह राज्य पहले फ्रांस के अधीन था। ११ अगस्त, १९६० को यह स्वतंत्र हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व इसने फ्रांस के साथ एक राजीनामे पर हस्ताक्षर किया, जिसमे पारस्परिक सहयोग एवं फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता बनाये रखने की शर्तें थीं। यह कांगो और मध्य अफ्रिकी गणतंत्र के साथ मध्य अफ्रिकी गणतंत्र-संघ मे सम्मिलित है तथा इसकी सुरक्षा, परराष्ट्रनीति एवं आर्थिक मामले संघ को सुपुर्द हैं।

टोगो गणतंत्र

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी भाग (घाना और नाइजीरिया के बीच), **क्षेत्रफल**—५०,००० वर्ग कीलोमीटर, **जन-संख्या**—१०,८६,८७७ अफ्रिकी और १,२७७ यूरोपीय: **राजधानी**—लोमे, **प्रधानमंत्री**—सिलवेनस ओलिम्पियो, **सिक्का**—फ्रैंक· **प्रमुख भाषाएँ**—इवे, मीना, डागोम्ब, टिम और कब्राइस; **धर्म**—पगान, **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्य नगर**—अनेको, पालिमे, बसारी।

यह अफ्रिका के स्वतन्त्र राज्यों मे सबसे छोटा है। सन १८८४ ई० से १९१४ ई० के पूर्व तक यह जर्मनी के अधिकार में रहा। १९१४ ई० में यह अँगरेजों और फ्रांसीसियों के अधिकार

में आया और १९२२ ई० में इसके दो भाग हो गये, जिनके नाम क्रमशः ब्रिटिश टोगोलैंड तथा फ्रेंच टोगोलैंड हुए। सन् १९४६ ई० के पूर्व तक राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) का आदिष्ट राज्य था, जिसका शासन फ्रान्स द्वारा होता था। १९४६ ई० में यह फ्रान्सीसी शर्तनामे के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में आ गया। सन् १९५६ ई० के [illegible]-संधि के अनुसार यहाँ ट्रस्टीशिप का अंत कर इसे फ्रान्सीसी राज्यसंघ (फ्रेंच कम्युनिटी) के अंतर्गत स्वतंत्र रखने का निर्णय किया गया। तदनुसार सुरक्षा, वैदेशिक मामले और सिक्के फ्रान्स के अधीन रखे गये। किंतु संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा के प्रस्तावानुसार २७ अप्रैल, १९६० को इसकी संरक्षता का अंत कर पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा की गई।

ट्युनिशिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा, **क्षेत्रफल**—४८,३३२ वर्गमील; **जन-संख्या**—३८,००,००० (१९५७); **राजधानी**—ट्युनिस; **भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम; **राष्ट्रपति**—हबीब बुर गुइबा (१९५७ और पुनः १९५९ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक) **मुख्य नगर**—स्फैक्स, सोउसे, बिजेर्ता, कैरोआन, गैबेस, बॉरगुइबा।

यहाँ के मूल-निवासियों में अरब और बर्बर जाति के लोग हैं। इसके उत्तरी भाग में पहाड़ और दक्षिणी भाग में मरुभूमि है। इसके पूरब के समतल भाग में खेती होती है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ फास्फेट की खानें अधिक हैं। यह पहले रोम-साम्राज्य का अंग था। सन् ६९६ ई० से १५७० ई० के पूर्व तक यह अरबों के अधिकार में रहा। फिर यह तुर्की के अधीन एक बाहरी राज्य हुआ। सन् १८८१ ई० में यह फ्रान्स के संरक्षण में चला आया। १ सितम्बर, १९५५ को इसे आन्तरिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और १९५७ ई० में उससे पूर्ण स्वतंत्र हुआ। यहाँ का राष्ट्रपति पाँच वर्षों के लिए चुना जाता है तथा एक मंत्रिमंडल की सहायता से शासन-कार्य चलाता है। यहाँ की विधायिका शक्ति ९० सदस्यों की एक राष्ट्रीय विधान-सभा में निहित है, जिसका निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर पाँच वर्षों के लिए होता है।

दक्षिण अफ्रिका-संघ

स्थिति—दक्षिण अफ्रिका, **क्षेत्रफल**—४,७२,७३३ वर्गमील (दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका छोड़कर), **जन-संख्या**—१,४१,६७,००० (१९५७); **राजधानी**—प्रीटोरिया और केपटाउन, **भाषा**—अँगरेजी और डच, **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—पौंड; **गवर्नर-जेनरल**—चार्ल्स रॉबर्ट स्वार्ट, **प्रधानमन्त्री**—डा० एच्० एफ्० वरवर्ड. **शासन-स्वरूप**—अधिराज्य (ब्रिटिश); **मुख्य नगर**—जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन, प्रीटोरिया, पोर्ट एलिजावेथ, जरमिस्टन, ब्लोइमफॉण्टेन।

सन् १९०९ ई० में ब्रिटिश अधिकृत प्रान्त ट्रान्सवाल, उत्तमाशान्तरीप (केफ ऑफ गुडहोप), औरेंज फ्री स्टेट, केप-कॉलोनी और नेटाल के मिलने से इस संघ का निर्माण हुआ। पीछे जर्मन-अधिकृत दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका भी इस संघ में मिला लिया गया। इस संघ को ब्रिटिश सरकार ने भीतरी मामलों में पूरा अधिकार दे रखा है। यहाँ की गोरी जातियों का मूल-निवासियों एवं प्रवासी भारतीयों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार रहा है। यहाँ की सरकार की रंग-भेद नीति का तीव्र विरोध किया जा रहा है। सोना, हीरा और यूरेनियम के उत्पादन के लिए संसार में इसका उच्च स्थान है। इस देश की आर्थिक आय मुख्यतः प्राकृतिक साधनों द्वारा होती है। यहाँ का

प्रमुख शासक गवर्नर-जेनरल होता है, जिसे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। ३१ मई, १९६१ से यहाँ पूर्ण गणतंत्र होने की घोषणा की गई है। रंगभेद-नीति के सम्बन्ध में अन्य सदस्य-राष्ट्रों से मतभेद होने के कारण इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने का निश्चय किया है।

दहोमी

स्थिति—पूर्व मे नाइजीरिया से लेकर पश्चिम मे टोगो तक; **क्षेत्रफल**—१,१५,७१२ वर्ग कीलोमीटर; **जन-संख्या**—१७,१३,०००, **राजधानी**—पोर्टोनोवो; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र, **प्रधानमंत्री**—हूबर्ट मागा, **मुख्य नगर**—कोटोनोऊ, ओईदह, अबोमे, पाराकोऊ।

इसका समुद्र-तट केवल ७० मील है, किन्तु उत्तर की ओर इसकी भूमि विस्तृत होती गई है। यह पहले फ्रांसीसी अधिकृत राज्य था। यहाँ सन् १८५१ ई० मे सर्वप्रथम फ्रांसीसियो का आगमन हुआ और उन्होने धीरे-धीरे १८६४ ई० तक इसपर पूरा अधिकार कर लिया। दिसम्बर, १९५८ मे यहाँ गणतंत्र की घोषणा हुई तथा फ्रांस की सिनेट एवं नेशनल एसेम्बली में इसके दो-दो प्रतिनिधि लिये जाने लगे। यहाँ का प्रशासन-कार्य १२ मंत्रियो की एक राजकीय परिषद् द्वारा होता था। २ अप्रैल, १९५९ को इसका पिछला निर्वाचन सपन्न हुआ। १ अगस्त, १९६० से यह एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित किया जा चुका है। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है।

नाइजर

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—११,८८,७९४ वर्ग कीलोमीटर, **जन-संख्या**—२४,१५,०४० (जिसमें यूरोपवासी ३,०४०); **राजधानी**—नियामे; **सिक्का**—फ्रैंक, **शासन-स्वरुप**—गणतंत्र।

फ्रांसीसी सरकार के सन् १९२२ और सन् १९२६ ई० के निर्णय के अनुसार इस क्षेत्र का का निर्माण हुआ। सन् १९४७ ई० मे फादा-एन-गोरमा और डोरी—इन दो जिलो को इससे पृथक् कर अपर वोल्टा का निर्माण किया गया। यहाँ के मूल-निवासियों में हौसा, जर्मा, संघाई, प्यूल्ह और तुआरेग प्रमुख हैं। १ अगस्त, १९६० को यह गणतत्र घोषित हुआ। इसे सयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

नाइजीरिया

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी भाग—गिनी की खाड़ी के किनारे, **क्षेत्रफल**—३,७३,२५० वर्गमील; **राजधानी**—लागोस, **धर्म**—ईसाई और मुस्लिम, **सिक्का**—पौंड (स्टर्लिंग), **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र, **प्रधानमंत्री**—अलहाजी अबू-बकर-तफावा बलेवा; **मुख्य नगर**—इवादान, ऑगवो, मोसो, कानो, ओसगवो, इफे और इवे।

यह देश उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी—इन तीन भू-भागों मे बँटा है। यह विगत १०० वर्षो से ब्रिटिश अधिकार मे था। १४ दिसम्बर, १९४६ के राजीनामे के अनुसार कैमरून को इसका अभिन्न अंग बनाया गया। यह भू-भाग कई क्षेत्रों के मिलने से बना है, जिनका अलग-अलग शासन-प्रबंध था। १ अक्टूबर, १९५४ को एक गवर्नर जेनरल के अधीन नाइजीरिया-संघ-राज्य का निर्माण किया गया। १ अक्टूबर, १९६० को यह पूर्ण गणतन्त्र घोषित हुआ। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है। यहा की पार्लमेंट के दो सदन हैं।

मध्य अफ्रीकी गणतंत्र

स्थिति—मध्य अफ्रीका (फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रीका), **क्षेत्रफल**—६,२६,००० वर्ग किलोमीटर (२,४१,००० वर्गमील); **जन-संख्या**—११,७०,००० (जिनमें ३,००० यूरोपीय आदि) **राजधानी**—बांगुई, **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **प्रधानमंत्री**—एम० डेविड डाको; **मुख्य नगर**—बर्बेरती, फोर्ट आर्चेम्बाल्ट, फोर्ट क्रैम्पेल, बोअर।

इस देश का पुराना नाम उबंगी-शारी है। यह पहले फ्रांसीसी साम्राज्य का अंग था। १३ अगस्त, १९६० को इसे स्वतंत्रता मिली। फ्रांस के साथ हुए राजीनामे के अनुसार यह फ्रेंच कम्युनिटी का सदस्य बना रहेगा। इस वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

मालागासी (मडागास्कर) प्रजातन्त्र

स्थिति—अफ्रीका के दक्षिण-पूर्व समुद्र-तट से २५० मील दूर एक द्वीप, **क्षेत्रफल**—५,९२,००० वर्ग किलोमीटर; **जन-संख्या**—५०,३५,३७२ (१९५७), **राजधानी**—तानानारिव, **भाषा**—मालागासी फ्रेंच; **राष्ट्रपति**—सिरानाना; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्य नगर**—मजुंगा, ऐन्टसिराबे, फियानारनसोआ, टामाटावे।

सन् १५०० ई० में यहां सर्वप्रथम पुर्तगीजों का आगमन हुआ। उन्होंने 'री-मोगा-डी-जो' ने इस द्वीप का नाम मडागास्कर रख दिया। इस द्वीप की अंतिम रानी रानावालोना थी, जो सन् १८८३ ई० में गद्दी पर बैठी थी। ५ अगस्त, १८९० के राजीनामे के अनुसार ब्रिटेन ने इसे फ्रांसीसी-रक्षित राज्य स्वीकार किया। १४ अक्टूबर, १९५८ को यह फ्रांसीसी कम्युनिटी के अधीन एक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित किया गया। किन्तु २५ जून, १९६० को यह पूर्ण स्वतंत्र हो गया। इसके छः प्रान्त हैं, जिनकी अपनी-अपनी विधान-सभाएँ हैं। प्रान्त जिलों में और जिले कैन्टोन में बंटे हैं। यहां मालागासी जाति के लोग रहते हैं।

यहां की कुल जन-संख्या में ७६,००० फ्रांसीसी और मिश्रित जातियां तथा २५,००० अन्य विदेशी हैं। यहां भारतीय, चीनी, अरब एवं अन्य एशियाई भी हैं, जो छोटे-छोटे वाणिज्य-व्यवसायों में लगे हैं।

माली राज्य-संघ (सेनेगल और सूडान)

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—१४,००,००० वर्ग कीलोमीटर; **जन-संख्या**—६०,००,०००; **राजधानी**—डकार; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

मध्ययुग में माली एक शक्तिशाली राज्य था। सन् १३०७ ई० में अबू बकर का पुत्र मूसा प्रथम माली का शासक बना। शीघ्र ही इसका राज्य सेनेगल के अटलांटिक समुद्र-तट से लेकर नाइजर के नियामे-क्षेत्र तक और मौरिटेनिया के अद्रार-पर्वत से लेकर अपर गीनी तक विस्तृत हो गया। यह क्षेत्र १५०० मील लम्बा और ८०० मील चौड़ा था। अरब के विभिन्न भूगोल एवं इतिहास-वेत्ता अपने-अपने समय में ११वीं से १६वीं सदी तक अपनी रचनाओं के अन्तर्गत माली का उल्लेख करते रहे हैं।

जब फ्रांसीसी-अधिकृत क्षेत्र सेनेगल और सूडान ने फ्रांसीसी कम्युनिटी के अंतर्गत रहकर स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की, तब ४ अप्रैल, १९६० को फ्रांस के साथ इनका राजीनामा हो गया। ये

दोनों प्राचीन माली-साम्राज्य के अंतर्गत हैं, इसलिए इन दोनों ने मिलकर २० जून, १९६० को माली राज्य-संघ का निर्माण किया।

मिस्र (इजिप्ट)

स्थिति—भूमध्यसागर के किनारे अफ्रिका का उत्तर-पूर्वी भाग; **क्षेत्रफल**—३,८६,१९८ वर्गमील, **जन-संख्या**—२,३४,१०,००० (१९५६), **राजधानी**—काहिरा (कैरो); **भाषा**—अरबी, **धर्म**—मुस्लिम; **सिक्का**—मिस्री पौंड; **राष्ट्रपति**—गैमेल अब्दुल नसीर; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानतंत्र)। **मुख्य नगर**—अलेक्जेरिड्रया, पोर्टसईद, स्वेज, ताता, मनसुरा, इस्मालिया।

मिस्र की सभ्यता सात हजार वर्ष पुरानी बताई जाती है। प्राचीनकाल में यह देश बहुत उन्नत था। यहाँ के पुराने राजाओं का कब्रिस्तान पिरामिड, संसार के सप्त महाश्चर्यों मे एक है। पीछे इस देश पर असीरिया, फारस, ग्रीस, रोम, सारडिनिया, तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन ने अधिकार जमाया। यह देश सन् १८८२ ई० के बाद ब्रिटेन की देख-रेख में आया। सन् १९१४ ई० में यह उसका संरक्षित राज्य हो गया और सन् १९२२ ई० की फरवरी तक इसी स्थिति मे रहा। इसके बाद ब्रिटेन ने इसे स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार किया, किन्तु इसकी सुरक्षा, स्वेज-नहर मे ब्रिटिश यातायात का संरक्षण तथा सूडान का शासन-भार अपने हाथ में रखा। मिस्र का सुलतान १५ मार्च, १९२२ से बादशाह फैआद प्रथम कहलाने लगा और सन् १९२३ ई० मे इसका नया संविधान बना। मिस्र सन् १९२२ ई० की संधि से संतुष्ट नहीं था, अतः १९३६ ई० में ब्रिटेन को मिस्र से दूसरी सन्धि करनी पड़ी, जिसके अनुसार स्वेज और सूडान पर दोनों देशों का सम्मिलित शासन कायम हुआ। अक्टूबर, १९५१ ई० मे मिस्र ने १९३६ ई० में ब्रिटेन के साथ की गई सन्धि को मानने से इनकार कर दिया तथा स्वेज नहर और सूडान पर पूरा अधिकार जमाया। जून, १९५३ में गणतंत्र घोषित होने पर बादशाह का पद उठा दिया गया और जेनरल नगीब राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री बनाया गया। दूसरे ही वर्ष गैमेल अब्दुल नसीर राष्ट्रपति हुआ, जो अबतक अपने पद पर बना हुआ है। सन् १९५६ ई० मे सूडान स्वतंत्र हो गया।

१ फरवरी, १९५८ को मिस्र और सीरिया ने मिलकर संयुक्त अरब-गणतंत्र (युनाइटेड अरब रिपब्लिक) कायम किया, जिसका विवरण अलग दिया गया है। ८ मार्च को स्वतंत्र यमन अपना अस्तित्व कायम रखते हुए भी संयुक्त अरब-गणतंत्र-संघ का सदस्य हुआ। सन १९६० ई० मे यहाँ समाचार-पत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

मोरोको

स्थिति—अफ्रिका महादेश की उत्तरी सीमा; **क्षेत्रफल**—१,७४,४५३ वर्गमील, **जन-संख्या**—१,००,००,००० (१९५७ से), **राजधानी**—राबाट; **भाषा**—मूरिश, अरबी और बेर-बेर; **राज-भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम, **बादशाह**—मुहम्मद पंचम (१९५७ से), **प्रधान एवं परराष्ट्र-मंत्री**—मौले अब्दुल्ला इब्राहिम, **शासन-स्वरूप**—राजतंत्र, **मुख्य नगर**—कासाब्लाका, मरकेश, फेज, टेंजियर, रैबेट, मेक्निग्स।

यहाँ के मूल-निवासी मुसलमान हुए बर्बर-जाति और अरब-जाति के लोग हैं। १७वीं एवं १८वीं शताब्दी मे यह समुद्री डाकुओं का प्रमुख अड्डा था। बहुत दिनों से यहाँ का शासन एक

सुलतान था, किन्तु १९१२ ई० में फ्रांस और स्पेन के लोग यहां आ गये और इसपर अधिकार कर इसे दो भागों में बाँट लिया। एक फ्रेंच मोरक्को और दूसरा स्पेनिश मोरक्को कहलाने लगा। सन् १९२३ ई० में स्पेनिश मोरक्को का टैंजियर-क्षेत्र तटस्थ और निःशस्त्र बनाकर एक अन्तरराष्ट्रीय समिति के अधिकार में रखा गया। स्वतंत्रता-आन्दोलन के फलस्वरूप १९५६ ई० में फ्रांस और स्पेन की सरकार तथा अन्तरराष्ट्रीय समिति ने यहां से अपना अधिकार हटा लिया और उक्त तीनों भाग फिर एक हो गये और यह सम्पूर्ण भाग स्वतंत्र भी हुआ। तब से यहां का सुलतान एक मंत्रिमंडल की सहायता से शासन चला रहा है। यहां की मंत्रिपरिषद् में ११ सदस्य होते हैं, जो वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से बादशाह के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। कृषि एवं खनिज पदार्थ यहां की सम्पत्ति के प्रमुख साधन हैं।

मौरिटेनिया

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—१०,८५,८०५ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—६,२४,०००; राजधानी—सेंट लुई; प्रधानमंत्री—मी० मोख्तार औल्द दद्दाह; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—केडी, अतार, रोसो, पोर्ट एटर्न।

यह सन् १९०३ ई० में फ्रांसीसी रक्षित राज्य बना। ४ दिसम्बर, १९२० को यह फ्रांस का औपनिवेशिक राज्य हुआ। ८ अक्टूबर, १९५८ को यह फ्रांसीसी राष्ट्रमण्डल (फ्रेंच कम्युनिटी) के अंतर्गत गणतंत्र घोषित किया गया। २८ नवम्बर, १९६० को यह फ्रांस के शासन से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बना।

यह देश ग्यारह जिलों मे बँटा है। यहा के प्रमुख निवासी मूर, तोकोल्यूर, साराकोले, प्यूल्ह, नवम्बर और ओओफ जाति के लोग हैं। यहा लोहा और तांबा की खानों के बडे क्षेत्र हैं, जहां खनन का काम नहीं हुआ है। कृषि और पशु-पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ज्वार, मकई, खजूर आदि यहा की प्रधान उपज है।

रुआण्डा-उरुण्डी

स्थिति—मध्य अफ्रिका (कांगो से पूरब); क्षेत्रफल—५४,१७२ वर्ग कीलोमीटर; जन-सख्या—४६,९८,८४७ (यूरोपियन ७,१०५; एशियाई २,३०५); राजधानी—उसुम्बुरा; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—मोनिमुटवा; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—नगोजी, किटेगा, किसेनी।

यह भू-भाग पहले जर्मन पूर्वी अफ्रिका के अंतर्गत था। प्रथम महायुद्ध के बाद यह राष्ट्रसंघ के आदेशानुसार बेलजियम के अधीन रखा गया। १३ दिसम्बर, १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा द्वारा इसकी न्यस्तता स्वीकार की गई। यहाँ के शासन के लिए एक गवर्नर रहता था, जो बेलजियन कांगो के गवर्नर-जेनरल के अधीन कार्य करता था। उसे वाइस-गवर्नर-जेनरल भी कहा जाता था। यह आर्थिक मामलों मे बेलजियन कांगो से संबद्ध था। कुछ समय पूर्व यहाँ एम० ग्रेगोइरी जेइबाराडा के नेतृत्व मे एक अस्थायी सरकार कार्य कर रही थी। २९ जनवरी, १९६१ को इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है।

यह देश रुआण्डा और उरुण्डी नामक दो भागों में बँटा हुआ है। कृषि और पशु-पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है।

लाइबेरिया

स्थिति—दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका का गीनी कोस्ट; क्षेत्रफल—४३,००० वर्गमील; जन-संख्या—लगभग २७,५०,००० (१९५३), राजधानी—मानरोविया, भाषा—अँगरेजी; धर्म—ईसाई; सिक्का—अमेरिकी डालर; राष्ट्रपति—विलियम वी० एस० टुबमैन (१९५५ से); उपराष्ट्रपति—विलियम आर० टालवर्ट; शासन-स्वरूप— गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यह निग्रो-जाति का एक गणतन्त्र राज्य है। इसका अधिकाश भाग जंगलों से ढका है। इसका निर्माण १८२० ई० में अमेरिका से मुक्त किये गये दासों को वसाने के लिए किया गया। यह जुलाई, १८४७ ई० में पूर्ण स्वतंत्र हुआ। इसका संविधान अमेरिकी ढंग का है। यहाँ मतदाताओं के लिए भू-स्वामी और निग्रो खून का होना आवश्यक है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ८ वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था है।

यहाँ के निवासियों की मुख्य जीविका कृषि है। कच्चा लोहा तथा सोना की भी खानें हैं।

लीबिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा; क्षेत्रफल—६,७९,३५८ वर्गमील; जन-सख्या—१०,९१,८३० (१९५४), राजधानी—त्रिपोली और बेंगाजी; भाषा—अरवी, धर्म—मुस्लिम; राजा—इद्रिस प्रथम (१९५१ से); प्रधानमंत्री—अब्दुल मजीद कुवर (१९५७ से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र ।

यह तीन प्रान्तों—त्रिपोलिटानिया, साइरेनाइका और फेजन—का एक संघ-राज्य है। सोलहवीं शताब्दी से लेकर सन् १९११ ई० तक यह तुर्की साम्राज्य का अंग रहा। सन् १९१२ ई० में इटली और तुर्की के युद्ध के परिणाम-स्वरूप यह इटली के हाथ में चला गया। सन् १९४३ ई० में जब इटली की पराजय हुई, तब इसके त्रिपोलिटानिया और साइरेनाइका प्रांत ब्रिटेन के तथा फेजन फ्रांस के अधीन हो गये। सन् १९५१ ई० मे यह संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना दिया गया। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी रहता है। १६ अक्टूबर, १९६० को प्रधानमन्त्री अब्दुल मजीद कुवर ने अविश्वास के प्रस्ताव पर त्याग-पत्र दे दिया है। कृषि एवं पशु-पालन यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा है।

सियरालियोन

स्थिति—पश्चिम अफ्रिका का दक्षिणी अटलांटिक-तट; क्षेत्रफल—२७,९२५ वर्गमील, जन-सख्या—२५,००,००० (जिसमें १००० यूरोपीय तथा २००० एशियाई), राजधानी—फ्री-टाउन, गवर्नर—सर मॉरिस डोरमन (सितम्बर, १९५६ से); डिप्टी-गवर्नर—ए० एन० ए० वेंडेल; प्रधानमन्त्री—सर मिल्टन मारगेई; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (२७ अप्रैल, १९६० से)।

यह पहले ब्रिटिश-रक्षित राज्य और उपनिवेश—इन दो क्षेत्रों मे बँटा था। सन् १९५८ ई० में इसका संविधान बना, जिसके अनुसार यहाँ की प्रतिनिधि-सभा में ५१ निर्वाचित और २ मनोनीत सदस्य होते रहे। निर्वाचित सदस्यों में १४ उपनिवेश से, २८ रक्षित राज्य से और १ बो-ग्रामीण क्षेत्र से चुने जाते थे। शेष १२ जिला-परिषदों से लिये गये बड़े सरदार होते थे। गवर्नर इसकी

कार्यपालिका-परिषद् के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त इसके ११ सरकारी सदस्य भी होते रहे। नये संविधानानुसार गवर्नर राज्य के मुख्यायुक्त का पद हटा दिया गया है। २७ अप्रैल, १९६१ से यह पूर्ण स्वतंत्र होकर एक गणतन्त्र-राज्य बन जायगा।

सूडान

स्थिति—अफ्रिका का पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—९,६७,५०० वर्गमील, जन-संख्या—१,०२,५५,९१२ (१९५७); राजधानी—खार्तूम, भाषा—अरबी, धर्म—एवूट इस्लाम; सशस्त्र सैनिकों की सर्वोच्च परिषद् के प्रधान और प्रधानमंत्री—जेनरल इब्राहिम अबूद; शासन-स्वरूप—सैनिक तानाशाह (१९५८ से); मुख्य नगर—सूडान और हल्फा।

इसके उत्तर-पश्चिम भाग में मरुभूमि है। नील नदी इस देश के मध्य होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसके आसपास कृषि-योग्य भूमि है। संसार को अधिकांश गोंद मुख्यत इसी देश से प्राप्त होता है।

सूडान का प्राचीन इतिहास नूबिया का इतिहास है, जहाँ रोमन-युग में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ था। सन १८२२ ई० में यह मिस्र के मुहम्मद अली पाशा द्वारा विजित हुआ। महदी विद्रोह से सन् १८८१ ई० से १८९८ ई० के बीच मिस्र की सेना यहाँ से हटा दी गई। सन् १८९९ ई० में यह ब्रिटिश और मिस्र के सम्मिलित शासन के अंतर्गत आया। सन् १९५३ ई० में इसे स्वशासन का अधिकार मिला, किन्तु १ जनवरी, सन् १९५६ को यह पूर्ण स्वतंत्र हो गया। इस्माइल अल-अजहरी की सरकार के पतन के बाद ५ जुलाई, १९५६ से उम्मा पार्टी के नेता अब्दुल्ला खलील के प्रधानमन्त्री में शासन आरम्भ हुआ था। सन् १९५८ ई० के फरवरी-मार्च में यहाँ सर्वप्रथम चुनाव किया गया। उसमें भी अब्दुल्ला खलील का ही मन्त्रिमण्डल बना, किन्तु उसी वर्ष यहाँ १७ नवम्बर से जेनरल इब्राहिम अबूद के नेतृत्व में सैनिक-शासन आरम्भ हुआ, जो अबतक चल रहा है।

सोमालिया-गणतंत्र

स्थिति—पूर्वी अफ्रिका में लाल सागर और भारतीय महासागर के तट पर; क्षेत्रफल—३,५०,००० वर्गमील से अधिक; जन-सख्या—लगभग १९,००,००० राजधानी—मोगाडिस्को; राष्ट्रपति—अदन अब्दुला उस्मान (अस्थायी), शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—हरजीसा, बरबेरा, बुराओ।

सोमालिया-गणतंत्र का निर्माण १ जुलाई १९६० को ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालिया के मिलने से हुआ है। ब्रिटिश सोमालीलैंड एक ब्रिटिश-रक्षित राज्य था, जिसका ब्रिटेन के साथ संबंध शताधिक वर्षों से रहा। यह २६ जून, १९६० ई० को स्वतंत्र हुआ।

सोमालीलैंड के दक्षिण-पूर्व भारतीय महासागर के तट पर स्थित सोमालिया १९५० ई० से संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में इटली द्वारा शासित हो रहा था। उसके संबंध में १५ मई, १९६० को इटली-सरकार ने निश्चय किया कि वह इसे १ जुलाई, १९६० से स्वतंत्र कर देगी। इसके पूर्व अप्रैल मास में ही ब्रिटिश सोमालीलैंड और सोमालिया के नेताओं ने सोमालिया की राजधानी मोगाडिस्को में ६ दिनो तक सम्मेलन कर सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था कि वे इन दोनों देशों को मिलाकर १ जुलाई, १९६० से सोमालिया-गणतंत्र का निर्माण

करेंगे। तदनुसार १ जुलाई, १९६० से इस गणतंत्र की स्थापना की गई और इसके प्रथम अस्थायी राष्ट्रपति अदन अब्दुला उस्मान बनाये गये। एक वर्ष के बाद यहाँ नया चुनाव होने की आशा है।

सोमालिया-गणतंत्र के लोग एक वृहत्तर सोमालिया की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें उत्तर केनिया के १ लाख, इथोपिया के ५ लाख और फ्रांसीसी सोमालीलैंड के ३० हजार सोमालियों के क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने का स्वप्न है। इथोपिया, केनिया आदि संबंधित देश उनके इस स्वप्न का विरोध कर रहे हैं।

अफ्रिका के विदेशी अधिकृत क्षेत्र

पुर्त्तगीज अधिकृत क्षेत्र

अंगोला और मुजाम्बिक प्रान्त, पुर्त्तगीज गीनी, केप बर्डे (टापू), सैंडोरा (टापू) और एजोर (टापू)।

फ्रांसीसी-अधिकृत क्षेत्र

फ्रेंच सोमालीलैंड, सहारा, फ्रेंच इक्विटोरियल अफ्रिका और रीयूनियन (टापू)।

ब्रिटिश-अधिकृत क्षेत्र

दक्षिण अफ्रिका-संघ के अतिरिक्त केनिया, उगांडा, टैंगनिका, रोडेशिया, न्यासालैंड, जजीबार, मॉरिशस; सेंटहेलिना, एसन्सन, गैम्बिया, वेचुआनालैंड, स्वाजीलैंड, वैसुटोलैंड तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख मे दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका।

स्पेनिश-अधिकृत क्षेत्र

रिओडिओरा, स्पेनिश गीनी, कनारी द्वीप-समूह और स्पेनिश सहारा।

अस्ट्रेलेशिया (ओसीनिया)

आस्ट्रेलिया, टस्मानिया, न्यूजीलैंड, न्यूगीनी, फीजी तथा पास के कुछ छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर अस्ट्रेलेशिया या ओसीनिया महादेश कहलाता है। यहाँ की जन-संख्या लगभग डेढ़ करोड़ है। न्यूगीनी के कुछ भागो को छोड़कर ये सभी द्वीप ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत हैं। इन द्वीपों मे मूल-निवासी धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। सर्वत्र गोरी जातियों का प्रभुत्व है। अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विवरण अलग दिये जा रहे हैं।

अस्ट्रेलिया

स्थिति—एशिया के दक्षिण. क्षेत्रफल—२९,७४,५८१ वर्गमील (टस्मानिया-सहित), जन-संख्या—९९,४३,०७९ (१९५७), राजधानी—कैनबेरा; भाषा—अंगरेजी; धर्म—ईसाई, सिक्का—अस्ट्रेलियन पौंड, सम्राज्ञी – ग्रेट-ब्रिटेन की द्वितीय एलिजाबेथ; गवर्नर-जेनरल—डब्ल्यू० एस० मॉरिसन (नवम्बर, १९५९ से), प्रधानमंत्री—आर० जी० मेंजिज (१९४९ से).

शासन-स्वरूप—अधिराज्य; मुख्य नगर—सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, होबर्ट, डार्विन।

इस देश को यदि द्वीप कहा जाय तो यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है और यदि महादेश कहा जाय तो संसार का सबसे छोटा महादेश है। सन् १८५० ई० तक यह 'न्यू हालैंड' कहलाता था; क्योंकि यूरोपवासियों में सर्वप्रथम हालैंडवासी ही सन् १६१३–२७ ई० के बीच यहाँ आये थे।

डेढ़ सौ वर्ष पहले इस देश के मूल-निवासियों की संख्या ३,००,००० थी, पर अब लगभग ८७,००० मात्र रह गई है। अंगरेजों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया और वे गोरी जाति के अतिरिक्त दूसरे किसी को यहाँ बसने नहीं देते। यह देश ८ प्रान्तों में बँटा है—१. टस्मानिया, २. पश्चिमी अस्ट्रेलिया, ३. क्वींसलैंड, ४. नार्दर्न टेरिटरी, ५. दक्षिणी अस्ट्रेलिया, ६. न्यू-साउथवेल्स, ७. विक्टोरिया, और ८. अस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। पहले प्रत्येक प्रान्त का ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध था, पर १ जनवरी, १९०१ से यहाँ संघ-शासन कायम हुआ है, जिसे 'कॉमनवेल्थ ऑफ अस्ट्रेलिया' कहते हैं। यह राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। सन् १९४९ ई० से यहाँ लिबरल और कंट्री पार्टी का सम्मिलित मंत्रिमंडल कायम है। यहाँ की जन-संख्या हमारे यहाँ की एक कमिश्नरी की जन-संख्या के बराबर है। यह १९५४ ई० में स्थापित दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि-संगठन का प्रमुख सदस्य है।

इस देश के शासनान्तर्गत निम्नलिखित दूरस्थ छोटे-बड़े द्वीप भी हैं—

पपुआ, संयुक्त राष्ट्रसंघ के संन्यस्त क्षेत्र नौरू और न्यूगीनी, अस्ट्रेलियन अंटार्कटिक क्षेत्र, क्रिसमस द्वीप और कोकोस-कीलिंग द्वीप-समूह।

न्यूजीलैंड

स्थिति—दक्षिण प्रशान्त महासागर में एक द्वीप; क्षेत्रफल—१,०३,९३९ वर्गमील; जन-संख्या—२२,२९,२८० (१९५७); राजधानी—वेलिंगटन; धर्म—ईसाई; सम्राज्ञी—इंगलैंड की रानी द्वितीय एलिजाबेथ; गवर्नर-जेनरल—वायकौंट कोभम; प्रधानमंत्री—वाल्टर नाश, शासन-स्वरूप—अधिराज्य (ब्रिटिश), मुख्य नगर—ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन।

यहाँ के प्राचीन मूल-निवासी पोलीनेशियन जाति के हैं, जिन्हें माओरी कहते हैं। यह कुक मुहाना द्वारा मुख्यतः दो द्वीप-समूहों में विभक्त है—उत्तरी द्वीप-समूह और दक्षिणी द्वीप-समूह। यह ज्वालामुखी पर्वतों और गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकतर गोचर भूमि है, जिससे भेंड पालने का व्यवसाय अधिक होता है। भेंड का मांस, मक्खन, पनीर, ऊन और जमा हुआ दूध के निर्यात में इसका स्थान संसार में अग्रगण्य है।

पहले सन् १६४२ ई० में यहाँ डच लोग आये। सन् १८४० ई० में यह ब्रिटेन के अंतर्गत आया। सन् १८५२ ई० में इसे स्वशासन का अधिकार मिला। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत १९०७ ई० में अधिराज्यत्व प्रदान किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। गवर्नर-जेनरल ही ब्रिटिश सम्राज्ञी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल है। यहाँ के मूल-निवासियों और गोरी जातियों में रंगभेद की नीति नहीं है।

★

उत्तरी अमेरिका

यह महादेश भूमध्यरेखा से उत्तर लगभग १०° उ० अक्षांश से लेकर लगभग ८०° उ० अक्षांश तक फैला हुआ है। इसकी लम्बाई लगभग ४,२०० मील है। इसका क्षेत्रफल ९३,५८,९७६ वर्गमील और जन-संख्या २३ करोड, ८० लाख है। अटलाण्टिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित होने से एशिया और यूरोप दोनों महादेशो के साथ इसे व्यापार करने की सुविधा है। यह चार प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—पश्चिम का पहाडी भाग, बीच की समतल भूमि, पूरब की अधित्यका और अटलाण्टिक महासागर का तट। पुरातत्त्वविदों का कहना है कि प्राचीन काल में भारत का अमेरिका से सम्बन्ध था। परन्तु आधुनिक युग मे यूरोपवालों ने ही अमेरिका का पता लगाया। वे लोग यहाँ आ बसे। उनके यहाँ बसने पर यहाँ के मूल-निवासियों की संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो गई है। यहाँ के मूल-निवासियो में एस्किमो, रेड-इण्डियन आदि हैं। इनका समाज या राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं है। दिनों-दिन इनकी जन-संख्या घटती जा रही है। अफ्रिका के जो हब्शी खेतों में काम करने के लिए यहा जानवरों की तरह खरीदकर लाये गये थे, वे भी यहाँ लाखों की संख्या मे हैं। दासता-उन्मूलन आन्दोलन की सफलता के बाद इन्हें नागरिक अधिकार दिये गये हैं। उत्तरी अमेरिका कई देशों मे बँटा हुआ है, पर इनमें मुख्य संयुक्तराज्य और कनाडा हैं। कनाडा से उत्तर-पूरब एक बहुत बड़ा भू-भाग ग्रीनलैंड कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ अत्यधिक ठंढक पड़ती है। संयुक्तराज्य से दक्षिण के भाग को मध्य अमेरिका भी कहते हैं।

एल-सालवेडर

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—८,२९६ वर्गमील, जन-संख्या—२३,५०,००० (१९५७); राजधानी—सान सालवेडर; भाषा—स्पेनिश, धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—लेफ्टिनेण्ट कर्नल जोसे मारिया लेमस (१९५६ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक), मुख्य नगर—साण्टा आना, सान मिगुएल, न्यू साम सालवेडर (साण्टा टेकला), सोनसोनेट, सान विसेण्टे।

यह अमेरिका महादेश का सबसे छोटा देश है। यहाँ के निवासी यूरोप की गोरी जातियो, मेसटिजो और रेड-इंडियन हैं। सर्वप्रथम सन् १५२५ ई० मे यहाँ स्पेनवासी आये थे। १८२१ ई० मे यह स्पेन से स्वतन्त्र हुआ। यहा की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यहा के राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए सार्वजनिक मत से होता है और वही मंत्रिमंडल को संगठित करता है। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होता। यहा १८ वर्ष से अधिक उम्रवालों के लिए मत प्रदान करना अनिवार्य है।

कनाडा

स्थिति—उत्तर-अमेरिका; क्षेत्रफल—३८,५१,११३ वर्गमील, जन-संख्या—१,७१,५४,००० (१९५८), राजधानी—ओटावा; भाषा—अँगरेजी और फ्रेंच; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कैनेडियन डालर; गवर्नर-जेनरल—जॉर्ज पी० वैनियर (१९५८ ई० से): प्रधानमन्त्री—जॉन जार्ज डिफेनबेकर; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—मॉण्ट्रियल, टोरण्टो, वैंकोवर, विनिपेग, हैमिल्टन, एडमोण्टन, ओटावा, क्वेबेक, विण्डसर।

यूरोपवासियों में सर्वप्रथम जान कैबॉट ने सन् १४९७ ई० में कनाडा के समुद्री तट का पता लगाया। सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश बसा। सन् १७६३ ई० में फ्रांस से यह उपनिवेश अंग्रेजों ने ले लिया। सन् १८६७ ई० में इसे औपनिवेशिक स्वराज्य मिला।

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत यह एक संघ-राज्य है, जिसके अन्दर १२ प्रांत हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी यूरोपीय जाति के हैं, जिनमें अंग्रेज और फ्रांसीसी मुख्य हैं। यह कृषि-प्रधान देश है, पर अपने खनिज पदार्थों के लिए भी धनी गिना जाता है। सन् १९५७ ई० के चुनाव में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हुई है, और उसी के नेता इस समय प्रधानमन्त्री हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं—सिनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश पार्लमेंट की तरह यहाँ भी सिनेट के सदस्य जीवन-भर के लिए मनोनीत होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए भी यह स्टर्लिंग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है और इसी प्रकार अमेरिका महाद्वीप के अन्दर रहकर भी यह अमेरिकन राज्य-संघ से बाहर है।

कोस्टा-रीका

स्थिति—मध्य अमेरिका का दक्षिणी भाग; क्षेत्रफल—२३,४२१ वर्गमील; जन-संख्या—१०,७२,००० (१९५८); राजधानी—सानजोसे; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कोलोन; राष्ट्रपति—मेरियो एचेण्डी जिमेनेज (१९५८ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)। मुख्य नगर—सान जोसे, अलाजुएला, कारटागो, हेरेडिया, गुआनाकास्टे, पुण्टारेनास, लियोन।

सन् १५०२ ई० में संत कोलम्बस ने इसका पता लगाया। यहाँ का पोआज ज्वालामुखी संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ अधिकतर यूरोपीय मूल-निवासी हैं, जिनमें सबसे अधिक स्पेनवाले हैं। आदिमजातियों की संख्या दिनों-दिन घट रही है।

यहाँ की पार्लमेंट का केवल एक सदन है। २० वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी पुरुषों को यहाँ मताधिकार प्राप्त है। शिक्षकों और विवाहित लोगों के लिए मताधिकार की निम्नतम आयु १८ वर्ष ही रखी गई है।

क्यूबा

स्थिति—वेस्ट इंडीज; क्षेत्रफल—४४,२०६ वर्गमील; जन-संख्या—६४,१०,००० (१९५७ ई०); राजधानी—हवाना; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो, राष्ट्रपति—ओसवाल्डो डॉरटिकोज टोरेडो (१९५९ ई० से); प्रधानमंत्री—डॉ० फिडेल कास्ट्रो रुज; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (मंत्रिमंडलात्मक)।

सन् १४९२ ई० में कोलम्बस ने इसका पता लगाया। सन् १८९८ ई० तक यह स्पेन का उपनिवेश रहा। तत्पश्चात् सन् १९०२ ई० तक यह संयुक्त राज्य के सैनिक शासन के अंतर्गत था। इसके बाद यह स्वतंत्र हुआ। अक्टूबर, सन् १९४० ई० के संविधान के अनुसार यहाँ के राष्ट्रपति की पदावधि ४ वर्ष की रखी गई थी। साथ ही ५४ सदस्यों की एक सिनेट तथा १४० सदस्यों के निचले सदन की व्यवस्था थी। धीरे-धीरे यहाँ साम्यवादियों की संख्या बढ़ने से एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनवरी, १९५९ में साम्यवादी विचारधारा के समर्थक

डॉ० फिडेल कास्ट्रो रुज के नेतृत्व में विद्रोहियों ने तत्कालीन सरकार को अपदस्थ कर दिया। इन दिनों यहाँ का संविधान स्थगित है। सन् १६६० ई० से डॉ० फिडेल कास्ट्रो रुज यहाँ का प्रधान-मंत्री है। इसके प्रधानमंत्री होने के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका और क्यूबा का आपसी संबंध और भी विगड़ चुका है तथा दोनों देशों के दौत्य-संबंध विच्छिन्न हो गये हैं। क्यूबा-स्थित अमेरिकी कारोबार का राष्ट्रीयकरण करके साम्यवादी चीन से प्रचुर ऋण लिया गया है। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका के नये राष्ट्रपति कनेडी क्यूबा के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह संसार का सबसे बड़ा ऊख-उत्पादक देश है। यहाँ की दूसरी मुख्य उपज तम्बाकू है। यहाँ लोहा अधिक पाया जाता है।

गुवाटेमाला

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**—४२,०४२ वर्गमील, **जन-सख्या**—३४,३०,००० (१६५७ ई०); **राजधानी**—गुवाटेमाला सिटी; **भाषा**—स्पेनिश, **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **राष्ट्रपति**—मिगुएल एडिगोरास फूएराट्स (१६५८ ई० से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—केजालटेनानगो, कोवैन, जाकापा, पुएर्टो, वोरिओस, मेजेटेनानगो।

ईसा की १०वीं शताब्दी मे यहाँ रेड इंडियनों का माया-साम्राज्य कायम था। सन् १५२४ ई० में स्पेनवालों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमाया। सन् १८३६ ई० में यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ। यहाँ का वर्त्तमान संविधान सन् १६५६ ई० का बना हुआ है। अब भी इस देश मे अधिकांश रेड इंडियन तथा शेष मिश्रित रेड इंडियन और स्पेनिश हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ १८ से ५० वर्ष की उम्रवालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यहाँ की काँगरेस का एक ही सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव ४ वर्षों की अवधि के लिए होता है। इसके आधे सदस्य हर दो वर्ष पर वदल जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

डोमिनिका

स्थिति—वेस्ट इंडीज; **क्षेत्रफल**—१६,३३३ वर्गमील; **जन-संख्या**—२६,६८,००० (१६५७ ई०); **राजधानी**—सिउडाड ट्रुजिलो; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**—जेनरल हेक्टर वी० एन्० वेनिडो ट्रुजिलो (मोलिना) [१६५७ ई० से], **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—सिउडेड ट्रुजिलो, सांटिआगो डीलॉस कैवेलेरॉम, सानफ्रासिस्को डी मैकोरिज।

कोलम्बस ने सन् १४६२ ई० में इसका पता लगाया और इसका नामकरण ला-स्पेनोला (अर्थात् लघु स्पेन) किया। सन १८२१ ई० मे इसने स्पेन से संबंध-विच्छेद कर लिया और तीन वर्षों तक हेटी के अधीन रहा। २७ फरवरी, १८४४ को यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। सन् १६१६—२४ ई० तक यह संयुक्तराज्य अमेरिका के जहाजी सैनिकों के कब्जे मे रहा। उसके बाद संयुक्तराज्य अमेरिका के ही आदर्श पर यहां का संविधान बना। राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए सार्वजनिक मत से होता है। वह मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहां की काँगरेस के दो सदन हैं।

निकारागुआ

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**—५७,१४५ वर्गमील; **जन-संख्या**—१३,३१,००० (१६५७ ई०); **राजधानी**—मानागुआ, **भाषा**—स्पेनिश, **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—

कोरडोबा; राष्ट्रपति—लुइस ए० सोमोज़ा डेबायल (१९५७ ई० से); शासन-स्वरूप-गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—लिओन, माटागल्पा, जिनोटेगा, ग्रेनाडा, मासाया, चिनन्डेगा।

इसका समुद्री तट कैरिबियन सागर की ओर ३०० मील में एवं प्रशान्त महासागर की ओर २०० मील में फैला हुआ है। सर्वप्रथम कोलम्बस ने सन १५०२ ई० इसके समुद्री तट का पता लगाया। सन १५२२ ई० में यह स्पेन के अधिकार में आया। यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहां की मुख्य जातियां स्पेनवासी और रेड इंडियन के सम्मिश्रण से बनी हैं। यह १८२१ ई० में स्पेन से मुक्त हुआ। यहां की पार्लमेंट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। यहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति सिनेट के आजीवन सदस्य होते हैं।

पनामा

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—२८,५७१ वर्गमील; जन-संख्या—९,९०,००० (१९५७ ई०), राजधानी—पनामा सिटी, भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बल्बोआ; राष्ट्रपति—अर्नेस्टो डी ला गुआरडिया (१९५६ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—सानटिआगो, डेविड, कोलोन, पेनोनोमे, लास-टेबलस।

सन १५०२ ई० में कोलम्बस ने इसका पता लगाया। इसका समुद्री किनारा कैरिबियन सागर की ओर ४७७ मील और प्रशान्त महासागर की ओर ७६७ मील है। पनामा नहर इसे दो भागों में बांटती है। यहां के निवासियों में ५०% मिसटिजो जाति के लोग हैं। यहां की केवल ५०% भूमि खेती के योग्य है, शेष भाग विस्तृत जंगलों से ढका है। संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रयत्नों से इसे कोलम्बिया ने सन् १९०३ ई० में स्वतन्त्र कर दिया। उसी साल इसने एक संधि द्वारा संयुक्तराज्य अमेरिका को पनामा नहर दे दी। पनामा-सरकार को उसकी राष्ट्रीय आय की एक तिहाई नहर से मिलती है। यहां की पार्लमेंट का एक सदन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष मत से चार वर्षों के लिए होता है। उसे पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होता।

मेक्सिको

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग; क्षेत्रफल—७,६०,२७३; वर्गमील; जन-सख्या—३,१४,२६,००० (१९५७); राजधानी—मेक्सिको; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—अडोल्फो लोपेज माटेओस (१९५८ से), शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक): मुख्य नगर—गुआडालाजारा, पूएबूला, मौण्टेरी, सानलुईस, टोरिओन, पोटोसी, मेरिडा, लिओन।

यह उत्तरी अमेरिका मे २९ राज्यो का एक संघ-राज्य है। यह प्राचीन काल में माया, टॉलटेक और अजेटक सभ्यताओ का केन्द्र-स्थल रहा है। सन् १५२१ ई० में यहाँ स्पेनवासियों का आगमन हुआ। लगातार अनेक विद्रोहों के वाद सन् १८१० ई० मे यह स्वतंत्र हुआ। इसके वाद के वर्ष भी मेक्सिको के लिए अशान्तिपूर्ण रहे; क्योंकि फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों की सेनाएँ अपने हितो की रक्षा के लिए यहा आ जुटीं, जिसके परिणाम-स्वरूप टेक्साज का क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया। संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ हुए सन् १८४६–४८ ई० के युद्ध में मेक्सिको की हार होने पर कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटा, अरिजोना और न्यू-मेक्सिको तो पूर्णत तथा वोमिंग और कोलोरैडो के कुछ अंश संयुक्तराज्य के अधिकार में आ गये। फ्रांसीसी आक्रमण के बाद

अस्ट्रिया का राजा मेक्सिलियन सन् १८६३ ई० में यहाँ का सम्राट् हुआ। उसके पतन के वाद १८७७—१६११ ई० के वीच यहाँ अधिनायक-तंत्र रहा। सन् १६१७ ई० में यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ।

यहाँ के निवासी रेड इंडियन तथा उपनिवेश वसानेवाले स्पेनवासियों के वंशज हैं। खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिए इसकी गणना संसार के सम्पन्न देशों में होती है। यहाँ चाँदी का उत्पादन सभी देशों से अधिक है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

संयुक्तराज्य अमेरिका

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग; **क्षेत्रफल**—३७,३५,२२३ वर्गमील और **जन-संख्या**—१६,८६,३८,००० (१६५५), **राजधानी**—वाशिंगटन; **भाषा**—अँगरेजी; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—अमेरिकन डालर; **राष्ट्रपति**—जॉन केनेडी (जनवरी, १६६१ ई० से); **उप-राष्ट्रपति**—लिण्डन जोंसन; **राज्यमंत्री**— डीन रस्क; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक), **मुख्य नगर**—न्यूयार्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, डेट्रआयट, लॉसएंजेल्स, वाल्टीमोर, क्लीवलैंड, वोस्टन, सानफ्रान्सिस्को।

इस देश पर सर्वप्रथम यूरोप महादेश के स्पेन-निवासियों ने १५६५ ई० में अपना उपनिवेश कायम किया। इसके वाद फ्रांसीसी लोग आये। अन्त में अँगरेज लोग यहाँ इतनी संख्या में पहुँचे कि देश में वे सव जगह छा गये। फिर तो यहाँ भाषा, धर्म, विधि-विधान और शासन-पद्धति भी अँगरेजों की ही चालू हुई। यहाँ के मूल-निवासी दिनों-दिन घटते गये। यहाँ प्राकृतिक साधन प्रचुर परिमाण में मिलने के कारण उपनिवेश वसानेवाले कुछ ही दिनों में वहुत सम्पन्न हो गये। फल यह हुआ कि स्वार्थ लेकर उनका अपने मातृ-देश के साथ संघर्ष चल पड़ा। संघर्ष चाय-कानून लेकर आरम्भ हुआ था। सन् १७७५ ई० से तो इंगलैंड के साथ उनका युद्ध ही आरम्भ हो गया। अन्त मे अमेरिकी ही विजयी हुए। सन १७८८ ई० की पेरिस-संधि के अनुसार अमेरिका की स्वतन्त्रता स्वीकार की गई। यहाँ पूर्ण स्वतन्त्र संघ-राज्य कायम हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन सन् १८८६ ई० मे इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। स्वतन्त्र होकर अमेरिका शीघ्र ही एक उन्नतिशील और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया। सन् १८२३ ई० मे यहां के राष्ट्रपति मुनरो ने अपना यह सिद्धान्त वनाया कि कोई यूरोपीय शक्ति उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका के अन्दर अपना राज्य नहीं स्थापित करे। निग्रो की दासता-प्रथा आदि को लेकर १८६१ से १८६५ ई० तक यहां गृह-युद्ध चलता रहा। १६वीं सदी का अन्त होने के पूर्व ही संयुक्तराज्य अमेरिका एक विश्व-शक्ति माना जाने लगा। प्रथम महासमर मे जर्मनी को परास्त करने में इसका काफी हाथ था। द्वितीय महासमर के अन्त में तो यह संसार के अन्दर सवसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। इस समय भी संयुक्तराज्य अमेरिका और रूस ही संसार के देशों मे अग्रगण्य हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका ५० राज्यों का एक संघ है। यहां एक राष्ट्रपति और एक उप-राष्ट्रपति होते हैं, जो ४ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यों का शासन-भार विभिन्न विभागों के हाथों मे रहता है, जिनके प्रधान राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यहां की पार्लमेण्ट को 'कांगरेस' कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं—सिनेट और प्रतिनिधि-सभा। सिनेट में विभिन्न राज्यों से दो-दो सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों मे से एक तिहाई दो वर्ष के

बाद बदल जाते हैं। प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या ४३५ है। उनका चुनाव दो वर्षों पर होता है। यहाँ के मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हैं। नवम्बर, १९६० ई० के निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोन केनेडी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने २० जनवरी, १९६१ को पद ग्रहण किया।

संयुक्तराज्य अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र इस प्रकार हैं—प्रशान्त महासागर में (१) वेक और मिडवे, (२) अमेरिकन समोआ और (३) गुआम; मध्य अमेरिका में—(१) पनामा कैनाल और (२) कैनाल-क्षेत्र; अतलान्तिक सागर में—(१) पुएर्टोरीको, वेस्ट इण्डीज में—वर्जिन द्वीप-पुंज।

हैटी

स्थिति—वेस्ट इण्डीज; क्षेत्रफल—१०,७१४ वर्गमील; जन-संख्या—३३,८४,००० (१९५७); राजधानी—पोर्ट-ऑ-प्रिंस; भाषा—फ्रेंच, धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—गुर्द; राष्ट्रपति—डॉ० फ्रैंकोइस डुवेलियर (१९५७ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)। मुख्य नगर—कैपहेटन, गोनाइव, लेस-केयस, जेरेमी।

पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्द्ध में यह निग्रो जाति के लोगों का एकमात्र प्रजातन्त्र राज्य है। निग्रो जाति के अलावा यहाँ मोलैटोज जाति के भी लोग हैं। सन् १४९२ ई० में कोलम्बस ने इस देश का पता लगाया था। १७ वीं सदी में यह फ्रांस के अधिकार में आया। यहाँ के कुल ५ लाख दासों ने सन् १७९१ ई० में टॉसेण्ट-एल-ओवर्चर के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इसके फलस्वरूप १ जनवरी, १८०३ को यह स्वतंत्र हुआ। अव्यवस्थित राजनीतिक परिस्थिति के कारण यह १९१५ से १९३४ ई० के बीच संयुक्तराज्य अमेरिका के अधिकार में रहा। सन् १९६३ ई० से इसका एक नया संविधान बननेवाला है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होगा और पार्लमेंट का केवल एक सदन रहेगा।

होंडुरास

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—४३,२२७ वर्गमील; जन-संख्या—१७,६६,००० (१९५७), राजधानी—टेगुसिगाल्पा; भाषा—स्पेनिश, धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—लेम्पिरा; राष्ट्रपति—डॉ० जोसे रैमोन भिलेडा मोराल्स (१९५७ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—सान पेड्रोसुला, आम्पाला, ला-सीवा, टेला।

यहाँ के निवासियों में करीब ३५,००० आदिवासी हैं, जो अपनी विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। पहले-पहल सन् १५२५ ई० में स्पेनवाले यहाँ आकर बसे और उन्होंने इस भूमि पर अधिकार जमाया। सन् १८२१ ई० में ये लोग अपने मूल देश स्पेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर स्वतन्त्र हो गये और होंडुरास को मध्य अमेरिका-संघ का एक अंग बनाया। किन्तु १८३८ ई० से यह उससे भी अलग हो गया। संयुक्तराज्य अमेरिका से इसे कई बार संघर्ष करना पड़ा। इसके अन्दर ३१ जिले हैं। सन् १९५७ ई० के विधानानुसार यहाँ की कॉंगरेस का एक सदन है। सन् १९५५ ई० से यहाँ महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

★

दक्षिणी अमेरिका

उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आकार-प्रकार तथा अन्य प्राकृतिक बनावट मे बहुत-कुछ मिलते-जुलते-से हैं। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से कुछ ही कम है, पर इसकी जन-संख्या उत्तरी अमेरिका की जन-संख्या की आधी भी नही है। यदि भारत से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि भारत की जन-संख्या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कुल जन-संख्या के योग से भी अधिक है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल ६८,२५,८७६ वर्गमील और जन-संख्या १२ करोड़, ४० लाख है। इस देश के मूल निवासी अमेरिकन इण्डियन कहलाते हैं। यह नाम १४वी सदी में इस देश में पहले-पहल आनेवाले यूरोपियनों द्वारा दिया गया था। यहाँ के पुराने निवासियों में अधिकाश जंगल में ही रहते हैं। अब तो यहाँ के निवासी प्रधानतः पहले आये हुए स्पेन और पुर्त्तगालवासियों के वंशज हैं। वैसे तो कुछ अन्य यूरोपियन भी हैं ही। उत्तर में कुछ निग्रो भी रहते हैं, जिनके पूर्वज खेतों में काम करने के लिए यहाँ लाये गये थे। हाल में कुछ इटालियन दक्षिणी भाग मे आये हैं। ब्राजिल मे कुछ जापानी भी बस गये हैं। इस महादेश के उत्तर में ट्रिनीडाड टापू एवं दक्षिण में फॉकलैंड टापू अँगरेजो के अधिकार मे हैं।

अरजेण्टिना

स्थिति—दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग; क्षेत्रफल—१०,७८,७६६; जन-संख्या—१,६८,५८,००० (१६५७); राजधानी—बुएनॉस-एरिज; भाषा—स्पेनिश, धर्म—रोमन कैथोलिक, सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—डॉ० आर्टूरो फ्रोंडीजी और उप-राष्ट्रपति—अलेक्जेण्ड्रा गोमेज (१६५८ ई० से); शासन-स्वरूप— गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—रोसारियो, कॉरडोवा, सान्ताफे, टुकुमान, मेण्टोजा, लाप्लाटा।

यह दक्षिणी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। इसके अन्दर ६ प्रान्त और एक फेडरल जिला हैं। यहाँ पहले-पहल स्पेनिश लोग सन् १५१६ ई० मे आये थे। १८१६ ई० मे यह स्पेन से स्वतंत्र हुआ। इस समय यहाँ के मुख्य निवासी स्पेनिश और इटालियन है। यूरोप के कुछ दूसरे देशों के लोग भी यहा रहते हैं।

यहा की मुख्य उपज गेहूं, जौ, जई, तीसी, री और अलफाल्फा है। यहा खनिज पदार्थ भी काफी पाये जाते है।

यहा का संविधान संयुक्तराज्य अमेरिका के ढंग का है। यहा की कांगरेस के दो सदन हैं, जिनमे क्रम से ३० और १५८ सदस्य हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति होने के लिए यहा का निवासी और रोमन कैथोलिक होना आवश्यक है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष सार्वजनिक मत से ६ वर्षो के लिए होता है। यहा के मंत्रिमंडल के सदस्यो का चुनाव राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन मे अपना मत प्रदान करना यहा अनिवार्य माना जाता है। महिलाएँ भी मत प्रदान करती हैं।

इक्वेडर

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा, क्षेत्रफल—१,१६,२७० वर्गमील, जन-संख्या—३८,६०,००० (१६५७ ई०); राजधानी—क्वीटो, भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—सुक्रे; राष्ट्रपति—डॉ० कामिलो पोन्से एनरीक्वेज (१६५६ से), शासन-

स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—गुआयाक्विल, कुएनका, अमबैटो, रियोबम्बा, लोजा, लाटाकुंगा।

सन् १५३२ ई० में फ्रांसिस्को पिजारो के नेतृत्व में स्पेनवालों ने यहां के स्थानीय शासक को हराकर इस भू-भाग को अपने अधिकार में कर लिया। १८२२ ई० में यह कोलम्बिया के साथ मिला दिया गया। उस समय यह क्वीटो प्रेसिडेन्सी कहलाता था। सन १९३० ई० से यह अलग होकर इक्वेडर गणतन्त्र कहलाने लगा। यहाँ के निवासियों में रेड इण्डियन, मूलैटो और गोरी जातियाँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से चार वर्षों के लिए होता है। यहाँ सन १९२९ ई० से महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त है।

उरुगुए

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण-पूर्व भाग में; क्षेत्रफल—७२,१७२ वर्गमील; जन-संख्या—२६,७५,००० (१९५७): राजधानी—मॉण्टे विडिओ; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; प्रेसिडेण्ट ऑफ् दि नेशनल कौंसिल ऑफ् स्टेट—मार्टिन आर० इचे गोयन; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—पेसाण्डु, साल्टो, रिवेरा।

यह दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा, किन्तु बहुत उन्नत देश है। यूरोपवासियों में सबसे पहले सन १५१६ ई० में यहाँ स्पेनवाले आये। किन्तु यहाँ सबसे पहले बसनेवाले पुर्तगाली हुए, जो १६८० ई० में यहाँ बसे थे। पीछे सन १७७८ ई० में स्पेन ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर यह ब्राजिल का एक प्रान्त बना। सन १८२५ ई० में यह उससे भी स्वतन्त्र हो गया। सन् १९३० ई० में यहाँ गणतन्त्र की स्थापना हुई। सन् १९५१ ई० के पहले इसके राष्ट्रपति चार वर्षों के लिए चुने जाते थे, किन्तु उसके बाद किसी व्यक्ति-विशेष का राष्ट्रपति होना बंद कर शासन-प्रबन्ध का सारा अधिकार एक नेशनल कौंसिल को दिया गया, जिसका अध्यक्ष बहुमत-दल के सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुना जाता है। कौंसिल एक मंत्रिमंडल भी बनाती है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ के उद्योग-धन्धों में सबसे मुख्य पशु पक्षियों का पालन है।

कोलम्बिया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा; क्षेत्रफल—४,३९,५२० वर्गमील, जन-संख्या—१,३२,२७,०००; राजधानी—बागोटा; भाषा—स्पेनिश, धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—अलबर्टोइलिरास कॉमरगो (१९५८ ई० से), शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—मेडेलिन, कैली, बैरेन्क्विला, कारटेगेना, मैनिजालेस।

सन् १५३६ ई० में स्पेनवालों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया। सन् १८१९ ई० में यह स्पेन से अपना संबंध-विच्छेद कर स्वतंत्र हुआ। उस समय पनामा, वेनेजुएला और इक्वेडर इसके साथ थे। सन् १८३० ई० में वेनेजुएला और इक्वेडर इससे अलग हो गये और यह न्यूग्रानाड के नाम से अलग रहा। सन् १८५८ ई० के संविधानानुसार ८ राज्यों का यह संघ 'ग्रानेडिना संघ, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ५ वर्षों के बाद यह संयुक्त राज्य कोलम्बिया कहलाया। सन १८८६ ई० से यह कोलम्बिया गणतंत्र कहलाने लगा। उस समय से राज्यों की सम्प्रभुता का अंत कर वहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गवर्नरों को सौंपा गया है। सन् १९०३ ई० में

पनामा इससे अलग होकर एक गणतंत्र बन गया। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं—सिनेट और प्रतिनिधि-सभा। सिनेट के सदस्य ४ वर्षों के लिए तथा प्रतिनिधि-सभा के सदस्य दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सन् १९५८ ई० के निर्वाचन मे सिनेट के ८० और प्रतिनिधि-सभा के १४८ सदस्य चुने गये। यहाँ महिलाओं को मत-प्रदान का अधिकार नहीं है और न वे कोई निर्वाचित पद ही ग्रहण कर सकती हैं।

यहाँ का टेक्वेनडामा जलप्रपात तथा हिम-मंडित पर्वत-शिखर सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। कहवा के निर्यात मे संसार में इसका दूसरा स्थान है।

गायना

दक्षिणी अमेरिका के उत्तर-पूरब भाग मे अटलांटिक महासागर के तट पर गायना नाम का देश है, जो तीन राजनीतिक भागों में बँटा है। इन तीन भागो पर यूरोप के तीन बड़े राष्ट्रों—ब्रिटिश, डच और फ्रेंच—का अलग-अलग अधिकार है और ये क्रमश ब्रिटिश गायना, डच गायना और फ्रेंच गायना कहलाते हैं। इनके विवरण नीचे दिये जाते हैं —

ब्रिटिश गायना

इसका क्षेत्रफल ८३,००० वर्गमील और सन् १९५८ ई० के अनुमानानुसार जन-संख्या ५,३९,६४० है, जिसमें २,५८,०४० भारतीय हैं। इसकी राजधानी जार्ज टाउन है। सन् १६२० ई० के लगभग डच लोग यहाँ आ बसे थे और सन् १७९६ ई० तक यहाँ उनका कब्जा रहा। उसके बाद यह अँगरेजों के अधिकार मे आया। सन् १९५५ ई० से यहाँ के गवर्नर सर पेट्रिक रेनिसन हैं। सन् १९५६ ई० के संविधानानुसार यहाँ एक लेजिस्लेटिव कौंसिल का निर्माण किया गया है।

डच गायना

इसका दूसरा नाम सुरिनाम है। इसका क्षेत्रफल १,४२,८२२ वर्ग कीलोमीटर है और सन् १९५७ ई० के अनुसार निर्धारित जन-संख्या २,३६,००० है, जिसमे ५२,००० हिन्दू हैं। इसकी राजधानी परामेरिबो है। यह भूभाग प्रारम्भ में ॲंगरेजों के अधिकार मे था। सन् १६६७ ई० में यह उत्तरी अमेरिका के न्यू नेदरलैंड के बदले नेदरलैंड को दे दिया गया। उसके बाद यह फिर दो बार १७९९ ई० से १८०२ ई० और १८०४ ई० से १८१६ ई० तक ब्रिटेन के अधिकार मे रहा। तत्पश्चात् यह पुनः नेदरलैंड के हाथ में आया। यह ७ जिलों में बँटा है। यहाँ के शासन-कार्य के लिए गवर्नर, मंत्रिमंडल और लेजिस्लेटिव कौंसिल हैं।

फ्रेंच गायना

इसका क्षेत्रफल ९०,००० वर्ग कीलोमीटर और १९५५ ई० के गणनानुसार इनिनी-सहित इसकी जन-संख्या २७,८६३ है। इसकी राजधानी कायने है। सन् १८५४ ई० से १९३८ ई० तक पुराने अपराधियों को कठिन श्रम के लिए यहाँ भेजा जाता था। सन् १९४५ ई० में बचे-खुचे अपराधियों को फ्रांस वापस भेज दिया गया। सन १९३० ई० मे इनिनी का क्षेत्र इससे अलग किया गया था, परन्तु सन १९४६ ई० में यह पुन सम्मिलित कर दिया गया। सन १९५१ ई० मे इसे अंतिम रूप से पृथक् कर दिया गया है।

चिली

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा; क्षेत्रफल—२,८६,३९७ वर्गमील, जन-संख्या—[illegible] (१९५७ ई०), राजधानी—सान्टियागो; भाषा—स्पेनिश धर्म—रोमन कैथोलिक, सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—[illegible] अलेस्सान्द्री; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक), मुख्य नगर—वालपरेसो, कोनसेपसियोन, वीनाडेलमार, एन्टोफेगस्टा।

यहाँ के मूल-निवासियों में मुख्यतः फ्यूजियन्स, अरोकानियन्स और चानोस हैं। यहाँ स्पेनवासी सर्वप्रथम १५३६ ई० में आये और १५४० ई० में उन लोगों ने इस देश को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ तीन सौ वर्ष तक स्पेन से यहाँ का शासन-कार्य चलाया जाता रहा। सन् १८१८ ई० में यह स्पेन के शासन से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। यह संसार में आयोडिन के उत्पादन में प्रथम और तांबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ की नेशनल कांग्रेस में सिनेट के ४५ सदस्य और डिपुटियों के चेम्बर के १४७ सदस्य हैं। यहाँ १९३९ ई० में ही राष्ट्र-निर्माण के लिए उत्पादन-विकास-निगम की स्थापना की गई है, जो राष्ट्र के बहुमुखी विकास में काफी योग दे रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है।

पारागुए

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका; क्षेत्रफल—१,५७,००० वर्गमील; जन-संख्या—१६,३८,००० (१९५७ ई०); राजधानी—असुन-सियोन; भाषा—स्पेनिश और गुआरानी, धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—गुआरानी; राष्ट्रपति—जेनरल अल्फ्रेडो स्ट्रोएसनर (१९५४ ई० से), शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

यहा के निवासियों में स्पेनवासी, रेड इंडियन और मेसटिजो-जाति के लोग हैं। स्पेनवासी यहा १५२७ ई० में आये और यहाँ शासन करने लगे। सन् १८११ ई० मे यह देश स्वतंत्र हुआ। १८१५ ई० से १८४० ई० तक यहां अधिनायक-तंत्र रहा। सन १८७० ई० में इसका लोकतंत्रात्मक संविधान बना। यहा की पार्लमेण्ट का एक सदन है। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ५ वर्षों के लिए होता है।

पेरू

स्थिति—दक्षिण अमेरिका; क्षेत्रफल—५,१४,०५९ वर्गमील; जन-सख्या—९९,२३,००० (१९५७ ई०); राजधानी—लीमा; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक, सिक्का—सोल; राष्ट्रपति—मैनुएल प्रोडो उगारटेचे (१९५६ ई०); प्रधानमंत्री—पेड्रो बेलट्रन, शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—कलाओसिटी, एरेक्विया, कुजको, ट्रुजिलो, चीक्लायो।

इस देश में पहले शक्तिशाली 'इन्का' साम्राज्य था, जिसका केन्द्र ऐण्डीज पर्वत-श्रेणी-स्थित 'कुजको' मे था। स्पेनिश विजेता फ्रैंसिस्को पिजारो ने सन् १५३२ ई० में इस पर आक्रमण किया। उसने यहाँ के राजा अटाहु अल्पा को मारकर प्रचुर परिमाण में सोना प्राप्त किया तथा यहा के मूल-निवासियों को दास वना लिया। सन् १८२१ ई० तक यहाँ स्पेनवालों का शासन रहा। उसके वाद १८२४ ई० में यह यस्वतंत्र हुआ। सन् १८७९–८४ ई० के बीच चिली ने इसपर चढाई की और इसके दो प्रान्त ले लिये।

सन् १६३३ ई० के संविधानानुसार यहाँ के राष्ट्रपति तथा दो उपराष्ट्रपतियों का चुनाव ६ वर्षों के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वही प्रधानमंत्री-सहित मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। यहाँ की 'कॉंगरेस' के दो सदन हैं। सन् १६५६ ई० की ४ जुलाई को यहाँ का मंत्रिमंडल भंग हो गया।

यह देश तीन प्राकृतिक विभागों मे बँटा हुआ है। इसका समुद्री किनारा प्रशात महासागर की ओर १,४१० मील में फैला हुआ है। यहाँ के ८५ प्रतिशत लोग कृषि और पशु-पालन पर निर्भर करते हैं। पहाड़ी भागों में खानें अधिक पाई जाती हैं। संसार के अन्दर चाँदी के उत्पादन मे इसका स्थान पाँचवाँ और वोनाडियम के उत्पादन मे चौथा है।

बोलिविया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से का मध्य भाग; क्षेत्रफल—४,१६,०४० वर्गमील; **जन-संख्या**—३२,७३,००० (१६५७ ई०), **राजधानी**—लापाज; **मान्यता-प्राप्त भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—बोलिवियानो, **राष्ट्रपति**—डॉ० हरनन सिलस जुआलेज (१६५६ ई० से), **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)। **मुख्य नगर**—कोचाबम्बा, ओरुरो, सान्ताक्रूजे, सुकरे, पोतोसी, तारिजा, ट्रिनिड्राड, कोबिजा।

यहाँ के अधिकाश निवासी रेड इण्डियन है, जो अपनी भाषा बोलते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ गोरी और मिश्रित जातियाँ हैं। गोरी जातियाँ १३ प्रतिशत और मिश्रित जातियाँ २५ प्रतिशत हैं। इन्कन साम्राज्य का यह भू-भाग १५८३ ई० मे स्पेन के हाथ मे आया और १८२५ ई० में साइमन बोलिवर के नेतृत्व में इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। सन् १८२७ से १६३५ ई० के बीच इसका आधा से अधिक क्षेत्र पड़ोसी राष्ट्रों के हाथ में चला गया। पीछे बोलिवर के नाम पर ही देश का नाम बोलिविया पड़ा। १६५६ ई० के चुनाव मे नेशनल रिवोल्यूशनरी मूवमेण्ट पार्टी की जीत हुई। इस दल ने १६५२ मे ही सैनिक विद्रोह कर शासन-शक्ति को अपने अधिकार मे कर लिया था और तभी से यह देश पर शासन कर रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव चार वर्षों के लिए होता है। ये तुरत दोबारा नहीं चुने जाते। यहा की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। सिनेट का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। इसके एक तिहाई सदस्य दो वर्षों पर बदल जाते हैं। चेम्बर ऑफ डिपुटीज के सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा आधे दो वर्षों पर बदलते रहते हैं।

ब्राजिल

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका; क्षेत्रफल—३२,८८,०५० वर्गमील; **जन-संख्या**—६,३१,०१,६२७ (१६५८ ई०), **राजधानी**—रायोडिजेनरो, **भाषा**—पुर्त्तगाली; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—क्रुजिरो; **राष्ट्रपति**—डॉ० जुसेलिनो कुबिट्स चेक डे ओलिवरा (१६५६ ई० से), **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक), **मुख्य नगर**—साओपॉलो; सान्वाडोर, रेसिफे, बेलो होरिजेण्टे, पोर्टो एलेगरी।

सन् १५०० ई० में पुर्त्तगीज जहाजी पेड्रो आलवेयर्स कैबरल ने इस देश का पता लगाया। सन् १५४६ ई० में यह पुर्त्तगाल का उपनिवेश बना। सन् १८२२ ई० में इससे मुक्त होकर ब्राजिल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसने पुर्त्तगाल के राजा जॉन षष्ठ के पुत्र पेड्रो प्रथम को अपना राजा बनाया। सन १८८६ ई० में यहा गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र के

स्थापना-काल से अबतक इसके चार संविधान बन चुके हैं। सन् १९३० ई० में गेटुलियो वारगस के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, जिसके फलस्वरूप वह आगामी राष्ट्रपति बन गया।

सन् १९४६ ई० के संविधानानुसार यहां के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्षों के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उन्हें पुनः चुने जाने का अधिकार नहीं रहता। यहाँ की 'कांग्रेस' के दो सदन हैं—सिनेट और चैम्बर ऑफ डिपुटीज। सिनेट के सदस्य ८ वर्षों के लिए तथा डिपुटी ४ वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं।

यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश और २० राज्यों, ५ क्षेत्रों एवं एक संघीय जिले का संघ-राज्य है। यहां के निवासियों में रेड इंडियन, मिश्रित जातियां तथा अन्य आदिम जातियों के अतिरिक्त इटालियन, जर्मन, पुर्तगाली और जापानी भी हैं। संसार का यह सबसे बड़ा कहवा-उत्पादक देश है।

वेनेजुएला

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग; क्षेत्रफल—३,५२,१५० वर्गमील, जनसंख्या—६१,३४,००० (१९५७); राजधानी—काराकास; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बोलिवर; राष्ट्रपति—रोमुलो बेटान कोर्ट; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक), मुख्य नगर—माराकैबो, कुमाना, सान क्रिस्टोबल, कोरो, बरकिसिमेटो।

इसमें २० प्रांत और दो क्षेत्र-राज्य सम्मिलित हैं। इसके साथ पास के ७२ छोटे-छोटे द्वीप भी हैं। यहां का अंजेल नाम का झरना दुनिया का सबसे ऊँचा झरना कहा जाता है। कृषि, पशु-पालन एवं खान खोदना यहां के मुख्य व्यवसाय हैं। पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्तराज्य अमेरिका के बाद संसार में इसी का स्थान है।

सन् १४९८ ई० में कोलम्बस यहां आया था। १८१९ ई० तक यह स्पेन के अधिकार में रहा। उस समय यह कोलम्बिया के साथ था, पर १८३० ई० में यह उससे अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। यहां की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ५ वर्षों के लिए होता है।

★

अंटार्कटिक महाद्वीप

दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित विशाल भू-भाग को अण्टार्कटिक महाद्वीप, अण्टार्कटिका या अंध-महाद्वीप कहते हैं। इसका नाम दक्षिणी ध्रुव-क्षेत्र भी दिया जा सकता है। यह भू-भाग ६६½° दक्षिणी अक्षांश-रेखा के, जिसे अण्टार्कटिक सर्किल भी कहते हैं, प्रायः भीतर ही पड़ता है। भयानक सागरों, हिम-शिलाओं तथा झंझावातों से घिरे रहने के कारण यहाँ मनुष्य का आना अत्यन्त कठिन था, जिससे लोगों को इसके संबंध में जानकारी नहीं हो सकी थी। इसीलिए लोग इसे अन्ध-महाद्वीप कहने लगे थे। इसका क्षेत्रफल संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा के सम्मिलित क्षेत्रफल के बराबर है। यह भू-भाग कई क्षेत्रों में बँटा हुआ है, जिनके नामकरण भी हो गये हैं। ये क्षेत्र यूरोप और अमेरिका के समृद्धिशाली उन्नत राष्ट्रों के अधिकार में आ गये हैं।

इस भू-भाग की खोज १७वीं सदी से ही जारी है। सन् १७६९ ई० से १७७३ ई० तक कप्तान कुक १०६°५४' पश्चिम देशान्तर पर ७१°१०' दक्षिण अक्षांश तक जा सका। सन् १८१९ ई० में

लेटलैंड और १८३३ ई० में केपलैंड का पता चला। सन् १८४१-४२ ई० में रॉस ने ज्वालामुखी पर्वत इरेवस और शान्त पर्वत टरेर का पता लगाया। पीछे गरशेल ने यहाँ कैसौ द्वीपों की खोज की। सन् १९१० ई० में यहाँ पाँच अनुसन्धायक दल काम कर रहे थे। उन्हीं में से क्रमशः अयुंड सेम और स्कॉट के दल दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचे थे। सन् १९५० ई० में ब्रिटेन, नारवे और स्वीडन के दलों ने सम्मिलित रूप से तथा १९५० ई० से १९५२ ई० के बीच अकेले फ्रांसीसी दल ने अन्वेषण का काम किया। १९५८ ई० में रूसी वैज्ञानिकों ने यहाँ लोहे और कोयले का पता लगाया। १९५९-६० ई० के अन्तरराष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष में संयुक्तराज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन आदि १२ राष्ट्रों ने अन्वेषण-कार्य कर ५७ वैज्ञानिक अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किये।

दक्षिणी ध्रुव दस हजार फुट ऊँचे पठार पर है, जिसका क्षेत्रफल ५० लाख वर्गमील है। इसके अधिकाश भाग पर बर्फ की मोटाई दो हजार फुट तक रहती है। यहाँ के करीब सौ वर्गमील को छोड़कर शेष भाग बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की चट्टानें भारत, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा दक्षिणी अमेरिका की चट्टानों से मिलती-जुलती हैं। यहाँ ११०० मील लम्बी पर्वत-श्रेणी है, जिसका धरातल बलुआही पत्थर तथा चूने के पत्थर से बना है। यह ८ हजार से १५ हजार फुट तक ऊँचा है।

जलवायु—ग्रीष्म ऋतु मे ६०° से ७८° दक्षिण अक्षाश तक का तापमान २८° फेरेनहाइट रहता है। जाड़े मे ७१½° दक्षिण अक्षाश पर ४५° तापमान होता है। महाद्वीप के मध्य भाग का ताप १००° फारेनहाइट से भी नीचे चला जाता है।

वनस्पति तथा पशु-पक्षी—दक्षिणी ध्रुव-महासागर में पौधे तथा छोटी-छोटी वनस्पतियाँ बहुत हैं। इस महाद्वीप में करीब १५ प्रकार के पौधे मिलते हैं, जिनमें तीन मीठे पानी के पौधे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ह्वेल है। यहाँ तेरह प्रकार के सील नामक समुद्री जीव का पता लगा है, जिनमें चार उत्तरी प्रशान्त महासागर में पाये जानेवाले सीलों से मिलते-जुलते हैं। इन्हें समुद्री सिंह और समुद्री हाथी भी कहते हैं। यहाँ ग्यारह प्रकार की ऐसी मछलियों का पता लगा है, जो अन्यत्र नहीं पाई जातीं। यहाँ बडे आकार के किंग पेंगुइन तथा अलब्रॉस नामक पक्षी भी मिलते हैं। यहाँ धरती पर रहनेवाले पशु नहीं पाये जाते।

उत्पादन—यहा की ह्वेल मछलियों से साढे चार करोड़ रुपये की आमदनी होती है।

दक्षिणी ध्रुव-क्षेत्र की स्थिति उत्तरी ध्रुव-क्षेत्र से बहुत-कुछ भिन्न है। उत्तरी ध्रुव-क्षेत्र के चारों ओर कोई विशाल भूखंड नहीं है और न वह इसके समान अत्यधिक शीत-प्रधान है। यहा चारों ओर छोटे-छोटे द्वीप फैले हुए है, जिनपर पास के किसी-न-किसी शक्तिशाली देश का पहले से अधिकार है।

★

संयुक्त राष्ट्रसंघ

प्रथम विश्व-महायुद्ध (१९१४—१८) की विभीषिका तथा उसकी विनाश-लीला से संत्रस्त होकर संसार के प्रमुख राष्ट्रों ने भावी महायुद्ध की संभावना को कम करने के लिए, पारस्परिक सुरक्षा, शान्ति एवं कल्याण को दृष्टि में रखते हुए, एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया और उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए सन् १९२० ई० में राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना की। राष्ट्रसंघ का प्रारंभ ४२ प्रारंभिक सदस्यों को लेकर हुआ था। संयुक्तराज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विलसन ने इसकी स्थापना में पर्याप्त योगदान किया था। राष्ट्रसंघ ने अपने जीवन-काल में कई ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये, जिनसे भविष्य में अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर होनेवाले राष्ट्र-संगठनों का मार्ग-निर्देश संभव हुआ। किन्तु कई कारणों से राष्ट्रसंघ राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण सफल नहीं रहा और इसके रहते ही सन् १९३९ ई० में द्वितीय विश्व-महायुद्ध का श्रीगणेश हो गया।

इस द्वितीय महायुद्ध से होनेवाली क्षति प्रथम विश्व-महायुद्ध की अपेक्षा कहीं बढ़कर थी। यद्यपि राष्ट्रसंघ की स्थापना ने विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय संगठन का महत्त्व स्पष्ट ही कर दिया था, फिर भी कतिपय कारणों से तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित करना उचित नहीं समझा और विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा की दिशा में अलग से प्रयत्न किये जाने लगे। इस द्वितीय महायुद्ध के दौरान में ही अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चर्चिल ने सन् १९४१ ई० में एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, जो अतलान्तक घोषणा-पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा-पत्र में शांति की स्थापना, भय और अभाव से मुक्ति, शक्ति-प्रयोग का निषेध, निःशस्त्रीकरण, अनाक्रमण, कच्चे माल की सब देशों के लिए समान सुविधा, आर्थिक क्षेत्रों में सब देशों का पूर्ण सहयोग आदि प्रमुख बातें थीं।

द्वितीय महायुद्ध की जैसे-जैसे प्रगति होती गई, धुरी-राष्ट्रों (जर्मनी, इटली और जापान) के विरुद्ध लड़नेवाले मित्र-राष्ट्रों को 'संयुक्त राष्ट्र' या 'युनाइटेड नेशन्स' कहा जाने लगा। यह नामकरण सर्वप्रथम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। अतः, उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं की स्मृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस संगठन का नाम 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' (U.N.O.) रख दिया गया। युद्ध के दौरान में ही मित्रराष्ट्र इस संगठन को मूर्त्त रूप देने के लिए कटिबद्ध हो गये तथा राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ् नेशन्स) के ढाँचे पर ही इस नये संगठन का निर्माण करने लगे। पहली जनवरी, सन् १९४२ को एक संयुक्त घोषणा-पत्र में सर्वप्रथम इस नाम का उपयोग किया गया जबकि २६ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देश की सरकार की ओर से यह प्रतिश्रुति दी कि वे सम्मिलित होकर धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। ३० अक्टूबर, १९४३ ई० को मास्को में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस के विदेश-मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें एक घोषणा-पत्र द्वारा अन्तरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को कायम रखने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके बाद काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन-उड्स और हॉटस्प्रिंग में इस सम्बन्ध में सम्मेलन हुए।

सन् १९४४ ई० के अगस्त—अक्टूबर में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन, सोवियत रूस, इंगलैण्ड और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके बाद २५ अप्रैल से २६ जून तक धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़नेवाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन सानफ्रांसिस्को में बुलाया गया। सम्मेलन मे पचास विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पूर्वोक्त चार राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जो प्रारूप प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का अधिकार-पत्र (चार्टर) निष्पन्न किया। २६ जून, १९४५ को इस घोषणा-पत्र पर ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। बाद में एक और राष्ट्र पोलैण्ड ने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार कुल ५१ राष्ट्र सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रारम्भिक सदस्य हुए।

२४ अक्टूबर, १९४५ को सयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकृत रूप में स्थापना हुई जबकि उसके अधिकार-पत्र को चीन, फ्रांस, सोवियत रूस, इंगलैण्ड और अमेरिका तथा अन्य स्वाक्षरकारी राष्ट्रों के बहुमत ने सम्पुष्ट किया।

उद्देश्य और सिद्धान्त

सयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य—संयुक्त राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं—(१) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना, (२) राष्ट्रों के बीच, उनके सम्मान, अधिकार और आत्म-निर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना, (३) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव-हितवादी अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने और मानवीय अधिकारों तथा सबके लिए मौलिक स्वाधीनताओं के प्रति सम्मान-भावना अभिवर्द्धित करने में अन्तरराष्ट्रीय रूप में सहयोग करना और (४) इन समान उद्देश्यो की सिद्धि के लिए राज्यों द्वारा किये जानेवाले कार्यों के सामञ्जस्य का केन्द्र बनाना।

सिद्धान्त—उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर अपना कार्य-सम्पादन करता है—

(१) संघ का संगठन अपने सभी सदस्यो की संप्रभुता की समता के आधार पर बना है; (२) घोषणा-पत्र के अनुसार जो-जो दायित्व या कर्त्तव्य सदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकार किये हैं, उन्हे सत्य-निष्ठा के साथ पूरा करना है; (३) सदस्यों को अपने अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से और इस ढंग से हल करना है, जिससे शान्ति, सुरक्षा एवं न्याय पर खतरा न पहुंचे, (४) अपने अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धो मे अन्य राज्यों के विरुद्ध धमकी या बल-प्रयोग से विरत रहना; (५) अधिकार-पत्र के अनुकूल जो भी काम संयुक्त राष्ट्रसंघ करे, उसमे सदस्यो को हर प्रकार की मदद करनी है और ऐसे किसी भी राष्ट्र को सहायता नहीं देनी है, जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ निरोधात्मक या विवश करने के उद्देश्य (Enforcement action) से कोई कारखाई कर रहा हो; (६) संयुक्त राष्ट्रसंघ को यह दृढ़ता के साथ देखना है कि जो राज्य राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी, जहां तक अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना आवश्यक है, इन सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करें; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ को उन मामलों में दखल नहीं देनी है, जो तत्त्वतः किसी राष्ट्र के आन्तरिक या राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर आते हों। पर जहां शान्ति-भंग का खतरा हो, शान्ति-भंग या आक्रमण किया गया हो और उसके सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ विवश करने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रहा हो, वहां यह धारा लागू नहीं होगी।

सदस्यता

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता का द्वार उन सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों के लिए खुला है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में उल्लिखित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और इस संस्था के विचार से इन दायित्वों का पालन करने में समर्थ और इच्छुक हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मौलिक या प्रारम्भिक सदस्यों में वे देश हैं, जिन्होंने १ जनवरी, १९४२ को इसके अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये या २६ जून, १९४५ ई० को सानफ्रांसिस्को-सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किये और सम्पुष्टि की। इन दिनों सदस्य-राष्ट्रों की संख्या ९९ है। सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर आम सभा के दो तिहाई सदस्यों के समर्थन द्वारा नये सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल किये जाते हैं। किसी भी सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिकार-पत्र के सिद्धान्तों का 'बार-बार' उल्लंघन करने पर भी किसी सदस्य को संघ से निकाला जा सकता है। आम सभा (जेनरल एसेम्बली) को अधिकार है कि जिन सदस्यों के विरुद्ध सुरक्षा-परिषद् ने निरोधात्मक या उन्हें विवश करने के उद्देश्य से कारवाई की हो, उनकी सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की अभ्यर्थना पर दो तिहाई सदस्यों के वोट से निलम्बित कर दे। जिस सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता इस प्रकार निलम्बित की गई हो, वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की किसी भी शाखा की बैठकों में शामिल नहीं हो सकता। सुरक्षा-परिषद् किसी निलंबित सदस्य के अधिकारों को प्रत्यर्पित कर सकती है। अभी तक कोई भी सदस्य संघ से बाहर नहीं किया गया है, यद्यपि रूस, फ्रांस और दक्षिण अफ्रिका किसी प्रश्न के विरोध में कुछ काल के लिए बैठकों से बाहर निकल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों के नाम निम्नांकित हैं—

एशिया (२३)—अफगानिस्तान, इजराइल, इण्डोनेशिया, इराक, ईरान, कम्बोडिया, चीन (च्यांगकाई शेक द्वारा शासित फरमोसा की सरकार का प्रतिनिधित्व, १९५० ई० से), जापान, जोर्डन, तुर्की, थाइलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, बर्मा, भारत, मलाया, यमन, लंका, लाओस, लेबनान, संयुक्त अरब-गणतंत्र, सऊदी अरब।

यूरोप (२७)—अलबानिया, अस्ट्रिया, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, नारवे, नेदरलैंड, पुर्त्तगाल, पोलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, बलगेरिया, बेलजियम, बाइलो-रूस, युगोस्लाविया, यूक्रेन, रूमानिया, लक्जेम्बर्ग, साइप्रस, सोवियत रूस, स्पेन, स्वीडन, हंगरी।

अफ्रिका (२५)—अपर वोल्टा, आइवरी कोस्ट, इथोपिया, कांगो (ब्राजविल), कांगो (लियोपोल्डविल), कैमेरून, गीनी, गैबन, घाना, चाड, टोगोलैंड, ट्युनिशिया, दक्षिण अफ्रिका-संघ, दहोमी, नाइजर, नाइजीरिया, मडागास्कर, मध्य-अफ्रिकी गणतंत्र, माली, मोरोक्को, लाइबेरिया, लीबिया, सूडान, सेनेगल, सोमालिया।

उत्तर-अमेरिका (१२)—एल-सालवेडर, कनाडा, कोस्टारिका, क्यूबा, गुआटेमाला, डोमिनिकन गणतंत्र, निकारागुआ, पनामा, मेक्सिको, संयुक्तराज्य अमेरिका, हैटी, हण्डुरास।

दक्षिणी अमेरिका (१०)—अर्जेंटिना, इक्वेडर, उरुगुए, कोलम्बिया, चिली, परागुए, पेरू, बोलिविया, ब्राजिल, वेनेजुएला।

अस्ट्रेलेशिया (२)—अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।

प्रमुख अंग

संयुक्त राष्ट्रसंघ के ६ प्रमुख अंग हैं—(१) आम सभा (जेनरल एसेम्वली); (२) सुरक्षा-परिषद् (सिक्यूरिटी कौंसिल); (३) आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इकोनॉमिक ऐण्ड सोशल काउन्सिल); (४) प्रन्यास-परिषद् (ट्रस्टीशिप कौन्सिल); (५) अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय और (६) सचिवालय (सेक्रेटेरियट)।

उपर्युक्त अंगों में आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् आम सभा के अधीन कार्य करती हैं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अविभाज्य अंग बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधायिका-सम्बन्धी समस्त कार्य सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् के बीच बँटे हुए हैं। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ की सभी शाखाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और यह इसकी आम सभा से पृथक् स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य-संपादन करती है।

१. आम सभा—संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने पाँच प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, जिनका चुनाव वह अपने ढंग से करता है। किन्तु पाँच प्रतिनिधियों का एक ही मत (वोट) गिना जाता है। आम सभा संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रधान सभा है। इसके कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसकी बैठक साल में एक बार नियमित रूप से हुआ करती है। बैठक का आरम्भ सितम्बर महीने में होता है। सुरक्षा-परिषद् तथा सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर इसकी विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। आम सभा वस्तुतः एक विचार-विमर्श करनेवाली संस्था है, जो मुख्यतः सुझाव देने या सिफारिश करने का कार्य करती है। शांति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ सुरक्षा-परिषद् को ही सौंप दी गई हैं। आम सभा को कुछ प्रशासन, व्यवस्था, आय-व्ययक (बजट) तथा निर्वाचन-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं।

आम सभा में किसी भी महत्त्वपूर्ण समस्या पर कोई निर्णय मतदान करनेवाले उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से होता है; जैसे—शान्ति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें, अंगों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का प्रवेश, निलंबन और निष्कासन, प्रन्यास-सम्बन्धी प्रश्न तथा आय-व्ययक-सम्बन्धी विषय। अन्य विषयों का निर्णय केवल बहुमत से होता है। ऐसी समस्याओं में अन्तरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा-परिषदों के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्रसंघ में नये सदस्यों की नियुक्ति, किसी सदस्य की सदस्यता का निलंबन, बजट-सम्बन्धी प्रश्न आदि मुख्य हैं। किन्तु अपने निर्णयों को लागू करने के लिए किसी सदस्य-राष्ट्र पर जोर डालने का अधिकार इसे नहीं है। फिर भी १९५० ई० में जब कोरिया का संकट गंभीर रूप धारण कर रहा था, इसके ६० सदस्य-राष्ट्रों ने यह फैसला किया कि आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सुनिश्चित काररवाई करने की जिम्मेदारी आम सभा अपने ऊपर ले, चाहे सुरक्षा-परिषद् उस प्रस्ताव के विरुद्ध अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करे या नहीं। निःशस्त्रीकरण के निर्देशक सिद्धान्तों और शस्त्रास्त्रों के नियमन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने और अपने सुझाव देने का अधिकार भी आम सभा को है। सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा ही करती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा

सुरक्षा-परिषद् के सदस्यों का चुनाव (स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त) आम सभा ही करती है। यह सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश और सलाह पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री को नियुक्त करती है। यह सुरक्षा-परिषद् के साथ अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य प्रासंगिक संस्थाओं के प्रतिवेदन आम सभा ही स्वीकार करती है। महामंत्री का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सुरक्षा-परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन आम सभा में ही पेश होते हैं, जिन पर आवश्यक विचार-विमर्श के बाद वह उन्हें पारित करती है। वार्षिक आय-व्ययक के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न विभागों में खर्च की जानेवाली राशि का बटवारा आम सभा ही करती है। इसे विशेष परिस्थितियों में कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन के लिए अस्थायी उप-समितियाँ गठित करने का भी अधिकार है। इसका मुख्यालय संयुक्तराज्य अमेरिका के न्यूयार्क नगर में है।

२. सुरक्षा-परिषद्—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके कुल ११ सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच स्थायी सदस्य हैं तथा छह दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष तीन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये अस्थायी सदस्य तुरन्त दुबारे चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत अस्थायी सदस्य की एक अवधि पूरी कर चुका है। सुरक्षा-परिषद् के वर्तमान अस्थायी सदस्य निम्नांकित हैं—अर्जेण्टाइना (१९६० ई० तक), इटली (१९६० ई० तक), इक्वेडर (१९६१ ई० तक); श्रीलंका (१९६१ ई० तक), टर्की (१९६१ ई० तक), ट्युनिशिया (१९६० ई० तक)। सुरक्षा-परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों में 'पाँच बड़े राष्ट्र'—अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन (राष्ट्रवादी)—हैं। अल्पकालीन या परिस्थिति-विशेष के लिए भी सदस्यों की व्यवस्था है। ऐसे सदस्य उन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं अथवा सुरक्षा-परिषद् में विचारार्थ उपस्थित समस्याओं से संबंधित होते हैं। इन विशेष सदस्यों को सुरक्षा-परिषद् की बैठकों में केवल भाग लेने का अधिकार होता है, ये किसी भी निर्णय में मतदान नहीं कर सकते। प्रत्येक परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत गिना जाता है। किसी भी निर्णय की स्वीकृति के लिए सात सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, किन्तु महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख विषयों के निर्णय के लिए पांच स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। स्थायी सदस्यों की सदस्यता में परिवर्त्तन लाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र का संशोधन आवश्यक है। सुरक्षा-परिषद् बराबर अधिवेशन में रहती है। इसके प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के एक-एक प्रतिनिधि सब समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसके सदस्यों की बैठक सामान्यतः १५ दिनों में कम-से-कम एक बार अवश्य होती है। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है।

सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों में प्रत्येक को निषेधाधिकार प्राप्त है और किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग होने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा मतदान नहीं करने पर उसे निषेधात्मक मत नहीं समझा जाता।

सुरक्षा-परिषद् का प्रमुख उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थिति को बनाये रखना है। इसके लिए यह निम्नलिखित कार्य करती है—

(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यो एवं सिद्धान्तों के अनुकूल अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना; (२) उन झगड़ों की तहकीकात करना, जिनसे अन्तरराष्ट्रीय शाति के भंग होने की आशंका हो; (३) उपस्थित विवाद या झगड़ों को शातिपूर्ण ढंग से तय करना; (४) शस्त्रास्त्रों के नियमन की योजनाएँ बनाना, (५) किसी भी झगड़े या आक्रमण के कारणों का पता लगाना, जिनसे विश्व-शान्ति पर खतरा हो और इन्हे तय करने के लिए ठोस कदम उठाना; (६) किसी भी राष्ट्र के अनुचित वर्त्ताव या आक्रमण को रोकने के लिए स्वीकृत धन का उपयोग करना तथा आक्रमण के विरुद्ध सैनिक कारग्वाई करना; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ का नया सदस्य बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र की ओर से सिफारिश करना तथा अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशो का चुनाव आम सभा (जेनरल एसेम्बली) के साथ स्वतत्र मतदान द्वारा करना और आम सभा मे अपने वार्षिक एव विशेष प्रतिवेदन उपस्थित करना।

सुरक्षा-परिषद् के पॉच अंग हैं—(१) सैनिक कर्मचारी-समिति; (२) अणु-शक्ति-आयोग, (३) स्वीकृत सेना-समिति; (४) स्थायी समितियाँ तथा (५) तदर्थ समितियाँ और आयोग।

सैनिक कर्मचारिवर्ग-समिति (मिलिटरी स्टाफ कमिटी)—इसमे सुरक्षा-परिषद् के पॉच स्थायी सदस्यों के कर्मचारिवर्ग के प्रधान या उनके प्रतिनिधि रहते है। यह समिति शान्ति बनाये रखने के लिए सुरक्षा-परिषद् को सैनिक आवश्यकता, शस्त्रास्त्रो के विनियमन तथा निरस्त्रीकरण जहाँ तक संभव है, जैसे प्रश्नो पर सलाह और सहायता देती है।

अणु-शक्ति-आयोग (एटॉमिक एनर्जी कमीशन)—इस आयोग की नियुक्ति आम सभा द्वारा होती है, पर यह सुरक्षा-परिषद् के अधीन ही काम करता है। सुरक्षा-परिषद् के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कनाडा के प्रतिनिधि भी इसमे अवश्य रहते हैं।

स्वीकृत सेना-समिति (कमिटी फॉर कन्वेन्शनल अर्मामेंट)—यह समिति राष्ट्रो की सेना और अस्त्र-शस्त्र को नियमित रखने के सम्बन्ध मे काम करती है।

स्थायी समितियाँ (स्टैंडिंग कमिटीज)—इस समिति मे विशेषज्ञो की समिति, नियम और कार्यक्रम-सम्बन्धी समिति, सदस्य-नियुक्ति-समिति आदि है।

नि:शस्त्रीकरण-आयोग (डिसअर्मामेंट कमीशन)—आम सभा द्वारा ११ जनवरी, सन १९५२ को सुरक्षा-परिषद के अधीन नि:शस्त्रीकरण-आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने पूर्व-स्थापित अणुशक्ति-आयोग तथा स्वीकृत सेना-आयोग (कमीशन फॉर कन्वेंशनल अर्मामेंट) का स्थान ले लिया है। इसका उद्देश्य है—ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जिनसे समस्त सैन्य-शक्तियों एवं शस्त्रास्त्रों का विनियमन, परिसीमन एवं सन्तुलित ह्रास और उन बड़े-बड़े आयुधों का विलोपन हो सके, जो सामूहिक विध्वंस के लिए प्रयुक्त किये जा सकते हैं। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि आणविक शक्ति के ऊपर इस रूप मे सार्थक अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाय, जिससे आणविक आयुधों का निषेध सुनिश्चित हो सके और इस शक्ति का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों में हो। यह सुरक्षा-परिषद् के ही अधीन कार्य करता है तथा अन्तरराष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए योजनाएँ बनाता है।

तदर्थ समितियाँ और आयोग (एडहॉक कमिटीज एण्ड कमीशन)—आवश्यकता पड़ने पर सामयिक तथा अस्थायी प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में संशोधन के लिए आम सभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से और सुरक्षा-परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

३. आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इकोनोमिक ऐण्ड सोशल कौंसिल—E.S.C.)—इसका गठन आम सभा द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यों से किया जाता है, जिनमें ६ प्रति वर्ष आम सभा द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अवधि पूरी होने पर किसी भी सदस्य को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इस परिषद् में सुरक्षा-परिषद् की भाँति स्थायी सदस्यों की कोई व्यवस्था नहीं है और न भौगोलिक विभाजन तथा औद्योगिक तथा पिछड़े हुए राष्ट्रों या सम्पन्न-असम्पन्न और उन्नतिशील राष्ट्रों के बीच संतुलन का कोई विचार रखा गया है। फिर भी, पाँच बड़े राष्ट्र हमेशा निर्वाचित होते रहे हैं और वे वस्तुतः परिषद् के स्थायी सदस्य बन गये हैं।

आम सभा की भाँति परिषद् में सभी सदस्यों की समान स्थिति है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को एक वोट का अधिकार है। साधारणतः वर्ष में एक बार परिषद् की वार्षिक बैठक होती है और साधारण बहुमत द्वारा कोई भी प्रस्ताव पास होता है। परिषद् अपनी कार्य-पद्धति के नियम स्वयं बनाती है और अपने सभापति तथा उपसभापति का चुनाव करती है। यह परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा किये जानेवाले आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए आम सभा के समक्ष उत्तरदायी होती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद् के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं —

(१) आम सभा के सत्ताधिकार में संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य-कलाप के लिए उत्तरदायी होना;

(२) अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी एवं शैक्षिक विषयों पर अध्ययन, प्रतिवेदन एवं अभिस्ताव प्रस्तुत करना;

(३) जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेद-भाव किये बिना मानव-अधिकारों एवं मौलिक स्वाधीनताओं के लिए सम्मान-भाव की अभिवृद्धि एवं सर्वत्र उनका पालन।

उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए परिषद् अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं बैठकों का आयोजन करती है। यह आम सभा द्वारा स्वीकृत सेवाएँ संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशेष समितियों के सदस्यों के लिए अर्पित करती है। परिषद् जिन समस्याओं पर विचार करती है, उनसे सम्बन्धित गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करती है। यह परिषद् अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न आयोगों (कमीशनों) को कायम करती है, जिनमें प्रमुख ये हैं—आर्थिक और नियुक्ति-आयोग, परिवहन और संचार-आयोग, लगान-आयोग, सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स)-आयोग, जन-संख्या-आयोग, सामाजिक आयोग, मानवीय अधिकार-आयोग, मूर्च्छाकारी औषध-आयोग, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में आयोग तथा अन्तरराष्ट्रीय पण्य-व्यापार-आयोग। इनके अतिरिक्त स्थायी समितियों, अस्थायी समितियों और विशेषज्ञ-समितियों के माध्यम से परिषद् अपना काम करती है।

४. प्रन्यास-परिषद् (ट्रस्टीशिप कौंसिल)—इसका गठन तीन प्रकार के सदस्यों द्वारा होता है—(१) वे सदस्य, जो न्यस्त प्रदेशों (ट्रस्ट टेरिटरीज) का प्रशासन करते हैं; (२) सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य; (३) वे सदस्य, जो आम सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए

चुने जाते हैं। प्रन्यास-परिषद् के निर्वाचित सदस्य अपनी कार्यावधि की समाप्ति के बाद तुरत पुनर्निर्वाचन के योग्य समझे जाते हैं।

प्रशासक देश हैं—अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, संयुक्तराज्य, बेलजियम, फ्रांस तथा ग्रेटब्रिटेन। अन्य देश हैं—चीन (पदेन, सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य), रूस (पदेन, सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य), बर्मा (१९६१ ई० तक), पाराग्वे (१९६१ ई० तक), संयुक्त अरब-गणतंत्र (१९६१ ई० तक), हैटी (१९६० ई० तक) तथा भारत (१९६२ ई० तक)। संयुक्त राष्ट्र-संघ के अधिकार-पत्र में निम्नांकित श्रेणी के प्रदेश प्रन्यस्त प्रणाली के अन्तर्गत रखे गये हैं—(अ) वे प्रदेश, जो राष्ट्रसंघ के शासनान्तर्गत थे, (आ) वे प्रदेश, जो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शत्रु-राष्ट्रों से छीन लिये गये, और (इ) राज्यों द्वारा स्वेच्छा से सौंपे गये प्रदेश।

न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे स्वायत्त शासन तथा स्वाधीनता की दिशा में प्रगति कर सकें, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, मौलिक मानव-अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना और संसार की जातियों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध की स्वीकृति को प्रोत्साहित करना प्रन्यास परिषद् के प्रमुख उद्देश्य हैं।

प्रन्यास-परिषद् की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही कोई निर्णय हो पाता है। प्रन्यास-परिषद् आम सभा के अधीन ऐसे न्यस्त प्रदेशों के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को पूरा करती है, जिन्हें 'महत्त्वपूर्ण' नहीं घोषित किया गया है। जो न्यस्त प्रदेश 'महत्त्वपूर्ण' घोषित किये जा चुके हैं, उनके ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को सुरक्षा-परिषद् प्रन्यास-परिषद् की सहायता से पूरा करती है। प्रन्यास-परिषद् प्रशासकीय अधिकारियों के प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समय-समय पर न्यस्त प्रदेशों में अपने पर्यवेक्षक-मंडल को भेजती है तथा प्रन्यास-समझौतों के अनुकूल कदम उठाती है। यह न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक उन्नति के संबंध में प्रश्नावली तैयार करती है, जिसके आधार पर प्रशासकीय अधिकारियों को अपने प्रतिवेदन देने होते हैं।

५. अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय—अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान न्यायिक अंग है। यह राजनीतिक झगड़ों पर नहीं, बल्कि कानूनी झगड़ों पर विचार करता है। इसका अपना परिनियम है, जिसके अनुसार यह कार्य करता है। जो सब देश इसके परिनियम को मान चुके हैं, वे अपना कोई भी मामला यदि चाहें तो इसे निर्णयन के लिए सौंप सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा-परिषद् कोई कानूनी झगड़ा इसके सुपुर्द कर सकती है। आम सभा और सुरक्षा-परिषद् किसी कानूनी प्रश्न पर इस न्यायालय से सलाहकार के रूप में राय ले सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण भी आम सभा की अनुमति से अपने कार्य-प्रसार के सीमा-क्षेत्र से सम्बन्धित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार के रूप में इससे राय ले सकते हैं।

सुरक्षा-परिषद् द्वारा अभिस्तावित और आम सभा द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार वे राष्ट्र भी अपने मामले अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश कर सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की अधिकार-सीमा में वे मामले भी आते हैं, जिन्हें उनसे संबंधित दोनों पक्ष न्यायालय के सम्मुख लाना चाहते हैं।

मुकदमों के फैसले करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है—

(१) अन्तरराष्ट्रीय इकरारनामों द्वारा परिभाषित नियम, जिन्हें विवादी राज्यों ने मान लिया है; (२) अन्तरराष्ट्रीय प्रथा, जो सामान्य आचार के रूप में विधि द्वारा स्वीकृत है; (३) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त और (४) न्यायालयों के अधिनिर्णय और विविध देशों के सर्वाधिक उच्च योग्यता-प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय विधिशास्त्रियों के उपदेश।

जहाँ झगड़े के दोनों पक्ष स्वीकार करें, वहाँ न्यायालय न्याय के सिद्धान्तों और संबंधित राष्ट्रों के सामान्य कल्याण के सिद्धान्तों का उपयोग कर सकता है।

अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन १५ न्यायाधीशों द्वारा होता है, जो ९ वर्षों की अवधि के लिए आम सभा तथा सुरक्षा-परिषद् के स्वतंत्र मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। इन न्यायाधीशों को सदस्य कहा जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव योग्यता के आधार पर ही किया जाता है, राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं। ९ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कोई भी न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य समझे जाते हैं। जबतक न्यायाधीश कार्य-भार ग्रहण करते हैं, तबतक उन्हें किसी अन्य पेशे को अपनाने का अधिकार नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी समस्या पर कोई निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर होता है तथा ९ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। न्यायालय के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसका कार्यालय हेग नगर (नीदरलैंड) में है।

६. **सचिवालय**—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्थायी कार्यालय है, जिसके प्रधान प्रशासनाधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री (सेक्रेटरी जेनरल) होते हैं। महामंत्री की नियुक्ति सुरक्षा-परिषद् के अभिस्ताव पर आम सभा द्वारा पाँच वर्ष के लिए होती है। वह आम सभा, सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् की बैठकों में इसी हैसियत से काम करता है। महामंत्री के कुछ प्रमुख कर्त्तव्य निम्नांकित हैं—

(१) यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सर्वप्रधान प्रशासनाधिकारी होता है।

(२) यह परिषद् का ध्यान किसी ऐसे विषय की ओर आकृष्ट करता है, जिससे उसकी राय में विश्व-शान्ति के भंग होने की आशंका तथा सुरक्षा पर खतरे की संभावना रहती है।

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन आम सभा में पेश करता है।

इन दिनों संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री स्वीडन के डाग हैमरशोल्ड हैं, जो १० अप्रैल १९५९ ई० को पुनः पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त हुए हैं।

आम सभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महामंत्री सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करते समय न्यायोचित भौगोलिक विभाजन का भी ध्यान रखा जाता है। महामंत्री और कर्मचारिवर्ग में से किसी को भी किसी भी सरकार या ऐसे प्राधिकार से कोई भी निर्देश प्राप्त करने या माँगने की अनुमति नहीं है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन से बाहर हो। दूसरी ओर राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्र भी अपनी ओर से इस बात का वादा करते हैं कि वे महामंत्री और उसके कर्मचारिवर्ग के अनन्य अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप का सम्मान करेंगे और अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों की पूर्त्ति में उन्हें किसी तरह भी प्रभावित नहीं करेंगे।

सचिवालय का गठन इस प्रकार है—महासचिव का कार्यालय, जिसके अन्दर महासचिव का कार्यपालक कार्यालय, कानूनी विषयों से सम्बन्धित कार्यालय, नियंत्रक का कार्यालय और कर्मचारि-दल का कार्यालय है; राजनीतिक एवं सुरक्षा-परिषद्-कार्य-विभाग; आर्थिक एवं सामाजिक कार्य-विभाग; प्रन्यास-परिषद् और स्वशासन-रहित देश-सम्बन्धी कार्य-विभाग, सार्वजनिक सूचना-विभाग; कान्फ्रेंस सेवा और सामान्य सेवा-कार्य-विभाग तथा प्राविधिक (तकनीकी) साहाय्य प्रशासन-विभाग।

विशिष्ट अभिकरण (स्पेशियलाइज्ड एजेन्सीज)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है। ये विविध संस्थाएँ संयुक्त राष्ट्रसंघ की खास एजेन्सी के रूप में काम करती हैं—

(१) अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन (इण्टरनेशनल लेबर ऑरगेनिजेशन–I. L O.)—इसकी स्थापना ११ अप्रैल, १६१६ को वर्सलीज की संधि के अनुसार हुई थी। अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन राष्ट्रसंघ की एक शाखा के रूप में काम करता था, जो अब संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा मे है। यह अभिकरण सरकारों को इस सम्बन्ध मे परामर्श देता है कि वे मजदूरों की रक्षा करनेवाले आधुनिकतम विधान किस प्रकार प्रतिष्ठित करें। अन्तरराष्ट्रीय कार्य द्वारा मजदूरों की अवस्था और रहन-सहन के स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता मे अभिवृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। रोजगार-सम्बन्धी पर्यवेक्षणों और आँकड़ों तथा औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी विकास यह संगठन करता है। इसका प्रतिवर्ष एक सम्मेलन हुआ करता है, जिसमे प्रत्येक राष्ट्र से दो सरकार के, एक मजदूरों के तथा एक पूँजीपतियों के प्रतिनिधि रहते हैं।

इसकी ४० सदस्यों की एक प्रबंध-समिति है। यह अन्तरराष्ट्रीय श्रम-कार्यालय, समितियों तथा आयोगों के कार्यों का निरीक्षण करती है। यह संगठन व्यापक रूप मे सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और सामाजिक, औद्योगिक तथा श्रम-सम्बन्धी प्रश्नों पर सामयिक पत्रिकाएँ और प्रतिवेदन प्रकाशित करता है।

(२) खाद्य और कृषि-संगठन (फुड ऐण्ड एग्रिकल्चरल ऑरगेनिजेशन–F.A.O.)—इसकी स्थापना सन् १६४५ ई० के अक्टूबर मे हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, पोषण-शक्ति बढाना तथा खेत, जंगल और मीन-क्षेत्रों से जो खाद्य एवं कृषि-सम्बन्धी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उनके उत्पादन एवं वितरण में सुधार करना है। देहात मे जो लोग रहा करते हैं, उनकी दशा में सुधार करना भी इसका एक उद्देश्य है। यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सबसे उत्तम संगठनों में से है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की अवस्था मे सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है—भूमि की उत्पादन-शक्ति तथा जलस्रोतों का विकास, कृषि-उत्पादन के लिए स्थायी अन्तरराष्ट्रीय बाजार की स्थापना; नये प्रकार के पौधों का संसार-व्यापी विनिमय; उभरे हुए कृषि-यंत्रों तथा कृषि-प्रणाली का प्रचार और प्रसार; पशु-रोगों की रोक-थाम; पौष्टिक खाद्यान्नों की व्यवस्था; भूमि-क्षरण पर नियंत्रण; मिट्टी-अभिरक्षण, संचित खाद्य-सामग्री की रक्षा, कृत्रिम खाद का उत्पादन आदि।

२८ सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक परिषद् होती है, जो सभी सदस्य-राष्ट्रों के बदले कार्य-सम्पादन करती है तथा इस संगठन के प्रति उत्तरदायी होती है। परिषद् का कार्य

[illegible] अधिकारियों को [illegible], उद्योग तथा विनिमय में सहायता पहुँचाना है। इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल भारत के श्री बिनयरंजन सेन हैं। इसका प्रधान कार्यालय इटली के रोम नगर में है।

(३) शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति-संबंधी संगठन (युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक ऐण्ड कल्चरल ऑर्गेनिजेशन—U. N. E. S. C. O.)—इसकी स्थापना ४ नवम्बर, १९४६ को हुई थी। यह एक विशेषज्ञों की संस्था है, जिसका सम्बन्ध शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास से है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करके शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक बनना है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार-पत्र में स्पष्टता के साथ यह जो घोषणा की गई है कि संसार के सब लोगों को जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेद-भाव बिना मानवीय अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त होंगी, उनके प्रति तथा न्याय एवं विधि-विहित शासन के प्रति विश्ववासियों में आदर-भाव की वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है।

अपने उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए यह ऐसे सब प्रचार-साधनों का उपयोग करता है, जिनसे विश्व की विभिन्न जातियों के बीच परस्पर के परिचय और समझदारी में वृद्धि हो। इसके लिए यह जन-सुलभ शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को नये-नये उपायों से प्रोत्साहन प्रदान करता है और विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान को उत्साहित करता है।

इस कार्यक्रम का अभिप्राय है—शिक्षा एवं संस्कृति के दान सब लोगों के लिए सुलभ हो सके और उसके जरिये राष्ट्रों के बीच परस्पर घनिष्ट परिचय हो, इस हेतु अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना और वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं शिक्षकों के प्रयत्नों में एकता लाकर विचार के स्वच्छन्द प्रवाह के मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करना। इसके कार्यक्रम के अन्तर्गत मौलिक शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र और मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में लोगों को अवबोधित करना, अनिवार्य शिक्षा, शैक्षिक प्रतिमान को ऊँचा उठाना, सदस्य-राष्ट्रों के निवेदन पर विज्ञान एवं शिक्षा-विषयक विशेषज्ञों को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था करना आदि प्रमुख कार्य हैं। इसके एक प्रतिवेदन में कहा गया है—"प्रति व्यक्ति और जाति यदि शिक्षित न हो और आधुनिक जगत् के साथ समताल रखकर न चल सके तो इससे सांस्कृतिक अथवा सामाजिक उन्नति में बाधा पड़ेगी। साधारण नागरिकों को यदि विद्यालयों में जनतंत्र की व्यावहारिक शिक्षा न मिले और वे स्वाधीन समाज के अधिकार एवं रीति-नीति के अभ्यस्त न हो जायँ तो जनतंत्र की अग्रगति सर्वथा अवास्तव हो जायगी।"

इसके कार्य-संचालन के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक सामान्य परिषद् है, जिसकी बैठक हर दूसरे वर्ष हुआ करती है। इसमें यूनेस्को के कार्य-क्रम तथा नीति निर्धारित की जाती है। सामान्य परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक कार्यकारिणी समिति का गठन होता है, जिसमे २४ सदस्य रहते हैं। इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा यह अपने कार्यों के लिए परिषद् के समक्ष उत्तरदायी होती है। सदस्य-राष्ट्रों के राष्ट्रीय आयोगों द्वारा इसके कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।

(४) विश्व-स्वास्थ्य-संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनिजेशन—W. H. O.)—इस संगठन की स्थापना सन १९४७ ई० के ७ अप्रैल को हुई थी, जब २६ सदस्यों ने इसके विधान को

स्वीकार कर लिया। संसार की सभी जातियों के लोग स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करें, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी सेवाएँ दो प्रकार की हैं—परामर्श-मूलक तथा प्राविधिक। पहली प्रकार की सेवा मे मलेरिया, यक्ष्मा, यौन-रोग, प्रसूतिका तथा शिशु-स्वास्थ्य, पुष्टिकर आहार, वातावरण की सफाई आदि के सम्बन्ध मे जानकारी कराने के लिए प्रचार-कार्य तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कृषि-उत्पादन तथा आर्थिक विकास से सम्बन्धित विशेष प्रकार के रोगो की रोक-थाम के लिए आधुनिक यंत्रो एवं तरीकों को अपनाकर सामान्यत स्वास्थ्य की अवस्था मे सुधार लाना इसकी प्राविधिक सेवा है।

इसके कार्य-सम्पादन के लिए एक विश्व-स्वास्थ्य-सभा का गठन किया गया है, जिसमे सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा जिसकी बैठक नियमित रूप से प्रतिवर्ष हुआ करती है। यह सभा इस संगठन के नीति-निर्धारण का कार्य करती है। विश्व-स्वास्थ्य-सभा द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यो की एक कार्य-समिति होती है, जिसकी बैठक वर्ष मे दो बार हुआ करती है। यह सभा के कार्यकारी अंग के रूप मे कार्य करती है। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नगर में है।

(५) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंक (इण्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्सट्रक्शन ऐण्ड डेवलपमेंट)—सदस्य-राष्ट्रो तथा उनके अधिदेशो के पुनर्निर्माण और विकास-कार्य मे सहायता देना तथा उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी की व्यवस्था करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। जब किसी देश मे उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी उपलब्ध नहीं होती है तब अपने संचित कोष से यह संस्था उसे कर्ज देती है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक को सदस्य-राष्ट्रो के उत्पादन के साधनो के विकास तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की संतुलित वृद्धि के लिए भी आवश्यक पूँजी का प्रबन्ध करना पड़ता है। यह कर्ज सदस्य-राष्ट्रों, उनके राजनीतिक उपविभागो तथा उनके सीमा-क्षेत्र के अन्तर्गत निजी व्यवसायो के लिए भी दिया जाता है। यह बैंक केवल कर्ज का ही प्रबन्ध नहीं करता, बल्कि सदस्य-राष्ट्रों की अभ्यर्थना पर आवश्यक कार्यों के लिए अपने प्रतिनिधि-मण्डलों को भी भेजता है। इस बैंक की अधिकृत पूँजी एक करोड़ अमेरिकी डालर है। यह पूँजी एक लाख डालर के हिस्सों में बँटी हुई है। इन हिस्सो को केवल सदस्य ही खरीद सकते हैं और केवल बैंक को ही ये हस्तातरित किये जा सकते हैं। ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ३ अरब, ४८ करोड़, १ लाख डालर (अमेरिकी स्वर्ण-मुद्रा) विभिन्न राष्ट्रों को कर्ज के रूप मे दिये जा चुके हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना २७ दिसम्बर, १९४५ को हुई थी जबकि २८ देशों के प्रतिनिधियो ने संविदा के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर किये थे।

(६) अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम (इण्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन—I. F. C.)—इसकी स्थापना जुलाई, १९५६ मे की गई। २० फरवरी, १९५७ से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप मे कार्य कर रहा है। यह यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय बैंक से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है तथापि इसका स्वतन्त्र वैधानिक अस्तित्व है। इसका कोष अन्तरराष्ट्रीय बैंक के कोष से बिल्कुल पृथक् है।

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों, विशेषकर कम विकसित देशों, में उत्पादक निजी उद्यम की वृद्धि को प्रोत्साहित करके उनके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। यह निजी उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। इन कर्जों की अदायगी के लिए सदस्य राष्ट्रों की सरकारों से किसी तरह की गारन्टी नहीं ली जाती। [illegible]

करने लिये जाते हैं, जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तथा जिनको पर्याप्त निजी पूँजी की कमी है। सदस्य एवं वैदेशिक क्षेत्रों में उत्पादन-साधन की वृद्धि करने में यह निगम सहायक होता है। इसकी अधिकृत पूँजी (ऑथोराइज्ड कैपिटल) दस करोड़ रुपये है। इसके कार्य-संचालन के निमित्त एक संचालक-मण्डल है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय बैंक के सभी कार्यपालक निदेशक, जो कम-से-कम एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्य होते हैं। अन्तरराष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष स्वतः अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम के संचालक-मण्डल के अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

(७) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (इण्टरनेशनल मनीटरी फंड)—इसकी स्थापना २७ दिसम्बर, १९४५ को हुई थी जबकि ब्रिटेनवुड्स संधि-पत्र के अनुसार इसके कोष का ८० प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमा कर दिया था। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृढ़ एवं विस्तृत करना, अन्तरराष्ट्रीय भुगतान में कृत्रिम रुकावट को शीघ्र हटाना; न्यून राशि के विनिमय की सुविधा देना, अन्तरराष्ट्रीय विनिमय को सुदृढ़ करना, सदस्य-राष्ट्रों के बीच भुगतान की बहुपार्श्व प्रणालियों की स्थापना करना आदि इसके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तरराष्ट्रीय द्रव्य-कोष वैदेशिक मुद्रा या सोना की बिक्री सदस्यों के बीच करता है, जिससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। यह विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श भी देता है। यह लागत के मामले में मुद्रा-स्फीति को रोकता है तथा आयात पर होनेवाले नियन्त्रण में कमी लाने की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त यह वैदेशिक विनिमय के साधन सभी सदस्यों के लिए सुलभ करता है। अभ्यर्थना पर यह किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पास उसकी आर्थिक एवं मुद्रा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को भेजता है। ये विशेषज्ञ सदस्य-राष्ट्रों को इन समस्याओं के अतिरिक्त विनिमय-सम्बन्धी बातों में भी अपने सुझाव देते हैं। इसके १७ कार्यकारी संचालकों में ५ ऐसे होते हैं, जो सबसे अधिक राशि प्रदान करनेवाले सदस्यों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, शेष १२ सदस्य-राष्ट्रों के गवर्नरों द्वारा चुने जाते हैं। इसका प्रबन्ध-संचालक कार्यकारी संचालकों द्वारा चुना जाता है। प्रबन्ध-संचालक की सहायता के लिए एक उप-प्रबन्ध-संचालक रहता है, जो प्रबन्ध-संचालक की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है।

(८) अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन-संगठन (इण्टरनेशनल सिविल एवियेशन ऑरगेनिजेशन—I. C. A. O)—सन् १९४४ ई० में शिकागो के अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन-सम्मेलन में २८ राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत इकरारनामे के अनुसार इसकी स्थापना ४ अप्रैल १९४७ को हुई। अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-सम्बन्धी प्रतिमान एवं विनियमन निश्चित करना तथा उड्डयन-सम्बन्धी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-विधियों एवं समझौतों का प्रारूप तैयार करता है। इसका सम्बन्ध अन्तरराष्ट्रीय अन्तरिक्ष-यातायात से सम्बन्धित अनेक आर्थिक समस्याओं से है। इस संगठन के कार्य-सम्पादन के लिए सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सामान्य समिति होती है। इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करती है, जिसमें इसका अनुमित व्यय निश्चित किया जाता है। समिति द्वारा चुने गये २१ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से एक परिषद् का गठन होता है। इसके गठन में अन्तरिक्ष-यातायात की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशों, अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन में सुविधाएँ प्रदान करनेवाले देशों एवं भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र में फैले देशों का ध्यान रखा जाता है।

यह परिषद् इस संगठन की कार्यकारिणी समिति है, जो सदस्य-राष्ट्रों को उड्डयन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है। परिषद् अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। कार्यालय का कार्य-सम्पादन महामन्त्री (सेक्रेटरी जेनरल) द्वारा होता है। इसका प्रधान कार्यालय मौण्ट्रियल (कनाडा) में है। इसके अतिरिक्त पाँच क्षेत्रीय कार्यालय मौण्ट्रियल (मुख्य कार्यालय), लीमा, पेरिस, कैरो और बैंकाक में हैं।

(९) विश्व-डाक-संघ (युनिवर्सल पोस्टल यूनियन—U P.U.) — इसकी स्थापना ९ अक्टूबर, १८७४ को बर्न मे हुए डाक-सम्मेलन के स्वीकृत इकरारनामे के आधार पर १ जुलाई, १८७५ को की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—इस संघ मे सम्मिलित हुए सभी देशों मे डाक-सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना, डाक-सम्बन्धी कठिनाइयो का निराकरण करना, एक देश की डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना वगैरह। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य यह मान लेता है कि उसके अपने देश की डाक को भेजने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हैं, उन्हीं साधनों द्वारा वह अन्य सदस्य-राष्ट्रों की डाक को भेजने की व्यवस्था करेगा। इसका कार्य-संचालन विश्व-डाक-महासभा द्वारा निर्वाचित बीस सदस्यो की एक कार्यकारिणी समिति करती है। इसका एक महामन्त्री होता है, जिसके अधीन कार्यालय का कार्य-सम्पादन होता है। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न नामक स्थान मे है।

(१०) अन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इण्टरनेशल टेलि-कम्युनिकेशन्स यूनियन—I.T.U.)–इसकी स्थापना सर्वप्रथम सन् १८६५ ई० मे 'इण्टरनेशल टेलिग्राफ यूनियन' के नाम से हुई। सन् १९३२ ई० मे मैड्रिड मे हुए रेडियो-टेलिग्राफ-सम्मेलन में स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार इसका नाम अन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इण्टरनेशनल टेलि-कम्युनिकेशन) पड़ा। सन् १९४७ ई० में इसका पुनर्गठन हुआ। २२ दिसम्बर, १९५२ ई० को ब्युनिस-एरीज मे हुए पूर्णाधिकृत राजदूत-सम्मेलन मे स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार १ जनवरी, १९५४ ई० से इसका शासन-कार्य चल रहा है। तार, टेलिफोन और रेडियो की सेवाओं के उत्तरोत्तर प्रसार एवं विकास तथा सर्वसाधारण को कम-से-कम दर पर इनकी सेवाएँ सुलभ कराने के लिए अन्तरराष्ट्रीय नियमादि बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह हर प्रकार के दूर-संचार (टेलि-कम्युनिकेशन) के व्यवहार के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है तथा प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करता है। यह सभी राष्ट्रों के दूर-संचार-विषयक समान उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करता है।

इसके कार्य-संचालन के लिए पूर्णाधिकृत राजदूतों का एक मंच है, जिसकी बैठक हर पाँचवें वर्ष हुआ करती है। १८ सदस्यों की इसकी एक प्रशासकीय परिषद् है, जो कार्य-समिति का कार्य करती है। इसकी बैठक वर्ष में साधारणतया एक बार होती है, किन्तु किन्हीं ६ सदस्यों की अभ्यर्थना पर अधिक बैठकें भी हो सकती हैं। इसका एक सचिवालय है, जिसका प्रधान महामन्त्री (सेक्रेटरी जेनरल) होता है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।

(११) विश्व-अन्तरिक्ष-विज्ञान-संघ (वर्ल्ड मेटिरोलॉजिकल आर्गेनिज़ेशन—W.M.O.)—इसकी स्थापना २३ मार्च, १९५० ई० को हुई। इसका उद्देश्य ऋतु-विज्ञान-सम्बन्धी कार्यों एवं पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी पर जगह-जगह केन्द्रों एवं स्टेशनों की स्थापना करना तथा उन्हें चलाना है। साथ ही विश्व के विभिन्न ऋतु-विज्ञान-सम्बन्धी प्रतिष्ठान एवं शोध-कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना और उनके स्तर को ऊँचा उठाना

भी इसका उद्देश्य है। विश्व-ऋतु-विज्ञान-संगठन संसार के विभिन्न देशों को ऋतु-विज्ञान-सम्बन्धी सेवाएँ सुलभ करता है, जिनका सम्बन्ध मानव के हित-कल्याणों से है। यह ऋतु-परिवर्तन-सम्बन्धी सूचनाओं एवं सूचनाओं के एकत्रण [illegible] तथा उड्डयन, जहाजरानी, कृषि एवं अन्य कार्यों में अन्तरिक्ष-विज्ञान-संबंधी सूचनाओं के उपयोग में वृद्धि करना है।

इसके कार्य-संचालन के लिए एक कार्यकारिणी है, जो अन्तरिक्ष-विज्ञान-संबंधी प्राविधिक कार्यों, अध्ययनों एवं अनुसंधानों का निरीक्षण करती है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार आवश्यक होती है। इसके संचालन का भार महासचिव पर होता है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।

(१२) अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन (इंटर-गवर्नमेण्ट मेरिटाइम कंसलटेटिव ऑर्गेनिजेशन—I.M.C.O.)—६ मार्च, १९४८ को जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक सम्मेलन में, जिसमें ३५ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन की स्थापना के लिए इकरारनामा प्रस्तुत किया गया, जिसपर सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिये। सन् १९५८ ई० के आरंभ में २१ राष्ट्रों ने, जिनमें से ७ राष्ट्रों के पास कुल १० लाख टन वजन से कम पोत-समूह नहीं थे, उक्त इकरारनामे को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारों द्वारा जलपोतों के ले जाने तथा लाने के सम्बन्ध में निर्मित नियमों पर विचार, विभेदक नीति का उन्मूलन, जलपोत-संबंधी प्राविधिक समस्याओं का समाधान तथा सरकारों द्वारा अनुचित रोक को हटाकर सभी सरकारों के बीच पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करना है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी अंग या विशिष्ट अभिकरण द्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत जलपोत-संबंधी समस्याओं पर विचार कर अपना निर्णय देता है। यह संगठन मुख्यतः परामर्श देने का ही कार्य करता है।

(१३) अन्तरराष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण (इण्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी —I. A. E. A.)—इसकी स्थापना २९ जुलाई, सन् १९५७ को की गई। इसका विधान न्यूयार्क में हुए एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में २६ अक्तूबर, १९५६ ई० को ही स्वीकृत हो चुका था। समग्र संसार में अणु-शक्ति का प्रयोग शान्ति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह संस्था अणु-शक्ति के ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहन नहीं देती, जिनसे युद्ध की संभावना तथा विध्वंस की आशंका हो।

इसके विधान में एक साधारण सभा, प्रशासक-परिषद् और एक महानिर्देशक की व्यवस्था है। प्रशासक-परिषद् में अधिक-से-अधिक २३ सदस्य होते हैं। साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है तथा अभिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसका गठन होता है। इसके विधान के अनुसार एक प्रशासक-परिषद् अभिकरण के कार्यों को सम्पादित करती है। इसी प्रशासक-परिषद् द्वारा महानिर्देशक की नियुक्ति चार वर्षों के लिए होती है। महानिर्देशक ही इस संस्था का प्रमुख प्रशासनाधिकारी होता है। इसका प्रधान कार्यालय वियना (अस्ट्रिया) में है।

(१४) अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य-संघटन (इण्टरनेशनल ट्रेड ऑरगेनिजेशन)—अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य-संगठन की स्थापना अबतक नहीं हो सकी है। हवाना-घोषणा-पत्र, जिसके अनुसार इसके लक्ष्यों को क्रियात्मक रूप दिया जानेवाला था, अबतक कार्यान्वित नहीं हो सका है। फिर भी उपर्युक्त घोषणा-पत्र के प्रमुख लक्ष्य को अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य-संधि के रूप में मूर्त रूप

दिया गया है। इसका अँगरेजी नाम 'जेनरल एग्रिमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड' (G.A.T.T.) है, जिसका उल्लेख "प्रशुल्क और व्यापार-सम्बन्धी सामान्य समझौता" शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र मे व्यवसाय करनेवाले देशों को प्रोत्साहन देना है।

(१५) अन्तरराष्ट्रीय वाल-संकट-कोश (युनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिल्डरेन्स इमरजेन्सी फण्ड—U.N..I.C.E.F.)—इसकी स्थापना आम सभा द्वारा ११ दिसम्बर, १९४६ को युद्ध-पीड़ित वालकों की सहायता तथा साधारण रूप से वालको के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए हुई थी। सन् १९५० ई० में आम सभा ने इसका कार्यक्षेत्र वढाकर विश्व-भर के, खासकर अविकसित देशों के, वालकों की हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्त्ति की व्यवस्था की। सन् १९५३ ई० में यह विभाग स्थायी वना दिया गया। इन दिनों इसका कार्य संसार के लगभग १०० देशो में चल रहा है। इसके द्वारा मलेरिया, यक्ष्मा आदि कठिन रोगो का निवारण, प्रसूतिका-गृहों एवं शिशु-कल्याण-केन्द्रो की स्थापना, धातृ-विद्या-प्रशिक्षण, शिशु-आहार की व्यवस्था, दुग्ध-संरक्षण और वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त भूकम्प, वाढ आदि के समय यह विभाग प्रसूतिकाओं एवं शिशुओं की अपेक्षित सहायता करता है।

इस संस्था की सहायता से भारत के विभिन्न स्थानों मे अस्पतालों और स्कूलों में १०० से अधिक प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित हो चुके हैं; जहाँ परिचारिकाओं को धातृ-विद्या की शिक्षा दी जाती है। मातृ-मंगल एवं शिशु-कल्याण के लिए यह संस्था विशेष रूप से कार्य कर रही है।

(१६) विश्व-शरणार्थी-संघटन (युनाइटेड नेशन्स हाइ कमिश्नर फौर रिफ्युजीज—U.N.H.C.R.)—इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा द्वारा १ जनवरी, सन् १९५१ ई० को हुई थी। प्रारम्भ मे इसका कार्य-काल सन् १९५८ ई० तक ही रखा गया था, किन्तु पुनः इसकी अवधि-वृद्धि सन् १९६३ ई० तक के लिए की गई है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों को अन्तरराष्ट्रीय संरक्षण देना है। यह संस्था शरणार्थियों को स्वदेश लौटाकर अथवा उनका एक नवीन समुदाय स्थापित कर उनकी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयत्न करती है। शरणार्थियों के लिए कार्य, न्याय, शिक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, साहाय्य आदि प्राप्त करने के अधिकार इस संस्था द्वारा स्वीकार किये गये हैं। शरणार्थियों को विभिन्न देशों मे यात्रा करने के लिए पारपत्र (पासपोर्ट) भी दिये जाते हैं। सन् १९५८ ई० से सन १९५८ ई० तक ४ लाख, ४४ हजार शरणार्थियों की समस्याएँ हल की गई हैं।

उपर्युक्त विशिष्ट अभिकरणों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ की और भी कई शाखा-संस्थाएँ हैं, जो अपने-अपने उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य

गत २४ अक्टूबर, १९६० को संयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थापित हुए १५ वर्ष हो गये। इस १५ वर्ष की अवधि मे इस संगठन ने जो कार्य किये, उन पर दृष्टिपात करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जिन महान् उद्देश्यों को लेकर इसका जन्म हुआ था, वे उद्देश्य अभी तक अपूर्ण ही बने हुए हैं। फिर भी, आज की अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति जैसी जटिल हो गयी है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इस संगठन की कोई उपयोगिता नहीं है। इसका अधिवेशन जब पहले-पहल [illegible] हुआ था, उस समय [illegible] के [illegible] इस संस्था ने स्पष्ट किया था—

"आनेवाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाना है।"

"मौलिक मानवीय अधिकारों में, मनुष्य के व्यक्तित्व की मर्यादा एवं मूल्य में, बड़े-छोटे राष्ट्रों के नर-नारियों के समान अधिकार में अपने विश्वास को पुनः दृढ़ता के साथ व्यक्त करना है।"

"ऐसी दशाओं की स्थापना करनी है, जिससे राष्ट्रों के बीच की गई परस्पर की संधियों तथा अन्तरराष्ट्रीय विधि के अन्य उद्गमों से उत्पन्न दायित्वों के प्रति न्याय एवं सम्मान-भाव की रक्षा हो सके।"

वृहत्तर स्वाधीनता में सामाजिक प्रगति एवं जीवन के श्रेष्ठतर प्रतिमानों की अभिवृद्धि करना।

अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में इसने शान्ति-स्थापना की दिशा में जो कार्य किये, उनमें संतोषजनक प्रगति देखी गई। सब प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय विवादों का परस्पर की बातचीत, मध्यस्थता, संराधन एवं न्यायिक प्रक्रिया द्वारा शान्तिपूर्ण निबटारा कराना, शस्त्रास्त्रों के ऊपर अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण को इस रूप में कार्यगत बनाना, जिससे भविष्य में अणुबम और उद्जन-बम-जैसे सामूहिक विनाश के सब प्रकार के अस्त्रों का उन्मूलन और अन्ततः निरस्त्रीकरण हो सके तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेद-भाव के बिना सब मनुष्यों के मानवीय अधिकारों एवं मौलिक स्वाधीनताओं के प्रति सम्मान-भाव प्रोत्साहित करने में इसे आंशिक सफलता मिली।

इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति अधिराज्य या अन्य सब राज्यों से ऊर्ध्व नहीं है। यह अपने सदस्यों के लिए विधान नहीं बनाता। यह तो एक ऐसा यंत्र है, जिसके द्वारा संसार-भर के लोग अपनी सरकारों के माध्यम से संप्रभुता-संपन्न राज्यों के एक संघटन में परस्पर सहयोग कर सकते हैं।

यह एक ऐसा मिलन-स्थल है, जहाँ ६६ राष्ट्र, बड़े और छोटे, धनी और गरीब, प्रबल एवं निर्बल, के प्रतिनिधि, सभी प्रकार के राजनीतिक विचारों, सामाजिक प्रथाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों के मुखपात्र अपनी बातों को स्वतंत्रता के साथ उपस्थित करते हैं। इस प्रकार जो सब राष्ट्र और उनकी सरकारें इसका समर्थन करती हैं, उनकी सामूहिक इच्छा से यह अधिक शक्तिशाली नहीं है।

नये राष्ट्र इजराइल का उद्भव होने पर फिलस्तीन में जो शत्रुता-मूलक संग्राम आरम्भ हुए, उनका अंत संयुक्त राष्ट्रसंघ की मध्यस्थता और संराधन से हुआ। इसी प्रकार मिस्र के स्वेज-नहर अञ्चल से अँगरेजी और फ्रांसीसी फौजों तथा सिनाइ उपद्वीप से इजराइल की फौजों को वापस बुला लेने में भी इसके प्रयत्न सफल हुए।

इसी समय संयुक्त राष्ट्रसंघ आकस्मिक सैन्यशक्ति—इतिहास की सर्वप्रथम वास्तविक अन्तरराष्ट्रीय सैन्यशक्ति की स्थापना मध्य पूर्व के देशों में शान्ति-रक्षा के लिए की गई।

सुदूर पूर्व में इंडोनेशिया और नेदरलैण्ड के बीच जो शत्रुतामूलक संग्राम आरम्भ हो गये थे, उनका अंत भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के संराधन और मध्यस्थता से हुआ।

जहाँ तक कश्मीर के प्रश्न को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रश्न है, वह अबतक सुरक्षा-परिषद् के विचाराधीन है। उसकी कोई अंतिम मीमांसा अभी तक नहीं हो सकी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से केवल इतना ही हुआ कि कश्मीर में जो संग्राम चल रहा था, वह रुक गया।

सन् १९५० ई० के जून मे कोरिया का गृह-युद्ध आरम्भ हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप विश्व की राजनीतिक परिस्थिति मे बहुत-कुछ परिवर्त्तन हो गया। सोवियत रूस के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति और कुमिंगताग चीन (फरमोसा की सरकार) के प्रतिनिधि की उपस्थिति मे सुरक्षा-परिषद् ने उत्तर कोरिया के जनतान्त्रिक गणराज्य को दक्षिण कोरिया के गणराज्य के विरुद्ध 'प्रथमाक्रामक' राष्ट्र घोषित किया।

इसके बाद सुरक्षा-परिषद् ने उत्तर कोरिया के विरुद्ध सैनिक कारवाई करने का निश्चय किया और संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे दक्षिण कोरिया के पक्ष मे सैनिक सहायता प्रदान करें। सुरक्षा-परिषद् मे सात सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष मे और एक ने विपक्ष मे मत प्रदान किये। भारत और मिस्र ये दो राष्ट्र तटस्थ रहे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का यह दावा है कि कोरिया का संघर्ष एक संयुक्त समादेश के अधीन संयुक्त राष्ट्रसंघ की सैन्यशक्तियो द्वारा 'प्रथमाक्रामक के विरुद्ध सर्वप्रथम अन्तरराष्ट्रीय धर्मयुद्ध' (क्रूसेड) था। इस युद्ध मे कम्युनिस्ट चीन की स्वेच्छावाहिनी ने उत्तर कोरिया के पक्ष मे भाग लिया था। युद्ध-स्थल मे दोनो पक्षो के बीच कुछ समय तक जिच की स्थिति बनी रही, बाद मे युद्ध-विराम की व्यवस्था की गई। सन् १९५३ ई० के जुलाई मे युद्ध बंद हो गया और यह तय पाया कि युद्ध का कोई बंदी बलपूर्वक अपने देश को पुन नहीं भेजा जायगा। दक्षिण कोरिया ने 'क्षणिक सन्धि' को नही माना, जिससे युद्धबंदियो को स्वदेश भेजने की समस्या का समाधान एक आयोग के ऊपर सौंपा गया। यह आयोग तटस्थ राष्ट्रों का था, जिसका एक सदस्य भारत भी था। भारत के नेतृत्व मे ही बंदियों के स्वदेश-प्रत्यावर्त्तन की समस्या का सफल समाधान हुआ।

इसके बाद से ही विश्व-राजनीति का केन्द्र-बिन्दु संयुक्त राष्ट्रसंघ से बाहर प्रवर्त्तित होने लगा और सन १९५४ ई० मे हिन्द चीन की समस्या का समाधान जेनेवा-सम्मेलन मे हुआ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक मूलभूत उद्देश्य विश्वशान्ति की स्थापना करना है। इसके लिए वह आरम्भ से ही निरस्त्रीकरण और अणुशक्ति-नियन्त्रण की आवश्यकता पर जोर देता आ रहा है। इस क्षेत्र मे राष्ट्रो के बीच जबतक एकमत नहीं होगा तबतक शान्ति एवं [illegible] मार्गों मे राष्ट्रो की जनशक्ति, अर्थशक्ति एवं अन्यान्य भौतिक साधनो का उपयोग सम्भव नहीं [illegible] और युद्ध की आशंका बनी ही रहेगी। किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकांश राष्ट्रो मे इस प्रश्न को लेकर अभी तक तीव्र मतभेद बना ही हुआ है, जिससे इस दिशा मे वास्तविक प्रगति कुछ भी नहीं हो सकी है।

सन् १९५५ ई० के दिसम्बर में संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इंगलैण्ड, फ्रांस, [illegible] और कनाडा की ओर से [illegible] के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव लाया गया था। इसी अधिवेशन में १७ [illegible] की ओर से [illegible] [illegible]

जो सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव की अवज्ञा करके अपनी वैषम्यमूलक नीति ज्यों-की-त्यों चला रही है, जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंच रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के बारहवें सत्र में एक समझौता संकल्प उपस्थित किया गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि अल्जीरिया में धन-जन की भीषण हानि हो रही है और यह आशा प्रकट की गई थी कि सहयोग की भावना से अल्जीरिया की समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण, जनतांत्रिक एवं न्यायोचित रूप में ढूंढ निकाला जायगा। किन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ। अल्जीरिया की समस्या पूर्ववत् है और धन-जन का संहार अभी तक बन्द नहीं हुआ है।

सन् १९५८ ई० के सितम्बर में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा का सत्र न्यूयार्क में आरम्भ हुआ। इस सत्र में निःशस्त्रीकरण, साइप्रस, हंगरी, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रिका की जातिगत वैषम्यमूलक नीति, आणविक शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग आदि कितने ही विचारणीय विषय सभा की कार्यावली के अन्तर्गत थे। सोवियत प्रतिनिधि ने इस आशय का एक नया विषय विचारार्थ उपस्थित करना चाहा कि अणु-बम और उद्जन-बमों के परीक्षामूलक प्रयोग बन्द कर दिये जायँ। किन्तु महामंत्री ने कहा कि सामान्य सभा के समक्ष विचारार्थ उपस्थित होने के पूर्व राजनीतिक समिति में इसपर विचार होना चाहिए। इसी सत्र में सामान्य सभा की चालन-समिति (स्टीयरिंग कमिटी) ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान सत्र में साइप्रस, अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रिका के प्रश्नों पर विचार किया जाय।

फ्रांस के प्रतिनिधि ने अपनी सरकार की ओर से यह आपत्ति की कि अल्जीरिया का प्रश्न फ्रांस का आन्तरिक मामला है, इसलिए इस वाद-विवाद में फ्रांस भाग नहीं लेगा।

इंगलैण्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि साइप्रस की समस्या के अन्तरराष्ट्रीय पहलुओं पर ही विचार किया जा सकता है, सब पहलुओं पर नहीं। दक्षिण अफ्रिका के प्रतिनिधि ने कहा कि वहां की सरकार को इस बात पर आपत्ति है कि उसकी जातिगत वैषम्यमूलक नीति पर वाद-विवाद किया जाय; क्योंकि इससे उसके आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप होता है। इसी सत्र में १९ सितम्बर को सामान्य सभा की चालन-समिति ने भारतीय प्रतिनिधि द्वारा लाये गये चीन के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। दूसरी ओर उसने अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि कुमिंतांग चीन को हटाकर उसके स्थान पर चीन के गणराज्य को स्थान देने का कोई प्रस्ताव वर्ष के अन्दर नहीं लाया जा सकता।

२२ सितम्बर को जब सामान्य सभा की बैठक हुई, स्वीडन, फिनलैण्ड, आयरलैण्ड तथा अन्य ६ देशों ने, जिनमें एक सोवियत रूस भी था, भारत का इस बात में साथ दिया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने विचारार्थ विषयों में चीन के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को भी सम्मिलित कर ले।

सात राष्ट्रों की ओर से एक संशोधन इस आशय का लाया गया कि चालन-समिति की यह सिफारिश कि सामान्य सभा की कार्यावली में चीन के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में भारतीय प्रस्ताव को सम्मिलित न किया जाय, उत्सादित कर दिया जाय। इस संशोधन पर तनाव की स्थिति में बहस हुई। दूसरे दिन की बैठक में संशोधन अस्वीकृत हो गया।

सामान्य सभा में अन्तरराष्ट्रीय स्थिति पर बहस जारी रही। कम्बोडिया के प्रधानमंत्री ने सुदूर-पूर्व के संकट पर बोलते हुए कहा कि इस समय जो संकट दिखाई पड़ रहा है, उसका मूलभूत कारण है चीन के जन-सत्तावादी गणराज्य को संयुक्त-राष्ट्रसंघ मे स्थान न देना।

चेकोस्लोवाकिया के परराष्ट्र-मंत्री ने अमेरिका की परराष्ट्र-नीति को सुदूर-पूर्व की संकटपूर्ण अवस्था के लिए उत्तरदायी ठहराया।

ब्रिटिश परराष्ट्र-सचिव मि० लायड ने कहा कि फारमोसा जल-प्रणाली का संकट बल-प्रयोग द्वारा शान्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा क्वीमो द्वीप पर बड़े पैमाने पर बमबाजी होने के कारण ही यह संकट उपस्थित हो गया है।

फ्रांस के परराष्ट्र-मंत्री ने कहा कि हमारा विश्वास है कि राजनीतिक संघर्ष को निपटाने मे बल-प्रयोग कभी एक अच्छा उपाय नहीं हो सकता।

बर्मा के प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्रसघ का काम निर्णय देना होना चाहिए। बर्मा इस प्रकार के किसी साधनोपाय का समर्थन नही करेगा, जिससे "किसी सशस्त्र संघर्ष में बिना दोनों पक्ष को सुने संयुक्त राष्ट्रसंघ एक पक्ष के सहयुद्धकारी के रूप मे कार्य करने लग जाय।"

सामान्य सभा में अन्तरराष्ट्रीय स्थिति पर अन्तिम दिवस के वाद-विवाद मे भारतीय प्रतिनिधि श्रीकृष्ण मेनन ने कहा कि मध्य-पूर्व की समस्या का समाधान अरब-राष्ट्रों की एकता के साथ सम्बद्ध है। उन्होंने कहा कि वह समय अब आ गया है जबकि यह महसूस किया जाना चाहिए कि ये सब देश शोषण के शक्ति-आयुध के रूप मे नहीं रह गये हैं। उन्होंने इस सुझाव का भी विरोध किया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की कोई स्थायी संकटकालीन सेना रहे।

चीन के सम्बन्ध में श्रीमेनन ने कहा कि मूल समस्या यह है कि फारमोसा में एक दल उत्प्रवासी अपने को चीन का गणराज्य कहता है और उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन के न्याय-संगत स्थान को ले रखा है। किन्तु जबतक वास्तविक चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ मे स्थान नहीं मिलेगा, तबतक प्रमुख विश्व-समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा। २० सितम्बर को महामंत्री ने मध्य-पूर्व मे शान्ति-स्थापन के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के जो शान्तिपूर्ण प्रयत्न हुए हैं, उनके सम्बन्ध मे प्रतिवेदन अग्रस्थापित किया। इस प्रतिवेदन के अग्रस्थापन के साथ-साथ ब्रिटेन ने यह सूचित किया कि वह अक्टूबर से अपनी सेना को जॉर्डन से वापस मगाना शुरू कर देगा, बशर्ते कि उस देश की अवस्थाओं मे स्थायित्व लाने के लिए संतोषजनक प्रगति होती रहे।

दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका के सम्बन्ध मे संयुक्त राष्ट्रसंघ की गुड आफिसेज कमिटी के प्रतिवेदन पर न्यास-समिति में १८ अक्टूबर को वाद-विवाद आरम्भ हुआ। इस प्रतिवेदन में पुराने राष्ट्र-संघ के आदेश (मैण्डेट)-सम्बन्धी इकरारनामे को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया गया था। भारत ने प्रतिवेदन के आधारभूत सिद्धान्तों का विरोध किया।

२३ अक्टूबर को न्यास-समिति ने प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया।

१४ नवम्बर १९५८ को [illegible] की जो बैठक हुई थी, उसमें [illegible] से यह पता चला कि फ्रांस द्वारा प्रशासित न्यास-प्रदेश टोगोलैण्ड सन् १९६० ई० में स्वतंत्र हो जायगा।

सन् १९५० ई० के ११ [illegible] पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक [illegible] ब्रिटेन [illegible] सोवियत संघ से यह [illegible] निर्णय कर दें, जब- [illegible]।

[illegible] देशों ने राजनीतिक [illegible] कि अणु-नियन्त्रण के [illegible] के लिए आणविक अस्त्रों की परीक्षा अविलम्ब [illegible]।

[illegible] रूस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के अतिरिक्त अन्य १७ राष्ट्रों ने आणविक [illegible]।

सन् १९५९ ई० में २० फरवरी से १३ मार्च तक सामान्य सभा के एक विशेष सत्र में यह निश्चय [illegible] कि पहली जनवरी, १९६० को फ्रांसीसी [illegible] स्वतंत्र हो जाय और [illegible] १९६० [illegible] संयुक्त राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षण में जनमत-संग्रह किया जाय, [illegible] देश के भविष्य के सम्बन्ध में अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें।

न्यूजीलैण्ड द्वारा प्रशासित संरक्षण-प्रदेश पश्चिमी समोआ के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने यह सिफारिश की कि ३१ दिसम्बर, १९६१ तक पश्चिमी समोआ को स्वायत्त-शासन का अधिकार प्रदान किया जाय।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र के अनुच्छेद ७३ में उन प्रदेशों के सम्बन्ध में घोषणा की गई है, जिन्हें स्वायत्त-शासन प्राप्त नहीं है। उक्त अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन सब प्रदेशों पर जिन राष्ट्रों का प्रशासन है, उनका यह उत्तरदायित्व है कि वे पहले स्थानीय जनता के स्वार्थों पर ध्यान रखें और उन स्वार्थों में एक यह भी है कि स्वायत्त-शासन और उनकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की दिशा में उनकी प्रगति हो रही है।

सन् १९४६ ई० के बाद से ७३ अनुच्छेद के अनुसार अबतक कुल २४ देश, जिनकी जन-संख्या ७७,५०,००,००० से अधिक है, स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं। ये प्रायः सब-के-सब संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं। अकेले अफ्रिका महादेश के २१ राज्य औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो चुके हैं। उस समय अफ्रिका का दो-तिहाई भाग मुक्त एवं स्वतंत्र हो चुका है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा ने अपने चौदहवें सत्र में यह माँग की कि तिब्बत की जनता के मौलिक मानविक अधिकार और उसके विशिष्ट सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाय।

न्यायविदों के एक अन्तरराष्ट्रीय आयोग ने सन् १९५९ ई० के ५ जून को जेनेवा में एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया, जिसमें चीन की साम्यवादी सरकार पर यह अभियोग लगाया गया था कि उसने तिब्बत की जनता को एक राष्ट्रीय, जातीय, वंशीय एवं धार्मिक जन-समुदाय के रूप में नष्ट कर देने की जान-बूझकर चेष्टा की है और उसका यह काम गण-संहार का अपराध प्रमाणित करता है।

अफ्रिका और एशिया के २६ देशों द्वारा सूत्रपात किये जाने पर सामान्य सभा ने २० नवम्बर, सन् १९५९ ई० को फ्रांस से अनुरोध किया कि वह सहारा मरुभूमि में प्रस्तावित आणविक परीक्षण

से विरत रहे। किन्तु फ्रांस ने इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और सन् १९६० ई० की १३ फरवरी को सहारा मरुभूमि के मध्यस्थल में अणु-बम का सफलतापूर्वक विस्फोटन किया।

सामान्य सभा ने अपनी अन्तिम दिन की बैठक में आणविक अस्त्रों के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव स्वीकृत किये। एक प्रस्ताव में आणविक अस्त्रवाले राष्ट्रों से यह अनुरोध किया गया कि वे स्वेच्छा से आणविक अस्त्रों की प्रयोग-परीक्षा निलंबित रखें, और 'इस विषय से सम्बन्धित जो कतिपय प्रश्न रह गये हैं', उनके समाधान का उपाय ढूँढ निकालें, जिससे भविष्य में होनेवाले जेनेवा-वार्त्तालाप में वे किसी एक मत पर पहुँच सकें।

एक दूसरे प्रस्ताव में आणविक शक्तियों से कहा गया कि जो सब राज्य आणविक अस्त्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनसे वे आणविक अस्त्रों पर नियंत्रण प्रतिरुद्ध रखें और आणविक अस्त्रों से विहीन राष्ट्र आणविक अस्त्रों को निर्मित करने अथवा उन्हें प्राप्त करने से विरत रहें। सब देशों की सरकारें इस बात के लिए प्रयत्न करें कि आणविक अस्त्रों के सम्बन्ध में कोई स्थायी समझौता हो जाय और आज इसका विस्तार न होने पावे।

सुरक्षा-परिषद् और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की सदस्यता में वृद्धि करने के विवादास्पद प्रश्न पर सामान्य सभा की आगामी बैठक में फिर से विचार करने का निर्णय किया गया।

निरस्त्रीकरण वाद-विवाद

सन् १९५९ ई० के सितम्बर में सोवियत प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने अमेरिका का और दिसम्बर में अमेरिकी राष्ट्रपति आइसेन हावर ने पूर्वीय देशों का भ्रमण किया। इसके फलस्वरूप पूर्व और पश्चिम के दो राजनीतिक गुटों में आदान-प्रदान का पथ प्रशस्त हुआ और यह आशा की गई कि शीत युद्ध का तनाव कुछ कम हो जायगा। इसी साल १८ सितंबर को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा में ख्रुश्चेव ने चार साल के अंदर सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण किया और विश्व का ध्यान इस बात पर केन्द्रित किया कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं बन्धुत्व की एक नई अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था की नींव डाली जाय। इसके लिए निरस्त्रीकरण अत्यावश्यक है। २७ सितंबर को राष्ट्रपति आइसेन हावर और ख्रुश्चेव के संयुक्त हस्ताक्षर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, जिसमें बताया गया कि 'निरस्त्रीकरण का प्रश्न इस समय सारे संसार के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।' ख्रुश्चेव ने अपने भाषण में कहा कि सब राज्यों का वार्षिक सैनिक व्यय कुल मिलाकर १००,००,००,००,००० डालर होता है। इस विपुल धनराशि को संसार-भर के लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में तीन प्रकार की एक योजना सभा विचारार्थ उपस्थित की।

इस योजना में कहा गया था कि सोवियत रूस, अमेरिका और जनवादी चीन की सशस्त्र सेनाएँ उनका नियंत्रण की [illegible] से घटाकर १७,००,००० मनुष्यों की कर दी जायँ और ब्रिटेन तथा फ्रांस में से प्रत्येक की सेना ६,५०,००० मनुष्यों की हो। अन्य राज्यों की सेनाओं में [illegible] कमी की जाय, [illegible] सामान्य सभा के विशेष [illegible] में या विश्व-सम्मेलन में किया जाय। [illegible] ने किसी [illegible] की [illegible], उसके [illegible] [illegible] में कमी की जाय।

राष्ट्रों द्वारा जो सशस्त्र सेनाएं रखी गई हैं, उनको सम्पूर्ण भंग कर दिया जाय, दूसरे देशों में जो सैनिक अड्डे बनाये गये हैं, उनका उन्मूलन कर दिया जाय और विदेशों से सेनाएं वापस बुला ली जायँ।

सब प्रकार के आणविक आयुधों एवं क्षेप्यास्त्रों को नष्ट कर दिया जाय; वायु-सेना की आक्रमण-क्षमता को नष्ट कर दिया जाय; रासायनिक एवं जीवाणु-युद्ध में व्यवहृत साधनों के उत्पादन, धारण एवं संग्रह पर रोक लगा दी जाय और एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में इन आयुधों के भण्डारों को नष्ट कर दिया जाय। सामरिक उद्देश्य की पूर्ति में जो वैज्ञानिक गवेषणा की जाती है, उसे निषिद्ध कर दिया जाय, सैन्य-शक्ति तथा युद्ध के कर्मचारियों तथा समस्त सैनिक स्थानों एवं समाजों का अंत कर दिया जाय। सब प्रकार के सैनिक प्रशिक्षण तथा युद्धों की सामरिक शिक्षा समाप्त कर दी जाय।

ख्रुश्चेव की योजना के आधार पर निरस्त्रीकरण के प्रश्न को लेकर सामान्य सभा में काफी वाद-विवाद हुए। वाद-विवाद का आरम्भ ख्रुश्चेव ने किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सभा मेरी योजना को सम्पूर्णतया स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो तो सोवियत रूस उसके संकल्प में संशोधन करने के लिए तैयार होगा ताकि इस प्रश्न पर अधिक-से-अधिक राष्ट्रों में एकमत हो सके। उपर्युक्त योजना को आधार बनाकर निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में ८२ राष्ट्रों की ओर से एक संकल्प उपस्थित किया गया, जिसे सामान्य सभा की राजनीतिक समिति ने २ नवम्बर को स्वीकृत कर लिया। बाद में सामान्य सभा ने भी संशोधित रूप से इस संकल्प का पृष्ठांकन किया।

इस प्रकार सोवियत रूस के निरस्त्रीकरण-सम्बन्धी प्रस्ताव निश्चित रूप से विश्व-शान्ति के संग्राम में सीमा-चिह्न के रूप में थे। ८२ राष्ट्रों के संकल्प के द्वारा निरस्त्रीकरण वाद-विवाद के प्रसंग में एक नये युग का आरम्भ हुआ।

सन् १९६० ई० की १४ जनवरी को ख्रुश्चेव ने घोषणा की कि पिछले चार वर्षों में सोवियत रूस ने अपनी ओर से सशस्त्र सेनाओं में २१ लाख ४० हजार मनुष्यों को कम कर दिया है और आगे १२ लाख आदमी और कम कर दिये जायेंगे। इस प्रकार रूस की कुल सेना का एक तृतीयांश रह जायगा। रूस अपनी इस प्रतिश्रुति को भी मानकर चलेगा कि आणविक अस्त्रों का विस्फोटन प्रयोगात्मक रूप में तबतक न किया जाय जबतक कि पश्चिमी राष्ट्र आणविक एवं उदजन-बमों के विस्फोटन का प्रयोग फिर से आरम्भ न कर दें।

सन् १९६० ई० के वसंत में रूस-भ्रमण करने के आमंत्रण को राष्ट्रपति आइसेन हावर ने सानन्द स्वीकार कर लिया था, जिससे बहुतों के मन में यह आशा बँध गई थी कि विश्व के ऊपर विपत्ति के जो बादल मँडरा रहे थे, वे टल गये और विश्व-शान्ति की संभावनाएँ उज्ज्वल हो उठी हैं। सन् १९६० ई० के मई में प्रस्तावित शीर्ष-राजनायकों का सम्मेलन सफल होगा और युद्ध के संत्रास से ग्रसित पृथ्वी पर पुनः शान्ति की सुखद वायु बहने लगेगी— इस आशा का भी लोग अपने मन में पोषण करने लगे थे। राजनायक-सम्मेलन १० मई को होनेवाला था। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से निरस्त्रीकरण और उसके परिणाम—विश्व-शान्ति की समस्या—पर विचार किया जाता और समाधान का कोई मार्ग ढूँढ निकाला जाता। किन्तु सम्मेलन से १० दिन पहले, अर्थात् ६ मई को एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे दो शिविरों के बीच समझौते की आशा दुराशा में परिणत हो गई तथा दोनो शिविरों के बीच तनाव की स्थिति और भी भीषण हो उठी।

६ मई को अमेरिकी जासूसी वायुयान यू-२ रूस की भूमि पर पतित हुआ और इस घटना को लेकर अमेरिका के विरुद्ध रूस ने जोरदार प्रचार शुरू किया। १० मई को शीर्ष-राजनायक-सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के कूटनीतिज्ञ एकत्र हुए और ख्रुश्चेव ने यह घोषणा की कि जबतक जासूसी वायुयान यू-२ के सम्बन्ध में सम्मेलन में अमेरिका की काररवाई पर विचार नहीं होगा और अमेरिका इसके लिए प्रायश्चित्त नहीं करेगा, रूस-सम्मेलन मे भाग नहीं लेगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति को रूस-भ्रमण के लिए जो आमंत्रण दिया है, उसे वह वापस लेता है। ख्रुश्चेव की इस घोषणा से सम्मेलन की संभावनाओं पर तुषार-पात हो गया। अमेरिका, इंगलैण्ड और फ्रांस के राष्ट्र-प्रधान निर्दिष्ट दिन राजनायक-सम्मेलन में अवश्य सम्मिलित हुए, किन्तु रूस की अनुपस्थिति के कारण सम्मेलन व्यर्थ सिद्ध हुआ। इस प्रकार विश्व-राजनीति के क्षितिज मे विश्व-शान्ति की संभावना की जो क्षीणोज्ज्वल रेखा दिखाई पड़ी थी, वह एक बार फिर प्रगाढ़ अंधकार से आच्छन्न हो गई और दो शिविरों के बीच कटूक्ति एवं परस्पर दोषारोपण का दौर शुरू हो गया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा का पन्द्रहवाँ सत्र १६ सितम्बर, १६६० को न्यूयार्क में आरम्भ हुआ। जिस समय यह सत्र आरम्भ हुआ, उस समय अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण हो रही थी। लाओस, ईरान, जॉर्डन, क्यूबा, कांगो आदि की समस्याएँ गम्भीर रूप धारण कर रही थीं। इस सत्र में संसार के प्रमुख देशों के जितने राजनायक सम्मिलित हुए थे, उतने पिछले किसी सत्र में नहीं। आरम्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति आइसेन हावर ने जो भाषण किया, उसमें एक ओर निरस्त्रीकरण की समस्या और दूसरी ओर अफ्रिका के पिछड़े हुए देशों को साहाय्य-दान के प्रश्न पर विचार किया गया था। सोवियत प्रधानमंत्री श्रीख्रुश्चेव ने आइसेन हावर के भाषण पर यह विचार प्रकट किया कि भाषण में समझौते का सुर है। ख्रुश्चेव ने अपने भाषण में निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध मे एक नया प्रस्ताव उपस्थित किया और यह माँग पेश की कि उपनिवेशवाद का अंत कर दिया जाय और जो सब देश अबतक पराधीन हैं, उन्हें मुक्त कर दिया जाय। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि सोवियत रूस और अमेरिका के बीच सद्भाव की स्थापना में उन्नति होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरिया और समस्त सुदूर पूर्व से अमेरिकी सेना हटा ली जाय। मंगोलिया प्रजातंत्र को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य-पद दिया जाय।

उपनिवेशवाद का अंत करने के प्रस्ताव पर जिस समय वाद-विवाद चल रहा था, सभा में अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण दृश्य उपस्थित हो गया। [illegible] ऐसा उत्तेजन था कि सामान्य सभा के अन्य किसी सत्र मे इस प्रकार का दृश्य उपस्थित नहीं हुआ था। ख्रुश्चेव ने अपने जोरदार भाषण में पश्चिमी राष्ट्रों की उपनिवेशवाद की नीति की तीव्र भर्त्सना की थी। इसके उत्तर में फिलिपाइन के प्रतिनिधि ने रूस पर यह आरोप किया कि पूर्वी यूरोप के देश रूसी साम्राज्यवाद के शिकार हो रहे हैं। इससे साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों में उत्तेजना फैल गई। सभा के [illegible] ने घोर अशान्ति और [illegible] के बीच [illegible] स्थगित करने की घोषणा की और [illegible] लेकर चले गये।

[illegible] ख्रुश्चेव ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन के सम्बन्ध में ऐसे नये प्रस्ताव किये—(१) [illegible] महासचिव का पद उठा दिया जाय और उसके स्थान पर तीन व्यक्तियों की एक [illegible] को [illegible] शक्ति दी जाय। इन तीन व्यक्तियों में एक पश्चिमी राष्ट्रों से, दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों से [illegible]

नहीं थे सदस्य नहीं किये जा सकेंगे। (३) वर्तमान संयुक्त राष्ट्रसंघ का कार्यालय न्यूयार्क में है। [illegible] होटलों में [illegible] विभिन्न राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि आते हैं, उनके आवागमन की [illegible] में बाधा [illegible] होती है। अमेरिका की रंग-भेद की नीति के कारण एशिया-अफ्रिका के प्रतिनिधियों को [illegible] अपमानित होना है। इसलिए संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय अन्यत्र ले जाया जाय।

[illegible] के [illegible] संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामन्त्री ने जिस रूप में हस्तक्षेप किया है, उसे [illegible] प्रधानमंत्री ने [illegible] के प्रति पक्षपातपूर्ण बताया। रूस की दृष्टि में महामन्त्री [illegible] 'साम्राज्यवादियों' के पक्षपाती भी हैं। महासचिव के प्रति इस प्रकार के सन्देह के कारण ही रूस ने उनके पद को हटाकर एक कार्यपालिका समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया था।

संयुक्त राष्ट्रसंघ को जिस नई परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वह यह है कि अफ्रिका-एशिया के अधिकांश देश स्वाधीन होकर इसके सदस्य हो गये हैं। इसका प्रभाव केवल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही नहीं, संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन और चरित्र पर भी पड़ रहा है। सन् १९६० ई० के अंत तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या ९९ तक पहुंच चुकी है, जिसमें प्रायः आधे से कुछ ही कम एशिया, अफ्रिका के देश होंगे। ये सब देश यदि पश्चिमी शक्तिवर्ग के विरुद्ध और सोवियत शिविर के साथ मिलकर चलें तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की वास्तविक शक्ति का सन्तुलन पश्चिम की ओर से निश्चित रूप में हट जायगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ के वर्तमान संगठन और उसमें परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करते हुए 'लंदन टाइम्स' पत्र के विशेष प्रतिनिधि ने लिखा था—"संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रत्यक्ष रूप से एक संकट का सामना कर रहा है। यह संकट उसके प्रति विश्वास को लेकर है। अफ्रिका के देशों के समागम से इसकी सदस्य-संख्या अकस्मात् बहुत बढ़ गई है। नया कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद के द्वारा समर्थित अर्ध-परिज्ञान उग्र राष्ट्रीयतावाद द्वारा उसका प्राधिकार अवनत हो रहा है और वार्षिक आय-व्ययक की तुलना मे अत्यधिक व्यय होने से उसके ऊपर गुरुतर आर्थिक चाप पड़ रहा है। अतीत मे कोरिया, हंगरी और मध्य-प्राच्य की समस्या को लेकर जिस प्रकार इस संस्था को कठिन परीक्षा के बीच से होकर गुजरना पड़ा था, उसकी तुलना मे वर्त्तमान परीक्षा-काल अधिक गम्भीर है।"

मानविक अधिकार की विश्वजनीन घोषणा

सन् १९४८ ई० की १० जनवरी को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानविक अधिकार के सम्बन्ध में एक अन्तरराष्ट्रीय घोषणा-पत्र स्वीकृत किया। सामान्य सभा के ५६ सदस्यों में ४८ सदस्यों ने इसके पक्ष में मत प्रदान किये। अन्य आठ सदस्य निष्पक्ष रहे। किसीने विपक्ष में मत नहीं दिया।

इस घोषणा-पत्र के कुल ३० अनुच्छेदों मे मनुष्य के मौलिक अधिकार एवं स्वाधीनता की व्याख्या की गई है। इसमें कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण निदेश दिये गये हैं, जिनके द्वारा सुसम्बद्ध व्यक्तित्व, सबल राष्ट्र-व्यवस्था एवं स्थायी शान्ति की स्थापना संभव हो सकती है। निर्देशों को मुख्यतः चार भागों में बाँटा जा सकता है—व्यक्ति मानव के सम्बन्ध में धारणा, अधिकार एवं दायित्व की पारस्परिक निर्भरशीलता, गणतंत्र का स्वरूप एवं राष्ट्रों की कार्यावली की परिभाषा।

घोषणा-पत्र में मनुष्य की मर्यादा को प्रथम स्थान दिया गया है। संसार मे इस समय जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अशान्ति देखी जा रही है, उसका मूल कारण है—मनुष्य की मर्यादा को अस्वीकार करना। विश्वयुद्ध का आरम्भ भी यहीं से होता है। इसलिए, घोषणा-पत्र में कहा गया है कि सब मनुष्यों की स्वाधीनता, मर्यादा एवं अधिकार एक समान हैं।

घोषणा-पत्र के इस निर्देश को स्वीकार करने का अर्थ होता है—सब प्रकार के शोषण का अंत, चाहे वह राजनीतिक हो अथवा आर्थिक या साम्राज्यवादी। सयुक्त राष्ट्रसंघ के पन्द्रहवें सत्र मे समाजवादी और एशिया-अफ्रिका के राष्ट्र-प्रतिनिधियों ने औपनिवेशिकता के अवसान के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव उपस्थापित किया था, उसका आधार घोषणा-पत्र का उक्त निर्देश था। औपनिवेशिकता के अन्त का अर्थ है—मनुष्य की मर्यादा की स्वीकृति और सब प्रकार की भेदभाव-मूलक नीति एवं युद्ध-नीति का वर्जन।

अधिकार एवं दायित्व की पारस्परिक निर्भरशीलता घोषणा-पत्र का दूसरा निर्देश है। केवल अधिकारों की दावी नहीं, उसके साथ-साथ समाज के प्रति कर्त्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा, राष्ट्र के विधि-निषेधों को मानकर चलना होगा। घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्रसंघ के 'उद्देश्य एवं नीति का उल्लेख करते हुए अधिकार एवं कर्त्तव्य की पारस्परिक निर्भरशीलता की बात कही गई है। राष्ट्र यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ की नीति के विरुद्ध कार्य करे और विधि-निषेध प्रवर्त्तित करे तो जन-साधारण का यह कर्त्तव्य होता है कि उसके विरुद्ध आन्दोलन करे। संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य एवं नीति ने मानविक अधिकार एवं कर्त्तव्य के बीच सीमा-रेखा अङ्कित कर दी है। इस रूप मे ही राष्ट्र की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा-पत्र स्वभावतः जनतान्त्रिक है। इसमें जन-साधारण की सार्वभौम सत्ता का उल्लेख किया गया है। २१ अनुच्छेद मे कहा गया है—"जनता की इच्छा शासनाधिकार की भित्ति होगी।" गणतान्त्रिक शासन में प्रत्येक मनुष्य के जीवन-यापन के अधिकार को स्वीकार किया गया है। इसके फलस्वरूप अधिनायकतन्त्र या एकनायकतन्त्र मानवता-विरोधी समझा जायगा। राष्ट्र के उद्देश्य एवं कार्य के सम्बन्ध मे जो निर्देश है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्र जन-स्वार्थ के लिए संगठित एक संस्था-मात्र है। राष्ट्र ही सब कुछ नहीं है। राष्ट्र मानव-कल्याण का एक प्रधान साधन-मात्र है। जनता के लिए ही राष्ट्र का प्रयोजन है, राष्ट्र के लिए जनता नहीं है। राष्ट्र का एकमात्र उद्देश्य जन-कल्याण है और राष्ट्र के कार्य-कलाप का यही एकमात्र परिमाण है। घोषणा-पत्र के २२ से २७ अनुच्छेदों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वाधीनता के सम्बन्ध मे जो सब बातें कही गई हैं, उनका [illegible] राष्ट्र सम्पूर्ण रूप से एक कल्याणकारी राष्ट्र बन जाय। सामाजिक सुरक्षा, काम करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, विश्राम एवं अवकाश-उपभोग का अधिकार, उपयुक्त [illegible] एवं शिक्षा का अधिकार—ये सब [illegible] हैं। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] घोषणा-पत्र में उल्लेख किया गया है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

मानवीय अधिकार-सम्बन्धी घोषणा-पत्र में राजनीतिक गणतंत्र का सामाजिक एवं आर्थिक गणतंत्र के रूप में परिवर्तन का पथ-निर्देश किया गया है।

अनुच्छेद १

सब मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तथा समान पैदा होते हैं और मर्यादा एवं अधिकार में वे एक समान हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं अन्तःकरण है, इसलिए उनके परस्पर के व्यवहार में बन्धुत्व की भावना होनी चाहिए।

अनुच्छेद २

जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य किसी ऐसे भेद-भाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को उन सब अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का अधिकार है, जिनका घोषणा-पत्र में उल्लेख किया गया है।

किसी देश या प्रदेश की राजनीतिक, अधिकार-क्षेत्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा, चाहे वह प्रदेश स्वतंत्र हो या न्यास अथवा अस्वायत्त शासन-भोगी।

अनुच्छेद ३

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन धारण करने, स्वतंत्रता का उपभोग करने और अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद ४

कोई भी दास बनकर या दासता में नहीं रहेगा। दासता और दास-व्यापार किसी भी रूप में निषिद्ध समझा जायगा।

अनुच्छेद ५

किसी को भी यंत्रणा नहीं दी जायगी, या किसी के साथ क्रूर, अमानुषिक या अपमान-जनक व्यवहार नहीं किया जायगा और न इस प्रकार का दण्ड दिया जायगा।

अनुच्छेद ६

प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि प्रत्येक स्थान में उसे कानून की दृष्टि से मान्यता मिले।

अनुच्छेद ७

कानून की दृष्टि में सब लोग एक समान हैं और बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से कानूनी संरक्षण पाने का उन्हें अधिकार है। इस घोषणा-पत्र का अतिक्रमण करके यदि भेद-भाव बरता जाय या इस प्रकार के भेद-भाव को उत्तेजन प्रदान किया जाय तो सब लोगों को उसके विरुद्ध समान रूप से संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद ८

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनके अतिक्रमण में जो कार्य किये जायँ, उनके विरुद्ध सक्षम राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा सार्थक प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद ९

कोई भी व्यक्ति स्वेच्छाचारी रूप में गिरफ्तार, नजरबंद या निर्वासित न हो सकेगा।

अनुच्छेद १०

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकरण के सामने प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों या दायित्वों के सम्बन्ध में या उसके विरुद्ध लाये गये किसी अपराधमूलक निश्चयन के आरोप के सम्बन्ध में खुले तौर से समुचित सुनवाई का पूर्णतया समान अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद ११

(१) प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दण्डमूलक अपराध का अभियोग लगाया गया है, निरपराध समझे जाने का अधिकार तबतक प्राप्त है, जबतक कि वह खुली अदालत के सामने, जिसमें उसे अपनी सफाई के लिए आवश्यक सभी प्रत्याभूतियाँ (गारण्टी) प्राप्त हैं, कानून के अनुसार अपराधी प्रमाणित न हो जाय।

(२) कोई ऐसा काम करने या नहीं करने के कारण कोई व्यक्ति किसी दण्डमूलक अपराध का अपराधी नहीं ठहराया जायगा। जो काम जिस समय किया गया था, वह राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार दण्डमूलक अपराध नहीं माना गया था। जिस समय वह दण्डमूलक अपराध किया गया था, उस समय उस अपराध के लिए जो दण्ड उपयुक्त था, उससे अधिक दण्ड नहीं दिया जायगा।

अनुच्छेद १२

किसी व्यक्ति के निजी खानगी जीवन, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाने तौर से हस्तक्षेप नहीं किया जायगा और न उसके सम्मान और सुनाम पर आक्रमण किया जायगा। इस प्रकार के हस्तक्षेप या आक्रमणों के विरुद्ध कानून का संरक्षण पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है।

अनुच्छेद १३

(१) प्रत्येक राज्य की सीमाओं के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे जहाँ-कहीं जाने और आवास की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी देश—जिसमें उसका स्वदेश भी सम्मिलित है—छोड़कर जाने और स्वदेश लौटने का अधिकार है।

अनुच्छेद १४

(१) प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से परित्राण पाने के लिए अन्य देशों में आश्रय की याचना करने और उस आश्रय का उपभोग करने का अधिकार है।

(२) किन्तु राजनीतिक अपराधों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अपराधों या संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धान्तों के विरुद्ध किये गये कार्यों के कारण यदि कोई अभियोग-चालान किया गया हो तो इस अधिकार की याचना नहीं की जा सकती।

अनुच्छेद १५

(१) प्रत्येक व्यक्ति को किसी एक राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता का अधिकार होगा।

(२) किसी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता (नेशनैलिटी) से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जायगा और न राष्ट्रीयता को बदलने के उसके अधिकार को अस्वीकार किया जायगा ।

अनुच्छेद १६

पुरुष और स्त्री को, जो पूर्ण आयु को प्राप्त कर चुके हैं, अपनी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण बिना किसी रुकावट के विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार होगा। उन्हें विवाह के सम्बन्ध में, वैवाहिक जीवन में और विवाह-विच्छेद में समान अधिकार प्राप्त होंगे ।

(२) विवाह के इच्छुक स्त्री-पुरुषों की स्वतंत्र एवं पूर्ण सम्मति से दोनों के बीच विवाह-सम्बन्ध स्थापित होगा ।

(३) परिवार समाज की स्वाभाविक एवं मौलिक समूह-इकाई है और समाज एवं राज्य से उसे संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है ।

अनुच्छेद १७

(१) प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वयं या दूसरों के साथ मिलकर किसी संपत्ति का मालिक बने ।

(२) कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जायगा ।

अनुच्छेद १८

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और इस अधिकार में धर्म या धर्म-विश्वास के परिवर्तन का अधिकार भी सम्मिलित है । इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की भी स्वतंत्रता है कि वह अकेले या दूसरों के साथ सार्वजनिक या निजी रूप में अपने धर्म या धर्म-विश्वास को उपदेश, आचरण, उपासना और अनुष्ठान में प्रकाशित करे ।

अनुच्छेद १९

प्रत्येक व्यक्ति को, मत की और उस मत को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है । उसके इस अधिकार में बिना हस्तक्षेप के अपने मतो को धारण करने और सीमान्तों का विचार किये बिना किसी भी माध्यम से सूचना एवं विचारों को जानने, प्राप्त करने और ज्ञान कराने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है ।

अनुच्छेद २०

(१) प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा और पर्षद् में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ।

(२) किसी को किसी पर्षद् के साथ युक्त होने के लिए वाध्य नही किया जा सकता ।

अनुच्छेद २१

(१) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्रतापूर्वक वरण किये गये प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेने का अधिकार है ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सार्वजनिक सेवा में समान भाव से प्रवेशाधिकार है ।

(३) शासन के प्राधिकार का आधार होगा जनता की इच्छा; यह इच्छा आवर्त्तिक एवं प्रामाणिक निर्वाचनो में व्यक्त होगी। ये निर्वाचन सार्वजनिक एवं समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान या इसके समतुल्य स्वतंत्र मतदान-प्रणालियों द्वारा होंगे।

अनुच्छेद २२

समाज के सदस्य के रूप मे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और वह राष्ट्रीय प्रयत्न एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुसार अपने उन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हकदार है, जो उसकी मर्यादा तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य रूप मे आवश्यक हैं।

अनुच्छेद २३

(१) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, अपनी पसन्द के अनुसार किसी वृत्ति को ग्रहण करने, उचित एवं सानुकूल दशाओं मे काम करने और बेकारी के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेद-भाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है।

(३) प्रत्येक व्यक्ति जो काम करता है, उसे उचित एवं अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है ताकि वह अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए मानव-मर्यादा के उपयुक्त जीवन-धारण की सुनिश्चित व्यवस्था कर सके, और आवश्यक होने पर सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा अपने पारिश्रमिक का आपूरण कर सके।

(४) प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए श्रमजीवी-संघ का गठन करने और उसमे सम्मिलित होने का अधिकार है।

अनुच्छेद २४

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम एवं अवकाश का, जिसमे काम करने के घण्टों की न्याय-संगत परिसीमा एवं सवेतन आवर्त्तिक छुट्टियां भी सम्मिलित हैं, अधिकार है।

अनुच्छेद २५

(१) प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के जीवन-स्तर का अधिकार है, जो उसके तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं मंगल के लिए पर्याप्त हो। इसमें भोजन, वस्त्र, घर और चिकित्सा रक्षा, आवश्यक सामाजिक सेवाएं तथा बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, वृद्धावस्था अथवा किसी अवस्थाओं में उसका जीविका-विहीन बन जाना, जिसपर उसका वश नहीं हो, सुरक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है।

(२) मातृत्व एवं शैशव को विशेष रक्षा एवं सहायता का अधिकार है।

अनुच्छेद २६

(१) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा निःशुल्क होगी। कम-से-कम प्राथमिक एवं मौलिक अवस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। [illegible] एवं [illegible] शिक्षा [illegible] होगी और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा सबके लिए समान रूप से [illegible] होगी।

(२) शिक्षा इस रूप में प्रदान होगी, जिससे मानव-व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास हो सके और मानवीय अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान-भाव सुदृढ़ हो सके। शिक्षा सभी राष्ट्रों, जातिगत अथवा धार्मिक जन-समूहों में समझदारी, सहिष्णुता और बन्धुत्व की अभिवृद्धि करेगी और शान्ति को कायम रखने में संयुक्त राष्ट्रसंघ की जो कार्यवाहियाँ हैं, उन्हें वर्द्धित करेगी।

अनुच्छेद २७

(१) प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक भाग ले, कलाओं का उपभोग करे और वैज्ञानिक प्रगति एवं उसके लाभों में अंश ग्रहण करे।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को किसी वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति—जिसका वह प्रणेता है—से उत्पन्न नैतिक एवं भौतिक स्वार्थों के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद २८

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रहने का अधिकार है, जिसमें इस घोषणा-पत्र में निर्दिष्ट अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की पूर्णतया प्राप्ति हो सके।

अनुच्छेद २९

(१) प्रत्येक व्यक्ति के समाज के प्रति कर्त्तव्य हैं और उन कर्त्तव्यों के पालन में ही उसके व्यक्तित्व का स्वच्छन्द एवं पूर्ण विकास संभव है।

(२) अपने अधिकार एवं स्वतंत्रताओं के व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहेगा, जो कानून द्वारा केवल इस उद्देश्य से निनिश्चित की गई हैं ताकि दूसरों के अधिकार एवं स्वतंत्रताओं को उपयुक्त मान्यता एवं सम्मान प्राप्त हो सके और एक जनतान्त्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा सर्व-साधारण के कल्याण की न्याय्य अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

(३) किसी भी अवस्था में इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का व्यवहार संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद ३०

इस घोषणा-पत्र के किसी अंश का निर्वचन इस रूप से नहीं किया जा सकता, जिससे यह ध्वनित हो कि किसी राज्य, जन-समुदाय या व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य में अभियोजित होने या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य इस घोषणा-पत्र में निर्दिष्ट किसी अधिकार और स्वतंत्रता को विनष्ट करना है।

☆

कुछ प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय संगठन एवं संधियाँ

राष्ट्रमण्डल (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स)

सन् १८९७ ई० में इंगलैण्ड की रानी विक्टोरिया की हीरक-जयन्ती का महोत्सव लंदन में मनाया गया। इस अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। उस समय इस प्रकार के उपनिवेश कुल ११ थे। महोत्सव के बाद यह अनुभव किया गया कि प्रधानमंत्रियों का इस प्रकार एक स्थान पर मिलना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है और भविष्य में भी जब कभी सम्भव हो, इस प्रकार की बैठकें की जायें। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक चार वर्ष के बाद साम्राज्य-सम्मेलन किया जाय, जिसमें ब्रिटिश सरकार और समुद्र पार के स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के बीच ऐसे प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जाय, जो दोनों के सामान्य स्वार्थ से सम्बन्धित हों। इस सम्मेलन का सभापतित्व इंगलैण्ड के प्रधानमंत्री करेंगे और स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधानमंत्री पदेन इसके सदस्य होंगे। सन १९१७ ई० के साम्राज्य-सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करके उपनिवेशों को आत्म-शासित राष्ट्रों के रूप में पूर्णतः मान्यता प्रदान की गई। सन् १९२६ ई० तक 'ब्रिटिश राष्ट्रमंडल' शब्द का व्यवहार स्वच्छन्द रूप से होता रहा। इसी समय ब्रिटेन के परराष्ट्र-सचिव लार्ड बालफोर ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की परिभाषा इस प्रकार की—"ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आत्म-शासित जन-समुदाय, जिनकी पद-स्थिति एक समान है, जो आन्तरिक या बाह्य विषयों के किसी भी पहलू के सम्बन्ध में किसी के अधीनस्थ नहीं हैं, यद्यपि सम्राट् के प्रति सामान्य आनुगत्य के नाते परस्पर संयुक्त हैं और ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के सदस्य के रूप में स्वतंत्र भाव से सम्मिलित हैं।" सन् १९३१ ई० के वेस्टमिनिस्टर परिनियम द्वारा उपनिवेशों की संसदों द्वारा पारित विधियों पर अपनी सहमति रोक रखने का ब्रिटेन का जो अधिकार था, वह हटा दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद सन् १९४९ ई० में लंदन में जो साम्राज्य-सम्मेलन हुआ, उसमें सदस्य प्रधानमंत्रियों ने एक सूत्र ढूँढ़ निकाला, जिसके द्वारा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका-जैसे गणतान्त्रिक राज्यों को राष्ट्रमण्डल के ढाँचे के अंदर स्थान दिया जा सके और ब्रिटिश अधिपति उनके नाम-मात्र के प्रधान माने जावें। इसके बाद ग्रेटब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने घोषणा कर निश्चय घोषित किया कि 'राष्ट्रमण्डल के स्वतंत्र एवं समान सदस्यों के रूप में एक साथ मिले हुए रहेंगे और शान्ति, स्वतन्त्रता एवं प्रगति के प्रयत्न में स्वतन्त्र भाव से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।' राष्ट्रमण्डल के साथ जो 'ब्रिटिश' विशेषण लगा हुआ था, वह हटा दिया गया और [illegible] नामकरण '[illegible]' हुआ। 'राष्ट्रमण्डल' शब्द इस समय जिन अर्थों में व्यवहृत होता है, वह है [illegible] का एक समूह, जो [illegible] द्वारा आपस में संयुक्त है, किन्तु जिसकी कोई केन्द्रीय [illegible] नहीं है।

[illegible]

यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें कोई भी सदस्य जब चाहे, परित्याग कर सकता है और विद्यमान सदस्यों की सहमति के बिना कोई नया सदस्य भर्ती नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रमण्डल के सदस्यों में पारस्परिक सम्पर्क। स्मरण रहे कि सब-के-सब पहले ब्रिटेन के उपनिवेश या अधीन राज्य थे। भाषा, न्याय एवं विचार की समानता के ऐसे बहुत-से बन्धन हैं, जो इन विभिन्न देशों को संयुक्त किये हुए हैं, किन्तु सम्प्रति वैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष कड़ी सम्राट् या सम्राज्ञी के प्रधान के रूप में रहती है। सम्राज्ञी ब्रिटेन की रानी अब भारत, पाकिस्तान और मलाया की सम्राज्ञी नहीं हैं, तथापि ये सब देश राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। लंदन में जब राष्ट्रमण्डल-सम्मेलन होता है तब रानी प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के प्रधानमंत्री को सम्मेलन एवं वार्तालाप के लिए अपने यहाँ आमंत्रित करती हैं। राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने देश के आन्तरिक एवं बाह्य विषयों में अबाध नियंत्रण है। सदस्य-राष्ट्रों के प्रधानमंत्री अपने सार्वभौम राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी-अपनी संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। जब वे एकत्र होकर ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं, जिनका निर्णयकारी महत्त्व होता है, तब वे निजी रूप में ऐसा करते हैं और वाद-विवाद के लिए कोई औपचारिक कार्य-सूची प्रकाशित नहीं की जाती। स्वतंत्र राष्ट्रों की इस संस्था में विचार, दृष्टि और राय में मतभेद होना अनिवार्य है। राष्ट्रमण्डल का महत्त्व इस बात में है कि यह अपने सदस्यों को पूर्ण एवं निस्संकोच रूप में विचार-विनिमय करने का मौका देता है और इस विचार-विनिमय के प्रकाश में राष्ट्रमण्डल की प्रत्येक सदस्य-सरकार अपने सहयोगी सदस्यों के विचार और स्वार्थों की गहरी जानकारी हासिल करके और उन्हें समझकर अपनी पृथक् नीतियों को सूत्रबद्ध करती है और उनका अनुसरण करती है। प्रधानमंत्री नेहरू के शब्दों में—"राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राष्ट्र कभी-कभी आपस में असहमत होते हैं, कभी-कभी उनके परस्पर के स्वार्थों में संघर्ष होता है, कभी-कभी विभिन्न दिशाओं में उनमें खींचातानी होती है। फिर भी मूल बात यह है कि मित्र के रूप में वे मिलते हैं, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, परस्पर के मतभेद को दूर करने की कोशिश करते हैं और यथासंभव यह कोशिश करते हैं कि काम करने का कोई सामान्य मार्ग निकल आये।"

ब्रिटिश साम्राज्य से हाल में स्वतन्त्र हुए कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं, जो इसके सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रमण्डल के सदस्यों में ब्रिटेन के अतिरिक्त पूर्ण स्वतंत्र हुए राष्ट्र भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं, तथा अधिराज्यों में कनाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण-अफ्रिका, घाना, नाइजीरिया, पश्चिमी द्वीप-समूह राज्य-संघ (फेडरेशन ऑफ वेस्ट इण्डीज) और मलाया राज्य-संघ हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से हाल में स्वतंत्र हुए राष्ट्र आयरलैंड, बर्मा और सूडान राष्ट्रमण्डल के सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रमण्डल की कोई एक केन्द्रीय सरकार, सेना या न्यायपालिका नहीं हैं। इसके सदस्य-राष्ट्रों के बीच विशेष संधि या किसी किस्म की शर्तें नहीं हैं। इसका कोई लिखित संविधान भी नहीं है। इसके सदस्य-राष्ट्र केवल शांति-स्थापना, स्वाधीनता तथा विश्व-सुरक्षा के उद्देश्य से परस्पर सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रमण्डल का प्रधान कार्यालय लंदन में है। राष्ट्रमण्डल के स्वतंत्र सदस्य-राष्ट्र भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ब्रिटेन के राजा या रानी को राष्ट्रमण्डल का प्रतीकात्मक प्रधान-मात्र मानते हैं, प्रधान शासक नहीं; किन्तु शेष सभी सदस्य-राष्ट्र प्रधान शासक मानते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद अप्रैल १९४६, अक्तूबर १९४८, अप्रैल १९४९, जनवरी १९५१, जून १९५३, फरवरी १९५५, जून १९५६, जून १९५७, सितम्बर १९५८, मई १९६० और मार्च १९६१ में राष्ट्रमंडल के

राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन हुए। नवम्बर, १९५२ में राष्ट्रमंडल का आर्थिक सम्मेलन हुआ, जिसमें अधिकतर सदस्य-राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल के अर्थ-मंत्रियों के सम्मेलन जुलाई १९४९, जनवरी १९५२ तथा जनवरी १९५८ में हुए। राष्ट्रमंडल के अर्थमंत्रियों की अनौपचारिक बैठकें सितम्बर, १९५४ में वाशिंगटन में; सितम्बर १९५५ में इस्ताम्बुल में तथा सितम्बर १९५६ में वाशिंगटन में हुईं। कनाडा की सरकार के आमंत्रण पर राष्ट्रमंडल की अन्य समस्याओं के अतिरिक्त व्यावसायिक तथा आर्थिक समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए एक सम्मेलन सितम्बर, १९५७ में मौण्ट-ट्रेम्बलैण्ट (क्यूबेक) में तथा दूसरा सितम्बर, १९५८ में मौण्ट्रियल में हुए। दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया की तत्कालीन आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने के लिए जनवरी १९५० में परराष्ट्र-मंत्रियों का एक सम्मेलन कोलम्बो में किया गया। इसी सम्मेलन में 'कोलम्बो-योजना' का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १९४७ ई० में जापान के साथ शान्ति-समझौता के निमित्त कैनबेरा (आस्ट्रेलिया) में एक बैठक हुई। जून, १९५१ में राष्ट्रमंडल के सुरक्षा-मंत्रियों की तथा उसी वर्ष के सितम्बर महीने में आपूर्त्ति-मंत्रियों की बैठकें हुईं। मंत्रिमंडलों की बैठकों की तरह अब राष्ट्रमंडल के मंत्रियों के भी गुप्त सम्मेलन हुआ करते हैं। राष्ट्रमंडल की आर्थिक समिति, कार्यकारिणी समिति, कृषि-परिषद्, जलपोत-वाणिज्य-समिति (शिपिंग कमेटी) आदि की बैठकें भी हुआ करती हैं।

राष्ट्रमण्डल के सामने इस समय सर्वप्रधान समस्या दक्षिण अफ्रिका की सरकार द्वारा अनुसृत जातिभेद की नीति है। सन् १९६० ई० के ३ से १३ मई तक राष्ट्रमंडल के प्रधान-मंत्रियों का जो महत्त्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, उसमें एशिया-अफ्रिका के प्रतिनिधि इस-समस्या पर वाद-विवाद करने के लिए कृतसंकल्प थे। किन्तु दक्षिण-अफ्रिका के प्रतिनिधि ने यह कहकर इस विषय पर वाद-विवाद करना अस्वीकार कर दिया कि इसका सम्बन्ध एक स्वतंत्र सरकार के आन्तरिक विषय से है। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत भेद-भाव की समस्याओं पर वे अनौपचारिक रूप से अन्य देशों के प्रतिनिधि-मंडलों के साथ वाद-विवाद करने के लिए तैयार हैं। इससे राष्ट्रमण्डल के इस परंपरागत आचरण की पुष्टि होती है कि उसके सदस्य-राष्ट्र किसी अन्य सदस्य-राष्ट्र के आन्तरिक विषयों की आलोचना नहीं करते। दक्षिण-अफ्रिका के प्रतिनिधि निजी रूप में अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिले और अपने देश की सरकार की जातिगत भेद-भाव की नीति के औचित्य की व्याख्या की। किन्तु इससे मलाया और घाना के प्रतिनिधियों को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने रंगभेद की नीति का तीव्र प्रतिवाद किया। मलाया के प्रतिनिधि ने दक्षिण-अफ्रिका के प्रतिनिधि से वार्तालाप करना अस्वीकार कर दिया। इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि राष्ट्रमंडल के सदस्यों में मिलन के जो बन्धन हैं, वे शिथिल हो रहे हैं।

विश्व की आर्थिक परिस्थितियों की आलोचना करते हुए सम्मेलन में यह विचार प्रकट किया गया कि यद्यपि सामान्य परिस्थिति सन्तोषजनक है, तथापि गत बैठक के बाद से राष्ट्रमण्डल के उद्योग-प्रधान देशों में जो आर्थिक विकास हुआ है, वह उसकी अपेक्षा कम विकसित देशों के आर्थिक विकास की तुलना में अधिक है। यह बात स्पष्ट है कि इन देशों की समृद्धि की एक मुख्य शर्त यह है कि वे अपने निर्यात-व्यापार की वृद्धि करें। इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि जो देश कम विकसित हैं, उनके लिए आवश्यक आर्थिक सहायता की मात्रा में वृद्धि की जाय। एक अन्तरराष्ट्रीय विकास-संस्थान की स्थापना करने के निश्चय का स्वागत किया गया।

८ मार्च, १९६१ से राष्ट्रमण्डल-सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आरम्भ हुआ। इस अधिवेशन में भारत, पाकिस्तान, लंका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, मलाया, न्यूजीलैण्ड, नाइजीरिया, दक्षिण-अफ्रिका, ब्रिटेन और रोडेशिया तथा न्यासालैण्ड के प्रतिनिधियों ने योगदान किया। भारत के प्रधानमंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण-अफ्रिका की ओर से स्वयं वहाँ के प्रधानमंत्री डॉ० वरवर्ड उपस्थित थे। इस बार के सम्मेलन में दक्षिण-अफ्रिका की वर्ण-वैषम्य नीति को लेकर ही सबसे कठिन समस्या उपस्थित हुई। दक्षिण-अफ्रिका के गोरों और कालों के बीच जो भेद-नीति बहुत दिनों से बरती जा रही है और जिसके लिए वह कुख्यात रहा है, उसके विरुद्ध दीर्घ काल से अन्तरराष्ट्रीय आन्दोलन चलाया जा रहा है। किन्तु दक्षिण-अफ्रिका ने अभीतक अपनी उस जघन्य नीति का परित्याग नहीं किया है। यहाँ तक कि इंगलैण्ड के अंदर भी दक्षिण-अफ्रिका की इस नीति के विरुद्ध प्रतिवाद का स्वर ऊँचा होने पर उसने ब्रिटिश राजमुकुट से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया है और एक प्रजातंत्र राष्ट्र के रूप में अपने को घोषित किया है। आगामी मई के अंत तक दक्षिण-अफ्रिका एक प्रजातंत्र राष्ट्र हो जायगा। अपने इस नये रूप में राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित होने के लिए उसने आवेदन-पत्र दिया था। किन्तु, राष्ट्रमण्डल नाना वर्णों, नाना धर्मों और नाना जातियों के समान अधिकार-संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिण-अफ्रिका की भेद-भाव-मूलक नीति राष्ट्रमण्डल-संघटन की मूल नीति एवं आदर्श के सर्वथा विपरीत है। इसलिए, भारत तथा एशिया-अफ्रिका के अन्यान्य देशों की ओर से यह माँग की गई कि जबतक दक्षिण-अफ्रिका अपनी वर्ण-वैषम्य-मूलक नीति का परित्याग न करे, उसे राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में स्वीकार न किया जाय। मलाया, घाना, लंका आदि देशों के प्रतिनिधियों ने इस विषय में कड़ा रुख धारण किया। दक्षिण-अफ्रिका को राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में ग्रहण किया जाय या नहीं, इस प्रश्न को लेकर तीन दिनों तक वाद-विवाद और वितण्डा चलती रही। अन्त में डॉ० वरवर्ड ने १५ मार्च को नाटकीय रूप में यह घोषणा की कि दक्षिण-अफ्रिका आगामी ३१ मई के बाद राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने के लिए प्रार्थी नहीं होगा। ३१ मई को दक्षिण-अफ्रिका प्रजातंत्र घोषित होगा; अतः राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने के लिए उसे इस सम्मेलन में आवेदन-पत्र देना पड़ा था। एशिया और अफ्रिका के सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने यह शर्त लगा दी थी कि दक्षिण-अफ्रिका राष्ट्रमण्डल की समान अधिकार की नीति को स्वीकार करे, तभी वह सदस्यता प्राप्त कर सकता है। डॉ० वरवर्ड ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही अन्यान्य राष्ट्र-नेताओं ने दक्षिण-अफ्रिका के विरुद्ध संघबद्ध होकर प्रतिवाद किया था, जिससे डॉ० वरवर्ड ने स्वयं ही अपना आवेदन-पत्र वापस ले लिया। बाद में उनकी ओर से जो वक्तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, उसमें बताया

गया कि डॉ० वरवर्ट राष्ट्रमण्डल का सदस्य-पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, किन्तु वह वर्ण-वैषम्य-मूलक नीति का परित्याग नहीं करेंगे। जिस रूप में यह सिद्धान्त उन्होंने घोषित किया है, उससे भारत, श्रीलंका, मलाया और घाना-जैसे राष्ट्रों की ही नैतिक विजय हुई है। विशेष कर भारत ने तो सन १९५६ ई० में ही दक्षिण-अफ्रिका की नीति के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की थी और उसके प्रति वाणिज्यिक बहिष्कार की नीति का सबसे पहले भारत ने ही अवलम्बन किया था। इस प्रकार गत पाँच वर्षों से भारत और उसके सहयोगी एशिया-अफ्रिका के राष्ट्र संघबद्ध भाव से जिस नीति का अनुसरण करते आ रहे थे, उसके फलस्वरूप ही दक्षिण-अफ्रिका को राष्ट्रमण्डल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

कोलम्बो-योजना

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, जनवरी, १९५० में राष्ट्रमण्डल के परराष्ट्र-मंत्रियों का एक सम्मेलन कोलम्बो (लंका) में हुआ। उसके निर्णय के अनुसार २८ नवम्बर, १९५० को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सामूहिक आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक उन्नति के लिए एक योजना प्रकाशित की गई, जिसका नाम कोलम्बो-योजना पड़ा। १ जुलाई, १९५१ से कोलम्बो-योजना का कार्य आरम्भ किया गया और यह निश्चय किया गया कि ३० जून, १९५७ तक के लिए एशिया के सदस्य-राष्ट्रों के विकास-कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जाय। प्रत्येक राष्ट्र को अपने कार्यक्रम में इच्छानुसार संशोधन-परिवर्द्धन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। सन १९५५ ई० में परामर्शदात्री समिति की बैठक सिंगापुर में हुई, जिसमें योजना की अवधि ३० जून, १९६१ तक के लिए बढ़ाई गई थी। उसके बाद दिसम्बर, १९५६ में वेलिंगटन में, अक्तूबर, १९५७ में सैगोन में तथा अक्तूबर, १९५८ में सीएटल में इसकी बैठकें हुईं। इण्डोनेशिया-स्थित जोगजकार्ता में सन १९५९ ई० के ११ से १४ नवम्बर तक इसकी परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई, जिसमें योजना की अवधि सन् १९६१ ई० से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाई गई। उक्त बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि सन १९६४ ई० के वार्षिक अधिवेशन में इसकी आगामी अवधि-वृद्धि के सम्बन्ध में विचार किया जाय। इसकी परामर्शदात्री समिति में ग्रेटब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ब्रिटिश बोर्नियो तथा सिंगापुर प्रारम्भिक सदस्य-राष्ट्र हैं। वीतनाम, कम्बोडिया, लाओस और संयुक्तराज्य अमेरिका सन् १९५१ ई० में, बर्मा और नेपाल सन १९५२ ई० में इण्डोनेशिया सन १९५३ ई० में तथा जापान, फिलिपाइन और थाईलैंड सन १९५४ ई० में इसके सदस्य हुए। इन सदस्य-राष्ट्रों में आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ग्रेटब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका कोलम्बो-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों द्वारा ही कोलम्बो-क्षेत्र के देशों को समय-समय पर आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता मिलती रही है।

इसके उद्देश्यों में विकास-कार्यक्रम द्वारा सम्बद्ध राष्ट्रों के निवासियों [illegible] के प्रसार को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। इसका [illegible] कोलम्बो में है। इस योजना के [illegible] देशों के प्राविधिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था [illegible] है। अन्तरराष्ट्रीय [illegible] में सम्मिलित देशों [illegible] है। सन १९५०-५१ ई० [illegible] के देशों को [illegible] ४४४ करोड़ रुपये थे।

[illegible] ई० में [illegible] दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों ने एक-दूसरे के आर्थिक विकास में [illegible] सहायता की। [illegible] के अन्तर्गत दी गई ४,२६८ [illegible] में ३०० [illegible] गयी [illegible] की गई।

[illegible] ई० में [illegible] प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। योजना के [illegible] को ११,६०० विशेषज्ञ दिये।

योजना के [illegible] पर ४ करोड़ ६४ लाख पौंड से भी अधिक [illegible] ई० में १ करोड़ [illegible] लाख पौंड खर्च हुआ।

[illegible] छात्रों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। [illegible] ([illegible]), [illegible] (१२८), फिलिपाइन (७६), स्याम (१३६), इण्डोनेशिया ([illegible]), बर्मा ([illegible]) और पाकिस्तान (३६) से आये।

१ [illegible], १९५९ से ३० जून, १९६० तक यहाँ २६७ प्रशिक्षणार्थी थे। १२६ छात्रों की [illegible] में प्रशिक्षण दिया गया। भारत ने सन् १९५९-६० ई० में ५७ प्रशिक्षणार्थियों को अभियन्त्रण (इंजीनियरी), १४ को वन-विज्ञान, २३ को [illegible], १६ को [illegible] और [illegible] तथा शेष को शिल्प-विज्ञान आदि की शिक्षा दी। [illegible] को २३, सिंगापुर को ४, इण्डोनेशिया को ३, बर्मा को २ और [illegible] को १ विशेषज्ञ भेजे गये। सन् १९५९-६० ई० में भारत ने नेपाल को १ करोड़ ८० लाख रुपये की सहायता दी। सन् १९६०-६१ ई० में भारत ने नेपाल को उसकी दूसरी योजना में सहायता के लिए १८ करोड़ रुपये देने का निर्णय किया था। इसमें पूर्वी कोसी-नहर पर होनेवाला ४ करोड़ रुपये का खर्च भी शामिल है।

सन् १९५९-६० ई० में कोलम्बो-योजना के अंतर्गत एक-दूसरे देश को जिन ११ देशों ने प्रशिक्षण की सुविधाएँ दीं, उनमें भारत का स्थान पाँचवाँ है।

अरब-लीग

२२ मार्च, १९४५ को काहिरा (कैरो) में अरब-राष्ट्रों ने अरब की एकता को कायम रखने के लिए एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर एक संघ का निर्माण किया। इस राज्य-संघ में मिस्र, इराक, जोर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, यमन, लीबिया, सूडान (१९५६ से), ट्युनिशिया तथा मोरोक्को (१९५८ से) सम्मिलित हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य है—सदस्य-राष्ट्रों के बीच हुए समझौतों को क्रियात्मक रूप देना; सदस्य-राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना; समय-समय पर इसकी बैठकें बुलाना; राजनीतिक क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण सहयोग; सदस्य राष्ट्रों की स्वाधीनता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा; अरब-राष्ट्रों से सम्बन्धित कार्यों पर विचार-विमर्श तथा आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक एवं परिवहन-सम्बन्धी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग।

अरब-लीग की एक सामान्य-परिषद्, एक विशेष समिति तथा एक सचिवालय हैं। इसके अतिरिक्त एक राजनीतिक समिति है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के परराष्ट्र-मंत्री सदस्य के रूप में रहते हैं। इसकी कौंसिल की बैठकें वर्ष में दो बार हुआ करती हैं। इसका सचिवालय काहिरा में है। सन् १९५२ ई० से इसके महामंत्री अब्दुल खालिक हासाउना हैं, जो मिस्र के भूतपूर्व परराष्ट्र-मंत्री रह चुके हैं। सदस्य-राष्ट्रों के आपसी झगड़े, वैमनस्य एवं कटुता के कारण लीग का अभी तक कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया है।

अरब-सुरक्षा-संधि

अरब-सुरक्षा-संधि (अरब-सेक्युरिटी पैक्ट) का पूरा नाम 'अरब-राज्य-संघ सामूहिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग-संधि' (अरब-लीग कलेक्टिव सेक्युरिटी ऐण्ड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन पैक्ट) है। इसकी स्थापना १७ जुलाई, १९५० को की गई। इस संधि को पाँच देशों—मिस्र, इराक, सीरिया, जोर्डन और लेबनान—ने स्वीकार किया। यह संधि प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले उपर्युक्त देशों के बीच, सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए किसी भी सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध की व्यवस्था करती है तथा अरब-लीग के अन्तर्गत सम्बद्ध देशों के दायित्व को निर्धारित करती है।

केन्द्रीय संधि-संगठन (बगदाद-संधि)

२४ फरवरी, १९५५ को बगदाद में टर्की और इराक द्वारा पारस्परिक सुरक्षा के निमित्त एक समझौता किया गया, जो 'बगदाद-संधि' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी वर्ष ४ अप्रैल को ग्रेटब्रिटेन, २३ सितम्बर को पाकिस्तान तथा ३ नवम्बर को ईरान इसमें सम्मिलित हुए। अप्रैल, १९५६ में संयुक्तराज्य अमेरिका इसकी आर्थिक एवं विध्वंस-विरोधी समितियों में तथा मार्च, १९५७ में इसकी सैन्य-समिति में पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ और तब से उसके प्रतिनिधि इसकी बैठकों में भाग लेते रहे। २८ जुलाई, १९५८ को संयुक्त-राज्य अमेरिका ने इसके प्रतिज्ञा-पत्र को स्वीकार कर लिया। ५ मार्च, १९५९ को अंकारा में संयुक्तराज्य अमेरिका और टर्की के बीच तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच द्विभुजी सुरक्षा-समझौते हुए। जुलाई, १९५८ की क्रान्ति के बाद से इराक ने बगदाद-समझौता में सम्मिलित देशों की कार्यवाहियों में भाग लेना बन्द कर दिया तथा २४ मार्च, १९५९ में इसने बाजाप्ता अपने को पृथक् कर लिया। अक्टूबर, १९५८ में इसका मुख्य कार्यालय बगदाद से अंकारा स्थानान्तरित कर दिया गया और इराकी महामंत्री अवनी खलीदी की जगह एम० ओ० ए० बेग (पाकिस्तान) इसके महामंत्री बनाये गये। बगदाद-संधि-समिति की एक बैठक जनवरी, १९५९ के अन्तिम सप्ताह में कराची में हुई, जिसमें संधि में सम्मिलित देशों का सामरिक संगठन दृढ़ करने का निश्चय किया गया। २१ अगस्त, १९५९ को बगदाद-संधि के सचिवालय की घोषणा के अनुसार इस संधि का नाम बगदाद-संधि से बदलकर 'केन्द्रीय संधि-संगठन' (C. E. N. T. O) किया गया।

इस संधि-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

(१) इस संधि में सम्मिलित देश पारस्परिक सुरक्षा के लिए परस्पर में सहयोग प्रदान करेंगे।

(४) इस संधि [illegible] में किसी भी सदस्य-राष्ट्र तथा दूसरे राष्ट्रों के लिए खुला रखा है, जो इस [illegible] और शान्ति में [illegible] रूप से सम्बद्ध रहे हैं तथा जिन्हें [illegible] और [illegible] स्वीकार करें।

(५) इस समझौते की अवधि पाँच वर्षों की है और आगामी पाँच वर्षों के लिए फिर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। कोई भी सदस्य-राष्ट्र उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के ६ मास पूर्व अन्य सदस्य-राष्ट्रों को सूचना देकर संगठन से पृथक् हो सकता है।

त्रिदलीय सुरक्षा-संधि

१ सितम्बर, १९५१ को संयुक्तराज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर सानफ्रान्सिस्को में एक संधि की, जिसके अनुसार किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े को शान्तिपूर्ण तरीके से तय करने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय हुआ कि प्रशान्त महासागर के अन्तर्वर्ती क्षेत्रों में संधि के अन्तर्गत किसी भी पार्टी की क्षेत्रीय अखण्डता और राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा पर खतरा हो तो इस सम्बन्ध में सम्मिलित रूप से विचार किया जाय। दलों ने यह भी तय किया कि वे किसी भी सशस्त्र आक्रमण को रोकने के लिए अपनी वैयक्तिक एवं सामूहिक शक्ति बढ़ायेंगे। साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि इस संधि को लागू करने के लिए एक परिषद की स्थापना की जाय, जिसमें तीनों दलों के परराष्ट्र-मंत्री या डिपुटी सम्मिलित हों। यह संधि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी।

दक्षिण-पूर्व एशिया सामूहिक सुरक्षा-संधि

८ सितम्बर, १९५४ को आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेटब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर मनिला (फिलिपाइन) में दक्षिण-पूर्व एशिया की सुरक्षा एवं आर्थिक साधनों के विकास के लिए उक्त संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस संधि को अंगरेजी में 'साउथ-ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेन्स ट्रिटी' कहते हैं। इसका दूसरा नाम 'साउथ-ईस्ट एशिया ट्रिटी आरगेनिजेशन' (S. E. A. T. O.) है। इस संधि के अनुसार खड़े किये गये सैनिक और असैनिक सभी संगठनों के कार्यालय बैंकॉक (थाईलैंड) में हैं। वहीं इसकी कौंसिल की बैठकें भी हुआ करती हैं।

बाण्डुंग-सम्मेलन

सन् १९५५ ई० के १८ अप्रैल से २४ अप्रैल तक एशिया तथा अफ्रिका के ३० स्वतंत्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन बाण्डुंग (इण्डोनेशिया) में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस सम्मेलन की सफलता का श्रेय भारत, बर्मा, लंका, इण्डोनेशिया तथा पाकिस्तान की सरकारों को है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व-शांति एवं पारस्परिक मैत्री की भावना से आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना था। उक्त सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नांकित हैं—

(१) उपनिवेशवाद की मनोवृत्ति का अन्त हो तथा जो लोग दूसरों द्वारा शासित, शोषित और दास बनाये गये हैं, उन्हें स्वतंत्रता दी जाय।

(२) 'पंचशील' के सिद्धान्तों का पालन हो।

(३) विश्व के सभी देशों का निःशस्त्रीकरण किया जाय।

(४) अणु-अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

(५) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में एशिया तथा अफ्रिका के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय और उन एशियाई एवं अफ्रिकी देशों को, जो अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, सदस्य बनाया जाय।

(६) सभी देश पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक-दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन

अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन (अफ्रो-एशियन सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेन्स) का अधिवेशन अराजकीय स्तर पर काहिरा (मिस्र) में सन १९५७ ई० के २६ दिसम्बर से सन् १९५८ ई० की १ जनवरी तक हुआ। इस सम्मेलन में दोनों महादेशों के अनेक देशों एवं औपनिवेशिक क्षेत्रों से ५०० प्रतिनिधि आये थे। कुछ राष्ट्रों ने इसका स्वरूप साम्यवादी समझकर इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्वीकार कर दिया। ये राष्ट्र थे—लाइबेरिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलिपाइन, दक्षिण-वीतनाम, मोरक्को, मलाया, कम्बोडिया और लाओस। सोवियत-संघ से यहाँ २७ व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि-मंडल आया था। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये—साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जाति-भेदवाद, ट्रस्टीशिप आदि की निन्दा की गई। केनिया, कैमेरून, उगाण्डा, मडागास्कर, सोमालीलैंड आदि देशों की स्वतन्त्रता एवं साइप्रस के आत्मनिर्णय की माँग की गई, उत्तर और दक्षिण कोरिया एवं उत्तर और दक्षिण वीतनाम को मिला देने का समर्थन किया गया, बगदाद-सन्धि और आइसन हॉवर-सिद्धान्त को अरब-राष्ट्रों की स्वतंत्रता का बाधक तथा इजराइल को साम्राज्यवाद का एक अङ्ग कहा गया एवं राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन और मंगोलिया को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया। काहिरा में इस संगठन की एक स्थायी संस्था कायम करने का भी निश्चय हुआ। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अप्रैल, १९६० में कोनाक्री में हुआ।

अखिल अफ्रिकी जन-सम्मेलन

इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १९५८ ई० के ५ से १३ दिसम्बर तक अकरा (घाना) में हुआ, जिसमें ७८ राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, स्वातंत्र्य-आन्दोलनों एवं अन्य संस्थाओं के २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अफ्रिका के निम्नलिखित राष्ट्रों, उपनिवेशों तथा अन्य देशों का प्रतिनिधित्व हुआ था — अल्जीरिया, अंगोला, बेसूटोलैंड, कैमेरून, दहोमी, इथोपिया, घाना, गीनी, केनिया, लाइबेरिया, लीबिया, मोरोक्को, नाइजीरिया, उत्तरी रोडेशिया, सियरालियोन, दक्षिण-रोडेशिया, टंगानिका, टोगोलैंड, ट्यूनिशिया, युगान्डा, संयुक्त अरब-गणतन्त्र और जंजीबार। केनिया के एक श्रमिक नेता टॉम मबोया ने इसकी अध्यक्षता की। यद्यपि यह सम्मेलन अराजकीय संस्थाओं का था, तथापि दक्षिण-अफ्रिका और सूडान के अतिरिक्त सभी अफ्रिकी स्वतन्त्र राष्ट्रों के शासक दलों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था—अफ्रिका में अहिंसात्मक क्रांति लाने के लिए गांधी जी की पद्धति पर योजना तैयार करना और उसे काम में लाना। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुए। एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया कि वह साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अनुरोध करे कि वे अफ्रिका से बिल्कुल हट जायँ और शासन-भार विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जनता के मताधिकार से कायम हुई गणतन्त्रीय सरकार के हाथ में सौंप दें। अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों से अनुरोध किया गया कि वे अफ्रिका के परतन्त्र लोगों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध शुरू किये गये संघर्ष में हर तरह से सहायता पहुँचावें और दक्षिण-अफ्रिका आदि की रंग-भेद माननेवाली सरकारों से अपना राजदौत्य सम्बन्ध विच्छिन्न कर लें, अलजीरिया की निर्वासित सरकार को मान्यता प्रदान करें और अफ्रिकी लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक अफ्रिकी स्वयंसेवक-दल तैयार करें।

एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का एक मंडल (कॉमनवेल्थ) भी तैयार करने का निश्चय किया गया। समस्त अफ्रिकी राष्ट्रों को पाँच समूहों में विभक्त कर देने का विचार हुआ, जो एक अखिल अफ्रिकी मण्डल (कॉमनवेल्थ) में सम्मिलित रहेंगे। ये पाँच समूह होंगे—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय समूह।

अकरा-सम्मेलन

अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन १९५८ ई० के १५ से २२ अप्रैल तक अकरा (घाना) में हुआ। इसमें भाग लेनेवाले राष्ट्र थे—इथोपिया, घाना, लीबिया, लाइबेरिया, मोरोक्को, सूडान, ट्युनिशिया और संयुक्त अरब-गणतन्त्र। सम्मेलन का उद्घाटन घाना के प्रधानमंत्री डॉ० नकुमा ने किया था, जिसके निमंत्रण पर उपर्युक्त देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था—सामान्य हितों के प्रश्न पर विचार-विनिमय करना, अफ्रिकी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें सुदृढ बनाना, औपनिवेशिक शासन के अधीन पड़े हुए राष्ट्रों को सहायता पहुँचाने का रास्ता ढूँढना, शान्ति-रक्षा के प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना तथा विश्व के महान राष्ट्रों से निःशस्त्रीकरण के लिए अपील करना, जिससे सभी राष्ट्र ध्वस्त होने से बच सकें। सम्मेलन में विविध विषयों पर प्रस्ताव पास किये गये। अफ्रिकी राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने तथा प्रतिवर्ष १५ अप्रैल को अफ्रिकी स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय किया गया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अफ्रिकी उपनिवेशों को स्वतन्त्र करने का निश्चित समय

बताने के लिए आग्रह हुआ, अल्जीरिया के स्वातंत्र्य आन्दोलन का समर्थन किया गया, फ्रांसीसी कैमेरून पर शस्त्र-प्रयोग करने की निन्दा की गई एवं जाति-भेद दूर करने, आणविक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग बन्द करने तथा पैलेस्टाइन की समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से हल करने की अपील की गई।

अटलांटिक घोषणा-पत्र

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के दौरान में १४ अगस्त, १९४१ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक प्रदेश के किसी स्थान पर हुई बैठक के परिणाम-स्वरूप एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, जो 'अटलांटिक घोषणा-पत्र' (अटलांटिक चार्टर) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा-पत्र की प्रमुख शर्तें निम्नांकित थीं—

(१) क्षेत्रीय या किसी अन्य प्रकार के प्रसार या विस्तार का अंत हो।

(२) किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित जनता की प्रकट इच्छा के बिना उस क्षेत्र में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जाय।

(३) सभी लोगों को अपने इच्छानुसार अपनी सरकार का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार रहे।

(४) जिन राष्ट्रों को प्रभुसत्ता-सम्बन्धी अधिकारों एवं स्वशासन से बलपूर्वक वंचित कर दिया गया है, उन्हें वे लौटाये जायें।

(५) संसार के व्यापार एवं कच्चे माल तक सभी राष्ट्रों की पहुंच समानता के आधार पर हो।

(६) आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्णतम सहयोग रहे।

(७) नाज़ी जुल्म का अन्त कर निखिल विश्व में शान्ति की स्थापना की जाय।

(८) ऐसे आक्रामक राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण हो, जो सामान्य सुरक्षा एवं विस्तृत तथा स्थायी व्यवस्था में बाधक हों, और ऐसे राष्ट्रों को प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाय, जो शस्त्रीकरण के बोझ को हलका करने के लिए व्यावहारिक कदम उठा चुके हों।

अखिल अफ्रिकी जन-सम्मेलन

इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १९५८ ई० के ५ से १३ दिसम्बर तक अक्रा (घाना) में हुआ, जिसमें ४० राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, राष्ट्र-आन्दोलनों एवं अन्य संस्थाओं के २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अफ्रिका के निम्नलिखित राष्ट्रों, उपनिवेशों तथा अन्य देशों का प्रतिनिधित्व हुआ था—अल्जीरिया, अंगोला, बेल्जियन कांगो, कैमरून, डहोमी, इथोपिया, घाना, गीनी, केनिया, लाइबेरिया, लीबिया, मोरोक्को, नाइजीरिया, उत्तरी रोडेशिया, सियरालियोन, दक्षिण-रोडेशिया, टंगानिका, टोगोलैंड, ट्युनिशिया, युगाण्डा, संयुक्त अरब-गणतन्त्र और जंजीबार। केनिया के एक श्रमिक नेता टॉम मबोया ने इसकी अध्यक्षता की। यद्यपि यह सम्मेलन असरकारी संस्थाओं का था, तथापि दक्षिण-अफ्रिका और सूडान के अतिरिक्त सभी अफ्रिकी स्वतन्त्र राष्ट्रों के शासक दलों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था—अफ्रिका में अहिंसात्मक क्रांति लाने के लिए गांधी जी की पद्धति पर योजना तैयार करना और उसे काम में लाना। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुए। एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया कि वह साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अनुरोध करे कि वे अफ्रिका से बिल्कुल हट जायँ और शासन-सत्ता विभिन्न देशों में स्थानीय जनता के मताधिकार से स्थापित हुई गणतन्त्रीय सरकार के हाथ में सौंप दें। अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों से अनुरोध किया गया कि वे अफ्रिका के परतन्त्र लोगों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध छेड़े गये संघर्ष में हर तरह से सहायता पहुँचावें और दक्षिण-अफ्रिका आदि की रंगभेद माननेवाली सरकारों से अपना राजदौत्य सम्बन्ध विच्छिन्न कर लें, अल्जीरिया की निर्वासित सरकार को मान्यता प्रदान करें और अफ्रिकी लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक अफ्रिकी स्वयंसेवक-दल तैयार करें।

एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का एक मंडल (कॉमनवेल्थ) भी तैयार करने का निश्चय किया गया। समस्त अफ्रिकी राष्ट्रों को पाँच समूहों में विभक्त कर देने का विचार हुआ, जो एक अखिल अफ्रिकी मण्डल (कॉमनवेल्थ) में सम्मिलित रहेंगे। ये पाँच समूह होंगे—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय समूह।

अक्रा-सम्मेलन

अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन १९५८ ई० के १५ से २२ अप्रैल तक अकरा (घाना) में हुआ। इसमें भाग लेनेवाले राष्ट्र थे—इथोपिया, घाना, लीबिया, लाइबेरिया, मोरोक्को, सूडान, ट्युनिशिया और संयुक्त अरब-गणतन्त्र। सम्मेलन का उद्‌घाटन घाना के प्रधानमंत्री डॉ० नक्रुमा ने किया था, जिसके निमंत्रण पर उपर्युक्त देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन का उद्‌देश्य था—सामान्य हितों के प्रश्न पर विचार-विनिमय करना, अफ्रिकी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें सुदृढ बनाना, औपनिवेशिक शासन के अधीन पड़े हुए राष्ट्रों को सहायता पहुँचाने का रास्ता ढूँढना, शान्ति-रक्षा के प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना तथा विश्व के महान राष्ट्रों से निःशस्त्रीकरण के लिए अपील करना, जिससे सभी राष्ट्र ध्वस्त होने से बच सकें। सम्मेलन में विविध विषयों पर प्रस्ताव पास किये गये। अफ्रिकी राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने तथा प्रतिवर्ष १५ अप्रैल को अफ्रिकी स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय किया गया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अफ्रिकी उपनिवेशों को स्वतन्त्र करने का निश्चित समय

बताने के लिए आग्रह हुआ, अल्जीरिया के स्वातंत्र्य आन्दोलन का समर्थन किया गया, फ्रांसीसी कैमेरून पर शस्त्र-प्रयोग करने की निन्दा की गई एवं जाति-भेद दूर करने, आणविक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग बन्द करने तथा पैलेस्टाइन की समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से हल करने की अपील की गई।

अटलाण्टिक घोषणा-पत्र

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के दौरान में १४ अगस्त, १९४१ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक प्रदेश के किसी स्थान पर हुई बैठक के परिणाम-स्वरूप एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, जो 'अटलांटिक घोषणा-पत्र' (अटलांटिक चार्टर) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा-पत्र की प्रमुख शर्तें निम्नांकित थीं—

(१) क्षेत्रीय या किसी अन्य प्रकार के प्रसार या विस्तार का अंत हो।

(२) किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित जनता की प्रकट इच्छा के बिना उस क्षेत्र में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जाय।

(३) सभी लोगों को अपने इच्छानुसार अपनी सरकार का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार रहे।

(४) जिन राष्ट्रों को प्रभुसत्ता-सम्बन्धी अधिकारों एवं स्वशासन से बलपूर्वक वंचित कर दिया गया है, उन्हें वे लौटाये जायँ।

(५) संसार के व्यापार एवं कच्चे माल तक सभी राष्ट्रों की पहुंच समानता के आधार पर हो।

(६) आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्णतम सहयोग रहे।

(७) नाजी जुल्म का अन्त कर निखिल विश्व में शान्ति की स्थापना की जाय।

(८) ऐसे आक्रामक राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण हो, जो सामान्य सुरक्षा एवं विस्तृत तथा स्थायी व्यवस्था में बाधक हों, और ऐसे राष्ट्रों को प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाय, जो शस्त्रीकरण के बोझ को हलका करने के लिए व्यावहारिक कदम उठा चुके हों।

कौमिनफार्म

कौमिनफार्म (कम्युनिस्ट इनफॉरमेशन ब्यूरो—साम्यवादी सूचना-विभाग) की स्थापना का निश्चय ५ अक्टूबर, १९४७ को पोलैण्ड की राजधानी वारसा में होनेवाली एक गुप्त बैठक में किया गया, जिसमें यूरोप के नौ देशों—सोवियत-संघ, पोलैण्ड, बलगेरिया, रूमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इटली और फ्रांस—के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 'कौमिनफार्म' कौमिण्टर्न (कम्युनिस्ट इंटरनेशनल) का दूसरा नाम है, जिसे २२ मई, १९४३ को क़ानूनी दृष्टि से विघटित कर दिया गया था। यह संस्था रूस के साम्यवादी दल का सम्बन्ध बाहर के साम्यवादी दलों के साथ स्थापित करती है। इसका प्रधान कार्यालय युगोस्लाविया में था, किन्तु वहाँ के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का कौमिनफार्म के साथ मतभेद होने के कारण युगोस्लाविया को कौमिनफार्म से अलग कर दिया गया और इस संस्था का कार्यालय सोवियत रूस ले जाया गया।

प्रशुल्क और व्यापार-सम्बन्धी सामान्य समझौता

सन् १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक समिति ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की एक नीति सम्बन्धी निर्णय पूरा करने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक सनद का मसविदा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। यह सनद सन् १९४८ ई० में पूरी की गई, परन्तु इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं होने से यह ज्यों-की-त्यों पड़ी रह गई। ऐसी हालत में इस सनद को तैयार करनेवाले सदस्य-राष्ट्रों ने १९४७ ई० में प्रशुल्क और व्यापार के सम्बन्ध में एक सामान्य समझौता (जेनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऐण्ड ट्रेड—G.A.T.T.) तैयार किया, जो सन् १९४८ ई० की पहली जनवरी से व्यवहार में लाया जाने लगा। उस समय २३ राष्ट्रों ने इस समझौते को स्वीकार किया था। सन् १९५६ ई० में इसे स्वीकार करनेवाले राष्ट्रों की संख्या ३७ हो गई। दो अन्य राष्ट्रों ने भी इसे अस्थायी रूप से स्वीकार किया है। ये राष्ट्र विश्व के ८० प्रतिशत व्यापार के लिए उत्तरदायी हैं। इस समझौते में सम्मिलित कोई भी राष्ट्र किसी खास वस्तु के व्यापार में किसी दूसरे राष्ट्र को जो सुविधा प्रदान करेगा, वही सुविधा उस समझौते में सम्मिलित अन्य सभी राष्ट्रों को देनी होगी। इन राष्ट्रों को अन्य देशों से आयात की जानेवाली वस्तुओं के लिए कर तथा परिवहन-सम्बन्धी वे ही सुविधाएँ देनी होंगी, जो अपने देश में उत्पादित की गई वस्तुओं को मिलेगी। कोई भी राष्ट्र वस्तु-राशि-पातन द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्द्धा में भाग नहीं लेगा। इस समझौते में सम्मिलित राष्ट्रों का अधिवेशन साल में दो बार हुआ करेगा। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।

पश्चिमी यूरोपीय संघ

१७ मार्च, १९४८ को ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड, बेलजियम और लक्जेम्बर्ग के परराष्ट्र-मन्त्रियों ने ब्रुसेल्स (बेलजियम) में एकत्र होकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में एक साथ काम करने तथा सामूहिक आत्मरक्षा के लिए एक पचास वर्षीय सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसे 'ब्रुसेल्स-संधि' कहते हैं। इस संधि के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय संघ (वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन) कायम किया गया। पीछे पश्चिमी जर्मनी और इटली भी इस संघ में सम्मिलित हुए। इस संघ का बाजाप्ता उद्घाटन ६ मई, १९५५ को किया गया। संघ की कौंसिल में उक्त सात राष्ट्रों के परराष्ट्र-मंत्री या उनके प्रतिनिधि रहते हैं। युद्ध-उपकरणों के नियंत्रण के लिए पेरिस में इसका एक अभिकरण तथा एक स्थायी युद्ध-उपकरण-समिति बनाई गई है। इसके अंतर्गत कई सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इसका कार्यालय ६, ग्रॉस वेनोर प्लेस, लन्दन (एस० डब्ल्यू० आई०) में है। इसके वर्तमान महामंत्री लुई गॉफिन हैं।

यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा मार्शल-योजना के अंतर्गत अमेरिकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से १६ अप्रैल, १९४८ को यूरोप के १७ राष्ट्रों ने पेरिस में एक बैठक बुलाकर यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन (ऑरगेनिजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन—O. E. E. C.) का निर्माण किया। प्रारंभ में इस संघ में ब्रिटेन, फ्रांस, अस्ट्रिया, बेलजियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, आयरिश गणतंत्र, इटली,

लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, नारवे, पुर्तगाल, स्वीडन, टर्की और पश्चिमी जर्मनी सम्मिलित हुए थे। सन् १९५० ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा ने पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के सम्मिलित स्वार्थ से संबंधित आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए संगठन को सहयोग देना स्वीकार किया। सन् १९५६ ई० में स्पेन भी संगठन का पूर्ण सदस्य बना। खाद्य एवं कृषि-संबंधी कार्यों में युगोस्लाविया को भी सदस्यता प्राप्त है तथा वह इसके 'यूरोपीय उत्पादन-अभिकरण' में भाग लेता है। आरम्भिक काल में इस संगठन के दो प्रमुख उद्देश्य थे—सदस्य राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग की वृद्धि तथा संयुक्तराज्य अमेरिका को साहाय्य-कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देना। जून, १९५२ में मार्शल-योजना के अंतर्गत दी जानेवाली सहायता का काम पूरा हो चुका, किंतु संगठन के सदस्य-राष्ट्रों द्वारा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श का काम जारी रहा। सन् १९५३ ई० के बाद से यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन ने व्यापार, उत्पादन-वृद्धि तथा अणु-शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। इसके कार्य-संचालन के लिए एक कौंसिल तथा एक कार्य-समिति है। कौंसिल में सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए कई संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है। इसकी कौंसिल का अध्यक्ष-पद ग्रेटब्रिटेन को दिया गया है। इसके महामंत्री रेने सर्जेण्ट (फ्रांस) हैं।

यूरोपीय कौंसिल

यूरोपीय कौंसिल (कौंसिल ऑफ यूरोप) की स्थापना ५ मई, १९४९ को हुई। पहले ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, नारवे और स्वीडन इसके सदस्य थे। ९ अगस्त, १९४९ को टर्की और ग्रीस तथा ७ मार्च, १९५० को आइसलैंड भी इसके सदस्य हुए। १२ मई, १९५० को सारलैंड तथा १३ जुलाई, १९५० को पश्चिमी जर्मनी इसके एसोसिएट मेम्बर बने। २ मई, १९५१ को पश्चिमी जर्मनी तथा १६ अप्रैल, १९५६ को अस्ट्रिया इसके पूर्ण सदस्य हुए। १ जनवरी, १९५७ को जर्मनी में मिल जाने के फलस्वरूप सारलैंड की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसका उद्देश्य अपने सामान्य आदर्शों और सिद्धान्तों की सुरक्षा के निमित्त सदस्यों के बीच अधिकतर एकता कायम करना तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देना है। इसकी एक मन्त्रिपरिषद् (कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स) और एक परामर्शदात्री सभा (कनसल्टेटिव असेम्बली) हैं। इसका कार्यालय स्ट्रॉसबर्ग (फ्रांस) में है। इसके प्रधानमंत्री लोडोविको वेनवेनुटी हैं।

उत्तर-अटलाण्टिक संधि-संगठन

उत्तर-अटलाण्टिक संधि-संगठन (नॉर्थ अटलाण्टिक ट्रिटी आरगेनिजेशन—N.A.T.O.)—यह संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप के कुछ राष्ट्रों का संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है—रूस या अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के आक्रमण करने पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना; संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के अनुसार आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना, जिससे अन्तरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय पर कोई खतरा नहीं आने पाये, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक नीति-संबंधी विवाद को दूर करना तथा पारस्परिक आर्थिक सहायता को प्रोत्साहन देना आदि। संगठन की शर्तों पर ४ अप्रैल, १९४९ को वाशिंगटन में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड और नारवे के परराष्ट्र-

सहित-राष्ट्रों ने स्वीकार किये। १८ फरवरी, १९५२ को ग्रीस और टर्की शामिल हुए, १९५५ में पश्चिमी जर्मनी भी इस संगठन में अन्दर आ गये। इस संगठन की एक कौंसिल है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधि रहते हैं। इसके वर्तमान महामन्त्री पाल हेनरी स्पाक हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। इसकी अपनी एक सेना भी है।

पेरिस में [illegible] जून से १० जून तक उत्तर-अटलान्टिक संधि-संगठन का १०वाँ वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें १५ सदस्य-राष्ट्रों के ६५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उक्त सम्मेलन में पिछले १० वर्षों के कार्यों पर विचार किया गया। सम्मेलन में विचारार्थ मुख्य विषय थे—राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सदस्य-देशों के आपसी सम्बन्ध; उन देशों के साथ सम्बन्ध, जो संगठन में सम्मिलित नहीं हैं तथा साम्यवादी गुट के देशों के साथ सम्बन्ध।

उक्त सम्मेलन में कई सामरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श हुए। एक [illegible] द्वारा [illegible] प्रस्ताव पेश किये गये, जिनमें संगठन में सम्मिलित राष्ट्रों के लिए एक न्यायालय की स्थापना का भी सुझाव था।

वारसा-सन्धि

वारसा-सन्धि (वारसा-पैक्ट) सोवियत रूस तथा अन्य सात साम्यवादी राष्ट्रों—अलबानिया, बल्गेरिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया—द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य पश्चिमी राष्ट्रों के उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन के मुकाबले एक संस्था खड़ी करना था। रूस ने पहले उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन-निर्माण को ही रोकने की चेष्टा की थी। किन्तु इस कार्य में सफल न होने पर उसके मुकाबले दूसरी संस्था खड़ी करने के सम्बन्ध में मार्च, १९५१ में ही साम्यवादी राष्ट्रों में विचार-विमर्श होने लगा। दिसम्बर, १९५४ में मास्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें साम्यवादी राष्ट्रों ने निश्चय किया कि यदि पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण का प्रयत्न किया जायगा, तो यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र भी आपस में एक संधि करेंगे। फलस्वरूप इन राष्ट्रों ने १४ मई, १९५५ को वारसा (पोलैंड) में शान्ति और सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के निमित्त एक सन्धि की। इसके अनुसार उपर्युक्त कार्य-संचालन के लिए आठ राष्ट्रों की एक राजनीतिक परामर्शदात्री समिति और एक संयुक्त सैनिक कमांड संगठित हुए। उसकी राजनीतिक परामर्शदात्री समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय हो सकती है, यों साल में दो बार इसकी बैठकों का होना अनिवार्य है। इस संधि के अधिनियम प्रायः वे ही हैं, जो उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन के हैं। राजनीतिक परामर्शदात्री समिति का महामंत्री इसका कार्य-संचालन करता है। सन् १९५६ ई० में इसके सदस्य-राष्ट्रों के के प्रतिनिधियों द्वारा मास्को में एक संयुक्त सचिवालय स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय नीति का लगातार अध्ययन कर परराष्ट्र-नीति-संबंधी अभिस्ताव करने के लिए १९५६ ई० के अंत में एक स्थायी आयोग भी गठित किया गया। इस संधि के कुछ प्रमुख उद्देश्य ये हैं—आतंक तथा शक्ति-प्रयोग की नीति से अपने को अलग रखना और शांतिपूर्ण ढंग से आपसी झगड़ों का निपटारा, शस्त्रीकरण मे कमी कर आणविक, उद्जन तथा अन्य शस्त्रास्त्रों पर रोक लगाना; सशस्त्र आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर सामूहिक रूप से विचार करना; आवश्यकता पड़ने पर सहायक अभिकरण स्थापित करना आदि। यह सन्धि २० वर्षों तक कायम रहेगी। इसका प्रधान कार्यालय मास्को (रूस) में रखा गया है।

यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय

सन् १६५१ ई० के १८ अप्रैल को बेलजियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, लक्जेम्बर्ग और नेदरलैंड के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय (यूरोपियन कोल ऐण्ड स्टील कम्युनिटी) नामक संस्था को जन्म दिया। इसका काम है—सदस्य-राष्ट्रों के बीच कोयला और इस्पात के व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाना। इस समुदाय द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच कोयले तथा इस्पात के उद्योग में होनेवाली प्रतिस्पर्द्धा को दूर कर एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें सम्मिलित देशों को कोयला तथा इस्पात के साधनों तक समान शर्तों के आधार पर पहुंचने की सुविधा है। सदस्य-राष्ट्रों के लिए एक सम्मिलित बाजार की व्यवस्था की गई है। उक्त वस्तुओं पर लगनेवाले कई प्रकार के व्यावसायिक कर उठा दिये गये हैं तथा भेदपूर्ण नीति का बहिष्कार किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि समुदाय का गठन संयुक्त यूरोप के निर्माण की दिशा में एक कदम है। इसके अन्तर्गत उच्च अधिकारी (हाइ ऑथोरिटी), सामान्य सभा (कॉमन एसेम्बली), न्यायालय (कोर्ट ऑफ जस्टिस) और मंत्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर) हैं। उच्च अधिकारी सदस्य-राष्ट्रों की सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। इसका कार्यालय लक्जेम्बर्ग में है।

इधर आस्ट्रिया, डेनमार्क, जापान, नारवे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ग्रेटब्रिटेन तथा संयुक्त-राज्य अमेरिका ने भी समुदाय के लिए अपने प्रतिनिधि-मंडल नियुक्त किये हैं। २१ दिसम्बर, १६५४ को ब्रिटेन, समुदाय के उच्चाधिकारी तथा सदस्य-राष्ट्रों की सरकारों के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार स्टैंडिंग कौंसिल ऑफ एसोसिएशन की स्थापना की गई।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय

यूरोप के जिन ६ राष्ट्रों ने यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय को सन् १६५१ ई० में संगठित किया था, उन्हीं राष्ट्रों ने २५ मार्च, १६५७ को रोम की एक बैठक में कोयला और इस्पात के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का भी एक सम्मिलित बाजार कायम करने, आर्थिक ऐक्य स्थापित करने, व्यावसायिक नीति के एकीकरण आदि उद्देश्य से यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी) नामक संस्था की नींव डाली। इसका दूसरा नाम 'रोम-संधि' है। इसके अन्दर मंत्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स), यूरोपियन कमीशन, न्यायालय, एसेम्बली एवं आर्थिक और सामाजिक समिति हैं।

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय (यूरोपियन एटोमिक इनर्जी कम्युनिटी) नामक संस्था का संगठन बेलजियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, लक्जेम्बर्ग और नेदरलैंड ने २५ मार्च, १६५७ को रोम में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ ही किया। यह संस्था आणविक शक्ति के सम्बन्ध में कार्य करती है। सदस्य-राष्ट्रों में पाये जानेवाले यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम पर समुदाय का प्राथमिक अधिकार होता है और वही बिना किसी भेद-भाव के इनका वितरण अणु-शक्ति-प्रतिष्ठानों के बीच करता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्तर्गत कार्य करनेवाली संस्थाएँ इसके कार्यों का निरीक्षण करती हैं। इस समुदाय का संक्षिप्त नाम 'यूरेटम' है।

अमेरिकी राष्ट्रों का संगठन

अमेरिकी राष्ट्रों का पहला अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन १४ अप्रैल, १८९० को वाशिंगटन में हुआ। [illegible] किया गया। इसका उद्देश्य पश्चिमी गोलार्द्ध के राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग और शान्ति स्थापित करना है। बाद के [illegible] किया है। इस समय २१ अमेरिकी गणतंत्र राष्ट्र इसके सदस्य हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—अर्जेन्टिना, बोलीविया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैटी, होण्डुरास, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पराग्वे, पेरू, संयुक्तराज्य अमेरिका, उरुगुए और वेनेजुएला। इस संस्था के [illegible] होते हैं। ये अंग हैं—१. अन्तःअमेरिकी सम्मेलन, २. [illegible] परामर्शदात्री सम्मेलन, ३. कौंसिल, ४. अखिल अमेरिकी संघ, ५. [illegible] और ६. [illegible] संगठन। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है। इसके [illegible] हैं।

रायो-संधि

अगस्त, सन् १९४७ ई० में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कुल २१ स्वतंत्र राष्ट्रों ने रायो-डि-जेनीरो नामक स्थान में एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे रायो-संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार इन राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र पर भी आक्रमण होने पर शेष सभी राष्ट्रों को अधिकार हो जाता है कि आह्वान किये जाने पर वे उसकी रक्षा करें।

संयुक्तराज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-शासन

संयुक्तराज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-प्रशासन (युनाइटेड स्टेट्स इण्टरनेशनल को-ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन—'I. C. A.') नामक संयुक्तराज्य अमेरिका की यह संस्था परराष्ट्र-सम्बन्धी आर्थिक और प्राविधिक सहायता-कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। पहले इस काम को अमेरिका की तीन संस्थाएं करती थीं। उन सबको बन्द कर यह संस्था स्वराष्ट्र-विभाग के अन्तर्गत एक अर्द्ध-स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित की गई। द्वितीय महासमर के समय से १९५७ ई० के आर्थिक वर्ष तक अमेरिका ने ६० विभिन्न देशों को इसके द्वारा आर्थिक सहायता पहुंचाई है। इस संस्था के डायरेक्टर जेम्स डब्ल्यू० रिड्लबर्गर हैं।

विश्व-चर्च-परिषद्

विश्व-चर्च-परिषद् (वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज) का बाजाप्ता संगठन २३ अगस्त, सन् १९४८ ई० को एम्सटरडम (नेदरलैंड)-सम्मेलन में किया गया, जिसमें ४४ देशों के १४७ चर्चों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। दूसरा सम्मेलन सन् १९५४ के अगस्त में इवान्सटॉन (अमेरिका) में हुआ। इस सम्मेलन मे १६३ सदस्य-चर्चों के प्रतिनिधि आये थे। अप्रैल, सन् १९५९ ई० तक सदस्य-चर्चों की संख्या १६७ हुई। इसके कार्यों की देखरेख के लिए एक पंचक (प्रेजिडियम) तथा एक केन्द्रीय समिति है। परिषद् का प्रधान कार्यालय १७, रोटे-डी मेलेगनोड, जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है। इसके प्रधान मन्त्री हैं—डॉ० डब्ल्यू० ए० विसर्ट हफ्ट। परिषद् का कार्य कई भागों में विभक्त है।

सर्वप्रथम ईसाई मिशनों का एक विश्व-सम्मेलन विदेशों में होनेवाले मिशनरियों के कार्यों में सहयोग स्थापित करने के लिए सन १६१० ई० मे एडिनबरा (ग्रेटब्रिटेन) में हुआ था। सन् १६२१ ई० में एक इण्टरनेशनल मिशनरी कौंसिल बनी। इस कौंसिल ने सन् १६२८ ई० में जेरूसेलम मे, सन् १६३८-३६ ई० मे ताम्बरम (मद्रास) मे, सन १६५२ ई० मे विलिगेन (जर्मनी) मे तथा १६५७-५८ ई० मे घाना (अफ्रिका) मे सम्मेलन बुलाये। ईसाई धर्म-सम्बन्धी विश्वासो और व्यवस्थाओ पर विचार करने के लिए सन १६२७ ई०, १६३७ ई० और १६५८ ई० मे विश्व-सम्मेलन किये गये। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए सन १६२५ ई० और १६३७ ई० मे सम्मेलन बुलाये गये। विश्व-चर्च-परिषद् की रूपरेखा तैयार करने के लिए सन १६३८ ई० मे ही एक समिति बनाई गई थी। इसी की रूपरेखा के आधार पर सन् १६४८ ई० मे विश्व-चर्च-परिषद् नामक स्थायी संस्था की स्थापना हुई।

यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-पर्षद्

सन् १६५८ ई० मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी) से बाहर के ११ राष्ट्रों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संयुक्त कर यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-क्षेत्र के निर्माण का प्रयास किया था, जो विफल रहा। फलस्वरूप २० नवम्बर, सन् १६५६ ई० को स्टॉकहोम में एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर कर यूरोप के सात राष्ट्रों ने यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-पर्षद् (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन—E.F.T.A.) को जन्म दिया। वे सात राष्ट्र थे—ब्रिटेन, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नारवे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। इसका उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों के बीच होनेवाले व्यापार की कठिनाइयों को दूर कर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादनो पर लगनेवाले आन्तरिक करों में क्रमश कमी करना तथा उन्हें उठाना है। इसके योजनानुसार सन १६७० ई० तक सभी आयात-कर तथा वाणिज्य-प्रशुल्क उठाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके कार्य-संचालन के लिए इसकी एक मंत्रिपरिषद् है। यह पर्षद् समस्त पश्चिमी यूरोप को एक ही आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत लाना चाहती है।

अण्टार्कटिक (दक्षिणी ध्रुव-प्रदेश) संधि

सन् १६५७-५८ ई० के अन्तरराष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष मे संसार के जिन १२ प्रमुख राष्ट्रों ने अण्टार्कटिक महादेश-सम्बन्धी अन्वेषण-कार्यक्रम मे भाग लिया था, उनके प्रतिनिधियो का एक सम्मेलन १५ अक्टूबर, १६५६ ई० से वाशिंगटन मे प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य अण्टार्कटिक महादेश को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के लिए विचार-विमर्श कर एक सन्धि करना था। उक्त सम्मेलन मे सम्मिलित होनेवाले राष्ट्र थे—ग्रेटब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेण्टाइना, चिली, बेलजियम, जापान और नारवे। इन १२ राष्ट्रों ने सात सप्ताह तक विचार-विमर्श करने के बाद १ दिसम्बर, १६५६ ई० को एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। सन्धि की शर्तों के अनुसार निर्णय किया गया कि अण्टार्कटिक महादेश का उपयोग सदा शान्तिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए किया जाय। महादेश के ५० लाख वर्गमील के क्षेत्र मे सैनिक शस्त्रास्त्रो, आणविक विस्फोट एवं तेजष्क्रिय पदार्थों के क्षेपण पर रोक लगाई गई। यह भी निश्चय किया गया कि किसी भी राष्ट्र द्वारा उसके वर्त्तमान क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि नही की जा सकती। सभी हस्ताक्षरी राष्ट्रों को महादेश के समस्त क्षेत्र में अपने

पर्यवेक्षक भेजने की [illegible] रहेगी तथा बाद [illegible] निरीक्षण-पर्यवेक्षण-कार्य किसी भी समय किया जा सकता। यह संधि ६०° दक्षिण अक्षांश से दक्षिण के क्षेत्रों पर ही लागू होगी। सन्धि की शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विवाद उपस्थित होने पर इसमें सम्मिलित राष्ट्र आपस में विचार-विमर्श कर उसका समाधान करेंगे। [illegible] १२ राष्ट्रों की सहमति से संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्य-राष्ट्र को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ३० वर्षों के बाद कोई भी सदस्य-राष्ट्र एक सम्मेलन बुलाकर बहुमत द्वारा सन्धि की शर्तों में परिवर्तन ला सकेगा।

★

विश्व की प्रमुख प्रजातियों की जनसंख्या और उनके वास-स्थान

प्रजातियाँ	*संख्या (लाख में)*	*मुख्यतः निवास-स्थान*
मंगोलियन (पीत वर्ण)	६,८००	एशिया
काकेशियन (श्वेत)	७,२५०	यूरोप
नीग्रो (काला)	२,१००	अफ्रिका
सिमेटिक	१,०००	एशिया, अफ्रिका और यूरोप
मलायन	१,०४०	ओसेनिया आदि
रेड इण्डियन आदि	८००	अमेरिका

महादेशों की जन-संख्या और क्षेत्रफल

(संयुक्त राष्ट्रसंघ के सांख्यिकी कार्यालय के १९५५ के आँकड़ों के आधार पर)

महादेश	*क्षेत्रफल (कीलोमीटर में)* (१ मील = १.६१ कीलोमीटर)	*अनुमित जन-संख्या*
यूरोप (सोवियत रूस को छोड़कर)	१६,२८,०००	४१,१०,००,०००
सोवियत रूस	२,०४,०३,०००	२०,०३,००,०००
एशिया (सोवियत रूस को छोड़कर)	२,७०,४६,०००	१,४८,१०,००,०००
उत्तरी अमेरिका	२,४२,२८,०००	२३,८०,००,०००
दक्षिणी अमेरिका	१,७८,५०,०००	१२,४०,००,०००
ओसेनिया	८५,२७,०००	८५,५७,०००
अफ्रिका	३,०२,८४,०००	२२,००,००,०००
कुल योग : संसार	१३,३२,६६,०००	२,५८,६०,००,०००

द्रष्टव्य—सन् १९५२ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की जन-संख्या-बुलेटिन के अनुसार विश्व की जन-संख्या २ अरब ४० करोड़ के लगभग थी।

विश्व की मुख्य जातियाँ, धर्म और भाषाएँ

विभिन्न जातियाँ

अक्का—मध्य अफ्रिका के बौने। ४-५ फीट लम्बे और बड़े सिरवाले होते हैं।

अफरीदी—भारत की सीमा पर एशियाई तुर्क।

एस्कीमो—उत्तरी अमेरिका और उत्तरी साइबेरिया के रेड-इण्डियन।

एंथ्रोफैगी—कास्पियन समुद्र के चारो तरफ पाई जानेवाली एक जाति, जो अपनी ही जाति के मांस का भक्षण करती है। केवल पुराने लेखकों द्वारा उल्लिखित।

काफिर—अफ्रिका के एक प्रकार के नेग्रो, जो बड़े लड़ाकू होते हैं।

काले यहूदी—कोचीन (भारत) में पाई जानेवाली एक जाति।

कुर्द—टर्की, फारस और इराक के बीच बँटे देश कुर्दिस्तान के निवासी।

क्रेओल्स—वेस्टइंडीज के निवासी।

क्रोट्स—क्रोटिया (युगोस्लाविया) के निवासी।

खासी—आसाम की एक जनजाति।

खिरगिज—मध्य-एशिया के निवासी।

गुरखा—नेपाल की एक युद्ध-वीर जाति।

जुलू—दक्षिण अफ्रिका की एक असभ्य जाति।

टुंग—यूरल पर्वत के निवासी।

टोडा—नीलगिरि के अधिवासी।

डयाक—बोर्नियो की एक असभ्य जाति।

द्रविड़—दक्षिण भारत और लंका में पाई जानेवाली एक अनार्य-जाति।

नागा—आसाम की पहाड़ियों एवं जंगलों मे रहनेवाली एक जन-जाति।

नेग्रीटो—कांगो-बेसिन के मूल-निवासी।

नेग्रो—अफ्रिका के निवासी, जिनका रंग काला, बाल घुँघराले और होठ मोटे होते हैं।

फिलिपिनो—फिलिपाइन्स द्वीप के निवासी, जो ईसाई हो गये हैं।

फ्लेमिंग—बेलजियम के निवासी।

बर्बर—उत्तरी अफ्रिका की एक गोरी जाति, जिसमें अधिकतर मुसलमान हैं।

बागिरमी—अफ्रिका की चाड झील के दक्षिण रहनेवाले लोग।

बान्टू—दक्षिण अफ्रिका के नेग्रो।

बास्क—उत्तरी स्पेन की एक परम स्वतन्त्र जाति। स्पेन के अन्तिम गृह-युद्ध के समय जेनरल फ्राको द्वारा इनकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दी गई।

बेदोऊँ —अरब की एक घुमक्कड़ जाति, जो इराक और अफ्रिका के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है।

बोअर—दक्षिण-अफ्रिका के डच।

ब्राहुई—बलूचिस्तान के निवासी।

भील—प्राचीन द्रविड़-जाति, जो मध्य भारत तथा राजस्थान में निवास करती है।

मुख्य भाषाएँ
(सर्वप्रमुख सात भाषाएँ)

भाषाएँ			बोलनेवालों की संख्या
मंडारिन (चीन)	...	....	४४,४०,००,०००
अँगरेजी	...	...	२७,८०,००,०००
रूसी (सोवियत रूस)	....	...	१५,६०,००,०००
हिन्दी (भारत)	...	...	१४,६०,००,०००
स्पेनिश (स्पेन)	...	..	१४,२०,००,०००
जर्मन (जर्मनी)	..	...	१२,००,००,०००
जापानी (जापान)	...	...	६,५०,००,०००

अन्य प्रमुख भाषाएँ

अजरबैजानी (रूस और ईरान)	...	...	५०,००,०००
अनामी (दे०—वीतनामी)			
अफ्रिकन (दक्षिण-अफ्रिका)	...	...	४०,००,०००
अम्हारिक (इथोपिया)	...	...	८०,००,०००
अरबी (अरब)	...	...	७,६०,००,०००
अलबानियन (अलबानिया)	...	...	२०,००,०००
अरमेनियन (अरमेनिया)	...	...	४०,००,०००
असमिया (भारत)	...	...	७०,००,०००
इगबो (या इबो) (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	४०,००,०००
इटालियन (इटली)	...	...	५,७०,००,०००
इबिबिओ-एफिक (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	१०,००,०००
इलोकानो (फिलिपाइन्स)	...	...	२०,००,०००
इउ (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	१०,००,०००,
उजबेक (सोवियत रूस)	..	..	७०,००,०००
उड़िया (भारत)	...	..	१,४०,००,०००
उमबुन्दू (अंगोला, अफ्रिका)	...	...	२०,००,०००,
उयगुर (सिक्याग, चीन)	...	...	३०,००,०००
उर्दू (पाकिस्तान, भारत)	...	...	५,१०,००,०००
एक्जोसा (दक्षिणी अफ्रिका)	...	...	३०,००,०००
एस्टोनियन (एस्टोनिका, सोवियत रूस)	...	..	१०,००,०००
एस्पेराण्टो (सहायक अन्तरराष्ट्रीय भाषा १८८७)		...	१०,००,०००
कज्जाक (सोवियत रूस)	...	..	४०,००,०००
कनारी (दे०—कन्नड)			
कन्नड (भारत)	...	..	१,६०,००,०००
कम्बोडियन (कम्बोडिया, एशिया)	...	...	३०,००,०००

भाषाएँ			बोलनेवालों की संख्या
तेलुगु (भारत)	...	...	३,६०,००,०००
नंगाला या लिंगाला (अफ्रिका)	...	...	१०,००,०००
नारवेजियन (नारवे)	...	...	४०,००,०००
नेदरलैंडिश (डच और फ्लेमिश)	...	...	१,७०,००,०००
न्याञ्जा (दक्षिणी-पूर्व अफ्रिका)	...	...	१०,००,०००
पंजाबी (भारत-पाकिस्तान)	...	...	२,४०,००,०००
पश्तो (मुख्यतः अफगानिस्तान)	...	...	१,१०,००,०००
पुर्त्तगीज (पुर्त्तगाल)	...	...	७,४०,००,०००
पोलिश (पोलैंड)	...	...	३,३०,००,०००
प्रोवेंकल (दक्षिणी फ्रांस)	...	...	६०,००,०००
फारसी या पर्सियन (फारस)	...	...	२,००,००,०००
फिनिश (फिनलैंड)	...	...	४०,००,०००
फुला (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	६०,००,०००
फ्रेंच (मुख्यतः फ्रांस)	...	..	७,००,००,०००
फ्लेमिश (दे०-नेदरलैंडी)			
बँगला (भारत और पाकिस्तान)	...	...	७,६०,००,०००
बर्मीज (बर्मा)	...	...	१,४०,००,०००
बर्बर, बोलियों का समूह (उत्तरी अमेरिका)			
बलगेरियन (बलगेरिया)	...	...	७०,००,०००
बलूची (ईरान और पाकिस्तान)	..	...	२०,००,०००
बहासा इण्डोनेशिया (दे०—मलय)			
बाटक (इण्डोनेशिया)	...	...	१०,००,०००
बालिनीज (बाली)	...	...	४०,००,०००
बाश्किर (सोवियत रूस)	...	...	१०,००,०००
बिसाया (फिलिपाइन्स)	...	...	८०,००,०००
बगी (इण्डोनेशिया)	...	...	१०,००,०००
मराठी (भारत)	...	..	३,२०,००,०००
मलय (या बहासा इण्डोनेशिया)	...	...	६,६०,००,०००
मलयालम (भारत)	...	..	१,५०,००,०००
मलागेसी (मडागास्कर)	...	...	४०,००,०००
माकुआ (दक्षिण-पूर्व अफ्रिका)	...	...	१०,००,०००
मालिंके-बम्बारा-डियुला (अफ्रिका)	...	...	३०,००,०००
मिन (चीन)	...	...	३,६०,००,०००
मेसिडोनियन (युगोस्लाविया)	...	...	१०,००,०००
मडूरीज (इण्डोनेशिया)	...	...	६०,००,०००

विभिन्न देशों और नगरों की विविध बातें

देशों के राष्ट्रीय नाम

देश	राष्ट्रीय नाम	देश	राष्ट्रीय नाम
अबिसीनिया	इथोपिया	नारवे	नॉरगे
आस्ट्रिया	ऑस्टेरिच	परशिया (फारस)	ईरान
आयरिश फ्री स्टेट	आयर	पोलैंड	पोलास्का
इजिप्ट	मिस्र	फारमोसा	तैवान
इण्डिया	भारत	फिनलैंड	सौमी
कोरिया	चोसेन	बेलजियम	ल-बेलजिक
ईस्ट इण्डीज	इण्डोनेशिया	मंचूकुओ	मंचूरिया
गोल्ड कोस्ट	घाना	मेसोपोटामिया	इराक़
ग्रीस (यूनान)	हेलास	रूस	सोवियत साम्यवादी गणतंत्र-संघ
चीन	चुंगकुओ	स्याम	थाईलैंड
जर्मनी	ड्युट्सलैंड	स्विट्जरलैंड	हेलविटा
जापान	निपोन	हंगरी	मेग्योरोजाग
		हालैंड	नेदरलैंड

देशों के राष्ट्रीय दिवस

देश का नाम	दिवस का नाम	तिथि
अफ़गानिस्तान ..	स्वतंत्रता-दिवस ...	२७ मई
अर्जेण्टाइना ..	स्वतन्त्रता की घोषणा .	९ जुलाई
अस्ट्रेलिया ..	अस्ट्रेलिया-दिवस .	२६ जनवरी
आयरलैंड ..	राष्ट्रीय दिवस .	१७ मार्च
इजराइल ..	स्वतंत्रता-दिवस ..	२७ अप्रैल
इटली ...	गणतन्त्र की स्थापना ...	जून
इण्डोनेशिया . .	स्वतन्त्रता-दिवस . .	१७ अगस्त
कनाडा .	परिसंघ (कान्फेडरेशन) . .	१ जुलाई
ग्रेटब्रिटेन ...	राजा या रानी का जन्म-दिवस	(अभी २१ अप्रैल)
चीन .	गणतन्त्र-घोषणा ...	१ अक्टूबर
जापान ...	सम्राट् का जन्म-दिवस ...	(अभी ११ मार्च)
टर्की ...	गणतन्त्र की घोषणा ...	२९ अक्टूबर

भाषाएँ			बोलनेवालों की सं
मोसी (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	२०,००,००
मोर्डविन (सोवियत रूस)	...	...	१०,००,००
यूक्रेनियन (मुख्यतः सोवियत रूस)	...	...	४,००,००,००
योरुबा (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	४०,००,००
राजस्थानी (भारत)	...	...	१,७०,००,००
रुआण्डा (दक्षिणी और मध्य अफ्रिका)	...	...	६०,००,००
रुण्डी (दक्षिणी और मध्य अफ्रिका)	...	...	२०,००,००
रूमानियन (रूमानिया)	...	...	१,७०,००,००
लाओ (लाओस, एशिया)	...	...	१०,००,००
लिंगाला (दे०—नगाला)			
लिथुआनियन (लिथुआनिया, सोवियत रूस)	...	...	३०,००,००
लुगाण्डा (दे०—गाण्डा)			
लैटेवियन या लैटिश (लैटेविया)	...	...	२०,००,०००
वीतनामी (वीतनाम)	...	...	२,३०,००,०००
वू (चीन)	...	...	३,६०,००,०००
वोल्गा टार्टार (सोवियत रूस)	...	...	३०,००,०००
श्वेत रूसी या ह्वाइट रशियन (मुख्यतः सोवियत रूस)		...	१,००,००,०००
सरबो-क्रोट (युगोस्लाविया)	...	...	१,६०,००,०००
सिंहली (लंका)	...	...	७०,००,०००
सिन्धी (भारत, पाकिस्तान)	...	...	५०,००,०००
सुंडानी (इण्डोनेशिया)	...	.	१,३०,००,०००
सोथो, उत्तरी (दक्षिणी अफ्रिका)	...	...	१०,००,०००
सोथो, दक्षिणी (दक्षिणी अफ्रिका)	..	...	१०,००,०००
सोमाली (पूर्वी अफ्रिका)	...	. .	३०,००,०००
स्यामी (स्याम—थाईलैंड)	...	...	१,६०,००,०००
स्लोवाक (चेकोस्लोवाकिया से पूरब)	...	...	३०,००,०००
स्लोविनी (युगोस्लाविया)	...	...	२०,००,०००
स्वाहिली (पूर्वी अफ्रिका)	...	...	१,००,००,०००
स्वेडिश (स्वीडन)	...	...	८०,००,०००
हंगेरियन या मग्यार (हंगरी)	...	...	१,२०,००,०००
हक्का (चीन)	...	...	१,६०,००,०००
हिब्रू	...	...	२०,००,०००
हौसा (पश्चिमी और मध्य अफ्रिका)	...	...	१,३०,००,०००

✶

विभिन्न देशों और नगरों की विविध बातें

देशों के राष्ट्रीय नाम

देश	राष्ट्रीय नाम	देश	राष्ट्रीय नाम
अविसीनिया	इथोपिया	नारवे	नॉरगे
अस्ट्रिया	ऑस्टेरिच	परशिया (फारस)	ईरान
आयरिश फ्री स्टेट	आयर	पोलैंड	पोलास्का
इजिप्ट	मिस्र	फारमोसा	तैवान
इण्डिया	भारत	फिनलैंड	सौमी
कोरिया	चोसेन	वेलजियम	ल-ब्रेलजिक
ईस्ट इण्डीज	इण्डोनेशिया	मंचूकुओ	मंचूरिया
गोल्ड कोस्ट	घाना	मेसोपोटामिया	इराक
ग्रीस (यूनान)	हेलास	रूस	सोवियत साम्यवादी गणतंत्र-संघ
चीन	चुंगकुओ	स्याम	थाईलैंड
जर्मनी	ड्युट्सलैंड	स्विट्जरलैंड	हेलविटा
जापान	निपोन	हंगरी	मेग्योरोजाग
		हालैंड	नेदरलैंड

देशों के राष्ट्रीय दिवस

देश का नाम		दिवस का नाम		तिथि
अफगानिस्तान	...	स्वतंत्रता-दिवस	.	२७ मई
अर्जेण्टाइना	...	स्वतंत्रता की घोषणा	..	६ जुलाई
अस्ट्रेलिया	..	अस्ट्रेलिया-दिवस	.	२६ जनवरी
आयरलैंड	...	राष्ट्रीय दिवस	.	१७ मार्च
इजराइल	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	२७ अप्रैल
इटली	..	गणतन्त्र की स्थापना	...	जून
इण्डोनेशिया	...	स्वतन्त्रता-दिवस	...	१७ अगस्त
कनाडा		परिसंघ (कान्फेडरेशन)	.	१ जुलाई
ग्रेटब्रिटेन	...	राजा या रानी का जन्म-दिवस (अभी २१ अप्रैल)		
चीन	..	गणतन्त्र-घोषणा	...	१ अक्टूबर
जापान	...	सम्राट् का जन्म-दिवस	...	(अभी ११ मार्च)
टर्की	...	गणतन्त्र की घोषणा	...	२६ अक्टूबर

देश का नाम		दिवस का नाम		तिथि
डेनमार्क	...	राजा का जन्म दिवस	...	(अभी २६ अप्रैल)
थाईलैंड	...	राष्ट्रीय दिवस	...	२४ जून
नार्वे	...	संविधान-दिवस	...	१७ मई
नीदरलैंड	...	राजा या रानी का जन्म-दिवस		(अभी ३० अप्रैल)
नेपाल	...	दशहरा-दिवस	...	सितम्बर-अक्टूबर
पाकिस्तान	...	पाकिस्तान-दिवस	...	१४ अगस्त
पेरू	...	राष्ट्रीय दिवस	...	२८ जुलाई
पोलैंड	...	राष्ट्रीय दिवस	...	२२ जुलाई
फिनलैंड	...	स्वतंत्रता की घोषणा	...	६ दिसम्बर
फिलिपाइन्स	...	राष्ट्रीय दिवस	...	४ जुलाई
फ्रांस	...	बास्टिल किले पर आधिपत्य-प्राप्ति-दिवस	...	१४ जुलाई
बर्मा	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	४ जनवरी
बेलजियम	...	राष्ट्रीय दिवस	...	२१ जुलाई
ब्राजिल	...	स्वतन्त्रता की घोषणा	...	७ सितम्बर
भारत	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	१५ अगस्त
,,	...	गणतन्त्र-दिवस	...	२६ जनवरी
मिस्र	...	स्वातन्त्र्य-युद्ध की वर्षगांठ	...	१४ नवम्बर
मेक्सिको	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	१६ नवम्बर
रूस	...	राष्ट्रीय दिवस	...	७ नवम्बर
श्रीलंका	...	स्वतन्त्रता-दिवस	...	४ फरवरी
संयुक्तराज्य अमेरिका	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	४ जुलाई
स्विट्जरलैंड	...	परिसंघ का स्थापना-दिवस	...	१ अगस्त

अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार

नॉबेल-पुरस्कार

यह विश्व-पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक आविष्कारक अलफ्रेड बरनार्ड नॉबेल द्वार दिये गये ६० लाख पौंड के स्थायी कोष के ब्याज से प्रतिवर्ष उन विद्वानों को दिया जाता है, जे साहित्य, रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्र, शरीर और औषध-विज्ञान तथा विश्व-शान्ति के कार्य-क्षेत्र मे विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इस कोष का प्रबन्ध एक संचालक मंडल-द्वारा होता है, जिसके प्रधान को स्वीडन की सरकार चुनती है। यह पुरस्कार सन् १९०१ ई० से दिया जाना प्रारम्भ हुआ है। प्रत्येक पुरस्कार की रकम लगभग सवा लाख रुपये की है। साहित्य-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्वीडन की साहित्य-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर) द्वारा तथा रसायन एवं

भौतिकशास्त्र-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्वीडन की विज्ञान-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइन्स) द्वारा होता है। शरीर और औषध-विज्ञान-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्टाक-होम की कैरोलिस्का इंस्टिट्यूट नामक संस्था करती है। शान्ति-पुरस्कार-विजेता का चुनाव नारवे की पार्लमेण्ट द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्ति करते हैं। कभी-कभी एक पुरस्कार दो-दो तीन-तीन विद्वानो मे भी विभक्त हो जाता है और कभी उपयुक्त विद्वानों के न मिलने पर पुरस्कार नही भी दिया जाता है। भारतीय विद्वानों में साहित्य-विषयक पुरस्कार सन् १९१३ ई० मे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को और भौतिक शास्त्र-सम्बन्धी पुरस्कार सन् १९३० ई० में श्रीचन्द्रशेखर वेंकट रमण को मिला था। गत पाँच वर्षों के अन्दर कौन पुरस्कार कब किनको मिले, यह नीचे दिया जाता है—

पुरस्कारों के नाम		*विजेता*		*देश*
		१९५५		
साहित्य	....	हैलडॉर किलजन लेक्सनेस	..	आइसलैंड
रसायनशास्त्र	.	डॉ० विनसेण्ट ड्रविगन्यूड	..	सं० रा० अमेरिका
भौतिक शास्त्र	...	(१) डॉ० विलिस ई० लैंब	..	सं० रा० अमेरिका
	.	(२) डॉ० पोली कार्पकुस्च	..	सं० रा० अमेरिका
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		डा० ह्यूगो थ्योरेल	....	स्वीडन
शान्ति	...	कोई नहीं		
		१९५६		
साहित्य	..	जुआन रैमोन जिमेनेज		पोर्टोरीको (जन्म स्पेन)
रसायन-शास्त्र	...	(१) सर सिरिल एन० हिनशेलऊड	.	इगलैंड
	.	(२) प्रो० निकोलाइ एन० सेमेनोव	.	सोवियत रूस
भौतिक शास्त्र	.	(१) प्रो० जान वारडीन	.	सं० रा० अमेरिका
	.	(२) डॉ० वाल्टर एच्० ब्रैटेन	...	,, ,,
	.	(३) डॉ० विलियम वी० शौकले	...	,, ,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		(१) डॉ० डिकिन्सन डब्ल्यू० रिचार्ड्स		सं० रा० अमेरिका
	.	(२) डॉ० एण्ड्रे एफ० कोर्नेण्ड	..	सं० रा० अमेरिका (जन्म फ्रास)
	..	(३) डॉ० वरनर फोर्समैन	.	पश्चिमी जर्मनी
शान्ति	.	कोई नहीं		
		१९५७		
साहित्य	.	अलवर्ट कैमस	.	फ्रास
रसायनशास्त्र		सर अलेक्जेण्डर टाड	...	इंगलैंड
भौतिक शास्त्र		(१) डॉ० चेन निंग याग	..	चीन
	...	(२) डॉ० शुंग डाओ ली	...	,,

पुरस्कारों के नाम		पुरस्कार-विजेता		देश
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		डॉ० डेनियल बोवेट		इटली (जन्म : स्विटजरलैंड)
शान्ति	....	लेस्टर बी० पियर्सन	....	कनाडा

१९५८

साहित्य	....	बोरिस पैस्टरनाक	....	रूस
रसायन-शास्त्र	....	डॉ० फ्रेडरिक सैंगर	...	इंगलैंड
भौतिक शास्त्र	....	(१) पैवेल ए० चेरेनकोव	....	सोवियत रूस
	....	(२) इगोर ई० टाम	....	,,
	....	(३) इलिया एम्० फ्रैंक	....	,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		(१) डॉ० जिओ डब्ल्यू० बीडल	....	सं० रा० अमेरिका
	....	(२) डॉ० ई० एल० टाटुम	....	,,
	....	(३) डॉ० जोशुआ लेडरबर्ग	....	,,
शान्ति	....	रेवरेण्ड डोमिनिक जार्ज पायर	...	बेलजियम

१९५९

साहित्य	....	सेलवेटोर क्वासीमोडो	...	इटली
रसायन-शास्त्र	....	प्रो० जेरोस्लाव हेरोवस्की	....	जेकोस्लोवाकिया
भौतिक शास्त्र	...	(१) प्रो० ओवेन चैम्बरलेन	....	सं० रा० अमेरिका
	...	(२) प्रो० एमिलियो सेगरे	....	सं० रा० अमेरिका
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		(१) प्रो० सेवेरो ओकोवा	....	सं० रा० अमेरिका
	...	(२) प्रो० आर्थर कौर्नबर्ग	...	सं० रा० अमेरिका
शान्ति	....	फिलिप जे० नोएल-बेकर	..	इंगलैंड

१९६०

साहित्य	..	एम्० एलेक्सिस सेण्ट लेजर (सेण्ट जॉन पर्सी)	..	फ्रांस
रसायनशास्त्र	..	प्रो० विलार्ड एफ० लिव्बी	....	सं० रा० अमेरिका
भौतिक शास्त्र	..	डोनाल्ड ए० ग्लेसर	...	,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		(१) प्रो० पिटर ब्रियन मेडावर	...	ग्रेट-ब्रिटेन
	...	(२) मेकफरलेन बर्नेट	...	अस्ट्रेलिया
शान्ति		कोई नही	...	

कलिंग-पुरस्कार

१,००० स्टर्लिंग पौंड का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लेखकों को युनेस्को की मार्फत कलिंग के एक धनी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है।

पानेवालों का नाम		निवासी		ईसवी
लुई डी ब्रोगली	....	फ्रांस	..	१९५२
डॉ० जूलियन हक्सले	...	ब्रिटेन	....	१९५३
डब्ल्यू० काएमफर्ट	....	सं० रा० अमेरिका	...	१९५४
डॉ० अगस्त पी सुनर	....	वेनेजुएला	...	१९५५
प्रो० जी० गैमोव	....	स० रा० अमेरिका	....	१९५६
वरट्राण्ड रसेल	....	इंगलैंड	....	१९५७
कर्लवोन फ्रिश	....	आस्ट्रिया	...	१९५८

लेलिन-शान्ति-पुरस्कार

क्रूस इटोन	..	संयुक्तराज्य अमेरिका	..	१९६०
डॉ० सुकार्णो	....	राष्ट्रपति इण्डोनेशिया	....	१९६०

जर्मन पुस्तक-व्यवसाय का शान्ति पुरस्कार

यह पुरस्कार आधुनिक जर्मनी द्वारा दिया जानेवाला सबसे बहुमूल्य एवं सम्मानप्रद पुरस्कार है। सन् १९५० ई० से ही यह पुरस्कार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, जाति एवं राष्ट्र का विचार किये विना, उन बुद्धिजीवी लेखकों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने कार्य एव आचरण द्वारा मानव-जाति की शाति के लिए योगदान किया है। सन् १९५४ ई० से पुरस्कार-प्राप्तिकर्ताओं के नाम दिये जा रहे हैं—

प्राप्तिकर्त्ता		वर्ष		देश
कार्ल जे० वर्खार्ट	..	१९५४		स्विट्जरलैंड
हरमन हेसी	..	१९५५	.	जर्मनी
थौर्नटन वाइल्डर	...	१९५७	.	सं० रा० अमेरिका
कार्ल जेसपर्स	.	१९५८	.	जर्मनी
प्रो० थियोडोर हेस		१९५९	.	जर्मनी
विक्टर गोलाज		१९६०	..	ग्रेटब्रिटेन
डा० राधाकृष्णन् (अक्टूबर, १९६१ में मिलेगा)		१९६१	..	भारत

★

संसार के सात महाश्चर्य

(१) मिस्र का पिरामिड (निर्माण काल ३७०० ई० पू० से ११०० ई० पू०)
(२) बेबिलोन का झूलता बाग (६०० ई० पू० में राजा नेबूचादनेजार द्वारा लगाया गया)
(३) इफिसस (ग्रीस) में डायना का मन्दिर।
(४) ओलिम्पिया (ग्रीस) में जुपिटर की मूर्ति।
(५) रोड्स द्वीप में अपोलो (यूनान के सूर्य-देवता) की वृहदाकार मूर्ति। (इसे 'कोलोसस आफ रोड्स' कहा जाता था। यह मूर्ति २२४ ई० पू० में भूकम्प द्वारा नष्ट हो गई।)
(६) मोसोलस का मकबरा। (३५२ ई० पू० में रानी आर्टेमिसिया द्वारा निर्मित। यह १२वीं से १५वीं शताब्दी के बीच भूकम्प द्वारा नष्ट हो गया।)
(७) फेरोस द्वीप का प्रकाश-स्तम्भ। (यह अलेक्जेन्ड्रिया से कुछ दूर स्थित था और सन् १३७५ ई० के भूकम्प में नष्ट हो गया।)

अन्य महाश्चर्य

(१) चीन की लम्बी दीवाल। (ईसवी-सन की तीसरी शताब्दी में निर्मित; लम्बाई १,२५६ मील; मुटाई १७½ फुट; ऊँचाई १६ फुट।)
(२) आगरा ताजमहल। (ईसवी सन् की १७वीं शताब्दी में शाहजहाँ द्वारा निर्मित)
(३) मिस्र के करनाक का मन्दिर (३५,००० वर्ष पूर्व निर्मित; इसके अब केवल भग्नावशेष रह गये हैं।)
(४) पीसा (इटली) की झुकी मीनार।
(५) कम्बोडिया का अंकोर। (यह मन्दिरों का नगर था, जिसके खँडहर वर्त्तमान हैं।)
(६) कुस्तुनतुनिया (कॉन्स्टैंटिनोपुल) में सेंट सोफिया की मस्जिद।
(७) सेंट पिटर की वेसिलिका। (यह संसार का सबसे बड़ा गिरजाघर है।)

आधुनिक विश्व के कुछ महाश्चर्य

(१) बेतार-का-तार; (२) रेडियो-टेलिविजन और सिनेमा; (३) एक्स-रे और अल्ट्रा-वायलेट रेज; (४) रेडियम; (५) जेट विमान; (६) अणु-बम; (७) अंतरिक्ष-रॉकेट।

प्रसिद्ध चित्रकला-भवन, संग्रहालय और पुस्तकालय

चित्रकला-भवन और संग्रहालय

१. **नेशनल आर्ट गैलरी, लंदन**—यहाँ सन् १८०० ई० तक के सभी प्रसिद्ध कलाकारों की मुख्य चित्र-रचनाएँ संगृहीत हैं। यह देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है।

२. **टाटे गैलरी, लंदन**—यहाँ १८वीं सदी के आरम्भ से अबतक के चित्र और नक्शे संगृहीत हैं।

३. ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन—यहां चित्रों, मूर्त्तियों और चित्रित पाण्डुलिपियों के उत्कृष्ट नमूने हैं। यहां भारतीय चित्र भी संगृहीत हैं।

४. विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लंदन—यहां मुख्यतः लघुचित्र, छोटी-छोटी कलात्मक वस्तुएँ और ऐतिहासिक अवशेष हैं। यहां भी भारतीय चित्र उपलब्ध हैं।

५. रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, लंदन—यहां संसार के विभिन्न देशों के चित्र संगृहीत हैं।

६. मूसी-डू-लोडवरे, पेरिस (फ्रांस)—संसार के सुप्रसिद्ध चित्रों और मूर्त्तियों का संग्रहालय। यहां ग्रीस, रोम, मिस्र तथा पूर्वी देशों की उत्कृष्ट कला-कृतियाँ भी हैं।

७. मूसी डेस मोनुमेंट फ्रैंकेस, पैलेस-डी-चैलेट, पेरिस—यहां फ्रांस की वास्तुकला और मूर्त्तिकला के उत्तम नमूने हैं।

८. मूसी डेस आर्ट्स मॉडर्न, पेरिस—यहां फ्रांस की वर्त्तमान कलाकृतियों का संग्रह है।

९. वैटिकन म्यूजियम, वैटिकन सिटी (इटली)—यहां रैफेल, माइकेल ऐंजेलो तथा अन्य जगत्-प्रसिद्ध कलाकारों के चित्र, मूर्त्तियों तथा पाण्डुलिपियाँ हैं।

१०. उफिजे गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)—यहां राफेल, वोटिसेली, लियोनारडो-डी-विन्सी आदि के चित्र संगृहीत हैं।

११. पिट्टी गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)।

१२. नेशनल म्यूजियम, फ्लोरेन्स (इटली)।

१३. वोरगीज गैलरी, रोम (इटली)।

१४. डूकल पैलेस, वेनिस (इटली)।

१५. ओल्ड प्लेस, फ्लोरेन्स (इटली)।

१६. कैसर फ्रिडरिच म्यूजियम, वर्लिन (जर्मनी)—देश का वड़ा म्यूजियम।

१७. नेशनल गैलरी, वर्लिन (जर्मनी)।

१८. स्क्लोस म्यूजियम, वर्लिन (जर्मनी)।

१९. ड्रस्डेन म्यूजियम, ड्रस्डेन (जर्मनी)।

२०. रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स—ब्रसेल्स (बेलजियम।

२१. स्टेट म्यूजियम, अम्सटरडम (हॉलैंड)।

२२. मूजेओ डेल पैरेडो—मैड्रिड (स्पेन)।

२३, ट्रेटयाकोव स्टेट आर्ट गैलरी, मास्को (रूस)—इसमें ११वीं सदी से २०वीं सदी तक की रूसी कलाकृतियाँ संगृहीत हैं।

२४. हरमिटेज, लेलिनग्राड (रूस)।

२५. पुश्किन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, मास्को (रूस)!

२६. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, मास्को (रूस)—यहां १९वीं सदी और २०वीं सदी के पूर्वार्द्ध के फ्रांसीसी चित्र संगृहीत हैं।

२७. इम्पीरियल हाउस-होल्ड म्यूजियम, टोकियो (जापान)।

२८. नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन (सं० रा० अमेरिका)—१९४१ ई० में स्थापित।

२९. मेट्रोपोलिटन म्यूजियम, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)।

३०. म्यूजियम ऑफ मार्डन आर्ट, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—समकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध।

३१. व्हिटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्टस, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—यहाँ केवल आधुनिक कला-कृतियाँ संगृहीत हैं।

३२. एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, पेनसिलवेनिया (सं० रा० अमेरिका)।

३३. कारनेगी इन्स्टिट्यूट, पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका)।

३४. म्यूजियम ऑफ आर्ट, फिलाडेल्फिया (सं० रा० अमेरिका)।

३५. नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा, ओटावा (कनाडा)।

३६. आर्ट गैलरी ऑफ टोरोंटो (कनाडा)।

३७. पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको)।

३८. पैलेस म्यूजियम ऑफ दि फॉरबिडन सिटी, पेकिंग (चीन)—चित्रकारी एवं बहुमूल्य पत्थरों के लिए प्रसिद्ध।

३९. हिस्टोरिकल म्यूजियम, सिनान (चीन)—पुरानी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

४०. म्यूजियम, संघाई (चीन)—ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

४१. भारत कला-भवन, वाराणसी

४२. सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद।

४३. इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।

४४. प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई।

४५. विक्टोरिया ऐण्ड अल्बर्ट म्यूजियम, बम्बई।

बड़े पुस्तकालय

पुस्तकालयों के नाम	*स्थिति*	*पुस्तकों की संख्या*
लेनिन लाइब्रेरी	मास्को (रूस)	१,१०,००,०००
साल्टिकोव-श्चेड्रिन पब्लिक लाइब्रेरी,	लेनिनग्राड (रूस)	६०,००,०००
ब्रिटिश म्यूजियम	लंदन (इंगलैंड)	५०,००,०००
बिबलियोथेक नेशनल	पेरिस (फ्रांस)	५०,००,०००
न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५०,००,०००
बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल	फ्लोरेंस (सं० रा० अ०)	३४,००,०००
बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल	नेपुल्स (इटली)	१३,३०,०००
ड्यूशे बूचेरी	लिपजिग (जर्मनी)	२०,००,०००
नेशनल बिबलियोथेक	वियेना (अस्ट्रिया)	१६,००,०००
बिबलियोटेका नेशनल	मैड्रिड (स्पेन)	१५,००,०००
युनिवर्सिटी लाइब्रेरी	एम्सटरडम (नेदरलैंड)	१५,००,०००
इम्पीरियल युनिवर्सिटी लाइब्रेरी	टोकियो (जापान)	१०,००,०००
नेशनल लाइब्रेरी	कलकत्ता (भारत)	१०,००,०००

★

विश्व की कुछ प्रमुख भौगोलिक बातें

महासागर और सागर

महासागर

नाम		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)		गहराई (फुट में)
प्रशान्त महासागर	...	६,७७,००,०००	...	३५,६४०
एटलाटिक महासागर	...	३,४८,००,०००	...	३०,२४६
भारतीय महासागर	...	२,८६,००,०००	..	२२,६६८
दक्षिणी (अंटार्कटिक) महासागर	...	७५,००,०००	...	१७,८५०
उत्तरी (आर्कटिक) महासागर	...	५५,४१,६००	...	१६,५००

सागर

नाम		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	नाम		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
कोरल सागर	..	२५,००,०००	हडसन की खाड़ी	...	४,७०,०००
भूमध्यसागर	...	११,४५,०००	जापान-सागर	...	४,००,०००
कैरिवियन सागर	...	१०,४६,५००	अन्दमन-सागर	...	३,०८,३००
दक्षिण चीन-सागर	...	८,९५,४००	उत्तर सागर	...	२,२०,०००
वेरिंग सागर	...	८,७५,८००	कॉस्पियन सागर	...	१,६६,०००
मेक्सिको की खाड़ी	...	७,२०,०००	लाल सागर	...	१,६६,०००
ओखोटस्क	...	५,८६,८००	काला सागर	...	१,६३,०००
पीत सागर	...	४,८०,०००	वल्टिक सागर	...	१,६०,०००
पूर्वी चीन-सागर	...	४,८०,०००	वंगोपसागर	...	

बड़े द्वीप

नाम		सागर		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
अस्ट्रेलिया	...	प्रशान्त महासागर	...	२९,७४,५८०
ग्रीनलैंड	...	उत्तरी एटलाटिक महासागर	..	८,३६,७८२
न्यूगीनी	...	प्रशान्त महासागर	..	३,१०,०००
वोर्नियो	...	प्रशान्त महासागर	...	३,०६,९०६
मडागास्कर	...	भारतीय महासागर	...	२,४१,०९४
वैफिनलैंड	...	आर्कटिक महासागर	...	२,०१,६००
सुमात्रा	...	भारतीय महासागर	..	१,६४,१४८
फिलिपाइन द्वीप	...	प्रशान्त महासागर	...	१,१४,४००
न्यूजीलैंड (उत्तर और दक्षिण)	...	प्रशान्त महासागर	...	१,०३,९५४
ग्रेट-ब्रिटेन	...	एटलाटिक महासागर	...	८८,७४५
विक्टोरिया	...	व्यूफोर्ट (कनाडा)	..	८०,३४०
एलेसमेयर	.	आर्कटिक महासागर	...	७७,३९२
जावा	...	प्रशान्त महासागर	...	४८,८४२

प्रमुख झीलें

नाम		महादेश		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
कैस्पियन	....	एशिया-यूरोप	....	१,७०,०००
सुपीरियर	....	उत्तरी अमेरिका	....	३१,८२०
विक्टोरिया-न्यान्जा	....	अफ्रिका	....	२६,२००
अरल	....	एशिया	....	२४,४००
ह्यूरन	....	उत्तरी अमेरिका	....	२३,०१०
मिशिगन	....	उत्तरी अमेरिका	....	२२,४००
चाड	....	अफ्रिका	....	२०,०००
टैंगानिका	....	अफ्रिका	....	१२,७०६
बैकाल	...	साइबेरिया	....	१२,१५०
ग्रेटबीयर	. .	उ० अमेरिका	.. .	१२,६६०
ग्रेटस्लेव	....	उ० अमेरिका	....	११,१७०
न्यासा	....	अफ्रिका	....	११,०००
ईरी	....	उत्तर अमेरिका	....	९,९४०
विनिपेग	....	,,	....	९,३९८
अरुटेरियो	....	,,	....	७,५४०
लादोगा	...	यूरोप	....	७,१००
वालकश	....	एशिया	....	७,०५०
चिल्का	....	भारत	....	

नदियाँ

नाम	सागर या खाड़ी, जिसमें गिरती है	लम्बाई (मीलों में)
मिसिसिपी-मिसौरी (सं० रा० अ०)	मेक्सिको की खाड़ी	४,२००
आमेजन दक्षिण अमेरिका)	एटलांटिक महासागर	४,०००
नील (मिस्र)	भूमध्यसागर	३,७००
ओबी (साइबेरिया)	उत्तरी (आर्कटिक) महासागर	३,२००
याग-सिक्याग (चीन)	प्रशान्त महासागर	३,१००
आमूर (साइबेरिया)	प्रशान्त महासागर	२,९००
कांगो (अफ्रिका)	एटलांटिक महासागर	२,९००
लीना (साइबेरिया)	आर्कटिक महासागर	२,८६०
येनिसी (साइबेरिया)	आर्कटिक महासागर	२,८६०
ह्वागहो (चीन)	प्रशान्त महासागर	२,७००
नाइजर (अफ्रिका)	एटलांटिक महासागर	२,६००
ब्रह्मपुत्र (भारत)	बंगाल की खाड़ी	१,८००
गंगा (भारत)	,,	१,५००
सिन्धु (भारत और पाकिस्तान)	अरब सागर	१,८००

जहाजी नहरें

नाम	स्थान	लम्बाई	नाम	स्थान	लम्बाई (मीलों में)
		(मीलों में)	एल्बेदेव	जर्मनी	४१
गोटा	स्विडन	११५	मैन्चेस्टर	इंगलैंड	३५½
स्वेज	मिस्र	१००	वेलैएड	कनाडा	१७½
वोल्गा	मास्को (रूस)	८०	प्रिन्सेस जालिआना	हॉलैएड	२५
कील	जर्मनी	६१	अम्सटरडम	हॉलैएड	१६½
वोल्गा-डोन	रूस	६०	कोरिन्थ	सं० रा० अमेरिका	४
पनामा	अमेरिका	५०	सौल्टे	मैरी (संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा)	२¾

मुख्य जल-प्रपात

नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
एंजिल	...	वेनेजुएला	...	३,३००
कुकेनाम	...	ब्रिटिश गायना	...	२,०००
सुदरलैंड	...	न्यूजीलैंड (दक्षिणी द्वीप)	...	१,६०४
टुगेला	...	नेटाल (द० अफ्रिका)	...	१,८००
रिबोन	...	केलिफोर्निया (सं० रा० अमेरिका)		१,६१२
अपर थोसोमाइट	...	कैलिफोर्निया	...	१,५३०
गैवर्नी	...	फ्रास	...	१,३८५
टक्काकौ	..	ब्रिटिश कोलम्बिया	...	१,२००
विडोज टीयस	...	कैलिफोर्निया (सं० रा० अमेरिका)		१,१७०
स्टौवैक	...	स्विट्जरलैंड	...	६८०
ट्रयेल वैच	...	×	..	६५०
ग्रोसोपा	...	मैसूर	...	६५०
मिड्ल कैसकेड	...	कैलिफोर्निया	..	६१०
मल्ट नोमाह	..	संयुक्तराज्य अमेरिका	...	८५०
किंग एडवर्ड सप्तम	.	ब्रिटिश गायना	...	८४४
फेअरी	...	वार्शिगटन (संयुक्तराज्य अमेरिका)		७००
कालाम्बो	...	दक्षिण अफ्रिका	...	७०५
मैरेडैडफोज (स्कावक्जे फोन)	...	नारवे	...	६५०
टर्नी	...	इटली	...	६५०
किंग जॉर्ज	..	दक्षिण-अफ्रिका	..	४५०
ग्वायरा	...	पारागुए (दक्षिण-अफ्रिका)	...	३७४
स्प्लेएडर ऑफ सन्	...	जापान	..	३५०
विक्टोरिया	...	दक्षिणी रोडेशिया (अफ्रिका)	...	३४३

नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
रौंग पौंग	....	कोलोरैडो	....	२६६
नियागरा	....	न्यूयार्क	....	१६७
हुंडू	....	राँची, (भारत)		

पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ

एवरेस्ट	....	नेपाल-तिब्बत	....	२९,०२८
गॉडविन ऑस्टिन	....	कश्मीर	....	२८,२५०
कंचनजंगा	....	नेपाल-सिक्किम	...	२८,११६
तोत्से-१	....	नेपाल-तिब्बत	....	२७,८९०
मकालू	...	नेपाल-तिब्बत	....	२७,८२४
तोत्से-२	....	नेपाल-तिब्बत	....	२७,५६०
चो-ओयू	....	नेपाल-तिब्बत	...	२६,८६७
धौलागिरि	...	नेपाल	...	२६,८११
नागा पर्वत	...	कश्मीर	...	२६,६६०
मानसालू	....	नेपाल	....	२६,६५७
अन्नपूर्णा	...	नेपाल	....	२६,५०२
गोशेरब्रुम	...	कश्मीर	...	२६,४७०
गोसाईं थान	....	तिब्बत	...	२६,२८६
डिस्टेगिल	...	कश्मीर	....	२५,८६८
हिमालचुली	...	नेपाल	....	२५,८०१
नुप्सू	...	नेपाल-तिब्बत	...	२५,६८०
मशेरब्रुम	...	कश्मीर	...	२५,६६०
नन्दादेवी	...	भारत	...	२५,६४३
कोमोलोजो	...	नेपाल-तिब्बत	..	२५,६४०
रेखापोशी	...	कश्मीर	.	२५,५५०
कैमत	...	भारत-तिब्बत	...	२५,४४७

प्रसिद्ध पहाड़ी घाटियाँ

घाटियों के नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
अलिपना	...	कोलोरैडो (सं० रा० अमेरिका)		१२,५५०
सेंट बरनार्ड	...	स्विस आल्प्स	...	८,१००
सेंट गोथार्ड	...	स्विस आल्प्स	...	६,९३६
सिम्पलोन	...	स्विस आल्प्स	...	६,५९५
बोलन	...	बलूचिस्तान	...	५,८८०
ब्रेनर	...	अस्ट्रियन आल्प्स	...	४,५८८
शिपकी	...	भारत-तिब्बत	...	४,३००
खैबर	...	अफ़गानिस्तान	...,	३,८७३

प्रमुख ज्वालामुखी

जीवित

नाम		स्थान		ऊँचाई (फुट में)
कोटोपैक्सी	...	इक्वेडर	...	१६,५५०
माउण्ट रैंगेल	...	सं० रा० अमेरिका	...	१४,०००
मौनालोआ	...	हवाई द्वीप	...	१३,६७५
एरेवस	...	अण्टार्कटिक	...	१३,०००
निरागोगी	...	बेलजियन कांगो	...	११,५६०
इलिऊमना	...	अल्युसियन द्वीप	...	११,०००
एटना	...	सिसिली	...	१०,७४१
चिलान	...	चिली	...	१०,५००
न्यामुरगिरा	..	बेलजियन-कांगो	...	१०,१५०
पैरीकुटिन	...	मेक्सिको		६,०००
असामा	...	जापान	...	८,२००
हेकला	...	आइसलैंड	..	५,१००
किलौई	.	हवाई द्वीप	...	४,०६०
विसुवियस	...	इटली	....	,७००
स्ट्रॉम्बोली	.. .	लिपारी द्वीप	...	३,०००
लुलैलाको	...	चिली	.	२०,२४४
डेमावेण्ड	...	ईरान	...	१८,६००
सेमेराओ	...	जावा	...	१२,०५०
ह्लकालाला	...	हवाई द्वीप	...	१०,०३२
युरण्ढर	.	जावा	..	१०,०३२
पिली	..	पश्चिमी हिन्द-द्वीप-समूह	.	७,३००
काकातोआ	...	सुण्डा मुहाना	.	४,४३०
तूसिमा	...	जापान	...	२,६००
				२,४८०

मृत

नाम		स्थान		ऊँचाई (फुट में)
अर्कोकागुआ	...	चिली	...	२२,६७६
चिम्बोराजो	...	इक्वेडर	...	२०,५००
किलिमंजारो	...	टैंगनिका	...	१६,३४०
एण्टिसाना	...	इक्वेडर	..	१८,८५०
एलबुर्ज	.	काकेसस	...	१८,५२६
पोपोकैटापेट्ल	...	मेक्सिको	.	१७,७५०
ओरिजावा	..	,,	...	१७,४००
फ्यूजियामा	....	जापान	...	१२,३६५

प्रमुख पर्वतारोहण

समय (ईसवी-सन)	पर्वतों के नाम	स्थिति	आरोहियों के नाम
१७८६	मॉंब्लां	फ्रांस-इटली	एम्० जी० पैकर्ड और जे० बलमट
१८११	युंगफ्रौ	स्विट्ज़रलैंड	जे० आर० ऐंड एच्० मेयर
१८६५	मैटरहोर्न	स्विट्ज़रलैंड	ई० ह्विम्पर
१८६८	एलब्रुज़	कॉकेशस (रूस)	डी० डब्ल्यू० फ्रेसफील्ड, हि० ए० डब्ल्यू० मूरे, सी० सी० टकर
१८८०	चिम्बोरेज़ो	इक्वेडोर	ई० ह्विम्पर
१८८२	कुक	न्यूज़ीलैंड	डब्ल्यू० एस० ग्रीन
१८८७	किलिमंजारो	टैंगानिका	मेयर
१८९७	एकोनकागुआ	अर्जेन्टाइना	एम्० जुर्ब्रिगेन
१८९७	सेंट-एलियास	अलास्का (सं० रा० अमेरिका)	ड्यूक ऑफ एब्रुजी
१८९९	केनिया	केनिया	एच्० जे० मैकिण्डर
१९०६	रूवेंज़ोरी	केन्द्रीय अफ्रिका	ड्यूक ऑफ एब्रुजी
—	मेक किनली	अलास्का (सं० रा० अमेरिका)	पारकर ब्रोन
१९२५	लोगन	अलास्का	ए० एच्० मैक्कार्डी
—	इलाम्पू	बोलिविया	जर्मन-अस्ट्रियन आरोहण
१९५०	अन्नपूर्णा	हिमालय	फ्रांसीसी आरोहण (मौरिस हरज़ोग के नेतृत्व में)
१९५३	एवरेस्ट	हिमालय	ब्रिटिश-आरोहण
१९५३	नागापर्वत	कश्मीर	अस्ट्रिया-जर्मनी-आरोहण
१९५३	नानकुम	जम्मू और कश्मीर	फ्रांसीसी आरोहण
१९५४	गॉडविन ऑस्टिन (काराकोरम)	हिमालय (भारत)	इटालियन आरोहण
१९५४	को-ओयूम	हिमालय-नैपाल	अस्ट्रियन आरोहण
१९५५	कंचनजंघा	हिमालय	चार्ल्स इवान के नेतृत्व में ब्रिटिश-आरोहण
१९५५	मकालू	नैपाल	फ्रांसीसी आरोहण
१९५६	लोत्से	नैपाल	स्विस-आरोहण
१९५६	मानसालू	नैपाल	जापानी आरोहण
१९६०	एवरेस्ट	हिमालय	भारतीय आरोहण
१९६०	,,	,,	चीनी आरोहण (उत्तर से)

प्रसिद्ध मरुभूमियाँ

नाम		देश		क्षेत्रफल (वर्गमील में)
सहारा	...	उत्तरी अफ्रिका	...	३५,००,०००
लिबिया	...	उत्तरी अफ्रिका	...	६,५०,०००
अस्ट्रेलियन मरुभूमि	...	अस्ट्रेलिया	...	६,००,०००
अरब	...	अरब	...	५,००,०००
गोबी	...	मंगोलिया	...	५,००,०००
काराकुम	...	तुर्किस्तान	...	१,१०,०००
किजिलकुम	...	मध्य तुर्किस्तान	...	७०,०००
अटकामा	...	चिली	...	७०,०००
मोजावे	...	सं० रा० अ० (कैलिफोर्निया)		१५,०००
कोलोरैडो	...	सं० रा० अ० (कैलिफोर्निया)		२,०००

लम्बी सुरंगें

नाम		स्थान		लम्बाई (मीलों में)
ईस्ट फिंचले-मॉर्डन	...	इंगलैंड	...	१७$\frac{१}{४}$
बेन-नेविस	...	इंगलैंड	...	१५
टाना	...	जापान	...	१२$\frac{१}{२}$
सिम्प्लोन	...	स्विट्जरलैंड-इटली	...	१२$\frac{१}{४}$
एपेनाइन	...	इटली	...	११$\frac{१}{२}$
सेंट गोथार्ड	...	स्विट्जरलैंड	..	६$\frac{१}{४}$
लोएच बेग	...	स्विटजरलैंड	...	६
मौराट केनिस	..	इटली	....	८$\frac{१}{२}$
कास्केड	...	सं० रा० अमेरिका	..	७$\frac{३}{४}$
अर्लबर्ग	...	अस्ट्रिया	...	६$\frac{१}{४}$
मोफैट	...	सं० रा० अमेरिका	...	६
शिमजू	...	जापान	...	६
रिमुटाका	...	न्यूजीलैंड	...	५$\frac{१}{२}$
रिकेन	...	स्विट्जरलैंड	...	५$\frac{१}{४}$
ग्रेनचनबर्ग	...	स्विट्जरलैंड	...	५$\frac{१}{४}$
टॉरेन	...	अस्ट्रिया	...	५$\frac{१}{४}$

ऊँचे बाँध

नाम	देश	ऊँचाई (फुट में)	नाम	देश	(ऊँचाई फुट में)
मोडवोइसिन	स्विट्जरलैंड	७८०	हंग्री होर्स	सं० रा० अमेरिका	५६४
हूवर	सं० रा० अमेरिका	७२६	ग्रैंड कॉली	सं० रा० अमेरिका	५५०
ग्लेन			कोगोटी	चिली	२४८

नाम	देश	ऊँचाई (फीट में)	नाम	देश	ऊँचाई (फीट में)
कैनिओन	सं० रा० अमेरिका	७००	बुरिनजुक	आस्ट्रेलिया	२४७
भाखरा	भारत	६८०	मेट्टूर	दक्षिण भारत	२३०
शास्टा	सं० रा० अमेरिका	६०२	नीपोस्त्रोव	रूस	२००
टिगनेस	फ्रांस	५६२	मारथोन	ग्रीस	२००
कुरोबी	जापान	७६०	ह्यूम	आस्ट्रेलिया	१८०
ग्रैंड डिक्सेन्स स्विट्ज़रलैंड		५८०			

बड़े बाँध

नाम	देश	जलधारण-शक्ति (१० लाख गैलन में)	निर्माण-काल	नदी
ह्यूम	आस्ट्रेलिया	४०,००,०००	१९३६	मर्रे
ग्रैंड कूली	सं० रा० अमेरिका	३१,३१,४२८	१९४१	कोलम्बिया
अस्वान	मिस्र	१७,३२,०००	१९३०	नील
कोगोटी	चिली	१०,८१,०००	१९३२	लिमारी
हूवर	सं० रा० अमेरिका	१०,००,०००	१९३६	कोलोरैडो
नीप्रोस्टोव	रूस	६,६८,०००	१९३२	नीपर
बुरिनजुक	आस्ट्रेलिया	४,०८,०००	१९२७	मर्रे
मारथोन	ग्रीस	२,२४,१००	१९३०	हरद्रा
मेट्टूर	दक्षिण भारत	२,००,०००	१९३४	कावेरी
कृष्णराज सागर	दक्षिण भारत	४२,६३५	—	—
निजाम सागर	दक्षिण भारत	२५,५६६		—
लॉयड बांध	सिन्ध	२४,१९८		—

बड़े पुल

नाम		देश		लम्बाई (वाटर-वे के फुट में)
लोअर जाम्बेजी	...	पूर्व अफ्रिका	...	११,३२२ फुट
स्टार्सस्ट्राम	...	डेनमार्क	...	१०,४९६ ,,
टे-पुल	...	स्कॉटलैंड	...	१०,२८६ ,,
सोन-पुल	...	भारत	...	६,८३६ ,,
गोदावरी	...	भारत	...	८,८८१ ,,
फर्थ पुल	...	स्कॉटलैंड	...	८,२९१ ,,
रिओ सलादो	...	अर्जेगटाइना	...	६,७०३ ,,
गोल्डेन गेट	...	संयुक्तराज्य अमेरिका	...	६,२६० ,,
रिओ डुलस	...	अर्जेगटाइना	...	५,८६६ ,,
हार्डिङ्ग	...	पाकिस्तान	...	५,३८४ ,,
विक्टोरिया जुबिली	...	कनाडा	...	५,३२५ ,,
मोएरडिज्क	...	नेदरलैंड	...	४,६६८ ,,
सिडनी बन्दरगाह	...	अस्ट्रेलिया	....	४,१२४ ,,
जैक्वेस कार्लियर	...	कनाडा	...	३,८६० ,,
क्वीन्स बौरो	...	संयुक्तराज्य अमेरिका	....	३,७२० ,,
ब्रुक्लीन	...	,, ,,	...	३,४५१ ,,
टोटन	...	पोलैंड	...	६,२६१ ,,
क्यूबेक पुल	...	कनाडा	...	३,२०५ ,,

उच्च प्रासाद और मीनारें

नाम	स्थिति	महल	ऊँचाई (फुट में)
एम्पायर स्टेट	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	१०२	१,२५०
क्रिस्लर	न्यूयार्क (सं० रा० अ)	७७	१,०४६
आइफेल टावर	पेरिस (फ्रास)	—	९८४
६० वाल टावर	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	६६	९५०
बैंक ऑफ् मनहटन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	७१	९२७
आर० सी० ए०	(सं० रा० अ०)	७०	८५०
ऊलवर्थ	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	६०	७९२
सिटी बैंक	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५४	७४५
टर्मिनल टावर	(सं० रा० अ०)	५२	७०८
५०० फिफ्त एवेन्यू		६०	७००
मेट्रोपोलिटन	न्यूयार्क (स० रा० अ०)	५०	७००
चानिन टावर	(सं० रा० अ०)	५६	६८०

नाम	देश	ऊँचाई (फीट में)	नाम	देश	ऊँचाई (फीट में)
[illegible]	सं० रा० अमेरिका	७००	बुरिनजुक	अस्ट्रेलिया	२४०
भाखरा	भारत	६८०	मेट्टुर	दक्षिण भारत	२२०
शास्टा	सं० रा० अमेरिका	६०२	नीपोस्ट्रोय	रूस	२००
टिगनेस	फ्रान्स	५९२	मारथोन	ग्रीस	२००
कुरोबी	जापान	५६०	ह्यूम	अस्ट्रेलिया	१८०
ग्रैंड डिक्सेन्स स्विट्ज़रलैंड		५८०			

बड़े बाँध

नाम	देश	जलधारण-शक्ति (१० लाख गैलन में)	निर्माण-काल	नदी
ह्यूम	आस्ट्रेलिया	४०,००,०००	१९३६	मर्रे
ग्रैंड कौली	सं० रा० अमेरिका	३१,३१,४२८	१९४१	कोलम्बिया
अस्वान	मिस्र	१७,३२,०००	१९३०	नील
कोगोटी	चिली	१०,८१,०००	१९३२	लिमारी
हूवर	सं० रा० अमेरिका	१०,००,०००	१९३६	कोलोरैडो
नीप्रोस्ट्रोय	रूस	६,६८,०००	१९३२	नीपर
बुरिनजुक	अस्ट्रेलिया	४,०८,०००	१९२७	मर्रे
मारथोन	ग्रीस	२,२४,१००	१९३०	हरद्रा
मेट्टुर	दक्षिण भारत	२,००,०००	१९३४	कावेरी
कृष्णराज सागा	दक्षिण भारत	४३,६३५	—	—
निजाम सागर	दक्षिण भारत	२५,५६६	—	—
लॉयड बाँध	सिन्ध	२४,१६८	—	—

प्रमुख रेलवे प्लैटफार्म

नाम		देश		लम्बाई (फुट में)
स्टोरविक	...	स्विडन	...	२,४००
सोनपुर	...	भारत	...	२,४१५
खड़गपुर	...	भारत	...	२,३६०
न्यू लखनऊ	...	भारत	...	२,२५०
बुलावायो	...	रोडेशिया	...	२,२०१
बेजवाडा	...	भारत	...	२,२१०
मैनचेस्टर विक्टोरिया एक्सचेंज	...	इंगलैंड	...	२,३६४
झांसी	...	भारत	...	२,०२५
कोटरी	...	पाकिस्तान	...	१,८६६
माण्डले	....	बर्मा	...	१,७८८

बड़े पुल

नाम		देश		लम्बाई (वाटर-वे के फुट में)
लोअर जाम्बेजी	..	पूर्व अफ्रिका	...	११,३२२ फुट
स्टार्सस्ट्राम	...	डेनमार्क	...	१०,४६६ ,,
टे-पुल	...	स्कॉटलैंड	..	१०,२८६ ,,
सोन-पुल	...	भारत	...	६,८३६ ,,
गोदावरी	..	भारत	...	८,८८१ ,,
फर्थ पुल	...	स्कॉटलैंड	...	८,२६१ ,,
रिओ सलादो	...	अर्जेएटाइना	...	६,७०३ ,,
गोल्डेन गेट	...	संयुक्तराज्य अमेरिका	...	६,२६० ,,
रिओ डुल्स	...	अर्जेएटाइना	...	५,८६६ ,,
हार्डिङ्ग	...	पाकिस्तान	...	५,३८४ ,,
विक्टोरिया जुबिली	...	कनाडा	...	५,३२५ ,,
मोएरडिज्क	...	नेदरलैंड	...	४,६६८ ,,
सिडनी बन्दरगाह	...	अस्ट्रेलिया	....	४,१२४ ,,
जैक्वेस कार्लियर	...	कनाडा	...	३,८६० ,,
क्वीन्स बौरो	...	संयुक्तराज्य अमेरिका	....	३,७२० ,,
ब्रुक्लीन	...	,, ,,	...	३,४५१ ,,
टोटन	...	पोलैंड	...	६,२६१ ,,
क्यूवेक पुल	...	कनाडा	....	३,२०५ ,,

उच्च प्रासाद और मीनारें

नाम	स्थिति	महल	ऊँचाई (फुट में)
एम्पायर स्टेट	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	१०२	१,२५०
क्रिस्लर	न्यूयार्क (सं० रा० अ)	७७	१,०४६
आइफेल टावर	पेरिस (फ्रांस)	—	६८४
६० वाल टावर	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	६६	६५०
बैंक ऑफ् मनहटन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	७१	६२७
आर० सी० ए०	(स० रा० अ०)	७०	८५०
ऊलवर्थ	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	६०	७६२
सिटी बैंक	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५४	७४५
टर्मिनल टावर	(सं० रा० अ०)	५२	७०८
५०० फिफ्त एवेन्यू		६०	७००
मेट्रोपोलिटन	न्यूयार्क (स० रा० अ०)	५०	७००
चानिन टावर	(सं० रा० अ०)	५६	६८०

नाम	स्थिति	महल	ऊँचाई (फुट में)
[illegible]	(सं० रा० अ०)	५३	६७३
इर्विंग ट्रस्ट	(सं० रा० अ०)	५०	६५४
जेनरल इलेक्ट्रिक	(सं० रा० अ०)	५०	६४१
वाल्डोर्फ अस्टोरिया होटल	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	४६	६२५
उल्म कैथेड्रल	जर्मनी	—	५२६
सेंट जॉन दी डिवाइन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	—	५००
रोएन कैथेड्रल	(फ्रांस)	—	४८५
स्ट्रासबर्ग कैथेड्रल	(जर्मनी)	—	४६८
सेंट स्टेफेन्स कैथेड्रल	(विएना)	—	४४१
ख्रॉप्स का पिरामिड	(मिस्र)	—	४५०
कुतुब मीनार	दिल्ली (भारत)	—	—
चार मीनार	हैदराबाद	—	—

बड़े नगरों की जन-संख्या

शहर का नाम	देश	समय	जन-संख्या
टोकियो	जापान	१ जून १९५८	८७,७४,६८१
लंदन	इंगलैंड	अनुमानित १९५८	८२,५१,०००
न्यूयार्क	सं० रा० अमेरिका	१ अप्रैल १९५७	७७,६५,४७६
संघाई	चीन	अनुमानित १९५	७६२,०४,४१५
मास्को	रूस	अनुमानित १९५६	४८,३६,०००
मेक्सिको	मध्य अमेरिका	१९५७	४५,००,०००
पिपिंग	चीन	अनुमानित १९५७	४१,४०,०००
ब्युनिस-आयर्स	अर्जेनटाइना	१९५८	३७,०३,०००
शिकागो	संयुक्तराज्य अमेरिका	१९५०	३६,२०,६६२
वर्लिन	जर्मनी (पूर्व और पश्चिम)	१९५६	३३,७४,५८२
लेनिनग्राड	रूस	अनुमानित १९५६	३१,७६,०००
साओपालो	ब्राजिल	अनुमानित १९५७	३१,४६,५०४
तियेन्सिन	चीन	अनुमानित १९५७	३१,००,०००
कलकत्ता	भारत	अनुमानित १९५४	२६,८३,३०७
रओडिजिनेरो	ब्राजिल	अनुमानित १९५७	२६,४०,०४५
पेरिस	फ्रान्स	१९५४	२८,५०,१८६
वम्बई	भारत	१९५१	२८,४०,०११
जाकार्टा	इण्डोनेशिया	अनुमानित १९५४	२८,००,०००
ओसाका	जापान	अनुमानित १९५६	२६,३३,०००
कैरो	मिस्र	अनुमानित १९५५	२६,००,०००

शहर का नाम	देश	समय	जन-संख्या
हागकाग	चीन	अनुमानित १६५७	२६,००,०००
सेनयाग	चीन	अनुमानित १६५७	२२,६०,०००
लॉसएंजिलस	कैलिफोर्निया	१६५६	२२,४३,६०१
फिलाडेल्फिया	संयुक्तराज्य अमेरिका	१६५०	२०,७१,६०५
मनीला	फिलिपाइन्स	अनुमानित १६५५	२०,२२,४२०
नई दिल्ली	भारत	अनुमानित १६५५	२०,००,०००

प्रान्तों और नगरों के नाम में परिवर्त्तन

प्राचीन		नवीन	प्राचीन		नवीन
अंगोरा	...	अंकारा	पिपिंग	...	पेकिंग
कौन्सटैण्टिनोपुल	...	इस्ताम्वुल	पेट्रोगार्ड	...	लेनिनग्राड
क्रिश्चियाना (नारवे)	...	ओसलो	वनारस	...	वाराणसी
क्वीन्स टाउन (आयरलैंड)		कॉव	विजगापट्टम	...	विशाखापत्तनम
ट्रावनकोर-कोचीन	...	केरल	वैंकाक	...	फेतचन्द
निजनीनोव गोरैंड	...	गोर्की	संयुक्तप्रान्त	...	उत्तर प्रदेश
			सैंडविच	...	हवाईयन

उच्चतम, वृहत्तम, महत्तम, दीर्घतम, न्यूनतम

सवसे वड़ा और अधिक जनसंख्यावाला महादेश	एशिया।
सवसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत भूमि	अमेरिका; उत्तर-दक्षिण आर्कटिक से अण्टार्कटिक सागर तक।
सवसे ऊँचा देश	तिव्वत (१६००० फुट)।
सवसे घनी आवादीवाला देश	चीन।
सवसे घनी जनसंख्यावाला छोटा देश	मोनैको (यूरोप), ३३,८६८ प्रतिवर्ग मील।
सवसे छोटा स्वतंत्र राष्ट्र	वैटिकन सिटी, रोम (इटली), क्षेत्रफल १०६ एकड़।
सवसे छोटा महाद्वीप	अस्ट्रेलिया।
सवसे वड़ा द्वीप-समूह	इण्डोनेशिया।
सवसे वड़ा प्रायद्वीप	भारत।
सवसे वड़ा नगर	लन्दन (जनसंख्या ८३,४६,०००)।
सवसे उत्तर का नगर	हेमरफेस्ट, नार्वे (आर्कटिक वृत्त से २७५ मील उत्तर)।
सवसे ऊँचा नगर	फारी, तिव्वत (१४,३०० फुट)।
सवसे वड़ी इमारत	पिरामिड (मिस्र)।
सवसे विशाल भवन	वैटिकन (रोम)।

सबसे बड़ा राजमहल	मैड्रिड (स्पेन) का राजमहल।
सबसे बड़ा ऑफिस का मकान	पेण्टेगोन (सं०रा० अमेरिका); ३४ एकड़ में। इसमें ३२,००० आदमी काम करते हैं।
सबसे बड़ा होटल का मकान	ग्रैंड डिक्सेन्स (स्विट्ज़रलैंड)।
सबसे बड़ा मकबरा	गोल गुम्बज (बीजापुर, भारत), १४४ फुट।
सबसे लम्बा गिर्जा	अल्म कैथिड्रल (जर्मनी); ५२६ फुट ऊँचा।
सबसे विशाल गिर्जा	सेंट पिटर्स का चर्च (रोम)।
सबसे लम्बी मूर्ति	स्वाधीनता की मूर्ति (न्यूयार्क, अमेरिका) एड़ी से चोटी तक १११ फुट।
सबसे बड़ा म्यूजियम	ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन।
सबसे बड़ा थियेटर	ब्लॉन्डा थियेटर (हवाना); ६५०० व्यक्तियों के लिए स्थान।
सबसे लम्बी दीवाल	चीन की दीवाल , १५०० मील से अधिक,
सबसे बड़ी वाटिका	एलोस्टोन, नेशनल पार्क (सं० रा० अमेरिका); ३,३५० वर्गमील।
सबसे बड़ा दूरवीक्षण-यंत्र	माउण्ट पेलोमर (कैलिफोर्निया, अमेरिका) वाला, व्यास २०० इंच।
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन	ग्रैंड सेण्ट्रल टर्मिनस, न्यूयार्क। इसमें ४७ प्लेटफार्म हैं।
सबसे लम्बी रेलवे लाइन	ट्रान्स साइबेरियन रेलवे लाइन; रीगा से व्लाडिवोस्टक (रूस, ६००० मील)।
सबसे लम्बा राजपथ	ब्रॉडवे (न्यूयार्क, अमेरिका)।
सबसे ऊँचा हवाई अड्डा	लद्दाख (कश्मीर); १४,२२० फुट।
हवाई जहाज की सबसे ऊँची उड़ान	८३,२३५ फुट।
मुसाफिरवाले बैलून की सबसे ऊँची उड़ान	१,०२,००० फुट।
सबसे गहरी खान	कोलार गोल्डफील्ड, मैसूर (लगभग १०,००० फुट गहरी)।
सबसे गहरा सूराख	टेक्सास (सं० रा० अमेरिका) का एक तेल का कुआँ।
सबसे बड़ी हीरा की खान	किम्बरली (दक्षिण अफ्रिका)।
सबसे बड़ा हीरा	कुलिनन।
सबसे बड़ा मोती	बेरेस्फोर्ड-होप (१,८०० ग्राम)।
सबसे बड़ा घंटा	सारकोलो कोल, क्रेमलिन (मास्को), १८० टन।
सबसे ऊँचा वृक्ष	जैएट सेकुइया वृक्ष, हैम्बोल्ट स्टेट पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका (३६८ फुट ऊँचा)।

सबसे अधिक वर्षावाली एवं गीली भूमि	चेरापुंजी (आसाम) । एक मास में ३६६ इंच ।
सबसे कम वर्षावाली भूमि	एरिका (चिली), २ इंच ।
सबसे ठंढा स्थान	वरखोयास्क (साइबेरिया); ६० फेरेन्हाइट ५ और ७ फरवरी, १८६२ ।
सबसे गर्म स्थान	अजिजिया (लीबिया); १३६° फेरेन्हाइट (१३ सितम्बर, १६२२) ।
सबसे अधिक वार्षिक तापमानवाला स्थान	सोमाली लैंड (अफ्रिका), ८८° फेरेन्हाइट ।
सबसे कम वार्षिक तापमानवाला स्थान	फ्रामहीम, अरण्टार्कटिक, १४०° फेरेन्हाइट ।
सबसे बडा अन्तर्देशीय समुद्र	मेडिट्रेनियन सागर ।
सबसे खारा और सबसे छिछला समुद्र	डेड सी ।
सबसे बडी स्वच्छ जलवाली झील	सुपीरियर (उत्तरी अमेरिका) ।
सबसे बडी कृत्रिम झील	मीड़ (सं० रा० अमेरिका) ।
सबसे गहरी झील	वैकाल (साइबेरिया) ।
सबसे विशाल नदी	आमेजन (दक्षिण अमेरिका) ।
नदी द्वारा सिंचित सबसे बडा क्षेत्र	आमेजन का क्षेत्र, २७,२०,८०० वर्गमील ।
सबसे बड़ा मुहाना	सुन्दर वन; ८,००० वर्गमील ।
सबसे बडी जहाजी नहर	श्वेत सागर की नहर (रूस); १४०मील लंबी ।
सबसे बडा जहाज	क्वीन एलिजाबेथ (८३,६७३ टन) ।
सबसे बड़ा ग्रह	बृहस्पति ।

★

विश्व के विभिन्न कृषि-उत्पादन

गेहूँ

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २·४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	१९५८	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४·६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५७	१९५८
अर्जेन्टाइना	[illegible],४८७	४,३१४	५,२४२	५,१७५	५,८१०	६,७२०
आस्ट्रेलिया	४,६२०	३,५८१	४,१२८	५,१६९	२,६५५	५,७९८
इटली	[illegible],७०५	[illegible],६११	४,८३८	७,१७०	८,४७८	९,८१५
कनाडा	१०,५१३	८,५४६	८,४५७	१३,४७२	१०,४९२	१०,११७
चीन	२३,२३४	२७,५७०	२६,७३०	१५,९१५	२३,६५०	—
टर्की	[illegible],७७०	७,२७५	७,५६९	४,७७१	८,४१९	८,६७१
पाकिस्तान	[illegible],२१८	४,७४३	४,६०९	३,९८२	३,९९४	३,६०१
फ्रांस	[illegible],२६४	४,९६८	४,९१५	७,७९१	११,०८२	९,६०१
भारत	९,२९०	१३,५८९	११,८५७	६,०८७	९,४९३	७,८६५
सोवियत रूस	४२,९३३	६६,१००	६६,६००	३५,७६७	५८,१००	६७,६००
सं० रा० अमेरिका	२७,७५९	१७,७२७	२१,६१२	३१,०६६	२५,८७२	३९,७८२
स्पेन	४,१५६	४,३९२	४,३७९	३,६२२	४,९११	४,५५०

जौ

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २·४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	१९५८	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४·६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५७	१९५८
अलजीरिया	१,१६६	१,२७६	१,२०१	८०८	६१६	७८०
इराक	९३४	१,२४०	१,१५७	७२२	१,३०५	९५३
कनाडा	२,८७०	३,८०५	३,८६४	४,२८२	४,७०३	५,३२९
ग्रेटब्रिटेन	८१८	१,०६२	१,११५	२,०६०	३,००४	३,२२१
जापान	९८२	९२८	९१०	२,०२०	२,१६०	२,०७६
टर्की	१,९७२	२,६३०	२,७००	२,२७०	३,६५०	३,६००
फ्रांस	९५४	१,६४३	१,७८२	१,५३४	२,६२६	३,८९२
भारत	३,१२८	३,५३१	३,०५५	२,३८४	२,८७२	२,२७४
मोरक्को	१,८५६	१,५६१	१,८१२	१,३६२	६५२	१,२७२
सोवियत रूस	८,४०७	९,२००	९,६००	—	—	—
संयुक्तराज्य अमेरिका	४,०९५	६,०६५	६,०३९	५,८४३	६,५१८	१०,३४६
स्पेन	१,५५७	१,५३२	१,५१३	१,६०९	१,८८१	१,७७८

मकई

क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) — (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़)

उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) — (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

	क्षेत्रफल			उत्पादन		
	औसत			औसत		
देश	१९४८—५२	१९५७	१९५८	१९४८—५२	१९५७	१९५८
अर्जेण्टाइना	१,६९६	२,४४८	२,३६१	२,५०९	४,८०६	४,९३२
इण्डोनेशिया	२,०२०	२,०८७	२,७३७	१,५३६	१,८६०	२,६१८
चीन (मुख्य)	९,५००	९,६००	९,६००	१३,३४०	२३,४८०	३०,९८०
दक्षिण अफ्रिका-संघ	२,८११	३,३८२	३,५७३	२,४५३	३,३४३	३,५९९
ब्राजिल	४,७८६	५,७९०	६,०८१	५,९१६	७,३७०	७,७३७
भारत	३,३४९	३,९७४	४,१७४	२,१६५	३,०८५	३,०३८
मेक्सिको	४,१०१	५,३९२	६,३४८	३,०९०	४,५००	५,१५४
युगोस्लाविया	२,२९४	२,५९०	२,३९०	३,०७८	५,६६०	३,९५०
रूमानिया	३,०८९	३,७२२	३,६४५	२,३६९	६,३३८	३,६५७
सोवियत रूस	४,२५९	५,८००	८,१००	५,७३३	७,०००	१६,७००
सं० रा० अमेरिका	३३,४९६	२९,३८६	२९,६७४	८१,९७१	८६,९३१	९६,५४६
हंगरी	१,१६६	१,३४६	१,३०४	२,०६८	३,२३३	२,८३३

धान

क्षेत्रफल (१,००० हेक्टरमे) — (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़)

उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन मे) — (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

	क्षेत्रफल			उत्पादन		
	औसत			औसत		
देश	१९४८—५२	१९५७	१९५८	१९४८—५२	१९५७	१९५८
इण्डोनेशिया	५,८७६	६,७९८	६,९१६	९,४४१	११,४४८	११,७८४
कम्बोडिया	१,१२७	१,२६०	१,२१७	१,३७२	१,४१०	१,१५३
कोरिया (दक्षिण)	१,०५०	१,०४९	१,१०८	२,९२४	३,०८६	३,२५४
चीन (मुख्य)	२६,५००	३२,१००	३३,०००	५६,०००	८६,६००	१,१७,०००
जापान	२,९९६	३,२३२	३,२४२	११,९९१	१४,३२८	१४,९९१
थाइलैण्ड	५,२११	४,४४३	५,२६७	६,८४५	५,६६५	७,१२३
पाकिस्तान	९,००३	९,२६२	९,१०३	१२,४००	१२,८९५	१२,०२७
फिलिपाइन	२,३१८	२,९७२	२,९७१	२,७६७	३,२०३	३,६८५
बर्मा	३,७५८	३,८६८	३,९९८	५,३०९	५,२३१	६,५९०
ब्राजिल	१,९२७	२,५४३	२,५१५	३,०२५	३,९८८	३,८२९
भारत	३०,०९२	३२,१५१	३३,०१८	३३,३८३	३७,९२६	४५,२९७
सं० रा० अमेरिका	७५२	५४२	५७३	१,९२५	१,९४७	२,०१३

आलू

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	१९५८	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पाउंड) औसत १९४८—५२	१९५७	१९५८
ऑस्ट्रिया	१७४	१८०	१७८	२,२७०	४,०३४	३,५४२
इटली	३९२	३८६	३८४	२,७३२	३,१५७	३,६६४
ग्रेट-ब्रिटेन	४६७	३२६	३३३	६,४५४	५,७६०	५,६५६
चीन (मुख्य)	२,४५०	३,३००	३,३००	१२,३६०	२१,७४०	२४,०००
जर्मनी (पूर्व और पश्चिम)	१,९६८	१,९४३	१,८४२	३७,४२७	४१,०३१	३४,३५३
चेकोस्लोवाकिया	६२२	६२६	६०७	७,२५५	८,७५६	६,५८६
पोलैण्ड	२,५७१	२,७६३	२,७५८	२६,७२७	३५,१०४	३४,८००
फ्रांस	१,१२४	९८६	९७४	१३,७३४	१५,११४	१३,६४७
भारत	२३७	३१८	२५६	१,६४७	२,०१३	—
सोवियत रूस	८,३९७	९,७७८	९,५२५	८८,६००	८७,८१३	८६,५२७
सं० रा० अमेरिका	६६२	५६०	५९४	१०,६७६	१०,८६५	१२,०५३
स्पेन	३५८	३७२	३७३	३,३४८	३,९५४	४,३००

चाय

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५६	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५६	१९५७
इण्डोनेशिया	१४४	१४३	—	४२	४३	४७
जापान	२८	४२	—	४०	७१	—
पाकिस्तान	३०	३१	—	२३	२५	३५
भारत	३१४	३२०	—	२८०	३०४	३०३
लंका	२२८	२३१	—	१४०	१७०	१८०

तम्बाकू

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर मे) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५६	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५६	१९५७
ग्रीस	८५	११८	१२२	४६	८२	६७
चीन	१८६	—	—	२२०	३६६	—

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर मे) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५६	१९५७	उत्पादन (१,००० हेक्टर में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत १९४८–५२	१९५६	१९५७
टर्की	११८	१७२	—	८४	११६	—
पाकिस्तान	६९	८३	—	७०	७६	—
ब्राजिल	१४९	१८६	१९०	११३	१४४	१४५
भारत	३३१	३७३	४१४	२४७	२६३	३११
सं० रा० अमेरिका	६७४	५५२	४५४	९५९	९८९	७६३
संसार-भर का जोड़	२,७००	३,२४०	—	२,८००	३,४३०	—

रूई

अमेरिकी १,००० चालू गाँठों में, अन्य १००० गाँठो में (१ गाँठ = नेट ४७८ पौ०)

देश	औसत १९५०—५४	औसत १९५५—५९	वर्ष १९५८–५९
अफ्रिका			
मिस्र	१,७४०	१,७४०	२,०६०
सूडान	३७४	४६०	५७५
अमेरिका			
अर्जेण्टाइना	५७०	५६५	४२५
पेरू	४०१	५००	५००
ब्राजिल	१,६७४	१,४४०	१,४००
मेक्सिको	१,२३७	२,१००	२,३५०
सं० रा० अमेरिका	१४,१५५	१२,५५०	११,५००
एशिया			
चीन	४,४८०	७,०००	८,७००
टर्की	६३०	७३०	८२५
पाकिस्तान	१,३२८	१,३६०	१,२५०
भारत	३,०६२	४,१७०	४,२००
यूरोप			
रूस	३,९००	६,७४०	६,८००

कच्ची चीनी

देश	औसत १९४८—५२	१९५७	१९५८
अस्ट्रेलिया	९१३	१,३१४	१,४३५
क्यूबा	५,७८६	५,७८४	५,९६६
जर्मनी	१,५२८	२,३८५	२,७८९

देश	१९५७	१९५८	१९५९
पोर्टोरीको	१,१५७	८४७	९७५
पोलैंड	८७१	१,९५४	१,१९२
फिलिपाइन्स	८३०	१,२५२	१,३१७
फ्रांस	१,०८५	१,५३५	१,५०३
ब्राजील	१,५२०	२,६६३	३,२२३
भारत	१,३०२	२,१८४	२,०४४
मेक्सिको	७३५	१,१९०	१,३३५
सोवियत रूस	२,७२८	४,८८२	५,२१८
सं० रा० अमेरिका	१,८२२	२,४६८	२,५३३

पेट्रोलियम

(१००० मेट्रिक टन में)

(१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

देश	१९५७	१९५८	१९५९
इण्डोनेशिया	१५,२६०	१६,०००	१७,०००
इराक	२१,६४०	३५,५००	४१,७५०
ईरान	३५,५३०	४०,६००	४५,५७०
कनाडा	२५,०००	२२,२८०	६६,५३०
कुवैत	५७,२८०	७०,२००	४३०
भारत	४३०	४४०	१३,५००
मेक्सिको	१२,६००	१३,३००	११,४३७
रूमानिया	११,५००	११,१८०	१,४६,५७१
वेनेजुएला	१,४५,३१५	१,२८,६००	३,४६,५४०
सं० रा० अमेरिका	३,५२,७००	३,३०,०००	५३,६६०
सऊदी अरब	४८,८७०	५०,१३०	१,२६,३००
सोवियत रूस	६८,३००	१,१३,५००	

★

प्राणी-शास्त्र सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें

विभिन्न जीवों का गर्भ-धारण-काल

जीवों के नाम	गर्भ-धारण-काल	जीवों के नाम	गर्भ-धारण-काल
ऊँट	१३ महीना	बिल्ली	२ महीना
ऊदबिलाव	४ महीना	भालू	७ महीना
कंगारू	१$\frac{१}{४}$ महीना	भेड	५ महीना
खरगोश	१ महीना	भेड़िया	२ महीना
गाय	६ महीना	मनुष्य	६ महीना १० दिन (२८० दिन)
गिलहरी	१ महीना	लोमड़ी	२ महीना
घोड़ा	११ महीना	सिंह	३$\frac{३}{४}$ महीन
चूहा	२० दिन	सूअर	४ महीनाा
जिराफ	१४ महीना	हाथी	२० से २२ मास
वकरी	६ महीना		

कतिपय पशु-पक्षियों की विशेषताएँ

सबसे लम्बा पशु	जिराफ
सबसे बड़ा पशु	हाथी
सबसे तेज उड़नेवाला पक्षी	स्विफ्ट (गति प्रति घंटा २०० मील)
कुत्ते की जाति में सबसे बड़ा चौपाया	भेड़िया
सबसे बड़ा हिंसक जीव	सिंह
आकार में मनुष्य से मिलता-जुलता जीव	वनमानुष
समुद्री चिड़ियों में सबसे बडी चिडिया	अलबाइन्स (दक्षिणी समुद्र में पाई जानेवाली)
शीघ्रतमगामी पशु	चीता
सबसे बड़ा समुद्री जीव	नील ह्वेल
सबसे छोटी चिड़िया	हमिंग बर्ड (भन-भन शब्द करनेवाली एक प्रकार की चिड़या)
सबसे ज्यादा जीनेवाला जीव	नील ह्वेल (५०० वर्ष)
सबसे चौड़ी मछली	हेलिबट
सबसे लम्बी गरदनवाला पशु	जिराफ
सबसे ज्यादा जीनेवाली चिड़िया	शुतुरमुर्ग
सबसे भारी चिड़िया	कोनडोर (दक्षिणी अमेरिका में पाया जानेवाला एक गृद्ध)

★

विभिन्न देशों का जन-स्वास्थ्य

खाद्य-आपूर्ति

विभिन्न देशों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत भोजन की अनुमित ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा इस प्रकार है—

देश	कैलोरी (भोजन के शक्ति-उत्पादन-मान की इकाई) (संख्या-प्रतिदिन)			कुल प्रोटीन (ग्राम-प्रतिदिन)		
	युद्ध-पूर्व	१९५०-५१	यु०-पू०	१९५६-५७	१९५०-५१	१९५६-५७
अर्जेन्टाइना	२,७३०	३,१४०	२,६८०	९८	१०२	९७
आस्ट्रेलिया	३,३००	३,२८०	३,१६०	१०३	९७	८८
इटली	२,५२०	२,४३०	२,५७०	८२	७७	७५
कनाडा	३,०१०	३,०१०	३,१४०	८४	९०	९७
ग्रीस	२,६००	२,५१०	२,६००	८४	७७	८५
ग्रेट-ब्रिटेन	३,११०	३,१००	३,२७०	८०	८८	८४
चिली	२,२४०	२,४००	२,४६०	६६	७३	७७
जर्मनी (पश्चिम)	३,०४०	२,८१०	३,०००	८५	७६	७६
जापान	२,१८०	२,१००	२,२००	६४	५४	६१
टर्की	२,४५०	२,५१०	२,६७०	७६	८१	८८
पाकिस्तान	—	२,१६०	२,०४०	—	५४	४६
पुर्त्तगाल	२,१००	२,४६०	२,५५०	५८	६७	६६
फ्रान्स	२,८७०	२,७६०	२,९२०	९७	८१	१०३
भारत	१,९७०	१,६३०	१,८५०	५६	४५	५०
मिस्र	२,४५०	२,३४०	२,५६०	७३	६६	७३
सं० रा० अमेरिका	३२,२०३	३,१८०	३,१५०	८६	९१	९५

मानव जीवन-काल का औसत अनुमान

देश	पुरुष वर्ष	स्त्री वर्ष	देश	पुरुष वर्ष	स्त्री वर्ष
अस्ट्रिया	६२.४८	६७.१४	नारवे	६०.९८	६३.८४
इंगलैंड	६०.१८	६४.४०	फ्रान्स	५४.३०	५९.०२
इटली	५३.७६	५६.००	भारत	२६.९१	२६.५६
चीन	३४ ८५	३४.६३	रूस	४१.९३	४८.७९
जर्मनी	५९.८६	६२.८१	सं० रा० अमेरिका	६०.७५	६५.०८
दक्षिण अफ्रिका (गोरी जातियों)	६०.१०	६४.००	स्विट्जरलैंड	५०.८५	६३.३८

जन्म और मृत्यु-दर

देश	वर्ष	जन्म-दर	मृत्यु-दर
अफ्रिका			
अलजीरिया	१९५५	३१·५	१०·८
दक्षिण अफ्रिका-संघ	१९५७	२५·६	८·८
मिस्र	१९५३	४०·०	१८·४
अमेरिका			
कनाडा	१९५७	२८·६	८ ३
कोस्टारिका	१९५७	५७·५	१०·१
चिली	१९५७	३५ २	१२·०
मेक्सिको	१९५७	४७ १	१३ ८
सं० रा० अमेरिका	१९५६	२५ ०	९·६
एशिया			
जापान	१९५७	१७·२	८·३
थाइलैंड	१९५५	३४·२	९ २
पाकिस्तान	१९५१	२९ २	११ ९
बर्मा	१९५६	३५·९	२१·८
भारत	१९५७	२३ ९	१२·४
लंका	१९५६	३६·४	९·८
ओसीनिया			
अस्ट्रेलिया	१९५७	२२ ३	८·५
न्यूजीलैंड	१९५७	२४ ९	९·३
यूरोप			
अस्ट्रिया	१९५७	१६·८	१२ ७
आयरलैंड	१९५७	१९ ८	१२·६
इटली	१९५७	१८ ३	१०·०
ग्रेट-ब्रिटेन	१९५७	१६·५	११ ५
जर्मनी (पश्चिम)	१९५७	१७·०	११ ३
जर्मनी (पूर्व)	१९५७	१५·५	१२·८
चेकोस्लोवाकिया	१९५७	१९·७	९ ९
डेनमार्क	१९५७	१६ ८	९·३
नारवे	१९५७	१९·६	८·४
नेदरलैंड	१९५७	२१ २	७·५
पुर्त्तगाल	१९५७	२३·३	११·३
पोलैंड	१९५६	२७·९	९ ०
फिनलैंड	१९५७	१९·८	९·४

देश	वर्ष	जन्म-दर	मृत्यु-दर
फ्रान्स	१९५७	१८.४	१२.०
पोर्तगाल	१९५७	१७.४	१२.५
बल्गेरिया	१९५६	१९.५	९.४
युगोस्लाविया	१९५७	२३.५	१०.५
रूमानिया	१९५६	२४.२	९.९
रूस	१९५६	२५.०	७.७
स्पेन	१९५७	२१.२	७.६
स्विट्ज़रलैंड	१९५७	१७.७	१०.०
स्विडन	१९५७	१४.६	९.६
हंगरी	१९५७	१७.०	१०.५

बालकों की मृत्यु-दर

देश	वर्ष	दर	देश	वर्ष	दर
अलजीरिया	१९५५	९३	जर्मनी (पूर्व)	१९५७	४६
आस्ट्रिया	१९५७	४४	जापान	१९५७	३६
आस्ट्रेलिया	१९५६	२१	जेकोस्लोवाकिया	१९५६	३१
आयरलैंड	१९५६	३६	डैनमार्क	१९५६	२५
इटली	१९५७	५०	द० अफ्रिका-संघ	१९५६	३१
कनाडा	१९५६	३२	नारवे	१९५६	२१.४
कोस्टारिका	१९५६	६२	नेदरलैंड	१९५७	१७
ग्रेटब्रिटेन	१९५७	२४	न्यूजीलैंड	१९५६	२३
चिली	१९५६	११२	पुर्तगाल	१९५७	८६
जर्मनी (पश्चिम)	१९५७	३६	युगोस्लाविया	१९५७	१०१
पोलैंड	१९५६	७१	रूमानिया	१९५६	८२
फिनलैंड	१९५७	२८	रूस	१९५५	४८
फ्रान्स	१९५७	७२	लंका	१९५६	६७
बर्मा	१९५६	१६७	सं० रा० अमेरिका	१९५७	२६
बलगेरिया	१९५६	७२	स्पेन	१९५६	५२
बेलजियम	१९५६	३५	स्विट्ज़रलैंड	१९५६	२६
भारत	१९५४	११४	स्विडन	१९५७	१७
मिस्र	१९५३	१४६	हंगरी	१९५६	५६
मेक्सिको	१९५६	६६			

★

विश्व की वैज्ञानिक प्रगति

अन्तरिक्ष-भ्रमण

इस युग का सब से अधिक विस्मयकारी वैज्ञानिक कार्य ग्रह-उपग्रहों में राकेटों का भेजा जाना और कृत्रिम ग्रह-उपग्रह तैयार करना है। इस कार्य में रूस और अमेरिका सबसे अग्रगण्य हैं। कुछ दूसरे राष्ट्र भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। कालक्रमानुसार इस कार्य में कैसी प्रगति हुई, उसे नीचे दिया जा रहा है—

४ अक्टूबर, १९५७ को सर्वप्रथम रूस ने स्पुटनिक प्रथम नामक राकेट को अन्तरिक्ष में भेजा, जो वजन में १८४ पौंड था और ५६० मील की ऊँचाई तक उड़ सका था। तीन महीने के बाद वह नष्ट हो गया।

३ नवम्बर, १९५७ को रूस ने स्पुटनिक द्वितीय नामक राकेट को छोड़ा, जो तौल में १,१२० पौंड था और जिसपर एक कुत्ता भी सवार था। यह १,०५६ मील की ऊँचाई तक उड़ा और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ साढे चार मास के बाद नष्ट हो गया।

३१ जून, १९५८ को संयुक्तराज्य अमेरिका ने एक्सप्लोरर प्रथम नामक राकेट शून्य में प्रेषित किया, जो करीब ३१ पौंड भारी था। यह १५,८७ मील तक ऊपर गया।

१७ मार्च, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड प्रथम नामक राकेट को आकाश में भेजा। यह ३$\frac{1}{4}$ पौंड का था और २,४६६ मील तक ऊपर गया। कहते हैं, यह अब भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और कई सौ वर्षों तक करता रहेगा।

२६ मार्च, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर तृतीय को शून्य में भेजा। यह ३१ पौंड का था और १,७४१ मील तक ऊपर गया। तीन मास बाद यह नष्ट हो गया।

१५ मई, १९५८ को रूस ने स्पुटनिक तृतीय को ऊपर भेजा, जो २,९२५$\frac{1}{2}$ पौंड भारी था। यह १,१६८ मील ऊपर जाकर पृथ्वी की १०,०३७ मील परिक्रमा कर चुकने पर ६ अप्रैल, १९६० को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जल गया।

२६ जुलाई, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर चतुर्थ को उड़ाया। यह ३८ पौंड भारी था और १,८१० मील ऊपर उड़ा। इससे कुछ वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने की आशा थी।

११ अक्टूबर, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने चन्द्रमा तक पहुँचने या उसकी परिक्रमा करने के लिए पायोनियर प्रथम को उड़ाया। वह ७१,३०० मील ऊपर गया और वहाँ से गिरकर चूर-चूर हो गया।

८ नवम्बर, १९५८ को फिर चन्द्रमा तक पहुँचने के लिए सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर द्वितीय को भेजा। यह ७,५०० मील ऊपर जाने पर टूटकर गिर पड़ा।

६ दिसम्बर, १९५८ को फिर सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर तृतीय चन्द्रमा के पास रवाना किया। वह ६६,६५४ मील ऊपर पहुंचकर गिर पड़ा।

१८ दिसम्बर, १९५८ को सं० रा० अमेरिका एटलस प्रथम को, जो ८७,०० पौं भारी था, आकाश में भेजा। यह ९२८ मील ऊपर जाकर ही गिर पड़ा।

२ जनवरी, १९५९ को रूस ने लूनिक नामक राकेट को उड़ाया, जो ३,२४५ पौं भारी था। सूर्य का यह १०वाँ ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच की कक्षा में १५ महीने में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया है और यह अपनी परिक्रमा में निरत है।

१७ फरवरी, १९५९ को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड द्वितीय को शून्य में प्रेषित किया। यह २,०५० मील की ऊँचाई पर गया।

२८ फरवरी, १९५९ को सं० रा० अमेरिका ने डिस्कवरर प्रथम को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की परिक्रमा करने के लिए भेजा। यह ४० पौंड भारी था और इसका जीवन-काल केवल दो सप्ताह था।

३ मार्च, १९५९ को सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर चतुर्थ को अन्तरिक्ष में भेजा। यह चन्द्रमा से ३७,००० मील ऊपर चला गया और १३ महीने में पृथ्वी और मंगल की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है।

१२ सितम्बर, १९५९ को रूस ने चन्द्रमा पर एक राकेट भेजा, जो वहाँ पहुँचकर रुक गया। रूस के प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव के अमेरिका जाने के एक दिन पूर्व की यह घटना थी।

११ मार्च, १९६० को सं० रा० अमेरिका ने ९० पौंड वजन का एक छोटा-सा ग्रह शुक्र के पास भेजा, पर वह शुक्र पर न जाकर पृथ्वी और शुक्र की मध्यवर्ती कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करने लगा। यह ग्रह पृथ्वी से प्रति सेकेंड ७ मील के गति से उड़ा और ३११ दिन में सूर्य की परिक्रमा की।

सन् १९६० ई० की २१ अगस्त की तारीख मानव-जाति के इतिहास में चिरकाल के लिए स्मरणीय बनी रहेगी। इस दिन सोवियत रूस द्वारा महाशून्य मे जो राकेट जहाज जीवित प्राणी को लेकर उड़ा था, वह विश्व की परिक्रमा निर्विघ्न समाप्त करके फिर धरती पर लौट आया। सन् १९५७ की चौथी अक्टूबर को पहले-पहल रूस ने स्पुटनिक को महाशून्य मे उड़ाकर उसके द्वारा विश्व की परिक्रमा कराई थी। इसके बाद से जीवित प्राणियों को लेकर राकेट को शून्य में उड़ाने और जीवित प्राणी के साथ निर्विघ्न पृथ्वी पर लौटा लाने के सम्बन्ध में परीक्षाएँ चलने लगीं। प्रथम स्पुटनिक के कुछ ही समय बाद द्वितीय स्पुटनिक लाइका नामक एक कुत्ते को लेकर शून्य मे उड़ा, किन्तु वह कुत्ता जीवित नहीं लौट सका। इसके बाद अनेक राकेट जहाज उड़ाये गये, और राकेट-विज्ञान की दिशा में कुछ-कुछ प्रगति होती गई। अब २१ अगस्त को छोड़े गये राकेट जहाज की सफलता से लोगों को यह ज्ञान हुआ कि महाशून्य में पहुँचकर भी प्राणी जीवित रह सकता है और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखकर धरती पर लौट सकता है। सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने आज इस आविष्कार के द्वारा असंभव को संभव कर दिखाया है। अब यह बात केवल कल्पना तक ही सीमित नहीं रही कि मनुष्य भविष्य में चन्द्रलोक या मंगल-ग्रह की यात्रा करके वहाँ से सकुशल इस पृथ्वी पर लौट आयगा और वहाँ के अपने अनुभवों का वर्णन करेगा। वह दिन अब बहुत दूर नहीं है।

सोवियत राकेट केवल चन्द्रलोक तक ही नहीं पहुँचा, वल्कि वह रूस के प्रतीक-चिह्न से युक्त वहाँ कतिपय बृहदाकार क्षयहीन धातुफलकों को भी गाड आया है। जो राकेट जहाज परीक्षामूलक रूप में उड़ाया गया था, उसका वजन साढे चार टन था। धरती की सतह से २०० मील ऊर्ध्व अपने कक्ष-पथ में उसने १८ वार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इसके वाद अपने कक्ष से स्खलित होकर वह जीवित प्राणी को लिये हुए अपने निर्दिष्ट स्थान से कुछ ही मील की दूरी पर उतर आया। इस जहाज में दो कुत्ते, कई अन्य प्राणी और कुछ पौधे थे। जिस समय यह जहाज शून्य मे चक्कर लगा रहा था, वेतार-यंत्र के संकेत द्वारा दोनों कुत्तों के हृदय-स्पन्दन, रक्त-संचालन एवं खाद्य-ग्रहण आदि के दूरप्रेक्षण-संवाद पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को मिल रहे थे। महाशून्य की जलवायु का प्राणियों तथा पौधों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था।

१२ फरवरी, १९६१ ई० को रूस ने एक राकेट, जिसका नाम ग्रहान्तरीय स्टेशन है, शुक्र ग्रह की दिशा में प्रक्षिप्त किया है। ग्रहान्तर अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त करने में मनुष्य की सफलता की यह एक नई मंजिल है। यह आशा की जाती है कि राकेट आगामी मई महीने के उत्तरार्द्ध में शुक्र ग्रह के प्रदेश में पहुँच जायगा। रूस के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह का फोटो लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का वहुत दिनों से यह भी स्वप्न रहा है कि ग्रहान्तर की यात्रा करके वहाँ के सम्वन्ध में अनुसन्धान करने में वे समर्थ होंगे। भविष्य में इस वात की भी संभावना की जाती है कि मनुष्य मंगल ग्रह तक पहुँच सकेगा। यह भी कहा जाता है कि राकेट शुक्र-लोक के चित्र भेजेगा। इस राकेट का वजन ६४३'५ किलोग्राम (लगभग १,४२० पाउण्ड) है।

शुक्र ग्रह

गत १२ फरवरी को शुक्र ग्रह को लक्ष्य करके सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने राकेट के द्वारा १४२० पाउण्ड, अर्थात् ७०० सेर वजन का कृत्रिम उपग्रह महाशून्य में उत्क्षिप्त किया है। पृथ्वी से शुक्र ग्रह की दूरी मोटामोटी ३०० करोड़ मील है। यहाँ तक पहुँचने में यह उपग्रह इसी वर्ष के मई महीने के मध्य तक समर्थ होगा, ऐसी आशा की जाती है। इस उपग्रह में ऐसे सव यंत्र रखे गये हैं, जिनकी सहायता से शुक्र ग्रह की भौगोलिक एवं प्राकृतिक अवस्था के वेतार चित्र पृथिवी पर वैठे हुए पाये जायेंगे और इस रहस्यमय ग्रह का परिचय मनुष्य को स्पष्ट रूप में प्राप्त होगा। शुक्र पृथिवी का निकटतम ग्रह होने पर भी उसके सम्वन्ध से वैज्ञानिकों में कितनी ही परस्पर-विरोधी धारणाएँ प्रचलित हैं। कुछ लोग शुक्र को एक विराट् अग्निपिंड के रूप में मानते हैं, जहाँ जीवन का कोई चिह्न नहीं है। दूसरे लोगों के मत से वहाँ जल का अस्तित्व है और जीवन-विकास के अनुकूल वातावरण की सृष्टि हुई है। एक तीसरा मत यह है कि शुक्र ग्रह वृक्ष, लता एवं तृण-गुल्म की प्रतिच्छाया-मात्र है। शक्तिशाली दूरवीक्षण-यंत्र की सहायता से 'प्रत्यक्ष' करके इस प्रकार के सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं। अव सोवियत रूस का उपग्रह शुक्र ग्रह का फोटोग्राफ लेकर मनुष्य के समक्ष उपस्थित होगा और तव इस ग्रह के सम्वन्ध में समस्त कल्पनाओं का अवसान हो जायगा। वहुत दिनों से वैज्ञानिकों की यह धारणा रही है कि मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह में जीवन का अस्तित्व पाया जाता है।

इसी वर्ष रूस ने चन्द्रलोक में राकेट उड़ाया था। इतना ही नहीं, बल्कि लूनिक के माध्यम से चन्द्रमा की जो दिशा अब तक अज्ञात थी, उसका फोटोग्राफ मनुष्य को दृष्टिगोचर कराया है। एक-एक कर बड़े राकेटों को उड़ाकर और अंतरिक्ष की स्पुटनिकों में जीवित प्राणी को बैठाकर तथा उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा कराकर सकुशल वापस लाने में रूस सफल हुआ है। ४ फरवरी को उसने सात टन, अर्थात् १४० मन से भी अधिक वजन का एक स्पुटनिक उड़ाया था। यह स्पुटनिक इतना बड़ा है और इसकी गति इतनी विशाल है कि पहले के स्पुटनिकों के साथ इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इस स्पुटनिक से जो बेतार-संकेत मिल रहे हैं, वे हूबहू मनुष्य के संस्कार के समान हैं। रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिकतम स्पुटनिक द्वारा मनुष्य की अन्तरिक्ष-परिक्रमा एवं अन्तरिक्ष-यात्रा का पथ बहुत कुछ प्रशस्त हो गया है। कुछ समय के बाद ही मनुष्य अन्तरिक्ष-यात्रा की दिशा में पांव बढ़ाने लगेगा।

सोवियत रूस ने १२ अप्रैल, १९६१ को सर्वप्रथम एक मानव को अन्तरिक्ष में भेजा और उसे सकुशल पृथ्वी पर उतार लिया। अन्तरिक्ष में जानेवाले व्यक्ति का नाम यूरी अलेक्सेयेविच गेगारिन है। वह साढ़े चार टन वजन का यान अन्तरिक्ष में १०८ मिनट तक रहा। उसने एशिया साउनर और आफ्रिका के ऊपर से यो तार सूचना भेजी कि वह सकुशल है। वह पूर्व-निर्धारित क्षेत्र में मास्को-समय के अनुसार प्रातःकाल में १० बजकर ५५ मिनट पर, लंदन समय के अनुसार ७ बजकर ५५ मिनट पर उतर गया।

पता चला है कि रूस ने मास्को से नौ सौ मील दूर यूराल सागर के समीप एक सौ पचास टन वजन का सुपर राकेट छोड़ा था, जिसका आकार अन्तरिक्ष में पहुंचने पर फैलकर दस लाख टन वजन के आकार की वस्तु-जैसा हो गया। यह सुपर राकेट अपने साथ साढे चार टन वजन का अन्तरिक्ष यान ले गया था, जिसमे गेगारिन सभी प्रकार की सुरक्षा-व्यवस्थाओं के साथ बैठाया गया था। अन्तरिक्ष-यान के जिस डब्बे में वह रखा गया था, उसमे लगभग ४० सेटम ऑक्सिजन तथा लगभग १ सेंटम कार्बन-डाइऑक्साइड रखा गया था। उस केबिन मे ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी, जिसमें साठ-सत्तर डिग्री फारेनहाइट तक की गर्मी रह सके और अन्तरिक्ष-यात्री को वह गर्मी आनन्ददायक प्रतीत हो।

जिस राकेट पर वह उड़ा था, उसे उड़ती हुई अवस्था में ही छोड़कर उस पर लदे हुए साढे चार टनवाले अन्तरिक्ष यान से वह पृथ्वी पर उतर गया। अपना अनुभव बताते हुए उसने कहा कि 'मै अन्तरिक्ष में बिना वजन का हो गया, फिर भी मै लिख सकता था तथा काम कर सकता था। मेरे हाथ मे कोई वजन नहीं आने पर भी मेरी लिखावट नही बदली। फिर भी, कलम को पकड़े रहना आवश्यक था। मै देख रहा था पृथ्वी को, महादेशो के समुद्री किनारों को, द्वीपों को, बड़ी-बड़ी नदियो और फैले हुए महासागरो को। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लगता था, बिलकुल काले आसमान मे पृथ्वी तैर रही है कितनी सुन्दर दीख रही थी वह। मैने सूरज और सितारों की चमक देखी। ज्यो-ज्यो मै नीचे उतरता गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ता गया और मुझमें वजन आता गया।'

गेगारिन की इस अन्तरिक्ष-यात्रा से एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने का रास्ता खुल गया है। उसने स्वयं कहा है कि अब मै शुक्र और मंगल की सैर करना पसन्द करूँगा।

महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान

स्वीडन की विज्ञान-अकादमी ने डॉ० विलार्ड एफ० लिबी और डॉ० डोनाल्ड ए० ग्लेसर को उनकी अभूतपूर्व सफलताओं के लिए क्रमशः रसायन-विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्रदान किये। ये दोनों वैज्ञानिक अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अमरीकी वैज्ञानिकों ने सृष्टि की अज्ञात सीमाओं में प्रवेश किया और कुछ जटिल प्रकार के रसायनों के उत्पादन पर प्रकृति के एकाधिकार को भंग किया।

डॉ० लिबी ने 'आणविक कैलेण्डर' का आविष्कार करके पुरस्कार प्राप्त किया है। यह कैलेण्डर ३० हजार वर्ष तक के पुराने पौधों और पशुओं के अवशेषों की आयु का ठीक-ठीक निर्धारण कर सकता है। यह भू-गर्भशास्त्रियों, भू-भौतिकशास्त्रियों एवं पुरातत्त्ववेत्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। डॉ० ग्लेसर ने 'बुद्बुद-प्रकोष्ठ' (बबुल चैम्बर) का आविष्कार किया है। इसकी सहायता से वैज्ञानिक कणों की क्रिया-प्रतिक्रिया अध्ययन करने में समर्थ होते हैं। इस समय बुद्बुद-प्रकोष्ठ अधिक शक्तिशाली अणुभंजक यन्त्रों के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

डॉ० एलेन आर सैण्डेज ने कैलिफोर्निया के पालोमर पर्वत पर स्थित २०६ इंच व्यासवाले दूरवीक्षण-यंत्र का प्रयोग करके एक ऐसे नक्षत्र-पुंज की खोज की है, जो नक्षत्रों की आयु के सम्बन्ध में आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार २४ अरब वर्ष प्राचीन प्रतीत होता है।

इसी दूरवीक्षण-यंत्र की सहायता से डॉ० रुडोल्फ मिन्कीवस्की ने पृथ्वी से ६ अरब प्रकाश-वर्ष दूर-स्थित एक नक्षत्रावली का चित्र खींचा। इसके पूर्व केवल ३ अरब प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित अन्तरिक्षीय पिण्ड का चित्र ही लिया जा सका था।

मिशिगन-विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्रियों ने वलयावृत्त-ग्रह शनि का रेडियो दूरवीक्षण-यंत्र द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने की सूचना दी। इससे इस खोज की पुष्टि हुई है कि शनि ग्रह के वातावरण का तापमान २८३ अंश फारेनहाइट है।

स्टेन फोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रभा-मण्डल के साथ राडर-सम्पर्क स्थापित किया। रसायन-विज्ञान के क्षेत्र में हार्वर्ड-विश्वविद्यालय के डॉ० आर० बी० वुडवर्ड ने पूर्ण रूप से मानव-निर्मित प्रथम क्लोरोफिल के तैयार होने की घोषणा की। इस हरे रसायन की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और वायु को आत्मसात् करके शर्करा उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं।

पिट्सवर्ग-विश्वविद्यालय के एक अन्य रसायनशास्त्री डॉ० पैनटिटिस काटसोयान्निस्न तथा उनके जापानी सहयोगी डॉ० के० टी० सुजुकी ने इन्सुलिन के सूक्ष्माणु के दो-तिहाई अंश का कृत्रिम रूप से निर्माण करने की घोषणा की। इन्सुलिन के अभाव के कारण ही शरीर के भीतर रक्त और चीनी के अनुपात में असन्तुलन उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप मधुमेह का रोग उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों ने उस प्रक्रिया के प्रथम वैज्ञानिक तालिका-परीक्षण की सूचना दी, जिसके द्वारा कीटाणु हवा के नाइट्रोजन को परिवर्त्तित करके उसे ऐसा बना देते हैं कि उसका उपयोग पौधों के विकास में हो सकता है।

कोलंबिया-विश्वविद्यालय के भू-गर्भशास्त्रियों ने दक्षिणी अफ्रिका के छोर के दक्षिण में महासागर के तल-प्रदेश में एक ऐसी दरार की खोज की, जो इसी प्रकार की उन दरारों से सम्बद्ध है,

इसके पहले रूस ने अन्तरिक्ष में रॉकेट उड़ाया था। इतना ही नहीं, बल्कि लुनिक के माध्यम से चन्द्रमा की जो छिपी सतह अज्ञात थी, उसका फोटोग्राफ मनुष्य को दृष्टिगोचर कराया है। एक एक कर कई स्पुटनिकों को उड़ाकर और [illegible] स्पुटनिकों में जीवित प्राणी को बैठाकर तथा उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा कराकर सशरीर वापस ले आने में वह सफल हुआ है। ४ फरवरी को उसने सात सौ टन, अर्थात् १४०० मन से भी अधिक वजन का एक स्पुटनिक उड़ाया था। यह स्पुटनिक इतना बड़ा है और इसकी शक्ति इतनी विशाल है कि पहले के स्पुटनिकों के साथ इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इस स्पुटनिक से जो बेतार-संकेत मिल रहे हैं, वे हूबहू मनुष्य के कंठस्वर के समान हैं। रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिकतम स्पुटनिक द्वारा मनुष्य की अन्तरिक्ष-यात्रा एवं ग्रहान्तर-यात्रा का पथ बहुत कुछ प्रशस्त हो गया है। कुछ समय के बाद ही मानव ग्रहान्तर-यात्रा की दिशा में पाँव बढ़ाने लगेगा।

सोवियत रूस ने १२ अप्रैल, १९६१ को सर्वप्रथम एक मानव को अन्तरिक्ष में भेजा और उसे सकुशल पृथ्वी पर उतार लिया। अन्तरिक्ष में जानेवाले व्यक्ति का नाम यूरी अलेक्सेयेविच गेगारिन है। वह साढ़े चार टन वजन का यान अन्तरिक्ष में १०८ मिनट तक रहा। उसने एशिया माइनर और अफ्रीका के ऊपर से दो बार सूचना भेजी कि वह सकुशल है। वह पूर्व-निर्धारित क्षेत्र में मास्को-समय के अनुसार पूर्वाह्ण में १० बजकर ५५ मिनट पर, लंदन समय के अनुसार ७ बजकर ५५ मिनट पर उतर गया।

पता चला है कि रूस ने मास्को से नौ सौ मील दूर यूराल सागर के समीप एक सौ पचास टन वजन का सुपर रॉकेट छोड़ा था, जिसका आकार अन्तरिक्ष में पहुँचने पर फैलकर दस लाख टन वजन के आकार की वस्तु-जैसा हो गया। यह सुपर रॉकेट अपने साथ साढ़े चार टन वजन अन्तरिक्ष यान ले गया था, जिसमें गेगारिन सभी प्रकार की सुरक्षा-व्यवस्थाओं के साथ बैठ गया था। अन्तरिक्ष-यान के जिस डब्बे में वह रखा गया था, उसमें लगभग ४० सेंटम ऑक्सि तथा लगभग १ सेंटम कार्बन-डाइऑक्साइड रखा गया था। उस केबिन में ऐसी व्यवस्था कर गई थी, जिसमें साठ-सत्तर डिग्री फारेनहाइट तक की गर्मी रह सके और अन्तरिक्ष-यात्री को गर्मी आनन्ददायक प्रतीत हो।

जिस रॉकेट पर वह उड़ा था, उसे उड़ती हुई अवस्था में ही छोड़कर उस पर लदे हुए स चार टनवाले अन्तरिक्ष यान से वह पृथ्वी पर उतर गया। अपना अनुभव बताते हुए उसने व कि 'मैं अन्तरिक्ष में बिना वजन का हो गया, फिर भी मैं लिख सकता था तथा काम कर सकता था मेरे हाथ में कोई वजन नहीं आने पर भी मेरी लिखावट नहीं बदली। फिर भी, कलम पकड़े रहना आवश्यक था। मैं देख रहा था पृथ्वी को, महादेशों के समुद्री किनारों को, द्वीपों व बड़ी-बड़ी नदियों और फैले हुए महासागरों को। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लगता थ बिलकुल काले आसमान में पृथ्वी तैर रही है कितनी सुन्दर दीख रही थी वह। मैंने सूरज अं सितारों की चमक देखी। ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ गया और मुझमें वजन आता गया।'

गेगारिन की इस अन्तरिक्ष-यात्रा से एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने का रास्ता खुल गया है उसने स्वयं कहा है कि अब मैं शुक्र और मंगल की सैर करना पसन्द करूँगा।

बड़े वैज्ञानिक आविष्कार

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
अलमिनियम	१८२७	वोह्लर	जर्मनी
आइरन लंग	१६२८	फिलिप ऐराड शावड्रिंकर	सं० रा० अमेरिका
आइस-मेकिंग मशीन	१८५१	गोरु	सं० रा० अमेरिका
इंजिन, ओटोमोबिल	१८७६	बेंज	जर्मनी
इन्ग्रेविंग हाफ-टोन	१८६३	इव्स	सं० रा० अमेरिका
इरिडगो सिन्थेटिक	१८८०	बेअर	जर्मनी
इलेक्ट्रिक आर्क-लाइट	१८०६	डेवी	इंगलैंड
इलेक्ट्रिक फैन	१८८७	हीलर	—
इलेक्ट्रिक लाइट, इन्कैनडेसेरट	१८७६	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
एक्स-रे	१८६५	रोएनजेन	जर्मनी
एटोमिक जेनरेटर	१६५१	यू० ए० सी० के वैज्ञानिक	सं० रा० अमेरिका
एटोमिक वम	१६४५	स० रा० अमेरिका के वैज्ञानिक	
ऐडिंग मशीन	१६४२	पैस्कल	फ्रास
एयर-प्लेन (आजमाइशी)	१८६६	लैंग्ले	सं० रा० अमेरिका
एयर-प्लेन हेलिकॉप्टर	१६१६	ब्रेनन	इंगलैंड
एस्प्रो	१६१५	जार्ज रिचार्ड निकोलस	इंगलैंड
औटोमोबिल गैसोलिन	१८८७	डैमलर	जर्मनी
केमरा, कोडक	१८८८	इस्टमैन	सं० रा० अमेरिका
क्रीम सेपरेटर	१८६७	डीलेवेल	स्विडन
क्लॉक-पेराडुलम	१६५७	ह्यगेन्स	डच
गैस-वर्नर	१८५५	वुनसेन	जर्मनी
गैस-मैराटल	१८६३	वेल्सवैच	अस्ट्रिया
गैस-लाइटिंग	१७६२	मरडॉक	स्कॉटलैंड
ग्रामोफोन	१८७७	वर्दनर	सं० रा० अमेरिका
चश्मा	१३१०	आर्मेटस	इटली
टाइप-राइटर	१८६८	शोल्स	सं० रा० अमेरिका
टेलिग्राफ, मैंगनेटिक	१८३२	मोरसे	सं० रा० अमेरिका
टेलिफोन	१८७६	वोल	सं० रा० अमेरिका
टेलिफोन एम्पलिफायर	१६१२	डीफोरेस्ट	सं० रा० अमेरिका
टेलिविजन	१६२६	वेयर्ड	स्कॉटलैंड
टेलिस्कोप, रिफ्रेक्टिव	१२५०	रोजर वेकन	इंगलैंड
टेलिस्कोप, रिफ्लेक्टिंग	१६८८	न्यूटन	इंगलैंड
टैंक, मिलिटरी	१६१४	स्विराटन	इंगलैंड

जो अटलांटिक, हिन्द और प्रशान्त महासागरों के तल में स्थित हैं। खोज से इस सिद्धान्त की सम्पुष्टि हुई कि ये सभी दरारें एक ही दरार के अंग हैं, जो सागर के तल में ४५,००० मील लंबी है।

स्क्रिप्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के डॉ० मिनर ने यह खोज की कि सम्भवतः करोड़ों वर्ष पूर्व कैलिफोर्निया से दूर-स्थित महासागर का धरातल एक भूकंपीय दरार के साथ-साथ खिसककर ५०० मील दूर हट गया। इस दरार के उत्तर में धरातल पश्चिम की ओर मुड़ गया, जबकि इसका दक्षिणी भाग पूर्व दिशा की ओर मुड़ा।

डॉ० मॉरिस इविंग के निर्देशन के अन्तर्गत कोलंबिया-विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टोली ने आस्ट्रेलिया के दक्षिण सुदूर महासागर में पानी के भीतर एक विस्फोटक धमाका उत्पन्न किया। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न ध्वनि पानी के नीचे प्रवाहित एक जलधारा के साथ-साथ अफ्रिका का चक्कर लगाती हुई अटलांटिक महासागर तक गई। धमाके से उत्पन्न ध्वनि विस्फोट-स्थल से १२ हजार मील दूर-स्थित बरमूडा में सुनी गई।

ब्रुकहैवन राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक नवीन अणुभंजक-यंत्र द्वारा प्रोटोन कणों को आघात पहुँचाकर ३०,००,००,००,००० इलेक्ट्रोन वोल्ट की शक्ति उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। यह यंत्र संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली अणुभंजक यंत्र है।

★

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
रिवॉल्वर	१८३०	कोल्ट	सं० रा० अमेरिका
रेकर्ड, डिस्क	१८६६	वर्लिनर	सं० रा० अमेरिका
रेडियो	१८६५	मारकोनी	इटली
रेडियो एक्टिविटी	१८६६	बेक्वेरेल	फ्रांस
रेडियो टेलिफोन	१६०६	डॉ० फोरेस्ट	सं० रा० अमेरिका
रेलवे, स्टीम	१८२५	स्टेफेन्सन	इंगलैंड
लाइनो-टाइप	१८८४	मर्गेन्थोलर	सं० रा० अमेरिका
लिथोग्राफी	१७६६	सेनेफेल्डर	
लैम्प-आर्क	१८७६	ब्रश	सं० रा० अमेरिका
लैम्प, मरकरी-भेपर	१६१२	ह्यूटिट	सं० रा० अमेरिका
लोकोमोटिव, फर्स्ट प्रैक्टिकल	१८२६	स्टेफेन्सन	इंगलैंड
लोकोमोटिव, स्टीम	१८०४	ट्रेविथिक	इंगलैंड
वाटर प्रूफिंग, रबर	१८२३	मकिनटोश	इंगलैंड
वायरलेस, टेलिफोन	१६०२	फेशनडेन	सं० रा० अमेरिका
वेल्डिंग इलेक्ट्रिक	१८७७	थोम्सन	सं० रा० अमेरिका
सबमेरिन	१८६१	हॉलैंड	सं० रा० अमेरिका
सिनेमेटोग्राफ	१८८६	फ्रीजी-ग्रीनी	इंगलैंड
सिनेमेटोग्राफ टॉकिंग	१६२७	सं० रा० अमेरिका	
सिमेन्ट, पोर्टलैंड	१८४५	आसपडिन	इंगलैंड
सीने की मशीन	१८३०	थिमीनर	फ्रांस
सेक्सटैरट	१५६०	ब्राही	जर्मनी
सेफ्टी-पिन	१८४६	हराट	सं० रा० अमेरिका
सेलुलॉयड	१८६५	पार्क्स	इंगलैंड
सोडा-वाटर	१६०७	थॉम्सन	इंगलैंड
स्टीम-इंजिन	१७६५	वाट	इंगलैंड
स्टीम-बोट	१८०७	फुलटन	सं० रा० अमेरिका
स्टील	१८५७	बिस्मेयर	इंगलैंड
स्टील, स्टेनलेस	१६१६	वियरली	इंगलैंड
स्पिनिंग जेनी	१७६०	हारग्रीव्स	इंगलैंड
हाइड्रोजन-बम	१६५०	अणु-बम के वैज्ञानिक	सं० रा० अमेरिका
आणविक कैलेण्डर	१६६०	डॉ० लिवी	सं० रा० अमेरिका
बबुल-चैम्बर	१६६०	डॉ० ग्लेसर	सं० रा० अमेरिका

★

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	दे[illegible]
टोकिंग मशीन	१८७७	एडिसन	सं० रा० अमेरि[illegible]
टोरपीडो	१८७०	व्हाइटहीड	इंगले[illegible]
ट्रैक्टर, कैटरपिलर	१९००	हॉल्ट	सं० रा० अमेरि[illegible]
डायनामाइट	१८६७	नोबेल	स्वि[illegible]
डायनेमो	१८३१	माइकेल फराडे	इंगलैं[illegible]
डिक्टाफोन	१८८५	सी० टेंटर	सं० रा० अमेरि[illegible]
डीज़ेल इंजिन	१८९५	डीज़ेल	जर्म[illegible]
थर्मामीटर	१७०१	[illegible]	फ्रा[illegible]
थर्मामीटर (एयर)	१५९३	गैलिलियो	इटल[illegible]
[illegible]	१८४५	[illegible]	स्विट्[illegible]
नायलोन	१९३७	[illegible]	सं० रा० अमेरिक[illegible]
न्यूमेटिक रबर-टायर	१८८८	डनलप	सं० रा० अमेरिक[illegible]
पावर-लूम	१७८५	कार्टराइट	इंगलैं[illegible]
पियानो	१७०९	क्रिस्टोफोरी	इटली
पेण्डुलम	१५८१	गैलिलियो	इटली
पैराशूट	१७८३	लिनोरमेंड	फ्रांस
प्रिंटिंग प्रेस रोटरी	१८४७	आर० हो०	सं० रा० अमेरिका
प्रिंटिंग, मूविबुल टाइप	१४४०	गुएटेनबर्ग	जर्मनी
फाउण्टेनपेन	१८८४	वाटरमैन	सं० रा० अमेरिका
फोटो-कलर	१८९१	लिपमैन	फ्रांस
फोटोग्राफी	१८१४	नीप्से	फ्रांस
फोटो-फिल्म	१८८८	ईस्टमैन गुडविन	सं० रा० अमेरिका
बाइसिकिल (मॉडर्न)	१८८४	स्टारले	इंगलैंड
बैकेलाइट	१९०७	बाएकलैंड	सं० रा० अमेरिका
बैरोमीटर	१६४३	टोरिसेली	इटली
बैलून	१७८३	मॉण्ट गोलफियर बन्धु	फ्रांस
मशीनगन	१८६२	गैटलिंग	सं० रा० अमेरिका
माइक्रोफोन	१८७७	बर्लिनर	सं० रा० अमेरिका
मोटर-कार-पेट्रोल	१८८७	डैमलर	जर्मनी
मोटर-साइकिल	१८८५	डैमलर	जर्मनी
मोनोटाइप	१८८७	लनस्टोन	सं० रा० अमेरिका
मूवी-प्रोजेक्टर	१८९४	जेनकिन्स	सं० रा० अमेरिका
मूवी-मशीन	१८९३	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
राइफल	१५२०	कोल्टर	जर्मनी
रेयन	१८८३	स्वान	इंगलैंड

विविध ज्ञातव्य बातें

भोजन के कुछ आवश्यक तत्त्व तथा उनकी प्राप्ति के साधन

क्षार, खनिज, चिकनई, लवण आदि—

तत्त्व	कार्य	प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन
प्रोटीन	पोषण करना, मांस बढ़ाना एवं उष्णता देना।	दाल, दूध, गोश्त, मछली, अंडे एवं तरकारियाँ।
स्टार्च (श्वेतसार)	शक्ति एवं उष्णता देना।	आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मकई, चीनी और गुड़।
चिकनई (फैट)	आवश्यक ताप और श्रम-शक्ति देना।	घी, मक्खन, तेल, चरबी।
खनिज लवण	पाचन-क्रिया में सहायता पहुँचाना, अस्थियों को मजबूत बनाना तथा रक्त को शुद्ध रखना।	अन्न, फल तथा साग-सब्जी।
कैलशियम	बच्चों की हड्डी बनाना, हृदय की क्रिया ठीक रखना, फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाना।	हरी तरकारियाँ, दाल, हरा साग, दूध, मोती का भस्म, आलू, सहिजन, सन्तरा, चौलाई, मेथी का साग, खजूर, अंजीर, अमरूद, कटहल, जामुन, किशमिश, इमली, बेर।
लोहा	रक्त-वर्द्धक।	मेथी, बथुआ और पालक का साग; मुनक्का, अंजीर, अनार, मसूर, मटर, गोभी, गाजर, प्याज, चुकन्दर, इमली, अमरूद, सेब, केला, अंगूर, कटहल, आम, ताड़, पपीता, नासपाती।
फास्फोरस	हड्डी बनाना, शरीर और दिमाग को पुष्ट करना।	ककड़ी, गाजर, मूली, दूध, फल, गोभी, सेम, बिना छँटा चावल, गेहूँ, सेब, केला, मकोय, खजूर, अजीर, कटहल, अमरूद, नींबू, नारंगी, ताड़, नासपाती, किशमिश, टमाटर, इमली, बेर, मास, मछली और अंडा।

प्रसिद्ध दूरवीक्षण-यंत्र

नाम	आकार (इंच में)	वेधशाला
पैलोमर	२००	माउण्ट पैलोमर (कैलिफोर्निया, सं० रा० अ०)
माउण्ट विल्सन	१००	पैसाडेना (कैलिफोर्निया, सं० रा० अमेरिका)
डनलप	७४	रिचमोंडहिल (कनाडा)
डोमिनियन एस्ट्रोफिज़िकल	७२	विक्टोरिया बी० सी० (कनाडा)
पर्किन्स	६९	डेलावर (सं० रा० अमेरिका)
हार्वर्ड	६१	हार्वर्ड (सं० रा० अमेरिका)
ब्लोएमफोन्टेन	६०	दक्षिण अफ्रिका
माउण्ट विल्सन	६०	पैसाडेना (सं० रा० अमेरिका)
कोर्डोबा	६०	अर्जेण्टाइना
यर्क्स	४०	विलियम्स बे (सं० रा० अमेरिका)
लिक	३६	माउण्ट हैमिल्टन (कैलिफोर्निया)
पेरिस यूनिवर्सिटी	३२$\frac{१}{५}$	मेउडन (फ्रांस)
एस्ट्रो-फिज़िकल	३१$\frac{१}{२}$	पोट्सडम (जर्मनी)
एलेग्नी	३०	पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका)
बिस्कोफ्शीम	३०	नाइस (फ्रांस)
पोलकोवा	३०	लेनिनग्राड (रूस)

★

विटामिन के नाम	कार्य	प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन
विटामिन सी	रक्त-शोधन, दाँत और मसूढ़े को मजबूत करना।	हरी पत्ती वाले साग, सन्तरा, नींबू, खट्टाफल, अंकुरित गेहूँ और चना, प्याज शलजम, अनानास, गाजर, अमरूद, पपीता, नासपाती।
विटामिन डी	हड्डी और मांसपेशियों को दृढ करना।	सूर्य-किरण, घी, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली और मछली के यकृत का तेल।
विटामिन ई	शुक्रदोष-नाशक, प्रजनन-शक्ति देना।	हरी पत्तीवाले साग, जैतून का तेल, नारियल का तेल, नारियल, गेहूँ का चोकर, सलाद, मक्खन, सूखा मांस, दूध।
विटामिन जी	चमड़े का रूखापन दूर करना।	कोमल साग-तरकारियाँ, ताजा फल, मसूर, मटर, गेहूँ, हाथ-छाँटा चावल, धारोष्ण दूध, ताजा मक्खन, अंडा।

कागज के आकार

फुलसकैप—१७" × १३½"
डबल फुलसकैप—२७" × १७"
क्राउन—२०" × १४"
डबल क्राउन—२०" × ३०"
डिमाई—२२" × १८" (२२½" × १७½" भी)
डबल डिमाई—२२" × ३६" (२२½" × ३५")
रायल—२६" × २०" (२५" × २०" भी)
सुपर रायल—२७½" × २०½"
मीडियम—२३" × १८"
एटलस—३४" × २६"
इम्परर—७२" × ४८" (सं० रा० अमेरिका में ४०" × ६०")

★

नाम	कार्य	प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन
गंधक	रक्त-शोधन, चर्मरोग निवारण।	मूली, प्याज, फूलगोभी, पात गो लालगोभी, शलजम, टमाटर।
पोटाशियम		गाजर, पालक, टमाटर, प्याज।
क्लोरिन	पाचन।	पालक, बथुआ, टमाटर, केला।
फ्लोरिन	नेत्रदोष-निवारण।	लहसुन, प्याज, पालक, गोभी, कु कॉडलिवर ऑयल, अंडे की जर्दी।
तांबा	पाचन-क्रिया में सहायता देना।	गाजर, मूली, फूलगोभी, शल प्याज, टमाटर, आलू, पालक।
मैगनिज	नपुंसकता-निवारण।	गेहूं का चोकर, चावल का कना।
सोडियम	पाचन।	सेंधा नमक, सोडा नमक, शा तरकारियाँ।
मैगनेशियम	स्नायुओं को सशक्त बनाना।	नींबू, अंजीर, ककड़ी, बादाम, पाल मूली, पातगोभी, गेहूं, अंडे की जर्दी।
आयोडिन	कोषों को चैतन्य रखना, बालों का पोषण करना।	ककड़ी, सेवार, झींगा मछली, का लिवर ऑयल, अनानास, लहसु सिंघाड़ा, कमलगट्टा, कसेरू।
सिलिकन	बालों को बढ़ाना एवं उन्हें सुन्दर और दृढ़ करना।	गेहूं, जौ, अंजीर, गोभी, पालक ककड़ी

विटामिन—

विटामिन का अन्वेषण सन १६१० ई० के लगभग सर फ्रेडरिक कोलैण्ड हॉपकिन्स ने किया। ये कई प्रकार के हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है—

विटामिन के नाम	कार्य	प्राप्ति के प्रमुख साधन
विटामिन ए	शरीर-पोषण, रोग निवारण, नेत्रज्योति-वर्द्धन।	दूध, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, पालक, गोभी, टमाटर, मूली, गाजर, नींबू, आलू चौराई साग, धनिया की पत्ती, सहिजन, पपीता, खजूर, कटहल, आम, नारंगी, बेल, जानवरों की चर्बी और यकृत।
विटामिन बी	पाचन-शक्ति बढाना।	बिना छाँटा चावल, चोकरदार आटा, दाल, खमीर, बथुआ, पालक, टमाटर, मूली, गोभी, शलजम, प्याज, गाजर, करमकल्ला।

स्वाधीन होने के वाद ही कागो के कटागा-अञ्चल ने केन्द्रीय शासन को अस्वीकार करते हुए अपनी संप्रभुता की घोषणा कर दी। इसके वाद वहाँ के वैधानिक प्रधान मंत्री लुमुम्बा को हटा कर मोवूतू नामक एक सामरिक अधिनेता ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। राष्ट्रपति कसावूबू और मोवूतू इन दोनों ने मिलकर देश को गृहयुद्ध की ओर ढकेल दिया। सयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से भी कागो की समस्या हल नहीं हो सकी है, बल्कि स्थिति और भी जटिल हो गई है। उत्तर अफ्रिका के फ्रास-अधिकृत देशों मे ट्युनिश और मोरक्को पहले ही स्वाधीन हो चुके हैं। किन्तु अलजीरिया का स्वाधीनता-संग्राम अभी तक चल रहा है और धन-जन की आहुति दी जा रही है। इस संग्राम को आरम्भ हुए सात साल हो गये। फ्रास के राष्ट्रपति जेनरल दगाल वहाँ के राष्ट्रवादियों को शान्त करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। दगाल स्वयं अलजीरिया गये हुए थे, किन्तु वहा के क्षुब्ध राष्ट्रवादियों का क्रुद्ध मनोभाव देखकर उन्हे अपनी यात्रा स्थगित करनी पडी। इस प्रकार सारे अफ्रिका महादेश में, जो अबतक सोया हुआ समझा जाता था, एक नव जागरण एवं आत्म-चेतना की लहर फैल गई है और वहाँ के अधिकाश देश विदेशी दासता से मुक्त हो चुके हैं।

इसी प्रकार की एक घटना दक्षिण अमेरिका के क्यूवा देश में भी घटित हुई है। जुलाई में वहाँ के प्रधान मंत्री कास्ट्रो ने सुरक्षा-परिषद् के पास अमेरिका के विरुद्ध एक पत्र भेजा। इसके वाद ही उन्होंने तेल के दो शोधनागारों पर अधिकार कर लिया। इन दोनों पर अमेरिका का मालिकाना हक था और उसके द्वारा ही वे परिचालित हो रहे थे। इसके वाद एक ब्रिटिश तेल-शोधनागार का भी उन्होंने राष्ट्रीयीकरण कर दिया। इससे अमेरिका की कोपदृष्टि क्यूवा के ऊपर पडी। किन्तु उधर ख्रुश्चेव ने क्यूवा को अभयदान का आश्वासन दिया। इससे मामला आगे नहीं वढा। किन्तु, अमेरिका के साथ कटुता एवं मनोमालिन्य वना ही हुआ है। अमेरिका के प्रभाव पर क्यूवा की घटना के कारण आघात अवश्य पहुँचा है।

इथोपिया में सम्राट् हेलसेलासी की अनुपस्थिति में एक विद्रोह खड़ा हो गया। आरम्भ में यह वताया गया कि इस विद्रोहके पीछे युवराज का हाथ है, किन्तु बाद में पता चला कि विद्रोहियों ने स्वार्थ-साधन के लिए जान-बूझकर युवराज के नाम को विद्रोह के साथ जोड़ दिया है। विद्रोह का सर्वथा दमन कर दिया गया और विद्रोहियों को कडा दण्ड दिया जा रहा है।

१५ दिसम्बर को नेपाल-नरेश ने सहसा शासन-भार अपने हाथ में ले लेने और वहाँ के विधान-मण्डल को भंग कर देने की घोषणा की। प्रधान मंत्री तथा अन्य कई मंत्री गिरफ्तार कर लिये गये। २६ दिसम्बर को उन्होंने एक परामर्शदात्री मंत्रिपरिषद् का गठन किया। बेलजियम मे भी देशव्यापी हड़ताल कई दिनों तक चलती रही।

१० नवम्बर को अमेरिका के राष्ट्रपति-पद पर वहाँ के डिमोक्रेटिक दल के उम्मीदवार श्रीजान कनेडी का निर्वाचन एक उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण घटना है। गत आठ वर्षों से अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ के रिपब्लिकन दल के श्रीआइसन हावर थे। जॉन कनेडी की आयु ४३ वर्ष की है और वे रोमन कैथोलिक धर्म-सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। पाश्चात्य शक्ति-समूह मे अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली है, और इस दल का प्रमुख प्रवक्ता है। इसलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

सोवियत प्रधानमंत्री श्रीख्रुश्चेव ने जॉन कनेडी के निर्वाचन पर मुक्त हृदय से उनका अभिनन्दन किया है और यह आशा प्रकट की है कि 'राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के शासन-कार्य

अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक समीक्षा

अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में १६६० ई० का वर्ष विश्व के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। चिन्ता एवं उद्विग्नता में यह वर्ष व्यतीत हुआ। तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ने की आशंका कई घटनाओं को लेकर उत्पन्न होती रही, किन्तु महाशक्तियों की दूरदर्शिता के कारण वह आशंका टल गई। १६६० ई० के आरंभ में रूस-यात्रा का आमंत्रण राष्ट्रपति आइजन हावर ने स्वीकार कर लिया था, जिससे यह आशा की जाने लगी थी कि दो शक्तिशाली शिविरों के बीच शीतयुद्ध का तनाव दूर हो जायगा और १६ मई को होनेवाला शिखर-सम्मेलन सफल होगा। किन्तु, इससे पहले ही ६ मई को अमेरिका का जासूसी वायुयान यू-२ रूस द्वारा गिरा दिया गया और उसका चालक जो जीवित रह गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके फलस्वरूप दोनों देशों में तनातनी बहुत बढ़ गई। ख्रुश्चेव ने यह घोषणा की कि वे शिखर-सम्मेलन में तबतक सम्मिलित नहीं होंगे, जबतक अमेरिका अपनी उक्त कार्रवाई के लिए पश्चात्ताप न करे। निर्दिष्ट तिथि को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधान शिखर-सम्मेलन में सम्मिलित हुए, किन्तु रूस की अनुपस्थिति के कारण सम्मेलन विफल रहा। ख्रुश्चेव ने यह भी घोषणा की कि अमरीकी राष्ट्रपति को रूस-भ्रमण का जो आमंत्रण दिया गया, उसे वह वापस लेते हैं। जासूसी वायुयान के चालक फ्रान्सिस पावर्स पर मुकदमा चलाकर उसे आजीवन कारावास का दण्ड मिला। इन सब कारणों से दो शक्ति-शिविरों के बीच राजनीतिक द्वन्द्व और भी उग्रतर हो उठा। अप्रैल में सिंगमैनरी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति-पद से च्युत हुए।

मई में, तुर्की में पहले छात्र-विद्यार्थियों का बाद में सेना का, विद्रोह हुआ तथा राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री अपने पदों से हटाकर बन्दी बना लिये गये।

जापान में छात्र-समाज का विद्रोह हुआ और जुलाई में प्रधान मंत्री किशी को राष्ट्रपति आइसन हावर को आमंत्रित करने के कारण छुरे से आक्रमण करके घायल कर दिया गया। किशी-सरकार का पतन हुआ। जापान के वामपंथियों ने अमेरिका-जापान की सुरक्षा-सन्धि का इतना प्रबल विरोध किया कि राष्ट्रपति आइसन हावर को अपनी प्रस्तावित जापान-यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी।

लंका में डडले सेनानायक की सरकार का पतन हुआ और उसके बाद वहाँ आम चुनाव हुआ। श्रीमती सिरीमाओ भंडारनायक को प्रधान मंत्री का पद मिला।

दक्षिणी अफ्रिका में रंग-भेद की नीति के कारण वहाँ के अश्वेताङ्ग निवासियों में उत्तेजना बनी रही। वहाँ के गोरे प्रधान मंत्री पर एक गोरे ने ही गोलियाँ चलाईं।

सन् १६६० ई० की अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं में अफ्रिका महादेश का अभ्युत्थान एक उल्लेखनीय घटना है। नाइजीरिया, कैमरून्स, माली प्रजातंत्र, मडागास्कर, कांगो आदि देश स्वाधीन हुए। इससे पहले घाना स्वाधीन हो चुका था। सन् १६६० के जुलाई माह में घाना में जनतंत्र की स्थापना हुई और वहाँ के राष्ट्रपति नकुमा के नेतृत्व में सर्व-अफ्रिका जातीय संघ के रूप में एक आदर्श की भित्ति प्रतिष्ठित हुई। माली प्रजातंत्र गृह-विवाद के कारण दो भागों में बँट गया और एक देश के बदले वहाँ दो स्वाधीन देश हो गये। कांगो की अवस्था बड़ी शोचनीय रही।

के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। पृथक् रूप में अफ्रिका के किसी राष्ट्र की सुरक्षा विपन्न होने पर उसकी सहायता की जायगी। अफ्रिका के समस्त राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग तथा विभिन्न देशों की राजधानियों के मध्य डाक और तार सम्बन्ध-स्थापन का निश्चय भी एक संकल्प के द्वारा किया गया है। अफ्रिका के समस्त राष्ट्रों के बीच सम्पर्क-स्थापन के लिए एक विशेष कार्यालय एवं एक विशेष कर्मचारी नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अफ्रिका के समस्त राष्ट्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कासाब्लाका-सम्मेलन के साथ सहयोग-स्थापन करें और अफ्रिका की एकता की रक्षा मे सहायता प्रदान कर समग्र अफ्रिका की स्वाधीनता के कार्य में क्रियात्मक अंश ग्रहण कर लें। गत द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम वर्ष, १९४५ ई० में जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अमरीकी सेना की ओर से अणुबम गिराये गये थे। जापानियो की ओर से बताया गया था कि इसके फलस्वरूप हिरोशिमा मे हताहतों की संख्या ४००,००० थी, जिसमे मृत २५०,००० थे। अमेरिका की ओर से हताहतों की संख्या की जाँच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। उसकी ओर से यह घोषणा की गई है कि १९४५ के आणविक विस्फोट मे हिरोशिमा में ७८,४०० जापानी मरे। हताहतों की कुल संख्या १४४,००० थी। नागासाकी मे कुल ५१,७७० हताहत हुए, जिनमे मृतकों की संख्या १५,२२० थी।

लाओस—सन् १९५४ ई० में जेनेवा-इकरारनामे के अनुसार हिन्द चीन फ्रांस के साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुआ। उस समय कंबोडिया, लाओस और वीतनाम इन तीन राष्ट्रों का जन्म हुआ। वीतनाम के उत्तरांश और लाओस के उत्तर में अवस्थित दो अञ्चल (पैथेट लाओस) मूल भूखण्ड से पृथक् हो गये और उत्तर वीतनाम के रूप में हो-ची-मिन द्वारा शासित एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट-राष्ट्र की प्रतिष्ठा हुई। पैथेट लाओस भी एक कम्युनिस्ट-अञ्चल के रूप में अपनी स्वतंत्र सत्ता की रक्षा करता आ रहा है। इस समय लाओस को लेकर जो अशान्ति उत्पन्न हो गई है, उसका कारण है लाओस पर पैथेट लाओस के साथ उत्तर वीतनाम का आक्रमण और उसके पीछे चीन और रूस का हाथ तथा दूसरी ओर लाओस तथा थाइलैंड, वर्मा और दक्षिण वीतनाम आदि कम्युनिस्ट देशो की रक्षा के सम्बन्ध में अमेरिका की चिन्ता। गत वर्ष अगस्त महीने में कैप्टन कं ले नामक एक सामयिक अधिनेता ने लाओस की राजधानी वियनटाने पर अधिकार कर लिया और वहाँ की फूमिनौसावन की सरकार को उखाड फेंका, इसके साथ ही उसने सोवन्नाफूमि के नेतृत्व मे एक तटस्थ सरकार की स्थापना की। फूमि की सरकार को कम्यूनिस्ट देशो ने मान लिया। अमेरिका प्रति वर्ष २४ करोड़ रुपया लाओस को सहायता के रूप मे प्रदान कर रहा था। अमेरिका के समर्थन से फूमिनौसावन का पुन आविर्भाव हुआ और गत तीन सप्ताहो में राजधानी वियनटाने में उसके रक्षणाधीन युवराज वोन ओम ने प्रधान मंत्री के रूप मे गद्दी पर दखल जमा लिया है। सोवन्नाफूमि इस समय कंबोडिया मे आश्रित हैं और कं ले कम्युनिस्टों के साथ मिल गये हैं। इसके बाद ही वहाँ लड़ाई आरम्भ हो गई है—कम्युनिस्टों और गैर-कम्युनिस्टों में। एक के पक्ष मे चीन तथा रूस और दूसरे के पक्ष मे अमेरिका है।

लाओस की समस्या के समाधान के लिए कम्बोडिया ने प्रस्ताव किया है कि चौदह राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाय। ख्रुश्चेव, दगाल और हो-ची-मिन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव मे कहा गया है कि एशिया के किसी तटस्थ देशों मे यह सम्मेलन बुलाया जाय और सन १९५४ ई० मे जेनेवा-इकरारनामे पर जिन राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे, उनके अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय

काल में जिस प्रकार अमेरिका और रूस के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ था, उसी प्रकार आपके शासन काल में भी यह सम्पर्क क्रमशः घनिष्ठ होता जायगा। केवल रूस और अमेरिका के जनगण के मौलिक स्वार्थ की दृष्टि से ही यह आवश्यक नहीं है, बल्कि सारी मनुष्य-जाति तृतीय महायुद्ध की आशंका से परित्राण पाने के लिए जो आन्तरिक इच्छा प्रकट कर रही है, उस वृहत्तर स्वार्थ के लिए यह आवश्यक है। संसार के शान्तिकामी लोगों की दृष्टि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस पर निबद्ध है। कारण, इन दो राष्ट्रों के पारस्परिक संपर्क पर ही मुख्यतः विश्वशान्ति का भाग्य निर्भर करता है।' गत २० जनवरी को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कनेडी ने कार्य-भार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने जो आनुष्ठानिक भाषण किया है, उसमें उन्होंने स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन, दरिद्रता, रोग एवं युद्ध के विरुद्ध संग्राम में प्रवृत्त होने की दृढ़ता प्रकट की है। आपस की बातचीत द्वारा शान्ति की नीति का पूर्णतः समर्थन किया है। उन्होंने यह दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है— "प्रत्येक राष्ट्र को चाहे वह हमारा शुभकामी हो या अशुभकामी यह जान लेना चाहिए कि स्वतंत्रता के ऊपर जीवन और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम किसी भी मूल्य को चुकाने, किसी भी भार को वहन करने, किसी भी कठिनाई का सामना करने और किसी भी मित्र का समर्थन करने या किसी भी शत्रु का विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे।"

नवम्बर में सोवियत रूस की राजधानी मास्को में ८१ कम्युनिस्ट और श्रमजीवी दलों का एक गुप्त सम्मेलन तीन सप्ताह तक चलता रहा। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इससे पहले कम्युनिस्टों का इतना बड़ा शीर्ष-सम्मेलन कभी नहीं हुआ था। समाचार-पत्रों में सम्मेलन का जो संक्षिप्त कार्य-विवरण प्रकाशित हुआ है, उससे पता चलता है कि सम्मेलन के घोषणा-पत्र में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि युद्ध घातक रूप में अवश्यम्भावी नहीं है और कम्युनिस्ट देश लेनिन के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और कम्युनिस्ट तथा पूँजीवादी देशों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता के सिद्धान्त का अनुसरण करेंगे।

घोषणा-पत्र में कहा गया है कि कम्युनिस्ट देशों को विश्वव्यापी आणविक युद्ध से मानवता की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। 'साम्राज्यवादियों की ओर से प्रथमाक्रमण के जो कार्य हों, उनका प्रतिरोध जनसंग्रामों द्वारा किया जाय।' वर्गयुद्ध-श्रेणी-संग्राम, राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम तथा श्रमजीवियों के सामाजिक अधिकारों के विस्तार के लिए जोर संग्राम चला जाय, उसमें सम्मिलित भाव से कार्य करने पर घोषणा-पत्र में जोर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि युद्ध पूँजीवाद का अटल सहचर है और जबतक साम्राज्यवाद का अस्तित्व है, प्रथमाक्रमण-युद्ध के लिए भूमि तैयार होती रहेगी।

सन् १९६१ ई० के जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह मे मोरक्को के कासाब्लाका नगर में अफ्रिका के ६ राष्ट्रों के प्रधान तथा लंका और अलजीरिया की सामरिक (विद्रोही) सरकार के प्रतिनिधि एक सम्मेलन में उपस्थित हुए। चार दिनों तक यह सम्मेलन चलता रहा। सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में वाण्डुंग सम्मेलन की नीति मे दृढ विश्वास प्रकट किया गया है और संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की गई है। जो सब प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, उनमें सबसे बढकर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव वह है, जिसमें एक संयुक्त सामरिक परिचालक-मण्डली गठित करने की बात कही गई है। समय-अफ्रिका के स्वाधीन राष्ट्रों के सेनापतियो को लेकर यह परिचालक-मण्डली गठित होगी। समय समय पर इसके अधिवेशन होंगे, जिनमें अफ्रिका की सामूहिक सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था

जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रवादी दल फ्रास के साथ बातचीत करने के लिए इस शर्त पर तैयार है कि अलजीरिया की जनता के साथ स्वतंत्र रूप मे परामर्श किया जाय। उक्त दल का यह तर्क है कि स्वभाग्य-निर्णय की जो योजना है और जिसे कार्यान्वित करने के लिए फ्रास प्रतिज्ञाबद्ध है, उसका कार्यान्वयन उचित रूप से होना चाहिए। इसके लिए ऐसी अवस्थाओं की सृष्टि की जाय, जो निर्विवाद हो और यह काम या तो संयुक्त राष्ट्र का कोई अभिकरण करे अथवा फ्रास की सरकार और अलजीरिया के राष्ट्रवादी दल के बीच प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा ही। राष्ट्रवादी दल ६,७ और ८ जनवरी की जनमत-गणना का निर्वाचन इस रूप में करता है कि उसके द्वारा यह अलजीरिया की समस्या का बातचीत द्वारा समाधान हो, इसके पक्ष मे मत दिया गया है। अलजीरिया के ऊपर किसी प्रकार की राजनीतिक स्थिति लादने का हठ फ्रास न करे। इस प्रकार, अलजीरिया की स्थायी सरकार ने अलजीरिया की समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण और आपस की बातचीत द्वारा हो, इस सम्बन्ध में अपनी जो इच्छा प्रकट की है, उससे अलजीरिया की समस्या का एक नया क्रम आरम्भ होता है। अलजीरिया को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार दिया जाय, यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है। अब मतभेद केवल इस बात का है कि स्वभाग्य-निर्णय तक पहुँचने की प्रणाली क्या हो?

१३ फरवरी, १९६१ को प्राधिकृत रूप में कटंगा (कागो) के मन्त्री ने यह सूचना प्रसारित की कि कागो के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पेट्रिस लुमुम्बा एक दिन पहले कटंगा के एक छोटे गॉव के निवासियों द्वारा मार डाले गये। उनके साथ ही उनके दो साथी, सेफ ओकिटो कागो, सिनेट के भूतपूर्व उपसभापति और मौरिस मपलो, भूतपूर्व मन्त्री भी मार डाले गये।

लुमुम्बा एक डाकिया की साधारण स्थिति से स्वतन्त्र कागो के प्रधान मन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। मृत्यु-काल में उनकी अवस्था केवल ३६ वर्ष की थी।

सन् १९५८ ई० के दिसम्बर में उन्होंने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया था। सन् १९६० ई० के जनवरी में उन्हें कैद की सजा दी गई, मगर फौरन ही माफ कर दी गई। इसके बाद वे बेलजियम की राजधानी ब्रुसेल्स में होनेवाली गोलमेज कान्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए गये। उस कान्फ्रेन्स में कागो को सन् १९६० ई० के जून मे पूर्ण स्वाधीनता देने का निर्णय किया गया।

कागो के स्वतन्त्र होने पर लुमुम्बा वहाँ के प्रधान मन्त्री बने। इसी समय जोसेफ कसावुवू स्वतन्त्र कागो के प्रथम राष्ट्रपति हुए।

लुमुम्बा के प्रधानमन्त्रित्व में देश मे हिंसात्मक उपद्रव हुए और बेलजियम से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया। लुमुम्बा ने यूरोप और अमेरिका की यात्रा की और नवीन स्वतन्त्र राष्ट्र कागो के लिए सहायता की याचना की। विदेश-यात्रा से लौटकर उन्होंने राष्ट्रपति के साथ अपने देश का दौरा किया। इसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए कागो मे शान्ति की स्थापना हुई। कागो के एक प्रदेश कटंगा ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी थी। लुमुम्बा ने इस बात की चेष्टा की कि कटगा संयुक्त कागो प्रजातन्त्र के केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रहे। राष्ट्रपति कसावुवू के साथ झगड़ा हो जाने के कारण ६ सितम्बर को राष्ट्रपति ने लुमुम्बा को प्रधान मन्त्री के पद से च्युत कर दिया और उनके निजी वासस्थान लियोपोल्डविल मे उन्हे लगभग दो महीने तक नजरबन्द रखा। २ दिसम्बर को लुमुम्बा अपने वासस्थान से कड़ा पहरा होने के बावजूद भाग

[illegible] —[illegible], [illegible], [illegible] और [illegible] के पड़ोसी तीन [illegible], [illegible] और [illegible]—[illegible] सम्मेलन में भाग लें। रूस ने केवल प्रस्ताव का समर्थन ही नहीं [illegible], [illegible] कि सम्मेलन [illegible] में हो। भारत [illegible] कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश सरकार [illegible]।

अलजीरिया—[illegible] फ्रांसीसी उपनिवेश है। उत्तर अफ्रिका क[illegible] और [illegible] मोरक्को और ट्युनिसिया फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त हो चुके हैं। किन्तु, [illegible] धारण कर ली है। यहा के अधिवासियों म[illegible] लाख मुसलमानों के [illegible] १० लाख फ्रांसीसी कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं। [illegible] और [illegible] में उनकी प्रधानता है। मोरक्को और ट्युनिसिया की तरह अलजीरिया के स्वाधीन हो जाने पर वाणिज्य-व्यवसाय पर फ्रांसीसियों का पूर्ण अधिकार नहीं रह जायगा।

सन् [illegible] ई० की पहली नवम्बर को अलजीरिया के स्वाधीनताकामी राष्ट्रवादियों ने अलजीरिया में फ्रांसीसी [illegible] के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। वही युद्ध अवतक चल रहा है। इस राष्ट्रवादी दल का नाम है 'नेशनल लिवरेशन फ्रण्ट', अर्थात् राष्ट्रीय मुक्ति-मोर्चा। उसके नेता अब्बास फरहात हैं। स्वदेश से भागकर उन्होंने ट्युनिसिया में एक अस्थायी सरकार का गठन किया है। संयुक्त अरब राष्ट्र की ओर से इस अस्थायी सरकार को पूरी सहायता मिल रही है। अब्बास पिकिंग और मास्को गये हुए थे। चीन और रूस से भी उन्हें सहायता का आश्वासन मिला है। उसके फलस्वरूप अलजीरिया की समस्या ने अन्तरराष्ट्रीय द्वन्द्व का रूप धारण कर लिया है। फ्रांस नाटो (N.A.T.O) नागरिक सन्धि संगठन का एक सदस्य है और ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ मैत्री-सम्बन्ध में आबद्ध है। इसलिए, वहा की समस्या विश्व-शान्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है। ऐसी अवस्था में ही 'अलजीरिया अलजीरियावासियों के लिए' इस नीति की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल ने की। इससे वहा के मुसलमान प्रसन्न हुए, किन्तु फ्रांसीसी क्रुद्ध हो उठे। गत दिसम्बर मास में राष्ट्रपति दगाल अलजीरिया गये और वहाँ से लौटकर अलजीरिया के प्रश्न पर अलजीरिया तथा फ्रांस का जनमत ग्रहण करने का प्रस्ताव किया। जनमत ग्रहण किये जाने पर डेढ़ करोड़ मनुष्यों ने अलजीरिया में स्वायत्त-शासन स्थापित होने के पक्ष में वोट दिये, ५० लाख मनुष्यों के विपक्ष में वोट दिये और ६० लाख मनुष्यों ने वोट नहीं दिये। इस प्रकार, 'अलजीरिया अलजीरियावासियों के लिए' दगाल की इस नीति के पक्ष में अधिकांश मत आये और फल उनके अनुकूल हुआ। अब्बास ने दगाल के प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया और अपने अनुयायियों को वोट नहीं देने का आदेश दिया। इसलिए मत-ग्रहण के बाद भी अब्बास के राष्ट्रवादी दल का मुक्ति-संग्राम बन्द होगा या नहीं यह कहना कठिन है। दगाल द्वारा प्रस्तावित स्वायत्त-शासन लाभ करने पर भी अलजीरिया पूर्ण स्वाधीन नहीं होगा। फ्रांस का किसी-न-किसी रूप में उस पर आधिपत्य बना ही रहेगा। इस स्थिति में भी वहाँ के फ्रांसीसी अधिवासियों को अरबी मुसलमानों का कर्तृत्व मानकर चलना ही होगा। इसलिए, उनका रुख क्या होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी, ऐसा अनुमान होता है कि अलजीरिया निकट भविष्य में ही स्वायत्त-शासनभोगी राष्ट्र के रूप में परिणत होगा। इधर अब्बास की अस्थायी सरकार ने एक वक्तव्य

जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रवादी दल फ्रांस के साथ बातचीत करने के लिए इस शर्त पर तैयार है कि अलजीरिया की जनता के साथ स्वतंत्र रूप में परामर्श किया जाय। उक्त दल का यह तर्क है कि स्वभाग्य-निर्णय की जो योजना है और जिसे कार्यान्वित करने के लिए फ्रांस प्रतिज्ञाबद्ध है, उसका कार्यान्वयन उचित रूप से होना चाहिए। इसके लिए ऐसी अवस्थाओं की सृष्टि की जाय, जो निर्विवाद हों और यह काम या तो संयुक्त राष्ट्र का कोई अभिकरण करे अथवा फ्रांस की सरकार और अलजीरिया के राष्ट्रवादी दल के बीच प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा ही। राष्ट्रवादी दल ६,७ और ८ जनवरी की जनमत-गणना का निर्वाचन इस रूप में करता है कि उसके द्वारा यह अलजीरिया की समस्या का बातचीत द्वारा समाधान हो, इसके पक्ष में मत दिया गया है। अलजीरिया के ऊपर किसी प्रकार की राजनीतिक स्थिति लादने का हठ फ्रांस न करे। इस प्रकार, अलजीरिया की स्थायी सरकार ने अलजीरिया की समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण और आपस की बातचीत द्वारा हो, इस सम्बन्ध में अपनी जो इच्छा प्रकट की है, उससे अलजीरिया की समस्या का एक नया क्रम आरम्भ होता है। अलजीरिया को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार दिया जाय, यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है। अब मतभेद केवल इस बात का है कि स्वभाग्य-निर्णय तक पहुँचने की प्रणाली क्या हो?

१३ फरवरी, १९६१ को प्राधिकृत रूप में कटंगा (कांगो) के मन्त्री ने यह सूचना प्रसारित की कि कांगो के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पेट्रिस लुमुम्बा एक दिन पहले कटंगा के एक छोटे गाँव के निवासियों द्वारा मार डाले गये। उनके साथ ही उनके दो साथी, सेफ ओकिटो कांगो, सिनेट के भूतपूर्व उपसभापति और मौरिस मपलो, भूतपूर्व मन्त्री भी मार डाले गये।

लुमुम्बा एक डाकिया की साधारण स्थिति से स्वतन्त्र कांगो के प्रधान मन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। मृत्यु-काल में उनकी अवस्था केवल ३६ वर्ष की थी।

सन् १९५८ ई० के दिसम्बर में उन्होंने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया था। सन् १९६० ई० के जनवरी में उन्हें कैद की सजा दी गई, मगर फौरन ही माफ कर दी गई। इसके बाद वे बेलजियम की राजधानी ब्रूसेल्स में होनेवाली गोलमेज कान्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए गये। उस कान्फ्रेन्स में कांगो को सन् १९६० ई० के जून में पूर्ण स्वाधीनता देने का निर्णय किया गया।

कांगो के स्वतन्त्र होने पर लुमुम्बा वहाँ के प्रधान मन्त्री बने। इसी समय जोसेफ कसावुबू स्वतन्त्र कांगो के प्रथम राष्ट्रपति हुए।

लुमुम्बा के प्रधानमन्त्रित्व में देश में हिंसात्मक उपद्रव हुए और बेलजियम से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया। लुमुम्बा ने यूरोप और अमेरिका की यात्रा की और नवीन स्वतन्त्र राष्ट्र कांगो के लिए सहायता की याचना की। विदेश-यात्रा से लौटकर उन्होंने राष्ट्रपति के साथ अपने देश का दौरा किया। इसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए कांगो में शान्ति की स्थापना हुई। कांगो के एक प्रदेश कटंगा ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी थी। लुमुम्बा ने इस बात की चेष्टा की कि कटंगा संयुक्त कांगो प्रजातन्त्र के केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रहे। राष्ट्रपति कसावुबू के साथ झगड़ा हो जाने के कारण ६ सितम्बर को राष्ट्रपति ने लुमुम्बा को प्रधान मन्त्री के पद से च्युत कर दिया और उनके निजी वासस्थान लियोपोल्डविल में उन्हें लगभग दो महीने तक नजरबन्द रखा। २ दिसम्बर को लुमुम्बा अपने वासस्थान से कड़ा पहरा होने के बावजूद भाग

किये गये-आयोग के तीन सदस्य राष्ट्र—भारत, पोलैण्ड, कनाडा और लाओस के पड़ोसी तीन देश [illegible]—इस सम्मेलन में भाग लें। रूस ने केवल प्रस्ताव का समर्थन ही नहीं किया है [illegible] कि सम्मेलन कम्बोडिया में हो। भारत अन्तरराष्ट्रीय [illegible] को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के आश्वासनों [illegible]।

अलजीरिया—अलजीरिया उत्तर अफ्रिका का एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। उत्तर अफ्रिका के दो और उपनिवेश मोरक्को और ट्यूनीशिया फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त हो चुके हैं। किन्तु, अलजीरिया की समस्या अनेक कारणों से जटिल रूप धारण कर रही है। यहाँ के अधिवासियों में ९० लाख मुसलमानों के अलावा प्रायः १० लाख फ्रांसीसी कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं। [illegible] और वाणिज्य के क्षेत्र में उनकी प्रधानता है। मोरक्को और ट्युनिसिया की तरह अलजीरिया के पूर्ण स्वाधीन होने पर वाणिज्य-व्यापार पर फ्रासीसियों का पूर्ण अधिकार नहीं रह जायगा।

सन् १९५४ ई० की पहली नवम्बर को अलजीरिया के स्वाधीनताकामी राष्ट्रवादियों ने अलजीरिया में फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। वही युद्ध अबतक चल रहा है। इस राष्ट्रवादी दल का नाम है 'नेशनल लिवरेशन फ्रण्ट', अर्थात् राष्ट्रीय मुक्ति-मोर्चा। इसके नेता अब्बास फरहात हैं। फ्रांस से भागकर उन्होंने ट्युनिसिया में एक स्थायी सरकार का गठन किया है। संयुक्त अरब राष्ट्र की ओर से इस अस्थायी सरकार को पूरी सहायता मिल रही है। अब्बास पिकिंग और मास्को गये हुए थे। चीन और रूस से भी उन्हें सहायता का आश्वासन मिला है। इसके फलस्वरूप अलजीरिया की समस्या ने अन्तरराष्ट्रीय द्वन्द्व का रूप धारण कर लिया है। फ्रांस नाटो (N.A.T.O) सामरिक सन्धि संगठन का एक सदस्य है और ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ मैत्री-सम्बन्ध में आबद्ध है। इसलिए, यहाँ की समस्या विश्व-शान्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है। ऐसी अवस्था में ही 'अलजीरिया अलजीरियावासियों के लिए' इस नीति की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल ने की। इससे वहाँ के मुसलमान प्रसन्न हुए, किन्तु फ्रासीसी क्रुद्ध हो उठे। गत दिसम्बर मास में राष्ट्रपति दगाल अलजीरिया गये और वहाँ से लौटकर अलजीरिया के प्रश्न पर अलजीरिया तथा फ्रांस का जनमत ग्रहण करने का प्रस्ताव किया। जनमत ग्रहण किये जाने पर डेढ़ करोड़ मनुष्यों ने अलजीरिया में स्वायत्त-शासन स्थापित होने के पक्ष में वोट दिये, ५० लाख मनुष्यों के विपक्ष में वोट दिये और ६० लाख मनुष्यों ने वोट नहीं दिये। इस प्रकार, 'अलजीरिया अलजीरियावासियों के लिए' दगाल की इस नीति के पक्ष में अधिकांश मत आये और फल उनके अनुकूल हुआ। अब्बास ने दगाल के प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया और अपने अनुयायियों को वोट नहीं देने का आदेश दिया। इसलिए मत-ग्रहण के बाद भी अब्बास के राष्ट्रवादी दल का मुक्ति-संग्राम बन्द होगा या नहीं यह कहना कठिन है। दगाल द्वारा प्रस्तावित स्वायत्त-शासन लाभ करने पर भी अलजीरिया पूर्ण स्वाधीन नहीं होगा। फ्रांस का किसी-न-किसी रूप में उस पर आधिपत्य बना ही रहेगा। इस स्थिति में भी वहाँ के फ्रासीसी अधिवासियों को अरबी मुसलमानों का कर्त्तृत्व मानकर चलना ही होगा। इसलिए, उनका रुख क्या होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी, ऐसा अनुमान होता है कि अलजीरिया निकट भविष्य में ही स्वायत्त शासनभोगी राष्ट्र के रूप में परिणत होगा। इधर अब्बास की अस्थायी सरकार ने एक वक्तव्य

सन् १९५८ ई० के आरम्भ तक क्यूबा की अधिकांश जनता बटिस्टा के शासन के विरुद्ध मनोभाव धारण करने लगी थी। बटिस्टा के विरुद्ध क्रान्ति करने की तैयारी गुप्त रूप से होने लगी। कैस्ट्रो को अमेरिका तथा अन्य कई देशों से सहायता मिलने लगी। बटिस्टा की सरकार ने इसका प्रतिवाद किया। दूसरी ओर कास्ट्रो के पक्षवालों ने भी यह अभियोग लगाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अगणतान्त्रिक अधिनायकतंत्र का समर्थन कर रहा है। उनका एक अभियोग यह भी था कि अमेरिका बटिस्टा की सरकार को अस्त्रों से सहायता पहुँचा रहा है।

बटिस्टा को क्यूबा के सुसंगठित कम्युनिस्ट दल का भी निष्क्रिय समर्थन प्राप्त था। आगे चलकर १९५८ ई० के मध्य में कम्युनिस्ट दल ने अपनी नीति में परिवर्त्तन करने का संकेत किया। सेना में भी कुछ लोग कास्ट्रो के पक्ष में हो गये। सरकारी पदाधिकारी बटिस्टा की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। १ जनवरी, १९५९ को बटिस्टा भाग गये और कर्नल रेमन बारक्विन नामक एक सैनिक ने क्यूबा की सेनाओं पर अधिकार कर लिया। उसने कास्ट्रो को हवाना बुला भेजा। २ जनवरी को कास्ट्रो ने सेंटियागो में एक अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। इसके राष्ट्रपति एक भूतपूर्व न्यायाधीश हुए। स्वयं कास्ट्रो क्यूबा की सेना के अधिपति बने। ८ जनवरी को कास्ट्रो अपने दल-बल के साथ हवाना पहुँचे। क्यूबा की जनता ने उनके स्वागत में आनन्द मनाया। लोगों ने समझा कि गणतान्त्रिक क्रान्ति सफल हुई और स्थायी सरकार कायम हुई।

कुछ ही समय के बाद कास्ट्रो के दल में अमेरिका के विरुद्ध अत्यन्त कटु मनोभाव प्रकट किया जाने लगा। कई स्थानों में स्वयं कास्ट्रो ने अमेरिका के विरुद्ध विष वमन किया। कुछ नेता-जो कास्ट्रो की सेना के साथ मिलकर लड़े थे, देश छोड़कर मध्य अमेरिका चले गये। उसी वर्ष कास्ट्रो अमेरिका गये। वहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ। लौटकर जब वह स्वदेश आये, तब उन्होंने कृषि सुधार-सम्बन्धी एक कानून जारी किया। इस कानून से क्यूबा के अमेरिकी भू-स्वामियों के स्वार्थ पर आघात पहुँचता था। अमेरिका की ओर से इस सम्बन्ध में एक पत्र भेजा गया, जिसका उत्तर कास्ट्रो ने अपशब्दों में दिया। क्यूबा के कितने ही लोग कास्ट्रो के शासन से रुष्ट होकर अमेरिका चले आये और उन्होंने जोर के साथ यह कहना शुरू किया कि कास्ट्रो के शासन के पीछे कम्युनिस्टों का हाथ है। किन्तु, कास्ट्रो बराबर यह अस्वीकार करते रहे हैं कि कम्युनिस्टों के साथ उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य भी नहीं हैं।

एक वर्ष के बाद रूस से मिकोयन क्यूबा आये। १९६० ई० के मई में ख्रुश्चेव ने घोषित किया कि 'अमेरिकी प्रथमाक्रमण' के विरुद्ध सोवियत रूस 'रक्षा' करेगा। सन् १९६० के जुलाई में कास्ट्रो अस्त्र खरीदने के लिए चेकोस्लोवाकिया गये। फिर, वे मास्को गये, जहाँ वे सम्मानित हुए।

पहली जनवरी, १९५९ ई० को जब नये शासन का आरम्भ हुआ, उस समय से १९६० ई० के मध्य ग्रीष्म तक अमेरिकी सरकार का आचरण क्यूबा के प्रति सहिष्णुतापूर्ण रहा। किन्तु, इसके बाद से कटुता बढती गई है। क्यूबा में एक दल ऐसा है, जो निश्चित रूप से अमेरिका के प्रति शत्रुता का भाव दिखला रहा है। कास्ट्रो के शासन में क्यूबा में जो सामाजिक क्रान्ति हो रही है, उसके प्रति आम तौर से अमरीकी जनता की सहानुभूति है। किन्तु, इसके साथ ही उसकी यह भी धारणा है कि क्यूबा के राजनीतिक नेता संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध प्रचार-कार्य

निकले, फिर कई दिनों के बाद फिर पकड़ लिये गये। इसके बाद वे लियोपोल्डविल लाये गये और गिरफ्तार होकर रखे गये। अन्त में, १८ जनवरी, १९६१ को उनको कटंगा के एक जेल में लाकर रखा गया।

कटंगा की सरकार ने १० फरवरी को इस समाचार की पुष्टि की कि लुमुम्बा जेल से भाग निकले हैं। इसके बाद १३ फरवरी को उनकी हत्या की जाने की घोषणा की गई।

लुमुम्बा की हत्या ग्रामवासियों द्वारा की गई है, इस समाचार पर विश्वास नहीं किया जाता। यह सन्देह किया जाता है कि इसके पीछे कुछ उच्च अधिकारियों का हाथ है।

लुमुम्बा के अन्य मित्रों का भी काम तमाम कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा-परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके अपनी सेना को यह अधिकार दिया है कि कांगो में गृहयुद्ध रोकने के लिए अन्तिम उपाय के रूप में वह अस्त्र-प्रयोग कर सकती है।

क्यूबा

स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध के फलस्वरूप क्यूबा एक स्वतंत्र राज्य हुआ। १० दिसम्बर, १८९८ ई० को पेरिस की सन्धि के अनुसार स्पेन ने कोलम्बस द्वारा आविष्कृत भूमि पर से अपना दावा उठा लिया। इसके बाद क्यूबा पर अमेरिका का शासनाधिकार स्थापित हुआ। २० मई, १९०२ ई० को क्यूबा में गणराज्य की स्थापना हुई और अमेरिकी अधिकार का अन्त हुआ। क्यूबा में शान्ति एवं व्यवस्था पर खतरा पहुँचने की संभावना होने पर उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार अमेरिका ने अपने हाथ में कायम रखा। सन् १९३४ ई० में अमेरिका ने इस अधिकार का भी परित्याग कर दिया।

क्यूबा का मुख्य आर्थिक साधन ईख है। ईख से कच्ची चीनी तैयार करके बाहर भेजी जाती है। अमेरिका क्यूबा की चीनी का सबसे बड़ा खरीदार था और उसके लिए अमेरिका का बाजार सुरक्षित था। सन् १९२७ ई० से संसार के अन्य देशों में भी कच्ची चीनी अतिरिक्त परिमाण में बनने लगी, और अमेरिका के बाजार में बहुत कम मूल्य में बिकने लगी। इसका प्रभाव क्यूबा के चीनी-व्यवसाय के ऊपर विषम रूप में पड़ा। चीनी मिलों में दिसंबर से मई तक ही काम होने लगा। बाकी दिनों में बहुत-से मजदूर बेकार रहने लगे।

सन १९३३ ई० में आर्थिक संकट के कारण उपद्रव शुरू हुआ। उसी वर्ष क्रान्ति हुई, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति जेराडो मकाडो को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। हवाना में एक नई सरकार की स्थापना हुई, किन्तु वास्तविक शासन सत्ता बटिस्टा नामक एक सैनिक सर्जेण्ट के हाथ में रही। १९३४ ई० के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ, उसमें बटिस्टा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर ग्राउसान मार्टिन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसके बाद १९४८ ई० में प्रियोसोकारस ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। १९५२ ई० के जून में बटिस्टा पुनः क्यूबा के राजनीतिक रंगमंच पर प्रकट हुए और राष्ट्रपति के लिए उमीदवार हुए। किन्तु, जब उन्हें निर्वाचित होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ी, तब उन्होंने सेना को अपने पक्ष में मिला लिया और वस्तुतः सैनिक अधिनायक बन बैठे। उनके समय में देश की आर्थिक अवस्था अनुकूल रही और सेना भी उनके प्रति वफादार बनी रही।

२६ जुलाई, १९५३ ई० को डा० फिदेल कास्ट्रो नामक एक व्यक्ति ने क्रान्ति लाने का प्रयत्न किया, किन्तु वह विफल हुआ। उन्होंने एक सैन्यदल संघटित करके क्रान्ति का आरम्भ किया था। उनकी अधिकांश सेना नष्ट हो गई, वे पकड़े गये, कैद किये गये और बाद में छोड़ दिये गये।

तृतीय भाग

भारत

भारत-भूमि

भारत, एशिया महादेश के दक्षिण समुद्र के किनारे एक त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब समुद्र तथा पश्चिमी पाकिस्तान हैं। उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से चीन, तिब्बत, नेपाल, सिक्कम, भूटान और फिर तिब्बत और चीन हैं। इसके सारे उत्तरी भाग में हिमालय की पर्वतमाला है, जिसकी लम्बाई करीब १५०० मील है। इसके पूरब में बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी है। उत्तर दक्षिण की ओर भारत और बर्मा के बीच पटकोई, नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुशाई और अराकान योमा पर्वत-मालाएँ हैं।

प्राकृतिक रचना—भारत का क्षेत्रफल १२,५६,९८३ वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई २००० मील और पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई १,८५० मील है। इसकी स्थल-सीमा-रेखा ६,४२५ मील है, जिसमें ४००० मील की लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर है। इसके समुद्री किनारे की लम्बाई २,५३५ मील है। यह देश भूमध्यरेखा के उत्तर में ८° लेकर ३७°१०′ उत्तरी अक्षांश-रेखाओं तथा ६८° से ९७°२५′ पूर्वी देशान्तर-रेखाओं के बीच स्थित है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। बंगाल की खाड़ी के अन्दर अंदमन और निकोबार द्वीप-समूह तथा अरब सागर के अन्दर लक्ष-द्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह भी भारतीय संघ के अंग हैं।

यह देश इतना विस्तृत है कि इसके विभिन्न स्थानों के तापमान और वर्षा में बहुत अन्तर पड़ता है। कश्मीर में यहाँ का तापमान ४९° फेरेनहाइट है, तो राजस्थान में १२° फेरेनहाइट। उसी प्रकार इसकी औसत वार्षिक वर्षा थार मरुभूमि (राजस्थान) में ४ इंच है, तो चेरापुंजी आसाम में ४२५ इंच।

इसका समुद्र-तट लम्बा होने पर भी पश्चिमी तट चट्टानों से भरा है, तो पूर्वी तट छिछला है, जिससे यहाँ अधिक बन्दरगाह नहीं हैं। इसके प्राकृतिक बन्दरगाह केवल बम्बई और गोआ हैं। मद्रास में विशाखापत्तनम् और ओखा विशुद्ध कृत्रिम बन्दरगाह हैं। पश्चिम से पूरब की ओर इसके मुख्य बन्दरगाह ये हैं—कंटला, वेडीबन्दर, पोर्ट ओखा, पोरबन्दर, सूरत, बम्बई, मरमुगाओ, मंगलोर, कोभीकोड (कालीकट), कोचीन, अलीपी, क्विलोन, तूतीकोरिन, धनुषकोटि, नागापट्टनम्, कारीकल, कूडालोर, पांडीचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम्, काकीनाड, विशाखापत्तनम् और कलकत्ता। इनमें मरमूगाओ बन्दरगाह पुर्त्तगाल के अधीन है।

भारत तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—(१) हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, (२) सिन्धु-गंगा का मैदान तथा (३) दक्षिणी अधित्यका। हिमालय प्रायः तीन समानान्तर

तृतीय भाग

भारत

भारत-भूमि

भारत, एशिया महादेश के दक्षिण समुद्र के किनारे एक त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। इसके
[illegible]ण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब समुद्र तथा पश्चिमी पाकिस्तान हैं। उत्तर में पश्चिम
[illegible]रब की ओर क्रम से चीन, तिब्बत, नेपाल, सिक्कम, भूटान और फिर तिब्बत और चीन हैं।
[illegible] सारे उत्तरी भाग मे हिमालय की पर्वतमाला है, जिसकी लम्बाई करीब १५०० मील है। इसके
में वर्मा, पूर्वी पाकिस्तान और वगाल की खाडी है। उत्तर दक्षिण की ओर भारत और वर्मा
[illegible]ीच पटकोई, नागा, जयन्तिया, खासी, गारों, लुशाई और अराकान योमा पर्वत-मालाएँ हैं।

प्राकृतिक रचना—भारत का क्षेत्रफल १२,५६,८८३ वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण
इसकी लम्बाई २००० मील और पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई १,८५० मील है। इसकी
[illegible]-सीमा-रेखा ६,४२५ मील है, जिसमें ४००० मील की लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान
[illegible]सीमा पर है। इसके समुद्री किनारे की लम्बाई ३,५३५ मील है। यह देश भूमध्यरेखा के
[illegible] मे ८° लेकर ३७°१०′ उत्तरी अक्षाश-रेखाओं तथा ६८° से ६७°२५′ पूर्वी देशान्तर-रेखाओं
[illegible]ीच स्थित है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का सातवाँ वड़ा देश है। बंगाल की खाड़ी के
[illegible]र अंदमन और निकोवार द्वीप-समूह तथा अरब सागर के अन्दर लक्ष-द्वीप, मिनिकाय और
[illegible]ीनदीवी द्वीप-समूह भी भारतीय संघ के अंग हैं।

यह देश इतना विस्तृत है कि इसके विभिन्न स्थानों के तापमान और वर्षा मे वहुत अन्तर
[illegible]ता है। कश्मीर में यहाँ का तापमान ४६° फेरेनहाइट है, तो राजस्थान मे १२° फेरेनहाइट।
[illegible]ी प्रकार इसकी औसत वार्षिक वर्षा थार मरुभूमि (राजस्थान) मे ४ इंच है, तो चेरापुंजी आसाम
४२५ इंच।

इसका समुद्र-तट लम्बा होने पर भी पश्चिमी तट चट्टानों से भरा है, तो पूर्वी तट छिछला है,
[illegible]ससे यहाँ अधिक वन्दरगाह नहीं हैं। इसके प्राकृतिक वन्दरगाह केवल वम्बई और गोआ हैं।
[illegible]ास मे विशाखापत्तनम् और ओखा विशुद्ध कृत्रिम वन्दरगाह हैं। पश्चिम से पूरब की
[illegible]र इसके मुख्य वन्दरगाह ये हैं—कडला, वेदीवन्दर, पोर्ट ओखा, पोरवन्दर, सूरत, वम्बई, मरमुगाओ,
[illegible]गलोर, कोभीकोड (कालीकट), कोचीन, अलीपी, क्विलोन, तूतीकोरिन, धनुषकोटि, नागापट्टनम्,
[illegible]रीकल, कूडालोर, पाडीचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम्, काकीनाट, विशाखापत्तनम् और कलकत्ता।
[illegible]में मरमुगाओ वन्दरगाह पुर्त्तगाल के अधीन है।

भारत तीन प्राकृतिक भागों मे वाँटा जा सकता है—(१) हिमालय का पहाड़ी प्रदेश,
(२) सिन्धु-गंगा का मैदान तथा (३) दक्षिणी अधित्यका। हिमालय प्रायः तीन समानान्तर

नदियाँ—भारत की नदियाँ चार प्रकार की हैं—(१) हिमालय से निकलनेवाली नदियाँ (२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (३) तटीय नदियाँ तथा (४) आन्तरिक नदी-क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय से निकलनेवाली नदियों में बर्फीले स्थानों से निकलने के कारण पूरे वर्ष-भर पानी रहता है। वर्षा-ऋतु में इन नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी आ जाया करती है। दक्षिण के पठार की नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम, तो कभी अधिक रहता है और इनमें से बहुत-सी नदियाँ वर्ष के अधिक भाग में सूखी रहती हैं। तटीय नदियाँ, विशेषकर पश्चिमी तट की छोटी होती हैं और इनका जल-क्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भी अधिकांश नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक नदी-क्षेत्रवाली नदियाँ बहुत कम हैं, जो अपने-अपने नदी-क्षेत्रों में ही अथवा साम्भर झील जैसी नमक की झीलों तक जाकर सूख जाती हैं और किसी समुद्र तक नही पहुचती।

गंगा का नदी-क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसको भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण मे विन्ध्य पर्वत हैं। इस क्षेत्र मे नदियों भी काफी हैं। गंगा भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप मे हिमालय से निकलती है। यमुना, घाघरा, गण्डक तथा कोशी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा मे जा मिलती हैं।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र गोदावरी का नदी-क्षेत्र है। पूर्व मे ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम मे सिन्धु के नदी-क्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायद्वीपवाले भाग में कृष्णा नदी-क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र है। महानदी, प्रायद्वीपवाले भाग के तीसरे सबसे बड़े नदी-क्षेत्र मे से होकर बहती है। इसके उत्तर मे नर्मदा तथा सुदूर दक्षिण मे कावेरी के नदी-क्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का ताप्ती नदी-क्षेत्र तथा दक्षिण का पेरुणार नदी-क्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

जलवायु—भारत की जलवायु मुख्यतः वर्षा-प्रधान उष्ण है, जो स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। यहाँ ६ ऋतुएँ हैं, पर मुख्य ३ ही हैं—जाड़ा, गरमी और बरसात। जलवायु के अनुसार वर्षा पर आधारित भारत के प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

(क) ८० इंच से अधिक वार्षिक वर्षावाले प्रदेश, जैसे पश्चिमी तट, बंगाल तथा आसाम;

(ख) ४० से ८० इंच तक वर्षावाले प्रदेश, जैसे उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा-घाटी का मध्य भाग; और

(ग) २० से ४० इंच तक वर्षावाले प्रदेश; जैसे मद्रास, दक्षिण के पठार का दक्षिणी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग तथा गगा के मैदान का ऊपरी क्षेत्र।

भारत के दर्शनीय स्थान

आंध्र

गोलकुण्डा—हैदराबाद से ५ मील पर। यहाँ एक पुराना किला है।

विजयपुरी (पूर्वी और पश्चिमी)—यह शहर कृष्णा नदी के नागार्जुन-सागर बाँध के दोनों ओर बसा है। नदी के दोनों किनारे से नहरें निकली हैं। यहाँ जल-विद्युत् तैयार करने की भी योजना है।

विशाखापत्तनम्—यहाँ एक बड़ा बन्दरगाह और जहाज बनाने का कारखाना है। यहाँ प्रति वर्ष १५ हजार टन तक के चार जहाज बन सकते हैं। यहाँ कलटेक्स का तेल-शोधक कारखाना भी है।

हैदराबाद-सिकन्दराबाद—यह आन्ध्र-प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में चारमीनार, उस्मानिया-विश्वविद्यालय, संग्रहालय और चित्रशाला, शालारजंग म्युजियम, हेल्थ म्युजियम और पब्लिक गार्डेन प्रमुख हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गोलकुण्डा का किला है। यहाँ की जन-संख्या ११ लाख है।

मल्लिकार्जुन—यहाँ श्रीशैल द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में एक मल्लिकार्जुन-लिङ्ग है, जो एक प्राचीन मन्दिर में अवस्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान तथा ५१ शक्तिपीठों भी एक है।

आसाम

कामाख्या—यह भारत के सिद्धपीठों में सर्वप्रमुख है। यहाँ कामाक्षी देवी का मन्दिर है, जो कूचविहार के राजा विश्वसिंह एवं शिवसिंह का बनवाया हुआ है। यहाँ के प्राचीन मन्दिर को सन १५६४ ई० में कालापहाड़ ने ध्वस्त कर दिया। उसके भग्नावशेष अब भी वर्त्तमान हैं।

शिलांग—यह आसाम की राजधानी है। यहाँ ३६ मील पर चेरापुंजी नामक स्थान है। यहाँ संसार में सबसे अधिक (५००") वर्षा होती है।

उड़ीसा

[illegible] महानदी के किनारे धवलेश्वर [illegible] है। [illegible] उड़ीसा-प्रान्त की [illegible]

[illegible] के लिए प्रसिद्ध है। यह [illegible] की दूरी पर है।

[illegible] मन्दिर है। इसकी गणना [illegible] है।

[illegible] का तीर्थस्थान है। यहाँ हजारों [illegible] इनमें लिंगराज-मन्दिर, मुक्तेश्वर-मन्दिर, [illegible] है। पास ही [illegible] और उदयगिरि में जैनों और [illegible] है। भुवनेश्वर कटक से २० मील और [illegible] दूरी पर है।

[illegible]—इस स्थान पर [illegible] से एक लोहे का कारखाना चल रहा है।

[illegible] सिंचाई और विद्युत्-उत्पादन-कार्य के [illegible] विद्युत का उपयोग रूरकेला के लोहे के [illegible] किया जाता है।

उत्तरप्रदेश

अयोध्या—यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान तथा एक सुप्रसिद्ध नगर है। इक्ष्वाकु से श्रीरामचन्द्र तक सभी चक्रवर्ती राजाओं की यह राजधानी रह चुकी है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें कनक-मन्दिर, हनुमानगढ़ी, तुलसीचौरा आदि मुख्य हैं। यह बौद्धों एवं जैनों का भी तीर्थस्थान है।

अल्मोड़ा—यह एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान और इस नाम के जिले का सदर ऑफिस है। यह काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ८३ मील और नैनीताल से १८ मील पर है।

आगरा—यह नगर यमुना नदी के किनारे है, जिसकी जनसंख्या ४ लाख है। यह मुगल-सम्राट् बाबर, अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के समय भारत की राजधानी था। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—ताजमहल, किला, जुमा मस्जिद, मोती मस्जिद, इतमाउद्दौला का मकबरा, ५ मील दूर सिकन्दरा में अकबर का मकबरा और दयालबाग। यहाँ से २५ मील दूर फतहपुर-सिकरी है, अकबर ने जिसका निर्माण कराया था।

ऋषिकेश—यह हिमालय के अंचल में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ का [illegible]तिक दृश्य अत्यन्त ही मनोरम है। यहाँ का प्राचीन भरत मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इसके पास ही [illegible] तथा स्वर्गाश्रम हैं।

कन्नौज (कान्यकुब्ज)—यह एक वैभवपूर्ण नगर रह चुका है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है। यहाँ अब भी प्राचीन खँडहर पाये जाते हैं। प्राचीन काल मे महर्षि ऋचीक ने यहीं महाराज गाधि की कन्या से विवाह किया था।

काशी—वाराणसी (बनारस) का दूसरा नाम। दे० वाराणसी।

कुशीनगर—गोरखपुर जिले का कसिया ग्राम ही प्राचीन कुशीनगर है। यह बौद्ध-तीर्थ है। ८० वर्ष की अवस्था में भगवान् तथागत ने यही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।

गढ़ मुक्तेश्वर—यह नगर मेरठ से दक्षिण-पूर्व २६ मील की दूरी पर स्थित है। यह गंगा के तट पर वसा हुआ है। प्राचीन काल मे यह हस्तिनापुर का एक अंग था। यहाँ मुक्तेश्वर महादेव का विशाल मन्दिर है। यहाँ कार्त्तिक-पूर्णिमा को मेला लगता है।

नैनीताल—उत्तरप्रदेश का यह प्रसिद्ध शीतल पहाडी स्थान है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ३२ मील चलकर यहाँ मोटर-बस पहुँचती है। यह स्थान समुद्र-तल से ६३५० फुट ऊँचा है। यह नगर एक बडी झील के किनारे-किनारे वसा है। यहाँ से हिमालय का सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता है।

नैमिषारण्य—उत्तरप्रदेश में वालामऊ स्टेशन से १६ मील दूर यह स्थान स्थित है। यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है। यहीं सूतजी ने शौनकजी को अठारहों पुराणों की कथा सुनाई थी। इसके आसपास अनेक मन्दिर हैं। जिनमें मुख्य भूतनाथ महादेव का मन्दिर है।

पिपरी—मिरजापुर जिले में इस स्थान में ४६ करोड़ रुपये के खर्च से रिहंद नामक नदी पर बाँध बाँधकर विद्युत्-उत्पादन का काम किया जाता है। यहाँ अलमुनियम का एक बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है।

प्रयाग (इलाहाबाद)—गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ है। सरस्वती नदी अब नहीं रह गई है। पास मे एक पुराना किला है, जहाँ एक अशोक-स्तम्भ है। यहाँ जमीन के नीचे एक मन्दिर है, जहाँ अक्षयवट वृक्ष बताया जाता है। संगम पर ६ वर्ष पर अर्द्धकुम्भ और १२ वर्ष पर कुम्भ का मेला लगता है। भारत के प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू का यही निवास-स्थान है।

फतहपुर-सिकरी—आगरा से २३ मील पर इस स्थान में सम्राट् अकबर ने १५६६ ई० में एक नगर बसाया और इसे राजधानी बनाने के लिए यहाँ महल बनवाये। अकबर के पुत्र जहाँगीर का जन्म यहीं हुआ था।, किन्तु कुछ ही दिनों के बाद जल के अभाव से इस स्थान को छोड़ देना पड़ा। यहाँ के महल, मस्जिद आदि श्वेत और लाल पत्थर के बने हैं। यहाँ की इमारतों मे बुलन्द दरवाजा, जामी मस्जिद, पचमहल, दीवान-ए-खास, मरियम-भवन, जोधाबाई महल, बीरबल-भवन, हाथी टावर और खास महल हैं।

मथुरा-वृन्दावन—यह यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान् श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ द्वारकाधीश का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ एक म्युजियम भी है। मथुरा से ६ मील पर वृन्दावन है। यह नगर मन्दिरमय है, जहा श्रीरंग का सबसे बडा मन्दिर है। व्रज-मंडल में इन दो स्थानों के अतिरिक्त गोकुल, बलदाऊ, बरसाने और गोवर्धन पर्वत हिन्दुओं के तीर्थस्थान हैं।

उड़ीसा

कटक—यह उड़ीसा का प्रमुख नगर तथा तीर्थस्थान है। यहाँ महानदी के किनारे धवलेश्वर महादेव का मन्दिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक देव-मन्दिर हैं। यह हाल तक उड़ीसा-प्रान्त की राजधानी था।

कोणार्क—यहाँ का सूर्य-मन्दिर अपनी प्राचीन स्थापत्य-कला के लिए प्रसिद्ध है। यह पुरी से पचास मील तथा भुवनेश्वर से चालीस मील की दूरी पर है।

पुरी—समुद्र के किनारे इस नगर में सुप्रसिद्ध जगन्नाथजी का मन्दिर है। इसकी गणना चार धामों में की जाती है।

भुवनेश्वर—उड़ीसा की यह नई राजधानी और हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ हजारों मन्दिर थे, पर अब ये सैकड़ों की संख्या में ही हैं। इनमे लिंगराज-मन्दिर, मुक्तेश्वर-मन्दिर, परशुरामेश्वर-मन्दिर, राजरानी-मन्दिर प्रसिद्ध हैं। पास ही खंडगिरि और उदयगिरि में जैनों और बौद्धों की गुफाएँ और धौली में अशोक के शिलाभिलेख हैं। भुवनेश्वर कटक से २० मील और पुरी से ३८ मील की दूरी पर है।

रूरकेला—इस स्थान पर सरकारी सहायता से एक लोहे का कारखाना चल रहा है।

हीराकुण्ड—महानदी पर तीस करोड़ रुपये के खर्च से सिंचाई और विद्युत्-उत्पादन-कार्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से उत्पन्न विद्युत् का उपयोग रूरकेला के लोहे के कारखाने तथा अन्य उद्योग-धंधों मे किया जाता है।

उत्तरप्रदेश

अयोध्या—यह हिन्दुओ का पवित्र तीर्थस्थान तथा एक सुप्रसिद्ध नगर है। इक्ष्वाकु से श्रीरामचन्द्र तक सभी चक्रवर्ती राजाओं की यह राजधानी रह चुकी है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें कनक-मन्दिर, हनुमानगढी, तुलसीचौरा आदि मुख्य हैं। यह बौद्धो एवं जैनों का भी तीर्थस्थान है।

अल्मोड़ा—यह एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान और इस नाम के जिले का सदर ऑफिस है। यह काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ८३ मील और नैनीताल से १८ मील पर है।

आगरा—यह नगर यमुना नदी के किनारे है, जिसकी जनसंख्या ४ लाख है। यह मुगल-सम्राट् बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के समय भारत की राजधानी था। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—ताजमहल, किला, जुमा मस्जिद, मोती मस्जिद, इतमादुद्दौला का मकबरा, ५ मील दूर सिकन्दरा मे अकबर का मकबरा और दयालबाग। यहाँ से २५ मील दूर फतहपुर-सिकरी है, अकबर ने जिसका निर्माण कराया था।

ऋषिकेश—यह हिमालय के अंचल मे स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहां का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त ही मनोरम है। यहा का प्राचीन भरत मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इसके पास ही लक्ष्मण-झूला तथा स्वर्गाश्रम हैं।

उड़ीसा

कटक—यह उड़ीसा का प्रमुख नगर तथा तीर्थस्थान है। यहाँ महानदी के किनारे धवलेश्वर महादेव का मन्दिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक देव-मन्दिर हैं। यह हाल तक उड़ीसा-प्रान्त की राजधानी था।

कोणार्क—यहाँ का सूर्य-मन्दिर अपनी प्राचीन स्थापत्य-कला के लिए प्रसिद्ध है। यह पुरी से पचास मील तथा भुवनेश्वर से चालीस मील की दूरी पर है।

पुरी—समुद्र के किनारे इस नगर मे सुप्रसिद्ध जगन्नाथजी का मन्दिर है। इसकी गणना चार धामो में की जाती है।

भुवनेश्वर—उड़ीसा की यह नई राजधानी और हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ हजारों मन्दिर थे, पर अब ये सैकड़ों की संख्या मे ही हैं। इनमे लिंगराज-मन्दिर, मुक्तेश्वर-मन्दिर, परशुरामेश्वर-मन्दिर, राजरानी-मन्दिर प्रसिद्ध हैं। पास ही खंडगिरि और उदयगिरि मे जैनों और बौद्धों की गुफाएँ और धौली मे अशोक के शिलाभिलेख हैं। भुवनेश्वर कटक से २० मील और पुरी से ३८ मील की दूरी पर है।

रूरकेला—इस स्थान पर सरकारी सहायता से एक लोहे का कारखाना चल रहा है।

हीराकुण्ड—महानदी पर तीस करोड रुपये के खर्च से सिंचाई और विद्युत्-उत्पादन-कार्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से उत्पन्न विद्युत् का उपयोग रूरकेला के लोहे के कारखाने तथा अन्य उद्योग-धंधों में किया जाता है।

उत्तरप्रदेश

अयोध्या—यह हिन्दुओ का पवित्र तीर्थस्थान तथा एक सुप्रसिद्ध नगर है। इक्ष्वाकु से श्रीरामचन्द्र तक सभी चक्रवर्त्ती राजाओं की यह राजधानी रह चुकी है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें कनक-मन्दिर, हनुमानगढी, तुलसीचौरा आदि मुख्य हैं। यह बौद्धों एवं जैनो का भी तीर्थस्थान है।

अल्मोड़ा—यह एक प्रसिद्ध पहाडी स्थान और इस नाम के जिले का सदर ऑफिस है। यह काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ८३ मील और नैनीताल से १८ मील पर है।

आगरा—यह नगर यमुना नदी के किनारे है, जिसकी जनसंख्या ४ लाख है। यह मुगल-सम्राट् बाबर, अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के समय भारत की राजधानी था। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—ताजमहल, किला, जुमा मस्जिद, मोती मस्जिद, इतमादुद्दौला का मकबरा, ५ मील दूर सिकन्दरा में अकबर का मकबरा और दयालबाग। यहाँ से २५ मील दूर फतहपुर-सिकरी है, अकबर ने जिसका निर्माण कराया था।

ऋषिकेश—यह हिमालय के अचल मे स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहा का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त ही मनोरम है। यहाँ का प्राचीन भरत-मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इसके पास ही लछमण-झूला तथा स्वर्गाश्रम हैं।

कन्नौज (कान्यकुब्ज)—यह एक वैभवपूर्ण नगर रह चुका है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है। यहाँ अब भी प्राचीन खँडहर पाये जाते हैं। प्राचीन काल में महर्षि ऋचीक ने यहीं महाराज गाधि की कन्या से विवाह किया था।

काशी—वाराणसी (बनारस) का दूसरा नाम। दे० वाराणसी।

कुशीनगर—गोरखपुर जिले का कसिया ग्राम ही प्राचीन कुशीनगर है। यह बौद्ध-तीर्थ है। ८० वर्ष की अवस्था में भगवान् तथागत ने यहीं महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।

गढ़ मुक्तेश्वर—यह नगर मेरठ से दक्षिण-पूर्व २६ मील की दूरी पर स्थित है। यह गंगा के तट पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में यह हस्तिनापुर का एक अंग था। यहाँ मुक्तेश्वर महादेव का विशाल मन्दिर है। यहाँ कार्तिक-पूर्णिमा को मेला लगता है।

नैनीताल—उत्तरप्रदेश का यह प्रसिद्ध शीतल पहाड़ी स्थान है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ३२ मील चलकर यहाँ मोटर-बस पहुँचती है। यह स्थान समुद्र-तल से ६३५० फुट ऊँचा है। यह नगर एक बड़ी झील के किनारे-किनारे बसा है। यहाँ से हिमालय का सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता है।

नैमिषारण्य—उत्तरप्रदेश में बालामऊ स्टेशन से १६ मील दूर यह स्थान स्थित है। यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है। यहीं सूतजी ने शौनकजी को अठारहों पुराणों की कथा सुनाई थी। इसके आसपास अनेक मन्दिर हैं। जिनमें मुख्य भूतनाथ महादेव का मन्दिर है।

पिपरी—मिरजापुर जिले में इस स्थान में ४६ करोड़ रुपये के खर्च से रिहंद नामक नदी पर बाँध बाँधकर विद्युत्-उत्पादन का काम किया जाता है। यहाँ अलमुनियम का एक बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है।

प्रयाग (इलाहाबाद)—गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ है। सरस्वती नदी अब नहीं रह गई है। पास में एक पुराना किला है, जहाँ एक अशोक-स्तम्भ है। यहाँ जमीन के नीचे एक मन्दिर है, जहाँ अक्षयवट वृक्ष बताया जाता है। संगम पर ६ वर्ष पर अर्द्धकुम्भ और १२ वर्ष पर कुम्भ का मेला लगता है। भारत के प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू का यहीं निवास-स्थान है।

फतहपुर-सिकरी—आगरा से २३ मील पर इस स्थान में सम्राट् अकबर ने १५६९ ई० में एक नगर बसाया और इसे राजधानी बनाने के लिए यहाँ महल बनवाये। अकबर के पुत्र जहाँगीर का जन्म यहीं हुआ था।, किन्तु कुछ ही दिनों के बाद जल के अभाव से इस स्थान को छोड़ देना पड़ा। यहाँ के महल, मस्जिद आदि श्वेत और लाल पत्थर के बने है। यहाँ की इमारतों में बुलन्द दरवाजा, जामी मस्जिद, पंचमहल, दीवान-ए-खास, मरियम-भवन, जोधाबाई महल, बीरबल-भवन, हाथी टावर और खास महल हैं।

मथुरा-वृन्दावन—यह यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ द्वारकाधीश का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ एक म्युजियम भी है। मथुरा से ६ मील पर वृन्दावन है। यह नगर मन्दिरमय है, जहाँ श्रीरंग का सबसे बड़ा मन्दिर है। व्रज-मंडल में इन दो स्थानों के अतिरिक्त गोकुल, बलदाऊ, बरसाने और गोवर्धन पर्वत हिन्दुओं के तीर्थस्थान हैं।

मसूरी—यह स्वास्थ्यप्रद पहाड़ी स्थान देहरादून से १८ मील पर है। यह समुद्र-तल से ६५८० फुट ऊँचा है। यहाँ से हिमालय की चोटियों के मनोहर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ अनेक जल-प्रपात हैं।

मेरठ—यह नगर दिल्ली से ५० मील की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि द्वापर में यही खाण्डव-वन था। दानव विश्वकर्मा मय यहीं रहा करता था। यह हिन्दुओं का एक तीर्थ-स्थान है।

मोदीनगर—मेरठ जिले में इस स्थान पर कपड़ा, चीनी, वनस्पति, तेल आदि के कारखाने चल रहे हैं।

लखनऊ—यह मुगलकालीन भारत का एक सांस्कृतिक केन्द्र था। इस समय यह उत्तरप्रदेश की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वाजिद अली शाह और उनकी बेगम का मकबरा, कैसरबाग-महल, दिलखुश महल, मोती महल, जुम्मा मस्जिद, चारबाग, आलाबाग, सिकन्दरबाग, मूसाबाग, म्युजियम, चिड़ियाखाना, वेधशाला आदि हैं।

लुम्बिनी—यह गोरखपुर जिले में स्थित बौद्धतीर्थ है। गौतम बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ एक अशोक-स्तम्भ तथा एक समाधि-स्तूप हैं।

वाराणसी (बनारस)—गंगा नदी के किनारे यह प्राचीन नगरी हिन्दुओं का एक पवित्र तीर्थस्थान है, जिसका सम्बन्ध मुख्यतः विश्वनाथ महादेव से है। यह शिव की नगरी समझी जाती है। इसका दूसरा नाम काशी है। यहाँ की जन-संख्या करीब चार लाख है। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—विश्वनाथ-मन्दिर, मान-मन्दिर (सवाई जयसिंह-निर्मित वेधशाला), भारतमाता का मन्दिर, औरंगजेब की मस्जिद, ज्ञानवापी, बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय, रामगढ का किला और सारनाथ। (अलग विवरण देखें)।

श्रावस्ती—यह गोरखपुर जिले में बलरामपुर स्टेशन से १२ मील की दूरी पर स्थित है। यह कोसल-राज्य की राजधानी रह चुकी है। यह बौद्धों एवं जैनों का तीर्थस्थान है।

सारनाथ—वाराणसी के पास बौद्धों का तीर्थस्थान, जहाँ पुरातत्त्व-विभाग के उत्खनन से अशोककालीन स्तूप आदि अनेक वस्तुएँ मिली हैं। यहीं भगवान् बुद्ध ने बौद्धधर्म का प्रचार आरम्भ किया था।

हरद्वार—हिमालय की तराई में गंगा के दाहिने तट पर यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ है। यहाँ का दृश्य मनोरम है। यहीं से गंगा समतल भूमि पर उतरती है। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष कुम्भ का तथा प्रति छठे वर्ष अर्द्धकुम्भ का मेला लगता है। यह एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है तथा कलकत्ता, पंजाब और दिल्ली से सीधे यहाँ ट्रेनें आती हैं। यहाँ की पाँच मायापुरियों में एक कनखल भी है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है।

हस्तिनापुर—यह स्थान मेरठ नगर से २२ मील की दूरी पर स्थित है। द्वापर-युग में पाण्डवों की राजधानी यहीं थी। यह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ जैनों के तीनों तीर्थङ्करों के चरण-चिह्न विद्यमान हैं।

कश्मीर

अमरनाथ—यह कश्मीर-राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। समुद्र-तल से १६००० फुट की ऊँचाई पर लगभग ५० फुट लम्बी, २५ से ३० फुट चौड़ी और १५ फुट ऊँची यहाँ एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें हिम-निर्मित प्राकृतिक शिवलिंग है। यहाँ प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री तीर्थ-यात्रा के लिए आते हैं।

कश्मीर—भारत के उत्तर-पश्चिम कोने में अवस्थित यह भूभाग अपने मनोहर पहाड़ी दृश्यों एवं स्वास्थ्य-स्थलों के लिए विश्व-प्रसिद्ध है।

बूढ़े अमरनाथ—यह कश्मीर-राज्य में पुंछ नगर से १४ मील दूर एक तीर्थस्थान है। यहाँ ऊँची-ऊँची पहाड़ियों से घिरा एक मन्दिर है, जो एक ही उजले पत्थर से निर्मित है। अमरनाथ महादेव की मूर्ति के नीचे से निरन्तर जल निकला करता है। इसके समीप ही पुलस्त्य नदी है, जिसके तट पर महर्षि पुलस्त्य का आश्रम था।

केरल

कन्याकुमारी—भारत के दक्षिणी भाग का वह स्थान है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम-स्थल है। यहाँ समुद्र में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यहाँ एक देवी कन्याकुमारी का मन्दिर है।

त्रिवेन्द्रम्—यह केरल-राज्य की राजधानी है। इसे दक्षिण-भारत का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पुराने महल, म्यूजियम, चित्रघर, चिड़ियाखाना, पद्मनाभ का मंदिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।

गुजरात

अहमदाबाद—भारत का यह सबसे बड़ा वस्त्रोत्पादक केन्द्र है। इस नगर की जन-संख्या ८ लाख है। यहाँ १५वीं और १६वीं सदी के अनेक प्रसिद्ध मुस्लिम इमारतें हैं। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थान हैं—महात्मा गांधी का साबरमती-आश्रम, गुजरात-विद्यापीठ, गुजरात-विश्व-विद्यालय, टेक्सटाइल रिसर्च-इन्स्टिट्यूट आदि।

आनन्द—बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच इस शहर में दूध और मक्खन तैयार करने-वाली सहकारी समिति का प्रधान कार्यालय है। यह सहकारी कारखाना बिलकुल आधुनिक ढंग से बना हुआ है। इसके अन्तर्गत एक हजार तीन सौ बस्तियों के चालीस हजार कृषक सम्मिलित हैं।

काम्बे—यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थान और बन्दरगाह रहा है। यहाँ अनेक स्थानों में तेल और प्राकृतिक गैस का पता चला है। यहाँ रूसी सहायता से कुछ समय तेल का बहुत बड़ा कारखाना बन रहा है।

जूनागढ़—गुजरात में यह गिरनार पर्वत के नीचे बसा है। पर्वत के ऊपर स्थित मंदिर अपनी स्थापत्य-कला और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अशोक का शिलालेख है। पास के गिर नामक वन-जंगल में सिंह पाये जाते हैं।

द्वारकाधाम—यह हिन्दुओं के चार धामों में एक है। यह समुद्र के किनारे स्थित है। यदुराज श्रीकृष्ण मथुरा छोड़कर यहीं आ बसे थे। यहाँ द्वारकाधीश या रणछोड़जी का सतमंजिला मन्दिर है। यहीं जगद्गुरु शंकराचार्य का शारदा-मठ है।

पोरबन्दर—यह विश्ववंद्य महात्मा गाधी का जन्म-स्थान है। यहीं श्रीकृष्ण के सखा सुदामाजी का निवास-स्थान था। इससे यह एक तीर्थस्थान बन गया है।

प्रभास पाटम (सोमनाथ)—यहाँ सुप्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर था। उसी स्थान पर १६५१ ई० में नवीन मंदिर तथा मूर्त्ति का निर्माण किया गया है।

बड़ौदा—यह गुजरात का प्रसिद्ध नगर है।

दिल्ली

दिल्ली—यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी राजधानी है। जहाँ पुरानी राजधानी थी, उसे पुरानी दिल्ली और जहाँ आज नई राजधानी बनी है, उसे नई दिल्ली कहते हैं। समय-समय पर दिल्ली के कई नाम पड़े, जैसे कुतुब, सीरी, तुगलकाबाद, जहानाबाद, फिरोजाबाद, पुराना किला, शाहजहाँबाद आदि। यहाँ की जन-संख्या १३ लाख से ऊपर है। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—लाल किला, जामा मस्जिद, अशोक-स्तम्भ, कुतुबमीनार, हुमायूँ का मकबरा, फिरोजशाह कोटला, पुराना किला, नेशनल म्युजियम, जन्तर-मन्तर (पुरानी वेधशाला), राष्ट्रपति-भवन, पार्लियामेंट, राजघाट में महात्मा गाधी की समाधि।

पंजाब

अमृतसर—यह उत्तर रेलवे का जंक्शन तथा पंजाब का प्रसिद्ध नगर है। यहाँ का स्वर्ण-मंदिर सिखों का मुख्य गुरुद्वारा है। नगर के मध्य में 'अमृतसर' नामक एक सरोवर है, जिसके नाम पर इस नगर का नाम पड़ा है। इस नगर का जलियानवाला बाग राष्ट्रीय तीर्थ माना जाता है, जहाँ जेनरल डायर ने सन् १६१६ ई० में निरीह नागरिकों पर गोलियाँ चलवाई थीं। अन्य दर्शनीय स्थानों में बाबा अटल टावर, अकाल तख्त, रामबाग, गोविन्दगढ आदि हैं। यहाँ की जन-संख्या करीब ४ लाख है।

काँगड़ा घाटी—पंजाब में यह एक सुन्दर पहाड़ी स्थान है। इसी के पास धर्मशाला नामक स्थान है। यहाँ भागसूनाथ झरना है। यहाँ हिमालय पर्वत पर बर्फ के दृश्य सुन्दर दिखाई पड़ते हैं। इसके आसपास कई तीर्थस्थान है, जिनमे वसिष्ठाश्रम, अर्जुनगुफा आदि मुख्य हैं।

कुरुक्षेत्र—कुरुक्षेत्र भारत का अत्यन्त ही प्राचीन एवं पवित्र स्थान है। धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशिष्ट महत्त्व है। इस पावन भू-क्षेत्र में ही सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने सर्वप्रथम वेदमन्त्रोच्चार किया था। वसिष्ट तथा विश्वामित्र की यह ज्ञान-भूमि है। यह महाभारत-युद्ध की समर-भूमि रह चुका है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता का अमर संदेश सुनाया था। इसने कई बार भारत के भाग्य का निर्णय किया। वस्तुत, कुरुक्षेत्र का इतिहास भारत के उत्थान-पतन का इतिहास है। थानेश्वर, पानीपत, तरावड़ी, कैथल, करनाल इत्यादि युद्ध-क्षेत्र इसी भूमि मे स्थित हैं। यहाँ सूर्यग्रहण तथा कुम्भ के अवसर पर मेला लगता है।

चंडीगढ़—यह पंजाब की नई राजनगरी है, जो नये ढंग से निर्मित की गई है। यह उत्तरी रेलवे के कालका स्टेशन के पास है।

जालन्धर—यह पंजाब के मुख्य नगरों मे एक है। यहो का विश्वमुखी देवी का मंदिर ५१ शक्तिपीठों मे एक है।

ज्वालामुखी—यहाँ पेट्रोलियम की खान का पता चला है। रूमानिया-सरकार की सहायता से यहाँ तेल निकालने के कुएँ खोदने का काम चल रहा है।

भाखरा-नांगल—सतलज नदी के किनारे इन दो नगरों में लगभग दो अरब के खर्च से जल-विद्युत् का कारखाना चल रहा है। यह देश का सबसे बडा कारखाना है। यहाँ सतलज का पानी बाँध द्वारा संचित होकर सिंचाई तथा विद्युत्-उत्पादन के कार्य मे आता है।

पश्चिम बंगाल

कलकत्ता—भारत का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। अँगरेजी शासन-काल में १६१२ ई० तक भारत की राजधानी रहा। बृहत्तर कलकत्ता की जन-संख्या लगभग ५० लाख है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों से विक्टोरिया मेमोरियल (चित्रशाला और संग्रहालय) इंडियन म्युजियम, चिड़ियाखाना, कालीघाट-मन्दिर, पारसनाथ-मन्दिर, नेशनल लाइब्रेरी, राजभवन, बेलवेडियर हाउस, फोर्ट विलियम, इडेन गार्डेन, टाउन हॉल, हॉग्स मार्केट, डलहौसी स्कायर, घुड़दौड़ का मैदान, ढकुरिया झील, दक्षिणेश्वर मन्दिर आदि हैं। पास के देखने योग्य स्थानों में बेलूर मठ (रामकृष्ण मिशन का प्रधान केन्द्र), बोटैनिकल गार्डेन, डायमण्ड हार्बर, दमदम (हवाई अड्डा) आदि हैं।

गङ्गा-सागर—कलकत्ता से लगभग ६० मील दक्षिण, जहाँ गङ्गा नदी समुद्र में गिरती है, सागर-द्वीप है। यहीं मकर-संक्रान्ति के अवसर पर गङ्गा-सागर का मेला लगता है। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था।

तारकेश्वर—हावड़ा से लगभग ३५ मील दूर तारकेश्वर नामक तीर्थस्थान है। यहाँ का तारकेश्वर-मन्दिर भारत-प्रसिद्ध है। मन्दिर के पास ही दुग्धगङ्गा नामक सरोवर तथा काली-मन्दिर है।

दक्षिणेश्वर—कलकत्ता के समीप ही गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर नामक स्थान है, जहाँ एक काली-मन्दिर है। मन्दिर के घेरे मे ११ शिव-मन्दिर हैं। यहाँ परमहंस रामकृष्ण देव ने महाकाली की आराधना की थी। मन्दिर के पास ही परमहंस देव का वह कमरा है, जिसमें वे निवास करते थे। उस कमरे मे उनका पलंग तथा अन्य स्मृति-चिह्न सुरक्षित हैं। पास ही परमहंस की धर्मपत्नी श्रीशारदा माता तथा रानी रासमणि के समाधि-मन्दिर हैं।

दार्जिलिंग—यह पश्चिम बगाल का पर्वतीय स्थान है, जो समुद्र-तल से ७,११० फुट ऊँचा है। यहाँ से हिमालय की कंचनजंघा आदि चोटियों के दृश्य सुन्दर दिखाई पड़ते हैं। साफ दिनों मे एवरेस्ट की चोटी भी देखने मे आती है। यहो के दर्शनीय स्थानों में गवर्मेण्ट हाउस, म्युजियम, आवजर्वेटरी हिल, बोटैनिकल गार्डेन, संचाल झील, घूम-मठ आदि हैं।

दुर्गापुर—यहाँ ब्रिटिश की सहायता से बहुत बड़ा लोहे का कारखाना चल रहा है। यहाँ कोयला तैयार करने का कारखाना, दामोदर वेली कारपोरेशन का ताप-विद्युत्-कारखाना और नहर चालू हैं। पास ही मे चश्मे के सीसे का कारखाना खोलने की तैयारी हो रही है।

नवद्वीप—हवडा से ६६ मील दूर नवद्वीप-धाम स्टेशन है, जहाँ से एक मील दूर नवद्वीप नगर है। यह चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने के कारण वैष्णवों का महातीर्थ वन गया है। श्रीगौराङ्ग महाप्रभु-मन्दिर यहाँ का प्रमुख मन्दिर है।

वर्नपुर और कुल्टी—विहार और वगाल की सीमा पर आसनसोल के पास यहाँ इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का बहुत वडा कारखाना है।

बाटानगर—कलकत्ता के पास इस नगर में वाटा-कम्पनी का वहुत वडा जूते का कारखाना है।

शान्ति-निकेतन—वोलपुर से दो मील पर इस स्थान पर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व-भारती नामक अन्तरराष्ट्रीय विश्व-विद्यालय की स्थापना की थी, जो भारत-सरकार के अधीन है।

विहार

अजगैबीनाथ—सुलतानगंज स्टेशन से लगभग एक मील दूर गङ्गा नदी की वीच धारा में एक चट्टान पर अजगैवीनाथ महादेव का मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ जह्नु ऋषि का आश्रम था।

कोशी बाँध—उत्तर विहार की कोशी नदी पर ४५ करोड़ रु० खर्च से वाँध वाँधकर इसकी वाढ़ का पानी और इसकी वरावर वदलनेवाली धारा को रोका गया है। यहाँ जल-विद्युत् तैयार करने की भी योजना है।

गया—यहाँ के मन्दिरों में विष्णुपद का मन्दिर मुख्य है। यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ सारे भारत से हिन्दू लोग अपने पितरों को पिंड-दान देने के लिए आते हैं। इसके पास ही बौद्धों का तीर्थस्थान वोधगया है, जिसका विवरण अलग दिया गया है।

चित्तरजन—वंगाल और विहार की सीमा पर स्थित यहाँ रेलवे का वहुत वड़ा कारखाना है।

जनकपुर—यह दरभंगा जिले के जयनगर स्टेशन से १८ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्राचीन मिथिला की राजधानी थी। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। इसके चारों ओर कई प्राचीन सरोवर, कुण्ड तथा तीर्थ हैं। यहाँ के मन्दिरों मे श्रीजानकी-मन्दिर, श्रीराम-मन्दिर, जनक-मन्दिर, रङ्गभूमि, रत्नसागर-मन्दिर आदि मुख्य हैं। जनकपुर से १४ मील दूर धनुषा है, जहाँ धनुष-यज्ञ में तोडे गये शिवधनुप का खण्ड वताया जाता है।

जमशेदपुर—पिछले साठ वर्षों से यहाँ लोहे के कई वडे-वड़े कारखाने चल रहे हैं। यहाँ की जन-संख्या करीव ढाई लाख है।

डालमियानगर—शाहावाद जिले के इस स्थान पर रामकृष्ण डालमिया के प्रयत्न से यहां सीमेंट, कागज, चीनी, वनस्पति घी, असवेस्टस आदि के वहुत तरह के कारखाने चल रहे हैं और यहाँ एक वडा नगर ही वस गया है।

दामोदर घाटी निगम-केन्द्र—बिहार और बंगाल के अन्तर्गत दामोदर नदी पर बाँध बाँधकर नहर और कई विद्युत्-केन्द्र निर्मित किये गये हैं। इसके चार बाँध तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत पहाडी इन चार स्थानों पर बने हुए हैं। पिछले तीन स्थानों पर जल-विद्युत्-केन्द्र तथा बोकारो और दुर्गापुर मे ताप-विद्युत्-केन्द्र हैं। इसके प्रत्येक जल-भाण्डार से नहरें निकाली गई हैं।

नालन्दा—पटना जिला के अन्तर्गत इस स्थान पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ चीन, तिब्बत, जापान, इंडोनेशिया आदि सभी बौद्ध देशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके खँडहर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ एक छोटा-सा म्युजियम भी है।

पटना—यह प्राचीन मगधराज की राजधानी है, जिसके पुराने नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर आदि थे। इस समय यह बिहार-राज्य की राजधानी है। यहाँ की जन-संख्या करीब चार लाख है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों मे पाटलिपुत्र के खँडहर, म्युजियम, गोलघर, खुदाबख्श खाँ लाइब्रेरी, हर-मन्दिर (गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-स्थान) तथा बडी और छोटी पटनदेवी के मन्दिर प्रमुख हैं।

पावापुरी—यह पटना जिले में स्थित जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ जैनों के चौबीसवें तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर का निर्वाण हुआ था। यहाँ झील के बीच में एक मन्दिर है, जहाँ पुल से जाने का रास्ता है। यहाँ बहुत-से प्राचीन अभिलेख भी हैं।

बक्सर—यह शाहाबाद जिले में पटना-मुगलसराय लाइन पर स्थित है। यहाँ त्रेता युग मे सिद्धाश्रम था। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम भी यही था। श्रीराम-लक्ष्मण ने यहीं मारीच, सुबाहु, ताडका आदि से ऋषि के यज्ञ की रक्षा की थी। यहाँ संगमेश्वर, सोमेश्वर, सिद्धनाथ आदि के मन्दिर हैं।

बोधगया—गया से कुछ ही मील दूरी पर यह बौद्धों का तीर्थस्थान, जहाँ भगवान् बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर मध्य-युग का बना एक विशाल मन्दिर है। यहाँ के आदि मन्दिर और धर्मशालाएँ भी देखने योग्य हैं।

मुँगेर—यह मुँगेर जिले का मुख्य नगर तथा एक ऐतिहासिक स्थान है। द्वापर-युग में दानवीर कर्ण की यहाँ राजधानी थी। यहाँ गंगा का कष्टहरणी घाट है, जहाँ माघी पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ से ५ मील दूर सीताकुण्ड नामक गरम जल का कुण्ड है। यहाँ गंगातट पर अर्द्धगोलाकार चण्डी देवी का मन्दिर है, जो चट्टान काटकर बनाया गया है। यहाँ का किला अत्यन्त प्राचीन है, जिसकी मरम्मत विभिन्न कालों मे होती रही है। मुँगेर मीरकासिम की भी राजधानी रह चुका है। यहाँ सिगरेट का बहुत बडा कारखाना है। पास के जमालपुर नामक स्थान में रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना है।

राँची—यह बिहार-राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है।

राजगृह—यह हिन्दू, बौद्ध तथा जैन—तीनों का ही तीर्थस्थल है। यहाँ मलमास में मेला लगता है। यहाँ गरम जल के कई कुण्ड हैं। यहाँ का मणियार मठ, ब्रह्मकुण्ड, गृध्रकूट पर्वत, सोनभण्डार, जरासंध का अखाडा, सप्तपर्णी गुफा आदि दर्शनीय हैं।

विक्रमशिला—आठवीं से बारहवीं सदी तक यहाँ बौद्धों का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय वर्त्तमान था, जहाँ भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, इण्डोनेशिया आदि देशों के छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। पुरातत्त्व-विभाग की ओर से इन दिनो यहाँ भी खुदाई का कार्य चल रहा है।

वैद्यनाथधाम—यह भारत-प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ का शिवलिङ्ग बारह ज्योतिर्लिङ्गों में एक है। यह एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ वैद्यनाथ-मन्दिर के अतिरिक्त पार्वती-मन्दिर, लक्ष्मीनारायण-मन्दिर आदि दर्शनीय हैं। यहाँ से ४ मील की दूरी पर तपोवन तथा २८ मील पर वासुकिनाथ का मन्दिर है।

वैशाली—यह प्राचीन वैशाली-जनपद का राजधानी तथा जैनों के चौवीसवें तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर की जन्मभूमि है। भगवान् बुद्ध यहाँ कई बार आये थे, अत यह बौद्धों एवं जैनों का पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ एक अशोक-स्तम्भ है। पुराने विशालगढ की खुदाई हो रही है।

सासाराम—शाहाबाद जिले के अन्तर्गत दिल्ली-सम्राट् शेरशाह का अपना बनाया मकबरा है।

सिंदरी—धनबाद जिले में इस स्थान पर एशिया का एक बहुत बडा खाद का कारखाना चल रहा है।

सीतामढ़ी—मुजफ्फरपुर जिले में, दरभंगा-रक्सौल रेलवे-लाइन पर सीतामढी स्टेशन है। यहाँ रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है। यह सीताजी की जन्मभूमि है। कहा जाता है कि महाराज जनक के हलाग्र से यहीं सीताजी प्रकट हुई थीं। यहाँ सीताजी के मन्दिर के अतिरिक्त और भी कई मन्दिर हैं।

हरिहर-क्षेत्र—छपरा से २६ मील दूर पूर्वोत्तर रेलवे का सोनपुर स्टेशन है। इसके पास ही गंगा और गण्डकी का संगम है। इसी स्थान पर हरिहर-क्षेत्र का भारत-प्रसिद्ध मेला लगता है, यह भारत का सबसे बड़ा मेला है, जो लगभग दो सप्ताह तक रहता है। यहाँ हरिहरनाथ का एक मन्दिर है। कहते हैं, यही गज-ग्राह-युद्ध हुआ था और भगवान् ने गज की रक्षा की थी।

मद्रास

ऊटकमंड—यह मद्रास-राज्य में नीलगिरि के अन्तर्गत प्रसिद्ध पहाडी स्थल है। यह समुद्र-तट से ७५०० फुट ऊँचा है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में बौटैनिकल गार्डन, घुड़दौड का मैदान आदि प्रमुख हैं।

कांजीवरम्—मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पश्चिम यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहो हजार से अधिक मन्दिर हैं। यह नगर तीन भागों में विभक्त है—शिवकाजीवरम्, विष्णुकाजीवरम् और पिल्लायर पलियम्। दर्शनीय स्थान ये हैं—कैलासनाथ मन्दिर (हजार वर्ष से अधिक पुराना), वेकुंठ पेरुमल मन्दिर (हजार वर्ष से अधिक पुराना), एकम्बरेश्वर मन्दिर (४०० वर्ष पुराना), वेदराजा पेरुमल मन्दिर आदि। नगर की जन-संख्या करीब एक लाख है।

कुनूर—मद्रास-राज्य की नीलगिरि-पर्वतमाला मे एक स्वास्थ्यप्रद स्थान, जो समुद्र तल से ६०० फुट ऊँचा है। ऊटकमंड और कोटागिरि इन दो पर्वतीय स्थानों से यह सड़क द्वारा सम्बद्ध है।

तंजोर—कावेरी नदी के डेल्टा पर बसा हुआ यह एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में यह नायक आदि चोल राजाओं की राजधानी रह चुका है। यह एक तीर्थस्थान भी है। यहाँ का प्राचीन वृद्धेश्वर मन्दिर भारत-प्रसिद्ध है।

तिरुचिरपल्ली (त्रिचनापल्ली)—मद्रास-राज्य का यह तीसरा बडा शहर है। यह चोल आदि राजाओं की राजधानी थी। यहाँ हिन्दुओ के कई मंदिर हैं।

तिरुपति बालाजी—यहाँ श्रीवेंकटेश्वर का भारत-प्रसिद्ध मन्दिर है।

नई वेली—दक्षिण अरकाट जिले मे लिगनाइट की खान है। यहाँ विजली, खाद और कच्चा लिगनाइट के कारखाने हैं।

पेरमबर—मद्रास के पास इस स्थान पर रेलवे डब्बा वनाने का कारखाना है।

मदुरा—मद्रास-राज्य का यह एक दूसरा बडा शहर है। यह प्राचीन पाण्डेय-राज की राजधानी है। यहाँ की जन-संख्या चार लाख है। यहाँ के दर्शनीय स्थानो मे मीनाक्षी और शिव का मंदिर, तिरुमल नायक का राजभवन और गाधी-म्युजियम प्रमुख हैं। यहाँ हाथ-करघा से तैयार रेशमी तथा सूती वस्त्र वहुत ही प्रसिद्ध हैं।

मद्रास—यह भारत का तीसरा वड़ा नगर और मद्रास-राज्य की राजधानी है। इसकी जन-संख्या करीव १५ लाख है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान सेण्ट जॉर्ज का किला, लाइट हाउस, मेरीना, म्युजियम, कैनमारा, लाइब्रेरी, चिड़ियाखाना, वेधशाला, अडेयर के थियोसोफिस्टों का प्रधान कार्यालय और कला-क्षेत्र हैं।

मल्लपुरम् (तुंगभद्रा)—बेलारी जिले में इस स्थान पर ६० करोड़ रुपये के खर्च से तुंगभद्रा नदी पर वॉध वॉधकर विद्युत्-उत्पादन का काम किया जा रहा है।

महावलीपुरम्—यह मद्रास के दक्षिणी किनारे स्थित है। यहाँ सात पैगोडा हैं। यहाँ के मंदिर चट्टानों को काटकर वनाये गये हैं। यहाँ की मूर्त्तियों में गंगावतरण की मूर्त्ति प्रमुख है, जो सातवी सदी में ६० फुट लम्बी और ४३ फुट ऊँची चट्टान को काटकर वनाई गई है, अन्य मूर्त्तियों में अनन्तशायी भगवान् विष्णु की मूर्त्ति तथा तपस्या करते हुए अर्जुन की मूर्त्ति हैं।

रामेश्वरम्—यह भारत की दक्षिणी सीमा पर एक छोटे-से द्वीप के अन्तर्गत हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है। यहाँ रामेश्वरनाथ का मंदिर है। कहते हैं कि लका से लौटकर रामचन्द्रजी ने यहाँ शिव की पूजा की थी। यह चार धामों के अन्तर्गत है। यहाँ से कुछ दूर पर धनुष्कोटि नामक तीर्थ हैं। धनुष्कोटि से श्रीलंका के लिए जहाज जाता है।

श्रीरंगम्—यह तिरुचिरपल्ली (त्रिचनापल्ली) से २ मील उत्तर कावेरी नदी के टापू पर दक्षिण भारत का सबसे बडा मन्दिर है, जिसमे १००० स्तम्भ हैं। यह मन्दिर २६६ वीघे के घेरे मे है। इस मन्दिर में श्रीरंगनाथ (विष्णु) की मूर्त्ति है। ईसा की ६वीं से १६वीं सदी तक मे इसमे वहुत परिवर्त्तन हुए हैं। यहा चोल, पाड्य, होयसल और विजयनगर-काल के अभिलेख हैं।

मध्यप्रदेश

अमरकण्टक—यह एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान तथा नगर है। यहां नर्मदेश्वर, अमर-कण्टकेश्वर, अमरनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि के मन्दिर हैं।

उज्जैन—राजा विक्रमादित्य के समय में यह भारत की राजधानी थी। यह हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ वारह ज्योतिर्लिङ्गों में एक महाकाल का मन्दिर है। यह शक्तिपीठ भी है। प्रत्येक वारहवें वर्ष यहाँ कुम्भ का मेला लगता है।

कोरवा—यहाँ कोयले की खान तथा ताप-विद्युत्-केन्द्र है। मुख्यतः यही के कोयला और विद्युत् से भिलाई का कारखाना चलता है।

खजुराहो—यह वुन्देलखंड मे स्थित है, जहाँ भगवान् शिव, विष्णु और जिनको अर्पित किये गये लगभग तीस मन्दिर हैं। ये मन्दिर ६५० ई० से १०५० ई० सन् के बीच निर्मित हुए हैं।

चित्रकूट—यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। भगवान् राम ने यहाँ वनवास-काल मे निवास किया था।

जबलपुर—यहाँ की जन-संख्या करीव तीस लाख है। यहाँ से चौदह मील पर संगमरमर की चट्टानें और धुआँधार नामक जल-प्रपात हैं। यह पहले मध्यप्रदेश की राजधानी था।

नेपानगर—भारत मे केवल इसी स्थान पर न्यूज प्रिंट कागज का कारखाना है।

पंचमढ़ी—यह मध्यप्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ कई झीलें, झरने और जल-प्रपात हैं।

भरहुत—यहाँ अनेक वौद्धस्तूप हैं, जिनपर भगवान् बुद्ध के पूर्वजन्म-सम्वन्धी अनेक चित्र अंकित हैं। अनुमान है कि यहाँ के स्तूप ई० पूर्व की द्वितीय शताब्दी के हैं।

भिलाई—दुर्ग नामक जिले में इस स्थान पर रूस की सहायता से लोहा तथा इस्पात का कारखाना चल रहा है।

साँची—यह भोपाल से २८ मील तथा भेलसा से ६ मील पूरव स्थित है। यहाँ वौद्ध स्तूप है, जो अपनी कला के लिए प्रख्यात है। यहाँ एक सरोवर है, जिसकी सीढियाँ वुद्ध-काल की वताई जाती हैं। स्तूप के चारों ओर के दरवाजों पर जातक-कथामाला की वहुत-सी कहानियाँ अंकित हैं। भगवान् वुद्ध के दो प्रिय शिष्य—सारिपुत्त और मोग्गलायन के अस्थि-अवशेष यहां सुरक्षित हैं।

महाराष्ट्र

अजन्ता-गुफा—यह वम्वई-राज्य के औरंगावाद स्थान से ६६ मील उत्तर है। यहां वौद्धकालीन २९ गुफाएँ हैं, जिनमे ५ चैत्य और २४ विहार हैं। यहाँ २०० ई० पू० से ७०० ई० तक के स्थापत्य-कला, वास्तु-कला और चित्रकला के अद्वितीय नमूने हैं।

औरंगावाद—यह यहाँ के एलोरा, अजन्ता गुफा और दौलतावाद गढ़ जाने का मार्ग है। शहर के पास ८ वौद्धकालीन गुफाएँ और मुस्लिमकालीन मस्जिद और मकवरे हैं। इनमे वीवी (औरंगजेब की पत्नी) का मकवरा मुख्य है।

एलिफेन्टा गुफा—वम्वई-वन्दरगाह से ६ मील पर एलिफेन्टा नामक टापू में उक्त गुफा के अन्दर शिव की मूर्त्तियाँ विविध रूप में निर्मित हैं। ये मूर्त्तियाँ ७वीं-८वीं सदी की हैं। मुख्य गुफा १२५ फुट लम्बा और १२५ फुट चौड़ा है। तीन शिरोंवाली शिव की मूर्त्ति अपनी विशालता और सुन्दरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।

एलोरा गुफाएँ—वम्वई-राज्य में औरंगाबाद से १५ मील उत्तर-पश्चिम लगभग सवा मील में फैली हुई हैं। ये ३४ की संख्या में हैं, जिनमें १२ वौद्ध गुफाएँ, १७ हिन्दू गुफाएँ और ५ जैन गुफाएँ हैं। अन्य गुफाओं से हिन्दू-गुफाएँ अधिक विचित्र हैं। यहाँ का कैलास-मन्दिर भारत का सबसे बड़ा गुफा-मन्दिर है। इसके अतिरिक्त और भी कई गुफाएँ हैं। ये गुफाएँ लगभग हजार वर्ष पुरानी हैं।

कार्ली गुफा—यह एक प्रसिद्ध वौद्ध गुफा है, जिसकी लम्बाई १२४ फुट और चौड़ाई ४५ फुट है। इस गुफा के सभी मन्दिर चट्टान काटकर वनाये गये हैं। इसमें कई चैत्य तथा वुद्ध की मूर्त्तियाँ हैं। इस गुफा का निर्माण-काल ई० पू० की पहली शताब्दी है। इसके पास ही माजा की गुफाएँ हैं, जहाँ के चैत्य तथा मूर्त्तियाँ दर्शनीय हैं।

किरलोस्करवारी—सतारा जिले में ४५ वर्षों से यह एक औद्योगिक चालू केन्द्र है, जहाँ कृषि और इंजिनियरिंग-सम्वन्धी औजार तैयार किये जाते हैं।

कोयना नगर—यहाँ ३० करोड़ रुपये के खर्च से कोयना नदी के जल को सुरंग से निकालकर पहाड़ी के दूसरी ओर ले जाकर जमीन के भीतर विद्युत् तैयार करने का कारखाना खोला गया है।

दौलतावाद—यहाँ की एक पहाड़ी पर १२वीं सदी का एक किला है। एक समय यह इतना समुन्नत था कि दिल्ली के वादशाह मुहम्मद-विन-तुगलक ने अपनी राजधानी यहीं लानी चाही। उसकी दिल्ली से दौलतावाद और दौलतावाद से दिल्ली राजधानी ले जाने की कहानी प्रसिद्ध है। औरंगजेव का मकवरा यहीं है।

नासिक—यह एक प्रमुख नगर तथा तीर्थस्थान है। यह गोदावरी के तट पर वसा है। यहाँ त्र्यम्वकेश्वर महादेव का मन्दिर है। भगवान् रामचन्द्र ने यहीं पंचवटी में वनवास की अवधि विताई थी। यहाँ प्रति वारहवें वर्ष कुम्भ का मेला लगता है। यहाँ भारत-सरकार का सिक्युरिटी प्रेस है।

पिम्परी—पूना के पास इस स्थान पर एण्टि-वॉयटिक कारखाना है, जहाँ पेनिसिलिन आदि वनते हैं।

पूना—यह पुराना ऐतिहासिक स्थान है। इस समय यहाँ कई कल-कारखाने तथा अनुसंधान-शालाएँ चल रहे हैं। यहाँ की जन-संख्या ५ लाख है।

वम्वई—भारत का द्वितीय वड़ा नगर और वन्दरगाह। क्षेत्रफल १७४ वर्गमील और जन-संख्या लगभग ३२ लाख। वस्त्र-उद्योग का प्रसिद्ध केन्द्र। यहाँ का विदेशी व्यापार भारत के कुल व्यापार का ४६ प्रतिशत है। देश के आयकर का ३० प्रतिशत यहीं से प्राप्त। रेल-मार्ग और वायु-मार्ग का मुख्य केन्द्र। कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थान—भारत का गेट वे, अपोलो वन्दर, प्रिन्स ऑफ् वेल्स म्युजियम, टाउन हॉल, सेण्ट्रल लाइब्रेरी, विक्टोरिया टरमिनस, चौपाटी का मैदान,

मध्यप्रदेश

अमरकण्टक—यह एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान तथा नगर है। यहाँ नर्मदेश्वर, अमर-कण्टकेश्वर, अमरनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि के मन्दिर हैं।

उज्जैन—राजा विक्रमादित्य के समय में यह भारत की राजधानी थी। यह हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ बारह ज्योतिर्लिङ्गों में एक महाकाल का मन्दिर है। यह शक्तिपीठ भी है। प्रत्येक बारहवें वर्ष यहाँ कुम्भ का मेला लगता है।

कोरबा—यहाँ कोयले की खान तथा ताप-विद्युत्-केन्द्र है। मुख्यतः यहीं के कोयला और विद्युत् से भिलाई का कारखाना चलता है।

खजुराहो—यह बुन्देलखंड मे स्थित है, जहाँ भगवान् शिव, विष्णु और जिनको अर्पित किये गये लगभग तीस मन्दिर हैं। ये मन्दिर ९५० ई० से १०५० ई० सन् के बीच निर्मित हुए हैं।

चित्रकूट—यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। भगवान् राम ने यहाँ वनवास-काल मे निवास किया था।

जबलपुर—यहाँ की जन-संख्या करीब तीस लाख है। यहाँ से चौदह मील पर संगमरमर की चट्टानें और धुआँधार नामक जल-प्रपात हैं। यह पहले मध्यप्रदेश की राजधानी था।

नेपानगर—भारत में केवल इसी स्थान पर न्यूज प्रिंट कागज का कारखाना है।

पंचमढ़ी—यह मध्यप्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ कई झीलें, झरने और जल-प्रपात हैं।

भरहुत—यहाँ अनेक बौद्धस्तूप हैं, जिनपर भगवान् बुद्ध के पूर्वजन्म-सम्बन्धी अनेक चित्र अंकित हैं। अनुमान है कि यहाँ के स्तूप ई० पूर्व की द्वितीय शताब्दी के हैं।

भिलाई—दुर्ग नामक जिले में इस स्थान पर रूस की सहायता से लोहा तथा इस्पात का कारखाना चल रहा है।

साँची—यह भोपाल से २८ मील तथा भेलसा से ६ मील पूरब स्थित है। यहाँ बौद्ध स्तूप है, जो अपनी कला के लिए प्रख्यात है। यहाँ एक सरोवर है, जिसकी सीढ़ियाँ बुद्ध-काल की बताई जाती हैं। स्तूप के चारों ओर के दरवाजो पर जातक-कथामाला की बहुत-सी कहानियाँ अंकित हैं। भगवान् बुद्ध के दो प्रिय शिष्य—सारिपुत्त और मोग्गलायन के अस्थि-अवशेष यहाँ सुरक्षित हैं।

महाराष्ट्र

अजन्ता-गुफा—यह बम्बई-राज्य के औरंगाबाद स्थान से ६६ मील उत्तर है। यहाँ बौद्धकालीन २९ गुफाएँ हैं, जिनमें ५ चैत्य और २४ विहार हैं। यहाँ २०० ई० पू० से ७०० ई० तक के स्थापत्य-कला, वास्तु-कला और चित्रकला के अद्वितीय नमूने हैं।

औरंगाबाद—यह यहाँ के एलोरा, अजन्ता गुफा और दौलताबाद गढ जाने का मार्ग है। शहर के पास ८ बौद्धकालीन गुफाएँ और मुस्लिमकालीन मस्जिद और मकबरे हैं। इनमें बीबी (औरंगजेब की पत्नी) का मकबरा मुख्य है।

मालावार हिल्स का हैंगिंग गार्डेन, घुड्दौड का मैदान, विक्टोरिया गार्डेन और एलवर्ट म्युजियम। आसपास के देखने योग्य स्थान—जुहू, विहार झील, कन्हेरी गुफा, जोगेश्वरी गुफा, वज्रेश्वरी मन्दिर, मंडपेश्वर, एलिफेन्टा गुफा, ट्रॉम वे (अणुशक्ति-केन्द्र) आदि।

बालचन्द्र नगर—यह एक औद्योगिक केन्द्र है। पूना या वारामाटी स्टेशन से यहाँ जाने का रास्ता है। यहाँ चीनी और चीनी वनाने की मशीनें तैयार होती हैं।

महाबलेश्वर—यह महाराष्ट्र-राज्य का स्वास्थ्यप्रद पहाडी स्थल है। यहाँ मराठों के कई पहाडी किले, झील, जल-प्रपात और महाबलेश्वर के मन्दिर प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। यह पाँच नदियों—सावित्री, कृष्णा, वेरणा, ककुद्मती (कोयन) और गायत्री के संगम पर वसा है। यहाँ के महाबलेश्वर के प्राचीन मन्दिर में शिवजी की मूर्त्ति है।

रायगढ़—यहाँ छत्रपति शिवाजी का प्रसिद्ध दुर्ग और समाधि है।

सतारा—यह महाराष्ट्र-राज्य की राजधानी रहा है।

सेवाग्राम—वर्धा जिले के इस ग्राम में महात्मा गाधी ने एक आश्रम स्थापित किया था।

मैसूर

कोलार—यह मैसूर-राज्य के अन्तर्गत सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तीन सोनें की खानें सरकारी प्रवन्ध में चालू हैं। यहाँ की जन-संख्या करीव दो लाख है।

जोग-प्रपात—मैसूर-राज्य के यह संसार के वड़े जल-प्रपातों में है। इसे जब्शोप्पा जल-प्रपात भी कहते हैं। सारावती नदी का यह जल-प्रपात ८८० फुट ऊँचे पर्वत पर से २३० फुट की चौड़ाई में गिरता है। इसे देखने का सवसे सुन्दर समय दिसम्वर मास है।

बीजापुर—मैसूर में यह पुराने बीजापुर-राज्य की राजधानी है। यहाँ प्राचीन महलों, मन्दिरों, मस्जिदों और मकवरों के ध्वंसावशेष वहुत हैं।

बंगलोर—यह मैसूर का सवसे वडा नगर और स्वास्थ्य-प्रद स्थान है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में टीपू सुलतान का महल, वर्त्तमान महाराज का महल, कई प्रकार के औद्योगिक केन्द्र; मन्दिर और वाग-वगीचे हैं। यहाँ से वेलूर, कोलार के सोने की खान, भद्रावती (लोहे का उद्योग-केन्द्र) आदि स्थानों को जाया जा सकता है।

बदामी—यहाँ वहुत-से प्राचीन हिन्दू-मन्दिर और छठी सदी की गुफाएँ हैं, जिनमें कुछ मूर्त्तियाँ भी मिलती हैं। इसी के पास अइहोली नामक स्थान में भी प्राचीन हिन्दू-मन्दिर हैं।

भद्रावती—यहाँ मैसूर-सरकार के लोहा तथा इस्पात के कारखाने हैं।

मैसूर—यह प्राचीन काल से ही मैसूर-राज्य की राजधानी रहा है। इसकी जन-संख्या तीन लाख है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों मे पुराने राजाओं के राजमहल, पास की पहाड़ी पर का चामुण्डा-मन्दिर, चिड़ियाखाना, चन्दन की लकडी का कारखाना, रेशम का कारखाना आदि हैं।

श्रवणवेलगोल—यह जैन मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ६५ फुट ऊँची जैनाचार्य गोम्मटेश्वर की मूर्त्ति है, जो ९८३ ई० में निर्मित हुई थी। यह विश्व की सवसे वड़ी मूर्त्ति है, जो एक पहाडी की चोटी पर एक ही प्रस्तर-खण्ड को काटकर वनाई गई है।

हालेविद—यहाँ भगवान् हालेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है, जो दक्षिण के मन्दिरों में, कला एवं संस्कृति की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

हिमालय के अंचल में

केदारनाथ—हिमालय के अचल में स्थित यह हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है। यहाँ का ज्योतिर्लिङ्ग द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में एक है। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है। इसके पास कई कुण्ड हैं। मन्दिर मे ऊषा, अनिरुद्ध, पंचपाण्डव, श्रीकृष्ण तथा शिव-पार्वती की मूर्त्तियाँ हैं।

कुमायूँ पहाड़ी—यह हिमालय के अचल में अपने मनोहर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अलमोडा, नैनीताल और रानीखेत इसीके अन्तर्गत हैं।

कैलास—यह भगवान् शंकर का निवास-स्थास समझा जाता है। इसकी आकृति एक विराट् शिवलिंग-जैसी है। इसकी परिक्रमा ३२ मील की है। मुख्य कैलास पर्वत कसौटी के काले पत्थर का वना है और सदा वर्फ से ढका रहता है। यह मानस-सरोवर से २० मील पर है। यहाँ पहुँचने के सम्वन्ध में कुछ विशेष वातें मानस-सरोवर के प्रसंग मे दी गई हैं।

गङ्गोत्तरी—यह स्थान समुद्र-स्तर से १०,०२० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ गङ्गा की चौडाई केवल ४४ फुट और गहराई लगभग तीन फुट है। यहाँ श्रीगङ्गाजी का मन्दिर है, जिसमें श्रीगङ्गाजी की मूर्त्ति के अतिरिक्त भगीरथ, शंकराचार्य, यमुना तथा सरस्वती की भी मूर्त्तियाँ है। यहाँ से १८ मील दूर गोमुख नामक स्थान है, यहाँ से गङ्गा नदी निकलती है। यह एक प्रमुख तीर्थस्थान है।

पशुपतिनाथ (नेपाल)—नेपाल की राजधानी काठमाडू मे विष्णुमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मन्रि है। मन्दिर में पञ्चमुख शिवलिङ्ग है, जो अष्टतत्त्व मूर्त्तियों में एक माना जाता है।

बदरीनाथ—यह हिमालय के अंचल मे स्थित एत तीर्थस्थान है। यहाँ के मन्दिर मे श्रीवदरीनाथ की चतुर्भुज मूर्त्ति हैं, जो शालग्राम-शिला से निर्मित है। इसके पास ही अलकनंदा नदी वहती है। इसके आसपास कई तप्त कुण्ड हैं।

मानस-सरोवर—यह नेपाल के पश्चिमोत्तर कोने के पास हिमालय की उत्तरी सीमा पर एक प्रसिद्ध सरोवर है, जो इस समय तिव्वती सीमा के अन्तर्गत है। इस सरोवर का घेरा करीव २२ मील है। इसका जल अत्यन्त स्वच्छ रहता है। यह ५१ सिद्धपीठों मे एक है। पास में इससे भी वडा राक्षसताल है, जहाँ, कहते हैं, रावण ने शिव की आराधना की थी। यहाँ से कैलास पर्वत २० मील की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के टनकपुर, काठगोदाम या ऋषिकेश स्टेशन से कुछ दूर मोटर-वस द्वारा जाकर आगे चार-पाँच सौ मील पैदल या घोडे आदि की पीठ पर चलना पडता है। खाने-पीने का सामान भारतीय सीमा पर के वाजार से ही साथ ले जाना होता है। इस यात्रा मे डेढ-दो मास का समय लगता है। कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नही होती।

यमुनोत्तरी—समुद्र-तल से दस हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित यह हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ कई गरम जल के कुण्ड हैं, जिनका जल खौलता रहता है। पास ही कलिन्दगिरि पर्वत है, जहाँ से यमुना नदी (कालिन्दी) निकली है। कालिन्दी का उद्गम-स्थान अत्यंत मनोरम है।

★

राष्ट्रीय चिह्न, झण्डा और गीत

राष्ट्रीय चिह्न—भारत का राष्ट्रीय चिह्न सारनाथस्थित अशोक के सिंह-स्तम्भ के उस रूप का प्रतिरूप है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस रूप में यह स्तम्भ सम्राट् अशोक द्वारा उस स्थान पर स्थापित किया गया था, जहाँ भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम बार धर्म की दीक्षा प्रदान की थी। इसमें चार सिंह हैं, जो स्तम्भ के शीर्ष-भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर पीठ-से-पीठ सटाये चारों ओर मुँह किये हुए खड़े हैं। स्तम्भ के चारों ओर भी उस चौरस पट्टी में एक हाथी, दौड़ता हुआ एक घोड़ा, एक बैल तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं, जिनके बीच-बीच में धर्मचक्र बने हैं, और ऊपर एक चक्र है। सारा स्तम्भ एक ही पत्थर से काटकर बनाया हुआ एक 'अजूबा' है।

२६ जनवरी, १९५० को भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत इस राष्ट्रीय चिह्न में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है, जिसके दाहिने तथा बायें ओर क्रमशः एक सांड और एक घोड़ा है। चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद् का वाक्य—'सत्यमेव जयते' अंकित है। इसका अर्थ है 'सत्य की ही विजय होती है'।

राष्ट्रीय झण्डा—वर्तमान भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा १९०६ में कलकत्ता में फहराया गया था। इसमें लाल, पीला और हरा—तीन रंग थे। दूसरा झण्डा भी इसी तरह का था, जिसे श्रीमती कामा आदि निर्वासित क्रान्तिकारियों ने पेरिस में फहराया था। तीसरा झण्डा १९१७ के होमरूल-आन्दोलन में श्रीमती एनीबेसेण्ट और लोकमान्य तिलक ने फहराया। चौथी बार कांग्रेस ने महात्मा गान्धी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए एक तिरंगा झण्डा १९२१ ई० में तैयार किया। यही झण्डा कुछ परिवर्तन के बाद २२ जुलाई, १९४७ को भारत की संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। यह तीन बराबर की आयताकार पट्टियों से बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, मध्य की श्वेत रंग की तथा नीचे की गहरे हरे रंग की। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३ और २ है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जो चरखे का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भवाले धर्मचक्र की बनावट का है।

झण्डे के फहराये जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किये जाने के लिए भारत-सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किये हैं। इसको किसी के लिए झुकाया नहीं जा सकता तथा कोई और झण्डा या चिह्न इसके ऊपर अथवा दाईं ओर स्थान नहीं पा सकता। यदि एक ही पंक्ति में अनेक झण्डे फहराने हों, तो वे सब राष्ट्रीय झण्डे की बाईं ओर ही रहेंगे। जब अन्य झण्डों को ऊँचा फहराना हो, तब राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए।

जब एक ध्वज-दण्ड पर कई झण्डे फहराने हों, तब भी राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। झण्डे को लिटाकर अथवा झुकी हुई दशा में कभी न ले जाया जाय। जुलूस में यह झण्डा ध्वजवाहक के दायें कन्धे पर और सबसे आगे रहना चाहिए। यदि किसी दण्डे पर इसे सीधा या किसी खिड़की, छज्जे अथवा मकान के मुख-भाग से इसे झुकी हुई स्थिति में फहराना हो, तो केसरिया भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए।

सामान्यतः यह झण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय तथा जेल आदि जैसे सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। भारत-गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के अपने-अपने निजी झण्डे हैं।

स्वतन्त्रता-दिवस, गणतन्त्र-दिवस, महात्मा गाधी का जन्म-दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय झण्डा, कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है।

राष्ट्रीय गीत—विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित 'जन-गण-मन' को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में २४ जनवरी, १६५० को अपनाया गया। यह गीत सर्वप्रथम २७ दिसम्बर, १६११ को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कॉगरेस के अधिवेशन में गाया गया था। कवीन्द्र रवीन्द्र के पूरे गीत में पॉच पद हैं। इसका प्रथम पद, जिसे भारत की प्रतिरक्षा-सेनाओं ने अपना लिया है, तथा जो साधारणतया समारोहों में गाया जाता है, इस प्रकार है—

जन-गण-मन अधिनायक, जय हे
भारत-भाग्य विधाता !
पजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा-उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मॉगे,
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता !
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे !

राष्ट्रीय गान—राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि श्रीवंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा लिखित 'वंदे मातरम्' को भी 'जन-गण-मन' के समान ही दर्जा दिया जाय; क्योंकि स्वतंत्रता-संग्राम में 'वंदे मातरम्' जन-जन का प्रेरणा-स्रोत था। मूल रूप में यह श्रीवंकिमचन्द्र चटर्जी के सन् १८८२ ई० में प्रकाशित 'आनन्दमठ' नामक उपन्यास में छपा था। राजनीतिक रंगमंच से यह गान सर्वप्रथम सन् १८६६ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कॉगरेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसके प्रथम पद का पाठ इस प्रकार है—

वन्दे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलां, मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्।

★

भारत का संविधान

भारत की संविधान-सभा का प्रथम अधिवेशन ९ दिसम्बर, १९४६ को हुआ। २२ जनवरी, १९४७ को इसने उद्देश्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तथा प्रस्तावित संविधान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियाँ नियुक्त कीं। इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर ही संविधान-सभा की प्रारूप-समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो फरवरी १९४८ ई० में प्रकाशित हुआ। ४ नवम्बर, १९४८ को इसे सामान्य विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। इसी बीच, भारतीय स्वतंत्रता-अधिनियम स्वीकृत होने तथा १५ अगस्त, १९४७ ई० को सत्ता के हस्तान्तरण के फलस्वरूप, संविधान-सभा उन सब प्रतिबंधों से मुक्त हो गई, जिनकी छाया में उसका जन्म हुआ था। इस प्रकार, एक स्वतंत्र प्रभुसत्तासम्पन्न निकाय के रूप में इसने भारत का संविधान बनाने का कार्य सम्पन्न किया। संविधान-सभा ने ३९५ अनुच्छेदों तथा आठ अनुसूचियों से युक्त संविधान को २६ नवम्बर, १९४९ को अन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया, तथा २६ जनवरी, १९५० से यह लागू हो गया।

संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने और उनमें व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा।

संघ तथा उसका राज्य-क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है, जिसके राज्य-क्षेत्र में आसाम, आंध्र-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, केरल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी-बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य-प्रदेश, मैसूर और राजस्थान तथा अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, मणिपुर, लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, हिमाचल-प्रदेश और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र हैं।

नागरिकता तथा मताधिकार

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एकल तथा एकसम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पाँच वर्षों तक भारत का निवासी होने की शर्त पूरी करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद ६ और ७ के अनुसार, पाकिस्तान से आनेवाले वे विस्थापित व्यक्ति, जो कुछ शर्तों को पूरा करते हों, भारत के नागरिक बन सकते हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने निवासवाले देश में स्थित भारतीय राजनयिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा लें। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, भारत का नागरिक नहीं बन सकता।

संविधान के अनुच्छेद ३२६ के अन्तर्गत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है, जो भारत का नागरिक हो तथा निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम आयु का न हो तथा जिसको संविधान अथवा यथोचित विधानमंडल के किसी कानून द्वारा अनिवास, पागलपन, अपराध, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्य के आधार पर अयोग्य न ठहरा दिया गया हो।

मौलिक अधिकार

संविधान के तीसरे भाग में मोटे तौर पर सात प्रकार के मौलिक अधिकार गिनाये गये हैं : समता का अधिकार (अनुच्छेद १४ से १८); अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद १६); एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड न पा सकने, अपने ही विरुद्ध साक्षी न बनाये जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा जीवन से वंचित न किये जा सकने का अधिकार (अनुच्छेद २० और २१); शोषण से रक्षा का अधिकार (अनुच्छेद २३ और २४); धर्म-स्वातंत्र्य का अधिकार (अनुच्छेद २५ से २८); संस्कृति और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद २६ तथा ३०); सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद ३१); तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)। इस अन्तिम अधिकार के अन्तर्गत, सभी अधिकार निर्णेय हैं और उनको लागू करवाने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है।

समता के अधिकार के अन्तर्गत, कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म, जाति, लिंग-भेद अथवा जन्म-स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जायेगा। सरकारी नौकरी के मामले में सबको समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। अस्पृश्यता का भी उन्मूलन कर दिया गया है। संसद् के एक कानून के अनुसार, अस्पृश्यता का व्यवहार करनेवाले व्यक्ति को कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है।

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाये जा सकते, तथापि 'देश के शासन में उनका ध्यान रखना आवश्यक' माना जाता है, इनमें कहा गया है : "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार, सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे; समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे; अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अधिकार दे; तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत, आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देने; मादक पेय औषधियों पर रोक लगाने; १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य का प्रबन्ध करने; ग्राम-पंचायतें बनाने तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की व्यवस्था

संघ (केन्द्र)

कार्यपालिका

संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के अनुसार, केन्द्रीय कार्यपालिका के अन्तर्गत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है।

राष्ट्रपति—राष्ट्रपति का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा [illegible] संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति पद के [illegible] ३५ वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक हो तथा लोक सभा का सदस्य बनने का पात्र हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है और वह पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद ६१ के अनुसार, संविधान की रक्षा करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है, तो महाभियोग लगाकर उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। संघ का प्रधान होने से ही वैधानिक रूप से राष्ट्रपति को नियुक्तियाँ करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने, उसमें भाषण देने और उसे सन्देश भेजने तथा लोकसभा को भंग करने, संसद् की अनुपस्थिति में अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी करने, धन-विधेयक पेश करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमा-दान करने, दंड को रोक रखने अथवा उसमें कमी करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से करता है।

उप-राष्ट्रपति—उप-राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा संसद् के दोनों सदनों के सदस्य एक संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। यह आवश्यक है कि उप-राष्ट्रपति भी कम-से-कम ३५ वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक तथा राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र हो। उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल भी ५ वर्ष का होता है तथा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अतिरिक्त, बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के कार्य न कर सकने की अवस्था में अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पदच्युति के परिणामस्वरूप पद रिक्त होने के बाद, जबतक नये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता, तबतक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यकाल में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति में निहित समस्त अधिकारों और कार्यों का वहन करेगा। किन्तु, इस अवधि में वह राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाता।

मंत्रिपरिषद्—संविधान के अनुच्छेद ७४ के अन्तर्गत, राष्ट्रपति को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल यद्यपि राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है, तथापि वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार, प्रधान मंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद् केन्द्रीय प्रशासन-कार्यों तथा नये कानूनों से सम्बन्धित जो निर्णय करे, उससे वह राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे।

महान्यायवादी (एटर्नी जनरल)—महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत-सरकार को कानूनी मामलों मे परामर्श देता है तथा अन्य ऐसे कानूनी कार्य

करता है, जो राष्ट्रपति उसको सौंपे। महान्यायवादी संविधान द्वारा सौंपे गये अथवा संविधान के अन्तर्गत मिले अन्य कार्य भी करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है तथा वह देश के सभी न्यायालयों में पैरवी कर सकता है।

संसद्

केन्द्रीय विधान-मंडल, जो 'संसद्' कहलाता है, के अंतर्गत, राष्ट्रपति तथा वे दो सदन हैं, जिन्हें राज्यसभा तथा लोकसभा कहा जाता है।

राज्यसभा—राज्यसभा की अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है, जिसमें से १२ सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में अपनी ख्याति के कारण राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये जाते हैं। शेष सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा भंग नहीं होती। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद् द्वारा निहित विधि के अनुसार चुने जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है; साथ ही, आयु भी ३० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

लोकसभा—लोकसभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० है। ये सदस्य वयस्क-मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि उस राज्य के विधान-मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संसद् के एक नियम के अनुसार, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक-से-अधिक २० सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के यह समझने की स्थिति में कि आंग्ल-भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, उनके प्रतिनिधित्व के लिए, संविधान आरम्भ होने के बाद १० वर्ष तक, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्ल-भारतीय सदस्य नामजद करने की व्यवस्था थी। अब इस अवधि को १० वर्ष और बढा दिया गया है।

न्यायपालिका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक-से-अधिक १० न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा वह किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश अथवा किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में कम-से-कम १० वर्ष तक वकील रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की सम्मति में कानून का प्रकाण्ड पंडित हो। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था कर दी गई है। संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को केवल उसी दशा में उसके पद से हटा सकता है, जब प्रमाणित दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद् का प्रत्येक सदन उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा समस्त सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे।

भारत का नियंत्रक तथा महालेखानिरीक्षक

संविधान के अनुच्छेद १४८ से १५१ में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के हिसाब-किताब पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक नियंत्रक तथा महालेखानिरीक्षक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। उसके नौकरी तथा कर्तव्यों का निर्धारण संसद द्वारा बनाये गये कानून द्वारा किया जाता है। वह केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के हिसाब के सम्बन्ध में प्रतिवेदन उपस्थित करता है, जो संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान-मंडलों में पेश किया जाता है।

राज्य

संविधान के छठे भाग के अनुसार, राज्यों की शासन-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के समान है।

कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत, राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है।

राज्यपाल—राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ५ वर्षों के लिए करता है, किन्तु उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ३५ वर्ष से अधिक आयुवाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल संसद् अथवा राज्य के विधान-मंडल के किसी भी सदन की सदस्यता अथवा अन्य कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता।

मंत्रिपरिषद्—संविधान में राज्यपाल को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मंत्रिपरिषद् राज्यपाल की इच्छा-पर्यन्त ही अपने पद पर बनी रहती है तथा सामूहिक रूप से राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)—महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह अधिकारी राज्यपाल अथवा संविधान अथवा अन्य किसी विधान द्वारा सौंपे गये कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करता है तथा राज्य-सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है। राज्यपाल की इच्छा-पर्यन्त ही वह अपने पद पर बना रहता है

विधान-मंडल

प्रत्येक राज्य में एक-एक विधान-मंडल होता है, जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त, दो सदन होते हैं; किन्तु आसाम, उड़ीसा, केरल तथा राजस्थान में केवल एक-एक सदन की ही

व्यवस्था है। उच्च सदन विधान-परिषद् कहलाता है तथा निचला सदन विधान-सभा। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि वर्त्तमान विधान-परिषद् को समाप्त करने अथवा किसी राज्य में उसकी स्थापना करने की व्यवस्था कर सकती है।

विधान-परिषद्—प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान-सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से कम नहीं होगी। परिषद् के लगभग एक-तिहाई सदस्य, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो विधान-सभा के सदस्य नही हैं; एक-तिहाई सदस्य नगर-पालिकाओं, जिला-बोर्डों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक-मंडल चुनते हैं; १/१२ सदस्य शिक्षालयों (माध्यमिक स्तर से नीचे के नही) के रजिस्टर-शुदा अध्यापक चुनते हैं तथा १/१२ सदस्य ३ वर्षों से अधिक पुराने रजिस्टर-शुदा स्नातक चुनते हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी अन्दोलन तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। राज्यसभा की भाँति ही विधान-परिषदें भी स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं।

विधान-सभा—संविधान के अनुच्छेद १७० के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अधिक-से-अधिक ५०० तथा कम-से-कम ६० सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधान-सभा का कार्यकाल भी सामान्यतः ५ वर्ष का होगा है।

न्यायपालिका

प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधीश होते हैं, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्ति कर दे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्याया-धिपति से परामर्श किया जाता है। मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं। इन्हें अपने पद से हटाने की विधि भी वही है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिए निर्धारित है। संविधान मे अधीनस्थ न्याया-लयों की स्थापना के लिए भी व्यवस्था है।

संघ तथा राज्य

केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के बीच के वैधानिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण संविधान के ग्यारहवें भाग मे दिया गया है। नये राज्यों की स्थापना करने अथवा क्षेत्रफल, सीमाएँ अथवा वर्त्तमान राज्य का नाम बदलने का अधिकार ससद् को ही है।

वैधानिक सम्बन्ध—केन्द्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक अधिकारों के विभाजन की व्यवस्था सातवीं अनुसूची के उपबन्धो द्वारा कर दी गई है, जो केन्द्रीय सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची नामक तीन सूचियों मे निहित हैं। केन्द्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे मे कानून

बनाने का पूर्ण अधिकार संसद् को तथा राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों के विधान-मंडलों को है। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों को है।

क्षेत्रीय दृष्टि से संसद् के वैधानिक अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त देश अथवा उसका कोई भी भाग आ सकता है, जबकि राज्य के विधान-मंडल का वैधानिक अधिकार-क्षेत्र राज्य अथवा उसके किसी भाग तक ही सीमित है। संसद् भारत के उन क्षेत्रों के लिए भी, जो किसी राज्य में नहीं हैं, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है, जो राज्यों के विधान-मंडलों के ही अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त 'अवशिष्ट अधिकार', यानी जिनकी व्याख्या किसी भी सूची में नहीं की गई है, संसद् में निहित हैं।

प्रशासनिक सम्बन्ध—केन्द्र तथा राज्यों के कार्यपालिका-सम्बन्धी अधिकार साधारणतः उनके अपने-अपने वैधानिक अधिकारों के साथ चलते हैं, परन्तु संविधान की व्यवस्था के अनुसार, केन्द्रीय सरकार अपने कुछ कार्य राज्य-सरकारों द्वारा उनकी स्वीकृति से सौंप सकती है, तथा उन्हें आदेश दे सकती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य की सीमा में राष्ट्रीय अथवा सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संचार-साधनों का निर्माण और रक्षा, अन्तर्राज्यीय नदी आदि के पानी के विभाजन-सम्बन्धी विवादों का निर्णय करने तथा अन्तर्राज्यीय परिषदें स्थापित करने का भी अधिकार है।

वित्त

संविधान के बारहवें भाग में वित्त, सम्पत्ति, ठेके आदि सम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की एक व्यापक योजना के लिए भी संविधान में व्यवस्था कर दी गई है।

केन्द्र को केन्द्रीय सूची के अनुसार तथा राज्यों को राज्य-सूची के अनुसार कर और शुल्क उगाहने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त, संविधान में करों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों का भी उल्लेख कर दिया गया है, जिनका बँटवारा राज्यों तथा केन्द्र के बीच विभिन्न परिमाणों में किया जाता है।

संविधान ने केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह भारत की समेकित (कनसोलिडेटेड) निधि के आधार पर संसद् द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक ऋण ले सकती है। केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण तथा उनके द्वारा जारी किये गये ऋणों के सम्बन्ध में गारंटी भी दे सकती है। राज्यों को भी अपनी-अपनी समेकित निधियों के आधार पर ऋण जारी करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक 'वित्त-आयोग' की स्थापना किये जाने की भी संविधान में व्यवस्था कर दी गई है, जो करों से होनेवाली शुद्ध आय का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों के बीच वितरण करने तथा राज्यों को सहायता-अनुदान देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। पहला वित्त-आयोग नवम्बर १९५१ में तथा दूसरा आयोग २ अप्रैल, १९५६ को नियुक्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्यों के हिसाब-किताब की जाँच करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकारी की भी व्यवस्था है।

वाणिज्य-व्यापार

संविधान के तेरहवें भाग में सम्पूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य तथा आदान-प्रदान की स्वतंत्रता के सामान्य सिद्धान्तों की व्यवस्था है। संसद् अथवा विधान-मंडलों को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जिससे व्यापार आदि के बारे में एक राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ दी जा सकें, अथवा जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित हो।

सार्वजनिक सेवाएँ

संविधान के चौदहवें भाग का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों में काम करनेवाले कर्मचारियों की भरती, उनकी सेवा की शर्तों, पदावधि तथा सेवामुक्ति, पदच्युति अथवा पदावनति से है। इसी भाग में केन्द्रीय तथा राज्यीय लोकसेवा-आयोगो की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है।

निर्वाचन

संसद् और विधान-मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के लिए होनेवाले सभी चुनावों के नियंत्रण तथा निरीक्षण का भार चुनाव-आयोग को सौंपा गया है। चुनाव-आयोग में एक मुख्य चुनाव-आयुक्त के अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार अन्य चुनाव-आयुक्त भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयुक्तों की सेवा तथा पदावधि की शर्तों का निर्णय राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव-आयुक्त को भी उसी विधि से पदच्युत किया जा सकता है, जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है।

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार, भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी-लिपि में हिन्दी होगी तथा सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। किन्तु, राजभाषा के रूप में अँगरेजी का प्रयोग, संविधान लागू होने के बाद अधिक-से-अधिक १५ वर्ष तक जारी रहेगा। अनुच्छेद ३४४ के अनुसार, राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के समय से पाँच वर्षों की समाप्ति और इसके बाद संविधान लागू होने के समय से दस वर्षों की अवधि की समाप्ति पर हिन्दी के विकास तथा प्रचार के सम्बन्ध मे जाँच कराने और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अँगरेजी के स्थान पर पूर्ण रूप से हिन्दी का उपयोग आरम्भ कराने के विचार से, केन्द्र के सभी अथवा किसी सरकारी कार्य के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की सिफारिश करने के उद्देश्य से, एक विशेष आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। संविधान की एक अन्य व्यवस्था के अनुसार, ३० संसद्-सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा आयोग की सिफारिशों की जाँच करने की भी व्यवस्था है।

संविधान के अनुसार, किसी राज्य का विधान-मंडल कानून बनाकर राज्य में प्रचलित एक अथवा कई प्रादेशिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को सभी कार्यों अथवा किसी विशेष सरकारी कार्य के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच तथा राज्य और केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए कुछ समय तक उसी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, जिसका प्रयोग अभी हो रहा है। संविधान के राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह १५ वर्ष की निर्धारित अवधि के पूर्व किसी भी सरकारी काम के लिए अँगरेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है।

आपत्कालीन तथा अन्य विशेष व्यवस्थाएँ

संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का विश्वास हो जाय कि युद्ध अथवा आन्तरिक उपद्रव के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है, अथवा उसके फलस्वरूप आपत्कालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह एक घोषणा द्वारा राज्यों को विशेष आदेश दे सकता है तथा संविधान के कतिपय अनुच्छेदों (२६८ से २८०) को स्थगित कर सकता है। किन्तु, राष्ट्रपति की घोषणा को दो महीने के अन्दर ही संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए उपस्थित करना आवश्यक है।

राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषणा द्वारा राज्य-सरकार के सभी अथवा किसी कार्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा वह राज्यपाल से सूचना प्राप्त होने के आधार पर अथवा निश्चित रूप से यह मालूम पड़ जाने पर कर सकता है कि ऐसी स्थिति में राज्य का शासन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।

अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियाँ—सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार निश्चित करने की साधारण व्यवस्था के साथ-साथ, संविधान में आंग्ल-भारतीयों जैसे अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों जैसे पिछड़े और अविकसित वर्गों के हितों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए भी विशेष व्यवस्था है, जिससे इनलोगों को उन्नति के अवसर मिलें। इनमें पहले १० वर्षों के लिए (जिसे अब और १० वर्ष बढ़ा दिया गया है) संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने, सरकारी नौकरियों में उन्हें रियायत देने अथवा शिक्षा की अधिक सुविधाएँ देने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व डाला गया है।

आसाम के आदिम जातीय क्षेत्र—आसाम के आदिम जातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी संविधान में एक विशेष व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। आसाम के राज्यपाल को राष्ट्रपति की ओर से इन क्षेत्रों का काम सौंपा गया है और इन जिलों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्वयं नियम बनाने, कुछ मामलों में कानून बनाने, मुकदमों और विवादों की सुनवाई के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करने, जिले और प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने तथा स्कूल, दवाखाने, बाजार आदि स्थापित करने के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार भी दिये गये हैं। आसाम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन की जाँच-पड़ताल करने और उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया है। नेफा तथा त्वेन-साग-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से आसाम का राज्यपाल करता है।

विशेष अधिकारी—अनुच्छेद ३३८ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद ३५० (ख) के अन्तर्गत, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अन्य विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था है।

संविधान में संशोधन

अनुच्छेद ३६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान में संशोधन संसद् के किसी भी सदन में इस उद्देश्य का विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक सदन उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से ऐसे विधेयक को पास कर दे, तो उसके बाद उसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायगा तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही संविधान संशोधित माना जायगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केन्द्र तथा राज्यों के बीच कानून बनाने के अधिकारों का वितरण, संसद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संविधान मे संशोधन करने की विधि—इनके बारे में संशोधन करने के लिए राज्यों के कम-से-कम आधे विधान-मंडलों द्वारा संशोधन की पुष्टि करना भी आवश्यक है।

२६ जनवरी, १९५० ई० को संविधान लागू होने के बाद से अबतक सविधान में आठ बार संशोधन किये जा चुके हैं। संविधान (सातवाँ संशोधन)-अधिनियम, सन् १९५६ द्वारा न केवल नये राज्यों की स्थापना हुई अथवा राज्यों की सीमाओं में हेरफेर हुआ, बल्कि राज्यों के वर्गीकरण की प्रथा का भी अन्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। संविधान (आठवाँ संशोधन)-अधिनियम, सन् १९५९-ई० के अन्तर्गत लोकसभा तथा राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने तथा आंग्ल-भारतीय जातियों के प्रतिनिधियों को नामजद करने की अवधि २६ जनवरी, १९६० ई० से १० वर्ष के लिए बढा दी गई है। संविधान में ९वाँ संशोधन बेरुबारी को पश्चिम बंगाल से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान में मिला देने के लिए किया गया।

भारतीय शासन

भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका-शक्ति, जिसमें प्रतिरक्षा-सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किये जाते हैं। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उसके कार्य-पालन में परामर्श तथा सहायता प्रदान करती है।

मंत्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं : (१) मंत्री—जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं; (२) राज्य-मंत्री—जो मंत्रिमंडल के सदस्य तो नहीं होते, किन्तु मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ही पद के होते हैं; तथा (३) उप-मंत्री। सरकारी नीतियाँ आदि बनाने का कार्य मंत्रिपरिषद् के ही हाथ में होता है।

राष्ट्रपति : राजेन्द्र प्रसाद
उपराष्ट्रपति : एस० राधाकृष्णन

७. श्यामनन्दन मिश्र	....	आयोजन
८. बलिराम भगत	...	वित्त
९. मनमोहन दास	...	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य
१०. शाहनवाज खाँ	...	रेल
११. लक्ष्मी एन० मेनन (श्रीमती)	...	विदेश
१२. वायलेट अल्वा (श्रीमती)	...	गृह
१३. के० रघुरामय्य	....	प्रतिरक्षा
१४. ए० एम० टामस	...	खाद्य और कृषि
१५. आर० एम० हाजरनवीस	...	विधि
१६. एस० वी० रामास्वामी	...	रेल
१७. अहमद मुहिउद्दीन	...	असैनिक उड्डयन
१८. तारकेश्वरी सिन्हा (श्रीमती)	...	वित्त
१९. पी० एस० नस्कर	...	पुनर्वास
२०. बी० एस० मूर्त्ति	...	सामुदायिक विकास और सहकारिता
२१. ललितनारायण मिश्र	...	आयोजन, श्रम और नियुक्ति

संसदीय सचिव—संसदीय कार्यों में मंत्रियों की सहायता के लिए कुछ मंत्रियों में संसदीय सचिव होते हैं। १ अप्रैल, १९६० ई० को संसदीय सचिवों की स्थिति इस प्रकार थी—

१. सादत अली खाँ	...	विदेश
२. जोगेन्द्रनाथ हजारिका	....	विदेश
३. फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव गायकवाड़	...	प्रतिरक्षा
४ आनन्दचन्द्र जोशी	...	सूचना और प्रसारण
५. गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	....	इस्पात खान और ईन्धन
६. श्यामधर मिश्र	....	सामुदायिक विकास और सहकारिता

राष्ट्रपति का सचिवालय

सचिव—आर० वी० पाई

सैनिक सचिव—मेजर जनरल सरदार हरनारायण सिंह

मन्त्रिमंडल-सचिवालय

मंत्रिमंडल एवं आयोजन आयोग के सचिव—विष्णु सहाय

मंत्रिमंडल के संयुक्त सचिव—वी० जी० राव

मंत्रिमंडल सचिवालय के संयुक्त सचिव और
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निदेशक—पी० सी० मैथ्यू

प्रधानमंत्री का सचिवालय

मुख्य निजी सचिव—के० राम

निजी सचिव—एम० एल० बजाज

आणविक शक्ति-विभाग

अध्यक्ष तथा सचिव आणविक शक्ति-आयोग—डा० एच० जे० भाभा

सदस्य आणविक शक्ति आयोग—डा० के० एस० कृष्णन

सदस्य तथा पदेन मंत्री वित्त तथा प्रशासन आणविक

शक्ति-आयोग—वी० एन० भाट

संयुक्त सचिव आणविक शक्ति-आयोग—आर० नटराजन तथा वी० नरसिंहन

वाणिज्य तथा उद्योग-मंत्रालय

सचिव—एस० रंगनाथन

अतिरिक्त सचिव—डी० एस० जोशी तथा के० बी० लाल

संयुक्त सचिव—मनेन्द्र बहादुर, बी० एस० रामचन्द्रन, आर० जी० रमन, डी० आदित्य, डी० सी० एन० मेनन, के० बी० वेंकटरामन तथा के० आर० एफ० खिलनानी

कम्पनी विधि प्रशासन-विभाग

सचिव—डी० एन० मजुमदार।

संयुक्त सचिव—डी० पी० राय।

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता-मंत्रालय

सचिव—एस० आर० सेन।

अतिरिक्त सचिव—पी० वी० आर० राव।

संयुक्त सचिव—बी० डी० पाण्डेय तथा के० बालचन्द्रन।

सुरक्षा-मंत्रालय

सचिव—ओ० पुल्ला रेड्डी।

अतिरिक्त सचिव—आर० पी० सारथी।

संयुक्त सचिव—एम० जी० कौल, जे० एम० लाल, एस० टी० नारगोलवाला, एस० सी० सरिन तथा एम० एम० सेन।

शिक्षा-मंत्रालय

सचिव तथा शैक्षिक परामर्शदाता (तकनीकी)—पी० एम० कृपाल।

संयुक्त सचिव—आर० पी० नायक।

परराष्ट्र-मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)

महासचिव—आर० के० नेहरू।

परराष्ट्र सचिव—जे० एम० देसाई।

राष्ट्रमंडल-सचिव—वी० टी० गुणदेवी।

विशेष सचिव—बी० एफ० एच० तैयबजी।

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक विभाग

सचिव तथा शैक्षिक परामर्शदाता (तकनीकी)—एम० एस० थैकर।

संयुक्त सचिव—ए० के० घोष।

संयुक्त शैक्षिक परामर्शदाता तथा पदेन सचिव—जी० के० चान्दिरामणि।

वित्त-मंत्रालय

(प्रतिरक्षा के अतिरिक्त अन्य व्यय-संबंधी विभाग)

सचिव—एम० एन० वैचु ।

संयुक्त सचिव—पी० सी० भट्टाचार्य, ए० सी० वोस, के० एल० घेई, इन्द्रजीत सिंह, आर० पी० पाधी, एस० एस० शिरालकर, ए० वी० वेंकटेश्वरन् तथा बी० मुखर्जी ।

सुरक्षा-विभाग

वित्तीय परामर्शदाता—एस० जयशंकर ।

आर्थिक कार्य-विभाग

सचिव—एल० के० झा ।

अतिरिक्त सचिव—के० पी० मथरानी ।

संयुक्त राज्य अमेरिका मे आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, वाशिंगटन

महा आयुक्त—बी० के० नेहरू ।

मंत्री—पी० गोविन्दन नायर ।

मंत्री—डा० बी० एम० अदारकर ।

यूरोप में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, लन्दन

महा आयुक्त—टी० स्वामीनाथन् ।

भारत के महाकेक्ष-नियंत्रक (कम्पट्रोलर) तथा महाकेक्षक—ए० के० राय ।

भारत के उप महाकेक्ष-नियंत्रक तथा उप-अंकेक्षक—पी० सी० पाधी ।

खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय

(कृषि-विभाग)

सचिव—के० आर० दामले ।

संयुक्त सचिव—कृष्ण चन्द, एस० मल्लिक तथा अमर राजा ।

खाद्य-विभाग

सचिव—डी० वी० घोष ।

संयुक्त सचिव—वी० पी० वाग्ची तथा एम० के० किदवाई ।

महानिदेशक खाद्य तथा संयुक्त सचिव—एच० लाल ।

गृह-मंत्रालय

सचिव—वी० विश्वनाथन् ।

सचिव—शंकर प्रसाद ।

सूचना तथा प्रसारण-मंत्रालय

सचिव—आर० के० रामध्यानी ।

सिंचाई और विद्युत-मंत्रालय

सचिव—एम० आर० सचदेव ।

अतिरिक्त सचिव—एन० डी० गुलहाती ।

संयुक्त सचिव — पी० पी० अग्रवाल ।

श्रम और नियोजन-मंत्रालय

सचिव—पी० एम० मेनन ।

संयुक्त सचिव—के० एन० सुब्रह्मण्यम् और आर० एल० मेहता ।

विधि-मंत्रालय

महाधिवक्ता (अटर्नी जनरल)—एम० सी० सीतलवाड़ ।

महाधिवक्ता (सालिसिटर जनरल)—सी० के० दफ्तरी ।

अतिरिक्त महाधिवक्ता—एच० एन० सान्याल ।

विधिकार्य-विभाग

सचिव—वी० एन० लोकुर ।

विधान-विभाग

विशेष सचिव—जी० आर० राजा गोपाल ।

सचिव—आर० सी० एस० सरकार ।

विधि-आयोग

अध्यक्ष—टी० एस० वेंकटरामा अय्यर ।

सदस्य—पी० सत्यनारायण राव, एन० एस० मिश्र तथा जी० आर० राजा गोपाल ।

(हिन्दू रिलिजियस इंडॉमेंट कमीशन)

विशेष-कार्याधिकारी—ई० वेंकटेश्वरम् ।

संसदीय कार्य-विभाग

सचिव—कैलाशचन्द्र ।

रेलवे-मंत्रालय

अध्यक्ष—करनैल सिंह ।

आर्थिक आयुक्त—एस० जगन्नाथम् ।

सदस्य—कृपाल सिंह, डी० सी० बेगलर, ई० डब्ल्यू० इशाक ।

सचिव—आर० ई० डे साह ।

इस्पात, खान ईन्धन-मंत्रालय

(इस्पात तथा लोहा-विभाग)

सचिव—एस० भूथालिंगम् ।

(खान और ईन्धन-विभाग)

सचिव—एस० एम० खेर ।

परिवहन और सचार-मंत्रालय

(संचार एवं असैनिक उड्डयन-विभाग)

सचिव—एन० एन० फिलिप ।

वित्त-मन्त्रालय

(प्रतिरक्षा के अतिरिक्त अन्य व्यय-संबंधी विभाग)

सचिव—एम० एन० वैचु।

संयुक्त सचिव—पी० सी० भट्टाचार्य, ए० सी० बोस, के० एल० घेई, इन्द्रजीत सिंह, आर० पी० पाधी, एस० एस० शिरालकर, ए० वी० वेंकटेश्वरन् तथा बी० मुखर्जी।

सुरक्षा-विभाग

वित्तीय परामर्शदाता—एस० जयशंकर।

आर्थिक कार्य-विभाग

सचिव—एल० के० झा।

अतिरिक्त सचिव—के० पी० मथरानी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, वाशिंगटन

महा आयुक्त—बी० के० नेहरू।

मंत्री—पी० गोविन्दन नायर।

मंत्री—डा० बी० एम० अदारकर।

यूरोप में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, लन्दन

महा आयुक्त—टी० स्वामीनाथन।

भारत के महाकेक्ष-नियंत्रक (कम्पट्रोलर) तथा महाकेक्षक—ए० के० राय।

भारत के उप महाकेक्ष-नियंत्रक तथा उप-अंकेक्षक—पी० सी० पाधी।

खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय

(कृषि-विभाग)

सचिव—के० आर० दामले।

संयुक्त सचिव—कृष्ण चन्द, एस० मल्लिक तथा अमर राजा।

खाद्य-विभाग

सचिव—डी० वी० घोष।

संयुक्त सचिव—बी० पी० बाग्ची तथा एम० के० किदवाई।

महानिदेशक खाद्य तथा संयुक्त सचिव—एच० लाल।

गृह-मंत्रालय

सचिव—वी० विश्वनाथन्।

सचिव—शंकर प्रसाद।

सूचना तथा प्रसारण-मंत्रालय

सचिव—आर० के० रामध्यानी।

वित्त-मंत्रालय

(प्रतिरक्षा के अतिरिक्त अन्य व्यय-संबंधी विभाग)

सचिव—एम० एन० वैचु ।

संयुक्त सचिव—पी० सी० भट्टाचार्य, ए० सी० बोस, के० एल० घेई, इन्द्रजीत सिंह, आर० पी० पाधी, एस० एस० शिरालकर, ए० वी० वेंकटेश्वरन् तथा बी० मुखर्जी ।

सुरक्षा-विभाग

वित्तीय परामर्शदाता—एस० जयशंकर ।

आर्थिक कार्य-विभाग

सचिव—एल० के० झा ।

अतिरिक्त सचिव—के० पी० मथरानी ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, वाशिंगटन

महा आयुक्त—बी० के० नेहरू ।

मंत्री—पी० गोविन्दन नायर ।

मंत्री—डा० बी० एम० अदारकर ।

यूरोप में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, लन्दन

महा आयुक्त—टी० स्वामीनाथन ।

भारत के महाकेक्ष-नियंत्रक (कम्पट्रोलर) तथा महाकेक्षक—ए० के० राय ।

भारत के उप महाकेक्ष-नियंत्रक तथा उप-अंकेक्षक—पी० सी० पाधी ।

खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय
(कृषि-विभाग)

सचिव—के० आर० दामले ।

संयुक्त सचिव—कृष्ण चन्द, एस० मल्लिक तथा अमर राजा ।

खाद्य-विभाग

सचिव—डी० वी० घोष ।

संयुक्त सचिव—वी० पी० वाग्ची तथा एम० के० किदवाई ।

महानिदेशक खाद्य तथा संयुक्त सचिव—एच० लाल ।

गृह-मंत्रालय

सचिव—वी० विश्वनाथन् ।

सचिव—शंकर प्रसाद ।

सूचना तथा प्रसारण-मंत्रालय

सचिव—आर० के० रामध्यानी ।

सिंचाई और विद्युत्-मंत्रालय

सचिव—एम० आर० सचदेव।

अतिरिक्त सचिव—एन० डी० गुल्हाती।

संयुक्त सचिव — पी० पी० अग्रवाल।

श्रम और नियोजन-मंत्रालय

सचिव—पी० एम० मेनन।

संयुक्त सचिव—के० एन० सुब्रह्मण्यम् और आर० एल० मेहता।

विधि-मंत्रालय

महाधिवक्ता (अटर्नी जनरल)—एम० सी० सीतलवाड।

महावादेक्षक (सालिसिटर जनरल)—सी० के० दफ्तरी।

अतिरिक्त महावादेक्षक—एच० एम० सान्याल।

विधिकार्य-विभाग

सचिव—वी० एन० लोकुर।

विधान-विभाग

विशेष सचिव—जी० आर० राजा गोपाल।

सचिव—आर० सी० एस० सरकार।

विधि-आयोग

अध्यक्ष—टी० एस० वेंकटरामा अय्यर।

सदस्य—पी० सत्यनारायण राव, एल० एस० मिश्र तथा जी० आर० राजा गोपाल।

(हिन्दू रिलिजियस इंडॉमेंट कमीशन)

विशेष-कार्याधिकारी—ई० वेंकटेश्वरम्।

संसदीय कार्य-विभाग

सचिव—कैलाशचन्द्र।

रेलवे-मंत्रालय

अध्यक्ष—करनैल सिंह।

आर्थिक आयुक्त—एस० जगन्नाथम्।

सदस्य—कृपाल सिंह, टी० सी० वेगलर, ई० डब्ल्यू इशाक।

सचिव—आर० ई० डे साह।

इस्पात, खान ईन्धन-मंत्रालय

(इस्पात तथा लोहा-विभाग)

सचिव—एस० भूथालिंगम्।

(खान और ईन्धन-विभाग)

सचिव—एस० एन० हेर।

परिवहन और संचार-मंत्रालय

(संचार एवं असैनिक उड्डयन-विभाग)

सचिव—एन० एन० मिलिप।

वित्त-मंत्रालय

(प्रतिरक्षा के अतिरिक्त अन्य व्यय-संबंधी विभाग)

सचिव—एम० एन० वैचु।

संयुक्त सचिव—पी० सी० भट्टाचार्य, ए० सी० बोस, के० एल० घेई, इन्द्रजीत सिंह, आर० पी० पाधी, एस० एस० शिरालकर, ए० वी० वेंकटेश्वरन् तथा वी० मुखर्जी।

सुरक्षा-विभाग

वित्तीय परामर्शदाता—एस० जयशंकर।

आर्थिक कार्य-विभाग

सचिव—एल० के० झा।

अतिरिक्त सचिव—के० पी० मथरानी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, वाशिंगटन

महा आयुक्त—बी० के० नेहरू।

मंत्री—पी० गोविन्दन नायर।

मंत्री—डा० बी० एम० अदारकर।

यूरोप में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, लन्दन

महा आयुक्त—टी० स्वामीनाथन्।

भारत के महाकेक्त-नियंत्रक (कम्पट्रोलर) तथा महाकेक्तक—ए० के० राय।

भारत के उप महाकेक्त-नियंत्रक तथा उप-अंकेक्तक—पी० सी० पाधी।

खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय
(कृषि-विभाग)

सचिव—के० आर० दामले।

संयुक्त सचिव—कृष्ण चन्द, एस० मल्लिक तथा अमर राजा।

खाद्य-विभाग

सचिव—डी० वी० घोष।

संयुक्त सचिव—वी० पी० वाग्ची तथा एम० के० किदवाई।

महानिदेशक खाद्य तथा संयुक्त सचिव—एच० लाल।

गृह-मंत्रालय

सचिव—वी० विश्वनाथन्।

सचिव—शंकर प्रसाद।

सूचना तथा प्रसारण-मंत्रालय

सचिव—आर० के० रामध्यानी।

सिंचाई और विद्युत्-मंत्रालय

सचिव—एम० आर० सचदेव ।
अतिरिक्त सचिव—एन० डी० गुल्हाती ।
संयुक्त सचिव—पी० पी० अग्रवाल ।

श्रम और नियोजन-मंत्रालय

सचिव—पी० एम० मेनन ।
संयुक्त सचिव—के० एन० सुब्रह्मण्यम् और आर० एल० मेहता ।

विधि-मंत्रालय

महाधिवक्ता (अटर्नी जनरल)—एम० सी० सीतलवाड ।
महावादेजक (सालिसिटर जनरल)—सी० के० दफ्तरी ।
अतिरिक्त महावादेजक—एच० एम० सान्याल ।

विधिकार्य-विभाग

सचिव—वी० एन० लोकुर ।

विधान-विभाग

विशेष सचिव—जी० आर० राजा गोपाल ।
सचिव—आर० सी० एस० सरकार ।

विधि-आयोग

अध्यक्ष—टी० एस० वेंकटरामा अय्यर ।
सदस्य—पी० सत्यनारायण राव, एल० एम० मिश्र तथा जी० आर० राजा गोपाल ।

(हिन्दू रिलिजियस इंडॉमेंट कमीशन)

विशेष-कार्याधिकारी—ई० वेंकटेश्वरम् ।

संसदीय कार्य-विभाग

सचिव—कैलाशचन्द्र ।

रेलवे-मंत्रालय

अध्यक्ष—करनैल सिंह ।
आर्थिक आयुक्त—एस० जगन्नाथम् ।
सदस्य—कृपाल सिंह, डी० सी० बैगलर, ई० डब्ल्यू इशाक ।
सचिव—आर० ई० डे साह ।

इस्पात, खान ईन्धन-मंत्रालय

(इस्पात तथा लोहा-विभाग)

सचिव—एस० भूथालिंगम् ।

(खान और ईन्धन-विभाग)

सचिव—एस० एम० खेर ।

परिवहन और सचार-मंत्रालय

(संचार एवं असैनिक उड्डयन-विभाग)

सचिव—एन० एन० फिलिप ।

वित्त-मन्त्रालय

(प्रतिरक्षा के अतिरिक्त अन्य व्यय-संबंधी विभाग)

सचिव—एम० एन० वैंचु ।

संयुक्त सचिव—पी० सी० भट्टाचार्य, ए० सी० बोस, के० एल० घेई, इन्द्रजीत सिंह, आर० पी० पाधी, एस० एस० शिरालकर, ए० वी० वेंकटेश्वरन् तथा बी० मुखर्जी ।

सुरक्षा-विभाग

वित्तीय परामर्शदाता—एस० जयशंकर ।

आर्थिक कार्य-विभाग

सचिव—एल० के० झा ।

अतिरिक्त सचिव—के० पी० मथरानी ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, वाशिंगटन

महा आयुक्त—बी० के० नेहरू ।

मंत्री—पी० गोविन्दन नायर ।

मंत्री—डा० बी० एम० अदारकर ।

यूरोप में आर्थिक मामलों के महा आयुक्त का कार्यालय, लन्दन

महा आयुक्त—टी० स्वामीनाथन् ।

भारत के महाकेक्ष-नियंत्रक (कम्पट्रोलर) तथा महाकेक्षक—ए० के० राय ।

भारत के उप महाकेक्ष-नियंत्रक तथा उप-अंकेक्षक—पी० सी० पाधी ।

खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय

(कृषि-विभाग)

सचिव—के० आर० दामले ।

संयुक्त सचिव—कृष्ण चन्द, एस० मल्लिक तथा अमर राजा ।

खाद्य-विभाग

सचिव—डी० वी० घोष ।

संयुक्त सचिव—वी० पी० बाग्ची तथा एम० के० किदवाई ।

महानिदेशक खाद्य तथा संयुक्त सचिव—एच० लाल ।

गृह-मंत्रालय

सचिव—वी० विश्वनाथन् ।

सचिव—शंकर प्रसाद ।

सूचना तथा प्रसारण-मंत्रालय

सचिव—आर० के० रामध्यानी ।

प्रशासनिक संगठन

प्रत्येक मंत्री का काम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह से, निर्धारित करता है। एक मंत्री को एक मंत्रालय अथवा किसी मंत्रालय का एक हिस्सा अथवा एक से अधिक मंत्रालयों का भार सौंपा जाता है। मंत्रियों की सहायता के लिए प्रायः उपमंत्री भी नियुक्त किये जाते हैं।

मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को सचिव कहते हैं, जो मंत्रालय के प्रशासन तथा नीति-सम्बन्धी सभी मामलों में मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। जब किसी मंत्रालय का काम इतना अधिक हो जाता है कि उसे अकेला सचिव नहीं निबटा सकता, तब सुगमता की दृष्टि से एक संयुक्त सचिव के नियंत्रण में एक अथवा अधिक विभाग स्थापित किये जा सकते हैं। प्रत्येक मंत्रालय विभागों, शाखाओं तथा अनुभागों में विभाजित होता है, जिनका कार्य-संचालन क्रमशः उप-सचिव (डिपुटी सेक्रेटरी), अवर-सचिव (अंडर सेक्रेटरी) तथा अनुभागाधिकारी (सेक्शन आफिसर) के अधीन होता है।

संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग—डॉ० पाल एच० एपिल्बी की सिफारिश पर मार्च १६५४ ई० में स्थापित 'संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग' (आर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन) का मुख्य कार्य संगठन-सम्बन्धी जानकारी और अनुभव प्राप्त करना तथा उनके सम्बन्ध में सूचना देना है। इस विभाग ने पिछले दिनों सुधार करने के जो प्रयास किये, उनमें से कुछ ये हैं—सभी प्रकार के अधिकारियों में कार्यकुशलता की भावना पैदा करना; किसी भी मामले के निर्णय में बहुत अधिक विलम्ब न होने देना, कार्य करने की उचित प्रणाली का प्रशिक्षण देना; तथा अनुभागाधिकारियों द्वारा निर्णायक व्यक्तियों के पास मामलों का तुरन्त तथा सीधे भेजा जाना।

वेतन-आयोग—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों आदि के बारे में जाँच-पड़ताल करने के लिए भारत-सरकार ने अगस्त १६५७ ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीजगन्नाथदास की अध्यक्षता में एक जाँच-आयोग नियुक्त किया था। दिसम्बर, १६५७ ई० में प्रस्तुत अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में वेतन-आयोग ने २५० रु० प्रति मास तक पानेवाले केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के मँहगाई भत्तों में ५ रु० प्रतिमास की वृद्धि करने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करके १ जुलाई, १६५७ ई० से लागू कर दिया था।

वेतन-आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अगस्त, १६५६ ई० के अन्त में सरकार को दी तथा सरकार ने आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशों पर अपने निर्णय ३० नवम्बर, १६५६ ई० को लोकसभा में घोषित कर दिये, जिनके अनुसार सरकार ने ८० रु० प्रतिमास का न्यूनतम वेतन, मँहगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय, भविष्य-निधि में अनिवार्य अंशदान तथा काम करने के दिनों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति-सम्बन्धी अनेक सिफारिशों को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया, परन्तु सेवा-निवृत्ति की आयु ५५ से ५८ करने में सरकार ने असमर्थता प्रकट की। वेतन-आयोग की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं तथा उनपर शीघ्र ही निर्णय घोषित किये जायेंगे।

राज्य

केन्द्र की भाँति राज्यों में भी संसदीय शासन-पद्धति है। प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रधान 'राज्यपाल' कहलाता है। राज्य के सभी कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य राज्यपाल के नाम

परिवहन-विभाग

सचिव—जी० वेंकटेश्वर अय्यर ।

पर्यटन-विभाग

महानिदेशक—एस० एन० चिब्र ।

जनकार्य-भवन-निर्माण-आपूर्त्ति-मंत्रालय

सचिव—टी० शिवशंकर ।

संयुक्त सचिव—ए० एस० नायक और ए० डी० पंडित ।

लोकसभा-सचिवालय

अध्यक्ष—एम० ए० आयंगर ।

उपाध्यक्ष—हुकुम सिंह ।

सचिव—एम० एन० कौल ।

संयुक्त सचिव—एस० एल० सकधार ।

राज्यसभा-सचिवालय

सभापति—डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ।

उप-सभापति—एस० वी० कृष्णमूर्त्ति राव ।

सचिव—एस० एम० मुखर्जी ।

निर्वाचन-आयोग

मुख्य आयुक्त—के० वी० के० सुन्दरम् ।

उप-आयुक्त—पी० एस० सुब्रह्मण्यम् ।

सचिव—एस० सी० राय ।

योजना-आयोग

अध्यक्ष—जवाहरलाल नेहरू (प्रधान मंत्री) ।

मंत्री (आयोजन)—गुलजारीलाल नन्दा ।

उपमंत्री—एस० एन० मिश्र और एल० एन० मिश्र ।

सदस्य—मुरारजी देसाई, वी० के० कृष्ण मेनन, श्रीमन्नारायण, जे० एन० सिंह, ए० एम० खोसला और सी० एम० त्रिवेदी ।

सचिव—विष्णु सहाय ।

सर्वोच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश—भुवनेश्वरप्रसाद सिंह ।

न्यायाधीश—जाफर इमाम, एस० के० दास, जे० एल० कपूर, पी० वी० गजेन्द्र गदकर, अमलकुमार सरकार, के० एम० वान्चू, एम० हिदायतुल्ला, के० सी० दासगुप्त, जे० सी० साह, रघुवरदयाल, एन० राजगोपाल आयंगर और जे० आर० मुधोलकर ।

प्रशासनिक संगठन

प्रत्येक मंत्री का काम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह से, निर्धारित करता है। एक मंत्री को एक मंत्रालय अथवा किसी मंत्रालय का एक हिस्सा अथवा एक से अधिक मंत्रालयों का भार सौंपा जाता है। मंत्रियों की सहायता के लिए प्रायः उपमंत्री भी नियुक्त किये जाते हैं।

मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को सचिव कहते हैं, जो मंत्रालय के प्रशासन तथा नीति-सम्बन्धी सभी मामलों में मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। जब किसी मंत्रालय का काम इतना अधिक हो जाता है कि उसे अकेला सचिव नहीं निबटा सकता, तब सुगमता की दृष्टि से एक संयुक्त सचिव के नियंत्रण में एक अथवा अधिक विभाग स्थापित किये जा सकते हैं। प्रत्येक मंत्रालय विभागों, शाखाओं तथा अनुभागों में विभाजित होता है, जिनका कार्य-संचालन क्रमशः उप-सचिव (डिपुटी सेक्रेटरी), अवर-सचिव (अंडर सेक्रेटरी) तथा अनुभागाधिकारी (सेक्शन आफिसर) के अधीन होता है।

संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग—डॉ॰ पाल एच॰ एपिलबी की सिफारिश पर मार्च १९५४ ई॰ में स्थापित 'संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग' (आर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन) का मुख्य कार्य संगठन-सम्बन्धी जानकारी और अनुभव प्राप्त करना तथा उनके सम्बन्ध में सूचना देना है। इस विभाग ने पिछले दिनों सुधार करने के जो प्रयास किये, उनमें से कुछ ये हैं—सभी प्रकार के अधिकारियों में कार्यकुशलता की भावना पैदा करना; किसी भी मामले के निर्णय में बहुत अधिक विलम्ब न होने देना, कार्य करने की उचित प्रणाली का प्रशिक्षण देना; तथा अनुभागाधिकारियों द्वारा निर्णायक व्यक्तियों के पास मामलों का तुरन्त तथा सीधे भेजा जाना।

वेतन-आयोग—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों आदि के बारे में जाँच-पड़ताल करने के लिए भारत-सरकार ने अगस्त १९५७ ई॰ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीजगन्नाथदास की अध्यक्षता में एक जाँच-आयोग नियुक्त किया था। दिसम्बर, १९५७ ई॰ में प्रस्तुत अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में वेतन-आयोग ने २५० रु॰ प्रति मास तक पानेवाले केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के मँहगाई भत्तों में ५ रु॰ प्रतिमास की वृद्धि करने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करके १ जुलाई, १९५७ ई॰ से लागू कर दिया था।

वेतन-आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अगस्त, १९५९ ई॰ के अन्त में सरकार को दी तथा सरकार ने आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशों पर अपने निर्णय ३० नवम्बर, १९५९ ई॰ को लोकसभा में घोषित कर दिये, जिनके अनुसार सरकार ने ८० रु॰ प्रतिमास का न्यूनतम वेतन, महँगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय, भविष्य-निधि में अनिवार्य अंशदान तथा काम करने के दिनों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति-सम्बन्धी अनेक सिफारिशों को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया, परन्तु सेवा-निवृत्ति की आयु ५५ से ५८ करने में सरकार ने असमर्थता प्रकट की। वेतन-आयोग की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं तथा उनपर शीघ्र ही निर्णय घोषित किये जायेंगे।

राज्य

केन्द्र की भाँति राज्यों में भी संसदीय शासन-पद्धति है। प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रधान 'राज्यपाल' कहलाता है। राज्य के सभी कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य राज्यपाल के नाम

से ही किये जाते हैं। पद का शपथ-ग्रहण करने के बाद, राज्यपाल का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह संविधान तथा कानून का यथाशक्ति संरक्षण करें, सचाई के साथ उनका पालन करे तथा जनता के कल्याण तथा सेवा में अपना जीवन लगा दे।

राज्यपाल को जो अधिक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, उनमें से कुछ ये हैं—राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करना; उनके बीच सरकारी कामकाज का बँटवारा करना; राज्य-विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा स्थगित करना; विधान-सभा को भंग करना; क्षमा-दान तथा दंड में कमी करना आदि। कुछ विशेष परिस्थितियों में पास किये गये विधेयकों को छोड़कर, राज्य-विधानमंडल द्वारा पास किये जानेवाले शेष सभी विधेयकों को कानून का रूप देने के लिए उनपर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

संगठनात्मक रूप

राज्य के सभी कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य यद्यपि राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं, तथपि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका तो मंत्रिपरिषद् होती है; जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री करता है। परन्तु मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि यह राज्यपाल को राज्य के विभिन्न मामलों के प्रशासन-सम्बन्धी मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों से अवगत कराता रहे और जो जानकारी वह चाहे, वह उसे दे।

सरकारी कार्य-संचालन—केन्द्र की भाँति राज्यों में मंत्रियों के बीच भी विभागों के आधार पर कार्य-विभाजन किया जाता है। प्रत्येक मंत्री राज्यपाल द्वारा उसके मंत्रालय को सौंपे गये नित्यप्रति के कार्य के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी होता है। केवल नीति-विषयक मामले, तथा वे मामले, जिनका सम्बन्ध एक से अधिक मंत्रालयों से होता है, अथवा जिनके सम्बन्ध में उनके बीच मतभेद पाया जाता है, मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद् के सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों की भाँति राज्य-मंत्रालयों में भी सचिव होते हैं। राज्यों में मुख्य सचिवों की नियुक्ति करने की भी व्यवस्था है। राज्यों के सचिवालयों का कामकाज बहुत-कुछ केन्द्रीय सचिवालयों जैसा ही होता है।

प्रशासनिक इकाइयाँ

प्रशासन की मुख्य इकाई 'जिला' है, जो कलक्टर या जिलाधीश के अधीन होता है। कलक्टर की हैसियत से यह अधिकारी राजस्व उगाहने तथा भूमि-प्रबन्ध की सब बातों (सिंचाई, कृषि तथा वन-सम्बन्धी तकनीकी पहलुओं तथा रजिस्ट्री को छोड़कर) की व्यवस्था करने के लिए डिवीजन के प्रधान 'कमिश्नर' अथवा राजस्व-बोर्ड (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) के प्रति तथा उसके माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिलाधीश के रूप में वह जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने और उसके दंड-प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य के लिए जिले में कलक्टर के अधीन एक पुलिस-विभाग होता है। जिसका प्रधान अधिकारी 'पुलिस सुपरिटेंडेंट कहलाता है। असिस्टेंट अथवा डिप्टी कलक्टरों और मैजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त, उसकी सहायता के लिए एक्जिक्यूटिव इंजीनियर तथा वन-अधिकारी जैसे कई अन्य जिला-अधिकारी भी होते है।

कुछ राज्यों में जिला कई सब-डिविजनों में बँटा हुआ होता है, जो उपजिलाधीशों के अधीन होते हैं। अन्य राज्यों में जिला तालुकों अथवा तहसीलों में बँटा होता है, जो तहसीलदारों अथवा मामलातदारों के अधीन होती हैं।

विभिन्न विकास-विभागों के सचिवों की एक अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाता है। मुख्य सचिव अथवा आयोजन-विभाग का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। अधिकांश राज्यों में 'राज्य-योजना-मंडल' स्थापित कर दिये गये हैं, जिनमें प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्ति भी होते हैं।

स्वायत्त-शासन

स्थानीय संस्थाएँ दो प्रकार की हैं—नागरिक तथा ग्रामीण। बड़े नगरों में इन संस्थाओं को निगम, और मध्यम तथा छोटे नगरों में म्युनिसिपल कमिटियां (नगरपालिकाएँ) अथवा म्युनिसिपल बोर्ड कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की दैनन्दिन आवश्यकताओं की देख-भाल जिला बोर्ड अथवा तालुका-बोर्ड तथा ग्राम-पंचायतें करती हैं।

निगम (कारपोरेशन)—नगर-निगमों के अध्यक्ष 'महापौर' (मेयर) कहलाते हैं, जो निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। निगम के अन्तर्गत, नगर के प्रशासन का कार्य निगम की तीन समितियाँ करती हैं। निगम की कार्यपालिका-शक्ति आयुक्त (कमिश्नर) में निहित होती है, जो विभिन्न संस्थाओं के कर्त्तव्यों का निश्चय तथा उनके काम की देखभाल करता है।

नगरपालिकाएँ—निर्वाचित अध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाओं का कार्य-संचालन भी समितियों के द्वारा होता है। इनके नित्यप्रति के कार्यों का संचालन एक कार्यपालक-अधिकारी करता है। नगरपालिकाएँ सामान्यतः सड़कों की सफाई तथा मुहल्लों को साफ-सुथरा रखने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, ये श्मशान-घाटों, सार्वजनिक सड़कों, शौचालयों तथा नालियों, प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

हाल के वर्षों में कई बड़े नगरों के सुधार तथा विस्तार के लिए सुधार-न्यास तथा नगर-योजना-निकाय (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एवं टाउन-प्लानिंग बॉडीज) स्थापित किये गये हैं। इस दिशा में सन् १९५६ ई० में संसद् ने गन्दी-बस्ती (सुधार तथा सफाई)-अधिनियम पास किया।

जिला-बोर्ड तथा जिला-परिषद्—जिला-बोर्डों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना सड़कें बनाना तथा ठीक उन्हें हालत में रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी उपाय करना है। हाल ही में राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा मद्रास में पंचायत-राज-सम्बन्धी जो प्रयोग किया गया, उसके फलस्वरूप इन राज्यों में जिला-बोर्डों के स्थान पर जिला-परिषदें बना दी गई हैं, जिनमें ग्राम-स्तर पर पंचायत, तथा खंड-स्तर पर खंड-पंचायत-समिति स्थापित की गई है। शेष ग्यारह राज्य भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

ग्राम-पंचायतें—संविधान में राज्य-नीति के एक निदेशक सिद्धान्त के अनुसार, राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह ग्राम-पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए समुचित अधिकार दे। इसके अनुसार, अधिकांश राज्यों में आवश्यक कानून पास किये जा चुके हैं तथा देश के आधे से अधिक गाँवों में ग्राम-पंचायतें स्थापित कर दी गई हैं। ३१ मार्च, १९५८ ई० को देश में ग्राम-पंचायतों की संख्या १,६४,३५८ थीं।

पंचायतों का चुनाव ग्राम-सभाएँ करती हैं। ग्राम-सभाओं में गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। पंचायतें ग्रामीणों के लिए उचित रहन-सहन-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं। प्रशासनिक तथा नागरिक कार्यों के अतिरिक्त, ग्राम-पंचायत में न्याय-पंचायत भी होती हैं, जिसके पंच ग्राम-पंचायत में से चुने जाते है। न्याय-पंचायतें छोटे-मोटे अपराधों का निर्णय करती हैं। वकीलों को ग्राम-पंचायतों में पैरवी करने की अनुमति नही है।

वित्त—वर्त्तमान स्थानीय वित्त के साधन ये हैं—(१) स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये जानेवाले कर; (२) स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये जानेवाले तथा उनकी ओर से राज्य-सरकारों द्वारा उगाहे जानेवाले कर; (३) राज्य-सरकारों द्वारा लगाये तथा उगाहे जानेवाले करों में हिस्सा; (४) राज्य-सरकारों द्वारा दिये जानेवाले सहायता-अनुदान; तथा (५) कर-भिन्न स्रोतों से होनेवाली आय।

सार्वजनिक सेवाएँ

केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग

केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१५ (१) के अन्तर्गत नियुक्त एक स्वतंत्र अनुविहित संस्था है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो नियुक्ति के समय तक भारत-सरकार अथवा राज्य-सरकारों के पदों पर कम-से-कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों। आयोग के सदस्य अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु तक अथवा ६ वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। आयोग के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को दुराचरण के आधार पर केवल राष्ट्रपति ही, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच कराने के वाद, पदच्युत कर सकता है।

आयोग की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार, इसका अध्यक्ष भारत-सरकार अथवा किसी राज्य-सरकार का कोई अन्य सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता। अध्यक्ष के अतिरिक्त, केन्द्रीय आयोग का अन्य कोई भी सदस्य इस आयोग अथवा किसी भी राज्य-लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष-पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु किसी अन्य सरकारी पद पर उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती।

१ अप्रैल, १६६० को केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग का गठन इस प्रकार था—

श्री वी० एस० हेजमदी ...	अध्यक्ष	श्री जी० एस० महाजनी ...	सदस्य
,, जे० शिवषण्मुखम् पिल्लै ...	सदस्य	,, ए० टी० सेन ...	,,
,, सी० वी० महाजन ...	,,	,, एम० एन० चतुर्वेदी ...	,,
,, पी० एल० वर्मा ...	,,	,, एम० ए० वेंकटरमण नायडू ...	,,
,, एस० एच० जहीर ...	,,		

आयोग के कार्य—केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग (१) लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं और पदोन्नति द्वारा केन्द्रीय सरकार की असैनिक सेवाओं तथा अन्य पदों के लिए उम्मीदवार चुनता है; तथा (२) नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध

अनुशासन की कारवाई करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हरजाने की माग प्रकट करना आदि जैसे कार्य भी इसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। संविधान में बताया गया है कि संसद् द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत, केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग को अतिरिक्त कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग राष्ट्रपति को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भी देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद् के समक्ष प्रस्तुत करता है।

अखिलभारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भरती के लिए प्रतियोगिता-परीक्षाओं के स्तर तथा पाठ्यक्रम का निश्चय लोकसेवा-आयोग भारत-सरकार के मंत्रालयों तथा प्रतिष्ठत शिक्षा-शास्त्रियों के साथ परामर्श करके निर्धारित करता है। इन सेवाओं की प्रतियोगिता-परीक्षाओं में बैठनेवाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ मौखिक परीक्षा भी देनी होती है। इन परीक्षाओं की अध्यक्षता आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य करता है; तथा वरिष्ठ प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ इस कार्य में आयोग की सहायता करते हैं।

अखिलभारतीय सेवाएँ

केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग अखिलभारतीय सेवाओं (यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवारों को चुनता है।

केन्द्र अथवा राज्य-सरकारों के अधीन किसी अखिलभारतीय सेवा अथवा असैनिक सेवा में नियुक्त कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे अधिकारी द्वारा बरखास्त अथवा पदच्युत नहीं किया जा सकता, जो उसे नियुक्त करनेवाले अधिकारी के अधीन हो। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी को बरखास्त करने अथवा उसका पद घटाने के पहले उसे अपना बचाव करने के लिए उपयुक्त अवसर देना भी आवश्यक है। परन्तु कुछ विशेष मामलों में यह विशेषाधिकार नहीं भी दिया जाता।

प्रशिक्षण—अखिलभारतीय सेवाओं के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए १ सितम्बर, १९५९ ई० से मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी की स्थापना कर दी गई है, जिसमें शिमला का 'आई० ए० एस० स्टाफ कालेज' तथा दिल्ली का 'आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल' भी सम्मिलित हैं। इस अकादमी में भारतीय प्रशासन-सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय पुलिस-सेवा के प्रशिक्षणार्थी आबू के केन्द्रीय पुलिस-प्रशिक्षण-कॉलेज में प्रशिक्षण पाते हैं। अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को भी प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम पढाया जाता है, जिनका सेवा-काल ६ से १० वर्ष तक हो चुकता है।

केन्द्रीय सचिवालय-सेवा

केन्द्रीय सचिवालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सन् १९५० ई० में केन्द्रीय सचिवालय-सेवा आरम्भ की गई। आरम्भ में यह सेवा चार श्रेणियों में बँटी हुई थी· प्रथम श्रेणी—अवर सचिव अथवा उसके समाधिकारी, द्वितीय श्रेणी—अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट); तृतीय श्रेणी—सहायक अधीक्षक, तथा चतुर्थ श्रेणी—असिस्टेंट। इसके बाद इसमें 'चुनाव-श्रेणी' के नाम से एक नई श्रेणी और सम्मिलित कर दी गई, जिसमें भारत-सरकार के उप-सचिव तथा उसके समान पद पर नियुक्त किये जानेवाले अधिकारी आते हैं।

पंचायतों का चुनाव ग्राम-सभाएँ करती हैं। ग्राम-सभाओं में गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। पंचायतें ग्रामीणों के लिए उचित रहन-सहन-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं। प्रशासनिक तथा नागरिक कार्यों के अतिरिक्त, ग्राम-पंचायत में न्याय-पंचायत भी होती हैं, जिसके पंच ग्राम-पंचायत में से चुने जाते है। न्याय-पंचायतें छोटे-मोटे अपराधों का निर्णय करती हैं। वकीलों को ग्राम-पंचायतों में पैरवी करने की अनुमति नहीं है।

वित्त—वर्त्तमान स्थानीय वित्त के साधन ये हैं—(१) स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये जानेवाले कर; (२) स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये जानेवाले तथा उनकी ओर से राज्य-सरकारों द्वारा उगाहे जानेवाले कर; (३) राज्य-सरकारों द्वारा लगाये तथा उगाहे जानेवाले करों में हिस्सा; (४) राज्य-सरकारों द्वारा दिये जानेवाले सहायता-अनुदान; तथा (५) कर-भिन्न स्रोतों से होनेवाली आय।

सार्वजनिक सेवाएँ

केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग

केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१५ (१) के अन्तर्गत नियुक्त एक स्वतंत्र अनुविहित संस्था है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो नियुक्ति के समय तक भारत-सरकार अथवा राज्य-सरकारों के पदों पर कम-से-कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों। आयोग के सदस्य अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु तक अथवा ६ वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। आयोग के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को दुराचरण के आधार पर केवल राष्ट्रपति ही, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच कराने के बाद, पदच्युत कर सकता है।

आयोग की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार, इसका अध्यक्ष भारत-सरकार अथवा किसी राज्य-सरकार का कोई अन्य सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता। अध्यक्ष के अतिरिक्त, केन्द्रीय आयोग का अन्य कोई भी सदस्य इस आयोग अथवा किसी भी राज्य-लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष-पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु किसी अन्य सरकारी पद पर उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती।

१ अप्रैल, १९६० को केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग का गठन इस प्रकार था—

श्री वी० एस० हेजमदी	अध्यक्ष	श्री जी० एस० महाजनी	सदस्य
,, जे० शिवषणमुखम् पिल्लै	सदस्य	,, ए० टी० सेन	,,
,, सी० वी० महाजन	,,	,, एम० एन० चतुर्वेदी	,,
,, पी० एल० वर्मा	,,	,, एम० ए० वेंकटरमण नायडू	,,
,, एस० एच० जहीर	,,		

आयोग के कार्य—केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग (१) लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं और पदोन्नति द्वारा केन्द्रीय सरकार की असैनिक सेवाओं तथा अन्य पदों के लिए उम्मीदवार चुनता है; तथा (२) नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध

अनुशासन की कार्रवाई करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हर्जाने की माँग प्रस्तुत करना आदि जैसे कार्य भी इसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। संविधान में बताया गया है कि संसद द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत, केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग को अतिरिक्त कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग राष्ट्रपति को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भी देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद् के समक्ष प्रस्तुत करता है।

अखिलभारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भरती के लिए प्रतियोगिता-परीक्षाओं के स्तर तथा पाठ्यक्रम का निश्चय लोकसेवा-आयोग भारत-सरकार के मंत्रालयों तथा संबंधित शिक्षा-शास्त्रियों के साथ परामर्श करके निर्धारित करता है। इन सेवाओं की प्रतियोगिता-परीक्षाओं में बैठनेवाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ मौखिक परीक्षा भी देनी होती है। इन परीक्षाओं की अध्यक्षता आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य करता है; तथा वरिष्ठ प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ इस कार्य में आयोग की सहायता करते हैं।

अखिलभारतीय सेवाएँ

केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग अखिलभारतीय सेवाओं (यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए कर्मचारियों को चुनता है।

केन्द्र अथवा राज्य-सरकारों के अधीन किसी अखिलभारतीय सेवा अथवा असैनिक सेवा में नियुक्त कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे अधिकारी द्वारा बरखास्त अथवा पदच्युत नहीं किया जा सकता, जो उसे नियुक्त करनेवाले अधिकारी के अधीन हो। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी को बरखास्त करने अथवा उसका पद घटाने के पहले उसे अपना बचाव करने के लिए उपयुक्त अवसर देना भी आवश्यक है। परन्तु कुछ विशेष मामलों में यह विशेषाधिकार नहीं भी दिया जाता।

प्रशिक्षण—अखिलभारतीय सेवाओं के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए १ सितम्बर, १९५९ ई० से मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी की स्थापना कर दी गई है, जिसमें शिमला का 'आई० ए० एस० स्टाफ कालेज' तथा दिल्ली का 'आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल' भी सम्मिलित हैं। इस अकादमी में भारतीय प्रशासन-सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय पुलिस-सेवा के प्रशिक्षणार्थी आबू के केन्द्रीय पुलिस-प्रशिक्षण-कॉलेज मे प्रशिक्षण पाते हैं। अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को भी प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम पढाया जाता है, जिनका सेवा-काल ६ से १० वर्ष तक हो चुकता है।

केन्द्रीय सचिवालय-सेवा

केन्द्रीय सचिवालय तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सन् १९५० ई० में केन्द्रीय सचिवालय-सेवा आरम्भ की गई। आरम्भ मे यह सेवा चार श्रेणियों में बँटी हुई थी. प्रथम श्रेणी—अवर-सचिव अथवा उसके समाधिकारी; द्वितीय श्रेणी—अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट); तृतीय श्रेणी—सहायक अधीक्षक; तथा चतुर्थ श्रेणी—असिस्टेंट। इसके बाद इसमें 'चुनाव-श्रेणी' के नाम से एक नई श्रेणी और सम्मिलित कर दी गई, जिसमे भारत-सरकार के उप-सचिव तथा उसके समान पद पर नियुक्त किये जानेवाले अधिकारी आते हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक समुच्चय (पूल)

भारत-सरकार ने राज्य-सरकारों के परामर्श से केन्द्र के उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिए अक्टूबर, १६५७ ई० में अधिकारियों का एक केन्द्रीय प्रशासनिक समुच्चय (पूल) बनाया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के क्षेत्र मे विशिष्ट प्रशिक्षण-प्राप्त तथा अनुभवी अधिकारी जुटाना है।

औद्योगिक प्रबन्ध-समुच्चय

केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीन सार्वजनिक उद्योगों में वरिष्ठ प्रबन्धाधिकारियों की नियुक्ति के लिए भारत-सरकार ने नवम्बर, १६५७ ई० में एक औद्योगिक प्रबन्ध-समुच्चय (पूल) की स्थापना की। इसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

राज्यीय सेवाएँ

राज्यों की अपनी-अपनी अलग असैनिक सेवाएँ भी हैं, जो उनके शासन-क्षेत्र-सम्बन्धी विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग की भाँति राज्यों मे भी राज्य लोकसेवा-आयोग विद्यमान हैं, जो अपनी-अपनी असैनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं।

राज्यीय असैनिक सेवा की कार्यपालिका-शाखा राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अन्य दो महत्त्वपूर्ण शाखाएँ हैं—राज्यीय पुलिस-सेवा तथा राज्यीय न्याय-सेवा।

विधान-मंडल

भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमे शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है तथा प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रभुत्व अन्तत. जनता में निहित है। कार्यपालिका अपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलापों के लिए विधान-मंडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है।

संसद्

वर्त्तमान राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या २३२ है, जिनमें से २२० प्रतिनिधि राज्यों और संघीय क्षेत्रों के तथा १२ प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये गये हैं। वर्त्तमान लोकसभा की कुल सदस्य-संख्या ५०५ है, जिनमें से ५०० सदस्य १४ राज्यों तथा दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रो द्वारा सीधे चुने गये हैं, तथा ५ सदस्य आंग्ल-भारतीयो, छठी अनुसूची के भाग 'ख' वाले क्षेत्रों तथा अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह के संघीय क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये गये हैं। उपर्युक्त ५०० की सदस्य संख्या मे जम्मू-कश्मीर के ६ प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति इस राज्य के विधान-मंडल की सिफारिश पर करते हैं।

२० मार्च, १९६० की स्थिति के अनुसार, दोनों सदनों के सदस्यों का राज्यवार ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है—

संसद् में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्यसभा	लोकसभा	राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्यसभा	लोकसभा
आसाम	७	१२	बिहार	२२ (१)	५३
आंध्रप्रदेश	१८	४३ (१)	मद्रास	१७	४१
उड़ीसा	१०	२०	मध्यप्रदेश	१६	३६
उत्तरप्रदेश	३४ (१)	८६ (१)	मैसूर	१२	२६
केरल	९	१८	राजस्थान	१०	२२
जम्मू-कश्मीर	४	६	दिल्ली	३	५
पंजाब	११	२२	मणिपुर	१	२
पश्चिम बंगाल	१६	३६ (१)	हिमाचल-प्रदेश	२	४
बम्बई	२७ (१)	६६	त्रिपुरा	१	२
			कुल जोड़	२००	५००

उपर्युक्त तालिका में दी गई सदस्य-संख्याओं के अतिरिक्त राज्यसभा में १२ और लोकसभा में ५ मनोनीत सदस्य होते हैं।

संसद् के पदाधिकारी—संसद् के पदाधिकारियों में राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्रमुख हैं। अपने-अपने सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, ये पदाधिकारी उनके विशेषाधिकारों के संरक्षक भी हैं। सदनों के नियमों आदि की व्याख्या भी वही करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। संसद् के वर्त्तमान मुख्य पदाधिकारी ये हैं—

राज्यसभा के सभापति	... ...	एस० राधाकृष्णन
राज्यसभा के उप-सभापति	... ...	एस० वी० कृष्णमूर्त्ति राव
लोकसभा के अध्यक्ष	... ...	एम० अनन्तशयनम् आयंगर
लोकसभा के उपाध्यक्ष	... ...	हुकम सिंह

संसद् के कार्य तथा अधिकार—देश के लिए कानून बनाना तथा सरकार की आवश्यकताओं और राष्ट्र की सेवाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद् के दोनों सदन एक निर्वाचक-मंडल के अंग माने जाते हैं तथा उप-राष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचक-मंडल करता है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यही सदन मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों की स्वीकृति देता है। लोकसभा सरकार के बजट को अथवा उसके किसी अन्य बड़े वैधानिक प्रस्ताव को पास करने से इनकार करके, अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है।

केन्द्रीय प्रशासनिक समुच्चय (पूल)

भारत-सरकार ने राज्य-सरकारों के परामर्श से केन्द्र के उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिए अक्टूबर, १६५७ ई० में अधिकारियों का एक केन्द्रीय प्रशासनिक समुच्चय (पूल) बनाया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के क्षेत्र मे विशिष्ट प्रशिक्षण-प्राप्त तथा अनुभवी अधिकारी जुटाना है।

औद्योगिक प्रबन्ध-समुच्चय

केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीन सार्वजनिक उद्योगों में वरिष्ट प्रबन्धाधिकारियों की नियुक्ति के लिए भारत-सरकार ने नवम्बर, १६५७ ई० में एक औद्योगिक प्रबन्ध-समुच्चय (पूल) की स्थापना की। इसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

राज्यीय सेवाएँ

राज्यों की अपनी-अपनी अलग असैनिक सेवाएँ भी हैं, जो उनके शासन-क्षेत्र-सम्बन्धी विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग की भाँति राज्यों मे भी राज्य लोकसेवा-आयोग विद्यमान हैं, जो अपनी-अपनी असैनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं।

राज्यीय असैनिक सेवा की कार्यपालिका-शाखा राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अन्य दो महत्त्वपूर्ण शाखाएँ हैं—राज्यीय पुलिस-सेवा तथा राज्यीय न्याय-सेवा।

विधान-मंडल

भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमे शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है तथा प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रभुत्व अन्ततः जनता में निहित है। कार्यपालिका अपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलापों के लिए विधान-मडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है।

संसद्

वर्त्तमान राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या २३२ है, जिनमें से २२० प्रतिनिधि राज्यों और संघीय क्षेत्रों के तथा १२ प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये गये हैं। वर्त्तमान लोकसभा की कुल सदस्य-संख्या ५०५ है, जिनमें से ५०० सदस्य १४ राज्यों तथा दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रो द्वारा सीधे चुने गये हैं, तथा ५ सदस्य आंग्ल-भारतीयो, छठी अनुसूची के भाग 'ख' वाले क्षेत्रों तथा अदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये गये हैं। उपर्युक्त ५०० की सदस्य संख्या मे जम्मू-कश्मीर के ६ प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति इस राज्य के विधान-मंडल की सिफारिश पर करते हैं।

२० मार्च, १९६० की स्थिति के अनुसार, दोनों सदनों के सदस्यों का राज्यवार ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है—

संसद् में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की सख्या

राज्य तथा सङ्घीय क्षेत्र	राज्यसभा	लोकसभा	राज्य तथा सङ्घीय क्षेत्र	राज्यसभा	लोकसभा
आसाम	७	१२	बिहार	२२ (१)	५३
आंध्रप्रदेश	१८	४३ (१)	मद्रास	१७	४१
उड़ीसा	१०	२०	मध्यप्रदेश	१६	३६
उत्तरप्रदेश	३४ (१)	८६ (१)	मैसूर	१२	२६
केरल	९	१८	राजस्थान	१०	२२
जम्मू-कश्मीर	४	६	दिल्ली	३	५
पजाव	११	२२	मणिपुर	१	२
पश्चिम बंगाल	१६	३६ (१)	हिमाचल-प्रदेश	२	४
बम्बई	२७ (१)	६६	त्रिपुरा	१	२
			कुलजोड़	२००	५००

उपर्युक्त तालिका में दी गई सदस्य-संख्याओं के अतिरिक्त राज्यसभा मे १२ और लोकसभा में ५ मनोनीत सदस्य होते हैं

संसद् के पदाधिकारी—संसद् के पदाधिकारियों मे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्रमुख हैं। अपने-अपने सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, ये पदाधिकारी उनके विशेषाधिकारों के संरक्षक भी हैं। सदनो के नियमों आदि की व्याख्या भी वही करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनो की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। संसद् के वर्त्तमान मुख्य पदाधिकारी ये हैं—

राज्यसभा के सभापति ... ... एस० राधाकृष्णन
राज्यसभा के उप-सभापति ... ... एस० वी० कृष्णमूर्त्ति राव
लोकसभा के अध्यक्ष ... ... एम० अनन्तशयनम् आयंगर
लोकसभा के उपाध्यक्ष ... ... हुकम सिंह

संसद् के कार्य तथा अधिकार—देश के लिए कानून बनाना तथा सरकार की आवश्यकताओं और राष्ट्र की सेवाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद् के दोनों सदन एक निर्वाचक-मंडल के अंग माने जाते हैं तथा उप-राष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचक-मंडल करता है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यही सदन मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों की स्वीकृति देता है। लोकसभा सरकार के बजट को अथवा उसके किसी अन्य बड़े वैधानिक प्रस्ताव को पास करने से इनकार करके, अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है।

प्रत्येक कानून के लिए संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यद्यपि वित्त-सम्बन्धी सभी प्रकार के कानूनों की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, तथापि अनुदानों, कर-सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोकसभा ही दे सकती है। संसद् को सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन परिस्थितियों में संसद् को राज्य-सूचीवाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अतिरिक्त, संविधान में संशोधन करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव-आयुक्त और लेखा-नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पदच्युत करने का अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है।

संसद् की कार्यविधि—दोनों सदनों की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद ११८ में निर्धारित कार्यविधि तथा कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियमों के अनुसार होती है।

धन तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को छोड़कर, कोई भी विधेयक संसद् के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सदन प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं। परन्तु कुछ, मामलों में निर्धारित बहुमत आवश्यक होता है। संसद् का कोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग उपस्थित होना आवश्यक है।

विधेयक पास करने की प्रक्रिया दोनों सदनों में एक-जैसी है। प्रत्येक विधेयक को क्रमानुसार इन चरणों से गुजरना पड़ता है—(१) पहले विधेयक को प्रस्तुत तथा प्रकाशित किया जाता है; (२) फिर उसपर सामान्य बहस होती है; (३) इसके बाद एक-एक धारा पर विचार किया जाता है; और तब (४) सदन विधेयक को पास करता है। महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद विधेयकों को पास करने के पूर्व उन्हें किसी प्रवर-समिति अथवा संयुक्त प्रवर-समिति के पास विचारार्थ भेजा जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही उसे कानून का रूप प्राप्त होता है। किसी मामले में दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में, राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने तथा उसपर मतदान देने का अधिकार है। संयुक्त बैठक में निर्णय, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से किया जाता है।

धन-विधेयकों के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। धन-विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किये जा सकते हैं। लोकसभा विधेयक को पास करके राज्यसभा के पास भेजती है तथा राज्यसभा विधेयक प्राप्त होने के १४ दिन के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशों के साथ उसे लौटा देती है। इन सिफारिशों को स्वीकार करना अथवा न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।

संसदीय कार्य-विभाग—संसद् के कार्यक्रम की योजना बनाने आदि के लिए एक संसदीय कार्य-विभाग है। यह विभाग प्रत्येक सत्र (सेसन) का कार्यक्रम बनाता है, विभिन्न विषयों की प्राथमिकता निश्चित करता है तथा प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित करने के सुझाव भी देता है। इसके अतिरिक्त, संसद् में मंत्रीगण सरकार की ओर से जो आश्वासन देते हैं, उनको यह विभाग सम्बन्धित मंत्रालयों के पास कार्यान्वित करने के लिए भेजता है।

संसदीय समितियाँ—संसदीय समितियाँ संसद् के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों के तीन वर्ग हैं—(१) जो मुख्यतः सदन के संगठन तथा अधिकारों-सम्बन्धी कार्यों के लिए नियुक्त की जाती हैं; (२) जो सदनों को कानून-निर्माण के कार्यों में सहायता प्रदान करती है तथा (३) जिनको वित्तीय कार्य सौंपे जाते हैं। तीसरे वर्ग की समितियों में 'कार्यवाही परामर्श-समिति' तथा 'विशेषाधिकार-समिति' प्रमुख हैं। इनकी बैठक के लिए इनके एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से किये जाते हैं।

कार्यपालिका पर नियंत्रण—सामान्य वित्त-नियंत्रण रखने के अलावा, संसद् अपनी सार्वजनिक लेखा तथा प्राक्कलन-समितियों द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन का नियंत्रण तथा देखभाल भी करती है। संसद् के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकारी नीतियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। इसलिए, उसपर जो बहस होती है, उसमें संसद् को सरकारी नीतियों पर विचार करने का अच्छा अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी संसत्सदस्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक बातों के बारे में विचार करने के लिए संसद् में प्रस्ताव आदि रख सकता है। गम्भीर मामलों में, निर्धारित रीति से, मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पेश करने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, संसत्सदस्य संवैधानिक तरीकों से सरकारी नीतियों तथा सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर बहस करने या उसके बारे मे जानकारी प्राप्त करने या शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रस्ताव आदि रख सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।

राज्यो के विधान-मंडल

भारतीय संघ के १४ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदनवाले तथा ४ राज्यों में एक सदनवाले विधान-मंडल हैं। राज्यों की विधान-परिषदों तथा विधान-सभाओं मे सदस्यों की संख्या का विवरण इस प्रकार है—

राज्यो के विधान-मंडलों की सदस्य-संख्या

राज्य	विधान-परिषद् की सदस्य-संख्या	विधान-सभा की सदस्य-संख्या
आसाम	—	१०५ (१)
आन्ध्रप्रदेश	६०	३०१ (१)
उडीसा	—	१४० (१)
उत्तरप्रदेश	१०८	४३० (२)
केरल	—	१२६
जम्मू-कश्मीर	३६	७५४
पंजाब	५१	१५४ (१)
पश्चिम बंगाल	७५	२५२
बम्बई	१०८	३६६ (१)
बिहार	९६	३१८ (१)
मद्रास	६३	२०५ (२)
मध्यप्रदेश	६०	२८८ (२)
मैसूर	६३	२०८
राजस्थान	—	१७६ (१)
कुल जोड़	७८०	३,१७४ (१३)

टिप्पणी—कोष्ठकों में दी गई संख्या रिक्त स्थानों का सूचक है।

विधान-मंडल के पदाधिकारी— [illegible]
[illegible] होते हैं। [illegible]
[illegible] हैं, जो संसद के [illegible]

कार्य—राज्य-विधानमंडलों को संविधान के [illegible] विषयों पर [illegible]
साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। [illegible] राज्य की विधानसभा के [illegible]
होती है तथा राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों के लिए विधान-मंडल की [illegible]
करना आवश्यक है।

कार्यविधि—भारत के संविधान (अनुच्छेद १८०—२१२) में कार्य-संचाल[illegible]
अनर्हता तथा राज्यीय विधान-मंडलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के सम्ब[illegible]
नियमों का विवरण है। इसके अतिरिक्त, संविधान ने राज्य-विधानमंडलों को [illegible]
अपने निज के नियम बनाने के भी अधिकार दिये हैं।

राज्यों में सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने की भी [illegible]
जैसी केन्द्र में है। दोनों सदनो के बीच असहमति होने की स्थिति में, संसद [illegible]
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि विधान-सभा [illegible]
उसके विधान-परिषद् में भेजे जाने की तिथि से तीन महीने के बाद द्वितीय वाचन मे[illegible]
तो पास किये जाने के एक महीने बाद वह विधेयक स्वत: कानून का रूप ले लेता [illegible]
परिषद् का निर्णय उसके पक्ष में हो, अथवा विपक्ष मे।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उसपर विचार करने का अधिकार केवल वि[illegible]
विधान-परिषद् परिवर्त्तन के लिए सुझाव ही दे सकती है—वह भी विधेयक प्राप्[illegible]
१४ दिन के अन्दर ही। परन्तु, विधान-सभा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर[illegible]
होती है।

विधेयकों को रोक रखना—राज्य-विधानमंडल द्वारा पास किया गय[illegible]
तबतक कानून का रूप नहीं ले सकता, जबतक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न [illegible]
देने अथवा स्वीकृति रोक रखने के अलावा, राज्यपाल कुछ विधेयकों को उनपर [illegible]
द्वारा विचार किये जाने के लिए भी रोक रख सकता है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण—कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखने[illegible]
उपयोग करने के अलावा, राज्य-विधानमंडलों में कार्य-संचालन की सभी संसदीय[illegible]
में आती हैं। इस प्रकार, राज्य का विधानमंडल कार्यपालिका के नित्यप्रति के[illegible]
निगरानी रखता है। इसकी अपनी प्राक्कलन तथा लेखा-समितियाँ भी होती हैं।

★

न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण देश की एकीकृत न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा न्यायालय है। जहाँतक अपील सुनने के अधिकार का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को सुदृढ करने के लिए उच्च न्यायालयों तथा उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदच्युति को भी केन्द्र का विषय बना दिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य न केवल केन्द्र तथा राज्यों के बीच न्यायपूर्ण स्थिति बनाये रखना है, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी इसका कर्त्तव्य है।[1]

व्याख्या के अधिकार—जहाँतक संविधान की व्याख्या करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का सम्बन्ध है, न्यायालय विगत ६ वर्षों मे दिये गये अपने निर्णयों मे अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। भारत की न्यायपालिका को कानून मे परिवर्त्तन अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधिकार-क्षेत्र के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार, इसे विधान-मंडल के अधिनियमों को रद्द करने तथा वैधानिक नीति की समीक्षा करने का भी अधिकार नही है।

इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि देश में कानूनों का प्रशासन पूर्ण निष्पक्षता के साथ हो तथा किसी भी नागरिक को किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण मे न्याय से वंचित न रखा जाय। संविधान की व्यवस्था के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित प्रत्येक कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए निर्विवाद रूप से मान्य होगा।

न्यायाधिकार-क्षेत्र—सर्वोच्च न्यायालय को सीधे मुकद्मे लेने तथा अपील सुनने का अधिकार है। केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के झगडे अथवा दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक झगडों का निर्णय करने का अधिकार भी एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू कराने के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार प्रदान किये हैं। कोई भी व्यक्ति, जो समझता हो कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठने की सम्भावनावाले मामले मे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, जारी की गई डिग्री अथवा अन्तिम आदेश के सम्बन्ध में अथवा ऐसे दीवानी मामलों में, जिनमें झगड़े के विषय से सम्बन्धित रकम २०,००० रु० से कम न हो, अथवा जिनके निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, उसी उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने पर अथवा उक्त उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर कि अमुक मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय मे की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय मे अपील तभी की जा सकती है,

---

१. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं विधि-अधिकारियों के नाम 'भारत-सरकार' शीर्षक के अन्तर्गत दिये जा चुके हैं।

विधान-मंडल के पदाधिकारी—विधान-परिषद् का एक सभापति, और एक उप-सभापति तथा विधान-सभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। विधान-परिषद् के सभापति तथा विधान-सभा के अध्यक्ष को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो संसद् के सभापति तथा अध्यक्ष को हैं।

कार्य—राज्य-विधानमंडलों को संविधान में उल्लिखित विषयों पर एकमात्र तथा केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों के लिए विधान-मंडल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

कार्यविधि—भारत के संविधान (अनुच्छेद १८८—२१३) में कार्य-संचालन; सदस्यों की अनर्हता तथा राज्यीय विधान-मंडलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण नियमों का विवरण है। इसके अतिरिक्त, संविधान ने राज्य-विधानमंडलों की कार्यविधि के लिए अपने निज के नियम बनाने के भी अधिकार दिये हैं।

राज्यों में सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने की भी वैसी ही व्यवस्था है, जैसी केन्द्र में है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में, संसद् की भाँति राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की कोई व्यवस्था नही है। यदि विधान-सभा किसी विधेयक को उसके विधान-परिषद् में भेजे जाने की तिथि से तीन महीने के बाद द्वितीय वाचन में पास कर देती है, तो पास किये जाने के एक महीने बाद वह विधेयक स्वत' कानून का रूप ले लेता है, चाहे विधान-परिषद् का निर्णय उसके पक्ष में हो, अथवा विपक्ष में।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उसपर विचार करने का अधिकार केवल विधान-सभा को है। विधान-परिषद् परिवर्त्तन के लिए सुझाव ही दे सकती है—वह भी विधेयक प्राप्त होने की तिथि से १४ दिन के अन्दर ही। परन्तु, विधान-सभा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होती है।

विधेयकों को रोक रखना—राज्य-विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तबतक कानून का रूप नहीं ले सकता, जबतक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोक रखने के अलावा, राज्यपाल कुछ विधेयकों को उनपर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विचार किये जाने के लिए भी रोक रख सकता है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण—कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा, राज्य-विधानमंडलों में कार्य-संचालन की सभी संसदीय पद्धतियाँ उपयोग में आती हैं। इस प्रकार, राज्य का विधानमंडल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन पर निगरानी रखता है। इसकी अपनी प्राक्कलन तथा लेखा-समितियाँ भी होती हैं।

★

न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण देश की एकीकृत न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा न्यायालय है। जहाँतक अपील सुनने के अधिकार का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को सुदृढ करने के लिए उच्च न्यायालयों तथा उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदच्युति को भी केन्द्र का विषय बना दिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप मे, सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य न केवल केन्द्र तथा राज्यों के बीच न्यायपूर्ण स्थिति बनाये रखना है, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी इसका कर्त्तव्य है।[1]

व्याख्या के अधिकार—जहाँतक संविधान की व्याख्या करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का सम्बन्ध है, न्यायालय विगत ६ वर्षों मे दिये गये अपने निर्णयों मे अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। भारत की न्यायपालिका को कानून मे परिवर्त्तन अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधिकार-क्षेत्र के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार, इसे विधान-मंडल के अधिनियमों को रद्द करने तथा वैधानिक नीति की समीक्षा करने का भी अधिकार नहीं है।

इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि देश में कानूनों का प्रशासन पूर्ण निष्पक्षता के साथ हो तथा किसी भी नागरिक को किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में न्याय से वंचित न रखा जाय। संविधान की व्यवस्था के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित प्रत्येक कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए निर्विवाद रूप से मान्य होगा।

न्यायाधिकार-क्षेत्र—सर्वोच्च न्यायालय को सीधे मुकदमे लेने तथा अपील सुनने का अधिकार है। केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के झगडे अथवा दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक झगडों का निर्णय करने का अधिकार भी एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू कराने के सम्बन्ध मे विस्तृत अधिकार प्रदान किये हैं। कोई भी व्यक्ति, जो समझता हो कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठने की सम्भावनावाले मामले मे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, जारी की गई डिग्री अथवा अन्तिम आदेश के सम्बन्ध में अथवा ऐसे दीवानी मामलों में, जिनमें झगडे के विषय से सम्बन्धित रकम २०,००० रु० से कम न हो, अथवा जिनके निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश मे इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, उसी उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने पर अथवा उक्त उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर कि अमुक मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है,

---

१. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं विधि-अधिकारियों के नाम 'भारत-सरकार' शीर्षक के अन्तर्गत दिये जा चुके हैं।

जब उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दंड सुना दे; (ख) किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दंड सुना दे; अथवा (ग) यह प्रमाणित कर दे कि अमुक मामले के सम्बन्ध मे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिये गये निर्णय, डिग्री, दंड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गये मामलों में भी परामर्श देने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

न्यायालय का कार्य-सचालन—सर्वोच्च न्यायालय को कार्य-संचालन के लिए अपने निज के नियम बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद १४५ के अन्तर्गत, सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को निबटाने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकता है तथा एक न्यायाधीशवाले तथा डिवीजन-न्यायालयों के लिए अधिकारों की व्यवस्था कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो सदा खुली अदालत में ही दिये जाने चाहिए, उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत से किये जाते हैं। इस बहुमत से सहमत न होनेवाला न्यायाधीश अपना विसहमति-निर्णय दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा वकीलों के माध्यम से मुकदमा दायर कर सकता है।

सन् १९५९ में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार लागू कराने से सम्बन्धित १४२ तथा संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित ११० याचिकाओं को निबटाया।

विधि-आयोग

५ अगस्त, १९५५ को लोकसभा मे विधि-मंत्री की घोषणा के अनुसार, एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग से कहा गया कि वह न्याय-प्रणाली की समीक्षा करके उसमें सुधार करने तथा उसे शीघ्रतापूर्ण और सस्ता बनाने तथा केन्द्र के सामान्य और महत्त्वपूर्ण अधिनियमों की परीक्षा करके उनमें संशोधन-परिवर्त्तन करने के सुझाव दे।

विधि-आयोग ने १९ सितम्बर, १९५५ से अपना कार्य आरम्भ किया। आयोग को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक विभाग ने न्याय-प्रशासन में सुधार से सम्बन्धित काम हाथ में लिया, तथा दूसरे विभाग ने अनुविहित कानूनों के पुनरीक्षण का काम सँभाला। न्याय-प्रशासन में सुधार-सम्बन्धी काम पूरा करके विधि-आयोग ने अपनी रिपोर्ट ३० सितम्बर, १९५८ को पेश कर दी, जो २५ फरवरी, १९५९ को संसद् मे पेश की गई। आयोग की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

जहाँतक अनुविहित कानूनों के पुनरीक्षण का सम्बन्ध है, विधि-आयोग विभिन्न विषयों पर १२ रिपोर्टें दे चुका है। इनमें से कुछ रिपोर्टों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय भी किये जा चुके हैं।

न्याय-प्रशासन में सुधार-सम्बन्धी रिपोर्ट देने के साथ ही सन् १९५५ ई० में गठित विधि-आयोग समाप्त हो गया। परन्तु, अनुविहित क़ानूनों के पुनरीक्षण का काम जारी रखने के लिए २० दिसम्बर, १९५८ ई० को आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित आयोग में एक अध्यक्ष दो पूरे समय के तथा दो थोड़े समय के सदस्य तथा भारत-सरकार के विधि-मंत्रालय के विधान-विभाग के सचिव हैं, जो आयोग के पदेन सदस्य हैं। केन्द्र के सामान्य तथा महत्त्वपूर्ण अधि-नियमों की परीक्षा करना, उनमें परिवर्त्तन तथा संशोधन करने के लिए उपाय सुझाना आदि आयोग के विचारणीय विषय हैं।

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य के न्यायालय-प्रशासन में सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होता है। इस समय देश के १४ राज्यों में १४ उच्च न्यायालय हैं।

सामान्यतः प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रशासन का एक अंग माना जाता है, जिस राज्य में वह स्थित हो; किन्तु राज्य के विधान-मंडल को उच्च न्यायालय की रचना अथवा संगठन में परिवर्त्तन करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद् ही पदच्युत भी कर सकती है।

उच्च न्यायालयों को अपने न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सभी न्यायालयों तथा न्यायाधि-करणों का अधीक्षण करने का अधिकार है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू कराने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपने न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा सरकार के नाम निर्देश, आदेश आदि जारी करने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय

जिला-न्यायाधीश, जो मुख्य दीवानी न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का कार्य करते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं। राज्य की न्याय-सेवा में अन्य नियुक्तियाँ (जिला-न्यायाधीशों को छोड़कर) राज्यपाल द्वारा राज्यीय लोकसेवा-आयोग तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती हैं, तथा न्याय-सेवा के पदाधिकारियों तथा जिला-न्याया-धीशों से नीचे के पदाधिकारियों को नियुक्त करने, उनकी पदोन्नति करने आदि का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है।

कुछ स्थानीय भिन्नता के अतिरिक्त, अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कर्त्तव्य देश-भर में बहुत-कुछ एक-से ही हैं: प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है, जो जिला-न्यायाधीशों की अध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उसके नीचे दीवानी अदालतों के विभिन्न अधिकारी होते हैं।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से सम्बन्धित निदेशक सिद्धान्त के अनुसार, आंध्रप्रदेश, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश के मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल-क्षेत्र में, पंजाब के पेप्सू-प्रदेश और पाँच जिलों में, बिहार के १२ जिलों में तथा उत्तरप्रदेश के २० जिलों में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है।

★

प्रतिरक्षा

भारत का राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन तथा प्रयोग पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा-मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा-मंत्रालय का मुख्य कार्य इस बात का निश्चय करना है कि सेना की तीनों शाखाओं की गति-विधियों तथा उनके विकास में समुचित सामंजस्य रखा जाय, नीति-विषयक जिन मामलों का निर्णय सरकार करती है, उनसे तीनों मुख्यालयों को अवगत कराया जाय और उन्हें कार्यान्वित किया जाय तथा संसद् से प्रतिरक्षा-सम्बन्धी व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति ली जाय।

संगठन

यद्यपि सेना की तीनों शाखाओं पर प्रतिरक्षा-मंत्रालय का नियंत्रण है, तथापि उनका कार्य-संचालन सामान्यत: सीधे तौर पर उनके अपने-अपने प्रधान सेनाध्यक्षों के नियंत्रण में होता है। सेनाध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं—

स्थल-सेनाध्यक्ष : जनरल के० एस० तिमय्य

जल-सेनाध्यक्ष : वाइस-एडमिरल रामदास कटारी

वायु-सेनाध्यक्ष : एयर मार्शल ए० एम० इंजीनियर

इनके अतिरिक्त, हर शाखा में एक-एक उप-सेनाध्यक्ष भी होता है।

स्थल-सेना—स्थल-सेना तीन कमानों में संगठित है—दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान तथा पश्चिमी कमान। प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल के पद का एक 'जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' होता है। प्रत्येक कमान विभिन्न शाखाओं में बँटी होती है तथा प्रत्येक शाखा मेजर जनरल के पद के एक 'जनरल आफिसर कमांडिंग' के अधीन होती है। ये शाखाएँ भी उप-शाखाओं में बँट जाती हैं और प्रत्येक उप-शाखा एक 'ब्रिगेडियर' के अधीन होती है।

स्थल-सेना का मुख्यालय, जो दिल्ली में है, स्थल-सेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। इसकी चार मुख्य शाखाएँ हैं, जिनमें प्रत्येक लेफ्टिनेंट जनरल के पद के 'मुख्य स्टाफ-अधिकारी' के अधीन काम करती है। ये शाखाएँ हैं—'जनरल स्टाफ-शाखा' 'एड्जुटेंट जनरल की शाखा'; 'क्वार्टरमास्टर-जनरल की शाखा' तथा 'आर्डनेन्स मास्टर-जनरल की शाखा'। दो अन्य शाखाएँ हैं—'इंजीनियर-इन-चीफ शाखा' तथा 'सैनिक सचिव-शाखा', जो एक-एक मेजर जनरल के अधीन हैं।

जल-सेना—जल-सेना का भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। जल-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए चार मुख्य स्टाफ-अधिकारी है। जल-सेनाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित चार संकार्य और प्रशासनिक कमानें (एक समुद्र पर तथा तीन तट पर) हैं—(१) फ्लैग आफिसर कमांडिंग, भारतीय जहाजी बेड़ा; (२) फ्लैग आफिसर, बम्बई, (३) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन, तथा (४) कमोडोर, पूर्वी तट, विशाखापत्तनम्।

भारतीय जहाजी बेड़े में इस समय 'आई० एन० एस० मैसूर' (८,७०० टन) 'आई० एन० एस० दिल्ली' (७,०३० टन) तथा अनेक विध्वंसक, युद्धपोत, खान साफ करनेवाले पोत तथा अन्य जहाज हैं।

वायु-सेना— वायु-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए तीन स्टाफ-अधिकारी हैं, जिनके नियंत्रण मे वायु-सेना के मुख्यालय की मुख्य शाखाएँ हैं।

वायु-सेना के मुख्यालय के अधीन चार बड़ी कमानें हैं, जो 'संकार्य-कमान', 'प्रशिक्षण-कमान', 'रख-रखाव-कमान' तथा 'पूर्वी वायु-कमान' कहलाती हैं।

सन् १९५२ ई० मे संसद् द्वारा स्वीकृत, सुरक्षित तथा सहायक वायु-सेना-अधिनियम के अन्तर्गत, सात सहायक वायु-सेना-टुकड़ियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

प्रशिक्षण-संस्थान

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कालेज—सन् १९६० ई० में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कॉलेज की स्थापना कर दी गई है, जहाँ स्थल, जल तथा वायु-सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए युद्ध के सैनिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं तथा युद्ध-कला के उच्च निर्देशन तथा सैन्य-संचालन की विधियों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी—खडकवासला-स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग की लिखित और मौखिक परीक्षाएँ पास करनी पड़ती हैं। ये परीक्षाएँ साल में दो बार होती हैं तथा १५ से १७½ वर्ष की आयु के मैट्रिक-पास अविवाहित लड़के इसमें प्रवेश पा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान में भी इन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं है। अकादेमी में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले शिक्षार्थियों के लिए ३० रु० मासिक जेब-खर्च को छोड़कर, अन्य सभी व्यय की व्यवस्था सरकार स्वयं करती है। जिन शिक्षार्थियों के अभिभावकों की मासिक आय ३०० रु० से कम होती है, उनके जेब-खर्च की व्यवस्था भी सरकार ही करती है। खडकवासला का पाठ्यक्रम ३ वर्ष का है, जिसके बाद सैन्य-शिक्षार्थी अपने-अपने सैन्य-सेवा-प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

प्रतिरक्षा-सेवा-कर्मचारी-कालेज—दक्षिण भारत के विलिंगटन-स्थित प्रतिरक्षा-सेवाएँ कर्मचारी-कालेज (स्टाफ-कालेज) में प्रतिवर्ष सेना की तीनों शाखाओं के लगभग १०० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ का पाठ्यक्रम १० मास का है।

सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कालेज—पूना-स्थित सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कालेज में नये कमीशन-प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था है। यहाँ कुछ विशिष्ट विषयों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय भारतीय सेना-कालेज—देहरादून-स्थित इस कालेज में उन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बाद में सेना में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं।

स्थल-सेना के कालेज तथा स्कूल—देहरादून-स्थित भारतीय सैनिक-अकादेमी, स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रधान केन्द्र है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी से उत्तीर्ण

शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त करने के पूर्व यहाँ एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य लोग भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं। अकादेमी में सैन्य-शिक्षार्थियो को बड़ा कठोर और श्रमसाध्य प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उन्हें सैनिक जीवन के मूल ज्ञान से, जो प्रत्येक सैनिक अधिकारी के लिए आवश्यक होता है, अवगत करा दिया जाये।

किर्की-स्थित सैनिक इंजीनियरी कालेज में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सैनिक इंजीनियरी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, स्थल-सेना के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल ऑफ सिग्नल्स; देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी; मऊ का इन्फैंट्री स्कूल; जबलपुर का आर्डनेन्स स्कूल; तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर सेंटर तथा स्कूल।

जल-सेना के प्रशिक्षण-केन्द्र—विशिष्ट प्राविधिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़कर, जल-सेना के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापत्तनम्-स्थित जल-सेना प्रशिक्षण-केन्द्रों में होता है। कोचीन-स्थित आई० एन० एस० वेन्दूरुथि तथा जल-सेना का विमान-केन्द्र 'गरुड़' जल-सेना के मुख्य प्रशिक्षण-केन्द्र है। लोनावला (बम्बई) स्थित आइ० एन० एस० 'शिवाजी' पर मेकेनिकल इंजीनियरों तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जल-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल आई० एन० एस० 'वलसुरा' पर बिजली-सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जल-सेना में भरती होनेवाले नये रंगरूटों को विशाखापत्तनम्-स्थित आइ० एन० एस० 'सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

वायु-सेना के कालेज तथा स्कूल—विमान चलाने की शिक्षा ग्रहण करनेवाले चालकों को जोधपुर-स्थित वायु-सेना-उड्डयन-कालेज में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आगे का प्रशिक्षण हैदराबाद में दिया जाता है। उड्डयन-संशिक्षकों को ताम्बरम्-स्थित एक स्कूल में अलग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। कोयम्बटूर-स्थित वायु-सेना प्रशासनिक कालेज में वायु-सेना के प्रशासनिक अधिकारियों को तथा बंगलोर में स्थापित उड्डयन-चिकित्सा-स्कूल में चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जलाहाली-स्थित वायु-सेना प्राविधिक कालेज में इंजीनियरी अधिकारियों को प्रौद्योगिक इंजीनियरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सैनिक उपकरणों का उत्पादन

सैन्य-सामग्री तथा उपकरणों के उत्पादन और निरीक्षण, अनुसंधान तथा सेना की तीनों शाखाओं की विकास-सम्बन्धी गति-विधियों के सम्बन्ध में एक समन्वित नीति तैयार करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने चार वर्ष पूर्व एक प्रतिरक्षा-उत्पादन-बोर्ड की स्थापना की। इसके अध्यक्ष प्रतिरक्षा-मंत्री हैं। यह बोर्ड सभी शस्त्रास्त्र-कारखानों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। प्रतिरक्षा-मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा रक्षा-उत्पादन के महानियंत्रक इस बोर्ड से सम्बद्ध हैं, जिनके अधीन क्रमशः अनुसंधान और विकास-संगठन तथा उत्पादन और निरीक्षण-संगठन हैं।

उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेना की तीनों शाखाओं के प्राविधिक विकास-प्रतिष्ठानो और प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन को मिलाकर जनवरी, १९५८ ई० मे एक अनुसंधान और विकास-संगठन स्थापित किया गया। उत्पादन और निरीक्षण-संगठन के साथ इसका

सीधा सम्बन्ध है, और इसका मुख्य उद्देश्य सेना की तीनों शाखाओं के लिए आवश्यक सैन्य-सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त करना है।

शस्त्रास्त्र-कारखाने—शस्त्रास्त्र-कारखानों द्वारा कुछ समय पूर्व तक मुख्य रूप से स्थल-सेना की आवश्यकताओं की ही पूर्त्ति की जाती थी, परन्तु अब उनमें जल-सेना तथा वायु-सेना के लिए भी सामग्री बनाई जाने लगी है। इसके अतिरिक्त, ये कारखाने असैनिक आवश्यकता की चीजों का भी निर्माण करते हैं।

मशीनी औजार का कारखाना—अम्बरनाथ (बम्बई) स्थित मशीनी औजार के कारखाने में शस्त्रास्त्रों और मशीनी औजारों के प्रारूप (प्रोटो-टाइप) तथा छोटे-मोटे शस्त्रास्त्र तैयार करने का काम होता है।

विमान बनाने का कारखाना—बंगलोर-स्थित हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में भारतीय वायु-सेना के विमानों की मरम्मत के अतिरिक्त, विमानों का निर्माण भी किया जाता है। यह कारखाना सन् १६५२ ई० से अनेक प्रकार के विमान तैयार कर रहा है।

विमानों के अतिरिक्त, इस कारखाने में पूर्ण धातु के सवारी-डिब्बे तथा बसों के ढाँचे आदि भी बनते हैं। हाल ही में भारत-सरकार ने कुछ विशिष्ट प्रकार के विमान बनाने के लिए दो विदेशी कम्पनियों के साथ करार किये हैं।

भारत इलेक्ट्रानिक्स—बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में प्रारम्भिक उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १६५५ ई० में आरम्भ हुआ। जनवरी, १६५६ ई० से मार्च, १६५६ ई० तक इस कारखाने में ६८.६५ लाख रु० मूल्य के विद्युत्-उपकरणों का निर्माण हुआ।

सेनाओं द्वारा विशेष कार्य

देश की रक्षा करने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त, भारत की सशस्त्र सेनाएँ समय-समय पर कई अन्य आपात-कार्यों में भी हाथ बँटाती हैं। इनमें मुख्य हैं—(क) बाढ, अकाल तथा भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता; (ख) पन-बिजली तथा अन्य योजनाओं के विकास तथा आयोजन के काम आनेवाले फोटो-सर्वेक्षण, तथा (ग) बेकार भूमि का पुनरुद्धार। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय सेनाओं ने कोरिया-विराम-संधि-करार तथा २० जुलाई १६५४ ई० को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के अन्तर्गत स्थापित वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया मे नियंत्रण तथा अधीक्षण के लिए अन्तरराष्ट्रीय आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने मे भी सहायता दी। १६ नवम्बर, १६५६ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपात-सेना में सम्मिलित होने के लिए एक भारतीय सैन्य-टुकडी मिस्र भी भेजी गई, जहाँ उसने शान्ति-स्थापना मे पर्याप्त योगदान किया। श्रीलंका के बाढग्रस्त क्षेत्रों को सहायता पहुचाने के लिए भी भारतीय वायु-सेना के विमानों ने इन क्षेत्रों में ५ लाख पौंड से अधिक की खाद्य-वस्तुएँ तथा ओषधियाँ गिराईं। हाल में लगभग ७० सैनिक अधिकारियों ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक-दल के साथ भी कार्य किया।

सेनाओं पर व्यय

पिछले दस वर्षों में सेनाओं पर जो व्यय हुआ, उसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है—

(करोड़ रु० में)

वर्ष		राजस्वगत व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल
१६५१-५२ (वास्तविक)	...	१८६'२८	१०'१७	१६६'४५
१६५५-५६ (वास्तविक)	...	१८८'३७	१७'५६	२०५'६६
१६५६-५७ (वास्तविक)	...	२११'८५	१६'७०	२३१'५५
१६५७-५८ (वास्तविक)	...	२५६'७२	२२'६३	२७६'६५
१६५८-५६ (वास्तविक)	...	२५०'६३	२७'८८	२७८'८१
१६५६-६० (संशोधित अनुमान)		२४३'७०	३६'४८	२८०'१८
१६६०-६१ (वजट-अनुमान)	...	२७२'२६	३७'७४	३१०'००

क्षेत्रीय सेना

क्षेत्रीय सेना सर्वप्रथम अक्तूबर, १६४६ ई० में संगठित की गई थी। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों को अवकाश के समय सैनिक-प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकट-काल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए भी बुलाया जा सकता है।

आवश्यक योग्यता रखनेवाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष क्षेत्रीय सेना में भरती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है—प्रादेशिक तथा नागरिक। रंगरूटों का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा नागरिक सेना में ३२ दिन का होता है। नागरिक-सेना में प्रशिक्षण शाम को, सप्ताहान्त में, अथवा छुट्टियों के दिन दिया जाता है। प्रशिक्षण लेते हुए अथवा अन्य प्रकार से नियुक्त क्षेत्रीय सेना के अधिकारियों तथा जवानों को लगभग वही वेतन, भत्ते, राशन तथा चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती हैं, जो नियमित सेना में उनके समान पदाधिकारियों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें उपदान (ग्रेच्युटी), असमर्थता-पेंशन और परिवार-पेंशन भी प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय सेना के कर्मचारी पदक तथा पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर सकते हैं।

लोक-सहायक सेना

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो सन् १६५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक-सेना के रूप में पुनस्संगठित की गई थी, अब 'लोकसहायक सेना' कहलाती है। इसका उद्देश्य ५ वर्षों में लगभग ५ लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक-शिक्षा देना है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य-शिक्षार्थियों को छोड़कर, १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष लोक-सहायकसेना में भरती हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस सेना में नाम लिखानेवाले लोगों को सैनिक-सेवा करनी ही पड़ेगी। एक नई योजना के अन्तर्गत, सीमान्त-प्रदेशों में रहनेवाले लोगों को भी सैन्य-शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नये रंगरूटों को ३० दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण-काल में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए भोजन तथा वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है तथा शिविर की समाप्ति पर जेब-खर्च के लिए उसको १५ रु० दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल

इस दल में स्कूलों तथा कालेजों के छात्र और छात्राएँ भरती हो सकती हैं। इसमे तीन टुकड़ियाँ होती हैं। सीनियर, जूनियर और बालिका। प्रथम दोनों टुकड़ियों की स्थल, जल तथा वायु-शाखाएँ हैं।

कुछ सैन्य-शिक्षार्थियों को सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त, विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। १ जनवरी, १९६० को इस दल में कुल २,४०,६६३ सैन्य-शिक्षार्थी थे।

सहायक सैन्य-शिक्षार्थी-दल

सहायक सैन्य-शिक्षार्थी-दल स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल में प्रवेश नहीं मिलता। यह दल देश के युवकों और युवतियों में अनुशासन, देश-भक्ति तथा सहयोग की भावना पैदा करने का प्रयास करता है। सन १९५९ के अन्त मे सहायक सैन्य-शिक्षार्थियों की संख्या ९,२०,२५२ थी।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकरियों, व्यावसायिक और प्रौद्योगिक धंधों कृषि-भूमि तथा परिवहन सेवाओं मे काम दिलाने के लिए रक्षा-मंत्रालय में एक पुनर्वास-निदेशालय है। भूतपूर्व सैनिकों को कृषि की भी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे सामुदायिक विकास-योजनाओं में ग्रामसेवक के रूप में नियुक्त किए जा सकें। पुलिस, चौकसी तथा आबकारी विभागों में, जहाँ सैनिक-प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नियुक्तियाँ करते समय भूतपूर्व सैनिकों को तरजीह दी जाती है। केन्द्र तथा राज्य-सरकारों और निजी सगठनों के मिले-जुले प्रयास के फलस्वरूप, विगत ९ वर्षों मे १,२५,४७० भूतपूर्व सैनिकों को काम दिलाया जा चुका है।

'सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड' नामक एक गैर-सरकारी संगठन भी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारवालों को उपयोगी सहायता प्रदान करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण योग दे रहा है। बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वह राज्यीय बोर्डों की गति-विधियों मे सामंजस्य स्थापित करता है। राज्यीय बोर्ड भी जिला-बोर्डों के कार्यों की देख-रेख करते हैं। इस समय इस प्रकार के २०४ बोर्ड हैं। उपर्युक्त बोर्ड की निधि के अतिरिक्त, (जिसमें से अंधे भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पेंशन दी जाती है), कई अन्य केन्द्रीय निधियाँ भी हैं, जिनमें झंडा-दिवस-निधि, सशस्त्र सेनाओं की कल्याणकारी निधि तथा सशस्त्र सेना पुनर्निर्माण-निधि प्रमुख हैं। इन निधियो से भूतपूर्व सैनिकों को प्रभूत सहायता प्रदान की जाती है।

★

शिक्षा

भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य-सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग के माध्यम से केवल उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधाओं का समन्वय तथा मानदंड निर्धारित करती है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था अखिल भारतीय परिषदें करती हैं। केन्द्रीय सरकार अलीगढ, दिल्ली, वाराणसी तथा विश्वभारती के विश्व-विद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य ऐसे संस्थानों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है, जिनके बारे में संसद् निर्देश करे। अन्य देशों के साथ सास्कृतिक सम्पर्क तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति-संगठन (यूनेस्को)-जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्तियाँ आदि भी देती है।

सन् १९५७-५८ में भारत में कुल ३,९४,२६२ शिक्षालय थे, जिनमें ३८०'६२ लाख विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे, जबकि सन् १९५६-५७ में इनकी संख्या क्रमशः ३,७७,८३७ तथा ३६०.०६ थी।

साक्षरता—सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार, भारत में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या ५,९२,६१,११४ (अर्थात् १६. ६१ प्रतिशत) थी। इनमें से ४,५६,१०,४३१ पुरुष (२४. ८८ प्रतिशत) तथा १,३६,५०,६८३ महिलाएँ (७. ८७ प्रतिशत) थीं। इनमें सिक्किम के आँकड़े भी शामिल हैं।

योजना में शिक्षा—पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए १६९ करोड रु० की और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३०७ करोड़ रु० की व्यवस्था थी। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत, विभिन्न शिक्षा-क्षेत्रों पर व्यय का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है—

प्रारम्भिक शिक्षा—क्रमश.	...	९३ और ८९ करोड रुपया
माध्यमिक शिक्षा—क्रमशः	...	२२ और ५१ करोड़ रुपया
विश्वविद्यालयीय शिक्षा—क्रमश	...	१५ और ५७ करोड़ रुपया
तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा-क्रमश.	...	२३ और ४८ करोड रुपया
समाज-शिक्षा—क्रमशः	...	५ और ५ करोड़ रुपया
प्रशासन तथा विविध—क्रमशः	...	११ और ५७ करोड़ रुपया

पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से सन् १९५७-५८ की अवधि तक इन दोनों क्षेत्रों में स्कूलों और विद्यार्थियों मे पर्याप्त वृद्धि हुई। सन् १९५०-५१ में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के केवल ३०३ स्कूल थे, जिनमें २१,६४० विद्यार्थी थे। सन् १९५७-५८ में स्कूलों की संख्या ९२१ और विद्यार्थियों की संख्या ५९,९२४ लाख तक जा पहुँची। इसी प्रकार, सन् १९५०-५१ में प्राथमिक शिक्षा के २,०९,६७१ मान्यता-प्राप्त स्कूल थे, जिनमें १,८२,९३,९६७ विद्यार्थी थे। सन् १९५७-५८ की अवधि में इन स्कूलों की संख्या २,९८,३३९ और विद्यार्थियों की संख्या २,५२,१६,६७१ जा पहुँची। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक के समस्त

बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो जायगी। प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए एक 'अखिलभारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद्' विद्यमान है।

माध्यमिक शिक्षा (सेकेण्डरी एजुकेशन)

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार किया जा चुका है तथा केन्द्र और राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक 'अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद्' की स्थापना कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां सन् १९५०-५१ में कुल २०,८८४ माध्यमिक स्कूल और ५२,३२,००६ विद्यार्थी थे, वहां सन् १९५७-५८ में स्कूलों की संख्या ३६,१३४ और विद्यार्थियों की संख्या १,०२,४६,५००, जा पहुँची।

बुनियादी शिक्षा

वर्त्तमान प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूल बनाने, नये बुनियादी स्कूल खोलने, गैर-बुनियादी स्कूलों में कला-कौशल की शिक्षा देने, बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य तैयार कराने तथा बुनियादी शिक्षा के लिए अध्यापक प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। सन् १९५६ में स्थापित 'राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्थान' बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा अध्यापकों आदि का पथ-प्रदर्शन करने में संलग्न है।

सन् १९५०-५१ मे जूनियर बुनियादी स्कूलों तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमश ३३, ३७९ और ३५१ थी, जिनमें क्रमश. २८,४८,२४० और ६६,४८२ विद्यार्थी थे। इन पर व्यय क्रमश ३.९४ और ०.२१ करोड़ रु० हुआ था। सन् १९५७-५८ में जूनियर और सीनियर स्कूलों की सख्या क्रमश ५२,०२६ और ७,८१६, विद्यार्थियों की संख्या क्रमश· ४८,१२,६८१ और १,१६,८१६ तथा व्यय-राशि क्रमश १०.८५ और ६.२६ करोड़ रु० थी।

व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा

सन् १९५०-५१ में उपर्युक्त प्रकार की शिक्षा के २,३३६ संस्थान थे, जिनमें १,८७,१६४ विद्यार्थी और ११,५६८ अध्यापक थे। इनपर करीब ३.६६ करोड़ रुपया व्यय हुआ। सन् १९५७-५८ में संस्थानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की सख्या क्रमश. ३,२१३; २,८७,७८८ और १६,०२५ हो गई तथा खर्च ७ करोड़ रु० हुआ।

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा-संस्थानों के अन्तर्गत, विकलांगों के स्कूल तथा संगीत, नृत्य, ललित-कला, प्रौढ-शिक्षा आदि के स्कूल आते हैं। सन् १९५०-५१ ई० मे देश मे इस प्रकार के ५२,८१३ संस्थान थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमश. १४,०४,४४३ और १६,६८६ थी और इन पर २.३३ करोड़ रु० व्यय हुआ था। सन् १९५७ ५८ मे इन संस्थानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमश ५१,१५२, १४,४८,५९४ और २६,८८६ हो गई, जिन पर व्यय २.९० करोड़ रु० हुआ।

उच्चतर तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा

भारत में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कला तथा विज्ञान-कॉलेजों, व्यावसायिक शिक्षावाले कॉलेजों विशेष शिक्षावाले कॉलेजों, अनुसंधान-संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। जिन राज्यों में उच्चतर माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट शिक्षा-बोर्ड हैं, वहाँ इंटरमीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में है।

विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं—कुछ विश्वविद्यालय अध्यापन-कार्य नहीं, वरन् परीक्षाओं के संचालन आदि की व्यवस्था करते हैं, कुछ विश्वविद्यालय उपर्युक्त काम के साथ-साथ अध्यापन तथा अनुसंधान-कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं, तथा कुछ विश्वविद्यालय सभी प्रकार के अध्यापन-कार्य की व्यवस्था करते हैं।

सन् १९२५ ई० में स्थापित अन्तर्विश्वविद्यालय-बोर्ड, विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

विश्वविद्यालयों के अलावा, देश में कुछ और ऐसे संस्थान भी हैं, जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे दिल्ली का जामिया मीलिया, हरद्वार का गुरुकुल तथा बंगलोर का भारतीय विज्ञान-संस्थान। इनकी स्थिति भी विश्वविद्यालयों-जैसी ही है। 'वैज्ञानिक अनुसंधान' शीर्षक अध्याय में उल्लिखित कई प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को अन्तर्विश्वविद्यालय-बोर्ड ने उच्चतर अनुसंधान-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है।

सन् १९५०-५१ ई०में देश मे २७ विश्वविद्यालय, ७ शिक्षा-बोर्ड, १८ अनुसंधान-संस्थान, ६२ विशेष शिक्षा-कॉलेज, २०८ व्यावसायिक और तकनीकी कॉलेज तथा ४९८ कला और विज्ञान-कॉलेज थे। जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की सख्या क्रमश: ४,०३,५१९ और २४,४५३ तथा व्यय-राशि १७.६८ करोड़ रु० थी। सन १९५७-५८ ई० में ३७ विश्वविद्यालय, १३ शिक्षा-बोर्ड ४३ अनुसंधान-संस्थान, १४७ विशेष शिक्षा-कॉलेज, ४७५ व्यावसायिक और तकनीकी कॉलेज तथा ८१८ कला और विज्ञान-कॉलेज थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमश ७,९८ ६०८ और ४५,२३१ थी तथा कुल व्यय ३६.८१ करोड़ रु० हुआ।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग

सन् १९५३ ई० में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की स्थापना की गई, जिसे विश्व-विद्यालयीय शिक्षा-सम्बन्धी अधिकाश समस्याओ तथा अध्ययन और अनुसधान-सम्बन्धी मानदंडों और सुविधाओं को सुनिश्चित और समन्वित करने के कार्य सौंपे गये। विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार भी इस आयोग को दिया गया।

भारत के विश्वविद्यालय

(स्थापना-क्रम से)

क्र० सं०	नाम	स्थान	संस्थापन-काल	कॉलेज-सं०	वाइस चान्सलर
१.	कलकत्ता-विश्वविद्यालय	कलकत्ता	१८५७	१५१	डॉ० एस० मित्रा
२.	वम्बई-विश्वविद्यालय	वम्बई	१८५७	३३	टी० एम्० अदवानी
३.	मद्रास-विश्वविद्यालय	मद्रास	१८५७	१०२	डॉ० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर
४.	इलाहाबाद-विश्वविद्यालय	इलाहावाद	१८८७	४	के० वी० भटनागर
५.	वनारस-विश्वविद्यालय	वनारस	१९१५	२१	नटवरलाल हीरालाल भगवती
६.	मैसूर-विश्वविद्यालय	मैसूर	१९१६	४५	एम० ए० निकम
७.	पटना-विश्वविद्यालय	पटना	१९१७	४१	वसिष्ठनारायण राय
८.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	हैदराबाद	१९१८	२६	डी० एस्० रेड्डी
९	अलीगढ-विश्वविद्यालय	अलीगढ	१९२०	२	डॉ० तहीर सैफ उद्दीन
१०.	लखनऊ-विश्वविद्यालय	लखनऊ	१९२१	१४	कालीप्रसाद
११	दिल्ली-विश्वविद्यालय	दिल्ली	१९२२	२३	डॉ० एम० के० सिद्धात
१२.	नागपुर-विश्वविद्यालय	नागपुर	१९२३	३०	सी० चदकान्त
१३.	आन्ध्र-विश्वविद्यालय	वाल्टेयर	१९२६	५०	डॉ० वी० एस्० कृष्णा
१४.	आगरा-विश्वविद्यालय	आगरा	१९२७	७४	के० पी० भटनागर
१५.	अन्नामलाई-विश्वविद्यालय	अन्नामलाई नगर	१९२९	—	टी० एम्० नारायण-स्वामी
१६.	केरल-विश्वविद्यालय	त्रिवेन्द्रम्	१९३७	७४	के० सी० के० ई० राजा
१७.	श्रीत्रावणकोर-विश्वविद्यालय	त्रावणकोर	१९३८	—	—
१८.	श्रीवेंकटेश्वर-विश्वविद्यालय	तिरुपति	१९४३	१९	डॉ० एस्० गोविन्दराजू
१९.	उत्कल-विश्वविद्यालय	कटक	१९४३	१९	डॉ० प्राणकृष्ण परीजा
२०.	सागर-विश्वविद्यालय	सागर	१९४६	३५	डॉ० पी० मिश्र
२१	पंजाव-विश्वविद्यालय	चंडीगढ	१९४७	१२०	ए० सी० जोशी
२२.	राजस्थान-विश्वविद्यालय	जयपुर	१९४७	३४	जी० सी० चटर्जी
२३.	गोहाटी-विश्वविद्यालय	गोहाटी	१९४८	३५	एस्० के भूंय
२४.	जम्मू एवं कश्मीर-विश्वविद्यालय	श्रीनगर	१९४८	२५	वशीर अहमद सईद
२५.	मध्यभारत-विश्वविद्यालय	इन्दौर	१९४८	—	—
२६	पूना-विश्वविद्यालय	पूना	१९४८	१०	डॉ० आर० पी परांजपे
२७.	वड़ौदा-विश्वविद्यालय	वड़ोदा	१९४९	२१	जे० एम्० मेहता
२८.	रुड़की-विश्वविद्यालय	रुड़की	१९४९	—	ए० सी० मित्रा

क्र० सं०	नाम	स्थान	संस्थापन-काल	कॉलेज-सं०	वाइस-चान्सलर
२६.	कर्नाटक-विश्वविद्यालय	धारवाड़	१६५०	२८	डी० सी० पवेट
३०.	गुजरात-विश्वविद्यालय	अहमदाबाद	१६५०	६३	एम्० पी० देसाई
३१.	एस्० एन्० डी० टी० महिला-विश्वविद्यालय	बम्बई	१६५१	७	श्रीमती पी० वी० थैकर्सी
३२.	विश्वभारती-विश्वविद्यालय	शान्ति-निकेतन	१६५१	६	सुधीरंजन दास
३३.	बिहार-विश्वविद्यालय	मुजफ्फरपुर	१६५२	३६	कालीकुमार बनर्जी
३४.	यादवपुर-विश्वविद्यालय	कलकत्ता	१६५५	२	डॉ० त्रिगुण सेन
३५.	सरदार वल्लभभाई-विद्यापीठ	वल्लभनगर (आनन्द)	१६५५	४	वी० डी० पटेल
३६.	कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालय	कुरुक्षेत्र	१६५६	—	ए० सी० जोशी
३७.	गोरखपुर-विश्वविद्यालय	गोरखपुर	१६५७	१३	वी० एन्० झा
३८.	जबलपुर-विश्वविद्यालय	जबलपुर	१६५७	१६	पंडित कुंजीलाल दूबे
३६.	विक्रम-विश्वविद्यालय	उज्जैन	१६५७	३७	डॉ० माताप्रसाद
४०.	इन्दिरा कला-संगीत-विश्वविद्यालय	खैरा	१६५८	—	—
४१.	वाराणसी संस्कृत-विश्वविद्यालय	वाराणसी	१६५८	—	प्रो० के० एस० एय्यर
४२.	मराठवाड़ा-विश्वविद्यालय	औरंगाबाद	१६५८	—	एस० आर० डोंगर केरी
४३.	बर्दवान-विश्वविद्यालय	बर्दवान	१६६०	—	वी० के० गुहा
४४.	कल्याणी-विश्वविद्यालय	कल्याणी	१६६०	—	डॉ० एस० एन० सेनगुप्ता
४५.	रुद्रपुर-कृषि-विश्वविद्यालय	(उ० प्र०)	१६६०	—	के० ए० पी० स्टीवेंसन
४६.	भागलपुर-विश्वविद्यालय	भागलपुर	१६६०	३६	वी० पी० जमुआर
४७.	राँची-विश्वविद्यालय	राँची	१६६०	१८	विष्णुदेवनारायण सिंह
४८.	मिथिला संस्कृत-विश्वविद्यालय	दरभंगा	१६६०	—	डॉ० उमेश मिश्र

उच्च तकनीकी शिक्षा

देश में तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी) की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार हो रहा है। सन् १६५१ ई० में देश में इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनेवाले कुल ५३ डिग्री-संस्थान और ८६ डिप्लोमा-संस्थान थे, जिनमें क्रमशः ४,७८८ और ६,२१६ विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था थी। सन् १६५६ ई० में इन संस्थाओं की संख्या क्रमशः ८७ और १६६ हो गई, जिनमें ११,२८० और २०, ६७० विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था थी। अनुमान है कि सन् १६५६ ई० में इन संस्थाओं से क्रमशः ४,७६० और ७,६१० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकले।

राज्य-सरकारों की दूसरी योजना के अन्तर्गत, ६ इंजीनियरी तथा ४८ पॉलिटेकनीक संस्थान खोलने का कार्यक्रम रखा गया था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक तकनीकी कर्मचारी प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ६ प्रादेशिक इंजीनियरी कॉलेज तथा २७ पॉलिटेकनीक कॉलेज स्थापित करने की एक योजना स्वीकार कर ली है। वारंगल में एक कॉलेज ने काम आरम्भ भी कर दिया है। कुछ संस्थानों में ५०० विद्वानों के लिए इंजीनियरी तथा टेक्नॉलाजी में स्नातकोत्तर-अध्ययन की सुविधाएँ जुटाने की व्यवस्था कर दी गई है।

खड्गपुर-स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य सन् १६५१ ई० में आरम्भ हुआ। बम्बई तथा मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विद्यार्थियों को सबसे पहले क्रमशः सन् १६५८ और १६५६ ई० में प्रवेश दिया गया। कानपुर का संस्थान स्थापित किया जा रहा है। जब ये संस्थान पूरी तरह से तैयार हो जायेंगे, तब प्रत्येक में स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमशः १,५०० और ५०० विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जायगी। इसके अतिरिक्त, कुछ संस्थानों में प्रबन्ध-व्यवस्था-सम्बन्धी पाठ्य-क्रम आरम्भ किये जा चुके हैं।

इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित ४ प्रादेशिक मुद्रण (प्रिंटिंग) स्कूलों ने कार्य आरम्भ कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष २० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

अनुसंधानकर्त्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सहायता-अनुदान देने के अतिरिक्त, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के लिए भी १,०३६ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था कर दी गई है।

राष्ट्रीय अनुसंधान-छात्रवृत्ति-योजना के अधीन, चार-चार सौ रु० मासिक की ८० छात्र-वृत्तियों तथा उपकरणों आदि के लिए प्रतिवर्ष १,००० रु० के अनुदान की भी व्यवस्था कर दी गई है।

विदेशो में प्रशिक्षित प्रविधिज्ञ

स्थूल गणनानुसार लगभग साढ़े पाँच हजार भारतीय छात्र विदेशों में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसका ब्योरा इस प्रकार है—

देश	इंजिनियरिंग	विज्ञान	प्रविधि	चिकित्सा	व्यवसाय-प्रशासन	कुल
ग्रेटब्रिटेन	८५०	२८०	३००	५००	७०	२,०००
सं० रा० अमेरिका	५५०	५३०	१५०	२००	८०	१,५१०
कनाडा	१००	५०	३०	५०	२०	२५०
अन्य यूरोपीय देश	४००	२००	२००	१००	५०	९५०
अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	१००	५०	६०	२०	२०	२५०
अन्य देश	२००	६०	६०	१००	५०	५००
	२,२००	१,२००	८००	९७०	२६०	५,४६०

आगामी कुछ वर्षों में प्रतिवर्ष विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटनेवाले प्रविधिज्ञ इस प्रकार होंगे—

इंजीनियर ५५०; वैज्ञानिक ३५०; प्रोयोगविद् २५०; डॉक्टर ३५०; व्यवसाय-प्रशासक आदि १००; कुल १५००।

भारत की उच्च शिक्षा-संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा (१९५७-५८)

राज्यसंघीय शासित क्षेत्र	विश्व-विद्यालय	शिक्षा-बोर्ड	अनुसंधान-संस्थान	कला और विज्ञान-कॉलेज	व्यावसायिक कॉलेज	विशेष शिक्षा सम्बन्धी कॉलेज	योग
आन्ध्रप्रदेश	३	१	—	५५	२४	२२	१०५
आसाम	१	—	—	२८	८	१	३८
विहार	२	१	४	६५	२७	७	१०६
वम्बई	७	२	२२	८५	११६	११	२४३
जम्मू और कश्मीर	१	—	—	१२	३	१०	२६
केरल	१	—	—	४२	१५	७	६५
मध्यप्रदेश	३	२	१	६३	३१	१३	११३
मद्रास	२	१	—	५८	३४	२०	११५
मैसूर	२	—	४	४७	५६	७	११६
उड़ीसा	१	१	—	१६	१२	४	३४
पंजाव	२	—	—	७८	३३	१	११४
राजस्थान	१	२	—	५५	१६	१८	६५
उत्तरप्रदेश	७	१	५	८०	४४	१०	१४७
पश्चिम-बंगाल	३	१	४	१०६	३७	१२	१६६
दिल्ली	१	१	३	१६	१०	२	३३
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	३	१	—	४
मणिपुर	—	—	—	२	—	१	३
त्रिपुरा	—	—	—	२	२	१	५
पाण्डिचेरी	—	—	—	२	३	—	५
भारत	३७	१३	४३	८१८	४७५	१४७	१,५३३

मेडिकल शिक्षा

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के दो विद्यालय पहले-पहले सन् १८२२ ई० में मद्रास और कलकत्ता में स्थापित हुए। आरम्भ में स्थानीय भाषा के माध्यम से इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। अँगरेजी में चिकित्सा-विज्ञान की जो पुस्तकें थीं, उनके अनुवाद-ग्रन्थों से छात्रों को सहायता मिलती थी। सन् १८३३ ई० में तत्कालीन गवर्नर जेनरल लार्ड विलियम वेरिटक ने एक कमिटी भारत में चिकित्सा-विज्ञान की शिक्षा देने के सम्बन्ध में जाँच करके प्रतिवेदन देने के लिए कायम की। इस कमिटी के सुझाव पर ही उक्त दोनों विद्यालय सन् १८३५ ई० मे मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्त्तित कर दिये गये। इस प्रकार, भारत मे दो सब से पुराने मेडिकल कॉलेज—मद्रास मेडिकल कॉलेज और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज—स्थापित हुए। आरम्भ मे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पाठ्य-क्रम की अवधि चार वर्ष की थी, जो सन् १८४५ ई० में वढ़ाकर पाँच वर्ष की कर दी गई। मद्रास मेडिकल कॉलेज का तीन वर्ष का पाठ्य-क्रम सन् १८५० ई० में वढ़ाकर पाँच वर्ष का कर दिया गया।

सन् १८४५ ई० में तीसरा मेडिकल कॉलेज वम्वई में स्थापित हुआ। उस समय तक भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हुई थी। सन् १८५७ ई० मे कलकत्ता, मद्रास और वम्वई में पहले-पहल तीन भारतीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए और तीनों मेडिकल कॉलेज क्रमशः अपने-अपने विश्वविद्यालयों से सम्वद्ध हुए।

इसके वाद कई स्थानों में चिकित्सा-विज्ञान के संक्षिप्त पाठ्य-क्रम का प्रशिक्षण देने के लिए मेडिकल स्कूल खोले गये। सन् १९११ ई० में लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। सन् १९१६ ई० में कलकत्ता मे कारमाइकेल मेडिकल कॉलेज (वाद में आर० जी० कार मेडिकल कॉलेज) के नाम से एक दूसरा कॉलेज खुला। भारत मे निजी उद्यम द्वारा खुलनेवाला यह पहला मेडिकल कॉलेज था। इसी वर्ष नई दिल्ली मे केवल छात्राओ के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। सन् १९१२ ई० में भारत के सम्राट् और सम्राज्ञी के दिल्ली-आगमन की स्मृति को वनाये रखने के लिए लेडी हार्डिंज द्वारा इसका नामोपक्रम किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इस कॉलेज के भवन और साज-सामान के लिए सर्वसाधारण से चन्दा उगाहा गया था। भारत मे एकमात्र छात्राओं के लिए यही मेडिकल कॉलेज है और यहाँ का अध्यापन अधिकाशत. महिलाओं द्वारा ही होता है।

सन १९२५ ई० में तीन और मेडिकल कॉलेज खुले। एक आन्ध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम् में, दूसरा प्रिन्स ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना में और तीसरा सेठ गोवर्द्धन दास सुन्दरदास मेडिकल कॉलेज, वम्वई में।

इस समय भारत में कुल ५५ मेडिकल कॉलेज हैं। इन में अधिकाश विभिन्न राज्य-सरकारों द्वारा, तीन भारत सरकार द्वारा, तथा वाकी विश्वविद्यालय, नगर-निगमों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग १५ नये मेडिकल कॉलज खोलने का विचार किया गया है। प्रत्येक कॉलेज में प्रतिवर्ष १०० छात्र भरती होंगे और इस हिसाव से सन् १९६५ ई० के अन्त तक लगभग ६,००० से ६,५०० तक चिकित्सा-विज्ञान के स्नातक प्रत्येक वर्ष इस पेशा के लिए उपलब्ध होने लगेंगे।

भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-परिषद् (मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया) ने सिफारिश की है कि मेडिकल कॉलेज में भरती होने के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम भारत के किसी विश्वविद्यालय की, भौतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों के साथ, आइ० एस-सी परीक्षोत्तीर्ण होना आवश्यक है।

चूँकि, विश्वविद्यालयों में अव तीन साल का डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ हो गया है, इसलिए उक्त नियम में परिवर्त्तन करना आवश्यक हो गया है। अव छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या कॉलेज में प्राक्-विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त करके मेडिकल कॉलेज में एक वर्ष तक प्राक्-भैषजिक पाठ्यक्रम (प्री-मेडिकल कोर्स) की शिक्षा ग्रहण करते हैं और तव मेडिकल कॉलेज में भरती किये जाते हैं।

भारत में मेडिकल कॉलेज में शिक्षा का पाठ्यक्रम साढे पाँच वर्षों का है। अधिकाश कॉलेजों ने एक योजना स्वीकृत की है, जिसके अनुसार डेढ वर्षों तक प्राक्-रोगी-शय्या-सम्वन्धी (प्री-क्लिनिकल) और तीन वर्षों तक रोगी-शय्या-सम्वन्धी कार्य करना पड़ता है। कई कॉलेजों में दो वर्षों का प्री-क्लिनिकल पाठ्यक्रम और फिर तीन वर्षों का रोगी-शय्या-सम्वन्धी कार्य है।

मेडिकल कॉलेज

मेडिकल कॉलेज, गुण्टूर (आंध्र)
आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम् (आंध्र)
श्रीरंगाडिया मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, काकीनाडा (आंध्र)
आसाम मेडिकल, डिब्रूगढ (आसाम)
मेडिकल कॉलेज, बुरला, सम्बलपुर (उड़ीसा)
एस० सी० बी० मेडिकल कॉलेज, कटक (उड़ीसा)
एस० एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा (उत्तरप्रदेश)
मेडिकल कॉलेज, कोभीकोड (केरल)
मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम् (केरल)
बी० जे० मेडिकल कॉलेज, असारवा, अहमदाबाद (गुजरात)
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना (पंजाब)
मेडिकल कॉलेज, अमृतसर ,,
मेडिकल कॉलेज, पटियाला ,,
डेंटल कॉलेज, पटिलाया ,,
मेडिकल कॉलेज, कॉलेज स्ट्रीट कलकत्ता–१२ (पं० बंगाल)
नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता–१४ (पं० बंगाल)
आर० जी० कार मेडिकल कॉलेज, बेलगछिया रोड़, कलकत्ता–४ ,,
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, कलकत्ता–१२ ,,
बाँकुड़ा सम्मिलिनी मेडिकल कॉलेज, बाँकुड़ा ,,
कलकत्ता डेंटल कॉलेज, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता–१४ ,,
कलकत्ता नेशनल मेडिकल इंस्टीच्यूट, गोराचाँद रोड, कलकत्ता–१७ ,,
प्रिंस ऑफ् वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना (बिहार)
दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा (बिहार)
राँची मेडिकल कॉलेज, राँची (बिहार)
मद्रास मेडिकल कॉलेज, पार्क टाउन, मद्रास–३
स्टेनली मेडिकल कॉलेज, मद्रास–१
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, जिला उत्तर आरकॉट, मद्रास
मदुराई मेडिकल कॉलेज, मदुराई, मद्रास
मेडिकल कॉलेज, पाण्डिचेरी
गवर्नमेण्ट मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
जी० आर० मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर ,,
गाधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल ,,
बम्बई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बम्बई (महाराष्ट्र)
ग्राण्ट मेडिकल कॉलेज, बम्बई (महाराष्ट्र)

नायर हास्पिटल डेण्टल कॉलेज, बम्बई (महाराष्ट्र)
कॉलेज ऑफ फिजिसियन्स ऐण्ड सर्जन्स ऑफ बम्बई, हास्पिटल ऐवेन्यू पैरल, बम्बई–१२ (महाराष्ट्र)
सेठ गोवर्धनदास सुन्दरदास मेडिकल कॉलेज, बम्बई–१२
टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, बम्बई
मेडिकल कॉलेज, मैसूर (मैसूर)
आल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, बंगलोर
बंगलोर मेडिकल कॉलेज, बंगलोर (मैसूर)
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)
लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन, दिल्ली

पशुपालन और चिकित्सा (वेटेरिनरी ऐंड एनिमल हसबैण्ड्री) कॉलेज

आसाम वेटेरिनरी कॉलेज, गोहाटी (आसाम)
उड़ीसा कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी साइन्स ऐण्ड एनिमल हसबैण्ड्री, कटक (उड़ीसा)
यू० पी० कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी साइन्स ऐण्ड एनिमल हसबैण्ड्री, मथुरा (उ० प्र०)
इण्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इज्जतनगर (उ० प्र०)
वेटेरिनरी कॉलेज, मनुथी, त्रिचूर (केरल)
पंजाब कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी साइन्स ऐण्ड एनिमल हसबैण्ड्री, हिसार (पंजाब)
डेयरी साइन्स कॉलेज, करनाल (पंजाब)
बंगाल वेटेरिनरी कॉलेज, बेलगछिया, कलकत्ता–४
बिहार वेटेरिनरी कॉलेज, पटना (बिहार)
वेटेरिनरी कॉलेज, राँची (अभी पटना में)
मद्रास वेटेरिनरी कॉलेज, वेपेरी, मद्रास–७
गवर्नमेंट वेटेरिनरी कॉलेज, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
एम० बी० कॉलेज, ऑफ वेटेरिनरी साइन्स ऐण्ड एनिमल हसबैण्ड्री (मध्यप्रदेश)
बम्बई वेटेरिनरी कॉलेज, बम्बई–१२
मैसूर वेटेरिनरी कॉलेज, बंगलोर (मैसूर)
राजस्थान कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी साइन्स ऐण्ड एनिमल हसबैण्ड्री, बीकानेर (राजस्थान)

इंजीनियरिंग कॉलेज

इंजीनियरिंग कॉलेज, उस्मानिया युनिवर्सिटी, हैदराबाद।
जयपुर विक्रमदेव कॉलेज ऑफ साइन्स ऐण्ड टेक्नोलॉजी, वाल्टेयर (आंध्र)
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वाल्टेयर (आंध्र)
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, काकीनाडा (आंध्र)
आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज, जलुकबार (आसाम)
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बुरला, पो० हीराकुण्ड कालोनी, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)

इंजीनियरिंग कॉलेज, दयालबाग आगरा, (उत्तरप्रदेश)
हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर (उत्तरप्रदेश)
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐण्ट टेक्नोलॉजी, अलीगढ
कॉलेज ऑफ माइनिंग ऐण्ड मेटालर्जी, वाराणसी
कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वाराणसी
इंजीनियरिंग कॉलेज, वाराणसी
रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, त्रिचूर (केरल)
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, त्रिवेन्द्रम् (केरल)
थनगल कुंजू मुदालियर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कारीकोड, क्वीलोन (केरल)
एल० डी० कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नवरंगपुर, अहमदाबाद (गुजरात)
लुखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोरवी, सौराष्ट्र (गुजरात)
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ (पंजाब)
गुरुनानक इंजीनियरिंग कॉलेज , लुधियाना (पंजाब)
थापर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटियाला (पंजाब)
गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कॉलेज, लुधियाना (पंजाब)
बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, बोटानिकल गार्डेन, हवडा,
शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवपुर, कलकत्ता
इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर (प० बंगाल)
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यादवपुर-विश्वविद्यालय, कलकत्ता–३२
इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना (बिहार)
बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी, (बिहार)
बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, रॉंची (बिहार)
मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर (बिहार)
इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ट अप्लायड जियालॉजी, धनबाद (बिहार)
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिण्डी, सैदापेठ, मद्रास-२५
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर, मद्रास
पी० एस० जी० ऐण्ड सन्स चैरिटीज कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर (मद्रास)
कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर
डॉ० अलगप्पा चेट्टियर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलोजी, करायकुटी (मद्रास)
त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुपरन कुंदरम्, पो० मदुराई (मद्रास)
इंजीनियरिंग कालेज, अन्नामलाई युनिवर्सिटी अन्नामलाई (मद्रास)
मद्रास इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, क्रोम्पेट, पोस्ट चिंगलेपुर (मद्रास)
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी, रायपुर (म० प्र०)
माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

सेक्सरिया इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, वम्बई-१
विक्टोरिया जुविली टेकनिकल इन्स्टीच्यूट, वम्बई
सेन्ट जेवियर्स कॉलेज टेकनिकल इन्स्टीच्यूट, वम्बई-१
इंजीनियरिंग कॉलेज, पूना
इंजीनियरिंग कॉलेज, नागपुर
इंजीनियरिंग वड़ौदा युनिवर्सिटी, वड़ौदा
इंजीनियरिंग कॉलेज, आनन्द
हायर इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वम्बई
वी० एम० श्रीनिवासैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलोर (मैसूर)
वी० डी० टी० कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दवागीर (मैसूर)
नेशनल इस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर
युनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, वंगलोर
विड़ला इंजीनियरिंग कॉलेज, पिलानी (राजस्थान)
मॅगनीराम वागर मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर (राजस्थान)

कृषि-कॉलेज

एग्रिकल्चरल कॉलेज, बापाटला, जिला गुंटूर (आंध्र)
आसाम एग्रिकल्चरल कॉलेज, जोरहाट (आसाम)
उत्कल-कृषि-महाविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
एग्रिकल्चरल कॉलेज, कानपुर (उ०प्र०)
जातवेदिक एग्रिकल्चरल कॉलेज, भरौत (उ० प्र०)
गुजर एग्रिकल्चरल कॉलेज, रामपुर-मनयारन (सहारनपुर)
इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इन्स्टीच्यूट, नैनी (उ० प्र०)
कॉलेज ऑफ एग्रिकल्चर, वाराणसी (उ० प्र०)
एग्रिकल्चरल कॉलेज वेलायानी (केरल)
विड़ला कॉलेज ऑफ एग्रिकल्चर, हरिनघाटा, नदिया (प० बंगाल)
विहार कृषि-कॉलेज, सवौर, भागलपुर (विहार)
कृषि-कॉलेज, काके, राँची (विहार)
कृषि-कॉलेज, पूसा, दरभंगा (विहार)
एग्रिकल्चरल कॉलेज, लावली रोड, कोयम्वटूर (मद्रास)
गवर्नमेंट एग्रिकल्चरल कॉलेज जवलपुर (मध्यप्रदेश)
एम० वी० एग्रिकल्चरल कॉलेज, ग्वालियर
एग्रिकचलरल कॉलेज, बंगलोर (मैसूर)
एस० के० एन० गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रिकल्चर, जोब्नेर (राजस्थान)
राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रिकल्चर, उदयपुर (राजस्थान)

स्त्री-शिक्षा

सन् १६४१ ई० की जन-गणना के अनुसार जहाँ पुरुष २२·६ प्रतिशत साक्षर थे, वहाँ महिलाएँ केवल ६ प्रतिशत साक्षर थीं। उस समय जहाँ शिक्षा-संस्थाओं में लड़कों की संख्या १०० थी, वहाँ लड़कियों की संख्या केवल ३० थी। किन्तु, व्यावसायिक एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः १०० : ७ का था। मार्च, १६४७ के अन्त में शिक्षाशालाओं के अन्तर्गत ४२,६७,७८५ लड़कियाँ थीं, जिनमे ३४,७५,१६५ प्राथमिक विद्यालयों में ६,०२,२८० माध्यामिक विद्यालयों में, २३,२०७ कॉलेजों में और ५६,०६० विशेष प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। उस समय देश की २,१८,१६५ शिक्षा-संस्थाओं में २८,१६६ संस्थाएँ लड़कियों के लिए थीं। सन् १६४६-५० से १६५६-५७ ई० तक शिक्षा-संस्थाओं तथा उनमें पढनेवाली छात्राओं की संख्या कितना बढी, यह नीचे दिया जा रहा है—

	१६४६-५०		१६५६-५७	
	संस्थान	छात्राएँ	संस्थान	छात्राएँ
विश्वविद्यालय और संस्थान	१	२,०६३	२	६,१५५
साधारण शिक्षा के कॉलेज	६६	२६,३१३	११३	७८,७८०
व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा के कॉलेज	१७	३,६०६	३४	६,६५४
व्यावसायिक और प्राविधिक स्कूल	४३८	३५,७१४	७१०	५६,३७६

लड़कों एवं लड़कियों की शिक्षा की प्रगति में निरन्तर विषमता बढती जा रही है। पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि में भी यह विषमता बढती हुई ही दीख पडी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६ से ११ वर्ष तक के स्कूल जानेवाले लड़के-लड़कियों की संख्या १६५०-५१ में जहाँ ४२ प्रतिशत थी, वहाँ सन् १६५५-५६ में उनकी संख्या ५१ प्रतिशत हो गई। इसमें लड़कों की संख्या मे १० प्रतिशत की तथा लड़कियों की संख्या में ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में लड़कों की संख्या १७ प्रतिशत बढी, जबकि लड़कियों की संख्या केवल ७ प्रतिशत। इसी प्रकार, ११ से १४ वर्ष तक के लड़के तथा लड़कियों की संख्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्रमश· ८ और ३ प्रतिशत से वढी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात ६ और २ का था।

मई, १६५८ में स्त्री-शिक्षा के लिए योजना प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी, जिसने जनवरी, १६५६ में अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया। उक्त प्रतिवेदन में स्त्री-शिक्षा की प्रगति के लिए १८५ अभिस्ताव रखे गये तथा १ अरब रुपये के व्यय की सिफारिश की गई।

दृश्य-श्रव्य साधन—जनवरी, १६५६ में स्थापित राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-विजुअल) शिक्षा-संस्थान प्रशिक्षण, उत्पादन तथा अनुसंधान-केन्द्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ, दृश्य-श्रव्य शिक्षा-सम्बन्धी जानकारी भी उपलब्ध कराता है। केन्द्रीय फिल्म-संग्रहालय शिक्षा-संस्थाओं को फिल्में आदि मुफ्त उपलब्ध कराता है। अध्यापकों तथा समाज-सेवकों में दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया है।

विकलांगों की शिक्षा

सरकार को मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा उनको काम दिलाने सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार-परिषद् की व्यवस्था है। अंधे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विकलांगों के लिए विकास-कार्य चलानेवाली संस्थाओं को भी अनुदान दिया जाता है।

देहरादून के अन्ध (प्रौढ)—प्रशिक्षण-केन्द्र में लगभग १५० अन्धे व्यक्तियों को दस्तकारियाँ सिखाई जाती हैं। इस केन्द्र में एक महिला-विभाग भी खोल दिया गया है, जिसमें २० महिलाओं को काम सिखाया जा सकता है। अन्धे व्यक्तियों के लिए एक काम-दिलाऊ दफ्तर जुलाई, १९५४ से मद्रास में चालू है।

अक्तूबर, १९५० में देहरादून में स्थापित केन्द्रीय ब्रेल प्रेस भारतीय भाषाओं में ब्रेल-साहित्य प्रकाशित करता है। अंधे बालकों और बालिकाओं के लिए जनवरी, १९५९ में देहरादून में स्थापित एक स्कूल में किंडर-गार्टन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अन्ततोगत्वा, इसे माध्यमिक स्कूल में परिवर्त्तित कर दिया जायगा।

हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना-मंडल द्वारा नियुक्त २३ विशेषज्ञ-समितियाँ १९,६१,२९० पारिभाषिक शब्दों की रचना कर चुकी हैं। अबतक १८ विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियाँ प्रकाशित भी की जा चुकी हैं।

(२) राज्य-सरकारों तथा विश्वविद्यालयों की सम्मति के आधार पर, आधुनिक हिन्दी के मूलभूत व्याकरण के द्वितीय अँगरेजी-संस्करण की रचना की जा रही है।

(३) हिन्दी-परीक्षा-पुनस्संगठन-समिति की सिफारिशों पर हिन्दी-शिक्षा-समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

(४) सुधरी हुई देवनागरी-लिपि के आधार पर हिन्दी-टाइपराइटर तथा टेलीप्रिंटर-समिति द्वारा सुझाये गये हिन्दी टाइप-मशीनों तथा टेलीप्रिंटरों के परिनिष्ठित 'की-बोर्डों' पर विचार किया जा रहा है।

(५) हिन्दी-शीघ्रलिपि (शार्टहैंड) की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार की जा रही है, जिसके सन् १९६१ तक पूरा होने की आशा है।

(६) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों मे मंडलों के आधार पर हिन्दी-अध्यापक-प्रशिक्षण-कॉलेज संगठित किये जा रहे हैं। आगरा का अखिल-भारतीय हिन्दी-महाविद्यालय हिन्दी में अनुसंधान तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करेगा।

(७) अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी-पुस्तकें दी जा रही हैं।

(८) सन् १९५८ ई० मे इन्दौर, पटना, बम्बई तथा लखनऊ में हिन्दी में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं।

(६) नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा १० खंडों में 'हिन्दी-विश्वकोष' के रचना-कार्य में प्रगति हुई है। इस ग्रन्थ का प्रथम खंड छप गया है।

(१०) भौतिक शास्त्र, औषध-विज्ञान, वनस्पति-शास्त्र, रसायन-शास्त्र तथा ६ अन्य विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार हो रहे हैं।

(११) हिन्दी की १४ प्रामाणिक रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली-सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएँ तैयार करने और १६ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

(१२) सम्बद्ध राज्य-सरकारों के परामर्श से, सूती वस्त्र-उद्योग, मत्स्य-पालन, धातु-कर्म आदि पर विशेष शब्दावलियाँ तैयार करने के लिए सामग्री संगृहीत की जा रही है।

(१३) हिन्दी-भाषी तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषण-यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। सन् १९५८ तथा १९५९ ई० में क्रमश: पटना तथा उदयपुर में अहिन्दी-भाषी राज्यों के हिन्दी-अध्यापकों की विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

(१४) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी-अध्यापकों के लिए पुस्तकें आदि की व्यवस्था के लिए राज्य-सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिये गये।

(१५) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समान रूप से प्रचलित शब्दों की सूचियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सुझाव तथा सम्मति माँगी गई है।

युवा-कल्याण

युवा-कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिनमें ये उल्लेखनीय हैं— (क) सन् १९५४ ई० से हर साल अन्तरविश्वविद्यालय-समारोह आयोजित किये जाते हैं तथा अन्तर-कालेज समारोह संगठित करने के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता की जाती है; (ख) युवा-नेतृत्व-प्रशिक्षण-शिविर लगाये जाते हैं, जिनमें अध्यापकों को इन कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है; (ग) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों की यात्रा करने के लिए युवा-लोगों को किराये में रियायत तथा वित्तीय सहायता दी जाती है; (घ) देश में युवा-होस्टल स्थापित करने के लिए युवा-होस्टल-संस्था तथा राज्य-सरकारों को सहायता दी जाती है; (ङ) विश्वविद्यालयों को युवा-कल्याण-बोर्ड तथा समितियाँ संगठित करने के लिए सहायता दी जाती है; (च) विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति प्रतिष्ठा-भाव जाग्रत करने का प्रयास किया जाता है आदि-आदि।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद

शारीरिक शिक्षा—शारीरिक शिक्षा की उन्नति तथा मनोरंजन की वृद्धि के लिए एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन-योजना तैयार कर ली गई है, जिसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा-पाठ्य-क्रम को कार्यान्वित करना, शारीरिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देना, व्यायाम-शालाओं तथा अखाड़ों को सहायता प्रदान करना, शारीरिक दक्षता-सप्ताहों और समारोहों का आयोजन करना तथा शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी फिल्में आदि तैयार कराना है।

सर्वप्रथम सन् १९५७ ई० में ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा-कॉलेज स्थापित किया गया, जिसमें शारीरिक शिक्षा के त्रिवर्षीय डिग्री-पाठ्य-क्रम की व्यवस्था की गई है। शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी कार्य-क्रमों तथा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन-सलाहकार-बोर्ड भी स्थापित कर दिया गया है।

खेल-कूद—खेल-कूद-विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से (क) राष्ट्रीय खेल-कूद-संगठनों को सहायता दी जाती है, भारतीय टीमों को विदेशों में खेलने के लिए भेजा जाता है, विदेशी टीमों को भारत में आकर खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है; (ख) राजकुमारी खेल-कूद-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा रहे हैं; तथा (ग) अधिकाश राज्यों में राज्यीय खेल-कूद-परिषदें स्थापित कर दी गई हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन-योजना—सन् १९५४ ई० मे विस्थापित बालक-बालिकाओं के लिए शारीरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षा-योजना आरम्भ की गई थी। इसका आरम्भ सर्वप्रथम दिल्ली के कस्तूरबा-निकेतन में हुआ। यह योजना अन्य कई राज्यों में भी लागू की जा चुकी है। विभिन्न राज्यों में लगभग २,७५,००० बच्चे इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं।

सांस्कृतिक विकास

कला और संस्कृति की अभिवृद्धि तथा जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय संस्कृति-न्यास' (ट्रस्ट) की स्थापना की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए ललित कला-अकादमी तथा संगीत-नाटक-अकादमी कायम किये गये हैं। इनके अतिरिक्त, अनेक संस्थाएँ भी परम्परागत कला-कौशलों के प्रचार-प्रसार में योग दे रही हैं।

कला

ललित कला-अकादमी—सन् १९५४ ई० में स्थापित ललित कला-अकादमी ललित कलाओं की अभिवृद्धि में योग देने के अतिरिक्त, चित्रकला, मूर्त्तिकला आदि के विकास तथा पोषण के कार्यक्रम भी बनाती है। साथ ही, यह अकादमी प्रादेशिक अथवा राज्यीय अकादमियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है, विभिन्न कला-शैलियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने के अतिरिक्त, प्रदर्शनियों तथा कलाकारों और कलाकृतियों का आदान-प्रदान करके अन्तरप्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में योग देती है।

ललित कला-अकादमी प्रतिवर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जो बाद में विभिन्न राज्यों की राजधानियों मे भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त, यह भारत में पौर्वात्य तथा पाश्चात्य देशों की कला तथा विदेशों में भारतीय कला की प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। अकादमी द्वारा कला की विभिन्न विधाओं के विषय में विचार-गोष्ठियों का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता है।

ललित कला-अकादमी ने देश के विभिन्न भागों के कला-कौशल का सर्वेक्षण करने का काम भी आरम्भ किया है। देश के कारीगरों, चित्रकारों और मूर्त्तिकारों के काम तथा जीवन की दशाओं का भी विशेष अध्ययन किया जा रहा है। इस दिशा में पश्चिम बंगाल में सर्वेक्षण किया जा चुका है।

ललित कला-अकादमी के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में, प्राचीन स्मारकों, मूर्त्तियों तथा चित्रों के फोटो उतारना तथा नष्टप्राय कलाकृतियों की प्रतिलिपियाँ बनाना उल्लेखनीय है। यह अकादमी प्रमुख कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है।

प्रकाशन—ललित कला-अकादमी अबतक कला-सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है, जिनमें मुगल, अजंता, मेवाड़, किशनगढ, बूँदी आदि की चित्रकला पर प्रकाशित पुस्तकें विशेष महत्त्व की हैं। इसके अतिरिक्त, अकादमी 'ललित कला' नामक एक अर्द्धवार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है।

सूचना और प्रसार-मंत्रालय के प्रकाशन-विभाग ने भी कला-सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किये हैं, जिनमें 'कॉगड़ा वैली पेंटिंग', 'द वे ऑफ द बुद्धा', 'बसौली पेंटिंग' (अँगरेजी) 'भारतीय कला का सिंहावलोकन', भारत की वास्तु तथा मूर्त्तिकला' आदि उल्लेखनीय हैं। अन्तिम दोनों पुस्तकें अँगरेजी में भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय कला-संग्रहालय—सन् १६५४ ई० में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला-संग्रहालय में १,८०२ कलाकृतियाँ संगृहीत हैं, जो विगत सौ वर्षों की कला-प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराती हैं। इस संग्रहालय में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधुरी, अमृता शेरगिल तथा सुधीर खास्तगीर-जैसे लब्धप्रतिष्ठ कलाकारों तथा अन्य अनेक आधुनिक कलाकारों और शिल्पकारों की कृतियाँ संगृहीत हैं।

नृत्य, नाटक तथा संगीत

संगीत-नाटक-अकादमी—सन् १६५३ ई० में स्थापित संगीत-नाटक-अकादमी का मुख्य कार्य देश के विभिन्न कला-रूपों का सर्वेक्षण तथा उनके सम्बन्ध में अनुसंधान करना, उनकी फिल्में तैयार करना तथा उनके विषय में संग्रहों आदि के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना है।

संगीत-नाटक-अकादमी विचार-गोष्ठियों तथा शास्त्रीय नृत्यों, परम्परागत नृत्यों, गीति-नाट्यों और लोक-नृत्यों के राष्ट्रीय समारोहों का आयोजन करती है।

राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक अकादमियाँ शास्त्रीय नृत्यों तथा लोक-नृत्यों की फिल्में तैयार कर रही हैं, जिससे कि नृत्य की समस्त महत्त्वपूर्ण शैलियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय नृत्यकला पर रचित ग्रंथों का संग्रह करके एक आधुनिक सन्दर्भ-पुस्तकालय बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इम्फाल के मणिपुर-नृत्य-कॉलेज को, नृत्यकला की मणिपुरी शैली का प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र बनाने के उद्देश्य से, विकसित किया जा रहा है।

संगीत-नाटक-अकादमी राष्ट्रीय नाटक-समारोहों तथा विचार-गोष्ठियों का भी आयोजन करती है। प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक-एक रंगमंच की स्थापना सन् १६६१ ई० के मध्य तक हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, राज्य-सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों के सांस्कृतिक केन्द्रों में खुले रंगमंच स्थापित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जायगी।

संगीत-नाटक-अकादमी प्रतिवर्ष संगीत, नृत्य, नाटक तथा फिल्मों के लिए पुरस्कार भी देती है।

आकाशवाणी-नाटक—राष्ट्रीय नाटक-समारोह में विगत ७५ वर्षों के अत्युत्तम ज्ञात नाटक तथा नाटक-सम्बन्धी साहित्य प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से समस्त प्रादेशिक भाषाओं में एक साथ प्रसारित किया जाता है।

संगीत-समारोह—संगीत-नाटक-अकादमी के तत्त्वावधान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत-समारोह सन् १९५४ ई० में दिल्ली में तथा द्वितीय समारोह सन् १९५६ ई० में पटना में आयोजित किया गया था।

संगीत-संग्रहालय—संगीत-नाटक-अकादमी भारतीय संगीत के एक संग्रहालय का निर्माण करने के लिए प्रमुख शास्त्रीय सगीतज्ञों के रिकार्ड तैयार करने और पुराने ग्रामोफोन-रिकार्डों का संग्रह करने का भी विचार रखती है। भारतीय संगीत-सम्बन्धी पाण्डुलिपियों की वर्गीकृत सूचियाँ प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है तथा अनुसंधान-कार्यों के लिए भारतीय संगीत-पुस्तकालय स्थापित किया जा रहा है। प्रादेशिक अकादमियाँ लोक-संगीत की फिल्में तथा रिकार्ड तैयार कर रही हैं।

भारतीय संगीत-गोष्ठी—सन् १९५७ ई० में हुई भारतीय संगीत-गोष्ठी के अवसर पर कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के प्रमुख संगीतज्ञों ने संगीत-शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया।

आकाशवाणी-संगीत-सम्मेलन—आकाशवाणी के इस नियमित वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक-संगीत के कलाकारों द्वारा विभिन्न रागों तथा रागिनियों में गायन प्रस्तुत कराना है। इसके अतिरिक्त, एक वार्षिक संगीत-प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमे प्रतिभाशाली नवयुवक कलाकार चुने जाते हैं। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें संगीत के विकास-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

विभिन्न कार्यक्रम—सन् १९५२ ई० में आरम्भ किये गये आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में चोटी के कलाकार प्रस्तुत किये जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के बीच अधिक-से-अधिक तारतम्य स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर प्रादेशिक संगीत, लोक-संगीत और गीति-नाट्यों का भी प्रसारण होता रहता है।

लोक-संगीत के रिकार्ड तैयार करने के लिए १० केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। राष्ट्रीय तथा स्थानीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी उत्कृष्ट लोक-संगीत प्रसारित किया जाता है।

सन् १९५२ ई० में स्थापित आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्यवृन्द, वाद्य-संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अबतक 'मेघदूतम्', 'कलिंगविजयम्', 'ज्योतिर्मय', 'शाकुन्तलम्', 'हरियाली', 'आशा', अहीरिनी', 'कल्याणी', 'मालमारुतम्' तथा 'ऋतुसंहार'-जैसी रचनाएँ प्रसारित की जा चुकी हैं।

साहित्य

साहित्य-अकादमी—सन् १९५४ ई० में स्थापित साहित्य-अकादमी एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य भारतीय वाङ्मय का विकास तथा उच्च साहित्यिक मानदंड स्थिर करना, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ बनाना है।

भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची तैयार करना साहित्य-अकादमी का एक प्रमुख कार्य है। इस ग्रंथ-सूची में बीसवीं शताब्दी में रचित १४ भारतीय भाषाओं के साहित्यिक महत्त्व के समस्त ग्रंथों तथा भारत में प्रकाशित अथवा भारतीयों द्वारा रचित अँगरेजी ग्रंथों का उल्लेख रहेगा।

साहित्य-अकादमी अबतक ये ग्रंथ प्रकाशित कर चुकी है—कालिदास-विरचित 'मेघदूत' का सटीक संस्करण; मलयालम साहित्य का इतिहास; बँगला साहित्य का इतिहास; 'एन्थोलॉजी ऑफ संस्कृत लिटरेचर' का प्रथम खंड; पंजाबी तथा असमिया कविताओं के काव्य-संग्रह; बंगाल का वैष्णव गीतिकाव्य; गुजराती के एकांकी; तमिल तथा तेलुगु की कहानियाँ; तमिल में भारती की कुछ कविताओं का संग्रह, मराठी में राजवाडे के गद्य का संग्रह; समसामयिक भारतीय साहित्य एवं कहानियों के संग्रह तथा रूसी-हिन्दी-शब्दकोष। इनके अतिरिक्त, कालिदास-विरचित 'विक्रमोर्वशीयम्' तथा 'कुमारसम्भव' के सटीक संस्करण; असमिया तथा उड़िया-साहित्य के इतिहास तथा 'एन्थोलॉजी ऑफ संस्कृत लिटरेचर' का दूसरा खंड भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायँगे।

'भारतीय कविता, १९५३ ई०' शीर्षक से एक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें १४ मुख्य भाषाओं की कविताओं तथा उनके हिन्दी-रूपान्तरों का संग्रह है। दूसरा काव्य-संग्रह (सन् १९५४-५५ ई०) तथा तीसरा काव्य-संग्रह (सन् १९५६ ई०) तैयार हो रहे हैं।

अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रंथों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रकाशित भी हो चुके हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ (मूल बँगला) देवनागरी-लिपि में आठ खंडों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रथम खंड 'एकोत्तरशती' शीर्षक से प्रकाशित किया जा चुका है तथा दूसरा खंड, जिसमें ५०० गीत होंगे, छप रहा है।

साहित्य-अकादमी अँगरेजी तथा संस्कृत में क्रमशः 'इंडियन लिटरेचर' और 'संस्कृत-प्रतिभा' नामक दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित कर रही है।

साहित्य-अकादमी प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट ग्रंथ पर पुरस्कार भी प्रदान करती है।

सम्पूर्ण गांधी-वाङ्मय—सन् १९५६ ई० के आरम्भ में सूचना और प्रसार-मंत्रालय ने महात्मा गांधी के भाषणों, पत्रों, लेखों आदि का एक सम्पूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की योजना पर कार्य आरम्भ किया था। सन् १८८४ से १८९७ ई० तक की रचनाओं के प्रथम दो खंड प्रकाशित किये जा चुके हैं। सन १९१४ ई० तक की सामग्री के संग्रह का कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे की सामग्री का संग्रह किया जा रहा है।

अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ—सर्वप्रथम सन् १९५६ ई० में एक सर्वभाषा-कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कवि-सम्मेलन अब प्रतिवर्ष होता है, जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

देश के विभिन्न साहित्यकारों का सम्मेलन सन् १९५६ ई० में बुलाया गया था। इस साहित्य-समारोह में समसामयिक भारतीय काव्य की प्रवृत्तियों तथा भारतीय साहित्य की प्रमुख समस्याओं पर विचार किया गया। दूसरा साहित्य-समारोह सन् १९५७ ई० में हुआ, जिसमें समसामयिक भारतीय उपन्यास, कथा-साहित्य तथा जन-सम्पर्क के लिए भाषा के प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श किया गया। तीसरा साहित्य-समारोह सन् १९५८ ई० मे हुआ, जिसमे समसामयिक नाट्य-साहित्य की समस्याओं पर विचार किया गया।

राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास (नेशनल बुक-ट्रस्ट)—उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ बनाने के उद्देश्य से श्रीचिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास की स्थापना सन् १९५७ ई० मे की गई। यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों के उत्कृष्ट ग्रंथ प्रकाशित करेगा तथा भारतीय साहित्य-ग्रंथों, विदेशी साहित्यक ग्रंथों के अनुवाद तथा एक प्रादेशिक भाषा से दूसरी प्रादेशिक भाषा मे भारतीय साहित्यिक ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित करने की ओर ध्यान देगा।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास—भारत-सरकार ने सन् १९५८—६१ ई० की अवधि में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए २० लाख रु० की एक योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत विश्वकोषों, ज्ञान-ग्रंथों तथा भारतीय भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोषों का प्रणयन तथा प्रकाशन किया जायगा। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रकार के ग्रंथ भी प्रकाशित करने का विचार है।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

वैदेशिक सम्पर्क-विभाग—केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति-मंत्रालय मे एक वैदेशिक सम्पर्क-विभाग स्थापित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

शिष्ट-मंडल—सन् १९५८ और १९५९ ई० मे कई भारतीय शिष्ट-मंडल अन्य देशों में भेजे गये, जिनमें रूस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा युगोस्लाविया को गया भारतीय कलाकारों का शिष्ट-मंडल, नेपाल को गया कवियों, संगीतज्ञों, नर्तकों तथा अध्यापकों का शिष्ट-मंडल; टोकियो के बुद्ध-जयन्ती-समारोह में सम्मिलित होनेवाला भारतीयो का प्रतिनिधि-मंडल, अफगानिस्तान को गया हॉकी-खिलाड़ियों और संगीतज्ञों का शिष्ट-मंडल, तथा बेल्जियम के चतुर्थ अन्तरराष्ट्रीय कवि-सम्मेलन में सम्मिलित होनेवाला कवियों का शिष्ट-मंडल उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने चीनी कलाकारों के शिष्ट-मंडल; श्रीलंका के नर्तकों तथा संगीतज्ञो के शिष्ट-मंडल रूस, पोलैंड चीन, मंगोलिया, ब्रिटेन और चेकोस्लावाकिया के भारतीय भाषाओं के छात्रों के शिष्ट-मंडल; भारत-दर्शन के लिए भूटानियों के शिष्ट-मंडल, जैक फिलारमोनिक वाद्यवृंद, वियतनामी गणतंत्र के नृत्य और गीत-मंडल; कोलो-युगोस्लाव गीत और नृत्य-मंडल तथा मास्को राज्य-कठपुतली-नाट्यशाला शिष्ट-मंडल को भारत आने के लिए आमंत्रित किया।

सांस्कृतिक करार—सन् १६४६ ई० में भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच नई दिल्ली में एक सास्कृतिक करार सम्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, जापान, इंडोनेशिया, रूमानिया, पोलैंड, तुर्की, इराक, संयुक्त अरब-गणराज्य तथा ईरान के साथ भारत के सास्कृतिक करार पहले से ही हैं।

अनुदान—विदेशों के साथ निकटतम सास्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने मे लगी विदेश-स्थित २० से अधिक समितियों तथा संस्थानों को तदर्थ अनुदानो के रूप में वित्तीय सहायता दी गई।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद्—भारत तथा अन्य देशों के साथ सास्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ वनाने के उद्देश्य से नवम्बर, १६४६ ई० में इस परिषद् स्थापना की गई थी। यद्यपि इसका सारा खर्च भारत-सरकार उठाती है, तथापि यह परिषद् की अपने-आप में एक स्वतंत्र संस्था है। यह परिषद् एक त्रैमासिक पत्रिका अँगरेजी में तथा दूसरी अरबी भाषा मे प्रकाशित करती है। दुर्लभ पाडुलिपियों तथा भारत-सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन और भारतीय प्रकाशनो का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराने का भी काम परिषद् कर रही है।

✡

वैज्ञानिक अनुसंधान

विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति १३ मार्च, १६५८ ई० को संसद् में प्रस्तुत किये गये एक प्रस्ताव में स्पष्ट कर दी गई थी। सरकार की इस नीति का प्रधान उद्देश्य विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसधान की अभिवृद्धि करना; देश में उच्च कोटि के वैज्ञानिक तैयार करना; वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों के लिए यथाशीघ्र प्रशिक्षण-कार्यक्रम आरम्भ करना; जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत रूप में भी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना तथा देशवासियों को वैज्ञानिक ज्ञान की उपलब्धियों से लाभान्वित कराना है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान-परिषद्

भारत-सरकार के तत्त्वावधान में वैज्ञानिक अनुसंधान का काम मुख्यतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान-परिषद् और उसके नियंत्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ अथवा संस्थाएँ करती हैं। यह परिषद् अनुसंधान-संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं मे लगे वैज्ञानिकों को सहायता-अनुदान देती है और योग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करने का कार्य करती है। विदेशों से लौटनेवाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्पविज्ञों को अस्थायी रूप से काम पर लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् का है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है। संक्षेप में, भारत मे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की अभिवृद्धि तथा उसमें

सामंजस्य स्थापित करने की सरकार की जो नीति है, उसे कार्यरूप देने का मुख्य माध्यम यही परिषद् है।

अनुसंधान-परिषद् के सभी कार्यों का खर्च मुख्यतः केन्द्रीय सरकार उठाती है। परिषद् को राज्य-सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों से भूमि, भवन तथा धन और उद्योगपतियों से चन्दा भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, परिषद् को रॉयल्टी, प्रकाशनों की बिक्री आदि से भी आय होती है। सन् १९५९-६० ई० में परिषद् का आवर्त्तक व्यय ३·६७ करोड़ रु० तथा पूँजीगत व्यय २·२५ करोड़ रु० था।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ—स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से परिषद् ने देश के विभिन्न केन्द्रों में निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं—

(१) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना; (२) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली; (३) केन्द्रीय ईंधन-अनुसंधान-संस्थान, जीलगोडा (बिहार); (४) केन्द्रीय काँच और कुम्हार-कार्य-अनुसंधान-संस्थान, यादवपुर; (५) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान-संस्थान, मैसूर; (६) राष्ट्रीय धातु-प्रयोगशाला, जमशेदपुर; (७) केन्द्रीय भेषज-अनुसंधान-संस्थान, लखनऊ; (८) केन्द्रीय सड़क-अनुसंधान-संस्थान, नई दिल्ली; (९) केन्द्रीय बिजली-रासायनिक अनुसंधान-संस्थान, कराईकुडी (मद्रास); (१०) केन्द्रीय चमड़ा-अनुसंधान-संस्थान, मद्रास; (११) केन्द्रीय भवन-अनुसंधान-संशान, रुड़की; (१२) केन्द्रीय विद्युदणु इंजीनियरी अनुसंधान-संस्थान, पिलानी (राजस्थान); (१३) राष्ट्रीय वनस्पति-उद्यान, लखनऊ; (१४) केन्द्रीय नमक-अनुसंधान-संस्थान, भावनगर; (१५) केन्द्रीय खनिज-अनुसंधान-केन्द्र, धनबाद; (१६) प्रादेशिक अनुसंधान-शाला, हैदराबाद, (१७) भारतीय जीव-रसायन तथा परीक्षणात्मक औषध-संस्थान, कलकत्ता; (१८) बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक सग्रहालय, कलकत्ता; (१९) प्रादेशिक अनुसंधान-शाला, जम्मू-तवी (जम्मू-कश्मीर), (२०) केन्द्रीय मिकैनिकल इंजीनियरी अनुसंधान-संस्थान, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल); (२१) केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान-संस्थान, नागपुर; (२२) राष्ट्रीय उड्डयन-प्रयोगशाला, बंगलोर, (२३) प्रादेशिक अनुसंधान-शाला, जोरहाट, (२४) केन्द्रीय भारतीय औषध वनस्पति-संगठन, नई दिल्ली तथा (२५) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-संगठन, नई दिल्ली।

अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहन—अन्य अनुसधान-शालाओं तथा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी बड़ी उदारता से सहायता-अनुदान दिये जाते हैं। सहायता-अनुदान देने की लगभग ४०० योजनाएँ ८२ अनुसंधान-केन्द्रों में चल रही हैं। व्यावहारिक परिणामों के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी हो रहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से युवक अनुसंधानकर्त्ताओं को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं तथा स्वतंत्र अनुसंधान-कार्य के लिए क्रियाशील केन्द्रों का विकास होता है।

पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं मे मार्गदर्शक संयंत्रों के सम्बन्ध मे जाँच-पड़ताल के कार्य पर अधिक बल दिया जा रहा है। इस समय ५७ मार्गदर्शक संयंत्र काम में लाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य-मंडलों तथा औद्योगिक संस्थाओं की सहायता से उद्योगों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच अधिक-से-अधिक निकट सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योगों मे काम करनेवाले कर्मचारियों के लाभ के लिए लघुकालीन व्यावहारिक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

विज्ञान-मंदिर—सामुदायिक विकास-परियोजन-क्षेत्रों मे 'विज्ञान-मंदिर' नामक ३८ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला तथा योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीण जनता मे वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते हैं तथा उन्हें इसके उपयोग की सार्थकता के विषय में समझाते हैं।

परमाणु-अनुसंधान तथा अणु-शक्ति

अणु-शक्ति-आयोग अणु-शक्ति-विषयक सभी मामलों के सम्बन्ध में नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

ट्राम्बे-स्थित अणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में अणु-शक्ति-सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास-कार्य किया जाता है। इसमें लगभग एक हजार वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारी काम करते हैं। यह प्रतिष्ठान जीव-रसायन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-विभागों के अतिरिक्त, भौतिक शास्त्र, रसायन-शास्त्र तथा इंजीनियरी-सम्बन्धी तीन मुख्य शाखाओं में बँटा हुआ है। प्रत्येक शाखा के विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, इस प्रतिष्ठान द्वारा दी जानेवाली अन्य सुविधाओं मे भारत की सर्वप्रथम अणु-भट्ठी 'अप्सरा'; एक रेडियो-रसायन-प्रयोगशाला (रेडियो-सक्रिय तत्त्वों के सम्बन्ध में रसायन-शास्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था से युक्त), एक विकास तथा उत्पादन-इकाई; एक स्वास्थ्य-सर्वेक्षण-सेवा (जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि रेडियो-सक्रिय सामग्री के सम्बन्ध में प्रयोग करनेवाले कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक ओषधि नहीं दी जाती) तथा यूरेनियम तैयार करनेवाला एक संयंत्र सम्मिलित हैं। 'जरलीना' नामक एक दूसरी अणु-भट्ठी का भी निर्माण किया जा रहा है, जो नई अणु-भट्ठियों के अध्ययन तथा आकल्पन की दृष्टि से उपयोगी रहेगी। इसके अतिरिक्त, कनाडा-भारत अणु-भट्ठी का भी निर्माण किया गया है।

अणु-शक्ति-आयोग ने केरल तथा मद्रास-सरकारों के सहयोग से अक्तूबर, १९५६ मे तिरुवांकुर खनिज (प्राइवेट) लिमिटेड नामक कम्पनी की स्थापना की। इसमें मुख्य रूप से इलेमेनाइट तथा मोनाजाइट तैयार किये जाते हैं। इलेमेनाइट, विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है तथा मोनाजाइट अलवाए-स्थित भारतीय दुर्लभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिमिटेड को भेज दिया जाता है। अलवाए की यह कम्पनी भी संयुक्त रूप से आयोग तथा केरल-सरकार के अधीन है। अलवाए मे मोनाजाइट रेत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। आयोग की ओर से घाटशिला (बिहार) स्थित एक मार्गदर्शक संयंत्र में ताँबे की कतरनों से यूरेनियम निकाला जाता है। जंगल में स्थापित किये जा रहे उर्वरक-संयंत्र में उपोत्पाद के रूप में 'हैवी वाटर' का उत्पादन भी किया जायगा।

अणु-शक्ति-आयोग भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप एक परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम बनाने में संलग्न है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कम-से-कम २५० एम० डब्ल्यू० परमाणु-शक्ति का प्रबन्ध किया जायगा।

परमाणु-विज्ञान के विकास की दिशा में प्रगति करने की दृष्टि से अणु-शक्ति-आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान-संस्थानों को सहायता-अनुदान देता है। इस सम्बन्ध में भौतिक विज्ञान में अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सन् १९४५ ई० में स्थापित टाटा मूलभूत अनुसंधान-संस्थान का उल्लेख किया जा सकता है। यह संस्था ब्रह्माण्ड-

रश्मि-सम्बन्धी कार्यों का सबसे महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। परमाणु तथा ब्रह्माण्ड-रश्मि-अनुसंधान के अन्य मुख्य केन्द्र ये हैं—भौतिक विज्ञान अनुसंधान-शाला, अहमदाबाद; बोस संस्थान, कलकत्ता, भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलोर; तथा साहा परमाणु भौतिक विज्ञान-संस्थान, कलकत्ता।

अन्य विभागों द्वारा अनुसंधान-कार्य

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-बोर्ड के तत्त्वावधान में देश में ११ जलगति (हाइड्रॉलिक) अनुसंधान-केन्द्र हैं। पूना के निकट खडकवासला-स्थित केन्द्रीय जल, बिजली और सिंचाई अनुसंधान-केन्द्र इनमें प्रमुख है।

संचार-मंत्रालय के असैनिक उड्डयन-महानिदेशालय के अधीन स्थापित अनुसंधान और विकास-निदेशालय विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है।

भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण-विभाग देश की वनस्पति-सम्पत्ति से सम्बन्धित कार्य करता है। कलकत्ता में इसका एक संग्रहालय भी है।

देहरादून का वन-अनुसंधान-संस्थान भवन-निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के उपयोग से सम्बन्धित कार्य करता है।

नई दिल्ली में आकाशवाणी की एक अनुसंधान-इकाई है, जो रेडियो-तरंगों तथा रेडियो-रिसीवरों की डिजाइन तथा कार्य-कुशलता-सम्बन्धी समस्याओं की जाँच करती है।

रेल-कारखानों की समस्याओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए रेलवे-बोर्ड ने लखनऊ में एक अनुसंधान-केन्द्र खोल रखा है, जिसके दो उप-केन्द्र लोनावला तथा चित्त-रंजन में हैं।

सड़क-विकास तथा सड़क बनाने की सामग्री, राजपथों और पुलों का निर्माण तथा बन्दरगाह-सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य परिवहन-मंत्रालय के अधीन स्थापित सड़क-संगठन करता है।

भारतीय मानक-संस्था, जो उद्योग-मंत्रालय के अधीन है, सामग्री तथा उत्पादनों के मानक स्थिर करने की दिशा में कार्य करती है।

अन्य संस्थाएँ

वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में देश के और भी कई अनुसंधान-संगठन कार्य कर रहे हैं, जिनका खर्च या तो गैर-सरकारी संस्थाएँ चलाती हैं अथवा सरकार उन्हे सहायता देती है। इनमें बीरबल साहनी प्राचीन वनस्पति-विज्ञान-संस्थान, लखनऊ, बोस संस्थान, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान प्रोत्साहन-संघ, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलोर; भौतिक विज्ञान-अनुसंधानशाला, अहमदाबाद तथा श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान-संस्थान, दिल्ली प्रमुख हैं।

चिकित्सा-अनुसंधान

सन् १९१२ ई० में स्थापित भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान-परिषद् देश मे होनेवाले चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसधान-कार्यों मे समन्वय स्थापित करने मे महान् योग दे रही है।

चिकित्सा-कॉलेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावा, देश मे विशेष अध्ययन के लिए अनेक संस्थाएं हैं। कलकत्ता के अखिलभारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा लोक-स्वास्थ्य-संस्थान में

उन बीमारियों के लिए चिकित्सा-सम्बन्धी तथा निरोधात्मक ओषधियों के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है, जो भारत के लिए नई हैं। कलकत्ता के उष्णकटिवन्धीय ओषधि-विद्यालय में उष्णकटिवन्धीय क्षेत्रों में पाई जानेवाली बीमारियों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है।

गिंडी (मद्रास)-स्थित किंग निरोधात्मक औषध-संस्थान में वैक्टीरिया-सम्बन्धी रोगों का अनुसंधान तथा टीके तैयार किये जाते हैं।

दिल्ली के वल्लभभाई पटेल वक्ष-संस्थान में क्षय-रोग तथा अन्य वक्ष-रोगों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है। चिंगलपेट के लेडी विलिंगडन कोढ-उपचारालय तथा सदापेट के सिलवर जुविली-बाल उपचारालय को मद्रास-सरकार से हस्तगत करके उनके स्थान पर केन्द्रीय कोढ अनुसंधान-संस्थान स्थापित कर दिया गया है।

बम्बई के हाफकिन संस्थान में बडे पैमाने पर टीके तैयार किये जाते हैं। प्लेग की रोक-थाम तथा इलाज का यह प्रमुख केन्द्र है। अब पौष्टिकता, मलेरिया तथा विषैली बीमारियों के क्षेत्र में भी इस संस्थान ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

बम्बई के भारतीय नासूर-अनुसंधान-केन्द्र में नासूर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जाती है। इस केन्द्र ने भारत में नासूर की व्यापकता का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है।

कसौली के केन्द्रीय अनुसंधान-संस्थान में जीव-रसायन आदि की समस्याओं की जाँच-पड़ताल की जाती है। इस संस्थान का एक संग्रहालय भी है।

कुन्नूर-स्थित पाश्च्योर संस्था में इन्फ्ल्युएंजा तथा रेबीज आदि के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य किया जाता है।

केन्द्रीय भेषज-प्रयोगशाला, कलकत्ता में ओषधियों का रासायनिक अनुसंधान किया जाता है।

इनके अलावा, जो अन्य कई गैर-सरकारी अनुसंधान-संगठन हैं, उनमें बंगाल व्याधि-उन्मुक्ति-अनुसंधान-संस्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

कृषि-अनुसंधान

सन् १९२९ ई० में स्थापित भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद् कृषि तथा पशुपालन-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहन देती है।

दिल्ली का भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान कृषि-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य करनेवाली सबसे पुरानी संस्था है। खाद्य फसलों के बारे में जाँच करने के लिए इस संस्थान में एक प्रयोगशाला तथा विस्तृत खेत हैं। इज्जतनगर के भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसंधान-संस्थान में पशुओं की बीमारियों का अध्ययन और उपचार होता है। करनाल राष्ट्रीय दुग्धशाला-अनुसंधान-संधान का भी विकास किया जा रहा है। केन्द्रीय चावल-अनुसंधान-संस्थान तथा केन्द्रीय आलू-अनुसंधान-संस्थान में चावल तथा आलू-सम्बन्धी अनुसंधान किया जाता है।

कपास, पटसन, नारियल, तम्बाकू, तेलहन, सुपारी तथा लाख के बारे में अनुसंधान करने के लिए ८ जिंस-समितियाँ हैं। इनकी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ तथा अनुसंधान-संस्थान हैं।

मंडपम्-स्थित केन्द्रीय तटवर्त्ती मत्स्य-अनुसंधान-केन्द्र में समुद्र-तट पर पाई जानेवाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त, बम्बई, कच्छ की खाड़ी, विशाखापत्तनम् तथा अंदमान में भी अनुसंधान-केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। कलकत्ता का केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य-अनुसंधान-केन्द्र तालाबों तथा नदियों में पाई जानेवाली (अन्तर्देशीय) मछलियों के सम्बन्ध मे जाँच-पड़ताल करता है।

सम्मान और पुरस्कार

भारत-रत्न

भारत-सरकार द्वारा सम्मानार्थ दी हुई यह श्रेष्ठतम उपाधि है। यह सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किये गये असाधारण कार्य और सर्वोत्कृष्ट देश-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक, पीपल के पत्तों के आकार का होता है, जो २$\frac{५}{१६}$ इंच लम्बा, १$\frac{७}{८}$ इंच चौड़ा और $\frac{१}{८}$ इंच मोटा रहता है। यह ठोस काँसे का बना होता है। इसके ऊपरी भाग में सूर्य की उभरी हुई आकृति होती है, जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी-अक्षरों में 'भारत-रत्न' लिखा होता है। इसके पिछले भाग पर राज-चिह्न और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की आकृति, राज-चिह्न और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और 'भारत-रत्न' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं।

अबतक यह निम्नांकित व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है—

चक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी
डॉ० राधाकृष्णन्
डॉ० सी० वी० रमण
डॉ० भगवानदास
डॉ० एम्० विश्वेश्वरैया
पं० जवाहरलाल नेहरू
पं० गोविन्दवल्लभ पन्त
डॉ० डी० के० कर्वे
श्री के० आर० आई० दोराइसरामी
श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन
डॉ० विधानचन्द्र राय

पद्म-विभूषण

यह सम्मान असामान्य और विशिष्ट सेवा करनेवाले व्यक्तियों को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, दिया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक गोल आकार का होता है, जिसपर एक ज्यामितिक आकार उभरा हुआ होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास १$\frac{3}{8}$ इंच होता है और मोटाई $\frac{1}{8}$ इंच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा हुआ होता है। पुष्प के ऊपर 'पद्म' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। पिछली ओर राज-चिह्न और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होता है। ये भी ठोस काँसे के होते हैं। सन् १९६१ ई० में यह सम्मान किसी को नहीं प्रदान किया गया।

पद्म-भूषण

यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी भी इसके पाने के अधिकारी हैं।

इसकी बनावट भी 'पद्म-विभूषण' के पदक-जैसी ही है। उपरले भाग में 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'भूषण' शब्द पुष्प के नीचे उभरे होते हैं। इसका घेरा, 'पद्म-भूषण' के अक्षर और दोनों ओर के ज्यामितिक आकार के चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ भाग 'स्टैण्डर्ड सोने' का होता है।

सन् १९६१ ई० में यह उपाधि निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई है—पद्मभूषण पानेवाले हैं दो वैज्ञानिक, श्री आर्देशिर रतनजी वाडिया, निर्देशक, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और डॉ० कृष्णस्वामी वेंकटरमण, निदेशक, राष्ट्रीय प्रयोगशाला; दो इंजीनियर, श्रीलक्ष्मण नारायण अय्यर वेंकटकृष्ण अय्यर, स्पेशल चीफ इंजीनियर, आन्ध्रप्रदेश और श्रीनिरंजनदास गुलाटी, भारत-सरकार में अतिरिक्त सचिव, सिंचाई एवं बिजली-मंत्रालय; दो डाक्टर, डॉ० रुस्तमजी वामनजी बिलिमोरिया, क्षयरोग-विशेषज्ञ और डॉ० त्रिदिवनाथ बनर्जी; दो कलाकार, श्रीराय-कृष्णदास, कला-भवन, हिन्दी-विश्वविद्यालय, काशी और श्रीस्वेतोस्लाव रोरिक; एक प्रशासक, श्रीभगवान सहाय, चीफ कमिश्नर, दिल्ली; एक मानवशास्त्री डॉ० वेरियर एलविन, अवैतनिक सलाहकार (आदिम जाति) नेफा; एक हिन्दी-लेखक, सेठगोविन्ददास, संसद्-सदस्य; एक हिन्दी-कवि, श्रीसुमित्रानन्दन पन्त और बिहार-विधान-सभा के अध्यक्ष श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा।

पद्म-श्री

यह सम्मान भी किसी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी क्यों न हो, किसी भी असामान्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इसका नाम उपरले भाग में उभरे हुए हिन्दी के अक्षरों में लिखा होता है। 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'श्री' शब्द नीचे लिखा रहता है। इसका घेरा, दोनों ओर के ज्यामितिक आकार और 'पद्म-श्री' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ काम स्टेनलेस इस्पात का होता है।

सन् १९६१ ई० में यह उपाधि निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई है—श्रीअगरम कृष्णमाचार, चीफ इंजीनियर, चम्बल पनबिजली और सिंचाई-योजना, श्रीअमलकुमार शाह, प्रिंसिपल, कलकत्ता ब्लाइण्ड स्कूल; श्रीभगतसिंह मेहता, चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान-सरकार; श्रीबिसमिल्ला खाँ, शहनाई वादक, डॉ० ब्रह्म प्रकाश, अध्यक्ष, धातु-कर्म-विभाग, अणुशक्ति-संस्थान, बम्बई; कुमारी इवेंजलीन लेजारस, शिक्षाशास्त्री, डॉ० (कु०) हिल्डा मेरी लेजारस; ब्रिगेडियर

ज्ञान सिंह, प्रिंसिपल, हिमालय-पर्वतारोहण-संस्था; बीबी हरप्रकाश कौर, समाज और शिक्षा-सेविका; मुनि श्रीजिनविजयजी, निदेशक, प्राच्य-अनुसंधान-संस्था, श्रीमती कमलाबाई होजपेट, समाज-सेविका; श्रीकरतार सिंह दीवाना, किसान, श्रीकट्टिनगेरी कृष्ण हेब्बर, चित्रकार; प्रो० माम्बिलीकलातिल गोविन्द कुमार मेनन, अध्यक्ष भौतिक शास्त्र, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च; श्रीमनमोहन सूरि, मेकैनिकल इंजीनियरिंग ऑफिसर, भारतीय रेलवे; श्रीमती मीठूबेन पेटिट, समाजसेविका; श्रीमार्त्तण्ड रामचन्द्र जमदार, हेडमास्टर, मूक-बधिर विद्यालय; श्रीनेय्यादुपक्कम दुरैस्वामी सुन्दरवदिवेलु, शिक्षाशास्त्री; डॉ० परशुराम मिश्र, शिक्षाशास्त्री और वैज्ञानिक; श्रीप्रेमेन्द्र मित्र, कवि; श्रीरघुनाथ कृष्ण फड्के, मूर्त्तिकार; श्रीसोमन नरवू, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, लद्दाख; श्रीवीरगोडा वी० पाटिल, समाजसेवक; श्रीविनायक कृष्ण गोकक, निदेशक, केन्द्रीय अँगरेजी-संस्था, उस्मानिया-विश्वविद्यालय, श्रीविष्णुकात झा, संस्कृत-शास्त्री और ज्योतिषी तथा श्री विट्ठलराव एकनाथ राव विखे पाटिल, किसान।

वीरता के लिए पुरस्कार

वीरता के लिए भारत-सरकार की ओर से सम्मानार्थ प्रतिवर्ष परम वीर-चक्र, महावीर-चक्र और वीर-चक्र दिये गये हैं। फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय—इन तीनों श्रेणियों के अशोक-चक्र हैं। उपयुक्त पात्रों के नहीं मिलने पर ये पदक नहीं भी दिये जाते हैं।

परम वीर-चक्र—वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान का सूचक 'परम वीर-चक्र' पदक है, जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है। सन् १९६० ई० मे यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया।

महावीर-चक्र—'महावीर-चक्र' का स्थान सम्मान की दृष्टि से दूसरा है और यह स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य के लिए भेंट किया जाता है। सन् १९६० ई० में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया।

वीर-चक्र—'वीर-चक्र' का स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख शौर्य के लिए दिये जानेवाले पदकों मे तीसरा है। सन् १९६० में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया।

अशोक-चक्र, श्रेणी १—यह पदक स्थल, जल अथवा आकाश में असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है। सन् १९६० मे यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया।

अशोक-चक्र, श्रेणी २—यह गोलाकार रजत पदक असीम शौर्य के लिए भेंट किया जाता है। इसके दोनों ओर ठीक उसी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जैसी 'अशोक-चक्र, श्रेणी १' की। सन् १९६० ई में यह पुरस्कार निम्नाङ्कित व्यक्तियों को दिया गया—

१. कैप्टन सम्पूरन सिंह ग्रेवाल
२. लेफ्टिनेंट कर्नल जे० बी० दोराबजी
३. हवलदार उजीर सिंह गुरुंग
४. सेकण्ड लेफ्टिनेंट राजमोहन शर्मा
५. सूबेदार सतपाल पुन
६. राइफलमैन जूटबहादुर थापा।
७. फुदिल्लु अंगामी

अशोक-चक्र श्रेणी ३—यह पदक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंट किया जाता है। काँसे के बने होने के अतिरिक्त यह पदक अशोक-चक्र, श्रेणी १ तथा २' जैसा ही होता है। सन् १९६० में यह पुरस्कार निम्नांकित व्यक्तियों को दिया गया—

१. जमादार धन बहादुर गुरुंग
२. मेहताब सिंह
३. ग्रेनेडियर सरदारी लाल
४. लास-हवलदार बमबहादुर थापा
५. नायक लालबहादुर थापा
६. सोनो लवराज

राष्ट्रीय प्राध्यापक

सन् १९४९ ई० में भारत-सरकार ने राष्ट्रीय प्राध्यापकों के कुछ पद-निर्माण किये। उन प्राध्यापकों को प्रतिमास २,५०० रुपये वेतन के रूप में इस उद्देश्य से दिये जाते हैं कि वे अनुसंधान-सम्बन्धी कार्यों में अपनी पूरी शक्ति और समय लगा सकें। उन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपनी इच्छा से किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था में जाकर अनुसंधान-कार्य कर सकते हैं। सन् १९४९ से १९५९ ई० तक निम्नांकित व्यक्तियों को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है—

१९४९—डॉ० सी० वी० रमण
१९५८—श्री एस्० एन्० बोस, एफ्० आर० एस्०
१९५८—डॉ० के० एस्० कृष्णन्
१९५९—डॉ० राधाविनोद पाल (राष्ट्रीय प्राध्यापक, न्याय-व्यवस्था)
डॉ० पी० वी० काणे (राष्ट्रीय प्राध्यापक, भारतीय शास्त्र)

विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत, फारसी तथा अरबी के प्रसिद्ध विद्वानों को १९५८ से प्रतिवर्ष सम्मान-प्रमाण-पत्र तथा १,५०० रुपये के वित्तीय अनुदान आजकल दिये जाते हैं। १९५८ और १९५९ में ये प्रमाण-पत्र तथा अनुदान निम्नांकित विद्वानों को दिये गये—

१९५८

संस्कृत—श्रीविधुशेखर भट्टाचार्य, श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, श्रीपाण्डुरंग वामन काणे और श्रीश्रीपाद कृष्णमूर्त्ति शास्त्री।

अरबी—मुहम्मद जुबैर सिद्दीकी।

१९५९

संस्कृत—डॉ० गोपीनाथ कविराज, पं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पंडितराज फुरैलत पाम अतम्बापू शर्मा, श्रीउत्तमुर तिरुमलाई मल्लन, चक्रवर्ती वीर राघवाचार्य।

फारसी—डॉ० हादी हसन।

साहित्य-अकादमी का सम्मान-पुरस्कार, १९६०

असमिया—श्रीवेणुधर शर्मा
अँगरेजी—श्रीआर० के० नारायण
गुजराती—श्रीरसिकलाल सी० पारीख

हिन्दी—श्रीसुमित्रानन्दन पन्त
कन्नड—श्रीवी० के० गोकक
मलयालम—श्रीपी० सी० कुट्टीकृष्ण
मराठी—श्रीवी० एस० खाण्डेकर
तेलुगु—श्रीपोनाङ्गी श्रीरामा अप्पाराव
उर्दू—श्रीआर० एस० फिराक़ गोरखपुरी

संगीत-नाटक-अकादमी के पुरस्कार

१९५९–६०

हिन्दुस्तानी संगीत

गायन .... अल्ताफ हुसैन खाँ
वादन ... ... वहीद खाँ (सितार)

कर्नाटक-संगीत

गायन ... ... मदुरई मणि अय्यर
वादन ... ... शर्मादेवी एल० सुब्रह्मण्य शास्त्री (वीणा)

नृत्य

प्रख्यात रचनात्मक कलाकार ... ... उदयशंकर

नाटक

अभिनय ... . अशरफ खाँ (गुजराती)
गोपाल गोविन्द उर्फ नानासाहब फाटक (मराठी)
सी० आई० परमेश्वरम पिल्लै (मलयालम)

फिल्म

अभिनय ... ... छवि विश्वास

ललित-कला-अकादमी के पुरस्कार

१९६०

चित्र-कला

सोमनाथ होर
हिम्मतलाल डा० शाह

शिल्प-कला

नरेन्द्र एम० पटेल
एम० धर्मानी
रजनीकान्त आर० पाचाल

भारतीय पुरातत्त्व

भारत में पुरातत्त्व-अध्ययन का आरम्भ—सर्वप्रथम प्राच्य पुरावृत्त, साहित्य और संस्कृति के अनुशीलन और अध्ययन की बात कलकत्ता-सर्वोच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश श्रीविलियम जोन्स के मन में उठी थी। उसके भारत पहुँचने के चार मास के अन्दर जनवरी, १७८४ ई० में उन्हीं की देख-रेख में एशिया-भर के इतिहास, पुरावृत्त, साहित्य, कला और विज्ञान के अनुशीलन के लिए कलकत्ता में 'बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' नामक संस्था की स्थापना हुई। किन्तु १८३३ ई० तक इस विषय में कोई क्रमिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया।

सन् १८३३ ई० में कलकत्ता-टकसाल के परीक्षणाध्यक्ष और 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' के मंत्री श्रीजोन्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के पढने की कुंजी ढूँढ निकली। तदनतर लेफ्टिनेण्ट कनिंघम ने इस कार्य को आगे बढाया। १८४८ ई० में उन्होंने पुरातात्त्विक सर्वेक्षण के लिए एक योजना प्रस्तुत की, किन्तु तत्काल उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। तेरह वर्ष बाद, १८६१ ई० में, वे भारत के प्रथम पुरातात्त्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए। किन्तु १८६६ ई० में वह पद उठा दिया गया। इसके बाद १८७० ई० में भारतीय पुरातत्त्व के सर्वेक्षण के लिए प्रधान निर्देशक (डाइरेक्टर-जेनरल) के पद का निर्माण किया गया और ले० कनिंघम ही उसके प्रथम प्रधान निर्देशक नियुक्त हुए। किन्तु, इनके अधिकार मे प्राचीन स्मारकों की देख-रेख का काम नहीं था, बल्कि यह काम प्रान्तीय सरकारों के लोक-निर्माण-विभाग के हाथ मे था। सन् १८७८ ई० में प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों की देखभाल के लिए एक संग्रहालयाध्यक्ष (क्यूरेटर) का पद बनाया गया। उसका काम प्रत्येक प्रान्त मे फैले हुए प्राचीन स्मारकों की वर्गीकृत सूची बनाना तथा सरकार को यह परामर्श देना कि कौन प्राचीन स्मारक सुधार के योग्य है और कौन पूर्णतया नष्ट हो गया है। कुछ दिनों के पश्चात् यह पद भी समाप्त कर दिया गया और पुनः यह कार्य प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में चला गया। सन् १८७८ ई० में पुरातत्त्व के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण ऐक्ट पास किया गया।

सन १८८५ ई० में उत्तरी और दक्षिणी भारत के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रधान निर्देशक के हाथों में दे दिया गया और सर्वेक्षण की सुविधा के लिए सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत को इन पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया—(१) मद्रास, (२) बम्बई, (३) राजपूताना (सिन्ध और पंजाब-सहित), (४) मध्यभारत (मध्यप्रदेश, पश्चिमोत्तर प्रान्त, अर्थात्, उत्तरप्रदेश-सहित) और (५) बंगाल (आसाम-सहित)। किन्तु १८८६ ई० में पुन इसका कार्य ठप पड गया; क्योंकि सर्वेक्षण के कुछ महत्त्वपूर्ण पद समाप्त कर दिये गये और यह स्थिति बीसवीं सदी के आरम्भ तक रही।

सन् १६०४ ई० मे 'प्राचीन स्मारक-सुरक्षा-विधि' (एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट) बनी, जिससे पुरातत्त्व के कार्य में नवीन युग का पदार्पण हुआ। इस विधि द्वारा धार्मिक स्थानों को छोड सभी प्रकार के वैयक्तिक और दूसरे अरक्षित स्मारकों के सुधार, अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई का निषेध और प्राचीन ध्वंसावशेषवाले स्थानों में यातायात का नियंत्रण किया गया।

सन् १६१६ ई० में यह विभाग केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आ गया और तब से अभी तक उसी रूप में है। अबतक के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण से यह समझा जाता था कि सभ्यता के इतिहास का प्रारम्भ आर्य-सभ्यता से ही होता है तथा मौर्य-काल से पूर्व किसी प्रकार बुद्ध-काल तक ही पुरातात्त्विक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। किन्तु, जब हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई की गई, तब भारतीय इतिहास की प्रकाश-किरणें ईसा से पाँच हजार वर्ष पूर्व तक जा पहुँचीं।

अगस्त, १६४७ ई० में स्वाधीनता-प्राप्ति और भारत-विभाजन के पश्चात् सिन्धु-घाटी के कोठे और गान्धार-क्षेत्र के भारत से निकल जाने तथा देशी रियासतों के भारतीय संघ में मिल जाने पर देशी रजवाड़ों की एक लाख साठ हजार वर्गमील भूमि इस विभाग के अधिकार में आ जाने के कारण इस विभाग का पुनस्संगठन करना पड़ा। विभाजन के पश्चात् इस विभाग का नाम 'भारत का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण' से बदलकर 'पुरातत्त्व-विभाग' कर दिया गया, जो अब-तक प्रचलित है।

प्रशासन—'पुरातत्त्व-विभाग' के केन्द्र राज्यों के अनुसार नहीं हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण देश को नौ केन्द्रों या मण्डलों में विभक्त कर दिया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्र की पुरातात्त्विक सामग्री की देख-रेख और व्यवस्था करते हैं। इन मण्डलों में एक अवर निर्देशक और उनके सहायक रहते हैं। ये मण्डल निम्नलिखित हैं—(१) उत्तरीय मण्डल, आगरा; (२) मध्य-पूर्वीय मण्डल, पटना; (३) पूर्वीय मण्डल, कलकत्ता; (४) दक्षिण पूर्वीय मण्डल, विशाखापत्तनम्; (५) दक्षिणीय मण्डल, मद्रास; (६) दक्षिण-पश्चिमीय मण्डल, औरंगाबाद; (७) पश्चिमीय मण्डल, बड़ौदा; (८) मध्य मण्डल, भोपाल और (६) उत्तर-पश्चिमीय मंडल, दिल्ली। इसकी एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति है, जिसके भारतीय संसद्, भारत के विभिन्न राज्यों एवं विद्वत्परिषदों (वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक) के प्रतिनिधि और केन्द्रीय पुरातत्त्व-विभाग के अधिकारी सदस्य होते हैं।

पुरातत्त्व-विभाग के प्रधान अधिकारी प्रधान निर्देशक होते हैं। यह विभाग देश के राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, यह ऐतिहासिक शोधों एवं पुरातात्त्विक उत्खनन का कार्य भी करता है। यह विभाग ऐतिहासिक शोध एवं उत्खनन के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सहायता देता है। नये अधिनियम के अनुसार १० राज्यों में पुरातत्त्व विभाग खोले गये।

देश के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्मारक में प्रवेश के लिए सरकार ने प्रति व्यक्ति २० नये पैसे प्रवेश-शुल्क निर्धारित कर दिया है। यह शुल्क १५ वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं लगता। देश के कुछ प्रमुख स्मारक ये हैं—हैदराबाद की चार मीनार (आन्ध्र-प्रदेश), बिहार के कुम्हरार (पटना) का मौर्य-राजप्रासाद का स्थल और नालन्दा का बौद्ध विहार; महाराष्ट्र की अजन्ता की गुफाएँ; एलिफेंटा की गुफाएँ और कार्ला की गुफाएँ, दिल्ली के लाल किला और कुतुबमीनार; मध्य-प्रदेश के खजुराहो के मन्दिर, बाग की बौद्ध गुफाएँ और साँची के बौद्धस्तूप, मद्रास-राज्य का गिंजी किला (राजगिरि तथा कृष्णागिरि पहाड़ियों के स्मारक-समेत); बीजापुर का गोल-गुंबज; श्रीरंगपत्तम् का दरिया दौलतबाग, उत्तर-प्रदेश का आगरा का किला; सिकन्दरा का अकबर का मकबरा और

लखनऊ की रेजीडेंसी विल्डिंग। केन्द्रीय सरकारी सूची में ५,१०० प्राचीन स्मारक हैं तथा इसमें समय-समय पर नये स्मारकों के नाम जोड़े जाते हैं।

पुरातत्त्वविषयक शोध—इस विभाग के कार्य मुख्यत दो प्रकार के होते हैं—एक तो संरक्षण, दूसरा शोध एवं अन्वेषण। इसकी चार शाखाएँ हैं—उत्खनन-शाखा, पुरालेख-शाखा, संग्रहालय-शाखा और रसायन-शाखा।

(१) उत्खनन-शाखा—इस शाखा का कार्य सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। इसके कार्यों के फलस्वरूप बहुत-से पुरातात्त्विक स्थानों, मन्दिरों, पुरालेखों, मूर्त्तियों, ध्वंसावशेषों और कंकालों का पता लग सका है।

(२) पुरालेख-शाखा—इस शाखा का कार्य भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त पुरालेखों का शोध और संग्रह करना है। भारत में प्राचीन पुरालेख हजारों की संख्या में पाये गये हैं। यहाँ के पुरालेख मुख्यतः ताम्रपत्रों और शिलालेखों के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त मुद्रालेख भी प्रचुर परिमाण में मिले हैं।

(३) संग्रहालय-शाखा—पुरातत्त्व-विभाग में संग्रहालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। समग्र देश में पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्यों की प्रगति एवं विस्तार के फलस्वरूप अनेक स्थानों में उत्खनन-कार्य हुए, जिससे देश में बहुत-से संग्रहालय स्थापित हुए हैं।

(४) रसायन-शाखा—पुरातत्त्व-विभाग में इस शाखा की स्थापना सर्वप्रथम १९१७ ई० में हुई। इस शाखा का मुख्य कार्य है—रासायनिक प्रयोग द्वारा संग्रहालय की एवं अन्य पुरातात्त्विक वस्तुओं की सुरक्षा करना। यह विभाग प्राप्त वस्तुओं का रासायनिक परीक्षा एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।

पुरातत्त्व-विद्यालय—दिल्ली में १५ अक्टूबर, १९५९ ई० को एक पुरातत्त्व-विद्यालय की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पुरातत्त्व-सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान देकर उन्हें पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्य के लिए निपुण बनाना है। यहाँ के पाठ्य-क्रम की अवधि २० महीनों की है और इसके अंत में परीक्षा लेकर छात्रों को डिप्लोमा दिया जाता है।

प्रकाशन—पुरातत्त्व-विभाग ने अपने विभागीय शोधों और उत्खननों के विवरणों को पुस्तक-रूप में प्रकाशित किया है। 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' नाम से प्रकाशित इस विभाग के शोध-विवरण इतिहास-प्रेमियों और ऐतिहासिक अनुशीलन करनेवालों के लिए विशेष उपादेय सिद्ध हुए हैं। इस विभाग ने 'एन्शियेण्ट इंडिया' नाम से अपने १२ बुलेटिन और गाइड भी प्रकाशित किये हैं। इसके प्रकाशन में 'एपिग्राफिया इंडिया कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकारम्' आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

ऐतिहासिक अभिलेख-आयोग—भारत-सरकार ने एक विधेयक द्वारा १९१९ ई० में इस आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में वे विद्वान् और संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जो ऐतिहासिक अनुशीलन, ऐतिहासिक हस्त-लेखों और अभिलेखों के अध्ययन में संलग्न हैं। इस आयोग के अध्यक्ष पदेन शिक्षामंत्री और सचिव 'नेशनल आर्चिव्स' के निर्देशक हुआ करते हैं।

पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

१७८४ ई० में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई।

१८६२ ई० में 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' नामक राजकीय संस्था कायम हुई।

१८७२ ई० में 'इण्डियन एण्टिक्वेटी' का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

१८६७ ई० में 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकारम्' नामक ग्रन्थ का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ, जिसमें अशोक और उसके पोते के शिलालेखों की अविकल प्रतिलिपि और उनका अनुवाद प्रकाशित हुआ।

१८७८ ई० में प्राचीन वस्तुओं को नाश करनेवालों के प्रतिरोध के लिए 'ट्रेजर ट्रोव ऐक्ट' स्वीकृत हुआ।

१९०४ ई० में प्राचीन अवशेषों के संरक्षण के लिए 'एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

१९४५ ई० में 'सेण्ट्रल एडवाइजरी वोर्ड ऑफ ऑर्कियोलॉजी' का निर्माण हुआ।

१९४८ ई० में 'अर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' का नाम 'डिपार्टमेण्ट ऑफ आर्कियोलॉजी' रखा गया।

१९४९ ई० में नई दिल्ली में 'नेशनल म्यूजियम' और आर्कियोलॉजिकल स्कूल' का उद्घाटन हुआ।

१९५८ ई० में 'ऐन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स ऐंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐण्ड रिमेन्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

१९५९ ई० १५ अक्टूबर को नई दिल्ली में एक पुरातत्त्व-विद्यालय की स्थापना हुई है।

संग्रहालय

संग्रहालय या म्यूजियम पुरातत्त्व-विभाग की ही एक शाखा है। इसमें शोध और उत्खनन से प्राप्त एवं दूसरे पुरातत्त्वविषयक अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, मूर्त्ति, मृत्खंड आदि वस्तुएँ संगृहीत और संरक्षित की जाती हैं। सबसे पहला म्यूजियम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने १८१४ ई० में स्थापित किया था, जो कालान्तर में 'इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पाश्चात् प्रायः भारत के प्रत्येक प्रदेश में म्यूजियम स्थापित हुए। १८७८ ई० में सर्वप्रथम 'क्यूरेटर ऑफ् एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स' के एक केन्द्रीय पद का निर्माण किया गया।

सन १९४५ ई० में पुरातत्त्व-विभाग के जिम्मे भारत-भर के संग्रहालयों की देखरेख का कार्य आ गया। इस समय भारत में लगभग १०० म्यूजियम है, जिनमें ईसा-पूर्व पाँच हजार वर्ष से ब्रिटिश शासन-काल की पुरातत्त्व एवं इतिहास से संवद्ध वहुत-सी सामग्री ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता होने पर भी अबतक

भारत-सरकार उन वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकी है। बहुत-सी सामग्री देश-विभाजन होने पर पाकिस्तान के म्यूजियमों में पड़ी रह गई है।

इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख म्यूजियम निम्नलिखित हैं—

पश्चिम बंगाल

१. इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।
२. आशुतोष म्यूजियम, कलकत्ता-विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
३. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता।
४. गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल म्यूजियम, कलकत्ता।
५. बंगीय साहित्य-परिषद्-म्यूजियम, कलकत्ता।
६. कॉमर्शियल म्यूजियम, कलकत्ता।
७. शिवपुर बोटानिकल गार्डेन हर्वेरियन, शिवपुर, हवड़ा।
८. नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजियम, दार्जिलिंग।
९. बी० आर० सेन म्यूजियम, मालदह।

बिहार

१०. पटना म्यूजियम, पटना।
११. राधाकृष्ण जालान-म्यूजियम, पटना सिटी।
१२. नालन्दा म्यूजियम, नालन्दा (पटना)।
१३. वैशाली म्यूजियम, वैशाली (मुजफ्फरपुर)।
१४. बोधगया म्यूजियम, बोधगया।
१५. चन्द्रधारी-संग्रहालय, दरभंगा।

उत्तर-प्रदेश

१६. सारनाथ म्यूजियम, सारनाथ (बनारस)।
१७. भारत-कला-भवन, काशी।
१८. म्युनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग।
१९. स्टेट म्यूजियम, लखनऊ।
२०. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, मथुरा।
२१. ताज म्यूजियम, आगरा।
२२. फैजाबाद म्यूजियम, फैजाबाद।
२३. गुरुकुल कॉगड़ी म्यूजियम, कॉगड़ी, हरद्वार।
२४. कौशाम्बी संग्रहालय (प्रयाग)।

दिल्ली

२५. नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली।
२६. सेण्ट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूजियम, नई दिल्ली।
२७. फोर्ट म्यूजियम, दिल्ली।
२८. वार मेमोरियल म्यूजियम, नई दिल्ली।

पंजाब

२६. पटियाला म्यूजियम, पटियाला ।

हिमाचल-प्रदेश

३०. भूरीसिंह म्यूजियम, चंबा ।

३१. स्टेट म्यूजियम, चंडीगढ़ (पंजाब) ।

राजस्थान

३२. सिटी पैलेस म्यूजियम, जयपुर ।

३३. सेण्ट्रल म्यूजियम, जयपुर ।

३४. स्टेट म्यूजियम, उदयपुर ।

३५. विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, उदयपुर ।

३६. सरदार म्यूजियम, जोधपुर ।

३७. राजस्थान म्यूजियम, अजमेर ।

३८. गंगा गोल्डेन जुबिली म्यूजियम, बीकानेर ।

३६. अलवर म्यूजियम, अलवर ।

४०. अंबर म्यूजियम, आमेर, जयपुर ।

४१. भरतपुर म्यूजियम भरतपुर ।

४२. झालावार म्यूजियम, झालरापत्तन ।

४३. कोटा म्यूजियम, कोटा ।

मध्य-प्रदेश

४४. भोपाल म्यूजियम, भोपाल ।

४५. रायसेन म्यूजियम, भोपाल ।

४६. अमरावती म्यूजियम, अमरावती ।

४७. सनोही म्यूजियम, भोपाल ।

४८. धार म्यूजियम, धार ।

४६. ग्वालियर म्यूजियम, ग्वालियर ।

५०. इन्दौर म्यूजियम, इन्दौर ।

५१. वेंकट वैद्य साधन म्यूजियम, रीवाँ ।

५२. जनपद-सभा म्यूजियम, रायपुर ।

५३. महन्त घासीदास म्यूजियम, रायपुर ।

५४. जारदिने म्यूजियम, खजुराहो ।

५५. म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी, साँची ।

५६. सागर-विश्वविद्यालय-पुरातत्त्व-संग्रहालय, सागर ।

गुजरात

५७. जूनागढ़ म्यूजियम, जूनागढ़ ।
५८. भुज म्यूजियम, कच्छ ।
५९. जामनगर म्यूजियम, जामनगर ।
६०. सर प्रतापसिंह म्यूजियम, भावनगर ।
६१. बड़ौदा म्यूजियम, बड़ौदा ।
६२. लोयल म्यूजियम, लोयल ।

महाराष्ट्र

६३. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई ।
६४. अमरेली म्यूजियम, बम्बई ।
६५. सेंटजेवियर कॉलेज-म्यूजियम, बम्बई ।
६६. भारतीय विद्याभवन-म्यूजियम, बम्बई ।
६७. विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, बम्बई ।
६८. कोल्हापुर म्यूजियम, कोल्हापुर ।
६९. हिस्टोरिकल म्यूजियम, सतारा ।
७०. भारत इतिहास-संशोधक-मंडल, पूना ।
७१. सेंट्रल म्यूजियम, नागपुर ।

मैसूर

७२. स्टेट म्यूजियम, मैसूर ।
७३. गवर्नमेंट म्यूजियम, बंगलोर ।
७४. टीपू सुलतान म्यूजियम, श्रीरंगपट्टम् ।
७५. कानड़ा-शोध-मंदिर द्वारा प्रतिष्ठित संग्रहालय ।

केरल

७६. म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज, पद्मनाभपुरम् ।
७७. इंडोनेशियन गैलेरी एण्ड म्यूजियम ऑफ ईस्टर्न आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, त्रिवे
७८. स्टेट म्यूजियम, त्रिचूर, कोचीन ।
७९. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, त्रिचूर ।
८०. गवर्नमेंट म्यूजियम, त्रिवेन्द्रम् ।
८१. श्रीचित्रालयम्, त्रिवेन्द्रम् ।

मद्रास

८२. गवर्नमेंट म्यूजियम, मद्रास ।
८३. फोर्टसेंट म्यूजियम, मद्रास ।
८४. एस्० एम्० म्यूजियम, तिरुपति ।
८५. पद्दुकोट्टाई म्यूजियम; पद्दुकोट्टाई ।
८६. तंजोर कला मंदिर-संग्रहालय ।

आन्ध्र

८७. सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद ।
८८. मस्किस साइट म्यूजियम, हैदराबाद ।
८९. कोंडपुर साइट म्यूजियम, हैदराबाद ।
९०. हैदराबाद म्यूजियम, हैदराबाद ।
९१. विक्टोरिया जुबिली म्यूजियम, बेजवाडा ।
९२. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, बीजापुर ।
९३. अमरावती संग्रहालय ।
९४. श्रीवेङ्कटेश्वर संग्रहालय ।
९५. मदन्नापल्ल संग्रहालय ।
९६. आलमपुर संग्रहालय ।
९७. नागार्जुन कोंडा पुरातत्व-संग्रहालय ।

उड़ीसा

९८. स्टेट म्यूजियम, भुवनेश्वर ।
९९. बारीपद म्यूजियम, बारीपद ।

आसाम

१००. गौहाटी म्यूजियम, गौहाटी, आसाम ।

भारत के प्रमुख पुस्तकालय

१. नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर, कलकत्ता-२७ ।
२. अमीरुद्दौला गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी, केसरबाग, लखनऊ ।
३ आसफिया स्टेट लाइब्रेरी, हैदराबाद ।
४. बागबाजार रीडिङ्ग लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
५. बंगलोर पब्लिक लाइब्रेरी, बंगलोर (मैसूर) ।
६. भारत इतिहास-संशोधन-मण्डल लाइब्रेरी, (सदाशिव पथ) पूना ।
७. केन्द्रीय पुस्तकालय, बड़ौदा ।
८. कनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, इगमोर मद्रास ।
९. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, क्वीन्स रोड, दिल्ली-६ ।
१०. गुथम लाइब्रेरी, मद्रास ।
११. जामिया लाइब्रेरी, जामिया मीलिया, इस्लामिया, जामियानगर, दिल्ली ।
१२. जामिया निजामिम लाइब्रेरी, हैदराबाद ।
१३. मद्रास लिटररी सोसाइटी लाइब्रेरी, मद्रास ।

१४. मुम्बई मराठी ग्रन्थ-संग्रहालय, बम्बई।
१५. नेशनल आर्चिव्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
१६. अहमदाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, अहमदाबाद।
१७. नीलगिरि लाइब्रेरी, उटकमण्ड।
१८. राममोहन लाइब्रेरी, कलकत्ता।
१९. सेठ मणिकलाल जेठभाई लाइब्रेरी, अहमदाबाद।
२०. श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऐण्ड लाइब्रेरी, पटना।
२१. राज-पुस्तकालय, दरभंगा।
२२. खुदाबख्श ओरियण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, चौहट्टा, पटना।

बिहार

१. श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऐण्ड लाइब्रेरी, पटना।
२. बिहार हितैषी पुस्तकालय, पटना।
३ खुदाबख्श ओरियण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, चौहट्टा, पटना।
४. लक्ष्मीश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय, दरभङ्गा।
५. मन्नूलाल पुस्तकालय, गया।
६. म्युनिसिपल पुस्तकालय, टाउन हॉल, मुजफ्फरपुर।
७. नागरी-प्रचारिणी सभा-पुस्तकालय, आरा।
८. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-पुस्तकालय, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-भवन, पटना-३।
९. खान-भूगर्भ और धातु विज्ञान-संस्थान-पुस्तकालय, धनबाद।
१०. भगवान पुस्तकालय, भागलपुर।
११. बिहार रिसर्च सोसाइटी पुस्तकालय, पटना।
१२. वराहमिहिराचार्य पुस्तकालय, पटना।
१३. राज-पुस्तकालय, दरभङ्गा।
१४. श्रीकृष्ण सेवा-सदन पुस्तकालय, मुँगेर।
१५. महारानी जानकीकुँअरि पुस्तकालय, बेतिया (दरभंगा)।

बम्बई (गुजरात और महाराष्ट्र)

केन्द्रीय पुस्तकालय

१. एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय, बम्बई।
२. केन्द्रीय पुस्तकालय, टाउन हॉल, बम्बई।

क्षेत्रीय पुस्तकालय

३. महाराष्ट्र क्षेत्रीय पुस्तकालय, गोखले हॉल, लक्ष्मी रोड, पूना-२।
४. गुजरात क्षेत्रीय पुस्तकालय, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-९।

मण्डल-पुस्तकालय

५. मुम्बई मराठी ग्रन्थ-संग्रहालय, बम्बई-२ ।
६. मराठी ग्रन्थ-संग्रहालय, सरस्वती मन्दिर, थाना ।
७. सार्वजनिक वाचनालय, अलीबाग (कोलाबा) ।
८. रत्नागिरि नगर-वाचनालय, रत्नागिरि ।
९. सार्वजनिक वाचनालय, नासिक ।
१०. अहमदनगर वाचनालय, चितले रोड, अहमदनगर ।
११ नगर-वाचनालय, सतारा शहर, उत्तर सतारा ।
१२. हीराचन्द्र नेमचन्द वाचनालय, शोलापुर ।
१३. वल्लभदास बालजी पुस्तकालय, जलगाँव (पूर्व खानदेश) ।
१४. धोनदो शामराव गरुड पुस्तकालय, धुलिया (पच्छिम खानदेश) ।
१५. संगली नगर वाचनालय, संगली (दच्छिण सतारा) ।
१६. करवीर नगर-वाचन-मन्दिर, कोल्हापुर ।
१७. दही लक्ष्मी पुस्तकालय, नदियाड़ (कैरा) ।
१८ रायचन्द दीपचन्द पुस्तकालय, भड़ौच ।
१९. ऐराड्रूज पुस्तकालय और वाचनालय, चौक बाजार, सूरत ।
२०. विक्टोरिया जुबिली पुस्तकालय, पालनपुर (वनसकन्थ) ।
२१. हिम्मत पुस्तकालय, हिम्मतनगर (सवरकन्थ) ।
२२. अमरेली सार्वजनिक पुस्तकालय, सर्कवेदा, अमरेली ।
२३. छगनलाल पीताम्बरदास पारीख सार्वजनिक पुस्तकालय, स्टेशन रोड, मेहसाना ।

तालुका और पेठ-पुस्तकालय

२४. खार स्थानीय एसोसिएशन का कमलाबाई वी० निमकर पुस्तकालय, स्टेशन रोड, बम्बई-२१ ।
२५. अलबर्ट, एडवर्ड इन्स्टिच्यूट ऐण्ड लाइब्रेरी, पूना ।
२६. आप्टे वाचन-मन्दिर इचल करनजी, कोल्हापुर ।
२७. वलवाटस्की लॉज लाइब्रेरी, फ्रेंच रोड, वम्बई ।
२८. काम्बे एजुकेशन सोसाइटीज सें० जे० जे० लाइब्रेरी, काम्बे (कैरा) ।
२९. द्वारका सार्वजनिक पुस्तकालय, द्वारका, ओखा-मराडल (अमरेली) ।

उत्तर-प्रदेश

१. अमीनुद्दौला सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय, केसरबाग, लखनऊ ।
२. आर्यभाषा पुस्तकालय, नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
३. बृजमोहन चन्दल सार्वजनिक पुस्तकालय, पौरी, गढवाल ।
४. कारमाइकल पुस्तकालय, वाराणसी ।
५. देशबन्धु पुस्तकालय, मथुरा ।
६. गंगाप्रसाद वर्मा स्मारक पुस्तकालय, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ ।

७. गयाप्रसाद पुस्तकालय और वाचनालय, कानपुर।
८. हिन्दी-वाचनालय, इलाहाबाद।
९. ल्याल पुस्तकालय और वाचनालय, टाउनहॉल, मेरठ।
१०. महात्मा मुंशीराम सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय, देहरादून।
११. प्रेम-भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद।
१२. सार्वजनिक पुस्तकालय, अलफ्रेड पार्क, इलाहाबाद।
१३. श्रीखोजवाँ आदर्श पुस्तकालय, खोजवाँ, वाराणसी।
१४. तिलक-स्मारक पुस्तकालय, मसूरी।

पश्चिम बंगाल

१. नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर, कलकत्ता-२७।
२. बागबाजार वाचनालय-पुस्तकालय, के० सी० बोस रोड, कलकत्ता-४।
३. बाली साधारण ग्रन्थागार, जी० टी० रोड, बाली (हवड़ा)।
४. वंगीय साहित्य-परिषद्, अपर सर्कुलर रोड, कलकत्ता-६।
५. बँसबरिया सार्वजनिक पुस्तकालय, बँसबरिया, हुगली।
६. सार्वजनिक पुस्तकालय, लक्ष्मीनारायण चक्रवर्ती लेन, हवड़ा।
७. बड़तल्ला मुस्लिम पुस्तकालय, बड़तल्ला, २४ परगना।
८. बेलीघाट साध्य-समिति-पुस्तकालय, १३ कालीतारा बोस लेन, कलकत्ता।
९ भद्रेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय, भद्रेश्वर, हुगली।
१०. भारती-परिषद् पुस्तकालय (कॉर्नवालिस यूनियन क्लब ऐण्ड लाइब्रेरी), आर० जी० कार रोड, श्याम बाजार, कलकत्ता-४।
११. बी० आर० सेन सार्वजनिक पुस्तकालय, मालदा।
१२. चैतन्य पुस्तकालय और बीडन स्क्वायर लिटररी क्लब, ४/1 बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता—६
१३. चन्दरनगर पुस्तकागार, चन्दरनगर, हुगली।
१४. धकोरिया सार्वजनिक पुस्तकालय, धकोरिया, कलकत्ता।
१५. कोनागार सार्वजनिक पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय; ५३, जी० टी० रोड, पश्चिम कोनागार, हुगली।
१६. माधव स्मारक पुस्तकालय, हावड़ा रोड, सलकिया।
१७. माइकेल मधुसूदन पुस्तकालय, १७/१/२ मनस्वाला लेन, खिदिरपुर, कलकत्ता-२३।
१८. मोहचरी सार्वजनिक पुस्तकालय, अण्डलमौरी, हवड़ा।
१९. राष्ट्रीय पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय, २२/१ कॉर्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता-६।
२०. राममोहन पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय, २६७, अपर सर्कुलर रोड, कलकत्ता-९।
२१. संस्कृत साहित्य-परिषद्; १७, आर० जी० कार रोड, कलकत्ता।
२२. तिलक-पुस्तकालय, रानीगंज, वर्दवान।

२३. शान्तिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय, शान्तिपुर, नदिया ।
२४. श्रीमहावीर पुस्तकालय, १०/ए, चितपुर रोड, कलकत्ता-७ ।
२५. उत्तरपाड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय, ग्रैण्ड ट्रंक रोड, उत्तरपाड़ा, हुगली ।
२६. अखिलभारतीय स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थान-पुस्तकालय, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता
२७ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पुस्तकालय, कलकत्ता ।
२८. रामकृष्ण मिशन इन्स्टिट्यूट ऑफ कल्चर पुस्तकालय, कलकत्ता ।

आसाम

१. आसाम सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय, शिलाङ्ग ।
२. कॉटन पुस्तकालय, धुब्री ।
३. गुर्जन हॉल, गौहाटी ।
४. हेम बरुआ पुस्तकालय, तेजपुर ।
५. कामरूप अनुसन्धान-समिति (आसाम अनुसन्धान-सोसाइटी) पुस्तकालय, गौहाटी ।
६. कामरूप संस्कृत-संजीवनी पुस्तकालय, नलबारी (कामरूप) ।
७. विराज धार्मिक संस्थान-पुस्तकालय, डिब्रूगढ ।

मध्य-प्रदेश

१. अमरावती नगर-वाचनालय, अमरावती ।
२. बाबूजी देशमुख वाचनालय, ताजना पथ, अकोला ।
३. हिन्दू-धर्म-संस्कृति-मन्दिर, दन्तोली, नागपुर ।
४. लोकमान्य वाचनालय, अरवी (वर्धा) ।
५. महाराष्ट्र वाचनालय, तिलक-मन्दिर, श्रीनाथ की तलैया, गंगापुरा, जबलपुर ।
६. सार्वजनिक पुस्तकालय, टाउन हॉल, सागर ।
७. राजाराम सीताराम दीक्षित पुस्तकालय, सीताबुल्दी, नागपुर-१ ।
८. राष्ट्रीय वाचनालय, नागपुर ।
९. सदर मुस्लिम पुस्तकालय, सदर बाजार, नागपुर ।
१०. श्रीरामकृष्ण-आश्रम-पुस्तकालय, धनटोली, नागपुर ।
११. केन्द्रीय पुस्तकालय, ग्वालियर ।
१२. इन्दौर सामान्य पुस्तकालय, कृष्णपुर, इन्दौर ।
१३. हमीदिया राज्य-पुस्तकालय, सुलतानिया रोड, भोपाल ।

मद्रास

१. अदयार पुस्तकालय, अदयार, मद्रास-२० ।
२. कनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, इगमोर, मद्रास-८ ।
३. धर्मपुरम् अधीनम् पुस्तकालय, मयूरम् ।
४. रनरवम मदुराई जिला-परिषद् भ्रमणशील पुस्तकालय, पेरियाकुलम् (मदुरा) ।
५. गोपालराव सार्वजनिक पुस्तकालय, कुम्भकोणम्, तंजोर ।

६. हिन्दी-प्रचार-पुस्तकालय, हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास-१७ ।
७. करन्थाई तमिल सगम पुस्तकालय, करुन्थमकुडी, तंजोर ।
८. मद्रास लिटररी सोसाइटी पुस्तकालय, नंगमवक्कम्, मद्रास ।
९. म्युनिसिपल पुस्तकालय एवं वाचनालय, अमलापुरम् ।
१०. नगरपालिका सार्वजनिक पुस्तकालय, तेनाली ।
११. नगरपालिका सार्वजनिक पुस्तकालय, त्रिपुटी ।
१२. नरेन्द्र ग्रन्थालयम्, गोवदा ।
१३. नीलगिरि पुस्तकालय, उटकमण्ड, नीलगिरि ।
१४. रामकृष्ण केन्द्रीय पुस्तकालय, मद्रास ।
१५. साधु शेषय्या प्राच्य पुस्तकालय, कुम्भकोणम्, तंजोर ।
१६, शारदा-पुस्तकालय, आनाकापल्ली ।
१७. सरवेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी पुस्तकालय, रायपेठ ।
१८. विक्टोरिया-एडवर्ड हॉल, वेस्ट वैली स्ट्रीट, मदुरा ।
१९. वाई० एम्० सी० ए० पुस्तकालय, मदुरा ।

आन्ध्र

१. आन्ध्र ग्रन्थालयम्, कर्णूल ।
२. हैदरी सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी, निजामशाही रोड, हैदराबाद ।
३. सईदिया पुस्तकालय, जामबाग, ट्रूप बाजार, हैदराबाद ।
४. महाराजा गजपतिराव हिन्दू वाचनालय एवं पुस्तकालय, विशाख ।
५. म्युनिसिपल निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय, गुंटूर ।
६. नगरपालिका सार्वजनिक पुस्तकालय, कोझीकोड ।
७. नेलोर प्रोग्रेसिव यूनियन निःशुल्क वाचनालय एवं पुस्तकालय, नेलोर ।
८. रमाबाला भक्त पुस्तक-भाण्डागारम्, राजामुंद्री ।
९. रामकृष्ण-मठ पुस्तकालय, लंचीपुरम् ।
१०. सारस्वत-निकेतनम्, सुब्रोइ महल, बेटापलम् (गुंटूर) ।
११. श्रीभाषा संजीविनी संगम, अमृतालूर, तेनाली, गुंटूर ।
१२. श्रीब्रह्मरम्बा मालेश्वर आन्ध्र-ग्रन्थालयम्, बेजवाड़ा ।
१३. श्रीईश्वर पुस्तक-भाण्डागारम्, रामरावपेठ, काकीनाड ।
१४. श्रीगौतमी पुस्तकालय, राजामुंद्री (पूर्व-गोदावरी) ।
१५. श्री के० आर० वी० के० पुस्तकालय, काकीनाड (पूर्व गोदावरी) ।
१६. श्री एस्० वी० पुस्तकालय, पिथोपुरम् (पूर्व गोदावरी) ।
१७. श्रीमेलिदौला हनुमतरैय्या ग्रन्थालयम्, गाधीनगर, बेजवाडा (किरतमा) ।
१८. तंजोर महाराजा सरफोजी का 'सरस्वती-महल-पुस्तकालय', तंजोर ।
१९. यंग मेन्स हिन्दू एसोसिएशन पुस्तकालय, फ्लोर (वेस्ट गोदावरी) ।

त्रावणकोर-कोचीन

१. देशबन्धु पुस्तकालय एवं वाचनालय, इमोर, त्रिपद ।
२. अर्नाकुलम् सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, अर्नाकुलम् ।
३. ज्ञानप्रदायिनी पुस्तकालय एवं वाचनालय, कान्दीपुर, मान्दीकरा ।
४. लालजी स्मारक वाचनालय एवं पुस्तकालय, करुनागपल्ली ।
५. पी० के० स्मारक पुस्तकालय एवं वाचनालय, अम्वाला-पुजा ।
६. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, त्रिचूर ।
७. श्रीचित्र तिरुमल पुस्तकालय एवं वाचनालय, वञ्चीपुरम्, त्रिवेन्द्रम् ।
८. त्रिवेन्द्रम् सार्वजनिक पुस्तकालय, त्रिवेन्द्रम् ।

गुजरात

१. वर्टन लाइब्रेरी, दीवान-पारा, भावनगर ।
२. दयाराम नि:शुल्क वाचनालय एवं पुस्तकालय, रणजीत रोड, जामनगर ।
३. देसाई ननजी गोकुलजी एवं सेठ जेवरशाह हरजीवन पुस्तकालय, पोरबन्दर ।
४. गवर्नमेंट लाइब्रेरी, जूनागढ ।
५. लैंङ्ग लाइब्रेरी, मेमोरियल इन्स्टिट्यूट विल्डिग, जुविली गार्डेन, राजकोट ।
६. श्रीलखजी राज-पुस्तकालय, राजकोठ ।
७. म्यूजियम लाइब्रेरी, राजकोट ।
८. म्यूजियम लाइब्रेरी, जामनगर ।
९. म्यूजियम लाइब्रेरी, जूनागढ़ ।

मैसूर

१. कृष्ण राजेन्द्र-मण्डल पुस्तकालय एवं वाचनालय, चितालगढ ।
२. सार्वजनिक पुस्तकालय, मैसूर ।
३. सार्वजनिक पुस्तकालय, शेषाद्रि अय्यर स्मारक हॉल, चामराजा पार्क, वंगलोर ।
४. कृष्ण-राजेन्द्र पुस्तकालय, तुड कुर ।
५. सिल्वर जुविली सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, चकवगलपुर ।

उड़ीसा

१. जन-सम्पर्क-वाचनालय, देवगढ (वाम्रा) ।
२. रघुनन्दन पुस्तकालय, एमरमठ, पुरी ।
३. रामकृष्ण-मिशन-पुस्तकालय, पुरी ।
४. श्रीरामचन्द्र पुस्तकालय, वारीपाड़ा ।

पंजाब

१. केन्द्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रूर ।
२. पटियाला यूनियन सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रूर ।
३. राजेन्द्र विक्टोरिया डायमण्ड जुविली सार्वजनिक पुस्तकालय, पटियाला ।
४. हंसराज पुस्तकालय, अम्वाला ।
५. पण्डित मोतीलाल नेहरू म्युनिसिपल सार्वजनिक पुस्तकालय, अमृतसर ।

जम्मू एवं कश्मीर

१. श्रीप्रतापसिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, लालमंडी, श्रीनगर।
२. श्रीरणवीर पुस्तकालय, जम्मू।

राजस्थान

१. किङ्ग इम्परर पञ्चम जार्ज सिलवर जुबिली पुस्तकालय, बीकानेर।
२. महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर।
३. महिला-मण्डल-पुस्तकालय, उदयपुर।
४. राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय, एहरतपुर।
५. सुमर सार्वजनिक पुस्तकालय, जोधपुर।
६. अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर (किला)।
७. बिड़ला केन्द्रीय पुस्तकालय, पिलानी।
८. अजमेर म्युनिसिपल सार्वजनिक पुस्तालय, टाउन-हॉल, अजमेर।

मणिपुर

१. मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय, इम्फाल।

हिमाचल-प्रदेश

१. महिमा सरकारी पुस्तकालय, नाहन।
२. द्वारकादास पुस्तकालय, लाजपतराय-भवन, यू० एस० क्लब, शिमला—१।
३. म्युनिसिपल केन्द्रीय पुस्तकालय, शिमला।
४. भारतीय संयुक्त सेवा-संस्थान पुस्तकालय, शिमला।

दिल्ली

१. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली।
२. मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय, चाँदनी चौक, दिल्ली।
३. जामिया मीलिया इस्लामिया पुस्तकालय, जामियानगर।

प्रेस और पत्र-पत्रिकाएँ

कहते हैं कि आधुनिक मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के पहले सातवीं सदी में चीन से 'किंगयाउ' और 'कियल' आदि तथा रोम से 'रोमन एक्टा डिकोरमा' नामक पत्र निकलते थे। मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के बाद इटली, जर्मनी और फ्रांस से पत्र निकलने लगे। इंगलैंड से पहला पत्र ऑक्सफोर्ड-गजट १६६५ ई० में प्रकाशित हुआ था। लन्दन का 'टाइम्स' नामक पत्र १८८५ से निकलने लगा।

भारत का पहला पत्र 'बंगाल गजट' १७८० ई० की २६ जनवरी से निकलना आरम्भ हुआ था। इसके बाद १७८४ मे 'कलकत्ता गजट', १७८५ में मद्रास कूरियर' और १७८६ में 'बम्बई हेरल्ड', फिर 'बम्बई कूरियर' और १७९१ मे 'बम्बई गजट' निकलने लगे। ये सभी पत्र अँगरेजों के थे और अँगरेजी मे निकलते थे।

भारतीयों का पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' १८१६ में ई० प्रकाशित हुआ। १८२१ में यूरोपीय व्यापारियों ने कलकत्ता से 'जॉन बुल इन दि ईस्ट' नामक पत्र निकाला, जो १८३६ में आकर 'इंगलिश मैन' कहलाने लगा। बम्बई के व्यापारियों ने १८३८ में 'बम्बई टाइम्स' पत्र निकाला, जो पीछे 'टाइम्स ऑफ् इण्डिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सन् १८३५ से १८५७ ई० तक दिल्ली, आगरा, मेरठ, ग्वालियर और लाहौर से भी पत्र निकलने लगे। इस समय तक १६ एंग्लो-इंडियन और २५ भारतीय पत्र हो गये थे, पर जनता के बीच इनका प्रचार बहुत कम था। उत्तर भारत में उन दिनों 'मोफसिस्लाइट' पत्र बहुत नामी था।

सन् १८५७ ई० के विद्रोह के बाद देश में एक नई जागृति आई और अगले दस-बीस वर्षों के अन्दर बहुत-सी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगी। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', 'पायोनियर', 'मद्रास मेल', 'अमृत बाजार-पत्रिका', 'स्टेट्समैन', 'सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजट' और 'हिन्दू' का प्रकाशन उन्हीं दिनों प्रारम्भ हुआ।

उस समय बिहार से निकलनेवाले पत्र 'बिहार हेरल्ड' (१८७४), बिहार टाइम्स (१८६६), 'बिहार' (१६०६) और 'एक्सप्रेस' थे। किन्तु, इनसे भी पहले जमालपुर (मुँगेर) से अँगरेजी और हिन्दी में एक धार्मिक मासिक पत्र निकलने लगा था।

'समाचार-दर्पण' भारतीय भाषा का पहला पत्र था, जो १८१८ में सेरामपुर मिशनरी द्वारा बँगला-भाषा में प्रकाशित किया गया था। १८२२ में बम्बई से 'बम्बई-समाचार' नामक गुजराती पत्र निकला, जो अब भी प्रकाशित हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद मराठी में भी पत्र निकाला गया। १८३३ ई० में दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार निकला। फिर, १८५० में लाहौर से 'कोहेनूर' नामक एक उर्दू-पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद 'अवध अखबार', 'अखबारे आम' आदि कई पत्र निकले।

हिन्दी में पहला समाचार-पत्र १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया, जिसका सम्पादन एक मराठी सज्जन, श्रीगोविन्द रघुनाथ भते, करते थे। इसके बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८६८ में 'कवि-वचन-सुधा' नामक मासिक पत्रिका निकाली, पीछे इसके पाक्षिक और साप्ताहिक संस्करण भी निकले। १८७१ में अलमोड़ा से 'अलमोड़ा-समाचार' नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। १८७२ में बाँकीपुर (पटना) से 'बिहार-बन्धु' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ, जो हिन्दी का तीसरा पत्र था। इसके प्रकाशन में पं० केशवराम भट्ट और पं० साधोराम भट्ट का प्रमुख हाथ था। इसके बाद १८७४ में दिल्ली से 'सदादर्श' और १८७६ में अलीगढ से 'भारत-बन्धु' नामक पत्र निकले। फिर तो धीरे-धीरे और भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं।

प्रेस-सम्बन्धी कानून—पहले यहाँ के अधिकांश पत्रों के प्रकाशक और सम्पादक केवल अँगरेज ही होते थे। अतएव, उनके पत्र के साथ शासनाधिकारियों का बहुत मतभेद होने पर वे इंगलैंड भेज दिये जाते थे। डाक से पत्र का प्रेषण भी बन्द कर दिया जाता था। १७६६ में लार्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रों के नियन्त्रण लिए के कुछ नियम बनाये। प्रत्येक समाचार-पत्र पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक कर दिया गया, सम्पादक और प्रकाशक के नाम-पते सरकार के पास भेजना भी जरूरी हुआ और प्रकाशन के पूर्व सरकारी सेंसर अफसर को

समितियों से परामर्श ले। अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के विपरीत, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के मौलिक अधिकारों में समाविष्ट किया है, भारत का संविधान केवल 'भाषण एवं अभिव्यक्ति' की स्वतन्त्रता की पुष्टि करता है। सन् १६५१ ई० मे जो संविधान में संशोधन हुआ, उसके अनुसार भारतीय संसद् को विशेष परिस्थिति में भाषण एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर भी उचित प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया है।

समाचार-पत्र-आयोग—भारतीय समाचार-पत्र, आयोग ने २६ जुलाई, १६५४ ई० को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित थी—

(१) पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक अखिल-भारतीय समाचार-पत्र-परिषद् (ऑल इण्डिया प्रेस-कौंसिल) स्थापित की जाय।

(२) समाचार-अभिकरण (न्यूज एजेंसी) एक से अधिक रहें। इन पर सरकार का अधिकार या नियंत्रण नही हो।

(३) श्रमजीवी पत्रकारों को वेतन-अवकाश, प्रोविडेण्ट फण्ड, ग्रेचुटी आदि की सुविधाएँ दी जायँ।

(४) सभी प्रकार के अखबारी कागज विदेशों से आयात करने के लिए एक 'स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्थापित किया जाय। यह भारत की सभी मिलों के अखबारी कागज का क्रय कर समान मूल्य पर बेचे।

(५) समाचार-पत्रों के लिए मूल्य एवं पृष्ठ की सूची तैयार होनी चाहिए। साथ ही इसकी भी देख-रेख हो कि समाचार-पत्रों मे विज्ञापन का स्थान ४०% से अधिक नही रहे।

(६) समाचार-पत्रों के वैयक्तिक स्वामित्व को प्रोत्साहन नहीं दिया जाय।

(७) प्रत्येक समाचार-पत्र का पृथक् हिसाब-किताब रखा जाय, जिससे उसकी लाभ-हानि का स्पष्ट पता चल सके।

(८) समाचार-पत्र-उद्योग-सम्बन्धी तथ्य एवं ऑकड़ों का संकलन करने के लिए एक प्रेस-रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक समाचार-पत्र के लिए उक्त रजिस्ट्रार के पास समय-समय पर विवरण भेजना अनिवार्य रहे।

ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन—(A. B. C) इस संस्था का काम समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या ज्ञात कर उस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र देना है।

मूल्य और पृष्ठ-सूची—भारत-समाचार ने अक्टूबर १६६० ई० मे दैनिक-पत्रों के लिए एक मूल्य और पृष्ठ-सूची आदेश जारी किया है। इस आदेश का सम्बन्ध पत्रों के मूल्य तथा उनके साप्ताहिक संस्करणों एवं विशेषांकों की पृष्ठ-संख्या के नियंत्रण से है।

समाचार-पत्र की परिभाषा—'पोस्ट-ऑफिस ऐक्ट' तथा 'प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट' में दी गई समाचार-पत्र की परिभाषाओं में विभिन्नता होने के कारण पत्रों एवं डाकघरों को समाचार-पत्र-सम्बन्धी डाक के प्रेषण में कठिनाई होती थी। इसे दूर करने के विचार से १० तोले तक ८ नये पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त पाँच तोले पर ३ नये पैसे के टिकट लगाने की नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार समाचार-पत्रों के प्रथम या अन्तिम पृष्ठ पर यह लिखा रहना आवश्यक है—'भारत के समाचार-पत्र-निबन्धक के यहाँ निबन्धन-संख्या' ''' के अन्तर्गत निबंधित।'

पत्र दिखला देना अनिवार्य कर दिया गया। १८१८ से सभी प्रकार के प्रकाशनों पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक हुआ।

सन् १८२३ ई० में बंगाल के लिए प्रेस-सम्बन्धी कानून बना, जो 'एडेम्स रेगुलेशन' कहलाया। वैसा ही रेगुलेशन फिर बम्बई के लिए भी बना। इसके अनुसार पत्र निकालने के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना जरूरी कर दिया गया। सन् १८३५ ई० में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस को बहुत हद तक स्वतन्त्रता दी, जिससे लोगों को पत्र निकालने का प्रोत्साहन मिला। १८५७ और १८६७ में परिस्थिति के अनुसार प्रेस-सम्बन्धी कानून में फिर संशोधन हुआ। इस अधिनियम के कारण भारतीय भाषाओं में पत्रों का निकालना अत्यन्त कठिन हो गया। 'अमृत बाजार पत्रिका', जो अबतक अँगरेजी और बँगला दोनों भाषाओं में छपती थी, सिर्फ अँगरेजी में ही छपने लगी। सन् १८८१ ई० में लार्ड रिपन ने इस कानून को रद्द कर दिया।

सन् १८८५ ई० में इंडियन नेशनल कॉंगरेस की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। १९०५ में 'बंग-भंग, के बाद वह और भी तीव्र हो चला। जहाँ-तहाँ राजनीतिक हत्याएँ होने लगीं। ऐसे समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए १९०८ में एक कानून बना; पर उससे काम नहीं चला। अतएव, १९१० मे नया प्रेस कानून बनाया गया, जिसके अनुसार समाचार-पत्रों से जमानत मॉंगी जाने लगी।

राष्ट्रीय जागरण के साथ ही पत्रों की संख्या बढ़ी और उनका प्रचार भी अधिक होने लगा। राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिए पत्रों के साथ कड़ाई करने के उद्देश्य से प्रेस-कानून में संशोधन किया गया। १९३० ई० में सत्याग्रह छिड़ने पर प्रेस आर्डिनेन्स निकाला गया, जिसे १९३१ ई० में कानून का रूप दिया गया। १९३२ में घोर दमन के कारण बहुत-से पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया। १९३४ में भारतीय रियासतों को जन-आन्दोलन से बचाने के लिए प्रेस सम्बन्धी नया कानून बनाया गया।

द्वितीय विश्व-महासमर के छिड़ने पर युद्ध-विरोधी कोई बात छापने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए १९४० में सरकारी सूचना निकाली गई। इसके परिणामस्वरूप समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों की प्रेस-सलाहकार-कमिटियाँ केन्द्र और प्रान्तों में बनाई गईं। १९४२ की देशव्यापी क्रान्ति के समय भी समाचार-पत्रों को क्रान्ति-सम्बन्धी समाचार छापने से रोका गया। इसके फलस्वरूप अधिकाश समाचार-पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के लिए बन्दकर दिया गया।

स्वाधीनता-प्राप्ति (अगस्त, १९४७) के बाद से भारतीय समाचार-पत्रों के लिए एक नवयुग का प्रारम्भ हुआ, जिसे सार्वजनिक दायित्व का युग कहा जा सकता है। सरकार तथा जनता के बीच का विरोध-भाव मिट गया और सरकार तथा समाचार-पत्रों के बीच के सम्बन्ध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देश के विभिन्न समुदायों में शाति एव एकता के लिए जनमत-निर्माण करना, आज समाचार-पत्रों का प्रथम कर्त्तव्य है। मार्च,१९४७ ई० मे प्रेस-सम्बन्धी कानूनों की सारी बातों की पूरी तरह जॉंच कर उनमें आवश्यक परिवर्त्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेस लॉ इन्क्वायरी कमिटी कायम की गई। उक्त कमिटी ने मार्च, १९४७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार १९३१ का इण्डियन प्रेस ऐक्ट, १९३४ का स्टेट्स (प्रोटेक्शन) ऐक्ट रद्द कर दिये गये तथा अन्य कई कानूनों में परिवर्त्तन लाया गया। उक्त समिति ने यह भी अभिस्ताव किया कि राज्य सरकार प्रेस के विरुद्ध कोई काररवाई करने के पूर्व परामर्श-

समितियों से परामर्श ले। अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के विपरीत, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के मौलिक अधिकारों में समाविष्ट किया है, भारत का संविधान केवल 'भाषण एवं अभिव्यक्ति' की स्वतन्त्रता की पुष्टि करता है। सन् १९५१ ई० मे जो संविधान में संशोधन हुआ, उसके अनुसार भारतीय संसद् को विशेष परिस्थिति में भाषण एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर भी उचित प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया है।

समाचार-पत्र-आयोग—भारतीय समाचार-पत्र, आयोग ने २६ जुलाई, १९५४ ई० को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नाङ्कित थी—

(१) पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक अखिल-भारतीय समाचार-पत्र-परिषद् (ऑल इण्डिया प्रेस-कौंसिल) स्थापित की जाय।

(२) समाचार-अभिकरण (न्यूज एजेंसी) एक से अधिक रहें। इन पर सरकार का अधिकार या नियंत्रण नहीं हो।

(३) श्रमजीवी पत्रकारों को वेतन-अवकाश, प्रोविडेण्ट फण्ड, ग्रेचुटी आदि की सुविधाएँ दी जायँ।

(४) सभी प्रकार के अखबारी कागज विदेशों से आयात करने के लिए एक 'स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, स्थापित किया जाय। यह भारत की सभी मिलों के अखबारी कागज का क्रय कर समान मूल्य पर बेचे।

(५) समाचार-पत्रों के लिए मूल्य एवं पृष्ठ की सूची तैयार होनी चाहिए। साथ ही इसकी भी देख-रेख हो कि समाचार-पत्रों में विज्ञापन का स्थान ४०% से अधिक नही रहे।

(६) समाचार-पत्रों के वैयक्तिक स्वामित्व को प्रोत्साहन नहीं दिया जाय।

(७) प्रत्येक समाचार-पत्र का पृथक् हिसाब-किताब रखा जाय, जिससे उसकी लाभ-हानि का स्पष्ट पता चल सके।

(८) समाचार-पत्र-उद्योग-सम्बन्धी तथ्य एवं ऑकड़ों का संकलन करने के लिए एक प्रेस-रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक समाचार-पत्र के लिए उक्त रजिस्ट्रार के पास समय-समय पर विवरण भेजना अनिवार्य रहे।

ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन—(A. B. C) इस संस्था का काम समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या ज्ञात कर उस सम्बन्ध मे प्रमाण-पत्र देना है।

मूल्य और पृष्ठ-सूची—भारत-समाचार ने अक्टूबर १९६० ई० मे दैनिक-पत्रों के लिए एक मूल्य और पृष्ठ-सूची आदेश जारी किया है। इस आदेश का सम्बन्ध पत्रों के मूल्य तथा उनके साप्ताहिक संस्करणों एवं विशेषांकों की पृष्ठ-संख्या के नियंत्रण से है।

समाचार-पत्र की परिभाषा—'पोस्ट-ऑफिस ऐक्ट' तथा 'प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट' में दी गई समाचार-पत्र की परिभाषाओं में विभिन्नता होने के कारण पत्रों एवं डाकघरों को समाचार-पत्र-सम्बन्धी डाक के प्रेषण में कठिनाई होती थी। इसे दूर करने के विचार से १० तोले तक ८ नये पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त पॉच तोले पर ३ नये पैसे के टिकट लगाने की नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार समाचार-पत्रों के प्रथम या अन्तिम पृष्ठ पर यह लिखा रहना आवश्यक है—'भारत के समाचार-पत्र-निबन्धक के यहाँ निबन्धन-संख्या...... के अन्तर्गत निबधित।'

समाचार-पत्रों की शृंखला, समूह और बहुविध इकाइयाँ—भारत के समाचार-पत्र-निबन्धक ने भारत के समाचार-पत्रों को निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—

शृंखला—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत एकाधिक स्थानों से निकलनेवाले एक से अधिक पत्र ।

समूह—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत एक ही स्थान से निकलने वाले एक से अधिक पत्र ।

बहुविध इकाइयाँ—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों से निकलनेवाले एक ही नाम और एक ही भाषा तथा एक ही अवधि के एकाधिक-समाचार-पत्र ।

सन् १९५९ ई० में भारत के अन्दर १९ शृंखलाएँ, १६२ समूह और ३० बहुविध इकाइयाँ थीं, जिनके अन्तर्गत ६०७ समाचार-पत्र थे । सन् १९५९ ई० में स्वामित्व का सर्वाधिक प्रमुख रूप वैयक्तिक स्वामित्व था । जिसके अन्तर्गत भारत के ४५.१ प्रतिशत समाचार-पत्र थे ।

भारत के समाचार-पत्र एवं सावधिक पत्र—३१ दिसम्बर १९५९ को देश के अंदर ७,६५१ समाचार-पत्र थे, जिनमें सावधिक पत्रों की भी गणना की जाती है । उक्त संख्या की तुलना में सन् १९५८ ई० में ६,९१८ और सन् १९५७ ई० में ५,९३२ समाचार-पत्र थे । इससे प्रकट होता है कि उक्त दो वर्षों में समाचार-पत्रों की संख्या में २.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सन् १९५८ ई० में जिन पत्रों की प्रचार-संख्या ५० हजार से अधिक थी, सन् १९५९ ई० में उनकी संख्या और भी बढ़ी । सन् १९५९ ई० में पाँच दैनिक पत्र ऐसे थे, जिनकी प्रचार-संख्या १ लाख से अधिक थी । अँगरेजी के ९ दैनिक तथा हिन्दी, तमिल, बँगला और मलयालम में से प्रत्येक के दो दैनिक एवं मराठी का एक दैनिक ऐसे थे, जिनकी प्रचार-संख्या ५० हजार से अधिक थी । अँगरेजी दैनिक की प्रचार-संख्या सर्वाधिक थी । हिन्दी-पत्रों को द्वितीय तथा तमिल पत्रों को तृतीय स्थान प्राप्त था । भारत के दैनिक पत्रों में अँगरेजी के पत्र २०.३ प्रतिशत, हिन्दी के पत्र १२.८ प्रतिशत, उर्दू के पत्र ८.२ प्रतिशत, गुजराती के पत्र ६ ६ प्रतिशत, बँगला के पत्र ५.३ प्रतिशत और मराठी के पत्र इससे भी कम प्रतिशत के थे । विभिन्न भाषाओं के पत्रों में हिन्दी-भाषा के पत्र सबसे अधिक (२७८) थे । हिन्दी के पत्रों के बाद अँगरेजी के पत्रों का स्थान था ।

इन दिनों प्रेस एवं समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में निम्नांकित कतिपय नियम लागू हैं—

(१) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा विविध नियम)-अधिनियम—यह अधिनियम सन् १९५५ ई० में बना तथा दिसम्बर, १९५५ ई० से लागू किया गया । इस कानून द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ग्रेचुटी तथा प्रोविडेंट फंड दिलाने, उनके काम के घंटों का नियमन, सवैतनिक अवकाश, सेवा-समाप्ति की पूर्व सूचना की अवधि आदि की व्यवस्था की गई है । इस अधिनियम के अनुसार श्रमजीवी पत्रकारों के लिए (१) वेतन-मण्डलों (वेज-बोर्ड) की नियुक्ति, उनका गठन और अधिकार तथा (२) किसी भी पत्र-संपादक को बरखास्त करने की तिथि से ६ महीना तथा अन्य पत्रकारों को तीन महीना पहले ही सूचना देने की अनिवार्यता—इन दो प्रमुख बातों की व्यवस्था की गई है ।

(२) कर्मचारी भविष्य-निधि (इम्पलायीज प्रोविडेंट फंड)-अधिनियम, १९५२—उन सभी समाचार-प्रतिष्ठानों पर लागू कर दिया गया है, जहाँ २० या उससे अधिक श्रमजीवी पत्रकार कार्य करते हैं। इस कानून के अनुसार पत्रकारों से महीने में अधिक-से-अधिक १४४ घंटे काम लिया जा सकता है। यह कानून उनके साप्ताहिक, आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश के साथ-साथ बीमारी की हालत में भी अवकाश की व्यवस्था करता है।

(३) पारितोषिक-प्रतियोगिता (प्राइज कम्पीटिशन)-अधिनियम—इसके अनुसार १००० रुपये से अधिक पारितोषिक की पहेली-प्रतियोगिता पर रोक लगा दी गई है तथा पुरस्कार देनेवालों के लिए अनुज्ञा-पत्र लेना और नियमपूर्वक हिसाब-किताब रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कानून पंजाब, विहार, केरल तथा पश्चिय बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है।

(४) प्रेस तथा पुस्तक-पंजीयन-अधिनियम, १८१७—इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रेस तथा समाचार-पत्रों के नियमन और भारत में मुद्रित पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों के संरक्षण एवं पंजीयन की व्यवस्था की गई है। सन् १९५५ ई० में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार प्रेस के लिए एक निवन्धक की नियुक्ति की गई है। प्रेस एवं समाचार-पत्रों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में आँकड़े एवं सूचना संगृहीत करने का अधिकार निर्वधक को प्राप्त है। इसे समाचार-पत्रों के पंजीयन का प्रमाण-पत्र देने का भी अधिकार दिया गया है। निवंधक का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

(५) पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों का समर्पण (शासकीय पुस्तकालय)-अधिनियम—यह कानून सन् १९५४ ई० में पास हुआ, जिसके अनुसार प्रत्येक समाचार-पत्र के प्रकाशक के लिए केन्द्रीय सरकार की सूचना के अनुसार सभी शासकीय पुस्तकालयों में हर अंक की एक-एक प्रति नि-शुल्क भेजना अनिवार्य है।

(६) संसदीय कार्यवाही (सुरक्षा एवं प्रकाशन)-अधिनियम २४, १९५६—इसके अनुसार संसद् के दोनों सदनों मे से किसी सदन की कार्यवाही के सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए या तार द्वारा सूचना देने के लिए संबंधित व्यक्ति पर दीवानी या फौजदारी मुकदमा तब-तक नहीं चलाया जा सकता, जबतक यह प्रमाणित न हो जाय कि प्रकाशन ईर्ष्या-वश किया गया है।

इनके अतिरिक्त आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए भी दी ड्रग्स ऐण्ड मैजिक रेमिडीज ऐक्ट, कॉपीराइट ऐक्ट, १४ (१९५७) ई०, समाचार-पत्र (मूल्य एवं पृष्ठ)-अधिनियम (१९५४), औद्योगिक नियुक्ति-अधिनियम, १९५९ ई० औद्योगिक विवाद-अधिनियम आदि भी लागू हैं।

पत्रकार-परिषदें—भारतीय समाचार-पत्रों की उन्नति के लिए तथा पत्रकारों के हित के निमित्त इस समय कई अखिलभारतीय और प्रान्तीय संस्थाएँ काम कर रही हैं। एक संस्था इण्डियन ऐण्ड ईस्टर्न न्यूज़-पेपर सोसाइटी (भारतीय तथा पूर्वी समाचार-पत्र-परिषद्) है। जो सन् १९३९ ई० की फरवरी में कायम हुई थी। इसमें भारत, वर्मा तथा लंका के प्रतिनिधि हैं। इसका कार्यालय २७ वाराखम्भा रोड, नई दिल्ली में है। दूसरी संस्था 'ऑल इंडिया

न्यूज-पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस' (अखिलभारतीय समाचार-पत्र-संपादक-सम्मेलन) है, जिसकी स्थापना सन् १६४० ई० में हुई। तीसरी संस्था इंडियन लैंग्वेजेज् न्यूज पेपर एसोसिएशन (भारतीय भाषा समाचार-पत्र-परिषद्) है, जो सन् १६४१ ई० में स्थापित हुई थी। चौथी संस्था 'इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' है, जो अक्टूबर, १६५० ई० में स्थापित की गई। इसी प्रकार, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न प्रान्तों के पत्रकारों के भी सघ हैं; जैसे अखिलभारतीय हिन्दी-पत्रकार-संघ, उत्तर-प्रदेशीय पत्रकार-संघ, विहार-पत्रकार-संघ आदि। दक्षिण भारत के लिए 'सदर्न इण्डियन जर्नलिस्ट्स फेडरेशन' हैं, जिसका कार्यालय माउण्ट रोड, मद्रास में है।

समाचार-प्राप्ति के साधन

समाचार-पत्रों को विभिन्न सरकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से समाचार मिला करते हैं। समाचार मिलने के सबसे मुख्य साधन न्यूज-एजेन्सियाँ हैं। ये न्यूज-एजेन्सियाँ व्यावसायिक दृष्टि से संगठित कम्पनियाँ हैं, जो जगह-जगह अपने संवाददाता रखकर समाचार इकट्ठा करती हैं और उन्हें समाचार-पत्रों के हाथ बेचती हैं।

प्रेस इनफॉरमेशन व्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया—भारत-सरकार की ओर से पत्रों को सरकारी समाचार देने के लिए 'प्रेस इन्फॉरमेशन व्यूरो' है, जिसके कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, वम्बई और मद्रास में हैं।

युनाइटेड नेशन्स इनफॉरमेशन सेण्टर—संयुक्त राष्ट्रसंघ की काररवाइयों की सूचना भारतीय पत्रों को देने के लिए थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, क्वींस वे, नई दिल्ली मे इसका एक ऑफिस है।

युनाइटेड स्टेट्स इनफॉरमेशन सर्विस—संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की खबर भारतीयों को देने के लिए, दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इसके ऑफिस हैं।

ब्रिटिश इनफॉरमेशन सर्विस—ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धित खबरें लोगों को देने के लिए दिल्ली, वम्बई और मद्रास में इसके कार्यालय हैं।

विदेशी न्यूज-एजेन्सियाँ—विदेशी न्यूज एजेन्सियाँ इस प्रकार हैं—

ब्रिटिश—(१) रायटर, (२) ग्लोव एजेन्सी।

फ्रांसीसी—एजेन्स फ्रास प्रेसी।

रूस—तास न्यूज एजेन्सी।

अमेरिका—(१) एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, (२) युनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका (३) सेण्ट्रल न्यूज एजेन्सी और (४) इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस ऑफ अमेरिका।

भारतीय न्यूज-एजेन्सियाँ—समाचार देने के लिए भारत की निम्नलिखित एजेन्सियाँ हैं— (१) युनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, रायटर और एसोसियेटेड प्रेस, (३) फ्री प्रेस, (४) ओरियण्ट प्रेस और (५) इण्डियन प्रेस-एसोसियेशन।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया—सन् १६४८ ई० मे भारतीय समाचार-पत्रों ने अपनी न्यूज-एजेन्सी कायम की है, जिसका नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। यह सहकारिता के सिद्धान्त पर कायम हुआ है। रायटर और इण्डिया ऐण्ड ईस्टर्न

न्यूजपेपर-सोसाइटी की रजामन्दी से ऐसा किया गया है। संसार के समाचार-संग्रह के कार्य में यह एक नया विकास है। रायटर की सहायक कम्पनी एसोसियेटेड प्रेस ऑफ इण्डिया लि० प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया लि० के रूप में परिणत हो गई है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया संयुक्त-राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पत्रों के साथ-साथ रायटर कम्पनी का हिस्सेदार हो गया है। रायटर कम्पनी में इसका एक ट्रस्टी और एक डाइरेक्टर हैं।

सन् १६४६ ई० की २ फरवरी से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने भारत मे रायटर और एसोसियेटेड प्रेस का सब काम ले लिया है और रायटर के वर्ल्ड न्यूज ऑरगेनिजेशन में इसकी सामेदारी भी हो गई है।

नियर एण्ड फार ईस्ट न्यूज (एशिया)—इसकी स्थापना ३१ अगस्त, १६५२ ई० को की गई। इसका संक्षिप्त नाम 'नाफेन' (NAFEN) है। यह अपने चार केन्द्रों से अँगरेजी तथा सभी भारतीय भाषाओं में अपनी न्यूज-बुलेटिन निर्गमित करता है।

धीमान प्रेस ऑफ इण्डिया—इसका कार्यालय सन् १६३३ ई० में स्थापित हुआ। इसका प्रधान कार्यालय लुधियाना में है। यह संसार के विभिन्न भागों से समाचार, समाचार-चित्र, फीचर आदि प्राप्त कर भारत के १०० दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों को भेजता है।

हिन्दुस्थान-समाचार लिमिटेड—यह न्यूज-एजेन्सी सन् १६४८ से अखिलभारतीय स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके कार्यालयों में हिन्दी-टेलिप्रिण्टर की भी व्यवस्था है।

फ्री प्रेस ऑफ इण्डिया—यह न्यूज-एजेन्सी सन् १६३० ई० में स्थापित की गई थी, किन्तु सन् १६३४ ई० में इसका काम वन्द हो गया। सन् १६४५ ई० से यह फिर काम कर रही है। इसके समाचार वम्बई के कुछ खास पत्रों को ही मिलते हैं।

इनफा (शचिस)—यह न्यूज-एजेन्सी हाल ही में स्थापित हुई है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

उपर्युक्त समाचार-एजेन्सियों के अतिरिक्त कुछ विदेशी न्यूज-एजेन्सियाँ भी हैं, जो भारतीय पत्रों को समाचार देती हैं। उनके नाम पहले दिये जा चुके हैं।

केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो के सूचना एव प्रसार-विभाग

भारत-सरकार का प्रचार-कार्य मुख्यतया सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय पर निम्नांकित संस्थाओं के कार्यों के दायित्व हैं।

(१) ऑल इण्डिया रेडियो, (२) प्रेस इनफॉरमेशन व्यूरो, (३) डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऐण्ड विजुअल पब्लिसिटी, (४) पब्लिकेशन्स डिवीजन, (५) फिल्म्स डिवीजन, (६) रिसर्च ऐण्ड रेफरेंस डिवीजन, (७) रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया, (८) पंचवर्षीय योजना-प्रचार।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अधीन प्रेस इनफॉरमेशन व्यूरो और उसके प्रचार-अफसरों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य मे एक सूचना-मंत्री होता है, जो निदेशक के अधीनस्थ सूचना-विभागों पर नियंत्रण रखता है।

पत्रकारिता की शिक्षा—भारत में पत्रकारिता की शिक्षा मद्रास, कलकत्ता, मैसूर, पंजाब, गुजरात और उस्मानिया-विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इनमें पंजाब-विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा दी जाती है। पंजाब-विश्वविद्यालय के अधीन कैम्प कॉलेज, नई दिल्ली में एक पत्रकारिता-विभाग है, जहाँ स्नातकोत्तर-शिक्षा की व्यवस्था है। मद्रास से प्रकाशित अँगरेजी दैनिक 'हिन्दू' की ओर से प्रतिवर्ष एक छात्र को पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

कुछ प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र

(जिनकी प्रचार-संख्या सन् १९५९ ई० में ५०,००० से अधिक थी)

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
सण्डे स्टैण्डर्ड (अँगरेजी)	बम्बई, विजयवाड़ा मदुराई, दिल्ली	१,८२,९६५
इण्डियन एक्सप्रेस (अँगरेजी)	दिल्ली, बम्बई, मदुराई, विजयवाड़ा	१,७९,७६८
टाइम्स ऑफ इण्डिया (अँगरेजी)	बम्बई, दिल्ली	१,३९,२६५
थान्थी (तमिल)	मद्रास, मदुराई, त्रिचूर	१,३१,०३४
हिन्दू (अँगरेजी)	मद्रास	१,१०,९७३
स्टेट्समैन (अँगरेजी)	कलकत्ता और दिल्ली	९७,५८९
फ्री प्रेस जर्नल (अँगरेजी)	बम्बई	८७,६६२
अमृत बाजार पत्रिका (अँगरेजी)	कलकत्ता	८६,७२१
आनन्द बाजार पत्रिका (बँगला)	कलकत्ता	८४,०३५
युगान्तर (बँगला)	कलकत्ता	८०,४०१
नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	दिल्ली, बम्बई	७९,८९१
मलयाला मनोरमा (मलयालम)	कोट्टायम्	७५,५४८
लोकसत्ता (मराठी)	बम्बई	७३,८२६
हिन्दुस्तान टाइम्स (अँगरेजी)	दिल्ली	७०,५१९
मातृभूमि (मलयालम)	कोझिकोड	६९,६५२
दिनमणि (तमिल)	मदुराई	६५,३२३
हिन्दुस्तान (हिन्दी)	दिल्ली	५१,७८५
भारत-ज्योति (अँगरेजी)	बम्बई	५४,६५७

प्रमुख साप्ताहिक समाचार-पत्र

(जिनकी प्रचार-संख्या सन् १९५९ ई० में ५०,००० से अधिक थी)

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
आनन्द विकातन (तमिल)	मद्रास	१,५८,१३२
कल्कि (तमिल)	मद्रास	१,०३,९८८
ब्लिज (अँगरेजी)	बम्बई	८७,१८६
मलयाला मनोरमा (मलयालम)	कोट्टायम्	७८,३४७
सिने चित्र (हिन्दी)	कलकत्ता	७७,५००
स्क्रीन (अँगरेजी)	बम्बई और विजयवाड़ा	७३,०९४
इलस्ट्रेटेड वीक्ली (अँगरेजी)	बम्बई	७१,१५८
धर्मयुग (हिन्दी)	बम्बई	६४,१९४
सिने एडवान्स (अँगरेजी)	कलकत्ता	५५,२००
मातृभूमि (मलयालम)	कोभिकोड	५३,८३२
वीक्ली न्यूज एराड व्यूज (अँगरेजी)	कलकत्ता	५३,८४३

अन्य सावधिक पत्र (प्रिऑडिकल)

(जिनकी प्रचार-संख्या १९५९ ई० में ५०,००० से अधिक थी)

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
कुमुन्दम् (तमिल त्रैमासिक)	मद्रास	१,६७,१३६
कल्याण (हिन्दी मासिक)	गोरखपुर	१,१४,९४९
फिल्मफेयर (अँगरेजी पाक्षिक)	बम्बई	१,०६,५७०
अस्ताना (उर्दू मासिक)	दिल्ली	७७,९६७
मनोहर कहानियो (हिन्दी मासिक)	इलाहाबाद	६६,३३२
राष्ट्रपति (हिन्दी मासिक)	दिल्ली	६३,६३६
माया (हिन्दी मासिक)	इलाहाबाद	६२,७५०
पादी पंटालु (तेलुगु मासिक)	हैदराबाद	६१,६९७
चन्दा मामा (हिन्दी मासिक)	मद्रास	५७,५७७
शमा (उर्दू मासिक)	दिल्ली	५७,१६६
पिसुम पद्म (तमिल मासिक)	मद्रास	५४,२१७
वेतार जगत (बँगला मासिक)	कलकत्ता	५०,४३२

क्षेत्रीय पत्र

(सन् १९५९ में प्रचार-संख्या)

तमिल दैनिक

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
स्वदेशमित्रम्	मद्रास	४२,५२३
नव इण्डिया	मद्रास और कोयम्बटूर	३०,७८९
तमिलनाडू	मद्रास	२५,५२२
थानी आरसू	मद्रास	२०,०५५

तमिल सावधिक पत्र

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
मलयमणि (तमिल साप्ताहिक)	मद्रास	३७,२३१
कलकन्दु (,, ,,)	मद्रास	३०,८४८
आनन्द नाडु (,, ,,)	मद्रास	२२,६६०
नार्थिगम् (,, ,,)	मद्रास	२२,०००
भारथम् (अर्ध साप्ताहिक)	मद्रास	२०,६२०
अमृतम् (तमिल पाक्षिक)	मद्रास	३३,१२१
वनौली (,, ,,)	मद्रास	२६,०८५
तमिल सिनेमा (,, ,,)	मद्रास	२८,८२०
कलाई पुंगा (,, ,,)	मद्रास	२६,२३२
कलाई वेनन (,, ,,)	मद्रास	२६,२५०
सिनेमा टाइम्स (,, ,,)	मद्रास	२२,६३४
चिरंजीवी (तमिल मासिक)	मद्रास	४५,०००
कलाई मंगल (,, ,,)	मद्रास	३७,४१६
पुदुमी (,, ,,)	मद्रास	३६,५०१
सिनेमा कादिर (,, ,,)	मद्रास	३२,२८६
गंगाई (,, ,,)	मद्रास	३१,२१६
कामाई (,, ,,)	मद्रास	३०,६२२
नैयकारुण वीरन (,, ,,)	मद्रास	२३,४६३
जनयुगम् (,, ,,)	मद्रास	२५,०००
मेजहीचेलभम् (,, ,,)	मद्रास	२१,१०१

तेलुगु दैनिक

आन्ध्र-पत्रिका (दैनिक)	मद्रास	४१,०८६

तेलुगु सावधिक पत्र

आन्ध्रप्रभा (तेलुगु साप्ताहिक)	विजयवाड़ा	५६,१०८
आन्ध्र-पत्रिका (,, ,,)	मद्रास	४५,४८२
चन्दा मामा (तेलुगु मासिक)	मद्रास	३०,७०६

कन्नड दैनिक

सयुक्त कर्नाटक (दैनिक)	हुवली और बंगलोर	३१,६४४
प्रजावाणी (,,)	बंगलोर	३०,१४५

कन्नड सावधिक पत्र

चन्दा मामा (कन्नड मासिक)	मद्रास	२१,६५१

बंगला दैनिक

वसुमती (दैनिक)	कलकत्ता	३०,७५३

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
बँगला सावधिक पत्र		
देश (बँगला साप्ताहिक)	कलकत्ता	३१,४८४
शुक्तारा (बँगला मासिक)	कलकत्ता	२४,१६६
असमिया सावधिक पत्र		
असम वाणी (असमिया साप्ताहिक)	गौहाटी	२२,७६०
मलयालम दैनिक		
केराला धावनी (मलयालम दैनिक)	कोट्टायम्	२२,७४६
दीपिका („ „)	कोट्टायम्	१२,२३६
जनयुगम् („ „)	क्विलीन	२१,६१६
गुजराती दैनिक		
वम्बई समाचार (गुजराती दैनिक)	बम्बई	३४,७१०
गुजरात समाचार („ „)	अहमदाबाद	३२,७५६
जनसत्ता („ „)	अहमदाबाद	२६,३५८
सन्देश („ „)	अहमदाबाद	२८,१५८
जय हिन्द („ „)	राजकोट	२३,६७५
प्रजातंत्र („ „)	वम्बई	२३,४६३
जन्मभूमि („ „)	वम्बई	२१,४०४
गुजराती सावधिक पत्र		
जन्मभूमि प्रवासी (गुजराती साप्ताहिक)	वम्बई	४७,१४६
लोकराज („ „)	वम्बई	४१,५६६
जगमग („ „)	अहमदाबाद	२६,१६२
अखंड आनन्द (गुजराती मासिक)	अहमदाबाद	३३,८२१
जन-कल्याण („ „)	अहमदाबाद	३०,४५८
मराठी दैनिक		
सकल (मराठी दैनिक)	पूना	४७,५२६
मराठा („ „)	वम्बई	३५,३५०
नवशक्ति („ „)	वम्बई	२७,६३८
तरुण भारत („ „)	नागपुर और पूना	२२,६२४
लोकमित्र („ „)	वम्बई	२०,२०८
मराठी सावधिक पत्र		
लोकराज्य (मराठी साप्ताहिक)	वम्बई	४१,५६६
स्वराज्य („ „)	पूना	३१,२६०
केसरी (मराठी द्विदैनिक)	पूना	२७,१५१
चन्दोबा (मराठी मासिक)	मद्रास	३५,५८७

उर्दू दैनिक

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
मिलाप (दैनिक)	दिल्ली, जलंधर और हैदरावाद	३५,०८६
प्रताप (,,)	जलंधर और दिल्ली	३१,३५६

भारत में सिनेमा-पत्रों की संख्या

पत्र	संख्या	पत्र	संख्या
अँगरेजी	३८	उर्दू	२०
तमिल	३३	बँगला	२०
हिन्दी	३१	तेलुगु	१४

दैनिक और सावधिक पत्र

(जिनकी प्रचार-संख्या १६५६ ई० में २०,००० से ५०,००० थी)

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
अँगरेजी दैनिक		
मेल (अँगरेजी दैनिक)	मद्रास	४२,५६६
हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (,, ,,)	कलकत्ता	४०,००७
केराला कौमुदी (अँग० और मलयालम दैनिक)	त्रिवेन्द्रम्	३४,११५
ट्रिब्यून (अँगरेजी दैनिक)		२८,६८७
देक्कन हेराल्ड (,, ,,)	बंगलोर	२५,२६३
इंडियन नेशन (,, ,,)	पटना	२१,३३०
अँगरेजी सावधिक पत्र		
पिपुल्स राज (अँगरेजी साप्ताहिक)	बम्बई	४१,५६६
स्पोर्ट्स एराड पासटाइम (,, ,,)	मद्रास	२७,१५४
ऐक्स (अँग० साप्ताहिक)	बम्बई	२२,२७६
तमिलनाड टाइम्स (अँगरेजी पाक्षिक)	मद्रास	२७,२६८
भवन्स जरनस (अँग० पाक्षिक)	बम्बई	२६,८३६
फेमीना (अँग० पाक्षिक)	बम्बई	२३,३८६
जरनल आफ दी इंडियन (अँग० पाक्षिक) मेडिकल एसोसियेशन	कलकत्ता	२१,३३२
जरनल ऑफ दी इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (अँग० पाक्षिक)	कलकत्ता	२७,५४४
कैरियर एराड कोर्सेज (अँगरेजी मासिक)	दिल्ली	२७,५३१
हिन्दी दैनिक		
विश्वमित्र (हिन्दी दैनिक)	कलकत्ता	३६,३००
जागरण (,, ,,)	रीवाँ, इन्दौर और भोपाल	३७,३८८

पत्र का नाम	प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
आर्यावर्त (हिन्दी दैनिक)	पटना	२६,८५०
नवभारत (,, ,,)	जबलपुर, नागपुर और भोपाल	२१,२६१
नवप्रभात (,, ,,)	इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और गया	२४,६६८

हिन्दी सावधिक पत्र

पत्र का नाम		प्रकाशन-स्थान	प्रचार-संख्या
लोकराज्य	(हिन्दी साप्ताहिक	बम्बई	४१,५६६
चित्र-भारती	(,, ,,)	कलकत्ता	३६,०४१
पराग	(हिन्दी मासिक)	बम्बई	४४,१६२
शिक्षा-संदेश	(,, ,,)	बरौत	३६,६६६
चित्र-भारती	(,, ,,)	कलकत्ता	३८,३२२
जीवन-शिक्षा	(,, ,,)	वाराणसी	३५,२४६
धरती के लाल	(,, ,,)	दिल्ली	३५,०००
हिन्दी-प्रचारक	(,, ,,)	वाराणसी	३४,२००
मनोरमा	(,, ,,)	इलाहाबाद	२८,७६१
धर्म एण्ड फिल्म	(,, ,,)	दिल्ली	२७,३३३
रंगभूमि	(,, ,,)	दिल्ली	२६,४३८
सरिता	(,, ,,)	दिल्ली	२६,१६६
कहानी	(,, ,,)	इलाहाबाद	२४,६२४
नवनीत (हिन्दी डायजेस्ट)	(हिन्दी मासिक)	बम्बई	२२,५५८
चुन्नू-मुन्नू	(हिन्दी मासिक)	पटना	२१,७६२
नवचित्र पट	(,, ,,)	दिल्ली	२१,०६५
रास-भेरी	(,, ,,)	दिल्ली	२०,६६६
रेखा	(,, ,,)	नागपुर	२०,१८८

सन् १६५६ ई० मे विभिन्न भाषाओं के पत्रो की प्रचार-संख्या

पत्र	हजार की संख्या में	प्रतिशत
अँगरेजी	३६६७	२३·२
हिन्दी	३५५३	२०·६
तमिल	२१२५	१२·३
गुजराती	११५६	६·७
मराठी	१०५४	६·१
उर्दू	१०४७	६·०
बँगला	६२३	६·०
मलयालम	८०१	४·७
तेलुगु	६६३	३·८

सन् १९५९ में विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों की प्रतिशत संख्या

पत्र	प्रतिशत	पत्र	प्रतिशत
अँगरेजी	२०·३	गुजराती	६·९
हिन्दी	१८·८	बँगला	६·६
उर्दू	८·२	मराठी	५·३

सन् १९५९ में विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों (सावधिक पत्र-सहित) की संख्या

सन्	संख्या	सन्	संख्या
१९५७	५,९३२	१९५९	७,६५१
१९५८	६,९१८	दो वर्षों में वृद्धि—२९ प्रतिशत	

सन् १९५९ में समाचारपत्रों का भाषानुसार प्रचार-वृद्धि

भाषा	प्रतिशत	भाषा	प्रतिशत
असमिया	२६·८	बँगला	१०·३
तमिल	१८·३	मलयालम	९·३
मराठी	१६·३	अँगरेजी	९·०
पंजाबी	१५·४	गुजराती	७·७
हिन्दी	११·८	उड़िया	७·४
तेलुगु	१०.६	उर्दू	६·९
		कन्नड	५·२

समाचार-पत्रों और सावधिक पत्रों की कुल प्रचार-संख्या

दैनिक	लाख में	पाक्षिक	लाख में
१९५८	३८·५४	१९५८	१४·६९
१९५९	४३·६१	१९५९	१७·०८
मासिक		**त्रैमासिक और छमाही**	
१९५८	५२·९८	१९५८	६·२२
१९५९	५६·२२	१९५९	७·२३
साप्ताहिक		**वार्षिक**	
१९५८	३६·२०	१९५८	२·१६
१९५९	४१·९४	१९५९	२·१९

सन् १९५९ में प्रान्तवार समाचार-पत्रों का वितरण

आन्ध्रप्रदेश	३५०	पंजाब	५६७
आसाम	५६	राजस्थान	२३९
बिहार	१६८	उत्तरप्रदेश	९१५
बम्बई	१,९८५	पश्चिम बंगाल	१,०६३
केरल	३१९	दिल्ली	७४४
मध्यप्रदेश	२१०	हिमाचल-प्रदेश	५
मद्रास	७५७	मणिपुर	२६
मैसूर	३४५	त्रिपुरा	१२
उड़ीसा	१४१	अंडमान निकोबार	१

उपर्युक्त सभी आँकड़े भारतीय समाचार-पत्र के निबंधक (रजिस्ट्रार) की, सन् १९५९ की रिपोर्ट के आधार पर दिये गये हैं।

पर्व-त्यौहार

हिन्दू-पर्व

हिन्दूधर्म एक समन्वयात्मक धर्म है। इसमें एक ईश्वर की सत्ता सर्वमान्य है, जिसके प्रतिपादक वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति आदि हैं। एकेश्वर-सिद्धान्त की मान्यता रहने पर भी धर्म की परिभाषा और मान्यता में इतनी स्वतन्त्रता है कि उपास्य देवों और प्रतिपादक ग्रन्थों का बाहुल्य हो गया। वस्तुतः, हिन्दूधर्म जीवन की विस्तृत परिभाषा का कार्यक्षेत्र है, अतएव इसमें अनेक विविधताएँ हैं। इसमें विभिन्न सम्प्रदायों, अनेक उपास्य देवों और विविध रस्म-रिवाजों के कारण पर्व-त्यौहारों की भी बहुलता हो गई है। वर्ष के बारहों महीनों में कोई ऐसा मास या पक्ष नहीं है, जिसमें दो-चार पर्व-त्यौहार न आते हों। इन पर्वों में कुछ तो सार्वदेशिक और सार्वसाम्प्रदायिक होते हैं और कुछ प्रान्तीय, स्थानीय या तत्तत् सम्प्रदायों से सम्बद्ध। सार्वदेशिक पर्व ऐसे हैं, जो भारत के इस विशाल प्रागण में सर्वत्र एक साथ मनाये जाते हैं और इनसे संपूर्ण भारत की सास्कृतिक एकता और एक-राष्ट्रीयता झलकती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध सार्वदेशिक एवं प्रान्तीय पर्वों के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं—

रामनवमी—यह पर्व चैत्र-शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इसी दिन मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का जन्म हुआ था। इस दिन प्रायः १२ बजे दिन तक उपवास रखकर लोग पूजा-पाठ करते हैं और मध्याह्न में राम-जन्मोत्सव मनाकर विशेष पक्वान्न आदि खाते हैं। यह पर्व सामान्यतः हिन्दू-मात्र में और विशेषतः वैष्णव सम्प्रदायों में प्रचलित है। बिहार-राज्य में इस दिन मन्दिर या ओगन में या किसी पवित्र स्थान पर ध्वजा गाड़ने की भी प्रथा है। इस ध्वजा पर महावीर हनुमान् की आकृति चित्रित रहती है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वासन्तिक नवरात्र भी मनाया जाता है। इसमें कहीं दुर्गा-सप्तशती का पाठ और कहीं भगवान् राम की पूजा तथा रामायणादि का पाठ होता है।

मेष-संक्रान्ति—इसे बिहार प्रदेश में 'सतुआनी', 'सतुआ-संक्रान्ति', या 'सिरुआ-बिसुआ' तथा उत्तरप्रदेश में 'बिखा' और पंजाब में 'बैशाखी' कहते हैं। पंजाब तथा पश्चिमी प्रदेशों में एवं बंगाल और नेपाल में इसी दिन से नववर्षारम्भ मानते हैं। उत्तर-भारत में इस पर्व का पूरा प्रचलन है। इस दिन नवान्न-भक्षण का उत्सव मनाया जाता है। इसमें नये जौ-चने का सत्तू, आम आदि मौसमी फल, पंखा और नये घड़ों का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी प्रदेशों में यह घर-घर में मनाया जाता है। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका सामाजिक रूप है और इस दिन प्याऊ पर पानी-शरबत और फल आदि से लोगों का आदर-सत्कार किया जाता है।

महावीर-जयन्ती—जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ था। ये अन्तिम जैन तीर्थंकर माने जाते हैं। चैत्र-शुक्ल त्रयोदशी को जैन लोग सर्वत्र इनकी जयन्ती धूमधाम से मनाया करते हैं। इसी अवसर पर इनकी जन्मभूमि वैशाली (मुजफ्फरपुर) में प्रतिवर्ष वृहत् समारोह का आयोजन होता है।

वैशाख-पूर्णिमा—वैशाख-पूर्णिमा को आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। बौद्धधर्म में इन

दिन महान् उत्सव का विधान है। श्रीलंका, वर्मा, थाइलैंड आदि बौद्ध देशों में यह राष्ट्रीय पर्व है। सन् १९५६ ई० के वाद इस पर्व को भारत-सरकार ने अखिलभारतीय स्तर का घोषित कर इस दिन को सार्वजनिक अवकाश का दिन निर्धारित कर दिया है।

गंगा-दशहरा—ज्येष्ठ-शुक्ल दशमी के दिन गंगा-जन्मोत्सव और गंगा दशहरा-पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगास्नान तथा गंगापूजा सामूहिक और वैयक्तिक रूप से की जाती है। कहते हैं कि इस दिन से गंगा नदी में पानी वढने लगता है।

नाग-पंचमी—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पंचमी को पड़ता है। इस दिन उत्तर भारत के प्राय. सभी राज्यों में नाग की पूजा होती है और उन्हें दूध-लावा या अन्य वस्तुएँ चढ़ाई जाती हैं। घरों में गोवर और चूना की रेखाएँ खींची जाती हैं और उनपर गोवर, चूना, सिन्दूर आदि डाले जाते हैं। वाराणसी में प्रचलित रीति के अनुसार इस दिन नाग के चित्रों की खरीद-विक्री होती है और सुवह से ही वच्चे नाग-चित्रों को गली-गली में घूमकर बेचा करते हैं। काशी के परिडत उस दिन अपराह्ण में नागकूप पर एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते हैं। उनके वीच यह वात प्रसिद्ध है कि यह दिन व्याकरण के महाभाष्यकार पतञ्जलि की स्मृति का है। यह प्राचीन काल की नाग-पूजा की स्मृति का अवशेष-मात्र है।

रक्षा-बन्धन—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पूर्णिमा को पड्ता है। इसे राखी-पर्व भी कहते हैं। इसका महत्त्व उत्तर-भारत के सभी राज्यों में है। इस दिन पुरोहित राखी के सूत्र लेकर घर-घर जाते हैं तथा लोगों को वाँधते हैं और उसके वदले में दक्षिणा पाते हैं। पश्चिमी प्रदेशों मे यह भाई-वहन का पर्व है और वहनें अपने भाइयों को राखी वाँधा करती हैं। यदि भाई कहीं दूर हो, तो राखी डाक द्वारा भेजी जाती है। इसके वदले मे भाई अपनी वहन को यथाशक्ति पुरस्कार देता है। प्रवाद है कि मुगलों के समय मे वहुत-सी हिन्दू-ललनाओं ने मुसलमानों को भाई मानकर राखी वाँधी थी और उन मुस्लिम भाइयों ने अपनी हिन्दू-वहनों की रक्षा की थी। प्राचीन काल में इस दिन उपाकर्म-विधि होती थी और आचार्य अपने शिष्यों को वेदों का पढ़ाना आरम्भ करते थे। सम्भव है, उसी का यह स्मृति-शेष हो।

कृष्णाष्टमी—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है और प्राय. सम्पूर्ण भारत में भाद्र-कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आज से ५००० वर्ष पूर्व इसी तिथि को वसुदेव के घर भगवान् कृष्ण का अवतार हुआ था। हिन्दू-समाज में इनकी पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप मे होती है। कुछ लोग इन्हें ईश्वर का अवतार ही मानते हैं। इस दिन दिन-भर उपवास रखा जाता है और १२ वजे रात्रि में चन्द्रोदय के समय लोग भगवान् कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं और मूर्त्ति को भूला पर भुलाते हैं। मथुरा और वृन्दावन में इसका सर्वाधिक महत्त्व है।

हरितालिका-व्रत—यह भाद्र-शुक्ल तृतीया को पड़ता है। इसे 'तीज' भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियाँ व्रत-उपवास करके पति के मंगलार्थ शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। स्त्रियों का यह एक महत्त्वपूर्ण पर्व है और सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसे जीवन-भर निभाती हैं।

अनन्त-चतुर्दशी—यह भाद्र-शुक्ल-चतुर्दशी के दिन पड़ता है। इस दिन मध्याह्न तक उपवास करके अनन्त भगवान् (विष्णु) की पूजा की जाती है और किसी पात्र में दूध रखकर उसमे क्षीर-सागर की कल्पना करके अनन्त-सूत्र की खोज की जाती है। पश्चात्, वही अनन्त-

सूत्र बाँह में पहना जाता है। यह पर्व भी उत्तर-भारत का है और न्यूनाधिक रूप में सभी प्रदेशों में मनाया जाता है। अनन्त-व्रत की कथा और पूजा कहीं व्यक्तिगत और कहीं-कहीं सामूहिक रूप मे होती है।

गणेश-चतुर्थी—यह भाद्र-शुक्ल चतुर्थी को पड़ती है। महाराष्ट्र में इसे गणेश या गणपति-चतुर्थी कहते हैं और उत्तर-भारत में 'चौथचन्दा' या 'चौकचन्दा'। महाराष्ट्र में यह एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन गणेश की प्रतिमा की स्थापना और पूजा की जाती है। गणेश-मन्दिरों मे धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और प्रदर्शन के साथ मूर्त्ति का विसर्जन होता है। उत्तर-भारत में इस दिन शाम को स्त्रियाँ चन्द्रमा को अर्घ्यदान दे फल-मिष्टान्न से पूजा करती हैं। इस दिन के विषय में श्रीकृष्ण और स्यमन्तक मणि की कथा कही जाती है। लोगों का विश्वास है कि इस दिन चाँद को देखने से अकारण ही दोषों का आरोप होता है। कहीं-कहीं लोग गालियाँ सुनने के लिए किसी के छप्पर आदि पर कुछ फेंक दिया करते हैं। माना जाता है कि गालियों से दोष का निवारण हो जाता है। बिहार और उत्तर-प्रदेश मे प्राइमरी स्कूलों के अन्दर लड़के गणेश की पूजा करके डंडा खेलते हैं और शिक्षक लड़कों को लेकर घर-घर जाते हैं तथा लड़कों को खेलाकर अभिभावकों से कुछ दक्षिणा पाते हैं।

महालया—यह आश्विन के कृष्ण-पक्ष में पड़ती है और पूरे एक पक्ष तक लोग इसे मनाते है। इसे पितृपक्ष या श्राद्ध-पक्ष भी कहते हैं। १५ दिनों के अन्दर प्रतिदिन या कभी एक दिन भी प्रायः सभी हिन्दू-गृहस्थ अपने मृत पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं और उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराते हैं। एक पक्ष-भर गया में एक बड़ा मेला लगा रहता है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों से हिन्दू लोग यहाँ आकर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। विश्वास है कि यदि मृत पितरों का गया-श्राद्ध नहीं होता है, तो उन्हें मुक्ति या स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती है।

जीवत्पुत्रिका—इसे लोकभाषा में 'जिउतिया' या 'जितिया' कहते हैं। यह स्त्रियों का पर्व है। इस दिन स्त्रियाँ अपनी संतान के कुशल-क्षेम के लिए उपवास रखती हैं और जीमूत-वाहन की कथा कहती-सुनती हैं। प्रायः सभी संतानवती नारियाँ इस व्रत को अनिवार्य रूप से किया करती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गहरी विपत्ति से बच जाता है, तो कहा जाता है कि माँ ने 'खर-जिउतिया' किया था। स्त्रियों में इस व्रत का बहुत बड़ा महत्त्व और प्रतिष्ठा है।

दशहरा—इसे 'नवरात्र', 'दुर्गापूजा' या केवल 'पूजा' भी कहते हैं। यह संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है। यह पर्व आश्विन-शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक मनाया जाता है। अष्टमी, नवमी और दशमी—ये तीन दिन अधिक महत्त्व और चहल-पहल के होते हैं। पंडित लोग सर्वत्र इन दिनों महासरस्वती की प्रतिष्ठा और पूजा करते हैं। पुस्तकों की भी पूजा होती है और तीन दिनों तक पूर्ण अनध्याय करके वे 'सरस्वती-शयन' मनाया करते हैं। यह सरस्वती-शयन भारत के दक्षिणी और उत्तरी दोनों भागों में मनाया जाता है। मन्त्र-सिद्धि करनेवाले तान्त्रिक इन नौ दिनों में अपने-अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए जप आदि किया करते हैं। विजयादशमी के दिन देवी की मूर्ति का विसर्जन, सीमान्त-गमन, नीलकंठ-दर्शन और शमी-पूजन होता है। नवरात्र का महत्त्व बंगाल, आसाम, उड़ीसा और

बिहार में बहुत अधिक है। टोले-मुहल्लों और गाँवों में मूर्त्ति की प्रतिष्ठा, पूजा और बलि धूम-धाम से होती है। मूर्त्ति प्रायः महिषासुरमर्दिनी वीरवेषा देवी दुर्गा की बनती है, जिसमें भैंसे के आधे शरीर के साथ ढाल-तलवार लिये महिषासुर की भी मूर्त्ति होती है। साथ में नौ दुर्गाएँ भी होती हैं और कार्त्तिक, गणेश आदि भी रहते हैं। भारत के पश्चिमी राज्यों में दशमी के दिन रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद की मूर्तियाँ बनाकर उनमें आग लगाई जाती है। इस अवसर पर सर्वत्र रामलीला की जाती है। किन्तु वाराणसी के रामनगर की रामलीला अति प्रसिद्ध है। यह एक अखिलभारतीय उत्सव होता है, जिसमें साधु-संत और दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ एकत्र होती है।

भरत-मिलाप—यह आश्विन-शुक्ल एकादशी को पड़ता है। चूँकि दशमी को रावण-वध होता है, अतः एकादशी के दिन राम वन से लौटकर आते हैं और शृंगवेरपुर में भरत से मिलते हैं। इसी उपलक्ष्य में इस दिन भरत-मिलाप का दृश्य दिखाया जाता है। यह हर्षोल्लास और समारोह के साथ मनाया जाता है और पूर्व से चली आ रही रामलीला भी इस दिन समाप्ति हो जाती है।

काशी-नरेश की ओर से होनेवाले 'नाटी इमली' (वाराणसी) का भरत-मिलाप भारत-प्रसिद्ध है। रामलीला मैदान (दिल्ली) का भरत-मिलाप भी बहुत प्रसिद्ध है।

कौमुदी-महोत्सव—यह एक प्राचीनकालीन महोत्सव है, किन्तु अब इसे लोग भूल-से गये हैं। फिर भी, साहित्यिक समाज इसको पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है। स्थान-स्थान पर इसे समारोहपूर्वक मनाने का आयोजन किया जा रहा है। यह आश्विन-शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन रात्रि को चाँदनी में पायस आदि बनाकर रखा जाता है, मूर्त्ति को चाँदनी में झुलाया जाता है और बारह बजे रात्रि में भोग-राग लगाकर प्रसाद-वितरण होता है।

दीवाली—यह पर्व कार्त्तिक-अमावस को पड़ता है। इस दिन प्राय सम्पूर्ण भारत में घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी-पूजा होती है और दीपोत्सव मनाया जाता है। व्यापारी इस दिन अपने बही-खातों को बदलकर नये नर्ष का हिसाब शुरू करते हैं। व्यापारी-वर्ग के लिए यह पर्व विशेष महत्त्वपूर्ण है। दीपावली की रात में बिहार के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में लोग सन की संठियों में आग लगाकर 'हुक्का-पॉती' खेलते हैं। 'हुक्का-पोती' शब्द 'उल्का-पंक्ति' का अपभ्रंश है। जनश्रुति है कि मर्यादापुरुषोत्तम राम की लंका-विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दीवाली मनाई जाती है। इसके पूर्व त्रयोदशी तिथि को धन्वन्तरि-जयन्ती और चतुर्दशी को नरक-चतुर्दशी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दीवाली के दूसरे दिन गोवर्धन-पूजा और अन्नकूट-उत्सव होता है। बिहार में इस दिन मवेशियों को साज-सँवारकर पशु-क्रीडा का उत्सव मनाया जाता है।

भ्रातृ-द्वितीया—इसे 'भैया-दूज' भी कहते हैं। यह कार्त्तिक-शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। यह भाई-बहन का त्यौहार है। इस दिन बहन भाई को टीका लगाकर मिष्टान्न खिलाती है और भाई उसे पारितोषिक देता है। इसका प्रचलन उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में अधिक है।

कहा जाता है कि इसी दिन यमी ने अपने भाई यम की पूजा-प्रतिष्ठा की थी और तभी से यह पर्व चालू है। राजस्थान में इसे 'टिक्का' कहते हैं।

चित्रगुप्त-पूजा—कार्त्तिक-शुक्ल द्वितीया को ही चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन दावात-कलम की भी पूजा होती है; इसलिए इसे दावात-पूजा भी कहते हैं। इस पर्व का प्रचलन कायस्थ-जाति में ही है।

अक्षय नवमी—कार्त्तिक-शुक्ल नवमी के दिन आँवले के पेड के नीचे भोजन, धात्रीफल और कूष्माड आदि का गुप्तदान एवं भोजन इस पर्व की मुख्य प्रक्रियाएँ हैं। यह प्रथा अव कम होती जा रही है।

छठ—कार्त्तिक-शुल्क षष्ठी को सूर्य-व्रत किया जाता है। विहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग मे इसका प्रचलन वहुत है। कई जगहों में चैत मास में भी छठ-व्रत किया जाता है।

देवोत्थान—यह कार्त्तिक-शुक्ल एकादशी को पडता है। समझा जाता है कि इस दिन भगवान् विष्णु चार मास शयन के पश्चात् जगते हैं। अत, उनके उठने के दिन देवोत्थान-पर्व मनाया जाता है। विहार में इस दिन सायंकाल ऊख, नया गुड एवं रस, सुथनी, शकरकंद आदि से भगवान् की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। इसी दिन से ऊख का चूसना तथा गुड़ आदि का वनाना प्रारम्भ होता है। इससे चार मास पूर्व आषाढ-शुक्ल एकादशी को मन्दिरों में हरिशयनी व्रतोत्सव मनाते हैं। साधु लोग हरिशयनी से देवोत्थान तक चातुर्मास मनाते हैं और इस अवधि मे वे कहीं एक ही स्थान में रहते हैं।

गोपाष्टमी—गोपाष्टमी कार्त्तिक-शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन गाय-वैल को नहला-धुलाकर और तेल-सिंदूर आदि से सजाकर उनकी पूजा की जाती है तथा उत्सव मनाया जाता है। पिंजरापोलों और गोशालाओं में यह उत्सव विशेष धूमधाम से होता है। मथुरा-वृन्दावन का यह विशिष्ट त्यौहार है।

कार्त्तिक-पूर्णिमा—इस दिन जगह-जगह गंगा-स्नान और दान होता है। विहार में इसका विशेष महत्त्व है। इसी दिन सोनपुर का संसार-प्रसिद्ध मेला लगता है और हरिहरनाथ महादेव की पूजा होती है।

विवाह-पंचमी—अगहन-शुक्ल पंचमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसका प्रचलन मिथिला और अयोध्या के वैष्णवों में अधिक है। जनकपुर में इस समय मेला लगता है और पंचकोशी परिक्रमा की जाती है। कहते हैं, इसी दिन भगवान् राम और महारानी सीता का विवाह-संस्कार हुआ था।

तिल-संक्रान्ति—तिल-संक्रान्ति या मकर-संक्रान्ति दोनों एक ही हैं। चूँकि, मकर-संक्रान्ति के दिन तिलदान, तिलस्नान और तिल-भोजन शुभ माना जाता है, इसलिए इसे तिल-संक्रांति भी कहते हैं। यह पूस-माघ महीने में १३ या १४ जनवरी को पड़ता है। प्रयाग में प्रायः एक मास के लिए भारत के विभिन्न भागों के लोग आकर रहते हैं और संगम पर स्नान-दान किया करते हैं।

कुम्भ-पर्व—यह माघ महीने में होता है। हर छठे वर्ष अर्द्धकुम्भ और बारहवें वर्ष कुम्भ या महाकुम्भ पर्व होता है। प्रयाग, हरद्वार, उज्जैन और नासिक में इस अवसर पर बड़े मेले लगते हैं और लाखों हिन्दू आकर स्नान करते हैं। मेला एक महीने तक लगा रहता है।

सरस्वती-पूजा—सरस्वती-पूजा या वसन्त-पंचमी माघ-शुक्ल पंचमी को पड़ती है। इसमें सरस्वती-पूजा, बालकों का अक्षरारम्भ, नवीन हल-कर्षण आदि कार्य किये जाते हैं। बंगाल-बिहार में इस पर्व के दिन सरस्वती की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन और विसर्जन करते हैं। पंजाब में इस दिन पीला हलुआ आदि खाने, पीले वस्त्र पहनने और पीली गुड्डी उड़ाने का अधिक प्रचलन है। वसंत का आरम्भ इसी दिन से माना जाता है।

माघी पूर्णिमा—कार्त्तिक-पूर्णिमा की तरह माघ की पूर्णिमा भी पवित्र पर्व मानी जाती है और इस दिन सर्वत्र तीर्थों में स्नान-दान किया जाता है। प्रयाग, वाराणसी और हरद्वार में इसका विशेष उत्सव होता है।

शिवरात्रि—यह पर्व फाल्गुन-कृष्ण त्रयोदशी को पड़ता है। यह भगवान् शिव और पार्वती का विवाह-दिन समझा जाता है। पशुपतिनाथ (काठमाडू, नेपाल), विश्वनाथ (काशी) वैद्यनाथ (देवघर), महाकालेश्वर (उज्जैन) आदि प्रधान शिव-मंदिरों में धूमधाम से पूजन आदि होते हैं।

होली—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है। यह फाल्गुन-पूर्णिमा को पड़ती है और प्रायः लगातार तीन दिनों तक इसका उत्सव होता रहता है। यह एक राष्ट्रीय एवं उत्साह-उमंग का पर्व है। इस दिन छूटकर लोग एक-दूसरे पर रंग-अबीर डालते हैं और पक्वान्न-मिष्टान्न खाते-पीते हैं।

होलिका-दहन पूर्णिमा की रात्रि के अन्तिम प्रहर में होता है। इसे उत्तरी भारत में 'संवत् जलाना' भी कहते हैं। होलिका-दहन के पश्चात् रजोत्सव (धुरखेल) प्रारम्भ होता है। कहीं होली जलाने के एक दिन बाद धूलि-वंदन और रंग-अबीर-क्रीड़ा होती है और कहीं एक दिन पहले से ही।

यह पर्व वसन्त और शस्य दोनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही, उत्तर भारत में प्रचलित वर्ष-गणना के अनुसार वर्षान्त होने के कारण भी यह वर्षान्त-पर्व है।

मुस्लिम-पर्व

ईद—इसे 'रमजान की ईद' या 'इदुलफितर' कहते हैं। यह रमजान महीने का अन्त होने पर दूज के चाँद के दर्शन के बाद मनाई जाती है। इस दिन सभी मुसलमान प्राय नये-नये कपड़े पहनकर मस्जिद में या किसी बड़े मैदान में एकत्र होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। इस दिन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है।

बकरीद—इसे 'इदुज्जोहा' भी कहते हैं। यह अब्राहम के बलिदान की स्मृति में मनाई जाती है। कहते हैं कि अब्राहम को ईश्वर की आज्ञा हुई कि अपने पुत्र इस्माइल का बलिदान कर दे। उसने ऐसा ही किया। किंतु, जब ऊपर से चादर हटाई गई, तो इस्माइल जीवित निकला और उसकी जगह पर एक कटी मेड़ पाई गई। मुसलमान इस पर्व के दिन भेड़ों और बकरों की कुरबानी करते हैं।

मुहर्रम—यह मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे केवल शिया-मुसलमान मनाते हैं। यह मुहम्मद के नाती हसन इमाम साहब के बलिदान की स्मृति में १० दिनों तक मनाया जाता है। हसन इमाम अपने को पैगम्बर साहब का उत्तराधिकारी बताते थे, जबकि दूसरी ओर मजीद खलीफा बना दिये गये थे। इसी बात पर वहाँ युद्ध छिड़ गया और दोनों दल की सेना दमिश्क के कर्बला नामक मैदान में जुटी। घनघोर युद्ध के बाद हसन साहब की पराजय हुई और वे सपरिवार मारे गये। उन्होंने अन्तिम समय में पानी के बिना तड़प-तड़पकर अपने प्राण छोड़े। तभी से उनकी स्मृति में यह बलिदान-दिवस मनाया जाता है। प्रतीक के रूप में मुसलमान ताजिया निकालते हैं, जिसे प्रदर्शन के बाद एक निश्चित स्थान में दफना दिया जाता है।

चेहल्लुम—मुहर्रम के ४०वें दिन सफर महीने की २०वीं तारीख को चेहल्लुम मनाया जाता है। इस अवसर पर भी मुसलमान ताजिया निकालते हैं और उसे दफनाते हैं।

शबे-बरात—यह शाबान की १६वीं तारीख को मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस रात सभी मनुष्यों के कर्मों की जाँच-पड़ताल होती है और उनके कर्मानुसार उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है। इस दिन आतिशबाजी आदि की जाती है और खुशियाँ मनाई जाती हैं।

आखिरी चहार शुम्मा—सफर के बुधवार को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन पैगम्बर साहब अन्तिम रोग-शय्या पर पड़े-पड़े थोड़ा स्वस्थ हो गये थे। यह उसी की स्मृति का पर्व है।

बारा-वफात—इसे ईदे मिलाद भी कहते हैं। रबी-उल-अव्वल महीने की १२वीं तारीख को यह पर्व पड़ता है। पैगम्बर साहब (५७० ई० से ६३२) के पवित्र जन्म और मृत्यु की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है।

ईसाई-पर्व

नव वर्ष-दिवस—पहली जनवरी को ईसवी-सन् का नव वर्ष-दिवस मनाया जाता है।

कैंडलमास दिवस—यह २ फरवरी को होता है। इसे कुमारी मेरी की पवित्रता की स्मृति में मनाते हैं। रोमन कैथोलिकों के चर्चों में यह एकान्त रूप से मनाया जाता है।

ईस्टर—यह ईसाइयों का प्रधान पर्व है। इस समय ईसामसीह पुनरुज्जीवित हुए थे। यह २२ मार्च और २५ अप्रैल के बीच पड़ता है।

गुड-फ्राइडे—ईस्टर के रविवार के ठीक पहले पड़नेवाले शुक्रवार को यह पर्व मनाया जाता है।

फूल्स-डे—यह पहली अप्रैल को पड़ता है। इस दिन ईसाई एक-दूसरे से हँसी-मजाक करते हैं और एक-दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यह वसन्त का पर्व है। आजकल भारत में दूसरे लोगों में भी यह प्रचलित हो गया है।

क्रिसमस-दिवस—यह ईसामसीह के जन्म-दिवस से सम्बद्ध पर्व है। यह दिसम्बर की २५वीं तारीख को पड़ता है। ईसाइयों का यह महत्त्वपूर्ण पर्व है। इस दिन लोग उत्सव मनाते हैं, उपहार और बधाइयाँ दी जाती हैं।

राष्ट्रीय पर्व

गणतन्त्र-दिवस—२६ जनवरी (१६२६ ई०) को लाहौर के कॉंगरेस-अधिवेशन मे 'पूर्ण स्वतंत्रता' का प्रस्ताव पास किया गया था और स्वतंत्र होने के पहले इस दिन 'स्वतंत्रता-दिवस' का समारोह मनाया जाता था। किन्तु १६५० ई० की २६ जनवरी को नवीन संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता-प्राप्त जनतन्त्र की प्रतिष्ठा की घोपणा की गई। तब से यह तिथि जनतन्त्र-दिवस या गणतन्त्र-दिवस के रूप में मनाई जाने लगी।

स्वतन्त्रता-दिवस—१५ अगस्त (१६४७ ई०) को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और यहाँ प्रभुसत्ता प्राप्त प्रजातन्त्र स्थापित किया गया। तब से इस दिन भारत के प्रत्येक राज्य में स्वतन्त्रता-दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्वतन्त्रता-संघर्ष में शहीद हुए व्यक्तियों को श्रद्धाजलि अर्पित की जाती है। यह भी राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन सर्वत्र छुट्टी रहती है।

प्रान्तीयपर्व

कश्मीर

शिवरात्रि—कश्मीरी लोग शिवरात्रि को 'हेरथ' कहते हैं। इस दिन शिव-पार्वती के विवाहोत्सव का समारोह होता है।

नौ-रोज—चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा के दिन का 'नववर्ष का उत्सव' यहाँ 'नौ-रोज' कहलाता है।

किच्छ-मावस—पूस महीने में होनेवाला यह कुत्तों का एक उत्सव है, जबकि लोग कुत्ते को माला आदि पहनाकर उनका स्वागत-सत्कार करते हैं। कश्मीरियों का विश्वास है कि इस दिन यक्ष अदृश्य रूप से कुत्ते आदि के रूप में घूमते हैं। यक्ष के सिर पर केवल एक सफेद टोपी देखी जा सकती है और जो इस टोपी को पा जाता है, वह यक्ष को अपने वश में कर लेता है और उससे जो चाहे, करा सकता है। इस दिन छप्पर पर स्वादिष्ट खिचड़ी का थाल रखा जाता है और समझा जाता है कि यक्ष आकर इसे खा लेगा।

पंजाब

लोरी—इसे लोहरी या 'लोरी' कहते हैं। यह पर्व माघ में मकर-संक्रान्ति के अवसर पर होता है। रात्रि में बड़ा घूर या कौरा जलाया जाता है और उसके चारों ओर लोग बैठकर लोक-गीत गाते हैं तथा उसमें नवीन अन्न, ईख आदि छोड़ते हैं। यह एक हेमन्तोत्सव है।

वैशाखी—सन् १६६६ ई० में मेष-संक्रान्ति के दिन गुरु गोविन्दसिंह ने 'खालसा-पंथ' की स्थापना आनन्दपुर में की थी और तब से सिक्खों के बीच इस दिन का महत्त्व बढ गया है। इस दिन प्रान्त-भर में समारोह के साथ उत्सव मनाया जाता है। यह नव वर्ष का पहला दिन होता है।

टिक्का—'भ्रातृ द्वितीया' या 'भैयादूज' को ही पंजाब मे टिक्का कहते हैं, क्योंकि बहन भाई को टीका लगाकर भोजन कराती है और स्वागत-सत्कार करती है।

गुरु नानक-जयन्ती—यह कार्तिक-पूर्णिमा को मनाई जाती है। सिक्ख-धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का यह जन्म-दिवस है। इस समय दो दिनों तक 'गुरुग्रंथ' साहब का अखंड पाठ होता है और समारोह के साथ भजन-कीर्तन, सभा, भोज आदि होते हैं।

गुरु गोविन्दसिंह-जयन्ती—यह पूस महीने में शुक्ल-सप्तमी को पड़ती है। यह भी अखिलभारतीय पर्व है और इसका आयोजन पंजाब से भी बढ़कर पटना (विहार) में होता है; क्योंकि गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-स्थान पटना ही है, जहाँ आज बहुत बड़ा गुरुद्वारा और संगत है।

इसी प्रकार, पंजाव में गुरु तेगबहादुर, गुरु अर्जुनदेव आदि की जयन्तियाँ भी यथासमय मनाई जाती हैं।

हिमाचल-प्रदेश

श्रावण का रविवार—इस दिन चंबा में, जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, 'मिंजर मेला' लगता है। इसमें पहले चंबा के राजा साहब तथा दूसरे राज्याधिकारी भी भाग लेते थे और सभी लोग जुलूस के रूप में रावी के किनारे जाकर मिंजर (एक रेशमी टुकड़ा और चाँदी) फेंकते थे, इस उद्देश्य से कि इसके साथ शहर की सभी आपद्-विपद् नदी में समा जायेगी। वे लोग एक भैंसे को वलि के रूप मे पानी में छोड़ देते थे।

दशहरा—भारत के दूसरे भागों की तरह यहाँ भी दशहरा मनाया जाता है। कुलू में वजौरा-नृत्य इस अवसर पर अवश्य होता है।

ज्वालामुखी—काँगड़ा जिले में ज्वालामुखी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ मेला लगता है। दशहरा के अवसर पर यहाँ पहाड़ी रीति-रस्म के साथ पूजा-पाठ होता है।

इसी प्रकार, इस प्रदेश के वैजनाथ, चिंतिपूर्णी आदि स्थानों में मेले लगते हैं और विशेष अवसरों पर पर्व मनाये जाते हैं।

दिल्ली

सैटे गुल फरोशन—हिन्दुओं और मुसलमानों का यह सम्मिलित मेला है। इसमें एक वड़े ताड़ के पंखे को फूलों से सजाकर मेहरोली ले जाया जाता है और वहाँ जाकर हिन्दू योगमाया-मंदिर में चले जाते हैं और मुसलमान ख्वाजा साहब की दरगाह में। वहाँ दोनों अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार धार्मिक कृत्य करते हैं।

उर्स हजरत निजामुद्दीन—हजरत निजामुद्दीन औलिया (१२३८—१३२४) साहब के नाम पर यह मेला लगता है। सभी प्रकार के मुसलमान इसमें सम्मिलित होते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ के तालाब के जल से सभी बीमारियाँ अच्छी हो जाती हैं।

उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश में सामान्यतः वे ही पर्व मनाये जाते हैं, जो अखिलभारतीय हैं। किन्तु कुछ स्थानीय पर्व भी हैं, जो अधिकतर मथुरा-वृन्दावन में ही मनाये जाते हैं।

रथोत्सव—यह उत्सव चैत्र मे वृन्दावन के श्रीरंग-मंदिर में मनाया जाता है।

गजोद्धार—श्रावण मे ग्राह से गज की मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है।

वनयात्रा—भादों में भगवान् कृष्ण के गोवर्द्धन पर्वत के धारण करने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान् कृष्ण ने इन्द्र के वृष्टि-कोप से जनता की रक्षा गोवर्द्धन धारण करके की थी।

कंस का मेला—मथुरा में ही यह उत्सव मनाया जाता है। यह कार्त्तिक मास मे होता है और कंसवध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

बिहार

सरहुल—यह आदिवासियों का प्रसिद्ध पर्व है, जो चैत्र-शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है।

आसाम

भोगली विहु—आसाम का यह पर्व पूस मास में धनकटनी के वाद मनाया जाता है। रात-भर लोग एक समारोह करते हैं और भैंसों को लड़ाते हैं।

रोंगली बिहु—यह चैत्र-शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे गोस विहु भी कहते हैं। यह नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर उनकी पूजा की जाती है।

रासलीला—कार्त्तिक में भगवान् कृष्ण के जन्म पर आधारित मणिपुरी नृत्य में रासलीला प्रस्तुत की जाती है।

बंगाल

गंगासागर-मेला—पूस के अंत में यह मेला लगता है। डायमंड हारवर से ४० मील आगे समुद्र में गंगासागर-संगम पर जाकर लोग स्नान-दान किया करते हैं।

उड़ीसा

रथयात्रा—आषाढ-शुक्ल द्वितीया को पुरी में रथयात्रा-उत्सव होता है। इसमें जगन्नाथजी की मूर्त्ति सर्वत्र रथ पर घुमाई जाती है। जगन्नाथ (कृष्ण) की मूर्त्ति के साथ वलभद्र और सुभद्रा की भी मूर्त्तियाँ रखी जाती हैं।

राजस्थान और मध्यप्रदेश

पुष्कर का मेला—कार्त्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर-क्षेत्र में यह मेला लगता है। पुष्कर-क्षेत्र अजमेर से ७ मील पर है। यहाँ ब्रह्माजी का मंदिर है। इस समय ऊँट और घोड़ों का भी मेला लगता है।

उर्स मोइनुद्दीन चिश्ती—फकीर मोइनुद्दीन चिश्ती महान् सिद्ध हो गये हैं। वे अजमेर में रहा करते थे और यहीं इनकी समाधि है। यहाँ सात दिनों तक उर्स का मेला लगता है। कहते हैं, बादशाह अकबर भी पैदल ही यहाँ आते थे और उर्स में सम्मिलित होते थे। आज भी भारत-पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों के मुसलमान इस उर्स में सम्मिलित होते हैं।

मैसूर

गोम्मटेश्वर-उत्सव—श्रवणवेलगोला-स्थित जैनसिद्ध आचार्य गोम्मटेश्वर की प्रस्तर-मूर्त्ति के पास जैनधर्मावलम्वी हजारों-हजार की संख्या में एकत्र होकर श्रद्धा-पुष्प चढ़ाते हैं। यह उत्सव प्रति १५ वर्ष पर एक वार होता है।

मद्रास-आंध्र

पोंगल—मकर-संक्रान्ति के समय यह पर्व मनाया जाता है और तीन दिनों तक चलता है। तमिलों का यह महत्त्वपूर्ण पर्व है। तीन दिनों में प्रथम दिन भोगि-पुंगल वनता है, जो इष्ट-

मित्रों को खिलाया जाता है। दूसरे दिन सूर्य-पुंगल बनता है, जिसकी बलि सूर्य को दी जाती है। इस दिन खीर बनती है। तीसरे दिन मत्तु-पुंगल बनता है, जिसकी बलि पशु-पक्षियों को दी जाती है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर फूल-घंटी आदि से सजाया जाता है। कहीं-कहीं बैलों को लड़ाया भी जाता है। इस उत्सव में इष्ट-मित्रों एवं अतिथियों को खिलाने-पिलाने की भी रीति है। यह उत्तर-भारत की तिल-संक्रान्ति जैसी ही है। यहाँ भी रात्रि में खिचड़ी खाई जाती है। पुंगल खिचड़ी को कहते हैं।

मदुराई नदी-उत्सव—वैशाखी पूर्णिमा को वैगाई नदी के तट पर सुन्दरेश (शिव) और मीनाक्षी देवी का विवाहोत्सव-समारोह होता है।

कावेरी नदी-उत्सव—यह भादो महीने में होता है। इस उत्सव मे ग्रामीण देव-मूर्त्तियों का जुलूस निकाला जाता है। चावल, दूध, माला, चूड़ी आदि के साथ नदी मे उनका विसर्जन कर दिया जाता है।

गोकुल-अष्टमी—मद्रास में कृष्ण-जन्माष्टमी को गोकुल-अष्टमी कहते हैं।

दशहरा—आश्विन के नवरात्र में प्रथम तीन दिनों तक लक्ष्मी-पूजा, दूसरे तीन दिनों तक शक्ति-पूजा और अंतिम तीन दिनों तक सरस्वती-पूजा होती है। आठवें या दसवें दिन अयोध्या-पूजा होती है। उस दिन अस्त्रों-शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। विजयादशमी को सरस्वती की पूजा और पुस्तकों एवं संगीत-वाद्यों की पूजा होती है। हैदराबाद में इस दिन बनजारों का नृत्य होता है, जो देखने योग्य होता है।

दीवाली—यहाँ उत्तर-भारत की तरह कार्त्तिक-अमावास्या के दिन दीवाली नहीं मनाई जाती है, बल्कि एक दिन पहले चतुर्दशी को ही।

कार्त्तिकी पूर्णिमा—मद्रास मे कार्त्तिक-पूर्णिमा के दिन दीवाली मनाई जाती है। इस सम्बन्ध में महाबली और भगवान् शंकर से संबद्ध अलग-अलग कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

वैकुण्ठ-एकादशी—पौष-शुक्ल एकादशी को 'वैकुण्ठ-एकादशी' कहते हैं। यह पर्व मोहिनी अप्सरा और राजा रुक्मागद की स्मृति में मनाया जाता है। श्रीरंगपट्टम् में यह उत्सव लगातार २० दिनो तक चलता है।

आग पर चलना—यह उत्सव भी वर्ष मे एक बार होता है। इसमें पुरोहित और आग पर चलनेवाला व्यक्ति जुलूस के साथ नदी मे स्नान करने जाता है और वहाँ से नाचते-गाते आकर मंदिर में २० हाथ लम्बे गड्ढे से होकर, जिसमें कोयला जलता रहता है, नंगे पैरों पार करता है। रात मे गाना-बजाना और उत्सव होता है।

ब्रह्मोत्सव—तिरुपति के मंदिर में आश्विन में और श्रीरंगम् के मंदिर में चैत्र और पौष में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का उत्सव मदुरा, काचीपुरम् और तिरुपति के मीनाक्षी-मंदिर में १० दिनों तक चलता है।

नव वर्ष के उपलक्ष्य में चैत्र में रथयात्रा-उत्सव होता है। यह मद्रास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पर्व है।

केरल

विशु—यह मलयाली लोगों का नववर्ष-दिवस है, जो अप्रैल मास में पड़ता है। इस दिन दान-पुण्य किया जाता है और समारोह के साथ सहभोज आदि होते हैं।

ओनाम—यह कृषि एवं फसल का त्यौहार है और मलायाली लोग इसे चार दिनों तक सहभोज, नौका-भ्रमण और नाच-गान के साथ मनाते हैं। यह भाद्र-शुक्ल, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को चार दिनों तक मनाया जाता है।

इसके साथ बलि और वामन की पौराणिक कथा भी जोड़ दी गई है। विश्वास है कि इस दिन बलि मर्त्यलोक में आते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं, जो उत्सव मनाकर उनकी शुभकामना करती है।

इस उत्सव में कथाकली नृत्य भी होता है। इसमें नावों की दौड़ का विशेष महत्त्व है। अरनमुलाइ और कोट्टायम् में नावों की दौड़ अत्यंत आकर्षक होती है। सैकड़ों मल्लाह अपनी नाव लेकर इसमें सम्मिलित होते हैं और नाव-चालन का सम्मिलित नाद श्रुति-सुखद होता है। सभी नावों पर सजी-सजाई लाल छतरी लगी रहती है; जिसमें सोने की अशर्फियाँ आदि भी लटकती रहती हैं। रात्रि में नायर-बालाएँ नृत्य करती हैं। यह केरल का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव है।

महापुरुषों की जयन्तियाँ

ईसामसीह	२५ दिसम्बर
कबीरदास	ज्येष्ठ-पूर्णिमा।
कालीदास, महाकवि	कार्त्तिक-शुक्ल एकादशी।
कृष्ण, भगवान्	भाद्रपद कृष्णाष्टमी।
गान्धी, महात्मा, मोहनदास करमचन्द	२ अक्तूबर।
गुरु गोविन्दसिंह	पौष-शुक्ल सप्तमी।
गुरु नानक	कार्त्तिक-पूर्णिमा।
जयप्रकाश नारायण	विजयादशमी।
जवाहरलाल नेहरू	१४ नवम्बर।
तुलसीदास, गोस्वामी	श्रावण-शुक्ल सप्तमी।
दयानन्द सरस्वती, महर्षि	शिवरात्रि।
धन्वन्तरि	कार्त्तिक-कृष्ण त्रयोदशी।
निराला, महाप्राण	माघ-शुक्ल वसन्त-पंचमी।
परशुराम, भगवान्	वैशाख-शुक्ल तृतीया।
प्रताप, महाराणा	ज्येष्ठ-शुक्ल तृतीया।
'प्रसाद', जयशंकर	माघ-शुक्ल दशमी।
प्रेमचन्द	श्रावण-कृष्ण दशमी।

बालगंगाधर तिलक, लोकमान्य	१ अगस्त।
बुद्ध, भगवान्	वैशाखी पूर्णिमा।
मदनमोहन मालवीय, महामना	२५ दिसम्बर।
महावीर, वर्द्धमान	चैत्र-शुक्ल त्रयोदशी।
महावीरप्रसाद द्विवेदी	३१ दिसम्बर।
मीराँ	वैशाख-शुक्ल द्वितीया।
मुहम्मद साहब	रबी-उल-अव्वल की १२वीं तारीख।
मैथिलीशरण गुप्त	३ अगस्त।
रविदास	माघी पूर्णिमा।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	वैशाख-शुक्ल द्वादशी।
राजेन्द्रप्रसाद, राष्ट्रपति	३ दिसम्बर।
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी	१८ फ़रवरी।
रामचन्द्र, भगवान्	चैत्र-शुक्ल नवमी।
रामतीर्थ, स्वामी	२२ अक्टूबर।
राहुल सांकृत्यायन	वैशाख-कृष्ण अष्टमी।
लाजपत राय, लाला	१७ नवम्बर।
वल्लभभाई पटेल, सरदार	३१ अक्टूबर।
वाल्मीकि, महर्षि	आश्विन-शुक्ल तृतीया।
विद्यापति	कार्त्तिक-शुक्ल त्रयोदशी।
विनोबा भावे, संत	११ सितम्बर।
वेदव्यास	आषाढ-शुक्ल पूर्णिमा।
शंकराचार्य, स्वामी	वैशाख-शुक्ल पंचमी।
शिवपूजनसहाय, आचार्य	श्रावण-कृष्ण त्रयोदशी।
शिवाजी, छत्रपति	वैशाख-शुक्ल द्वितीया।
श्रीकृष्ण सिंह, डॉ०	२१ अक्टूबर।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, डॉ०	५ दिसम्बर
सहजानन्द सरस्वती, स्वामी	फाल्गुन शिवरात्रि।
सुभाषचन्द्र बोस, नेताजी	२३ जनवरी।
सुमित्रानन्दन पन्त	२० मई।
सूरदास	वैशाख-शुक्ल पंचमी।
हनुमान्	कार्त्तिक-कृष्ण चतुर्दशी।
हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु	भाद्र-शुक्ल ऋषि-सप्तमी।

★

जन-स्वास्थ्य

सन् १६४१—५० की अवधि में भारतीय पुरुषों तथा महिलाओं का जीवन-काल अनुमित तौर पर क्रमशः ३२'४५ वर्ष तथा ३१'६६ वर्ष रहा। नीचे सन् १६४७ से जनता के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति का विश्लेषण दिया गया है—

	१६४७	१६५६	१६५७	१६५८
प्रति हजार व्यक्ति पीछे सामान्य मृत्यु-दर	१६'७	६'८	११'०	८'८
प्रति हजार जन्म पीछे बाल-मृत्यु-दर	१४६	१०८	—	६२
प्रति हजार व्यक्ति पीछे मृत्यु (निम्न कारणों से)				
(क) ज्वर	१०'८	४'८	४'८	३'६
(ख) चेचक	०'१	०'०६	०'१६	०'३१
(ग) प्लेग	०'३	०'०	०'०	०'०
(घ) हैजा	०'४	०'०६	०'१६	०'०८
(ङ) पेचिश तथा अतिसार ...	०'८	०'६	०'५	०'४५
(च) श्वास-सम्बन्धी रोग ...	१'५	०'६	१'१	०'६०

स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों का है, किन्तु केन्द्र ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, मलेरिया और फीलपाँव-नियंत्रण, परिवार-नियोजन, जल-व्यवस्था तथा सफाई, छूत के रोगों की रोकथाम तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने सम्बन्धी कुछ कार्यक्रम आरम्भ किये हैं तथा वह उनका खर्च उठा रहा है।

रोगों की रोक-थाम और उनका नियंत्रण

मलेरिया—सन् १६५३ में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय मलेरिया-नियंत्रण-कार्यक्रम १ अप्रैल, १६५८ से राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम में बदल दिया गया। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में राज्य-सरकारों तथा अमेरिकी प्राविधिक सहयोग-मण्डल और विश्व-स्वास्थ्य-संगठन योग दे रहे हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्रालय मलेरिया-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा साज-सामान की उपलब्धि के कार्य में समन्वय लाने का प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मलेरिया-संस्थान मलेरिया-सम्बन्धी अनुसंधान करने तथा कर्मचारियों को मलेरिया-नियंत्रण का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। कटक, कुन्नूर, दिल्ली, बड़ौदा, शिलांग और हैदराबाद में छह प्रादेशिक समन्वय-संगठन भी स्थापित किये गये हैं।

३१ जनवरी, १६६० तक करीब २१'४१ करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया से सुरक्षा प्रदान की गई है तथा प्रस्तावित ३६० मलेरिया-इकाइयों में से ३८६ इकाइयाँ स्थापित कर दी गई हैं।

फीलपाँव—सन् १६५४-५५ में आरम्भ किये गये राष्ट्रीय फीलपाँव-नियंत्रण-कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस रोग से पीड़ित रोगियों को ओषधियाँ बाँटी जाती हैं तथा मच्छरों का नाश करने के

उपाय किये जाते हैं। इस समय विभिन्न राज्यों में ४६ नियंत्रण-इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। अक्तूबर, १६५६ के अन्त तक लगभग २·२६ लाख व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ, जिससे प्रकट हुआ कि देश में करीब चार करोड़ व्यक्ति फीलपाँव-ग्रस्त इलाकों मे रहते हैं। अबतक इस रोग से पीड़ित ४६ लाख व्यक्तियों की चिकित्सा तथा करीब ३७ लाख निवास-स्थानों मे कृमिनाशक दवाइयाँ छिड़की गई हैं। एरणाकुलम् में व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित कर दिया गया है। अबतक ७० चिकित्साधिकारी तथा १२६ निरीक्षक (इंस्पेक्टर) प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

क्षयरोग—अनुमान है कि देश मे क्षयरोग से प्रतिवर्ष लगभग २५ लाख व्यक्ति पीड़ित होते हैं, जिनमें से लगभग ५ लाख मौत के मुँह में चले जाते हैं।

सन् १६४८ ई० में प्रारम्भ हुए वी० सी० जी० टीका-आन्दोलन का उद्देश्य १७ करोड़ क्षयरोग-ग्राही व्यक्तियों की, विशेषकर २० वर्ष से कम आयु के लोगों की, रक्षा करना है। इस काम में १६७ क्षयरोग-निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं, जिनमे १५० डाक्टर तथा १,००० विशेषज्ञ हैं। दिसम्बर १६५६ के अन्त तक १३·६२ करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई तथा उनमें से लगभग ४·८८ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाये गये।

नई दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम् में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए छह केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं।

सन् १६५६ ई० में देश में क्षयरोग की चिकित्सा-सम्बन्धी ७१ आरोग्य-गृह, ७० अस्पताल, २२३ उपचारालय (क्लिनिक), १५१ वार्ड तथा २५,००० रोगी-शय्याएँ थीं।

क्षयरोग से मुक्ति पानेवाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास के लिए देश में १५ देखभाल-बस्तियाँ हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० और बस्तियाँ बसाने का विचार है।

भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान-परिषद् के तत्त्वावधान में सितम्बर, १६५५ में आरम्भ किया गया देशव्यापी सर्वेक्षण-कार्य मई, १६५८ ई० में पूरा हो गया। एकत्र सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि (क) जन-संख्या के अनुपात में रोग की व्यापकता मे कोई उल्लेखनीय परिवर्त्तन नहीं आया है; (ख) रोगियों की संख्या प्रति हजार व्यक्ति पीछे ७ से ३० तक है, जो कि स्त्रियों के मामले में अपेक्षाकृत कम है; (ग) ३५ वर्ष तथा इससे ऊपर के आयु-वर्गों में रोग की व्यापकता अपेक्षाकृत अधिक है; तथा (घ) प्रति हजार व्यक्ति पीछे १ से ११ व्यक्तियों में क्षय के कीटाणु पाये जाते हैं।

भारत का क्षयरोग-संघ सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो अपने स्थापना-काल सन् १६३६ ई० से वैज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से क्षयरोग के उन्मूलन का कार्य कर रहा है। यह संघ अनेक ऐसी संस्थाएँ भी चला रहा है, जिनमें क्षयरोग-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा क्षयरोगियों की चिकित्सा की उन्नत विधियों का प्रदर्शन करने की व्यवस्था है।

कुष्ठरोग—सन् १६५३ ई० में देश में लगभग १५ लाख व्यक्तियों के कुष्ठरोग से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया था। आसाम, आन्ध्रप्रदेश, केरल, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा बम्बई के कुछ भागों में इसका सबसे अधिक प्रकोप रहता है।

पहली योजना की अवधि में आरम्भ की गई कुष्ठरोग-नियंत्रण-योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा मध्यप्रदेश में एक-एक उपचार और अध्ययन-केन्द्र तथा [illegible]

राज्यों में २६ सहायक केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दूसरी योजना की अवधि में १०० नये सहायक केन्द्र खोलना था। सितम्बर, १६५६ के मध्य तक कुल ६५ सहायक केन्द्र खोले गये। इस योजना के कार्यान्वित किये जाने के कार्य की समीक्षा करने तथा तत्सम्बन्धी सुधार सुझाने के लिए फरवरी १६५८ में एक सलाहकार समिति भी नियुक्त की गई।

चिंगलपेट-स्थित केन्द्रीय कुष्ठ-अध्यापन तथा अनुसंधान-संस्थान के दो अस्पतालों में कुष्ठ-रोगियों के उपचार की व्यवस्था है। सन् १८७५ ई० में स्थापित 'मिशन टु लेपर्स' नामक एक स्वयंसेवी संगठन, हिन्द कुष्ठ-निवारण-संघ, महारोगी सेवा-मंडल, गांधी-स्मारक-कुष्ठ-प्रतिष्ठान रामकृष्ण मिशन तथा विदर्भ महारोगी-सेवा-मंडल भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

यौनरोग—अनुमान है कि पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा मद्रास-राज्यों में ५ से ७ प्रतिशत व्यक्ति उपदंश (सिफलिस) रोग से पीड़ित रहते हैं। कश्मीर से आसाम तक के पहाड़ी प्रदेशों में भी यह रोग बड़ा व्यापक है। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा मध्यप्रदेश के जिलों में फफोले रोग का प्रचलन है। इन क्षेत्रों में इनके नियंत्रण का काम चालू है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों के मुख्यालयों में आठ यौनरोग-उपचारालय तथा जिलों में ७५ यौनरोग-चिकित्सालय स्थापित करने की योजना थी। कुछ राज्यों में ३ मुख्यालय उपचारालय तथा ४६ जिला उपचारालय स्थापित कर दिये गये हैं। सन् १६५८ ई० के अन्त तक फफोलों की रोकथाम करने के लिए ५,४८,३६६ रोगियों की जाँच की गई।

इन्फ्ल्युएंजा—कुन्नूर के पाश्च्योर-संस्थान में सन् १६५० ई० में एक इन्फ्ल्युएंजा-केन्द्र खोल दिया गया था। इन्फ्ल्युएंजा के टीके तैयार करने के लिए वहाँ एक कारखाना भी स्थापित किया गया है।

नासूर (कैंसर)—नासूर-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन का कार्य बम्बई के भारतीय नासूर-अनुसंधान-केन्द्र तथा कलकत्ता के चितरंजन राष्ट्रीय अनुसंधान-केन्द्र में होता है। बम्बई के टाटा-स्मारक-अस्पताल में चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वर्त्तमान अस्पतालों में नये नासूर-वार्ड खोलने की योजना विचाराधीन है।

पोषण तथा खाद्य में मिलावट की रोक-थाम

भारत में सन् १६३५ ई० से होते आ रहे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मात्रा तथा पौष्टिक पदार्थों की दृष्टि से भारतीयों का भोजन पूर्ण नहीं है। हर वयस्क व्यक्ति को प्रति दिन २,४०० से ३,००० कैलोरियों की आवश्यकता होती है, किन्तु एक औसत भारतीय के भोजन में केवल १,७५० कैलोरियाँ ही होती हैं। भारतीयों के भोजन में प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा विटामिन जैसे आवश्यक खाद्य तत्त्वों का भी अभाव रहता है।

पोषण-सम्बन्धी अनुसंधान—राज्यों में भोजन तथा पोषण-सम्बन्धी सर्वेक्षण करने की व्यवस्था है। भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान-परिषद् इस सम्बन्ध में अनुसंधान करती है। कुन्नूर में परिषद् की राष्ट्रीय अनुसंधानशालाएँ भी है। इन अनुसंधानशालाओं ने दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त, सस्ते तथा सन्तुलित भोजन के लिए खाद्य-पदार्थों की सूची तथा स्कूलों के मध्याह्नकालीन

भोजन के सम्बन्ध में एक पुस्तिका तैयार की है। प्रतिरक्षा-मंत्रालय तथा खाद्य-मंत्रालय के भी अपने-अपने पोषण-विभाग हैं। आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश तथा मैसूर में भी पोषण-केन्द्र विद्यमान हैं।

खाद्य मे मिलावट की रोक-थाम—खाद्य में मिलावट-निवारण-अधिनियम, सन् १९५४ ई०, और इसके अधीन बनाये गये नियम संपूर्ण देश में लागू हैं तथा अपराधियों को कड़ा दंड देने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय खाद्य-प्रयोगशाला की स्थापना कर दी गई है।

जल-व्यवस्था तथा सफाई

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ मे ५०,००० तथा इससे अधिक की जन-संख्यावाले १२८ नगरों; ३०,००० से ५०,००० तक की जन-संख्यावाले ६० कस्बों; तथा इससे कम जन-संख्यावाले २१० कस्बों में शुद्ध जल की व्यवस्था थी।

राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफाई-कार्यक्रम—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, नागरिक क्षेत्रों के लिए २७८ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए २३२ जल-व्यवस्था तथा नाली-योजनाएँ कार्यान्वित की जायेंगी, जिन पर क्रमश: ६४ करोड़ रु० तथा १७.८७ करोड़ रु० व्यय होगा। इसके अतिरिक्त नगर-निगमों के लिए ९ जल-व्यवस्था तथा ६ जल-निकासी-योजनाएँ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई हैं।

चिकित्सा की सुविधाएँ

चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों का है। इस सम्बन्ध मे कुछ धर्मार्थ संस्थाओं से भी सहायता मिलती है। सन् १९५७ ई० मे देश में ९,९५८ अस्पताल और दवाखाने थे तथा सन् १९५७ के अन्त में लगभग ९१,९३० पंजीकृत (दर्ज) चिकित्सक; ९६,१४७ वैद्य, हकीम और अन्य प्रकार के चिकित्सक; ३८,४०७ कम्पाउंडर ३१,५१७ नर्सें; ३३,२०८ दाइयाँ; ५,८८५ टीका लगानेवाले और ३,६१४ दन्त-चिकित्सक थे।

अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा-योजना—१ जुलाई, १९५४ ई० से आरम्भ की गई इस योजना से केन्द्रीय सरकार के ४ लाख से अधिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएँ मिलती हैं। यह योजना केवल दिल्ली तथा नई दिल्ली तक ही सीमित है। कुछ स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों तथा संसत्सदस्यों को भी ये सुविधाएँ दी जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार, ५० नये पैसे से १२ रु० तक का मासिक चन्दा देना पड़ता है। सन् १९५९ ई० मे ४०,१८,५२५ कर्मचारियों ने इस योजना से लाभ उठाया।

स्वास्थ्य-बीमा—स्वास्थ्य-बीमा-योजना द्वारा कर्मचारी राज्य-बीमा-अधिनियम, सन् १९४८ ई० के अन्तर्गत, औद्योगिक मजदूरों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ, चिकित्सा की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इस समय लगभग १४ लाख मजदूरों को ये सुविधाएँ दी जा रही हैं।

कोयला-खान तथा अभ्रक-खान-मजदूरों को कोयला-खान-श्रम-कल्याण-निधि तथा अभ्रक-खान-श्रम-कल्याण-निधि द्वारा संचालित संस्थाओं से चिकित्सा सम्बन्धी-सहायता प्राप्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों मे प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र—सन् १९५४ ई० मे आरम्भ किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि मे राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंडों में ७४ प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित किये गये थे। प्रत्येक केन्द्र से खंड के लगभग ६६,००० व्यक्ति लाभ उठाते हैं। सामुदायिक परियोजना-क्षेत्रों में स्थापित किये जानेवाले लगभग १,००० केन्द्रों के अलावा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग २,००० केन्द्र और स्थापित किये जा रहे हैं इनमें से मार्च १९५९ ई० तक १,३२५ केन्द्र खुले। सन् १९५९-६० ई० में ६८० केन्द्र खुलने की बात कही जाती है।

देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालियाँ

सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालियों को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाय और आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली इनसे जो कुछ ग्रहण कर सके, करे। इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों ने अनेक उपाय किये हैं।

उड़ुपा समिति—आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली की वर्त्तमान स्थिति का मूल्याकन करने के उद्देश्य से डा० के० एन० उड़ुपा की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशें सन् १९५९ ई० में प्रस्तुत कीं। समिति की एक सिफारिश के अनुसार, एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान-परिषद् स्थापित कर दी गई है। यह परिषद् भारत-सरकार को आयुर्वेदिक अनुसंधान-सम्बन्धी एक समन्वित नीति बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक अनुसंधान करनेवाली संस्थाओं को सहायता देने में सलाह दिया करेगी।

केन्द्रीय देशी चिकित्सा-प्रणाली अनुसंधान-संस्थान—जामनगर-स्थित यह संस्थान २४ अगस्त, १९५३ ई० से कार्य कर रहा है। इस संस्थान में ५० रोगी-शय्याओं के एक अस्पताल के अलावा, एक फार्मेसी, एक संग्रहालय तथा एक रोग अनुसंधान-शाला भी है। इस संस्थान में पाडु, ग्रहणी, जलोदर आदि रोगों पर अनुसंधान और कुछ जड़ी-बूटियों की पहचान तथा उनकी खेती की जाती है। सन् १९५६-५७ ई० में इसमें एक सिद्ध विभाग भी स्थापित किया गया। आयुर्वेदिक तथा यूनानी अनुसंधान की योजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शिक्षा मे एकरूपता—देश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-प्रणालियों के अध्ययन-अध्यापन के लिए ५० से अधिक कॉलेज तथा स्कूल हैं, किन्तु उनके पाठ्य-क्रम आदि भिन्न हैं। सन् १९५४ ई० में केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद् ने एक पंचवर्षीय पाठ्य-क्रम लागू करने तथा प्रवेश आदि सम्बन्धी मानदंड निर्धारित करने की सिफारिश की थी। जुलाई, १९५६ ई० में जामनगर मे आयुर्वेद का एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया गया, जिसमे एक फार्मेसी, पुस्तकालय, संग्रहालय और एक अस्पताल भी है।

देशी प्रणालियों मे चिकित्सा का नियमन करने के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्यीय बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं।

होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली—सन् १९५५ ई० में भारत-सरकार ने होमियोपैथी का एक पंचवर्षीय पाठ्य-क्रम स्वीकार किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५ वर्त्तमान शिक्षण-संस्थाओं के स्तर में वृद्धि करने, भेषज-संहिता तैयार करने तथा अनुसंधान-कार्यों को प्रोत्साहित करने का विचार है। कुछ राज्यों में इस चिकित्सा-प्रणाली के नियमन के लिए बोर्ड भी बना दिये गये हैं।

औषध-निर्माण तथा नियंत्रण

औषध-नियंत्रण—औषध-अधिनियम तथा औषध-नियम लगभग सभी राज्यों में लागू हैं। केन्द्रीय सरकार को आयात किये जानेवाले औषध की किस्मों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने का अधिकार है। देश में तैयार किये जानेवाले औषध के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों का है। मार्च, १९५५ ई० में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया।

औषध-अधिनियम को लागू करने में जिन प्राविधिक बातों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में परामर्श देने के लिए एक औषध प्राविधिक सलाहकार-बोर्ड तथा इस अधिनियम को देश-भर में समान रीति से लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य-सरकारों को परामर्श देने के उद्देश्य से औषध-सलाहकार-समिति की स्थापना की गई है।

सर्वप्रथम भारतीय भेषज-संहिता सन् १९५५ ई० में प्रकाशित हुई। एक समिति इस संहिता का परिशिष्ट तैयार करने में संलग्न है। कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय औषध-प्रयोगशाला में औषध के नमूनों की जाँच-पड़ताल की जाती है।

औषध तथा जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन)-अधिनियम—१ अप्रैल, १९५५ से लागू इस अधिनियम के अनुसार, उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, जिनमें गुप्त रोगों तथा स्त्रीरोगों के अद्भुत उपचार तथा वासनोत्तेजक औषधों का प्रचार किया जाता है। ऐसे विज्ञापनों पर चुंगी तथा डाक-अधिकारियों की सहायता से भी नियंत्रण रखा जाता है। परन्तु परिवार-नियोजन की आवश्यकता को देखते हुए, गर्भनिरोधन-औषध-सम्बन्धी विज्ञापन देने की अनुमति है। इस अधिनियम के लागू होने के समय से अबतक इसका उल्लंघन करनेवाले ६७ व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका है। गत दिसम्बर मास में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के कुछ अंशों को संविधान के विरुद्ध करार दिया, जिसके फल-स्वरूप, अधिनियम में संशोधन किया जायगा।

औषध-निर्माण—मद्रास में गिंडी नामक स्थान में सन् १९४८ ई० में बी० सी० जी० टीका-प्रयोगशाला स्थापित की गई। इस प्रयोगशाला ने सितम्बर, १९५६ ई० के अन्त तक भारत में औषध-विक्रेताओं को ८३,३१,६४० घ० सें० (घन सेंटीमीटर) दवा (ट्यूबरकुलीन, अर्थात् यक्ष्मारोग के कीटाणुओं से बनाया हुआ यक्ष्मारोग का औषध) तथा बी० सी० जी० के ३२,७३,००२ घ० सें० टीके दिये तथा अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, मलय, सिंगापुर और ईरान को २०,७५,५१५ घ० सें० दवा तथा ८,२६,५१० घ० सें० बी० सी० जी० के टीके भेजे।

सन् १९०६ ई० में स्थापित कसौली के केन्द्रीय-अनुसंधान संस्थान में टी० ए० बी०; हैजा तथा कुत्ते के काटने से उत्पन्न होनेवाले रोग आदि के औषध तैयार किये जाते हैं।

पिम्परी-स्थित हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स लिमिटेड तथा दिल्ली-स्थित डी० डी० टी० कारखाने में उत्पादन-कार्य आरम्भ हो चुका है।

भारत में सिन्कोना की खेती की उन्नति के लिए भी कई उपाय किये गये हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान-परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान-परिषद् मलेरिया-उपचार के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी कुनैन का उपयोग किये जाने की सम्भावना की जाँच कर रही है।

वम्बई के हाफकिन-संस्थान में गंधक से वननेवाले औषध तैयार किये जाते हैं, जिनकी गणना संसार के सर्वोत्तम औषधों मे होती है। इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड तथा टाटा उद्योग, वी० एच० सी० (वैन्सील हैक्साक्लोराइड) तैयार करते हैं।

करनाल, कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास में ४ भेषजीय डिपो हैं, जो सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत कोटि के औषध उपलब्ध कराते हैं।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

चिकित्सा-सम्वन्धी शिक्षा की व्यवस्था करना सामान्यतः राज्यों का कर्त्तव्य है। भारत-सरकार का कार्यक्षेत्र उच्च अध्ययन, अनुसंधान तथा विशेष प्रशिक्षण की विशिष्ट योजनाओं तक सीमित है।

इस समय देश में ५५ चिकित्सा-कॉलेज, ६ दन्त-चिकित्सा-कॉलेज तथा आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली का प्रशिक्षण देनेवाली ५ संस्थाएँ हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कानपुर, कुरनूल, कोझिकोड, जवलपुर, जामनगर, नई दिल्ली, पाडिचेरी, वीकानेर, भोपाल, राँची तथा हुवली में नये चिकित्सा-कॉलेजों की स्थापना तथा १५ चिकित्सा-कॉलेजों के विस्तार के लिए स्वीकृति दी गई है। चुने हुए चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा-प्रणालियों तथा शल्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने के लिए १२ चिकित्सा-संस्थानों का स्तर ऊँचा कर दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ८ चिकित्सा-कॉलेजों में सामाजिक तथा निरोधात्मक चिकित्सा-विभाग खोले गये थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी ६ अन्य कॉलेजों में भी ऐसे विभाग खोलने की स्वीकृति दी गई थी। अमृतसर, कलकत्ता, मद्रास, वम्वई और लखनऊ के दन्त-चिकित्सा-अस्पतालों का विस्तार कर दिया गया है तथा हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम् में नये दन्त-चिकित्सा-अस्पताल खोल दिये गये हैं।

अखिलभारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्थान—संसद् के एक अधिनियम के अनुसार, सन् १९५६ ई० में एक अखिलभारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्थान स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य चिकित्सा-सम्वन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। चिकित्सा-कॉलेज के अलावा, इस संस्थान में एक दन्त-चिकित्सा-कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षण-केन्द्र तथा २५० रोगी-शय्यावाला एक अस्पताल खोला जायगा।

विशिष्ट प्रशिक्षण—नर्सों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ नई दिल्ली और वेल्लोर के नर्सिंग कॉलेजों तथा देश के लगभग सभी वड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मद्रास की आन्ध्र-महिला-सभा जैसे कई गैर-सरकारी संगठनों ने भी केन्द्र से अनुदान प्राप्त करके नर्सों के अल्पकालीन पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३०,००० दाइयों को प्रशिक्षण देने में राज्य-सरकारों की सहायता करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, १,२०० स्वास्थ्य-निरीक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

भारतीय मलेरिया-संस्थान में मलेरिया और फीलपाँव के नियंत्रण में लगे स्वास्थ्य-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कलकत्ता के अखिलभारतीय स्वच्छता और लोक-स्वास्थ्य-संस्थान में प्रसूतिका तथा शिशु-कल्याण कार्यकर्ताओं की एक प्रशिक्षण-योजना चालू है।

सहायक चिकित्सकों का प्रशिक्षण—सन् १९५४ ई० में स्वीकृत एक योजना के अनुसार सहायक चिकित्सकों के प्रशिक्षण का एक द्विवर्षीय पाठ्य-क्रम रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम-से-कम पाँच वर्षों तक सरकारी पदों पर सहायक चिकित्सक के रूप में कार्य करेंगे।

समाज-कल्याण

मद्यनिषेध

भारतीय संविधान द्वारा सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह देश-भर में नशीले पेयों तथा द्रव्यों का उपभोग बंद करने का सतत प्रयत्न करे। अपनी मद्यनिषेध-सम्बन्धी नीतियों को कार्य-रूप देने में राज्यों को जो अनुभव प्राप्त हुए, उनके प्रकाश में संविधान के इस निर्देश को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम आदि बनाने के उद्देश्य से दिसम्बर, १९५४ में मद्यनिषेध-जाँच-समिति नियुक्त की गई। लोकसभा ने एक प्रस्ताव द्वारा ३१ मार्च, १९५६ को समिति की इस मुख्य सिफारिश की पुष्टि की कि मद्यनिषेध के कार्यक्रम को देश की विकास-योजनाओं का एक अनिवार्य अंग बना दिया जाय। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि देश-भर में शीघ्र तथा प्रभावशाली ढंग से मद्यनिषेध लागू करने के लिए एक योजना बनाई जाय।

इस सम्बन्ध में योजना-आयोग ने एक अन्तरिम कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इस समस्या के प्रति एकरूप दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए भी आयोग ने यह दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया है कि वे स्वयं मद्यनिषेध की विधि निश्चित करें तथा स्थानीय अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप अपनी-अपनी नीतियाँ बनायें। फिर भी, योजना-आयोग ने यह सिफारिश की है कि मद्य के विज्ञापनों तथा अन्य प्रलोभनों पर रोक लगाई जाय, सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान बन्द कर दिया जाय, कार्यक्रम बनाने के लिए विशिष्ट समितियाँ बनाई जायँ, सस्ते तथा स्वास्थ्यकर हल्के पेयों का प्रचार तथा उत्पादन किया जाय, सामुदायिक विकास-खंडों में मद्यनिषेध लागू करने के काम को रचनात्मक कार्य का प्रमुख अंग बनाया जाय आदि।

प्रगति—जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा बिहार को छोड़कर भारत के शेष सभी राज्यों ने धीरे-धीरे मद्यनिषेध के क्षेत्र में कार्य आरम्भ कर दिया है और अधिकांश राज्यों में मद्यनिषेध-बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं।

आध्र-प्रदेश में मद्यनिषेध का कार्य पुलिस-विभाग को सौंप दिया गया हैं तथा सामुदायिक विकास-अधिकारियों की कार्यावली में मद्यनिषेध को भी जोड दिया गया है। तेलंगाना क्षेत्र में ताड़ी तथा शराव की दूकानें आवाद क्षेत्रों से हटा दी जायेंगी तथा अफीमचियों को भविष्य में लाइसेंस लेने पड़ेंगे। आसाम के समस्त कामरूप जिले में मद्यनिषेध कर दिया गया है। अन्य जिलों मे शराव की विक्री में कटौती करने, अत्यधिक मद्यप क्षेत्रों में हल्के पेयों की व्यवस्था करने, शराव के ठेकों को चाय-वगानो के इलाकों से हटाने तथा क्लवों को लाइसेंस देने पर रोक लगाने-जैसे उपाय किये गये हैं। वम्बई मद्यनिषेध-अधिनियम, १६४६ मे, सन् १६५६ ई० में हुए संशोधन के फलस्वरूप, चामिया जिले के कुछ इलाकों को छोड़कर समस्त वम्बई-राज्य में मद्यनिषेध कर दिया गया है। केरल मे भूतपूर्व तिरुवाकुर कोचीन-राज्य के ६ तालुकों तथा सम्पूर्ण मलावार जिले में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। मध्य-प्रदेश मे भी धीरे-धीरे नशीली चीजों की दूकानों को वन्द करने, शराव में मादक तत्त्व घटाने तथा शराव पीने के दिनों में कमी करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

मद्रास-राज्य में पूर्णत: तथा मैसूर के कुर्ग जिले में सन् १६५६ ई० से मद्यनिषेध लागू है। अन्य राज्यों में शुल्कों तथा लाइसेंस-शुल्कों में वृद्धि करने तथा विदेशी शराव की विक्री के लिए लाइसेंसों पर रोक लगाने के उपाय किये गये हैं। उड़ीसा के कटक, कोरापुट, गंजाम, पुरी तथा वालासोर जिलों में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रो में भी शरावखानों की संख्या घटाने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा शराव पीने के दिन भी कम कर दिये गये हैं। एक मद्यनिषेध-विधेयक के फलस्वरूप, मद्यनिषेध-सम्बन्धी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है। पंजाव के रोहतक जिले में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है और अन्य जिलों में शराव पीने पर रोक लगाने के उपाय किये जा रहे हैं। उत्तरप्रदेश के ११ जिलों तथा ३ तीर्थ-स्थानों मे मद्यनिषेध पूर्णत. लागू है।

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। अंदमान और निकोवार द्वीपसमूह में ताड़ी की सव दूकानें वन्द कर दी गई है, शराव की दूकानें सप्ताह में पाँच दिन वन्द रखी जाती हैं तथा विदेशी शराव के आयात पर रोक लगा दी गई हैं। दिल्ली में शराव के विज्ञापनों पर तथा २५ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथ शराव की विक्री पर रोक लगा दी गई है। शराव पीने के दिनों में भी कटौती कर दी गई है। साथ ही क्लवों मे मद्यसेवन पर अंकुश रखा जा रहा है। हिमाचल-प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पूर्णत. मद्यनिषेध लागू है तथा इसके अन्य जिलों और त्रिपुरा मे भी मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, मादक पेयों के निषेध के लिए पोस्टरों, चलचित्रों, पत्र-पत्रिकाओं तथा मद्यनिषेध-सप्ताहों के माध्यम से मद्यनिषेध-आन्दोलन को और अधिक सशक्त वनाया जा रहा है।

१ अप्रैल, १६५६ ई० से अफीम के चिकित्सा-भिन्न उपयोग का पूर्ण निषेध कर दिया गया है। सम्पूर्ण भारत में सन् १६४६ ई० से चरस का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। १ अप्रैल, १६५६ ई० से उत्तरप्रदेश में गाँजे की विक्री पर रोक लगी हुई है। मद्रास में सन् १६४६-५० ई० में ही गाँजे के गोदाम वन्द कर दिये गये थे। वम्वई-राज्य के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों मे लाइसेंस द्वारा भी गाँजा और भाँग वेचना वन्द कर दिया गया है। राज्य के अन्य भागों में गाँजे

और भाँग के लिए परमिट-प्रणाली लागू कर दी गई है। मैसूर में गाँजे की खेती तथा उसकी बिक्री और आयात निषिद्ध कर दिये गये हैं। पंजाब तथा दिल्ली मे गाँजे पर पूर्ण रोक है तथा अन्य राज्यों मे इन चीजों के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है।

दलित वर्गों का कल्याण

स्त्रियों का अनैतिक व्यापार—१८ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का वेश्यावृत्ति के लिए क्रय-विक्रय करनेवालों के लिए भारतीय दंड-विधान में १० वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने (धारा ३६६ क, ३७२ तथा ३७३) की व्यवस्था है। इसी प्रकार, वेश्यावृत्ति के लिए २१ वर्ष से कम आयु की स्त्रियों को विदेशों से लानेवालों को भी दण्डित किया जाता है। वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के लिए महिला तथा बालिका अनैतिक व्यापार-दमन-अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत चकले चलाने, वेश्याओं की आय पर निर्भर करने तथा अन्य तरीकों से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करने के अपराध मे अपराधियों को दंडित किया जाता है।

वेश्यावृत्ति से उबारी गई स्त्रियों के बसाने तथा उनके पालन-पोषण के कार्यक्रम के अधीन स्थापित रक्षा-गृहों तथा स्वागत-केन्द्रों का भी उपयोग संरक्षण-गृहों के रूप में किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त, पतिता स्त्रियों के उत्थान तथा उन्हे अच्छे नागरिक बनाने के लिए राज्यों में कई अन्य संस्थाएँ भी कार्य कर रही हैं। इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ ये हैं—मद्रास राज्य के स्त्री-सदन, बम्बई का श्रद्धानन्द अनाथ-महिलाश्रम, मद्रास का गुड शेफर्ड होम, पूना का क्रिश्चिन होम, पश्चिम बंगाल का फेंडल होम और अखिल बंग महिला-अनाथालय तथा गोरखपुर का खुशालबाग-मिशन अनाथालय। इस समय देश मे ·७२ रक्षा-गृह विद्यमान हैं।

बाल-अपराधी—आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश, मैसूर-राज्यों तथा दिल्ली के संघीय क्षेत्र मे बाल-अधिनियम लागू है। आन्ध्र-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर मे किशोर-बंदी (बोर्स्टल) स्कूल-अधिनियम भी लागू हैं। सन १८९७ का सुधार-विद्यालय-अधिनियम सभी बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है।

बाल-अपराध-समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों का है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण (देखभाल)-कार्यक्रम लागू किया है, जिसके अन्तर्गत राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों में विभिन्न प्रकार की लगभग ७० हजार-संस्थाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है।

सामान्य शिक्षा के अलावा, इन संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनमें से कुछ संस्थाएँ काम सीखकर निकलनेवाले बाल-अपराधियों को उपकरण तथा धन-सम्बन्धी सहायता भी देती हैं, ताकि वे बाहर निकलकर रोजगार में लग सकें। इन संस्थाओं में बाल-अपराधियों को अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देने के साथ-साथ, खेल-कूद, नाटक, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

भिखारी—दंड-प्रक्रिया-संहिता की दृष्टि से आवारा लोग तथा भीख माँगनेवाले दोनों ही समान हैं तथा ऐसे लोगों को [illegible] देने की व्यवस्था है। १५ जनवरी, १९५१ से कुछ

कानून द्वारा रेलवे स्टेशनों पर भीख मॉगना निषिद्ध कर दिया गया है। अधिकाश राज्यों में सार्वजनिक स्थानों मे भीख मोगने पर रोक लगाने के लिए विशेष अधिनियम स्वीकार किये जा चुके हैं। अन्य राज्यों में इस सम्वन्ध में नगरपालिका तथा पुलिस-नियम लागू हैं।

भिक्षावृत्ति कराने के उद्देश्य से जो व्यक्ति बच्चो को उठा ले जाते हैं, उनके विरुद्ध सख्त काररवाई करने के लिए भारतीय दंड-संहिता (संशोधन)-अधिनियम, १६५६ की रचना की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत, भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से वच्चों का अपहरण अथवा अंग-भंग करना अपराध है तथा इनके लिए प्रतिरोधक दंड देने तथा वच्चों के अंग-भंग करने के अपराध मे आजीवन कारावास तक का दंड देने की व्यवस्था है।

विभिन्न राज्यों में भिखारियों की देख-रेख तथा उनके पुनर्वास में योग देनेवाली संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। वम्वई में ऐसी १८, पश्चिम बंगाल में ८, मद्रास में ७, केरल में ८ तथा दिल्ली मे २ संस्थाएँ हैं। उत्तरप्रदेश तथा मैसूर में एक-एक भिखारी-गृह है। नई दिल्ली में आवारा लोगों के हित के लिए एक ऐसी संस्था है, जिसमें उन्हें काम-धन्धे सिखाये जाते हैं। वे लोग इस संस्था के प्रवन्ध में भी हिस्सा लेते हैं। इसके अतिरिक्त, भिखारी-गृह स्थापित करने, जेलखानों में कल्याण-अधिकारी नियुक्त करने तथा सुधारात्मक संस्थाओं से निकले लोगों के लिए आश्रम आदि बनाने में सहायता देने की भी व्यवस्था है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड

अगस्त, १६५३ में श्रीमती दुर्गावाई देशमुख की अध्यक्षता में स्थापित केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध किये जानेवाले कोषों में से समाज-कल्याण-सम्वन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने तथा नये कार्यक्रम बनाने के लिए समाज-सेवी संगठनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह वोर्ड नये कल्याण-कार्यों की सम्भावना तथा आवश्यकता के सम्वन्ध में भी छानवीन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, सव राज्यों में कल्याण-वोर्ड भी वना दिये गये हैं, जिनमें प्रमुख रूप से समाज-सेविकाएँ तथा राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। अपने स्थापना-काल से अवतक, समाज-कल्याण-वोर्ड ५,५०० संस्थाओं को वार्षिक सहायता-अनुदान के रूप में २६६.०६ लाख रु० तथा ८३४ संस्थाओं को दीर्घकालीन अनुदानों के रूप में १२६·०६ लाख रु० दे चुका है।

कल्याण-कार्यों का विस्तार—१५ अगस्त, १६५४ को कल्याण-विस्तार-परियोजना के नाम से ग्राम-कल्याण के लिए एक वडी योजना आरम्भ की गई। प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत लगभग २०,००० की जन-संख्या तथा २५ गाँव आते हैं।

इन परियोजनाओं के अन्तर्गत, वालवाड़ियों, प्रसूतिका और शिशु-स्वास्थ्य-केन्द्र, महिलाओं के हित के लिए साक्षरता और समाज-शिक्षा केन्द्र, कला-कौशल-केन्द्र तथा मनोरंजन-केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाती है। अगस्त, १६५४ से सितम्बर १६५६ की अवधि में इन परियोजनाओं की स्थिति अगले पृष्ठ पर तालिका-संख्या १३ में दिखाई गई है।

कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ

	परियोजनाओं की संख्या	केन्द्रों की संख्या	लाभान्वित ग्रामों की सख्या	जन-संख्या (लाख में)	केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड का अंशदान (लाख रु० मे)
मूल ढॉचा					
अगस्त १६५४ से सितम्बर १६५६ तक	४३२	२,१२४	१०,८६२	८१'४३	२२५'४०
समन्वित ढॉचा					
अप्रैल १६५७ से सितम्बर १६५६ तक	२१४	१,१६४	१८,२५०	१६०'७४	
दूसरी योजना के अन्त मे (अनुमानत)	६६०	६,६००	६६,०००	५७,६००	

नागरिक परिवार-कल्याण-योजना—नारी-कल्याण-कार्यो को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नागरिक परिवार-कल्याण-योजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत, चुने हुए नागरिक क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ करने के लिए औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जा रहा है। प्रत्येक उद्योग मे निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की करीब पॉच सौ स्त्रियों को (मुख्य रूप से उनके घरों पर) काम मिल सकेगा। अनुमान है कि इस प्रकार एक स्त्री प्रतिदिन एक रुपये से डेढ़ रुपये तक कमा सकती है। ऐसी पॉच इकाइयों का कार्य दिल्ली, पूना, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद में आरम्भ हो चुका है। इनमें ढाई हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस प्रकार की २० इकाइयो स्थापित करने का लक्ष्य रह गया है, जिनसे करीब दस हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

अन्य कार्यक्रम—देखभाल कार्यक्रम-सलाहकार-समिति तथा सामाजिक और नैतिक समिति की सिफारिशों के आधार पर, ८० देखभाल-केन्द्र तथा करीब ३२० आश्रय-गृह स्थापित करने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। अप्रैल, १६५६ ई० से दिसम्बर १६५६ ई० तक ४८ राजकीय केन्द्र, १२३ जिला-आश्रय-गृह तथा २० उत्पादन-इकाइयाँ थीं, जिनसे १५,४५० व्यक्ति लाभान्वित हो रहे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ८० राजकीय-केन्द्र, ३२० जिला आश्रय-गृह तथा ८० उत्पादन-इकाइयाँ स्थापित कर ८,००० व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था।

समाज-कल्याण-सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत नागरिक क्षेत्रों में नमूने की एक सौ कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ चलाने, २५-३० वयोवर्ग की महिलाओं को ग्राम-सेविका, दाई, प्राथमिक स्कूलों की अध्यापिका आदि बनने के लिए उपयुक्त शिक्षा देने, महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में बेघरबार मजदूरों के लिए एक सौ 'रैन-बसेरे' बनाने के निमित्त आर्थिक सहायता देने; छोटी-छोटी उत्पादन-इकाइयों को आर्थिक सहायता देने तथा ग्रामदान के गाँवों में पुनर्निर्माण कल्याण-सेवाएँ आरम्भ करने आदि की व्यवस्था की गई।

सरकार द्वारा ७६ नागरिक कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा महिलाओं को काम दिलाने के लिए ४१ सहकारी संस्थाओं को करीब ८१'०८ लाख रु० की

आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के लिए ४० 'रैन-बसेरे' चलाने के लिए भारत-सेवक-समाज की भी आर्थिक सहायता दी गई। भारतीय बाल-कल्याण परिषद् के माध्यम से, सन् १९५९ की ग्रीष्म ऋतु में १,२०० बच्चों के लिए तथा शीत ऋतु में ५१ बच्चों के लिए अवकाश-गृह (होली-डे-होम) चलाये गये।

परिवार-नियोजन

परिवार-नियोजन अँगरेजी के शब्द 'बर्थ-कंट्रोल' या जन्म-निरोध का पर्यायवाची है। इस शब्द की जन्मदात्री श्रीमती मारगेरेट सैंगर हैं। वे अमेरिका की पब्लिक-हेल्थ-नर्स थीं। वे ही इस आन्दोलन की माता हैं। ब्रिटेन में स्व० श्रीमती मेरी स्टोप्स ने इस आन्दोलन का प्रचार-प्रसार किया। अमेरिका और ब्रिटेन—इन दोनों देशों में पहले जनमत एवं सरकार ने इसका घोर विरोध किया था। किन्तु, तेजी से बढ़ती हुई आबादी की समस्या एवं बार-बार अनियंत्रित बच्चों के जन्म से माताओं के स्वास्थ्य की जो क्षति हुई, उसे दृष्टि में रखकर पीछे जनता और सरकारों ने इस आन्दोलन की आवश्यकता का अनुभव किया। फलतः, यह आन्दोलन उन देशों में व्यापक रूप से फैल गया।

प्रचार-प्रसार—संसार में जापान और भारत, इन दो देशों में सरकारी स्तर पर 'परिवार-नियोजन' को कार्यान्वित किया जा रहा है। जापान ने इस दिशा में विशेष प्रगति की है।

भारत के सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखने पर इसके क्षेत्रफल, जन-संख्या और आर्थिक स्थिति पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। जन-गणना-विभाग और 'रैण्डम-सैम्पुल-सर्वे' के प्रयासों के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि भारत की जन-संख्या लगभग ४० करोड़ है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो गया है कि यहाँ की जन-संख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, या यों समझिए कि प्रत्येक वर्ष करीब ७० लाख खानेवाले नये मुँह जन्म ले रहे हैं। इस तेजी से बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए भारत की जनता और सरकार दोनों जागरूक हो गई है। यह सामान्य इच्छा है कि देश की जनता सुशिक्षित, सुसंस्कृत, स्वस्थ एवं सुखी रहे और इस लक्ष्य की पूर्त्ति के लिए बढ़ती हुई जन-संख्या को रोकना आवश्यक है। इसी आवश्यकता ने भारत में परिवार-नियोजन को प्रश्रय दिया है। सर्वप्रथम परिवार-नियोजन चिकित्सालय (बर्थ-कंट्रोल-क्लिनिक) की स्थापना सन् १९२९ ई० में मैसूर की सरकार द्वारा की गई। उसके पश्चात् अखिलभारतीय कॉंगरेस ने अपने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा देश में इस आन्दोलन के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों के बाद बम्बई में डॉ० कर्वे एवं डॉ० पिल्ले आदि के अथक प्रयास से संतति-निरोध के हेतु कुछ कुटुम्ब-सुधार-केन्द्र खोले गये।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद हमारे देश में इस आन्दोलन को सरकारी स्तर पर और अधिक प्रश्रय मिला। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ३०० नगरों और २००० गाँवों में परिवार-नियोजन-केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों में दम्पत्तियों को संतति-निरोध की सारी बातों की शिक्षा दी जाती है तथा उसके उपादान निःशुल्क अथवा उचित मूल्य पर वितरित किये

जाते हैं। प्रायः १०० रु० से कम आमदनीवाले व्यक्ति को ये उपादान निःशुल्क दिये जाते हैं। १०० रु० से २०० रु० तक की आमदनीवाले व्यक्ति को आधे मूल्य पर तथा २००) से ऊपर की आमदनी वाले को उचित मूल्य पर संतति-निरोधक ओषधियाँ एवं अन्य उपादान दिये जाते हैं। इन केन्द्रों में 'सुरक्षित काल' की विधि भी बतलाने की व्यवस्था है।

संचालन एवं प्रशिक्षण—सम्पूर्ण भारत के परिवार-नियोजन-आन्दोलन का संचालन एक 'सेण्ट्रल फैमिली-प्लानिंग बोर्ड' से होता है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्री हैं। इसकी शाखाएँ केरल एवं जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में अपना कार्य कर रही हैं। प्रत्येक राज्य-सरकार ने अपने स्वास्थ्य-निर्देशक के कार्यालय में एक 'स्टेट फैमिली प्लानिंग अफसर' की नियुक्ति की है। इस दिशा में विभिन्न कोटि के नागरिकों को बम्बई, रामनगर (मैसूर) और कलकत्ता में उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में चिकित्सकों एवं समाजसेवियों को प्रमुखता दी जाती है। उक्त केन्द्रों में प्रशिक्षण के अतिरिक्त संतति-निरोधक औषधों एवं तत्सम्बन्धी अन्य उपादानों पर अनुसंधान की भी व्यवस्था है। इस प्रकार का एक केन्द्र लखनऊ में भी है।

योजना-आयोग के शब्दों में, परिवार-नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य (क) देश की तेजी से बढती हुई जन-संख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना; (ख) परिवार-नियोजन के लिए उपयुक्त उपाय खोजना और उनका व्यापक रूप से प्रचार करना तथा (ग) सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं मे परिवार-नियोजन-सम्बन्धी सलाह आदि देना है।

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में १४७ उपचारालय (२१ ग्रामीण तथा १२६ नागरिक क्षेत्रों में) खोले गये थे। दूसरी योजना की अवधि में करीब २,५०० उपचारालय (२,००० ग्रामीण तथा ५०० नागरिक क्षेत्रों में) खोलने की बात थी। दूसरी योजना में परिवार-नियोजन के विभिन्न कार्यों के लिए ४·९७ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था।

सन् १९५९-६० की अवधि में ३०० नागरिक तथा १,२०० ग्रामीण उपचारालय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नागरिक उपचारालय लक्ष्य से भी कुछ अधिक खुले।

परिवार-नियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र मे एक उच्चाधिकार-प्राप्त परिवार-नियोजन बोर्ड स्थापित किया गया है। लगभग सभी राज्यों में भी ऐसे बोर्ड विद्यमान हैं। परिवार-नियोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी अनेक केन्द्रों मे है। जनता को पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियों तथा फिल्मों की सहायता से परिवार-नियोजन सम्बन्धी-कार्यक्रम से अवगत कराया जा रहा है।

अनुसंधान-कार्य—बम्बई में एक क्लिनिक, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-केन्द्र स्थापित किया गया है। कुछ केन्द्रों में गर्भनिरोधक औषधों की जाँच-पड़ताल का काम भी जारी है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

पहली पंचवर्षीय योजना मे परिवार-नियोजन का प्रारंभ तो अल्प परिमाण में हुआ था, परन्तु अब इसका विस्तार काफी हो चुका है—यहाँ तक कि १९६१ तक इस कार्य में संलग्न शहरी केन्द्रों की संख्या ५४६ और ग्रामीण केन्द्रों की संख्या १,१०१ हो गयी। स्वास्थ्य-मंत्रालय ने तीसरी योजना के लिए सुझाव देने को एक विशेष समिति नियुक्त की थी। उसने इसके कार्यक्रम पर विचार करके कुछ सुझाव दिये हैं। उनका संबंध बहुत कुछ देश से है और

उनमें कार्यक्रम का विवरण, उसे पूरे करने के साधन, आर्थिक पहलू, स्त्री अथवा पुरुष का वन्ध्याकरण, स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका, गर्भ-निरोधक साधनों का उत्पादन, आदि अनेक विषय सम्मिलित हैं। परिवार-नियोजन के लिए तीसरी योजना में २५ करोड़ रु० रख दिये गये हैं, परन्तु विस्तृत कार्यक्रम बन जाने पर इस राशि के विषय में फिर विचार किया जायगा। अधिक जोर इन कामों पर दिया जायगा —

(१) परिवार-नियोजन के कार्यक्रम के अनुकूल सामाजिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए लोगों को समझाना-बुझाना और प्रचार करना;
(२) परिवार-नियोजन के कार्यों का साधारण स्वास्थ्य-सेवाओं के साथ मेल बैठाना;
(३) चिकित्सा और स्वास्थ्य-केन्द्रों की मारफत परिवार-नियोजन की वन्ध्याकरण आदि सेवाएँ उपलब्ध करना और गर्भ-निरोधक उपकरण बाँटना;
(४) मेडिकल कालेजों और अन्य शिक्षा-संस्थाओं में प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का विकास करना; और
(५) परिवार-नियोजन के आन्दोलन में स्थानीय नेताओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना।

वन्ध्याकरण कराने के लिए पुरस्कार

परिवार-नियोजन-कार्यक्रम के अन्तर्गत नकद पुरस्कार देकर वयस्क-वन्ध्याकरण-योजना को आशा से अधिक सफलता मिल रही है। महाराष्ट्र में जब से यह योजना लागू की गई है, तब से छह सप्ताह के अन्दर करीब १५ हजार व्यक्तियों को वन्ध्याकरण किया गया है और अब यह योजना सभी राज्यों में लागू की गई है।

वन्ध्याकरण कराने के लिए पुरुष को १५ रुपये, महिलाओं को २५ रु० और स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रति आपरेशन के लिए पाँच रुपये दिये जाते हैं।

सहायता तथा पुनर्वास

सन् १९५९ के अन्त तक पाकिस्तान से ८८.५७ लाख विस्थापित व्यक्ति भारत आये। इनमें से लगभग ४७.४० लाख व्यक्ति पश्चिम पाकिस्तान से तथा शेष पूर्व पाकिस्तान से आये। पश्चिम पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य वस्तुतः पूरा हो चुका है। पूर्व पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य भी समाप्तप्राय है। मार्च १९६० के अन्त तक सरकार, सहायता तथा पुनर्वास के रूप में, विस्थापित व्यक्तियों पर लगभग ३५२.५२ करोड़ रु० व्यय कर चुकी है।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित

३१ दिसम्बर, १९५९ तक पूर्व पाकिस्तान से आनेवाले ४१.१७ लाख विस्थापितों में से १.३८ लाख की देखभाल पश्चिम बंगाल तथा बिहार के शिविरों में, तथा ४९,११७ निराश्रित महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा लाचार व्यक्तियों की पूर्वी क्षेत्र के आश्रय-गृहों में की जा रही थी। त्रिपुरा तथा उड़ीसा के सब शिविर इस वर्ष बन्द कर दिये गये।

सन् १९५९ में ४८ शिविर बन्द किये गये, तथा ६७,२२१ व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर भेजा गया। उत्तरप्रदेश-सरकार ने सन् १९५८ में ३,००० परिवारों को स्वीकार किया था। अब वह २,००० अन्य कृषक-परिवारों को भी अपने यहाँ जगह देने को रज़ामन्द हो गई है। उत्तरप्रदेश मे ३,८०८ परिवारों को बसाने के लिए लगभग १३५·९० लाख रु० लागत की योजनाएँ स्वीकार की गई हैं। ४०३ परिवारों को मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में बसाया गया है। उड़ीसा, विहार तथा पश्चिम बंगाल के शिविरों में ३,५१२ विस्थापित परिवारों के लिए लगभग ७९·९८ लाख रु० की योजनाएँ मंजूर की गई हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में २२० एकड़ भूमि हस्तगत करने के लिए १८·८८ लाख रु० की मंजूरी दी गई है।

पूर्व पाकिस्तान के १०,००० से भी अधिक परिवारों को अन्दमान द्वीपों में बसा दिया गया है। आशा है कि ३१ मार्च, १९६१ के अन्त तक इन द्वीपों में लगभग ढाई हजार और परिवार बसा दिये जायँगे। बस्तियाँ बसाने की इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक परिवार को मुफ्त १० एकड़ भूमि तथा पहली फसल की कटाई तक ७० रु० मासिक जीविका-भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राह-खर्च के २१० रु० तथा मकान-निर्माण, पशु, बीज, बरतन आदि खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को १,७३० रु० दिया जाता है।

अबतक लगभग ४१,००० व्यक्ति विभिन्न कलाओं और दस्तकारियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा लगभग ३,५०० व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं। सन् १९५९ में लगभग २७ लाख रु० लागत की ४४ प्रशिक्षण-योजनाओं को स्वीकृति दी गई। रोजगार-केन्द्रों की सहायता से दिसम्बर १९५९ तक लगभग ६३,००० विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलवाया जा चुका है। मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार अथवा स्थापना के लिए २० योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन पर लगभग १९१ लाख रु० व्यय होगा तथा इनसे लगभग ७,९०० व्यक्तियों रोजगार मिलेगा। अबतक छोटे पैमाने के अथवा कुटीर-उद्योगों की १४१ योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनसे १८,००० विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

भारत के पूर्वी भाग में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सन् १९५९ में ५९३ प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनाने के लिए ४०·५९ लाख रु० तथा १,७०० प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए २ करोड़ रु० से अधिक के अनुदान स्वीकार किये गये। दस डिग्री कॉलेज भी खोले गये हैं।

दण्डकारण्य-योजना—पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए दण्डकारण्य-योजना के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में तथा उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों में ३०,०५२ वर्गमील क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। दण्डकारण्य-विकास-प्राधिकार संस्था की स्थापना सितम्बर, १९५८ में की गई थी। फरवरी, १९६० के मध्य तक लगभग १०,००० एकड़ क्षेत्र का विकास हो चुका है तथा उसमें १,६२१ विस्थापित परिवार बसाये जा चुके हैं।

पुनर्वास-उद्योग-निगम—केन्द्र से प्राय ५ करोड़ रु० की सहायता से एक पुनर्वास उद्योग-निगम स्थापित कर दिया गया है, जो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में, गैर-सरकारी उद्योग के सहयोग से, उद्योग आदि स्थापित करेगा तथा गैर-सरकारी उद्योगपतियों को ऋण प्रदान करेगा। यह निगम प्रशिक्षण और कार्य-व्यवस्था संस्थाएँ भी चलायेगा। इसके अतिरिक्त, यह निगम कुछ उद्योगों के [illegible]

करने की ओर विशेष ध्यान देगा। निगम ने १० औद्योगिक कम्पनियों को २७·०३ लाख रु० ऋण की स्वीकृति दी है, जिससे लगभग १,३०० विस्थापितों को काम मिलेगा।

पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित

सन् १९५९ के अन्त तक २,६३,८०४ व्यक्तियों को ८७ करोड़ रु० मूल्य की १९,३१,४०८ स्टैंडर्ड एकड़ भूमि पर 'स्थायी अधिकार' दिये गये। इसके अतिरिक्त, विस्थापितों को ८४,४५९ मकानों के मौरूसी अधिकार भी दिये गये।

सन् १९५९ के अन्त तक लगभग २·०३ लाख विस्थापितों को नौकरियों तथा व्यापार आदि में लगाया जा चुका है। व्यापार और उद्योग आदि जमाने के लिए उन्हें २२·१७ करोड़ रु० के ऋण भी दिये गये।

३१ जनवरी, १९६० तक ४·४९ लाख दावेदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में १२८·३० करोड़ रु० दिया जा चुका है। चूंकि, पश्चिमी पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का कार्य वस्तुतः समाप्त हो चुका है, इसलिए पुनर्वास-मंत्रालय की पश्चिमी शाखा को धीरे-धीरे विघटित किया जा रहा है।

कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास—सन् १९५९ में भारत-सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को सहायता देने का निश्चय किया। इसके अनुसार, कृषि-भूमि पर बसे प्रत्येक परिवार को एक हजार रु० तथा अन्य परिवारों को ३,५०० रु० दिया जायगा। इससे पहले पाकिस्तानी कब्जेवाले कश्मीरी प्रदेश से आनेवाले विस्थापितों के दावे स्वीकार नहीं किये जाते थे।

अन्य सहायता-कार्य

संकटकालीन सहायता संगठन—बाढ, अकाल तथा भूकम्प आदि जैसी परिस्थितियों में सहायता पहुँचाने के लिए लगभग सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में संकटकालीन सहायता संगठन स्थापित कर दिये गये हैं। इन्हें इन परिस्थितियों में उचित कार्य करने का भार सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय संकटकालीन सहायता-संगठन के एक अंग के रूप में, नागपुर में एक केन्द्रीय संकटकालीन सहायता-प्रशिक्षण-संस्थान भी स्थापित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को सहायता-कार्य-सम्बन्धी विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायगा।

मणिपुर में बाढ़ के कारण हानि उठानेवाले लोगों के सहायतार्थ भारत-सरकार ने रु० २२,५०० की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, बाढ के शिकार लोगों को भवन तथा सड़क-निर्माण आदि के स्थायी कार्यों के काम दिलवाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। 'भारतीय जनता अकाल ट्रस्ट' ने कश्मीर-घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तथा आसाम और मणिपुर के बाढग्रस्त इलाकों के सहायतार्थ पन्द्रह-पन्द्रह हजार रु० तथा मैसूर राज्य में समुद्री तूफान से क्षति उठानेवाले लोगों के लिए ५,००० रु० देने की स्वीकृति दी है।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष—प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता-कोष नवम्बर १९४७ में स्थापित किया गया था। तब से लेकर ३१ जुलाई, १९५९ तक भूकम्प, बाढ, सूखा, अकाल, आग, आदि से पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने में इस कोष से १,८५,७७,३८० रु० व्यय किया जा चुका है। आरम्भ में पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों को भी इस कोष से सहायता दी गई थी।

★

अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिम जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने, और उन पर लादी गई परम्परागत सामाजिक असमर्थताओं का निराकरण करने के उद्देश्य से आवश्यक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। संविधान में कहा गया है कि (१) अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाय तथा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना निषिद्ध कर दिया जाय (अनु० १७); (२) इन जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा की जाय तथा सामाजिक अन्याय और शोषण के सब रूपों से उन्हें बचाया जाय (अनु० ४६); (३) हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार समस्त वर्गों के हिन्दू-धर्मावलम्बियों के लिए उन्मुक्त रखे जायँ (अनु० २५): (४) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, ताल-तालावों, स्नान-घाटों और ऐसी सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने पर लगी सभी रुकावटें हटाई जायँ, जिनका पूरा या कुछ खर्च सरकार उठाती है, अथवा जो जनसाधारण के निमित्त समर्पित हों (अनु० १५); (५) इन जातियों को कोई भी धन्धा या व्यापार अपनाने का अधिकार दिया जाय (अनु० १६); (६) सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पानेवाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर कोई रुकावट न रखी जाय (अनु० २९); (७) सरकारी नौकरियों में इनकी नियुक्ति के हितों का ध्यान रखना सरकार का कर्त्तव्य है, अतः इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जायँ (अनु० १६ तथा ३३५); (८) संसद् तथा राज्यीय विधान-मण्डलों मे २० वर्ष की अवधि तक इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा दी जाय। (अनु० ३३०, ३३२ तक ३३४); (९) इनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्यों में सलाहकार-परिषदों और पृथक् विभागों की स्थापना की जाय तथा केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाय (अनु० १६४, ३३८ और ५वीं अनुसूची); तथा (१०) अनुसूचित और आदिम जातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाय (अनु० २४४ तथा ५वीं और ६ठी अनुसूची)।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियाँ (संशोधन) आदेश, १९५६ के अन्तर्गत संशोधित सूचियों के अनुसार, भारत में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या क्रमशः ५·५३ करोड़ तथा २.२५ करोड़ है। निरधिसूचित (डिनोटिफाइड) आदिम जातीय लोगों की संख्या लगभग ४० लाख है।

अस्पृश्यता-निवारण के उपाय

अस्पृश्यता (अपराध)-अधिनियम, १९५५—यह अधिनियम १ जून, १९५५ को पास हुआ। इसके अन्तर्गत, अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा-स्थान पर आने और वहाँ उपासना करने तथा पवित्र तालाब, कुएँ अथवा सोते से पानी लेने से रोकना दंडनीय है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधन थोपना तथा दुकान, सार्वजनिक

भोजनालय, सार्वजनिक अस्पताल या शिक्षालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से रोकना; किसी भी सडक, नदी, कुएँ, ताल-तालाब, नल्के, स्नान-घाट, शौचालय, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने, अथवा इन संस्थाओं और होटलों तथा भोजनालयों में रखे वरतनों का इस्तेमाल करने से रोकना दंडनीय अपराध है। काम या व्यापार-धन्धे-सम्बन्धी कोई असमर्थता लादना, किसी धर्मार्थ संस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने, किसी भी इलाके में आवासीय स्थान का निर्माण करने या उसमें रहने या कोई सामाजिक या आर्थिक कृत्य अनुष्ठान करने के सम्बन्ध में रोक लगाना, इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय है। इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति के हरिजन होने के कारण उसके हाथ कोई चीज न वेचने या उसका कोई काम न करने, अस्पृश्यता उन्मूलन के फलस्वरूप मिले अधिकारों का उपयोग करने मे किसी व्यक्ति को दु.खी-पीड़ित करने और सताने अथवा उसका वहिष्कार करने या ऐसे व्यक्ति को जाति-वहिष्कृत करने में योग देने के लिए भी दंड की व्यवस्था है।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन—भारत-सरकार सन् १९५४ से अस्पृश्यता-उन्मूलन-आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता देती आ रही है। इस कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी, दोनों प्रकार की संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य-सरकारों ने भी अपने जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को, जिनका वास्ता जनता से पड़ता है, यह आदेश दिया है कि वे उस कुरीति का अन्त करने पर विशेष वल दें। जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से लगभग सभी राज्यों में 'हरिजन-दिवस' तथा 'हरिजन-सप्ताह' मनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकाश राज्यों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ को लागू करने के लिए छोटी-छोटी समितियाँ नियुक्त कर दी गई हैं। इस कार्य के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं, इश्तहारों और अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग किया जा रहा है। अस्पृश्यता-सम्वन्धी एक फिल्म भी वनाई गई है।

अस्पृश्यता-विरोधी कार्य में हरिजन आश्रम-सेवक-संघ, भारतीय दलित-वर्ग-संघ, भारत दलित सेवक संघ तथा इलाहावाद के हरिजन आश्रम जैसे स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग तथा सहायता प्राप्त की जा रही है। पहली योजना की अवधि में इन सगठनों को सहायता-अनुदान के रूप में ६१,५०,७४६ रु० दिया गया, जिसमें केन्द्र ने १४,७७,२०० रु० दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य में गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में कुल मिलाकर लगभग २·०८ करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों की अखिल भारतीय स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में २४ लाख रु० दिया।

विधान-मंडलो में प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३३४ के अनुसार, राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जन-संख्या के अनुपात से इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में संविधान लागू होने के वाद से २० वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। लोकसभा मे आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए क्रमशः ७६ और ३१ स्थान सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, राज्यों के विधान-मंडलों में इन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की कुल सख्या क्रमशः ४७० तथा २२१ है।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व

२६ जनवरी, १९५० को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन पदों पर नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा देशव्यापी आधार पर की जाती हैं, उनमें १२½ प्रतिशत स्थान, तथा जो नियुक्तियाँ अन्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें १६⅔ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायें। अनुसूचित आदिम जातियों के लिए दोनों दशाओं में पाँच-पाँच प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

नौकरियों में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से आयु-सीमा में छूट, योग्यताओं के मानदंड में रियायत आदि जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्थान सुरक्षित रखने का सिद्धान्त उन नौकरियों पर भी लागू कर दिया गया है, जो केवल पदोन्नति तथा विभागीय उम्मीदवारों की प्रतियोगितामूलक परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं। अनुविहित और स्वायत्त-शासी निकायों तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के बारे में भी यह सिद्धान्त लागू किया गया है। यदि सुरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता, तो वे स्थान क्रमशः अनुसूचित आदिम जाति अथवा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। इन दोनों जातियों में से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद अरक्षित माना जाता है।

इन वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के नियम कुछ राज्य-सरकारों ने भी बना दिये हैं तथा राज्यों की नौकरियों में इनको अधिक स्थान दिलाने की दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के २,८२,६२० व्यक्ति भारत-सरकार के पदों पर नियुक्त हैं। रोजगार-केन्द्रों के आंकड़ों के अनुसार, सन् १९५८ में इन वर्गों के ४०,०८७ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

अनुसूचित तथा आदिम जातीय क्षेत्रों का प्रशासन

आसाम के स्वायत्तशासी आदिम जातीय क्षेत्र—छठी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार, संयुक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों, मिजो पहाड़ियों, उत्तर कछार पहाड़ियों तथा मिकिर पहाड़ियों के जिलों में एक प्रादेशिक परिषद् तथा पाँच जिला परिषदें स्थापित कर दी गई हैं; प्रत्येक जिला-परिषद् में अधिक-से-अधिक २४ सदस्य होते हैं, और इनमें तीन-चौथाई वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।

अन्य राज्यों में आदिम जातीय सलाहकार परिषदें—संविधान की पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रवाले राज्यों में आदिम जातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना की व्यवस्था है। यदि राष्ट्रपति चाहे, तो उन राज्यों में भी ऐसी परिषदें स्थापित की जा सकती हैं जिनमें, अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं, परन्तु अनुसूचित आदिम जातियाँ रहती हों। अब तक आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मध्यप्रदेश, मद्रास तथा राजस्थान में ऐसी परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। ये परिषदें अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण-विषयक मामलों पर राज्यपालों को सलाह देती हैं। केरल और मैसूर में भी एक-एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर दी गई है। हिमाचलप्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह में भी आदिम जातीय सलाहकार समितियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

कल्याणकारी तथा सलाहकार-संस्थाएँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति-आयुक्त—संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत, संविधान में की गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। आयुक्त की सहायता के लिए इस समय १० सहायक आयुक्त भी हैं।

आदिम जाति-कल्याण-अधिकारी—भारत-सरकार ने एक आदिम जाति-कल्याण-अधिकारी की नियुक्ति की है, जो आसाम में आदिम जातीय लोगों में हुए कार्य की समीक्षा करके भारत-सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा।

केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड—आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण-सम्बन्धी मामलों में संसत्सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने दो केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड स्थापित किये हैं—एक आदिम जातियों के कल्याण के लिए तथा दूसरा हरिजनों के कल्याण के लिए। ये बोर्ड इन वर्गों के लिए कल्याण-सम्बन्धी बातों पर भारत-सरकार को सलाह देते हैं तथा इन जातियों के लिए कल्याण-सम्बन्धी योजनाएँ बनाते हैं।

राज्यों के कल्याण-विभाग—संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश में एक-एक मंत्री के अधीन कल्याण-विभाग स्थापित करने की व्यवस्था है। इन राज्यों के अलावा, आसाम, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मणिपुर, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, हिमाचल-प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी कल्याण-विभाग स्थापित किये जा चुके हैं।

कल्याणकारी योजनाएँ

संविधान के अनुच्छेद ३३६ (२) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उनका निर्देशन कर सकती है। अनुच्छेद २७५ (१) के अनुसार, केन्द्र द्वारा इन वर्गों के कल्याण की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान दिये जाने की अपेक्षा की जाती है।

शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ—इन जातियों को शिक्षा की अधिक-से-अधिक सुविधाएँ देने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। अधिक जोर व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण पर दिया जाता है। विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई, छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, लेखन-सामग्री आदि की सुविधाएँ दी जा रही हैं। अनेक स्थानों पर दोपहर का भोजन देने की भी व्यवस्था है।

सन् १६४४-४५ में भारत-सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की थी। सन् १६४८-४६ में अनुसूचित आदिम जातियों, तथा सन् १६४६-५० में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियों देने की योजना आरम्भ की गई। सन् १६५८-५६ में सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को क्रमशः १२५·८६; २०·७६ तथा ७६·४६ लाख रु० (कुल २२३.११ लाख रु०) की छात्रवृत्तियाँ दीं।

सन् १९५३-५४ में भारत-सरकार ने इन वर्गों के सुपात्र विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। इस सम्बन्ध में सरकार बड़ी उदारता से विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। आसाम तथा बिहार-राज्य की सरकारें भी पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सभी तकनीकी संस्थाओं तथा शिक्षालयों से सिफारिश की है कि वे इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखें, आवश्यक उत्तीर्ण-अंकों की संख्या में कमी करें तथा अधिकतम आयु-सीमा बढ़ायें। सरकार के इन सुझावों को देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं ने कार्यरूप दिया है।

आर्थिक उन्नति के अवसर—२·२५ करोड़ आदिम जातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल-बदलकर खेती करते हैं। यह समस्या आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश के राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। पहली योजना की अवधि में इस प्रकार की खेती पर नियंत्रण रखने की एक योजना आरम्भ की गई थी। इन सिलसिले में अबतक आसाम में १६ मार्गदर्शक परियोजना-केन्द्र तथा आन्ध्रप्रदेश में ४ बस्ती-योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा में २,४६६ परिवार, बिहार में ४६० परिवार, मध्यप्रदेश में ३६६ परिवार तथा त्रिपुरा में ५,३३६ परिवार बसा दिये गये हैं।

आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बिहार तथा मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने, बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषि-योग्य बनाने तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में बाँट देने की कई योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पशु, उर्वरक, कृषि-औजार, उन्नत बीज आदि खरीदने के लिए भी उन्हें सुविधाएँ दी जा रही हैं। पशु-पालन तथा मुर्गी-पालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के माध्यम से कुटीर-उद्योगों का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में ऋण देनेवाली बहुद्देश्यीय सहकारी समितियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

ऋण के भार से दबे हुए व्यक्तियों को, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों में कानून विद्यमान हैं। आन्ध्रप्रदेश, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मध्यप्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि-अधिकार देने के लिए भी कानून बना दिये गये हैं।

अन्य कल्याणकारी कार्य—अन्य कल्याणकारी कार्यों में मकान बनाने के लिए सुगम [illegible] रूप से दी जानेवाली भूमि-सम्बन्धी सहायता, ऋण, सहकारी-संस्थाओं के लिए मकान बनाने के प्रयोजन से सरकार द्वारा दिये जानेवाले [illegible]-अनुदान तथा आर्थिक सहायता आदि उल्लेखनीय हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जाती है।

आदिम जाति अनुसंधान-संस्थान—उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिम जाति अनुसंधान-संस्थान स्थापित कर दिये गये हैं, जिनमें [illegible]

कल्याणकारी तथा सलाहकार-संस्थाएँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति-आयुक्त—संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत, संविधान में की गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। आयुक्त की सहायता के लिए इस समय १० सहायक आयुक्त भी हैं।

आदिम जाति-कल्याण-अधिकारी—भारत-सरकार ने एक आदिम जाति-कल्याण-अधिकारी की नियुक्ति की है, जो आसाम मे आदिम जातीय लोगों में हुए कार्य की समीक्षा करके भारत-सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा।

केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड—आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण-सम्बन्धी मामलों में संसत्सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने दो केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड स्थापित किये हैं—एक आदिम जातियों के कल्याण के लिए तथा दूसरा हरिजनों के कल्याण के लिए। ये बोर्ड इन वर्गों के लिए कल्याण-सम्बन्धी बातों पर भारत-सरकार को सलाह देते हैं तथा इन जातियों के लिए कल्याण-सम्बन्धी योजनाएँ बनाते हैं।

राज्यों के कल्याण-विभाग—संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश में एक-एक मंत्री के अधीन कल्याण-विभाग स्थापित करने की व्यवस्था है। इन राज्यों के अलावा, आसाम, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मणिपुर, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, हिमाचल-प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी कल्याण-विभाग स्थापित किये जा चुके हैं।

कल्याणकारी योजनाएँ

संविधान के अनुच्छेद ३३९ (२) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उनका निर्देशन कर सकती है। अनुच्छेद २७५ (१) के अनुसार, केन्द्र द्वारा इन वर्गों के कल्याण की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान दिये जाने की अपेक्षा की जाती है।

शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ—इन जातियों को शिक्षा की अधिक-से-अधिक सुविधाएँ देने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। अधिक जोर व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण पर दिया जाता है। विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई, छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, लेखन-सामग्री आदि की सुविधाएँ दी जा रही हैं। अनेक स्थानों पर दोपहर का भोजन देने की भी व्यवस्था है।

सन् १९४४-४५ में भारत-सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की थी। सन् १९४८-४९ में अनुसूचित आदिम जातियों, तथा सन् १९४९-५० मे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियाँ देने की योजना आरम्भ की गई। सन् १९५८-५९ में सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को क्रमशः १२५·८६; २०·७६ तथा ७६·४९ लाख रु० (कुल २२३.११ लाख रु०) की छात्रवृत्तियाँ दीं।

सन् १९५३-५४ में भारत-सरकार ने इन वर्गों के सुपात्र विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। इस सम्बन्ध में सरकार बड़ी उदारता से विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। आसाम तथा बिहार-राज्य की सरकारें भी पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सभी तकनीकी संस्थाओं तथा शिक्षालयों से सिफारिश की है कि वे इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखें, आवश्यक उत्तीर्ण-अंकों की संख्या में कमी करें तथा अधिकतम आयु-सीमा बढ़ायें। सरकार के इन सुझावों को देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं ने कार्यरूप दिया है।

आर्थिक उन्नति के अवसर—२·२५ करोड़ आदिम जातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल-बदलकर खेती करते हैं। यह समस्या आसाम, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश के राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। पहली योजना की अवधि में इस प्रकार की खेती पर नियंत्रण रखने की एक योजना आरम्भ की गई थी। इस सिलसिले में अबतक आसाम में १६ मार्गदर्शक परियोजना-केन्द्र तथा आंध्रप्रदेश में ४ बस्ती-योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा में २,४६६ परिवार, बिहार में ४६० परिवार, मध्यप्रदेश में ३६६ परिवार तथा त्रिपुरा में ५,३३६ परिवार बसा दिये गये हैं।

आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बिहार तथा मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने, बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषि-योग्य बनाने तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में बाँट देने की कई योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पशु, उर्वरक, कृषि-औजार, उन्नत बीज आदि खरीदने के लिए भी उन्हें सुविधाएँ दी जा रही हैं। पशु-पालन तथा मुर्गी-पालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के माध्यम से कुटीर-उद्योगों का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में ऋण देनेवाली बहुद्देश्यीय सहकारी समितियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

ऋण के भार से दबे हुए व्यक्तियों को, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों मे कानून विद्यमान हैं। आन्ध्रप्रदेश, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मध्यप्रदेश मे अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि-अधिकार देने के लिए भी कानून बना दिये गये हैं।

अन्य कल्याणकारी कार्य—अन्य कल्याणकारी कार्यों में मकान बनाने के लिए मुफ्त अथवा नाममात्र मूल्य पर दी जानेवाली भूमि-सम्बन्धी सहायता, ऋण, हरिजन-कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के प्रयोजन से स्थानीय निकायों को दिये जानेवाले सहायता-अनुदान तथा आर्थिक सहायता आदि उल्लेखनीय हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जाती है।

आदिम जाति अनुसंधान-संस्थान—उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिम जातीय अनुसंधान-संस्थान स्थापित कर दिये गये हैं, जिनमें आदिम जातीय

कल्याणकारी तथा सलाहकार-संस्थाएँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति-आयुक्त—संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत, संविधान में की गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। आयुक्त की सहायता के लिए इस समय १० सहायक आयुक्त भी हैं।

आदिम जाति-कल्याण-अधिकारी—भारत-सरकार ने एक आदिम जाति-कल्याण-अधिकारी की नियुक्ति की है, जो आसाम में आदिम जातीय लोगों में हुए कार्य की समीक्षा करके भारत-सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा।

केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड—आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण-सम्बन्धी मामलों में संसत्सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने दो केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड स्थापित किये हैं—एक आदिम जातियों के कल्याण के लिए तथा दूसरा हरिजनों के कल्याण के लिए। ये बोर्ड इन वर्गों के लिए कल्याण-सम्बन्धी बातों पर भारत-सरकार को सलाह देते हैं तथा इन जातियों के लिए कल्याण-सम्बन्धी योजनाएँ बनाते हैं।

राज्यों के कल्याण-विभाग—संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश में एक-एक मंत्री के अधीन कल्याण-विभाग स्थापित करने की व्यवस्था है। इन राज्यों के अलावा, आसाम, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मणिपुर, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, हिमाचल-प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी कल्याण-विभाग स्थापित किये जा चुके हैं।

कल्याणकारी योजनाएँ

संविधान के अनुच्छेद ३३६ (२) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उनका निर्देशन कर सकती है। अनुच्छेद २७५ (१) के अनुसार, केन्द्र द्वारा इन वर्गों के कल्याण की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान दिये जाने की अपेक्षा की जाती है।

शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ—इन जातियों को शिक्षा की अधिक-से-अधिक सुविधाएँ देने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। अधिक जोर व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण पर दिया जाता है। विद्यार्थियों को नि:शुल्क पढ़ाई, छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, लेखन-सामग्री आदि की सुविधाएँ दी जा रही हैं। अनेक स्थानों पर दोपहर का भोजन देने की भी व्यवस्था है।

सन् १६४४-४५ में भारत-सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की थी। सन् १६४८-४६ में अनुसूचित आदिम जातियों, तथा सन् १६४६-५० में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियाँ देने की योजना आरम्भ की गई। सन् १६५८-५६ में सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को क्रमशः १२५·८६; २०·७६ तथा ७६·४६ लाख रु० (कुल २२३.११ लाख रु०) की छात्रवृत्तियाँ दीं।

सन् १६५३-५४ में भारत-सरकार ने इन वर्गों के सुपात्र विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। इस सम्बन्ध में सरकार बड़ी उदारता से विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। आसाम तथा बिहार-राज्य की सरकारें भी पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सभी तकनीकी संस्थाओं तथा शिक्षालयों से सिफारिश की है कि वे इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखें, आवश्यक उत्तीर्ण-अंकों की संख्या में कमी करें तथा अधिकतम आयु-सीमा बढ़ायें। सरकार के इन सुझावों को देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं ने कार्यरूप दिया है।

आर्थिक उन्नति के अवसर—२·२५ करोड़ आदिम जातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल-बदलकर खेती करते हैं। यह समस्या आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश के राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। पहली योजना की अवधि में इस प्रकार की खेती पर नियंत्रण रखने की एक योजना आरम्भ की गई थी। इस सिलसिले में अबतक आसाम में १६ मार्गदर्शक परियोजना-केन्द्र तथा आन्ध्रप्रदेश में ४ बस्ती-योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा में २,४६६ परिवार, बिहार में ४६० परिवार, मध्यप्रदेश में २६६ परिवार तथा त्रिपुरा में ५,३३६ परिवार बसा दिये गये हैं।

आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बिहार तथा मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने, बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषि-योग्य बनाने तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में बाँट देने की कई योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पशु, उर्वरक, कृषि-औजार, उन्नत बीज आदि खरीदने के लिए भी उन्हें सुविधाएँ दी जा रही हैं। पशु-पालन तथा मुर्गी-पालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के माध्यम से कुटीर-उद्योगों का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में ऋण देनेवाली बहूद्देश्यीय सहकारी समितियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

ऋण के भार से दबे हुए व्यक्तियों को, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों मे कानून विद्यमान हैं। आन्ध्रप्रदेश, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मध्यप्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि-अधिकार देने के लिए भी कानून बना दिये गये हैं।

अन्य कल्याणकारी कार्य—अन्य कल्याणकारी कार्यों में मकान बनाने के लिए मुफ्त अथवा नाममात्र मूल्य पर दी जानेवाली भूमि-सम्बन्धी सहायता, ऋण, हरिजन-कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के प्रयोजन से स्थानीय निकायों को दिये जानेवाले सहायता-अनुदान तथा आर्थिक सहायता आदि उल्लेखनीय हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जाती है।

आदिम जाति अनुसंधान-संस्थान—उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिम जातीय अनुसंधान-संस्थान स्थापित कर दिये गये हैं, जिनमें आदिम जातीय

कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का गम्भीर अध्ययन किया जाता है। गौहाटी-विश्वविद्यालय में आसाम की आदिम जातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन आरम्भ हो गया है। बम्बई-राज्य में बम्बई की नृतत्त्व-शास्त्र-समिति, गुजरात-अनुसंधान-समिति तथा बम्बई विश्व-विद्यालय में आदिम जातियों के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक-अनुसंधान संस्थान ने राज्य के आदिम जातीय जीवन के कई पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। भारत-सरकार के नृतत्त्व-शास्त्र-विभाग में आसाम तथा पश्चिम बंगाल की प्रमुख आदिम जातियों के सम्बन्ध में गम्भीर अनुसंधान-कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य राज्यों की आदिम जातियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है। उत्तर-पूर्व सीमान्त-प्रदेश के अनुसंधान-विभाग में प्रदेश के लोगों की भाषाओं तथा संस्कृति के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाता है। उड़ीसा के आदिम जातीय अनुसंधान-संस्थान में भी कई महत्त्वपूर्ण आदिम जातीय समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के तीन जिलों में आदिम जातीय समस्याओं के अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है। बिहार संस्थान द्वारा भी संथाल परगना की एक आदिम जाति के अध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है। उदयपुर का भारतीय लोक-कला मण्डल एक अग्रणी गैर-सरकारी संगठन है, जिसने भूतपूर्व मध्य भारत तथा राजस्थान की आदिम जातियों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य—दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आदिम जातीय क्षेत्रों में ३,१८७ स्कूल और छात्रावास तथा २०० सामुदायिक और सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने तथा ३ लाख आदिम जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य रियायतें देने का लक्ष्य रखा गया था। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों के लिए भी ६,००० स्कूल और छात्रावास स्थापित करने तथा ३० लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ आदि देने की व्यवस्था थी। निरधिसूचित जातियों के लिए भी १·१६ लाख छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य सुविधाएँ देने की व्यवस्था की गई थीं। आदिम जातीय इलाकों में १०,२०० मील लम्बे पहाड़ी रास्ते तथा ४५० पुल-पुलियाँ बनाने के सम्बन्ध में राज्यों की जो योजनाएँ रहीं, उनके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने भी ४५० मील लम्बी मोटर चलने योग्य सड़कें, तथा ७२० मील लम्बे पहाड़ी रास्ते वगैरह बनाने की योजना बनाई, जिस पर करीब ४ करोड़ रु० व्यय हुआ। स्वास्थ्य-योजनाओं के अन्तर्गत, दवाखाने तथा चलती-फिरती स्वास्थ्य-इकाइयाँ चालू करने, स्वास्थ्य-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, आदिम जातीय क्षेत्रों में ४१,००० कुएँ तथा २ जलाशय बनाने और अनुसूचित जातियों के लिए २३,४०० कुएँ तथा निरधिसूचित जातियों के लिए ३६४ कुएँ बनाने की व्यवस्था रही। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के लिए १,२६,३०० मकान (व्यय ५·२५ करोड़ रु०) तथा आदिम जातियों के लिए ४५,८०० मकान बनाने का उद्देश्य था।

योजना में १२,००० आदिम जातीय परिवारों को १८६ बस्तियों में बसाने तथा निरधि-सूचित जातियों के १५,२४६ परिवारों के पुनर्वास के कार्यक्रम भी सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त, ३५० अनाज के गोलों को पूर्ण सहकारी संस्थाओं में परिवर्तित करने तथा अन्य ८०० वन-विषयक बहूद्देशीय सहकारी संस्थाएँ आरम्भ करने की भी व्यवस्था थी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा निरधिसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में कुल २,५६५·७८ लाख रु० व्यय

हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ६,१२६'३५ लाख रु० व्यय करने का लक्ष्य रहा। अनुमान है कि सन् १९५६-५७ से १९५८-५९ की अवधि में इन जातियों पर राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत २,४२८'२०७ लाख रु० तथा केन्द्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत ८६६'२७३ लाख रु० व्यय हो चुका है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए प्रस्तावित व्यय ५९ करोड़ रुपये, अनुसूचित जातियों के लिए ३२ करोड़ रुपये तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ९ करोड़ रुपये रखा गया है।

☆

कृषि

भारत की लगभग ७० प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर करती है तथा देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों से प्राप्त होती है। देश से निर्यात की जानेवाली कुछ वस्तुओं के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। लाख केवल भारत में ही पैदा होती है। मूँगफली और चाय के उत्पादन में भी भारत का स्थान संसार-भर में प्रथम है। चावल, पटसन, खाँडसारी, तिल, राई तथा अरंडी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नम्बर पर है

भूमि का उपयोग

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०'६३ करोड़ एकड़ है। इसमें से ७२'१ करोड़ एकड़ भूमि, अर्थात् कुल क्षेत्रफल के ८९'४ प्रतिशत भाग के ही आँकड़े उपलब्ध हैं। सन् १९५६-५७ के अनुसार, उस वर्ष १२'६१ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल; ९'७७ करोड़ एकड़ भूमि में चरागाह, वृक्ष, कुंज, आदि थे तथा ५'८५ करोड़ एकड़ भूमि बंजर थी। इसके अलावा, ११'६२ करोड़ एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी। कुल ३९'८५ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती थी।

सिंचित भूमि—कुल कृषि-भूमि में से लगभग १७ प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। सन् १९५०-५१ से नहरों, ताल-तालाबों, कुओं आदि से ५ १५ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी। सन् १९५६-५७ में ५'५७ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई।

भारत में कृषि की दो मुख्य विशेषताएँ हैं—एक तो यह, कि देश में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं; और दूसरी बात यह, कि अनाज की फसलों को अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है।

फसलें—भारत में फसलों के दो मौसम हैं—खरीफ तथा रब्बी। चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, गन्ना, तिल और मूँगफली खरीफ की; तथा गेहूँ, जौ, चना, अलसी, राई और सरसों रब्बी की मुख्य फसलें हैं।

मुख्य फसलों का क्षेत्र और उत्पादन—सन् १९५०-५१ तथा १९५८-५९ में मुख्य फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।

कृषि-उत्पादन (सभी जिंसों) का सूचनांक, जो सन् १९५५-५६ में ११६'९ था, सन् १९५६-५७ में बढ़कर १२३'६ हो गया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में ६ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। सन् १९५७-५८ में यह सूचनांक घटकर ११४'६ ही रह गया।

सन् १६५८-५६ में कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई, और सूचनांक १३१'० तक जा पहुँचा, जो सन् १६५७-५८ तथा १६५६-५७ की तुलना में क्रमश: १४'३ तथा ६'० प्रतिशत अधिक था। सन् १६५८-५६ में कृषि-उत्पादन का सूचनाक (कृषि-वर्ष १६४६-५० = १००) इस प्रकार था—खाद्यान्न १२८'२; अन्य फसलें (तेलहन, वस्त्र, वगान-उत्पादन आदि) १३६; समस्त पदार्थों का सामान्य सूचनाक १३१'० । सन् १६५०-५१ में यह सूचनाक इस प्रकार था—खाद्यान्न ६०'५; अन्य फसलें १०५'६; सामान्य सूचनाक ६५'६ ।

खाद्यान्न का आयात—सन् १६५६ में अमेरिकी सरकार के साथ गेहूँ और चावल के आयात के लिए, कनाडा की सरकार के साथ गेहूँ के आयात के लिए तथा वर्मा की सरकार के साथ चावल के आयात के लिए करार किये गये। इन देशों से, पहले के करारों के अन्तर्गत तथा अस्ट्रेलिया और कनाडा से कोलम्वो-योजना के अन्तर्गत, आयात जारी रहा।

खाद्यान्न की सामान्य स्थिति—सन् १६५१ में खाद्यान्न की स्थिति ठीक ही रही; क्योंकि सन् १०५८-५६ में ७'३५ करोड़ टन खाद्यान्न पैदा हुआ। केन्द्र तथा राज्य-सरकारों ने सन् १६५८-५६ के सीजन (नवम्वर-अक्टूबर) में १४ लाख टन चावल और धान प्राप्त किया, जबकि सन् १६५७-५८ में लगभग ५'१ लाख टन ही लिया गया था। सन् १६५६ में राज्य-सरकारों ने लगभग २'७ लाख टन गेहूँ भी प्राप्त किया।

विकास-कार्यक्रम

विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत, दो प्रकार की योजनाएँ हैं—निर्माण-कार्य-योजनाएँ तथा वितरण-योजनाएँ। पहली योजना के अन्तर्गत, कुँओं, तालाबों, छोटे वाँधों, नहरों और नलकूपों का निर्माण और उनकी मरम्मत, पम्पों आदि की स्थापना तथा मेंड़ लगाने और भूमि-पुनरुद्धार की योजनाएँ आती हैं तथा वितरण-योजनाओं के अन्तर्गत, उर्वरक और उन्नत बीज आदि बाँटे जाते हैं।

सन् १६५६-६० में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को ऋण के रूप मे सहायता देने के लिए ३६'८७ करोड़ रु० की व्यवस्था की।

सिंचाई के छोटे कार्य—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई के छोटे कार्यों द्वारा करीव १० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ देने की योजना है। दूसरी योजना के पहले दो वर्षों में ४० प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना की नलकूप-परियोजना मे भारत अमेरिकी प्राविधिक सहयोग-कार्यक्रम के अन्तर्गत, उत्तरप्रदेश, विहार तथा पंजाव मे ३,००० नलकूप खोदने का कार्य सितम्वर १६५६ के अन्त तक पूरा हो गया। इनमें ३५० वे नलकूप भी शामिल हैं, जो सन् १६५४ ई० में 'अधिक अन्न उपजाओ'-आन्दोलन की सहायता से शुरू की गई ७०० नलकूपों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत तैयार किये गये तथा जिनका खर्च प्राविधिक सहयोग-मंडल से मिलना था। शेष ३५० नलकूपों में से २७० नलकूप सितम्वर, १६५६ के अन्त तक खोदे गये तथा उनमें विजली लगाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, 'अधिक अन्न उपजाओ'-आन्दोलन की सहायता से उत्तर गुजरात में नलकूपों के निर्माण की परियोजना के अधीन सभी ४०० नलकूप खोद लिये गये हैं तथा उनमें से ३७४ में विजली लगा दी गई है।

उत्तर-प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खोदे जानेवाले १,५०० नलकूपों में से सितम्वर १६५६ तक ६३७ नलकूप खोदे गये, ५६० नलकूपों में पम्प लगाये गये तथा ५३५

नलकूपों में बिजली लगाई गई। बम्बई में ८४ नलकूप खोदे गये। आसाम में ६ नलकूप खोदे गये, जिनमें से ७ में पम्प और बिजली लगाई गई।

भूमि का पुनरुद्धार—सन् १९५९-६० की अवधि में, केन्द्रीय ट्रैक्टर-संगठन ने अक्तूबर १९५९ के अन्त तक ६,६०० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया। यह संगठन आरम्भ (सन् १९४८) से अबतक १९'७९ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कर चुका है।

खाद तथा उर्वरक—सन् १९५८-५९ में नगरों के मलमूत्र से २३ लाख टन खाद तैयार की गई, जिसमें से २१'२ लाख टन बाँट दी गई। सन् १९५९-६० के लिए २८'५ लाख टन खाद तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। कुछ राज्य-सरकारें हरी खाद के बीज बाँटकर हरी खाद का प्रचार बढ़ा रही हैं। हरी खाद के बीजों का संवर्द्धन करने के लिए राज्य-सरकारों को सहायता (प्रति मन पीछे दो रु०) दी जाती है।

सन् १९५९-६० में अमोनियम सल्फेट के रूप में नत्रजनयुक्त उर्वरकों की माँग १८'८ लाख टन तक जा पहुँची, जबकि देशीय उत्पादन ३'८२ लाख टन तथा आयात ३'४८ लाख टन होने का अनुमान था। इसी अवधि में सुपर-फास्फेट की माँग लगभग ३'४२ लाख टन होने का अनुमान है, जबकि इससे पहले वर्ष में यह मात्रा १'७ लाख टन थी।

उर्वरक खरीदने और किसानों को उधार बेचने की सुविधा देने के लिए राज्यों को अल्प-कालीन ऋण देना भी यथासम्भव जारी रखा गया।

पौध-संरक्षण तथा टिड्डी-नियंत्रण—पौध-संरक्षण, रोग-उन्मूलन तथा भाण्डार-निदेशालय ने अपने १४ पौध-संरक्षण-केन्द्रों द्वारा राज्यों को, फसलों में लगनेवाले कीड़ों तथा बीमारियों का नियंत्रण करने के कार्य में प्राविधिक परामर्श, उपकरणों, कृमिनाशकों तथा कर्मचारियों के रूप में सहायता दी। इन केन्द्रों ने चुने हुए ग्राम-पंचायती क्षेत्रों में भी पौध-संरक्षण-कार्य किया। इस वर्ष विमानों द्वारा २०,६०० एकड़ भूमि में कीड़ों की रोक-थाम करने के प्रयत्न किये गये।

आलोच्य अवधि में पश्चिम से २४ टिड्डी-दल भारत में प्रविष्ट हुए। राजस्थान के लगभग २,६०० वर्गमील रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डियों ने अंडे दिये। परन्तु ठीक समय पर काररवाई हो जाने के कारण वे नष्ट हो गये और फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा।

फसल-आन्दोलन—सन् १९५८-५९ में आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बम्बई, बिहार, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में गेहूँ, जौ, चना तथा ज्वार की चार बड़ी खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो 'रब्बी-उत्पादन-आन्दोलन' प्रारम्भ किया गया था, उसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। सन् १९५९-६० के खरीफ और रब्बी-सीजनों में विशेष उत्पादन-आन्दोलन किये गये। कूड़ा-खाद के गड्ढे खोदने तथा अधिकतम क्षेत्र में हरी खाद डालने के लिए भी विशेष प्रयत्न किये गये।

कृषि-हाट-व्यवस्था

देश में हाट-व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध करने का काम हाट-व्यवस्था तथा निरीक्षण-निदेशालय के जिम्मे है।

देश में कृषि और पशु-उत्पादनों का वर्गीकरण, कृषि-उत्पादन (वर्गीकरण और अंकन) अधिनियम, १९३७ के अन्तर्गत किया जाता है। तम्बाकू, सन, ऊन, सूअर के बाल, चन्दन के तेल आदि जैसी वस्तुओं का निर्यात करने से पूर्व उनका वर्गीकरण करने की व्यवस्था है। इसके

अतिरिक्त, देशी व्यापार के लिए घी, तेल, मक्खन, कपास, अंडे, गेहूँ के आटे, चावल, आलू, गन्ना, गुड़ और फलों का वर्गीकरण करने की भी व्यवस्था है। इस समय देश में ८०० वर्गीकरण-केन्द्र हैं।

मंडियों का नियमन आदि करना भी अत्यावश्यक है। इसलिए, नियमित मंडियों की संख्या बढाने का विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। अबतक ६४५ मंडियों का नियमन किया जा चुका है।

कृषि-पदार्थों की हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी सर्वेक्षण करके इस निदेशालय ने सन् १६५६ से अबतक ३१ रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। सन् १६५६-६० में भारत में आमों की हाट-व्यवस्था तथा ऊन के वर्गीकरण के सम्बन्ध में दो रिपोर्टें प्रकाशित की गईं।

कृषि-हाट-व्यवस्था के कर्मचारियों का प्रशिक्षण—इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दो पाठ्यक्रम हैं—राज्यों में हाट-व्यवस्था से सम्बन्धित उच्च कर्मचारियों को नागपुर मे एकवर्षीय पाठ्य-क्रम तथा हाट-व्यवस्था-सचिवों और अधीक्षकों को सागली और हैदराबाद में ४ मास का पाठ्य-क्रम पढ़ाया जाता है। अबतक ५१ उच्च कर्मचारियों तथा १४२ सचिवों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

फल-उत्पादन-आदेश, १६५५—फल-उत्पादन-आदेश, १६५५ के अन्तर्गत, इस उद्योग की वैज्ञानिक रीति से अभिवृद्धि करने की व्यवस्था है। अबतक ६४२ लाइसेंस दिये जा चुके हैं तथा ४,८२१ कारखानों का निरीक्षण किया जा चुका है।

वन-उद्योग

भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल २·६६ लाख वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का लगभग २१·३ प्रतिशत है। यह प्रतिशत अन्य देशों के प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम है। भारत का वन-क्षेत्र न केवल अनुपात की दृष्टि से थोड़ा है, बल्कि हमारे वन जहाँ-तहाँ बड़े बेढंगे ढंग से फैले हुए हैं तथा उसकी उत्पादकता प्रतिवर्ष प्रति एकड़ ३·० घनफुट है, जबकि फ्रांस की ५६·८ घनफुट, जापान की ३७·० घनफुट तथा अमेरिका की १८·० घनफुट है। इन बातों को देखते हुए, सन् १६५२ के राष्ट्रीय वन-नीति-प्रस्ताव में यह कहा गया था कि कुल भूमि के ३३·३ प्रतिशत भाग में वन लगाये जायँ। सन् १६५५-५७ में २,६८,७०१ वर्गमील मे वन थे।

उत्पादन—१६५५-५६ में भारतीय वनों से अनुमानत २४,४६,२८,००० रु० मूल्य की ५२,८५,०३,००० घनफुट लकड़ी निकाली गई।

वनों से कागज, दियासलाई तथा प्लाईऊड उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने के साथ-साथ, गोंद, राल, औषध-सम्बन्धी जड़ी-बूटियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। सन् १६५५-५६ में वनों से अनुमानत. ८,०१,७४,००० रु० मूल्य की उपर्युक्त तथा अन्य फुटकर वस्तुएँ प्राप्त हुईं।

विकास-योजनाएँ—दूसरी पंचवर्षीय योजना में वन-योजनाओं के लिए २०·६२ करोड़ रु० की व्यवस्था है। इनके अन्तर्गत, ढाई लाख एकड़ भूमि में फैले उपेक्षित वनों को सुधारने, ८६,००० एकड़ भूमि में व्यापारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लकड़ी—जैसे टीक, १६,७०० एकड़ भूमि में औद्योगिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लकड़ी; तथा ६२,००० एकड़ भूमि में दियासलाई की लकड़ी उगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, नहरों, सड़कों, रेल-पटरियों के किनारों तथा ग्रामीण परती भूमि पर ईंधन और चारा उगाने का भी विचार है। इस कार्यक्रम में वनों में सड़कें बनाने, इमारती लकड़ी का उपचार करने तथा वन्य पशुओं का संरक्षण करने की व्यवस्था है। देहरादून के वन-अनुसंधान-संस्थान के अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में भी एक वन-अनुसंधान-केन्द्र स्थापित कर दिया गया है।

आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्दमान-द्वीपसमूह के वनों से इमारती लकड़ी काटने का काम निरन्तर प्रगति कर रहा है। अप्रैल-सितम्बर, १९५६ की अवधि में मध्यवर्त्ती तथा दक्षिणी द्वीपसमूह में सरकार ने और उत्तर द्वीपसमूह मे प्राइवेट कम्पनियों ने वनों से क्रमश २३,३०७ टन और ७,४३१ टन इमारती लकड़ी प्राप्त की। इसी अवधि में सरकार तथा प्राइवेट कम्पनियों ने क्रमश: १२,१६४ टन तथा ७,७६५ टन इमारती लकड़ी भारत भेजी। इस अवधि में विदेशों को कोई लकड़ी नहीं भेजी गई।

भूमि-संरक्षण—सन् १९५९-६० में राज्यों ने भूमि-संरक्षण के कार्यक्रमों के अन्तर्गत १८० योजनाएँ आरम्भ कीं, जिनसे लगभग ९'४६ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा। इनके लिए केन्द्र से लगभग ३'८ करोड़ रु० की सहायता प्राप्त होगी। भाखड़ा-नंगल के जलग्रहण-क्षेत्र में भूमि-संरक्षण के लिए केन्द्र ने २० लाख रु० की योजनाएँ स्वीकार कीं।

मुख्य फसलो का क्षेत्र और उत्पादन

फसल	क्षेत्र (हजार एकड़)		उत्पादन (हजार टन)	
	१९५०-५१	१९५८-५९	१९५०-५१	१९५८-५९
चावल	७६,१३५	८१,५९०	२०,२५१	२९,७२१
ज्वार ...	३८,४७७	४२,६०८	५,४०८	८,६८९
बाजरा ...	२२,२९६	२७,६०५	२,५५४	३,७६१
मकई ...	७,८०७	१०,३१४	१,७०२	२,९९०
रागी	५,४४४	५,९३०	१,४०७	१,७२९
जई	११,३८०	१२,१५६	१,७२२	२,०४८
गेहूँ ...	२४,०८२	३०,९६६	६,३६०	९,६६४
जौ ...	७,६९३	८,१६४	२,३४०	२,६४०
चना ...	१८,७०६	२४,८४०	३,५९३	६,८२६
अरहर ...	५,३८९	५,८९०	१,६९२	१,६६२
अन्य दालें ...	२३,०८०	२८,२४०	२,९९३	३,७२०
आलू ...	५९२	८२२	१,६३४	२,३१९
गन्ना ...	४,२१७	४,८३६	५६,१५०	७०,९१५
काली मिर्च ...	१९७	२३१	२१	२६
मिर्च ...	१,४६४	१,४७९	३४५	३३२
अदरख ...	४१	३७	१५	१३
तम्बाकू ...	८८३	८९६	२५७	२६३
मूँगफली ...	११,१०६	१४,४८१	३,४२६	४,८१६
अरंडी	१,३७२	१,१९३	१०१	११३
तिल ...	५,४४५	५,३३२	४३८	४९३
राई और सरसों	५,११८	६,२८८	७५०	१,०६९
अलसी ...	३,४६७	३,७०८	३६१	४३०
कपास	१४,५३६	१९,८२५	२,९१०	४,७०५
			(हजार गाँठें)	(हजार गाँठें)

—सल	क्षेत्र (हजार एकड़)		उत्पादन (हजार टन)	
पटसन ...	१,४११	१,८२७	३,२८३ (हजार गाँठें)	५,१७८ (हजार गाँठें)
चाय ...	७७७	अनुपलब्ध	६०७ (लाख पौंड)	अनुपलब्ध
कहवा	२२४	"	५४ (लाख पौंड)	"
रबर ...	१४४	"	३२ (लाख पौंड)	"
नारियल ...	१,५३६	"	३३,१२० लाख	"

पशु-पालन और मत्स्य-पालन

सन् १९५१ तथा १९५६ की पंचवर्षीय पशु-गणनाओं के अनुसार, देश के पशुओं, मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-औजारों की संख्या नीचे की तालिका में दिखाई गई है—

पशुओं, मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-औजारों की संख्या

(क) पशु	१९५६ की पशु-गणना	१९५१ की पशु-गणना
(१) गाय-बैल	१५,८७,००,०००	१५,५२,००,०००
(२) भैंस तथा भैंसे	४,४६,००,०००	४,३४,००,०००
(३) भेड़	३,९२,००,०००	३,९०,००,०००
(४) बकरे-बकरियाँ	५,५४,००,०००	४,७१,००,०००
(५) घोड़े और टट्टू	१५,००,०००	१५,००,०००
(६) अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट और सूअर)	६८,००,०००	६४,००,०००
कुल पशु ...	३०,६५,००,०००	२९,२६,००,०००
(ख) मुर्गे-मुर्गियाँ आदि	९,४७,००,०००	७,३५,००,०००
(ग) कृषि-औजार		
(१) हल : लकड़ी के	३,६६,१५,०००	३,१८,०९,०००
" लोहे के	१३,६७,०००	९,३०,०००
(२) बैलगाड़ियाँ	१,०९,९१,०००	९८,५४,०००
(३) गन्ना पेरनेवाले कोल्हू :		
बिजलीवाले	२३,०००	२१,०००
बैलवाले	५,४५,०००	५,०५,०००
(४) तेल से चलनेवाले इंजिन (सिंचाई के पम्पों-सहित)	१,२२,०००	८२,०००
(५) बिजलीवाले पम्प (सिंचाई के लिए)	५५,०००	२५,०००
(६) ट्रैक्टर (केवल कृषि के लिए) ...	२१,०००	९,०००
(७) घानियाँ :		
५ सेर तथा उससे अधिक की	९६,०००	२,४२,०००
५ सेर से कम की	२,१२,०००	२,०४,०००

पशुपालन का विकास करने सम्बन्धी सरकार की जो नीति है, उसका उद्देश्य देश में चुनी हुई नस्लों के पशुओं तथा अन्य पशुओं की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, केन्द्र ग्राम-योजना, गोशाला-विकास तथा गोसदन-योजनाएँ चलाई गई हैं।

केन्द्र ग्राम-योजना—अखिलभारतीय केन्द्र ग्राम-योजना पहली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य देश में दुग्ध-उत्पादन तथा पशुओं की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना को विस्तृत आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। नई योजना के अन्तर्गत, केन्द्र ग्राम-क्षेत्रों में वर्त्तमान कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्रों का विकास, ग्रामीण और नागरिक गर्भाधान, केन्द्रों और केन्द्र ग्राम-विस्तार-केन्द्रों की स्थापना, बढ़िया नस्ल के बछड़े पालने के लिए सरकारी सहायता की व्यवस्था तथा चारे आदि के संसाधनों का विकास किया जा रहा है। इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, इस योजना में १०४ कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्रों के विस्तार, २४५ नये कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्रों और २५४ केन्द्र ग्राम विस्तार-केन्द्रों की स्थापना, तथा ३४,५४५ चुने हुए उन्नत बछड़ों के रख-रखाव के लिए सरकारी सहायता देने की व्यवस्था है। अबतक १०३ वर्त्तमान कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्रों का विस्तार तथा १६१ नये कृत्रिम गर्भाधान और ४५ केन्द्र ग्राम-विस्तार-केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, ११,८८२ बछड़े पालने के लिए सरकारी सहायता भी दी गई।

गोसदन-योजना—गोसदन-योजना का उद्देश्य बूढ़े, पंगु तथा बेकार पशुओं को अलग करके उनकी पृथक् व्यवस्था करना है। इस योजना के अन्तर्गत, सन् १९५६-६० के अन्त तक २८ गोसदन स्थापित किये गये तथा आठ गोसदनों में चर्मालय भी बनाये गये।

गोशाला-विकास-योजना—सन् १९५९-६० की अवधि में ३२ नई गोशालाओं का विकास करने का काम आरम्भ किया गया, जिसके फलस्वरूप दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अवतक विकसित गोशालाओं की संख्या १६३ हो गई। इन गोशालाओं का उद्देश्य देश की गोशालाओं को दुग्ध-उत्पादन के उत्तम केन्द्रों के रूप में विकसित करना तथा अच्छी नस्ल के पशु तैयार करना है।

दुग्धशाला-योजनाएँ—सन् १९५९-६० में केन्द्र ने पुरानी दुग्धशाला-विकास-योजनाओं को पूरा करने और नई योजनाएँ आरम्भ करने के लिए २७५ लाख रु० तथा दिल्ली दुग्ध-योजना के लिए ७७·३ लाख रु० की व्यवस्था की।

'दिल्ली दुग्ध-योजना' १ नवम्बर, १९५९ से आरम्भ हो चुकी है। माधवरम् (मद्रास) की दूध-बस्ती भी नवम्बर १९५९ में चालू हो गई। हरिणघाटा (कलकत्ता) की दुग्धशाला में अब ५,००० पशु हैं। आरा दूध-बस्ती का भी विस्तार किया गया है। गुंतूर सहकारी दूध-संघ का दूध-प्लाट भी चालू हो गया है। अगरतला, कोयमुत्तूर, चंडीगढ, गया, बंगलोर तथा त्रिवेन्द्रम् की दुग्धशालाओं की इमारतें तैयार हो चुकी हैं तथा इन दुग्धशालाओं के लिए मशीनें आदि खरीदने और लगाने की व्यवस्था हो गई है। आगरा, कटक, जयपुर, नेल्लोर, पटना, श्रीनगर और हिसार की दुग्धशालाओं का निर्माण भी प्रगति पर है।

आनन्द-स्थित 'खेड़ा सहकारी दुग्ध-संघ' अच्छी प्रगति कर रहा है। अमृतसर में दूध-पदार्थों का कारखाना बन रहा है। अलीगढ, जूनागढ, बरौनी और राजकोट में भी ऐसे कारखाने बनाने का आरम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

—सल	क्षेत्र (हजार एकड़)		उत्पादन (हजार टन)	
पटसन ...	१,४११	१,८२७	३,२८३ (हजार गाँठें)	५,१७८ (हजार गाँठें)
चाय ...	७७७	अनुपलब्ध	६०७ (लाख पौंड)	अनुपलब्ध
कहवा	२२४	,,	५४ (लाख पौंड)	,,
रबर ...	१४४	,,	३२ (लाख पौंड)	,,
नारियल ...	१,५३६	,,	३३,१२० लाख	,,

पशु-पालन और मत्स्य-पालन

सन् १९५१ तथा १९५६ की पंचवर्षीय पशु-गणनाओं के अनुसार, देश के पशुओं, मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-औजारों की संख्या नीचे की तालिका में दिखाई गई है—

पशुओं, मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-औजारों की संख्या

	१९५६ की पशु-गणना	१९५१ की पशु-गणना
(क) पशु		
(१) गाय-बैल	१५,८७,००,०००	१५,५२,००,०००
(२) भैंस तथा भैंसे	४,४९,००,०००	४,३४,००,०००
(३) भेड़	३,९२,००,०००	३,९०,००,०००
(४) बकरे-बकरियाँ	५,५४,००,०००	४,७१,००,०००
(५) घोड़े और टट्टू	१५,००,०००	१५,००,०००
(६) अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट और सूअर)	६८,००,०००	६४,००,०००
कुल पशु ...	३०,६५,००,०००	२९,२६,००,०००
(ख) मुर्गे-मुर्गियाँ आदि	९,४७,००,०००	७,३५,००,०००
(ग) कृषि-औजार		
(१) हल : लकड़ी के	३,६६,१५,०००	३,१८,०९,०००
,, लोहे के	१३,६७,०००	९,३०,०००
(२) बैलगाड़ियाँ	१,०९,९१,०००	९८,५४,०००
(३) गन्ना पेरनेवाले कोल्हू :		
बिजलीवाले	२३,०००	२१,०००
बैलवाले	५,४५,०००	५,०५,०००
(४) तेल से चलनेवाले इंजिन (सिंचाई के पम्पों-सहित)	१,२२,०००	८२,०००
(५) बिजलीवाले पम्प (सिंचाई के लिए)	५५,०००	२५,०००
(६) ट्रैक्टर (केवल कृषि के लिए) ...	२१,०००	९,०००
(७) घानियाँ :		
५ सेर तथा उससे अधिक की	९६,०००	२,४२,०००
५ सेर से कम की	२,१२,०००	२,०४,०००

सिंचाई और बिजली

सिंचाई

अनुमान लगाया गया है कि भारत का जल-संसाधन १३५.६ करोड़ एकड़-फुट है, जिसमें से लगभग लगभग ४५ करोड़ एकड़-फुट का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। अनुमान है कि सन् १९५१ तक सिंचाई के लिए ८.८ करोड़ एकड़-फुट पानी (कुल जल-संसाधन का ६.५ प्रतिशत अथवा उपयोग में लाये जा सकनेवाले पानी का १९.५ प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया। जल के संसाधनों का ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया जा रहा है—

जल के संसाधन एवं उनका उपयोग (लाख एकड़-फुट में)

नदी-प्रणाली	अनुमति औसत प्रवाह	१९५१ तक उपयोग	प्रथम योजना में (पूर्ण विकास के लिए) योजनाओं द्वारा अतिरिक्त उपयोग	द्वितीय योजना में (पूर्ण विकास के लिए) योजनाओं द्वारा अतिरिक्त उपयोग
सिन्ध	१,६८०	८०	१,१०.०	१२.०
गंगा	४,०००	३,८०	२,१५.०	१,४५.०
ब्रह्मपुत्र	३,०००	२३	—	—
गोदावरी	७,४०	१,२०	१०.०	१५.०
महानदी	८,४०	३१	१,०५.०	२.०
कृष्णा	५,००	६०	१,५६.०	२६.०
नर्मदा	३,२०	२	—	१,०१.०
ताप्ती	१,७०	२	७०	३५.०
कावेरी	१,२०	८०	१३.०	६.०

नदियों के वहाव को सिंचाई की नहरों में मोड़ने की सम्भावनाएँ अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए भविष्य में सिंचाई का विकास करने सम्बन्धी योजनाओं का उद्देश्य वर्षाऋतु में नदियों में बहनेवाले अतिरिक्त जल का बाँध बनाकर संग्रह करना है, ताकि वर्षाभाव के दिनों में उसका उपयोग किया जा सके। जिन क्षेत्रों में नदियों अथवा नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती, उन क्षेत्रों में तालाबों और कुँओं का निर्माण तथा अन्य साधनों से सिंचाई करने की व्यवस्था की जा रही है।

सन् १९२७ ई० में स्थापित केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-बोर्ड देश में सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में आधारभूत अनुसंधान-कार्य करने तथा देश के विभिन्न भागों में स्थापित १६ अनुसंधान-केन्द्रों के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग को, राज्य-सरकारों के परामर्श से, बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई, जहाजरानी तथा पन-बिजली के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-संसाधनों का नियंत्रण, उपयोग तथा संरक्षण करने की योजनाएँ आरम्भ करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा

मुर्गी-पालन—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, अखिलभारतीय मुर्गी-पालन विकास-योजना का उद्देश्य ३०० मुर्गी-पालन-विस्तार-विकास-केन्द्र तथा ५ प्रादेशिक विस्तार-फार्म खोलना है। सन् १९५८-५९ में १४६ मुर्गीपालन-केन्द्र खोले गये तथा सन् १९५९-६० में ५४ केन्द्र खोलने की योजना थी। उड़िसा, दिल्ली, बम्बई तथा हिमाचल-प्रदेश में ४ प्रादेशिक मुर्गी-पालन फार्म स्थापित किये गये हैं। दुग्धशालाओं के लिए न्यूजीलैंड की सरकार तथा अन्तराष्ट्रीय बाल-सहायता-कोष से भी काफी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, आरा, हरिणघाटा और आनन्द के दूध-प्लाटों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा गया।

मत्स्य-पालन—मत्स्य-पालन-सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य-सरकारों की विशिष्ट परियोजनाओं तथा विकास-कार्यक्रमों में खाद्य और कृषि-संगठन, प्राविधिक सहयोग-मंडल तथा भारत-नार्वे-प्रतिष्ठान ने गत वर्ष भी सहायता देना जारी रखा।

इस वर्ष अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन के विकासार्थ रायपुर (मध्य-प्रदेश) में एक और विस्तार इकाई स्थापित की गई। इससे पूर्व ९ विस्तार-इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं, जो मछुओं तथा उनकी सहकारी संस्थाओं को सहायता तथा ग्रामसेवकों को मत्स्य-पालन का काम सिखाती हैं।

खेतिहर-मजदूर

पहली बार सन् १९५०-५१ में कृषि-मजदूरों के सम्बन्ध में जो जाँच की गई, उससे प्रकट हुआ कि देश में खेतिहर-मजदूर-परिवारों की कुल संख्या १·७९ करोड़ थी। इसमें से ५० प्रतिशत, अर्थात् ८८ लाख मजदूरों के पास थोड़ी-बहुत भूमि थी तथा बाकी भूमिहीन थे।

अनियमित पुरुष खेतिहर-मजदूरों का औसत दैनिक वेतन कृषि और कृषीतर कामों के लिए क्रमशः १·०९ रु० तथा १·०८ रु० था। हर मजदूर परिवार की औसत वार्षिक आय ४४७ रु० तथा व्यय ४६१ रु० थी। लगभग ४४·५ प्रतिशत खेतिहर-मजदूर-परिवारों के सिर पर ऋण का बोझ था।

दूसरी अखिलभारतीय खेतिहर-मजदूर-जाँच सन् १९५६-५७ में की गई, जिसका उद्देश्य पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये विकास-कार्यक्रमों का खेतिहर-मजदूरों के रोजगार, मजदूरी और आय, तथा जीवन-यापन के स्तर पर पड़े प्रभाव का पता लगाना था। इस जाँच के परिणाम अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं।

खेतिहर-मजदूरों का न्यूनतम वेतन—न्यूनतम वेतन-अधिनियम, १९४८ का उद्देश्य खेतिहर-मजदूरों की आय में सुधार करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, अधिकाश राज्यों में खेतिहर-मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने खाद्य और कृषि-मंत्रालय के कृषि-प्रदर्शन-फार्मों तथा प्रतिरक्षा-मंत्रालय के सैनिक-फार्मों में भी न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिया है।

★

चालू बड़ी मध्यम सिंचाई-योजनाओं से प्रत्याशित लाभ
(हजार एकड़)

क्रम-संख्या	राज्य	दूसरी योजना के अंत में		तीसरी योजना के अंत में	
		क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
१	२	३	४	५	६
१.	आसाम	—	—	—	—
२.	आंध्रप्रदेश	८३०	७३५	२,०३५	१,६४०
३.	उड़ीसा	१,०००	७२०	२,३८५	२,१८५
४.	उत्तरप्रदेश	२,३७५	१,५६५	३,६७५	२,५८०
५.	केरल	३७०	३५५	५८०	५४०
६.	गुजरात	७२५	२४५	२,१५०	१,६८५
७.	जम्मू और कश्मीर	२०	२०	११०	१०५
८.	पंजाब	३,६४०	२,६७५	४,३३०	४,२१५
९.	पश्चिम-बंगाल	१,७००	१,२६०	२,६८५	२,२३५
१०.	बिहार	६१५	७२०	२,८४०	१,६८०
११.	मद्रास	५४५	५४५	८२०	७७०
१२.	मध्यप्रदेश	८०	६०	१,३६०	१,०३०
१३.	महाराष्ट्र	२७५	१६५	१,२५०	८२५
१४.	मैसूर	७८०	४७५	१,४७०	१,४२०
१५.	राजस्थान	६६५	६६०	२,३७५	१,६००
	कुल योग	१४,२२०	१०,५७०	२८,३२५	२३,११०

१. 'क्षमता' का मतलब उस क्षेत्र से है, जो नहरों के मुहानों पर प्राप्त पानी से सींचा जा सकता है।

२. उपर्युक्त सभी आँकड़ों में कुल सिंचाई का हिसाब दिया गया है, शुद्ध सिंचाई का नहीं।

विद्युत्

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य तक विद्युत्-उत्पादन की प्रगति बड़ी धीमी थी। सन् १९२५ में ई० इसकी कुल स्थापित क्षमता जहाँ केवल १,६२,३४१ किलोवाट थी, वहाँ मार्च १९५९ ई० सार्वजनिक उपयोग के बिजलीघरों की स्थापित क्षमता ३५,११,५८६ किलोवाट तक जा पहुँची। इसीसे विद्युत्-उत्पादन की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। उपर्युक्त अवधि में बिजली का उत्पादन भी ४५७·५५ करोड़ किलोवाट-घंटे से बढ़कर १,२६९·४ करोड़ किलोवाट-घंटे हो गया।

संसाधन—भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत्-उत्पादन केवल ३९ किलोवाट-घंटे है, जबकि नार्वे, कनाडा, ब्रिटेन तथा जापान में यह उत्पादन क्रमशः ७,७४०; ५,७८०; १,९१० तथा ८७५ किलोवाट-घंटे है।

उन्हें आगे बढने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, देश-भर में तापीय (थर्मल) बिजली का विकास करने की योजनाओं तथा बिजली का वितरण और उपयोग करने का काम भी इसी आयोग के जिम्मे है।

बाढ की रोक-थाम

सन् १९५४ की वर्षाऋतु में देश के विभिन्न भागों में आई अभूतपूर्व बाढ़ की विनाश-लीला को ध्यान में रखते हुए भारत-सरकार ने सितम्बर १९५४ में बाढ-नियंत्रण का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम को तीन भागों में बाँटा गया तथा पहले दो वर्षों में मुख्यतः जाँच-पड़ताल तथा आँकड़ों का संग्रह करने का कार्य किया गया। अगले चार-पाँच वर्षों में, अर्थात् तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में तटबन्धों तथा नाले-नालियों का सुधार करके बाढ-सुरक्षा के उपाय किये जायेंगे।

केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण-बोर्ड के अतिरिक्त, १२ राज्यों में बाढ-नियंत्रण बोर्ड हैं, जिनको प्राविधिक मामलों में सलाहकार-समितियाँ सहायता देती हैं। केन्द्रीय बोर्ड की सहायता के लिए केन्द्र ने ४ नदी-आयोग (बाढ) भी स्थापित कर दिये हैं। केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग में एक बाढ़-शाखा भी सम्मिलित कर दी गई है। सन् १९५४-५५ ई० से १९६३ ई० तक केन्द्र ने ६२ बृहत् योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिनमें से प्रत्येक योजना पर दस-दस लाख रु० अथवा इससे अधिक व्यय बैठेगा। इसके अतिरिक्त, अन्य ५३३ छोटी योजनाएँ भी स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक पर दस-दस लाख रु० से कम व्यय होगा।

इस सम्बन्ध में भारत का सर्वेक्षण-विभाग आकाश से फोटो आदि लेने का कार्य कर रहा है। विभिन्न राज्यों में तटबंध आदि बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है। ४६ नगरों को बाढ अथवा भूमि-क्षरण से बचाने के लिए उपाय किये जा चुके हैं तथा ४,२०० गाँवों का स्तर बाढ-स्तर से ऊपर उठा दिया गया है।

बाढ-समस्या का समाधान करने में परामर्श देने के लिए भारत-सरकार ने अप्रैल १९५७ ई० में एक उच्चस्तरीय बाढ़-समिति नियुक्त की थी। इसने नवम्बर १९५८ में अपनी रिपोर्ट का दूसरा भाग प्रस्तुत किया। समिति की रिपोर्ट के पहले भाग के (जो दिसम्बर १९५७ में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था) सिफारिशों को केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण-बोर्ड ने मई १९५८ में स्वीकार किया। रिपोर्ट के दूसरे भाग की सिफारिशें संक्षिप्त रूप में राज्यों को भेज दी गई हैं, ताकि वे अपनी योजनाओं में यथावश्यक परिवर्तन कर लें।

अन्तर्देशीय नौकानयन

अबतक जिन बहूद्देश्यीय योजनाओं का निर्माण हो चुका है, अथवा जिनका निर्माण जारी है, उनका एक उद्देश्य अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्रदान करना भी है। दामोदर-घाटी-निगम ने नौकानयन के योग्य ८५ मील लम्बी नहर बनाने का लक्ष्य बनाया है। हीराकुंड-बाँध-परियोजना का कार्य पूरा होने पर धौलपुर से कटक तक अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना है। तुंगभद्रा-परियोजना में आंध्रप्रदेश की ओर एक नौकानयन तथा सिंचाई-नहर निकालने का भी लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान-नहर में भी नौकानयन की व्यवस्था करने का सुझाव विचाराधीन है।

दूसरी योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत्-उत्पादन-योजनाएँ

योजना तथा राज्य	कुल व्यय (लाख रु०)	लाभ (हजार किलोवाट में) जब पूरी हो जायगी	दूसरी योजना की अवधि में
तुंगभद्रा (आंध्रप्रदेश और मैसूर)			
पहला चरण	६,०००[१]	४५	३६
भाखड़ा-नंगल (पंजाब और राजस्थान)	१७,०००[१]	६०४	५५६
हीराकुंड (उड़ीसा) पहला चरण .	७,०७८[१]	१२३	१२३
दामोदर-घाटी निगम (बंगाल और बिहार)	१०,५३८[१]	२५४	१००
चम्बल (मध्यप्रदेश और राजस्थान)			
पहला चरण	६,३६०[१]	६२	६२
मचकुंड (आंध्रप्रदेश और उड़ीसा)	५,७३२	११८·७५	८०·७५
उम्त्रु (आसाम)	२१२·०६	८४	८·४
कोयना (बम्बई)	३,८२८	२४०	—
पेरियार (मद्रास)	१,००६	१०५	१०५
मद्रास तापीय बिजली-केन्द्र का विस्तार (मद्रास)	६५६	६०	३०
रिहंद (उत्तरप्रदेश)	४,६०५	२५०	१००
रामगुंडम् (आंध्रप्रदेश) ...	४३७	३७·५	३७·५
तापीय बिजली-केन्द्र	३४८	२४२	२२·४
नेरियामंगलम् (केरल)	२६०	४५	४५
प्रोंगलकुतु (केरल)	३४६	३२	३२
काडला भाप-घर (बम्बई) ...	११२	६	६
नई योजनाएँ			
पूर्णा (बम्बई)	२१३·८३[२]	१५	—
सिलेरू (आंध्रप्रदेश)	६२७·५८[२]	१२०	—
मचकुंड का विस्तार (आंध्रप्रदेश और उड़ीसा)	१४६·६५	२१·२५	२१·२५
तुंगभद्रा-नेलोर योजना (आंध्रप्रदेश और मैसूर)	७७०	५७	—
उमियम पन-बिजली-परियोजना (आसाम)	७०५·६८	२७	—
बरौनी भाप-घर (बिहार) ..	३०६	३०	—
दक्षिण गुजरात बिजली ग्रिड (बम्बई) दूसरा चरण ...	४१५	४५	४५
कोरबा तापीय बिजली-केन्द्र मध्यप्रदेश...	१,२०४	६०	६०
दक्षिणी ग्रिड का विकास (बम्बई) ...	७७७	६०	६०

केन्द्रीय जल और विद्युत्-आयोग ने पश्चिम की ओर बहनेवाली पश्चिमी घाट की नदियों, पूर्व की ओर बहनेवाली दक्षिण भारत की नदियों तथा मध्यवर्त्ती भारतीय पठार की नदियों के संबंध में जो अध्ययन किये, उनसे पता चलता है कि आयोग ने अपनी रिपोर्टों में ११५ बड़ी योजनाओं के जो सुझाव दिये हैं, उनसे लगभग १'४७ करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देश में अनुमानतः ४'१ करोड़ किलोवाट से अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता है।

बिजली-उत्पादन का विकास—भारत में विद्युत्-उत्पादन तथा उनके वितरण की व्यवस्था, काफी समय तक सन् १९१० ई० के भारतीय विद्युत्-अधिनियम के अनुसार होती रही है, फिर सन् १९४८ के विद्युत् (उपलब्धि)-अधिनियम के अन्तर्गत, सन् १९५० ई० में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार-संगठन की स्थापना हुई तथा आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में भी बोर्ड स्थापित किये गये।

स्वामित्व—सन् १९२५ ई० तक विद्युत्-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। सन् १९२५ ई० के बीच जाकर कुछ राज्यों ने विद्युत् विकास की योजनाएँ आरंभ कीं। मार्च १९५९ ई० में प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में ८०'७ प्रतिशत सार्वजनिक बिजलीघर तथा ३९'९ प्रतिशत कुल स्थापित क्षमता थी।

गाँवों में बिजली—ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध मे अभी तक केवल आन्ध्र-प्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में कुछ प्रगति हुई है। मार्च १९५९ ई० के अन्त में लगभग १४,९७८ नगरों तथा गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी।

पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत्-योजनाएँ—पहली पंचवर्षीय योजना के सरकारी क्षेत्र में १४२ विद्युत् विकास-योजनाएँ सम्मिलित थीं। इनमें भाखड़ा-नंगल, हीराकुंड-दामोदरघाटी-निगम, चंबल, रिहंद, कोयना तथा कोसी बड़ी बहूद्देश्यीय नदी-घाटी-परियोजनाएँ थीं।

नीचे की तालिका में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित क्षमता और विद्युत्-उत्पादन की प्रगति तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखे गये विकास के लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है—

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओ के अन्तर्गत-विद्युत्-उत्पादन

	१९५०-५१	१९५५-५६	पहली योजना में प्रतिशत वृद्धि	१९६०-६१	दूसरी योजना में प्रतिशत वृद्धि
स्थापित क्षमता (लाख किलोवाट)					
सार्वजनिक उपयोग के बिजली-घर	२३	३४	४८	६९	११३
उत्पादित बिजली (करोड़ किलोवाट)					
सार्वजनिक उपयोग के बिजली-घर	६५७	१,१००	६७	२,२००	१००

दूसरी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत्-उत्पादन की मुख्य योजनाएँ

(गैर-सरकारी क्षेत्र)

प्रतिष्ठान	नया विद्युत्-संयंत्र (किलोवाट)	संयंत्र का मूल्य (लाख रु)
अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं० लिमिटेड (बम्बई) ...	४५,०००	२७८
टाटा पावर सिस्टम (बम्बई) ट्राम्बे	१,५०,०००	२,०१०
थर्मल स्टेशन शोलापुर (बम्बई)	३,०००	३०
आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० (उत्तरप्रदेश) ...	४,०००	२५
बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐंड पावर कं० लिमिटेड (उत्तरप्रदेश)	४,०००	२५
यूनाइटेड प्राविन्सेज इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० (उत्तरप्रदेश)	४,०००	२५
भावनगर इलेक्ट्रिक कं० लि० (बम्बई)	८,०००	५०
छोटी योजनाएँ	५,०००	२३
जोड़	२,२३,०००	२,४६६

नदी-घाटी-परियोजनाएँ

देश में सिंचाई की सुविधाओं के विकास का उद्देश्य यह है कि पन्द्रह-बीस वर्षों में अब से दुगुने क्षेत्र में सिंचाई होने लगे। पहली पंचवर्षीय योजना में लगभग २ २ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ३०० छोटी तथा बड़ी योजनाएँ कार्यान्वित करने की व्यवस्था थी।

भारत की प्रमुख नदी-घाटी परियोजनाओं में भाखड़ा-नंगल, हीराकुण्ड-बाँध, राजस्थान नहर, दामोदर घाटी, तुंगभद्रा, कोसी, चम्बल, नागार्जुनसागर, कोयना, रिहृद-बाँध, भद्रा जलाशय, काकरापाड़ा, मचकुण्ड तथा मयूराक्षी-परियोजनाएँ उल्लेखनीय हैं।

विकास-कार्यक्रम

पहली पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की गई बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं से लगभग ३० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १ करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सिंचाई की मद में (जिसमें बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी-व्यवस्था तथा जल-प्लावन और समुद्र के कटाव को रोकने के कार्य शामिल हैं) कुल मिलाकर ६५० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था है।

योजना तथा राज्य	कुल व्यय (लाख रु०)	लाभ (हजार किलोवाट में) जब पूरी हो जायगी	दूसरी योजना की अवधि में
कुण्डा (मद्रास) पहला और दूसरा चरण ...	३,५४४	१८०	१८०
हीराकुंड (उड़ीसा) दूसरा चरण ...	१,४३२	१०६'५	१०६'५
यमुना पन-विजली-योजना (उत्तरप्रदेश) ...	१,०८१	१५०	—
रामगंगा पन-विजली-योजना ..	१,७४२	१०५	—
हरदुआगंज भाप-घर का विस्तार (उत्तरप्रदेश)[१]	३५३	३०	३०
माताटीला पनविजली योजना (उत्तरप्रदेश) ..	३'७४	१५	—
कानपुर विजली-केन्द्र-विस्तार (उत्तरप्रदेश) ...	१७०	१५	१५
जलढाका पन-विजली-योजना (पश्चिम बंगाल)	४४५	१८	—
दुर्गापुर तापीय बिजली-केन्द्र (दामोदर घाटी-निगम, बंगाल और विहार) ...	१,२५०	१५०	१५०
वोकारो का विस्तार (दामोदर घाटी-निगम, बंगाल और विहार)	४७७	७५	७५
चन्द्रपुर (दुगडा) तापीय विजली-केन्द्र (दामोदर घाटी-निगम, बंगाल और विहार) ...	१,२८०	१२५	—
तुंगभद्रा का विस्तार (मैसूर)	५०	६	—
गंदरवल बिजलीघर (जम्मू-कश्मीर)	७३	६	६
मोहोरा विजली-घर (जम्मू-कश्मीर)	१०६	६	६
भद्रा (मैसूर)	३३'५३	३३'२	३३'२
शरावती पन-बिजली-योजना (मैसूर)	२,२६७	१७८	—
जोधपुर (राजस्थान)	३०	३	—
राजकोट विजली-केन्द्र का विस्तार (बम्बई) ..	६०'८३	३	३
पोरबन्दर भाप-शक्ति-केन्द्र (बम्बई) ...	२००	१५	१५
सिक्का-भाप-केन्द्र (वम्बई)	६५	८	८
शाहपुर भाप-घर (वम्बई)	१००	१०	—
परिणयार (केरल)	३२४	३०	—
शोलायार (केरल)	४२५	५४	—
पावा (केरल)	८७६	१००	—
वीरसिंहपुर तापीय विजली-केन्द्र (मध्यप्रदेश)	१,०६३	६०	—

[१] यह योजना छोड़ दी गई है और इसके बदले हरदुआगंज में एक और ३० एम० डब्ल्यू० सेट स्थापित किया जायगा।

योजना तथा राज्य	कुल लागत (लाख रु०)	वार्षिक लाभ (हजार एकड) जब पूरी हो जायगी	दूसरी योजना की अवधि में
गिरना (बम्बई)	६३८	१४३	५२
नवीन खड़कवासला (बम्बई)	१,१३१	७७	—
नवीन कट्टलिया (मद्रास)	१५७	२१	१३
सलन्दी (उड़ीसा)	४६६	३२८	—
गुड़गाँवा नहर (पंजाब)	१६६	५६	५०
कंकावती (पश्चिम बंगाल)	२,५२६	६५०	१०
चन्द्रकेशर (मध्यप्रदेश)	८६	१२	—
काविनी (मैसूर)	२५०	३०	—
वनास (राजस्थान)	४८०	२५०	—
भादर (बम्बई)	२६५	४५	—
भूततन्वेतु (केरल)	२८८	६३	—
लिदर नहर (जम्मू-कश्मीर)	२४४	७	२
वरना (मध्यप्रदेश)	४७७	१६४	—
लक्ष्मणतीर्थ (मैसूर)	३०	३	—
ऊपरी केन (मध्यप्रदेश)	१२५	४०	—
विदुर (पाडिचेरी और मद्रास)	६२	३	३

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम

तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली-उत्पादन के लिए ६७५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है, जिसमें ६२५ करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में तथा ५० करोड़ रु० गैर सरकारी क्षेत्र में व्यय होंगे। सरकारी क्षेत्र में जो व्यय होना है, उसका विभाजन मोटे तौर पर इस प्रकार है पनबिजली और तापीय बिजली-योजनाओं पर ५८० करोड़ रुपये, परमाणु-शक्ति पर ५१ करोड़ रु०, यूरेनियम निकालने, निर्माण (फैब्रिकेशन) और प्लेटिनम निकालने के संयत्र पर २४ करोड़ रु०; और संचरण, वितरण और गाँवों में बिजली लगाने के कार्यों पर २७० करोड़ रुपये।

☆

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में विद्युत्-उत्पादन-संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता २३ लाख किलोवाट थी। द्वितीय योजना की अवधि में इसमें ११ लाख किलोवाट की वृद्धि हुई।

अनुमान लगाया गया है कि अगले १० वर्ष में स्थापित क्षमता में प्रति वर्ष २० प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित क्षमता को ६८ लाख किलोवाट तक बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली की उत्पादन-क्षमता ११८ किलोवाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की मुख्य परियोजनाओं का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है—

दूसरी योजना में सिंचाई की मुख्य परियोजनाएँ

योजना तथा राज्य	कुल लागत (लाख रु०)	वार्षिक लाभ (हजार एकड़) जब पूरी हो जायगी	दूसरी योजना की अवधि में
जिन योजनाओं का काम जारी है			
भाखड़ा-नंगल (पंजाब और राजस्थान)	१७,०००	३,६०४	२,१४८
दामोदर घाटी (पश्चिम बंगाल और बिहार) ...	१२,१७१	१,३४४	८४६
हीराकुंड, महानदी डेल्टा-सहित (उड़ीसा) पहला चरण ..	८,५७०	२,२५०	८
चम्बल (राजस्थान और मध्यप्रदेश) पहला चरण	६,३५६	१,०००	३७५
तुंगभद्रा (आंध्र और मैसूर) ...	६,०३६	८३०	४४८
मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल) ...	१,६११	७२०	२७०
भद्रा (मैसूर) . ..	३,३५३	२४५	१४०
कोसी (बिहार)... ..	३,४७६	१,४०५	—
नागार्जुनसागर (आंध्रप्रदेश) पहला चरण ..	८,६५७	२,०६०	—
काकरापाडा नहर (निचली तापी, बम्बई)	१,१६६	६५३	२५६ (एक फसल)
नई योजनाएँ			
तुंगभद्रा उच्च-स्तरीय नहर (आंध्र और मैसूर) पहला चरण	१,३००	१८७	—
उकई (बम्बई) .	६,१६४	३६२	—
तावा (मध्यप्रदेश) . .	१,८३४	५६०	—
पूर्णा (बम्बई) .	५८२	१६०	१५
वंशधारा (आन्ध्र)	१,२५६	३१०	—
नर्मदा (बम्बई)	४,३१०	१,०६७	—
बनास (बम्बई) . ..	६१६	११०	१५
मूला (बम्बई)	६४०	१३१	—

जमींदारी और विस्वेदारी की समाप्ति विषयक एक कानून बनाया गया। दिल्ली में मध्यवर्ती को समाप्त कर दिया गया है तथा त्रिपुरा में भी मध्यवर्ती की समाप्ति के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व यह अनुमान लगाया गया था कि मध्यवर्तियों की समाप्ति के परिणाम-स्वरूप-लगभग ६२२'७४ करोड़ रु० क्षति-पूर्ति के रूप मे देना पड़ेगा। विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग १२८'३८ करोड़ रु० दिया जा चुका है।

योजना-आयोग ने काश्त सम्बन्धी सुधार करने के लिए जो सिफारिशें की हैं, उनका मुख्य उद्देश्य (१) लगान में कमी करना; (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना; तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना है। इस सम्बन्ध मे विभिन्न राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है।

जोत की अधिकतम सीमा

जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त पहली पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि-सम्बन्धी गणना करने का सुझाव रखा गया था। यह गणना अधिकांश राज्यों में की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से बल दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाय। इसके अतिरिक्त, यह भी सिफारिश की गई है कि दूसरी योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है· (क) भविष्य के लिए; तथा (ख) वर्त्तमान जोतों का। भविष्य के लिए जोतों की सीमा अधिकांश राज्यों में निर्धारित कर दी गई है।

आसाम में यह अधिकतम सीमा ५० एकड़; आंध्रप्रदेश के तेलंगाना-क्षेत्र में १२ से १८० एकड़; उत्तरप्रदेश में १२½ एकड़; जम्मू-कश्मीर में २२¾ एकड़, पंजाब में ३० स्टैंडर्ड एकड़; पश्चिम बंगाल में २५ एकड़, बम्बई के भूतपूर्व बम्बई-क्षेत्र में १२ से ४८ एकड़; मराठवाड़ा-क्षेत्र में १२ से १८० एकड़; सौराष्ट्र-क्षेत्र में ६० से १२० एकड़, विदर्भ-क्षेत्र में २१ से १२० एकड़ और कच्छ-क्षेत्र में ३६ से १३५ एकड़; मैसूर (भूतपूर्व बम्बई-क्षेत्र) में १२ से ४८ एकड़ और भूतपूर्व हैदराबाद-क्षेत्र में १२ से १८० एकड़; राजस्थान में ३० से ६० एकड़; तथा दिल्ली में ३० स्टैंडर्ड एकड़ निश्चित कर दी गई है।

वर्त्तमान जोतों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अधिकतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है: आसाम में ५० एकड़; आंध्रप्रदेश के तेलंगाना-क्षेत्र में १८ से २७० एकड़, जम्मू-कश्मीर में २२¾ एकड़; पंजाब के पेप्सू क्षेत्र में ३० स्टैंडर्ड एकड़ (विस्थापितों के लिए ४० स्टैंडर्ड एकड़); पश्चिम बंगाल में २५ एकड़; बम्बई के मराठावाड़ा-क्षेत्र में १८ से २७० एकड़, विदर्भ-क्षेत्र में ४२ से २४० एकड़ और कच्छ-प्रदेश में ७२ से २७० एकड़; मैसूर के भूतपूर्व हैदराबाद-क्षेत्र में १८ से २७० एकड़, तथा हिमाचल-प्रदेश के चम्बा जिले में ३० एकड़ और अन्य क्षेत्र में १२५ रु० मालगुजारी के अन्तर्गत आनेवाला भूमि-परिमाण।

भूतपूर्व पंजाब-क्षेत्र मे सरकार को भू-स्वामियों की ३० स्टैंडर्ड एकड़ से अधिक खुदकाश्त भूमि पर असामियों को बैठाने का अधिकार दे दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में वर्त्तमान जोतों की

भूमि-सुधार

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषक का शोषण करनेवाली भूमि-व्यवस्था से शनैः-शनैः परिवर्त्तन करके एक ऐसी पद्धति का आविर्भाव करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की गई थीं, कि किसानों को अपनी मेहनत का अधिक-से-अधिक लाभ और कृषि-उत्पादन बढ़ाने की वाञ्छित प्रेरणा प्राप्त हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना मे इस नीति का पुनः निरूपण किया गया है।

मध्यवर्त्तियो की समाप्ति

मध्यवर्त्तियों की भूमि हस्तगत करने सम्बन्धी कानून आदि बनाने का अधिकाश काम पूरा कर भू-स्वामियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। वन आदि तथा ऐसी भूमि भी हस्तगत की गई है, जिसमे कृषि नही की जाती। उनकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम-पंचायतों जैसे स्थानीय संगठन स्वयं कर रहे हैं।

प्रगति—आसाम के सारे गोलपाड़ा जिले में मध्यवर्त्तियों के अधिकार हस्तगत कर लिये गये हैं। करीमगंज सब-डिवीजन में सर्वेक्षण किया जा रहा है। आध्रप्रदेश में भूतपूर्व आध्र-राज्य के अन्तर्गत जमींदारी और सन् १९३६ ई० से पूर्व के इनाम समाप्त कर दिये गये हैं तथा सन् १९३६ ई० के बाद के इनाम हस्तगत किये जा रहे हैं। तेलंगाना में जागीरों को समाप्त कर दिया गया है। उड़ीसा में स्थायी बन्दोवस्त तथा अस्थायी बन्दोवस्त की जमींदारियों के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं। उत्तरप्रदेश में, कुमाऊँ पहाड़ियों को छोड़कर, शेष सारे प्रदेश में मध्यवर्त्तियों को समाप्त कर दिया गया है। केरल में 'एदवागाई' की समाप्ति कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर मे किसी भी मध्यवर्त्ती के पास २२$\frac{3}{4}$ एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। पंजाब में कुछ प्रकार के मध्यवर्त्तियों को समाप्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल १९५५ ई० तक मध्यवर्त्तियों के सब हित सरकार द्वारा हस्तगत किये जा चुके थे। बम्बई में कुछ इनामों को छोड़ कर गैर-रैयतवाड़ी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। सन् १९५८ ई० में बंधीजम, उगाडिया इनाम, इजारा तथा अघट की समाप्ति विषयक कानून स्वीकार कर लिये गये। बिहार में कुछ जमींदारियों के अलावा, जिन्हें कानूनी कठिनाइयों के कारण हस्तगत नहीं किया जा सकता था, शेष मध्यवर्त्तियों को समाप्त कर दिया गया है। मद्रास में सन् १९३६ ई० के बाद के इनामों के अलावा, मध्यवर्त्तियों की समाप्ति कर दी गई है। मध्यप्रदेश में सामान्यतः मध्यवर्त्ती समाप्त कर दिये गये हैं। सन् १९५८ ई० में मुआफियों और इनामों की समाप्ति के लिए एक कानून बनाया गया। भूतपूर्व मैसूर रियासत क्षेत्र में वैयक्तिक और विभिन्न इनामों की समाप्ति विषयक कानून को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा २,१०३ में से १,७७६ इनाम सरकार ने हस्तगत कर लिये हैं। १ अप्रैल १९५८ ई० के बाद ३२६ में से २४३ धार्मिक और धर्मार्थ इनाम भी सरकारी नियंत्रण में आ गये हैं। कर्नाटक क्षेत्र में जागीरें हस्तगत कर ली गई हैं। भूतपूर्व राजस्थान क्षेत्र में ५ हजार से ऊपर आयवाली समस्त जागीरों को हस्तगत कर लिया गया है। धर्मार्थ जागीरों तथा ५ हजार से कम आयवाली जागीरों को हस्तगत करने का काम जारी है। सन् १९५८ ई० में

पूँजी लगाना तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों का पूरा-पूरा उपयोग करना सम्भव होगा। इस अवधि में लगभग सभी राज्यों ने सहकारी कृषि-समितियों की स्थापना के लिए कानून तथा नियम बनाये।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ आधार-भूमि तैयार करने के काम को प्रधानता दी गई है।

राष्ट्रीय विकास-परिषद् की स्थायी समिति ने सितम्बर १९५७ में निर्णय किया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में ३,००० खेतों में सहकारी कृषि-सम्बन्धी प्रशिक्षण किये जायँ।

लोकसभा ने २८ मार्च, १९५९ को एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पास करके यह स्वीकार किया कि देश में सहकारी खेती की पद्धति लागू करने से पूर्व सेवा-सहकार-समितियाँ बनाई जायें। देश में जो लोग स्वेच्छा से संयुक्त कृषि-समितियाँ बनाने का निश्चय करते हैं, उनको वित्तीय और अन्य सुविधाएँ, तकनीकी जानकारी तथा पथ-प्रदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाने के लिए भारत-सरकार ने ११ जून, १९५९ को श्री एस० निजलिंगप्प की अध्यक्षता में एक अध्ययन-दल नियुक्त किया। इस दल की रिपोर्ट १५ फरवरी, १९६० को प्रकाशित की गई। इसने सहकारी कृषि-समितियाँ बनाने के सम्बन्ध में आरम्भिक कार्य करने का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है तथा सुझाव दिया है कि अगले चार वर्षों में चुने हुए खंडों में ३२० नमूने की परियोजनाएँ (प्रत्येक जिले में एक-एक) आरम्भ की जायँ। दल के मत में, कुछ राज्यों के वर्त्तमान कानून, जिनके अन्तर्गत बहुसंख्यक कृषक अल्पसंख्यक कृषकों को सहकारी-समिति में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर सकते हैं, स्वेच्छा के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं तथा व्यावहारिक दृष्टि से भी वाञ्छनीय नहीं हैं। राजस्थान-सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी असामी कृषि-संस्थाएँ बनाने की सिफारिश की है। ३० जून, १९५८ को देश में २,४४२ सहकारी-संस्थाएँ थीं, जिनमें ४८,२६३ व्यक्ति अथवा परिवार काम करते थे तथा ३,२३,७६६ एकड़ भूमि में सहकारी ढंग से कृषि होती थी।

तृतीय योजना के अन्तर्गत व्यय

कृषि और सम्बद्ध शीर्षकों के अधीन ६२५ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है तथा सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के लिए ४०० करोड़ रुपये की। इसके लिए, बड़ी और मझौली सिंचाई-योजनाओं पर ६५ करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता है तथा उर्वरक की पैदावार पर २४० करोड़ रुपये की पूँजी लगाने की। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन जो खर्च होना है, उनमें से एक-तिहाई का सीधा सम्बन्ध खेती की पैदावार से है। खेती के लिए जो राशियाँ नियत की गई हैं, उनमें २५ करोड़ रुपये भाण्डार-सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए हैं। इस समय केवल २० लाख टन की क्षमता को बढ़ाकर ५० लाख टन करने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी क्षेत्र में खेती पर जो ८०० करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। कृषि-कार्यक्रमों के सिलसिले में सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा, सुझाये गये कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस योजना के अन्त में सहकारी अभिकरणों से बकाया पूँजी प्राप्त कर ली जाय। लघु, मध्यम और लम्बी

अधिकतम सीमा-सम्बन्धी कानून लागू करने का कार्य पूरा हो चुका है तथा २·३ लाख एकड़ भूमि बाँटी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में १·३ लाख एकड़ कृषि-भूमि सरकार ने हस्तगत की है। इसके अतिरिक्त आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, केरल, बम्बई, बिहार, मध्यप्रदेश, मैसूर, राजस्थान, दिल्ली, मणिपुर तथा त्रिपुरा में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कार्य आरम्भ हो चुका है।

चकबन्दी

पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में चकबन्दी की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। योजना-आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि चकबन्दी का कार्य सामुदायिक परियोजना-क्षेत्रों में अवश्य किया जाना चाहिए।

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तरप्रदेश में ४४ लाख एकड़, पंजाब में ४८ लाख एकड़, पेप्सू में १२ लाख एकड़, मध्यप्रदेश में २६ लाख एकड़ तथा बम्बई में २१ लाख भूमि की एकत्र चकबन्दी की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, राज्यीय योजनाओं के लिए ३·७२ करोड़ रु० की व्यवस्था है। लगभग ३६० लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी करने का लक्ष्य है। इसमें से ३० जून, १९५९ तक विभिन्न राज्यों में १६१·८७ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी करके जोतों को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा इस तारीख को १०५·२८ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी की योजनाएँ जारी थीं।

सन् १९५९ में आसाम, आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर में चकबन्दी सम्बन्धी-कानून पेश किये गये। मध्यप्रदेश में सुचारु रूप से चकबन्दी करने के लिए 'लगान-संहिता' बनाई गई है।

भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन

उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानूनों का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि जोतों के उत्तरोत्तर छोटे-छोटे टुकड़े होते चले गये हैं, जिससे कृषि-उत्पादन को सख्त धक्का लगा है। अतः, सरकार की यह नीति है कि इस प्रवृत्ति को रोका जाय।

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व पंजाब, पेप्सू, बम्बई तथा दिल्ली में खेतों के टुकड़े न होने देने के लिए कानून बनाने का काम हाथ में ले लिया गया था। योजना की अवधि में उड़ीसा, बिहार, राजस्थान तथा हैदराबाद ने जोतों का बँटवारा रोकने अथवा निर्धारित परिमाण से नीचे जोतों के टुकड़े करने की रोक-थाम के लिए कानून बनाये। अधिकांश राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, पर इनको लागू करने के मार्ग में कुछ प्रशासनिक अड़चनें हैं। सन् १९५९ में मध्यप्रदेश में सिंचित भूमि तथा असिंचित भूमि की न्यूनतम सीमा क्रमशः ५ और १० एकड़ निश्चित की गई।

सहकारी कृषि

जैसा कि पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कहा गया है, भूमि-समस्या को केवल सहकारी ग्राम-व्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही बड़े-बड़े खेतों की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना, कृषि में अधिक

भूदान-आन्दोलन के लिए भारत-सरकार ने सन् १९५६-५७ में ११'६२ लाख रु० तथा सन् १९५७-५८ में १० लाख रु० की स्वीकृति दी। सामुदायिक विकास और सहकारिता-मंत्रालय सामुदायिक विकास खंडों को भूदान-सम्बन्धी साहित्य प्रदान करता है। सन् १९५८-५९ में इस योजना पर १'८२ लाख रु० व्यय किया गया तथा १९५९-६० में २'६५ लाख रु०। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने ग्रामदान तथा ग्राम-संकल्प के गाँवों में सन् १९५९-६० ई० में ग्राम-विकास तथा छोटे उद्योग चलाने की एक योजना के लिए १'६६ लाख तथा २'१ लाख रु० की स्वीकृति दी है।

३० नवम्बर, १९५९ ई० तक देश में ४४,०९,६३६ एकड़ भूमि ग्रामदान में मिली, जिसमें से ८,४०,९०९ एकड़ भूमि बाँटी गयी। इसके अतिरिक्त, ४,५६५ गाँव दान में मिले।

सन् १९५९ ई० तक भूदान-सम्बन्धी प्रगति

प्रान्त	प्राप्त भूमि		वितरित भूमि		ग्रामदान (घोषित-निश्चित)
१. विहार	२१,२२,९१०	एकड़	२,४२,२५३	एकड़	१५,३७५
२. उत्तरप्रदेश	४,११,४८४	,,	१,२७,८३५	,,	५९
३. बंगाल	१२,६८१	,,	३,४६४	,,	२६
४. उड़ीसा	३,९३,४६६	,,	१,१८,३३५	,,	१,९४६
५. आसाम	२३,१९६	,,	२२५	,,	१२७
६. मध्यप्रदेश					
(क) महाकोसल	१,१८,३५३	,,	४६,५७२	,,	७४
(ख) विन्ध्यप्रदेश	११,१९५	,,	३,६७०	,,	—
(ग) मध्यभारत	२,७४,६५७	,,	३३,९२४	,,	—
७ पंजाब	१९,९२९	,,	५,६५३	,,	२
८. हिमाचलप्रदेश	१,५६८	,,	२१	,,	—
९. राजस्थान	४,२८,१७३	,,	८१,१०१	,,	२३४
१०. बम्बई					
(क) गुजरात	४७,४८६	,,	११,५२७	,,	६३
(ख) नागविदर्भ	८५,७७८	,,	४५,०००	,,	—
(ग) महाराष्ट्र	६४,३६०	,,	१०,५६१	,,	५३५
(घ) सौराष्ट्र	३१,२३७	,,	८,१८५	,,	२
११. आन्ध्रप्रदेश	२,४१,९५०	,,	९५,२७८	,,	४८१
१२. मैसूर	१९,९७३	,,	२,५२७	,,	६६
१३. मद्रास	७०,८२३	,,	२,३४९	,,	२५४
१४. केरल	२६,०२१	,,	२,१२६	,,	५४३
				निश्चित	३,८५७
				घोषित	१५३
कुल—	४४,०९,१९२		८,४०,५८७		४,०१०

★

अवधि के इन ऋणों के अन्तर्गत क्रमशः ४०० करोड, १६० करोड़ और ११५ करोड़ रुपये की राशियाँ मिलेंगी।

तीसरी योजना की अवधि में भूमि-सुधार के क्षेत्र में प्रमुख कार्य यह होगा कि दूसरी योजना के समय जो नीतियाँ निश्चित की गई हैं और राज्य-सरकारों ने उन नीतियों के अनुसार जो कानून बनाये हैं, उन्हें यथाशीघ्र लागू कर दिया जाय। भूमि-सुधार की समस्याओं पर विचार करने के लिए पहले ही नियुक्त समिति के सुझाव तथा राज्य-सरकारों के विचार प्राप्त होने के पश्चात् अगले कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार की जायगी।

भूदान

भूदान-आन्दोलन का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य विनोवा भावे को है। आन्दोलन के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विनोवा भावे कहते हैं—"न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं माँग रहे, बल्कि उन गरीबों का हिस्सा माँग रहे हैं, जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।" इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य विना किसी भीषण संघर्ष के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना है।

व्यावहारिक रूप में भूदान-आन्दोलन का अर्थ भूमिहीन व्यक्तियों में बाँटने के लिए लोगों से उनकी अपनी भूमि के $\frac{1}{6}$ भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करना है। कृषि-भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन सम्पत्ति-दान, बुद्धि-दान, जीवन-दान, साधन-दान तथा गृह-दान का रूप लेता है।

यह आन्दोलन, जो छोटे रूप में १८ अप्रैल, १९५१ को आरम्भ हुआ था, अब सम्पूर्ण देश में फैल गया है। इस आन्दोलन का लक्ष्य ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कृषि के लिए कुछ-न-कुछ भूमि दी जा सके। इसने अब ग्रामदान का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामदानवाले गाँवों के विकास के सम्बन्ध में प्राप्त व्यावहारिक सफलता सहकारी ग्राम-विकास के लिए काफी महत्त्वपूर्ण रहेगी। सितम्बर, १९५७ में यलबाल (मैसूर-राज्य) में अखिलभारत सर्व-सेवा-संघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया था कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम तथा ग्रामदान-आन्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाय। सामुदायिक विकास-मंत्रालय के एक दल ने इस विषय पर विचार किया, और मई, १९५८ में माउण्ट आबू में हुए विकास-आयुक्त-सम्मेलन में भूदान और ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार सामुदायिक विकास-खंड स्थापित करने और सामुदायिक विकास के अन्य नये कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में ग्रामदान-वाले गाँवों को प्राथमिकता दी जायगी।

भूदान प्राप्त करने तथा ऐसी भूमि का वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अधिकांश राज्यों में कानून विद्यमान हैं तथा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

उद्योगों का नियमन

सन् १६४८ ई० में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति के अनुसार, संविधान में संशोधन करके उद्योग (विकास तथा नियमन)-अधिनियम, १६५१ बनाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत, सभी वर्त्तमान तथा नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक बना दिया गया तथा सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की जाँच-पड़ताल करने तथा यथावश्यक निर्देश देने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार को यह अधिकार भी मिल गया कि यदि किसी उद्योग में कुव्यवस्था जारी रहे, तो उसका प्रबन्ध अथवा नियंत्रण वह अपने हाथों मे ले ले। उद्योगों के विकास तथा नियमन-सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार-परिषद् और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास-परिषदें स्थापित करने की भी व्यवस्था कर दी गई।

अभी इस अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग आते हैं। केन्द्रीय उद्योग-सलाहकार-परिषद् के अतिरिक्त, उद्योगों के लिए अलग विकास-परिषदें भी स्थापित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के उद्देश्य से समय-समय पर कुछ विशेषज्ञ-समितियाँ तथा मंडल (पैनल) भी नियुक्त किये जाते रहे हैं। अक्तूबर, १६५८ से सितम्बर, १६५६ की अवधि में इस अधिनियम के अन्तर्गत, १,२१० नये उद्योगों को लाइसेन्स देने की स्वीकृति दी गई। जिन महत्त्वपूर्ण उद्योगों में निजी क्षेत्र पर्याप्त पूँजी लगाने को तैयार नहीं हैं, उनके विकास के लिए सरकार वित्तीय सहायता भी देती है।

उत्पादकता

एक उत्पादकता-शिष्टमंडल ने अक्तूबर-नवम्बर, १६५६ में जापान की यात्रा की। इस शिष्ट-मंडल की सिफारिशों के अनुसार, फरवरी १६५८ मे स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् की स्थापना की गई, जिसमे सरकार, मालिकों, श्रमिकों आदि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद् की स्थापना का उद्देश्य देश मे उत्पादन बढाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है।

उद्योगो के लिए वित्त

जुलाई, १६४८ में स्थापित औद्योगिक वित्त-निगम, औद्योगिक संस्थानों को दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में वित्तीय सहायता देता है। मार्च, १६५६ तक निगम ने ६४·३४ करोड रु० के ऋणों के लिए स्वीकृति दी तथा ४०·३७ करोड रु० ऋण दिये।

औद्योगिक वित्त-निगम (संशोधन)-अधिनिमय, १६५७ के अन्तर्गत राज्यीय वित्त-निगम मध्यम और छोटे पैमाने के उन उद्योगों को वितीय सहायता देते हैं, जो अखिलभारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते। सन् १६५८-५६ के अन्त तक ये निगम लगभग ११·३६ करोड़ रु० ऋण अथवा पेशगी के रूप में दे चुके थे।

गैर-सरकारी क्षेत्र मे औद्योगिक कारखानों की सहायता के लिए जनवरी, १६५५ में स्थापित भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोग-निगम ने सन १६५८ के अन्त तक अनेक उद्योगों के लिए १३·३७ करोड रु० की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी, तथा वस्तुतः उन्हें १·६५ करोड़ रु० दिया।

उद्योग-धंधे

सन् १६५६ की भारतीय उद्योग-गणना[१] के अनुसार, भारत में रजिस्टर-शुदा ऐसे ७,६१० कारखाने थे, जिनमें २० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते थे तथा बिजली प्रयुक्त होती थी। इनमें से ७,०७४ कारखानों में कुल १,००४'५ करोड रु० की पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या १८,८५,६५४ थी, जिसमें १६,७८,०७६ श्रमिक थे। इन उद्योगों में कुल १,६२१ करोड़ रु० मूल्य का उत्पादन हुआ। वेतन तथा मजदूरी के रूप में कारखाना-कर्मचारियों को २५५'८ करोड रु० दिया गया।

सन् १६५६ में ३११ ज्वाइंट स्टॉक-कम्पनियों को कुल ३६'५८ करोड़ रु० का लाभ हुआ। सन् १६३६ को आधार-वर्ष मानते हुए सभी उद्योगों के लिए सन् १६५६ में औद्योगिक लाभ का सूचनाक ३२६'५ था। इसके अतिरिक्त, कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के औद्योगिक लाभ के सूचनाक इस प्रकार थे—पटसन (–) २७.२; कपास ५६८'४; चाय ३४६'६; चीनी ४५४'५; कागज ७४६'२; लोहा और इस्पात २६३'३; कोयला १४८'६; तथा सीमेंट ४३०'२। सन् १६५७ ई० में औद्योगिक लाभ का संशोधित सूचनाक (आधार-वर्ष १६५० = १००) १५१'७ था। इस वर्ष कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के सूचनाक इस प्रकार रहे—चाय ७१'६; कोयला १४१'१; चीनी २२८'६; कपास ७१'७; पटसन ८४'४; लोहा और इस्पात २१४'८; इञ्जीनियरी ३३५'७; सीमेंट १६०'५ तथा कागज २१६'२।

औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति सर्वप्रथम सन् १६४८ में घोषित की गई थी, जिसमें एक ऐसी मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया था, जिसके अन्तर्गत, उद्योगों के आयोजित विकास तथा राष्ट्र के हित में उनके नियमन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर हो। यद्यपि इस नीति में इस बात की व्यवस्था थी कि जनहित की दृष्टि से सरकार किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपने अधिकार में ले सकती है, तथापि इसमें निजी उद्यम के लिए यथोचित क्षेत्र सुरक्षित रख दिया गया था।

जब सन् १६५४ ई० में भारत में समाजवादी समाज की रचना करने की नीति स्वीकार की गई, तब औद्योगिक नीति में संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव हुई। फलत., ३० अप्रैल, १६५६ को एक नई नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार, सरकारी क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया तथा उसमें आधारभूत और सामरिक महत्त्व के उद्योगों तथा लोकोपयोगी सेवाओं को भी शामिल कर लिया गया। नये औद्योगिक प्रस्ताव में उद्योगों का वर्गीकरण दो अनुसूचियों मे किया गया तथा इस सम्बन्ध में सरकारी दायित्व का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया। अनुसूची 'क' के उद्योगों पर सरकार का पूरा नियंत्रण है तथा अनुसूची 'ख' मे शामिल किये गये उद्योगों का स्वामित्व सरकार धीरे-धीरे ग्रहण करेगी।

---

१. इस गणना मे जम्मू-कश्मीर, मध्यभारत, भोपाल, मणिपुर, त्रिपुरा तथा अण्डमान और निकोबार-द्वीपसमूह को शामिल नहीं किया गया था।

दूसरे महायुद्ध के परिणामस्वरूप, देश में उद्योगों की उत्पादन-क्षमता का अधिक-से-अधिक उपयोग करने योग्य स्थिति पैदा हुई। युद्ध के दौरान में तथा युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद अनेक नये उद्योगों का भी जन्म हुआ।

पहली पंचवर्षीय योजना—पहली पंचवर्षीय योजना में उद्योगों तथा खनिज पदार्थों के विकास के लिए कुल व्यय का केवल ८ प्रतिशत ही रखा गया था। इस योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में ६० करोड़ रु० की पूँजी लगाई गई, जबकि लक्ष्य ९४ करोड़ रु० का रखा गया था। गैर-सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाओं तथा विस्तार-कार्यक्रमों में लगभग २३३ करोड़ रु० लगने की आशा थी। यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया। गैर-सरकारी क्षेत्र में संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण आदि पर २३० करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यय में से कुल १०५ करोड़ रु० ही व्यय हुआ। कुल मिलाकर उद्योगों में लगभग २९३ करोड़ रु० की नई पूँजी लगाई गई, जबकि योजना में ३२७ करोड़ रु० का विनियोग करने का लक्ष्य रखा गया था।

सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल, सीमेंट, कागज, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, रेयन, बिजली के ट्रान्सफार्मर, साइकिलें, सिलाई की मशीनें तथा पेट्रोल साफ करने आदि के उत्पादन-लक्ष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिये गये। परन्तु, लोहा और इस्पात, अल्युमीनियम, मशीनी औजार, उर्वरक, डीजल इंजिन और पम्प, मोटरगाड़ियाँ, रेडियो, बैटरियाँ, बिजली की मोटरें, लैम्प और पंखे, पटसन से बनी वस्तुएँ, रंग रोगन, प्लाईऊड, सुपर-फास्फेट, पावर अल्कोहल तथा शीशा—इनके उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। फिर भी, दूसरी ओर, अनेक नई वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हुआ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना—दूसरी योजना के अन्तर्गत, संगठित उद्योगों में १,०९४ करोड़ रु० की नई पूँजी लगाई गई। कीमतें बढ़ जाने के कारण सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो गई है। सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय में से ३५० करोड़ रु० लोहा और इस्पात पर, ३७ करोड़ रु० उर्वरकों पर, २० करोड़ रु० भारी बिजली-संयंत्र पर, ५२ करोड़ रु० अरकाड़ु भूरा कोयला-परियोजना पर तथा ९·८ करोड़ रु० हिन्दुस्तान शिपयार्ड पर व्यय के लिए निर्धारित किया गया था।

औद्योगिक उत्पादन

जनवरी-अक्तूबर, १९५९ ई० का सामान्य सूचनांक १४९·१ तथा जनवरी-अक्तूबर, १९५८ में १३९·१ था। इस सूचनांक में सम्मिलित नहीं किये गये कुछ नये इंजीनियरी और रसायन-उद्योगों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। विदेशी मुद्रा की कमी पूर्ववत् जारी है, परन्तु सामान्यतः ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इस कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में रुकावट पैदा न हो।

मुख्य उद्योग

सूती वस्त्र—सन् १९४७ ई० में भारत में ४२३ कपड़ा-मिलें थीं, जिनमें १०३·५४ लाख तकुए तथा २·०२ लाख करघे थे। उस वर्ष इन मिलों में १२९·६ करोड़ पौंड सूत तथा ३७६·२ करोड़ गज सूती कपड़ा बना। सन् १९५९ ई० में यह उत्पादन क्रमशः १७१·८८ करोड़ पौंड तथा ४९२·८ करोड़ गज था।

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक कारखानों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के आधार पर फिर से ऋण लेने की सुविधाएँ देने के उद्देश्य से जून, १९५८ में उद्योग-पुनर्वित्त-निगम (प्राइवेट) लिमिटेड स्थापित किया गया। ये सुविधाएँ केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को प्राप्त होंगी, जिनकी चुकता पूँजी तथा सुरक्षित धन २·५ करोड़ रु० से अधिक नहीं है।

सन् १९५४ में स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम, सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनस्संस्थापन के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने की भी व्यवस्था करता है। जून १९५८ तक इस आयोग ने पटसन-मिलों को ३·३८ करोड़ रु० तथा कपड़ा-मिलों को ३·०५ करोड़ रु० के ऋणों की स्वीकृति दी। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से प्राविधिक सहायता प्राप्त करने के भी प्रयास किये जाते हैं।

विदेशी पूँजी—द्रुत औद्योगिक विकास के लिए पूँजीगत संसाधनों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने उन उद्योगों के लिए विदेशी सहायता का स्वागत करने का निश्चय किया है, जिनमें किसी वस्तुविशेष का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, अथवा जिनके लिए विदेशी फर्मों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करना वाञ्छनीय है।

अनुमान है कि सन् १९५७ के अन्त में भारत में लगभग ५५६·६ करोड़ रु० मूल्य की विदेशी पूँजी लगी हुई थी। सन् १९५७ में भारत की विदेशी देनदारिया सरकारी क्षेत्र में ४५१ करोड़ रु० तथा बैंकिंग क्षेत्र में ४८ करोड़ रु० थीं। सन् १९५८ में गैर-सरकारी (बैंकिंग से भिन्न), बैंकिंग तथा सरकार की विदेशी देनदारियाँ क्रमशः ५६० करोड़, ५२ करोड़ तथा ६५२ करोड़ रु० की थीं।

उद्योगों का विकास

प्रारम्भिक स्थिति—यद्यपि भारत में सबसे पहली सूती कपड़ा-मिल सन् १८१८ में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, तथापि अधिकाश भारतीय पूँजी से इस उद्योग की वास्तविक नींव सन् १८५४ में बम्बई में पड़ी। पटसन-उद्योग का जन्म अधिकाशतः विदेशी पूँजी से सन् १८५५ में कलकत्ता के निकट हुआ। पहले महायुद्ध के पूर्व तक, देश में इन्हीं दो बड़े उद्योगों तथा कोयला-उद्योग का विकास हुआ था। महायुद्ध के दौरान में औद्योगिक विकास को और गति मिली। भारतीय वित्त (फिस्कल)-आयोग की सिफारिश पर, सन् १९२२ से लागू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली। सन् १९३२ से १९३६ की अवधि में सूती माल का उत्पादन बढ़कर दुगुना, इस्पात की सिल्लियों का उत्पादन आठगुना तथा कागज का उत्पादन ढाईगुना हो गया। सन् १९३२-३६ की अवधि में चीनी-उद्योग का विकास तो इतनी द्रुत गति से हुआ कि चीनी के मामले में भारत स्वावलम्बी हो गया। इन्हीं दिनों सीमेंट उद्योग का भी विकास होने लगा तथा सन् १९३५-३६ तक देश की सीमेंट-सम्बन्धी लगभग ९५ प्रतिशत आवश्यकताएँ देश में बने सीमेंट से ही पूरी होने लगीं। इस अवधि में दियासलाई, शीशा, वनस्पति, साबुन और अनेक इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई तथा देश में बिजली के सामान बनने लगे।

कारखाने में कागज बनाने का काम जनवरी, १९५५ ई० से आरम्भ हुआ। इसकी कुल स्थापित क्षमता ३०,००० टन है, जब कि देश को इस समय प्रति वर्ष ८०,००० टन कागज की जरूरत पड़ती है। सन् १९५५-५६ ई० मे इस कारखाने में ३,४५५ टन कागज बना। यह परिमाण सन् १९५८-५९ ई० में २१,८३८ टन तक जा पहुँचा।

लोहा और इस्पात—आधुनिक रीति से लोहा और इस्पात बनाने का पहला असफल प्रयास सन् १८३० ई० में दक्षिणी अरकाड़ु में किया गया। फिर, सन् १८७४ ई० में झरिया कोयला-खानों के निकट बराकर आयरन वर्क्स नाम से एक कारखाना स्थापित किया गया, जिसे सन् १८८९ ई० में बंगाल आयरन ऐंड स्टील कम्पनी ने अपने अधिकार मे ले लिया। सन् १९०० ई० में इस कारखाने में कुल उत्पादन ३५,००० टन हुआ। साकची (बिहार) में सन् १९०७ ई० मे स्व० जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी ने सन् १९११ ई० मे कच्चा लोहा तथा सन् १९१३ ई० में इस्पात का उत्पादन आरम्भ किया। इनके अतिरिक्त, सन् १९०८ ई० मे आसनसोल (बंगाल) के निकट हीरापुर में इंडियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी तथा सन् १९२३ ई० में भद्रावती में मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स (अब मैसूर आयरन ऐंड स्टील वर्क्स) की स्थापना हुई। सन् १९३९ तक इस्पात का वार्षिक उत्पादन लगभग ८ लाख टन तक जा पहुँचा। दूसरे महायुद्ध के कारण इस उद्योग को और गति मिली। सन् १९५७ ई० तक इस्पात का उत्पादन बढ कर १३·४६ लाख टन हो गया। सन् १९५९ में कुल १७·११ लाख टन तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ। सन् १९५९ में ७·५ लाख टन लोहा और इस्पात का आयात किया गया। सन् १९५८ और १९५७ ई० में यह परिमाण क्रमश· ११·७ और १७·३ था।

सन् १८५६ ई० में देश में लोहा और इस्पात के बड़े और छोटे १४० कारखाने थे, जिनमें लगभग ५२·९ करोड़ रु० की स्थिर पूँजी तथा ४१·१ करोड़ रु० की चालू पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में ८८,०२७ व्यक्ति काम करते थे, जिनमें से ७१·६८८ श्रमिक थे।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी का उत्पादन ८ लाख टन से बढाकर १५ लाख टन तथा इंडियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी का उत्पादन ३ लाख टन से बढाकर ८ लाख टन करने का प्रयत्न किया गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन सिल्लियों की उत्पादन-क्षमतावाले ३ इस्पात-संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। राउरकेला-संयंत्र (पूँजीगत व्यय १७० करोड़ रु०) में प्रतिवर्ष ७·२ लाख टन इस्पात तैयार होगा। दूसरा संयंत्र (पूँजीगत व्यय १३१ करोड़ रु०) भिलाई में है, जिसमें प्रतिवर्ष ७·७ लाख टन इस्पात तैयार होगा। तीसरा संयंत्र दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में होगा, जिस पर १३८ करोड़ रु० लागत आयगी तथा इससे प्रतिवर्ष ७·९ लाख टन इस्पात तथा ३·५ लाख टन कच्चा लोहा तैयार होगा। मैसूर आयरन ऐंड स्टील वर्क्स में भी १ लाख टन का इस्पात तैयार करने की व्यवस्था की गई है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों मे इन संयंत्रों के तैयार हो जाने पर इस्पात की सिल्लियों का वार्षिक उत्पादन ६० लाख टन हो जायगा, जिनसे ४६·८ लाख टन इस्पात तैयार किया जा सकेगा। इन तीनों इस्पात-संयंत्रों का प्रबन्ध 'हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड' करता है, जो अब पूर्णत· केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं। इसकी अधिकृत तथा चुकता पूँजी ३०० करोड़ रु० है। दुर्गापुर-संयंत्र को धातुकर्म-सम्बन्धी बढ़िया

सरकार सूती वस्त्र-उद्योग की आधुनिक उपकरणों तथा मशीनों-सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सन् १९५५ ई० से सर्वेक्षण कर रही है। सन् १९५८ तक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम ने इस उद्योग के लिए २'७१ करोड़ रु० के ऋण की स्वीकृति दी। जुलाई, १९५८ ई० में सब प्रकार के कपड़े पर उत्पादन-शुल्कों में कमी और उनका समानीकरण किया गया है।

पटसन—सन् १९४६-४७ ई० में भारत में पटसन की १०६ मिलें थीं, जिनमें ६६ हजार तकुए और १२'६५ लाख करघे थे। सन् १९५६ ई० में भारत में पटसन की ११२ मिलें थीं, जिनमें से १०५ में कुल मिलाकर ८३'४ करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई थी। सन् १९५९ ई० में पटसन से बनी १०'५२ लाख टन वस्तुओं का उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के माध्यम से अबतक ऋणों के रूप में ४'५६ करोड़ रु० की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, लगभग ५० प्रतिशत से अधिक तकुए आधुनिक ढंग के कर दिये गये हैं।

चीनी—सन् १९३१-३२ ई० में भारत में जहाँ चीनी की कुल ३२ मिलें थीं तथा १'६ लाखटन की चीनी बनी थी, वहाँ सन् १९५६-५७ ई० में चीनी की १६६ मिलें थीं, जिनमें २०'३९ लाख टन चीनी तैयार हुई। अनुमान है कि सन् १९५९ ई० में चीनी का कुल उत्पादन २०'८४ लाख टन था।

सीमेंट—भारत में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन सन् १९०४ ई० में मद्रास में आरम्भ हुआ था। इस उद्योग का वास्तविक विकास सन् १९१२-१३ ई० में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। इस समय देश में सीमेंट के ३२ कारखाने हैं। अक्तूबर, १९५९ ई० के अन्त में इस उद्योग की कुल स्थापित क्षमता ८३'५ लाख टन की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह क्षमता लगभग १०२'२ लाख टन हो गई। सन् १९१४ में इसका उत्पादन कुल १,००० टन तथा सन् १९४७ ई० में १४'४७ लाख टन था, सन् १९५९ ई० में वह बढ़कर ६८'१४ लाख टन हो गया। तीसरी योजना की अवधि में १९५५-५६ ई० तक सीमेंट-उद्योग की क्षमता का लक्ष्य १½ करोड़ टन रखा गया है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्षमता से ५० प्रतिशत अधिक है।

कागज—भारत में मशीन से कागज बनाने का काम सन् १८७० में कलकत्ता के निकटवाली मिल की स्थापना के साथ आरम्भ हुआ। दूसरे महायुद्ध में कागज बनानेवाली मिलों की संख्या बढ़कर १५ हो गई तथा सन् १९४४ ई० में कुल उत्पादन १,०३,८८४ टन हुआ। सन् १९५० ई० से इस उद्योग में काफी प्रगति हुई है। अब इसकी स्थापित क्षमता ३'२१ लाख टन है। सन् १९५९ में लगभग २'९१ लाख टन कागज बना।

सन् १९५९ ई० में ऐसा कागज भी बनना शुरू हुआ, जिस पर ग्रीस वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय कागज-उद्योग के द्रुत विकास का अनुमान लगाने के लिए यह तथ्य ही पर्याप्त है कि सन् १९५० ई० में जहाँ कुल १'०९ लाख टन कागज बना था, वहाँ सन् १९५९ ई० में २'९१ लाख टन कागज का उत्पादन हुआ।

भारत में अखबारी कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना सन् १९४७ ई० में नेपा नगर (मध्यप्रदेश) में बना। सन् १९४८ ई० में मध्यप्रदेश-सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में केन्द्रीय सरकार ने इसे ऋण दिया तथा इसकी कुछ हिस्सा-पूँजी खरीदी। इस

वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म औजार तैयार होते हैं। सन् १९५८-५९ ई० मे इस कारखाने में ४२ लाख रु० मूल्य के औजार बने। निकट भविष्य में इस कारखाने में ऐनक के शीशे आदि भी बनने लगेंगे।

चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी के विकास-कार्यक्रम में इस्पात का एक भारी ढलाई-कारखाना लगाने का कार्यक्रम सम्मिलित है, जिससे भारतीय रेलों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही हो सकेगी। तदनुसार, ७,००० टन की उत्पादन-क्षमतावाला एक ढलाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम ने ऐसे कार्यक्रम में कारखाने में लगाने के लिए १५ करोड़ रु० की व्यवस्था की है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र में कई मशीन-उद्योगों की स्थापना तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के विस्तार की व्यवस्था है।

बिजली के काम आनेवाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिए अगस्त, १९५६ ई० में हैवी इलेक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। तत्सम्बन्धी संयंत्र भोपाल में लगाया जा रहा है। इस पर सात-आठ वर्षों में (पहला चरण) २१ करोड़ रु० खर्च आयगा, तथा अन्ततः उपनगर की लागत छोड़कर इस पर कुल व्यय लगभग ४५·५ करोड़ रु० तक जा सकता है।

उद्योगों के उपयोगवाली भारी मशीनों के निर्माण की व्यवस्था विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (अक्तूबर, १९५४ ई० मे स्थापित एक सरकारी कम्पनी) कर रहा है। बिहार में राँची के निकट हटिया में एक भारी मशीन-निर्माण-संयंत्र तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)में एक कोयला-खनन-मशीन-संयंत्र और चश्मों के शीशे बनाने का कारखाना स्थापित करने में सहायता प्राप्त करने के लिए सन १९५७ ई० में रूसी सरकार के साथ एक करार किया गया। भारी मशीन-संयत्र के पास ही जेकोस्लावाकिया की मदद से ढलाई-संयंत्र भी लगाया जायगा। इन परियोजनाओं के प्रशासन के लिए दिसम्बर, १९५८ ई० में एक 'इंजीनियरिंग कारपोरेशन' (अधिकृत पूँजी ५० करोड़ रु०) की स्थापना की गई। सन् १९५९ ई० में रूसी सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार कुछ विशिष्ट औषधियाँ बनाने के निमित्त रूसी सरकार ने ८ करोड़ रु० का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया है।

रेलवे इंजिन तथा सवारी-डिब्बे—रेल-मंत्रालय के अधीन, पश्चिम बंगाल में, चित्तरंजन मे रेलवे इंजिन बनाने के कारखाने का अब और विस्तार कर दिया गया है और इसमें प्रतिवर्ष डब्ल्यू० जी० किस्म के १६८ इंजिन तैयार किये जाते हैं। इस कारखाने में प्रतिवर्ष स्टैंडर्ड किस्म के ३०० इंजिन तैयार करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, सरकारी सहायता प्राप्त करने-वाले टाटा इंजीनियरिंग ऐण्ड लोकोमोटिव वर्क्स में सन् १९५८-५९ ई० में १०३ इंजिन बने तथा सन् १९५९-६० और १९६०-६१ ई० मे १०० इंजिन बन जाने की आशा है।

पेराम्बूर-स्थित जोड़-हीन सवारी-डिब्बे बनाने के सरकारी कारखाने (इंटेग्रल कोच फैक्टरी) में उत्पादन-कार्य अक्तूबर, १९५५ ई० में आरम्भ हुआ। सन् १९५८-५९ ई० में फरनीचर-हीन ३८० सवारी-डिब्बे बने।

जहाजों का निर्माण—सरकार ने मार्च, १९५२ ई० मे सिंधिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी से विशाखापत्तनम् का जहाज बनाने का कारखाना खरीदकर उसका प्रबन्ध-भार हिन्दुस्तान

किस्म का कोयला सुलभ कराने के लिए पश्चिम वंगाल-सरकार द्वारा स्थापित कोयला-भट्टी-संयंत्र का उद्‌घाटन मार्च, १९५९ में हुआ।

अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में २ लाख टन सिल्लियों तथा इतने ही कच्चे लोहे का अतिरिक्त उत्पादन हो सकेगा।

इंजीनियरी—सरकार सन् १९४७ से इंजीनियरी-उद्योग का विकास करने के लिए विशेष प्रयत्नशील है तथा अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध मे भारत स्वावलम्वी भी हो चुका है। हाल के कुछ वर्षों में देश में कुछ नई वस्तुओं, तथा स्कूटरों, ऑटो रिक्शा, आदि का निर्माण भी आरम्भ हुआ है।

सन् १९५७ ई० में भारी और हल्की औद्योगिक मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। देश की औद्योगिक मशीनों की अधिकाश मॉग की पूर्त्ति अब देश में ही वनी मशीनों से हो सकती है। सन् १९५७ ई० मे मशीनी औजारों का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया तथा मेकेनिकल इंजीनियरी और रासायनिक इंजीनियरी मे क्रमश· १९ और १७ नई चीजों का निर्माण किया गया। सन् १९५९ ई० मे डीजल इंजिनों, मशीनी औजारों, चीनी वनाने की मशीनों तथा विजली के सामान के उत्पादन मे वृद्धि हुई। सन् १९५८ ई० की तुलना मे मोटरगाड़ियों के उत्पादन में ३६ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

भारत-सरकार ने सन् १९५२ ई० में सिंहभूमि रियासत-स्थित नाहन फाउण्ड्री को हस्तगत कर लिया और उसकी व्यवस्था एक सरकारी कम्पनी को सौंप दी, जिसकी अधिकृत पूँजी एक करोड़ रु० है। फाउण्ड्री में मुख्यतः कृषि औजार तैयार किये जाते हैं। सन् १९५८-५९ ई० में इस फाउंड्री में २,४६५ टन सामग्री का उत्पादन हुआ। एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार, अव इस फाउण्ड्री का आधुनिकीकरण करके उसमें तरह-तरह का सामान वनाये जायेंगे।

भारत में खराद-मशीनें सवसे पहले मई, १९५६ ई० में वंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित एक मशीनी औजार-कारखाने में तैयार की गई। यह कारखाना अव हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के अधीन है। सन् १९५८-५९ ई० में इस कारखाने में ५५२ मशीनों का निर्माण हुआ। पिछले वर्ष कुल ४०२ मशीनें वनी थीं। सन् १९६०-६१ ई० के लिए निर्धारित ४०० मशीनें वनाने का लक्ष्य सन् १९५७-५८ ई० में ही पूरा हो गया। अतः, सन् १९६०-६१ ई० तक ८६५ मशीनें बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

टेलीफोन के तार के सम्वन्ध में डाक और तार-विभाग की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए रूपनारायणपुर (पश्चिम वंगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान केवुल्स फैक्टरी' का उत्पादन-कार्य सन् १९५४ ई० में आरम्भ हुआ। इस कारखाने में सन् १९५८-५९ ई० में ६५६ मील लम्बे केवुल तारों का निर्माण हुआ। अब प्रतिवर्ष एक हजार मील लम्बे केवुल तार तैयार करने के उद्देश्य से कारखाने का विकास किया जा रहा है। कलकत्ता-स्थित नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी सन् १८३० ई० में स्थापित हुई थी। सन १९५७ ई० में इस कारखाने को नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी मे परिवर्त्तित कर दिया गया। इसमें २५० प्रकार के

अमोनियम सल्फेट तैयार हुआ। सन् १६५८-५६ में इस कारखाने में २·२६ लाख टन कोक तथा ६४,१५१ टन अमोनियम तैयार हुआ।

नॉइट्रोजनवाले उर्वरकों की संभावित मांग पूरी करने के लिए नंगल, नइवेली तथा राउरकेला में नए उर्वरक उत्पादन-केन्द्र स्थापित किये जायँगे। पहले दोनों केन्द्रों की वार्षिक उत्पादन-क्षमता सत्तर-सत्तर हजार टन तथा दूसरे की अस्सी हजार टन होगी। नंगल-स्थित कारखाने में प्रतिवर्ष २ लाख टन अमोनियम नॉइट्रेट उर्वरक तथा लगभग १४ टन भारी पानी का उत्पादन होगा। नइवेली में यूरिया तथा रूरकेला के कारखाने में नॉइट्रोलाइमस्टोन तैयार किया जायगा।

तेल—दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश के तेल-संसाधनों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। देश को प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की आवश्यकता होती थी, जिसमें ६६ लाख टन तेल का आयात किया जाता था। भारत में तेल केवल डिगबोई (आसाम) के आसपास पाया जाता है। परन्तु अब नाहरकटिया तथा मोरान के आसपास के प्रदेशों में भी तेल मिला है। यहाँ तेल के कुछ कुएँ खोदे गये हैं, जिनसे प्रतिवर्ष २५ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होने की आशा है। पूरा उत्पादन-कार्य आरम्भ हो जाने के बाद यहाँ से प्रतिवर्ष ४५ से ५० लाख टन तेल मिलने लगेगा।

जनवरी १६५८ में एक करार पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने तथा सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जानेवाले तेल साफ करने के दो कारखानों तक पाइप बिछाने के लिए 'आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक रुपया-कम्पनी की स्थापना की व्यवस्था थी। आशा है कि इसका उत्पादन-कार्य सन् १६६१ में आरम्भ हो जायगा।

पंजाब में ज्वालामुखी नामक स्थान में तथा पश्चिम बंगाल में भी तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश तथा आसाम में भी तेल-सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जा रहा है। तेल की खोज करने में विदेशी सहायता भी ली जा रही है।

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल-सम्बन्धी सारी-की-सारी आवश्यकताएँ आयात करके पूरी की जाती थीं; क्योंकि डिगबोई-स्थित 'आसाम तेल कम्पनी' के कारखानों का उत्पादन कुल आवश्यकता के लगभग ५ प्रतिशत के ही बराबर था। पहली योजना में पेट्रोल साफ करने के ३ कारखाने स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इनमें दो ट्राम्बे में तथा तीसरा विशाखापत्तनम् में स्थापित किया गया। इन सब कारखानों में कच्चे विधायित पेट्रोल की वार्षिक उत्पादन-क्षमता सन् १६५७ के अन्त तक लगभग ४३ लाख टन थी। सन् १६५८ में इनके उत्पादन के स्वरूप में सुधार किया गया, ताकि मिट्टी के तेल और डीजल तेल-सम्बन्धी देश की जरूरतें पूरी की जा सकें। इन सब कारखानों का वर्त्तमान उत्पादन लगभग ५० लाख टन है।

आसाम में नूनमती तथा बिहार में बरौनी नामक स्थान पर तेल साफ करने के दो नये कारखाने खोलने के लिए अगस्त, १६५८ में ३० करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी से इण्डियन रिफाइनरीज (प्राइवेट) लिमिटेड नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। दोनों कारखानों की उत्पादन-क्षमता क्रमशः ७½ तथा २० लाख टन होगी। अक्तूबर, १६५८ में हुए एक करार के

शिपयार्ड लिमिटेड को सौंप दिया। उस समय इसकी ⅔ हिस्सा-पूँजी सरकार की तथा शेष सिंधिया कम्पनी की थी। अब ८१ प्रतिशत हिस्से सरकार के हाथ में है। यह कारखाना डीजल से चलनेवाले आधुनिक चार जहाज प्रतिवर्ष बना सकता है। इस कारखाने में बना पहला जहाज मार्च, १९४८ ई० में पानी में उतारा गया।

अबतक इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न लम्बाई-चौड़ाई के २४ जलयान तथा २ छोटी नौकाएँ (लगभग १,१२,६२२ टन भार) तैयार की जा चुकी हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कारखाने में ७५,००० से ९०,००० टन भार तक के जलयान तैयार करने का प्रस्ताव है। पहली पंचवर्षीय योजना में ५०,००० टन भार के जलयान (पूँजी-विनियोग ६ करोड़) तैयार करने का प्रस्ताव था। जहाज बनाने का एक दूसरा कारखाना कोचीन में स्थापित करने का भी विचार है।

रासायनिक पदार्थ तथा औषधियाँ—प्रथम महायुद्ध से भारतीय रसायन-उद्योग को बड़ी गति मिली। फिर भी, द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने तक रासायनिक पदार्थों के लिए भारत आयात पर ही निर्भर करता था। महायुद्ध ने इस उद्योग को और गति प्रदान की। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद रसायन-उद्योग का काफी विकास हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में सिंदरी-कारखाने की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में सन् १९४६–५० ई० में रसायन-उद्योग की ६० कम्पनियाँ स्थापित हुईं। सन् १९५४ ई० में देश में विभिन्न प्रकार के १३४ रासायनिक पदार्थों का उत्पादन हुआ, जिनमें से कुछ पदार्थों का निर्माण भारत में पहली बार ही किया गया। अगस्त, १९५८ ई० में रूसी विशेषज्ञों का एक मंडल भारत आया, और इसने इस उद्योग का विकास करने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश की।

भारत-सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय बाल-सहायता-कोष तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से दिल्ली में डी० डी० टी० बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है, जिसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रु० है। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल, १९५५ में आरम्भ हुआ और सन् १९५८ में इसकी उत्पादन-क्षमता दुगुनी हो गई। केरल-राज्य के अल्वाए नामक स्थान में स्थापित डी०डी०टी० बनाने के दूसरे कारखाने में भी अप्रैल १९५८ से कार्य आरम्भ हो चुका है।

भारत सरकार ने पूना के निकट पिंपरी नामक स्थान में पेनिसिलीन बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाना ने अपना उत्पादन-कार्य अगस्त १९५५ में आरम्भ किया। कारखाने की प्रबन्ध-व्यवस्था हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के हाथ में है, जिसकी अधिकृत पूँजी ४ करोड़ रु० है। सन् १९५८-५९ में प्रतिवर्ष २·५२ करोड़ मेगायूनिट पेनिसिलीन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। वर्त्तमान संयंत्र की उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रतिवर्ष ४ करोड़ मेगा यूनिट पेनिसिलीन तैयार हो सकेगी। इस कारखाने में सन् १९६०-६१ तक प्रतिवर्ष चालीस हजार से पैंतालीस हजार किलोग्राम स्ट्रेप्टो-माइसीन तथा डिहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसीन तैयार करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

उर्वरक (खाद)—सरकार द्वारा स्थापित सिन्दरी उर्वरक-कारखाने का उत्पादन-कार्य अक्तूबर, १९५१ में आरम्भ हुआ। सन् १९५८-५९ में इस कारखाने में ३,२०,१२२ टन

बगान

सन् १८३४ तथा १८६५ के बीच चाय का उत्पादन सरकारी बगानों में ही होता था। सन् १८६५ से चाय-बगानों की व्यवस्था मुख्यत: यूरोपीय व्यापारियों के हाथ में आ गई। विगत कुछ वर्षों में अपने देश में चाय की खेती के क्षेत्र में बहुत ही शानदार प्रगति हुई है। सन् १८१० में जहाँ कुल ५'६४ लाख एकड़ क्षेत्र में चाय की खेती होती थी और उत्पादन-परिमाण सिर्फ २६'३ करोड़ पौंड था, वहाँ सन् १८५८ में ८'०४ लाख एकड़ क्षेत्र में चाय की खेती हुई और उत्पादन का परिमाण ७१'१३ करोड़ पौंड रहा। सन् १८५८ में दक्षिण भारत के बगानों के अतिरिक्त, देश में ६८'५७ करोड़ पौंड चाय का उत्पादन हुआ।

काफी (कहवा) की योजनाबद्ध खेती सन् १८३० में आरम्भ हुई तथा सन १८६२ में इस उद्योग में पर्याप्त प्रगति आई। सन् १८५८ में लगभग २'६८ लाख एकड़ भूमि में काफी की खेती हुई। सन् १८५८ में काफी का उत्पादन १०,०५,७६,००० पौंड हुआ।

रबड़ के बगान अपेक्षतया बाद में लगाये गये। अनुमान है कि सन् १८५८ में लगभग ३ लाख एकड़ भूमि में रबड़ के बगान थे।

चाय, काफी तथा रबड़ के बगान देश की कृषि-भूमि के लगभग ०'४ प्रतिशत भाग में हैं तथा मुख्यत उत्तर-पूर्व में और दक्षिण-पूर्वी-समुद्र-तट पर अवस्थित है। इनमें १२ लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा इनके निर्यात से भारत को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। १०० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा तो केवल चाय से ही प्राप्त होती है। आरम्भ में काफी तथा रबड़ का भी निर्यात किया जाता था, परन्तु आजकल देश में ही उनकी खपत हो जाती है।

सन् १८५४ में चाय-उद्योग में ११३ करोड़ रुपया लगा हुआ था तथा इसमें ८,८३,५८४ व्यक्ति काम कर रहे थे। सन् १८५५-५६ में काफी के बगानों की संख्या १३,४४३ थी तथा उनमें २,२२,७८३ व्यक्ति काम करते थे। सन् १८५६ के अन्त में देश में रबड़-बगानों की संख्या १८,१७५ थी, जिनमें ६३,०३४ व्यक्ति काम करते थे।

सितम्बर, १८५८ में चाय पर निर्यात-शुल्क घटाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें निश्चित करने का निश्चय किया गया। मार्च, १८५८ से प्रति पौंड पीछे २४ नये पैसे की कटौती कर दी गई। अक्तूबर, १८५८ से भारतीय चाय-बोर्ड कछार तथा त्रिपुरा के चाय-बगानों में उर्वरकों तथा परिवहन के व्यय में कुछ सहायता प्रदान कर रहा है। कमजोर बगानों को संयंत्र और मशीनों आदि की मरम्मत के लिए ऋण भी दिये जाते हैं। काफी-बोर्ड की एक योजना के अनुसार, अक्तूबर, १८५८ तक ७,४२१ एकड़ भूमि में पुन कृषि की गई तथा सहायता के रूप में १२'८ लाख रु० बाँटा गया। रबड़-बोर्ड ने भी एक ऐसी ही योजना के अन्तर्गत, सन् १८५७ में ७,४२१ एकड़-भूमि में पुन: खेती कराई। सन् १८५८ में छोटे-छोटे बगानों को सहायता देने की शर्त्तों को उदार बना दिया गया।

लघु उद्योग तथा कुटीर-उद्योग

यों तो देश मे बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत विकास हुआ है, फिर भी भारत अभी तक मुख्य रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। अनुमान लगाया गया है कि देश के कुटीर-उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें लगभग ५० लाख व्यक्ति तो केवल हथकरघा-उद्योगों में ही हैं।

अनुसार, रूमानिया-सरकार ने दीर्घकालीन ऋण के आधार पर आसाम में तेल साफ करने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

कोयला तथा भूरा कोयला (लिगनाइट)—खानों से कोयला निकालने का काम भारत में सबसे पहले सन् १८१४ में रानीगंज (बंगाल) में आरम्भ हुआ। देश में रेलों के आगमन से इस उद्योग को गति मिली तथा अनेक ज्वाइंट स्टाक कम्पनियाँ स्थापित हुईं, जिनका स्वामित्व अधिकांशत यूरोपीयों के अधीन था। सन् १८६८ के बाद कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। उस वर्ष कुल ५ लाख टन कोयला निकाला गया था, जो बढ़ते-बढ़ते सन् १९५९ में ४·६४ करोड़ टन तक जा पहुँचा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ करोड़ टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया था।

दक्षिण भारत में कोयले की कमी को देखते हुए नइवेली की 'बहूद्देश्यीय दक्षिणी आरकाड़ भूरा कोयला-परियोजना' के विकास को सबसे अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। इस पर कुल व्यय ६८·८ करोड रु० होगा। दिसम्बर, १९५६ मे नइवेली भूरा कोयला-निगम ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। कोयले की खुदाई का काम प्रगति कर रहा है। भूरे कोयले की खुदाई सन् १९६१ में आरम्भ हो गई है।

अन्य खनिज पदार्थ—सन् १९५८ में खानों में लगभग ६,४७,००० व्यक्ति काम करते थे। इन खानों की संख्या ३,३०० से अधिक थी। खानों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आंध्रप्रदेश, उडीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। जिन खनिज पदार्थों की विस्तृत रूप से खुदाई की जाती है, उनमें कोयला (८३२ खानें,) अभ्रक (८०० खानें), खनिज मैंगनीज) (७०० खानें), खनिज लोहा (२०० खानें) तथा चूने का पत्थर (१५० से अधिक खानें) उल्लेखनीय हैं। खनिज पदार्थों के उत्पादन मे प्रतिवर्ष अच्छी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि सन् १९०१ में कुल ६·७ करोड़ रु० मूल्य के खनिज पदार्थ निकाले गये थे। सन् १९५८ में निकाले गये खनिज पदार्थों का मूल्य लगभग १२७·३६ करोड रु० आँका गया था।

सन् १९५८ में कतिपय प्रमुख धातुओं और धातु-भिन्न खनिज पदार्थों का उत्पादन-परिमाण और मूल्य (कोष्ठकों में) इस प्रकार गया।

क्रोमाइट ६३,६५७ मीट्रिक टन (३१·८६ लाख रु०); कच्चा लोहा ६१·३० लाख मीट्रिक टन (४८४·९१ लाख रु०), कच्चा मैंगनीज १२·५३ लाख मीट्रिक टन (१,१२४·२६ लाख रु०); बॉक्साइट १,२६,०६८ मीट्रिक टन (१२·८४ लाख रु०); खनिज ताँबा ४,११,४७१ मीट्रिक टन (२२६·६८ लाख रु०); सोना ५,२६१ किलोग्राम (४६६·८८ लाख रु०), इलेमेनाइट ३,१४,१२२ मीट्रिक टन (१८३·३६ लाख रु०); सीसा ५,३४१ मीट्रिक टन १६·२७ लाख रु०), चाँदी ३,४१६ किलोग्राम (५·४८ लाख रु०); जस्ता ७,३६१ मीट्रीक टन (२०·४६ लाख रु०), हीरा १,५३० कैरेट (३·७ लाख रु०); मरकत (एमेरेल्ड) ८०,००० कैरेट (५० हजार रु०), खड़िया मिट्टी ७,६४,३६२ मीट्रिक टन (५२·१५ लाख रु०); कच्चा अभ्रक ३१,८११ मीट्रिक टन (२५१·६६ लाख रु०); तथा नमक (सेंधा नमक को छोड़कर) ४२,२७,००० मीट्रिक टन (८४३·३५ लाख रु०)।

लगाई जाती हैं तथा विभिन्न राज्यों में समय-समय पर 'हस्तशिल्प सप्ताहों' का आयोजन किया जाता है। हस्तशिल्प की वस्तुओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि अब देश में करीब १०० करोड़ रु० की चीजें हर साल तैयार होती हैं तथा लगभग ७ करोड़ रु० की चीजों का निर्यात किया जाता है।

नारियल-जटा-उद्योग मुख्यत एक कुटीर-उद्योग है। कुछ कारखानों में लकड़ी के करघे भी हैं, जिन पर हाथ से काम किया जाता है। अनुमान है कि १·२ लाख टन के वार्षिक उत्पादन में से लगभग ६० प्रतिशत उत्पादन केवल केरल में ही होता है।

औसतन ५०,००० टन नारियल-जटा तथा इससे बनी २१,००० टन वस्तुओं का हर वर्ष निर्यात किया जाता है। भारत में नारियल-जटा से बननेवाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने का कार्य नारियल-जटा-बोर्ड को सौंपा गया है। नारियल-जटा से बनी वस्तुएँ विदेशी मुद्रा कमाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल-जटा-उद्योग के लिए निर्धारित रकम को बढाकर २·३ करोड़ कर दिया गया था।

सन् १९५८ ई० में भारत में ३४·०१ लाख कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ। इसमें लगभग आधा उत्पादन मैसूर राज्य में हुआ। आसाम, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास में भी बड़े परिमाण में रेशम बनता है। रेशम-उद्योग के विकास की व्यवस्था करने के लिए सन् १९४९ ई० में केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की गई और अप्रैल, १९५८ ई० में उसका पुनर्गठन किया गया। सन् १९४३ में बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) में एक केन्द्रीय रेशम कीड़ापालन-अनुसंधान-केन्द्र स्थापित किया गया। इसकी एक शाखा कलिम्पोंग में भी खोली गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस केन्द्र का विस्तार करने की व्यवस्था है। रेशम-बोर्ड ने मैसूर में एक अखिलभारतीय रेशम-कीड़ापालन-प्रशिक्षण-संस्थान तथा श्रीनगर में एक केन्द्रीय विदेशी रेशम-कीड़ापालन-केन्द्र भी स्थापित कर दिया है। भारत मे रेशम का कीड़ा पालने में जो समस्याएँ पेश आती हैं, उनका अध्ययन एक जापानी विशेषज्ञ ने सन् १९५७ ई० में किया था। इसके बाद, कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत, एक वर्ष के लिए जापान से दो विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की गई।

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों पर लगभग ३३·६ करोड़ रु० व्यय किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनके लिए २०० करोड़ रु० की व्यवस्था थी। ग्रामोद्योगों आदि के क्षेत्र में और विकास के सुझाव देने के लिए सन् १९५९ ई० में जापान से ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के विशेषज्ञों का एक पाँच-सदस्यीय शिष्ट-मंडल भारत आया।

खादी-उद्योग—अखिलभारतीय खादी और ग्रामोद्योग-आयोग सहकारी-समितियों, रजिस्टर-शुदा संस्थानों, राज्य-सरकारों तथा राज्य-सरकारों द्वारा स्थापित अनुविहित बोर्डों के माध्यम से खादी-उद्योग को वित्तीय सहायता देता है। सन् १९५९-६० ई० में परम्परागत चर्खे के सूत से लगभग १३ करोड़ रु० की खादी तैयार हुई। खादी के प्रचार-प्रसार के लिए खादी तथा सिले-सिलाये कपड़ों पर काफी छूट दी जाती है। अनुमान है कि सन् १९५८-५९ ई० मे ६·५१ करोड़ रु० की खादी बनी तथा ८·६१ करोड़ रु० की बिकी।

छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य-सरकारों का ही है। राज्य-सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित संगठन स्थापित किये हैं—अखिलभारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग; अखिलभारतीय हस्तशिल्प-बोर्ड; अखिलभारतीय हथकरघा-बोर्ड; लघु उद्योग-बोर्ड; नारियल-जटा-बोर्ड; तथा केन्द्रीय रेशम-बोर्ड।

सरकार तथा बैंक, दोनों ही छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं।[१] सन् १९५७-५८ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य-सरकारों को ३·३ करोड़ रु० के ऋण तथा १·१ करोड़ रु० के अनुदान देने की स्वीकृति दी गई। सन् १९५९-६० की अवधि के लिए ४·७ करोड़ रु० की स्वीकृति दी गई है। अबतक ९६ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है। इन बस्तियों में उन छोटे औद्योगिक कारखानों को ले जाया जायगा, जो अभी नगरों में अवस्थित हैं। उन्हें वहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ दी जायेंगी। सन् १९५८-५९ के अन्त तक औद्योगिक बस्तियों के विकास पर ५·३९ करोड़ रु० व्यय हो चुका है।

छोटे उद्योगों को प्राविधिक सहायता देने का एक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार-सेवा' के नाम से आरम्भ किया है। अबतक १५ लघु-उद्योग सेवा-संस्थान और चार शाखा-संस्थान खोले जा चुके हैं तथा २८ औद्योगिक विस्तार-केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न व्यवसायों को तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। लघु उद्योगों को प्राविधिक मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से भी विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं तथा भारतीय प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजा जाता है। दोनों के लिए फोर्ड-प्रतिष्ठान सहायता प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, फरवरी १९५५ ई० में राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम की स्थापना की गई। सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके यह निगम छोटे कारखानों को ठीके आदि दिलवाने की व्यवस्था करता है। नवम्बर, १९५९ ई० के अन्त तक इस प्रकार के ५,१५२ कारखानों के नाम दर्ज किये गये। इस योजना के अन्तर्गत, कुटीर-उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को केन्द्रीय सरकार के लगभग ४·७५ करोड़ रु० के ठीके दिलवाये गये। जनवरी, १९५९ ई० से यह निगम इन छोटे कारखानों को ऋण भी दे रहा है। जनवरी-अगस्त, १९५९ तक इनको लगभग १ करोड़ रु० की मशीनें दी गईं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में चार सहायक निगम स्थापित कर दिये गये हैं। निगम को केन्द्रीय सरकार अनुदान तथा ऋण प्रदान करती है।

सामुदायिक परियोजना-प्रशासन भी छोटे उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य से कुछ सामुदायिक विकास क्षेत्रों में खंड-स्तर पर औद्योगिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

सन् १९५२ ई० में स्थापित अखिलभारतीय हस्तशिल्प-बोर्ड हस्तशिल्प (दस्तकारी) की चीजों तथा उनकी बिक्री की समुचित व्यवस्था करने के लिए देश-विदेश में कार्य कर रहा है। अभी यह बोर्ड विभिन्न प्रकार के २१ केन्द्र चला रहा है। अप्रैल, १९५८ ई० में भारतीय हस्तशिल्प-विकास-निगम की स्थापना की गई, जिसने हस्तशिल्प-बोर्ड से निर्यात व्यापार की वृद्धि-सम्बन्धी कुछ काम अपने हाथ में ले लिये हैं। देश के कोने-कोने में चलती-फिरती नुमाइशें

---

१ छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत वे औद्योगिक कारखाने आते हैं, जिनकी पूँजी ५ लाख रु० से अधिक की नहीं है, उनमें आदमी चाहे जितने काम करते हों।

गृह-निर्माण के पत्थर, संगमरमर, स्लेट, चूना-पत्थर, औद्योगिक मिट्टी, डोलोमाइट, सोडियम, साल्ट और अलकली, दुष्प्राप्य मिट्टी, बेरिलियम, एल्यूम शीशा की बालू, पिराइटस, बोरैक्स, नाइट्रेट्स, जिरकॉन, वेनेडियम, कीमती पत्थर, फॉस्फेट आदि। (४) चौथी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जो बहुत कम परिमाण में पाये जाते हैं और जिनके लिए भारत को अधिकतर विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। ऐसे पदार्थों में ताँबा, चाँदी, निकेल, पेट्रोलियम, गंधक, सीसा, जस्ता, टिन, फ्लोराइड, पारा, प्लाटिनम, ग्रेफाइट, एस्फाल्ट, मोलिबडेनम, टंगस्टेन और पोटाश हैं।

खानों एव खनिज पदार्थों का संरक्षण—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत-सरकार ने खनिज-सम्पत्ति के संरक्षण, नियमन एवं उसमें छूट देने के लिए कानून-निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया। सितम्बर, १९५७ ई० में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नामक कानून पास किया गया, जिसमें सन् १९५८ ई० के ऐक्ट १५ द्वारा संशोधन लाया गया। यह कानून केन्द्रीय सरकार को खानों एवं खनिज पदार्थों के संरक्षण एवं विकास तथा लाइसेंस, लीज आदि की शर्तों के नियमन का अधिकार प्रदान करता है।

खान-सम्बन्धी-सरकारी विभाग—भारत-सरकार के इस्पात, खानें और ईंधन-मंत्रालय के दो विभाग हैं—(१) लोहा और इस्पात विभाग, तथा (२) खानें और ईंधन-विभाग। इस दूसरे विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यालय और संगठन (संस्थाएँ) हैं—

(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, (२) इण्डियन ब्यूरो ऑफ्-माइन्स, (३) आयल ऐण्ड नेचुरल गैस कमीशन, (४) ऑफिस ऑफ द कोल-कण्ट्रोलर, (५) कोलबोर्ड, (६) नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और (७) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०।

खनिज पदार्थ सम्बन्धी संस्थाएँ—खनिज पदार्थ-सम्बन्धी निम्नांकित संस्थाएँ हैं—

(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ् इण्डिया—इसकी स्थापना सन् १९५१ ई० में हुई। यह संस्था भारत के भूगर्भ-सम्बन्धी मानचित्र तैयार करती है, जिनके आधार पर देश के खनिज साधनों का मूल्यांकन होता है तथा भूगर्भ-सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। यह संस्था एक निर्देशक के अधीन कार्य करती है, जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है।

(२) मिनरल इनफारमेशन ब्यूरो—उद्योगों के सम्बन्ध में सूचना एवं परामर्श देने के लिए इस संस्था की स्थापना सन् १९४८ ई० मे की गई। अप्राविधिक भाषा में भारतीय खनिजों, ईंधन, कच्चा लोहा, लौह-मिश्रण खनिज, बहुमूल्य द्रव्य, जवाहरात, रासायनिक उद्योगों के खनिज, औद्योगिक मिट्टी, बालू एवं अन्य मिश्रित खनिजों के सम्बन्ध मे तथ्य का विस्तार करना इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

(३) नेशनल मिनरल डेवलपमेट कारपोरेशन—१५ करोड़ की अधिकृत पूँजी से इस विभाग की स्थापना १५ नवम्बर, १९५८ ई० को की गई, यह कारपोरेशन तेल, प्रकृत गैस और कोयला के अतिरिक्त शासकीय क्षेत्रों में अन्य खनिजों के उपयोग के कार्य को सम्पन्न करेगा। कारपोरेशन प्रारम्भ में रूरकेला के किरीबुरू के कच्चे लोहे का उपयोग प्रतिवर्ष २० लाख टन जापान को निर्यात करने के रूप में करेगा।

(४) उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड—शासकीय क्षेत्र में कच्चे लोहे के उपयोग के उद्देश्य से भारत-सरकार तथा उड़ीसा-सरकार के संयुक्त प्रयास से इसकी स्थापना

अम्बर चर्खा—सन् १९५६-५७ ई० में एक उन्नत प्रकार का चर्खा (अम्बर चर्खा) काम में लाने का निश्चय किया गया। इस चर्खे में ४ तकुए होते हैं तथा एक व्यक्ति प्रतिदिन ८ घंटे काम करके इससे ६ गुंडी सूत कात सकता है। कर्वे-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-समिति (सन् १९५५ ई०) ने सिफारिश की थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कपड़े की अतिरिक्त जरूरतें विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में पूरी की जायें।

मार्च, १९५६ ई० में सरकार द्वारा नियुक्त अम्बर चर्खा-जाँच-समिति इस निर्णय पर पहुंची कि कताई के लिए अम्बर चर्खा ही सबसे अधिक उपयोगी है। तदनुसार, सरकार ने सन् १९५६-५७ ई० में ७५,००० अम्बर चर्खे चालू करने की स्वीकृति दी। सन् १९५८-५९ ई० के अन्त तक २,४५,०१५ अम्बर चर्खे चालू किये गये। अम्बर चर्खे से सन् १९५६-५७ ई० में १११·५ लाख वर्गगज तथा सन् १९५८-५९ ई० में २४०·४ लाख वर्गगज कपड़ा तैयार किया गया।

अम्बर चर्खा-कार्यक्रम के अन्तर्गत, सन् १९५६-५७ ई० में ५७,२७०; सन् १९५७-५८ ई० में १,१०,१५३; तथा सन् १९५८-५९ ई० में १,१९,३९८ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। सन् १९५६-५७ ई० में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास द्वारा कुल मिलाकर २१·१८ लाख व्यक्तियों को पूरे तथा आंशिक समय का काम दिलाया गया।

खनिज पदार्थ

खनिज सम्पत्ति के मामले में भारत को एक समृद्ध देश कहा जा सकता है। संसार के खनिज-उत्पादक देशों में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। मैंगनीज और इलमेनाइट के सर्वाधिक उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अबरख के संचित परिमाण एवं किस्म तथा मैगनेटाइट और बॉक्साइट के प्रचुर संचय के कारण भारत को खनिज-उत्पादक देशों में यह महत्त्व प्राप्त है। कच्चा लोहा, कोयला तथा कई अन्य खनिजों की भी यहाँ प्रचुरता है। पेट्रोलियम, जस्ता, एण्टीमनी, टिन, प्लाटिनम, सेलीनम वोरेटस, आयोडिन, पोटाश, गन्धक, शोरा फास्फेट और टेलुरियम आदि खनिज पदार्थों का उत्पादन सर्वथा अपर्याप्त है। निर्माण-कार्य में प्रयुक्त होनेवाले सामान, जैसे चूना, पत्थर, क्ले, वालू, जिप्सम आदि यहाँ प्रचुर परिमाण में प्राप्य हैं।

भारत के खनिज पदार्थ चार श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—(१) पहली श्रेणी में वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका उत्पादन यहाँ की खपत से अधिक होता है और जो दुनिया के बाजार में पर्याप्त परिमाण में भेजे जाते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ कच्चा लोहा, टिटैनियम और अबरख हैं। (२) दूसरी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जिनका निर्यात एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मैगनीज, वॉक्साइट, मैगनेसाइट, प्रकृत अब्रेसिव्स, स्टीटाइट, सिलिका, जिप्सम, ग्रेनाइट मॉनेजाइट, कोरण्डम तथा सीमेंट के सामान ऐसे ही खनिज पदार्थ हैं। (३) तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका उत्पादन देश की वर्त्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त समझा जाता है। ऐसे खनिज पदार्थ हैं—कोयला, अल्युमिनियम, खनिज रंग, सोना, क्रोम,

निकलता है। हैदराबाद में, कोयला की खान हैदराबाद से १४६ मील दूर सिंगरेनी नामक स्थान में है। सिक्कम की रागित तराई में कोयले की नई खान का पता चला है। कोयले की खपत मुख्यतः भारत में ही होती है। कोयले की खानें लगभग एक हजार है, जहाँ ढाई लाख आदमी काम मे लगे हुए हैं।

सन् १६४६ ई० में झरिया के पास डिगवाडीह नामक स्थान में एक ईंधन-अनुसंधान-संस्थान (फ्एल-रिसर्च-इन्स्टीट्यूट) की स्थापना की गई, जिसका काम कोयला-सम्बन्धी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करना है। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार की ओर से कोयला नियंत्रक (कलकत्ता कोयला-मंडल, कलकत्ता), राष्ट्रीय कोयला विकास-निगम लि० (रॉची), नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०, कोल-कौंसिल ऑफ इण्डिया आदि संस्थान इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। भारत-सरकार के भू गर्भ-विभाग ने हजार फीट नीचे २० अरब टन और दो हजार फीट नीचे ५ अरब टन कोयला होने का अनुमान किया है। मद्रास के वृद्धाचलम् और कुडालोर नामक स्थान में कोयले की खानें मिली हैं, जहाँ शीघ्र ही काम चालू होगा।

मैंगनीज—उपयोगिता में कोयला के बाद मैंगनीज का ही स्थान है। इसका सबसे अधिक काम इस्पात बनाने में होता है। बैटरी बनाने में तथा रासायनिक उद्योग-धन्धों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रूस के बाद यह भारत में ही सबसे अधिक पाया जाता है। संसार का एक तिहाई मैंगनीज यहीं उत्पन्न होता है। भारत में ६५ प्रतिशत मैंगनीज का उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। मध्यप्रदेश के अलावा बम्बई, बिहार, उडीसा, मध्यभारत और मद्रास मे भी यह पाया जाता है। ब्रिटेन, फ्रास, जापान और संयुक्तराज्य अमेरिका यहाँ के मैंगनीज के ग्राहक हैं।

सोना—खनिज पदार्थों में तीसरा स्थान सोने का है। भारत का ६५ प्रतिशत सोना मैसूर के कोलार नामक स्थान से निकलता है। हैदराबाद के हुती, बम्बई के धारवार, मद्रास के अनन्तपुर आदि स्थानों में भी स्वल्प परिमाण में सोना मिलता है। सिंहभूमि और उड़ीसा की कुछ नदियों की बालू में भी सोना पाया जाता है। रूस को छोड़कर संसार का २ प्रतिशत सोना भारत में मिलता है। 'कोलार गोल्ड माइन्स एक्वीजिशन ऐक्ट, १६५६' के पास होने के बाद सभी सोने की खानों पर सरकार का अधिकार हो गया है।

अबरख—संसार का तीन-चौथाई अबरख भारत में पाया जाता है। यहाँ यह मुख्यतः बिहार के हजारीबाग और गया जिले में भी मिलता है। भारत का लगभग ८० प्रतिशत अबरख यहीं निकलता है। राजस्थान तथा मद्रास के नेलोर जिले मे भी इसकी खानें हैं। ट्रावणकोर, मैसूर और उड़ीसा मे भी इसके पाये जाने का अनुमान किया जा रहा है। इसका अधिक उपयोग बिजली आदि के सामान बनाने में होता है। खराब अबरख कागज, पेंट रबर आदि बनाने में लगाया जाता है। लगभग २ करोड़, १७ लाख, रुपये का ११,२५० टन अबरख भारत से बाहर भेजा जाता है।

पेट्रोलियम—संसार का सिर्फ १·१० भाग पेट्रोलियम भारत में पाया जाता है। यह आसाम के डिगबोई नामक स्थान में मिलता है। आसाम के नाहरकटिया और मोरन नामक स्थानों में इसकी खान का पता चला है; जहाँ १०,००० फीट की गहराई से तेल निकाला जा रहा है। पंजाब के ज्वालामुखी नामक स्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्र, राजस्थान, गंगा की तराई,

मई, १९५९ ई० में की गई। यह निगम कच्चा लोहा तथा अन्य खनिजों के लिए प्रदीप बन्दरगाह तक यातायात की सुविधाओं का संगठन करने का भी लक्ष्य रखता है।

(५) इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स—इसकी स्थापना १९४८ ई० में की गई और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में रखा गया। यह खान-विशेषज्ञों की संस्था है, जो खनिज के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर अपना परामर्श सरकार को दिया करती है। यह संस्था 'माइन्स ऐण्ड मिनरल (रेगुलेशन डेवलपमेंट) ऐक्ट १९५८' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के एक अभिकरण के रूप में कार्य करती है। इसे उत्खनन-प्रणालियों में सुधार एवं विकास, खनिज के अधिकतम परिमाण की उपलब्धि तथा खनिजों के अपव्यय को रोकने के लिए खानों का निरीक्षण करना पड़ता है। यह संस्था खनिज पदार्थों के रिआयत, रॉयल्टी, लगान, कर-निर्धारण, निर्यात-नीति आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देती है और खनिजों के उत्पादकों और व्यवसायियों को विश्लेषण तथा परीक्षण की सुविधाएँ प्रदान करती है।

खनिज-उद्योग से सम्बद्ध सभी विषयों में सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९५३ ई० में 'खनिज-परामर्श-मंडल' (मिनरल एडवाइजरी बोर्ड) की स्थापना की गई। यह मण्डल खनिज एवं खनिज-उत्पादनों के आयात-निर्यात-मूल्य के सम्बन्ध मे सरकार को परामर्श देता है तथा खनिज पदार्थों के उत्पादन, अन्तर्देशीय वितरण तथा खपत की आलोचना करता है।

खान-सम्बन्धी शिक्षा—सन् १९२६ ई० में धनबाद में 'इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड अप्लायड जियोलॉजी' स्थापित किया गया, जहाँ खनिज-अभियंत्रण एवं प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र का प्राविधिक उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त यहाँ विद्युत् और मेकैनिकल इंजीनियरिंग, रसायन-शास्त्र-फ्यूएल टेक्नोलॉजी, धातु-विज्ञान-गणित, विदेशी भाषाएँ आदि की शिक्षा दी जाती है। एक पुनर्गठन-समिति के अभिस्ताव पर इस विद्यालय का पुनस्संघटन किया गया है। नये कार्यक्रम में यहाँ धातु-विज्ञान, फ्यूएल-टेकनोलॉजी, रिफ्रैक्टरीज और सेरामिक्स जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है। इस विद्यालय में खान तथा प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र की शिक्षा के लिए 'नेशनल स्कूल ऑफ माइन्स' नामक एक संस्थान की स्थापना की गई है। हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी के 'कॉलेज ऑफ् माइनिंग एण्ड मेटालर्जी' में खान-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है।

विभिन्न खनिज पदार्थ

कोयला—सब प्रकार के उद्योग-धन्धों के लिए कोयला परम आवश्यक वस्तु है। संसार में कोयले के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। भारत में कोयला गोंडवाना और टरशियरी इन दो क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और हैदराबाद में फैला हुआ है। टरशियरी क्षेत्र आसाम और राजपूताना में है। गोंडवाना-क्षेत्र से ९८ प्रतिशत कोयला और टरशियरी-क्षेत्र से २ प्रतिशत कोयला निकलता है। इस समय कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग साढ़े ३ करोड़ टन है। इसमें ५५ प्रतिशत बिहार से, २८ प्रतिशत बंगाल से, ६ प्रतिशत मध्य-प्रदेश से, ५ प्रतिशत पूर्वी रियासतों से, ४ प्रतिशत हैदराबाद से और २ प्रतिशत गोंडवाना-क्षेत्र से कोयला निकलता है। बिहार में, मुख्यतः झरिया, बंगाल और रानीगंज में कोयले की खानें हैं। झरिया की खानों से सबसे अच्छा कोयला

बॉक्साइट—यह बम्बई से ३० मील दूर डूंगर पहाड़ी पर बहुत मिलता है। यह मध्य-प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर, मंडाला, शिवनी और नन्दगाँव जिले में तथा बिहार में भी अधिकता से पाया जाता है। यह पेट्रोलियम साफ करने और फिटकिरी एवं अल्युमिनियम बनाने के काम में आता है।

सीमेण्ट—सीमेण्ट बनाने का सामान यहाँ बहुत पाया जाता है। सीमेण्ट तैयार करने का मुख्य स्थान पोरबन्दर (काठियावाड़), कटनी, जबलपुर (मध्यप्रदेश), बिहार, लाखेरी (राजपूताना) और गुण्टूर (मद्रास) है।

कैनाइट—भारत में मुख्यतः यह बिहार के अन्दर सिंहभूमि, सरायकेला और खरसावाँ में पाया जाता है।

ताँबा—भारत में मुख्यतः बिहार के सिंहभूमि और बरगडा, जयपुर के सिन्धाना और खेतड़ी, राजस्थान के दरीबो और खो, सिक्किम के भोटाँग और दिकचू तथा आन्ध्र के गुण्टूर, कूर्नूल और नेलोर में मिलता है। 'सिंहभूमि इण्डियन कॉपर-कारपोरेशन' इस दिशा में कार्य कर रहा है।

चूना का पत्थर—यह बिहार के रोहतासगढ और मध्य-प्रदेश के कटनी नामक स्थानों में तथा राजस्थान के बूंदी, जोधपुर और सिरोही तथा मध्यभारत के रीवाँ और महियार रियासतों में पाया जाता है। यह चूना और सीमेण्ट बनाने के काम में आता है।

जिप्सम—भारत का ८० प्रतिशत जिप्सम राजपूताना के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि स्थानों में पाया जाता है। यह काठियावाड़, मद्रास, पंजाब और उत्तरप्रदेश में भी मिलता है। इसका उपयोग सीमेण्ट, प्लास्टिक पेंट आदि बनाने में किया जाता है।

स्टीटाइट—इसे सोप-स्टोन और पॉट-स्टोन भी कहते हैं। चूर्ण के रूप में इसे 'फ्रेंच चॉक' कहा जाता है। यह जयपुर, गुण्टूर, जबलपुर तथा मैसूर और बिहार में मिलता है।

कीमती पत्थर—हीरा की खान मध्यभारत की पन्ना-रियासत में है। नील मणि कश्मीर के ऊँचे पहाड़ पर और लाल मणि किसुनगढ-रियासत के बरवार जिले में तथा पास की जयपुर-रियासत में पाया जाता है।

टिन, लेड और जिंक—ये धातुएँ भारत में बहुत ही कम पाई जाती हैं। टिन बिहार की अबरख-खान के पास कभी-कभी मिलता है। लेड जयपुर, उदयपुर और छोटा उदयपुर रियासतों में तथा हजारीबाग में पाया जाता है।

साइक्लोटोन बेरिज—यह खनिज पदार्थ अणु-बम तैयार करने और एक्स-रे के औजार बनाने के काम में आता है। यह संसार में एक हजार से दो हजार टन तक प्रति वर्ष निकलता है। भारत-सरकार के भूगर्भ-विभाग ने अभी हाल में ही अजमेर में ५० से १०० टन तक इसके मिल सकने का पता लगाया है।

अन्य खनिज पदार्थ—अन्य खनिज पदार्थ और उनके मिलने के स्थान इस प्रकार हैं—**फूलर मिट्टी**—मध्यप्रदेश, पंजाब और राजपूताना। **बैरिटस**—मद्रास और राजपूताना। **गेरू**—मध्यभारत, मध्यप्रदेश, पूर्वी रियासतें, मद्रास, उडीसा और राजपूताना। **ग्रैफाइट**—मैसूर, मध्यप्रदेश, मद्रास और पूर्वी रियासतें। **टग्सटेन**—जोधपुर-रियासत। **ऐसबेस्टस**—पूर्वी रियासत, मैसूर और राजपूताना। **फेल्सपार**—मैसूर और राजपूताना। **गेरनेट सैंड**—मद्रास। **बेण्टोनाइ**—जोधपुर। **अपेटाइट**—बिहार और मद्रास। **टैटेलाइट**—मुंगेर (बिहार)। **एण्टिमोनी**—चित्रल-रियासत।

पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, गुजरात के काम्बे और कच्छ, बिहार के चंपारन तथा मद्रास, आंध्र और केरल के कई स्थानों में मिट्टी तेल प्राप्त करने के लिए खोज की जा रही है। भारत-सरकार ने तेल-क्षेत्रों की खोज, प्राप्ति और शोध के लिए 'तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग' का गठन किया है। भारत-सरकार ने बम्बई के ट्राम्बे में दो तथा विशाखापत्तनम् में एक तेल-शोध-कारखाने स्थापित किये हैं। नूनमाटी, गोहाटी तथा बरौनी में भी तेल-शोध कारखाने खुल रहे हैं।

लोहा—भारत के लोहे की खान का भी संसार में एक विशेष स्थान है। सबसे अच्छे लोहे की सबसे बड़ी खान यहीं है। लोहे की चालू खानें बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आन्ध्र और मैसूर-राज्य में हैं। मध्यप्रदेश में बहुत थोड़ा लोहा मिलता है। सबसे अधिक और सबसे अच्छा लोहा बिहार के सिंहभूमि जिले में तथा उड़ीसा में ही पाया जाता है। जमशेदपुर के पास नोआमुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी खान है, जो टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लि० के अधिकार में है। जमशेदपुर के आस-पास टिन तथा दूसरी मुख्य खानें भी हैं। कहते हैं, बिहार-उड़ीसा की लोहे की खानों मे २,८३,२० लाख टन लोहा संचित है, जो सारे भारत के काम के लिए हजार वर्ष तक काफी होगा।

नमक—भारत का दो-तिहाई नमक बम्बई और मद्रास के समुद्र-तट पर सामुद्रिक जल से बनता है। उड़ीसा-तट पर तथा कच्छ की खाड़ी में खरगोडा नामक स्थान में भी नमक बनाया जाता है। देश के भीतरी भाग के अन्दर राजपूताने की साम्भर झील में तथा उसके आसपास नमक मिलता है। पश्चिमी पंजाब और कोटा की पहाड़ी में पाया जानेवाला सेंधानमक अब पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया है। खंडित भारत के अन्दर हिमाचल-प्रदेश के मंडी नामक स्थान से १ लाख मन सेंधा नमक प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। नमक की खपत का अनुमान प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति १२ पौंड है। १९५४ ई० में केन्द्रीय नमक-अनुसंधान-संस्थान की स्थापना की गई। आशा है, कुछ दिनों में भारत संसार का एक प्रमुख नमक-उत्पादक देश बन जायगा।

अल्युमिनियम—इसकी खान अभी कुछ ही वर्षों से चालू हुई है। यह ट्रावणकोर, बिहार और मध्यप्रदेश में पाया जाता है। कलकत्ता के पास बेलूर का रॉलिंग मिल अल्युमिनियम की चीजें तैयार करती हैं। आसनसोल में 'अल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया' ने अपना काम शुरू किया है। बिहार के मुरी नामक स्थान में भी इसका कारखाना खुल गया है।

इलमेनाइट—इलमेनाइट के लिए भारत संसार में अग्रगण्य हो गया है। यह सबसे बढ़कर उजला पदार्थ है। उजले रंग के बनाने में यह लेड का स्थान लेगा। यह भारत के दक्षिण भाग में कुमारी अन्तरीप की बालू में पाया जाता है।

मोनेजाइट और जिरकोन—ये दोनों ट्रावणकोर और कुमारी अन्तरीप के सामुद्रिक बालू से निकाले जाते हैं। संसार का ८८ प्रतिशत मोनेजाइट भारत देता है। केरल के अल्वाए में मोनेजाइट का कारखाना खोला गया है।

क्रोमाइट—भारत का ६५ प्रतिशत क्रोमाइट मैसूर में पाया जाता है। इसके बाद सिंहभूमि का स्थान है।

मैगनेसाइट—यह मद्रास के सलेम जिले में तथा मैसूर, राजपूताना, कश्मीर, बेलूचिस्तान और बिहार में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट; काँच, कागज, रबड़, हवाई जहाज आदि तैयार करने में होता है।

भारत का खनिज-उत्पादन

वर्ष	सोना (किलोग्राम में)	जिप्सम (मेट्रिक टन)	मैंगनीज (००० मेट्रिक टन)	अबरख (००० क्विण्टल)	कीनाइट (टनों में)	ताँबा (टनों में)	बॉक्साइट (टनों में)	क्रोमाइट (टनों में)	इलमेनाइट (टनों में)	भवन निर्माण-सामग्री (रु० ०००)
१९५५	५,९७८	७,००,९७६	१,६०९	२३६	११,९२९	३,५३,०५४	८१,१७२	८९,३४९	२,५०,७७४	३६,२८६
१९५६	५,९३२	८,६३,२१६	१,७१४	२८५	२०,४५८	३,८६,१९९	९१,२२५	५२,६८६	३,३५,५९०	३७,००७
१९५७	५,०८०	९,३६,७६७	१,६८१	३०९	४४,३३९	४,०३,९२९	९६,७५०	७८,५४२	२,९६,२२१	४१,८३८
१९५८	४,८२३	७,९४,४२९	१,२७६	३२०	२६,०२७	४,०४,९९१	१,३६,९०७	६२,९५०	३,०९,१७५	४३,८६६
१९५९	५,६८९	८,५६,९६०	१,१८७	२८७	१६,०१३	३,९७,३५३	१,२४,४८६	८३,८७५	२,९८,२५०	४८,५९९

भारत के खनिज-उत्पादन का सूचनांक

(आधार १९५१ = १००)

ईसवी-सन्	साधारण सूचनांक	कोयला	लोहा	क्रोमाइट	ताँबा	सोना	इलमेनाइट	बॉक्साइट	मैंगनीज
१९५२	१०४·०	१०५·४	१०७·४	२१०·७	८८·१	११२·०	१००·५	९४·७	११३·२
१९५३	१०६·६	१०४·६	१०५·४	३८७·८	६४·५	९८·७	९६·०	१०५·७	१४७·३
१९५४	१०७·७	१०६·९	११७·८	२७२·५	९३·०	१०५·७	१०७·२	१११·५	१०९ ४
१९५५	११२·८	११०·७	१२७·२	५३५·०	९५·७	९३·४	११२·१	१२१·१	१२२·५
१९५६	११६·८	११३·७	१३३·२	३१५·५	१०४·६	९२·५	१५०·०	१३६·१	१३०·६
१९५७	१३२·८	१२५·६	१३८·४	४७०·३	१०९·५	७९·२	१३२·२	१४४·३	१२९·०
१९५८	१२५·७	१२८·४	१६४·१	३६१·८	१०९·८	७५ २	१३८·०	२०४·२	९२·४
१९५९	१२५·६	१३३·३	२१२·५	५०२·२	१०७ ९	७३·१	१३३·१	१८५·६	८७ ९

१ नवम्बर, १६५६ से रोजगार-केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य-सरकारों को सौंप दिया गया है। अब केन्द्रीय सरकार केवल नीति आदि बनाने, समन्वयात्मक कार्य करने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने का ही कार्य करती है।

कारीगरों का प्रशिक्षण—कारीगरों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत, देश मे १५१ प्रशिक्षण-केन्द्र खुल चुके हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय शागिर्दी प्रशिक्षण-योजना, औद्योगिक श्रमिकों को सायंकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण देने की योजना तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ केन्द्र खोलने की संशोधित योजना आरम्भ की गई। शिल्प-संशिक्षकों (इस्ट्रक्टरों) को प्रशिक्षण देने की अधिकाधिक मॉग को पूरा करने के उद्देश्य से कोनी-बिलासपुर (मध्यप्रदेश) स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थान का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, औंध (बम्बई) में एक अन्य केन्द्र भी खुल चुका है।

इसके अलावा, एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण-परिषद् भी स्थापित कर दी गई है। यह परिषद् सरकार को प्रशिक्षण की नीति-सम्बन्धी सभी समस्याओं पर परामर्श देने के अतिरिक्त, कारीगरों को कार्यकुशलता का प्रमाणपत्र भी प्रदान करती है।

वेतन तथा आय

सन् १६५७ में कारखानों में २०० रु० से कम आयवाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय आसाम में १,८३३.६ रु०, आंध्रप्रदेश में १,३०.०८ रु०, उड़ीसा में ६५६.८ रु०, उत्तरप्रदेश में १,०७७.५ रु०, केरल में ८०५.० रु०, पंजाब में ६५५.३ रु०, पश्चिम बंगाल में १,१७३.६ रु०, बम्बई में १,४५२.६ रु०, बिहार में १,२६६ २ रु०, मद्रास में ६७८.६ रु०, मध्यप्रदेश में १,१३८.७ रु०, राजस्थान में ६०७.१ रु०, दिल्ली में १,४६३.४ रु०, त्रिपुरा में ६३३.० रु० तथा अंदमन और निकोबार द्वीपसमूह में ६५७ १ रु० थी।

वास्तविक आय—उपभोक्ता-मूल्य-सूचनाक में वृद्धि को हिसाब में लेते हुए वास्तविक आय इस प्रकार बढ़ी—

श्रमिकों की वास्तविक आय का सूचनांक

(१६४७ = १००)

	१६५६	१६५७
आय का सामान्य सूचनाक	१६३	१६६
अखिलभारतीय श्रमिक उपभोक्ता-मूल्य का सूचनाक ...	१२१	१२८
वास्तविक आय का सूचनाक	१३५	१३२

वेतन का नियमन—वेतन का नियमन सन् १६३६ ई० के वेतन-अदायगी-अधिनियम तथा सन् १६४८ ई० के न्यूनतम वेतन-अधिनियम के अनुसार किया जाता है। सन् १६५७ ई० में इस अधिनियम में संशोधन करके अनुसूचित नौकरियों में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निश्चित करने की तिथि ३१ दिसम्बर, १६५६ तक बढ़ा दी गई थी।

श्रम

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में, सबसे अधिक श्रमिक कारखानों में काम करते हैं। कारखाना-अधिनियम के अन्तर्गत, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या सन् १६५७ में ३४,७६,८६५ थी। बगानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या सन् १६५६ में १२,०२,२७३ थी तथा सन् १६५८-५६ मे रेलों में प्रतिदिन ११,४३,६१६ श्रमिक काम करते थे। खानों तथा मुख्य बन्दरगाहों में प्रतिदिन क्रमशः ६,४६,३६० तथा ६७,८६६ श्रमिक काम करते थे।

सन् १६५८ की दूसरी छमाही में कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में इस प्रकार थी—आसाम ७७,८८४; आंध्रप्रदेश १,७२,६६४; उड़ीसा २६,०७६; उत्तरप्रदेश २,६८,१६५; केरल १,६६,५२५; पंजाब १,०५,२६५; पश्चिम बंगाल ६,८०,७५७; बम्बई १०,१७,०७०; बिहार १,८१,५२१; मद्रास ३,२७,०८१; मध्यप्रदेश १,६४,०४७; मैसूर १,८७,१५०; राजस्थान ५२,१२४; दिल्ली ५६,२८०; हिमाचल-प्रदेश १,३५८ तथा त्रिपुरा २,१७०।

सन् १६५६ (अगस्त) में कोयला-खानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या ३,५८,६७६ तथा समस्त खानों मे काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या (सन् १६५८ में) ६,४६,३६० थी। सूती वस्त्र-उद्योग में नवम्बर, १६५६ में कुल ८,६२,६३२ श्रमिक काम करते थे। इस उद्योग में इसी महीने काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या ७,७२,६६३ थी।

उत्पादकता—भारत के कुछ उद्योगों में उत्पादकता तथा आय में परिवर्त्तनों का जो अध्ययन किया गया, उसके परिणाम सन् १६५५ में प्रकाशित किये गये। इनसे प्रकट हुआ कि (क) कोयला-खान-उद्योग में सन् १६५१—५४ की अवधि में खनिकों तथा ढुलाई करनेवाले श्रमिकों की उत्पादकता में प्रतिमास ०·७६ तथा औसतन साप्ताहिक नक़द आय में ०·२६ की वृद्धि हुई; (ख) कागज-उद्योग मे सन् १६४८—५३ की अवधि में श्रमिकों की औसत आय तो बढ़ी, किन्तु उनकी उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई; (ग) पटसन वस्त्र-उद्योग में सन् १६४८—१६५३ की अवधि में उत्पादकता तथा आय में क्रमशः २·६ तथा ३·७ की वार्षिक वृद्धि हुई; तथा (घ) सूती वस्त्र उद्योग में सन् १६४८—५३ की अवधि में उत्पादकता तथा आय में क्रमशः २·२८ तथा १·१४ की वार्षिक वृद्धि हुई।

रोजगार दिलाने की व्यवस्था

पहले-पहल सन् १६४५ ई० में देश-भर में रोजगार-केन्द्र (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज) खोले गये। ये केन्द्र रोजगार चाहनेवाले सभी लोगों की रोजगार ढूँढने में सहायता करते हैं।

दिसम्बर, १६५६ ई० के अन्त में देश में २४४ रोजगार-केन्द्र तथा ४ विश्वविद्यालय-रोजगार-कार्यालय थे। इन केन्द्रों में उस वर्ष २४,७१,५६६ व्यक्तियों के नाम दर्ज थे तथा उनमें से २,७१,१३१ व्यक्तियों को रोजगार दिलवाया गया।

उद्योगों में अनुशासन—भारतीय श्रम-सम्मेलन तथा स्थायी श्रम-समिति की स्वीकृति से एक अनुशासन-संहिता बना दी गई है। इस संहिता की अवहेलना तथा पंचाटों को कार्यान्वित न करनेवाले मामलों की छीनबीन एक त्रिदलीय समिति किया करेगी। जिन मामलों में अत्यधिक अवहेलना की गई होगी, उन मामलों को प्रकाशित भी किया जायगा। मई, १९५८ में नैनीताल में चारों केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में यूनियनों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में भी एक संहिता स्वीकार की गई।

वर्क्स-कमिटियाँ (कार्य-समितियाँ)—औद्योगिक-विवाद-अधिनियम, १९४७ ई० के अन्तर्गत, सन् १९५९ ई० की दूसरी तिमाही के अन्त में केन्द्रीय प्रतिष्ठानों मे ७४५ वर्क्स-कमिटियाँ कार्य कर रही थीं।

त्रिदलीय व्यवस्था—केन्द्र में भारतीय श्रम-सम्मेलन, स्थायी श्रम-समिति तथा औद्योगिक समितियाँ हैं। इनके अतिरिक्त, एक श्रम-मन्त्री-सम्मेलन भी है, जो इसके साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। सन् १९५९ ई० में भारतीय श्रम-सम्मेलन के अधिवेशन में औद्योगिक सम्बन्धों, घरेलू कर्मचारियों के काम की दशाओं, वेतन, बचत-योजनाओं आदि पर विचार किया गया। कोयला-खानों तथा बगानों की औद्योगिक समितियों का जो अधिवेशन सन् १९५९ में हुआ, उसमें भी अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया।

समझौता कराने की व्यवस्था—केन्द्र के क्षेत्र में आनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक सम्बन्धों पर दृष्टि रखना मुख्य श्रम-आयुक्त का उत्तरदायित्व है। इसकी सहायता के लिए प्रादेशिक श्रम-आयुक्त, समझौता-अधिकारी तथा श्रम-निरीक्षक आदि होते हैं। इसी प्रकार, राज्य-सरकारों ने भी समझौता कराने की व्यवस्था कर रखी है।

निर्णय (एड्जुडिकेशन) की व्यवस्था—औद्योगिक विवादों का निर्णय कराने के लिए भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है—श्रम-न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। विवादों की आरम्भिक सुनवाई करने का इन सबको अधिकार है। दिल्ली में एक श्रम-न्यायालय के अतिरिक्त, धनबाद तथा बम्बई में भी एक-एक औद्योगिक न्यायाधिकरण विद्यमान है। दिल्ली में दिल्ली-प्रशासन के लिए एक औद्योगिक न्यायालय है। केन्द्रीय सरकार इसका उपयोग करती है। राज्यों के भी अपने-अपने न्यायाधिकरण तथा श्रम-न्यायालय हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय क्षेत्र के विवादों का निर्णय करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों के रूप में बैठते हैं।

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का हिस्सा—पश्चिमी देशों में इस योजना की प्रगति का अध्ययन एक अध्ययन-दल ने किया था। जुलाई, १९५७ ई० मे भारतीय श्रम-सम्मेलन ने इस दल की सिफारिशों पर विचार किया। इस सम्मेलन में स्वैच्छिक आधार पर प्रबन्ध-परिषदें बनाकर प्रयोग करने का निश्चय किया गया। इस योजना की अन्य बातों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सम्मेलन ने एक त्रिदलीय समिति भी नियुक्त की। समिति ने उन प्रतिष्ठानों की सूची बनाई है, जो इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। समिति ने परिषदों के कार्यों आदि का भी निश्चय कर दिया है। जनवरी-फरवरी, १९५८ ई० मे आयोजित प्रतिनिधियों की एक विचार-गोष्ठी में इस प्रकार की परिषदें बनाने के लिए एक आदर्श समझौता भी सम्पन्न हुआ। उद्योग में

श्रमजीवी पत्रकार-वेतन-समिति—श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन निश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक श्रमजीवी पत्रकार-वेतन-समिति बनाई। मई, १९५९ में केन्द्रीय सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अब इन्हें कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य-सरकारों का है।

वेतन-बोर्ड—वेतन-बोर्डों का कार्य उचित पारिश्रमिक के सिद्धान्त के अनुसार वेतन का एक ढाँचा स्थिर करना है। सूती वस्त्र तथा सीमेंट-उद्योगों के बोर्डों ने अपना काम पूरा कर लिया है। सम्भवतः, अन्य प्रमुख उद्योगों के लिए भी वेतन-बोर्ड नियुक्त किये जायेंगे।

वेतन-सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करने की योजना—इस योजना का उद्देश्य बड़े कारखानों, खानों तथा बगानों में काम करनेवाले श्रमिकों के वेतन की दरों तथा उनकी आय के आँकड़ों का संग्रह करना था। जुलाई, १९५८ ई० में आरम्भ किये गये सर्वेक्षण में लगभग ३,००० प्रतिष्ठानों से जानकारी एकत्र की गई। जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं, उनका उद्योगवार वर्गीकरण किया जा रहा है।

स्थायी वेतन-समिति—इस समिति में केन्द्र और राज्य-सरकारों तथा श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधि हैं। यह समिति वेतन, उत्पादन और मूल्यों की प्रवृत्तियों का अध्ययन तथा आवश्यक सामग्री का उद्योगवार और प्रदेशवार वर्गीकरण करेगी।

कोयला-खान-बोनस-योजना—कोयला-खान-भविष्य-निधि तथा बोनस-योजना-अधिनियम, १९४८, के अन्तर्गत तैयार की गई कोयला-खान-बोनस-योजनाएँ आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की कोयला-खानों में लागू हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आसाम के श्रमिकों को छोड़कर शेष सभी कोयला-खान-श्रमिकों को बोनस के रूप में अपनी मूल आय की एक-तिहाई रकम प्राप्त करने का अधिकार है। आसाम में साप्ताहिक तथा तिमाही के हिसाब से बोनस दिया जाता है।

मालिक-श्रमिक-सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद—सन् १९५९ ई० में (अक्तूबर तक) देश में १,२३६ औद्योगिक विवाद उठे, जिनसे ५,२३,००० श्रमिक सम्बद्ध थे। इन विवादों के कारण ४६·८५ लाख मानव-दिनों की क्षति हुई।

उद्योगों में रोजगार-सम्बन्धी स्थायी आदेश—सन् १९४६ ई० के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश)-अधिनियम के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य-सरकारों ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाये हैं, जिनमें १०० अथवा अधिक श्रमिक काम करते हैं। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल तथा बम्बई के उन सभी औद्योगिक संस्थानों में लागू कर दिया गया है, जिनमें ५० अथवा अधिक श्रमिक काम करते हैं। आसाम में यह अधिनियम उन्हीं प्रतिष्ठानों पर (खानों, पत्थर-खानों, तेल-क्षेत्रों तथा रेलों को छोड़कर) लागू होता है, जिनमें १० या अधिक श्रमिक काम करते हैं। मद्रास में सन् १९४८ के कारखाना-अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज सभी कारखानों पर यह कानून लागू होता है।

लागू हो चुका है तथा इसके अन्तर्गत वे कारखाने तथा प्रतिष्ठान आते हैं, जिनमें ५० या अधिक व्यक्ति काम करते हैं तथा जो कम-से-कम ३ वर्ष से चल रहे हैं। जिन श्रमिकों ने एक वर्ष निरन्तर काम किया हो, अथवा एक वर्ष में वस्तुतः २४० दिन से कम काम न किया हो तथा जिनका मासिक वेतन (मँहगाई भत्ता और खुराक रियायत की नकद कीमत मिलाकर) ५०० रु० से अधिक नहीं है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपने मूल वेतन का सवा छह प्रतिशत चन्दा इस निधि में देना पड़ता है। मालिकों को भी इस निधि में इतना ही चन्दा देना पड़ता है। सितम्बर, १६५६ के अन्त में यह योजना ७,५०२ प्रतिष्ठानों मे लागू थी, जिनमे काम करनेवाले कुल ३१'७१ लाख व्यक्तियों में २५'२५ लाख इसके सदस्य थे। उस समय भविष्य-निधि में कुल १५१'८ करोड़ रु० जमा था।

कोयला-खान-भविष्य-निधि-योजनाएँ—इन योजनाओं के अन्तर्गत, श्रमिकों को अपनी कुल आय का सवा छह प्रतिशत भाग निधि में जमा कराना पड़ता है। ये योजनाएँ ८ राज्यों की कोयला-खानों में लागू हैं। अक्तूबर, १६५८ ई० के अन्त में इस निधि की कुल परिसम्पदाएँ लगभग १७ करोड़ रु० की थीं।

श्रमिकों को मुआवजा—श्रमिक-क्षतिपूर्ति-अधिनियम, १६२३ ई० के अन्तर्गत, काम के दौरान दुर्घटना अथवा मृत्यु हो जाने की दशा में श्रमिकों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, ४०० रु० तक मासिक वेतन पानेवाले कर्मचारी आते हैं।

मातृत्व-लाभ—लगभग सभी राज्यों में मातृत्व-लाभ देने के कानून लागू हैं। तीन केन्द्रीय अधिनियमों—खान-मातृत्व-लाभ-अधिनियम, १६४१; कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम, १६४८; तथा बगान-श्रमिक-अधिनियम, १६५१—के अन्तर्गत भी मातृत्व-लाभ देने की व्यवस्था है।

श्रम-कल्याण

कारखाना-अधिनियम, १६४८, खान-अधिनियम, १६५२, तथा बगान-श्रमिक-अधिनियम, १६५१, के अन्तर्गत, उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए कैंटीनों, शिशुपालन-गृहों, विश्रामगृहों, नहाने-धोने की सुविधाओं, चिकित्सा-सहायता तथा कल्याण-अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था है।

कोयला-खान-श्रम-कल्याण-निधि—इस निधि से २ केन्द्रीय अस्पताल, ६ प्रादेशिक अस्पताल और जच्चा-बच्चा-कल्याण-केन्द्र, २ दवाखाने तथा २ क्षय-उपचारालय चलाये जा रहे हैं। मलेरिया-उन्मूलन का काम तथा बी० सी० जी० टीका-आन्दोलन भी जारी है।

इसके अतिरिक्त, इस निधि से प्रौढ शिक्षा-केन्द्र, महिला-कल्याण-केन्द्र तथा शिशु-पार्क आदि भी चल रहे हैं। खान-श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक अन्य योजना भी चालू है।

एक अन्य सहायता तथा ऋण-योजना के अन्तर्गत, २,०५० मकान बनाये गये तथा ११३ मकानों का निर्माण हो रहा है। नई आवास-योजना के अन्तर्गत कोयला-खान-श्रमिकों के लिए ६,६३५ मकानों का निर्माण आरम्भ किया गया। इस निधि में इस वर्ष १,७६,५५,४८४ रु० जमा था तथा सामान्य कल्याण-कार्यों और आवास पर लगभग १'७ करोड़ रु० व्यय हुआ।

श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में हिस्सा लेने की योजना २३ प्रतिष्ठानों में चल रही है तथा १५ अन्य प्रतिष्ठानों ने भी इसे आजमाने की इच्छा प्रकट की है।

श्रमिकों की शिक्षा—केन्द्रीय श्रमिक-शिक्षा-बोर्ड में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों, मालिकों के संगठनों तथा शिक्षा-शास्त्रियों के प्रतिनिधि हैं। नवम्बर, १९५८ ई० तक ४३ अध्यापक-प्रशासकों को प्रशिक्षित किया गया। दूसरे जत्थे में ३० नवनियुक्त लोग, ट्रेड यूनियनों द्वारा नामजद २० तथा उत्पादकता-परिषद्, बम्बई द्वारा नामजद ३ व्यक्ति हैं। इनका प्रशिक्षण नवम्बर, १९५९ ई० से प्रारम्भ हुआ। इस बोर्ड ने देश में १० शिक्षा-केन्द्र खोले हैं, जिनमें से ९ में श्रमिक-अध्यापकों का पाठ्य-क्रम पढाया जा रहा है। आशा है कि दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ४ लाख श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे।

ट्रेड-यूनियनें

रजिस्टरशुदा ट्रेड-यूनियनें तथा उनकी सदस्य-संख्या—भारत में सन १९५७-५८ ई० में २२३ केन्द्रीय ट्रेड-यूनियनें तथा ९,८२२ राज्यीय ट्रेड-यूनियनें थीं, जिनमें से सरकार को विवरण देनेवाली इन यूनियनों की संख्या क्रमशः १२६ तथा ५,३८४ थी। विवरण देनेवाली इन यूनियनों की सदस्य-संख्या क्रमशः ३,४२,१९९ तथा २९,७२,८८३ थी।

अखिलभारतीय ट्रेड-यूनियनें—सन् १९५८ ई० में इंडियन नेशनल ट्रेड-यूनियन कॉंगरेस से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या ७२७ और सदस्य-संख्या ९,१०,२२१; हिन्द मजदूर-सभा से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या १५१ और सदस्य-संख्या १,९२,९४२; आल-इंडिया ट्रेड-यूनियन कॉंगरेस से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या ८०७ और सदस्य-संख्या ५,३७,५६७; तथा यूनाइटेड ट्रेड-कॉंगरेस से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या १८२ और सदस्य-संख्या ८२,००१ थी। इस प्रकार, चारों संगठनों से सम्बद्ध यूनियनों की कुल संख्या १,८६७ तथा सदस्य-संख्या १७,२२,७३१ थी।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी राज्य-बीमा-योजना—कर्मचारी राज्य-बीमा-अधिनियम, १९४८ ई०, ऐसे सभी कारखानों पर लागू होता है, जो बारहों महीने चालू रहते हैं तथा जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है और २० अथवा अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इसका लाभ ४०० रु० तक मासिक पानेवाले सभी श्रमिकों तथा क्लर्कों आदि को दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की गई है, उन क्षेत्रों के १४'४३ लाख व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं। सन् १९५८-५९ के अन्त तक कर्मचारियों ने ३'८१ करोड़ रु० तथा मालिकों ने २'९ करोड़ रु० दिया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को लाभ के रूप में लगभग २'४५ करोड़ रु० दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत, बीमाशुदा व्यक्तियों के लगभग ४'१ लाख परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएँ दी गईं।

कर्मचारी-भविष्य-निधि (प्रोविडेंट फंड)—आरम्भ में कर्मचारी-भविष्य-निधि-अधिनियम, १९५२, छह मुख्य उद्योगों में लागू किया गया था। अब यह ३३ अन्य उद्योगों में भी

बगान-श्रमिकों के लिए मकान—सन् १९५१ ई० के बगान-श्रमिक-अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक बगान-मालिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने सभी श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था करे। चूँकि, अधिकाश मालिक, विशेषकर छोटे मालिक, इसका पालन करने में अपने को असमर्थ पा रहे थे, इसलिए अप्रैल १९५६ ई० में एक बगान-श्रमिक-आवास-योजना बनाकर राज्य-सरकारों के पास भेजी गई। इसके अन्तर्गत, मकानों की लागत का कुछ प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है।

सितम्वर, १९५८ ई० के अन्त तक राज्य-सरकारों ने ३०० मकानों के निर्माण के लिए ५·३ लाख रु० सहायता के रूप में देने की स्वीकृति दी। इसमें से २० मकान वनकर तैयार हुए। भारतीय बगान-संघ के ९२ सदस्य-बगानों ने ७,२२५ मकान वनवाये।

सहकारिता-आन्दोलन

भारत में सहकारिता की भावना ने सबसे पहले सन् १९०४ ई० में मूर्त रूप ग्रहण किया, जब ग्रामीण लोगों को ऋण-भार से मुक्ति दिलाने तथा ऋण-समितियों की स्थापना करने के लिए सहकारी ऋण-समितियाँ-अधिनियम पास हुआ। सन् १९१२ ई० में उत्पादन, क्रय-विक्रय, वीमा, आवास आदि जैसे क्षेत्रों में ऋण-भिन्न सहकारिता तथा पारस्परिक नियंत्रण एवं लेखा-परीक्षा के निमित्त प्राथमिक सहकारी-समितियों के संघ और प्राथमिक समितियों को ऋण देने के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय बैंकों की स्थापना की विधिवत् व्यवस्था की गई। सन् १९१४ ई० में भारत-सरकार द्वारा नियुक्त मैकलेगन-समिति ने सिफारिश की कि सहकारिता-आन्दोलन में अधिक-से-अधिक गैर-सरकारी सहयोग किया जाय।

यद्यपि सन् १९१९ ई० के अधिनियम के अनुसार, सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना दिया गया था, तथापि भारत-सरकार इस आन्दोलन के विकास में रुचि लेती रही, तथा सन् १९३५ में उसने रिजर्व बैंक में एक कृषि-ऋण-विभाग खोल दिया। सन् १९४५ ई० में नियुक्त सहकारी-योजना-समिति ने यह सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों को बहूद्देश्यीय समितियों में बदल दिया जाय तथा दस वर्ष की अवधि में ५० प्रतिशत ग्रामीण तथा ३० प्रतिशत नागरिक जन-संख्या को मान्यता-प्राप्त समितियों में लाने का प्रयत्न किया जाय। इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी बल दिया कि रिजर्व-बैंक सहकारी-समितियों की और अधिक सहायता करे।

सन् १९५१ ई० में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक निदेशन-समिति ने देश की ग्रामीण ऋण-व्यवस्था का सर्वेक्षण किया। दिसम्बर, १९५४ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। सर्वेक्षण के फलस्वरूप पता चला कि किसानों को सहकारी-समितियों से केवल तीन प्रतिशत ही ऋण मिला। सरकार की ओर से भी लगभग इतना ही ऋण दिया गया। समिति ने ग्रामीण ऋण-सम्बन्धी एक संगठित योजना का सुझाव दिया, जिसकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं—(क) सरकार सभी प्रकार की सहकारी-संस्थाओं में भाग ले; (ख) ऋण-सम्बन्धी तथा अन्य आर्थिक कार्यों, विशेषतः हाट-व्यवस्था और विधायन (प्रासेसिंग) के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाय;

अभ्रक-खान श्रम-कल्याण-निधि—इस निधि से अभ्रक-खानों के श्रमिकों को चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएँ दी जाती हैं। करमा (विहार) में एक अस्पताल खोला जा चुका है और कालिचेड्डु (आन्ध्रप्रदेश) तथा तिसरी (विहार) में दो अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। एक अन्य अस्पताल गंगापुर (राजस्थान) में भी खोला जायगा। अभ्रक-खानों के श्रमिकों को अनेक दवाखानों से चिकित्सा की सुविधाएँ दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, चलते-फिरते औषधालय भी हैं। इस निधि से अनेक प्राइमरी स्कूल भी चलाये जा रहे हैं तथा छात्रवृत्तियों के अलावा, मुफ्त पुस्तकें और लेखन-सामग्री भी दी जाती है। सन् १९५९-६० ई० में आन्ध्र-प्रदेश को ४ लाख रु०, विहार को १०'४२ लाख रु० तथा राजस्थान को ४'३७ लाख रु० दिया गया।

बगान-श्रमिकों का कल्याण—सन् १९५१ ई० के बगान-श्रमिक-अधिनियम के अन्तर्गत, सभी बगानों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपने निवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के आवास की व्यवस्था करें तथा अस्पताल अथवा दवाखाने खोलें। कुछेक बगानों में श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल भी खुले हुए हैं। इसके अतिरिक्त, चाय-बोर्ड की दान-राशि से कुछ-चाय बगानों में मनोरंजन तथा कला-कौशल सिखाने की सुविधाएँ भी दी जा रही हैं।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की श्रम-कल्याण-निधियाँ—श्रमिकों के कल्याण के लिए धन जुटाने की दृष्टि से सन् १९४६ ई० में श्रम-कल्याण-निधियाँ चालू की गईं। इनके अन्तर्गत, कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएँ दी जा रही हैं।

श्रम-कल्याण-केन्द्र—अधिकाश राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सरकारें भी अनेक कल्याण-केन्द्र चला रही हैं, जिनमें श्रमिकों तथा उनके बच्चों के लिए मनोरंजन, शिक्षा तथा अन्य सास्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

कल्याण-कर्मचारियों का प्रशिक्षण—अगस्त, १९५८ ई० में भूली नामक स्थान पर कल्याण-कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थ एक प्रशिक्षण-केन्द्र खोला गया। इसमें दो जत्थे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा तीसरा जत्था, जिसमें ३४ प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

औद्योगिक श्रमिको के लिए मकान

सितम्बर, १९५२ ई० में सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना का श्रीगणेश हुआ। इसके अन्तर्गत, कारखाना-अधिनियम, १९४८ ई० द्वारा शासित औद्योगिक श्रमिकों तथा कोयला और अभ्रक-खानों के श्रमिकों को छोड़कर खान-अधिनियम, १९५२ ई०, के अन्तर्गत आनेवाले अन्य खान-श्रमिकों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों, अनुविहित आवास-बोर्डों, औद्योगिक मालिकों तथा औद्योगिक कर्मचारियों की नई सहकारी-समितियों को ऋण तथा सहायता देती है। सन् १९५९ ई० के अन्त तक इनको कुल १८'७६ करोड़ रु० ऋण के रूप में और १७'५५ करोड़ रु० सहायता के रूप मे दिया गया तथा १,४६,१०१ मकान बनाने की स्वीकृति दी गई। दिसम्बर, १९५९ ई० के अन्त तक लगभग ८५,६८८ मकान बन चुके थे तथा शेष बन रहे थे।

इनमें केन्द्रीय गोदाम-निगम १० करोड़ रु० की जारी हिस्सा-पूँजी से स्थापित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत १८ गोदाम स्थापित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, १३ राज्यीय गोदाम-निगम भी स्थापित कर दिये गये हैं और इन्होंने १०५ गोदाम खोले हैं।

संसद् के एक अधिनियम के अनुसार, इम्पीरियल बैंक पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिये जाने के फलस्वरूप, १ जुलाई, १९५५ ई० को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। बैंक से कहा गया है कि वह पाँच वर्षों में कम-से-कम ४०० शाखाएँ खोले। बैंक ने १७ दिसम्बर, १९५९ ई० के अन्त तक देश में अपनी ३५९ शाखाएँ खोलीं।

रिजर्व बैंक तथा भारत-सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित केन्द्रीय सहकारिता-प्रशिक्षण-समिति ने सभी प्रकार के सहकारिता-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक विस्तृत योजना तैयार कर ली है। सहकारिता-विभागों के उच्चाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पूना में एक अखिलभारतीय सहकारिता-प्रशिक्षण-कॉलेज है। मध्यवर्त्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ५ प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र तथा सामुदायिक विकास-खंडों में काम करनेवाले सहकारिता-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ संस्थाएँ हैं। छोटे सहकारिता-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण-स्कूल भी हैं।

सर्वेक्षण-समिति की सिफारिशों के अनुसार गाँवों में हाट-व्यवस्था, विधायन, भाडार आदि की भी व्यवस्था की जाती है। सन् १९६०-६१ ई० के अन्ततक किसानों को १५० करोड़ रु० के अल्पकालीन सहकारी ऋण, ५० करोड़ रु० के मध्यमकालीन ऋण तथा २५ करोड़ रु० के दीर्घकालीन ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त, १०,४०० बड़ी समितियाँ, १,८०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियाँ, ३५ सहकारी चीनी-कारखाने, ४८ सहकारी कपास-ओटाई-मिलें तथा ११८ अन्य सहकारी-समितियाँ स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम-निगम ३५० भाडार-गृह, हाट-व्यवस्था-समितियों के लिए १,५०० गोदाम तथा वड़ी प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों के लिए ४,००० गोदाम बनायेंगे।

सन् १९५८-५९ ई० में राज्यीय सहकारी-बैंकों के लिए बैंक-दर से २ प्रतिशत कम दर पर ६५·४३ करोड रु० की ऋण की स्वीकृति दी गई। सन् १९५८-५९ ई० के अन्त में ५६·२७ करोड़ रु० उधार लिये जा चुके थे। सहकारी चीनी-कारखानों की चालू पूँजी-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए बैंक-दर पर २ करोड़ रु० के ऋण की स्वीकृति दी गई। ९ राज्यीय सहकारी-बैंकों को बैंक-दर से २ प्रतिशत कम दर पर ४·५२ करोड़ रु० के मध्यमकालीन ऋणों की स्वीकृति दी गई। बुनकर-सहकारी-समितियों की सहायता के लिए बैंक-दर से १½ प्रतिशत कम दर पर २·७९ करोड़ रु० के ऋणों की स्वीकृति दी गई। राज्यीय सहकारी-बैंकों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने सन् १९५८-५९ ई० में १·९९ लाख रु० के साधारण ऋण-पत्र खरीदे तथा ग्रामीण ऋण-पत्रों मे ४५·३८ लाख रु० की पूँजी लगाई।

सहकारी-समितियो की स्थिति

५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मानकर अनुमान लगाया गया है कि जून, १९५८ ई० के अन्त तक साधारणत. १०·७५ करोड़ व्यक्तियों अथवा २७ प्रतिशत भारतीय जनता को सहकारिता-आन्दोलन का लाभ मिलने लगा था।

(ग) समर्थ प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों का विकास किया जाय; (घ) गोदामों आदि की व्यवस्था की जाय; तथा (ट) सभी प्रकार के सहकारिता-कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। समिति ने इम्पीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक का रूप देने की भी सिफारिश की, ताकि वह अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारिता और अन्य बैंकों को सुविधाएँ दे सकें तथा सहकारी-संस्थाओं—विशेषतः ऋण, हाट-व्यवस्था तथा विधायन-सम्बन्धी संस्थाओं की आवश्यकताएँ पूरी करने का प्रयास कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक-अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा गोदाम-बोर्ड स्थापित करने की भी सिफारिश की गई। एक ओर जहाँ ऋण के ढाँचे का पुनर्गठन करने के लिए वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा देने का संकेत किया गया, वहाँ दूसरी ओर उत्पादन, विधायन, हाट-व्यवस्था तथा गोदामों आदि के क्षेत्र में सहकारी गति-विधियों का आयोजित रीति से विकास करने का काम केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के जिम्मे लगाया गया।

भारत-सरकार ने सन् १९५९ ई० मे नीति-विषयक एक महत्त्वपूर्ण निर्णय यह किया कि सामान्यतः एक प्राथमिक ऋण-समिति को एक ही गाँव का काम सौंपा जाय, और यदि गाँव छोटा हो, तो एक या अधिक गाँव मिला लिये जायँ, किन्तु उनके अन्तर्गत एक हजार से अधिक जन-संख्या नहीं होनी चाहिए।

मई, १९५५ ई० में भारतीय रिजर्व बैंक-अधिनियम में किये गये एक संशोधन के फलस्वरूप फरवरी १९५६ ई० में १० करोड़ रु० की प्रारम्भिक पूँजी से स्थापित राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घकालीन कार्य)-निधि में सन् १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ ई० में प्रति वर्ष ५ करोड़ रु० का और विनियोग किया गया। इस निधि में से (क) राज्य-सरकारों को दीर्घकालीन ऋण दिये जायेंगे, ताकि वे सहकारी ऋण-संस्थाओं की हिस्सा-पूँजी खरीद सकें; (ख) राज्य-सहकारिता-बैंकों को कृषि के लिए मध्यमकालीन ऋण दिये जायेंगे, (ग) केन्द्रीय भूमि-बंधक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दिये जायेंगे तथा (घ) केन्द्रीय भूमि-बंधक बैंकों के ऋण-पत्र (डिबेंचर) खरीदे जायेंगे। साथ ही, एक करोड़ रु० की प्रारम्भिक पूँजी से सन् १९५५-५६ ई० में स्थापित राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण)-निधि में सन् १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ ई० में प्रतिवर्ष १ करोड़ रु० का विनियोग किया गया। इस निधि में से राज्यीय सहकारिता-बैंकों को मध्यमकालीन ऋण दिये जा सकते हैं, जिससे वे सूखा, अकाल जैसी परिस्थितियों में लघुकालीन ऋणों को मध्य-कालीन ऋणों में बदलवा सकें। राज्य-सरकारों ने जून १९५९ ई० के अन्त तक उपर्युक्त दीर्घ-कालीन कार्य-निधि से ५·७४ करोड़ रु० का उपयोग किया। स्थिरीकरण-निधि का उपयोग करने का अभी तक कोई अवसर नहीं मिला।

१ अगस्त, १९५६ ई० से लागू कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम)-निगम-अधिनियम के अन्तर्गत, १ सितम्बर, १९५६ ई० को राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम-बोर्ड स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सामान्यतः सहकारिता का विकास करना तथा विशेषतः भाण्डार, विधायन और हाट-व्यवस्था की प्रगति में सहायता प्रदान करना है।

कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम)-निगम-अधिनियम के अन्तर्गत एक केन्द्रीय गोदाम-निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम-निगम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राथमिक भूमि-बंधक-बैंक—सन् १६५७-५८ के अन्त में देश में ३४७ प्राथमिक भूमि-बंधक-बैंकों में से २५४, अर्थात् ७३ प्रतिशत बैंक आन्ध्रप्रदेश, मद्रास तथा मैसूर में थे। इनकी सदस्य-संख्या ३,७५,६८० थी तथा इन्होंने २·५२ करोड़ रु० के ऋण दिये।

कृषीतर ऋण-समितियाँ—इनके अन्तर्गत, नागरिक बैंक, कर्मचारी ऋण-समितियाँ आदि आती हैं। जून, सन् १६५८ ई० के अन्त में देश में ऐसी १०, ४३० समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य-संख्या ३६·७४ लाख थी। इनमें से कुछ समितियों ने ऋणेतर कार्य भी किया।

ऋणेतर समितियाँ

जून १६५८ में देश में विभिन्न प्रकार की ऋणेतर समितियों की स्थिति इस प्रकार थी—

ऋणेतर समितियों की संख्या, सदस्य-संख्या तथा कार्य-संचालन-पूँजी

समिति	संख्या	सदस्य-संख्या	कार्य-संचालन-पूँजी (लाख रु०)
हाट-व्यवस्था-समितियाँ			
राज्यीय	१६	२,१०६	४४२·२२
केन्द्रीय	२,६८५	६,०२,६००	१,५४१ १०
प्राथमिक	१,८६६	५,४१,२८६	६१७·२७
गन्ना-उपलब्धि-समितियाँ			
केन्द्रीय	१८६	१७,६१,४२३	५८०·२७
प्राथमिक	७,४६६	३,७७,८७५	६०·४०
दुग्ध-संघ	७३	६,२४३	१३५ ४३
दुग्ध-उपलब्धि-समितियाँ	१,६१४	१,६८,३४२	१०३ २५
कृषि-समितियाँ	३,६३७	१,८६,७५२	३८६·६६
सिंचाई-समितियाँ	१,५५७	४५,१६७	१७८·६८
चीनी के कारखाने	५१	१,२३,२५१	२,६७७ ४३
कपास-समितियाँ	७६	३४,३८०	१८६ १६
अन्य-विधायन-समितियाँ	५५४	२८,३३५	६५·५१
बुनकर-समितियाँ			
राज्यीय	२३	६,६३६	५४०·२७
केन्द्रीय	७१	५,४६३	१०३·०७
प्राथमिक	६,५१४	११,१०,२२२	१,४६०·००
बुनाई-मिलें	१०	४,०७६	२०५ ५६
अन्य औद्योगिक समितियाँ... ...	१०,११७	६,०४,५६३	८१६·३८
उपभोक्ता-समितियाँ			
थोक	७५	२३,५११	२१६·४१
प्राथमिक	६,४३५	१३,७४,३३५	७१२·२६

सन् १९५७-५८ ई० में देश में कुल २,५७,८२२ सहकारी समितियाँ थीं, जिनमें से प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या २,१४,३५,१५० थी और उनकी कार्य-संचालन-पूँजी कुल मिलाकर ६६६·४६ करोड़ रु० थी। सन् १९५१-५२ में इन समितियों की संख्या १,८५,६५०, प्राथमिक समितियों की सदस्य-संख्या १,३७,९१,६८७ तथा उनकी कुल कार्य-संचालन-पूँजी ३०६·२४ करोड़ रु० थी।

सन् १९५१-५२ तथा १९५७-५८ में विभिन्न सहकारी-समितियों द्वारा अर्जित लाभ का विवरण इस प्रकार है—

सहकारी-समितियों द्वारा अर्जित लाभ

(लाख रु०)

	१९५१-५२	१९५७-१९५८
राज्यीय तथा केन्द्रीय बैंक	८१·६०	२०८·४३
भूमि-बंधक-बैंक	६·८६	३१·१८
प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियो	९१·६७	२२२·६४
अनाज-बैंक	१५·१३	१२·१४
प्राथमिक कृषीतर-ऋण-समितियाँ	११२ ८९	१७२·५३
राज्यीय तथा केन्द्रीय ऋणेतर समितियों ...	१२६·३८	१८९·३७
प्राथमिक ऋणेतर समितियाँ	९५·४३	१८६·७०

ऋण देनेवाली समितियाँ

भारत में सर्वप्रथम जो सहकारी-समितियाँ बनीं, वे ऋण-समितियो थीं और आज भी वही सबसे महत्त्वपूर्ण समितियाँ हैं। ऋण-समितियों का ढाँचा त्रिस्तरीय है—राज्य-स्तर पर राज्यीय सहकारी बैंक, जिला-स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम-स्तर पर प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ। कुछ राज्यों में अनाज-बैंक कृषकों को सामान के रूप में ऋण देते हैं। कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय और प्राथमिक भूमि-बंधक-बैंक तथा नागरिक जनता को बैंकिंग और ऋण की सुविधाएँ नागरिक बैंक और कर्मचारी ऋण-समितियाँ प्रदान करती हैं।

सन् १९५७-५८ में देश में २१ राज्यीय सहकारी-बैंक थे, जिनकी सदस्य-संख्या ३२,१८१ थी। इसी प्रकार, केन्द्रीय सहकारी-बैंकों तथा उनके सदस्यों की संख्या क्रमश: ४१८ तथा ३,२२,८१९ थी।

कृषि-ऋण-समितियाँ—जून, १९५८ ई० के अन्त में देश में १,६६,५४३ कृषि-ऋण-समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य-संख्या १,०२,२१,२४९ थी। सन् १९५७ ५८ में इन समितियों ने ९६ ०८ रु० के ऋण दिये। व्याज की दर ३¼ से १२½ प्रतिशत तक थी।

अनाज-बैंक—जून, १९५८ के अन्त मे देश में ६,५४६ अनाज-बैंक थे, जिनकी सदस्य-संख्या १०·८६ लाख थी। सन् १९५७-५८ ई०में इन्होंने ६६·७२ लाख रु० ऋण के रूप मे दिया।

केन्द्रीय भूमि-बंधक-बैंक—केन्द्रीय भूमि-बंधक-बैंक, जो कृषकों को प्राथमिक भूमि-बंधक-बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण देते हैं, ऋण-पत्र जारी करके पूँजी जुटाते हैं। सन् १९५७-५८ में १५ में से ६ बैंकों ने ३·७१ करोड़ रु० के ऋण-पत्र जारी किये।

विदेशों के साथ भारत का व्यापार

(करोड़ रु०)

वर्ष		कुल आयात (जल, स्थल और वायु द्वारा)	कुल निर्यात (जल, स्थल और वायु द्वारा)	विदेशी व्यापार का कुल मूल्य	व्यापार-सन्तुलन
१९५०-५१	...	६२३·३६	६०१·३५	१,२२४·७१	−२२·०१
१९५१-५२	..	९४३·१३	७३२·९९	१,६७६·१२	−२१०·१४
१९५२-५३	...	६६९·८८	५७७·३७	१,२४७·२५	−९२·५१
१९५३-५४	...	५७१·९३	५३०·६२	१,१०२·५५	−४१·३१
१९५४-५५	....	६५६·२६	५९३·५४	१,२४९·८०	−६२·७२
१९५५-५६	...	७०४·८१	६०९·४१	१,३१४·२२	−९५·४०
१९५६-५७	....	८३२·४५	६१२·५२	१,४४४·९७	−२१९·९३
१९५७-५८	...	९९३·५८	६२१·३१	१,६१४·८९	−३७२·२७
१९५८-५९	...	८५६·१८	५८०·३०	१,४३६·४८	−२७५·८८

ऊपर की तालिका से प्रकट होगा कि सन् १९५०-५१ से लगातार भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल रहा है।

चालू भुगतान-सन्तुलन

(करोड़ रु०)

	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६० (अप्रैल-सितम्बर)
आयात (निजी तथा सरकारी)	१,०९९·५	१,२०४·२	१,०४६·५	४७३·१
निर्यात	६३५·२	५९४·७[1]	५७६·१	२७२·६
व्यापार-सन्तुलन	−४६४ ३	−६०९·५	−४७०·४	−२००·५
सरकारी दान	३९·५	३२·७	४०·९	२१·०
अन्य अनभिलिखित मदें . .	११२·५	१००·९	९०·७	३७·३
चालू भुगतान-सन्तुलन (शुद्ध)	−३१२·३	−४७५·९	−३३८·८	−१४२ २

आयात में भारी कटौती तथा अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त होने से सन् १९५८-५९ में भारत के भुगतान-सन्तुलन का बोझ काफी कम हो गया। सन् १९५९-६० की पहली छमाही में व्यापार-संतुलन में उत्तरोत्तर कम घाटा परिलक्षित होता रहा। सन् १९५९-६० के भुगतान-सन्तुलन में पड़नेवाला घाटा पूरा करने के लिए पूर्ववर्त्ती वर्षों की ही भाँति व्यवस्था की गई।

आयात-व्यापार—सन् १९५८-५९ में कुल १,०४७ करोड़ रु० मूल्य का आयात किया गया, अर्थात् सन् १९५७-५८ की तुलना में आयात के मूल्य में १५७ करोड़ रु० की कमी आई। इसका श्रेय गैर-सरकारी क्षेत्र को है, क्योंकि सन् १९५७ के मध्य से लागू नियंत्रणात्मक आयात-

---

१—इसमें अमेरिका को लौटाई गई ७४.४ करोड़ रु० की उधार-पटटे की चाँदी शामिल नहीं है।

समिति			संख्या	सदस्य-संख्या	कार्य-संचालन-पूँजी (लाख रु०)
आवास समितियाँ					
राज्यीय	...	...	५	१,४१६	२६०'५५
प्राथमिक	...	...	४,१७४	२,४७,८८३	३,२४२'००
मछुआ समितियाँ	...	...	१,५६६	१,७१,३५८	६४'२०
बीमा-समितियाँ	...	...	६	५,५२८	अनुपलब्ध
अन्य-समितियाँ	...	...	१७,५६३	१०,७६,६२६	१,०५८'५७

अन्य समितियाँ

निरीक्षण-संघ—सन् १६५७-५८ ई० में देश में ७३४ निरीक्षण-संघ थे, जिनसे ३१,६१५ समितियाँ सम्बद्ध थीं। इन समितियों को ६७'१३ लाख रु० की आय हुई, जिसमें सरकार की ओर से प्राप्त ३८'१ लाख रु० अनुदान की रकम सम्मिलित थी। इन संघों ने लगभग ६४'४४ लाख रु० व्यय किया।

राज्यीय संघ तथा राज्यीय संस्थान—जून, १६५८ के अन्त में देश में ऐसे २६ संघ थे, जिनसे ४०,३६५ प्राथमिक तथा ४४८ केन्द्रीय समितियाँ सम्बद्ध थीं और ६७४ व्यक्ति इनके सदस्य थे। इनको कुल ६४'४८ लाख रु० की आय हुई तथा इन्होंने ६१'७५ लाख रु० व्यय किया। सन् १६५७-५८ ई० में सरकार ने इनको ४६'८१ लाख रु० का अनुदान दिया।

दिवालिया-समितियाँ—सन् १६५७-५८ के आरम्भ मे १४,१५७ सहकारी-समितियाँ बन्द हो जानी थीं। इसी अवधि में २,०८१ समितियों ने दिवाला निकाला। सन् १६५७-५८ में परिसम्पदाओं के मूल्य के रूप में ३८'६१ लाख रु० मिला तथा देनदारियों की रकम ३६ २५ लाख रु० निकली।

वाणिज्य-व्यापार

विदेशों के साथ व्यापार

सन् १६५८-५६ की अवधि में भारत ने विदेशों के साथ लगभग १,४३६ करोड़ रु० का व्यापार किया, जिसमें आयात तथा निर्यात और पुनर्निर्यात भी शामिल था। इसमें से आयात ८५६ करोड़ रु० का तथा निर्यात ५८० करोड़ रु० का था।

सन् १६५०-५१ से भारत के निर्यात और आयात-व्यापार तथा विदेशों के साथ हुए व्यापार का कुल मूल्य तथा व्यापार-सन्तुलन का विवरण नीचे की तालिका में दिखाया गया है—

लाइसेंस भी दिये गये दथा तेलहनों और तेलों जैसी कुछ चीजों के निर्यात-कोटे में ढील दी गई। इसके अतिरिक्त, नई मंडियाँ खोजने के प्रयत्न जारी रहे तथा अनेक पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार-संवर्द्धन-सम्बन्धी कुछ करार किये गये।

निर्यात-व्यापार में वृद्धि—भारत के विदेशी व्यापार, और विशेषकर निर्यात-व्यापार में वृद्धि करने सम्बन्धी कार्यों में ताल-मेल बैठाने के उद्देश्य से जून, १९५७ में एक विदेशी व्यापार-बोर्ड तथा एक निर्यात-व्यापार-वृद्धि-निदेशालय की स्थापना की गई। इस निदेशालय में अब ४ विभाग हैं; बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी इसके एक-एक विभाग हैं। इन प्रादेशिक कार्यालयों का मुख्य कर्त्तव्य सभी संभव तरीकों से देश के निर्यात-व्यापार में वृद्धि करना है। निर्यात-व्यापार बढाने के प्रयोजन से सरकार ने ११ विभिन्न जिंसों के लिए निर्यात,वृद्धि-परिषदें भी बना दी हैं।

इसके अतिरिक्त, निर्यात-व्यापार-सम्बन्धी नीति और पद्धति के बारे में, विशेषकर निर्यात-व्यापार बढाने के सम्बध में परामर्श देने के लिए निर्यात-वृद्धि-सलाहकार-परिषद् की स्थापना की गई। अगस्त १९५९ ई० में इसका पुनर्गठन करके इसमें व्यापार तथा अन्य हितों के प्रतिनिधि भी ले लिये गये।

२६ अगस्त, १९५९ को परिषद् की स्थायी समिति बनाई गई। यह समिति निर्यात-सम्बन्धी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देती है। सन् १९५८-५९ की अवधि में निर्यात-वृद्धि-निदेशालय ने निर्यात-वृद्धि के लिए काफी प्रयत्न किये।

एक विशेषज्ञ-समिति की सिफारिशों के अनुसार, जुलाई १९५७ में सरकार के नियंत्रण में एक निर्यात-बीमा-निगम स्थापित किया गया, जिसकी अधिकृत पूँजी ६ करोड रु० है। यह निगम-बीमे की वे सब सुविधाएँ देता है, जो सामान्यत व्यावसायिक बीमा-कम्पनियाँ नहीं देतीं। कलकत्ता तथा मद्रास में भी निगम के कार्यालय हैं। १९५८-५९ ई० की अवधि में निगम ने ६·८३ करोड़ रु० की १७६ पॉलिसियाँ जारी कीं।

भारतीय चीजों का व्यापारिक दृष्टि से प्रचार करने के लिए एक प्रदर्शनी-निदेशालय विद्यमान है। इस निदेशालय ने अक्तूबर १९५९ तक अनेक विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय चीजों का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, इसने कुछ विदेशी नगरों में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।

सन् १९५९-६० में विभिन्न निर्यात-वृद्धि-परिषदों ने कई व्यापारिक शिष्ट-मंडल विदेश भेजे तथा अमेरिका, क्यूबा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक़, स्वीडन, बर्मा और पोलैंड से अनेक व्यापारिक शिष्ट-मंडल तथा व्यापार और सद्भावना-मंडल भारत आये।

व्यापार-करार

इथियोपिया, रूस तथा इराक़ के साथ नये करार करने के अतिरिक्त, अन्य ११ देशों के साथ हुए करारों की अवधि बढाई गई अथवा उनमे संशोधन किया गया। इस प्रकार, भारत ने २७ देशों के साथ व्यापारिक करार कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष अमेरिका के साथ एक

नीति के कारण इस क्षेत्र का आयात इस वर्ष घटकर ५१६ करोड़ रु० रह गया। सन् १६५७-५८ की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र में १७७ करोड़ रु० कम का आयात हुआ। इसके विपरीत, सरकारी क्षेत्र में लगभग ५२८ करोड़ रु० का, अर्थात् लगभग १६ करोड़ रु० अधिक का आयात किया गया।

निर्यात-व्यापार—सन् १६५८-५६ में भी निर्यात-व्यापार में ह्रास जारी रहा। इस वर्ष निर्यात-व्यापार से ५७६ करोड़ रु० की आय हुई, जो सन् १६५७-५८ तथा १६५६-५७ की तुलना में क्रमशः १६ करोड़ रु० तथा ५६ करोड़ रु० कम थी। खनिज मैंगनीज, पटसन के सामान तथा सूती सामान के निर्यात से होनेवाली आय में ४२·२ करोड़ रु० की कमी हुई। इसके विपरीत, सन् १६५८-५६ में चाय, कपास तथा खालों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई। साथ ही, सूती कपड़ों, साइकिलों, सिलाई-मशीनों तथा पंखों के निर्यात में भी सुधार हुआ।

व्यापार-नीति

सन् १६५८-५६ में व्यापार-नीति की प्रमुख बात यह थी कि निर्यात-व्यापार में अधिकाधिक वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा सन् १६५७ ई० में स्वीकार की गई कठोर आयात-नीति को जारी रखते हुए भी निर्यात-व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें थोड़ा-बहुत परिवर्त्तन किया गया। इसके अतिरिक्त, पहले से उपलब्ध अथवा प्रत्याशित ऋणों के आधार पर ही विदेशी मुद्रा सुलभ की गई। अक्तूबर, १६५८ तथा मार्च १६५६ की अवधि में कुल ३२८ करोड़ रु० मूल्य के लाइसेंस दिये गये, जब कि पिछली छमाही में ३२३ करोड़ रु० मूल्य की लाइसेंस दिये गये थे। अप्रैल-सितम्बर, १६५६ ई० में ३८१ करोड़ रु० मूल्य के लाइसेंस दिये गये। इस वर्ष 'दुर्लभ' और 'सुलभ' मुद्राओं का अन्तर व्यवहारतः समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत में लाइसेंस देने की नीति में सन् १६५६ के अन्त में संशोधन करके कुछ पूँजीगत सामान को छोड़कर शेष वस्तुओं के आयात के लिए मुद्रा-क्षेत्र के अनुसार लाइसेंस देने की नीति का परित्याग कर दिया गया।

सन् १६५८-५६ की अवधि में निर्यात-व्यापार पर लगे नियंत्रण को ढीला किया गया तथा लगभग २०० वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा लिया गया। साथ ही, निर्यात के लिए अनेक वस्तुओं के कोटे में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त, कुछ वस्तुओं के निर्यात पर लगी बंदिश हटा दी गई तथा निर्यात की जानेवाली वस्तुओं को रेलों द्वारा बन्दरगाहों तक पहुँचाने के काम को उच्च प्राथमिकता दी गई।

इस वर्ष विदेशी मंडियों में अन्य देशों के मुकाबले भारतीय वस्तुओं को सस्ता बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ प्रकार की वित्तीय छूट भी दी, जैसे कुछ चीजों पर से निर्यात-शुल्क बिलकुल हटा अथवा घटा दिया गया; रेलों द्वारा बन्दरगाहों तक माल ले जाने के भाड़े में ५० प्रतिशत कमी की गई; बाजार हुंडी-योजना में परिवर्त्तन किया गया, तथा निर्यात-बीमा-निगम द्वारा निर्यातकों को ऋण देनेवाले बैंकों को गारंटी दी गई।

सन् १६५८-५६ में निर्यात-व्यापार में वृद्धि करने के जो उपाय किये गये; उन्हें सन्

भारत में सन् १९५७-५८ में आयात की गई वस्तुएँ

(करोड़ रु०)

वस्तुएँ	१९५७	१९५८
मशीनें (बिजली की मशीनों को छोड़कर) ...	१७१·८३	१३९·८८
लोहा और इस्पात	१४६·९८	९७·८०
पेट्रोल के उत्पादन	७७·७६	६०·३०
परिवहन का सामान	७५·८१	१३·४१
बिजली की मशीनें और उपकरण	६१·१४	४९·०४
कपास	४८·६२	३०·६६
गेहूँ	३४ ७५	१०२·६५
पेट्रोल (कच्चा और अंशतः परिशुद्ध) ..	२९·७५	१५·५४
रासायनिक तत्त्व और मिश्रण	२९·१६	२८·४४
धातु की बनी चीजें	२२·५४	१५·२१
सूत	१९·१५	१३·९१
युद्ध-उपकरण	१८·५३	४·०२
ताँबा	१७·९४	१३·५३
चावल	१६·९०	४४·०३
दवाएँ	१९·३९	१०·२१
ताजे फल आदि	१५ ८४	१२·३१
कच्चा ऊन और वाल	१२·९८	११·०८
कागज और गत्ता	१२·५९	८·०२
तेलहन, गिरियाँ आदि	१२·१४	१०·४८
कोलतार, रंग आदि	१०·८९	६·७०
अल्युमीनियम	८·०१	६·००
दूध और क्रीम (डिब्बाबंद)	७·९९	५·८६
विभिन्न रसायन और उनके उत्पादन ...	७·९७	५·४६
जस्ता	७·२३	६·१२
कच्चा पटसन...	७·२०	३·३९
कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद और कीमती पत्थरों को छोड़कर)	६·६९	५ २५
वनस्पति तेल	५·२१	३·८४
कुल (अन्य वस्तुओं को मिलाकर) ...	१,०२५·८२	८६४·१८

वस्तु-विनिमय-करार भी सम्पन्न हुआ, जिसके अन्तर्गत, खनिज मैंगनीज तथा फैरो-मैंगनीज का निर्यात करके गेहूँ का आयात किया जायगा।

सरकार द्वारा सम्पन्न करारों के अतिरिक्त, राज्यीय व्यापार-निगम ने भी जेकोस्लावाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया तथा मंगोलिया के व्यापार-संगठनों के साथ चार करार किये। इन करारों का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट वस्तुओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।

तटकर

सन् १९५८-५९ में तटकर-आयोग ने १२ उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की। इन उद्योगों के बारे में आयोग ने जो सिफारिशें कीं, उन्हे सरकार ने मान लिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने (१) सीमेंट, (२) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के इस्पात, तथा (३) मैसूर आयरन और स्टील वर्क्स के इस्पात और कच्चे लोहे के मूल्य के सम्बन्ध में भी जाँच-पड़ताल की।

व्यापार की दिशा तथा उसका ढांचा

ब्रिटेन और अमेरिका भारत के मुख्य ग्राहक तथा विक्रेता हैं। सन् १९५८ ई० में भारत के निर्यात-व्यापार में उनका भाग क्रमशः २९·० और १६·२ प्रतिशत, तथा आयात-व्यापार में क्रमशः १९·६ और १८·८ प्रतिशत था।

भारत जिन देशों को निर्यात करता है, उनमें ये प्रमुख हैं—ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, रूस, श्रीलंका, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, बर्मा, मिस्र, फ्रांस, अर्जेण्टाइना, सूडान, सिंगापुर, नीदरलैंड, केनिया-उपनिवेश, इटली, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान।

भारत मुख्यतः इन देशों से आयात करता है—ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, ईरान, जापान, इटली, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, अस्ट्रेलिया, मलय, सऊदी अरब, कनाडा, पाकिस्तान, बर्मा, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, कुवैत, मिस्र तथा केनिया-उपनिवेश।

भारत का आयात और निर्यात-व्यापार

(करोड़ रु०)

वर्ष	निर्यात	आयात
१९५२	६१३·३७	८०१·५६
१९५६	६०५·४५	८०८·७४
१९५७	६३७·७४	१,०२५·८०
१९५८	५७०·५६	८५४·१८

आदि प्राप्त किये जा सकें। निगम ने सीमेंट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, कच्चा रेशम, उर्वरक तथा खड़िया मिट्टी जैसी वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर खरीदीं तथा खनिज पदार्थों, जूतों, नमक, चाय, काफी तथा ऊनी सामान के अधिक निर्यात की व्यवस्था की। यह निगम अबतक लगभग १२६·८ करोड़ रु० का कारोबार कर चुका है।

जुलाई, १९५६ ई० में सरकार ने निगम को भारतीय सीमेंट-उद्योगों से सीमेंट प्राप्त करने, विदेशों से सीमेंट मँगाने तथा भारत की सभी रेल-पथ-सीमाओं (रेलहैड्स) पर समान मूल्य पर इसका वितरण करने का काम सौंप दिया। देश में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध होने के फलस्वरूप, सन् १९५८ ई० में निगम को २ लाख टन भारतीय सीमेंट निर्यात करने की अनुमति दी गई। जुलाई, १९५७ ई० से खनिज लोहे के निर्यात की व्यवस्था का भी निगम को सौंप दिया गया है।

आन्तरिक व्यापार

तटीय व्यापार

भारतीय तटों को इन खंडों में विभाजित किया गया है—(१) पश्चिम बंगाल; (२) उड़ीसा; (३) मद्रास (आन्ध्रप्रदेश-सहित); (४) तिरुवांकुर-कोचीन; (५) कोचीन बन्दरगाह; (६) बम्बई तथा (७) सौराष्ट्र, ओखा और कच्छ। एक ही खंड में विभिन्न बन्दरगाहों के बीच होनेवाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' तथा दो भिन्न खंडों के बीच होनेवाला व्यापार 'बाह्य व्यापार' कहलाता है।

सन् १९५६-५७ में कुल तटीय व्यापार ३४३ करोड़ रु० मूल्य का हुआ। इसमें से १८० करोड़ रु० का आयात तथा १६३ करोड़ रु० का निर्यात हुआ। १८० करोड़ रु० के आयात में से १६९ करोड़ रु० बाह्य व्यापार के क्षेत्र में तथा १० करोड़ रु० आन्तरिक व्यापार के क्षेत्र में आता है। १६९ करोड़ रु० के बाह्य व्यापार में से १५८ करोड़ रु० का व्यापार भारतीय वस्तुओं का तथा ११ करोड़ रु० का व्यापार विदेशी वस्तुओं का था। सन् १९५७-५८ (अप्रैल-दिसम्बर में) ११४·१८ करोड़ रु० का आयात-व्यापार तथा १२३·०७ करोड़ रु० का निर्यात-व्यापार हुआ।

अन्तर्देशीय व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल, भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि भारत का अन्तर्देशीय व्यापार, इसके बाह्य व्यापार से कई गुना बड़ा हो। राष्ट्रीय आयोजन-समिति की एक व्यापार उप-समिति के अनुसार, सन् १९४० ई० में देश का आन्तरिक व्यापार ७,००० करोड़ रु० तथा बाह्य व्यापार ५०० करोड़ रु० मूल्य का था। परन्तु, आन्तरिक व्यापार के पूरे-पूरे आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहुत-सा व्यापार तो बैलगाड़ियों तथा छोटी-मोटी नौकाओं द्वारा होता है, जिसका हिसाब-किताब रखना सरल नहीं है। किन्तु, रेलवे तथा देशीय जहाजों द्वारा होनेवाले व्यापार के आँकड़े उपलब्ध हैं। सन् १९५७-५८ ई० की अवधि में राज्यों तथा मुख्य बन्दरगाहों के बीच रेलवे और नदियों द्वारा ६५,८८,५४,००० मन कोयला, ८३,५१,००० मन कपास (अगस्त १९५५ ई० तक बारह महीनों में), ७५,६२,००० मन सूती वस्त्र, ४,८६,७८,००० मन चावल, ५,००,७५,००० मन गेहूँ, १,०४,६६,००० मन कच्चा पटसन, ६,७८,१४,००० मन लोहे और इस्पात का सामान, २,५३,३६,००० मन तेलहन, ३,१६,४६,००० मन नमक तथा ३,०३,५७,००० मन चीनी (खाँडसारी को छोड़कर) का व्यापार हुआ।

भारत में सन् १९५७-५८ में निर्यात की गई वस्तुएँ

(करोड़ रु०)

वस्तुएँ	१९५७	१९५८
चाय	१२२·४०	१३६·५४
सूती कपड़ा	६५·१९	४६·४६
अन्य वस्त्र (सूती कपड़ों को छोड़कर) ...	५९·६८	६७·५९
कपड़े की बनी चीजे (पहनने के कपड़ों और जूतों को छोड़कर)	५८·२९	४६·१६
चाँदी और प्लेटिनम वर्ग की धातुएँ ...	३७·६७	११·४२
कच्ची अलौह धातुएँ	३५·३८	१८·६३
चमड़ा	२१·५८	१८·२५
कपास	१८·६६	२१·२०
ताजे फल आदि	१६·०४	१७·३६
कच्ची वनस्पति-जन्य सामग्री	१४·४०	१३·३९
कच्ची ऊन	१२·९३	९·३५
चीनी	१२·८८	३·६८
खनिज लोहा आदि	११·७६	९·९९
कच्चा तम्बाकू	११·५९	१४·७०
वनस्पति तेल	११·४२	७·४५
कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद और कीमती पत्थरों को छोड़कर) ...	११ ३०	११·७४
सूत	९ ७८	१२·०३
सजावटी और फर्श पर बिछाने का सामान .	८·८४	८·८८
काफी	७·७३	७·१८
चमड़ा और खालें (कच्चा)	६·९९	७ १७
पेट्रोल के उत्पादन	६·६२	४·११
कोयला, कोक तथा कोयला चूर की ईंटें	५·३४	५·५८
कुल (अन्य वस्तुओं को मिलाकर) ..	६३७·७४	५७०·५६

व्यापार-निगम

मई, १९५६ ई० में पूर्णत· सरकार के नियंत्रण में एक व्यापार-निगम की स्थापना हुई। इसकी अधिकृत पूँजी इस समय ५ करोड़ रु० है। निगम का प्रमुख कार्य भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि करना है। स्थापित होने के वाद से ही यह निगम नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था-वाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि भारत के पौंड-पावने पर प्रभाव डाले विना इन देशों से इस्पात, सीमेंट तथा औद्योगिक उपकरण

१५० सामाजिक चित्र निर्मित हुए। इसके विपरीत अपराध-चित्रों की संख्या ४ से २८ तक पहुँच गई। समूचे देश में वितरकों और वितरण-अभिकरणों (एसेन्सीज) की कुल संख्या अनुमानतः ७०० से ६०० तक है। यहाँ मोटे तौर पर अनुमानतः हर साल ७० करोड़ से अधिक व्यक्ति सिनेमा देखते हैं, यानी एक भारतीय वर्ष में लगभग दो चित्र देखता है।

भारतवर्ष में प्रमुख रूप से हिन्दी, बँगला, तमिल, तेलुगु, मराठी और गुजराती के चलचित्र बनते हैं। इनमें से अनेक हिन्दी और बँगला-चित्र अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

चित्रों पर सरकारी नियंत्रण—भारत-सरकार का सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय भारतीय चलचित्रों से सम्बद्ध सभी चीजों पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय सरकार के 'फिल्म-डिवीजन' पर भी इसका नियंत्रण है।

फिल्म-डिवीजन—फिल्म-डिवीजन सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की ही एक शाखा है। इसका मुख्यालय मालावार-हिल (बम्बई) में है। इसका प्रधान उद्देश्य भारत-सरकार के समाचार और वृत्त-चित्रों का विभिन्न भाषाओं में निर्माण और वितरण करना है। इसके दो प्रधान विभाग हैं—(१) 'भारतीय वृत्त-चित्र-विभाग' और (२) 'समाचार-समीक्षा-विभाग'। फिल्म-डिवीजन के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र चित्र-निर्माताओं को भी खास विषयों पर वृत्त-चित्रों के निर्माण का भार सौंपा जाता है। इधर भारत-सरकार ने २० से २५ लाख की पूँजी से 'फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन' नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसने अपना कार्यरंभ कर दिया है। सन् १९५९ में इसने १५२ डॉकुमेंटरी चित्र (समाचार-चित्रावली के अतिरिक्त तैयार हुये। ये चित्र विभिन्न देशों के सिनेमा-गृहों की टेलीविजन पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

बच्चों के लिए चित्र—भारत-सरकार बच्चों के हित को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए उपादेय चलचित्रों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी ले रही है। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए सन् १९५५ ई० में दिल्ली में 'चिल्डरेन्स फिल्म सोसाइटी' की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग दो चित्र निर्मित होते हैं। बच्चों एवं किशोरों के लिए विशेष उपयुक्त एवं उनकी अभिरुचि के चित्रों का निर्माण करना, उन्हें संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना तथा निर्माण वितरण एवं प्रदर्शन में समन्वय स्थापित करना सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी को बच्चों के लिए विशेष उपादेय चित्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान भी मिलता है।

चलचित्र-परामर्शदात्री समिति (फिल्म एडवाइजरी बोर्ड)—सन् १९४९ ई० में केन्द्रीय सरकार ने सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय के फिल्म-डिवीजन को परामर्श देने के लिए एक 'चलचित्र-परामर्शदात्री समिति' की स्थापना की। उक्त समिति फिल्म-डिवीजन के द्वारा अथवा स्वतंत्र निर्माताओं के द्वारा निर्मित समाचार तथा वृत्त-चित्रों के प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान करती है। वृत्त-चित्रों के निर्माण के सम्बन्ध में यह समिति 'फिल्म-डिवीजन' को परामर्श भी देती है।

सेन्सरबोर्ड—सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, १९५२, के अन्तर्गत 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेन्सर्स' नवनिर्मित चलचित्रों के परीक्षण तथा उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त ठहराने के लिए उत्तरदायी है। यह कुछ सिद्धान्तों के आधार पर नवनिर्मित चलचित्रों की सर्वप्रथम परीक्षा कर यह देखता है कि वस्तुतः कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लायक है या नहीं। बोर्ड की सहायता के लिए कुछ ऐसे गैरसरकारी व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सार्वजनिक विषयों में रुचि

मीट्रिक माप-तौल—माप-तौल-मानक-अधिनियम, १६५६ के ई० अन्तर्गत जारी की गई सूचनाओं द्वारा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अक्तूबर, १६५८ ई० से माप-तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई तथा राज्य-सरकारों और व्यापार तथा उद्योग की प्रतिनिधि-संस्थाओं के परामर्श से सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सभी नियमित बाजारों तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में माप-तौल की मीट्रिक प्रणाली लागू कर दी गई। चीनी-उद्योग में नवम्बर, १६५६ से तथा वनस्पति, चाय, रंग, विस्कुट और साबुन उद्योगों में तथा पेट्रोलियम की चीजों के वितरण-व्यापार में अप्रैल, १६६० ई० से मीट्रिक प्रणाली आरम्भ हो गई है। इसके अतिरिक्त, मीट्रिक पैमाने धीरे-धीरे चलाये जा रहे हैं।

चलचित्र-निर्माण-उद्योग

भारतीय चलचित्र-निर्माण-उद्योग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इस छोटी अवधि में ही इसका पर्याप्त विकास एवं उन्नति हुई है। सन् १६१२ ई० में दादा साहब फाल्के ने 'हरिश्चन्द्र' नामक सर्वप्रथम भारतीय चित्र का निर्माण किया। सन् १६२८ ई० तक यहाँ प्रतिवर्ष ८० चित्र निर्मित होने लगे। किन्तु, सन् १६३० ई० तक बननेवाले चित्र मूक चित्र ही थे। सन् १६३१ ई० में सर्वप्रथम इम्पीरियल फिल्म कम्पनी, बम्बई द्वारा 'आलमआरा' नामक सवाक् चित्र का निर्माण हुआ। उस समय फीचर-फिल्मों की संख्या २८ थी। इसी वर्ष 'शीरीं-फरहाद' नामक दूसरा सवाक् चित्र कलकत्ता के मदन थियेटर द्वारा निर्मित हुआ। उक्त दोनों चित्रों को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसके बाद धड़ल्ले से सवाक् चित्र बनने लगे, जिससे इस उद्योग को काफी बल प्राप्त हुआ। बाहर से चित्रों का आना कम हो गया और भारतीय चित्रों की लोकप्रियता बढ गई। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व सन् १६३६ ई० तक भारतीय चित्रों की संख्या १६५ और सिनेमा-घरों की संख्या ११६५ हो गई थी। इन दिनों भारत में प्रतिवर्ष ३०० फीचर-फिल्म तैयार होते हैं। इनमें हिन्दी फिल्मों की औसत संख्या १२५, तमिल की ७५, तेलुगु की ५०, बँगला की ४०, मराठी की १०, असमिया और कन्नड में से प्रत्येक की ५, मलयालम की ३, उड़िया की २, पंजाबी की १ और अँगरेजी की १ होती है। अमेरिका और जापान के बाद इस क्षेत्र में भारतवर्ष का ही स्थान है। इस उद्योग में यहाँ प्रतिवर्ष लगभग २०,००,००,००० फुट कच्ची फिल्मों की खपत होती है और लगभग १ लाख व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। इस समय देश में ४२०० से अधिक सिनेमा-गृह हैं। १६२८ में इनकी संख्या ३२० थी, जो १६३८ में बढकर १५०० हो गई। भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों में चलचित्र-निर्माण-उद्योग का आठवाँ स्थान है।

प्रमुख रूप से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चलचित्रों का निर्माण होता है। लगभग ५० प्रतिशत चलचित्र केवल बम्बई में ही बनते हैं। कलकत्ता और मद्रास में क्रमशः २० और २५ प्रतिशत चलचित्र निर्मित होते हैं। सम्पूर्ण देश में कुल ६३ स्टूडियो हैं, जिनमें २८ पश्चिमी अंचल में, २४ दक्षिण में और ११ पूर्व भारत में हैं। सन् १६५१ ई० में २१६ और १६५८ ई० में २६५ वृत्त-चित्रों (फीचर-फिल्म्स) का निर्माण-कार्य हुआ। विगत ६ वर्षों में सामाजिक चित्रों की संख्या में ह्रास और अपराध-चित्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ सन् १६५४ ई० में २०४ सामाजिक चित्रों का निर्माण हुआ, वहाँ सन् १६५८ ई० में केवल

१५० सामाजिक चित्र निर्मित हुए। इसके विपरीत अपराध-चित्रों की संख्या ४ से २८ तक पहुँच गई। समूचे देश में वितरकों और वितरण-अभिकरणों (एसेन्सीज) की कुल संख्या अनुमानत· ७०० से ६०० तक है। यहाँ मोटे तौर पर अनुमानत. हर साल ७० करोड़ से अधिक व्यक्ति सिनेमा देखते हैं, यानी एक भारतीय वर्ष में लगभग दो चित्र देखता है।

भारतवर्ष में प्रमुख रूप से हिन्दी, बँगला, तमिल, तेलुगु, मराठी और गुजराती के चलचित्र बनते हैं। इनमें से अनेक हिन्दी और बँगला-चित्र अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

चित्रों पर सरकारी नियंत्रण—भारत-सरकार का सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय भारतीय चलचित्रों से सम्बद्ध सभी चीजों पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय सरकार के 'फिल्म-डिवीजन' पर भी इसका नियंत्रण है।

फिल्म-डिवीजन—फिल्म-डिवीजन सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की ही एक शाखा है। इसका मुख्यालय मालाबार-हिल (बम्बई) में है। इसका प्रधान उद्देश्य भारत-सरकार के समाचार और वृत्त-चित्रों का विभिन्न भाषाओं में निर्माण और वितरण करना है। इसके दो प्रधान विभाग हैं—(१) 'भारतीय वृत्त-चित्र-विभाग' और (२) 'समाचार-समीक्षा-विभाग'। फिल्म-डिवीजन के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र चित्र-निर्माताओं को भी खास विषयों पर वृत्त-चित्रों के निर्माण का भार सौंपा जाता है। इधर भारत-सरकार ने २० से २५ लाख की पूँजी से 'फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन' नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसने अपना कार्यारंभ कर दिया है। सन् १९५६ में इसने १५२ डॉकुमेंटरी चित्र (समाचार-चित्रावली के अतिरिक्त तैयार हुये। ये चित्र विभिन्न देशों के सिनेमा-गृहों की टेलीविजन पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

बच्चों के लिए चित्र—भारत-सरकार बच्चों के हित को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए उपादेय चलचित्रों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी ले रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १९५५ ई० में दिल्ली में 'चिल्डरेन्स फिल्म सोसाइटी' की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग दो चित्र निर्मित होते हैं। बच्चो एवं किशोरों के लिए विशेष उपयुक्त एवं उनकी अभिरुचि के चित्रों का निर्माण करना, उन्हें संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना तथा निर्माण वितरण एवं प्रदर्शन में समन्वय स्थापित करना सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी को बच्चों के लिए विशेष उपादेय चित्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान भी मिलता है।

चलचित्र-परामर्शदात्री समिति (फिल्म एडवाइजरी बोर्ड)—सन् १९४९ ई० मे केन्द्रीय सरकार ने सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय के फिल्म-डिवीजन को परामर्श देने के लिए एक 'चलचित्र-परामर्शदात्री समिति' की स्थापना की। उक्त समिति फिल्म-डिवीजन के द्वारा अथवा स्वतंत्र निर्माताओं के द्वारा निर्मित समाचार तथा वृत्त-चित्रों के प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान करती है। वृत्त-चित्रों के निर्माण के सम्बन्ध में यह समिति 'फिल्म-डिवीजन' को परामर्श भी देती है।

सेन्सरबोर्ड—सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, १९५२, के अन्तर्गत 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेन्सर्स' नवनिर्मित चलचित्रों के परीक्षण तथा उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त ठहराने के लिए उत्तरदायी है। यह कुछ सिद्धान्तों के आधार पर नवनिर्मित चलचित्रों की सर्वप्रथम परीक्षा कर यह देखता है कि वस्तुत. कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लायक है या नहीं। बोर्ड की सहायता के लिए कुछ ऐसे गैरसरकारी व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सार्वजनिक विषयों मे रुचि

तथा अनुभव है। सेन्सर-वोर्ड जिन चित्रों को सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त समझता है, उन्हें 'यू' (U) वाला प्रमाण-पत्र देता है। जिन चित्रों को वह केवल वयस्कों के ही देखने लायक समझता है, उनके लिए 'ए' (A) वाला प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। वोर्ड में एक अध्यक्ष (चेयरमैन) तथा छह गैरसरकारी सदस्य होते हैं। वोर्ड का मुख्यालय वम्बई में तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय क्रमश: वम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। चलचित्र-निर्माताओं की ओर से सेंसर-वोर्ड के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के पास अपील की जा सकती है। हाल ही भारत-सरकार ने घोषणा की है कि निर्माताओं को प्रत्येक पाँच वर्ष के वाद उनके द्वारा निर्मित चित्र दुवारे जाँच के लिए सेंसर-वोर्ड के समक्ष दाखिल करने होंगे। एक फिल्म लाइब्रेरी की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने कानून वना दिया है कि हर चित्र-निर्माता अपने द्वारा निर्मित चित्रों की प्रतियाँ सेंसर-वोर्ड के पास भेजेगा। सन् १९५९ ई० में सेन्सर-वोर्ड ने १,७७१ विदेशी तथा ८७६ भारतीय चित्रपटों को प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र दिये। ५७ चित्रों को प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये, जिनमे ८ भारतीय थे।

चलचित्रों पर कर-निर्धारण—चलचित्र-उद्योग पर केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग कर लगाये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कच्ची फिल्मों के आयात-कर, चलचित्र-सम्बन्धी प्रसाधनों के आयात-कर, फिल्म-डिवीजन द्वारा निर्मित चित्रों के प्रदर्शन का शुल्क, सेंसर-वोर्ड के प्रमाण-पत्र के शुल्क आदि के रूप मे कर लगाये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य-सरकारों द्वारा भी मनोरंजन-कर, विक्रय-कर, विजली-कर, थियेटर टैक्स, लाइसेंस-शुल्क आदि कई तरह के कर लगाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त नगर-पालिकाओं एवं नगर-निगमों द्वारा भी ऑक्ट्राय-चुंगी, लाइसेंस-शुल्क, संपत्ति-कर, पोस्टर और विज्ञापन-कर आदि लगाये जाते हैं।

भारतीय चलचित्र संघ—इस संघ का प्रधान उद्देश्य है—चलचित्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना, उसका निरीक्षण करना तथा संरक्षण देना। यह संघ चलचित्र-उद्योग और उसमें लगे लोगों के हितों की रक्षा करता है। यह उनके व्यापार के तरीकों का नियमन करता है, उद्योग-सम्बन्धी नियम, कानून एवं रीतियों में एकरूपता स्थापित करता है, पंचायत या अन्य तरीकों द्वारा आपसी झगड़ों का निपटारा करता है, चलचित्र-उद्योग को प्रोत्साहन देता है तथा फिल्म-उद्योग के लाभ-हानि की दृष्टि से विधायिका या कार्यकारिणी का समर्थन अथवा विरोध करता है।

फिल्म-सम्बन्धी प्रशिक्षण—पूना में एक फिल्म-संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें फिल्म-निर्माण के विभिन्न अंगों—सिनेमेटोग्राफी, ध्वनि-अभियंत्रण, निर्देशन, रूप-सज्जा सजीवता इत्यादि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

फिल्म वित्त-निगम—उच्च कोटि के चित्र-निर्माण के लिए आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन देने के लिए भारत-सरकार ने ११ अप्रैल, १९६० को फिल्म वित्त-निगम (फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन) की स्थापना की है। यह निगम मध्यवित्तवाले चलचित्र-निर्माताओं को उनकी फिल्म की पाण्डुलिपि देखकर कुल लागत के ६०-७० प्रतिशत तक ऋण देता है। इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये है।

सर्वश्रेष्ठ चित्रों को राजकीय पुरस्कार—उच्च स्तर के चलचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के हेतु केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष फिल्म-कम्पनियों एवं चित्रों के निर्माताओं और निर्देशकों को पुरस्कार देती है। अखिलभारतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्टता के प्रमाण-पत्र के अलावा स्वर्ण-पदक तथा नकद पुरस्कार भी दिये जाते हैं। सन् १६५६ ई० में 'अपुर संसार' (बँगला) नामक चलचित्र के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के नाते, उसके निर्माता श्रीसत्यजित राय को राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक दिया गया है। 'हीरा-मोती' (हिन्दी) को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के कारण और 'सुजाता' (हिन्दी) को तृतीय सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के कारण अखिलभारतीय श्रेष्ठता के प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। 'अनाड़ी' (हिन्दी) को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के नाते राष्ट्रपति का रजत-पदक दिया गया है। इसी प्रकार 'प्रवैरुन' (आसामी) 'वगपिरिविनय' (तमिल) तथा 'नम्मी नकट्ट' (तेलुगु) को भी राष्ट्रपति के रजत-पदक मिले हैं।

वृत्तचित्रों में 'कथाकली' तथा अँगरेजी बालचित्र को अखिलभारतीय श्रेष्ठता के प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। सर्वश्रेष्ठ बालचित्र के लिए इस वर्ष भी प्रधानमंत्री का स्वर्ण-पदक किसी चित्र को नहीं मिल पाया है। सरकार ने इस वर्ष शिक्षा-सम्बन्धी चित्रों के लिए दो नये पुरस्कार आरभ किये हैं, किन्तु इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए किसी भी चित्र को नही चुना गया।

पुरस्कार के लिए चुने गये चलचित्रों और वृत्तचित्रों के निर्माताओं तथा निर्देशकों को पुरस्कार देने के अलावा प्रत्येक चलचित्र में काम करनेवाले प्रमुख कलाकारों को भी स्मृतिचिह्न दिये गये हैं।

विदेशों में भारतीय चित्रों की माँग—जापान और चीन को छोड़कर समस्त एशिया, पूर्वी अफ्रिका, मिस्र, लीविया और वेस्ट इण्डीज में भारतीय चित्रों की अच्छी माँग है। रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में अधिकाधिक भारतीय चित्र दिखाये जा रहे हैं। इस प्रकार, चलचित्रों द्वारा विदेशों से प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रुपये की आय होती है। सन् १६५६ ई० में सोवियत रूस, सं० रा० अमेरिका, इंगलैंड, इटली और चिली में जो अन्तरराष्ट्रीय फिल्म-महोत्सव हुए, उनमें ४ भारतीय फीचर-फिल्म और २ डॉकुमेंटरी चित्र पुरस्कृत हुए। वेनिस मे समाचार-चित्रावली फिल्मों की जो अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी, उसमें एक भारतीय न्यूज रील कैमरा-मैन को पुरस्कार मिला। सन् १६५६ ई० में भारतीय फिल्मों के निर्यात से १ करोड़, ७१ लाख मूल्य की विदेशी मुद्राएँ प्राप्त हुईं।

भारत के प्रमुख चलचित्र-निर्माता : कलकत्ता—(१) न्यू थियेटर्स, (२) ईस्ट इण्डियन फिल्म्स, (३) डीलक्स पिक्चर्स, (४) इण्डियन नेशनल आर्ट पिक्चर्स, (५) एम० पी० प्रोडक्शन्स लि०, (६) रूपाश्री लिमिटेड, (७) अरोड़ा फिल्म्स कारपोरेशन, (८) वसुमित्र, (६) इन्द्रपुरी स्टूडियो, (१०) सत्यजित प्रोडक्शन, (११) राधा फिल्म्स। बम्बई—(१२) राजकमल-कला-मंदिर, (१३) बॉम्बे टॉकीज लि०, (१४) कारदार प्रोडक्शन्स, (१५) श्रीरणजीत मूवीटोन, (१६) फिलिमस्तान, (१७) बॉम्बे सीनेटोन, (१८) आर० के० फिल्म्स, (१६) वाडिया मूवीटोन, (२०) पंचोली प्रोडक्शन्स, (२१) गुरुदत्त फिल्म्स, (२२) महबूब प्रोडक्शन्स, (२३) अशोककुमार प्रोडक्शन्स। पूना—(२४) प्रभात फिल्म्स कम्पनी, (२५) रणजीत मूवीटोन। मद्रास—(२६) जेमिनी स्टूडियोज, (२७) भारत मूवीटोन, (२८) जय फिल्म्स, (२६) ए० वी० एम० प्रोडक्शन्स, (३०) रागिनी फिल्म्स, (३१) प्रकाश प्रोडक्शन्स।

प्रमुख वितरक—(१) कलकत्ता फिल्म्स एक्सचेंज, (२) अरोरा फिल्म कारपोरेशन लिमिटेड, (३) दोसानी फिल्म कारपोरेशन, (४) प्राइमा फिल्म्स लिमिटेड, (५) डिलक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स (६) एसोसिएटेड डिस्ट्रिब्यूटर्स लिमिटेड, (७) इस्टर्न फिल्म एक्सचेंज, (८) कपूरचन्द लिमिटेड, (६) वेस्टर्न थियेटर्स लि० और (१०) नॉवेल्टी पिक्चर्स।

सन् १६५५ से १६५६ ई० तक विभिन्न भाषाओं में बने भारतीय वृत्त-चित्रों की संख्या

	१६५५	१६५६	१६५७	१६५८	१६५६
हिन्दी	१२६	१२३	११५	११६	१२१
गुजराती	३	३	—	—	—
मराठी	१२	१३	१४	१६	१०
बंगला	५२	५४	५४	४५	३८
तमिल	४६	५१	४४	६१	८०
तेलुगु	२४	२७	३६	३६	४६
कन्नड	१५	१४	१४	११	५
पंजाबी	—	—	२	१	—
मलयालम	७	५	७	४	३
आसामी	१	३	३	२	५
अँगरेजी	—	—	१	—	१
परसियन	—	—	१	—	—
उर्दू	—	—	१	—	—
उड़िया	२	—	२	१	१
सिंधी	—	—	—	३	—
संक्षिप्त चित्र	—	—	—	—	५८२

बैंक

भारत में बैंकों का प्रचलन १८वीं शताब्दी में कलकत्ता तथा बम्बई में स्थापित 'ब्रिटिश एजेन्सी हाउस' से हुआ। १६वीं शताब्दी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन प्रेसिडेन्सी बैंक की स्थापना हुई। सन् १६२१ ई० में इन प्रेसिडेन्सी बैंकों को इम्पीरियल बैंक के साथ संयुक्त कर दिया गया। इसी इम्पीरियल बैंक का नाम अब 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया है। सन् १६३५ ई० के अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

सन् १९४९ ई० में 'बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट' नामक एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय बैंकों की देख-रेख एवं उनके नियंत्रण का सारा उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—(क) अन्य भारतीय बैंकों की देख-रेख और निरीक्षण; (ख) बैंकों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना एवं नई शाखाओं की स्थापना पर नियंत्रण रखना; (ग) संयोजन एवं व्यवस्था की रूपरेखा की परीक्षा करना एवं उन्हें स्वीकृति प्रदान करना; (घ) बैंकिंग कम्पनियों को दिवालिया करार देना; (ङ) बैंकों का विवरण प्राप्त कर उसकी छान-बीन करना और (च) सामान्य रूप से बैंकों को परामर्श देना तथा आपात-काल में उनकी सहायता करना।

भारतीय बैंको का वर्गीकरण

भारत के रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा है—

(१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया;

(२) भारतीय व्यावसायिक बैंक—

(क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक;

(ख) भारतीय अननुसूचित बैंक और

(ग) स्टेट और सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक।

(३) विदेशी बैंक, जिसके रजिस्टर्ड ऑफिस भारत के बाहर हैं।

अनुसूचित बैंक—इस कोटि में भारत में अपना कारोबार करनेवाले वे बैंक आते हैं— (क) जिनके पास चुकता और सुरक्षित दोनों मिलाकर ५ लाख से कम की पूँजी न हो; (ख) जो नियमत: कम्पनी करपोरेशन या इस कार्य के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था हों; (ग) जो अपने कारबार से रिजर्व बैंक को संतुष्ट रखते हो। अनुसूचित बैंकों के निम्नलिखित दो और भी प्रकार हैं—(क) वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारतीय संघ में हों तथा (ख) विदेशी अनुसूचित बैंक, अर्थात् वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारत से बाहर हों।

अननुसूचित (नन-शिड्यूल्ड) बैंक—अननुसूचित बैंक चार प्रकार के हैं—ए-२, बी, सी और डी।

ए-२ बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता तथा सुरक्षित पूँजी मिलाकर ५ लाख या उससे अधिक हो और जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किये गये हों। 'बी' बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख और ५ लाख के बीच हो। 'सी' बैंक जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५० हजार से १ लाख के बीच पूँजी हो। 'डी' बैंक, जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५०,००० से कम पूँजी हो।

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों के अतिरिक्त बैंकों द्वारा उद्योग-धन्धों के विकास के लिए भारत-सरकार ने कई अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की है। जैसे—सन् १९४८ ई० में 'इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया'; (२) सन् १९५१ ई० में 'स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन'; (३) सन् १९५५ ई० में 'इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन' और (४) सन १९५८ ई० में 'दी रीफाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लि०'।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना १ अप्रैल, १९३५ को की गई। यह पहले विशुद्ध प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी था, किन्तु सन् १९४८ ई० में इसका राष्ट्रीयीकरण हो गया। इसकी व्यवस्था के लिए 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' की स्थापना की गई। इसका कार्य इन चार क्षेत्रों मे विभक्त कर दिया गया--बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली। इन क्षेत्रों में केन्द्रीय बोर्ड के अधीन एक-एक स्थानीय बोर्ड स्थापित किये गये। इसका प्रमुख कार्य सरकार की आर्थिक नीति के अन्तर्गत देश की मुद्रा-प्रणाली का नियमन करना है। यह नोट निकालने का एकाधिकार तथा अपने पास देश की मुद्रा सम्बन्धी स्थिरता बनाये रखने के लिए संचित कोष रखता है। यह व्यावसायिक बैंकों का भी बैंक है। यह बैंक रुपये का विदेशी विनिमय-मूल्य निर्धारित करता है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना जुलाई, १९५५ में हुई। उसी समय इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का कुल कारबार इसमें मिला दिया गया। इसकी अधिकृत पूँजी २० करोड़ रुपये की और जारी की गई पूँजी ५ करोड़ ६२½ लाख रुपये की है, जो इम्पीरियल बैंक के हिस्से के बदले मे है। इसकी जारी की गई पूँजी का कम-से-कम ५५ प्रतिशत रिजर्व बैंक का होता है। रिजर्व बैंक चाहे, तो शेष ४५ प्रतिशत हिस्सा भी हिस्सेदारों को लौटा सकता है।

बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड के हाथ में है। इस बोर्ड के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को भारत-सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त करती है। भारत-सरकार की स्वीकृति से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिक-से-अधिक दो प्रबन्ध-निर्देशक नियुक्त किये जाते हैं। हिस्सेदार ६ निर्देशकों को चुनते हैं। केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्व बैंक की सलाह से ८ निर्देशकों को मनोनीत करती है। एक निर्देशक भारत-सरकार और एक निर्देशक रिजर्व बैंक मनोनीत करता है। ये सभी केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य होते हैं।

स्टेट बैंक इम्पीरियल बैंक की ही तरह उद्योग-धन्धों और वाणिज्य-व्यवसाय के लिए ऋण देता है। देश के अन्दर स्टेट बैंक की सैकड़ों शाखाएँ हैं। जहाँ रिजर्व बैंक की अपनी शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक ही उसके एजेण्ट की तरह काम करता है।

ज्वायण्ट स्टॉक बैंक या अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक

रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और बड़े विनिमय-बैंकों को छोड़कर अन्य बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जो इण्डिया कम्पनी ऐक्ट के अनुसार निबन्धित (रजिस्टर्ड) होते हैं। इन्हें ज्वायण्ट स्टॉक बैंक भी कहते हैं। न्यूनाधिक पूँजी के अनुसार ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं। जिन बैंकों की चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख रुपये या इससे अधिक होती है, वे प्रथम श्रेणी में आते हैं।

अनुसूचित बैंक मुख्यतः व्यावसायिक बैंक हैं। ये लोगों के रुपये जमा रखते हैं, उनकी कोई वस्तु बन्धक रखते हैं, गल्ला, कपड़ा आदि की जमानत पर ऋण देते हैं, कम्पनी के हिस्सों की खरीद-बिक्री करते हैं, लोगों के आभूषण आदि अपनी हिफाजत में रखते हैं, बड़े-बड़े कृषकों या बगान-मालिकों के साथ कृषि-सम्बन्धी व्यवसाय करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य कारबार भी करते हैं।

विनिमय-बैंक

विनिमय-बैंक का प्रमुख कार्य वैदेशिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सभी विनिमय-बैंकों की स्थापना भारत के वाहर हुई है। ये विदेशी मुद्रा में हुण्डियाँ खरीदते हैं और जहाजरानी तथा दूसरे दस्तावेजों पर ऋण देते हैं। ये अन्तर्देशीय वाणिज्य के सम्बन्ध में भी, मुख्यतः मालों के आयात-निर्यात के सम्बन्ध में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अब ये बैंक लोगों के सेविंग्स एकाउण्ट भी रखने लगे हैं। इस प्रकार, इनके कार्य देश के भीतरी भागों मे बढ़ रहे हैं। विनिमय-बैंक भारत एवं विश्व के वाणिज्य-व्यवसाय के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जिस कार्य को सन् १८४२ ई० में ओरियण्टल बैंकिंग कारपोरेशन ने आरंभ किया था, वही कार्य अब ये बैंक करने लगे हैं।

अननुसूचित बैंक

अननुसूचित बैंक के अन्तर्गत वे बैंक आते हैं, जो संयुक्त कम्पनी तो हैं, किन्तु साधारणतः उनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख से कम ही होती है। पूँजी के न्यूनाधिक्य के हिसाब से ये चार श्रेणियों मे विभक्त हैं—प्रथम श्रेणी में वे बैंक आते हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख या उससे अधिक तो है, पर अन्य कई कारणों से वे अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरी के बैंक वे हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख से ५ लाख तक हैं। तृतीय श्रेणी के बैंक ५०,००० से १ लाख पूँजीवाले तथा चतुर्थ श्रेणी के बैंक ५०,००० से कम पूँजीवाले होते हैं।

देशी तरीके के बैंक

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों से सरकार के, बड़े-बड़े वाणिज्य-व्यवसायों के तथा बड़े-बड़े पूँजीपतियों के कारोबार चलते हैं। किन्तु मध्यम या निम्न श्रेणी के व्यापारियों, छोटे पैमाने के उद्योगपतियों, साधारण कृषकों आदि के कार्य वैयक्तिक रूप से काम करनेवाले महाजनों, सेठ-साहूकारों, शर्राफों आदि से चलते हैं। ये महाजन खेत, गहने तथा अन्य संपत्ति के बंधक पर ऋण दिया करते हैं। ये महाजन छोटी-बड़ी रकमों की हुण्डियाँ निकालते हैं।

भूमि-बन्धक-बैंक

सन् १६५८ ई० के कृषि-सम्बन्धी कमीशन और सन् १६३० ई० की बैंकिंग इन्क्वायरी कमिटी की सिफारिशों के अनुसार भारत के अनेक भागों में सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर भूमि-बंधक-बैंकों के स्थापन की आवश्यकता समझी गई है। इन बैंकों का उद्देश्य किसानों की भूमि और मकान को महाजनों के चंगुल से बचाने, उन्हें पुराने ऋण से विमुक्त करने, उनकी भूमि को जोत, खाद आदि द्वारा उन्नत बनाने, उनके लिए मकान बनवाने आदि की सुविधाएँ प्रदान करना है। ये बैंक पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और आसाम में सहकारी आन्दोलन के सिलसिले में कायम हुए हैं, किन्तु कार्य अभी बहुत छोटे पैमाने पर चल रहे हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वर्गीकृत बैंकों की संख्या

	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९
१. भारतीय व्यावसायिक बैंक					
(क) अनुसूचित बैंक (ए–१)	७२	७२	७८	७७	७८
(ख) अनुसूचित बैंक (ए–२)	६२	५८	५५	४७	३९
(बी)	१८०	१७०	१६३	१५१	१४७
(सी)	९८	९३	७६	८४	७६
(डी)	२५	१२	४	२	२
कुल योग (क) और (ख) का	४३७	४०५	३७२	३५५	३४२
२. विदेशी बैंक					
(क) अनुसूचित बैंक	१७	१७	१७	१६	१६
(ख) अनसूचित बैंक	१	१	—	—	—
कुल योग १ और २ का	४५५	४२३	३८९	३७१	३५८
३. सहकारी बैंक					
(क) स्टेट को-ऑपरेटिव	२३	२४	२३	२१	२२
(ख) सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव	४८५	४७८	४५१	४१८	४०८

भारतीय बीमा

बीमा का राष्ट्रीयीकरण—जीवन-बीमा भारतीय बीमा के इतिहास में संसार के अन्दर सर्वप्रथम भारत-सरकार ने ही १९५६ ई० में जीवन-बीमा के व्यवसाय का राष्ट्रीयीकरण किया। १९५६ ई० की १९ जनवरी को राष्ट्रपति ने एक आर्डिनेन्स निकालकर भारत में काम करनेवाली देशी और विदेशी सभी जीवन-बीमा-कम्पनियों का काम भारत-सरकार के हाथ सौंपा। उसी वर्ष 'भारत का जीवन-बीमा-निगम'-सम्बन्धी बिल २३ मई को पास हुआ और १ सितम्बर से इसका काम आरम्भ कर दिया गया। प्रधान कार्यालय बम्बई में रखा गया। इस निगम को पूरा अधिकार दिया गया कि वह जीवन-बीमा तथा अन्य बीमा—जैसे अग्नि, जहाज, मोटर आदि के बीमा का भी काम करे। निगम की स्थापना के बाद भारतीय अथवा विदेशी जीवन-बीमा-कम्पनियाँ भारत में अपने व्यवसाय के लिए अधिकृत नहीं रहीं। भारतीय जीवन-बीमा-कम्पनियों को विदेशों में भी काम करने का अधिकार नहीं रहा। हाँ, पोस्ट-ऑफिस-जीवन-बीमा-फंड तथा सरकारी कर्मचारी-वर्ग के लिए अनिवार्य जीवन-बीमा-योजना का काम पूर्ववत् चलता रहा। जीवन-बीमा, अर्थात् साधारण बीमा-कम्पनियों का काम भी अभी उन्हीं कम्पनियों के हाथ में है। भारत का जीवन-बीमा-निगम अभी इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

जीवन-बीमा-निगम को ५ करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूँजी सरकार द्वारा दी गई थी। इसका प्रबन्ध १५ सदस्यों की समिति के द्वारा होता है, जिसके चेयरमैन की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की ओर से होती है। निगम के संचालन के लिए इसकी एक कार्य-समिति, एक धन-विनियोग-समिति, प्रबन्ध-निर्देशक तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक हैं। इस कार्य के लिए देश पाँच क्षेत्रों में

बाँटा गया है। इन क्षेत्रों के प्रधान कार्यालय बम्बई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास तथा कलकत्ता में हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कई प्रमंडलीय कार्यालय (डिविजिनल ऑफिस) और प्रत्येक प्रमंडलीय कार्यालय के अधीन कई शाखा-कार्यालय (ब्राच-ऑफिस) हैं।

जीवन-बीमा का आयोजन तथा कार्य—केन्द्रीय वित्त-मंत्रणालय के अन्दर आर्थिक विषयों का एक विभाग है, और उसी की एक शाखा है बीमा-शाखा (इन्श्योरेन्स डिविजन)। यह देश के अन्दर बीमा-सम्बन्धी सब प्रकार के कार्यों की देख-भाल करता है।

बीमा की नवीन योजनाएँ—निगम की स्थापना के पूर्व भारतीय और विदेशी बीमा की कम्पनियाँ लोगों की सुविधा के लिए बीमा-सम्बन्धी विभिन्न भाँति की नई-नई योजनाएँ समय-समय पर तैयार करती रहती थीं, जिनमें अधिकाश अब भी चालू हैं। इधर निगम ने तीन और भी नई योजनाएँ तैयार की हैं—जनता-योजना, सामूहिक बीमा और अधिवार्षिक योजना तथा वेतन-बचत-योजना। (१) जनता-योजना (जनता-स्कीम) बृहत्तर बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, दिल्ली, रोहतक, कानपुर, कलकत्ता, सिलीगुडी, मद्रास, मदुराई, कोयम्बटूर तथा हैदराबाद के औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है।

१९६० ई० की प्रगति

जीवन-बीमा-निगम के केन्द्रीय कार्यालय से प्रकाशित प्रेस-विज्ञप्ति ने ४९५'९६ करोड़ रुपयों का नया व्यवसाय, १९६० ई० में पूर्ण होने की बात घोषित की है। १९५९ ई० में ४२९'१७ का नया व्यवसाय हुआ, उसमें इस वर्ष १५'४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें ४८४'४७ करोड़ रुपयों का व्यवसाय भारत में हुआ और ९'७० करोड़ रुपयों का विदेश में। जनता-पॉलिसी के अन्तर्गत १'८२ करोड़ रुपयों का व्यवसाय प्राप्त हुआ। इन आँकड़ों में वार्षिक-वृत्ति के बीमे सम्मिलित नहीं हैं।

संयुक्त जीवन-बीमा-पॉलिसी को बन्द करना और स्त्रियों के बीमे पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना ये दो महत्त्वपूर्ण निर्णय, १९६० ई० में, जीवन-बीमा-निगम ने लिये हैं। इस योजना के अन्तर्गत १९५७ ई० में १६ करोड़ रुपयों का व्यवसाय हुआ था। १९५८ ई० में ३२-७० करोड़ रुपयों का और १९५९ ई० में ४७'५३ करोड़ रुपयों का व्यवसाय इसीसे प्राप्त हुआ। तो भी, इस योजना-सम्बन्धी, निगम का अनुभव कटु है। नानाविध प्राकृतिक आपत्तियों के रहते हुए कारपोरेशन ने ६८ करोड़ रुपयों का अधिक व्यवसाय लिया है। १९५९ ई० में यह वृद्धि केवल ६२ करोड़ रुपये थी।

सन् १९६० ई० में, दो नये विभागीय कार्यालय कानपुर और मेरठ में खोले गये। शाखा, उपशाखा तथा विकास-केन्द्रों की संख्या ४६० तक पहुंची है। ग्रामीण भागों में प्रचार करने तथा प्रसार को गति देने के हेतु कुछ नये कदम उठाये गये हैं। अबतक १५६ यूनिट कार्यालयों का संगठन हो चुका है और उनकी पॉलिसियों का विकेन्द्रीकरण हुआ है।

सन् १९५९ ई० में ७३७ विलम्बित वार्षिक वृत्ति की योजना के अन्तर्गत ११०७४१५ रुपयों और १२६ तत्कालिक वार्षिकी के अन्तर्गत १९२८८६ रुपयों का व्यवसाय हुआ था। १९६० ई० में ७५४ विलम्बित वार्षिकी वृत्ति की पॉलिसियाँ दी गईं और १४३१०३९ रुपयों का व्यवसाय हुआ, १३१ तत्कालिक वार्षिकी वृत्ति पॉलिसियों के अन्तर्गत ३७२८५६ रुपयों का व्यवसाय हुआ।

सहायक संस्थाएँ—भारत के जीवन-बीमा-निगम की सहायता के लिए दो और संस्थाएँ हैं—(१) इन्स्योरेन्स एसोशिएसन ऑफ् इण्डिया और (२) री-इन्स्योरेन्स कारपोशरेन ऑफ् इण्डिया। सन् १६५० ई० में भारत में काम करनेवाली सभी बीमा-कम्पनियों ने मिलकर इन्स्योरेन्स एसोसिएशन ऑफ् इण्डिया की स्थापना की थी। इस एसोसिएशन की दो कौंसिलें थीं—एक, लाइफ इन्स्योरेन्स कौंसिल और दूसरी, जेनरल इन्स्योरेन्स कौंसिल। पहली, जीवन-सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख करती थी, तो दूसरी, साधारण बीमा-सम्बन्धी कार्यों की। जीवन-बीमा-निगम की स्थापना के बाद लाइफ इन्स्योरेन्स कौंसिल की आवश्यकता नहीं रह गई। हाँ, दूसरी कौंसिल अपना काम पूर्ववत् कर रही है। भारत-सरकार से परामर्श कर साधारण बीमा का कार्य करनेवाली बीमा-कम्पनियों ने री-इन्स्योरेन्स ऑफ् इण्डिया नामक संस्था की स्थापना की।

बीमा करनेवाली अन्य संस्थाएँ—जैसा पहले कहा जा चुका है, जीवन-बीमा-निगम के अतिरिक्त भी कुछ संस्थाएँ और सरकारी महकमे बीमा का काम करते हैं। सन् १८८३ ई० से डाक और तार-विभाग अपने विभाग के कर्मचारियों के जीवन-बीमा का काम करता आ रहा है। पीछे कुछ दूसरे लोगों के जीवन-बीमा का काम भी यह विभाग करने लगा। सन् १६४८ ई० से प्रतिरक्षा-विभाग के व्यक्तियों का भी यहाँ जीवन-बीमा होने लगा। आन्ध्र, केरल, मैसूर, राजस्थान और उत्तरप्रदेश की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए जीवन-बीमा का कार्य करती हैं। कुछ कम्पनियाँ जहाज तथा अन्य कई प्रकार के बीमा का काम करती हैं। प्रोविडेण्ट सोसाइटी ऐक्ट के अनुसार सन् १६५६ ई० तक ७१ प्रोविडेण्ट सोसाइटियाँ एक हजार रुपये तक के जीवन-बीमा का काम करती रहीं।

निगम की धन-विनियोग-नीति—बीमा-किस्तों से सरकार को जो रुपये प्राप्त होते हैं, उनके विनियोग की नीति के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने सन् १६५८ ई० के २५ अगस्त को घोषित किया है कि कुल कोष का ५० प्रतिशत गवर्नमेण्ट सिक्युरिटी और गवर्नमेण्ट एप्रुव्ड सिक्युरिटीज में, ३५ प्रतिशत इन्स्योरेन्स ऐक्ट के अनुसार स्वीकृत विनियोगों में और १५ प्रतिशत अन्य विनियोगों में लगाये जाते हैं।

सन् १६५३ ई० से सन् १६५८ ई० तक के जारी किये गये बीमा-पत्रों (पॉलिसियों) की संख्या और उनकी धन-राशि नीचे लिखे अनुसार हैं—

ईसवी-सन्	बीमा-पत्रों का संख्या	उनकी धनराशि (लाख रुपयों में)
१६५३	५,६१,७७७	१६,६८६
१६५४	७,५७,०४७	२५,३६६
१६५५	८,०६,१४२	२५,८६३
१६५६	५,६७,६०८	२०,०२८
१६५७	७,६४,५८५	२८,११०
१६५८	८,६७,११४	३१,३८४

कर्मचारी राज्य-बीमा-निगम

कर्मचारी राज्य-बीमा-निगम-सम्बन्धी ऐक्ट सन १६४८ ई० में पास हुआ था और सन् १६५१ ई० में उसका संशोधन हुआ। सन् १६५२ ई० की फरवरी से योजना चालू की गई। यह योजना उन स्थायी फैक्टरियों पर लागू होती है, जहाँ विद्युत् का उपयोग होता है और

कम-से-कम २० कर्मचारी काम करते हैं। ४०० रुपये तक मासिक वेतन पानेवाले मजदूर और क्लर्क लोग इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू है, वहाँ के १३,५६,५०० व्यक्तियों को इससे लाभ पहुँच रहा है।

इस योजना के अनुसार एक केन्द्रीय कोष कायम किया गया है। इस कोष में केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, नियोक्ता तथा नियुक्त व्यक्ति—सभी कुछ-न-कुछ रकम देते हैं।

जिन मजदूरों का मासिक वेतन ३० रुपये से कम है, वे इस कोष में कुछ नहीं देते; पर इससे मिलनेवाले सभी लाभों के हकदार होते हैं। ३० रुपया से ४५ रुपया तक मासिक वेतन पानेवाले कर्मचारी प्रति सप्ताह दो आने देते हैं। इसी प्रकार बढते हुए २४० रु० से ४०० रुपया तक मासिक वेतन पानेवाले प्रति सप्ताह सवा रुपया देते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को एक खास डिस्पेन्सरी में मुफ्त डाक्टरी सलाह दी जाती है और उनकी मुफ्त चिकित्सा की जाती है। उन्हें घर पर भी दवाएँ पहुँचाई जाती हैं। वे ३६५ दिनों के अन्दर ८ सप्ताह तक बीमारी के समय में आधे से कुछ अधिक वेतन पाने के अधिकारी होते हैं। अपने काम के सिलसिले में जब वे जख्मी होते हैं, तब उन्हें किस्त से कुछ रकमें दी जाती हैं, परन्तु स्थायी रूप से नाकाम हो जाने पर उन्हें आजीवन कुछ रकमें मिलती रहती हैं। किन्तु, मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को बहुत दिनों तक पेंशन मिलता है। महिलाओं को प्रसव-काल में १२ आने प्रतिदिन या एक साथ १२ सप्ताह तक पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ की सहायता दी जाती है।

जेनरल इन्श्योरेन्स—यह जीवन-बीमा-निगम के क्षेत्र से बाहर है। सन् १९५८ ई० में यहाँ ११७ जेनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियाँ थीं, जिनमें ६० भारतीय तथा ८७ विदेशी थीं। सन् १९५७ ई० में जेनरल इन्श्योरेन्स बिजनेस के सभी क्षेत्रों से प्रीमियम की कुल आय १०·९६ करोड़ थी। लेकिन, सन् १९५८ ई० में १२·६६ करोड़ की आय हुई, जिसमें ४·३६ करोड़ अग्नि-बीमा, २·५९ करोड़ जहाजी बीमा तथा ६·०१ करोड़ विविध बीमा द्वारा प्राप्त हुए।

परिवहन

रेलें

भारतीय रेलें ३५,०८१ मील के क्षेत्र में विस्तृत हैं। विस्तार की दृष्टि से इनका स्थान एशिया में प्रथम तथा संसार में चौथा है। अनुमान किया गया है कि सन् १९५९ ई० में प्रतिदिन औसतन ४० लाख व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा ३·७ लाख टन माल ढोया गया। रेलों को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयीकृत उद्योग होने का गौरव प्राप्त है। सन् १९५८-५९ ई० के अन्त में रेलों पर कुल १,२६२ करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई थी और उनसे ३९२ करोड़ रु० की आय प्राप्त हुई थी। उस वर्ष रेलों में ११,४२,९१८ व्यक्ति काम करते थे, जिन्हें वेतन के रूप में १८३ करोड़ रु० दिया गया था।

भारत में सर्वप्रथम रेल-लाइन १६ अप्रैल, १८५३ को चालू हुई। उस समय भारतीय रेलों की लम्बाई २० मील, उनमें लगी पूँजी का परिमाण ३८ लाख रु०, उनकी कुल आय

६० हजार रु० और शुद्ध आय ४६ हजार रु० थी। सन् १६४७-४८ ई० में, अर्थात् भारत-विभाजन के पश्चात् इन रेलों की लम्बाई ३३,६८५ मील, इनमें लगी पूँजी का परिमाण ७४२'२ करोड़ रु०, कुल आय १८३'६६ करोड़ रु० और शुद्ध आय १६'७५ करोड रु० थी। सन् १६५८-५६ ई० में इनकी लम्बाई ३५,०८१ मील, इनमें लगी पूँजी का परिमाण १३६२'८६ करोड़ रु०, कुल आय ३६२'३३ करोड़ रु० और शुद्ध आय ६७'७६ करोड रु० थी। सन् १६५८-५६ ई० में भारतीय रेलों से लगभग १४४'०६ करोड़ यात्रियों ने यात्रा की तथा १३'६१ करोड़ टन माल ढोया गया, जिनसे क्रमश. ११७'५७ करोड़ रु० और २३७'०४ करोड रु० की आय हुई।

रेल-क्षेत्र—अगस्त,१६४६ से पहले भारत में ३७ रेल-क्षेत्र थे। अब इनका वर्गीकरण करके इन्हें निम्नलिखित ८ रेल-क्षेत्रों में बाँट दिया गया है—(१) दक्षिणी क्षेत्र (मुख्यालय मद्रास), (२) मध्य क्षेत्र (मुख्यालय बम्बई), (३) पश्चिमी क्षेत्र (मुख्यालय बम्बई), (४) उत्तरी क्षेत्र (मुख्यालय दिल्ली), (५) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (मुख्यालय गोरखपुर), (६) उत्तर-पूर्वी सीमान्त-क्षेत्र (मुख्यालय पाडु), (७) पूर्वी क्षेत्र (मुख्यालय कलकत्ता) तथा (८) दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र (मुख्यालय कलकत्ता)।

कुछ छोटी पटरी की रेल-लाइनों को, जो प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में थीं, पुनर्गठन-योजना में शामिल नहीं किया गया।

रेल-वित्त—पहले रेल-वित्त भी सामान्य वित्त में ही शामिल था, पर सन् १६२५ ई० में उसे सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया और यह निर्णय किया गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार अंशदान करें।

योजनाओं के अन्तर्गत विकास

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलों के सुधार तथा विस्तार पर ४२३'७३ करोड़ रु० व्यय किया गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत रेलों पर ६०० करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें १५० करोड़ रु० की व्यवस्था रेल-विभाग द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त, रेल-मूल्य-ह्रास-निधि में उनके योगदान के रूप में और २२५ करोड़ रु० व्यय किया गया।

नये कार्य—पहली योजना की अवधि में पहले उखाड़ी गई ४३० मील लम्बी लाइनें फिर से बिछाई गईं, ३८० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं तथा ४६ मील लम्बी छोटी लाइनों को मध्यम लाइनों में बदला गया। इसके अतिरिक्त, योजना-अवधि के अन्त में ४५४ मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा रही थीं, ५२ मील लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जा रही थीं तथा २,००० मील से अधिक नई लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ८४२ लम्बी नई लाइनें बिछाने, १,६०७ मील लम्बी रेल लाइनों को दुहरी बनाने, २६५ मील लम्बी मध्यम लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा ८,००० मील लम्बी वर्तमान लाइनों के स्थान पर नई लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया था।

सन् १६५८-५६ ई० में १६१ १५ में मील लम्बी नई लाइनें चालू की गईं। वे नई लाइनें ये हैं—मध्य रेल की तकल-अमुल्ला लाइन (१४'६८ मील), उत्तरी रेल की आवागढ़-एटा लाइन (१३'६० मील) और रोहतक-गोहाना लाइन (१ ६'७७ मील), दक्षिण-पूर्वी रेल की नोआमंडी-बाँसपानी लाइन (१७'४२ मील), रायपुर (बाइपास) लाइन (५'८६ मील) और भिलाई-धल्ली राझारा लाइन (५३'१५ मील) तथा पश्चिमी रेल की इन्दौर-देवास-उज्जैन लाइन (४६'२३ मील)। इनके अतिरिक्त, गैर-सरकारी डिहरी-रोहतास रेलवे का रोहतास से पिपराडीह तक (१७'४१ मील) विस्तार किया गया।

रेल-इंजिन, डिब्बे आदि—पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में ४६६ रेल-इंजिन, ४,३५१ सवारी-डिब्बे तथा ४१,१६२ माल-डिब्बे बने।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बड़ी लाइन के ४६८ रेल-इंजिन, ६६,५७५ माल-डिब्बे और १,७६४ सवारी-डिब्बे तथा मध्यम लाइन के ४५१ इंजिन, १६,८२० माल-डिब्बे और ३,३६४ सवारी-डिब्बे बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त, बड़ी लाइन के ६६२ रेल-इंजिनों, १४,८७६ माल-डिब्बों और ४,३६२ सवारी-डिब्बों, मध्यम लाइन के ४०२ रेल-इंजिनों, ४,६५२ माल-डिब्बों और १,४२२ सवारी-डिब्बों तथा छोटी लाइन के ८१ रेल-इंजिनों, ४,०२१ माल-डिब्बों और ६३३ सवारी-डिब्बों की मरम्मत की गई।

सन् १६५८-५६ ई० में बड़ी लाइन के २६६ रेल-इंजिन, १,०३२ सवारी-डिब्बे और १३,७६७ माल-डिब्बे; मध्यम लाइन के ६६ रेल-इंजिन, ६८३ सवारी-डिब्बे और २,६०४ माल-डिब्बे तथा छोटी लाइन के ६ रेल-इंजिन और २५ सवारी-डिब्बे इस्तेमाल में लाये जाने लगे।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २,१६१ रेल-इंजिन, ८,७०८ सवारी-डिब्बे तथा १,११,७३६ माल-डिब्बे (४ पहियोंवाले) जुटाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें से ३१ मार्च, सन् १६५६ ई० तक १,४६३ रेल-इंजिन, ४,३२२ सवारी-डिब्बे तथा ७५,६१२ माल-डिब्बे प्राप्त हो गये।

मरम्मत-कारखाने, संयत्र तथा मशीनें—दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६ नये मरम्मत-कारखाने (वर्कशॉप) खोलने, मध्यम लाइन के सवारी-डिब्बे बनाने के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने, जोड़हीन सवारी-डिब्बे बनानेवाले कारखानों में फरनीचर आदि लगानेवाला एक नया विभाग खोलने तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का विस्तार करने की व्यवस्था रखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, रेल-इंजिनों, माल-डिब्बों की मरम्मत करने की वार्षिक क्षमता मे वृद्धि हुई।

बिजली और डीजल की गाड़ियाँ—भारत में सबसे पहले सन् १६२५ ई० मे बिजली की गाड़ियों का चलना शुरू हुआ। बिजली की गाड़ियो केवल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के आसपास ही कुछ लाइनों पर चलती हैं। ३१ मार्च, १६५६ ई० तक देश में ३२८'८७ मील में बिजली की गाड़ियाँ चलती थीं। दूसरी योजना की अवधि में १,४४२ मील में बिजली की गाड़ियाँ चलाने का लक्ष्य रखा गया था।

कुछ रेल-मार्गों पर डीजल-चालित गाड़ियाँ भी चलती हैं। सन ३१ मार्च, १६६१ ई० के बाद १,२६३ मील में डीजल की गाड़ियाँ चलने लगी हैं।

पुल—मोकामाघाट के निकट गंगा-पुल को १ मई, सन् १९५९ ई० से चालू कर दिया गया। साथ ही, पाडु में ब्रह्मपुत्र-पुल की आधारशिला १० जनवरी, सन् १९६० को रखी गई।

यात्रियों के लिए सुविधाएँ—सन् १९५१-५२ ई० से सन् १९५८-५९ की अवधि में यात्रियों, विशेषकर तीसरे दर्जे में सफर करनेवाले यात्रियों, को सुविधाएँ देने के लिए काफी सुधार-कार्य किये गये। उदाहरणस्वरूप, कुछ महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में लम्बा सफर करनेवाले यात्रियों के लिए डिब्बे रिजर्व करने की व्यवस्था की गई, कुछ नई गाड़ियाँ चलाई गईं तथा कुछ गाड़ियों का क्षेत्र-विस्तार कर दिया गया। सन् १९५८-५९ ई० की अवधि में १७० नई गाड़ियाँ चलाई गईं तथा ८५ गाड़ियों का यात्रा-क्षेत्र बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त, १ अप्रैल और ३० नवम्बर, १९५९ के बीच १७८ नई गाड़ियाँ चलाई गईं तथा ११८ गाड़ियों का क्षेत्र-विस्तार किया गया। ५०० मील से ऊपर सफर करनेवाले मुसाफिरों के लिए ज्यादा शुल्क के बिना सोने के लिए डिब्बे लगा दिये गये हैं, गाड़ियों में भोजन आदि की व्यवस्था में सुधार कर दिया गया है तथा पीने का पानी, पंखों आदि की भी व्यवस्था कर दी गई है। कई नये प्रतीक्षालय, पुल और प्लेटफार्म बनाये गये हैं।

कर्मचारियों का हित—पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में नये मकान बनाने तथा कर्मचारियों की भलाई के विभिन्न कार्यों पर प्रतिवर्ष औसतन लगभग ४ करोड़ रु० व्यय किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन १० करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था।

पहली योजना की अवधि में कर्मचारियों के लिए ४०,००० क्वार्टर बनवाये गये। दूसरी योजना की अवधि में ६४,५०० क्वार्टर बनाने का लक्ष्य है। सन् १९५८-५९ ई० में ११,४८१ क्वार्टर बनकर तैयार हुए।

सन् १९५८-५९ ई० के अन्त में रेल-कर्मचारियों के लिए ७० अस्पताल तथा ४४८ दवाखाने थे। क्षयरोगियों के इलाज के लिए कुछ नये उपचारालय भी खोल दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, रोगी-शय्याओं की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेल-कर्मचारियों के लिए १३ नये अस्पताल और ७५ नये दवाखाने खोलने तथा उनके वर्त्तमान अस्पतालों में १,६०० नई रोगी-शय्याओं की व्यवस्था करने, विभिन्न क्षयरोग-सेनेटोरियमों में रेलवे-कर्मचारियों के लिए दुगुनी शय्याएँ सुरक्षित करने तथा स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है।

जिन रेल-कर्मचारियों के बच्चे अपने माता-पिता से दूर रहकर विद्याध्ययन करते हैं, उनके लाभ के लिए १२ सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किये जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त, दूरस्थ स्थानों पर नियुक्त रेल-कर्मचारियों के लिए चलते-फिरते पुस्तकालय भी बनाये जा रहे हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय उत्तर-पूर्वी-रेल लाइन पर दिसम्बर, १९५८ में आरम्भ हुआ।

रेल-यात्रा-सम्बन्धी आँकड़े

यात्री-यातायात तथा आय—सन् १९५८-५९ ई० में १,४४,०६,२१,००० मुसाफिरों ने यात्रा की, जिनमें से वातानुकूलित (एयर-कंडीशंड) डिब्बों में यात्रा करनेवाले मुसाफिरों की संख्या १,२४,६०० और पहले, दूसरे तथा तीसरे दर्जे में यात्रा करनेवाले मुसाफिरों की

संख्या क्रमशः २,५७,६६,५००; १,१८,८३,७००; तथा १,४०,३१,१२,६०० थी। यात्रियों के किराये से रेलवे को १,१७,५७,३०,००० रु० की आय हुई।

विना टिकट यात्रा—विना टिकट यात्रा करनेवाले व्यक्तियों को कड़ा दंड देने के प्रयोजन से २ मई, १६५६ को 'भारतीय रेल-अधिनियम' में एक संशोधन किया गया। विना टिकट यात्रा करनेवालों की धड़-पकड़ के लिए ठोस उपाय किये जा रहे हैं। सन् १६५८-५६ ई० में ६३,०८,२५५ व्यक्ति विना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये, जिनसे किराये तथा जुर्माने के रूप में १,४३,२४,६८६ रुपये वसूल किये गये।

रेल-दुर्घटनाएँ—सन् १६५७ ई० में रेल-दुर्घटनाओं के फलस्वरूप ७७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा ५०४ व्यक्ति घायल हुए थे। सन् १६५८-५६ ई० में रेल-दुर्घटनाओं में कुल ३६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा ३१५ व्यक्ति घायल हुए। इनमें उन लोगों की संख्या शामिल नहीं है, जो गैरकानूनी तौर पर रेल-पटरियाँ पार करते हुए हताहत हुए।

माल की ढुलाई तथा आय—सन् १६५७-५८ ई० में रेलों से १३,३३,६५,००० टन माल ढोया गया था और २,२५,७१,५२,००० रु० की आय हुई थी। सन् १६५८-५६ ई० में १३,६०,६७,००० टन माल ढोया गया तथा २,३६,६०,५४,००० रु० की आय हुई।

किराया तथा भाड़ा

रेल-यात्री-किराया-अधिनियम १५ सितम्बर, १६५७ को लागू हुआ। १६-३० मील तक किराये का ५ प्रतिशत, ३१-५०० मील तक १५ प्रतिशत तथा ५०० मील से ऊपर १० प्रतिशत कर लिया जाता है। १५ मील तक के सफर पर कोई कर नहीं है।

रेल-भाड़ा-जाँच-समिति की सिफारिश पर १ अक्तूबर, १६५८ से संशोधित रेल-भाड़े लागू किये गये, जिनके अनुसार प्रतिवर्ष भाड़ों से ६'६ करोड़ रु० और पार्सलों से २ करोड़ रु० अधिक आय होने की आशा है। समिति ने भाड़े में औसतन १२'६ प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की है, जिससे प्रतिवर्ष ३२ करोड़ रु० की आय होगी।

प्रशासन

रेलों का समस्त नियंत्रण तथा प्रवन्ध रेलवे-बोर्ड के हाथ में है। रेलवे-बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम सन् १६०५ ई० में हुई थी। रेलवे बोर्ड में इस समय एक अध्यक्ष (जो केन्द्रीय रेल-मंत्रालय का पदेन महासचिव है), एक वित्तायुक्त तथा तीन सदस्य हैं, जो रेल-मंत्रालय के सचिव-पद के होते हैं। जनता तथा रेल-प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखने के प्रयोजन से विभिन्न समितियाँ भी विद्यमान हैं।

सड़कें

सन् १६४७ ई० में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों (सड़कों) के निर्माण तथा उनकी देख-भाल का दायित्व स्वयं सँभाल लिया। भारत के नये संविधान के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राज-पथ केन्द्र के दायित्व में और राज्यीय राजपथ एवं जिलों तथा गाँवों की सड़कें राज्य-सरकारों के दायित्व में आती हैं।

प्रगति—हाल के वर्षों में सड़क-विकास के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। अनुमान है कि ३१ मार्च, १९६१ ई० तक लगभग १,४४,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा २,३५,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बन चुकी हैं।

राष्ट्रीय राजपथ—१ अप्रैल, १९४७ ई० को लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कों तथा बड़े एवं छोटे पुलों का नामोनिशान तक न था। इसके अतिरिक्त, वर्त्तमान सड़कों में भी ६,००० मील लम्बी सड़कें टूटी-फूटी अवस्था में थी। जब से केन्द्र ने राष्ट्रीय सड़कों का दायित्व स्वयं सँभाला है, तब से सड़कों में पर्याप्त सुधार दिखाई देता है। अनुमान है कि १ अप्रैल, १९४७ ई० से ३१ दिसम्बर, १९५९ ई० तक १,२९९ मील टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया तथा ६४ बड़े पुल बनाये गये, ७,६०० मील लम्बी वर्त्तमान सड़कों का सुधार किया गया तथा १,१७५ मील लम्बी सड़कें चौड़ी की गईं।

राष्ट्रीय राजपथों में ये सड़कें प्रमुख हैं—अमृतसर—कलकत्ता, आगरा—बम्बई; बम्बई—बंगलोर—मद्रास; मद्रास—कलकत्ता, कलकत्ता—नागपुर—बम्बई; वाराणसी—नागपुर—हैदराबाद—कुरनूल—बंगलोर—कन्याकुमारी अन्तरीप; दिल्ली—अहमदाबाद—बम्बई; अहमदाबाद—कंडला बन्दर (जिसका निर्माण जारी है) तथा अहमदाबाद—पोरबन्दर; अम्बाला—शिमला—तिब्बत की सीमा; दिल्ली—मुरादाबाद—लखनऊ; लखनऊ—मुजफ्फरपुर—बरौनी (एक शाखा नेपाल की सीमा तक); आसाम-प्रवेश सड़क और आसाम ट्रंक सड़क (एक शाखा मणिपुर होते हुए बर्मा तक)।

राष्ट्रीय राजपथ-सम्बन्धी जो महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, उनमें जवाहर (बनिहाल)-सुरंग उल्लेखनीय है। इस सुरंग का निर्माण जम्मू—श्रीनगर—उरी के राष्ट्रीय राजपथ पर, पीर-पंजाल पर्वतमाला के आरपार, ७,२५० फुट की ऊँचाई पर हो रहा है। यह सुरंग संसार की सबसे लम्बी सुरंगों में एक है। इसका निर्माण पूरा होने पर कश्मीर घाटी तथा शेष भारत के बीच एक ऐसे मार्ग की व्यवस्था हो जायगी, जो बारहों महीने चालू रहेगा। सुरंग में दो मार्ग हैं, जिनमें से एक मार्ग सन् १९५८ ई० में यातायात के लिए खोल दिया गया।

अन्य सड़कें—इसके अतिरिक्त, भारत-सरकार राज्यों की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सड़कों के विकास का भी खर्च उठा रही है। ऐसी सड़कों में आसाम की पासी-बदरपुर सड़क और केरल, बम्बई तथा मैसूर-राज्यों की पश्चिमी तटवाली सड़कें उल्लेखनीय हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिसम्बर, १९५९ ई० तक २८० मील लम्बी सड़कों का निर्माण अथवा सुधार किया गया।

अन्तरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय सड़कों के विकास के लिए मई, १९५४ ई० में स्वीकृत विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली योजना की अवधि में १२५ मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण तथा वर्त्तमान ५०० मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १,००० मील लम्बी सड़कों का निर्माण तथा २,००० मील लम्बी सड़कों का सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत दूसरी योजना की अवधि में २१,००० मील लम्बी पक्की तथा २७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कों के निर्माण का लक्ष्य था।

बीस-वर्षीय योजना—सड़क-विकास के लिए एक नई दीर्घकालीन योजना विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक गाँव को सड़कों से मिला दिया जायगा। यदि यह लक्ष्य पूरा हो गया, तो प्रत्येक १०० वर्गमील क्षेत्र में औसतन ५२ मील लम्बी सड़कें बन जायेंगी। इस समय इतने क्षेत्र में कुल २८ मील लम्बी सड़कें हैं।

सड़क-परिवहन

मोटरगाड़ियाँ—३१ मार्च, १९४७ ई० को भारत में कुल २,११,९८९ मोटर-गाड़ियाँ थीं। ३१ मार्च, १९५८ को यह संख्या ४,९६,२७३ तक जा पहुँची। इनमें ५४,२८७ मोटर-साइकिलें, ३,४४१ ऑटो रिक्शा, २,०४,५५७ प्राइवेट कारें, १८,४९६ जीपें, ४१,१५९ सार्वजनिक गाड़ियाँ, १५,०९२ मोटर-टैक्सियाँ, १,३३,४७६ भारवाहक (ट्रक आदि) तथा २८,२२२ विविध गाड़ियाँ थीं।

प्रशासन—बहुत-से राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में यात्री-सड़क-परिवहन का राष्ट्रीयीकरण कर दिया गया है। इन परिवहन-सेवाओं की व्यवस्था अनुविहित सड़क-परिवहन-निगम, ज्वाइंट स्टॉक-कम्पनियाँ तथा राज्यीय विभाग करते हैं। किन्तु, माल-यातायात मुख्यत निजी संचालकों के हाथ में ही है।

अन्तरराज्यीय मार्गों पर सड़क-परिवहन के विकास, समन्वय तथा नियमन के लिए एक 'अन्तरराज्यीय परिवहन-आयोग' स्थापित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की परिवहन-सेवाओं तथा केन्द्रीय और राज्यीय परिवहन-नीतियों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने परिवहन-विकास-परिषद्, सड़क और अन्तर्देशीय जल-परिवहन सलाहकार-समिति तथा केन्द्रीय परिवहन-समन्वय-समिति स्थापित कर दी है। योजना-आयोग ने एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की है, जो यातायात के विभिन्न साधनों—विशेषकर सड़क और रेल-यातायात—के समन्वय से सम्बद्ध प्रश्नों की जाँच करेगी तथा सरकार को उसकी भावी नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगी। राज्यों में परिवहन-सम्बन्धी प्रशासन के पुनर्गठन पर परामर्श देने के लिए नियुक्त तदर्थ समिति की सिफारिशें राज्य-सरकारों के विचाराधीन हैं।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

देश में नौकानयन के योग्य जलमार्गों की लम्बाई लगभग ५,००० मील है। अधिक महत्त्वपूर्ण जलमार्गों में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा और उनकी नहरें, केरल के बाँध और नहरें, आन्ध्रप्रदेश और मद्रास की बकिंघम नहर, पश्चिमी तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी नहरें उल्लेखनीय हैं।

गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों में होनेवाले जल-परिवहन के विकास मे समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के पारस्परिक सहयोग से सन १९५२ ई० में गंगा-ब्रह्मपुत्र-जल-परिवहन-बोर्ड स्थापित किया गया था।

इस समय, १,५५७ मील लम्बी नदियों में यंत्र-चालित छोटी नौकाएँ तथा ३,५८७ मील लम्बे नदी-मार्गों में बड़ी नौकाएँ चल सकती हैं। गंगा-ब्रह्मपुत्र-बोर्ड गंगा के ऊपरी भाग में नौका चलाने की एक आजमाइशी परियोजना चला रहा है।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति ने एक केन्द्रीय तकनीकी संगठन और प्रशिक्षण-प्रतिष्ठान स्थापित करने, नदी-घाटी-परियोजनाओं में जहाजरानी की सुविधाएँ देने तथा मल्लाहों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है।

जहाजरानी

योजना-काल में प्रगति—सन् १६४७ ई० में जहाजरानी-नीति-समिति ने अगले पाँच-सात वर्षों में २० लाख टन के जहाज प्राप्त करने का लक्ष्य रखने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए भी सरकार ने यह अनुभव किया कि यह लक्ष्य धीरे-धीरे ही पूरा हो सकता है। जहाजरानी-कम्पनियों को अपने जहाजी बेड़ों का विस्तार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सन् १६५१ ई० में ऋण-रूप में उन्हें सहायता देने की एक योजना चलाई गई।

पहली पंचवर्षीय योजना से पूर्व देश में ३,६०,७०७ टन के जहाज थे, योजना के अन्त में यह क्षमता बढ़कर ६,००,७०७ टन हो गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में ६,०१,७०७ टन के जहाजों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था।

दिसम्बर, सन् १६५६ ई० के अन्त में भारत में ७·३६ लाख टन के १५७ जहाज थे, जिनमें २·७४ लाख टन के ८६ जहाज तटीय व्यापार में तथा ४·६५ लाख टन के ६८ जहाज विदेश-व्यापार में लगे थे। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना की समाप्ति तक ८०,८०० टन के जहाजों का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय जहाजरानी-बोर्ड—जहाजरानी के सम्बन्ध में नीति-विषयक बातों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय जहाजरानी-बोर्ड स्थापित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जहाजरानी-कम्पनियों को ऋणादि देने के लिए भी एक निधि बना दी गई है।

जहाजरानी-निगम—सन् १६५० ई० में १० करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी से ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड नामक एक जहाजरानी-निगम स्थापित किया गया था। अगस्त, सन् १६५६ ई० में सरकार ने इस निगम का प्रबन्ध सिंधिया-कम्पनी से अपने अधिकार में ले लिया। निगम के पास माल ढोने तथा यात्री-परिवहन के लिए इस समय १० जहाज हैं।

१० करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी से सन् १६५६ ई० में स्थापित वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के जहाज भारत-पोलैण्ड, भारत-ईरान की खाड़ी, भारत-लालसागर तथा भारत-रूस मार्ग पर चलेंगे। इसके अतिरिक्त, तीन तेल-वाहक जहाज भी प्राप्त किये गये हैं।

जहाज-निर्माण-कारखाना—सरकार ने मार्च, सन् १६५२ ई० में सिंधिया-कम्पनी से विशाखापत्तनम् शिपयार्ड खरीदकर उसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' को सौंप दिया। इसकी दो-तिहाई हिस्सा-पूँजी सरकार के हाथ में है। इस कारखाने में बना प्रथम जहाज मार्च, सन् १६४८ ई० में, पानी में उतारा गया। अबतक २३ समुद्री जहाजों तथा २ छोटे जहाजों का इस कारखाने में निर्माण किया जा चुका है, जिनका वजन १,११,६०० टन है। सन १६६०-६१ ई० तक ५ और जहाजों का निर्माण हो जाने की आशा है। कोलम्बो-योजना की प्राविधिक सहयोग-योजना के अन्तर्गत कोचीन में एक जहाज-निर्माण का कारखाना खोला जायगा।

प्रशिक्षण की व्यवस्था—सन् १६५६ ई० में प्रशिक्षणमूलक जहाज डफरिन में ५७ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद उन्हें विभिन्न जहाजों पर नियुक्त किया गया।

३,६६८ शिक्षार्थियों ने मार्च, सन् १६५६ ई० के अन्त तक बम्बई के नाविक तथा इंजीनियरी कॉलेज में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया। सन् १६५६ ई० में कलकत्ता के 'समुद्री इंजीनियरिंग कॉलेज' की छठी टुकड़ी के शिक्षार्थियों में ४६ शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

नाविकों को प्रशिक्षण देनेवाले मेखला, भद्रा तथा नवलक्ष्मी नामक जहाजों पर सितम्बर, सन् १६५६ ई० के अन्त तक ११,२४४ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बन्दरगाह

मुख्य बन्दरगाह—भारत में ६ मुख्य बन्दगाह हैं—कंडला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापत्तनम्। सन् १६५८-५६ ई० में इन बन्दरगाहों पर २·८८ करोड़ टन माल लादा और उतारा गया, जबकि सन् १६५७-५८ ई० में ३ १ करोड़ टन माल लादा और उतारा गया था।

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन अनुविहित बन्दरगाह-प्राधिकारियों के अधीन है तथा इन पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है। कंडला, कोचीन तथा विशाखापत्तनम् के बन्दरगाहों का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन है।

बन्दरगाहों में प्राप्त सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनको आधुनिक रूप देने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

छोटे बन्दरगाह—भारत के समुद्र-तट पर लगभग २२५ छोटे बन्दरगाह भी हैं, जहाँ प्रतिवर्ष लगभग ५० लाख टन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य-सरकारों पर है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन बन्दरगाहों का सुधार किया गया है। दूसरी योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्न सुधार-कार्यों के लिए ६ करोड़ रु० की व्यवस्था थी।

राष्ट्रीय बन्दरगाह-बोर्ड—बन्दरगाहों, विशेषकर छोटे बन्दरगाहों, के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए सन् १६५० ई० में राष्ट्रीय बन्दरगाह-बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें भारत-सरकार, समुद्रतटीय राज्यों, मुख्य बन्दरगाहों के अधिकारियों तथा व्यापार, उद्योग और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

असैनिक उड्डयन

सन् १६५६ ई० में भारतीय विमानों ने कुल मिलाकर लगभग ३·०२ करोड़ मील की उड़ान भरी, तथा ये ८·१४ लाख यात्रियों और लगभग १६·७६ करोड़ पौंड माल और डाक लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को गये।

विमान-निगम—इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास १० जनवरी, १६६० को १० वाइकाउंट, ५ स्काई मास्टर, ७ हेरोन तथा ५७ डकोटा विमान थे। इसके विमान देश के मुख्य नगरों के बीच उड़ान करते हैं। सन् १६५८-५६ ई० में निगम के विमानों से ६,५३,४६४ व्यक्तियों ने १,६५,२४,५२१ मील की उड़ान की।

एयरइंडिया इंटरनेशनल के पास ६ सुपर कान्स्टेलेशन विमान हैं। इसके विमान १६ देशों को आते-जाते हैं। सन् १६५८-५६ ई० में इसके विमानों से ८३,८६८ व्यक्तियों ने ७१,१०,००० मील की उड़ान की।

प्रशिक्षण—असैनिक उड्डयन-विभाग के इलाहाबाद-स्थित प्रशिक्षण-केन्द्र में उड्डयन-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सन् १६५६ ई० में इस केन्द्र मे २६६ शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये गये तथा नवम्बर के अन्त में १४० शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

उड्डयन-क्लब—भारत में १६ सहायता-प्राप्त उड्डयन-क्लब, ३ सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र तथा दो सरकारी साहायता-प्राप्त ग्लाइडिंग क्लब हैं। सन् १६५६ ई० में नवम्बर मास तक, इन उड्डयन-क्लबों में १६४ विमान-चालकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा १ दिसम्बर, १६५६ को ६६६ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

हवाई अड्डे—भारत-सरकार के असैनिक उड्डयन-विभाग के नियंत्रण और संचालन में ८५ हवाई अड्डे हैं। इनमें से कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) तथा बम्बई (सान्ताक्रुज) के हवाई अड्डे, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

हल्दवानी (उत्तरप्रदेश), तुलीहाल (मणीपुर), रक्सौल और जोगवनी (बिहार) तथा बेहला (पश्चिम बंगाल) में ५ नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है।

वायु-परिवहन-समझौते—अफगानिस्तान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इटली, इराक, जापान, नीदरलैण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन, ब्रिटेन, मिस्र, रूस, लेबनान, श्रीलंका, स्याम, स्विट्जरलैंड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन-समझौते हुए हैं।

पर्यटन

प्रशासन—सन् १६४६ ई० में परिवहन-मंत्रालय के अधीन एक पर्यटन-शाखा स्थापित की गई थी। उसके बाद अबतक कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास जैसे प्रसिद्ध नगरों में प्रादेशिक पर्यटन-कार्यालय और आगरा, औरंगाबाद, कोचीन, जयपुर, दार्जिलिंग, बंगलोर, भोपाल तथा वाराणसी में पर्यटन-सूचना-कार्यालय खोले जा चुके हैं। कोलम्बो, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, न्यूयार्क, मेलबोर्न तथा लंदन में भी भारत-सरकार के पर्यटन-कार्यालय हैं।

परिवहन तथा संचार-मंत्रालय में अलग से एक पर्यटन-विभाग स्थापित कर दिया गया है। सरकार को पर्यटन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक पर्यटन-विकास परिषद् विद्यमान है, जिसमें जन-प्रतिनिधि तथा यात्रा-व्यवसायियों और राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रादेशिक सलाहकार-समितियाँ भी हैं।

देश में पर्यटकों के आगमन को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने तथा विदेशी मुद्रा के इस स्रोत से पूरा-पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति विद्यमान है, जिसमें सम्बद्ध विभागों के सचिव तथा अध्यक्ष हैं। इस समिति के अध्यक्ष मंत्रिमंडल के सचिव हैं।

होटल—भारत में होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९५७ ई० में एक होटल-मानक तथा दर-निर्धारण-समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

पर्यटन-सम्बन्धी नियमों में छूट—पर्यटन-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुलिस, पंजीयन, मुद्रा, विनिमय-नियन्त्रण, चुंगी आदि से सम्बद्ध नियम कुछ शिथिल कर दिये गये हैं। देशाटन को बढावा देने के लिए रेलवे भी रियायती दरों पर टिकट जारी करती है। विद्यार्थियों, यात्रियों तथा ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी स्थानों को पानेवाले पर्यटकों को भी विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। इस समय देश में सरकार द्वारा स्वीकृत २५ यात्रा-संस्थाएँ, १६ शिकार-संस्थाएँ तथा ५ मान्यता-प्राप्त पर्यटन-एजेण्ट हैं।

जानकारी—पर्यटन-सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अँगरेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन तथा भारतीय भाषाओं में पथ-पदर्शक कार्ड आदि प्रकाशित किये जा रहे हैं तथा देश-विदेश में इनका वितरण किया जाता है। पर्यटकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से अँगरेजी में एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विदेशों मे प्रदर्शनार्थ पर्यटन-सम्बन्धी फिल्में भी बनाई जाती हैं।

पर्यटकों की संख्या—भारत आनेवाले पर्यटकों की संख्या में दिनानुदिन वृद्धि हो रही है। सन् १९५१ ई० में लगभग २०,००० पर्यटक भारत आये थे। अनुमान है कि सन् १९५९ ई० में पाकिस्तानी पर्यटकों को छोड़कर १,०९,४६४ पर्यटक भारत आये।

पर्यटकों से आय—सन् १९५६ ई० में पर्यटकों से लगभग १५·५ करोड़ रु० की आय हुई थी। सन् १९५७ ई० तथा १९५८ ई० में भी क्रमशः १६ करोड़ और १७·५ करोड़ रु० की आय होने का अनुमान है।

संचार-साधन

३१ मार्च, १९५९ ई० को डाक और तार-विभाग में कर्मचारियों की संख्या ३,३६,१४५ तथा पूँजीगत व्यय की रकम १२१ करोड़ रु० थी। १ अप्रैल, १९५९ ई० को इस विभाग के पास संगृहीत बचत के रूप में २७·१३ करोड़ रु० था।

डाक और तार की प्रशासन-व्यवस्था डाक और तार-बोर्ड में निहित है, जिसका पुनर्गठन हाल ही में किया गया है।

डाक-व्यवस्था

सन् १९५८-५९ ई० में डाक और तार-विभाग द्वारा डाक की ३५९·३ करोड़ वस्तुएँ लाई और ले जाई गईं, जिससे ३५·८७ करोड़ रु० की आय हुई। पिछले वर्ष यह आय ३४·८८ करोड़ रु० हुई थी।

सन् १९५८-५९ ई० में देश में कुल ६४,६६३ डाकघर थे, जिनमें से ७,१४६ नगरों में तथा ५७,८४७ गाँवों में थे। ३१ मार्च, १९५९ को नगरों तथा गाँवों में क्रमशः ३३,२७५ और ६७,१७६ लेटर-बक्स थे।

१ अप्रैल, १९५९ ई० तथा ३१ दिसम्बर, १९५९ ई० के बीच २,७१६ नये डाकघर खोले गये।

नगरों में चलते-फिरते डाकघर—कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास में चलते-फिरते डाकघरों की व्यवस्था है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद, ये चलते-फिरते डाकघर निर्धारित समय पर नगर के विभिन्न स्थानों का चक्कर लगाते हैं। इन डाकघरों में मनीआर्डर अथवा बचत बैंक का काम नहीं होता।

हवाई डाक—कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास जैसे मुख्य नगरों में रात को हवाई जहाज से डाक लाने-ले जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, देश के अन्दर सब पत्रादि तथा मनीआर्डर सामान्यतः हवाई जहाज से, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहुँचाये जाते हैं।

भारत तथा अदन, अफगानिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, अस्ट्रेलिया, इटली, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इराक, ईरान, कनाडा, घाना, जेकोस्लोवाकिया, चीनी लोक-गणराज्य, जंजीबार, जर्मनी (लोकतंत्रात्मक गणराज्य), जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, डेनमार्क, रोडेशिया और न्यासालैंड-संघ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पूर्व अफ्रिका (केनिया, टैंगानिका और युगांडा), फ्रांस, फिजी, बर्मा, ब्रिटेन, बेल्जियम, बेहरीन, मलय, मारिशस, मिस्र, रूस, श्रीलंका, स्याम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सूडान, हांगकांग तथा हालैंड के बीच सीधे हवाई जहाज द्वारा पार्सल लाने-ले जाने की व्यवस्था है।

डाकघर-बचत (पोस्टल सेविंग्स)-बैंक—देश के अधिकांश डाकघरों में बचत का धन जमा कराने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बचत-बैंक में एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक १५,००० रु० तक जमा करा सकता है तथा संयुक्त खाते में ३०,००० रु० तक जमा कराया जा सकता है। व्यक्तिगत तथा संयुक्त खाते में जमा क्रमशः १०,००० रु० और २०,००० रु० तक की रकम पर प्रतिवर्ष २½ प्रतिशत तथा इससे आगे की रकम पर प्रतिवर्ष २ प्रतिशत व्याज मिलता है।

सेविंग्स बैंक का काम करनेवाले सभी डाकघरों से सप्ताह में दो बार रुपया (अधिक-से-अधिक १,००० रु०) निकाला जा सकता है। सन् १९५८ ई० से चेक द्वारा रुपया जमा कराने अथवा निकालने की प्रणाली भी चालू कर दी गई है।

डाक-जीवन-बीमा—सन् १९५८-५९ में डाक और तार-विभाग के असैनिक डाक बीमा-विभाग से १·३४ करोड़ रु० मूल्य की ६,५३५ पॉलिसियाँ जारी की गईं। इस अवधि में सैनिक डाक-बीमा-विभाग ने ३२ लाख रु० मूल्य की ४३४ पॉलिसियाँ जारी कीं। अबतक असैनिक डाक-बीमा-विभाग २९·११ करोड़ रु० मूल्य की कुल १,३९,२११ बीमा-पॉलिसियाँ तथा सैनिक डाक-बीमा-विभाग ५·७४ करोड़ रु० मूल्य की कुल ८,७२५ बीमा-पॉलिसियाँ जारी कर चुका है।

सन् १९५८-५९ में असैनिक डाक-बीमा-विभाग को तथा सैनिक डाक-बीमा-विभाग को प्रीमियम से क्रमशः १,२३,६७,००० रु० और २७,५५,००० रु० की आय हुई, तथा इन विभागों ने क्रमश १३,१३,००० और ४५,००० रु० व्यय किया।

तार-व्यवस्था

सन् १६५८-५६ ई० में देश में लाइसेंस-शुदा तारघर-समेत कुल १०,७४६ तारघर थे। इस वर्ष इन तारघरों के द्वारा ३·४३ करोड़ तार भेजे गये, ८·२६ करोड़ रु० की आय हुई।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार-व्यवस्था—हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था पहले-पहल १ जून, १६४६ ई० को आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गया, जबलपुर, नागपुर, पटना, लखनऊ तथा वाराणसी में आरम्भ की गई थी। इस समय देश में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था लगभग १,४०० तारघरों (५० रेल-तारघर-सहित) में है। ११ स्थानों में हिन्दी की मोर्स-प्रणाली का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है तथा अबतक २,४०० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

तार किसी भी भारतीय भाषा में देवनागरी लिपि में भेजे जा सकते हैं।

हिन्दी-तारों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है। सन् १६५०-५१ ई० में जहाँ हिन्दी में कुल ५,७८४ तार भेजे गये थे, वहाँ सन् १६५८-५६ ई० में १,०६,४४५ तार भेजे गये।

डाक-तार-विभाग

	१६४७	१६५१	१६५३	१६६०
डाकखानों की संख्या	२२,११६	३६,०६४	५०,०४२	७०,४६७
डाक से भेजी गई चीजें (लाख में)	१६,८४०	२२,७००	२६,६७०	३७,५००
तार-घरों की संख्या	३,२३०	२,५६२	५,०५७	६,२००
तारों की संख्या (लाख में)	२७०	२७६	३३५	३६०
टेलीफोन-एक्सचेंज	२७८	४६४	८११	१,२५०
सार्वजनिक टेलीफोन-घर	२६०	३३८	१,२५४	२,०५०
टेलीफोनों की संख्या	१,१४,६६२	१,६८,०००	२,७८,०००	४,२५,०००
ट्रंककॉलों की संख्या (लाख में)	४४	७१	१८६	२६०
जमा-पूंजी (करोड़ रुपये में)	३२	४६·६	८६	१३२

पहली योजना में २ हजार की आबादी के सब गाँवों में डाकखाने खोले गये। इसके बाद छोटे-छोटे गाँव को मिलाकर २ हजार जन-संख्या पर एक के हिसाब से डाकखाने खोले गये। पिछले १० साल में जो ३५ हजार डाकखाने खोले गये, उनमें अधिकांश देहातों में हैं।

इस समय बहुत दूर के ४,५८० गाँवों को छोड़कर शेष ६२ लाख गाँवों में डाक बाँटने का प्रबन्ध है।

पिछले १२ वर्षों में देश में टेलीफोनों की संख्या चौगुनी हो गई है। देश के ६४ प्रतिशत टेलीफोन स्वचालित एक्सचेंजों से जुड़े हैं।

डाक-तार-विभाग में पूरे समय काम करनेवाले २½ लाख व्यक्ति हैं। इसके सिवा अविभागीय कर्मचारियों की संख्या १ लाख, २० हजार है। हर साल विभागीय कर्मचारियों की संख्या ७-८ हजार बढ़ रही है।

टेलीफोन-व्यवस्था

सन् १९५८-५९ ई० में देश में ३,७८,००० टेलीफोन तथा ६,७१४ टेलीफोन-केन्द्र (एक्सचेंज) थे। इस वर्ष टेलीफोन से २० करोड़ रु० की आय हुई। पिछले वर्ष की यह आय कुल १८·४ करोड़ रु० तथा टेलीफोनों की संख्या ३,३५,००० थी।

टेलीफोन-उद्योग—सन १९५८-५९ ई० में बंगलोर के टेलीफोन-कारखाने ने ८४,३०० टेलीफोन, ४१,२०० स्वचालित एक्सचेंज लाइनें तथा ३३२ छोटे एक्सचेंज बनाने के अतिरिक्त, अनेक प्रकार के छोटे-मोटे पुर्जों का भी निर्माण किया।

समुद्रपारीय संचार-व्यवस्था

१ जनवरी, १९४७ ई० को राष्ट्रीयीकृत समुद्रपारीय संचार-सेवा के अन्तर्गत, अब प्रत्यक्ष रेडियो-सेवा की व्यवस्था हो गई है, जिसके द्वारा भारत तथा विदेशों के बीच सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं। गत ८ वर्षों में २·१६ करोड़ तार, १,७०,३०० रेडियो-टेलीफोन-कॉल तथा १,९६३ रेडियो-चित्र भेजे अथवा प्राप्त किये गये।

रेडियो-टेलीफोन-व्यवस्था—इन देशों के साथ भारत के प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन सम्बन्ध हैं—अदन, अस्ट्रेलिया, इटली, इंडोनेशिया, इथियोपिया, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पूर्व अफ्रिका, पोलैंड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, मलय, मिस्र, वियतनाम (दक्षिण), सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड रूस तथा हांगकांग।

भारत तथा निम्नलिखित देशों के बीच लन्दन के मार्ग से रेडियो-टेलीफोन-सेवाएँ उपलब्ध हैं—अमेरिका, अर्जेंटाइना, अल्जीरिया, आइसलैंड, आयरिश-गणराज्य, आस्ट्रिया, इजराइल, क्यूबा, कनाडा, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, जेकोस्लोवाकिया, जिब्राल्टर, ट्युनीशिया, टैंजियर, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका, न्यूफाउण्डलैंड, नार्वे, निकारागुआ, नीदरलैंड, पनामा, फिनलैंड, बरमूडा, बारबडोस, ब्राजील, बेल्जियम, मैक्सिको, मोरक्को, यूनान, रोडेशिया, लग्जमबर्ग, लेबनान, वेटिकन नगर, स्पेन, स्यूटा, स्वीडन, सूडान, हंगरी, हवाई तथा होण्डुरास।

इनके अतिरिक्त, काहिरा के मार्ग से सूडान, अस्ट्रेलिया के मार्ग से न्यूजीलैंड, इथियोपिया के मार्ग से अस्मारा, बर्न के मार्ग से युगोस्लाविया और बेहरीन के मार्ग से कुवैत, दोहा तथा मुस्कत और भारत के बीच भी रेडियो-टेलीफोन-सेवाएँ उपलब्ध हैं।

रेडियो-टेलीग्राफ-व्यवस्था—भारत और अफगानिस्तान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इटली, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पोलैंड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, मिस्र, युगोस्लाविया, रूमानिया, वियतनाम (उत्तर), वियतनाम (दक्षिण), स्याम, स्विट्जरलैंड तथा रूस के बीच रेडियो-टेलीग्राफ सेवाओं की व्यवस्था है।

रेडियो-फोटो-व्यवस्था—भारत और अमेरिका, इटली, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो-सेवा की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, भारत से लन्दन के रास्ते अस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, जेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम, मिस्र, युगोस्लाविया तथा स्विट्जरलैंड को भी फोटो भेजने की व्यवस्था है।

★

आकाशवाणी

देश के लगभग समस्त महत्त्वपूर्ण भाषा-क्षेत्रों में इस समय कुल मिलाकर २८ आकाशवाणी (रेडियो)-केन्द्र हैं। सन् १९४७ ई० में इनकी संख्या केवल ६ थी। इनका वर्गीकरण निम्न-लिखित ४ प्रदेशों में किया गया है—

उत्तर ... दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालंधर, जयपुर-अजमेर, शिमला, भोपाल, इंदौर तथा राँची।

पश्चिम ... बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद-बड़ौदा, पूना तथा राजकोट।

दक्षिण ... मद्रास, तिरुचिरापल्लि, विजयवाड़ा, त्रिवेन्द्रम्, कोझिकोड, हैदराबाद, बंगलोर तथा धारवाड़।

पूर्व .. कलकत्ता, कटक तथा गौहाटी।

इनके अतिरिक्त, रेडियो-कश्मीर के भी दो केन्द्र श्रीनगर तथा जम्मू में हैं। ३१ मार्च, १९५९ ई० को देश में ३२ रेडियो-केन्द्र, ५६ ट्रांसमीटर तथा २८ रिसीविंग-केन्द्र थे।

कार्यक्रम-रचना—आकाशवाणी के लगभग आधे कार्यक्रम संगीत के लिए नियत हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में वार्त्ताओं, रूपकों, वाद-विवाद आदि के अन्तर्गत अनेक विषय आ जाते हैं। प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय वार्त्ता-कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध विद्वान् कला, विज्ञान तथा साहित्य-सम्बन्धी वार्त्ताएँ प्रसारित करते हैं।

विविध भारती—अक्तूबर, १९५९ ई० में इस अखिलभारतीय पंचरंगी कार्यक्रम ने तीसरे वर्ष में प्रवेश किया। यह कार्यक्रम शनिवार को ९½ घंटे, रविवार और अन्य प्रमुख पर्वों के दिन १०½ घंटे तथा सप्ताह के शेष दिन ८ घंटे प्रसारित किया जाता है। २ मई, १९५९ से दिल्ली और मद्रास से हर शनिवार को रात ९½ से ११ बजे तक राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के स्थान पर एक विशेष कार्यक्रम उन लोगों के लिए प्रसारित किया जाता है, जिन्हें शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी नहीं है।

विशेष श्रोताओं के लिए कार्यक्रम—ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रमों में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं पर विभिन्न माध्यमों से प्रकाश डाला जाता है। कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता-सम्बन्धी कार्यक्रम देश की समस्त प्रमुख भाषाओं तथा ४८ बोलियों में प्रसारित किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अन्तर्गत, मार्च १९६० ई० के अन्त तक विभिन्न राज्य-सरकारों को ५८,००० सामुदायिक रेडियो-सेट दिये गये, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जायेंगे।

आकाशवाणी-किसान-मंडलों का कार्य आरम्भ हो गया है। इन मंडलों में प्रसारकों तथा श्रोताओं के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। ये मंडल गाँवों में संगठित किये जाते हैं, जो साप्ताहिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचार-विमर्श करके आकाशवाणी-केन्द्र को अपने सुझाव देते हैं। नवम्बर, १९५९ ई० के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में ऐसे करीब ८५० किसान-मंडल स्थापित हो चुके थे।

इस समय २१ केन्द्रों से स्कूलों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। ४ अन्य केन्द्रों से भी ये कार्यक्रम प्रसारित करने की व्यवस्था की जा रही है। ३० सितम्बर, १९५९ को देश के १४,६६२ स्कूलों में रेडियो-सेट लगे हुए थे।

आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से महिलाओं तथा बच्चों के विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं।

औद्योगिक मजदूरों के लिए अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, कोभिकोड, दिल्ली, बम्बई, बंगलोर, मद्रास, लखनऊ, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम् से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। गौहाटी से आसाम के चाय-बगान-मजदूरों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

सशस्त्र सेनाओं के लिए जम्मू, दिल्ली तथा श्रीनगर से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

पंचवर्षीय योजना का प्रचार—इस कार्यक्रम में श्रोताओं को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए, अपनी सहायता स्वयं करने की प्रेरणा दी जाती है। 'योजना में सहयोग कीजिए' विषय पर लोकप्रिय धुनों में विशेष गीतों की रचना करके उन्हें ग्रामीण कार्यक्रमों में भी प्रसारित किया जाता है।

सन् १९५९ ई० में, विभिन्न भाषाओं में २,४३७ वार्त्ताएँ, ८३९ संवाद, २९१ भेंटें, ९५ कविताएँ, ५५ विचार-गोष्ठियाँ, ७६ नाटक और प्रहसन, ८३३ रूपक तथा ७२४ वाद-विवाद प्रसारित किये गये।

स्वरांकन कार्यक्रम (ट्रांसक्रिप्शन सर्विस)—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के पास लोक-संगीत तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञों के रिकार्डों का भी एक संग्रह है, जिसमें संगीत की विभिन्न शैलियाँ तथा विभिन्न देशों के संगीत संगृहीत हैं।

सलाहकार-समितियाँ—केन्द्रीय कार्यक्रम-सलाहकार-समिति आकाशवाणी को कार्यक्रम तैयार तथा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परामर्श देती है। आकाशवाणी की संगीत-नीति निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय संगीत-सलाहकार-बोर्ड है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न तरीकों से जनमत-संग्रह करके उसके अनुरूप ही कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है।

कार्यक्रम-पत्रिकाएँ—आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के कार्यक्रम इन पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाते हैं—आकाशवाणी (अँगरेजी), सारंग (हिन्दी), नभोवाणी (गुजराती), वाणी (तेलुगु), वानोली (तमिल), बेतार जगत (बँगला) तथा आवाज (उर्दू)। 'आकाशवाणी' साप्ताहिक है तथा शेष पत्रिकाएँ पाक्षिक।

समाचार-कार्यक्रम—अकाशवाणी से प्रतिदिन अँगरेजी तथा हिन्दी में चार बार; असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी और मलयालम में तीन बार; कश्मीरी और डोंगरी में दो बार, तथा गोरखाली में एक बार समाचार प्रसारित किये जाते हैं। सेनाओं के लिए भी हिन्दी में प्रतिदिन एक बार समाचार प्रसारित किये जाते हैं। उर्दू, कश्मीरी तथा बँगला में प्रतिदिन समाचार-टिप्पणियाँ भी प्रसारित की जाती हैं।

प्रतिदिन ७६ समाचार-बुलेटिनें—देशीय कार्यक्रमों में ४६ वार तथा विदेशों के लिए कार्यक्रमों में ३० वार प्रसारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न, केन्द्रों से प्रादेशिक समाचार भी प्रसारित किये जाते हैं। आकाशवाणी से समाचार-दर्शन के कार्यक्रम प्रति सप्ताह अँगरेजी में दो वार तथा हिन्दी में एक वार प्रसारित किये जाते हैं।

विदेशों के लिए कार्यक्रम—अफ्रीका, अस्ट्रेलिया तथा यूरोप के भारतीय और विदेशी श्रोताओं के लिए प्रतिदिन १६ भाषाओं में २२ घण्टे से अधिक के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विदेशों मे भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए हिन्दी, तमिल, गुजराती और कोंकणी में तथा अभारतीय श्रोताओं के लिए १२ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

रेडियो-सेटों की संख्या—३० सितम्बर, १९५९ ई० को देश में कुल १७,२४,०१६ रेडियो-सेट थे।

रेडियो-सेटों का उत्पादन—सन् १९५९ ई० में मई तक ५६,६७८ रेडियो-सेट तैयार किये गये।

टेलीविजन—प्रयोगात्मक टेलीविजन का उद्घाटन १५ सितम्बर, १९५९ ई० को नई दिल्ली में हुआ। अभी हर मंगलवार और शुक्रवार को एक-एक घंटे का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, जिसे दिल्ली से १२ मील की परिधि में देखा जा सकता है।

देश के स्वाधीन होने के पूर्व केवल ८ भाषाओं में रेडियो द्वारा वार्त्ता प्रसारित की जाती थी। इस समय १६ भाषाओं में वार्त्ता प्रसारित की जाती है। सन् १९४७ ई० से पूर्व भारत के आदिवासियों की भाषा में वार्त्ता प्रसारित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय आदिवासियों की २६ भाषाओं में प्रचार-कार्य चलाये जाते हैं। १६ भारतीय भाषाओं में कुल ४७ वार और १६ विदेशी भाषाओं में कुल ३० वार प्रतिदिन समाचार प्रसारित किये जाते हैं। केवल समाचार प्रसारित करने के लिए प्रतिदिन भारतीय भाषाओं मे ६ घंटा ३६ मिनट और विदेशी भाषाओं में ४ घंटा २४ मिनट समय नियोजित किया जाता है। पहले सारे भारत के ६ रेडियो-स्टेशनों में साल में कुल २६ हजार से २७ हजार घंटों तक प्रचार कार्य होते थे। इस समय प्रचार घंटों की संख्या बढ़कर १ लाख ६ हजार हो गई है।

प्रत्येक केन्द्र को एकाधिक भाषा में अपना कार्यक्रम प्रसारित करना पड़ता है। दिल्ली केन्द्र से ५ भाषाओं में, बम्बई से ८ भाषाओं में, और कलकत्ता से ४ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

कलकत्ता के इडेन-गार्डेन में अवस्थित रेडियो-स्टेशन एशिया तथा पूर्वाञ्चल के देशों में सबसे बड़ा केन्द्र है। आधुनिक प्रणाली से निर्मित इसमें १४ स्टूडियो हैं।

आकाशवाणी में देश के नेताओं के रेकर्ड पर दिये गये भाषण संगृहीत किये जाते हैं। भावी नागरिकों की सुविधा के लिए महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार वल्लभभाई पटेल, सी० एफ० ऐण्ड्रूज, सरोजिनी नायडू तथा अन्यान्य नेताओं के भाषण एवं संदेश इस संग्रह में सुरक्षित हैं।

★

विभिन्न राजनीतिक दल

इण्डियन नेशनल कॉंगरेस

कॉंगरेस की स्थापना सन् १८८५ ई० में अवसर-प्राप्त अँगरेज सिविलियन एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा हुई थी। आरम्भ में इसकी नीति शासकों से आवेदन-निवेदन द्वारा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति थी। सन् १९०६ ई० में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वराज्य घोषित किया था। सन् १९०७ ई० में कॉंगरेस के अंदर दो दल हो गये—गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक थे, जो अपने दल के साथ इस संस्था से अलग हो गये। यह दल आवेदन-निवेदन की नीति में विश्वास नहीं करता था। लोकमान्य तिलक ने यह घोषणा की कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' सन् १९२० ई० में कोंगरेस का नेतृत्व महात्मा गाधी ने ग्रहण किया और असहयोग-आन्दोलन का प्रवर्त्तन किया गया। इस आन्दोलन के द्वारा कॉंगरेस का संदेश गॉव-गॉंव में पहुँच गया। सन् १९२९ ई० में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए कॉंगरेस का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति घोषित किया। सन् १९३० ई० में सत्याग्रह-आन्दोलन सारे देश मे चलाया गया। सन् १९४२ ई० में महात्मा गाधी ने 'अँगरेज भारत छोड़ दें'—आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन ने सारे देश में क्रान्ति की लहर पैदा कर दी। इस आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि अँगरेज-शासकों ने १९४७ ई० के १५ अगस्त को शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी और देश स्वाधीन हुआ।

इस समय कॉंगरेस के आदर्श, नीति एवं उद्देश्य में बहुत कुछ परिवर्त्तन हो गया है। इसका वर्त्तमान उद्देश्य भारतवासियों की उन्नति और कल्याण करना तथा भारत में शान्तिपूर्ण एवं वैध उपायों से सहकारिता के आधार पर समाजवादी प्रजातान्त्रिक राज्य कायम करना है। यह राज्य सब लोगों के लिए समान अवसर तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की समानता पर आधारित होगा। इसका लक्ष्य होगा, विश्वशान्ति एवं बन्धुत्व।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए इस बात पर ध्यान रखकर आयोजन करना है कि समाजवादी ढाँचे का समाज कायम हो सके। इस प्रकार के समाज में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व या नियंत्रण और राष्ट्रीय धन का न्यायोचित वितरण होगा। उद्योग, वाणिज्य एवं कृषि का संगठन सहकारिता के आधार पर होगा। उद्योग के प्रबन्ध में काम करनेवालों की साझेदारी होगी। पिछड़े हुए इलाकों के विकास के लिए विशेष रूप से सहायता की जायगी। १५ वर्षों के अन्दर प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय दुगुनी हो जाने का अनुमान है। कॉंगरेस धर्म-निरपेक्ष-राज्य में विश्वास करती है। यह चाहती है कि सब नागरिकों जनता को परस्पर हो तथा धर्म, जाति, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर जो भेद-भाव को समान अधिकार प्राप्त विभक्त करते हैं, उनका निवारण हो। जोत-जमीन की हदबंदी हो, सहकारिता के आधार पर खेती की जाय और स्थानीय प्रशासन ग्राम-पंचायतों के द्वारा हो। भारत की

पर-राष्ट्र-नीति स्वतन्त्र हो तथा सब देशो के साथ मैत्री-सम्बन्ध रहे। भारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध पंचशील के सिद्धान्त पर अवलम्बित हो। भारत शक्तिशाली राष्ट्रों के गुट के साथ अपने को पंक्तिबद्ध नहीं करे और न दूसरी जातियों के युद्धों में भाग ले।

इस समय काँगरेस के अध्यक्ष श्रीसंजीव रेड्डी तथा महामंत्री सर्वश्री सादिक अली, राजगोपालन और कुमारी आभा माइती हैं। काँगरेस-संगठन के अन्दर कार्य-समिति, अखिल-भारतीय काँगरेस कमिटी, प्रदेश काँगरेस कमिटियाँ, जिला काँगरेस कमिटियाँ और मण्डल-काँगरेस कमिटियाँ हैं।

प्रादेशिक स्तर की काँगरेस-कमिटियों की संख्या १७ है—आन्ध्र, आसाम, बिहार, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड, उत्तरप्रदेश, उत्कल, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्यप्रदेश और हिमाचल-प्रदेश।

मण्डल काँगरेस-कमिटियों की कुल संख्या लगभग १८ हजार है। काँगरेस के जो प्राथमिक सदस्य बनते हैं, वे ही मण्डल की आम-सभा के सदस्य होते हैं।

सदस्य दो प्रकार के होते हैं—साधारण सदस्य और सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य के लिए किसी-न-किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करना आवश्यक है।

काँगरेस का एक केन्द्रीय पार्लमेण्टरी बोर्ड है, जो दल के संसदीय कार्यों की देख-रेख करता है और उनपर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय अनुशासन-सम्बन्धी काररवाई करने के लिए भी एक केन्द्रीय कमिटी है।

लोक-सभा में काँगरेस-दल के सदस्यों की संख्या ३७३ और राज्य-सभा में १८० (आनुमानिक) है। राज्य-विधान-मण्डलों में काँगरेस-दल के सदस्यों की कुल संख्या २,१०५ है। संसद् में काँगरेस-दल के नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी

वर्त्तमान रूप में इस दल का संगठन सन् १९३४ ई० में हुआ था। पहले इस दल के सदस्य काँगरेस के भी सदस्य हुआ करते थे, परन्तु गत द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इस दल ने स्वातन्त्र्य-संग्राम में भाग न लेकर काँगरेस-नीति के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की सहायता की, जिसके कारण इस दल के सदस्य काँगरेस से हटा दिये गये। अन्तरराष्ट्रीय विषयों में रूस की जो नीति होती है, उसके अनुसार ही कम्युनिस्ट पार्टी अपनी नीति निर्धारित करती है, न कि भारतीय परिस्थितियों पर ध्यान रखकर। यह दल रूस से पथ-प्रदर्शन एवं अनुप्रेरणा ग्रहण करता है और कट्टरपंथी अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट भावधारा का अनुसरण करती है। कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है—साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए श्रमिकों और किसानों को संगठित करना और श्रमिक-दल के नेतृत्व में गणतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना, जिससे सर्वहारा वर्ग या अधिनायक-तंत्र चरितार्थ हो सके, और मार्क्स तथा लेनिन के उपदेशों के अनुसार समाजवादी समाज का गठन करना। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९५७ ई० में भारत के एक राज्य केरल में इस दल की सरकार बनी। लगभग ढाई वर्षों के शासन के बाद वहाँ जन-विक्षोभ एवं आन्तरिक उपद्रव आरम्भ हुए और अन्ततः राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा।

लोक-सभा मे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या ३१ (इसमें एक स्वतंत्र भी सम्मिलित है) और राज्य-सभा में १२ हैं। लोक-सभा में यह दल विपक्षी दल के रूप में काम करता है, जिसके नेता श्रीअमृतपाद डोगे हैं। राज्य-विधान-सभाओं में कम्युनिस्ट-सदस्यों की संख्या लगभग २१० है।

कम्युनिस्ट पार्टी के वर्तमान महामन्त्री श्रीअजय घोष हैं। भारत-चीन-सीमान्त-विवाद के सम्बन्ध में इस दल की नीति सन्दिग्ध है। यह चीन को भारत के सम्बन्ध में एक आक्रामक के रूप में स्वीकार नहीं करता।

स्वतन्त्र-दल

सन् १६५६ ई० के १ और २ अगस्त को स्वतंत्र-दल की स्थापना के लिए बम्बई मे एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें विधिवत् दल की स्थापना की गई और इसके सिद्धान्त स्वीकृत हुए।

दल का प्रथम अखिलभारतीय सम्मेलन १६ मार्च, १६६० ई० को पटना में किया गया। इस सम्मेलन में ही दल का संविधान स्वीकृत हुआ। इसके सिद्धान्तों के विवरण में इसकी मूलभूत नीति का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया गया है —

धर्म, जाति, पेशा या राजनीतिक लगाव का विचार न करके सब लोगों को सामाजिक न्याय एवं समान सुयोग प्राप्त होने चाहिए।

दल यह विश्वास करता है कि जनता की उन्नति, कल्याण एवं सुख व्यक्तिगत उपक्रम, उद्यम एवं कर्मशक्ति पर निर्भर करते हैं। दल इस सिद्धान्त को मानता है कि व्यक्ति को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य द्वारा कम-से-कम हस्तक्षेप होना चाहिए। समाज-विरोधी कार्यों का प्रतिषेध करना, ऐसे कार्य करनेवालों को दण्ड देना और ऐसी अवस्थाओं की सृष्टि करना, जिनमें व्यक्तिगत उपक्रम फले-फूले और सफल हो। अपने इन दायित्वों का पालन करने के लिए राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। इस समय राज्य का हस्तक्षेप जिस प्रकार क्रमशः बढ़ रहा है, उसका यह दल विरोध करता है।

दल का यह विश्वास है कि दूसरों की सेवा द्वारा व्यक्तियों में नैतिक दायित्व संतोष एवं सिद्धि की भावना का जो बोध होता है, और जो हमारे देश की परंपरा में अन्तर्निहित है, उसे राज्य उत्साहित करे और उसका उपयोग करे, न कि कानून द्वारा इसके लिए लोगों को विवश किया जाय। कानून द्वारा विवश करने का अर्थ होता है—जनता में विश्वास का अभाव और इसकी अन्तिम परिणति होती है बहुमत द्वारा निर्वाचित एक राजनीतिक दल द्वारा नियंत्रित सर्वशक्तिमान् राज्य में शासकीय यंत्र के नीचे शासित की दासता। इसलिए, यह दल गांधी द्वारा निरूपित ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त में अपनी आस्था प्रकट करता है।

इस दल के सभापति प्रो० एन० जी० रंगा और उपसभापति श्री के० एम० मुंशी तथा श्रीकामाख्यानारायण सिंह हैं। श्री एम० आर० मसानी इसके महामंत्री हैं। श्रीचक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी इस दल के प्रमुख नेता हैं।

द्रविड मुन्नेत्र कजगम

दक्षिण-भारत (तमिलनाड) की यह एक पार्टी है, जो ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध है तथा द्रविडनाड के नाम से एक सार्वभौम स्वतंत्र समाजवादी प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। इस स्वतंत्र द्रविडनाड प्रजातंत्र राज्य के अन्तर्गत तमिलनाड,

आंध्र, कर्णाटक और केरल—ये चार विभिन्न भाषा-भाषी राज्य होंगे। द्रविडनाड प्रजातंत्र-संघ में प्रत्येक को अपने-अपने राज्य के आन्तरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता होगी और संघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का अधिकार होगा। इस प्रजातंत्र-राज्य की अपनी स्वतंत्र परराष्ट्र एवं प्रतिरक्षा-नीति होगी।

इस दल का यह भी विश्वास है कि भारत एक राष्ट्र न होकर कई राष्ट्रों का महादेश है। यह दल राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध करता है। इसकी शाखाएँ मद्रास-राज्य, आंध्र, मैसूर और केरल में हैं।

मद्रास-विधान-सभा में इस दल के १५ और लोक-सभा में २ सदस्य हैं।

गणतंत्र-परिषद्

इस दल का जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ था और इसका मुख्य कार्यालय कटक में है। सन् १६५८ ई० के मई महीने में इस दल का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निश्चय किया गया कि दल को एक अखिलभारतीय दल का रूप दिया जाय। इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

अल्पसंख्यक सम्प्रदायों और पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों के नागरिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अभिरक्षा करना। भूमि-राजस्व का उन्मूलन और इसके स्थान पर कृषि-सम्बन्धी आय पर क्रमशः वर्धमान कर-स्थापन। वर्धित उत्पादन, कृषि-श्रमिकों को पर्याप्त और उचित मजदूरी, भूमि-संरक्षण, बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाना, बहूद्देश्यीय सहकार-समितियों की स्थापना तथा ग्रामीण अञ्चलों में कृषि-ऋण की व्यवस्था। भोगरा भूमि को रैयतवारी भूमि में परिवर्त्तित कर देना, पशुधन की रक्षा तथा गोहत्या निरोध, सरकारी सहायता से स्थापित अधिकतम रूप में उद्योगों का तथा भविष्य में काम में लाई जानेवाली खानों का राष्ट्रीयकरण। पूँजीपति और मजदूर साथ मिलकर उद्योगों का प्रबन्ध-संचालन करें और लाभ में साझीदार बनें। मध्यम श्रेणी के स्वार्थों की अभिरक्षा तथा कर-स्थापन में ह्रास किया जाय। सरायकेला और खरसावाँ, जो इस समय बिहार-राज्य में हैं, उन्हें उड़ीसा मे मिला दिया जाय।

सन् १६५६ ई० के मार्च तक यह दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करता था। इसके बाद काँगरेस के साथ इसका सहमिलन हुआ और दोनों की सम्मिलित सरकार कायम हुई। इस दल के पाँच मंत्री थे। सन् १६६० ई० में सम्मिलित सरकार भंग हो गई। जून १६६१ ई० के मध्यावधि निर्वाचन में इस दल के ३७ उम्मीदवार विधान-सभा के लिए निर्वाचित हुए।

सोशलिस्ट पार्टी

जनतांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण क्रान्ति के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना करना इस दल का प्रमुख उद्देश्य है। अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में यह राष्ट्रों के बीच असमानता का अंत और एक विश्व-पार्लमेण्ट तथा समाजवादी विश्व की स्थापना करना चाहता है।

इस दल का यह विश्वास है कि जिस प्रकार सरकार को कानून के अनुसार किसी नागरिक को गिरफ्तार करने और उसे कैद में रखने का अधिकार है, उसी प्रकार नागरिक को भी कानून की भद्र अवज्ञा का अधिकार होना चाहिए।

पाँच व्यक्तियों के एक परिवार का उतनी ही जोत-जमीन पर निजी स्वत्व होना चाहिए जितनी जमीन को वह विना खेतिहर मजदूर या भारी मशीन की सहायता के जोत सके। इससे अधिक जितनी जमीन हो, सब गरीब किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के बीच बाँट दी जाय। लोहा और इस्पात, इंजीनियरिंग, चीनी, सूती कपड़ा, सीमेण्ट, खान, बिजली और रासायनिक पदार्थ-जैसे प्रधान व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण हो। देश में जो विदेशी पूँजी विनियोजित है, उसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सरकारी कामों में अँगरेजी का प्रयोग अविलम्ब बन्द हो जाना चाहिए। भारत को राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना चाहिए।

दल के अध्यक्ष श्रीवालेश्वर दयाल और महामंत्री धनिकलाल मण्डल हैं। डॉ० राममनोहर लोहिया इस दल के सर्वप्रधान नेता हैं।

प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी

समाजवादी दल की स्थापना की कल्पना सन् १९३२-३३ ई० में की गई, जब श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीअच्युत पटवर्द्धन और श्रीअशोक मेहता नासिक-जेल में थे। इन्होंने वहीं मिलकर अपना अगला कार्यक्रम निर्धारित किया। इस दल का प्रथम अधिवेशन सन् १९३४ ई० के मई महीने में अखिलभारतीय कोंगरेस कमिटी की बैठक के अवसर पर पटना में हुआ। प्रारम्भ में यह दल कॉंगरेस का वामपक्षी दल था, और अपने समाजवादी आदर्शों के अनुसार कार्य करने पर जोर देता था। यह दल किसानों और मजदूरों के बीच विशेष रूप से काम करता रहा। धीरे-धीरे कॉंगरेस के दक्षिण पक्षवालों के साथ इसका मतभेद बढ़ता गया। फलतः, सन् १९४७ ई० के मार्च महीने में इसने कॉंगरेस से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। दल के वार्षिक अधिवेशन में निश्चित कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बड़ी सभा-(नेशनल जेनरल कौंसिल) और उसकी कार्यसमिति (नेशनल एक्जिक्यूटिव) होती थी। कुछ दिनों के बाद किसान-मजदूर-प्रजा-पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के मिल जाने से 'प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी' बनी। शान्तिपूर्ण क्रान्ति द्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज की स्थापना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय इसके चेयरमैन श्री अशोक मेहता, एम० पी० तथा इसके महामंत्री एन० जी० गोरे, एम० पी० हैं।

इस दल की १८ प्रान्तीय शाखाएँ हैं। तीन विभिन्न मोर्चों से यह दल काम करता है—किसान (हिंद-किसान-पंचायत), श्रमिक (हिंद-मजदूर-सभा) और युवक (समाजवादी-युवक-सभा)। इस दल का मुख-पत्र अँगरेजी साप्ताहिक जनता है। लोकसभा में इस दल के १८ और राज्य-सभा में ८ सदस्य हैं।

अग्रगामी दल (फारवर्ड ब्लॉक)

अग्रगामी दल की स्थापना सन् १९३८ ई० में नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र बोस द्वारा की गई थी। श्रीबोस को आशंका थी कि कॉंगरेस महायुद्ध के समय ब्रिटिश सरकार से समझौता करके कहीं पूर्ण स्वाधीनता-प्राप्ति से कुछ कम पर ही न राजी हो जाय। इसलिए, उन्होंने इस दल की स्थापना की। सन् १९४८ ई० में यह दल दो शाखाओं में विभक्त हो गया। एक दल के नेता आर० एस० रुईकर और दूसरे के श्री के० एन० जोगलेकर थे।

सन् १९५० ई० की जनवरी में दोनों शाखाएँ फिर एक साथ हो गईं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद कर भारत में समाजवादी सरकार कायम करना अब इस दल का उद्देश्य है।

अखिलभारतीय हिन्दू-महासभा

हिन्दू-महासभा का कार्य मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन् १९०६ ई० के लगभग ही आरम्भ हुआ, परन्तु इसमें कभी वैसी जान नहीं आने पाई, जैसी मुस्लिम लीग में। हिन्दू-महासभा में स्व० महामना मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भाई परमानन्द, वीर सावरकर, डॉ० मुंजे, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी आदि प्रमुख नेता थे।

प्रारम्भ में यह संस्था मुख्यतः अपने संस्कृति-रक्षा-सम्बन्धी कार्यों में ही लगी रही। पीछे अँगरेजी सरकार और देश के प्रमुख राजनीतिक दल कॉंगरेस को मुसलमानों का पक्षपाती समझकर उसकी नीति का विरोध करने के लिए इसने राजनीति में विशेष रूप से भाग लेना शुरू किया। सन् १९३५ ई० में केन्द्रीय और प्रान्तीय एसेम्बलियों एवं कौंसिलों के चुनाव में भी इसने भाग लिया, पर कॉंगरेस की प्रतिद्वन्द्विता में यह टिक नहीं सकी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद मुस्लिम लीग की तरह हिन्दू-महासभा ने भी कुछ समय के लिए अपना राजनीतिक कार्य स्थगित कर दिया था, जिसे ७ अगस्त, सन् १९४८ ई० को पुनः जारी करने का निश्चय किया गया।

डेमोक्रैटिक वानगार्ड

यह पार्टी सन् १९४३ ई० में उन लोगों के द्वारा कायम की गई, जो रेडिकल डेमोक्रैटिक पार्टी से अलग हो गये थे। इसका उद्देश्य गणतंत्रात्मक क्रान्ति उत्पन्न करना है।

रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी

यह पार्टी सन् १९४८ ई० मे श्रीशरत्चन्द्र बोस द्वारा कायम की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता को विदेशी प्रभाव से अलग रखना है। इसके कुछ सदस्य सिर्फ पश्चिम बंगाल मे हैं। श्री बोस की मृत्यु के बाद इसके काम में कोई विशेष प्रगति नहीं आ सकी है।

रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया

यह पार्टी कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार करती है और क्रान्ति द्वारा भारत में समाजवादी राज्य कायम करना चाहती है।

रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया

इस पार्टी के सदस्य अपने को लेनिन के अनुयायी बताते हैं। यह पार्टी रूस की नीति के विरुद्ध है। यह अखिलभारतीय कॉंगरेस की भी आलोचना करती है।

पीजेण्ट्स ऐण्ड वर्कर्स पार्टी

किसानों और मजदूरों की इस पार्टी के नेता श्री एस० एस० मोर और श्री के० एम० जेधे हैं। पार्टी का कार्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र है। बिना मुआवजा दिये ही जमींदारी-उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह पार्टी विदेशी वस्तुओं और पूँजियों का विरोध करती है। उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण में इस पार्टी का पूर्ण विश्वास है।

भारतीय जनसंघ

स्व० डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने सन् १९५१ ई० में इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। अखण्ड भारत में इसका पूर्ण विश्वास है तथा कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के प्रति इस संघ का बड़ा कड़ा रुख है।

शिया पॉलिटिकल कान्फ्रेन्स

यह मुसलमानों के शिया-सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व और राजनीति में कॉंगरेस का समर्थन करती है।

मोमिन अन्सार कान्फ्रेन्स

मुसलमानों के मोमिन-सम्प्रदाय की यह पार्टी मुस्लिम लीग का विरोध और कॉंगरेस की नीति का समर्थन करती रही है।

सिख-पार्टियाँ

सिखों के तीन मुख्य दल हैं—पहला शिरोमणि अकाली दल; दूसरा पन्थिक दरबार और तीसरा कॉंगरेस-समर्थक दल।

अकाली दल—इस दल के नेता मास्टर तारासिंह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तरह सिखिस्तान के लिए आन्दोलन कर रखा है। मई, १९५० ई० में मास्टर तारासिंह के सभापति-पद से हटने पर भारतीय संसद् के सदस्य सरदार हुकुमसिंह इस दल के सभापति बनाये गये हैं।

पन्थिक दरबार—इसके नेता पटियाला के महाराजा हैं, जो सिखिस्तान के विरोधी हैं।

तीसरा दल—वह है, जो कॉंगरेस का समर्थन करता है।

किसान-पार्टी

समाजवादी मापदण्ड पर इसका कार्य-क्रम भारतीय किसानों के आन्दोलन को बढ़ाने का है। यद्यपि यह दल कॉंगरेस से पृथक् है, फिर भी बहुत-कुछ बातों में उसका साथ देता है।

झारखण्ड-पार्टी

यह दल बिहार के दक्षिणी भाग झारखण्ड (छोटानागपुर एवं संथाल परगना का कुछ भाग) का एक राजनीतिक दल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथक् झारखण्ड प्रान्त का निर्माण करना है। इसके नेता श्रीजयपाल सिंह हैं। इस दल के सदस्य भारतीय संसद् की राज्य-परिषद् में १, लोक-सभा में ३, बिहार-विधान-परिषद् में १ और बिहार-विधान-सभा में ३२ हैं।

रामराज्य-परिषद्

धर्म-सापेक्ष राज्य की स्थापना के लिए अखिलभारतीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई। विगत निर्वाचन में इस दल का एक सदस्य शाहाबाद जिला के किसी चुनाव-क्षेत्र से बिहार-विधान-सभा के लिए निर्वाचित हुआ।

जनता-पार्टी

रामगढ के राजा श्रीकामाख्यानारायण सिंह के नेतृत्व में स्थापित यह छोटानागपुर-प्रमंडल का एक राजनीतिक दल है। इसका एक महत्त्वपूर्ण अधिवेशन जनवरी, १९५४ ई० में, पटना में हुआ था। इस दल के सदस्य भारतीय संसद् की राज्य-परिषद् में १, लोक-सभा में १, बिहार-विधान-परिषद् में १ और बिहार-विधान-सभा में ८ हैं। जनता-पार्टी अब स्वतन्त्र-पार्टी में मिल गई है।

सामाजिक दल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ

इसकी स्थापना डॉ० हेडगेवार द्वारा सन् १६२५ ई० में हुई। इसका वास्तविक उद्देश्य हिन्दू-राष्ट्र कायम करना, हिन्दुओं को सैनिक शिक्षा देना और हिन्दू-समाज में सब प्रकार की जागृति लाना है। इसकी शाखाएँ भारत मे सर्वत्र फैली हुई हैं। महात्मा गाधी की हत्या के वाद यह संघ गैरकानूनी करार दिया गया था, पर अब इस पर से प्रतिवन्ध हट गया है। इसके प्रधान श्रीमाधवराव सदाशिव गोलवलकर हैं, जिन्हें संघवाले 'गुरुजी' कहा करते हैं।

सर्वोदय समाज

यह गाधीवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखनेवाले लोगों की एक संस्था है। गाधीवादी विचारधारा के अनुसार चलनेवाले एवं रचनात्मक कार्यक्रम में लगे देश-सेवकों की यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए विश्व-वन्धुत्व की भावना से काम करता है। वस्तुओं की शुद्धता एवं स्वाभाविकता पर पूर्ण विश्वास रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। खादी, हरिजनोद्धार, आदिवासी-सेवा, कुष्ठ-निवारण तथा समाज की सर्वतोमुखी सेवा ही इसके प्रमुख कार्य हैं। आचार्य विनोवा भावे इसके साम्प्रतिक सूत्रधार हैं।

भारत-सेवक-समाज

भारत-सेवक-समाज एक नई राष्ट्रीय संस्था है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए तथा देश को शक्तिशाली वनाने के निमित्त इसकी स्थापना की गई है। यह कोई राजनीतिक दल नहीं है। इस संस्था में हरेक विचार के लोगों का स्वागत किया जाता है। हिंसा और तोड़-फोड़ में विश्वास रखनेवालों तथा साम्प्रदायिक एवं धार्मिक आदर्शों के माननेवाले प्रतिक्रियावादियों को इसमें स्थान नहीं मिलता।

पिछड़ा वर्ग-सघ

इसकी स्थापना स्व० डॉ० अम्बेदकर ने की थी। इसका कार्य राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों से पृथक् है। पिछड़े लोगों को विशेष सुविधाएँ दिलाना ही इसका प्राथमिक लक्ष्य था। भारत के खण्डित होने के वाद से इसने अपना दृष्टिकोण वदल दिया है।

सिक्का एवं माप-तौल की नवीन दशमलव-पद्धति

माप और तौल की दशमलव-पद्धति फ्रांस से आरम्भ हुई थी, इसलिए इस पद्धति को 'फ्रांसीसी पद्धति' भी कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत् रेखा तक की दूरी का एक करोड़वाँ हिस्सा मीटर कहलाता है। मीटर के दसगुना को डेकामीटर, सौगुना को हेक्टोमीटर, हजारगुना को किलोमीटर और दस हजारगुना को मीरियामीटर कहते हैं। इसी प्रकार मीटर के दसवें भाग को डेसीमीटर, सौवें भाग को सेण्टीमीटर और हजारवें भाग को मिलीमीटर

कहते हैं। ग्रीक शब्द 'डेका' का अर्थ दस, 'हेक्टो' का अर्थ सौ, 'किलो' का अर्थ हजार और 'मीरिया' का अर्थ दस हजार होता है। इसी प्रकार, लैटिन शब्द 'डेसी' का अर्थ दशांश, 'सेण्टी' का अर्थ शतांश और 'मिली' का अर्थ सहस्रांश है। इसे सारिणी के रूप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

१ डेकामीटर	=	१० मीटर	१ डेसीमीटर	=	$\frac{१}{१०}$ मीटर
१ हेक्टोमीटर	=	१०० मीटर	१ सेण्टीमीटर	=	$\frac{१}{१००}$ मीटर
१ किलोमीटर	=	१,००० मीटर	१ मिलीमीटर	=	$\frac{१}{१०००}$ मीटर
१ मीरियामीटर	=	१०,००० मीटर			

क्षेत्र की माप की एक इकाई को 'अर' कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएँ दस-दस मीटर की होती हैं। तदनुसार—

१ अर	=	१०० वर्ग मीटर	१ डेसी अर	=	$\frac{१}{१०}$ अर
१ डेकर	=	१० अर	१ सेण्टी अर	=	$\frac{१}{१००}$ अर
१ हेक्टर	=	१०० अर			

तौल के लिए शुद्ध जल के एक घन सेण्टीमीटर को 'ग्राम' कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकाग्राम	=	१० ग्राम	१ डेसीग्राम	=	$\frac{१}{१०}$ ग्राम
१ हेक्टोग्राम	=	१०० ग्राम	१ सेण्टीग्राम	=	$\frac{१}{१००}$ ग्राम
१ किलोग्राम	=	१,००० ग्राम	१ मिलीग्राम	=	$\frac{१}{१०००}$ ग्राम
१ मीरियाग्राम	=	१०,००० ग्राम			

एक घन डेसीमीटर जितने स्थान में रखा जा सकता है, उस इकाई को 'लीटर' कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकालीटर	=	१० लीटर	१ डेसीलीटर	=	$\frac{१}{१०}$ लीटर
१ हेक्टोलीटर	=	१०० लीटर	१ सेण्टीलीटर	=	$\frac{१}{१००}$ लीटर
			१ मिलीमीटर	=	$\frac{१}{१०००}$ लीटर

सन् १९५५ ई० में भारतीय संसद् ने दशमलव-पद्धति से सिक्का चलाने का विधान स्वीकृत किया। तदनुसार, अप्रैल, १९५७ से रुपये में ६४ पैसे या १६ आने के स्थान में १०० नये पैसे चलाये गये। १, २, ५, १०, २५ और ५० नये पैसे के सिक्के ढाले गये और एक निश्चित अवधि तक के लिए उनका सम्बन्ध पुराने पैसे और आने से निर्धारित किया गया। मोटे हिसाब से एक पुराना पैसा $१\frac{१}{२}$ नये पैसे के बरावर होता है।

भारत में माप-तौल की दशमलव-पद्धति का कानून १९५६ में बना तथा १ अक्टूबर, १९५८ से लागू हुआ। इस कानून के अनुसार इस पद्धति की परीक्षणात्मक तथा परिवर्त्तनात्मक अवधि सन् १९५६ ई० से सन् १९६६ ई० तक दस वर्षों की रखी गई है। सन् १९६६ ई० के बाद पूर्ण रूप से केवल इसी पद्धति का कार्यान्वयन होगा।

तौल में अब तोला, छटाँक, अधवा, पौआ, अधसेरी, सेर, पसेरी और मन नहीं कहलाकर ग्राम, डेका-ग्राम, हेक्टो-ग्राम, किलोग्राम आदि; माप में इंच, फुट, गज, मील आदि नहीं कहे जाकर मीटर, डेकामीटर आदि; क्षेत्रफल में वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग गज, बीघा, एकड़ आदि नहीं कहे

जाकर मीटर, हेक्टर, आदि तथा धारण-क्षमता (कैपेसिटी) के सम्बन्ध में गैलन आदि नहीं कहे जाकर लीटर आदि कहे जायेंगे।

किलोग्राम के अन्तरराष्ट्रीय नमूने की प्रामाणिक प्रति प्राप्त की गई है तथा वह राष्ट्रीय भौतिक शोधशाला के संचालक के अधिकार में रखी गई है। विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के माप-तौल-निरीक्षकों के पास माप-तौल की प्रामाणिक सामग्री भेज दी गई है। माप-तौल की दशमलव-पद्धति को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कुछ प्रान्तों ने अपने-अपने राज्य में पृथक् विभाग खोले हैं। अङ्कगणित में दशमलव-विषयक पृथक् एक पाठ दिया गया है तथा उसकी शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रान्तों के लोक-शिक्षा-निदेशकों द्वारा सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको को आदेश दिया गया है। दशमलव-शिक्षा-सम्बन्धी विवरण का भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में भी इसकी शिक्षा दी जा सके। सामान्य शिक्षा के लिए 'मेट्रिक मेजर्स' नाम की एक पत्रिका भी निकाली गई है।

परिवर्त्तन-काल—माप-तौल की नवीन दशमलव-पद्धति १ अक्टूबर, १९५८ ई० को कार्यान्वित हुई। दो-तीन वर्षों तक प्राचीन और नवीन पद्धतियों में परस्पर परिवर्त्तन की अवधि रहेगी। इस नवीन पद्धति के पूर्ण रूप से प्रचलित न होने की स्थिति में विनिमय की अवधि अधिक-से-अधिक सन् १९६६ ई० तक बढाई जा सकती है। इसके बाद सम्पूर्ण देश में केवल नवीन पद्धति ही कार्यान्वित होगी।

१ अक्टूबर, १९५८ ई० को ही सूती कपड़े, लोहा तथा इस्पात, अभियन्त्रण, रसायन, सीमेण्ट, नमक, कागज, रबर, कहवा आदि के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों में यह पद्धति लागू हो गई। डाक, तार, रेलवे आदि केन्द्रीय सरकार के विभागों में नवीन पद्धति का ही प्रयोग होना है।

कुछ अँगरेजी तौल और माप का नवीन रूपान्तर इस प्रकार है—

अँगरेजी तौल

१ ग्रेन = ०·००००६४७९९ किलोग्राम
१ आउंस = ०·०२८३४९५ ,,
१ पौंड = ०·४५३५९२४ ,,
१ क्वार्टर = ५०·८०२ ,,
१ टन = १०१६·०५ ,,

भारतीय तौल

१ तोला = ०·०११६६३८ किलोग्राम
१ सेर = ०·९३३१० ,,
१ मन = ३७·३२४२ ,,

कहते हैं। ग्रीक शब्द 'डेका' का अर्थ दस, 'हेक्टो' का अर्थ सौ, 'किलो' का अर्थ हजार और 'मीरिया' का अर्थ दस हजार होता है। इसी प्रकार, लैटिन शब्द 'डेसी' का अर्थ दशांश, 'सेण्टी' का अर्थ शतांश और 'मिली' का अर्थ सहस्रांश है। इसे सारिणी के रूप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

१ डेकामीटर = १० मीटर	१ डेसीमीटर = $\frac{१}{१०}$ मीटर
१ हेक्टोमीटर = १०० मीटर	१ सेण्टीमीटर = $\frac{१}{१००}$ मीटर
१ किलोमीटर = १,००० मीटर	१ मिलीमीटर = $\frac{१}{१०००}$ मीटर
१ मीरियामीटर = १०,००० मीटर	

क्षेत्र की माप की एक इकाई को 'अर' कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएँ दस-दस मीटर की होती हैं। तदनुसार—

१ अर = १०० वर्ग मीटर	१ डेसी अर = $\frac{१}{१०}$ अर
१ डेकर = १० अर	१ सेण्टी अर = $\frac{१}{१००}$ अर
१ हेक्टर = १०० अर	

तौल के लिए शुद्ध जल के एक घन सेण्टीमीटर को 'ग्राम' कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकाग्राम = १० ग्राम	१ डेसीग्राम = $\frac{१}{१०}$ ग्राम
१ हेक्टोग्राम = १०० ग्राम	१ सेण्टीग्राम = $\frac{१}{१००}$ ग्राम
१ किलोग्राम = १,००० ग्राम	१ मिलीग्राम = $\frac{१}{१०००}$ ग्राम
१ मीरियाग्राम = १०,००० ग्राम	

एक घन डेसीमीटर जितने स्थान में रखा जा सकता है, उस इकाई को 'लीटर' कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकालीटर = १० लीटर	१ डेसीलीटर = $\frac{१}{१०}$ लीटर
१ हेक्टोलीटर = १०० लीटर	१ सेण्टीलीटर = $\frac{१}{१००}$ लीटर
	१ मिलीमीटर = $\frac{१}{१०००}$ लीटर

सन् १९५५ ई० में भारतीय संसद् ने दशमलव-पद्धति से सिक्का चलाने का विधान स्वीकृत किया। तदनुसार, अप्रैल, १९५७ से रुपये में ६४ पैसे या १६ आने के स्थान में १०० नये पैसे चलाये गये। १, २, ५, १०, २५ और ५० नये पैसे के सिक्के ढाले गये और एक निश्चित अवधि तक के लिए उनका सम्बन्ध पुराने पैसे और आने से निर्धारित किया गया। मोटे हिसाब से एक पुराना पैसा १$\frac{१}{२}$ नये पैसे के बराबर होता है।

भारत में माप-तौल की दशमलव-पद्धति का कानून १९५६ में बना तथा १ अक्टूबर, १९५८ से लागू हुआ। इस कानून के अनुसार इस पद्धति की परीक्षणात्मक तथा परिवर्त्तनात्मक अवधि सन् १९५६ ई० से सन् १९६६ ई० तक दस वर्षों की रखी गई है। सन् १९६६ ई० के बाद पूर्ण रूप से केवल इसी पद्धति का कार्यान्वयन होगा।

तौल में अब तोला, छटाँक, अधवा, पौआ, अधसेरी, सेर, पसेरी और मन नहीं कहलाकर ग्राम, डेका-ग्राम, हेक्टो-ग्राम, किलोग्राम आदि; माप में इंच, फुट, गज, मील आदि नहीं कहे जाकर मीटर, डेकामीटर आदि; क्षेत्रफल में वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग गज, बीघा, एकड़ आदि नहीं कहे

सेर		किलोग्राम		ग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में)
१४	=	१३	=	६०
१५	=	१४	=	—
१६	=	१४	=	९३०
१७	=	१५	=	८६०
१८	=	१६	=	८००
१९	=	१७	=	७३०
२०	=	१८	=	६६०
२१	=	१९	=	६००
२२	=	२०	=	५३०
२३	=	२१	=	४६०
२४	=	२२	=	३९०
२५	=	२३	=	३३०
२६	=	२४	=	२६०
२७	=	२५	=	१९०
२८	=	२६	=	१३०
२९	=	२७	=	६०
३०	=	२७	=	९९०
३१	=	२८	=	९३०
३२	=	२९	=	८६०
३३	=	३०	=	७९०
३४	=	३१	=	७३०
३५	=	३२	=	६६०
३६	=	३३	=	५९०
३७	=	३४	=	५२०
३८	=	३५	=	४६०
३९	=	३६	=	३९०

कितने मन कितने किलोग्राम के बराबर हैं, यह नीचे लिखा है—

मन		किलोग्राम	मन		किलोग्राम
१	=	३७	११	=	४११
२	=	७५	१२	=	४४८
३	=	११२	१३	=	४८५
४	=	१४९	१४	=	५२३
५	=	१८७	१५	=	५६०
६	=	२२४	१६	=	५९७
७	=	२६१	१७	=	६३५
८	=	२९९	१८	=	६७२
९	=	३३६	१९	=	७०९
१०	=	३७३	२०	=	७४६

अँगरेजी माप

१ इञ्च = ०·०२५४	मीटर
१ फुट = ०·३०४८	,,
१ गज = ०·६१४४	,,
१ मील = १६०६·३४४	,,

क्षमता (कैपेसिटी)

१ इम्पीरियल गैलन = ४,५४५६६ लीटर

कितने छटाँक कितने ग्राम के बराबर हैं, यह नीचे दिया जाता है—

छटाँक		ग्राम (लगभग)	छटाँक		ग्राम (लगभग)
१	=	५८	६	=	५२५
२	=	११७	१०	=	५८३
३	=	१७५	११	=	६४२
४	=	२३३	१२	=	७००
५	=	२६२	१३	=	७५८
६	=	३५०	१४	=	८१६
७	=	४०८	१५	=	८७५
८	=	४६७			

कितने सेर कितने किलोग्राम और ग्राम के बराबर हैं, यह नीचे देखें—

सेर		किलोग्राम		ग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में)
१	=	—	=	६३०
२	=	१	=	८७०
३	=	२	=	८००
४	=	३	=	७३०
५	=	४	=	६७०
६	=	५	=	६००
७	=	६	=	५३०
८	=	७	=	४६०
६	=	८	=	४००
१०	=	६	=	३३०
११	=	१०	=	२६०
१२	=	११	=	२००
१३	=	१२	=	१३०

लम्बाई

माइल से किलोमीटर

माइल	....	१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०
किलोमीटर	...	१.६१	३.२२	४.८३	६.४४	८.०५	६.६६	११.२७	१२.८७	१४.४८	१६.६

गज से मीटर

गज	....	१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०
मीटर	....	०.६१	१.८३	२.७४	३.६६	४.५७	५.४६	६.४०	७.३२	८.२३	६.१४

इञ्च से मिलीमीटर

इञ्च	...	१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०	११	१२
मिलीमीटर	...	२५.४०	५०.८०	७६.२०	१०१.६०	१२७.००	१५२.४०	१७७.८०	२०३.२०	२२८.६०	२५४.००	२७६.४०	३०४.८०

क्षेत्रफल

एकड़ से हेक्टर्स

एकड़	....	१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०
हेक्टर्स	...	०.४०	०.८१	१.२१	१.६२	२.०२	२.४३	२.८३	३.२४	३.६४	४.०५

वर्गगज से वर्गमीटर

वर्गगज	....	१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०
वर्गमीटर	...	०.८४	१.६७	२.५१	३.३४	४.१८	५.०२	५.८५	६.६६	७.५३	८.३६

धारण-शक्ति या क्षमता (कैपेसिटी)

गैलन से लीटर

गैलन	....	१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०
लीटर	....	४.५५	६.०६	१३.६४	१८.१८	२२.७३	२७.२८	३१.८२	३६.३७	४०.६१	४५.४६

सरल रूपान्तरण-सूची

वजन

टन से मेट्रिक टन

टन	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मेट्रिक टन	१.०२	२.०३	३.०५	४.०६	५.०८	६.१०	७.११	८.१३	९.१४	१०.१६

पौंड से किलोग्राम

पौंड	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोग्राम	०.४५	०.९१	१.३६	१.८१	२.२७	२.७२	३.१८	३.६३	४.०८	४.५४

तोला से ग्राम

तोला ...	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
ग्राम ...	११.६६	२३.३३	३४.९९	४६.६६	५८.३२	६९.९८	८१.६५	९३.३१	१०४.९७	११६.६४

सेर से किलोग्राम

सेर ...	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोग्राम ...	०.९३	१.८७	२.८०	३.७३	४.६७	५.६०	६.५३	७.४६	८.४०	९.३३

मन से क्विण्टल

मन ...	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
क्विण्टल ...	०.३७	०.७५	१.१२	१.४९	१.८७	२.२४	२.६१	२.९९	३.३६	३.७३

लम्बाई

माइल से किलोमीटर

माइल	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोमीटर ...	१.६१	३.२२	४.८३	६.४४	८.०५	९.६६	११.२७	१२.८७	१४.४८	१६.९

गज से मीटर

गज	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मीटर	०.९१	१.८३	२.७४	३.६६	४.५७	५.४९	६.४०	७.३२	८.२३	९.१४

इञ्च से मिलीमीटर

इञ्च ...	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
मिलीमीटर ...	२५.४०	५०.८०	७६.२०	१०१.६०	१२७.००	१५२.४०	१७७.८०	२०३.२०	२२८.६०	२५४.००	२७९.४०	३०४.८०

क्षेत्रफल

एकड़ से हेक्टर्स

एकड़	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
हेक्टर्स ...	०.४०	०.८१	१.२१	१.६२	२.०२	२.४३	२.८३	३.२४	३.६४	४.०५

वर्गगज से वर्गमीटर

वर्गगज	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
वर्गमीटर ...	०.८४	१.६७	२.५१	३.३४	४.१८	५.०२	५.८५	६.६९	७.५३	८.३६

धारण-शक्ति या क्षमता (कैपेसिटी)

गैलन से लीटर

गैलन	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
लीटर	४.५५	९.०९	१३.६४	१८.१८	२२.७३	२७.२८	३१.८२	३६.३७	४०.९१	४५.४६

अणु-शक्ति

अणु-शक्ति-सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत एशिया के देशों में अग्रणी है। सन् १६४८ ई० के 'औद्योगिक नीति-प्रस्ताव' के अन्तर्गत अणु-शक्ति को भारत-सरकार का एक अनिवार्य विषय बना दिया गया। भारत में अणु-शक्ति के विकास की नींव डालने के लिए सन् १६४८ के प्रारम्भ में ही एक अणु-शक्ति-आयोग (एटोमिक इनर्जी कमीशन) का निर्माण हुआ। इसका उद्देश्य आणविक अनुसंधान को आगे बढ़ाना, उसका सर्वेक्षण, कच्चे माल की सुरक्षा और विस्तार तथा एक प्रायोगिक रिऐक्टर की स्थापना करना था। अणु-शक्ति से शक्ति उत्पन्न कर देहातों में प्रकाश पहुँचाना, उद्योग-धन्धे चलाना, वैज्ञानिक औजारों द्वारा कृषि को उन्नत करना तथा रोगों की 'रोक-थाम' आदि भारत का दीर्घकालीन लक्ष्य है। आणविक शक्ति को राष्ट्र के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में डॉक्टर भाभा का कथन है कि 'आणविक शक्ति उद्योगों के लिए सबसे कम मूल्य की शक्ति होगी और इससे अत्यधिक परिमाण में उत्पादन में वृद्धि होगी। ताप-विद्युत् एवं जल-विद्युत् आणविक शक्ति द्वारा उत्पादित विद्युत् की तुलना में अधिकतर व्यय-साध्य हैं।'

अणु-शक्ति-विभाग (डिपार्टमेण्ट ऑफ एटोमिक इनर्जी)—सन् १६४८ ई० में स्थापित अणुशक्ति-आयोग का उद्देश्य भारत में अणु-शक्ति का विकास तथा शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उसकी रक्षा करना है। यह आयोग प्राकृतिक साधन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान-मंत्रालय का एक अंग है। अगस्त, १६५४ ई० में भारत-सरकार ने प्रधान मंत्री के अधीन अणु-शक्ति-विभाग नामक एक पृथक् विभाग खोला है। सन् १६४८ ई० के अणु-शक्ति-अधिनियम, २६ के अनुसार भारत-सरकार के अणु-शक्ति-सम्बन्धी समस्त कार्य इसी विभाग द्वारा सम्पन्न होते हैं। यह विभाग बम्बई में स्थित है। उपर्युक्त अणु-शक्ति-आयोग इन दिनों इसी विभाग के अधीन कार्य करता है। यह आयोग अणु-शक्ति-सम्बन्धी नीति निर्धारित करने तथा उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। आयोग के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कार्य आणविक खनिज-विभाग तथा अणु-शक्ति-संस्थान (एटोमिक इनर्जी इस्टैब्लिशमेंट) द्वारा किये जाते हैं। इसके औद्योगिक कार्य इण्डियन रेयर अर्थ्स (प्राइवेट) लि० तथा ट्रावणकोर मिनरल्स (प्राइवेट) लि० द्वारा सम्पादित होते हैं। इस विभाग के अन्तर्गत प्रधान सचिवालय तथा शाखा-सचिवालय के अतिरिक्त एक अणु-शक्ति-संस्थान है, जिसमें पदार्थ-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, अभियंत्रण, जीव-विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान और स्वास्थ्य, सूचना एवं कच्चे माल के विभाग सम्मिलित हैं।

अणु-शक्ति-विभाग ने अपने स्थापना-काल (अगस्त, १६५४ ई०) से लेकर अबतक अणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास-कार्य में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। अणु-शक्ति-संस्थान में ६५० से भी अधिक भारतीय वैज्ञानिक एवं प्रविधिज्ञ संलग्न हैं। ट्राम्बे (बम्बई) में अणु-शक्ति के लिए आवश्यक प्रायः सभी यंत्र एवं इलेक्ट्रोनिक पुर्जे बनने लगे हैं। भारत में इस समय तक तीन आणविक-रिऐक्टर स्थापित हो चुके हैं। बम्बई के ट्राम्बे-संस्थान में 'अप्सरा' नामक भारत का प्रथम रिऐक्टर, रेडियो केमिस्ट्री लेबोरेटरी तथा थोरियम विकास-संयंत्र (थोरियम प्रोसेसिंग प्लाण्ट) का निर्माण हुआ है। भारत के प्रथम आणविक रिऐक्टर का कार्यारम्भ ४ अगस्त, १६५६ ई० से हुआ और यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह रूसी क्षेत्र को

छोड़कर एशिया महादेश का प्रथम रिऐक्टर है। ईन्धन के पदार्थों को छोड़कर इसका निर्माण पूर्ण रूप से भारतीय उद्योगों, भारतीय अभियंताओं एवं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हुआ है। भारत का दूसरा रिऐक्टर 'जेरलिना' है। तृतीय रिऐक्टर भारत तथा कनाडा की साढ़े सात करोड़ की संयुक्त पूँजी से निर्मित हुआ है। इस रिऐक्टर की उत्पादन-क्षमता की तुलना में 'अप्सरा' और 'जेरलिना' वस्तुत: परीक्षामूलक छोटे आयोजन ही कहे जा सकते हैं। कनाडा के विख्यात 'चॉक-रिभर' (Chalk Rivor) रिऐक्टर-मॉडेल के अनुसार यह निर्मित हुआ है। यह भारत-कनाडा रिऐक्टर वर्ष में १०० टन यूरेनियम ईन्धन उत्पादित करेगा।

आयोग के औद्योगिक कार्य—अगस्त, सन् १९५० ई० में केरल के अलवाए नामक स्थान मे 'इण्डियन रेयर अर्थ्स (प्राइवेट) लि०' की स्थापना हुई। यह उक्त आयोग तथा केरल-सरकार के अधीन है। इस संयन्त्र में मोनाजाइट को विकसित किया जाता है, जिससे क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, ट्रिसोडियम, फॉस्फेट आदि तैयार होते हैं। इलमेनाइट और मोनाजाइट के उत्पादन के लिए सन् १९५६ ई० में मद्रास तथा केरल-राज्य की सरकारों द्वारा 'ट्रावणकोर मिनरल्स (प्राइवेट) लि०' की स्थापना की गई। ट्राम्बे मे एक थोरियम-संयंत्र (प्लाण्ट) है, जहाँ थोरियम नाइट्रेट का उत्पादन होता है।

अणुशक्ति-सम्बन्धी खनिज—शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति की सुरक्षा के इच्छुक देश के लिए (१) यूरेनियम २३५; प्लूटोनियम या थोरियम, 'यू' २२८; (२) बेरीलिया, ग्रेफाइट या हेवी वाटर; (३) जिरकोनियम, बेरीलियम या नायोबियम; (४) बोरॉन, और (५) सोडियम या विस्मथ आवश्यक हैं। केरल और मद्रास की तटीय बालू में ०.५ से २ प्रतिशत तक मोनाजाइट मिलता है। भारत में यूरेनियम का संचित कोष ३० हजार टन से भी अधिक कच्ची धातु के रूप में है, जिसमें ०.१ प्रतिशत यूरेनियम पाया जाता है। भारतीय मोनाजाइट में ०.२ से ०.४६ प्रतिशत यूरेनियम ऑक्साइड तथा ८ से १० प्रतिशत तक थोरियम ऑक्साइड पाया जाता है। ट्रावणकोर के क्षेत्र में ५ लाख टन उच्चकोटि का थोरियम पाया जाता है। भारत में बेरीलियम बेरील (एक सिलिकेट मिश्रण) के रूप मे पाया जाता है। इसमें १० प्रतिशत ऑक्साइड तथा ३.५ से ४.२ प्रतिशत धातु पाई जाती है। अणु-शक्ति के उत्पादन में जिरकोनियम एक आवश्यक धातु है, जो केवल केरल की बालू में ५० लाख टन तक पाई जाती है। बोरॉन १० एक दूसरी आवश्यक धातु है, किन्तु यह भारत में नहीं पाई जाती। तिब्बत पर्याप्त परिमाण में भारत को बोरॉक्स का निर्यात करता है। कोलोम्बियम अणु-शक्ति के लिए एक मूल्यवान् धातु है, जो टैंटालम के साथ मिश्रित ऑक्साइड के रूप में संयुक्त है। यह अबरक और बेरील की चट्टानों में पाया जाता है। नांगल में स्थापित होनेवाले बड़े संयंत्र में हेवी वाटर तथा उर्वरक के उत्पादन का निश्चय किया गया है। भारत-सरकार बेरीलियम तथा ज़रकोनियम के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करना चाहती है। भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर पाये जानेवाले रवादार बालू से ज़रकोनियम प्राप्त किया जा सकेगा। आणविक खनिजों के लिए भारत में गहरी खोज जारी है और भविष्य में अनेक खनिजों की प्राप्ति की आशा है।

प्लूटोनियम नामक पदार्थ, जिसके आणविक विभाजन पर शक्ति का उत्पादन निर्भर करता है, उसे प्राप्त करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को यूरेनियम-प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो धारणाएँ एवं कौशल लाभ करनी चाहिए, वह वे प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस रिऐक्टर द्वारा उन्हें

यह सुयोग प्राप्त होगा। केरल-राज्य की मोनाजाइट वालू में संसार में सबसे अधिक थोरियम है। इसलिए, यूरेनियम-उपादान प्राप्त करने में भारत को विशेष सुविधा है। फिर भी, आणविक शक्ति-उत्पादन के चरम उपादान प्लूटोनियम को प्राप्त करने के लिए भारत-कनाडा रिऐक्ट के कर्मियों को विदेशी विशेषज्ञों की सहायता अनिवार्य रूप में लेनी पड़ेगी।

आणविक शक्ति को व्यवहार-योग्य शक्ति में परिणत करने के लिए अभीतक आयोजन नहीं हो सका है। सन् १९६५ ई० तक भारत का प्रथम औद्योगिक संयन्त्र और कारखाना गुजरात के तारापुर नामक स्थान में स्थापित होगा। वाद में कई संयन्त्र दिल्ली और मद्रास में स्थापित होंगे। इस सम्बन्ध में सोवियत रूस के साथ एक इकरारनामा भी हुआ है।

विश्व की अणु-शक्ति में भारत का स्थान—दक्षिण एशिया में अणु-शक्ति के विकास में सबसे अग्रणी होने के कारण भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय अणुशक्ति-अभिकरण (इंटरनेशनल ऐटोमिक इनर्जी एजेन्सी) की गवर्नर-परिषद् में पुनः मनोनीत हुआ है। डॉ० होमी जे० भाभा, जो भारत के अणुशक्ति-आयोग के अध्यक्ष हैं, भारत की ओर से उक्त परिषद् में सम्मिलित किये गये हैं।

इस प्रसंग मे यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में आणविक गवेषणा एवं अनुशीलन की सुविधा के लिए रिऐक्टर स्थापित करने में जो व्यय अपेक्षित है, वह अधिकाश में कोलम्बो-योजना के अनुसार विदेशी सहायता-कोष से प्राप्त हुआ है। इसलिए, इस विषय में भारत अभीतक आत्म-निर्भर नहीं हो सका है। निकट भविष्य में भी इस दिशा में जो प्रयत्न होंगे, वे बहुलांश में विदेशी सहायता पर ही निर्भर करेंगे।

फिर भी, भारतीय आणविक शक्ति-आयोग के अध्यक्ष डॉ० होमी भाभा के कथनानुसार भारत ने आणविक शक्ति-अनुशीलन की दिशा में विदेशी सहायता ग्रहण करने पर भी आत्म-कृतित्व का प्रशंसनीय परिचय दिया है। डॉ० भाभा ने यह भी कहा है कि भारत यदि चाहे, तो दो वर्ष के अंदर वह आणविक अस्त्र प्रस्तुत कर सकता है।

विभिन्न खेल-प्रतियोगिताएँ

ओलिम्पिक

ओलिम्पिक खेलों का इतिहास बहुत प्राचीन है, पर उसका वृत्तान्त ई० पूर्व ७०६ से ३९२ ई० तक ही मिलता है। यूनान के ओलिम्पस पर्वत की विशाल घाटी में खेल-महोत्सव मनाया जाता था, अतः यह 'ओलोम्पिक' नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानी शब्द 'ओलिम्पियाड' का अर्थ चार वर्ष की अवधि होता है। यूनानी लोग प्राचीन काल में हर चार वर्ष पर यह पवित्र खेल-महोत्सव मनाते थे और यही परंपरा आजकल भी प्रचलित है।

ई० पू० १४६ तक ओलिम्पिक महोत्सव यूनान तक ही सीमित था। जब रोमनों ने यूनान पर कब्जा किया, तब वे भी इसमें भाग लेने लगे, पर वे खेल-सम्बन्धी आचार-संहिता का पालन नहीं करते थे, जिसकी शिकायतें यूनानी किया करते थे। गुस्से में आकर रोमनों ने क्रीडागणों

तथा प्रतियोगियों के निवासों को जला डाला और इस प्रकार ११०० वर्षों से आ रही ओलिम्पिक महोत्सव का सिलसिला ३९३ ई० में टूट गया।

वर्त्तमान विश्व-खेल-प्रतियोगिता को पुनर्जीवित करने का श्रेय फ्रांस के रईस पियरे-द-कुबेर्टी को है। ४ वर्षों के अथक परिश्रम के बाद १८९६ ई० में प्रथम बार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ओलिम्पिक खेलों का आरम्भ हुआ।

ओलिम्पिक खेल-महोत्सव में यूनान के ओलिम्पिया शहर का अब भी महत्त्व बना हुआ है। इस पवित्र स्थान से ही आधुनिक ओलिम्पिक प्रतियोगिता-स्थल पर ओलिम्पिक ज्योति जलाई जाती है। प्रतियोगिता-महोत्सव संसार के किसी स्थल में क्यों नहीं होता हो, ओलिम्पिक ज्योति की परिपाटी अटूट रूप से वर्त्तमान है। जल, थल और वायु-मार्ग द्वारा बड़ी धूमधाम से ओलिम्पिक ज्योति जलाई जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय खेल-प्रतियोगिता के समय भी ज्योति जलाने की परिपाटी हो गई है। ज्वालामुखी (पंजाब) में सूर्य-किरणों से ज्योति जलाई जाती है।

प्रचलित ओलिम्पिक खेल-महोत्सव के स्थानों की सूची इस प्रकार है—१८९६ एथेन्स (यूनान); १९०० पेरिस (फ्रांस); १९०४ सेंटलुई (अमेरिका); १९०८ लंदन (ब्रिटेन); १९१२ स्टॉकहोम (स्वीडन); १९१६ प्रथम महायुद्ध के कारण नहीं हुआ; १९२० एण्टवर्प (बेल्जियम); १९२४ पेरिस; १९२८ एमस्टरडम (हालैंड); १९३२ लॉस-ऐंजिल्स (अमेरिका), १९३६ बर्लिन (जर्मनी); १९४० और १९४४ में द्वितीय महायुद्ध के कारण नही हुआ, १९४८ लंदन; १९५२ हेलसिंकी (फिनलैंड); १९५६ मेलबोर्न (अस्ट्रेलिया), १९६० रोम (इटली); १९६४ के अक्टूबर में टोकियो (जापान) में होना निश्चित। रोम में ८० देशों के खेलाड़ियों ने भाग लिया।

रोम में सन् १९६० ई० के २५ अगस्त से १० सितम्बर तक हुए १७वीं ओलिम्पिक-प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करनेवाले देशों की योग्यता-क्रम से सूची इस प्रकार है—

देश	पदक स्वर्ण	रजत	कांस्य	देश	पदक स्वर्ण	रजत	कांस्य
रूस	४२	२६	३१	नार्वे	१	०	०
अमेरिका	३४	२०	१६	स्विट्जरलैंड	०	३	३
इटली	१३	१०	१२	फ्रान्स	०	२	३
जर्मनी	११	१६	११	बेल्जियम	०	२	२
अस्ट्रेलिया	८	८	६	ईरान	०	१	३
तुर्की	७	२	०	हालैंड	०	१	२
हंगरी	६	८	७	द० अफ्रिका	०	१	२
जापान	४	७	७	अर्जेण्टाइना	०	१	१
पोलैंड	३	६	११	संयुक्त अरब-संघ	०	१	१
चेकोस्लोवाकिया	३	२	३	कनाडा	०	१	०
रूमानिया	३	१	६	फारमोसा	०	१	०
ब्रिटेन	२	६	१२	घाना	०	१	०

देश	पदक स्वर्ण	रजत	कास्य	देश	पदक स्वर्ण	रजत	कास्य
डेनमार्क	२	३	१	भारत	०	१	०
न्यूजीलैंड	२	०	१	मोरक्को	०	१	०
बलगेरिया	१	३	३	पुर्त्तगाल	०	१	०
स्वीडेन	१	२	३	सिंगापुर	०	१	०
फिनलैंड	१	१	३	ब्राजिल	०	०	२
आस्ट्रिया	१	१	०	वेस्ट इण्डीज	०	०	१
युगोस्लाविया	१	१	०	इराक	०	०	१
पाकिस्तान	१	०	१	मेक्सिको	०	१	१
यूथोपिया	१	०	०	स्पेन	०	०	१
यूनान	१	०	०	वेनेजुएला	०	०	१

एशियाई खेल

विश्व ओलिम्पक खेल-समारोह की तरह १६५१ ई० से चार-चार वर्षों पर एशियाई खेल-समारोह भी होने लगा है, जिसमें केवल एशियाई देश ही भाग लेते हैं। प्रथम समारोह नई दिल्ली-स्थित राष्ट्रीय क्रीडागण में हुआ। दूसरा समारोह मनीला में, १६५६ ई० में तथा तीसरा टोकियो में, १६५८ ई० में हुआ, जिसमें पदक प्राप्त करनेवाले देशों का क्रम इस प्रकार है—

देश	पदक स्वर्ण	रजत	कास्य	देश	पदक स्वर्ण	रजत	कास्य
जापान	६७	४१	३०	बर्मा	१	२	१
फिलिपाइन्स	८	१६	२१	सिंगापुर	१	१	१
ईरान	७	१४	११	लंका	१	०	१
कोरिया	८	७	१२	थाईलैंड	०	१	३
चीन	६	११	१७	हांगकांग	०	१	१
पाकिस्तान	६	११	६	इण्डोनेशिया	०	०	६
भारत	५	४	३	मलाया	०	०	३
वियतनाम	२	०	४	इजरायल	०	०	२

१६६० ई० में विश्व का सर्वोत्तम एथलेट : हर्बइलियट।

विश्व-शतरंज-विजेता

आरम्भ १८५१ : १६३५-३७; डा० एमयूवे (हालैंड); १६३७-४६ ए० अलेखाइन (रूस); १६४६-४७ खेल नहीं हुआ; १६४८—५७ एम० बोटविनिक (रूस); १६५७ वी० स्मिस्लोव (रूस); १६५८ एम० बोटविनिक (रूस); १६६० टाल (लटाविया)।

विश्व-मुक्केबाजी-विजेता, १९६०

हेवी वेट (१७५ पौंड से अधिक)—फ्लायड पैटरसन (अमेरिका)
लाइट हेवी वेट (१७५ पौंड) —आर्चिमूरे (अमेरिका)
मिड्ल वेट (१६० पौंड) —जेनी फुलमर (अमेरिका)
वेल्टर वेट (१४७ पौंड) —वेनीपैरेट (क्यूबा)
लाइट वेट (१३५ पौंड) — जो ब्राऊन (अमेरिका)
फेदर वेट (१२६ पौंड) —डेवीभूरे (अमेरिका)
बैंएटम वेट (११८ पौंड) —जे० बैसेरा (मेक्सिको)
फ्लाई वेट (११२ पौंड) —पोने किंगपेच (थाईलैंड)

प्रचलित हेवी वेट-विजेता

आरम्भ १८८२; १९५१-५२ जो वालकोट; १९५२-५५ राकी मार्सियानो; १९५६-५९ फ्लायड पैटरसन; १९५९ इंगेमर जॉन्सन (स्वेडन), १९६० फ्लायड पैटरसन (अमेरिका)।

क्रिकेट

भारत में आई विदेशी क्रिकेट-टीमें

सन् १८८९-९० में सर्वप्रथम अँगरेज-टीम जी० एफ० वर्नन के नायकत्व में आई। १३ खेल, १० जीत, १ हार, २ बराबर।

सन् १८९२-९४ ई० में लार्ड हाक के नायकत्व में अँगरेज-टीम आई। २३ खेल, १५ जीत, २ हार, ६ बराबर।

सन् १९०२-३ ई० से ऑक्सफोर्ड-विश्वविद्यालय की टीम के० जे० के नायकत्व में आई। १९ खेल, १२ जीत, २ हार, ५ बराबर।

सन् १९२६-२७ ई० में एम० सी० सी० (इंगलैंड की राष्ट्रीय टीम मेरीलीबोन क्रिकेट-क्लब) की अनौपचारिक टीम आर्थर गिलिगन के नायकत्व में आई। ३४ खेल, ११ जीत, २३ बराबर।

सन् १९३३-३४ ई० में एम० सी० सी० टीम डी० आर० जार्डिन के नायकत्व में आई। ३४ खेल, १७ जीत, १ हार, १६ बराबर।

सन् १९३७-३८ ई० में लार्ड टेनीसन के नायकत्व में टीम आई। २४, खेल, ८ जीत, ५ हार ११ बराबर।

सन् १९३५-३६ ई० में जे० एस० राइडर के नायकत्व में आस्ट्रेलियन टीम अनौपचारिक रूप में आई। २३ खेल, ११ जीत, ३ हार, ९ बराबर।

सन् १९४५ ई० में ए० एल० हैसेट के नायकत्व में आस्ट्रेलिया की सैनिक एकादश टीम आई। ९ खेल, १ जीत, २ हार, ६ बराबर।

सन् १९४८-४९ ई० में जॉन गोडार्ड के नायकत्व में वेस्ट इण्डीज की टीम आई। १७ खेल, ५ जीत, १ हार, ११ बराबर।

सन् १६४६-५० में एल० लिविंगटन के नायकत्व में राष्ट्रमंडल-टीम आई। १७ खेल, ८ जीत, २ हार, ७ वरावर; अनौपचारिक ५ टेस्ट खेल, १ जीत, २ हार, २ वरावर।

सन् १६५०-५१ ई० मे एल० ई० जी० एमेंस के नायकत्व में राष्ट्रमंडल-टीम आई। २६ खेल, १४ जीत, १२ वरावर; ५ अनौपचारिक ५ टेस्ट खेल, २ जीत, ३ वरावर।

सन् १६५१-५२ ई० में एन० डी० हार्वर्ड के नायकत्व में एम० सी० सी० टीम आई। १८ खेल, ७ जीत, १ हार, १७ वरावर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, १ हार, ३ वरावर।

सन् १६५२ ई० में पाकिस्तान की टीम ए० एच० करदार के नायकत्व में आई। ११ खेल, १ जीत, २ हार, ६ वरावर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, २ हार, २ वरावर।

सन् १६५३-५४ ई० में समुद्रपारीन रजत-जयन्ती क्रिकेट-खेलाड़ियों की टीम आई। २१ खेल, ३ जीत, ५ हार, १३ वरावर।

सन् १६५६-५७ ई० में न्यूजीलैंड की टीम आई। १० खेल, २ जीत, ३ हार, ५ वरावर।

सन् १६५६ ई० में अस्ट्रेलिया की टीम आई। ३ खेल, २ जीत, १ वरावर।

सन् १६५७-५८ ई० में वेस्ट इण्डीज की टीम एफ० सी० एम० अलेक्जेण्डर के नायकत्व में आई। खेल १७, ६ जीत, ८ वरावर; ५ टेस्ट खेल, ३ जीत, २ वरावर।

सन् १६५६-६० ई० में आर० वेनी के नायकत्व में अस्ट्रेलियन टीम आई। ७ खेल, २ जीत, १ हार, ४ वरावर; ५ टेस्ट खेल, २ जीत, १ हार, २ वरावर।

सन् १६६०-६१ ई० में फजल महमूद के नायकत्व में पाकिस्तान की टीम आई। (भारतीय कप्तान नारी काण्ट्रैक्टर)।

पहला टेस्ट—(वम्वई) वरावर। पाक प्रथम पारी (इनिंग) ३५०; द्वितीय पारी १६६ (४ विकेट पर)।

भारत—प्रथम पारी ४४६ (६ विकेट पर घोषित)।

दूसरा टेस्ट—(कानपुर) वरावर। पाक—प्रथम पारी ३३५; दूसरी पारी १४० (तीन विकेट पर)।

भारत—प्रथम पारी ४०४।

तीसरा टेस्ट—(कलकत्ता) वरावर। पाक—प्रथम पारी ३०१; दूसरी पारी १४६ (तीन विकेट पर घोषित)।

भारत—प्रथम पारी १८०; दूसरी पारी १२७ (४ विकेट पर)।

चौथा टेस्ट (मद्रास) वरावर। पाक—प्रथम पारी ४४८ (८ विकेट पर घोषित); दूसरी पारी ५६ (कोई आउट नहीं)।

भारत—प्रथम पारी ५३६ (६ विकेट पर घोषित)।

पाँचवा टेस्ट (दिल्ली) वरावर। भारत—प्रथम पारी ४६३; दूसरी पारी १६ (कोई आउट नहीं हुआ।)

पाक—प्रथम पारी २८६, दूसरी पारी २५०।

सन १६६१ ई० के २४ अक्टूवर को एम० सी० सी० टीम (इंगलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट-टीम) भारत आयेगी और ३ महीने तक खेलेगी।

भारतीय टीम विदेशो में

सन् १९११ ई० में पटियाला के महाराजा भूपेन्द्रसिंह के नेतृत्व मे उनकी टीम इंगलैंड गई। २३ खेल, ६ जीत, १५ हार, २ बराबर।

सन् १९३२ ई० में अ० भा० टीम कर्नल सी० के० नायडू के नायकत्व मे इंगलैंड गई। ३१ खेल, १३ जीत, ९ हार, ९ बराबर।

सन् १९३६ ई० में विजयानगरम् के महाराज कुमार सर विजय के नायकत्व मे अ० भा० टीम इंगलैंड गई। ३१ खेल, ५ जीत, १३ हार, १३ बराबर।

सन् १९४५ ई० में वी० एम० मर्चेण्ट के नायकत्व में अ० भा० टीम लंका गई। ५ खेल, २ जीत, ३ बराबर।

सन् १९४६ ई० में पटौदी के नवाब के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। ३३ खेल, १३ जीत, ४ हार, १६ बराबर।

सन् १९४७-४८ ई० में लाला अमरनाथ के नायकत्व में अ० भा० टीम अस्ट्रेलिया गई। १९ खेल, ४ जीत, ७ हार, ८ बराबर।

सन् १९५२ ई० में वी० एस० हजारी के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। ३५ खेल, ६ जीत, ५ हार, २४ बराबर; ४ टेस्ट खेल, ३ हार, १ बराबर।

सन् १९५३ ई० में वी० एम० हजारी के नायकत्व में अ० भा० टीम वेस्ट इण्डीज गई। ११ खेल, १ जीत, १ हार, ९ बराबर। ५ टेस्ट खेल, १ हार, ४ बराबर।

सन् १९५४-५५ ई० में वीनू मनकड के नायकत्व में भारतीय टीम पाकिस्तान गई। १४ खेल, ५ जीत, ९ बराबर।

सन् १९५९ ई० में डी० के० गायकवाड़ के नायकत्व में भारतीय टीम इंगलैंड गई। ३३ खेल, ६ जीत, ११ हार, १६ बराबर; इनमें ५ टेस्ट थे, सभी में हार हो गई।

सन् १९६२ ई० की जनवरी के अन्त में भारतीय टीम वेस्ट इण्डीज जायेगी।

औपचारिक टेस्ट खेल

भारत और इंगलैंड के बीच

	खेल	इंगलैंड की जीत	भारत की जीत	बराबर
१९३२ (इंगलैंड में)	१	१	०	०
१९३३-३४ (भारत में)	३	२	०	१
१९३६ (इंगलैंड में)	३	२	०	१
१९४६ (इंगलैंड में)	३	१	०	२
१९५१-५२ (भारत में)	५	१	१	३
१९५२ (इंगलैंड में)	४	३	०	१
१९५९ (इंगलैंड में)	५	५	०	०
जोड़	२४	१५	१	८

भारत और अस्ट्रेलिया के बीच

	खेल	अस्ट्रेलिया की जीत	भारत की जीत	बराबर
१९४७-४८ (अस्ट्रेलिया में)	५	४	०	१
१९५६ (भारत में)	३	२	०	१
१९५९-६० (भारत में)	५	२	१	२
	१३	८	१	४

भारत और वेस्ट इण्डीज

	खेल	वेस्ट इण्डीज की जीत	भारत की जीत	बराबर
१९४८-४९ (भारत में)	५	१	०	४
१९५३ (वेस्ट-इ० में)	५	१	०	४
१९५८-५९ (भारत में)	५	३	०	२
	१५	५	०	१०

भारत और पाकिस्तान के बीच

	खेल	भारत की जीत	पाकिस्तान की जीत	बराबर
१९५२ (भारत में)	५	२	१	२
१९५४-५५ (पाकिस्तान में)	५	०	०	५
१९६०-६१ (भारत में)	५	०	०	५
	१५	२	१	१२

भारत और न्यूजीलैंड के बीच

	खेल	न्यू० की जीत	भारत की जीत	बराबर
१९५५-५६ (भारत में)	५	०	२	३

टेस्ट खेलो में भारत के उल्लेखनीय अभिलेख (रेकर्ड)

अधिकतम रन, खेलाड़ी विशेष का—वीनू मनकद ने २३१ रन न्यूजीलैंड के साथ खेल (१९५५-५६) में मद्रास में बनाया था।

अधिकतम कुल रन एक पारी में—न्यूजीलैंड के साथ मद्रास टेस्ट में ५३७ (तीन विकेट पर) (१९५६), ५३९ रन (९ विकेट पर) पाकिस्तान के साथ मद्रास में (१९६१)।

हर पारी में शतक—अस्ट्रेलिया के साथ अडेलडेल में वी० एस० हजारी का ११६ और १४५ (१९४७-४८)।

पहले खेल मे ही शतक—इंगलैंड के साथ बम्बई में लाला अमरनाथ का ११८ (१९३३-३४)।

पाकिस्तान के साथ कलकत्ता मे डी० एच्० शोधन का ११० (१९५२)। न्यूजीलैंड के साथ हैदराबाद में कृपालसिंह का १०० (अविजित)। इंगलैंड के साथ अब्बास अली बेग का १०५ रन (१९५९)।

जोड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम रन एक विकेट मे—मनकद और पंकज राय (प्रथम विकेट) की जोडी द्वारा न्यूजीलैंड के साथ मद्रास में ४१३ रन (१९५५-५६)।

अधिकतम विकेट तोड़नेवाले गेंदबाज—अस्ट्रेलिया के साथ सन् १९५९-६० ई० के कानपुर टेस्ट में जसु पटेल ने प्रथम पारी के ९ तथा दूसरी पारी के ५ कुल १४ विकेट तोड़े और केवल १२४ रन बनने दिये। इंगलैंड के साथ १९५२ में मद्रास टेस्ट (पाँचवें टेस्ट) मे वीनू मनकद ने प्रथम पारी में ८ तथा द्वितीय में ४ कुल १२ विकेट तोड़े। वेस्ट इण्डीज के साथ एस० पी० गुप्ते ने कानपुर में (१९५८) ९ विकेट तोड़े।

राष्ट्रीय क्रिकेट-प्रतियोगिता (रणजी-ट्रॉफी)

भारत के सुप्रसिद्ध क्रिकेट-खेलाडी और विश्व के प्रसिद्ध बल्लेबाज (बैट्समैन) नाभानगर के जाम साहेब स्व० रणजीत सिंह के स्मारक-स्वरूप सन् १९३४ ई० में महाराजा पटियाला ने एक स्वर्ण कप प्रदान कर अन्तरप्रान्तीय क्रिकेट-प्रतियोगिता चलाई, जो रणजी-ट्रॉफी के नाम से प्रचलित है।

१९३४-३५	बम्बई	१९४३-४४	पश्चिम भारत	१९५२-५३	होल्कर
१९३५-३६	बम्बई	१९४४-४५	बम्बई	१९५३-५४	बम्बई
१९३६-३७	नाभानगर	१९४५-४६	होल्कर	१९५४-५५	मद्रास
१९३७ ३८	हैदराबाद	१९४६-४७	बड़ौदा	१९५५-५६	बम्बई
१९३८-३९	बंगाल	१९४७-४८	होल्कर	१९५६-५७	बम्बई
१९३९-४०	महाराष्ट्र	११४८-४९	बम्बई	१९५७-५८	बड़ौदा
१९४०-४१	महाराष्ट्र	१९४९-५०	बड़ौदा	१९५८-५९	बम्बई
१९४१-४२	बम्बई	१९५०-५१	होल्कर	१९५९-६०	बम्बई
१९४२-४३	बड़ौदा	१९५१-५२	बम्बई	१९६०-६१	बम्बई की राजस्थान पर ७ विकेट से जीत

टेस्ट-खेलो में विश्व-अभिलेख

खिलाड़ी विशेष का अधिकतम रन—सन् १९५८ ई० में वेस्ट इण्डीज के सोबर्स ने किंग्स्टन में पाकिस्तान के साथ खेल में ३६५ रन (अविजित) बनाये।

सन् १९३८ ई० में आस्ट्रेलिया के साथ इंगलैंड के लेन हटन ने ओवल मैदान में ३६४ रन बनाये, सन् १९३२-३३ ई० में वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में इंगलैंड के डब्ल्यू० आर० हैमोंड ने आकलैंड में ३३६ रन (अविजित) बनाये, सन् १९३० ई० में आस्ट्रेलिया के डी० जी० ब्रैडमैन ने इंगलैंड के साथ खेल में लीड्स में ३३४ रन बनाये।

एक पारी में अधिकतम रन—सन् १६२६-३० ई० के वेस्ट-इण्डीज के साथ खेल में इंगलैंड ने ७ विकेट घोषित पर ६०३ रन किंग्स्टन में बनाये।

एक पारी में न्यूनतम रन—आकलैंड मे (१६५५) न्यूजीलैंड के इंगलैंड के साथ खेल में २६ रन।

एक खेल में न्यूनतम रन—सन् १६३१-३२ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ मेलबोर्न ७ में दक्षिण अफ्रिका के ८१ रन (प्रथम पारी ३६ + दूसरी पारी ४५)।

लगातार पारियों मे शतक—वेस्ट इण्डीज के ईवरटन वीक्स के सन् १६४७-४६ ई० में इंगलैंड के साथ खेल में १ शतक तथा भारत के साथ खेल में ४ शतक।

लगातार खेलों में शतक—इंगलैंड के साथ अस्ट्रेलिया डी० जी० ब्रैडमैन द्वारा सन् १६३६-३८ ई० और सन् १६४६-४७ ई० में ८ शतक।

लगातार खेलों में द्विशतक—सन् १६२८-२६ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ दूसरे और तीसरे टेस्टों में डब्ल्यू० आर० हैमॉण्ड (इंगलैंड) के २५१ तथा २०० रन तथा १६३२-३३ में वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में उसी के पहले और दूसरे टेस्टों में २२७ और ३३६ (अविजित) रन; ब्रैडमैन (अस्ट्रेलिया) के सन् १६३४ ई० में इंगलैंड के साथ चौथे और पाँचवें टेस्टों में ३०४ और २४४ रन।

टेस्टों में अधिकतम शतक—ब्रैडमैन के २६, हैमॉण्ड के २२, सटक्लिफ के १६, होव्स के १५, हट्टन के १२, हेडले (वेस्ट इण्जीज) के १०, डी० काम्पटन के १०।

राष्ट्रीय फुटबॉल-प्रतियोगिता

बंगाल के सुप्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल-संघ आइ० एफ० ए० ने संतोष के स्वर्गीय राजा मन्मथ राय चौधरी की स्मृति में यह प्रतियोगिता चलाई, जो राज्य-रेलवे तथा सैनिक टीमों के बीच प्रतिवर्ष होती है। यह संतोष-ट्रॉफी के नाम से विख्यात है। सन् १६४१ ई० बंगाल; १६४२-४३ में खेल नहीं हुआ; १६४४ दिल्ली; १६४५ बंगाल, १६४६ मैसूर; १६४७ बंगाल; १६४८ से ५१ तक बंगाल; १६५२ मैसूर; १६५३ बंगाल; १६५४ बंबई; १६५५ बंगाल; १६५६ और ५७ हैदराबाद; १६५८ और ५६ बंगाल; १६६०-६१ सेना ने बंगाल को (१—०) हराया।

आई० एफ० ए० शील्ड, कलकत्ता—आरंभ १८६३। १६५५ राजस्थान क्लब, कलकत्ता; १६५६ मोहन बगान; १६५७ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १६५८ ईस्ट बंगाल, १६५६ अनिर्णीत; १६६० मोहन बगान।

रोवर्स कप बम्बई—आरंभ १८६१. १६५५ मोहन बगान; १६५६ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १६५७ हैदराबाद पुलिस; १६५८ कैलटेक्स (बंबई); १६५६ मोहम्मडन स्पोर्टिंग; १६६० आन्ध्र-पुलिस।

डुरण्ड-कप, दिल्ली—आरंभ १८८८। १६५५ में मद्रास रेजीमेंटल सेण्टर; १६५६ ईस्ट बंगाल; १६५७ हैदराबाद-पुलिस; १६५८ मद्रास रे० से०; १६५६ मोहन-बगान; १६६० मोहन बगान और ईस्ट बंगाल संयुक्त विजयी।

दिल्ली क्लॉथ मिल-प्रतियोगिता—आरंभ १६४६। १६५५-५६ भारतीय वायुसेना; १६५७ ईस्ट बंगाल; १६५८ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १६५६ हैदराबाद-पुलिस; १६६० ईस्ट बंगाल।

श्रीकृष्ण गोल्ड-कप, पटना—सन् १९५७ ई० में तत्कालीन विहार के मुख्य मंत्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर संचालित। विजेता—१९५७ राजस्थान-क्लब, कलकत्ता; १९५८ मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, कलकत्ता, १९५९ मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, कलकत्ता; १९६० मद्रास रेजिमेंटल सेण्टर।

अन्तर-विश्वविद्यालय-प्रतियोगिता—आरंभ १९४१। १९५५-५६ उस्मानिया; १९५७ कलकत्ता; १९५८ पंजाव, १९५९ उस्मानिया; १९६० कलकत्ता।

कलकत्ता फुटवॉल-लीग—आरंभ १८९८। १९५४—५६ मोहन वगान, १९५७ मोहम्मडन स्पोर्टिंग; १९५८ पूर्व-रेलवे; १९५९-६० मोहन वगान।

ओलिम्पिक फुटवॉल—विजेता—१९०४ डेनमार्क; १९०८ और १९१२ ब्रिटेन; १९२० बेल्जियम; १९२४ और १९२८ उगुए; १९३६ इटली; १९४८ स्वीडन; १९५२ हंगरी; १९५६ रूस; १९६० युगोस्लाविया।

विश्व-फुटवॉल-प्रतियोगिता—विजय-प्रतीक जुलेस रिमेट कप; आरंभ १९३०; प्रति चार वर्ष पर प्रतियोगिता; १९३० उगुए; १९३४ और १९३८ इटली; १९५० उगुए; १९५४ पश्चिम जर्मनी, १९५८ ब्राजिल।

राष्ट्रीय हॉकी-प्रतियोगिता—आरम्भ १९२८; विजय-प्रतीक रंगास्वामी-कप कहलाता है। १९५५ में मद्रास और सेना (संयुक्त रूप से विजयी); १९५६ सेना; १९५७—१९५९ रेलवे; १९६० सेना। १९६१ रेलवे ने पंजाब को (१—०) हराया।

बाइटन-कप, कलकत्ता—आरम्भ १८९५। १९५५ पश्चिम रेलवे (बम्बई) और उत्तरप्रदेश एकादश संयुक्त रूप में विजयी; १९५६ सेना; १९५७ ईस्ट बंगाल; १९५८ मोहन बगान, १९५९ सैन्य इंजीनियर किर्की; १९६० मोहन बगान; १९६१ मध्य (सेण्ट्रल) रेलवे ने पंजाब पुलिस को (२—१) हराया।

आगाखाँ कप, बम्बई—आरम्भ १९३४। १९५५ पंजाब-पुलिस; १९५६ बम्बई-राज्य-पुलिस; १९५७ मद्रास इंजीनियर दल (बंगलोर), १९५८ बर्मा-शेल; १९६० पंजाब-पुलिस।

महिला राष्ट्रीय हॉकी-प्रतियोगिता—आरम्भ १९३८; विजय-प्रतीक लेडी रतन टाटा कप के नाम से प्रसिद्ध है। १९३८ खड़गपुर; १९३९ कलकत्ता, १९४७—४९ बम्बई; १९५० मध्य-प्रदेश; १९५१-५२ बम्बई; १९५३ बम्बई और बंगाल, १९५४-५५ मध्यप्रदेश, १९५७—५९ बम्बई; १९६० मैसूर।

ध्यानचन्द हॉकी—आरम्भ १९५? । १९५५ सिख रेजिमेंट सेण्टर; १९५६ [illegible] सैन्य-दल और उत्तर रेलवे दिल्ली (संयुक्त विजयी), १९५८ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप; १९५९ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप और [illegible] रेलवे में दो-दो बार खेल (०—०) बराबर रहा, तो संयुक्त घोषित कर दिया गया।

गोल्ड कप हॉकी—१९५८ पंजाब-पुलिस, १९५९ पंजाब-पुलिस ने मध्य रेलवे को (२—१) हराया, १९६० नार्दर्न इण्डिया स्पोर्ट्स क्लब ने बर्मा शैल को (१—०) हराया; १९६१ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बंगलौर ने [illegible] एकादश को (२—०) हराया।

अन्तर-विश्वविद्यालय हॉकी—१६५६–५७ मद्रास-विश्वविद्यालय; १६५७–५८ अलीगढ-विश्वविद्यालय; १६५६–६० जबलपुर-विश्वविद्यालय (महिला) पंजाब-विश्वविद्यालय ने पूना-विश्वविद्यालय को (२–०) हराया; पंजाब ने मद्रास को (२-०) हराया।

अन्तर-रेलवे-हॉकी—१६५५-५६ पश्चिम रेलवे; १६५६-५७मध्य रेलवे; १६५७-५८ पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे (संयुक्त); १६५८-५६ उत्तर रेलवे; १६५६-६० उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे (संयुक्त)।

सैन्य-सेवा हॉकी—१६५६ तथा १६६० मेदक्षिणी कमान।

अन्तरराज्य हॉकी—१६५७ पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को हराया (२–०); १६५८ महाराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को (२—१) हराया; १६५६ बंगाल (गोल औसत से)।

ओलिम्पिक हॉकी—१६०८ ब्रिटेन; १६२० ब्रिटेन; १६२८ से १६५६ तक हुई सभी ओलिम्पिक हाकी प्रतियोगिताओं में भारत विजयी; १६२८ में हालैंड को हराया (३–०); १६३२ में अमेरिका को हराया (२४–१); १६३६ में जर्मनी को हराया (८–१); १६४८ में ब्रिटेन को हराया (४–०); १६५२ मे नीदरलैंड (हालैंड) को हराया (६–१); १६५६ में पाकिस्तान को हराया (१–०); १६६० पाकिस्तान ने भारत को हराया (१–०)।

लॉन टेनिस—डेविस कप (यह विश्व-प्रतियोगिता है)। विजेता १६४६ से १६४६ तक अमेरिका (संयुक्त राज्य); १६५० से १६५३ तक अस्ट्रेलिया; १६५४ अमेरिका हराया अस्ट्रेलिया (३–२); १६५५ अस्ट्रेलिया हराया अमेरिका (५–०); १६५६ अस्ट्रेलिया हराया अमेरिका (५–०); १६५७ अस्ट्रेलिया हराया अमेरिका (३–२); १६५८ अमेरिका हराया अस्ट्रेलिया (३–२); १६५८ अस्ट्रेलिया हराया अमेरिका (३–२); १६५६ अस्ट्रेलिया हराया इटली (४–१); १६०० में प्रतियोगिता आरंभ हुई; अमेरिका १८ बार, अस्ट्रेलिया १६ बार तथा ब्रिटेन ६ बार विजयी हुए।

१६६१ के पूर्वी क्षेत्र डेविस कप में भारत हराया जापान (४–१)।

विम्बलेडन टेनिस-प्रतियोगिता

(इंगलैंड में आयोजित यह एकल विश्व-प्रतियोगिता है।)

पुरुष एकल—१६५५ टी० ट्रैबेरट (अमेरिका), १६५६ और १६५७ ल्युहोड (अस्ट्रेलिया); १६५८ एशले कूपर (अस्ट्रेलिया); १६५६ पी० ए० आलमेडो (अमेरिका); १६६० नील फ्रेजर (अस्ट्रेलिया)।

महिला एकल—१६५३ से १६५७ तक अमेरिका; १६५८ एल्थिया गिब्सन (अमेरिका) १६५६ और १६६० एम० ई० ब्यूएनो (ब्राजिल)।

एशियाई लॉन टेनिस-प्रतियोगिता (१६५६-६०)

१६४६–६० पुरुष एकल रामनाथन कृष्णन (भारत) हराया बेरी मैके (अमेरिका) ७–५, ४–६, ६–३, ६–४।

पुरुष-युगल—कृष्णन और नरेश कुमार (भारत) हराया डब्ल्यु नाइट (ब्रिटेन) और डब्ल्यु वुडकाक (अस्ट्रेलिया) ६–३, ६–२; ३–६, ७–५।

महिला एकल—कुमारी एम० हेलर (अस्ट्रेलिया) हराया एम० आरनॉल्ड (अमेरिका) ३–६, ६–१, ७–५।

मिश्रित युगल—नरेश कुमार और कुमारी हेलर हराया टी० लेयुस और कुमारी ल्आसानोना (दोनों रूसी) ७–५, ६–२।

राष्ट्रीय तथा उत्तर-भारत टेनिस-प्रतियोगिता

भारत के विश्वविख्यात टेनिस-खेलाड़ी रामनाथन कृष्णन दोनों प्रतियोगिताओं के पुरुष-एकल में लगातार ५ वर्षों से विजयी हुए हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे १९६० कृष्णन ने यू एक्मीड्ट (स्वीडन) को ६–३, ६–३ ६–१ से तथा १९६१ में फर्नेण्डीज (ब्राजिल) को हराया। उत्तर-भारत-प्रतियोगिता में कृष्णन ने १९६१ में प्रेमजीत लाल को ६–५, ६–४, ६–२ से हराया।

२२ दिसम्वर १९६० से २ जनवरी तक कलकत्ता में खेले गये राष्ट्रीय टेनिस के विजेता—

पुरुष-एकल—कृष्णन हराया फर्नेण्डीज (ब्राजिल) ६–२, ६–२, ३–६, ७-५।

पुरुष-युगल—प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी—हराया कृष्णन और नरेश कुमार को ६–३, ६–२, १८—१६।

महिला-एकल—कुमारी हेलर हराया कुमारी अप्पैय्या ६–४, ६–२।

महिला-युगल—श्रीमती चेरियन और कुमारी अप्पैय्या हराया श्रीमती जे० वकील और कुमारी एम० हेल्लियर ६–१, ६–३।

मिश्रित युगल—सी० ए० फर्नेण्डीज और कुमारी हेल्लियर—हराया नरेश कुमार और श्रीमती चेरियन ६–४, ३–६, ६–२।

पुराने एकल—एस० एल० आर साव ने हराया डी० आर० भासिन ६–४, ६–३।

पुराने युगल—साव ने और जी० दे—हराया जी० पान और आर० मोरेटन ६–४, ६–२।

कनीय (जूनियर) एकल—गोपाल वनर्जी—हराया एस० पी० मिश्रा (अन्तिम खेल नहीं हो सका, पर जीत वनर्जी की मानी गई।)

कनीय युगल—एस० पी० मिश्रा और एस० एस० मिश्रा—हराया गोपाल वनर्जी और वी० धवन ५–७, ६–१, ६–३।

वालिका-एकल—कुमारी एस० रैफेल—हराया कुमारी वी० पिल्लई ६–४, ६–३।

अ० भारतीय हार्डकोर्ट टेनिस-प्रतियोगिता, १९६०

पुरुष-एकल—कृष्णन—हराया युल्फ स्कमिड्ट (स्वेडन) ६–२, ६–३, ६–२।

पुरुष-युगल—स्कमिड्ट और सुल्तान—हराया कुमार और कृष्णन १–६, ६–३, ६–८, ६ ७।

महिला-एकल—कुमारी मिमि आरनॉल्ड (अमेरिका)—हराया कुमारी मार्गरेट हेल्लियर (अस्ट्रेलिया) ३–६, ६–२, ६–०।

राष्ट्रीय वालीवाल-प्रतियोगिता

पुरुष—१९५५ पंजाब, १९५६ पंजाब; १९५७ सेना, १९५८ रेलवे—हराया पंजाब (३–२). १९५९ सेना हराया पंजाब (३–२); १९६० रेलवे हराया पंजाब (३–०)।

महिला—१९५५ से १९६० तक पंजाब। १९५८ की एशियाई प्रतियोगिता (टोकियो) में भारत की जीत।

विश्व-वालीबाल-प्रतियोगिता— १९६० में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में रूस की जीत।

पोलो

विश्व-पोलो-प्रतियोगिता— १६५७ में वीनविले में भारत ने फ्रांस-स्पेन-मेक्सिको की संयुक्त टीम (लेवरेसिने) को हराया।

कार माइकेल-कप—१६५७ राजस्थान-हराया आपटिमिस्ट; १६५८ और १६५६ रतनडा।

एजरा-कप—१६५७ बंगाल टाइगर, १६५८ राजस्थान वाराडरर्स, १६५६ सेराटोर्स—हराया कैवलरी; १६६० राजस्थान—हराया कलकत्ता।

दरभंगा-कप—१६५६ उम्मैदनगर—हराया पुलिस। भारतीय पोलो—प्रतियोगिता १६५६ और १६६० रतनडा।

राष्ट्रीय टेवुल-टेनिस १६६०

पुरुष-एकल —एस० के० थैकर्से (वम्वई)।

पुरुष-युगल—थैकर्से और एस० आर० खोदाईजी (वम्वई)। पुरुष-टीम की विजय वम्वई को मिली।

महिला-एकल—श्रीमती पिस्का रोसारियो।

महिला-युगल— मीना पराराडे और राचेल जोन। महिला टीम की विजय रेलवे को मिली।

मिश्रित-युगल—एस० के० थैकर्से और मीना पराराडे।

राष्ट्रीय बास्केट-बॉल-प्रतियोगिता

१६५२-५३ मैसूर; १६५४-५५ मैसूर; १६५६ मैसूर, १६५७-५८ सेना, १६५६ सेना, १६६० सेना।

महिला—१६५७, १६५८ और १६५६ पश्चिम बंगाल; १६६० मैसूर।

राष्ट्रीय बिलियर्ड-प्रतियोगिता

आरम्भ—१६३१। १६५६ सी० हीरजी, १६५७ सी० हीरजी; १६५८, १६५६ तथा १६६० विल्सन जोन।

राष्ट्रीय बैडमिण्टन-प्रतियोगिता

१६६० के विजेता —पुरुष एकल नंदू नटेकर (वम्वई)—हराया टी० एन० सेठ (रेलवे) १५-१; १५-३। पुरुष-युगल—नंदू नटेकर और ढेवरास नटेकर—हराया ए० एल० दीवान तथा दीपू घोष १५-४,१५-७।

महिला-एकल—कुमारी मीना शाह (रेलवे)—हराया श्रीमती प्रेम पराशर ११-८, ११-४।

महिला-युगल—श्रीमती प्रेम पराशर तथा कुमारी एम० केलकर—हराया कुमारी मीना शाह तथा कुमारी वी अयत्री (रेलवे) १७—५, १५—१२।

वालक-एकल—अशोक सैदा (मध्यप्रदेश)—हराया सतीश भाटिया (उत्तर-प्रदेश)।

वालिका-एकल—कुमारी शोभा मूर्त्ति (पूना)—हराया कुमारी ए० सूबेदार (उत्तर-प्रदेश)।

विश्वविद्यालय-बैडमिराटन-प्रतियोगिता में १६५० से १६५६ तक लगातार वम्वई-विश्वविद्यालय जीतता रहा।

अन्तरराज्य बैडमिण्टन-प्रतियोगिता

१६४८ से १६५१ वम्वई; १६५२ दिल्ली; १६५३ से १६५६ वम्वई; ११५७ उत्तरप्रदेश; १६५८ और १६५६ वम्वई।

टॉमस कप अन्तरराष्ट्रीय बैडमिंटन-प्रतियोगिता में १९४८ से १९५७ तक लगातार मलाया विजयी; १९५८ इण्डोनेशिया। १९६० से अन्तरराष्ट्रीय महिला-प्रतियोगिता में अमेरिका ने डेनमार्क को हराया।

इंगलिश चैनेल-तैराकी

१९५७—इंगलैंड से फ्रांस की ओर—कमाण्डर सेराल्ड फोरवर्ग १३ घंटे ३३ मिनट। (पुराने रेकार्ड से २० मिनट कम।)

१९५७—फ्रांस से इंगलैंड की ओर (अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता)—ग्रेटा मेरी एण्डरसन (प्रथम महिला, जिसने चैनेल पार किया), १३ घंटे ५३ सेकण्ड।

१९५८—ग्रेटा मेरी एण्डरसन ने लगातार दूसरी वार विजय पायी, ११ घंटे। ब्रोजेन दास (पाकिस्तान), १४ घंटे ५७ सेकण्ड।

१९५९—अल्फ्रेड कैमेरे रो ११, घंटे ४८ मिनट २९ सेकेण्ड तथा हरमैन विलेम १२ घंटे ४५ मिनट ३३ सेकेण्ड।

भारत के मिहिरसेन, डा० विमलचन्द्र तथा कुमारी आरती शाहा इंगलिश चैनल पार करने में सफल हुए हैं।

राष्ट्रीय जलक्रीडा-प्रतियोगिता, १९६०

पुरुष—सेना १०० अंक; बम्बई ४१; रेलवे १७।

महिला—बंगाल ४७; बम्बई ६; दिल्ली ४।

परिणाम--१५०० मीटर फ्री स्टाइल तैराकी (पुरुष)—एल० भौमिक (बंगाल), २१ मिनट १७'५ सेकेण्ड; बाबू सिंह (सेना); एम० एस० भुल्लर (रेलवे)।

४०० मीटर फ्री स्टाइल (पुरुष)—बाबूलाल (सेना), ५ मिनट १४'८ सेकेण्ड; एल० भौमिक (बंगाल); के० के० मण्डल (बंगाल)।

२०० मीटर फ्री स्टाइल (पुरुष)—बाबूलाल (सेना), २ मिनट २३'८ से०; नारायण नायर (सेना), के० नायर (केरल)।

१०० मीटर फ्री स्टाइल (पुरुष)—नारायण नायर (सेना) १ मिनट २'६ से०; एस० कर्मकार (बंगाल), बाबूलाल (सेना)।

२०० मीटर चित तैराकी (पुरुष)—रूपचन्द (सेना), २ मिनट ४२'४ से०; सुन्दर सिंह (सेना); टी० वी० ओक (रेलवे)।

१०० मीटर तितली तैराकी (पुरुष)—एस० सी० पाल (सेना) १ मिनट ११'५ से०; एन० कुण्डु (बंगाल), अरुण राव (सेना)।

२०० मीटर तितली तैराकी (पुरुष)—शम्भुगन (सेना) २ मि० ४५'६ से०; राज किशोर तिवारी (सेना), बेनी मजुमदार (रेलवे)।

१०० मीटर निम्न तैराकी (पुरुष)—रूपचन्द (सेना), १ मिनट १४'३ से०; टी० वी० ओक (रेलवे); एन० के० नारायण नायर (केरल)।

५०० मीटर छाती-तैराकी (पुरुष)—रामदेव सिंह (सेना); ६ मि० ९.३ से०, राजकिशोर तिवारी (सेना); एन० कर्मकार (बंगाल)।

२०० मीटर छाती-तैराकी (पुरुष)—रामदेव सिंह (सेना), २ मिनट ४५'६ से०; राज किशोर तिवारी (सेना); बी० मजुमदार (रेलवे)।

४ × १०० मीटर मीडले रीले तैराकी (पुरुष)—सेना, ४ मिनट ५४·६ सेकेण्ड; रेलवे; बंगाल।

४ × १०० मीटर फ्री स्टाइल रीले (पुरुष)—बंगाल ४ मिनट २७·३ सेकेण्ड; सेना, दिल्ली।

१०० मीटर फ्री स्टाइल (महिला)—संध्याचन्द्रा (बंगाल), १ मिनट २१·६ सेकेण्ड; कल्याणी बोस (बंगाल), दीप्ता अन्नावेल (दिल्ली)।

१०० मीटर चित तैराकी (महिला)—नीरा करियप्पा (बंगाल), १ मिनट ४०·६ से०; दीप्ता अन्नावेल (दिल्ली), अलेंका मायोविक (बम्बई)।

४०० मीटर फ्री स्टाइल (महिला)—संध्याचन्द्रा (बंगाल), ६ मिनट ३१·१ सेकेण्ड; कल्याणी बोस (बंगाल); वन्दना मर्चेण्ट (बम्बई)।

२०० मीटर फ्री स्टाइल (महिला)—कल्याणी बोस (बंगाल), ३ मिनट ५ सेकेण्ड; संध्याचन्द्रा (बंगाल); संजीविनी कदम (महाराष्ट्र)।

४ × १०० मीटर फ्री स्टाइल रीले (महिला)—बंगाल, ५ मिनट ५५·२ सेकेण्ड; बम्बई, महाराष्ट्र।

अखिलभारतीय खेल-परिषद्

३ मई, १९६१ से दो वर्षों के लिए भारत-सरकार ने अ० भा० खेल-परिषद् पुनर्गठित की है। इसके अध्यक्ष महाराजा पटियाला हैं।

पटियाला में ७ मई को राष्ट्रीय क्रीड़ा-संस्थान का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। खेलों का स्तर उन्नत करना इसका लक्ष्य है। यहाँ विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक तैयार होंगे।

राष्ट्रीय कुश्ती-प्रतियोगिता, १९६१

भारतीय प्रणाली—कर्णसिंह (पंजाब), हराया मारुति वडार (महाराष्ट्र)।

फ्लाईवेट—तिप्पिया (मैसूर), हराया मेवराति वारणे (महाराष्ट्र)।

फेदरवेट—के० सी० सुरी (दिल्ली), हराया बलिराम (दिल्ली)।

लाइटवेट—बलकारा सिंह (पंजाब), हराया शिवधन सिंह (दिल्ली)।

वेल्टरवेट—कमाल सिंह (दिल्ली), हराया हरभजन सिंह (पंजाब)।

हेवीवेट—प्रभात सिंह (रेलवे अजमेर), हराया लघुसिंह (राजस्थान)।

लाइट-हेवीवेट—मास्टर चन्दिगी राम (दिल्ली), हराया महादेव भारने (महाराष्ट्र)।

सन् १९६१ ई० के राष्ट्रीय खेलों में पदक-विजेता-राज्यों के नाम क्रमानुसार हैं। बिहार, उड़ीसा तथा गुजरात एक भी पदक नहीं जीत सके —

राज्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य	राज्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
सेना	१८	१४	६	मैसूर	३	२	३
महाराष्ट्र	१३	४	४	मद्रास	२	१	५
पंजाब	५	८	१२	केरल	१	१	२
उत्तरप्रदेश	५	३	५	राजस्थान	०	१	२
प० बंगाल	४	१३	८	आंध्र	०	१	०
दिल्ली	३	६	७	मध्यप्रदेश	०	०	१

मार्ग तथा क्षेत्र-खेलों मे खिलाड़ी-विशेषों द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान-प्राप्ति के परिणाम निम्नलिखित हैं —

पुरुष

१०० मीटर—फेरोआ (महाराष्ट्र), हरभजन सिंह पंजाब, तवाड़े (सेना) : समय—१०.८ सेकेण्ड।

२०० मीटर—माखन सिंह (सेना), मगभूषण (आन्ध्र), करनैल सिंह (सेना) : समय—२१.६ सेकेण्ड।

४०० मीटर—मिलखा सिंह (सेना,) दलजीत सिंह (सेना), अमृत सिंह पंजाब : समय—४७.६ सेकेण्ड।

८०० मीटर—अमृत पाल (सेना), दलजीत सिंह (सेना), हजारीराम (राजस्थान) : समय—१ मिनट ५१.१ सेकेण्ड नया रेकार्ड।

१५०० मीटर—मोहीन्द्र सिंह (सेना), मानसिंह (सेना), जरनैल सिंह (पंजाब) : समय—३ मिनट ५६.२ सेकेण्ड।

३००० मीटर—स्टीप्ल-चेज दौड़ (इसमें २८ दीपकूदें और ७ जलकूदें होती हैं)—पानसिंह (सेना), चुन्नीलाल (सेना), हरवंश लाल (दिल्ली) . समय—६ मिनट २.३ सेकेण्ड।

५० किलोमीटर—जोरासिंह (सेना), अजितसिंह (सेना), सुरेशकुमार (पंजाब) : समय—४ घंटा ३३ मिनट १८.५ सेकेण्ड (नया रेकार्ड)।

मेराथन—लालचंद (सेना), जगमलसिंह (सेना), जोधराम (पंजाब) : समय—३६ मिनट ५६.२ सेकेण्ड।

दौड़कर ऊँची कूद—अजितसिंह (पंजाब), शरणजीतसिंह (पंजाब), टी० एल० पाल (महाराष्ट्र) : ६ फुट ५ इंच।

भाला-फेंक—मोहीन्द्र सिंह (सेना), गुरुदयाल सिंह (उत्तरप्रदेश), पी० आके (महाराष्ट्र) १५६ फुट .०५ इंच।

गोला-फेंक—टी० ईरानी (महाराष्ट्र), जोगीन्द्र सिंह (सेना), बालकर सिंह (सेना) : दूरी—५० फुट ४ इंच (नया रेकार्ड)।

४ × १०० मीटर रीले—सेना, पंजाब, मद्रास : ४२.७ सेकेण्ड।

४ × ४०० मीटर रीले—सेना, पंजाब, मद्रास : ३ मिनट, १३ सेकेण्ड।

महिला

८० मीटर हर्डल—[illegible] (मद्रास), सी० [illegible] (महाराष्ट्र), एम० घोष (बंगाल) : १२.१ सेकेण्ड।

१०० मीटर—ए० मूर (महाराष्ट्र); सी० [illegible] (महाराष्ट्र) एन० [illegible] (बंगाल) : १२.३ सेकेण्ड।

२०० मीटर—ए० मूर (महाराष्ट्र), सी० [illegible] (महाराष्ट्र), डी० [illegible] (मैसूर) : २५.२ सेकेण्ड (नया रेकार्ड)।

ऊँची कूद—[illegible] (महाराष्ट्र), डी० [illegible] (मैसूर), [illegible] (मैसूर) : ४ फुट, ६ इंच।

लम्बी कूद—मेरी ब्राउन (मद्रास), स्पिन्क्स (मद्रास), इकबाल कौर (पंजाब) : दूरी—१६ फुट ११ इंच।

भाला-फेंक—इन्दर मोहिनी ओबेराय (दिल्ली), एन० रिचसन (बंगाल), डी० विलियम्स (मद्रास)—२२ फुट ४ इंच।

४ × १०० मीटर रीले —महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास : ५२·२ सेकेण्ड।

लड़के

१०० मीटर—कृपालसिंह (उत्तरप्रदेश), के० शाहा (बंगाल), सी० भट्टाचार्य (बंगाल) : ११·४ सेकेण्ड।

११० मीटर हर्डल—सुरेन्द्रसिंह (उत्तरप्रदेश), तेन्माया (दिल्ली), एस० दस्तीदार (बंगाल) : १६·१ सेकेण्ड।

२०० मीटर—कृपालसिंह (उत्तरप्रदेश), चंचल भट्टाचार्य (बंगाल), हेमरोन (दिल्ली) : २३·३ सेकेण्ड।

४०० मीटर—जी० राजन (केरल), संग्राम (सेना), कनुलाल शाहा (बंगाल) : ५२·१ सेकेण्ड।

४ × १०० मीटर रीले ७—उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली : ४५·८ सेकेण्ड।

ऊँची कूद—के० पी० सिंह (मैसूर), वी० तालुकदार (बंगाल), देशपाण्डेय (महाराष्ट्र) : ऊँचाई ५ फुट, १० इंच।

डिस्कस फेंक—प्रीतमसिंह (पंजाब), प्रीतपालसिंह (दिल्ली), साधुसिंह (पंजाब) : १४०·६ इंच।

लड़कियाँ

५० मीटर—ए० ब्रैगेंजा (उत्तरप्रदेश), अनीता मुखर्जी (बंगाल), माया मैथ्यु (केरल) : ७ सेकेण्ड।

१०० मीटर ए० ब्रैगेंजा (उत्तरप्रदेश), मनोरमा (दिल्ली), कीर्त्ति कुमारी (महाराष्ट्र) : १३·४ सेकेण्ड।

८० मीटर हर्डल—सी० फोरेज (महाराष्ट्र), एम० घोष (बंगाल), मधु माथुर (दिल्ली) : १३·२ सेकेण्ड।

४ × १०० मीटर रीले—दिल्ली, बंगाल, उत्तरप्रदेश : ५४ सेकेण्ड।

राष्ट्रीय साइकिल-दौड़-प्रतियोगिता, १९६१

परवेज ईरानी (महाराष्ट्र) प्रथम; ४ घण्टे, १४ मिनट, ३६ सेकेण्ड; सोम दारूवाला (रेलवे) द्वितीय; ४ घंटे, १४ मिनट ४०·३ सेकेण्ड; एस० बनर्जी (रेलवे) तृतीय; ४ घंटे, १४ मिनट ४३ सेकेण्ड।

पुरुष-साइकिल-दौड़ में विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार हैं—महाराष्ट्र ३२, रेलवे २७, वायु-सेना १५, बंगाल १०, बिहार ५, पंजाब ५।

मार्ग तथा क्षेत्र (ट्रैक एण्ड फील्ड इवेण्ट्स) खेलों के विश्व-अभिलेख (रेकार्ड)

पुरुष

१०० मीटर—१० सेकण्ड — ए० हैरी (जर्मनी), एच० डब्ल्यू० जेरोम (कनाडा) १९६० ।

२०० मीटर—२० से० — डी० सिमे (अमेरिका) १९५६ ।

४०० मीटर—४४·६ से० — ओरिस डेविस (अमेरिका), काफमैन (जर्मनी), १९६० ।

८०० मीटर—१ मि० ४५·७ से० — आर० मोएन्स (बेल्जियम), १९५५ ।

१,००० मीटर—२ मि० १६·८ से० — डी वारेन (स्वडेन), १९५६ ।

१,५०० मीटर—३ मि० ३५ से० — एच० इलियट (अस्ट्रेलिया), १९६० ।

२,००० मीटर—५ मि० २२ से० — आइ रोज्सावोलरि (हंगरी), १९५५ ।

३,००० मीटर—७ मि० ५२·८ से० — गोर्डन पाडरी (इंगलैंड), १९५६ ।

५,००० मीटर—१३ मि० ३५ से० — वी० कुट्स (रूस), १९५७ ।

१०,००० मीटर—२८ मि० ३०·४ से० — वी० कुट्स (रूस), १९५६ ।

२०,००० मीटर—५६ मि० ५१·८ से० — ई० जरोपेक (चेकी०), १९५१ ।

२५,००० मीटर—१ घंटा २५ मि० १ से० — आई ईवानोव (रूस), १९५७ ।

हर्डल, अर्थात् दौड-मार्ग में डंडो के लंघन, छड़ो को फांदते हुए दौड़ना

१०० मीटर—१३·२ से० — एम० लॉगर (जर्मनी), १९५६ ।

२०० मीटर—२२·१ से० — जे० ई० गिलबर्ट (अमरीका), १९५८ ।

४०० मीटर—४९·२ से० — जी० डेविस (अमेरिका), १९५८ ।

फील्ड इवेण्ट अर्थात् क्षेत्र-खेल—

ऊँची कूद ७' ३½" — जे० टॉमस (अमेरिका) १९५६ ।

लम्बी कूद २६' ८¼" — जेसे ओवेन्स (अमेरिका) १९३५ ।

उछल, कदम-कूद (हाप स्टेप जंप) — १६·८ मीटर श्मिदट (पोलैंड) १९६०

बाँस-कूद (पोल वॉल्ट) १५' ९½" — डी ब्राग (अमेरिका) १९[illegible] ।

गोलाफेंक (शॉट पुट) ६५' ७" — डब्ल्यु नीडर (अमेरिका) ।

डिस्कस फेंक १९६' ६½" — ई० पिआटकोवेस्की (पोलैंड) १९५९ ।

भाला (जेवलिन) फेंक २८२' ३½" — ए० कैन्टेलो (अमेरिका) १९५९ ।

हैमर २२५' ४" — एच० वी० कोनोली १९५८ ।

दशांग (डीकथ लोन) ८६८३ अंक — आर० जॉन्सन (अमेरिका) १९६० ।

पैदल चलना

२०,००० मीटर— ४२ मि० १८·[illegible] से० — वी० [illegible] (रूस), १९५८ ।

३०,००० मीटर— १ घंटा २५ मि० ४ से० — वी० [illegible] (रूस) १९५८ ।

लम्बी कूद—मेरी ब्राउन (मद्रास), स्पिन्क्स (मद्रास), इकबाल कौर (पंजाब) : दूरी—१६ फुट ११ इंच।

भाला-फेंक—इन्दर मोहिनी ओवेराय (दिल्ली), एन० रिचसन (बंगाल), डी० विलियम्स (मद्रास)—२२ फुट ४ इंच।

४×१०० मीटर रीले—महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास : ५२·२ सेकेण्ड।

लड़के

१०० मीटर—कृपालसिंह (उत्तरप्रदेश), के० शाहा (बंगाल), सी० भट्टाचार्य (बंगाल) : ११·४ सेकेण्ड।

११० मीटर हर्डल—सुरेन्द्रसिंह (उत्तरप्रदेश), तेन्माया (दिल्ली), एस्० दस्तीदार (बंगाल) : १६·१ सेकेण्ड।

२०० मीटर—कृपालसिंह (उत्तरप्रदेश), चंचल भट्टाचार्य (बंगाल), हेमरोन (दिल्ली) : २३·३ सेकेण्ड।

४०० मीटर—जी० राजन (केरल), संग्राम (सेना), कनुलाल शाहा (बंगाल) : ५२·१ सेकेण्ड।

४×१०० मीटर रीले ७—उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली : ४५·६ सेकेण्ड।

ऊँची कूद—के० पी० सिंह (मैसूर), वी० तालुकदार (बंगाल), देशपाण्डेय (महाराष्ट्र) : ऊँचाई ५ फुट, १० इंच।

डिस्कस फेंक—प्रीतमसिंह (पंजाब), प्रीतपालसिंह (दिल्ली), साधुसिंह (पंजाब) : १४०·६ इंच।

लड़कियाँ

५० मीटर—ए० ब्रैगेंजा (उत्तरप्रदेश), अनीता मुखर्जी (बंगाल), माया मैथ्यु (केरल) : ७ सेकेण्ड।

१०० मीटर ए० ब्रैगेंजा (उत्तरप्रदेश), मनोरमा (दिल्ली), कीर्त्ति कुमारी (महाराष्ट्र) : १३·४ सेकेण्ड।

८० मीटर हर्डल—सी० फोरेज (महाराष्ट्र), एम० घोष (बंगाल), मधु माथुर (दिल्ली) : १३·२ सेकेण्ड।

४×१०० मीटर रीले—दिल्ली, बंगाल, उत्तरप्रदेश : ५४ सेकेण्ड।

राष्ट्रीय साइकिल-दौड़-प्रतियोगिता, १९६१

परवेज ईरानी (महाराष्ट्र) प्रथम; ४ घण्टे, १४ मिनट, ३६ सेकेण्ड; सोम दारूवाला (रेलवे) द्वितीय; ४ घंटे, १४ मिनट ४०·३ सेकेण्ड; एस्० बनर्जी (रेलवे) तृतीय; ४ घंटे, १४ मिनट ४३ सेकेण्ड।

पुरुष-साइकिल-दौड़ में विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार हैं—महाराष्ट्र ३२, रेलवे २७, वायु-सेना-१५, बंगाल १०, बिहार ५, पंजाब ५।

मार्ग तथा क्षेत्र (ट्रैक एण्ड फील्ड इवेण्ट्स) खेलों के विश्व-अभिलेख (रेकार्ड)

पुरुष

१०० मीटर—१० सेकण्ड — ए० हैरी (जर्मनी), एच्० डब्ल्यू० जेरोम (कनाडा) १६६० ।
२०० मीटर—२० से० — डी० सिमे (अमेरिका) १६५६ ।
४०० मीटर—४४·६ से० — ओरिस डेविस (अमेरिका), काफमैन (जर्मनी), १६६० ।
८०० मीटर—१ मि० ४५·७ से० — आर० मोएन्स (बेल्जियम), १६५५ ।
१,००० मीटर—२ मि० १६·८ से० — डी वारेन (स्वीडेन), १६५६ ।
१,५०० मीटर—३ मि० ३५ से० — एच० इलियट (आस्ट्रेलिया), १६६० ।
२,००० मीटर—५ मि० २२ से० — आई रोज्सावोलरि (हंगरी), १६५५ ।
३,००० मीटर—७ मि० ५२·८ से० — गोर्डन पाइरी (इंगलैंड), १६५६ ।
५,००० मीटर—१३ मि० ३५ से० — वी० कुट्स (रूस), १६५७ ।
१०,००० मीटर—२८ मि० ३४·४ से० — वी० कुट्स (रूस), १६५६ ।
२०,००० मीटर—५६ मि० ५१·८ से० — ई० जरोपेक (चेको०), १६५१ ।
२५,००० मीटर—१ घंटा ३५ मि० १ से० — आई ईवानोव (रूस), १६५७ ।

हर्डल, अर्थात् दौड-मार्ग में डंडो के लंघन, छडो को फांदते हुए दौड़ना

१०० मीटर—१३·२ से० — एम० लौसर (जर्मनी), १६५६ ।
२०० मीटर—२२·१ से० — जे० ई० गिलवर्ट (अमरीका), १६५८ ।
४०० मीटर—४६·२ से० — जी० डेमिस (अमेरिका), १६५८ ।

फील्ड इवेण्ट अर्थात् क्षेत्र-खेल—

ऊँची कूद ७' ३½" — जे० टॉमिस (अमेरिका) १६५६ ।
लम्बी कूद २६' ८¼" — जेसे ओवेन्स (अमेरिका) १६३५ ।
उछल, कदम-कूद (हाप स्टेप जंप) — १६·८ मीटर स्कमिड्ट (पोलैंड) १६६०
बाँस-फाँद (पोल वौल्ट) १५' ८¼" — डी ब्राग (अमेरिका) १६५६ ।
गोलाफेंक (शॉट पुट) ६५' ७" — डब्ल्यु नीडर (अमेरिका) ।
डिस्कस फेंक १६६' ६½" — ई० पेटकीवेस्की (पोलैंड) १६५६ ।
भाला (जेवलिन) फेंक २८२' ३½" — ए० कैण्टेला (अमेरिका) १६५६ ।
हैमर २२५' ४" — ए० वी० कोनोली १६५८ ।
दशक (डीकथलोन) ८६८३ अंक — आर० जोन्सन (अमेरिका) १६५६ ।

तेज चलना

१०,००० मीटर—४२ मि० १८·३ से० — जी० पैनिचकिन (रूस), १६५८ ।
२०,००० मीटर—१ घंटा २७ मि० ५ से० — वी० गोलुब्निची (रूस), १६५८ ।

३०,००० मीटर—२ घंटा १७ मि० १९·८ से०	ई० जामे (रूस), १९५९।
५०,००० मीटर—४ घंटा १६ मि० ८·६ से०	एस० लोवास्टर (रूस), १९५८।

महिलाओं के विश्व-रेकार्ड

१०० गज दौड़—१०·३ से०	एम० विलार्ड (अस्ट्रे०), १९५८।
२२० ,, ,, —२३·२ से०	वी० कुथवर्ट (अस्ट्रे०)।
८८० ,, ,, —२ मि० ६·६ से०	नीमा ओटकालेंको (रूस), १९५६।
१०० मीटर —११·३ से०	एस० हुएटी (अस्ट्रे०) १९५५; क्रेयकोना (रूस) १९५८; विलमा रूडोल्फ (अमेरिका), १९६०।
२०० ,, —२३·२ से०	वी० कुर्थवर्ट (अस्ट्रे०), १९५६।
४०० ,, —५३·४ से०	एम० इटकिना (रूस), १९५९।
८०० ,, —२ मि० ४·३ से०	लिसेंको (रूस), १९६०।

क्षेत्र-खेल (फील्ड इवेण्ट)

लम्बी कूद	२०' १०"	ई० डुम्कां० क्रजेकिस्का (पोलैंड), १९५६।
ऊँची कूद	६' $\frac{3}{4}$"	आई० वालास (रूमानिया), १९५९।
डिस्कस् फेंक	१८७' १$\frac{1}{2}$"	नीना डुम्वाडजे (रूस), १९५२।
भाला-फेंक	१९५' २$\frac{1}{2}$"	ई० ओजोलोनी (रूस), १९५९।
गोला-फेंक	५६' ७"	तमारा प्रेस (रूस), १९५९।
पंचक पेंथालोन	४,८८० अंक	ईरीना प्रेस (रूस), १९५९।

भारतीय और एशियाई प्रतियोगिताओं के रेकार्ड

पुरुष

मीटर	भारत	एशिया
१०० मीटर	१०·४ से० मिलखासिंह (सेना), वम्वई, १९६०	१०·६ से० अब्दुल खालिक़ (पाक), १९५४
२०० ,,	२१·६ से० मिलखासिंह १९५८	२१·६ से० शरीफ़ भट (पाक) १९५४ मिलखासिंह (भारत) १९५८
४०० ,,	४६·१ से० मिलखासिंह १९६०	४७ से० मिलखासिंह, १९५८
८०० ,,	१ मि० ५१·१ से० अमृत पाल, १९६१	१ मि० ५२·१ से० वाई, म्यूया (जापान), १९५४

मीटर	भारत	एशिया
१,५०० ,,	३ मि० ४१·६ से० मोल्तार सिंह, १९५९	३ मि० ५६·२ से चोर्डि-यनचिक जापान, १९५४
५,००० ,,	१४ मि० ४३·२ से० पानसिंह, १९६०	१४ मि० १६ से० ओडनाऊ जापान, १९५८
१०,००० ,,	३१ मि० १८·२ से० भूटासिंह, १९५५	३० मि० ४८·४ से० टी० वाया जापान, १९५८
३,००० ,, स्टीपुल चेज	९ मि० ७·८ से० पानसिंह, १९६०	९ मि० १५ से०टी० सूसा, जापान, १९५४
११० मीटर हर्डल	१४·४ से० जगमोहनसिंह, १९६०	१४·८ से० जी० रज़ीक (पाक), १९५८
४०० ,,	५३.६ से० जगदेवसिंह, १९५८	५४·१ से० मिरज़ा खान (पाक), १९५४
५,००० ,, तेज चलना	२६ मि० १३ से० साधुसिंह १९४६	
१०,००० ,, ,,	५० मि० २६·६ से० हरनायक सिंह, १९५४	५२ मि० ३१.४ से० महावीर प्रसाद, १९५१
२०,००० ,, ,,	१ घंटा ३३ मि० ३३ से० जोरासिंह १९६०	—
५०,००० ,, ,,	४ घं० ३३ मिं० १८·५ से० जोरासिंह, १९६१	५ घं० ४४ मि० ४७ से० वखतावर सिंह १९५१
४ × १०० मी. रीले	४२·१ से० सेना, १९६०	४१·२ से० जापान टीम, १९५४
४ × ४०० मी. रीले	३ मि० १२·६ से० सेना १९६०	३ मि० २४·२ से० जापान टीम १९५१
मेरे थान दौड़	२ घंटा २८ मि० २२·४ से० लालचन्द (२६ मील २८५ गज), १९६०	२ घंटा ४२ मि० ५८·६ से० छोटासिंह (भारत)
ऊँची कूद	६'·६" अजितसिंह (पंजाब) १९५९	६' ७३/४" सिंधमसिलोन १९५८
लम्बी कूद	२४' ४१/२" राममेहर १९५७	२४'. ८३/४ शूयागजो कोरिया, १९५८
पोलावाल्ट	१५'५" रामचन्द्रम् (मद्रास) १९५८	१३' ६३/४" एन यसूड़े, १९५८
हाप-स्टेप और जम्प	५०'३" महेन्द्रसिंह, १९५९	५१' २३/४" मोहीन्द्रसिंह भारत, १९५८

मीटर	भारत	एशिया
गोला फेंकना	५०'४" डी ईरानी, भारत १९६१	४६'१३/४" प्रद्युम्न सिंह १९५८
हेमर ,,	१६६'१०" देवीदयाल, १९५६	२००' मोहम्मद इकबाल (पाक), १९५८
भाला ,,	२०१'४" अवारसिंह (पंजाव), १९६०	२२७' ७१/२ मु० नवाज (पाक), १९५८
डिस्कस ,,	१५७'७" प्रद्युम्न सिंह, १९५६	१५६' वलकार सिंह, भारत, १९५८
दशक प्रतियोगिता	५९७३ अंक, गुरुवचन सिंह, पंजाव, १९६०	
११० मी० हर्डल	१४'८ से० सिरीचन्द, १९५६	१४'७ से सरवन सिंह, १९५४
४०० मी० ,,	५३'६ से० जगदेव सिंह, १९५५	५४'१ से० मिरजा खाँ, १९५४

महिला

१०० मीटर दौड़	१२'३' से० एम० द० सूजा, वम्बई १९६०	१२'५ से० ए० नम्बू, जापान १९५४
२०० मी० ,,	२५'३ से० द० सूजा, वम्बई, १९६१	२६ से० ओ० किमिको
८० मी० हर्डल	११'५ से० लीला राय, १९५८	११'७ से० आई० मिचिका, जापान
४०११० मी० रीले	५०'२ से० वम्बई टीम	४९'५ से० भारत टीम
ऊँची कूद	५'१" बसन्ताकुमारी, (केरल) १९५७	५'१" क्रास अहुवा
लम्बी कूद	१७'५" सी० ब्राउन, वम्बई १९५४	१९'५" किमोको जापान
गोला फेंकना	३५'७१/४" ई० जे० डेवन पोर्ट (विहार), १९५७	४०' ४१/६" टोवोको जापान १९५४
डिस्कस ,,	१२०' मोहन ओवेराव, १९६०	१४०' ७०" टोवोको, जापान, १९५४
जेवेलिन ,,	१४५' ५" जे० डेवेन-पोर्टे, राजस्थान	१४४'६०" अकीको, जापान, १९५४

★

कुछ उल्लेखनीय विश्व-अभिलेख

मोटर (कार) की गति (मील प्रति घंटा) १८९८ ई० में ३९.२४ मील—सी० लौंयट; १९०४ में ९१.३७ मील—हेनरी फोर्ड; १९१० में १३१.७२४ मील—बी० ओल्डफील; १९१९ में १४९.८७५ मील—राल्फ डी० पाल्मा; १९३५ में ३०१.१३ मील—सर एम० कैम्पवेल; १९४७ में ३९४.१९७ मील—जोन काब।

तने हुए रस्से पर चलने का रेकार्ड—१९५५ में विली पिस्चलर ११३ घंटे लगातार चलता रहा।

डुबकी लगाना—जैक ब्राउन, १९४५ में ५५० फुट नीचे गहराई में चला गया था।

ऊँचाई से पानी में कूद—अलेक्स विक्हम (सोलोमन द्वीप-समूह)—२०५ फुट ९ इंच।

पर्वतारोहण—सर एडमण्ड हिलेरी और शेरपा तेनसिंह नोरके—१९५२ में एवरेस्ट की चोटी (२९,०१८ फुट) पर चढ़े।

रेलवे-गति का विश्व-रेकार्ड—पेरिस-लीओन्स मार्ग, २४३ किलोमीटर (१५२ मील) प्रति घंटा।

मोटर--साइकिल—विलहेम दर्ज (जर्मनी), २१०.६४ मील प्रतिघंटा, १९५६।

डुबकी लगाना—जार्ज वुक्ले, ६०० फुट गोताखोर की पोशाक में, १९५६।

विश्व का सबसे तेज मोटर (कार)-चालक—जोन काब (इंगलैंड), ३९४.१९६ मील प्रति घण्टा, १९४७।

२४ घंटे लगातार मोटर (कार) चलाने का रेकार्ड—आइस्टन (इंगलैंड) ३५७८.३ मील।

☆

योजना के दस वर्ष

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि सन् १९५१—५६ ई० तक थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि सन् १९५६—६१ ई० में समाप्त होती है। प्रथम योजना में कुल ३,३६० करोड़ रुपये और दूसरी योजना में ६,७५० करोड़ रुपये का विनियोग हुआ। इस प्रकार दोनों योजनाओं में कुल मिलाकर १०,११० करोड़ रुपये का विनियोग हुआ। इस रकम में ५,२१० करोड़ रुपये का सार्वजनिक क्षेत्र में और ४,९०० करोड़ रुपये का निजी क्षेत्र में विनियोग हुआ।

योजना के प्रथम दशक के तलपट को यदि हम देखें, तो हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय, कृषि और उद्योग-जात वस्तुओं के उत्पादन और मानवीय साधनों के विकास में क्रमशः उन्नति होती गई है। इन दस वर्षों में भारत की आय ४२ प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है। इसी तरह सन् १९५०-५१ ई० से सन् १९६०-६१ ई० में हमारी पैदावार भी करीब ४० प्रतिशत बढ़ी है। सन् १९५० में जहाँ देश में कुल ५ करोड़ १५ लाख एकड़ में सिंचाई होती थी, वहाँ सन् १९६० ई० में सिंचाई-क्षेत्र ७ करोड़ एकड़ हो गया है।

आशा है, दूसरी योजना के अन्त तक १९५०-५१ की तुलना में देश का औद्योगिक उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ जायगा और बिजली बनाने की क्षमता २३ लाख किलोवाट से बढ़कर

५८ लाख किलोवाट हो जायगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में भी उन्नति हुई है। देशवासियों की औसत आयु ३२ से बढ़कर ४२ हो गई है।

१६५०-५१ में देश में ६७,५०० मील लम्बी सड़कें थीं। वहाँ १६६०-६१ ई० में १,४४,००० मील लम्बी सड़कें हो जायेंगी। १६५०-५१ में ६-११ वर्ष तक के बच्चों में प्रतिशत ४३ स्कूलों में पढ़ते थे। १६६०-६१ में यह संख्या बढ़कर ६० प्रतिशत हो गई है। छात्रों की कुल संख्या में विद्यालयों में ७५ प्रतिशत और विश्वविद्यालयों में १४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों और औषधालयों की संख्या ८,६०० (१६५०-५१) से बढ़कर १६६०-६१ में १२,६०० हो जायगी, मेडिकल कॉलेज की संख्या ३० से ५५ और रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या ५६,००० से बढ़कर ८४,३०० हो जायगी। पहली योजना की अवधि में परिवार-नियोजन का कार्यक्रम प्रवर्त्तित किया गया था। उस समय से अबतक इस दिशा में क्रमशः प्रगति हुई है। १६५५-५६ में जहाँ परिवार-नियोजन-केन्द्र १४७ थे, वहाँ १६६०-६१ तक उनकी संख्या बढकर लगभग १८०० हो जायगी।

प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग और कारीगरी विद्या के डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षार्थियों की वार्षिक संख्या १०,००० (१६५०-५१) से बढ़कर ३७,५०० (१६६०-६१), अर्थात् लगभग चौगुनी हो जायगी। कृषि और पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षार्थियों की वार्षिक संख्या १५०० (१६५०-५१) से बढकर १६६०-६१ में ५८०० हो जाने की आशा की जाती है।

गत दशक में औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर मशीन और इंजीनियरिंग उद्योगों में प्रगति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के तीन नये कारखाने दुर्गापुर, कलकत्ता और भिलाई में स्थापित हुए हैं और वे चालू हो गये हैं। पहली योजना के आरम्भ में देश में कुल १० लाख टन और दूसरी योजना के आरम्भ में १० लाख, ३० हजार टन इस्पात तैयार होता था। इसकी तुलना में इस्पात का उत्पादन बढकर ४० लाख, ५० हजार टन हो जायगा। सीमेंट, कोयला, अलमुनियम आदि के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। १६५१ ई० में भारत में कुल ११ करोड़ रुपये के मूल्य के उद्योगों से सम्बद्ध कल-पुर्जे तैयार होते थे। १६५८ में कुल ७६ करोड़ रुपये के मूल्य के कल-पुर्जे तैयार किये गये। रेलगाड़ियों के काम के लिए जिन कल-पुर्जों की जरूरत होती है, उनमें से अधिकाश दूसरी योजना की अवधि के अन्त तक स्वदेश में ही उपलब्ध होने लग जायेंगे। भारी वैज्ञानिक सज्जा के उत्पादन के लिए कार्यारम्भ हो चुका है। रासायनिक उद्योग, जिनमें भारी रासायन, भेषज, भेषजीय द्रव्य, उर्वरक इत्यादि सम्मिलित हैं, में भी प्रगति हुई है। इसी प्रकार उपभोग्य वस्तुओं सूती कपड़ा, चीनी, बाइसिकिल और सब प्रकार की मोटरगाड़ियों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

औद्योगिक वाष्पित्र (वायलर), पेषण-यंत्र (मिलिंग मशीन) तथा अन्य प्रकार के यन्त्र-उपकरण, औद्योगिक उत्स्फोट, सल्फा और ऐराटी बायटिक भेषज, डी० डी० टी० अखबारी कागज इत्यादि तैयार करने के कारखाने पहले-पहल देश में खुले हैं।

इस अवधि में ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। १९५०-५१ और १९६०-६१ के बीच हाथ-करघे पर बुने हुए कपड़े का उत्पादन लगभग ७४२०००००० गज से बढ़कर लगभग १२५०००,००० गज हो जायगा। इसी प्रकार, खादी का उत्पादन ७० लाख गज से बढ़कर ८०००००००० गज और कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग २० लाख पाउण्ड से बढ़कर लगभग ३० लाख, ७० हजार पाउण्ड हो जायगा। लोहे के सामान, हथियार, सिलाई-कल, बिजली के पंखे और बाइसिकिल के उत्पादन में भी बहुत कुछ उन्नति हुई है। सभी राज्यों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान-स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों के साहचर्य में ४२ विस्तार-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दूसरी योजना के अन्त तक लगभग ६० औद्योगिक इस्टेट, जिनके अन्दर ७०० छोटे कारखाने होंगे, स्थापित हो जायेंगे।

पहली योजना की अवधि में कृषि-सम्बन्धी पैदावार में विशेष प्रगति हुई थी, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में लगभग २० प्रतिशत वृद्धि की आशा की जाती है। इस प्रकार, दस वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग ४२ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति पीछे आय में लगभग २० प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति पीछे उपभोग में लगभग १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में ४० प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में १२० प्रतिशत वृद्धि हो जायगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास-आन्दोलन के अविभक्त अंश के रूप में राष्ट्रीय सेवा विस्तार का सारे देश में पुनः स्थापन किया गया। १९६३ के अक्टूबर तक यह कार्य क्रम सारे ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत हो जायगा।

१९५१—५६ में प्राथमिक कृषि-समितियों की संख्या १०५००० से बढ़कर १८३००० और सदस्यों की संख्या ४० लाख, ४० हजार से बढ़कर १२०००००० हो जायगी। ग्राम पंचायतों की संख्या दुगुनी से भी अधिक लगभग १,७८,००० हो गई है।

दूसरी योजना की अवधि में नियुक्तियों में जिनकी वृद्धि हुई है, उससे बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। यह आशा की गई थी कि सब प्रकार के विकासमूलक कार्यक्रमों में कृषि से बाहर ८० लाख अतिरिक्त लोगों को काम मिलेगा। किन्तु, योजना की अवधि में ६० लाख ५० हजार लोगों को काम मिलने का इस समय अनुमान किया जाता है।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल ११,२५० करोड़ रुपये का उद्व्यय होगा। कुल विनियोग १०,२०० करोड़ रुपये का होगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है—जहाँतक संभव हो, देश को आत्मनिर्भरशील अवस्था की ओर ले जाना। अन्य उद्देश्य हैं—आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं में ह्रास, प्रौद्योगिकीय परिवर्त्तन लाना, विशेषकर कृषि में जनशक्ति का पूर्णतर उपयोग और कृषि एवं उद्योग दोनों में सहकारिता की प्रोन्नति। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में विनियोग इस प्रकार होंगे : कृषि, लघु सिंचाई और सामुदायिक विकास मे १,४७५ करोड़, बड़ी और मझोली सिंचाई में ६४० करोड़,

बिजली में ७६५ करोड़; ग्रामीण और लघु उद्योगों में ४३५ करोड़ वृहत् उद्योगों और खनिजों में २,५०० करोड़; परिवहन और संचार में १,१५० करोड़; समाज-सेवाओं में १,७२५ करोड़ और स्टॉक तथा इनवेण्टरी में ८०० करोड़।

दूसरी योजना में जो सब परियोजनाएँ आरम्भ हो चुकी हैं, उन्हें तीसरी योजना में सबसे पहले स्थान दिया जायगा। इसके बाद वे सब नई परियोजनाएँ ली जायँगी, जिनके लिए विदेशी मुद्रा सुनिश्चित हो चुकी है। फिर भी, ऐसी परियोजनाओं पर सर्वोपरि जोर दिया जायगा। जिनसे (१) खाद्य एवं कृषि-जात उत्पादन में वृद्धि हो, (२) यंत्रों और उपादानों का निर्माण हो और (३) विशेषज्ञों के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, उनमें सहायक हों।

१०,२०० करोड़ के कुल विनियोग में निजी क्षेत्र का हिस्सा ४,००० करोड़ रुपया होगा। इसके सिवा, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को और २०० करोड़ रुपया सहायता के रूप में मिलेगा। यह उम्मीद की जाती है कि निजी क्षेत्र में ८५० करोड़ रुपये कृषि में, ५० करोड़ बिजली में, ३२५ करोड़ ग्रामीण उद्योगों और लघु उद्योगों में, १,०५० करोड़ उद्योग और खनिज में, २०० करोड़ परिवहन एवं संचार में, १,१२५ करोड़ गृह-निर्माण में और ६०० करोड़ रुपये वस्तु-सूचियों में लगाये जायेंगे।

योजना के लिए धन

केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को विनियोग और चालू खर्च के लिए ७,२५० करोड़ रुपये उगाहने होंगे। इस रकम में १,६५० करोड़ अतिरिक्त करारोपण से आयेंगे, ३५० करोड़ वर्त्तमान कर के जो प्रतिमान हैं, उनके हिसाब से राजस्व के अवशेषों से; ८५० करोड़ सार्वजनिक ऋण से; ५५० करोड़ लघु भविष्य निधियों से, योजना में यह भी पूर्वानुमान किया गया है कि रेलों से अंशदान के रूप में १५० करोड़ और अन्य सार्वजनिक उद्योगों की बचतों से ४४० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त विदेशों से सहायता के रूप में २,२०० करोड़ रु० तक प्राप्त होने का हिसाब लगाया गया है। हीन वित्त-प्रबन्धन (Deticit financing) से ५५० करोड़ रुपये आयेंगे। योजना के प्रारूप में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि निजी क्षेत्र को अपना हिस्सा ४,००० करोड़ रु० उगाहने में कठिनाई नहीं होगी।

तृतीय योजना का लक्ष्य है राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत वृद्धि। पहली और दूसरी योजनाओं में राष्ट्रीय आय में ३·५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

खाद्यान्नों के उत्पादन में ३३ से ४० प्रतिशत तक वृद्धि होने का लक्ष्य रखा गया है। ७,५०००,००० टन के बदले १० करोड़, ५० लाख टन तक अन्नोत्पादन की आशा की जाती है।

कुल सिंचाई-क्षेत्र ७ करोड़ एकड़ (१९६१) से बढ़कर १९६६ में लगभग ९ करोड़ एकड़ हो जाने की आशा की जाती है।

लोहा, इस्पात, बिजली, कोयला और खनिज तेल के उत्पादन में भी काफी बढ़ती होने की आशा की गई है।

तीसरी योजना में लगभग ३०-५० लाख अतिरिक्त मनुष्यों को कृषि में काम मिलेगा। इसी अवधि मे श्रमजीवी दल में कुल १ करोड़, ५० लाख मनुष्य भरती होंगे।

(२) शिक्षा के लिए कुल ५०० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इसमें २३० करोड़ रुपया प्राविधिक शिक्षा की मद का खर्च भी शामिल है। सामान्य शिक्षा की मद में कुल ३७० करोड़ रुपये में प्राथमिक शिक्षा में १८० करोड़, माध्यमिक शिक्षा में ६० करोड़ और विश्वविद्यालय-शिक्षा में ७५ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त २५ करोड़ शिक्षा-सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों में खर्च होंगे।

लक्ष्य है: प्राथमिक विद्यालयों में ६-११ वर्ष तक के छात्र-छात्राओं की संख्या ५ करोड़ ४ लाख, ११—१४ वर्ष तक १ करोड़ और १४-१७ वर्ष तक ४४ लाख (१९६५—६६)।

विश्वविद्यालय-शिक्षा-दूसरी योजना के अंत तक सारे देश में ४१ विश्वविद्यालय और १,०५० कालेज हो जायेंगे। इन संस्थाओं में कला, विज्ञान और वाणिज्य में छात्रों की संख्या ६३४,००० (१९५५-५६) से बढकर १९६१ में लगभग ९ लाख हो जायगी। किन्तु, विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या २०६,००० से बढकर लगभग २७,००० तक ही होगी।

विश्वविद्यालय-शिक्षा के लिए कुल ७५ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। दूसरी योजना में यह राशि ४४ करोड़ और पहली योजना में १५ करोड़ थी।

प्राविधिक शिक्षा

दूसरी योजना की अवधि में इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या ६५ से बढ़कर ९७ और इनमें भरती होनेवाले छात्रों की वार्षिक संख्या लगभग ५,८८८ से बढ़कर १३,१६५ हो गई है। बहुशिल्प-शिक्षणालयों (पॉलिटेकनिक) की संख्या ११४ से बढ़कर १९७ और इनमें भरती होनेवाले छात्रों की वार्षिक संख्या लगभग १०,४८ से बढकर लगभग २४,७२० हो गई है। चूँकि, इंजीनियरिंग के स्नातकों का प्रशिक्षण पाँच वर्षों में और डिप्लोमा का पाठ्यक्रम तीन वर्षों में पूरा होता है, इसलिए अबतक प्रति वर्ष स्नातकों की संख्या में लगभग ४ हजार से ८,३०० की और डिप्लोमा-धारियों की संख्या में ४ हजार से लगभग १० हजार की वृद्धि हुई है। १९६५ तक वर्त्तमान इंजीनियरिंग का लोगों में प्रतिवर्ष ११,५०० और बहुशिल्प-शिक्षणालयों से १८,९०० छात्र क्रमशः डिगरी और डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करके निकलेंगे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप गत ५ जुलाई, १९६० को प्रकाशित किया गया। इसमें यह आशा प्रकट की गई है कि योजना के दौरान में राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से कुछ अधिक के हिसाब से बढ़ेगी, जबकि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय ३॥ प्रतिशत और ४ प्रतिशत बढी है।

योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—

(१) अगले ५ साल में राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना और इस हिसाब से देश के विकास में धन का विनियोग करना, जिससे आज की वृद्धि का यही क्रम जारी रहे;

(२) अनाज की पैदावार में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कच्चे माल की उपज को इतना वढाना कि उससे हमारे उद्योगों की जरूरतें भी पूरी हों और निर्यात भी हों;

(३) इस्पात, विजली, तेल, ईंधन आदि बुनियादी उद्योगों को वढ़ाना और कल-पुर्जे वनाने के कारखाने कायम करना, जिससे १० वर्ष के अन्दर अपने देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कल-पुर्जे देश में ही तैयार किये जा सकें;

(४) देश की जन-शक्ति का पूरा उपयोग करना और लोगों को रोजगार के अधिक जरिये देना; तथा

(५) धन और आय की विषमता को घटाना और सम्पत्ति का अधिक न्यायोचित वितरण करना।

योजना के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनके अनुसार १६६६ ई० में भारत अन्न में आत्म-निर्भर हो जायगा तथा प्रति व्यक्ति को औसतन प्रतिदिन १५ औंस अन्न, ३ औंस दाल, प्रतिवर्ष १७½ गज कपड़ा और इस समय से अधिक दूध, मास, मछली, अंडे इत्यादि मिलने लगेंगे। इसके अतिरिक्त ६ से ११ वर्ष तक की आयु के सब बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो जायगी।

इन लक्ष्यों की पूर्त्ति के लिए आयोजन-योजना की अवधि में १०,२०० करोड़ रुपये के पूँजी-विनियोग का लक्ष्य रखा है, जिसमें ६,२०० करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र में और ४,००० करोड रुपया निजी क्षेत्र में लगाये जायेंगे। यह विनियोग दूसरी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा ३,४६० करोड़ रु० अधिक है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में १,०५० करोड़ रु० राजस्व-खाते और व्यय किया जायगा।

सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से के ७,२५० करोड़ रुपये के व्यय में से १,६५० रु० अतिरिक्त कर लगाकर, ८५० करोड़ रु० जनता से ऋण लेकर, ५५० करोड़ रु० अल्प-बचत से, ५०० रु० घाटे की वित्त-व्यवस्था से तथा २६०० करोड़ रु० विदेशों से सहायता के रूप में प्राप्त किये जायेंगे।

विकासमूलक कार्यों में इतनी अधिक पूँजी लगाने के वाद भी सन् १६६६ ई० में वेकारों की संख्या अव से १५ लाख अधिक होगी। अनुमान है कि १६६६ ई० तक हमारी जन-संख्या ४८ करोड़ हो जायगी। इसलिए, योजना में परिवार-नियोजन की आवश्यकता और रोजगार के अवसर वढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।

यह आशा की गई है कि अनाज की पैदावार १०—१०॥ करोड़ टन तक हो जायगी। खेती और सामुदायिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में १,०२५ रु० तथा सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रु० रखे गये हैं। इसके अलावा अनुमान है कि लोग निजी ओर से भी इन कामों में ८०० करोड़ रु० लगायेंगे। खेती की पैदावार में ३० से ३३ प्रतिशत की वृद्धि की जायगी।

★

विदेशों में भारत के राज-प्रतिनिधि

राजदूत (एम्बेसडर)

देश	प्रतिनिधियों के नाम	पद	पता
अफगानिस्तान	जगन्नाथ धामीजा		भारतीय दूतावास, शहरे-अरव, काबुल ।
अर्जेण्टाइना	मेजर जनरल टी० एस० थाल		भारतीय दूतावास, लेवेल४६२,(फ्लोर५) ब्यूनिस एयरिज् ।
आस्ट्रिया	आर्थर एस० लाल		भारतीय दूतावास, १७ स्पित् गेसीज गेसी, विएना १२ आवास-वर्त्त में ।
बेल्जियम	एम० ए० रॉफ	साथ ही लक्जमवर्ग के मिनिस्टर भारतीय	इण्ट्रान्स २, स्पिति दूतावास, ५८५ एवेन्यू, लाइस ब्रुसेल्स ।
बोलिविया	आर० एस० मणि	साथ ही चिली के राजदूत,	सेण्टिआगो ।
ब्राजिल	एम० के० कृपलानी		भारतीय दूतावास, रुआ बराओ डो फ्लेमेंगो २२, एप्टस् ८०१-८०२, रिओडिजनेरियो ।
बर्मा	लालजी मेहरोत्रा		भारतीय दूतावास, ओरियण्टल बिल्डिंग्स, ५४५-४७, मरचेण्ट स्ट्रीट, रंगून ।
कम्बोडिया	राजकुमार रघुनाथ सिन्हा		भारतीय दूतावास, प्नोम पेन्ह कम्बोडिया ।

देश	प्रतिनिधियों के नाम	पद	पता
चिली	आर० एस० मणि	साथ ही बोलिविया के राजदूत, भारतीय दूतावास,	सेरिंटआगो डे चिली।
चीन	जी० पार्थ सारथी	साथ ही मंगोलिया के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, ३२ टुंग चिआ-ओ मिन ह्सिऑंग, पेकिंग।
चेकोस्लोवाकिया	वी० के० आचार्य	साथ ही रूमानिया के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, २२ थुनोवसका, प्राग ३।
क्यूबा	एच० इ० एम० सी० छागला		भारतीय दूतावास, हवायना।
डेनमार्क	केवलसिंह		स्वेडेन के राजदूत, फिनलैंड के मंत्री भारतीय दूतावास, स्टॉकहोम।
मिस्र	आर० के० नेहरू	(साथ ही लेबनान और लीबिया गण-राज्य के मंत्री)	भारतीय दूतावास, २६ शरिया हसन पाशा, काहिरा।
इथोपिया	राव राजा आर० जी० राजवाडे		राजदूत, १५ रुई अल्फ्रेक डेहोडेनक पेरिस।
फ्रांस	एन्० राघवन		भारतीय दूतावास, १५, रूइ अल्फ्रेड, डेहोडेनेक, पेरिस।
पश्चिम जर्मनी	पी० ए० मेनन		भारतीय दूतावास, २६२, कोब्लेन गोइस्ट्रेसी, बोन।
ग्रीस (यूनान)	अली यावर जंग	साथ ही युगोस्लाविया के राजदूत।	भारतीय दूतावास, बेलग्रेड़।

देश	प्रतिनिधियों के नाम	पद	पता
इण्डोनेशिया	जे० एन्० खोसला		भारतीय दूतावास, पो० बॉक्स न० ११८, ४४, केब्रन-सेरीह, जकार्त्ता।
ईरान	मिरजा रशीद अलीबेग		भारतीय दूतावास, एवेन्यू शाहरेज, तेहरान।
इराक	आइ० एस० चोपरा	साथ ही जर्दान के मंत्री	भारतीय दूतावास, २२/१२ ए० आई० टवारी स्ट्रीट वजिरि-याह बगदाद।
आयरलैंड	श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित	ग्रेट ब्रिटेन में हाई कमिश्नर, स्पेन के राजदूत	६०, फिट्ज विलियम स्क्वायर, डब्लिन, लन्दन।
इटली	एस० एन० हक्सर	साथ ही अलबानिया का राजदूत, राजदूत अबानिया के मंत्री भी	भारतीय दूतावास, भाया— फ्रान्सिस्को, डेन्स, ३६, रोम।
जापान	लालजी मेहरोत्रा		भारतीय दूतावास, नैगाई विल्डिंग १३/२० चोम मारु नौपी चिओडाफू, टोकियो।
मेक्सिको	एम्० सी० छागला	सं० रा० अमेरिका के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, कैले डे एलिनास, न० ४०, पाँचवाँ पीसो, मेक्सिको सिटी।
नेपाल	भगवान सहाय, आई० सी० एस०		भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल।
नेदरलैंड	आर० के० टंडन		भारतीय दूतावास, बुइटेनरस्टवाग २, हेग।

देश	प्रतिनिधियों के नाम	पद	पता
नारवे	वी० एम० माधवन नैय्यर		भारतीय दूतावास, ओस्लो नारवे।
लाओस	पी० रत्नम्		भारतीय दूतावास, विएंटियाने।
मंगोलिया	जी० पार्थ सारथी		भारतीय दूतावास, पेकिंग।
मोरक्को	आर० सी० गोवर्धन		भारतीय दूतावास, ३०, एवन्यू अलाल बेन अवदुल्ला, रैबट, मोरक्को।
फिलिपाइन्स	एस्० एन्० मोइत्रा		भारतीय दूतावास, १८५६, नेवरास्का, मैलेट, मनिला।
पोलैंड	एल० आर० एस० सिंह		भारतीय दूतावास, मास्को।
रूमानिया	बी० के० आचार्य		भारतीय दूतावास, प्राग (प्राहा)।
सऊदी अरब	एम्० के० किदवई		भारतीय दूतावास, जेद्दा।
स्पेन	श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित	साथ ही ब्रिटेन के उच्चायुक्त	लंदन।
सूडान	डॉ० शौक एस्० अन्सारी तुल्ला		इस्माइल पाशा एवेन्यू, पो० बॉक्स, ७०७, खार्तुम।
स्वीडन	केवलसिंह	साथ ही डेनमार्क के राजदूत और फिनलैंड के सचिव	भारतीय दूतावास, स्ट्रैंडवेगेन, ४७, स्टॉकहोम।
स्विट्जरलैंड	एम्० के० वेलोदी	साथ ही वैटिकन के मिनिस्टर और अस्ट्रेलिया के राजदूत	भारतीय दूतावास, ५६, थर्टरेसी, वर्न।

देश	प्रतिनिधियों के नाम	पद	पता
थाईलैंड	नारंजन सिंह गिल		भारतीय दूतावास, १३६, पान रोड, बैंकाक।
ट्युनिशिया	आर० गोवर्धन		३०, अलाल बेन अबदुल्ला एवेन्यू रैबट।
टर्की	जयकुमार अटल		भारतीय दूतावास, न० ४४, क्रिजिलिर्मक सोकाक, कोरटेप, अंकारा।
संयुक्त अरब-गणराज्य	मुहम्मद अजीम हुसैन	साथ ही लीबिया और लेबनॉन के मिनिस्टर।	भारतीय दूतावास, २६, शारिया हसन पाशा, कैरो।
संयुक्तराज्य अमेरिका	एम्० सी० छागला	साथ ही मेक्सिको के राजदूत और क्यूबा के मिनिस्टर।	भारतीय दूतावास, २१०७, मासचुसेट्स एवेन्यू, एन्० डब्ल्यू० वाशिंगटन, ८, डी० सी०।
रूस	एस्० दत्त	साथ ही हंगरी के मिनिस्टर और पोलैंड के राजदूत भी।	भारतीय दूतावास, न० ६और८, उलित्सा ओबूखा, मास्को।
युगोस्लाविया	अली यावर जंग	साथ ही ग्रीक के राजदूत और बलगेरिया के मिनिस्टर।	भारतीय दूतावास, प्रोलेटर स्केह ब्रिगेड, ६, बेलग्रेड।

उच्चायुक्त (हाइ-कमिश्नर)

देश	उच्चायुक्तों के नाम	पद	पता
अस्ट्रेलिया	एस० एन्० सेन, आइ० सी० एस्०	साथ ही न्यूजीलैण्ड के उच्चायुक्त	सिविक सेण्टर, कैनबेरा।
कनाडा	बी० एन० चक्रवर्ती		२००, मैकलॉरेन स्ट्रीट, ओटावा।

देश	उच्चायुक्तों के नाम	पद	पता
श्रीलंका	वी० के० कपूर		६७, टॅरेट रोड, पो० वॉक्स नं० ८८२, कोलपेट्टी, कोलम्वो।
धाना	खूबचन्द	नाइजीरिया के भी आयुक्त	पो० वॉक्स नं० २०४०, अकरा।
मलाया	वाई० के० पुरी	(सार्वाक ब्रिटिश नार्थ वोर्नियो तथा ब्रुमेई तक अधिकार क्षेत्र का विस्तार)	पो० वॉक्स न० ५६, ४ गाइलेक रोड, ऑफ पहॉग रोड, क्वालालम्पुर।
न्यूजीलैंड	पी० ए० मेनन	साथ ही अस्ट्रेलिया के भी उच्चायुक्त	४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, कैनवेरा।
प० पाकिस्तान	राजेश्वरदयाल		वालिका महल, जहाँगीर सेठना रोड, न्यू टाउन, कराची-५।
पूर्व-पाकिस्तान	के० वी० पद्मनाभन् पी० के० वनर्जी ए० सी० नन्दी	उप-उच्चायुक्त सहायक-उच्चायुक्त, उप-उच्चायुक्त	कराची। ३, रामकृष्ण मिशन राजशाही रोड, पो० वारी, ढाका।
ग्रेट-ब्रिटेन	श्रीमती विजया-लक्ष्मी पंडित	साथ ही आयरलैंड के राजदूत	इंडिया हाउस, लन्दन।

उपराजदूत (लिगेट)

देश	उपराजदूतों के नाम	पद	पता
अलवानिया	एम्० एन्० हस्कर	इटली के राजदूत	भारतीय दूतावास, रोम।
वलगेरिया	अली यावर जंग	युगोस्लाविया और ग्रीस के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, बेलग्रेड।
क्यूबा	एम्० सी० छागला	अमेरिका के राजदूत और क्यूबा के मिनिस्टर	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन।
फिनलैंड	केवलसिंह	स्वीडन और डेनमार्क के राजदूत	स्टॉकहोम।

देश	उपराजदूतों के नाम	पद	पता
हंगरी	के० पी० एस्० मेनन	रूस और पोलैंड के राजदूत	भारतीय उप-राज-दूतावास, हंगरी, बुडापेस्ट, रूस ।
	एम्० ए० रहमान	प्रथम सचिव	भारतीय उप-राज-दूतावास, बुडापेस्ट ।
जोर्डन	आइ० एस्० चोपड़ा	मिनिस्टर; साथ-साथ इराक़ के राजदूत	अल-तवारी स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद ।
लेबनॉन	आर० के० नेहरू	संयुक्त अरब-गणराज्य के राजदूत और लीबिया में मिनिस्टर ।	भारत की सूचना-सेवा रु-ब्लिस, बेरुत, लेबनॉन ।
लीबिया	आर० के० नेहरू	संयुक्त अरब-गणराज्य के राजदूत और लेबनॉन में मिनिस्टर भी ।	भारतीय दूतावास, कैरो ।
लक्जेम्बर्ग	एम्० ए० रऊफ़	बेलजियम के राजदूत,	भारतीय दूतावास, ब्रुसेल्स ।
वैटिकन	एम्० के० वेलोदी	साथ ही स्विट्जरलैंड के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, बर्न ।

विशेष दूत (स्पेशल मिशन)

देश	नाम	पद	पता
संयुक्त राष्ट्रसंघ	चन्द्रशेखर झा, आइ० सी० एस्०	संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ।	न्यू इंडिया हाउस, ३-ईस्ट, ६४ स्ट्रीट, न्यूयार्क ।
भूटान	अपा बी० पन्त	भूटान और सिक्कम के राजनीतिक ऑफिसर ।	सिक्कम—भाया—सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) गंगटोक ।
सिक्कम	अपा बी० पन्त	सिक्कम और भूटान के राजनीतिक ऑफिसर ।	गंगटोक, भाया—सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) ।

आयुक्त (कमिश्नर)

देश	आयुक्तों के नाम	पद	पता
अदन	जगतसिंह		भारत के कमिश्नर का कार्यालय, अदन।
ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका	आइ० जे० वहादुरसिंह	सेएट्रल अफ्रिकन फेडरेशन के आयुक्त के रूप में वेलजियन कागो और रुआएडा-उरुएडी में कौंसल-जेनरल के रूप में।	इंडिया हाउस, ड्यूक स्ट्रीट, पो० वॉ० न० ३०,०७४, नैरोवी (केनिया)।
ब्रिटिश वेस्ट इराडीज (जिसमें ब्रिटिश गायना सम्मिलित है)	एम्० वी० राज कुमार	डच-गायना में कौंसल-जेनरल के रूप में।	७८, मेरिन स्क्वायर ट्रिनिडाड, वी० डब्ल्यू० आइ० (स्पेन का पोर्ट)।
सेएट्रल अफ्रिकन फेडरेशन	आइ० जे० वहादुर सिंह	ब्रिटिश ईस्ट अफ्रिका में आयुक्त के रूप में, वेलजियन कागो और रुआएडा-उरुएडी से कौंसल-जेनरल के रूप में।	इंडिया हाउस, ६० ए० विक्टोरिया स्ट्रीट, सेलिसवरी, (दक्षिण रोडेशिया)।
फिजी	के० जी० वासीन		विशाल भारतीय विल्डिंग, वैमनु रोड, सूवा (फिजी)।
हॉगकॉंग	एफ्० एम्० डीमेलो	कमठ	टावर कर्ट, फ्लोर ११, डडले स्ट्रीट, हॉगकॉंग।
मौरिशस	जगन्नाथ धमीजा		फेयर फेलिक्सो डी वेलोइज स्ट्रीट, पोर्ट लुई, मौरिशस।
नाइजीरिया	खूबचन्द	घाना के उच्चायुक्त भी	लगोस, पोर्ट लुई, मौरिशस।
सिंगापुर	एस्० के० वनर्जी		इंडिया हाउस, ३१ ग्रैंज रोड, पो० वॉक्स नं० ८३६, सिंगापुर।
युगाएडा	आइ० जे० वहादुर		पो० वॉ०न० ३,२६५ कैम्पला, युगाएडा।

★

भारत में विदेशों के राज-प्रतिनिधि

देश	पद तथा नाम
अफगानिस्तान	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी सरकार अला जनरल मुहम्मद उमर; २४, रोटेनडन रोड; नई दिल्ली।
अर्जेण्टाइना	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी, डॉ० आर० एल० मास्क्वेरा, १०१ अशोक होटल, नई दिल्ली।
अस्ट्रिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० आरनो हालुसा; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
बेल्जियम	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० फ्रान्सीस लियो गोफर्ट; २२५, जोरबाग, नई दिल्ली।
ब्राजिल	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डा० जोस कोचरेन डी० अलेनकार, ८, औरङ्गजेब रोड, नई दिल्ली।
बर्मा	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी महाथिरी थुधामा डाव खिन के (मिडम ऊँग सॉन); २, किचनर रोड, नई दिल्ली।
कम्बोडिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी वार कामेल; २५ गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली।
चीन	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी पानतजु-लाई; जिन्द हाउस, लिटन रोड, नई दिल्ली।
चेकोस्लोवाकिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० लेडीस्लार सीमोविक, २२/३६, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली।
चिली	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मिगुएल एस्० फ्रेनानडेज; २३, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
कोलम्बिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० लियपोल्डो बोर्डारोल्डन, नई दिल्ली।
क्यूबा	राजदूत, युगोनियो सोलर एलोनसो; नई दिल्ली।
डेनमार्क	राजदूत, एक्सेलेन्सी अर्ने बोध एण्डरसेन; ६ ए, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली।
इथोपिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी ए० जी० टेसेमा; २६, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।

देश	पद तथा नाम
फ्रांस	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी काउण्ट स्टानीसलॉस ओसट्रोरोग; २, औरङ्गजेब रोड, नई दिल्ली।
फिनलैंड	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० सिगुर्द डब्ल्यू० वोन नम्बर्स।
जर्मनी (पश्चिम)	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी विलहेल्म मेलचर्स; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
ग्रीस	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी हेड्जी सिल्यु अशोक होटल, नई दिल्ली।
हंगरी	हिज एक्सेलेन्सी डॉ० लाजलो रिसेजी, नई दिल्ली।
इण्डोनेशिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी रद्न मोकातो नॉटो विडीगडो; ५०/ए चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
ईरान	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी म० काजमी; १ हैली लेन, नई दिल्ली।
इराक	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी नूरी जमाल; २१ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
इटली	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी कंट जस्टो गियुस्टी डेल गैरडिनो; जोरबाग, नई दिल्ली।
जापान	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० मत्सुदारा; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
लाओस	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी फागना वायसी; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
मेक्सिको	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी लुई एफ्० मेकग्रेगर; कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
मंगोलिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मंगल यन डुगरजुरन, २६, गोल्फ लिंक्स एरिया, नई दिल्ली।
मोरक्को	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० अहमद बेनाबोड; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
नेपाल	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी लेफ्टिनेंट जनरल दमन शमशेर जंग-बहादुर राणा; बाराखंभा रोड, नई दिल्ली।

देश	पद तथा नाम
नैदरलैंड	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी जी० वी० वान ब्लोकलैंड; ४ रेटएडन रोड, नई दिल्ली।
नारवे	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी हन्स ओल्व; २१ सुन्दरनगर, नई दिल्ली।
फिलिपाइन्स	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मेनुअल ए० अलजाते; २ थापर बिल्डिंग, १२४, जनपथ, नई दिल्ली।
पोलैंड	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी जुलियज कुट्ज राकी; २२ गोल्फ लिंक्स एरिया, नई दिल्ली।
रूमानिया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी नीकोला सिओरोई; नई दिल्ली।
सऊदी अरब	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी शेख युसुफ अलफोजन; ६, हार्डिंज एवेन्यू, नई दिल्ली।
स्वीडन	राजदूत, एक्सेलेन्सी काउण्ट डे अर्तेजा; २१ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
स्विट्जरलैंड	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी जेक क्यूस अलबर्ट कट्टा; १, रेडियल रोड, नई दिल्ली।
सूडान	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी सैयद अब्दुल करीम मीरधानी; १६७, सुन्दरनगर, नई दिल्ली।
स्पेन	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी काउण्ट डे अर्तेजा; १२ ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
थाईलैंड	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी सुकिच निम्भान्हेमिंडा; नई दिल्ली।
टर्की	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी निडेट केराट; २७, जोरबाग नई दिल्ली।
संयुक्त अरब-गणतंत्र	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी अहमद हसन एलफेकी; ६, रेटएडन रोड, नई दिल्ली।
संयुक्तराज्य अमेरिका	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी जे० के० गालब्रथ; चाणक्य रोड, नई दिल्ली।
सोवियत रूस	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी आइ० ए० बैनडिक्टोव; त्रावणकोर हाउस, नई दिल्ली।
युगोस्लाविया	राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी दुसाह क्वदर, १३, सुन्दरनगर, नई दिल्ली।

हाइ कमिश्नर

देश	पद तथा नाम
अस्ट्रेलिया	हाइ कमिश्नर हिज एक्सेलेन्सी डब्ल्यू० आर० क्रोकर; कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
कनाडा	हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी मि० चेस्टर रोनिंग; ४ औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।
श्रीलंका	हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी सर रिचार्ड एल्युव्हेयर; २२४, जोरवाग, नई दिल्ली।
घाना	हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी नाना क्वावेना केना द्वितीय; २, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली।
मलाया	हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी चेलवन सुधम मेकिनटायर; १५ जोरवाग, नई दिल्ली।
न्यूजीलैंड	हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी, आर० जी० पावेलस; १० जनपथ, नई दिल्ली।
पाकिस्तान	हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी ए० के० ब्रोही, शेरशाह रोड, नई दिल्ली।
ग्रेटब्रिटेन	हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी सर पॉल गोरेबुथ; ६, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली।
अलवानिया	असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकार-प्राप्त मिनिस्टर, हिज एक्सेलेन्सी उलवी लुलो।
वलगेरिया	असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकार-प्राप्त मिनिस्टर, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० ल्युवेन पोपर; १६८, गोल्फ लिंक्स एरिया, नई दिल्ली।
होलीसी	... ...हिज एक्सेलेन्सी दी मोस्ट रेवेरेंड जेम्स रॉवर्ट नोक्स; नीतिमार्ग; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
हंगरी	असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकार-प्राप्त मिनिस्टर, हिज एक्सेलेन्सी अलादर टॉमस, १०, पूसा रोड, नई दिल्ली।
लेवनान	असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकार-प्राप्त मिनिस्टर, हिज एक्सेलेन्सी एच्० एच्० हलीम सैयद अवुजद्दीन; अशोक होटल, नई दिल्ली।

★

विदेशों में भारत-सरकार के वाणिज्य-प्रतिनिधि

महावाणिज्य-दूत तथा वाणिज्य-दूत (कौंसल जेनरल और कौंसल)

देश	नाम	पद	पता
एण्टवर्प	एच० एस० गोपाल राव	ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका में आयुक्त और रुआण्डा-उरुण्डी में कौंसल जेनरल	४३, रुड्स टैनर्स एण्टवर्प।
बसरा	पूरनसिंह	कौंसल (ऑनरेरी)	बसरा।
बेलजियन कांगो	आइ० जे० बहादुर सिंह	कौंसल जेनरल	नैरोबी।
बर्लिन	ए० आर० सेठी	कौंसल	जोआचिम्सलर स्ट्रेसी २८, बर्लिन–१५।
कोपेनहेगेन	विक्टर बी० स्ट्रैण्ड	ऑनरेरी कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, C/O भारतीय लिगेशन, स्ट्रैण्डवेगेन ४७—IV स्टॉकहोम।
जेनेवा	ए० एस० मेहता	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, प्लेटसेड्स इयौक्स-वाइन्स, जेनेवा।
हम्बर्ग	आर० डी० सेठी	कौंसल जेनरल	१४, बरन्वार्ड स्ट्रेसी, हम्बर्ग।
हेलसिंकी	जुहो सावियो	कौंसल जेनरल	स्ट्रेण्डवेगेन, ४७-IV स्ट्रॉकहोम।
कोबे	आर० एल० भाला	कौंसल	भारतीय कौंसलेट, ४५/१, किटानचो ४, कोबे।
खोर्रम शहर	डी० सरीन	कौंसल	भारतीय कौंसलेट खोर्रम शहर।
लासा (तिब्बत)	पी० एन्० कौल	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, लासा, पो० ग्यात्से, तिब्बत।

देश	नाम	पद	पता
मडागास्कर	जे० ए० शाह	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल पो० वॉक्स नं० ११०८, टनानारिव, मडागास्कर।
न्यूयार्क	एम० गोपाल मेनन	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल ३, ईस्ट, ६४ स्ट्रीट, न्यूयार्क।
पेकिंग	के० एम० कन्नन पिल्लई	भारतीय कौंसल जेनरल	पेकिंग।
रुआण्डा-उरुण्डी	आइ० जे० वहादुरसिंह	ब्रिटिश पूर्व-अफ्रिका तथा रेण्ट्रल अफ्रिकन फेडरेशन में आयुक्त और कौंसल जेनरल; बेलजियन कांगो में कौंसल जेनरल	नैरोबी।
सैगौन	एस० एस० गुप्ता	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, २१३ रुइकेटिनट, सैगोन।
सानफ्रान्सिस्को	सी० जे० स्ट्रेसी	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, ४१७, मोण्टगोमरी-स्ट्रीट, सानफ्रासिस्को।
माण्डले	के० एल० एस० पंडित	कौंसल	माण्डले।
शंघाई	एस० कृष्णास्वामी	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, ८१०, एननली सेंट्रल शंघाई (६)।
सौरेबाया	सम्पूर्णसिंह	कौंसल	डजला राजर गवोंग, ३२, सौरेबाया।
स्पेन	मुहम्मद यूनुस	कौंसल जेनरल	मैड्रिड।
सुरिनाम	एन० वी० राजकुमार	कौंसल जेनरल	स्पेन का पोर्ट।

देश	नाम	पद	पता
वियतनाम (गणराज्य)	एम० पी० माथुर	कौंसल जेनरल	हनोई।
मसकट	एम० एन० मसूद	कौंसल	मसकट।
मेडान	मेहरसिंह	कौंसल	भारतीय कौंसलेट, डी० जे० त्यौकरोआ मिनोटो, १६, मेडान, इण्डोनेशिया।

उप-वाणिज्य-दूत (वाइस कौंसल)

देश	नाम	पता
जलालावाद (अफगानिस्तान)	एच० एल० काश्यप	वाइस कौंसलेट, जलालावाद।
कंधार (अफगानिस्तान)	ए० के० वख्शी	भारतीय वाइस कौंसलेट, कंधार।
माण्डले (वर्मा)	के० एल० एस० पंडित	भारतीय वाइस कौंसलेट, माडले।
जहिदन	एस० डी० कपूर	भारतीय वाइस कौंसलेट, जहिदन (पूर्व ईरान), भाया तेहरान, जहिदन।

अभिकर्त्ता (एजेण्ट)

देश	नाम	पता
ग्यानत्से	आर० एस० कपूर	भारतीय ट्रेड एजेंसी, ग्यानत्से (तिब्बत)।
गारटॉक	लक्ष्मण सिंह जंगपंजी	भारतीय ट्रेड एजेंसी, गारटॉक (पश्चिम तिब्बत)।
यातुंग	कैप्टेन के० सी० जौहरी	भारतीय ट्रेड एजेंसी, यातुंग (तिब्बत)।

विदेशों में भारत-सरकार के वाणिज्य-प्रतिनिधि

यूरोप

नाम	पता	कार्य
श्री एस० कृष्णमूर्त्ति आई० एफ० एस०	ग्रेटब्रिटेन में भारत के उच्चायोग के वाणिज्य-परामर्शदाता, इंडिया हाउस, ऑल्डविच, लंदन, डब्ल्यू० सी० २।	ग्रेट ब्रिटेन, ईरी आइसलैंड, माल्टा और टौंगा द्वीप।
एच० के० कोचर	भारतीय दूतावास, १५, रुए आल्फ्रेड डेहोडेनेक, पेरिस १६ एमी (फ्रास)।	फ्रास, फ्रेंच कैमेरून और फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रिका।

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
श्री एस० के० गुहा आई० ए० एस०	भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव, भाया फ्रांसिस्को डेंजे ३६, रोम (इटली)।	इटली और अलबानिया।
श्री ए० वी० गोखले आई० एफ० एस०	जर्मनी में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य), २६२, कोब्लेंजोर स्ट्रेसी, बोन, पश्चिम जर्मनी।	पश्चिम जर्मनी।
श्री आर० डी० सेठ आई० एफ० एस०	भारतीय कौंसल जनरल स्प्रिकेनपोफ, १४, वरचार्ड स्ट्रेसी, हम्वर्ग।	हम्वर्ग का राज्य, ब्रेमेन और श्लेसविंग हॉलस्टीन।
एम० भावनदास	भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य) २१, लीवग्वेग, वर्न।	स्विट्जरलैंड।
एच्० सी० हॉग	बेलजियम-स्थित भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव (वाणिज्य); ५८५, एवेन्यू लावजे, ब्रुसेल्स	बेलजियम और लक्जेम्बर्ग
एच० एस० गोपालराव	भारत के उप-वाणिज्य-दूत, ४३, रुए डेसटैनर्स, एण्टवर्प	
मदनजीत सिंह	भारतीय दूतावास, के द्वितीय सचिव स्ट्रेण्डवेगेन; ४७, ४, स्टॉकहोम, स्विडन	स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क।
ईश्वर सहाय	भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव २२, थुनोवस्का, प्राग—३	चेकोस्लोवाकिया।
पी० वैद्यनाथन्	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, न० ६ और ८ यूलिटिसा ओवुखा, मास्को	रूस
आर० सी० मलहोत्रा	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, न० ३, एलीजा रॉज, वारसा	पोलैंड

अमेरिका

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
एस० जी रामचन्द्रन एल० एफ० एस०	भारतीय दूतावास के वाणिज्य-परामर्श-दाता, २१०७ मसाचुसेट्स एवेन्यू, एन० एम० वाशिंगटन ८, डी० सी०	सं० रा० अमेरिका और मेक्सिको।

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
जे० के० मलहोत्रा	कनाडा में भारत के उच्चायोग के प्रथम सचिव (वाणिज्य), २०० मैक्लेरेन स्ट्रीट, ओटावा—४	कनाडा।
	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, ८७१, ट्रियान्स, सेण्टियागो, चिली।	चिली और बोलविया।
एल० रंगा रंजन आई० एफ० एस०	वाइस कौंसल, कौंसुलेट जनरल भारत, ४१७ मोंटो गोमरी स्ट्रीट, सानफ्रांसिस्को	सानफ्रांसिस्को।
एम० गोपाल मेनन, आई० एफ० एस०	कौंसुलेट जेनरल भारत, ३ इस्ट ६४ स्ट्रीट, न्यूयार्क	न्यूयार्क।

अफ्रिका

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
वी० वी० देव, इंडियन ट्रेड कमिश्नर	जुबिली इन्स्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बॉ० न० ६१४, मोम्बासा (केनिया)	ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका, केनिया, उगाण्डा और टैंगनिका, जंजीबार, दक्षिण रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया, न्यासालैंड।
एस० वी० पटेल आई० एफ० एस०	वाणिज्य-परामर्शदाता, भारतीय दूतावास ५, शरिया महाडेल स्विसरी, जमावक, पो० बॉ० न० ४७५, कैरो, सं० अरब-गणराज्य	लेबनान, साइप्रस, लीबिया और सं० अरब-गणराज्य (मिस्र)
एच० के० सिंह	भारतीय दूतावास, पो० बॉ० न० ७०७, खार्तुम	सूडान।
पी० एन० सरीन	द्वितीय सचिव (वाणिज्य) भारतीय दूतावास, पो० बॉक्स न० ५२८ अदीस अबाबा	अदीस अबाबा।

अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
एच० ए० सुजन	भारतीय ट्रेड कमिश्नर, कालटेक्स हाउस फ्लोर १६७-८७, केण्ट स्ट्रीट, सिडनी (अस्ट्रेलिया)	अस्ट्रेलिया, नॉरफॉक, पपुआ न्यू गिनी और नौरू।
एस० के० चौधरी	न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव (वाणिज्य), विण्डगौड़ बिल्डिंग, ४६ विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, सी० आई० (न्यूजीलैंड)	न्यूजीलैंड।

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
	एशिया	
आर० के० जेरथ, आई० एफ० एस०	भारतीय दूतावास, एम्पायर हाउस (नैगाई विल्डिंग) न० १८, २—चोमी, मरुनौची, चियोड-कू, टोकियो (जापान)	जापान ।
एम० के राव	श्री लंका में भारत के उच्चायोग के प्रथम सचिव, (वाणिज्य) पो० वॉ० न० ८८२/६७ टेरट रोड, कोलम्वो—३	श्रीलंका ।
ई० सी० शंकर	भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य) ओरियण्टल एस्योरेन्स विल्डिंग, मर्चेण्ट स्ट्रीट, पो० वॉ० न० ७५१, रंगून (वर्मा)	वर्मा ।
एन० के० निगम	प्रथम सचिव (वाणिज्य), भारतीय उच्चायोग, पाकिस्तान, ३, वोनस रोड, कराची—४	पाकिस्तान ।
वी० एम० घोष	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग, ३ रामकृष्ण मिशन रोड, ढाका (पूर्व-पाकिस्तान)	पूर्व पाकिस्तान
जी० जे० मल्लिक, आई० एफ० एस०	मलाया में भारत के उच्चायोग के प्रथम सचिव (वाणिज्य), ३१ ग्रैंड रोड, पो० बॉ० न० ८३६, सिंगापुर (मलाया)	मलाया ।
एस० एम० अलहाशमी	भारतीय दूतावाम के तृतीय सचिव, ३७ फ्या थाई रो, वैंकॉक (थाइलैंड)	थाइलैंड ।
	वाणिज्य-विभाग, भारत का उपराज-दूतावास ६१४, नेव्रास्का, मलेट, मनिला (फिलिपाइन्स)	फिलिपाइन्स, मंत्री के अन्दर, मनिला में भारत का उपराजदूतावास ।
वी० आर० अभयंकर	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, पो० वॉ० म० १७८, ४४, केवन सिरीह, जकार्त्ता (इण्डोनेशिया)	इण्डोनेशिया

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
जगतसिंह	अदन में भारत-सरकार के आयुक्त	अदन; ब्रिटिश सोमाली लैंड, इटालियन सोमाली लैंड।
आर० अफ्जेल खाँ	वाणिज्य-सचिव, भारतीय दूतावास, एवेन्यू शाहरज़ा, तेहरान (ईरान)	ईरान।
एस्० वर्गेसी	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, वजीरिया, बगदाद।	इराक, जोर्डान (अमन बसरा, शरजत, कुवैत बहरेन) अरब, शिकडम, कातर और टर्सियल, ओमन।
पी० दास गुप्ता	प्रथम सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, ३२, टंग-चिआओ-मिन, हसियाग, पेकिंग (चीन)	चीन और मंगोलिया,
पी० ई० पीचे	भारत-सरकार के आयोग के द्वितीय सचिव (वाणिज्य), टावर कोर्ट (११ वीं फ्लोर) हॉगकोग।	हाँगकॉग।
	द्वितीय सचिव भारतीय दूतावास, हिसाम एवेन्यू, फनौमपेन्ह।	कम्बोडिया।
	भारतीय दूतावास, के वाणिज्य-सहायक, काठमाण्डू।	नेपाल।
	प्रथम सचिव (वाणिज्य), भारत का आयोग, ३१, ग्रेंज रोड, पो० बॉक्स न० ८३३, सिंगापुर—६	सिंगापुर।
पी० टी० बी० मेनन	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, सेण्टियागो (चिली)	चिली।

★

भारत-सरकार का आय-व्ययक

१९६१-६२

केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमोरारजी देसाई ने गत २८ फरवरी को आयव्ययक उपस्थित किया। उसके अनुसार १९६१-६२ ई० में राजस्व-मद में कुल आय ९,६२ करोड़, ६२ लाख और कुल व्यय १०,२३ करोड़, ५२ लाख रुपया होगा। १९६०-६१ ई० के केन्द्रीय राजस्व में संभाव्य घाटे की पूर्त्ति के लिए ६० करोड़, ८७ लाख रुपये का अतिरिक्त कर लगाया गया है। इसके फलस्वरूप वर्त्तमान वजट में नाममात्र २७ लाख रुपये की वढती होगी।

नये कर लगाये जाने के फलस्वरूप राजस्व एवं मूल धन की मदों में १९६०-६१ के आय-व्ययक में १२५ करोड़ का घाटा कम होकर ६४ करोड़ रह गया है। इस घाटे की पूर्त्ति ट्रेजरी विलों के सम्प्रसारण द्वारा की जायगी।

अतिरिक्त कर के प्रस्ताव—(१) ४१ वस्तुओं के ऊपर वाणिज्य-शुल्क में वृद्धि करके अतिरिक्त २९ करोड़, २७ लाख रुपया राजस्व की व्यवस्था।

(२) १४ पण्यों के ऊपर उत्पाद-शुल्क में परिवर्त्तन करके और १८ नये पण्यों पर शुल्क लगाकर २८ करोड़ ६ लाख रुपया राजस्व मे वृद्धि। (इसमें राज्यों द्वारा प्रदत्त २ करोड़ ३ लाख रुपया सम्मिलित नहीं है।)

(३) आय-कर और निगम-कर में सामान्य परिवर्त्तन करके ३ करोड़ रुपया आय की व्यवस्था।

(४) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त ६० करोड़, ८७ लाख रुपया राजस्व के साथ १९६१-६२ साल के कुल राजस्व का परिमाण आनुमानिक १०२२ करोड़, ७९ लाख रुपया होगा। आनुमानिक व्यय का परिमाण १०२३ करोड़, ५२ लाख रुपया। संभाव्य वढती का परिमाण २७ लाख रुपया।

वित्तमंत्री ने वताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में केन्द्र और राज्यों को मिलाकर ११९९ करोड़ रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया है। इसमें केन्द्र का हिस्सा होगा ९६६ करोड़।

आय-व्ययक

	आय-व्ययक १९६०-६१	पुनरीक्षित १९६०-६१	आय-व्ययक १९६१-६२
राजस्व-चुंगी	१६२ करोड़, ५० लाख,	१६३ करोड़,	१६४ करोड़, जोड़ २९ करोड़, २७ लाख
संघ-उत्पाद-शुल्क	३७९ करोड़, ६१ लाख,	३९४ करोड़, ९८ लाख	४८६ करोड़, २४ लाख
निगम-कर	१३५ करोड़,	१३७ करोड़, ५० लाख	१४० करोड़,
निगम-कर के अतिरिक्त आय पर कर	५२ करोड़, ९४ लाख	४० करोड़, ५२ लाख	५० करोड़, २१ लाख जोड़ २ करोड़,

	आय-व्ययक १६६०-६१	पुनरीक्षित १६६०-६१	आय-व्ययक १६६१-६२
सम्पदा-शुल्क	१० करोड़	६ करोड़	६ करोड़
धन-सपत्ति पर कर	७ करोड़	७ करोड़, ५० लाख	७ करोड़
रेल-भाड़ा पर कर	११ ,,	(–) १२ लाख	———
व्यय पर कर	६० ,,	६० करोड़	८० करोड़
दान-कर	८० ,,	८० ,,	८० ,,
अफीम	५ करोड़, ६६ लाख	५ करोड़, ८२ लाख	६ करोड़, २५ लाख
व्याज	१५ ,, ७१ ,,	१४ ,, ८७ ,,	१३ ,, ८४ ,,
प्रशासकीय सेवाएँ	८४ करोड़	६६ करोड़	६७ करोड़
सामाजिक एवं विकास-मूलक सेवाएँ	५२ करोड़, ३५ लाख	५१ करोड़, ४६ लाख	४७ करोड़
मुद्राचलन (करेंसी) और टकसाल	५७ ,, २२ ,,	५७ ,, ८५ ,,	६० , ६३ ,,
नागरक (सिविल) कार्य	३ ,, ४ ,,	३ ,, ३८ ,,	३ ,, ७५ ,,
राजस्व के अन्य स्रोत	३६ ,, ७३ ,,	३८ ,, ६६ ,,	३६ ,, २८ ,,
डाक और तार	४७ लाख	४६ लाख	७७ लाख
रेलवे	५ करोड़, ६४ लाख	५ करोड़, ६ लाख	२१ करोड़, २६ लाख
कुल राजस्व	६१६ करोड़, ६५ लाख	६२३ करोड़, ७२ लाख	६६२ करोड़, ६२ लाख, जोड़ ६० करोड़, ८७ लाख

व्यय

	आय-व्ययक १६६०-६१	पुनरीक्षित १६६०-६१	आय-व्ययक १६६१-६२
कर, शुल्क तथा अन्य प्रधान राजस्वों का संग्रह	३२ करोड़, ८१ लाख	३२ करोड़, २० लाख	३६ करोड़, ४६ लाख
सिंचाई	१७ ,,	१३ ,,	१५ ,,
ऋण-सेवाएँ	७४ ,, ५६ लाख	७२ ,, ३५ लाख	८१ ,, ६० लाख
प्रशासकीय सेवाएँ	६० ,, ५६ ,,	६१ ,, ५३ ,,	५८ ,, ३७ ,,
सामाजिक एवं विकास-मूलक सेवाएँ	२०७ ,, १७ ,,	१६८ ,, ५२ ,,	१७३ ,, ४६ ,,
मुद्रा-प्रचलन और टकसाल	१० ,, २७ ,,	१० ,, ८७ ,,	९ ,, ६६ ,,

	आय-व्ययक १९६०-६१	पुनरीक्षित १९६०-६१	आय-व्ययक १९६१-६२
नागरिक कार्य और प्रकीर्ण सार्वजनिक समुन्नति	२० करोड़, ३२ लाख	२१ करोड़, ५९ लाख	२१ करोड़, ७३ लाख
विस्थापितों पर प्रकीर्ण व्यय	२० करोड़, २८ लाख	२० करोड़, २८ लाख	११ करोड़, २८ लाख
अन्य व्यय	१११ ,, ७० ,,	७०७ ,, ७ ,,	४२ ,, ७५ ,,
राज्यों को अनुदान	५१ ,, ८१ ,,	५१ ,, ८७ ,,	२१० ,, ९३ ,,
संघ-उत्पाद-शुल्कों में राज्यों का अंश	७४ ,, ५२ ,,	७५ ,, १० ,,	७६ ,, ३३ ,,
असाधारण मदों में	३३ ,, ७५ ,,	२८ ,, ८२ ,,	१० ,, ८७ ,,
प्रतिरक्षा-सेवाएँ (असल)	२७२ ,, २३ ,,	२६६ ,, ७२ ,,	२८२ ,, ९२ ,,
कुल खर्च	९८० करोड़, ३५ लाख	९५७ करोड़, ३८ लाख	१०२३ करोड़, ५२ लाख
घाटा (–) बढ़ती (+)	(–) ६० करोड़, ७० लाख	(–) ३३ करोड़, ६६ लाख	(–) ६० करोड़, ६० लाख + जोड़ ६० करोड़, ८७ लाख

गत १५ फरवरी को भारत-सरकार के रेल-मंत्री श्रीजगजीवनराम ने जो रेल आय-व्ययक उपस्थित किया, उसके अनुसार १९६१-६२ में आनुमानिक राजस्व में ८ करोड़, ६४ लाख की बढ़ती होगी। यात्रियों के रेल-भाड़ा और मालों के भाड़ा की दर में कोई परिवर्त्तन नहीं किया गया है।

सन् १९६१-६२ में यातायात सम्पूर्ण प्राप्ति ४९९ करोड़, २ लाख और साधारण कार्यकारी व्यय ३३२ करोड़, ५३ लाख होने का अनुमान किया गया है।

रेल-आय-व्ययक

	वास्तविक प्राप्तियाँ १९५९-६०	पुनरीक्षित प्राक्कलन १९६०-६१	आय-व्ययक प्राक्कलन १९६१-६२
(१) सम्पूर्ण यातायात प्राप्तियाँ	४२२ करोड़, ३३ लाख;	४५८ करोड़	४९९ करोड़, २ लाख
(२) साधारण कार्य-कारी व्यय	२८९ ,, ५२ ,,	३२६ करोड़ ३१लाख	३३२ करोड़ ५३लाख
(३) वास्तविक प्रकीर्ण अर्थ-व्यय	१३ ,, १६ ,,	१५ ,, ९१ ,,	१४ करोड़ ८८ लाख

(४) अपक्षय आरक्षित निधि में विनि-योजन	४५ करोड़	४५ करोड़	६५ करोड़
(५) निर्मित रेल-लाइनों को भुगतान	१० लाख	८ लाख	१३ लाख
कुल जोड़ (२ से ५ तक का)	३४७करोड़, ७८लाख	३८७ करोड़, ३१लाख	४१२ करोड़, ५४लाख
वास्तविक रेल-राजस्व	७४ करोड़, ५५ ,,	७० करोड़, ६६ लाख	८६ करोड़, ४८ लाख
सामान्य राजस्व को लाभांश—	५४ करोड़,४३ लाख,	५६ करोड़, ६६ लाख	६५ करोड़, ३४ लाख
यात्री रेल-भाड़ा पर लगनेवाले कर के बदले में भुगतान	——	——	१२ करोड़, ५० लाख
वास्तविक बढ़ती	२० करोड़, १२ लाख	१४ करोड़, ३ लाख	८ करोड़, ६४ लाख

राष्ट्रीय आय

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने सन् १९५९-६० ई० में भारत की राष्ट्रीय-आय के सम्बन्ध में जो तथ्य संकलन किये हैं, उनसे पता चलता है कि सन् १९५८-५९ की तुलना में सन् १९५९-६० ई० में वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय में प्रतिशत ०·५ भाग वृद्धि हुई है।

क्षेत्र	राष्ट्रीय आय का शतांश (१९५८-५९)	पूर्ववर्त्ती वर्ष की तुलना में सन् १९५९-६० ई० में वृद्धि या ह्रास
कृषि	४०·५	— ३·६
खान और कल-कारखाना	८·२	+ ८·१
संचारण	० ४	+ ४·०
रेल	२·४	+ ५·७
बैंक और बीमा	०·६	+१०·८
अन्यान्य वाणिज्य और परिवहन	१५·२	+ १·७
अन्यान्य क्षेत्र	३२·४	+ २·८
कुल	१००·००	+ ०·५

गत पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति पीछे वार्षिक आय-सम्बन्धी संकलित तथ्य

आर्थिक वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपया)	प्रति व्यक्ति पीछे आय (रुपया)
१९५५-५६	१०,४८०	२७३'६
१९५६-५७	११,०००	२८३'५
१९५७-५८	१०,८९०	२७७'१
१९५८-५९	११,६९०	२९३'६
१९५९-६० (अस्थायी)	११,७५०	२९१'२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों (सन् १९५६-५७ से १९५९-६० ई०) में वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय में प्रतिशत १२'१ भाग वृद्धि हुई है, किन्तु प्रति व्यक्ति पीछे वार्षिक आय में ८ रुपये मात्र की वृद्धि हुई है।

साधारण निर्वाचन

भारतीय संविधान में धारा ३२४ के अन्तर्गत भारत-सरकार द्वारा २५ जनवरी, १९५० को एक निर्वाचन-आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में स्वतंत्र रूप में तथा निष्पक्ष निर्वाचन-कार्य सम्पन्न कराना है। निर्वाचन-आयोग का स्वतंत्र अस्तित्व है तथा इस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। निर्वाचन-आयोग के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं—

१. निरीक्षण, निर्देशन तथा निर्वाचन सूची की तैयारी का नियंत्रण एवं उसे सदा अद्यतन रखना।
२. भारतीय संसद् एवं राज्यों के विधान-मंडल के सदस्यों का निर्वाचन-कार्य सम्पन्न कराना तथा भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना।
३. निर्वाचन-सम्बन्धी आवेदन-पत्रों में की गई शिकायतों की जाँच करने के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करना।

निर्वाचन-आयोग का प्रधान मुख्य निर्वाचन-आयुक्त होता है। उसके साथ कई और भी आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन-अयोग के परामर्श से राष्ट्रपति क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति करते हैं। आयुक्तों की पदावधि तथा सेवा की शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होता है।

सन् १९५७ का आम चुनाव— ५ अप्रैल, १९५७ को लोक-सभा के निर्वाचन के परिणाम घोषित किये गये। कुल ५०० स्थानों में से ४८८ के लिए उम्मीदवार चुने गये। काँगरेस को ३६५ स्थान प्राप्त हुए। जब कि १९५१-५२ के आम चुनाव में कुल ३६२ स्थान प्राप्त हुए थे। १९५१-५२ में जहाँ मतदाताओं में से ४५ प्रतिशत व्यक्तियों ने मत दिया, वहाँ १९५७ में ४७ प्रतिशत ने। १९५७ के चुनाव में १३ राज्यों की विधान-सभाओं में से ११ सभाओं में काँगरेस का बहुमत रहा। यद्यपि कुल मत-पत्र का बहुमत केवल आसाम (५६%) और

मैसूर (५१%) में ही प्राप्त हुआ। उड़ीसा में जहाँ किसी एक राजनीतिक दल ने वहुमत नहीं प्राप्त किया, कॉंगरेस ने सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के कारण अन्य कई समूहों के सहयोग से सरकार का निर्माण किया। केरल में साम्यवादी दल को वहुमत प्राप्त था। अतः, वह कई स्वतंत्र उम्मीदवारों के समर्थन से अपनी सरकार बनाने में समर्थ हुआ। १६,३१,२६,०२४ मतदाताओं में से १२,१४,००,००० मतदाताओं ने संसद् के लिए तथा ११,२३,००,००० मतदाताओं ने राज्यों की विधान-सभाओं के लिए मत प्रदान किये। सन् १६५१-५२ में मतदाताओं की कुल संख्या १७,३०,००,००० थी, जिनमें १०,५६,८७,३१८ मतदाताओं ने संसदीय निर्वाचन के लिए मतदान किये जब कि संसदीय निर्वाचन के लिए १६५७ में ११,८८,२१,७०५ मतदान किये गये। सन् १६५१-५२ में लोक-सभा के उम्मीदवारों की संख्या १६७५ थी, जो इस वार घटकर १४६३ हो गई। कॉंगरेस के उम्मीदवारों में कुल १२ उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये।

लोक-सभा का निर्वाचन—सन् १६५१-५२ और सन् १६५७ में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने लोक-सभा में कितने स्थान और उन स्थानों के लिए कितने मत प्राप्त किये, यह निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है—

लोक-सभा का निर्वाचन

१६५१-५२	स्थान	मत	१६५७ स्थान	मत
कॉंगरेस	३६२	४,७५,२८,६११	३६५	५,७२,७८,६६२
प्रजासमाजवादी दल	२१	१,७२,८५,१२६	१६	१,१६,४२,७२६
साम्यवादी दल	२३	४७,१२,००६	२६	१,२०,६८,४५२
जन संघ	३	३२,०६,३६१	४	७२,१६,८००
अन्य	८०	३,३२,२४,६११	७१	३,०६,१५,११५

लोक-सभा का संगठन

	स्थान	कॉंगरेस	प्रजासमाजवादी	साम्यवादी	जनसघ	अन्य	स्वतन्त्र
आन्ध्र प्रदेश	४३	३७	—	२	—	२	२
आसाम	१२	६	२	—	—	—	१
विहार	५३	४०	३	—	—	६	१
महाराष्ट्र गुजरात	६६	३७	५	४	२	६	६
केरल	१८	६	१	६	—	—	२
मध्यप्रदेश	३६	३५	—	—	—	१	—
मद्रास	४१	३१	—	२	—	—	८
मैसूर	२६	२३	१	—	—	१	१
उड़ीसा	२०	७	२	१	—	७	३
पंजाव	२२	२०	—	१	—	—	१
राजस्थान	२२	१६	—	—	—	—	३

	स्थान	कॉंग्रेस	प्रजासमाजवादी	साम्यवादी	जनसंघ	अन्य	स्वतंत्र
उत्तरप्रदेश	८६	६६	४	१	२	१	६
पश्चिम बंगाल	३६	२३	२	६	—	२	३
जम्मू और कश्मीर	६	—	—	—	५	—	—
दिल्ली	५	५	—	—	—	—	—
हिमाचल-प्रदेश	४	३	—	—	—	—	—
मणिपुर	२	१	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	२	१	—	१	—	—	—
	५००	३६६	२०	२७	४	३७	४४

नोट—जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल-प्रदेश में प्रत्येक में एक स्थान रिक्त रहा। इनके छह मनोनीत स्थान इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

राज्यों की विधान-सभाएँ

(सन् १९५९ ई० की स्थिति)

	स्थान	कॉंगरेस	प्र० स०	साम्यवादी	जनसंघ	अन्य	स्वतंत्र
आन्ध्रप्रदेश	३०१ (१)	२१३	६	११	—	२८	३८
आसाम	१०५	७१	८	४	—	—	२२
बिहार	३१८ (३)	२०६	३२	७	—	५५	१५
महाराष्ट्र-गुजरात	३९६	२३५	३५	१२	४	४५	६५
केरल	१२६	४३	९	६०	—	—	१४
मध्यप्रदेश	२८८ (३)	२३०	१२	२	११	१२	१८
मद्रास	२०५ (१)	१५१	२	४	—	—	४७
मैसूर	२०८ (१)	१४८	१८	१	—	४	३६
उड़ीसा	१४० (२)	५६	११	९	—	४९	१३
पंजाव	१५४ (१)	११८	१	६	९	५	१४
राजस्थान	१७६	१२०	१	१	७	१६	३१
उत्तरप्रदेश	४३० (२)	२८७	४५	८	१८	—	७०
पश्चिम बंगाल	२५२ (१)	१५१	२१	४५	—	८	२६
जम्मू और कश्मीर	७५	—	—	—	—	४५	—

नोट—कोष्ठक में दी गई संख्याएँ रिक्त स्थानों की संख्या सूचित करती हैं। अन्य दलों में राज्य के अन्य दल जैसे—हिन्दू-महासभा, जनता पार्टी, रामराज्य परिषद्, गणतंत्र परिषद्, फारवर्ड ब्लॉक, अनुसूचित जाति संघ और राष्ट्रीय समिति (नेशनल कान्फ्रेंस) आदि सम्मिलित हैं।

१९६१ और १९६७ के अन्य चुनाव की कुछ बातें

	१९५१-५२	१९५७
लोक-सभा		
स्थानों की संख्या	४८९	४९४
निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	४०१	४०३
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या	१,८७४	१,५१९
विधान सभाएँ		
स्थानों की संख्या	३,२८३	३,१०२
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	२,७०३	२,५१८
चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों की संख्या	१५,३६१	१०,१७७
चुनावों पर कुल खर्च		
लोक-सभा तथा विधान-सभाएँ	१०,४५,४७,०६६ रु०	५,९०,२१,७८६

आगामी निर्वाचन

१९६२ में मार्च महीने के आरम्भ में सारे देश मे आम चुनाव होगा। मतदान पाँच दिनों में समाप्त हो जायगा और मतदान के बाद तीन दिनों में फल घोषित कर दिये जायेंगे।

गत आम चुनाव में मतदान-कार्य १९ दिनों तक चला था। मोटे तौर से अंदाज किया जाता है कि आगामी चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या २१ करोड़ होगी। १९५७ के चुनाव में मतदाताओं की संख्या १९ करोड़, ३० लाख थी। मतदान में एक नया सुधार यह किया जायगा कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग बक्सा न रखकर एक ही मतदान-पत्र रहेगा जिसपर सब उम्मीदवार के नाम और उनके प्रतीक छपे रहेंगे। मतदाता रबर-स्टाम्प से उस उमीदवार के नाम या पत्र के सामने निशान लगा देगा, जिसे अपना मत देना वह पसंद करेगा और इसके बाद वह मतदान-पत्र को सर्व सामान्य बक्से में डाल देगा।

गत आम चुनाव में २१ लाख से अधिक मतदान-बक्स काम में लाये गये थे और इसके अलावा ६ लाख संचिति में रखे गये थे। निशान देकर मतदान की प्रणाली में ५ लाख से अधिक बक्सों की जरूरत नहीं होगी।

चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करने के लिए चुनाव-आयोग ने कुल चार अखिल भारतीय दलों और १५ राज्य-दलों प्रस्वीकृत किया है। गत आम चुनाव में जिन दलों ने मान्य मतों में प्रतिशत तीन से अधिक मत प्राप्त किये थे, उन्हें अखिलभारतीय दल के रूप में स्वीकृत किया गया है। राज्यों के प्रति भी यही कसौटी लागू की गई है।

अखिलभारतीय दल निम्नलिखित हैं—इंडियन नेशनल कॉंगरेस, प्रजासोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ। राज्यों के स्वीकृत दल—पिपुल्स डिमोक्रैटिक फ्राट और प्रजा पार्टी (आंध्रप्रदेश); किसान और मजदूर पार्टी (आध्र और महाराष्ट्र), जनता पार्टी और झारखण्ड पार्टी (बिहार), संयुक्त स्वतंत्र मोर्चा (हिमाचल-प्रदेश), मुस्लिम लीग (केरल), हिन्दू-महासभा (मध्यप्रदेश और दिल्ली), इंडियन नेशनल डिमोक्रैटिक कॉंगरेस और द्राविड़ मुन्नेत्र कज़गम

(मद्रास), लोक-सेवा संघ (मैसूर), गणतंत्र-परिषद् (उड़ीसा), रामराज्य-परिषद् (राजस्थान), सोशलिस्ट पार्टी (उत्तरप्रदेश और मणीपुर), फॉरवार्ड ब्लॉक (मार्क्सवादी) पश्चिम बंगाल।

भारत का प्रत्येक नागरिक पुरुष या स्त्री, जिसकी उम्र २१ साल की है, जिसका दिमाग ठीक है और जिसे किसी गैरकानूनी या भ्रष्टाचारमूलक कार्यों या अन्य चुनाव-सम्बन्धी अपराधों के लिए सजा नहीं हुई है, लोक-सभा और राज्य विधान-सभा के चुनाव में मतदान करने के लिए पूर्णत: योग्य है।

लोक-सभा या राज्य विधान-सभा के चुनाव के उम्मीदवारो के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र २५ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

जिस व्यक्ति का दिमाग ठीक नही है, सरकार के अन्दर किसी लाभ-पद को धारण नहीं किये हुए है (ऐसे लाभ-पद को छोड़कर, जिसे लोक-सभा ने विधि द्वारा उसके धारण करनेवाले को निर्योग्य घोषित नहीं किया है), अनुन्मुक्त दिवालिया है या विधि के अनुसार किसी अन्य निर्योग्यता का भोग कर रहा है, वह उम्मीदवारी के लिए निर्योग्य है।

लोक-सभा के चुनाव में उम्मीदवार को ५०० रु० जमा करना होता है। किन्तु, उम्मीदवार यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित वनजाति का हो, तो उसे केवल २५०) रु० जमा करना होगा। राज्य विधान-सभा के उम्मीदवार को २५०) रु० तथा अनसूचित जाति या अनुसूचित वन-जाति के उम्मीदवार को १२५ रु० जमा करना पड़ता है।

भारतीय जनगणना, १९६१

(अस्थायी आँकड़े)

भारत

क्षेत्रफल	११,२७,३४५ वर्गमील
जन-संख्या	४३,६४,२४,४२९ (शहरी जन-संख्या ७,७८, ३६,६००; ग्रामीण जनसंख्या ३५,८५, ८४,५२६
पुरुष	२२,४६,५७,६४८
स्त्रियाँ	२१,१४,६६,४८१
१९५१ से वृद्धि	७,७२,०७,५२४
प्रतिशत वृद्धि	२१·४६
प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९४० (९४६)*
प्रति वर्गमील सघनता	३८४ (३१६)*

मणिपुर, नागालैंड और पूर्वोत्तर सीमान्त अधिकरण के आँकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं। प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों की सख्या तथा सघनता के आँकड़ों में जम्मू और कश्मीर के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल	अप्राप्य	जम्मू और कश्मीर में पिछली जन-गणना सन् १९४१ ई० मे हुई थी।	
जनसंख्या	३५,८३,५८५	प्रतिशत वृद्धि (सन् १९४१ ई० के वाद)	९·७३
पुरुष	१९,०२,९०२	प्रतिशत सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८८३
स्त्रियों	१६,८०,६८३	प्रति वर्गमील सघनता	अप्राप्य
सन् १९५१ से वृद्धि	३,१७,७३९		

पंजाव

क्षेत्रफल	४७,०८४ वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	४१,६३,२६१
जनसंख्या	२,०२,९८,१५१	प्रतिशत वृद्धि	२५·८०
पुरुष	१,०८,६६,९१०	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों	८६८ (५५८)
स्त्रियों	९४,३१,२४१	प्रति वर्गमील सघनता	४३१ (३४३)

पश्चिम वगाल

क्षेत्रफल	३३,९२८ वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	८६,६५,२४८
जनसंख्या	३,९९,६७,६३४	प्रतिशत वृद्धि	३२·९४
पुरुष	१,८६,११,०८५	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८७९ (८६५)
स्त्रियाँ	१,६३,५६,५४९	प्रति वर्गमील सघनता	१,०३१ (७७५)

बिहार

क्षेत्रफल	६७,१९८ वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	७६,७३,२६४
जनसंख्या	४,६४,५७,०४२	प्रतिशत वृद्धि	१९·७८
पुरुष	२,३३,२८,१७८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों	९९१ (९९०)
स्त्रियों	२,३१,२८,८६४	प्रति वर्गमील सघनता	६९१ (५७७)

मद्रास

क्षेत्रफल	५०,१३२ वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	३,५३,८७०
जनसंख्या	३,३६,५०,९१७	प्रतिशत वृद्धि	११·७३
पुरुष	१,६९,१५,४५४	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों	९८९ (१,००७)
स्त्रियों	५,४[illegible]	प्रति वर्गमील सघनता	६७१ (६०१)

[illegible]श

क्षेत्रफल	[illegible]	[illegible]९५१ ई० से वृद्धि	६३,२२,७३८
जनसं[illegible]	[illegible]	[illegible]	२४·२५
पुरुष	[illegible]	[illegible]	९५२ (९६७)
स्त्रियो[illegible]	[illegible]	[illegible]	१८९ (१५२)

भारत के राज्य

आसाम

क्षेत्रफल	४७,०९८	वर्गमील	१९५१ से वृद्धि	३०,२६,३२७
जनसंख्या	१,१८,६०,०५९		प्रतिशत वृद्धि	३४·३०
पुरुष	६३,१८,२२९		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८७७ (८७७)*
स्त्रियो	५५,४१,८३०		प्रति वर्गमील सघनता	२५२ (१८८)*

आन्ध्रप्रदेश

क्षेत्रफल	१,०६,०५२	वर्गमील	१९५१ से वृद्धि	४८,६२,७४०
जनसंख्या	३,५९,७७,९९९		प्रतिशत वृद्धि	१५·६३
पुरुष	१,८१,७५,३४९		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९९९ (९८६)
स्त्रियाँ	१,७८,०२,६५०		प्रति वर्गमील सघनता	३३९ (२९३)

उड़ीसा

क्षेत्रफल	६०,१६२	वर्गमील	१९५१ से वृद्धि	२९,१९,६९९
जनसंख्या	१,७५,६५,६४५		प्रतिशत वृद्धि	१९·८४
पुरुष	३७,७२,१९४		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	१०,०२ (१,०२२)
स्त्रियाँ	३७,९३,४५१		प्रति वर्गमील सघनता	२९२ (२४३)

उत्तरप्रदेश

क्षेत्रफल	१,१३,४५४	वर्गमील	सन् १९५१ से वृद्धि	१,०५,३७,१७२
जनसंख्या	७,३७,५२,९१४		प्रतिशत वृद्धि	१६·६७
पुरुष	३,८६,६४,४६३		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९०८ (९१०)
स्त्रियाँ	३,५०,८८,४५१		प्रति वर्गमील सघनता	६५७ (५५७)

केरल

क्षेत्रफल	१५,००३	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	३३,२६,०८१
जनसंख्या	१,६८,७५,१९९		प्रतिशत वृद्धि	२४·५५
पुरुष	८३,४५,८९७		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	१,०२२ (१,०२८)
स्त्रियो	८५,२९,३०२		प्रति वर्ग मील सघनता	१,१२५ (९०३)

गुजरात

क्षेत्रफल	७२,१५४	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	४३,५८,६२७
जनसंख्या	२,०६,२१,२८३		प्रतिशत वृद्धि	२६·८०
पुरुष	१,०६,३६,४७०		प्रति सहस्र पुरुषों मे स्त्रियो	९३९ (९५२)
स्त्रियाँ	९९,८४,८१३		प्रति वर्गमील सघनता	२८६ (२२५)

* कोष्ठक के आँकड़े १९५१ के हैं।

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल	अप्राप्य	जम्मू और कश्मीर में पिछली जन-गणना सन् १९४१ ई० में हुई थी।	
जनसंख्या	३५,८३,५८५		
पुरुष	१९,०२,९०२	प्रतिशत वृद्धि (सन् १९४१ ई० के बाद)	९'७३
स्त्रियाँ	१६,८०,६८३	प्रतिशत सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८८३
सन् १९५१ से वृद्धि	३,१७,७३९	प्रति वर्गमील सघनता	अप्राप्य

पंजाब

क्षेत्रफल	४७,०८४	वर्गमील	सन १९५१ ई० से वृद्धि	४१,६३,२६१
जनसंख्या	२,०२,९८,१५१		प्रतिशत वृद्धि	२५'८०
पुरुष	१,०८,६६,९१०		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८६८ (५५८)
स्त्रियाँ	९४,३१,२४१		प्रति वर्गमील सघनता	४३१ (३४३)

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल	३३,९२८	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	८६,६५,२४८
जनसंख्या	३,४९,६७,६३४		प्रतिशत वृद्धि	३२'९४
पुरुष	१,८६,११,०८५		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८७९ (८६५)
स्त्रियाँ	१,६३,५६,५४९		प्रति वर्गमील सघनता	१,०३१ (७७५)

बिहार

क्षेत्रफल	६७,१९८	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	७६,७३,२६४
जनसंख्या	४,६४,५७,०४२		प्रतिशत वृद्धि	१९'७८
पुरुष	२,३३,२८,१७८		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९९१ (९९०)
स्त्रियाँ	२,३१,२८,८६४		प्रति वर्गमील सघनता	६९१ (५७७)

मद्रास

क्षेत्रफल	५०,१३२	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	३,५३,८७०
जनसंख्या	३,३६,५०,९१७		प्रतिशत वृद्धि	११'७३
पुरुष	१,६९,१५,४५४		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९८९ (१,००७)
स्त्रियाँ	१,६७,३५,४६३		प्रति वर्गमील सघनता	६७१ (६०१)

मध्यप्रदेश

क्षेत्रफल	१,७१,२१०	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	६३,२२,७३८
जनसंख्या	३,२३,९४,३७५		प्रतिशत वृद्धि	२४'२५
पुरुष	१,६५,९८,५२६		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९५२ (९६७)
स्त्रियाँ	१,५७,९५,८४९		प्रति वर्गमील सघनता	१८९ (१५२)

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल	१,१८,८८४ वर्गमील	सन् १६५१ ई० से वृद्धि	७५,०१,५३०
जनसंख्या	३,६५,०४,२६४	प्रतिशत वृद्धि	२३·४४
पुरुष	२,०४,१६,०५६	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६३५ (६४१)
स्त्रियाँ	१,६०,८५,२३५	प्रति वर्गमील सघनता	३३२ (२६६)

मैसूर

क्षेत्रफल	७४,१२२ वर्गमील	सन् १६५१ ई० में वृद्धि	४१,४५,१२५
जनसंख्या	२,३५,४७,०८१	प्रतिशत वृद्धि	२१·३६
पुरुष	१,२०,२१,२४८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६५६ (६६६)
स्त्रियाँ	१,१५,२५,८३३	प्रति वर्गमील सघनता	३१८ (२६२)

राजस्थान

क्षेत्रफल	१,३२,१५० वर्गमील	सन् १६५१ ई० से वृद्धि	४१,७५,३६६
जनसंख्या	२,०१,४६,१७३	प्रतिशत वृद्धि	२६·१४
पुरुष	१,०५,५८,१३८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६०८ (६२१)
स्त्रियाँ	६५,८८,०३५	प्रति वर्गमील सघनता	१५२ (१२१)

संघीय क्षेत्र

अन्दमन निकोबार द्वीप

क्षेत्रफल	३,२१५ वर्गमील	प्रतिशत वृद्धि	१०४·८३
जनसंख्या	६३,४३८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६१६
पुरुष	३६,२५६	प्रति वर्गमील सघनता	२० (१०)
स्त्रियाँ	२४,१७६		

भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति किस राज्य में हैं और यहाँ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कौन-सा प्रतिशत है यह नीचे लिखा है।

राज्य	भारतीय जन-संख्या का प्रतिशत	भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत
आसाम	२·७२	४·१८
आन्ध्रप्रदेश	८·२४	६·४१
उड़ीसा	४·०२	५·३४
उत्तरप्रदेश	१६·६०	१०·०६
केरल	३·८७	१·३३
गुजरात	४·७३	६·४०
जम्मू और कश्मीर	अप्राप्य	अप्राप्य
पंजाब	४ ६५	४·१८

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल	अप्राप्य	जम्मू और कश्मीर में पिछली जन-गणना सन् १९४१ ई० मे हुई थी।
जनसंख्या	३५,८३,५८५	प्रतिशत वृद्धि (सन् १९४१ ई० के बाद) ९·७३
पुरुष	१९,०२,९०२	प्रतिशत सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ ८८३
स्त्रियाँ	१६,८०,६८३	
सन् १९५१ से वृद्धि	३,१७,७३९	प्रति वर्गमील सघनता अप्राप्य

पंजाब

क्षेत्रफल	४७,०८४	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	४१,६३,२६१
जनसंख्या	२,०२,९८,१५१		प्रतिशत वृद्धि	२५·८०
पुरुष	१,०८,६६,९१०		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८६८ (५५८)
स्त्रियाँ	९४,३१,२४१		प्रति वर्गमील सघनता	४३१ (३४३)

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल	३३,९२८	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	८६,६५,२४८
जनसंख्या	३,४९,६७,६३४		प्रतिशत वृद्धि	३२·९४
पुरुष	१,८६,११,०८५		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८७८ (८६५)
स्त्रियाँ	१,६३,५६,५४९		प्रति वर्गमील सघनता	१,०३१ (७७५)

बिहार

क्षेत्रफल	६७,१९८	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	७६,७३,२६४
जनसंख्या	४,६४,५७,०४२		प्रतिशत वृद्धि	१९·७८
पुरुष	२,३३,२८,१७८		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९९१ (९९०)
स्त्रियाँ	२,३१,२८,८६४		प्रति वर्गमील सघनता	६९१ (५७७)

मद्रास

क्षेत्रफल	५०,१३२	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	३,५३,८७०
जनसंख्या	३,३६,५०,९१७		प्रतिशत वृद्धि	११·७३
पुरुष	१,६९,१५,४५४		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९८९ (१,००७)
स्त्रियाँ	१,६७,३५,४६३		प्रति वर्गमील सघनता	६७१ (६०१)

मध्यप्रदेश

क्षेत्रफल	१,७१,२१०	वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	६३,२२,७३८
जनसंख्या	३,२३,९४,३७५		प्रतिशत वृद्धि	२४·२५
पुरुष	१,६५,९८,५२६		प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९५२ (९६७)
स्त्रियाँ	१,५७,९५,८४९		प्रति वर्गमील सघनता	१८९ (१५२)

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल	१,१८,८८४ वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	७५,०१,५३०
जनसख्या	३,९५,०४,२९४	प्रतिशत वृद्धि	२३·४४
पुरुष	२,०४,१९,०५९	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९३५ (९४१)
स्त्रियाँ	१,९०,८५,२३५	प्रति वर्गमील सघनता	३३२ (२९९)

मैसूर

क्षेत्रफल	७४,१२२ वर्गमील	सन् १९५१ ई० में वृद्धि	४१,४५,१२५
जनसंख्या	२,३५,४७,०८१	प्रतिशत वृद्धि	२१·३६
पुरुष	१,२०,२१,२४८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९५९ (९६६)
स्त्रियाँ	१,१५,२५,८३३	प्रति वर्गमील सघनता	३१८ (२६२)

राजस्थान

क्षेत्रफल	१,३२,१५० वर्गमील	सन् १९५१ ई० से वृद्धि	४१,७५,३९९
जनसंख्या	२,०१,४६,१७३	प्रतिशत वृद्धि	२६·१४
पुरुष	१,०५,५८,१३८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९०८ (९२१)
स्त्रियाँ	९५,८८,०३५	प्रति वर्गमील सघनता	१५२ (१२१)

संघीय क्षेत्र

अन्दमन निकोबार द्वीप

क्षेत्रफल	३,२१५ वर्गमील	प्रतिशत वृद्धि	१०४·८३
जनसंख्या	६३,४३८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६१६
पुरुष	३९,२५९	प्रति वर्गमील सघनता	२० (१०)
स्त्रियाँ	२४,१७९		

भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति किस राज्य में हैं और यहाँ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कौन-सा प्रतिशत है यह नीचे लिखा है।

राज्य	भारतीय जन-संख्या का प्रतिशत	भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत
आसाम	२·७२	४·१८
आन्ध्रप्रदेश	८·२४	९·४१
उड़ीसा	४·०२	५·३४
उत्तरप्रदेश	१६ ६०	१०·०६
केरल	३ ८७	१·३३
गुजरात	४·७३	६·४०
जम्मू और कश्मीर	अप्राप्य	अप्राप्य
पंजाव	४ ६५	४·१८

राज्य	भारतीय जन-संख्या का प्रतिशत	भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	३.८१	३.०१
बिहार	१०.६४	५.६६
मद्रास	७.७१	४.४५
मध्यप्रदेश	७.४२	१५.१६
महाराष्ट्र	६.०५	१०.५५
मैसूर	५.४०	६.५७
राजस्थान	४.६२	११.७२

संघीय क्षेत्र

अन्दमन निकोबार	०.०१	अप्राप्य
त्रिपुरा	०.२६	०.३६
दिल्ली	०.६१	०.०५
लंका दीभ, मिनीकोय अमीन दीपी द्वीप समूह	०.०१	अप्राप्य
हिमाचल-प्रदेश	०.३१	०.६७

विभिन्न राज्यों के अन्दर नागरिक जन-संख्या में प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों की संख्या इस प्रकार है—

राज्य	१९६१	१९५१
आसाम	६८०	६८२
आन्ध्र	९५०	९८७
उड़ीसा	८१७	८८१
उत्तरप्रदेश	८१४	८२०
केरल	—	९९०
गुजरात	८९६	९२०
जम्मू और कश्मीर	८४७	—
पंजाब	८१३	८१२
पश्चिम बंगाल	७००	६६०
बिहार	८०९	८४२
मद्रास	९६२	९८६
मध्यप्रदेश	८५३	९०७
महाराष्ट्र	८००	८०८
मैसूर	९१२	९१४
राजस्थान	९०२	९२८

विभिन्न राज्यों के अन्दर प्रति सहस्र व्यक्तियों में पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

विभिन्न राज्य	१६६१	१६५१
आसाम	२५८	१८३
आन्ध्र	२०८	१३१
उड़ीसा	२१५	१५८
उत्तरप्रदेश	१७५	१०८
केरल	४६२	४०७
गुजरात	३०३	२३१
जम्मू और कश्मीर	१०७	अप्राप्य
पंजाब	२३७	१५२
पश्चिम बंगाल	२६१	२४०
बिहार	१८२	१२२
महाराष्ट्र	२६७	२०६
मद्रास	३०२	२०८
मध्यप्रदेश	१६६	६८
मैसूर	२५३	१६३
राजस्थान	१४७	८६
अन्दमन निकोबार दीप समूह	३३६	२५८
दिल्ली	५१०	३८४
त्रिपुरा	२२२	१५५
हिमाचल-प्रदेश	१४६	७७

विदेशों में भारतीय

देशों के नाम	भारतीयों की संख्या	आनुमानिक वर्ष
अदन	१५,८१७	१६५५
अस्ट्रेलिया	२,५००	१६५८
बर्बाडोस	१४०	१६५५
बासुटोलैंड	२४७	१६५६
बेचुआनालैंड	६२	१६३६
ब्रिटिश गायना	२,१०,०००	१६५४
ब्रिटिश हौण्डुरास	२,०००	१६४६
ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो	२,००१	१६५४

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
ब्रिटिश सोमालीलैंड	...	२५०	...	१९४६
ब्रूनेई	....	२,१००	....	१९५८
कनाडा	...	७,९६४	...	१९५७
श्रीलंका	...	८,२९,६१९	....	१९५८
डोमिनिका	...	५	...	१९५०
फिजी द्वीप-समूह	...	१,८४,०९०	...	१९५८
जिब्राल्टर	...	४१	....	१९४६
घाना	....	४७५	...	१९५९
ग्रेनाडा	...	६,०००	...	१९५९
हाँगकाँग	...	३,०००	...	१९५७
जमैका	...	२६,०००	....	१९५४
केनिया	....	१,६५,०००	....	१९५९
लीवार्ड द्वीप-समूह	...	९९	...	१९४६
मलाया	...	७,४०,४३६	....	१९५६
माल्टा	...	३७	...	१९४८
मौरिसस	...	४,०१,८७१	...	१९५९
न्यूजीलैंड	...	२६००	...	१९५९
नाइजीरिया	...	३९०	...	१९५९
न्यासालैंड	...	१०,०००	...	१९५९
रोडेशिया (उत्तरी)	...	६,०००	...	१९५७
रोडेशिया (दक्षिणी)	...	५,५००	...	१९५९
सारावक	...	२,०००	...	१९५८
सीकेलीज	...	२५०	....	१९५९
सियरालिओन	...	१००	....	१९५९
सिंगापुर	...	१,२४,०८४	...	१९५७
दक्षिण अफ्रिका	...	४,३१,००० (अनुमान)	...	१९५८
सेराटक्रिट्स	...	९७	....	१९५०
सेराट लूशिया	...	३,०००	....	१९५४
सेराट विन्सेराट	...	२,०००	...	१९५४
स्वाजीलैंड	...	७१,६९०	...	१९५७
टैंगनिका	...	८०,०००	....	१९५७
ट्रिनिडाड और टोबैगो	....	२,६७,०००	...	१९५७
उगाएडा	...	५८,७००	...	१९५९
युनाइटेड किंगडम	...	१,७०,००० (लगभग)	...	१९५८
जंजीबार और पावा	...	१५,९००	....	१९४९

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
अदन प्रोटेक्टरेट	...	१००	...	१९५६
अफगानिस्तान	...	२३६	...	१९५४
अर्जेंएटाइना	...	२५० (लगभग)	...	१९५८
अस्ट्रिया	....	४१	...	१९५५
बहरेन	...	३,०००	...	१९५४
कांगो (रुआएडा उरुएडी सहित)		२,०००	....	१९५६
बेलजियम	...	७२	...	१९५५
ब्राजिल	....	६०	...	१९५५
बलगेरिया	...	३	...	१९५३
बर्मा	...	७,००,०००	....	१९५८
कम्बोडिया	...	२००	....	१९५७
चिली	...	५	...	१९५८
चीन	...	२१०	...	१९५७
क्यूबा	...	२३ (लगभग)	...	१९५८
जेकोस्लोवाकिया	...	४	...	(मई) १९५५
डेनमार्क	...	२२	...	१९५५
डचगायना	...	७१,०००	...	१९५६
मिस्र	...	१००	...	१९५६
इथोपिया और इरिट्रिया		२,०००	....	१९५७
फिनलैंड	....	१	....	१९५५
फ्रान्स	....	२६५	....	१९५७
जर्मनी (पश्चिमी और पूरवी)		३५	....	१९५३
पश्चिम जर्मनी	...	१,३०० (छात्र और प्रशिक्षणार्थी)		—
इएडोचाइना	....	२,३००	...	१९५०
इएडोनेशिया-गणराज्य	....	३०,०००	...	१९५८
ईरान	....	१,०००	....	१९५७
इराक	...	८५०	....	१९५४
इटालियन सोमालीलैंड	...	१,०००	...	१९४७
इटली	....	११३	....	(मार्च) १९५५
जापान	....	५०१	...	१९५४
कुवैत	...	२,५००	....	१९५४
लेबनान	...	५६	...	१९५५
लीबिया	...	२७	....	१९५६
लक्जेमबर्ग	...	—	...	१९५२
मडागास्कर	...	१३,१५३	...	१९५६

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
मेक्सिको	...	१२ (लगभग)	....	१९५८
मसकट	...	१,१४५	...	१९५७
नेपाल	....	१०,४४१	...	१९४१
नेदरलैंड	...	३	....	१९५७
पैलेस्टाइन	...	५६	...	१९४७
पनामा	...	५-८ सौ के बीच	...	१०५६
फिलिपाइन	...	१,६७५	...	१९५८
पुर्त्तगाल	...	१	..	१९५२
पुर्त्तगीज पूर्व अफ्रिका	...	६,०००	...	१९५६
कातर (फारस की खाडी)	...	८००	....	१९५४
रियूनियन दीप-समूह	...	५००	...	१९५६
सऊदी अरब	...	५,०००	....	१९५६
शरजाह दुबाई	...	२५०	..	१९५४
सूडान	...	२,५००	...	१९५७
स्वीडन	..	७६	....	१९५५
स्विट्जरलैंड	...	२५०	....	१९५७
सीरिया	....	१३	...	१९५४
थाइलैंड	...	१०,०००	...	१९५५
सं० रा० अमेरिका	...	५,०६३	...	१९५८
रूस	...	१५	....	१९५३
यमन	...	५०	....	१९५६
युगोस्लाविया	....	—	...	—

विदेशों में भारतीय उद्भव के लोग

सन् १९५७ तथा १९५८ में स्वदेश से कितने व्यक्ति बाहर गये तथा कितने व्यक्ति लौटकर आये, इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है—

देश	भारत से जानेवाले भारतीय		विदेशों से लौटकर आनेवाले भारतीय	
	१९५७	१९५८	१९५७	१९५८
अफ्रिका	२८७	३५४	३६	२३
बर्मा	४३	८	४	१५
मलय	८३	१४	१,५१८	२,१८९
श्रीलंका	१४८	५४	१०४	—
अन्य देश	२,६१४	२,१३४	१,२३४	१,०८६
जोड़—	३,१७५	२,५६४	२,८९६	३,३१३

विदेशों मे रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या लगभग ५० लाख है। केनिया, ट्रिनिडाड, ग्रेट-ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रिका, फिजी द्वीप-समूह, वर्मा, ब्रिटिश गायना, मलय-संघ, मॉरिशस, श्रीलंका तथा सिंगापुर में से प्रत्येक देश में एक लाख से अधिक तथा इण्डोनेशिया, जमैका, टैंगानिका, डचगायना तथा युगाडा में से प्रत्येक देश में २५,००० से अधिक भारतीय हैं। सन् १९५८ ई० में श्रीलंका तथा वर्मा में क्रमशः ८,२६,६१६ तथा ७,००,००० भारतीय थे।

प्रमुख साहित्यिक संस्थाएँ

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

जन्म और विकास

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा हिन्दी-साहित्य और देवनागरी-लिपि का व्यापक प्रचार करने के उद्देश्य से नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ने अखिलभारतीय स्तर पर एक साहित्य-सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया था। तदनुसार विक्रमी संवत् १९६७, दिनाक १ मई, १९१० को महामना स्व० पं० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में काशी में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एक अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसमें हर प्रदेश के साहित्यकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन में सम्मिलित होनेवाले प्रतिनिधियों को उक्त सम्मेलन की पूर्ण सफलता ने वहुत प्रभावित किया। फलत वावू पुरुषोत्तमदास टण्डन का इस आशय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया कि इसी प्रकार के सम्मेलन प्रति वर्ष विभिन्न स्थानों में किये जायँ। यह भी निश्चय किया गया कि आगामी अधिवेशन प्रयाग में किया जाय। आगामी अधिवेशन तक के लिए 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' नाम की एक समिति वना दी गई, जिसके प्रधान मन्त्री वावू पुरुषोत्तमदास टण्डन नियुक्त किये गये। आगामी अधिवेशन प्रयाग में होना था और समिति के प्रधान मन्त्री प्रयाग ही के निवासी थे, इसलिए एक वर्ष के लिए सम्मेलन का अस्थायी कार्यालय प्रयाग चला आया।

सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन संवत् १९६८ में स्व० पं० गोविन्दनारायण मिश्र के सभापतित्व में प्रयाग में सम्पन्न हुआ, जो हर प्रकार से पूर्ण सफल समझा गया। श्रीटण्डन जी की अपूर्व कार्य-क्षमता और हिन्दी के प्रति उनकी अगाध निष्ठा का परिणाम यह हुआ कि सम्मेलन स्थायी हो गया और इसका कार्यालय भी स्थायी रूप से प्रयाग में आ गया।

इसके वाद से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ अपने उद्देश्य की उस सीमा तक पहुँच गया, जिसकी पूर्त्ति के लिए इसका जन्म हुआ। आज हिन्दी समस्त भारत की राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने उन्नायक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कीर्त्ति-पताका समुद्र पार तक फहरा रही है।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति और अधिवेशन

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन कब, कहाँ और किनके सभापतित्व में हुए यह नीचे लिखा है—

१.	महामना पं० मदनमोहन मालवीय	सं० १९६७	काशी अधिवेशन
२.	पं० गोविन्द नारायण मिश्र	सं० १९६८	प्रयाग ,,
३.	उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'	सं० १९६९	कलकत्ता ,,
४.	महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द)	सं० १९७०	भागलपुर ,,
५.	पं० श्रीधर पाठक	सं० १९७१	लखनऊ ,,
६.	रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए०	सं० १९७२	प्रयाग ,,
७.	महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा, सा०आ०	सं० १९७३	जबलपुर ,,
८.	कर्मवीर मोहनदास कर्मचन्द गांधी	सं० १९७४	इन्दौर ,,
९.	महामना पं० मदनमोहन मालवीय	सं० १९७५	बम्बई ,,
१०.	रायबहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल	सं० १९७६	पटना ,,
११.	डॉ० भगवानदास, एम०ए०, डी० लिट्०	सं० १९७७	कलकत्ता ,,
१२.	पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, एम्०आर०ए०एस्०	सं० १९७८	लाहौर ,,
१३.	श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन, एम्०ए०, एल्-एल्०बी०	सं० १९७९	कानपुर ,,
१४.	पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	सं० १९८०	दिल्ली ,,
१५.	पं० माधवराव सप्रे	सं० १९८१	देहरादून ,,
१६.	पं० अमृतलाल चक्रवर्त्ती	सं० १९८२	वृन्दावन ,,
१७.	म०म० रा० ब० पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा	सं० १९८३	भरतपुर ,,
१८.	पं० पद्मसिंह शर्मा	सं० १९८५	मुजफ्फरपुर ,,
१९.	श्री गणेशशंकर विद्यार्थी	सं० १९८६	गोरखपुर ,,
२०.	बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर', बी० ए०	सं० १९८७	कलकत्ता ,,
२१.	पं० किशोरीलाल गोस्वामी	सं० १९८८	झाँसी ,,
२२.	रावराजा डॉ० श्यामबिहारी मिश्र, एम० ए०	सं० १९८९	ग्वालियर ,,
२३.	महाराज सर सयाजीराव गायकवाड़ (बड़ौदा)	सं० १९९०	दिल्ली ,,
२४.	महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी	सं० १९९२	इन्दौर ,,
२५.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	सं० १९९३	नागपुर ,,
२६.	सेठ जमनालाल बजाज	सं० १९९४	मद्रास ,,
२७.	पं० बाबूराव विष्णु पराडकर	सं० १९९५	शिमला ,,
२८.	पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	सं० १९९६	काशी ,,
२९.	श्रीसंपूर्णानन्द	सं० १९९७	पूना ,,
३०.	डॉ० अमरनाथ झा	सं० १९९८	अबोहर ,,
३१.	पं० माखनलाल चतुर्वेदी	सं० २०००	हरद्वार ,,
३२.	गोस्वामी गणेशदत्त	सं० २००१	जयपुर ,,
३३.	श्रीकन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी	सं० २००२	उदयपुर ,,

३४. श्रीवियोगी हरि	सं०	२००३	कराची	अधिवेशन
३५. महापण्डित राहुल साकृत्यायन	सं०	२००४	बम्बई	,,
३६. सेठ गोविन्ददास	सं०	२००५	मेरठ	,,
३७. आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय	सं०	२००६	हैदराबाद	,,
३८. श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार	सं०	२००७	कोटा	,,

कार्यालय

अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का कार्यालय प्रारम्भ से ही प्रयाग में रहा है। इस समय उसके कई विशाल भवन हैं। सम्मेलन के कार्य विभिन्न विभागों में बँटे हैं, जो इस प्रकार हैं—

विभिन्न विभाग

साहित्य-विभाग—इस विभाग के अंतर्गत पुस्तकों का प्रकाशन मुख्य है। यहाँ से अवतक विभिन्न विषयों के दर्जनों ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।

सम्मेलन-पत्रिका-विभाग—सम्मेलन की ओर से एक अनुशीलन तथा शोध-प्रधान त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है।

हिन्दी-संग्रहालय—संग्रहालय का विशाल भवन भारतीय वास्तु-कला का एक सुन्दर नमूना है। इस समय इस संग्रहालय में ३० हजार से अधिक पुस्तकें संगृहीत हैं। इस संग्रहालय में राजर्षि-कक्ष, रणवीर-कक्ष और वसु-कक्ष—ये तीन कक्ष उल्लेखनीय हैं, जो तीन विभिन्न विद्वानों द्वारा दिये गये हैं।

सम्मेलन-मुद्रणालय—२० अक्टूबर, १९४८ को सम्मेलन-मुद्रणालय का उद्घाटन किया गया। यह एक सुव्यवस्थित एवं सम्पन्न मुद्रणालय है, जिसकी गणना उत्तरप्रदेश के इने-गिने मुद्रणालयों में होती है।

प्रबन्ध-विभाग—सम्मेलन के हर प्रकार के प्रबन्ध और गतिविधियों की जानकारी का पूर्ण दायित्व प्रबन्ध-विभाग पर ही रहता है। संकेत-लिपि-विद्यालय तथा हिन्दी-टाइप-विद्यालय का संचालन यही विभाग करता है।

प्रचार-विभाग—इस विभाग द्वारा सम्मेलन का प्रचार-कार्य होता है।

परीक्षा-विभाग—इस विभाग के अन्तर्गत सम्मेलन-परीक्षाओं का प्रबन्ध होता है। सम्मेलन की परीक्षाओं ने भारत के प्रान्तों के अतिरिक्त विदेशों में भी पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की है। सम्मेलन की परीक्षाओं को देश की कई प्रान्तीय सरकारों और विश्व-विद्यालयों ने भी मान्यता दी है। परीक्षा-विभाग का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

सम्मेलन का परीक्षा-विभाग बारह परीक्षाएँ प्रति वर्ष संपादित करता है। परीक्षा-विभाग के संचालन के लिए स्थायी रूप से रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है।

हिन्दी-विश्वविद्यालय—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का हिन्दी-विश्वविद्यालय सम्मेलन की अलग संस्था के रूप में निर्मित हुआ है।

हिन्दी-विश्वविद्यालय की ओर से काश्मीर और पंजाब में 'हिन्दी-परिचय' और 'हिन्दी-कोविद' नाम की दो परीक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। ये परीक्षाएँ वर्ष में दो बार होती हैं। पहले ये परीक्षाएँ सम्मेलन के दिल्ली-कार्यालय से संचालित होती थीं, किन्तु अब प्रयाग से ही इनके संचालन की व्यवस्था है।

सं० २०१३ की परीक्षाओं तथा परीक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :—

परीक्षा	आवेदन-पत्र	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत उत्तीर्ण
उत्तमा प्रथम खंड	४,६३३	३,३११	२,१५२	६५
उत्तमा द्वितीय खंड	२,३३६	१,८४३	१,४३२	७८
मध्यमा परीक्षा	११,२७२	८,४४३	५,५०४	४६
प्रथमा परीक्षा	७,४२६	५,७६६	२,६१२	४५
उपवैद्य	२५२	१६४	६८	४२
वैद्य-विशारद, प्रथम खंड	६४६	४४६	२१७	४६
वैद्य-विशारद, द्वितीय खंड	२८३	२५४	१२८	५०
कृषि-विशारद, शिक्षा-विशारद, सम्पादन-कला-विशारद तथा शीघ्रलिपि-विशारद	१७६	११६	६१	५२
हिंन्दी-परिचय (मॉरिशस)	६५	८१	३३	४१

साहित्य-महोपाध्याय-परीक्षा—यह सम्मेलन की सर्वोच्च परीक्षा है। इसमें पी-एच० डी० या डी० लिट्० के समान किसी भी विषय की अनुसंधान योग्य सामग्री पर परिश्रम करके हिन्दी में निबन्ध लिखना पड़ता है। गत वर्ष तक इसके ३१ परीक्षार्थी थे। सं० २०१३ में ६ और हो गये।

हिन्दी-विद्यापीठ, प्रयाग—हिन्दी-भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए सं० १६७५ में हिन्दी-विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ। ३१-३२ वर्ष की अवधि में इस विद्यापीठ के द्वारा अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों में सैकड़ों हिन्दीसेवी प्रचारक तैयार किये गये, जो आज भी आन्ध्र से मालाबार तक और बम्बई से आसाम तक अनेक श्लाघ्य संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं।

सम्मेलन के पारितोषिक

साहित्य के संवर्द्धन और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष सम्मेलन की ओर से विभिन्न विषयों की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर भिन्न-भिन्न पारितोषिक प्रदान किये जाते हैं। इन पारितोषिकों की संख्या ६ है, जिनका आयोजन और संगठन स्थायी समिति की ओर से नियुक्त उपसमितियाँ अलग-अलग किया करती करती हैं। प्रत्येक पारितोषिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन पर अध्यक्ष द्वारा विजेता को प्रदान किया जाता है। पारितोषिक-द्रव्य के साथ ही एक ताम्रपत्र भी प्रदान किया जाता है, जिसमें पारितोषिक का विवरण अंकित रहता है। प्रस्तुत पारितोषिकों में मंगलाप्रसाद पारितोषिक हिन्दी का गौरवमय पारितोषिक है।

मंगलाप्रसाद-पारितोषिक—प्रतिवर्ष बारह सौ रुपयों का 'मंगलाप्रसाद-पारितोषिक' हिन्दी की किसी मौलिक रचना के सम्मानार्थ सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। संकलित, संगृहीत, एवं अनूदित ग्रंथ मौलिक रचना के अन्तर्गत नहीं समझे जाते। पूरा पारितोषिक एक ही लेखक को दिया जाता है, भिन्न-भिन्न लेखकों को वितरित नहीं किया जाता। प्रतिवर्ष स्थायी समिति द्वारा 'मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-समिति' का संगठन हुआ करता है, जिसमें ५ सदस्यों के अतिरिक्त पुरस्कारदाता का एक प्रतिनिधि रहता है। पारितोषिक-निर्णय के लिए आई हुई पुस्तकें उस विषय के विशेषज्ञों के पास भेजी जाती हैं।

पारितोषिक-वितरण के लिए १. काव्य, २. निबन्ध, ३. इतिहास, ४. समाजशास्त्र, ५. दर्शन, ६. तात्त्विक विज्ञान, ७. व्यावहारिक विज्ञान—ये सात विषय हैं। प्रत्येक कृति के सम्बन्ध में पारितोषिक-समिति निश्चय करती है कि वह किस विषय के अन्तर्गत है। इस पारितोषिक के दाता श्रीगोकुलचन्द्र रईस हैं। इसका प्रारम्भ संवत् १९७६ में हुआ।

सेकसरिया महिला-पारितोषिक—सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिवर्ष ५००) रु० का सेकसरिया महिला-पारितोषिक किसी भी महिला को उसकी रचित हिन्दी की किसी मौलिक रचना के सम्मानार्थ दिया जाता है। इस पारितोषिक में भी ५ सदस्यों की एक उपसमिति संगठित होती है। इस पुरस्कार के दाता श्रीसीताराम सेकसरिया हैं। इसका प्रारम्भ संवत् १९८८ (सन् १९३१ ई०) से हुआ।

श्रीराधामोहन गोकुलजी-पुरस्कार—समाज-सुधार विषय पर किसी मौलिक पुस्तक की रचना के सम्मानार्थ प्रतिवर्ष २५०) का यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पारितोषिक राधामोहन गोकुल-स्मारक-समिति की ओर से श्रीराधामोहन गोकुलजी की स्मृति में दिया जाता है। इसका आरम्भ-काल सन् १९३७ है। इस पारितोषिक के प्रदान करने की पद्धति अन्य पारितोषिकों की भाँति ही है।

मुरारका-पारितोषिक—५००) का मुरारका-पारितोषिक अब कुछ वर्षों से बँगला, उड़िया और असमिया-भाषा-भाषी सज्जन द्वारा लिखी गई हिन्दी की किसी रचना के सम्मानार्थ दिया जाता है। इस पारितोषिक के दाता श्रीवसंतलाल मुरारका हैं। इसका प्रारम्भ संवत् १९९४, (सन् १९३७ ई०) से हुआ।

रत्नकुमारी-पुरस्कार—२५०) का रत्नकुमारी-पुरस्कार हिन्दी के किसी मौलिक नाटक के सम्मानार्थ दिया जाता है। श्रीरत्नकुमारी इस पुरस्कार की दात्री हैं। इसका प्रारंभ संवत् १९९५ (सन् १९३८ ई०) से हुआ।

समय-समय सम्मेलन से संबद्ध हुई संस्थाएँ

(१) राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा
(२) दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
(३) विहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
(४) उत्तरप्रदेश-साहित्य-सम्मेलन

(५) विन्ध्य-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, रीवा
(६) वंग-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
(७) गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति
(८) महाराष्ट्र-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, पूना
(९) मणिपुर-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, इम्फाल
(१०) उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा
(११) पश्चिम वंगाल-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति
(१२) सिंध-राजस्थान-प्रचार-समिति, जयपुर
(१३) हिन्दी-प्रचार-सभा, हैदरावाद
(१४) मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति, इंदौर
(१५) मैसूर हिन्दी-प्रचार-परिषद्
(१६) सनातन धर्म हिन्दी-विद्यापीठ, जयपुर
(१७) हिन्दी-साहित्य-समिति, भरतपुर
(१८) ग्रामोत्थान-विद्यापीठ, संगरिया, राजस्थान
(१९) वजरंग-परिषद्, कलकत्ता
(२०) पंजाव प्रान्तीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन
(२१) पेप्सू-प्रदेश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटियाला
(२२) आसाम राज्य राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, शिलाग
(२३) वम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा
(२४) कर्नाटक प्रान्तीय रा० भा० प्रचार-समिति, हुवली
(२५) साहित्य-सदन, अवोहर (पंजाव)
(२६) मैसूर हिन्दी-प्रचार-परिषद्, वंगलोर नगर
(२७) हिन्दी-साहित्य-समिति, बूंदी
(२८) वम्बई प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, वम्बई
(२९) हैदरावाद-राज्य हिन्दी-प्रचार-सभा, हैदरावाद
(३०) मध्यप्रदेश-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागपुर
(३१) मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, ग्वालियर

नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी

नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी का वीज-वपन आज से प्रायः पैंसठ वर्ष पूर्व वाराणसी के क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की पाँचवीं कक्षा में पढ़नेवाले कतिपय उत्साही छात्रों ने किया था, जिनका मूल उद्देश्य एक वाद-समिति की स्थापना करना था। उन्होंने स्थिर किया था कि नागरी-प्रचार को उद्देश्य वनाकर एक सभा की स्थापना की जाय। इस निश्चय के अनुसार २७ फाल्गुन, सं० १९४९ (१० मार्च, १८९३ ई०) को सभा की स्थापना हुई, जिसका नाम 'नागरी-प्रचारिणी सभा' रखा गया। उस समय सर्वश्री गोपालप्रसाद खत्री, रामसूरत मिश्र, उमरावसिंह, शिवकुमार

सिंह तथा रामनारायण मिश्र उसके प्रमुख कार्यकर्त्ता थे। थोड़े ही समय पश्चात् श्री श्यामसुन्दर दास भी इसमें सम्मिलित हो गये और वही मंत्री हुए।

प्रारंभ में उसे बालसभा मात्र समझकर बड़े-बूढे उसमें आने से संकोच करते थे, पर कार्यकर्त्ताओं के सतत उद्योग से शीघ्र ही सर्वश्री राधाकृष्णदास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, रायबहादुर लक्ष्मीशंकर मिश्र, डॉ० छन्नूलाल और रायबहादुर प्रमदादास मित्र जैसे तत्कालीन हिन्दी-हितैषी प्रतिष्ठित विद्वान् पथ-प्रदर्शक के रूप में प्राप्त हो गये। धीरे-धीरे सभा अपनी ओर भारत-भर के हिन्दी-प्रेमियों का ध्यान खींचने लगी। सर्वश्री महामना पं० मदनमोहन मालवीय, कालाकाँकर-नरेश राजा रामपालसिंह, राजा शशिशेखर राय, कॉंकरौली-नरेश, महाराज बालकृष्ण लाल, अंबिकादत्त व्यास, बदरीनारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, ज्वालादत्त शर्मा (लाहौर), नन्दकिशोरदेव शर्मा (अमृतसर), कुँवर जोधसिंह मेहता (उदयपुर), समर्थदान (अजमेर), और डॉ० सर जार्ज ग्रियर्सन जैसे लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने पहले ही वर्ष सभा की संरक्षकता और सदस्यता स्वीकार कर ली।

सभा ने आरम्भ से ही ठोस रचनात्मक कामों को अपने हाथ में लिया। हिन्दी की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज कराना, हिन्दी के बृहत् कोश का निर्माण कराना, हिन्दी-भाषा और साहित्य का इतिहास तैयार कराना, शोध-कार्य कराना, नागरी-लिपि का प्रचार आदि सभा के प्रमुख काम थे।

सन् १८३७ ई० में अँगरेजी सरकार ने फारसी को सर्वसाधारण के लिए दुरूह मानकर देशी भाषा को अदालतों मे जारी करने की आज्ञा दी। परिणाम-स्वरूप बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में वहाँ की प्रचलित देशी भाषा का चलन हो गया, पर उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में अदालती अमलों की कृपा से हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्दू ही जारी रही। प्रयत्न करने पर बिहार और मध्यप्रदेश की सरकारों ने सन् १८८१ ई० में इस भ्रम को समझा और अपने यहाँ उर्दू के स्थान पर हिन्दी प्रचलित की। पर उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। सभा ने इस ओर उद्योग किया। सन् १८८२ ई० में प्रातीय बोर्ड ऑफ् रेवेन्यू का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि सन् १८७५ और १८८१ के क्रमश: १६वें और १२वें विधानों के अनुसार 'समन' आदि हिन्दी और उर्दू दोनों में भरे जाने चाहिए। इन्हीं दिनों रोमन-लिपि को दफ्तर की लिपि बनाने का भी कुछ प्रयत्न हुआ था। इसपर सभा ने २५ अगस्त, १८९५ के निश्चय के अनुसार नागरी-लिपि और रोमन अक्षरों के विषय में एक पुस्तिका तैयार करके अँगरेजी में प्रकाशित की और सरकारी पदाधिकारियों तथा जनता में इसकी कई सौ प्रतियाँ वितरित कराईं। बोर्ड ऑफ् रेवेन्यू विषयक सभा की प्रार्थना को सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके अनुसार सब जिलों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई कि वे बोर्ड ऑफ् रेवेन्यू के समन आदि सब कागज हिन्दी में भी जारी किया करें। ३ अगस्त, १८९६ को सभा ने निश्चय किया कि प्रातीय गवर्नर की सेवा में प्रतिनिधि-मंडल भेजकर निवेदन-पत्र (मेमोरियल) उपस्थित किया जाय कि संयुक्त प्रात (उत्तरप्रदेश) के राजकीय कार्यालयों मे देवनागरी-लिपि को स्थान दिया जाय। इस अवसर पर महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी ने 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एडुकेशन' नामक बड़ा और महत्त्वपूर्ण निबंध तैयार किया। सभा ने आन्दोलन करके निवेदन-पत्र पर साठ

हजार हस्ताक्षर कराये। सभा का प्रतिनिधि-मंडल २ मार्च, १८९८ को इलाहाबाद के गवर्नमेंट हाउस में प्रांत के गवर्नर सर ऐंटानी मैकडानेल से मिला और उनके सम्मुख साठ हजार हस्ताक्षरों की सोलह जिल्दों तथा मालवीय जी के 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एडुकेशन' की एक प्रति के साथ निवेदन-पत्र उपस्थित किया। सभा का आन्दोलन तेजी से बढ़ने लगा। परिणाम-स्वरूप संयुक्त प्रांत की सरकार को बाध्य होकर १८ अप्रैल, १९०० को यह आज्ञा निकालनी पड़ी कि—

१. सभी अपनी इच्छा के अनुसार नागरी वा फारसी लिपि में लिखकर प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। २. सरकारी आदेश और सूचनाएँ नागरी और फारसी दोनों लिपियों में निकलेंगी। ३. सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरी और फारसी दोनों लिपियों का जान लेना आवश्यक होगा।

सभा ने नागरी-लिपि और हिन्दी-भाषा को प्रचलित कराने के लिए 'कचहरी-हिन्दी-कोश' भी तैयार कराकर प्रकाशित किया। यही नही, नागरी-लिपि में सुधार के लिए भी सभा ने उद्योग किया।

प्रारंभ से ही सभा ने एक हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित किया, जिसका नाम 'नागरी-भण्डार' था। सभा को श्री गदाधर सिंह का पुस्तकालय मिल जाने के बाद इस पुस्तकालय का नाम 'आर्य-भाषा-पुस्तकालय' रखा गया। पीछे अनेक अन्य विद्वानों ने भी इस पुस्तकालय को अपने-अपने संगृहीत ग्रन्थ दिये। इस समय पुस्तकालय में लगभग ५,००० हस्तलिखित तथा ४०,००० मुद्रित ग्रंथ संगृहीत हैं। प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह भी पुस्तकालय में है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से हिन्दी में डी० फिल्०, पी-एच० डी०, और डी० लिट० के शोध-विद्यार्थी बराबर सभा के इस पुस्तकालय मे अध्ययन के लिए आते हैं और यहीं टिककर अध्ययन करते हैं।

हस्तलिखित हिन्दी-ग्रंथों की खोज का कार्य आरम्भ में सभा ने एशियाटिक सोसायटी (बंगाल) के द्वारा कराया था। इसके परिणाम-स्वरूप सं० १९८५ तक ६०० महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मिले थे। इन ग्रंथों में हिन्दी-साहित्य के इतिहास की बहुत सामग्री मिली। सन् १९०० ई० के बाद हस्तलिखित हिन्दी-ग्रंथों की खोज का काम सभा ने स्वतंत्र रूप से कराना प्रारम्भ किया। सभा के खोज के कामों में अपने-अपने समय के सभी महत्त्वपूर्ण विद्वानों का सहयोग प्राप्त था। डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल, रायबहादुर डॉ० हीरालाल और रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का सहयोग सभा के खोज-विभाग को बराबर मिलता रहा। सभा की खोज के क्षेत्र सम्पूर्ण हिन्दीभाषी प्रदेश हैं।

सभा के प्रकाशनों में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभा के प्रकाशनों में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है 'हिन्दी-शब्दसागर'। वस्तुत. यह हिन्दी-जगत् के लिए गौरवमय प्रकाशन था। इसमें सब मिलाकर ९३,११५ शब्द और ४,२८१ पृष्ठ हैं। इस वृहत् कोश की तैयारी में सन् १९०८ से १९२९ ई० तक लगभग २२ वर्ष लगे। अब इस कोष का संशोधन-कार्य चल रहा है। हिन्दी-शब्दसागर के अलावा 'हिन्दी-वैज्ञानिक शब्दावली' भी सभा का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। इस कोश में ज्योतिष, रसायन, भौतिक विज्ञान, गणित, वेदांत, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के शब्द एकत्र किये गये।

हिन्दी में विस्तृत और सुव्यवस्थित व्याकरण का अभाव समझकर सन् १९१९ ई० में सभा ने पं० कमताप्रसाद गुरु द्वारा सम्पादित हिन्दी का एक प्रामाणिक व्याकरण प्रकाशित किया। फिर यहीं से सन् १९६० ई० में पं० किशोरीदास वाजपेयी-प्रणीत 'हिन्दी-शब्दानुशासन' प्रकाशित हुआ, जिसमें व्याकरण-विषयक अनेक मतभेदों और संदेहों का निराकरण दिया गया।

यहाँ से प्रकाशित होनेवाली पुस्तकमालाओं में मनोरंजन-पुस्तकमाला, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला, बालावक्ष-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला, देव-पुरस्कार-ग्रंथावली, रुक्मिणी तिवारी-पुस्तकमाला, रामविलास पोद्दार स्मारक-ग्रंथमाला, महेंदुलाल गर्ग विज्ञान-ग्रंथावली, नवभारत-ग्रंथमाला, महिला-पुस्तकमाला और बिड़ला-पुस्तकमाला आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथ-मालाओं मे अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। सं० १६५१ में सभा ने हिन्दी-संकेतलिपि का निर्माण कराया एवं उसे उत्तरोत्तर परिष्कृत करवाती रही। संकेतलिपि तथा टंकण (टाइप-राइटिंग) की शिक्षा के लिए सभा ने एक विद्यालय भी खोला है।

सभा के सहयोग और मुख्यतः श्रीरायकृष्णदास जी के उद्योग से सभा ने भारतीय संस्कृति और कला की विपुल सामग्री का संग्रह भारत-कला-भवन में कराया। संग्रह बहुत अधिक बढ जाने पर यह कला-भवन काशी-विश्वविद्यालय को हस्तातरित कर दिया गया, जहाँ उसका यथोचित संचालन एवं विकास हो रहा है।

सं० २०१० में सभा ने अपनी हीरक-जयंती बड़े समारोहपूर्वक भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी के सभापतित्व में मनाई। हिन्दी-साहित्य के बृहत् इतिहास का कार्य भी सभा यथोचित रीति से कर रही है और अबतक उसके १७ भागों में तीन भाग—प्रथम, षष्ठ और षोडश—प्रकाशित हो चुके हैं। शेष भाग लेखन-सपादन के क्रम में हैं और यथावसर प्रकाशित होंगे।

हिन्दी-विश्वकोश के प्रणयन-प्रकाशन का कार्य सभा केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संरक्षण में कर रही है। लगभग ६००-६०० पृष्ठों के दस भागों में यह विश्वकोश पूर्ण होगा। संवत् २०१७ में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हो गया। दूसरा भाग छप रहा है और आगे की सामग्री संकलन एवं प्रकाशन के क्रम में है।

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा

स्थापना—महात्मा गाधी की प्रेरणा से सन् १६३६ ई० के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के नागपुर-अधिवेशन में, जिसके सभापति वर्त्तमान राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे, एक प्रस्ताव के अनुसार हिन्दीतर प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा का निर्माण हुआ।

सन् १६३६ ई० में इस समिति की नींव राष्ट्रपिता गाधी जी के कर-कमलों द्वारा वर्धा में रखी गई, जिसके कार्य का विस्तार एक महान् वट-वृक्ष की तरह भारत-भर में और विदेशों में भी व्याप्त है। राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का केन्द्रीय कार्यालय हिन्दीनगर, वर्धा में है।

समिति का प्रथम गठन—सर्वश्री महात्मा गाधी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, स्व० जमनालाल बजाज, स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव, काका कालेलकर, स्व० बाबा राघवदास, शंकररावदेव, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, हरिहर शर्मा आदि इसके प्राथमिक सदस्य थे।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-कार्य में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की सेवाएँ अपना विशेष स्थान रखती हैं। समिति के निष्ठावान् कार्यकर्त्ता 'एक हृदय हो भारत जननी' के मूलमंत्र को लेकर राष्ट्रीय भावना से राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य कर रहे हैं।

कार्य-क्षेत्र का विस्तार—सन् १९३७ ई० से ही राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का कार्य-क्षेत्र दक्षिण-भारत के कुछ भागों को छोड़कर शेष हिन्दीतर प्रदेशों में है। गत २३ वर्षों की अवधि में इस संस्था ने विशेष वृद्धि की। आज भारत में दिल्ली, आसाम, बंगाल, मणिपुर, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बई, विदर्भ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मराठवाड़ा, कर्नाटक, आन्ध्र,, पंजाब, काश्मीर तथा अन्दमान आदि प्रदेशों में कार्य चल रहा है। विदेशों में लंका, बर्मा, अफ्रिका, स्याम, जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, अदन, सूडान तथा इंगलैंड आदि स्थानो मे भी समिति के केन्द्र हैं और समिति के कार्यकर्त्ता वहाँ राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य कर रहे हैं तथा वहाँ से हजारों की संख्या में विद्यार्थी तैयार करते हैं।

कार्य-संचालन—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का केन्द्रीय कार्यालय वर्धा में है। वर्धा से ही समिति के विस्तृत कार्य का संचालन होता है। परीक्षा-संचालन के अलावा साहित्य-निर्माण, पाठ्य-पुस्तक-प्रकाशन, विद्यालय-संचालन तथा 'राष्ट्रभाषा' (समिति का मुखपत्र) और 'राष्ट्रभारती' (मासिक) का सम्पादन एवं प्रकाशन, राष्ट्रभाषा की शिक्षा आदि की व्यवस्था करना समिति के अन्य कार्य हैं।

समिति के पाठ्य-क्रम के लिए अधिकाश पुस्तकें समिति द्वारा ही प्रकाशित हैं। पाठ्य-पुस्तकों के रूप में अबतक ५२ पुस्तकें समिति प्रकाशित कर चुकी है, जिनकी करीब ६५ लाख प्रतियो अबतक छप चुकी हैं। इनमें हिन्दीतर भाषा-भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा की प्रारम्भिक-पुस्तकें, कहानी-संग्रह, एकाकी-संग्रह, कविता-संग्रह, निबन्ध-संग्रह, व्याकरण आदि की पुस्तकें हैं।

समिति ने अपनी साहित्य-निर्माण-योजना के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा-कोश, फ्रेंच स्वयं-शिक्षक, भारतीय वाङ्मय के तीन भाग, मराठी का वर्णनात्मक व्याकरण, सोरठ तेरा वहता पानी (गुजराती उपन्यास), धरती की ओर (कन्नड उपन्यास), 'लोकमान्य तिलक' (जीवन-ग्रन्थ), भारत-भारती (तमिल, तेलुगु, कन्नड, मराठी, गुजराती) प्रकाशित किये हैं। समिति के पास अपना एक बड़ा प्रेस है, जिसमें समिति अपना समस्त छपाई का कार्य करती है।

समिति का कार्य विभिन्न विभागों में विभाजित है। समस्त विभागों में तथा प्रेस में करीब १५० कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं।

परीक्षाएँ—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा द्वारा संचालित निम्नलिखित परीक्षाएँ ली जाती हैं :—

१. राष्ट्रभाषा प्राथमिक	७. राष्ट्रभाषा-आचार्य
२. ,, प्रारम्भिक	८. ,, अध्यापन-विशारद
३. ,, प्रवेश	९. ,, अध्यापन-कोविद
४. ,, परिचय	१०. ,, प्रान्तीय भाषा-परीक्षा
५. ,, कोविद	११. ,, महाजनी-प्रवेश
६. ,, रत्न	१२. ,, बातचीत

उक्त परीक्षाओं में 'राष्ट्रभाषा-कोविद', 'राष्ट्रभाषा-रत्न' तथा 'राष्ट्रभाषा-आचार्य' उपाधि-परीक्षाएँ हैं।

समिति की परीक्षाएँ कितनी लोकप्रिय हुई हैं, इसका अनुमान उसकी प्रतिवर्ष की बढ़ती हुई परीक्षार्थी-संख्या से लगाया जा सकता है। अबतक समिति की परीक्षाओं में २१ लाख ८८ हजार १३६ परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं। सन् १९६० ई० में परीक्षार्थियों की संख्या २,०७,२५६ थी।

प्रचार-कार्य—समिति के प्रचार-कार्य को विस्तृत करने तथा उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रचारकों तथा केन्द्र-व्यवस्थापकों का सहयोग महत्त्वपूर्ण है। प्रमाणित प्रचारकों को कम-से-कम समिति की 'कोविद'-परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये प्रचारक समिति की विभिन्न परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी तैयार करते हैं और स्थान-स्थान पर उनके द्वारा राष्ट्रभाषा-वर्ग भी चलाये जाते हैं। समिति के ऐसे प्रमाणित प्रचारकों की संख्या ६,१७५ है।

विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों में समिति की परीक्षाओं के २,३९३ परीक्षा-केन्द्र तथा २,५०० परीक्षक हैं।

समिति द्वारा मान्य शिक्षण-केन्द्रों की संख्या ४६० तथा विद्यालयों की संख्या ४७३ है। २७ महाविद्यालय भी राष्ट्रभाषा की उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न प्रदेशों में चल रहे हैं।

समिति का वर्त्तमान गठन—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति ३५ सदस्यों की एक समिति है। इन सदस्यों में १९ सदस्य विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, जो समिति की प्रान्तीय समितियों द्वारा चुने जाते हैं। ९ सदस्य हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा नियुक्त होते हैं तथा सम्मेलन के ७ पदाधिकारी समिति के सदस्य पदेन होते हैं।

प्रान्तीय समितियाँ—गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, विदर्भ-नागपुर, मध्यप्रदेश, सिन्ध-राजस्थान, आसाम, बंगाल, मणिपुर, उत्कल, मराठवाड़ा, दिल्ली, कर्नाटक, और हैदराबाद में समिति की प्रान्तीय समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति के एक-एक संचालक उन प्रदेशों में नियुक्त हैं। ये प्रान्तीय समितियाँ वर्धा-समिति से सम्बद्ध होकर उसकी रीति-नीति के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार-कार्य तथा समिति के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रचारित-प्रसारित करती हैं।

राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रभारती—समिति की ओर से 'राष्ट्रभाषा' तथा 'राष्ट्रभारती' दो मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं।

राष्ट्रभाषा में समिति की परीक्षा आदि प्रचार-कार्य की जानकारी, प्रान्तीय हलचल, हिन्दी-सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ, हिन्दी तथा परीक्षोपयोगी लेख आदि सामग्री प्रकाशित होती है। यह पत्रिका समिति के प्रमाणित प्रचारकों तथा केन्द्र-व्यवस्थापकों को निःशुल्क भेजी जाती है।

'राष्ट्रभारती' अन्तरप्रान्तीय भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका है। यह पत्रिका प्रान्तीय भाषाओं के तथा हिन्दी के ऊँचे साहित्य को राष्ट्रभाषा-प्रेमियों तक पहुँचाती है। इसके द्वारा समिति सांस्कृतिक साहित्य के प्रचार का कार्य कर रही है।

राष्ट्रभाषा-महाविद्यालय—विगत ८ वर्षों से समिति वर्धा में एक महाविद्यालय का संचालन करती चली आ रही है। इसमें अहिन्दी भाषा-भाषी 'राष्ट्रभाषा-रत्न' के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। रत्न के अतिरिक्त नागा पहाड़ियों से आनेवाले भाई-बहन 'परिचय' तथा 'कोविद' तक का अध्ययन करते हैं।

राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन—प्रान्त-प्रान्त के कार्यकर्त्तागण एकत्र होकर राष्ट्रभाषा की समस्याओं पर विचार-विनिमय कर सकें, इस दृष्टि से राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के तत्त्वावधान में प्रतिवर्ष राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन विविध प्रदेशों में होता है। अबतक वर्धा, अहमदाबाद, पूना, बम्बई, नागपुर, पुरी, जयपुर, भोपाल तथा दिल्ली में राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन सम्पन्न हो चुके हैं।

महात्मा गांधी-पुरस्कार—हिन्दीतर-भाषी विद्वानों की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति की गई सेवाओं के सम्मान-स्वरूप किसी ऐसे विद्वान् को १५०१) का महात्मा गाधी-पुरस्कार प्रतिवर्ष समिति देती है, जिसने अपनी लेखनी द्वारा राष्ट्रभाषा की सेवा की हो।

हिन्दी-दिवस—१४ सितम्बर, १९४९ से, जिस दिन भारतीय संविधान-परिषद् ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को तथा राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकृत किया था, स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष १४ सितम्बर को हिन्दी-दिवस समिति के तत्त्वावधान में मनाया जाता है। इस आयोजन ने देश में बड़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है।

दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा

सन् १९१८ ई० में दक्षिण-भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिए महात्मा गाधी ने 'दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा' की स्थापना की थी। यह सभा एक रजिस्टर्ड सार्वजनिक संस्था है, जो दक्षिण के चारों राज्यों—आन्ध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करती है।

इस सभा का कार्य एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा होता है, जिसे व्यवस्थापिका समिति चुनती है। सभा की संपत्ति की रक्षा के लिए एक निधि-पालक-मंडल है। सभा के शिक्षा-सम्बन्धी कार्य के लिए एक शिक्षा-परिषद् भी है। सभा के अपने निजी भवन हैं, जिनमें सभा-कार्यालय, प्रेस, विद्यालय, छात्रावास आदि हैं। चारों राज्यों में चार शाखा-कार्यालय भी काम करते हैं।

सभा का कार्य उसके प्रचार, परीक्षा, प्रकाशन, प्रेस, साहित्य-निर्माण, छपाई, पुस्तक-विक्री, शिक्षा, विद्यालय, पत्रिका, पुस्तकालय, अर्थ व लेखा-परीक्षा, शीघ्रलिपि और मुद्रालेखन, नाटक व कला-प्रदर्शन, नगर-प्रचार और कार्य-विस्तार आदि विभागों के जरिये होता है। सभा का प्रत्येक विभाग सुसघटित और सुव्यवस्थित है।

कोई भी हिन्दी-प्रेमी १० रुपये देकर प्रान्तीय तथा केन्द्र-सभा के संयुक्त सदस्य हो सकते हैं। मद्रास शहर का कार्य सीधे केन्द्र-सभा के अन्तर्गत है। आजीवन सदस्य का शुल्क २५० रुपये, पोषक का १,००० रुपये तथा संरक्षक का ५,००० रुपये हैं।

भारत की एकता सभा का प्रधान लक्ष्य है। हिन्दी-भाषा का प्रचार उसका साधन है। प्रान्तीय भाषाओं के सहयोग से हिन्दी-भाषा का विकास करना उसका कार्यक्रम है। प्रान्तों में प्रान्तीय भाषा तथा अंतरप्रांतीय कार्यों में हिन्दी-भाषा का उपयोग कराने के उद्देश्य से जनता में हिन्दी का प्रचार करना सभा के निरंतर चिंतन के विषय हैं।

सभा की ओर से एक मासिक और एक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती हैं। यहाँ से अभीतक २४० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

योग्य तथा चरित्रवान् कार्यकर्त्ताओं को तैयार करने के लिए सभा अनेक विद्यालय तथा छात्रावास चलाती है। आज तक हजारों कार्यकर्त्ता इन विद्यालयों द्वारा तैयार हो चुके हैं। सभा अपने केन्द्र स्थान मद्रास तथा प्रान्तीय कार्यालयों में जगह-जगह पर अच्छे-अच्छे पुस्तकालयों का संगठन करती है। ये सारे कार्य केन्द्र-सभा, मद्रास के कार्यालय द्वारा ही संगटित, संचालित तथा व्यवस्थित होते हैं।

दक्षिण-भारत में इस वक्त करीव ८,००० हिन्दी-प्रचारक काम कर रहे हैं। ये सभी प्रचारक किसी-न-किसी रूप मे सभा से संवंध रखते हैं। इनमें से करीव ७,००० व्यक्ति कार्य करने के लिए सभा द्वारा प्रमाणित हैं, जो 'प्रमाणित प्रचारक' कहलाते हैं। प्रमाणित प्रचारकों को सभा से अनेक सहूलियतें मिलती हैं।

सभा द्वारा संचालित, 'प्राथमिक', 'मध्यमा', 'राष्ट्रभाषा', 'प्रवेशिका', 'विशारद' तथा 'प्रवीण' परीक्षाओं में सन् १९५९ ई० तक १६,६४,७६५, विद्यार्थियों ने भाग लिया। सन् १९६० ई० में सभा की विविध परीक्षाओं में विभिन्न प्रान्तों के परीक्षार्थियों की संख्या इस प्रकार थी—आन्ध्र—३३,१५७; मद्रास—३०,८१३; केरल—१६,४१३ और मैसूर—५७,४७२।

मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर

मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति की स्थापना १० जनवरी, १९१५ को हुई और इसके भवन का शिलान्यास महात्मा गाधी द्वारा ३० मार्च, १९१८ को किया गया। इसके प्रथम सभापति सेठ हुकुमचन्द जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर सरजू प्रसाद तिवारी थे। सन् १९३० ई० में समिति का भवन वनकर तैयार हो गया। सन् १९२७ ई० में प्रेस खरीद कर 'वीणा' मासिक का प्रकाशन आरम्भ किया गया।

समिति डॉक्टर सरजू प्रसाद-ग्रन्थमाला के अन्तर्गत गम्भीर और मननशील गवेषणात्मक साहित्य तथा सेठ हुकुमचन्द-ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ललित साहित्य का प्रकाशन करती है।

समिति का समस्त कार्य सात विभागों में विभाजित है—(१) प्रेस, (२) साहित्य, (३) अर्थ, (४) प्रवन्ध, (५) पुस्तकालय, (६) परीक्षा और (७) प्रचार। प्रत्येक विभाग के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री पर रहता है।

अवतक यहाँ से चालीस से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। परीक्षा-विभाग के अन्तर्गत अध्ययन-भवन में हिन्दी-विश्वविद्यालय प्रयाग की परीक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों एवं संदर्भ-ग्रन्थों का संग्रह है। गाधी-विद्यापीठ मे छह सौ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अध्ययन करते हैं तथा लगभग दो हजार परीक्षार्थी सम्मेलन की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। पुस्तकालय में लगभग १४,००० पुस्तकें हैं और वाचनालय मे लगभग १०० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। ४१ वर्षों मे समिति ने देवनागरी-लिपि और हिन्दी-भाषा के अटूट प्रचार में सफलता प्राप्त की है।

अखिलभारतीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन, दिल्ली

संस्कृत-भाषा के सार्वभौम प्रचार, संस्कृत शिक्षा-पद्धति के परिष्कार और संस्कृतानुरागियों के सुदृढ़ संगठन के लिए महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी की प्रेरणा से संस्कृत साहित्य-सम्मेलन की स्थापना संवत् १६७० में हरद्वार में हुई थी। इसके प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित गिरिधर शर्म्माजी चतुर्वेदी और स्वर्गीय श्री पण्डित बुलाकी राम जी विद्यासागर (अमृतसर) थे। इसके सबसे पहले सभापति पण्डित शिवकुमार शास्त्री थे। सम्मेलन का दूसरा और तीसरा अधिवेशन भी हरद्वार में ही डॉक्टर श्रीसतीशचन्द्रजी, विद्याभूषण और जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य-मधुसूदन जी तीर्थ जगन्नाथपुरी की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद आज तक इसके २५ अधिवेशन हो चुके हैं। कानपुर के दशम अधिवेशन के बाद इसके अधिवेशनों में कुछ विलम्ब होने लगा, परन्तु इसके संस्थापक महामंत्री पं० गिरिधर शर्म्माजी के अध्यवसाय से इसके आगे के अधिवेशन भी भारत के अन्यान्य प्रान्तों में होते रहे और इसका प्रधान कार्यालय—हरद्वार, कलकत्ता, बीकानेर, काशी और जयपुर में घूमता हुआ अब स्थायी रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में केन्द्रित हो गया है। इस समय सम्मेलन के प्रधानमन्त्री डॉक्टर मण्डन मिश्र हैं। सम्मेलन की ओर से विश्व-संस्कृत-शताब्दी-ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक ऐसा महान् ग्रन्थ होगा, जिसमें संवत् १६०१ से लेकर संवत् २००० तक के संस्कृत-भाषा और उसके साहित्य के सम्बन्ध में समस्त संसार के विद्वानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान-केन्द्रों, शिक्षण-संस्थाओं, सरकारों, संस्कृत-प्रेमी दानवीरों और शासकों आदि द्वारा किये हुए संस्कृत-सम्बन्धी समस्त कार्यों का विशद वर्णन प्रकाशित किया जायगा। इसके प्रधान सम्पादक पण्डित गिरिधर शर्म्मा चतुर्वेदी हैं। सम्मेलन की ओर से नियमित रूप से 'संस्कृत-रत्नाकर' नाम का पत्र भी निकलता है, जिसके वर्त्तमान सम्पादक पण्डित परमेश्वरानन्द जी शास्त्री हैं।

सम्मेलन की ओर से संस्कृत में भारती-प्रबोध, भारती-विनोद, भारती-प्रकाश, भारती-प्रवीण, भारती-वैभव एवं भारती-भूषण नाम की परीक्षाएँ ली जाती हैं और इनमें प्रतिवर्ष हजारों छात्र सम्मिलित होते हैं।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड में सम्मेलन का एक प्रतिनिधि लिया जाता है और सम्मेलन से सम्बन्ध रखनेवाले प्रान्तीय सम्मेलन भी राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में जागरूक हैं और इनके नियमित अधिवेशन होते हैं।

सम्मेलन के कार्याध्यक्ष पंजाब के राज्यपाल श्रीविष्णुहरि गाडगिल एवं इसके वर्त्तमान अध्यक्ष श्री बी० एन० दातार महोदय के सहयोग से सम्मेलन को दिल्ली में बेला रोड पर भूमि भी मिल गई है, जहाँ शोध-भवन के साथ इसके स्थायी कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है।

☆

भारत तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठन

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से भारत-सरकार अन्तरर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी गति-विधियों का संचालन संविधान के एक निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार करती आ रही है। इस निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार, भारत-सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्तरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करे तथा अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने में पंचनिर्णय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक संस्थापक-सदस्य होने के नाते, भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र मे निहित सिद्धान्तों का दृढ़ता से अनुसरण करता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ भारत-सरकार के सम्बन्ध बड़े गौरवपूर्ण रहे हैं। सन् १६४८ ई० में इस विश्व-संगठन ने स्वत. महात्मा गाधी तथा उनके माध्यम से उनकी जन्मभूमि भारत की उज्ज्वल परम्पराओं को जो श्रद्धाजलि अर्पित की, वह इस देश के लिए बड़े गौरव का विषय है। इसके अतिरिक्त, सन् १६५०—५२ ई० की अवधि में भारत सुरक्षा-परिषद् का सदस्य रहा; भारत ने कोरिया में युद्धविराम-संधि तथा युद्धबंदियों की समस्या के समाधान के लिए एक योजना प्रस्तुत की; सन् १६५३ ई० में भारत कोरिया के लिए तटस्थ राष्ट्रीय युद्धबन्दी प्रत्यावर्त्तन आयोग का अध्यक्ष बना ; सन् १६५३ ई० मे श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षा चुनी गईं; सन् १६५५ ई० में भारत ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में आयोजित शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए अन्तरराष्ट्रीय अणु-शक्ति-सम्मेलन की अध्यक्षता की; तथा सन् १६५८ ई० में लेबनान में शान्ति-स्थापना में भारत ने जो योगदान किया, उसकी सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशसा हुई।

राजनीतिक गति-विधियाँ

सन् १६५६ ई० में भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उससे सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं की कार्यवाहियों में जो भाग लिया, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है —

अल्जीरिया —महासभा की कार्यसूची में अल्जीरिया की समस्या को सम्मिलित करने के प्रस्ताव तथा अल्जीरियाई जनता के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार को मान्यता देने के लिए एशिया तथा अफ्रिका के २२ राष्ट्रों द्वारा प्रथम समिति मे प्रस्तुत प्रस्ताव के आयोजकों में भारत भी था।

निरस्त्रीकरण—जेनेवा विचार-विमर्श मे भाग लेनेवाले राष्ट्रों से स्वेच्छया परीक्षण बन्द करने का अपना निश्चय कायम रखने तथा अन्य राष्ट्रों से इस प्रकार के परीक्षण न करने का अनुरोध करने सम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव को महासभा ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को पेश करने में भारत के साथ २३ अन्य सदस्य-राष्ट्र भी थे। इसके अतिरिक्त, बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए एक २४ सदस्यीय समिति की स्थापना के लिए भारत तथा अन्य सदस्यों ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वह भी स्वीकृत हो गया।

दक्षिण अफ्रिका मे भारतीय उद्भव के लोग—भारत तथा पाकिस्तान के प्रस्ताव के अनुसार, महासभा ने दक्षिण-अफ्रिका की सरकार से अनुरोध किया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए वह भारत तथा पाकिस्तान के साथ बातचीत प्रारम्भ करे।

भारत तथा अन्य १२ देशों की प्रार्थना पर महासभा ने दक्षिण-अफ्रिका की सरकार की पृथक्करण-सम्बन्धी नीतियों के फलस्वरूप उत्पन्न दक्षिण-अफ्रिका मे जातीय विग्रह की समस्या पर विचार किया।

सरक्षित तथा गैर-स्वायत्तशासी क्षेत्र—भारत के प्रतिनिधि श्री आर्थर एस० लाल की अध्यक्षता मे एक शिष्टमंडल पश्चिम समोआ के क्षेत्र में इस बात की जाँच करने के लिए गया कि न्यूजीलैंड के प्रशासन के अधीन उस क्षेत्र में संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्त्ति कहाँ तक हुई है तथा

उसकी प्राप्ति के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। इस शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में न्यूज़ीलैंड सरकार द्वारा प्रस्तावित अस्थायी कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सन् १९६१ ई० के अन्त में पश्चिम समोआ को स्वतंत्र राष्ट्र का पद प्राप्त होगा। भारत को तीन वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण-परिषद् (ट्रस्टीशिप कौंसिल) में पुनः चुन लिया गया।

अणु-शक्ति-अभिकरण—सितम्बर-अक्तूबर, १९५९ ई० में वियना में आयोजित तीसरे साधारण सम्मेलन में भारत को भी एक उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, भारत के एक प्रतिनिधि को सदस्यों द्वारा अंशदान-सम्बन्धी उप-समिति का अध्यक्ष चुना गया। भारत एक अधिशासी बोर्ड (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) तथा अणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग की सलाहकार समिति का भी सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाओं के चुनाव—भारत को महासभा (जनरल असेम्बली) की एक विशेष समिति में भी चुन लिया गया, जिसका काम यह जाँच करना था कि कौन-कौन-से राष्ट्र ऐसे हैं, जिन्हें अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में व्याप्त दशाओं के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ को विवरण भेजना चाहिए। लोकसभा के सदस्य, श्री ए० कृष्णस्वामी, संयुक्त राष्ट्र भेदभाव-निवारण उप-आयोग के नये अधिवेशन के उपाध्यक्ष चुने गये। महासभा ने भारतीय स्थल-सेना के लेफ्टिनेंट-जनरल, श्री पी० एस० ज्ञानी को मध्य-पूर्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आपात-सेना के सेनापति-पद के लिए नामजद किया।

अन्तरराष्ट्रीय विधि-आयोग—इस आयोग का ११वाँ अधिवेशन अप्रैल-जून, १९५९ में जेनेवा में हुआ। भारत के प्रतिनिधि श्रीराधाविनोद पाल इस अधिवेशन में शामिल हुए। इस अधिवेशन में विधि-सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

अफ्रो-एशियाई कानूनी सलाहकार समिति के तीसरे अधिवेशन में (जो जनवरी, १९६० में कोलम्बो में हुआ) सहयोग बढ़ाने सम्बन्धी अनेक बातों पर विचार किया गया। श्री एम० सी० सीतलवाद ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियाँ

भारत को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के निम्नलिखित कार्य-संचालन-आयोगों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है: अन्तरराष्ट्रीय जिन्स व्यापार आयोग; मानवीय-अधिकार आयोग; मादक औषध-आयोग; तथा अंक-संकलन आयोग। भेदभाव-निवारण तथा अल्पसंख्यक संरक्षण उप-आयोग ने जनवरी १९६० ई० में धार्मिक अधिकारों तथा प्रथाओं में भेदभाव-सम्बन्धी उस रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसे भारत के प्रतिनिधि, श्री ए० कृष्णस्वामी ने तैयार किया था।

एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (इकाफे)—भारत ने इस आयोग द्वारा जनवरी, १९५९ में बैंकाक में आयोजित अन्तःक्षेत्रीय व्यापार-वृद्धि वार्ताओं और व्यापार-समिति के दूसरे अधिवेशन; फरवरी १९५९ में आयोजित इस आयोग की औद्योगिक और प्राकृतिक संसाध[illegible] ११[illegible] तथा मार्च १९५९ ई० में ब्रोडबीच (अस्ट्रेलिया) में आयोजित इ[illegible] लिया। सितम्बर, १९५९ में इस आयोग ने एक अन्य स[illegible] किया। नवम्बर, १९५९ में दिल्ली में

आयोजित समाज-सेवाओं के संगठन तथा प्रशासन-सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन में एशिया तथा सुदूर-पूर्व के बीस देशों ने भाग लिया। दिसम्बर, १९५६ में दिल्ली में इस आयोग के अन्तर्गत क्षेत्र में सरकारी औद्योगिक उद्यमों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनवरी, १९५९ में बैंकाक में आयोजित इस आयोग की व्यापार-समिति के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष-पद के लिए भारतीय शिष्टमंडल के नेता को चुना गया।

खाद्य और कृषि-संगठन—अगस्त १९५९ ई० में मैसूर में इस संगठन की एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिए खाद्य टेक्नोलॉजी सम्बन्धी एक क्षेत्रीय विचार-गोष्ठी हुई। मैसूर के राज्यपाल ने इस गोष्ठी की अध्यक्षता की।

खाद्य और कृषि-संगठन के सम्मेलन के दसवें अधिवेशन में (जो नवम्बर, १९५९ में रोम में हुआ) भारत के प्रतिनिधि, श्री बी० आर० सेन आगामी चार वर्षों के लिए पुन: इसके महानिदेशक निर्वाचित हुए। इस अधिवेशन में सम्मिलित होनेवाले भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय खाद्य और कृषि-मंत्री ने किया। अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक देश में खाद्य की अधिकता तथा अन्य देशों में भुखमरी की समस्याओं का अन्त करने के लिए एक विश्व-खाद्य-बैंक बनाया जाना चाहिए।

दिसम्बर, १९५९ में नई दिल्ली में एशिया तथा सुदूर-पूर्व में दुग्धशालाओं-सम्बन्धी समस्याओं के बारे में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशान्त-क्षेत्र के लिए पौध-संरक्षण-समिति की तीसरी बैठक हुई। खाद्य और कृषि-संगठन के एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय वन-सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन भी फरवरी, १९६० में नई दिल्ली में हुआ।

अन्तरराष्ट्रीय श्रम-सगठन—अबतक भारत अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन के २५ अभिसमयों (कन्वेन्शन) की संपुष्टि कर चुका है। इनकी विधिवत् संपुष्टि करने के अतिरिक्त, अन्य अनेक अभिसमयों को कार्य-रूप भी दिया जा चुका है।

अधिशासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) की बैठक तथा जून, १९५९ में जेनेवा में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के ४३वें अधिवेशन में शामिल होने के अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधियों ने अन्तरराष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन की अनेक समितियों में भी भाग लिया।

अन्तरराष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के विस्तृत तकनीकी सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत, सन् १९५८ ई० में जो अनेक विशेषज्ञ भारत आये, वे सन् १९५९ ई० में भी यहाँ कार्य करते रहे। इसके अतिरिक्त, सन् १९५९ ई० में शिष्यवृत्ति तथा श्रमिक-शिक्षा के दो विशेषज्ञ भी यहाँ आये। कुल मिलाकर भारत ने विभिन्न देशों में विभिन्न काम सीखने के लिए अपने ४८ प्रशिक्षार्थी भेजे। श्रीलंका तथा जापान से विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पानेवाले चार व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी गईं।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन (यूनेस्को)—भारत इस संगठन का एक संस्थापक-सदस्य है। बम्बई में भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना तथा विकास के लिए यूनेस्को ने तकनीकी सहायता देना स्वीकार कर लिया है। मार्च, १९५९ में बम्बई में यूनेस्को की मुख्य परियोजनाओं को कार्य-रूप देने के लिए एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुस्तक-वितरण-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययनार्थ, दिसम्बर, १९५९ में मद्रास में

पुस्तक-वितरण, प्रचार तथा हाट-अनुसंधान-सम्बन्धी एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। यूनेस्को द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई देशों के समाज-शास्त्रियों के लिए दिसम्बर, १९५९ में आगरा-विश्वविद्यालय में पुनर्नवीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्राथमिक तथा अनिवार्य शिक्षा के बारे में एशियाई सदस्य-राज्यों की प्रादेशिक बैठक में (जो दिसम्बर, १९५९ में कराची में हुई) भारत ने भाग लिया। दक्षिण-पूर्व एशिया में सूचना-माध्यमों के विकास के सम्बन्ध में जनवरी, १९६० में यूनेस्को द्वारा बैंकाक में आयोजित एक सम्मेलन में भी भारत ने भाग लिया। भारत का एक प्रतिनिधि इस सम्मेलन का एक उपाध्यक्ष चुना गया।

यूनेस्को के माध्यम से दुर्गापुर में केन्द्रीय मशीन इंजीनियरी अनुसंधान-संस्थान तथा दो अन्य बिजली इंजीनियरी अनुसंधान-संगठन स्थापित करने के सम्बन्ध में नई दिल्ली में १५ जनवरी, १९६० को करारों पर हस्ताक्षर हुए।

विश्व-स्वास्थ्य-सगठन—सन् १९५९ ई० में भारत के अनेक लोक-स्वास्थ्य कर्मचारी विश्व-स्वास्थ्य-संगठन के विशेषज्ञ सलाहकार-मंडलों में नियुक्त किये गये। स्वास्थ्य-सेवाओं के महानिदेशक ने विश्व-स्वास्थ्य-संगठन के अधिशासी बोर्ड के २३वें अधिवेशन में भाग लिया तथा सितम्बर, १९५९ में श्रीलंका में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति के बारहवें अधिवेशन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मई, १९५९ में जेनेवा में विश्व-स्वास्थ्य-सभा का जो १२वाँ अधिवेशन हुआ, उसमें भाग लेनेवाले भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्री ने किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधियों ने विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की कुछ अन्य बैठकों में भी भाग लिया।

सन् १९५९ ई० के दौरान विश्व-स्वास्थ्य-संगठन ने अपनी नियमित तथा तकनीकी सहायता-निधियों के अन्तर्गत, भारत में विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए लगभग ८,८१,९८३ डालर प्रदान किये। इसके अतिरिक्त, सन् १९५९ ई० के दौरान भारत में मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ३,२३,७४० डालर की स्वीकृति दी गई। सन् १९५९ ई० में भारत-सरकार ने विश्व-स्वास्थ्य-संगठन को ४०,९२० डालर दिये।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्तरराष्ट्रीय बाल-सहायता-कोश—मार्च, १९५९ में जेनेवा में तथा सितम्बर, १९५९ में न्यूयार्क मे आयोजित अधिशासी बोर्ड की बैठकों में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन् १९५९ ई० मे इस कोश में से भारत को ५१,०५,७०० डालर की धनराशि दी गई। मार्च, १९६० तक भारत को इस कोश मे से २,७८,०८,०५७ डालर की कुल सहायता प्राप्त हो चुकी थी।

सन् १९५९ ई० में भारत ने इस कोश में २३ लाख रु० का अंशदान करने के अतिरिक्त, कोश के स्थानीय कार्यालय के संचालन-व्यय के लिए ५ लाख रु० दिया।

तटकर तथा व्यापार-सम्बन्धी सामान्य करार—मई, १९५९ में जेनेवा में आयोजित इस संस्था के चौदहवें अधिवेशन में तथा अक्तूबर-नवम्बर, १९५९ मे टोकियो में आयोजित पन्द्रहवें अधिवेशन में भारत ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, टोकियो में आयोजित सदस्य-राष्ट्रों के व्यापार-मंत्रियों की बैठक में भी भारत शामिल हुआ। इन सम्मेलनों में सम्मिलित

होनेवाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने इस संस्था की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया। अधिवेशन की अवधि में इस संस्था की जिन समितियों की बैठकें हुईं, उनमें से अधिकाश समितियों का भारत भी सदस्य था।

संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता-कार्यक्रम—दिसम्बर, १९५९ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत को ४१५ विशेषज्ञ उपलब्ध कराये गये तथा विदेशों में अध्ययन के लिए ७६९ भारतीयों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विस्तृत तकनीकी सहायता-कार्यक्रम में २५ लाख रु० तथा विशेषज्ञों के व्यय के रूप मे ७·०७ लाख रु० प्रदान किये। इस समय, २३ विभिन्न देशों में लगभग ५८८ भारतीय विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक--भारत इस बैंक का संस्थापक-सदस्य है। ३१ दिसम्बर, १९५९ तक बैंक ने कुल २८२ करोड़ रु० (१८६ करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र के लिए तथा ९६ करोड़ रु० गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए) के ऋण दिये। इसमें से २० करोड़ रु० का पंचवर्षीय योजना से पहले तथा १४ करोड़ रु० का पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में उपयोग किया गया। कुल २४८ करोड़ रु० की शेष रकम में से १८० करोड़ रु० ३१ दिसम्वर, १९५९ तक निकलवाया गया।

बैंक के अधिशासी बोर्ड की चौदहवीं वार्षिक बैठक सितम्वर-अक्तूवर, १९५९ में वाशिंगटन मे हुई। इसमें भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय वित्त-मंत्री ने किया।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोश—भारत इस कोश का संस्थापक-सदस्य है। कोश की स्थापना-तिथि से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५९ तक भारत ने इस कोश मे से ३० करोड़ डालर लिये, जिसमें से १० करोड़ डालर ३१ अप्रैल, १९५६ तक अदा कर दिये गये।

इस कोश के अधिशासी बोर्ड की चौदहवीं वार्षिक बैठक वाशिंगटन में हुई तथा इसमें भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय विधि-मंत्री ने किया। दिसम्वर, १९५९ में इस कोश का एक शिष्टमंडल भारत-सरकार के साथ कुछ समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत आया।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम--अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम ने पूना-स्थित किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लि० मे ८·५ लाख डालर की पूँजी लगाने का निश्चय किया है।

सयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेष निधि—यह निधि १ जनवरी, १९५९ को स्थापित की गई। इस निधि में से अर्द्ध-विकसित देशों को यथोचित सहायता प्रदान की जायगी। भारत ने सन् १९५९ ई० में इस निधि में ५ लाख डालर का अंशदान किया।

सन् १९५९ ई० मे साज-सामान तथा विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप मे भारत को लगभग ३८,७२,८०० डालर मूल्य की सहायता प्राप्त हुई।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य विशिष्ट संस्थाएँ—संयुक्त राष्ट्रसंघ की जिन अन्य विशिष्ट सस्थाओं के साथ भारत का सम्बन्ध है, उनमे ये उल्लेखनीय हैं : अन्तरराष्ट्रीय असैनिक उड्डयन-संगठन; अन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ; विश्व-डाक-संघ तथा विश्व-अन्तरिक्ष-संगठन। भारत सन् १९५९ ई० में अन्तरराष्ट्रीय असैनिक उड्डयन-संघ के कार्य-संचालन-निकाय मे तीन वर्ष के लिए चुना गया। दूर-संचार-संघ के सम्मेलन में (जो १४ अक्तूबर, १९५९ को जेनेवा में प्रारम्भ हुआ) भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय सचार-मन्त्रालय के सचिव ने किया।

अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठन

राष्ट्रमंडल—जुलाई, १९५९ में लन्दन में आयोजित राष्ट्रमंडलीय शिक्षा-सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व डॉ० ए० एल० मुदालियर ने किया। राष्ट्रमंडलीय वित्त-मंत्रियों ने सितम्बर, १९५९ में लदन में विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय वित्तमंत्री ने किया। सम्मेलन की समाप्ति पर मंत्रियों तथा उनके शिष्टमंडलों ने राष्ट्रमंडलीय आर्थिक सलाहकार-परिषद् में भाग लिया।

कोलम्बो-योजना—सन् १९५८-५९ ई० की अवधि में भारत ने नेपाल को लगभग ९२·६ लाख रु० मूल्य की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्रदान की। भारत ने नेपाल-सरकार को मातृ तथा शिशु-कल्याण-केन्द्र स्थापित करने तथा उन्हें चलाने, ग्राम-विकास-कार्यक्रम, सघन घाटी-विकास-परियोजना तथा स्थानीय विकास-कार्यों को कार्यान्वित करने में सहायता देने का वचन दिया है।

कोलम्बो-योजना के प्रारम्भ होने से लेकर अबतक भारत तकनीकी सहयोग-योजना के अन्तर्गत, विभिन्न विषयों में १,४०७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान कर चुका है। इनमें से २९४ प्रशिक्षणार्थियों को सन् १९५९ ई० में प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षणार्थी विभिन्न देशों से आये थे। इनमें से १५२ प्रशिक्षणार्थियों ने अन्तरराष्ट्रीय अंक-संकलन शिक्षा-केन्द्र, कलकत्ता में प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से कार्य-संचालन के लिए विशेषज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गईं।

भारत को १९६ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ तथा कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत देशों में १,७०३ भारतीयों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

आर्थिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत को अस्ट्रेलिया से ११·३ करोड़ रु०, कनाडा से ८३·७७ करोड़ रु० तथा न्यूजीलैंड से ३·२२ करोड़ रु० प्राप्त हुए। नवम्बर, १९५९ में जोगजकार्ता (हिन्दचीन) में आयोजित कोलम्बो-योजना की सलाहकार-समिति के ११वें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय राजस्व और असैनिक व्यय-मंत्री ने किया।

राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ—इस सघ का सम्मेलन नवम्बर, १९५९ में कैनबरा में लोकसभा के अध्यक्ष, श्रीअनन्तशयनम् आयंगर के सभापतित्व में हुआ। सम्मेलन में राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग, राष्ट्रमंडल के अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ, तकनीकी तथा शैक्षणिक सहयोग, प्रतिरक्षा आदि के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रमंडलीय प्रसारण-सम्मेलन—जनवरी, १९६० में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय प्रसारण-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रसारण के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एक तीन सदस्यीय शिष्ट-मंडल ने किया।

अन्तरराष्ट्रीय नवीन शिक्षा-छात्रवृत्ति-सम्मेलन—इसका दसवाँ सम्मेलन दिसम्बर, १९५९ में नई दिल्ली मे हुआ, जिसमें देश-विदेश के लगभग ६०० शिक्षा-शास्त्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन की स्थापना सन् १९२१ ई० मे हुई थी। अब इसकी शाखाएँ ४० देशों में खुल चुकी हैं।

अन्तरराष्ट्रीय इंजीनियरी सम्मेलन—अन्तरराष्ट्रीय भूमि-विज्ञान तथा बुनियाद इंजीनियरी संस्था का प्रथम एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन फरवरी, १६६० में हुआ। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय संस्था ने किया तथा इस सम्मेलन मे एशियाई देशों मे भूमि-विज्ञान तथा बुनियाद इंजीनियरी का अध्ययन करने विषयक सुविधाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में सात प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

अन्तरराष्ट्रीय रेल-कॉंगरेस—अन्तरराष्ट्रीय रेल-कॉंगरेस-संघ के स्थायी आयोग की छठी वृहद् बैठक दिसम्वर, १६५६ मे नई दिल्ली में हुई।

भारतीय रेल-विभाग सन् १८८७ ई० से अन्तरराष्ट्रीय रेल-कॉंगरेस-संघ का सदस्य है। इसके अतिरिक्त, भारत सन् १६२५ ई० से इस संघ के स्थायी आयोग का भी सदस्य है।

अन्तरराष्ट्रीय आयोजित मातृत्व-पितृत्व सम्मेलन—यह सम्मेलन फरवरी, १६५६ में नई दिल्ली में हुआ। इसका सभापतित्व भारतीय शिष्टमंडल के नेता ने किया तथा इसमे परिवार-नियोजन आदि विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

☆

भारत के विभिन्न राज्य

आन्ध्र-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,०६,०५२ वर्गमील; **जन-संख्या** ३,५६,७७,६६६; **शिक्षितों की संख्या**—२०·८ प्रतिशत, **जन-संख्या का घनत्व**—३३६ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—हैदरावाद; **भाषा**—अँगरेजी; **प्रधान भाषा**—तेलगु; **विश्वविद्यालय**—उस्मानिया, आन्ध्र तथा वेंकटेश्वर; **जिले**—श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम्, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, कुद्दपाह, अनंतपुर, करणूंल, हैदरावाद, महवूबनगर, आदिलावाद, निजामावाद, मेडक, करीमनगर, वारंगल तथा नलगोण्डा।

इस राज्य का निर्माण सन् १६४८ ई० में हैदरावाद-रियासत के भारत में मिलाये जाने के पश्चात् किया गया। इसके उत्तर मे महाराष्ट्र, दक्षिण में मद्रास और वंगाल की खाड़ी, पूरब में मध्यप्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिम में मैसूर राज्य हैं।

कृषि—यहाँ के ८२ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ के १६ प्रतिशत भाग में जंगल है। पूर्वी घाट के जंगल में मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं। श्रीकाकुलम्, विशाखापत्तनम्, गोदावरी तथा करणूंल जिलों में घने जंगल हैं। गोदावरी, कृष्णा तथा पेनार और इनकी सहायक नदियों से यहाँ सिंचाई होती है। यहाँ की उपज में धान, गेहूँ, दलहन, तेलहन, मूँगफली आदि प्रमुख हैं। यहाँ अभी नागार्जुन-सागर-योजना के द्वारा, जिसमें लगभग १२५ करोड़ रुपये लगेंगे, एक वृहत् वाँध वनाने का काम चल रहा है। इसके तैयार होने पर इससे लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—यहाँ कोयला, लोहा, अबरख आदि अधिक परिमाण में मिलते हैं। कोयला के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ४ प्रतिशत भाग यहाँ उपलब्ध होता है। बेरियम-सल्फेट के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ६५ प्रतिशत अंश आन्ध्र में मिलता है। अबरख उत्पादन में बिहार के बाद आन्ध्र का ही स्थान है। तम्बाकू, ऊख, आलू, कपास, जूट आदि की उपज यहाँ अधिक मात्रा में होती है। कोठागोदाम तथा तेन्दूर कोयला के भाण्डार हैं। रायलसीमा तथा तेलंगाना खनिज-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ सोना तथा हीरे भी मिलते हैं। तम्बाकू-उत्पादन में आन्ध्र भारत में सबसे आगे है। यहाँ कागज की दो मिलें हैं। इनमें पहली रिरूर पेपर मिल निजी तथा दूसरी आन्ध्र पेपर मिल राजकीय मिल हैं। यहाँ चीनी की दस मिलें हैं। भारत में केवल विशाखापत्तनम् में ही जहाज का निर्माण होता है। 'काल्टेक्स आयल रिफाइनरी' नाम का एक कारखाना भी विशाखापत्तनम् में ही स्थापित हुआ है। सिरपुर से सेरीसिल्क लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन ५०,००० गज कृत्रिम रेशम का उत्पादन होता है। अविल्यन मेटल वर्क्स नाम का कारखाना रेलवे डब्बों का निर्माण करता है। सीमेण्ट-उत्पादन के यहाँ दो कारखाने हैं—(१) आन्ध्र सीमेण्ट फैक्टरी तथा (२) कृष्णा सीमेण्ट फैक्टरी।

बन्दरगाह—यहाँ के बन्दरगाहों में मुख्य हैं—विशाखापत्तनम् तथा कलिंगपत्तनम्। इनके अतिरिक्त और भी छोटे-छोटे बन्दरगाह हैं; जैसे काकीनाद, मसूलीपत्तनम्, भीमुनीपत्तनम्, वादरेवू, नर्सपुर तथा कन्दलेरू।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल भीमसेन सच्चर; मुख्य न्यायाधीश पी० चन्द्र रेड्डी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य—दामोदरम सञ्जीवैया (मुख्यमंत्री), के० वेंकट रंगारेड्डी, अलूटी सत्यनारायण राजू, एस्० बी० पी० पट्टाभि रामराव, पीदातल रंगारेड्डी, के० चन्द्रमौलि, कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी, एम्० नरसिंह राव, एम्० पालम राजू, पी० वी० जी० राजू, श्रमती मासूमा बेगम, एन्० रामचन्द्र रेड्डी और कोरडा लच्मण हैं।

आसाम

क्षेत्र-विस्तार—४७,०९८ वर्गमील (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र-सहित); **जन-संख्या**—१,१८,६०,०५९; **शिक्षितों की संख्या** २५·८ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—२५२ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—शिलॉंग; **प्रधान भाषाएँ**—असमिया और बँगला; **विश्वविद्यालय**—गौहाटी; **जिले** (कोष्ठ में सदर दफ्तर-सहित)—ग्वालपारा (धुबरी), कामरूप (गौहाटी), दारंग (तेजपुर), नौगॉव, शिवसागर (जोरहाट), लखिमपुर (डिबरूगढ), कचार (सिलचर), गारो हिल्स (तुरा), युनाइटेड खासी और जयन्तिया हिल्स (शिलॉंग), युनाइटेड मिकिर और नॉर्थ कचार हिल्स (डीफू) और मिजो हिल्स (ऐजल)।

आसाम-राज्य ब्रह्मपुत्र की घाटी, सुरमा की घाटी तथा इन घाटियों को उत्तर-पूर्व और दक्षिण की ओर से घेरकर अलग करनेवाले पहाड़ी स्थल से बना है। यह भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसके उत्तर में भूटान और तिब्बत तथा पूर्व में बर्मा हैं। गारो, युनाइटेड खासी-जयन्तिया, मिकिर, उत्तर कचार, लुशाई (मिजो) तथा नागा पहाड़ियों से यह प्रान्त परिवेष्टित है। २६ जनवरी, १९५० को २५ खासी पहाड़ी राज्य आसाम में मिला दिये गये और उनका जिला-रूप से नामकरण हुआ है—खासी-जयन्तिया हिल्स, जिसका क्षेत्रफल ६,०२७ वर्गमील है।

भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा आसाम में जनजाति के लोग अधिक हैं। यहाँ उनकी संख्या ३४ प्रतिशत है। नॉर्थ-ईस्ट फ्रॉण्टियर (NEFA) और नागा हिल्स-त्वेनसंग एरिया— ये दोनों आसाम-प्रान्त के सामरिक सीमा-क्षेत्र हैं, जिनका प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि-रूप में आसाम-सरकार की ओर से आसाम का राज्यपाल ही करता है।

खेती— इस प्रदेश का आर्थिक आधार कृषि है तथा यहाँ के ७२ प्रतिशत व्यक्ति इसी पर अवलम्बित हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा इसी प्रान्त में होती है। यहाँ खेती के लिए सिंचाई की समस्या नहीं है। यहाँ प्रतिवर्ष ५० इंच से लेकर २५८ इंच तक औसत वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के चेरापुंजी नामक स्थान में तो लगभग ५७० इंच तक वर्षा होती है। इतनी वर्षा संसार में और कहीं नहीं होती। यहाँ की मुख्य उपज धान, चाय, जूट, सरसों, ऊख, कपास, आलू, मकई, तम्बाकू आदि हैं। सिलहट, चेरापुंजी, छतक आदि स्थानों में नारंगी की खेती होती है।

खनिज पदार्थ एवं उद्योग-धन्धे— यहाँ के खनिज पदार्थ कोयला, चूना-पत्थर और पेट्रोल हैं। नाहरकटिया में मिट्टी तेल निकालने का काम हो रहा है। गारो पहाड़ी में कोयला अधिक मिलता है। चूना-पत्थर खासी और जयन्तिया की पहाड़ियों में पाया जाता है। पेट्रोल लखिमपुर और कचार में निकाला जाता है, किन्तु इसकी सफाई केवल लखिमपुर में होती है। डिगबोई में किरासन तेल की खान है।

ब्रह्मपुत्र की घाटी में अण्डी और मूँगा नाम के रेशमी कपड़े तैयार किये जाते हैं। यहाँ घरेलू धन्धे के रूप में कपड़े बनते हैं। सूरमा-घाटी में व्यावसायिक दृष्टि से कपड़े तैयार होते हैं। चाय का उत्पादन यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा है। सिलहट में एक पारकर सीमेण्ट फैक्टरी नाम का कारखाना है। धुवरी में दियासलाई का कारखाना है। इनके अतिरिक्त यहाँ चूने के कारखाने, नाव बनाने के कारबार, शोला हैट बनाने का व्यवसाय, लोहारी का काम, शंख की चूड़ियाँ बनाने का काम, चावल और तेल की मिलें, लकड़ी के कारखाने आदि कई तरह के उद्योग-धन्धे हैं।

भाषा—असमिया और बंगला के अतिरिक्त यहाँ बोली जानेवाली अन्य भाषाएँ हैं— हिन्दी, उड़िया, मुण्डारी, नेपाली तथा तिब्बत-बर्मी।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी

इसका क्षेत्र-विस्तार ३२,६६६ वर्गमील और जन-संख्या ६ लाख है। इसका मुख्यालय शिलॉंग में है।

यह एजेंसी भारत के उत्तर-पूर्व कोने में तथा बर्मा, चीन, तिब्बत और भूटान की सीमाओं पर स्थित है। इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में आसाम का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सहायता के लिए शिलॉंग में एक परामर्शदाता रहता है। इस क्षेत्र में पाँच प्रशासनिक डिवीजन हैं—(१) कामेन सीमान्त डिवीजन, (२) सुबान सिटी सीमान्त डिवीजन, (३) सियाग सीमान्त डिवीजन, (४) लोहित सीमान्त डिवीजन तथा (५) तिरप सीमान्त डिवीजन। इनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक अधिकारी होता है।

यहाँ के निवासी जन-जाति के हैं, जिनका मूल है—भारत-मंगोलियन। यहाँ के निवासियों के प्रधानतः दो वर्ग हैं—(१) तिब्बत-मंगोलियन तथा (२) ताई-चीनी। यहाँ की जन-जातियों में विशेषतः तिब्बत-बर्मी वर्ग की भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ की प्रधान जन-जातियाँ हैं—मोनपा, तैगिन, गैलौंग, उपतनी, मोंबा, पलिबो, रेमो, बोकार, बोरी तथा मिशमी।

नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग-क्षेत्र

इसका क्षेत्र-विस्तार ६,२३६ वर्गमील और यहाँ के नागाओं की संख्या ३ लाख, ६६ हजार है। इसका मुख्यालय कोहिमा है।

दिसम्बर, १९५७ ई० से इस क्षेत्र को परराष्ट्र-मंत्रालय के अधीन संघ द्वारा शासित क्षेत्र बना दिया गया है। यहाँ के नागा कुल ७१८ गाँवों में रहते हैं। इसे तीन जिलों में बाँट दिया गया है, जिनके मुख्यालय हैं – कोहिमा, त्वेनसाग तथा मोकोकचुंग। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आसाम का नागा-पहाड़ियाँ-जिला तथा त्वेनसाग-सीमान्त डिवीजन आते हैं, जो पहले उत्तर-पूर्व सीमान्त-प्रदेश के अन्तर्गत थे। इस नये क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व आसाम के राज्यपाल पर है, जो राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में काम करता है। वैसे इस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रधान एक आयुक्त है।

त्वेनसाग का क्षेत्र-विस्तार लगभग २,००० मील है तथा यहाँ की जन-संख्या लगभग डेढ लाख है। यहाँ के निवासियों में चंग, सेम, कोन्याक, फोम तथा सगतम जातियों के लोग रहते हैं, जिनमें प्रत्येक जाति भिन्न भाषा-भाषी तथा भिन्न रहन-सहनवाली है।

नागा-जातियों में प्रधान हैं—अंगमी, आओस, सेम तथा ल्होतो। इनके बाद कच्छ नागा तथा रेंगमा के नाम आते हैं।

प्रशासन—आसाम के राज्यपाल एस्० एम्० श्रीनागेश; मुख्य न्यायाधीश चन्द्रेश्वर प्रसाद और मंत्रिमण्डल के सदस्य विमलाप्रसाद चालिहा (मुख्यमंत्री), रूपनाथ ब्रह्म, फखरुद्दीन अली अहमद, देवेश्वर शर्मा, कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी, मोइनुल हक चौधरी, हरेश्वर दास, महेन्द्रनाथ हजारिका और विलियम्सन ए० संगम हैं।

उड़ीसा

क्षेत्र-विस्तार—६०,१६२ वर्गमील; **जन-संख्या**—१,७५,६५,६४५; **शिक्षितों की संख्या**—२१·५ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—२६२ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—भुवनेश्वर; **भाषा**—उड़िया; **विश्वविद्यालय**—उत्कल; **जिले**—बालासोर, बोलागीर, कटक, धेनकानल, गंजाम, कालाहण्डी, क्योंझर, कोरापट्ट, मयूरभंज, फूलवनी, पुरी, संबलपुर तथा सुन्दरगढ़।

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में आन्ध्र-प्रदेश, पूरब में बंगाल की खाड़ी, उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पश्चिम में बिहार हैं। यहाँ की नदियों में महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं, जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं।

उड़ीसा दो प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—एक तो उत्तर का पहाड़ी और जंगली भाग तथा दूसरा, दक्षिण का समतल मैदान। यह प्रदेश राजनीतिक रूप से छिन्न-भिन्न था। २ अप्रैल,

१६३६ ई० को बिहार-उड़ीसा प्रान्त से उड़ीसा कमिश्नरी के पाँच जिले—कटक, पुरी, बालासोर, अंगुल और संबलपुर; मध्य-प्रान्त से रायपुर जिले की खरियार जमींदारी और मद्रास के गंजाम जिले का अधिकांश भाग तथा विजगापट्टम् का एजेंसी भाग को मिलाकर उड़ीसा-प्रान्त का निर्माण किया गया। उड़ीसा-प्रान्त के अन्दर २४ रियासतें थीं, जिनका शासन पूरब की अन्य रियासतों के साथ-साथ ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी द्वारा होता था। सन् १६४७ ई० मे देश के स्वतंत्र होने पर मयूरभंज को छोड़ शेष सभी रियासतें १ जनवरी, १६४८ को उड़ीसा-प्रान्त में मिल गईं। मयूरभंज भी १ जनवरी, १६४६ को उड़ीसा मे मिल गया।

उड़ीसा का प्राचीन नाम 'उत्कल' है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी पाया जाता है। ऐतिहासिक काल में इसे 'कलिंग' भी कहते थे। १२वीं शताब्दी में कलिंग-राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक था। यहाँ पुरी में जगन्नाथ जी का मन्दिर, कोणार्क का सूर्य-मन्दिर, भुवनेश्वर का शिव-मन्दिर तथा कटक में महानदी और कठजोरी के पत्थर के बाँध प्राचीन जगत् में ही नहीं, अब भी अभियन्त्रण तथा वास्तु-कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों मे गिने जाते हैं।

खेती और उद्योग-धन्धे—उड़ीसा के समुद्रतटवर्ती प्रदेश का अधिकांश भाग महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों के सम्मिलित डेल्टा से बना है। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई हैं, जिनमें केन्द्रपाड़ा, तालदोंका और मचंगा प्रसिद्ध हैं। बाढ-नियन्त्रण के लिए मचकुण्ड तथा हीराकुड बाँध बनाये गये हैं। 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अनुसार सिंचाई के कुछ दूसरे छोटे-छोटे प्रबन्ध भी किये जा रहे हैं। प्रान्तवासियों की मुख्य जीविका खेती है। सैकड़े करीब ८० व्यक्ति धान की खेती पर निर्भर हैं। गौण रूप में जूट, ऊख और दलहन की खेती भी होती है। समुद्र के किनारे नारियल की अच्छी पैदावार होती है।

उद्योग एवं खनिज—सैकड़े दस से भी कम व्यक्ति उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं। ये उद्योग-धन्धे भी अधिकतर घरेलू हैं; पर अब बड़े उद्योगों की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। चोदुआर और कपिलास में कपड़े की मिलें और बरहमपुर में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया है। प्रान्त में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना ओरियण्ट पेपर मिल है। बहुत-से नये-नये चीनी, सीमेण्ट, लोहे आदि के कारखाने खोलने की भी तैयारी हो रही है। मयूरभंज में लोहे की खान है। महानदी की घाटी, सम्बलपुर और तालचर में कोयले की छोटी-छोटी खानें हैं। इन खानों में मैंगनीज, चूना का पत्थर और चीनी मिट्टी मिलती है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल वाई० एन्० सुक्थकर; मुख्य न्यायाधीश आर० एल्० नरसिंहम् और मन्त्रिमण्डल के सदस्य विजयानन्द पटनायक (मुख्यमन्त्री), वीरेन मित्र, नीलमणि राउत राय, पवित्र मोहन प्रधान, सदाशिव त्रिपाठी, हरिहर सिंह तथा पी० वी० जगन्नाथ राव हैं।

उत्तर-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार--१,१३,४५४ वर्गमील; **जन-संख्या**—७,३७,५२,६१४, **शिक्षितों की संख्या**—१७·५ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—६५० प्रति वर्गमील; **राजधानी**—लखनऊ, **भाषा**—हिन्दी; **विश्वविद्यालय**—लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़,

गोरखपुर, रुड़की, कुरुक्षेत्र, वाराणसी हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी संस्कृत-विश्वविद्यालय; कमिश्नरियाँ—मेरठ, आगरा, रोहिलखण्ड, इलाहाबाद, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर, कुमायूँ, लखनऊ तथा फैजाबाद; जिले—आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, अलमोड़ा, आजमगढ, बहराइच, बलिया, बाँदा, बाराबंकी, बरैली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढवाल, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हम्मीरपुर, हरदोई, एटा, जालोन, जौनपुर, झाँसी, कानपुर, खेरी, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरैली, रामपुर, सहारनपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टेहरी-गढ़वाल, उन्नाव तथा वाराणसी।

ब्रिटिश शासन के आरम्भ में यह प्रान्त उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कहलाता था। सन् १८७७ ई० में आगरा और अवध नामक दो प्रान्तों को मिलाकर इसकी रचना की गई थी। सन् १६०२ ई० में इसका नाम अवध और आगरा का संयुक्त प्रान्त पड़ा, पर १६३७ ई० के १ अप्रैल से यह केवल संयुक्त प्रान्त कहलाने लगा। सन् १६५०ई० की जनवरी से इसका नाम फिर बदलकर 'उत्तर-प्रदेश' कर दिया गया है।

यह प्रदेश चार मुख्य प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) हिमालय का भाग, (२) हिमालय की तराई का भाग, (३) गङ्गा की समतल भूमि तथा (४) दक्षिण का कुछ पहाड़ी भाग। यह प्रदेश उत्तर-भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में तिब्बत और उत्तर-पूरब में नेपाल राज्य हैं। पूरब में बिहार, पश्चिम में हिमाचल-प्रदेश, पंजाब और राजस्थान तथा दक्षिण में विन्ध्य-प्रदेश हैं। इसके उत्तर के पहाड़ी भाग मे मंगोल और दक्षिण के पहाड़ी भाग में द्रविड़-जाति के लोग रहते हैं।

खेती और उद्योग-धन्धे—इस प्रान्त के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और ८ प्रतिशत के लिए यह सहायक धन्धा है। प्रान्त का अधिकाश भाग खूब उपजाऊ है। यहाँ के पहाड़ी भागों में ५०'७० इञ्च, वाराणसी और गोरखपुर-कमिश्नरियों में ४० से ५० इञ्च तथा आगरा-कमिश्नरी में २५ से ३० इञ्च तक वर्षा होती है।

इस प्रान्त में खानें प्रायः नहीं हैं। थोड़ा कच्चा लोहा और ताँबा हिमालय के पहाड़ी भागों में पाया जाता है। कोयले की एक छोटी खान मिर्जापुर जिले के संघरौली तहसील (सबडिवीजन) में रावी रियासत के पास है। चूने का पत्थर हिमालय पहाड़ के इलाके तथा इटावा और बाँदा जिलों में मिलता है। मिर्जापुर जिले मे पत्थर काटने का काम होता है।

सूत और कपड़ा तैयार करने के काम प्रान्त के पश्चिमी भाग में अधिक होते हैं। लगभग ७२ हजार व्यक्ति कपड़े की मिलों में और ३ लाख व्यक्ति करघे के काम मे लगे हुए हैं। रेशमी कपड़ा वाराणसी में, आजमगढ़ जिला के संदीला और मऊ नामक स्थानों मे तथा पीलीभीत जिला के बिसालपुर में बनता है। वाराणसी और लखनऊ मे रेशमी कपड़ों पर जरी का काम भी होता है।

शीशा की चीजें बनाने के कारखाने बहजोई, बलावली, ससनी, हाथरस, हरनगऊ, शिकोहाबाद, मखनपुर, नैनी, गाजियाबाद और बनारस मे हैं। फिरोजाबाद काँच की चूड़ी बनाने के लिए भारत में प्रसिद्ध है। प्रान्त के अन्दर चूड़ी के कारखाने ८० तथा शीशा के अन्य

कारखाने ४१ हैं। केवल शीशा के व्यवसाय में प्रान्त-भर में लगभग ६० हजार मजदूर काम करते हैं।

मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली (मुजफ्फरनगर) और बहराइच पीतल के बरतन के लिए प्रसिद्ध हैं। फर्रुखाबाद, पिलखावा (मेरठ) और मथुरा में छींट की छपाई होती है। आगरा में दरी, मारबल और उजले पत्थर की चीजें तैयार होती हैं। कुरजा में चीनी मिट्टी के बरतन और चुनार तथा मेरठ मे मिट्टी के पॉलिश किये हुए सुन्दर बरतन बनते हैं। मिर्जापुर, भदोही, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद आदि में कम्बल बनते हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा मेरठ में चमड़े की चीजें; टंडा (फैजाबाद) में कृत्रिम रेशम; अलीगढ में ताले; कायमगञ्ज और हाथरस में हथियार; अलमोड़ा में ताँबे के बरतन; आगरा, कानपुर, बरैली और खैराबाद (सीतापुर) मे दरियाँ; मेरठ में कैंचियाँ तथा लखनऊ में हाथी-दाँत की चीजें बनती हैं। कानपुर, यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। राज्य के अन्दर ७२ चीनी के कारखाने हैं। वनस्पति घी कानपुर, बेगमाबाद और गाजियाबाद मे तैयार होता है। इस राज्य मे २ करोड़ मन तेलहन की उपज है। यहाँ तेल की १४६ बड़ी मिलें और २५० छोटी मिलें हैं। इस राज्य में साबुन की २५ बड़ी फैक्टरियाँ और दर्जनों छोटी-छोटी फैक्टरियाँ हैं।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल वी० रामकृष्ण राव; मुख्य न्यायाधीश ओ० एच० माथोम, और मन्त्रिमण्डल के सदस्य चन्द्रभानु गुप्त (मुख्यमंत्री), हुक्म सिंह, चरण सिंह, युगलकिशोर, हरगोविन्द सिंह और (श्रीमती) सुचिता कृपलानी हैं।

राज्यमंत्री—मंगला प्रसाद, मुजफ्फर हसन, राममूर्त्ति, कैलाश प्रकाश, डॉ० सीताराम तथा अलगूराय शास्त्री।

केरल

क्षेत्र-विस्तार—१५,००३ वर्गमील; जन-संख्या—१,६८,७५,१६६; शिक्षितों की सख्या—४६·२ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—११२५ प्रति वर्गमील; राजधानी—त्रिवेन्द्रम्, भाषा—मलयालम, विश्वविद्यालय—केरल; जिले—अलेपी, केन्ननोर, कोट्टायम्, कोझीकोड, पालघाट, क्विलोन, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम्।

सन् १६४६ ई० की पहली जुलाई को दक्षिण की ट्रावणकोर और कोचीन रियासतों ने मिलकर एक राज्य-संघ की स्थापना की। पश्चात् भारतीय प्रान्त-निर्माण-योजना के अनुसार इसका प्रान्तीकरण हुआ। भारत के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित यह केरल-प्रान्त इसके अन्य सभी प्रान्तों से विद्या और विकास की दृष्टि से बढ़ा-चढ़ा है। उत्तर में कासरगोड तथा दक्षिण मे त्रिवेन्द्रम् तक लगभग ४०० मील के लम्बे क्षेत्र में यह प्रान्त विस्तृत है। इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व मे मैसूर, पूर्व और पूर्व-दक्षिण में मद्रास तथा पश्चिम मे अरब समुद्र हैं।

कृषि—यहाँ की मुख्य उपज धान, सोयाबीन, चना, लाल मिर्च, अदरख, चाय, इलायची, कहवा ऊख आदि हैं। यहाँ नारियल, कटहल, आम आदि फल भी होते हैं।

जंगल—वन-सम्पत्ति में केरल-प्रान्त बहुत धनी है। लगभग ३,०५२ वर्गमील मे जंगल सुरक्षित है। इस जंगल मे टीक, आबनूस आदि मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं।

शिक्षा--भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य ही ऐसा है, जहाँ प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय-स्तर तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है। सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय—कहीं भी शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता है।

यहाँ कश्मीरी भाषा बोलनेवालों की संख्या १५ लाख से अधिक है और पंजाबी भाषा बोलनेवालों की संख्या दस लाख से अधिक। डोगरी तथा बाल्टी भाषाओं के बोलनेवाले क्रमशः लगभग ३० हजार तथा १० हजार हैं। यहाँ के कार्यालय की भाषा उर्दू है।

जन-संख्या—यहाँ के निवासियों में मुसलमान ७५ प्रतिशत, हिन्दू २० प्रतिशत, सिख १.६ प्रतिशत, बौद्ध १ प्रतिशत तथा अन्य ०·११ प्रतिशत हैं।

कृषि—प्रान्त की प्रधान उपज धान, गेहूँ, मकई, जौ, सरसों, कपास, तम्बाकू आदि हैं। यहाँ खजूर, नासपाती, अनार आदि फल-मेवे अधिक परिमाण मे होते हैं।

खनिज तथा उद्योग-धंधे—यहाँ के खनिज पदार्थों में कोयला, ताँबा, बॉक्साइट, मैगनीज, मार्बल, स्लेट आदि हैं। ऊनी कपड़ा तैयार करने मे यह प्रान्त सबसे आगे है। यहाँ की दरी दुशाले आदि संसार में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के रेशमी कपड़े भी प्रसिद्ध हैं।

प्रशासन – यहाँ के राज्यपाल युवराज करण सिंह; मुख्य न्यायाधीश जानकीनाथ वजीर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य बख्शी गुलाम मुहम्मद (मुख्यमंत्री), शामलाल शर्राफ, दीनानाथ महाजन, चुन्नीलाल कोतवाल, मीर गुलाम मुहम्मद राजपुरी, दुर्गा प्रसाद धर, गुलाम एम० सादिक, गिरिधारी लाल डोगरा, सैयद मीर कासिम तथा शमसुद्दीन हैं।

राज्य-मंत्रियों में अमरनाथ शर्मा, भगत छाजूराम, कौशक बाहुला, गुलाम नबी वनी सोगमी, अब्दुल गनी त्राली और हरवंश सिंह आजाद हैं।

पंजाब

क्षेत्र-विस्तार—४७,०८४ वर्गमील; **जन-संख्या**—२,०२,६८,१५१; **जन-संख्या का घनत्व**—४३१ प्रति वर्गमील; **शिक्षितों की संख्या**—२३·७ प्रतिशत; **राजधानी**—चंडीगढ़; **प्रधान भाषाएँ**—पंजाबी तथा हिन्दी; **विश्वविद्यालय**—पंजाब; **कमिश्नरियाँ**—अम्बाला, जालन्धर तथा लाहौर; **जिले**—अम्बाला, अमृतसर, भातिन्दा, फिरोजपुर, गुरुदासपुर, गुरगाँव, हिसार, होशियारपुर, जालन्धर, काँगड़ा, कपूरथला, कर्नाल, लुधियाना, महेन्द्रगढ़, पटियाला, संग्रूर तथा रोहतक।

पंजाब भारतीय संघ की उत्तर-पश्चिमी सीमा का प्रान्त है। यह सन् १९४७ ई० के मध्य मे पंजाब के दो टुकड़े करने से बना है। सम्पूर्ण पंजाब मे पाँच नदियाँ थीं, जिनके आधार पर इस प्रान्त का नामकरण हुआ। वर्त्तमान पंजाब राज्य में सतलज और व्यास—ये दो नदियाँ रह गई हैं। प्रान्त के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश का एक खण्ड तथा तिब्बत एवं पूर्व में राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और दिल्ली हैं।

इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व में शिवालक और काँगड़ा घाटी के पहाड़ी स्थल हैं। जालन्धर कमिश्नरी की भूमि उपजाऊ है। अम्बाला कमिश्नरी के कुछ भाग में, अर्थात् हरियाना में, वर्षा बहुत कम होती है और वह भाग बहुत सूखा रहता है।

भाषा—पंजाब की मुख्य भाषाएँ पंजाबी और हिन्दी हैं। पंजाबी जालन्धर कमिश्नरी में और अम्बाला जिले के कुछ हिस्से में बोली जाती है। हिन्दी अम्बाला कमिश्नरी की मुख्य भाषा है। इसके अलावा पूर्वी पहाड़ी भाषा गुरुदासपुर, काँगड़ा और शिमला के पहाड़ी भागों में और राजस्थानी भाषा राजस्थान की सीमा पर हिसार जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती हैं। प्रान्त के विभिन्न जिलों के सरकारी कार्यालयों के काम हिन्दी तथा पंजाबी में से किसी एक क्षेत्र-प्रधान भाषा में होते हैं, जैसे गुरुदासपुर, अमृतसर, भातिन्दा, जालन्धर, होशियारपुर, फिरोजपुर लुधियाना, कपूरथला, अम्बाला (रुपर तथा चण्डीगढ एसेम्बली कंस्टिच्युएन्सी), पटियाला (कन्याघाट तथा नालगढ़ तहसील छोड़कर) संग्रूर (जिन्द तथा नरवाना जिला छोड़कर) जिलों मे पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि में काम होते हैं और काँगड़ा, शिमला, कर्नाल, रोहतक, गुरगाँव, हिसार, महेन्द्रगढ, पटियाला (केवल कोण्डाघाट तथा नलगढ तहसील में), अम्बाला (रुपर तथा चण्डीगढ एसेम्बली कंस्टिच्युएन्सी छोड़कर) तथा सग्रूर (केवल जिन्द तथा नरवाना तहसील में) जिलों में हिन्दी में काम होते हैं।

कृषि—प्रान्त के ६६·५ प्रतिशत व्यक्ति खेती करते हैं। यहाँ लगभग डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ और चना हैं, जो ६० लाख एकड़ में होते हैं। इसके बाद क्रमशः बाजरा, मक्ई, जौ, चावल, ज्वार और तेलहन का स्थान है। कम मात्रा में ऊख और रूई की भी खेती होती है।

उद्योग-धन्धे—सम्पूर्ण प्रान्त में लगभग ७०० फैक्टरियाँ हैं। इन फैक्टरियों में आधे से अधिक अमृतसर, गुरुदासपुर और फिरोजपुर में हैं। इनमे कपड़ा, गंजी, शीशा, कागज, रसायन आदि की फैक्टरियाँ मुख्य हैं। धारीवाल का ऊन का कारखाना भारत के दो सबसे बड़े कारखानों में एक है। भारत में जितना ऊनी कपड़ा बनता है, उसका चतुर्थांश यहीं तैयार होता है। गंजी, मोजा आदि तैयार करने में लुधियाना भारत में सबसे आगे है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल एन्० वी० गाडगिल; मुख्य न्यायाधीश जी० डी० खोसला और मंत्रि-मण्डल के सदस्य सरदार प्रतापसिंह कैरों (मुख्यमंत्री), मोहन लाल, अमरनाथ विद्यालंकार, सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला, राव वीरेन्द्र सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, चौधरी सूरजमल, डॉ० गोपीचन्द भार्गव तथा एस्० गुरबन्त सिंह हैं।

पश्चिम बंगाल

क्षेत्र-विस्तार—३३,६२८ वर्गमील; जन-संख्या—३,६६,६७,६३४; शिक्षितों की सख्या—२६·१ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—१,०३१ प्रति वर्गमील; राजधानी—कलकत्ता; भाषा—बँगला, विश्वविद्यालय—कलकत्ता, विश्वभारती, यादवपुर तथा वर्दवान; जिले—बाँकुरा, वीरभूमि, वर्दवान, हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, पुरुलिया, कलकत्ता, कूच-विहार, दार्जिलिंग, पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नदिया तथा चौबीस परगना।

प्रारम्भ में बंगाल-प्रान्त का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। समय-समय पर इसमें बहुत उलट-फेर हुए। सन् १८७४ ई० में आसाम इससे अलग कर दिया गया। सन् १६०५ ई० में बंगाल के दो टुकड़े हुए, किन्तु सन् १६११ ई० में वे दोनों टुकड़े फिर मिला दिये गये और बंगाल के प्रमुख शासक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की जगह गवर्नर बनाये गये। उसी वर्ष विहार और उड़ीसा

दोनों प्रान्त बंगाल से अलग किये गये। भारत-पाकिस्तान बँटवारे के कारण सन् १६४७ ई० में बंगाल के पुनः दो टुकड़े हो गये। प्रान्त का उत्तरी भाग—दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला तथा कूच-विहार—प्रान्त के दक्षिणी भाग से अलग हो गया था और बीच में दिनाजपुर जिले का पाकिस्तानी भाग पड़ गया था। इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए बिहार से पूर्णिया जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिलाये गये। साथ ही मानभूमि जिले का पूर्वी भाग भी बंगाल में मिला दिया गया है।

सम्पूर्ण प्रान्त में प्रधानतः बँगला भाषा बोली जाती है। मातृभाषा के रूप में लगभग ८४'६२ प्रतिशत तथा सह-भाषा के रूप में ३'४ प्रतिशत लोग बँगला भाषा बोलते हैं।

कृषि—इस प्रान्त की मुख्य उपज धान है। यहाँ जितनी उपजाऊ जमीन है, उसके लगभग ८८ प्रतिशत भाग में धान तथा ८ प्रतिशत भाग में जूट की खेती होती है। इन दोनों के बाद चाय का स्थान है, जिसकी खेती जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिलों में होती है। पश्चिम बंगाल की लगभग १,७०,२६४ एकड़ भूमि में चाय की खेती होती है। यहाँ की अन्य फसलें जौ, गेहूँ, दलहन, तेलहन, तम्बाकू, रुई और रेशम हैं। पश्चिम बंगाल के लगभग ५,२५६ वर्गमील में जंगल है। रानीगंज में कोयले की खानें हैं।

उद्योग-धन्धे—भारत के उद्योग-धन्धों में पश्चिम बंगाल का प्रमुख स्थान है। भारत के निबन्धित कारखानों का २३ प्रतिशत पश्चिम बंगाल में ही है। अभी यहाँ ६० जूट की मिलें हैं, जिनमें कुल ३१ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस उद्योग में लगाया गया मूल धन लगभग ४८ करोड़ है। भारत के कुल कोयला-उत्पादन का चौथा हिस्सा यही राज्य देता है। कलकत्ता से लगभग १६ मील के अन्दर ३२ सूती कपड़े की मिलें हैं। यहाँ कागज बनाने के अनेक कारखाने हैं तथा अभियन्त्रण के काम भी होते हैं। उत्तरपारा का 'हिन्दुस्तान मोटर-कारखाना' बहुत प्रसिद्ध है। अल्युमीनियम का उत्पादन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में ही होता है। इधर दुर्गापुर के कारखाने में लोहे का उत्पादन काफी मात्रा में होने लगा है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल सुश्री पद्मजा नायडू, मुख्य न्यायाधीश सुरजीत चन्द्र लाहिड़ी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य—विधानचन्द्र राय (मुख्यमंत्री), प्रफुल्लचन्द्र सेन, अजय कुमार मुखर्जी, खगेन्द्रनाथ दासगुप्ता, भूपति मजुमदार, रफीउद्दीन अहमद, कालीपद मुखर्जी, ईश्वरदास जालान, श्यामाप्रसाद बर्मन, अब्दुस्सत्तार, हरेन्द्रनाथ राय चौधरी, विमलचन्द्र सिन्हा तथा तरुणकान्ति घोष हैं।

राज्यमंत्री अनाथबन्धु राय तथा श्रीमती पूर्वी मुखर्जी हैं।

बिहार

इसका विस्तृत विवरण चतुर्थ भाग में पृथक् दिया गया है।

मद्रास

क्षेत्र-विस्तार—५०,१३२ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,३६,५०,६१७; **शिक्षितों की संख्या**—३०'२ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—६७१ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—मद्रास; **भाषा**—तमिल; **विश्वविद्यालय**—मद्रास तथा अन्नामलाई; **जिले**—कन्याकुमारी, कोयम्बतूर, मद्रास, मदुराई, नीलगिरि, चिंगलपट, नॉर्थ आर्काट, रामनाथपुरम्, सलेम, साउथ आर्काट, तंजोर, तिरुचिरापल्ली तथा तीरुनेलवेली।

सन् १६५६ ई० के राज्य-पुनर्संगठन के अनुसार संघटित मद्रास-प्रान्त के उत्तर में मैसूर तथा आन्ध्र-प्रदेश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट हैं। भारतीय राज्य-संघ का यह सबसे दक्षिणी प्रान्त है।

खेती और उद्योग-धंधे—इस प्रान्त मे ६८ प्रतिशत व्यक्तियों की जीविका खेती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा प्रान्त का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है। यहाँ की बकिंघम-नहर प्रसिद्ध नहर है। इस प्रान्त में १८,७७८ वर्गमील क्षेत्र का जंगल सरकार द्वारा सुरक्षित है। यहाँ की मुख्य उपज धान है। कपास और ऊख की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। कपास लगभग १६ लाख एकड़ भूमि में बोई जाती है। दक्षिण भारत के युनाइटेड प्लैण्ट्स एसोसिएशन की ओर से कहवा, चाय, रबर आदि का उत्पादन भी होता है। सिद्ध चमड़ा और चीनी तैयार करने का काम भी इस प्रान्त का मुख्य व्यवसाय है। गृह-उद्योग के रूप में यहाँ दियासलाई बनाने के कई छोटे-छोटे कारखाने हैं। वनस्पति घी, साबुन, सीमेण्ट आदि का उत्पादन अधिक परिमाण में होता है। गृह-उद्योगों मे करघे द्वारा बुनाई, मिट्टी के बरतन बनाना, अल्युमीनियम के बरतन, दियासलाई, छाता तथा स्लेट बनाने के कार्य मुख्य हैं। यहाँ से विदेशों में चमड़े का निर्यात अधिक मात्रा में होता है। हाथी-दाँत की बहुमूल्य चीजें बनती हैं। खनिज पदार्थों में सलेम में लोहा, विशाखपत्तनम् मे मैंगनीज, त्रावणकोर में ग्रेफाइट और नेलोर जिले में अबरख पाये जाते हैं। संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, गान-विद्या आदि के क्षेत्र में यह प्रान्त अन्य भारतीय प्रान्तों की तुलना में अग्रणी है। कला की दृष्टि से गोपुरम्, महाबलीपुरम् तथा काचीपुरम् महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। रामेश्वरम् हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल विष्णुराम मेधी, मुख्य न्यायाधीश डॉ० पी० वी० राजमन्नार और मन्त्रिमण्डल के सदस्य के० कामराज नादर (मुख्यमन्त्री), एम० भक्तवत्सलम्, सी० सुब्रह्मण्यम्, एम० ए० माणिकवेलु, आर० वेंकटरमण, पी० कक्कन, वी० रामैय्या तथा श्रीमती लार्डम्मल साइमन हैं।

मध्यप्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,७१,२१० वर्गमील; **जन-संख्या**—२,२६,६४,२७५; **शिक्षितों की संख्या**—१६·८ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—१८६ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—भोपाल; **भाषा**—हिन्दी; **विश्वविद्यालय**—सागर, जबलपुर तथा विक्रम; **कमिश्नरियाँ**—बरार, नागपुर, छत्तीसगढ़ तथा जबलपुर; **जिले**—बालाघाट, बस्तर, बेतुल, भिलसा, भिन्द, बिलासपुर, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, दुर्ग, गर्ड, गूना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झबुआ, मण्डला, मन्दसोर, मोरेना, नरसिंहपुर, निमार (खण्डवा), निमार (खड्गगाँव), पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सेहोर, सोउनी, शारोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिद्धि, सरगुजा, टीकमगढ़ तथा उज्जैन।

इस प्रान्त का नामकरण वस्तुतः भारत के मध्य में होने के कारण हुआ है। यह प्रान्त छह प्रान्तों से परिवेष्टित है; जैसे—उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र, बम्बई तथा राजस्थान। एक तरह से इस प्रान्त को भारत का हृदय कहा जा सकता है।

क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से भारत के राज्यों में इसका प्रथम स्थान है। यह प्रान्त मोटे तौर पर तीन अधित्यकाओं में बाँटा जा सकता है, जिनके बीच में दो समतल मैदान हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर विन्ध्य की अधित्यका है, जहाँ छोटे-छोटे जंगल हैं। यह अधित्यका दक्षिण की ओर ढालू होती हुई नर्मदा की घाटी में उतर गई है, जहाँ गेहूँ की खेती होती है। इसके बाद सतपुरा की ऊँची अधित्यका है, जहाँ जंगलों से भरी पहाड़ियाँ हैं। यह अधित्यका नीचे उतरकर नागपुर के समतल मैदान में पहुँचती है, जो इस प्रान्त का सबसे उपजाऊ भाग है और जहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए देश-भर में विख्यात है। इस समतल भूमि का पूर्वी आधा भाग वैनगंगा की घाटी में पड़ता है, जहाँ मुख्यतया धान की खेती होती है।

यहाँ आर्य-भाषा तथा अनार्य-भाषा—दोनों तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं। प्रान्त के उत्तर में तथा नर्मदा-घाटी में मुख्यतः आर्य निवास करते हैं एवं प्रान्त के दक्षिण और पूरब के भागों में आदिम जातियों की प्रधानता है। यहाँ के निवासियों में लगभग १४ प्रतिशत आदिवासी हैं, जो मुण्डा, बैगा, गोण्ड, मरिया, मरिडया, भथरा, द्राविड़ियन आदि वर्गों में विभक्त हैं।

यहाँ की प्रधान भाषा हिन्दी है, जो सम्पूर्ण राज्य में बोली जाती है। यहाँ की स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाएँ हैं-- मालवी (जो मालवा में बोली जाती है), बुन्देलखण्डी (जो नर्मदा-घाटी में बोली जाती है), बघेलखण्डी (जो प्राचीन रेवा में बोली जाती है) तथा छत्तीसगढ़ी (जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है)।

कृषि—यहाँ के लगभग ५६ प्रतिशत भू-भाग में खेती होती है। प्रान्त के क्षेत्र-फल का २६ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा हुआ है। वन-सम्पत्ति में आसाम के बाद इसी प्रान्त का स्थान है। यहाँ की मुख्य उपज हैं—धान, ज्वार, गेहूँ, दलहन, तेलहन, ऊख, रूई आदि। इस प्रान्त में नारंगी की भी खेती होती है।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—मैंगनीज यहाँ का प्रमुख खनिज पदार्थ है, जो देश के अन्य सभी भागों से अधिक पाया जाता है। सरगुजा, रायगढ़, विलासपुर, छिन्दवाड़ा, सहडोल, सिद्धि, होशंगाबाद तथा बेतुल जिलों में कोयले की खानें हैं। दुर्ग, बस्तर, जबलपुर, छतरपुर तथा होशंगाबाद जिलों में लोहे की खानें हैं। मध्यप्रदेश देश के कुल कच्चे लोहे की जरूरत का ६५ प्रतिशत पूरा करता है। सीमेण्ट की मिट्टी भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। भारत के कुल हीरे के उत्पादन का ९० प्रतिशत विन्ध्यप्रदेश की खानों से प्राप्त होता है। रूसी विशेषज्ञों के परामर्शानुसार पन्ना की ओर हीरे की खानों की खुदाई शीघ्र ही होनेवाली है। यहाँ बॉक्साइट की भी खानें हैं। इनके अलावा अबरख, ग्रेफाइट, चूना-पत्थर आदि खनिज भी पाये जाते हैं।

अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) के उत्पादन के लिए नेपा मिल्स है, जो देश की कुल जरूरत की एक तिहाई पूरी करती है। ब्रह्मपुर, महेशपुर, उज्जैन, ग्वालियर, इन्दौर आदि में सूती कपड़े की मिलें हैं। कटनी के पास कैमूर का सीमेण्ट का कारखाना भारत का सबसे बड़ा सीमेण्ट-कारखाना है। भिला[illegible] लोहे का [illegible] खोला गया है। इनके अलावा ग्वालियर में दरियाँ, और [illegible] र में कंबल तैयार होते हैं। बेलघाट और छिंदवाड़ा में

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल—एच० वी० पाटस्कर; मुख्य न्यायाधीश—पी० वी० दीक्षित और मन्त्रिमण्डल के सदस्य—डॉ० के० एन० काटजू (मुख्यमन्त्री), वी० आर० मण्डलोई, शम्भुनाथ शुक्ल, डॉ० एस० डी० शर्मा, मिश्रीलाल गंगवाल, शंकरलाल तिवारी, वी० वी० द्रविड़, ए० क्यू० सिद्दीकी, गणेश राम अनन्त, रानी पद्मावती देवी और नरेशचन्द्र सिंह हैं।

महाराष्ट्र

क्षेत्र-विस्तार—१,१८,८८४ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,९५,०४,२९४; **शिक्षितों की संख्या**—२९·७ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—३३२ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—बम्बई, **राजकीय भाषा**—मराठी; **विश्वविद्यालय**—बम्बई, गुजरात, वल्लभभाई विद्यापीठ; **जिले**—बम्बई, कोलाबा, रत्नगिरि, थाना, नासिक, पूर्वी खानदेश, पश्चिमी खानदेश, पूना, अहमदनगर, कोल्हापुर, उत्तरी सतारा, दक्षिणी सतारा, शोलापुर, नागपुर, अकोला, अमरावती, भण्डारा, बुलदाना, चान्द, वर्धा, योतमाल, औरंगाबाद, भिंड, उस्मानाबाद, परभानी।

१ अप्रैल, १९६० ई० को बम्बई-राज्य के दो भागों में बँटने से इस राज्य का निर्माण हुआ। यह अरब समुद्र के किनारे पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में मध्यप्रदेश, उत्तर-पश्चिम में गुजरात, पश्चिम में अरब समुद्र, दक्षिण-पूरब में आन्ध्रप्रदेश तथा दक्षिण में मैसूर और गोआ हैं। किनारे पर १२०" से भी अधिक वर्षा होती है और कुछ स्थानों में २०" से भी कम।

कृषि—तेलहन और कपास इस प्रान्त के मुख्य पैदावार हैं। कुछ जिलों में चीनाबादाम की खेती होती है। नागपुर, अमरावती और वर्धा में नारंगी बहुतायत से पाई जाती है।

खनिज और उद्योग-धन्धे—भण्डारा और नागपुर में मैंगनीज; योतमाल और चाँद में चूनापत्थर; नागपुर, चाँद और योतमाल में कोयला तथा रत्नगिरि में सीसा आदि पाये जाते हैं। यहाँ सूती कपड़े की मिलें अधिक हैं। बहुत बड़े पैमाने पर चीनी तैयार करनेवाले प्रान्तों मे यह भी एक है।

ऐतिहासिक स्थान—महाराष्ट्र में बहुत-से सुन्दर दर्शनीय स्थल हैं। कुछ की अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। कला और वास्तु-कला की दृष्टि से पर्यटकों के लिए अजन्ता और एलोरा की विश्वप्रसिद्ध गुफाएँ तथा बम्बई से कुछ मील दूर टापू में स्थित एलिफेण्टा गुफा दर्शनीय हैं। इसके अतिरिक्त मालाबार हिल, हैंगिंग गार्डेन, कमला नेहरू पार्क, मेरीन ड्राइव बम्बई मे, पूना के पार्वती-मन्दिर सिंहगढ़ का किला, औरंगाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा निर्मित बीबी का मकबरा आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हैं।

प्रशासन—राज्यपाल—श्रीप्रकाश, मुख्यन्यायाधीश—एच० के० चैनानी; मंत्रिमंडल के सदस्य—वाई० वी० चवन (मुख्यमंत्री), एम० एस० कन्नमवर, शान्ति लाल एच० शाह, वसन्तराव पी० नायक, वी० जी० गाधे, डी० एस० देसाई, एस० जी० काजी, एस० के० वनखेडे, टी० एस० भार्डे, पी० के० सावंत, डॉ० टी० एन० नरावने, एस० बी० चवन, एच० जे० एस० तलेयरखान, डी० जेड० पाल्सपागर।

उपमन्त्री—डॉ० भास्कर आर० पटेल, श्रीमती निर्मला राजे भोंसले, दावीसिंह वी० चौहान, एस० आर० पाटिल, जी० डी० पाटिल, डॉ० एन० एन० कैलास, एम० डी० चौधरी, वाई० जे० मोहित, मदनगोपाल जे० अग्रवाल, एन० वी० देशमुख, नरेन्द्र एम० टीडके, मधुसूदन ए० विर्ले।

मैसूर

क्षेत्र-विस्तार—७४,१२२ वर्गमील; जन-संख्या—२,३५,४७,०८१; शिक्षितों की संख्या—२५·३ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—३१८ प्रति वर्गमील; राजधानी—बंगलोर; भाषा—कन्नड; विश्वविद्यालय—मैसूर तथा कर्नाटक (धारवार); जिले—बंगलोर; बेलगॉव, बेलारी, बिदर, बीजापुर, चिकमागलुर, चित्तलदुर्ग, कुर्ग, धारवार, गुलबर्गा, हासन, कनाड़ा, कोलार, मण्ड्या, मैसूर, रायचूर, सिमोगा, साउथ कनाडा तथा तुमकुर।

प्राचीन भारतीय साहित्य में मैसूर का उल्लेख कर्नाटक नाम से हुआ है। इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिम भाग में बम्बई प्रान्त, पूरब में आन्ध्रप्रदेश, दक्षिण-पूरब में मद्रास, दक्षिण-पश्चिम में केरल तथा पश्चिम में समुद्र हैं।

कुर्ग अभी मैसूर का एक जिला बन गया है। इसका विस्तार १५८७ वर्गमील है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है। यहाँ के लगभग ५१७ वर्गमील में सर्वदा हरा रहनेवाला जंगल है। यहाँ के घने जंगल में बाघ, हाथी, हरिण आदि जन्तु रहते हैं। मैसूर का पूर्वी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। पहाड़ी ढाल पर कहवा, इलायची, गोलमिर्च, नारंगी आदि अधिक मात्रा में उपजाये जाते हैं। भारत के कुल कहवा का तृतीयांश कुर्ग में ही होता है।

यहाँ की मुख्य उपज चावल, ऊख, कहवा, नारियल, कपास, सुपारी और शहतूत है। यहाँ लोहा, इस्पात, सीमेण्ट, कागज, चीनी, सूती-रेशमी कपड़े, साबुन, रसायन, चन्दन के तेल आदि के कारखाने हैं। यहाँ का चन्दन के तेल का कारखाना संसार का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत में हवाई जहाज केवल बंगलोर में बनते हैं। चन्दन की लकड़ी का महत्त्वपूर्ण उत्पादन मैसूर में ही होता है। भारत के अन्दर सोना मिलने का भी मुख्य स्थान मैसूर ही है।

मैसूर की ६०,६१,६५३ एकड़ भूमि में जंगल है। यहाँ बाँस का उत्पादन बहुत होता है। उत्तर कनाड़ा जिला वन-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बंगलोर में चार महत्त्वपूर्ण औद्योगिक संस्थाएँ हैं, जिनका संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है; जैसे—(१) लाल बाग, (२) इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स, (३) रमण रिसर्च-इंस्टिट्यूट तथा (४) मेण्टल हॉस्पिटल। यहाँ का श्रीरंगपत्तनम् का रंगनाथस्वामी का मन्दिर, चमुन्दी पहाड़ियाँ तथा वृन्दावन-बगीचा बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ की दर्शनीय वस्तुएँ हैं—बेलूर का चेन्नकेशव, हालेबिद हयसलेश्वर, नन्दी पहाड़ियाँ, एशिया-भर की सबसे बड़ी गौतम-मूर्त्ति, प्राचीन भारतीय आदिलशाही राजाओं की राजधानी बीजापुर के ऐतिहासिक भवन, जैसे—मुहम्मद आदिलशाह का गोलगुम्बज मकबरा आदि।

सिंचाई तथा विद्युत्-योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं; जैसे—भद्रा-जल-संरक्षण-योजना, भद्रा-जल-विद्युत्-योजना, तुंगभद्रा-जल-विद्युत्-योजना, नूगू-जल-संरक्षण-योजना, अम्बिगोला-जल-संरक्षण-योजना तथा सारावती घाटी जल-विद्युत्-योजना, घाटप्रभा-योजना आदि।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल-जय चामराज वाडियर, मुख्य न्यायाधीश—श्री सुबोधरंजन दासगुप्त और मन्त्रिमंडल के सदस्य—बी० डी० जत्ती (मुख्यमन्त्री), के० मंजप्पा, टी० सुब्रह्मण्यम्, टी० मरियप्पा, एच्० एम्० चेन्नबसप्प, के० एफ्० पाटिल, मली मरियप्पा, डॉ० के० के० हेग्डे,

ए० राव गणमुखी तथा एन० राचैय्य हैं। उपमन्त्रियों में श्रीमती लीलावती वेंकटेश मागडी, जे० एच० शमसुद्दीन, एम० एन० नागनूर, श्रीमती ग्रेस ताकर, एच० सी० लिंग रेड्डी तथा बी० वासवलिंगप्पा हैं।

राजस्थान

क्षेत्र-विस्तार—१,३२,१५० वर्गमील; **जन-संख्या**–२,०१,४६,१७३; **शिक्षितों की संख्या**—१४·७ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—१५२ प्रति वर्गमील; **भाषाएँ**—हिन्दी तथा राजस्थानी; **राजधानी**—जयपुर; **विश्वविद्यालय**—राजस्थान (जयपुर); **जिले**—अजमेर, अलवर, बाँसवाडा, बरमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बुन्दी, चित्तौरगढ, चूरू, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जेलर, झालावाड, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नगौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सिकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।

राजस्थान पहले राज्य-संघ के रूप में था, जिसकी स्थापना १८ अप्रैल, १६४८ को हुई थी। उस समय इसमें केवल बाँसवाडा, बुन्दी, डूंगरपुर, झालावाड, किसनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और उदयपुर सम्मिलित थे। ३० मार्च, १६४८ को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर भी इसमें शामिल हुए। १५ मार्च, १६४८ को अलवर, करोली, धौलपुर और भरतपुर ने मिलकर मत्स्य-राज्यसंघ की स्थापना की थी। १५ मई, १६४६ को यह संघ भी राजस्थान-संघ में मिल गया। इस तरह १६ प्राचीन रियासतों का समुदाय १६५६ में द्वितीय श्रेणी के राज्य के रूप में परिणत हुआ। इस प्रान्त के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व तथा पूर्व में पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश एवं दक्षिण-पश्चिम में बम्बई हैं।

कृषि एवं उद्योग-धन्धे—यहाँ की मुख्य उपज बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मकई, जौ, चना आदि हैं। कुछ क्षेत्रों में धान का भी उत्पादन होता है। खनिज पदार्थों में चूना-पत्थर तथा बारिटबोरियम सल्फेट अत्यधिक परिमाण में मिलते हैं।

अन्य प्रान्तों की तुलना में यहाँ सिंचाई का विशेष प्रबन्ध है। राजस्थान के तलवाड़ा नामक स्थान में ३० मार्च, १६५८ को एक बड़ी नहर बनाने का काम आरम्भ हुआ है। ४२६ मीलों में यह नहर बनाने की योजना है। निर्माण-कार्य सम्पन्न होने पर यह संसार की सबसे बड़ी नहर होगी। (१) गंगा-नहर—यह नहर फिरोजपुर के पास सतलज नदी के बायें तट से निकली है तथा पंजाब में ७४ मील तक बहती हुई बीकानेर मे प्रवेश करती है। भरतपुर-योजना द्वारा आगरा नहर से एक दूसरी नहर निकाली जा रही है, जिससे भरतपुर में कम-से-कम १८ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। (३) चम्बल-योजना द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार एक बहूद्देश्यीय योजना कार्यान्वित करनेवाली है। इसके अनुसार जल-संचय के लिए तीन बाँध तथा एक बराज का निर्माण होगा।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्य न्यायाधीश सरयू प्रसाद, और मन्त्रिमण्डल के सदस्य मोहनलाल सुखाडिया (मुख्यमंत्री), हरिभाऊ उपाध्याय, रामकिशोर व्यास, बदरीप्रसाद गुप्त, दामोदरलाल व्यास, नाथूराम मिर्धा, हरिश्चन्द्र बहादुर, रामचन्द्र सिंह, सम्पतराम, भीखा भाई तथा ऋषिचन्द धारीवाल हैं।

★

केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र

अन्दमन तथा निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्र-विस्तार—३,२१५ वर्गमील; जन-संख्या—६३,४३८; शिक्षितों की संख्या—३३·६ प्रतिशत; जन का संख्या-घनत्व—२० प्रति वर्गमील; राजधानी—पोर्ट-ब्लेयर।

यह द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है तथा बर्मा के केप-नेगराइस से १२० मील, कलकत्ता से ७८० मील तथा मद्रास से ७४० मील की दूरी पर स्थित है। बड़े-बड़े पाँच द्वीप परस्पर मिलकर 'ग्रेट अन्दमन' नाम से पुकारे जाते हैं। इसके दक्षिण में 'लिटल अन्दमन' है। यहाँ के सभी छोटे-छोटे द्वीपों की संख्या २०४ है। ये दो समूहों मे बँटे हैं—(१) रीची आर्थिकपेलागो तथा (२) लेबिरिन्थ द्वीपसमूह। ग्रेट-अन्दमन द्वीपसमूह की लम्बाई २१६ मील तथा चौड़ाई ३२ मील है। यह जंगलमय है, जहाँ कड़ी तथा मुलायम दोनों तरह की मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं। कड़ी लकड़ियों में प्रसिद्ध हैं—पदौक अथवा अन्दमन लाल लकड़ी, गुरजान आदि। मुलायम लकड़ियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं, जिनका उपयोग दियासलाई बनाने में अधिक होता है।

अन्दमन तथा निकोबार–द्वीपसमूह में अनेक बन्दरगाह हैं, जिनमें चार अधिक प्रसिद्ध हैं—(१) पोर्ट-ब्लेयर, (२) एलफिन्स्टन, (३) बोनिंग्टनन तथा (४) पोर्ट-कॉर्नवालिस। अन्दमन के निवासी अन्दमनी, औंग, जरावा और सेंटिनेली जाति के हैं। निकोबार द्वीप-समूह के मूलनिवासी निकोबरी और शॉम्पेन हैं। अन्दमन द्वीप-समूह के आदिवासी अपेक्षाकृत सबसे लम्बे होते हैं। नेग्रिटो जाति के लोग आकार में कुछ छोटे होते हैं। उनकी संस्कृति तथा मलाया के सामन और फिलीपाइन के वेट जातीय लोगों की संस्कृति में बहुत समानता है। वहाँ के आदिवासियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है—(१) अन्दमानी, जो मध्य अन्दमन तथा उत्तर अन्दमन के तटों पर बसे हुए हैं, (२) औंगे, जो छोटे अन्दमन में निवास करते हैं; (३) जरवा, जो दक्षिण अन्दमन तथा मध्य अन्दमन में रहते हैं और सेंटिनेली, जो सेंटिनेली द्वीपसमूह में हैं। निकोबार के निवासियों के दो वर्ग हैं—निकोबारी तथा शॉम्पेन। नृतत्त्व-शास्त्र के अनुसार निकोबारी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत समानता है। अन्दमानी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत विषमता है। सभ्यता, संस्कृति, व्यवसाय, विचार आदि में निकोबारी जाति अन्दमानी जाति से बहुत बढ़ी-चढ़ी है।

नारियल, कहवा तथा रबर यहाँ की प्रधान उपज है। यहाँ धान की पर्याप्त उपज नहीं होती। इधर धान की पैदावार को बढ़ाने के प्रयत्न हो रहे हैं।

अन्दमन तथा निकोबार द्वीप-समूह १ नवम्बर, १९५६ से भारत-सरकार का केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र बन गया है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त प्रशासन करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्यों की एक परामर्शदात्री परिषद् है, जो मुख्य आयुक्त को परामर्श देती है। इस द्वीपसमूह से एक सदस्य का मनोनयन लोक-सभा के लिए भी होता है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त एम० वी० राजवाड़े, आई० सी० एस० हैं।

त्रिपुरा

क्षेत्र-विस्तार—४,०२२ वर्गमील; जन-संख्या—६,३६,०२६ (१६५१); शिक्षितों की संख्या—२२·२ प्रतिशत (१६६१); जन-संख्या का घनत्व—१५६ प्रति वर्गमील (१६५१) के अनुसार; राजधानी—अगरतला; प्रधान भाषा—बॅगला; डिवीजन—अगरतला, अमरपुर, बेलोनिया, धर्मनगर, कैलाशहर, कमलपुर, खोवाई, सवरूम, सोनमूरा तथा उदयपुर।

त्रिपुरा, आसाम-राज्य के दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है। सन् १६५१ ई० की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल ४,०२२ वर्गमील तथा जन-संख्या ६,३६,०२६ है। यह वन तथा खनिज सम्पत्ति से परिपूर्ण है।

यहाँ की प्रमुख उपज धान, जूट, चाय, ऊख, कपास, तेलहन आदि हैं। नाना प्रकार के हाथ से बुने सूती कपड़ों के अतिरिक्त अन्य उद्योग-धंधों का यहाँ अभाव है। परिवहन का एकमात्र साधन आकाश-मार्ग है। हाल में एक लम्बी सड़क बनी है, जो आसाम होकर गई है। उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में लगभग ७२० मीलों तक इस प्रदेश की सीमा पाकिस्तान की सीमा से संयुक्त है, जिससे पाकिस्तान द्वारा यहाँ अधिक उपद्रव होते रहते हैं। यहाँ आदिवासियों की संख्या अधिक है। चकमा, रियॉग, तिपरा, कुकी, मग प्रभृति आदिवासी यहाँ रहते हैं।

यहाँ के मुख्य आयुक्त एन० एम० पटनायक, आई० ए० एस० हैं।

दिल्ली

क्षेत्र-विस्तार—५७३ वर्गमील; जन-संख्या—१७,४४,०७२, शिक्षितों की संख्या—३२.३४ प्रतिशत, जन-संख्या का घनत्व—३०,४४ प्रति वर्गमील; राजधानी—दिल्ली; प्रधान भाषाएँ—हिन्दी, उर्दू और पंजाबी, विश्वविद्यालय—दिल्ली।

अत्यन्त प्राचीन काल से दिल्ली अनेक राजवंशों की राजधानी रहती आई है। अब भी यह भारत की राजधानी है। दिल्ली तथा उसके समीपस्थ चारों तरफ के जिलों के प्रशासन का काम केन्द्रीय सरकार ने सन् १६१२ ई० मे अपने हाथों में लिया। नई दिल्ली राजकीय पीठ के रूप में बसाई गई है। दिल्ली एक शहर, एक जिला तथा केन्द्र-शासित राज्य भी है। भारतीय राज्यों में दिल्ली सबसे छोटा राज्य है। इसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा होता है। राज्य-पुनर्स्संगठन-आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए एक परामर्शदात्री परिषद् बनाई है। इस परिषद् मे गृह-मंत्री भी सम्मिलित रहते हैं। इस परिषद् में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी एम० पी०, दिल्ली के मुख्य आयुक्त, दिल्ली-विश्वविद्यालय के उपकुलपति, दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के अध्यक्ष तथा नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के प्रमुख उपाध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त दो और परामर्शदात्री समितियो हैं, जो जन-सम्पर्क तथा औद्योगिक कार्यों के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त को परामर्श देती हैं।

समुद्र की सतह से दिल्ली ७०० फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ लगभग २६" औसतन वर्षा होती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है तथा चना, गेहूँ, बाजरा, जौ आदि की उपज

होती है। ऊख, तम्बाकू, सरसों आदि की भी थोड़ी-बहुत उपज हो जाती है। सोना, चाँदी, ताँबा आदि की वस्तुएँ, हाथी-दाँत के सामान, मिट्टी के बरतन आदि यहाँ बनते हैं। हाल में यहाँ रासायनिक पदार्थ भी तैयार होने लगे हैं। जलवायु मनोरम स्वास्थ्यकर है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त भगवान सहाय हैं।

पाण्डिचेरी

क्षेत्र-विस्तार—१९६ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,१७,१९३; **राजधानी**—पाण्डिचेरी; **प्रधान भाषाएँ**—फ्रेंच तथा तमिल; **क्षेत्र-विभाजन**—(१) कारोमंडल-तट पर—(अ) पाण्डिचेरी तथा उससे सम्बद्ध प्रदेश, जो आठ प्रखण्डों में विभक्त है। (ब) कारीकुलम तथा अधीनस्थ जिले, जो छह प्रखण्डों में विभक्त हैं। (२) आंध्र-तट पर यनम तथा उसके आश्रित गाँव। (३) केरल-तट पर माही तथा उससे संयुक्त क्षेत्र।

फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार १ नवम्बर, १९५४ को भारत-सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन बस्तियों में कारोमण्डल-तट पर स्थित कारीकुल्लम तथा पाण्डिचेरी; आन्ध्र-तट पर स्थित यनम और केरल-तट पर स्थित माही आते हैं। इन क्षेत्रों के भारत में मिला दिये जाने के सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १९५६ को नई दिल्ली में एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। फ्रांसीसी संसद् द्वारा इस सन्धि की औपचारिक रूप से पुष्टि अवतक नहीं हो पाई है। इसी बीच इस क्षेत्र का प्रशासन-कार्य भारत-सरकार की ओर से मनोनीत एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ६ निर्वाचित पार्षदों का एक परामर्श-मण्डल होता है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त ए० एस० बाम हैं।

मणिपुर

क्षेत्र-विस्तार—८,६२८ वर्गमील; **जन-संख्या**—५,७७,६३५; **शिक्षितों की संख्या**—११.४१ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—६७ प्रति वर्गमील, **राजधानी**—इम्फाल; **प्रधान भाषा**—मणिपुरी; **सब-डिवीजन**—(१) पहाड़ी जिला, जिसमें चूड़चन्द्रपुर, माओ, उकरुल, तमेनलौंग तथा तेंगनौपल के क्षेत्र सम्मिलित हैं और (२) मणिपुर का समतल जिला, जिसमें, जिरिबम, सदर तथा थॉनबल सम्मिलित हैं।

मणिपुर भारत के पूर्वी भाग में भारत-बर्मा की सीमा पर स्थित है। इस राज्य में दो क्षेत्र हैं—(१) मध्य की घाटी, जिसका क्षेत्र-विस्तार ७०० वर्गमील है तथा (२) चारों ओर के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें राज्य का शेष क्षेत्रफल सम्मिलित है। राज्य-पुनर्गठन-अधिनियम १९५६ के अनुसार राष्ट्रपति ने १५ अगस्त, १९५७ को मणिपुर-क्षेत्रीय परिषद् का निर्माण किया, जो यहाँ के प्रशासन के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त से संबद्ध है।

मणिपुर के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। गृह-उद्योगों में भी उनकी अधिक रुचि है। मणिपुर का हाथ-करघा-उद्योग अधिक उन्नत है। प्रायः सभी वर्ग की स्त्रियाँ हाथों की बुनाई का काम करती हैं। यहाँ के लगभग तीन लाख व्यक्ति, अर्थात् सम्पूर्ण

जन-संख्या के ५० प्रतिशत व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। रेशम के कीड़े पालना यहाँ का प्राचीन उद्योग है। इसके अलावा बढ़ईगिरी, लोहारी, ईंट बनाने का काम, चमड़ा, बाँस, बेंत आदि के काम कुटीर-उद्योग के रूप में प्रचलित हैं।

मणिपुर की मध्यवर्त्ती घाटी में मित्ती, मणिपुरी, मुसलमान, लोइस तथा अन्य छोटी-छोटी जातियाँ निवास करती हैं। हाल में यहाँ अन्य क्षेत्रों से आकर कुछ जन-जातियाँ बस गई हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लगभग ७,६०० वर्गमील में नागा, कुकी आदि जातियाँ रहती हैं, जो आकृति में मंगोल-जाति से मिलती-जुलती हैं। मित्ती-जाति के लोग, नृत्य तथा सगीत को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। उनका मणिपुरी-नृत्य भारत-विख्यात है। यहाँ के मुख्य आयुक्त जे० एम० रैना, आई० ए० एस० हैं।

लक्कादीव, मिनीकॉय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह

क्षेत्र-विस्तार—११ वर्गमील; जन-संख्या—२१,०३५; शिक्षितों की संख्या—१५·२३ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—१९१२ प्रति वर्गमील; राजधानी—कोझिकोड।

अरब समुद्र-स्थित इस द्वीप-समूह का शासन भारत-सरकार ने अपने हाथों मे लिया तथा इसका अस्थायी मुख्यालय कोझिकोड को बनाया। यहाँ १९ द्वीप हैं, जिनमें केवल १० द्वीपों मे ही लोग निवास करते हैं। वे द्वीप हैं—मिनिकॉय, (२) कलपेनी, (३) कवरथी, (४) अगथी तथा (५) ऐएडोर्थ, जो लक्कादीव-वर्ग मे पड़ते हैं, (६) अमीनी, (७) कदमथ, (८) किल्टन, (९) चेटलेथ तथा (१०) बित्रा, जो अमीनदीवी वर्ग में पड़ते हैं। १ नवम्बर, १९५६ ई० के पूर्व यह द्वीप-समूह मद्रास प्रान्त के अन्तर्गत था। लक्कादीवी मिनिकॉय-वर्ग मालाबार जिला के अन्तर्गत तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह साउथ कनाडा जिला के अन्तर्गत थे।

इसका प्रशासन-कार्य भारत-सरकार की ओर से एक प्रशासक करता है, जो कोझिकोड मे ही रहता है।

यहाँ प्रधान रूप से केवल नारियल का ही उत्पादन होता है। नारियल के छिलके की वस्तुओं का निर्माण यहाँ का प्रधान उद्योग-धन्धा है।

इस द्वीप-समूह के निवासी मुसलमान जाति के हैं।

यहाँ के प्रशासक सी० के० बालकृष्ण नायर हैं।

हिमाचल-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१०,६२२ वर्गमील; जन-संख्या–११,०९,४६६ (१९५१ के अनुसार), शिक्षितों की सख्या—१४·६ प्रतिशत; जन-सख्या का घनत्व—१०२ प्रति वर्गमील; राजधानी—शिमला; प्रधान भाषाएँ—हिन्दी तथा पहाड़ी; जिले—चम्बा, मुराडी, सिरमुर, महसू तथा बिलासपुर।

पूर्वी पंजाब की २१ रियासतों ने मिलकर १५ अप्रैल, १९४८ को हिमाचल-प्रदेश का निर्माण किया। इनके नाम हैं—बाघल, बघात, बलसन, बाशहर, भाजी, बीजा, दरकोटी, धामी,

जुब्बल, क्योंथल, कुमारसैन, कुनिहर, कुथार, महलोग, संगरी, मंगल, सिरमुर, थरोच, चम्बा, मराडी और सुकेत। इस प्रान्त के पश्चिम में कश्मीर तथा पूर्व में उत्तरप्रदेश हैं। सम्मिलित रियासतों में मराडी सबसे वड़ी रियासत है। सन् १९५३ ई० के हिमाचल-प्रदेश तथा विलासपुर-अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई, १९५४ ई० में विलासपुर भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। विलासपुर का क्षेत्रफल ४५० वर्गमील तथा जन-संख्या १,२६,०९९ है।

यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। यहाँ के लगभग ९० प्रतिशत लोग कृषि पर अवलम्बित हैं। प्राय: पाँच सदस्यवाले परिवार को तीन एकड़ से अधिक जमीन नहीं है।

यहाँ की मुख्य उपज है—गेहूँ, मकई, जौ, धान, वूँट, ऊख, आलू आदि। कम परिमाण में चाय का भी उत्पादन होता है। सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग ३५ प्रतिशत भाग जंगलमय है। इस जंगल से आर्थिक आय बहुत है। लगभग ५ लाख आदमी साक्षात् अथवा परम्परागत जंगली उद्योग में लगे हुए हैं। आलू का उत्पादन यहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है। वहाँ समशीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों में सतालू, बेर, अनार आदि फल होते हैं। यहाँ के सुस्वादु तथा पौष्टिक सेव भारत-भर में प्रसिद्ध हैं। तिब्बती सीमा के चीनी क्षेत्रों में खजूर, अंगूर आदि सूखे फल भी अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ शुद्ध ऊन के वस्त्र वनते हैं। ऊन-उत्पादन-सामग्री के काम क्रमश: वढाये जा रहे हैं।

यहाँ के लेफ्टिनेराट गवर्नर राजा वजरंग वहादुरसिंह हैं।

नागा-भूमि

भारत के उत्तर-पूर्व सीमान्त में नागा-भूमि के नाम से जो नया राज्य कायम किया गया है, उसका क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमील से कुछ कम है। यह मुख्यतः एक पहाड़ी प्रदेश है। इसकी जन-संख्या चार लाख है, जो १४ प्रमुख जन-जातियों में बँटी हुई है। इसके अलावा लगभग दो लाख जन-संख्या मणिपुर और तिराप सीमान्त डिवीजन के क्षेत्रों में वास करती है।

१४ वड़ी जन-जातियों में तीन प्रधान हैं—अंगामी (जन-संख्या लगभग ३० हजार), सेमा (जन-संख्या ४९ हजार) और आस (जन-संख्या ५० हजार)। विद्रोह करनेवालों में अधिकतर पहली दो जन-जातियों में से हैं। यहाँ का प्रधान धर्म ईसाई है। यहाँ की कम-से-कम आधी जन-संख्या ईसाई धर्मावलम्वी है। छिपकर जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं, उनके साथ ईसाइयों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मालूम होता है।

सन् १८७० ई० के अधिनियम के अनुसार नागा-क्षेत्रों को 'अप्रशासित' समझा जाता था, किन्तु यह आसाम-प्रान्त का एक भाग था। सन् १९१८ ई० के माराटेग्यू-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार में इन क्षेत्रों को 'पिछड़े हुए भूभाग' कहा गया था।

सन् १९३५ ई० के भारत-शासन-अधिनियम ने इन 'पिछड़े हुए भूभागों' को 'प्रशासित' एवं 'अप्रशासित'—इन दो क्षेत्रों में विभक्त कर दिया था। कानून की दृष्टि में वे आसाम-प्रदेश के भाग वने रहे।

सन् १९४७ ई० में देश के स्वाधीन होने पर नागा पहाड़ियों से संलग्न अप्रशासित क्षेत्र उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी में मिला दिये गये और उनका नाम हुआ—'नागा जन-जाति-क्षेत्र'। बाद में यह नाम बदलकर 'तुएनसाग सीमान्त डिवीजन' हो गया।

सन् १९५७ ई० के दिसम्बर में नागा पहाड़ी जिला और तुएनसाग सीमान्त डिवीजन—दोनों मिलाकर 'नागा पहाड़ी तुएनसाग क्षेत्र' के रूप में गठित हुए। भारत के राष्ट्रपति के अभिकरण (एजेण्ट) के रूप में आसाम के राज्यपाल द्वारा इस क्षेत्र का प्रशासन होता है।

जिस समय सर अकबर हैदरी आसाम के राज्यपाल थे, नागा नेताओं के साथ एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार नागाओं को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वे चाहें, तो अपने वैधानिक भविष्य के सम्बन्ध में दस वर्ष बाद एक नया इकरारनामा कर सकते हैं। सरकार का अभिप्राय यह था कि भारत-संघ के अन्तर्गत नागाओं को एक नई राजनीतिक स्थिति प्राप्त होगी, किन्तु नागा-नेता फिजो ने इसका यह अर्थ लगाने का आग्रह किया कि इकरारनामे से उसे पूर्ण स्वाधीनता की माँग करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए, इकरारनामे के अनुसार कार्य सम्पन्न नहीं हुआ। सन् १९५२ ई० के जुलाई में फीजो प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। उन्होंने फीजो से स्पष्ट कह दिया कि उनकी पूर्ण स्वाधीनता की माँग पर विचार नहीं किया जा सकता।

इसके बाद से नागा-आन्दोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और नागा राष्ट्रीय परिषद् के अधिकाश नेता, जिनमें फीजो भी थे, छिपकर काम करने लगे। सन् १९५४ ई० में हिंसात्मक संग्राम प्रचण्ड रूप से आरम्भ हुआ और कई नागा सरकारी कर्मचारियों और शान्तिप्रेमी ग्रामीणों की राजनीतिक हत्याएँ की गईं।

फीजो के कितने ही साथी नागा राष्ट्रीय परिषद् से पृथक् हो गये और एक नये दल का गठन किया। सन् १९५७ ई० के अगस्त में कोहिमा में एक सर्वजन-जाति-नागा-सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रत्येक जन-जाति के १,७६५ प्रतिनिधि और २,००० से अधिक दर्शक उपस्थित हुए थे। इसमे पहले प्रस्ताव मे इस बात की वकालत की गई थी कि आपस की बातचीत द्वारा नागा राजनीतिक समस्या का समाधान किया जाय। दूसरे प्रस्ताव मे यह माँग की गई थी कि जबतक नागा-समस्या का अन्तिम समाधान नहीं होता, तबतक के लिए आसाम के नागा पहाड़ी जिला, उत्तर तुएनसाग सीमान्त डिवीजन और उसके साथ संरक्षित जंगल—इन सबको मिलाकर एक प्रशासकीय इकाई गठित की जाय।

सन् १९६० ई० के जुलाई में नागा-सम्मेलन में भारत-सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें परराष्ट्र-मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र मे नागा-भूमि के लिए एक पृथक् राज्य का सिद्धान्त स्वीकृत हुआ। अन्तरिम अवधि मे आसाम के राज्यपाल, जो नागाभूमि के भी राज्यपाल होंगे, नागाओं की विभिन्न उपजातियों द्वारा निर्वाचित ४५ प्रतिनिधियों के एक सलाहकार बोर्ड की सहायता से प्रशासन-कार्य चलायेंगे।

४५ प्रतिनिधियों मे ४२ मनोनीत हो चुके हैं, किन्तु अंगामी जन-जाति (फीजो की जन-जाति) ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। १६ दिसम्बर, १९६० को चुनाव होनेवाला था, किन्तु वह स्थगित हो गया है।

फीजो इस समय विलायत में है। उसके विद्रोही साथी जंगलों में छिप गये हैं और कभी-कभी हिंसात्मक काड कर बैठते हैं।

गत १८ फरवरी को कोहिमा में स्वतंत्र नागा-राज्य की स्थापना हुई। इस दिन आठ हजार मनुष्यों की एक सभा में आसाम के राज्यपाल जेनरल श्रीनागेश ने औपचारिक रूप में नागा-भूमि का उद्‌घाटन किया। अन्तर्वर्ती-कालीन परिषद् के ४२ सदस्यों ने भारतीय संविधान के प्रति आनुगत्य का शपथ-ग्रहण किया। शासन-समिति के ५ सदस्यों मे कई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं; इसलिए उन्हें शपथ-ग्रहण करना नहीं पड़ा। नागा-भूमि अन्तवर्त्तीकालीन परिषद् के अध्यक्ष डॉ० इमकोनग्लीवा अओ निर्वाचित हुए। यह नवगठित नागाभूमि भारत-संघ-राज्य का १६वाँ राज्य होगा। जबतक इस राज्य की विधान-सभा गठित नही होती, तबतक यह अन्तर्वर्त्ती कालीन संस्था शासन-समिति के माध्यम से राज्यपाल को शासन-कार्य में परामर्श देगी। आसाम के राज्यपाल ही नागा-भूमि के राज्यपाल होंगे। नागा-भूमि का क्षेत्रफल ६ हजार वर्गमील और जन-संख्या लगभग ५ लाख है। इस राज्य के वार्षिक राजस्व का परिमाण ५ लाख रुपया है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नागा-भूमि के शासन-कार्य-परिचालन में वार्षिक ४ करोड़ रुपया खर्च होगा। आवश्यक अतिरिक्त व्यय-भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

इस अवसर पर भाषण करते हुए राज्यपाल श्रीनागेश ने कहा कि शान्ति-स्थापना ही हमारा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। गत कई वर्षों में नागा-भूमि में सामरिक और असामरिक व्यक्तियों के लिए अत्यन्त अशान्ति के दिन व्यतीत हुए हैं। नागा-भूमि के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि शासन-कार्य में तथा अन्यान्य क्षेत्रों में भी नागाओं ने यथेष्ट कुशलता का परिचय दिया है। इसलिए, आज जो उनके सामने महान् सुयोग उपस्थित हुआ है, उसका समुचित उपयोग करने में वे सफल होंगे।

अन्तर्वर्त्ती-कालीन परिषद् के अध्यक्ष डॉ० अओ ने सदस्यों का स्वागत करते हुए शत्रु-भावापन्न नागाओं से अपील की कि वे हिंसात्मक मार्ग का परित्याग करें। उन्होंने कहा कि एक जाति के रूप में नागाओं के लिए जीवित रहने का यही एक मात्र मार्ग है। भारत-सरकार और नागा जातीय सम्मेलन के बीच जो इकरारनामा हुआ है, उसे कार्यान्वित करना और शान्ति की प्रतिष्ठा करना हमारा प्रधान कर्त्तव्य है।

वर्ष की समीक्षा

सन् १९६० ई० का आरम्भ भारत में कितने ही विशिष्ट विदेशी राजनेताओं के आगमन से हुआ। इन नेताओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—रूस के राष्ट्रपति वोरोशिलोव, प्रधान मंत्री निकिता ख्रुश्चेव, हिन्देशिया के राष्ट्रपति डा० सुकर्णो और नेपाल के महाराजा महेन्द्र तथा प्रधान मंत्री श्रीविश्वेश्वरप्रसाद कोइराला। रूस के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के आगमन से भारत और रूस के बीच सद्‌भावना में वृद्धि हुई और मैत्री-सम्बन्ध सुदृढ हुआ। ख्रुश्चेव ११ फरवरी को दिल्ली आये और १६ फरवरी को कलकत्ता होते हुए हिन्देशिया की यात्रा की। नेपाल-नरेश तथा प्रधान मंत्री के आगमन के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच सौहार्द सम्बन्ध दृढतर हुआ। फरवरी में केरल-राज्य मे आम चुनाव हुआ, जिसमे कम्युनिस्ट दल की पराजय हुई और प्रजा-

समाजवादी दल तथा मुस्लिम लीग के सहयोग से काँगरेस-सरकार की स्थापना हुई। इसी समय चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ-एन-लाई भारत और चीन के बीच सीमान्त-विवाद के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए भारत आये हुए थे। बातचीत कई दिनों तक चलती रही, परन्तु कोई फल नहीं निकला। मार्च में वर्मा के प्रधान मंत्री श्री यू नू भारत आये। इसी महीने में अरब-गणतंत्र के राष्ट्रपति कर्नल नसीर का भी इस देश में आगमन हुआ था। हिन्देशिया के राष्ट्रपति डॉ० सुकर्ण अप्रैल में दिल्ली पधारे थे।

राज्य-पुनर्गठन-आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर कितने ही राज्यो का भाषा के आधार पर नये रूप में गठन हुआ, किन्तु बम्बई को द्विभाषा-भाषी राज्य रहने दिया गया। इससे महाराष्ट्र और गुजरात की जनता मे असतोष एवं विक्षोभ फैले और मातृभाषा की रक्षा के नाम पर कई स्थानों में उपद्रव हुए। महाराष्ट्र-समिति और महागुजरात-परिषद् की ओर से भाषाधार राज्य स्थापित करने के लिए उग्र रूप में आन्दोलन होने लगे। अन्ततः केन्द्रीय सरकार ने बम्बई-प्रदेश को दो राज्यों में विभक्त करना स्वीकार कर लिया। ३० अप्रैल को महाराष्ट्र और गुजरात नाम से दो नये राज्यों का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हुई।

मई के प्रारम्भ में प्रधान मंत्री श्री नेहरू राष्ट्रमण्डल-सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गये।

सिख-नेता मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में अकाली दल की ओर से पृथक् पंजाबी सूबा कायम करने के लिए आन्दोलन शुरू किया गया। सिखों की ओर से दिल्ली पहुँचकर संसद्-भवन के सामने अपनी माँग के समर्थन में प्रदर्शन करने की धमकी दी गई। किन्तु इसके पहले ही पंजाब-सरकार ने २४ मई को मास्टर तारासिंह को नजरबंद कर लिया। इसके बाद आन्दोलन के अधिनायक संत फतहसिंह नियुक्त हुए। सरकार की ओर से जुलूस निकालने और सभा करने की जो निषेधाज्ञा जारी की गई थी, सिक्खों ने उसका उल्लघन करना शुरू किया। दिल्ली में एक 'मोर्चा' खोला गया। २५ हजार से अधिक सिक्ख गिरफ्तार हुए। इतने पर भी जब सरकार नहीं झुकी, तब प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण किया और उपद्रव पर उतर आये। भटिंडा और पटियाला की जेलों मे अकाली कैदियों का हिंसात्मक रुख देखकर पुलिस को आत्मरक्षा में गोलियाँ चलानी पड़ीं। कुछ समय के बाद आन्दोलन शिथिल होने लगा और गिरफ्तार होने तथा जेल जाने के लिए 'स्वयसेवक' नहीं मिलने लगे। इसके बाद अकाली अधिनायक संत फतहसिंह ने पंजाबी सूबा की माँग के सम्बन्ध में सरकार पर दबाव डालने की नीयत से आमरण अनशन आरम्भ किया। सरकार ने ४ जनवरी, १९६१ ई० को मास्टर तारासिंह को कारामुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मास्टर तारासिंह की बातचीत के फलस्वरूप संत फतह सिंह को अनशन भंग करने के लिए राजी किया गया। ६ जनवरी, १९६१ को संत फतह सिंह ने अनशन भंग किया और पंजाबी सूबा के लिए पिछले सात महीनों से जो आन्दोलन चलाया जा रहा था, वह बन्द कर दिया गया।

भारत-चीन-सीमान्त-विवाद के सम्बन्ध मे दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्त्तालाप जून में आरम्भ हुआ और दोनों दल के अधिकारी कुल तीन बैठकों में शामिल हुए। अन्तिम बैठक रंगून में ७ नवम्बर से आरम्भ होकर १२ दिसम्बर को समाप्त हुई, जबकि प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये गये।

२० जून, १६६० को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने रूस की १४ दिनों की सद्भावना-यात्रा पर नई दिल्ली से प्रस्थान किया। वहाँ के क्रेमलिन-प्रासाद में सोवियत-संघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष-मण्डल के अध्यक्ष ने आपका स्वागत किया। दोनों के बीच मैत्रीमय वार्त्तालाप हुआ। मास्को के लाल मैदान में आपने लेनिन और स्टालिन की समाधि पर माला चढ़ाई। डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद जहाँ कही गये, जन-समूह ने करतल-ध्वनि के साथ अभिवादन किया और 'हिन्दी-रूसी भाई-भाई' के नारे लगाये।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने विशेषकर डाक, तार और रेल-विभाग ने ११ जुलाई को हड़ताल की घोषणा की। यह हड़ताल छिटफुट रूप में १६ जुलाई तक कायम रही। किन्तु इस हड़ताल का प्रशासन पर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा। जनता की सहानुभूति हड़तालियों के प्रति बिलकुल नहीं थी। हड़ताल सम्पूर्ण असफल रही।

सन् १६६० ई० के जुलाई में भाषा के प्रश्न को लेकर आसाम-राज्य में भीषण उपद्रव हुए। आसाम-सरकार असमिया भाषा को राजभाषा बनाना चाहती थी। पहाड़ी उपजातियों और शिलॉग और गौहाटी के बगाली अधिवासियों ने सरकार के इस प्रस्ताव के विरुद्ध विक्षोभ-प्रदर्शन किया। स्थान-स्थान पर मारपीट, लूट और दंगे हुए। लाखों की संपत्ति नष्ट हुई और १० हजार से अधिक बंगाली अधिवासी गृहविहीन बन गये। जो सब बंगाली कई पीढ़ियों से आसाम में बस गये थे, वे अपना घर-द्वार छोड़कर शरणार्थी के रूप मे बंगाल चले आये। बाद मे चलकर उपद्रव शान्त हुए।

पहली अगस्त, १६६० को प्रधान मन्त्री ने लोक-सभा में नागा-भूमि के नाम से एक नये राज्य के निर्माण की घोषणा की। नागा पहाड़ी-तुएनसाग क्षेत्र को लेकर एक पृथक् राज्य होगा, जिसकी अपनी विधान-सभा होगी। यह पृथक् राज्य आसाम-सरकार के अधीन होगा। भारत के स्वाधीन होने के बाद से ही सीमान्त-क्षेत्र में नागाओं के उपद्रव हो रहे थे। उनकी ओर से आत्म-शासन की माँग की जा रही थी। इस माँग की पूर्त्ति की दिशा मे यह कदम उठाया गया है।

२४ अक्टूबर, १६६० ई० को आसाम-विधान-सभा ने एक कानून पास करके असमिया भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। राज्य-स्तर पर असमिया तथा जिला-स्तर पर अन्य कई भाषाएँ राजभाषा होंगी। पहाड़ी जिलों की उपजातियों ने सरकार की इस व्यवस्था के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट किया है। उनकी ओर से यह माँग की जा रही है, कि नव-निर्मित नागा-भूमि की तरह पाँच पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक पृथक् पहाड़ी राज्य की प्रतिष्ठा की जाय।

महाराष्ट्र और गुजरात—इन दो नये राज्यों के बनने के बाद नागा-विदर्भ-आन्दोलन समिति की ओर से एक पृथक् विदर्भ राज्य के लिए सामूहिक प्रदर्शन किया गया। किन्तु, इसके पीछे जनमत नहीं था। इसलिए, क्षण-भर के लिए भभककर यह शान्त हो गया।

जापान के युवराज-युवराज्ञी नवम्बर मे भारत पधारे। दिल्ली के लाल किले मे उनका स्वागत किया गया। नई दिल्ली में उन्होंने भारत अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र के भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने बोधगया तथा अन्य स्थानों की यात्रा की। भारत से प्रस्थान करते समय युवराज ने मैत्रीपूर्ण स्वागत के लिए भारतवासियों के प्रति धन्यवाद-ज्ञापन किया।

पहली दिसम्बर को उत्तरप्रदेश-कॉंगरेस-कमिटी के सभापति श्रीचन्द्रभानु गुप्त राज्य-कॉंगरेस विधायक-दल के नेता निर्विरोध चुने गये। भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा दल के नेता डॉ० सम्पूर्णानंद ने

सदस्यों से अपील की कि वे नेता का चुनाव निर्विरोध होने दें। इस प्रकार नेता का चुनाव निर्विरोध हो जाने से श्रीचन्द्रभानु गुप्त उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री हुए और उन्होंने ७ दिसम्बर को शपथ-ग्रहण किया तथा नये मंत्रिमण्डल का गठन किया।

लंका की प्रधान मंत्रिणी श्रीमती श्रीमावो भण्डारनायक दिसम्बर में तीर्थ-यात्रा एवं भ्रमण के उद्देश्य से भारत आईं। बंगलोर में उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद से साक्षात्कार किया। १३ दिसम्बर को प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति-भवन में श्रीमती भण्डारनायक के सम्मान में एक भोज दिया। उन्होंने यह आशा प्रकट की कि उनके शासन-काल में भारत और लंका के बीच पारस्परिक सम्बन्ध और भी दृढतर होंगे।

१६ जनवरी को १० करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कनाडा-भारत आणविक भट्ठी का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने ट्राम्बे में किया। इस अवसर पर ४० राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रधान मंत्री ने कहा कि इसके द्वारा भारत नये आणविक युग मे प्रवेश कर रहा है। यह भारत की दुर्बलता, निर्धनता एवं निरक्षरता के विरुद्ध चुनौती है।

इंगलैंड की रानी द्वितीय एलिजाबेथ अपने पति राजकुमार फिलिप के साथ गत २१ जनवरी को नई दिल्ली पहुँचीं। हवाई अड्डे पर तथा वहाँ राष्ट्रपति-भवन तक के मार्ग में विशाल जन-समूह द्वारा उनका भव्य एवं आह्लादपूर्ण स्वागत किया गया। पचास वर्ष पूर्व महाराज्ञी के पितामह सम्राट् पंचम जार्ज रानी मेरी के साथ भारत आये हुए थे। उस समय भारत पर इंगलैंड का शासन था। आज जनतान्त्रिक स्वाधीन भारत में महाराज्ञी एलिजाबेथ का शुभागमन हुआ है। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने महाराज्ञी का अभिनन्दन करते हुए यह आशा प्रकट की कि 'महाराज्ञी के भारत-परिदर्शन से इंगलैंड और भारत के बीच मैत्री एवं सहानुभूति के बन्धन और भी सुदृढ होंगे।' इसके उत्तर मे धन्यवाद-ज्ञापन करते हुए महाराज्ञी ने अपने भाषण में कहा—"ब्रिटिश जनता की ओर से मैत्री एव शुभकामना का संदेश लेकर मै यहाँ आई हूं। मुझे आशा है कि हमारा यह भारत-दर्शन स्पष्ट रूप से संसार को ब्रिटेन और भारत के बीच जो सम्मान-भाव एवं बन्धुत्व है, उसे प्रदर्शित करेगा।" रानी ने जयपुर, उदयपुर, आगरा, अहमदाबाद, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि स्थानों का भ्रमण किया।

आर्थिक दृष्टि से १६६० ई० का वर्ष भारत के लिए अच्छा रहा। विदेशों से उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता का आश्वासन मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति आइसेनहावर ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार १७० लाख टन अनाज भारत को आगामी चार वर्षों तक मिलता रहेगा।

औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादित परिमाण मे प्रतिशत १४ से १५ तक उन्नति देखी गई, जितनी अब से पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत-से क्षेत्रों मे योजना के जो लक्ष्य रखे गये थे, उनसे अधिक परिमाण में उत्पादन हुआ। अधिकांश उद्योगों में पूर्ववर्त्ती वर्ष की अपेक्षा उत्पादित परिमाण स्पष्टत उच्चतर रहा। यन्त्र के कल-पुर्जे, विद्युत्-यंत्र-सामग्री तथा औद्योगिक यंत्र-सामग्री के उत्पादित परिमाण का मूल्य १३० से १४० करोड़ तक होने की आशा की जाती है, जबकि दूसरी योजना के के प्रारम्भ मे वार्षिक उत्पादन का मूल्य २० करोड़ रुपये का था।

कितने ही सार्वजनिक कारबार में उत्पादन की गति वर्धमान रही और कुछ में विस्तार के जो कार्यक्रम निर्दिष्ट किये गये थे, वे पूरे हो गये।

निजी क्षेत्र में भी कई नई परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो गया और बहुत-सी अन्य परियोजनाओं के विस्तार के कार्यक्रम चालू किये गये। सारे देश में नये-नये उद्यम और कारबार शुरू करने तथा विदेशी व्यवसायियों के साथ प्राविधिक एवं वित्तीय सहयोग स्थापित करने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक आवेदन-पत्र दिये गये।

रवीन्द्र-शताब्दी-महोत्सव

वर्त्तमान वर्ष के मई महीने में देश-विदेशों में सर्वत्र विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की शताब्दी-जयन्ती विशेष समारोह के साथ मनाई गई। इसका प्रारम्भिक अनुष्ठान बम्बई में एक जनवरी को प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सम्पन्न हुआ। शताब्दी-जयन्ती-समारोह के लिए एक समिति स्थापित की गई थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय ठाकुर जन्मशती-समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार की समितियाँ गठित की की गईं। इनके अलावा जिला-स्तर पर भी यह उत्सव मनाया गया, जिसके लिए अनेक स्थानों में समितियाँ स्थापित की गईं। राष्ट्रीय ठाकुर जन्मशती-समिति ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि 'हमें सबसे बढ़कर जो काम करना है वह यह है कि रवीन्द्रनाथ के जो लेख, कविता, नाटक, संगीत तथा साहित्यिक एवं कलात्मक रचनाएँ हैं, उन्हें सर्वसाधारण के लिए सुलभ कर दें।' उक्त समिति इसके लिए एक करोड़ रुपया संग्रह करना चाहती है। समिति का उद्देश्य उस महान् ऋषिकल्प कवि की स्मृति में उपयुक्त स्मारकों का निर्माण करना भी है। साहित्य अकादमी की ओर से उनकी साहित्यिक रचनाओं का एक विशेष शताब्दी-अंक प्रकाशित किया जायगा। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उनकी कृतियों के अनुवाद प्रकाशित होंगे। रवीन्द्रनाथ के शिक्षा-सम्बन्धी जो आदर्श थे, उनके मूर्त्त रूप हैं—शान्ति-निकेतन और विश्व-भारती। शताब्दी-कोष से इन दो संस्थाओं को भी सहायता दी जायगी, जिससे उनकी बुनियाद पक्की और स्थायी हो जाय। राज्यों में शताब्दी-महोत्सव के लिए जो धन-संग्रह किया जायगा उसका तीन-चौथाई हिस्सा उस राज्य में ही कवि के सम्मान में, जैसा वह उचित समझे, खर्च होगा।

गत नवम्बर महीने में मद्रास में ठाकुर नाट्यशाला की नींव श्रीहुमायूँ कबीर द्वारा डाली गई। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कवीन्द्र की स्मृति में साहित्य अथवा ललित-कला विषय के अध्ययन की व्यवस्था की जायगी। राष्ट्रीय तथा राज्य-शताब्दी-समितियों ने धन-संग्रह के लिए जो आवेदन किये हैं, उनसे संतोषजनक प्रत्युत्तर की आशा की जाती है। धन-संग्रह इतना हो जायगा, जिससे उस महापुरुष के, जिसकी शताब्दी हम मना रहे हैं, उपयुक्त भव्य स्मारकों की प्रतिष्ठा हो सके।

सन् १९६० ई० में पीकिंग, नई दिल्ली और रंगून में भारतीय तथा चीनी अधिकारियों के बीच भारत-चीन-सीमान्त के सम्बन्ध में जो वार्त्तालाप हुए थे, उनका प्रतिवेदन १४ फरवरी को लोकसभा तथा राज्यसभा के समक्ष उपस्थित किया गया। इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं। चीन की ओर से जो विवरण दिया गया है, वह एकपक्षीय कथनों से भरा हुआ है। भारतीय विवरण ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। प्रतिवेदन से यह मालूम होता है कि सन् १९६० ई० के अप्रैल में चीन ने सिक्किम और भूटान के सम्बन्ध में अपने सब तरह के दावों का परित्याग कर दिया था और इन देशों के साथ भारत के जो सन्धिमूलक सम्बन्ध थे, उन्हें मान लिया था। किन्तु, अब उसने अपना वचन भंग कर दिया है। चीन के मानचित्रों में भारतीय प्रदेश के कुछ

अंश सम्मिलित दिखाये गये थे और भारत की ओर से इसका प्रतिवाद किये जाने पर उत्तर में चीन ने अपने वक्तव्यों में कहा था कि मानचित्र पुराने हैं और सही नहीं हैं। उनमें परिवर्त्तन अपेक्षित हैं। किन्तु, अब वह प्रधान मंत्री जवाहरलाल पर यह अभियोग लगा रहा है कि सन् १९५४ और १९५६-५७ ई० में इस विषय पर चीन के प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाइ के साथ उनके जो वार्त्तालाप हुए थे, उनका विवरण 'तोड़-मरोड़' कर उन्होंने प्रकाशित किया है। इन वार्त्तालापों का विवरण पण्डित नेहरू ने सन् १९५८ ई० में ही चीन के प्रधान मंत्री के पास भेज दिया था। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो बातचीत चल रही थी, वह जब खतम होने को थी, उस समय चीनी अधिकारियों ने पं० नेहरू द्वारा भेजे गये विवरण का यह कहकर प्रत्याख्यान करने की कोशिश की कि वह 'तोड़-मरोड़' है। प्रधान मंत्री नेहरू के कथन की सत्यता पर चीन की ओर से सन्देह प्रकट करने की जो कोशिश की गई थी, उसका भारतीय पक्ष की ओर से 'प्रबलतम विरोध' किया गया।

चीन की ओर से भारतीय भू-भाग की ५० हजार वर्गमील भूमि पर जो दावा किया जाता है, उसके सम्बन्ध में केवल अपने कथनों को वह 'तथ्यों' के रूप में उपस्थित करता है। इसके विपरीत भारतीय पक्ष के प्रतिवेदन मे कहा गया है कि भारतीय मानचित्रों मे जिस रूप में भारतीय सीमान्त दिखाया गया है, वह स्पष्ट एवं यथार्थ है और परम्परा, सन्धि एवं रूढि पर आधारित है। चीन की पूर्ववर्त्ती सरकार की बात यदि छोड़ भी दें, तो प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि वहाँ की वर्त्तमान सरकार भी सन् १९५० ई० से ही भारतीय सीमान्तों के यथार्थ स्वरूप से अवगत थी और उन्हे मान लिया था। सन् १९५९ ई० मे आकर उसने आपत्ति उठाई है। सीमान्त के प्रश्न पर चीन का रुख बराबर बदलता रहा है। पहले वह भारतीय भू-भाग पर चुपचाप दखल जमा लेता है और तब अधिकतर भू-भाग पर अपना दावा करता है। प्रतिवेदन के अनुसार चीन ने पहले-पहल सन् १९५९ ई० में भारतीय भू-भाग पर निश्चित रूप मे दावा किया और भारतीय मानचित्र तथा सीमान्त रेखाकनों पर आपत्ति की। इसके बाद जब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्त्तालाप होने लगे, तब उसने २ हजार वर्गमील अधिक भू-भाग पर अपना दावा किया, जिसपर सन् १९५९ ई० के जून—अक्तूबर मे ही उसने दखल जमा लिया था।

चीन जिन भू-भागों पर दावा करता है, वे इस प्रकार हैं—पूर्वी क्षेत्र (उत्तर-पूर्व सीमान्त) ३२,५०० वर्गमील, मध्यक्षेत्र (उत्तरप्रदेश, हिमाचल-प्रदेश और पजाब) ५०० वर्गमील, पश्चिमी-क्षेत्र (लद्दाख, काराकोरम के पूर्व) १२,००० वर्गमील, काराकोरम के पश्चिम (यह क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के नियंत्रण में है), भारत, अफगानिस्तान और चीन के त्रिसंगम तक ५,००० वर्गमील। इस प्रकार कुल ५० हजार वर्गमील भूमि पर चीन का दावा है, जिसमे १२ हजार वर्गमील भू-भाग लद्दाख मे उसके दखल में है।

सिक्किम-भूटान सीमान्त के सम्बन्ध में चीन के अधिकारियों ने वाद-विवाद करने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय पक्ष की ओर से यह कहा गया कि भारत का इन देशों के साथ सन्धि के अनुसार सम्बन्ध है और सिक्किम तथा भूटान के सीमान्तों के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी उसके ऊपर है और प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाइ ने भी सन् १९६० ई० के अप्रैल मे, जब वे दिल्ली में थे, इस विचार से अपनी सहमति प्रकट की थी और पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन मे कहा था कि 'सिक्किम और भूटान के साथ भारत के सम्बन्धों का

चीन आदर करता है।' चीन की ओर से इसका प्रत्याख्यान यह कहकर किया गया है कि उक्त सम्मेलन का जो विवरण 'पिकिंग रिमू' नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, उसमें 'उचित सम्बन्ध' शब्द का व्यवहार किया गया है। भारत में सम्मेलन का जो विवरण प्रकाशित हुआ या Tape recorded हुआ, वह सही नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में भारत की विधितः जो स्थिति है, उसे मानने से चीन ने इनकार कर दिया। भारत की ओर से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर का भारत-संघ में अधिमिलन और उस राज्य में भारत की जो विधितः स्थिति है, उसे संयुक्तराष्ट्र सघ ने तथा अन्य कई देशों ने स्वीकार कर लिया है। किन्तु चीन अपनी इस बात पर अड़ा रहा कि 'इस समय कश्मीर की जो वास्तविक स्थिति है, उस पर ध्यान रखते हुए दोनों पक्षों —चीन और भारत—के लिए काराकोरम दर्रे के पश्चिम चीन के सिनकियॉग और कश्मीर के मध्य के सीमान्त पर वाद-विवाद करना अनुपयुक्त है।'

भारत-कश्मीर

कश्मीर के जिस भूभाग पर पाकिस्तान बलपूर्वक अधिकार किये हुए है और जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, उसका पूर्वी सीमान्त चीन के पश्चिमी सीमान्त का स्पर्श करता है। कश्मीर भारतीय गणराज्य का ही एक अंश है, यह एक वैधानिक तथ्य है। फिर भी कम्युनिस्ट चीन पाकिस्तान के साथ अधिकृत कश्मीर के सीमान्त के सम्बन्ध में इकरारनामा करने की बातचीत चला रहा है। इसका अर्थ यह होगा कि कश्मीर के जिस अंश पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे, चीन न्याय एवं वैध मान लेगा। पाकिस्तान कम्युनिस्ट-विरोधी 'सेण्टो' और 'सीयाटो' संगठन का सदस्य है। इस प्रसङ्ग में यह भी उल्लेखनीय है कि सोवियत रूस ने कश्मीर के ऊपर भारत की संप्रभुता मान ली है। किन्तु, भारत के विरुद्ध चीन का मनोभाव इतना उग्र हो रहा है कि कश्मीर के सम्बन्ध में सोवियत रूस की नीति पर वह विचार तक करना नहीं चाहता। प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने लोकसभा में गत २० फरवरी को कहा कि जम्मू-कश्मीर के जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से दखल कर लिया है और उसके सीमान्त के सम्बन्ध में चीन के साथ समझौता करने की बातचीत चलाने का प्रयत्न कर रहा है, इस विषय को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में ले जाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी। आपने यह भी कहा कि पाकिस्तान-स्थित भारत के उच्च आयुक्त ने पाकिस्तान के परराष्ट्र-सचिव से मिलकर सीमान्त के सम्बन्ध में चीन के साथ बातचीत करने की पाकिस्तान की इस चेष्टा का प्रतिवाद किया है।

★

चतुर्थ भाग

विहार

भूमि और इसके निवासी

विहार इस समय भारत का एक वड़ा प्रान्त है और यह देश के पूर्वी भाग में २१°५८' २७°३१' उत्तरीय अक्षाश तथा ८३°२०' और ८८°३२' पूर्वीय देशान्तर के वीच स्थित है। इसकी राजधानी पटना गंगा-नदी के तट पर २५°३७' उत्तरीय अक्षाश और ८५°१०' पूर्वीय देशान्तर पर वसा हुआ है।

विहार-राज्य के उत्तर में एक स्वतन्त्र देश नेपाल है। पहाड़ और नदियाँ इसे नेपाल से अलग करती हैं। जहाँ किसी तरह की प्राकृतिक सीमा नहीं है, वहाँ खाई और स्तम्भ सीमा का काम करते हैं। इसके पूरव की ओर पश्चिम वंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, मालदह, मुर्शिदावाद, वीरभूमि, वर्दवान, पुरुलिया और मेदिनीपुर जिले हैं। दक्षिण में उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और सुन्दरगढ जिले हैं। पश्चिम में मध्य-प्रदेश के जसपुर और सरगुजा एवं उत्तरप्रदेश के मिरज़ापुर, वनारस, गाजीपुर, वलिया और गोरखपुर जिले पड़ते हैं।

यह राज्य न्यूनाधिक समानान्तर चतुर्भुज के आकार का है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिक-से-अधिक लम्वाई ३३२ मील और पूरव से पश्चिम तक इसकी अधिक-से-अधिक चौड़ाई २२८ मील है।

यह प्रदेश प्राकृतिक रूप से दो या तीन मुख्य भागों में वॉटा जा सकता है। गंगा नदी पूरव से पश्चिम की ओर वहती हुई इसे दो भागों में वॉटती है। उत्तरी भाग को उत्तर विहार और दक्षिणी भाग को दक्षिण विहार कहते हैं। दक्षिण विहार में भी गंगा-तट का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका—ये दो प्राकृतिक भाग हैं। फिर, दूसरी तरह से भी प्रान्त के दो प्राकृतिक भाग वताये जा सकते हैं—गंगा-तट के दोनों ओर का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका। इस समतल मैदान में खेती खूव होती है। गंगा के उत्तर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने पर कुछ पहाड़ और जंगल हैं, शेष सारा भाग समतल मैदान है। किन्तु गंगा के दक्षिण के समतल मैदान में हर जिले में जहाँ-तहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ नजर आती हैं। गंगा के उत्तर गंगा, कमला, सरयू, मही, वड़ी गंडक, छोटी गंडक, वया, वागमती, तिलयुगा, कोशी और महानदी—ये मुख्य नदियाँ हैं। दक्षिण विहार की नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गू, सकरी, कर्मनाशा, काओ, पंचाने, क्यूल, अजय, मणि, चानन, मोर, व्राह्मणी, वंसलोई और गुमानी मुख्य हैं। इनमें केवल सोन और पुनपुन में छोटी-छोटी नावें चलती हैं, शेष नदियाँ गर्मी में सूख जाया करती हैं।

छोटानागपुर की अधित्यका दक्षिण-भारत की अधित्यका का पूर्वी भाग है। यह भाग पहाड़ों और जगलों से भरा है। यहाँ के पहाड़ों में बहुत-से सुन्दर झरने और जलप्रपात हैं। राँची जिले का हुरड्रू जलप्रपात इस प्रदेश का सबसे बड़ा और सुन्दर जलप्रपात है। समुद्र-तल से इस अधित्यका की औसत ऊँचाई दो हजार फुट है। इस भाग में अधिक उपज नहीं होती और यहाँ की आबादी बहुत कम है; किन्तु इस भाग में बहुत तरह के खनिज पदार्थ तथा अन्य वन-सम्पत्ति पाई जाती हैं। यहाँ बहुत-सी छोटी-छोटी पहाड़ी नदियाँ हैं, जिनमें उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सुवर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, वैतरणी, उत्तर कारो, दक्षिण कारो, रोरो, देव, कोइना, मयूराक्षी आदि मुख्य हैं।

बिहार की जलवायु शुष्क और स्वास्थ्यप्रद है। साधारणत. गरीम में यहाँ का तापमान १००° से १०५° तक रहता है, पर कभी-कभी ११०° से ११४° तक भी चला जाता है। जाड़े के दिनों में गंगा के मैदान की अपेक्षा छोटानागपुर की अधित्यका में जाड़ा अधिक पड़ता है, पर गर्मी के दिनों में यहाँ गरमी कुछ कम पड़ती है। यहाँ साल में करीब ७०–७५ इंच औसतन वर्षा होती है। प्रान्त के अन्दर वर्षा सबसे अधिक पूर्णिया जिले में होती है। हिमालय के निकट होने के कारण चम्पारन जिले के उत्तरी भाग मे भी वर्षा अधिक होती है। प्रान्त के मध्य भाग में ४०–५० इंच और छोटानागपुर की अधित्यका मे ५०–५५ इंच तक औसत वर्षा होती है। यहाँ साधारणतः पूर्वी और पश्चिमी हवा बहती है। देवघर, राँची, राजगृह, कोइलवर (शाहाबाद), सिमलतला (मुंगेर) यहाँ के स्वास्थ्यप्रद स्थान हैं।

गंगा-तट के मैदान के निवासी आर्यवंश के लोग हैं, जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं। यहाँ आदिवासी बहुत कम और यत्र-तत्र ही पाये जाते हैं, किन्तु छोटानागपुर की अधित्यका में आदिवासियों की संख्या बहुत है। ये लोग जंगलों और पहाड़ों में भी रहते हैं। यहाँ के आदिवासियों में संताली, मुण्डारी, हो, खरिया, कोरवा, कुरमाली, बिरहोर, बिरजिया आदि मुख्य हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्त्तमान बिहार-राज्य अनेक प्राचीन जनपदों के 'सम्पूर्ण या न्यूनाधिक भागों के मिलने से बना है। ये जनपद हैं—मिथिला, वैशाली, अंग, पुंड्रवर्द्धन, पूर्वकोसल, मगध, मलद, करुष, भर्ग, कर्कखंड या झारखंड आदि। इनमे से अंग, मिथिला, वैशाली और मगध भारत के बहुत प्रसिद्ध राज्य रहे और समय-समय पर इनके बहुत ही विस्तृत साम्राज्य भी कायम हुए, जिनकी चर्चा अनेक वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रन्थों में हुई है। यहाँ के प्रमुख प्राचीन जनपदों की गरिमा का उल्लेख नीचे किया जा रहा है—

मिथिला—प्राचीन मिथिला या विदेह-जनपद का अधिकाश भाग नेपाल की तराई में पड़ता है, जहाँ आज रौताहाट, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी और मोरंग जिले हैं। बिहार के दरभंगा जिले का अधिकाश भाग एवं उसके आसपास के कुछ हिस्से इसके अन्तर्गत हैं। इस जनपद की राजधानी जनकपुर थी, जो वर्त्तमान बिहार की उत्तरी सीमा से लगभग ७–८ मील उत्तर है। यह राजधानी स्वभावत. इस जनपद के मध्य भाग मे स्थित रही होगी।

पुराणों में लिखा है कि मनु के पौत्र और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने, जो पीछे विदेह कहलाये, इस जनपद की स्थापना की थी। इन्ही के नाम पर यहाँ के राजवंश का नाम 'विदेह' पड़ा। इन्हीं के पुत्र मिथि थे, जो 'जनक' भी कहलाये। मिथि के नाम पर ही इस जनपद का नाम 'मिथिला' पड़ा। मिथि से लेकर सीरध्वज जनक तक इस वंश में २१ राजे हुए, जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है। सुप्रसिद्ध जनकनन्दिनी सीता सीरध्वज जनक की ही पुत्री थी। सीरध्वज जनक बड़े विद्वान्, तत्त्वदर्शी और आत्मज्ञानी थे। इनके दरबार मे सारे भारत के ऋषि-महर्षि एवं विद्वान् आया-जाया करते थे। इनके दरबारी पडितों में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी गार्गी तथा मैत्रेयी थीं। याज्ञवल्क्य ने ही शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य-स्मृति और वाजसनेयिसंहिता की रचना की थी। कहा जाता है कि दसों उपनिषदों का प्रणयन राजर्षि जनक के ही राजत्व-काल में किया गया था। सीरध्वज जनक के बाद इस वंश के ३२ राजे हुए। कृति इस वंश का अन्तिम राजा हुआ। इसके बाद यह जनपद छिन्न-भिन्न हो गया।

मिथिला की शासन-सत्ता कभी बहुत प्रबल नहीं थी, किन्तु ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इसकी प्रसिद्धि सदा देश-व्यापी रही। भारतीय दर्शन के साख्य, योग, मीमासा, न्याय और वैशेषिक की जन्मभूमि होने का श्रेय इसी पावन भूमि को है। इन शास्त्रों के प्रणेता क्रमश कपिल, जैमिनि, गौतम और कणाद मिथिला ही में उत्पन्न हुए थे। बाद के काल में भी यहाँ मण्डनमिश्र, भारती, वाचस्पतिमिश्र, गङ्गेश उपाध्याय, पक्षधरमिश्र, मैथिल-कोकिल विद्यापति आदि विद्वान् हुए।

वैशाली—कहा जाता है कि मनु के पुत्र नाभानेदिष्ट ने गंगा के उत्तर और सदानीरा (गंडक) से पूरब एक राज्य की स्थापना की। इनके कई पीढ़ियों बाद हुए राजा विशाल, जिनके नाम पर इस जनपद का नाम 'वैशाली' पड़ा। वाल्मीकिरामायण, वायुपुराण, विष्णु-पुराण आदि ग्रन्थों में वैशाली-राजवंश का वर्णन आया है। इस वंश का दसवाँ राजा मरुत परम प्रतापी राजा हुआ। कहते हैं, इसने एक चक्रवर्त्ती राज्य की स्थापना की थी। इसी के पुरोहित संवत् का भतीजा दीर्घतमा था, जो पीछे अग मे जा बसा। मरुत के बाद चौदहवें राजा विशाल हुए, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। विशाल के बाद नवें राजा सुमति हुए, जो मिथिला के सीरध्वज जनक और अग के राजा लोमपाद के समकालीन थे।

विदेह-जनपद के छिन्न-भिन्न हो जाने पर वैशाली में वज्जि-संघ कायम हुआ। इस संघ मे कई छोटे-छोटे गणराज्य सम्मिलित थे, जिनमें विदेह और लिच्छवि प्रमुख थे। भगवान् बुद्ध के समय मे वज्जियों का संघ-शासन अत्यन्त शक्तिशाली था। मगध-सम्राट् अजातशत्रु अनेक छल-छन्द से वज्जि-संघ को अपने साम्राज्य मे मिलाने में समर्थ हुआ। वैशाली और विदेह का सम्मिलित भूभाग ही पाँचवी सदी में 'तीरभुक्ति' या 'तिरहुत' कहलाया।

जैनधर्म के प्रवर्त्तक भगवान् महावीर को जन्म देने का श्रेय वैशाली को ही प्राप्त है।

अंग-जनपद—इस जनपद के अंतर्गत आज का न्यूनाधिक भागलपुर-कमिश्नरी का भाग था। गंगा के उत्तर के भाग को 'अंगोत्तराप' कहते थे। चम्पा या वर्त्तमान चम्पानगर (भागलपुर) अंग की राजधानी था। आगे चलकर अंग एक शक्तिशाली राज्य हुआ। इस प्राचीन जनपद की चर्चा अथर्ववेद, अथर्ववेद-परिशिष्ट, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय अरण्यक आदि वैदिक ग्रंथों; अनेक पौराणिक एव स्मृति-ग्रन्थों; रामायण, महाभारत आदि प्राचीन पुस्तकों तथा बौद्ध एवं जैनसाहित्य में की गई है।

कहते हैं कि उत्तर-पश्चिम भारत के मानव-वंशी महामना के पुत्र तितिक्षु ने इस जनपद का स्थापना की थी। तितिक्षु के वंशोत्पन्न उपद्रथ अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र के और वलि कोसल-नरेश सगर के समकालीन थे। वलि की पत्नी सुदेष्णा से महर्षि दीर्घतमा के अंग, वंग, कलिंग, सुह्म और पुण्ड्र—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने-अपने नाम पर अलग-अलग राज्य कायम किये। ऋग्वेद में दीर्घतमा और उनकी शूद्रा स्त्री कक्षीवती के पुत्र कक्षीवन्तों के बहुत-से सूक्त हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दीर्घतमा ने शकुन्तला और दुष्यन्त के पुत्र भरत का राज्याभिषेक कराया था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि राजा अंग ने समस्त पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध-यज्ञ किया था। अंग के वंशधर राजा लोमपाद अयोध्या-नरेश दशरथ के परम मित्र थे। राजा दशरथ अपनी रानियों एवं मंत्रियों के साथ स्वयं यहाँ आकर ऋष्यशृंग को अपना पुत्रेष्टि-यज्ञ कराने के लिए ले गये। लोमपाद के वंश में ही राजा चम्प हुए, जिनके नाम पर इस जनपद की राजधानी का नाम 'चम्पानगर' पड़ा। महाभारत के सुप्रसिद्ध वीर कर्ण को यहीं के राजा अधिरथ ने गंगा की जलधारा से शैशवावस्था मे निकालकर अपना पोष्यपुत्र बनाया था। प्राचीन काल मे अंग ने अपना उपनिवेश भी बसाया था। वायुपुराण आदि में अंगद्वीप का उल्लेख आया है। संभव है, यह अंगद्वीप हिन्दचीन-स्थित 'चम्पा' ही हो। ऐतिहासिक युग में मगध-सम्राट् बिम्बिसार ने इस राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। बुद्ध के समय में अंग भारत के १६ जनपदों में एक था तथा चम्पा एक वैभवशाली नगरी थी, जिसकी गणना तत्कालीन छह महानगरों में की जाती थी। जैनों के बारहवें तीर्थङ्कर वसुपूज्य यहीं हुए थे। बौद्धकाल में यहाँ का विक्रमशिला-विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था।

मगध—अति प्राचीन काल से जान पड़ता है कि मगध अनार्यों की भूमि था। इसी कारण प्राचीन आर्य-ग्रन्थों में मगध की निन्दा की गई है। फिर भी, रामायण-काल के बहुत पूर्व ही आर्य लोग यहाँ आ बसे थे। समय-समय पर मगध मे प्रमुख राजनीतिक केन्द्र रहे हैं; जैसे—गया, गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र। गया का राजा गय पौराणिक युग का चक्रवर्त्ती सम्राट् था। रामायण-काल में गिरिव्रज के राजा वसु तथा महाभारत-काल में राजगृह के राजा जरासध परम प्रतापी थे। अपने जामाता कंस के मारे जाने पर जरासंध ने यदुवंशी श्रीकृष्ण पर बार-बार आक्रमण कर उन्हें द्वारका जाने को विवश कर दिया। ऐतिहासिक युग मे बिम्बिसार और अजातशत्रु ने मगध-साम्राज्य को बढ़ाने का कार्यारंभ किया। इनकी राजधानी राजगृह में थी। बौद्ध और जैनधर्म के प्रवर्त्तक भगवान् बुद्ध तथा महावीर अजातशत्रु के समकालीन थे। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया। इसके बाद यहाँ नन्द और मौर्य-वंश के साम्राज्य कायम हुए। मौर्य-वंश के राजाओं में चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अशोक महाप्रतापी निकले। इनका साम्राज्य प्राय. सम्पूर्ण भारत मे विस्तृत था। अशोक ने बौद्धधर्म को राजधर्म के रूप मे स्वीकार कर उसका प्रचार एशिया के सभी प्रमुख देशों तथा द्वीप-द्वीपान्तरों तक किया। मौर्य-वंश के पतन के बाद यहाँ शुंग-वंश, कण्व-वंश, आन्ध्र-वंश तथा कुशान-वंश के राजाओं ने राज्य किया। इन राजवंशों के बाद मगध का शासन-सूत्र गुप्त-वंश के हाथों मे रहा। चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के समय मगध का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर था। इस काल में हिन्दू-धर्म का पुनरुत्थान हुआ तथा यहाँ शिक्षा, साहित्य एवं कला की भी उन्नति हुई। इसके बाद पाल-वंश के समय मे बौद्धधर्म का पुनः उत्कर्ष हुआ। इस समय यहाँ के नालंदा तथा विक्रमशिला-विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर थे।

साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में मगध की देन अपूर्व रही है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बड़े-बड़े विद्वान् परीक्षा देकर अपने को धन्य मानते थे। यहाँ समय-समय पर वर्ष, उपवर्ष, पिङ्गल, पाणिनि, पतञ्जलि, कात्यायन, चाणक्य, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, वात्स्यायन आदि अपने-अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान् हुए।

मुस्लिम एवं ब्रिटिश शासन-काल

इस प्रदेश का वर्त्तमान 'बिहार' नाम मुसलमानों के आगमन के बाद पड़ा, जबकि आक्रमणकारियों ने पालवंशियों की मुख्य नगरी उदन्तपुरी बिहार (वर्त्तमान बिहारशरीफ) को उजाड़कर वहाँ शासन करना आरम्भ किया और उस स्थान का नाम ही वहाँ के असंख्य विहारों के कारण 'बिहार' रखा। 'बिहार' कहने से सर्वप्रथम पटना जिले के आस-पास का ही बोध होता था, फिर धीरे-धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया। सर्वप्रथम प्रान्त के रूप में बिहार का नाम 'तबाकत-ए-नासिरी' नामक पुस्तक में मिलता है, जो १२६३ ई० के लगभग लिखी गई थी। उसके सौ-सवा सौ वर्ष बाद अवहट्ट भाषा में लिखित विद्यापति की कीर्त्तिलता में बिहार का उल्लेख हुआ। मुसलमानी शासन-काल में कभी यह एक स्वतंत्र प्रदेश रहता था, तो कभी बंगाल के साथ और कभी जौनपुर के साथ मिला दिया जाता था। दिल्ली का सम्राट् शेरशाह बिहार का ही एक छोटा जागीरदार था, जो क्रम-क्रम से उन्नति करता हुआ मुगल-सम्राट् हुमायूँ को परास्त कर दिल्ली के राज्य-सिंहासन पर बैठा। सहसराम (शाहाबाद) में इसका मकबरा अब भी वर्त्तमान है।

भारत में अँगरेजों के शासन प्रारम्भ करने पर जब यहाँ के लोगों ने विद्रोह खड़ा किया, तब उसके नेताओं में शाहाबाद के बाबू कुँवरसिंह अग्रगण्य थे। अँगरेजी शासन-काल में बिहार बंगाल के साथ था, किंतु सन् १९१२ ई० में 'बिहार-उड़ीसा' एक अलग प्रान्त बनाया गया। सन् १९३६ ई० में बिहार बिलकुल एक अलग प्रान्त बना दिया गया।

क्षेत्रफल और जन-संख्या

सन् १९६१ ई० की पहली मार्च को जो जन-गणना हुई थी, उसके आँकड़े यहाँ दिये जा रहे हैं। ये आँकड़े 'अस्थायी' (प्रॉविजनल) माने जाते हैं, कारण विभिन्न स्तरों पर जो क्षेत्र-कार्य हुए थे, उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत सारांशों से ये लिये गये हैं। अन्तिम आँकड़े जन-गणना-प्रतिवेदन में पुर्जियों की छँटाई और गिनती के बाद प्रकाशित होंगे, किन्तु विगत जन-गणना के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अस्थायी एवं अन्तिम आँकड़ों में विशेष भेद होने की संभावना नहीं है। अस्थायी आँकड़ों के अनुसार बिहार की जन-संख्या ४,६४,५७,०४२ है। सन् १९५१ ई० में यह संख्या ३,८७,८३,७७८ थी। गत दशाब्द (सन् १९५१–६१ ई०) में प्रतिशत जन-संख्या में १९·७८ की वृद्धि हुई है। इससे पहले के तीन दशकों में

जन-संख्या में क्रमशः १०'२७ (सन् १९४१—५१ ई०), १२'२० (सन् १९३१-४१ ई०) और ११'४५ (सन् १९२१-३१ ई०) की वृद्धि हुई थी।

सन् १९५१ ई० के आँकड़ों के अनुसार समस्त भारत की जन-संख्या की प्रतिशत १०'७४ जन-संख्या विहार में है। जन-संख्या की दृष्टि से यह भारत का द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से नवाँ राज्य है। विश्व के देशों में केवल १० देश ऐसे हैं, जिनकी जन-संख्या बिहार से अधिक है।

जन-संख्या की सघनता (अर्थात् प्रति वर्गमील पीछे मनुष्यों का वास) इस समय प्रति वर्गमील ६९१ है। सन् १९५१ ई० में यह संख्या ५८० थी। भारत के राज्यों में केवल केरल, पश्चिम बंगाल और मद्रास की जन-संख्या की सघनता सन् १९५१ ई० में विहार से अधिक थी। सारे भारत में सन् १९५१ ई० में जन-संख्या की सघनता २८७ थी। विहार की जन-संख्या की सघनता इंगलैण्ड, जर्मनी या इटली से अधिक और फ्रांस की लगभग तिगुनी है।

सघनता के आँकड़ों का हिसाब कुल जमीन के क्षेत्रफल पर लगाया गया है। किन्तु, इससे अधिक ठीक-ठीक हिसाव प्रति व्यक्ति पीछे कितनी जमीन पड़ती है, उसके अनुसार लगाया जा सकता है। सन् १९५९-६० ई० के कृषि-वर्ष में विहार में औसत वास्तविक जोती-वोई जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल १९'७१ लाख था। यह क्षेत्रफल कुल भूमि का प्रतिशत ४६ भाग पड़ता है। विहार में जोती-वोई जानेवाली जमीन का प्रतिशत भाग भारत के अन्य किसी भी राज्य से बढकर है। अखिलभारतीय औसत केवल प्रतिशत ३३ है। बिहार में प्रति व्यक्ति पीछे भूमि की प्राप्यता ०'७३ एकड़ (सन् १९२१ ई०) से घट कर ०'४३ एकड़ (सन् १९५९ ई०) हो गई है।

विहार के जिलों में दरभंगा की जन-संख्या सबसे अधिक और धनबाद की सवसे कम है। ८ जिलों की जन-संख्या प्रति जिला ३० लाख से अधिक और ५ जिलों की प्रति जिला २० लाख से ३० लाख तक और केवल ४ जिलों की जन-संख्या प्रति जिला २० लाख से कम है। ४ जिलों की जन-संख्या की सघनता प्रति वर्गमील १,३०० से अधिक है। ये जिले हैं—मुजफ्फरपुर (१,३६४) पटना (१,३६०), सारन (१,३४३) और दरभंगा (१,३२२)। सन् १९५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था : सारन (१,१८२), पटना (१,१६८), मुजफ्फरपुर (१,१६७) और दरभंगा (१,१२२)।

अस्थायी आँकड़ों के अनुसार विहार में समस्त गृह-परिवारों की संख्या ७७,०४,३६६ है। एक कुटुम्ब में रहकर जो लोग एक सामान्य भोजनशाला से भोजन करते हैं, उन्हें ही यहाँ परिवार माना गया है। एक-एक परिवार के सदस्यों की संख्या औसतन ६'०३ होती है। कम-से-कम लोगों का परिवार सिंहभूम जिले में (४'७७) और अधिक-से-अधिक लोगों का शाहावाद (६'४४) में दर्ज किया गया है।

जन-संख्या में सवसे अधिक अनुपात में पूर्णिया जिले में वृद्धि हुई है (३७'०६)। इसके वाद दूसरा स्थान सहरसा का है (३१'६७)। धनवाद जिले में प्रतिशत २७'६० की वृद्धि हुई है। हजारीवाग जिले की जन-संख्या में भी अन्य राज्यों की तुलना में औसतन अधिक वृद्धि हुई है।

गया, शाहाबाद, चम्पारन, मुँगेर, भागलपुर और पलामू जिलों की जन-संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह समस्त बिहार-राज्य की जनसंख्या-वृद्धि के हिसाब से बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

जिन जिलों की जन-संख्या में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अनुपात में हुई है, वे हैं—दरभंगा (१७·३२), मुजफ्फरपुर (१६·६२), पटना (१६·३६), राँची (१५·५७), संतालपरगना (१५·१७) और सारन (१३·६४)। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर, सारन और दरभंगा जिलों की जन-संख्या की सघनता उच्चतम है और इन्हीं तीन जिलों से खेतिहर मजदूर अन्य जिलों में और बिहार से बाहर भी प्रति वर्ष जीविका की खोज में जाया करते हैं।

समस्त राज्य में प्रति १ हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या ९६१ है। सन् १९५१ ई० में यह संख्या ९९० थी। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या १,९९,३१४ अधिक है। सारन, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। सन् १९५१ ई० में भी यही बात थी। इसका कारण यह हो सकता है कि इन तीन जिलों से बहुत-से पुरुष खेतिहर मजदूर अपने जिलों से बाहर जीविकार्जन के लिए चले जाया करते हैं।

धनबाद जिले में प्रति १ हजार पुरुषों में केवल ७८९ स्त्रियाँ हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि बहुसंख्यक मजदूर जो कोयले की खानों में और दूसरे उद्योगों में काम करते हैं, अपने परिवार को साथ नहीं रखते। खानों के अन्दर स्त्रियों के काम करने की मनाही है। पूर्णिया और सहरसा जिलों में और इसके बाद भागलपुर और सिंहभूम जिलों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कम संख्या अधिक स्पष्ट है। गत जन-गणना में भी इसी प्रकार की न्यूनताएँ देखी गई थीं।

जन-गणना में शहर या नगर का अर्थ ऐसे स्थान से है, जहाँ नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्रफल-कमिटी या छावनी हो, या जिस जगह को शहर घोषित किया गया हो। नगर माने जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

(क) ५ हजार से अधिक की आबादी,

(ख) प्रति वर्गमील १ हजार से अधिक मनुष्यों की सघनता;

(ग) वहाँ की जन-संख्या के वयस्क पुरुषों में कम-से-कम ७५ प्रतिशत गैर-किसानी कामों में लगे हुए हों।

बिहार में गाँवों की संख्या ६७,९७० और नगरों की संख्या १०८ है। बिहार की कुल जन-संख्या, ४ करोड़ ६४ लाख ५७ हजार, में केवल ३९ लाख, अर्थात् कुल जन-संख्या का प्रतिशत ८·४ मनुष्य नगरों में रहते हैं। सारे भारत में नगर-निवासियों की जन-संख्या सन् १९५१ ई० में प्रतिशत १७·३ थी। इधर कुछ वर्षों में भारत के कुछ प्रमुख राज्यों एवं विश्व के कुछ प्रमुख देशों मे नगरवासियों की संख्या प्रतिशत नीचे लिखे अनुसार थी —

	वर्ष			प्रतिशत
बम्बई	१९५१	.	...	३१·१
पश्चिम बंगाल	,,	...	...	२४·८
मद्रास	,,	....	...	२४·४
पंजाब	,,	...	...	१८·७

	वर्ष			प्रतिशत
उत्तरप्रदेश	१९५१	...	...	१३·६
मध्यप्रदेश	,,	....	...	१२·०
आसाम	,,	...	...	४·६
उड़ीसा	,,	...	...	४·१
अमेरिका	१९४०	...	...	५६·५
कनाडा	१९४१	...	...	५४·३
फ्रांस	१९४६	...	...	५३·२
जापान	१९४८	...	...	४९·१

बिहार के जिलों में धनवाद नगर में सर्वाधिक मनुष्य वास करते हैं। इसके बाद सिंहभूम और पटना का स्थान है। सहरसा जिले में इस समय भी और सब जिलों की तुलना में अधिकांश मनुष्य ग्रामवासी हैं। सारन और दरभंगा भी इसी क्रम में हैं।

जिस नगर की आवादी १ लाख से अधिक है, उसे 'सिटी' कहा जाता है। सन् १९५१ ई० में बिहार में पटना, जमशेदपुर, गया, भागलपुर और राँची—ये पाँच सिटी, अर्थात् बड़े शहर थे। अब इनके साथ और दो बड़े शहर मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी गिने जायेंगे। इसके बाद दूसरी श्रेणी में वे शहर आते हैं, जिनकी जन-संख्या ५० हजार और १ लाख के बीच में है। ऐसे शहर ८ हैं। ये हैं—मुंगेर, बिहारशरीफ, आरा, छपरा, दानापुर, कटिहार, धनवाद और जमालपुर।

पटना शहर में गत दशाब्द के बीच जन-संख्या में २७·९९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पहले के दशाब्द की तुलना में यह वृद्धि बहुत कम है। गत ४० वर्षों में पटना की जन-संख्या तिगुनी हो गई है।

गत दशाब्द में सर्वाधिक वृद्धि जमशेदपुर की जन-संख्या में हुई है। इसी अवधि में गया में १२·८५ प्रतिशत और राँची में ३०·५० प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई है। दूसरी श्रेणी ५० हजार और १ लाख के बीच की जन-संख्या के ८ शहरों में सबसे अधिक धनवाद में प्रतिशत ६८·६६, फिर कटिहार में ४०·२५ और जमालपुर में २८·५९ की वृद्धि हुई है। ये सब उद्योग एवं वाणिज्य के केन्द्र हैं। अन्य नगरों की जन-संख्या में औसतन प्रतिशत १७—२२ के बीच वृद्धि हुई है।

साक्षरता

जनगणना में साक्षरता का अर्थ होता है—किसी भी भाषा में साधारण अक्षर पढ़ने और लिखने की योग्यता। इस दृष्टि से बिहार में सन् १९५१ ई० में जहाँ साक्षरों की संख्या प्रतिशत १२·१७ थी, वहाँ सन् १९६१ ई० में यह संख्या बढ़कर १८·२३ हो गई है। सन् १९५१ ई० में पुरुषों में साक्षरों की संख्या प्रतिशत २०·४८ थी। सन् १९६१ ई० में यह संख्या, २९·६० है। साक्षर स्त्रियों की संख्या इस समय भी बहुत कम है, प्रतिशत ६·७७, यद्यपि गत दशाब्दों में प्रतिशत ८० वृद्धि हुई है। यद्यपि गत दशाब्द में साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि भारत में चार ऐसे राज्य हैं, जो आज से १० वर्ष पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में इस समय के बिहार की अपेक्षा अधिक उन्नत थे।

प्रतिशत साक्षरता

राज्य	व्यक्ति		पुरुष		स्त्री
केरल	४०·७३	...	५०·२४	...	३१·४८
पश्चिम वंगाल	२३·६६	...	३४·२०	....	१२·१८
वम्वई	२१·६५	....	३१·७१	...	१२·१८
मैसूर	१६·२६	...	२६·०६	...	६·१७
आसाम	१८·०७	...	२७·०८	..	७·८१
सम्पूर्ण भारत	१६·६१	...	२४·८८	...	७·८७
उड़ीसा	१५·८०	...	२७·३२	.	४·५२
उत्तरप्रदेश	१०·८०	...	१७·३८	...	३·५६
मध्यप्रदेश	६·८३	...	१६·२३	...	३·२२
राजस्थान	८·६३	..	१४·४०	...	२·६८
हिमाचल-प्रदेश	७·७१	...	१२ ५६	....	२·३७

विहार में तीन सर्वाधिक साक्षर जिले हैं—पटना (२८·३७), धनवाद (२५·४७) और सिंहभूम (२२·३४)। सन् १६५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था—पटना (२२·०६), सिंहभूम (१८·६७) और धनवाद (१६·००)। सभी जिलों मे साक्षरता में वृद्धि हुई है। फिर भी विहार मे तीन सर्वाधिक निरक्षर जिले हैं—चंपारन (१२·६६), पलामू (१३·३८) और सहरसा (१३·७५)। सन् १६५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था—चम्पारन (६·४८) पलामू (६·५८) और पूर्णिया (७·११)।

और सव जिलों में जहाँ सभी क्षेत्रों में साक्षरता में वृद्धि हुई है, वहाँ एकमात्र सहरसा ही ऐसा जिला है, जहाँ स्त्रियों की साक्षरता में ह्रास हुआ है। सन् १६५१ ई० में साक्षर स्त्रियों की संख्या प्रतिशत ४·४७ थी, वह सन् १६६१ ई० में घटकर ३·८६ हो गई है। संतालपरगना में स्त्रियों की साक्षरता की संख्या प्रायः ज्यों-की-त्यों रही है।

विहार के सात वड़े शहरों में प्रतिशत साक्षरता

शहर	व्यक्ति		पुरुष		स्त्री
पटना	५०·४४	...	६२·१०	...	३५·३२
जमशेदपुर	५२·१२	...	६१·७३	..	३६·७६
गया	४४·६६	...	५८·४४	...	२८·८५
भागलपुर	४३ ४०	...	५४·७२	..	२६·५५
राँची	५७·२४	.	६६·८५	..	४४·६६
मुजफ्फरपुर	५१·६८	..	६१·६४	...	३८·१३
दरभंगा	३६·६२	...	५४·३१	...	२२·७०

विहार में सर्वाधिक साक्षर शहर राची है। इसके वाद जमशेदपुर और मुजफ्फरपुर का स्थान है।

★

बिहार एवं उसके विभिन्न जिलों के क्षेत्रफल, सघनता, परिवारों की संख्या, कुल जन-संख्या और पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, १९६१ ई०

जिला	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	सघनता	परिवारों की संख्या (जन-गणना के अनुसार)	कुल जन-संख्या	पुरुष	स्त्री
पटना	२,१६४	१,३६०	४,७०,६२०	२९,४२,६१४	१५,२०,०१७	१४,२२,५९७
गया	४,७६६	७६५	६,०५,७५४	३६,४७,२६८	१८,१९,५६१	१८,२७,७०७
शाहाबाद	४,४०४	७३२	५,००,१२५	३२,२२,४७६	१६,२१,८३०	१६,००,६४६
सारन	२,६६९	१,३४३	५,९७,५६०	३५,८५,५३१	१६,८२,०९८	१९,०३,४३३
चम्पारन	३,५५३	८४७	५,४६,०५३	३०,०९,८४१	१५,२०,१५४	१४,८९,६८७
मुजफ्फरपुर	३,०१८	१,३६४	७,४०,०४४	४१,१६,३२०	२०,१४,७१०	२१,०१,६१०
दरभंगा	३,३४५	१,३२२	८,४३,४३८	४४,२२,३६३	२१,५०,०८१	२२,७२,२८२
मुँगेर	३,९७५	८५२	६,१७,५१४	३३,८४,८९७	१७,०४,५२०	१६,८०,३७७
भागलपुर	२,१७९	७८७	३,११,५२८	१७,१५,१२८	८,७८,१६६	८,३६,९६२
सहरसा	२,०८८	८२५	३,१०,५१७	१७,२२,५४९	८,८६,०१५	८,३६,५३४
पूर्णिया	४,२५७	७२५	५,७६,७२९	३०,८७,४२८	१६,०५,८५६	१४,८१,५७२
संतालपरगना	५,४७०	४८९	५,१३,४७६	२६,७४,३५४	१३,५१,५९८	१३,२२,७५६
पलामू	४,९३०	२४१	२,३१,९२१	११,८७,९१४	५,९९,७६४	५,८८,१५०
हजारीबाग	७,०१०	२४२	४,३८,५२२	२३,९४,३१७	१२,०३,३१७	११,९१,०००
राँची	७,०५२	३०२	४,०२,८४६	२१,३३,१८०	१०,७५,४७६	१०,५७,७०४
धनबाद	१,११४	१,०४०	२,३३,६६२	११,५८,३६३	६,४७,३३५	५,११,०२८
सिंहभूम	५,२०४	३९४	४,२०,०८७	२०,५२,४९९	१०,४७,६८०	१०,०४,८१९
बिहार-राज्य	६७,१९८	६९१	७७,०४,३९६	४,६४,५७,०४२	२,३२,२८,१७८	२,३१,२८,८६४

साक्षरता के आँकड़े

जिला	सन् १९६१ ई०			साक्षर व्यक्ति प्रतिशत		प्रतिशत साक्षरता पुरुष		प्रतिशत साक्षरता स्त्री	
	साक्षर व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	१९६१	१९५१	१९६१	१९५१	१९६१	१९५१
पटना	८,३४,७९६	६,५४,२७२	१,८०,५२४	२८·३७	२२·०९	४३·०४	३५·७४	१२·९९	७·६०
गया	७,०३,२१९	५,७५,८६६	१,२७,३५३	१९·२८	१४·२४	३१·६५	२४·६०	६·९७	३·७६
शाहाबाद	६,९३,४८०	५,७८,०७१	१,१५,४०९	२१·५२	१५·९१	३५·६४	२७·९१	७·२१	३·४९
सारन	६,५३,८८६	५,४५,९४१	१,०७,९४५	१८·२४	९·४४	३२·४६	१७·१८	५·६७	२·४०
चंपारन	३,९०,९०८	३,२४,६९०	६६,२१८	१२·९९	६·४८	२१ ३६	११·०९	४·४५	१·८२
मुजफ्फरपुर	७,०३,९७०	५,६७,८५०	१,३६,१२०	१७·१०	९·७६	२८·१९	१५·८३	६·४८	३·८६
दरभंगा	७,४३,५६३	६,१२,१८३	१,३१,३८०	१६·८१	९·२०	२८·४७	१६·१७	५·७८	२·५३
मुँगेर	६,३३,९३०	५,११,६६७	१,२२,२२३	१८·७३	१२·१२	३०·०२	१९·७३	७·२७	४·६३
भागलपुर	३,४१,६७८	२,७०,३५२	७१,३२६	१९·९२	११·३६	३०·७९	१८·१९	८·५२	४·२६
सहरसा	२,३६,७९०	२,०४,२१५	३२,५७५	१३·७५	८·८६	२३·०५	१२·७३	३·८९	४·२७
पूर्णिया	४,८८,९४७	४,०६,४३३	८१,८१४	१५·८१	७·११	२५·३१	११·५९	५.५२	२·२६
संतालपरगना	३,८६,३१३	३,२२,३९०	६३,९२३	१४ ४५	८·२६	२३·८५	११·६८	४·८३	४·७६
पलामू	१,५९,११३	१,३५,५८४	२२,५२९	१३·३९	६·५८	२२·६१	१०·४०	४·००	२·७०
हजारीबाग	३,४६,१४५	२,९३,०७८	५३,०६७	१४·४६	१०·१३	२४·३६	१५·७१	४·४६	३·३२
राँची	४,००,९५२	३,०७,१६६	९३,७८३	१८·८२	९·८२	२८·५६	१४·६४	८·८७	४·५२
धनबाद	२,९४,८६९	२,४०,७००	५४,१६९	२५·४६	१६·००	३७·१८	२५·९५	१०·६०	४·९८
सिंहभूम	४,५८,५६७	३,५५,१५८	१,०३,४०९	२२·३४	१८·६७	३३·९०	२६·१७	१०·२९	११·२७
समस्त विहार-राज्य	८४,७०,४२६	६९,०५,६४९	१५,६४,७७७	१८·२३	१२·१७	२९·६०	२०·४८	६·७७	३·७८

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की जन-संख्या

जिला	नगरों की संख्या		कुल जन-संख्या	ग्रामीण जन-संख्या	नागरिक जन-संख्या	नगरों में कुल जन-संख्या का प्रतिशत	
	१९६१	१९५१	१९६१	१९६१	१९६१	१९६१	१९५१
पटना	९	८	२९,४२,६१४	२३,५१,६४४	५,९०,९७०	२०·०८	१८·११
गया	१०	१०	३६,४७,२६८	३३,८२,३४०	२,६४,९२८	७·२६	७·०६
शाहाबाद	९	८	३२,२२,४७६	२९,९०,७१४	२,३१,७६२	७·१९	६·७२
सारन	६	५	३५,८५,५३१	३४,३५,५१३	१,५०,०१८	४·१८	४·००
चम्पारन	९	१०	३०,०९,८४१	२८,७०,५८९	१,३९,२५२	४·६३	४·१७
मुजफ्फरपुर	६	६	४१,१६,३२०	३९,२९,२४४	१,८७,०७६	४·५४	३·८५
दरभंगा	६	७	४४,२२,३६३	४२,३०,५०५	१,९१,८५८	४·३४	४·२५
मुँगेर	१३	१३	३३,८४,८९७	३०,०९,३५१	३,७५,५४६	११·०९	९·३८
भागलपुर	५	२	१७,१५,१२८	१५,२८,२११	१,८६,९१७	१०·९०	८·५४
सहरसा	६	—	१७,२२,५४९	१६,५५,०१५	६७,५३४	३·९२	—
पूर्णिया	८	४	३०,८७,४२८	२९,०१,५२३	१,८५,९०५	६·०२	४.२१
संतालपरगना	१०	७	२६,७४,३५४	२५,३१,७०७	१,४२,६४७	५·३३	४·१७
पलामू	५	३	११,८७,९१४	११,३१,६९७	५६,२१७	४·७३	३·७५
हजारीबाग	१०	८	२३,९४,३१७	२१,९२,४९९	२,०१,८१८	८·४३	६·८७
रांची	८	३	२१,३३,१८०	१९,३१,६२२	२,०१,५५८	९·४५	६·७७
धनबाद	१९	४	१९,५८,३६३	८,६८,०२२	२,९०,३४१	२५·०६	८·७७
सिंहभूम	११	१०	२०,५२,४९९	१६,०७,५०९	४,४४,९९०	२१·६८	१६·६६
बिहार-राज्य	१५०	१०८	४,६४,५७,०४२	४,२५,४७,७०५	३९,०९,३३१	८·४१	६·७७

जिलों एवं सबडिवीजनों के अनुसार: सन् १९६१ ई० में जन-संख्या और साक्षरता के आँकड़े

जिला और सबडिवीजन	परिवारों की संख्या	कुल जन-संख्या			साक्षर		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
पटना प्रमण्डल							
पटना जिला	४,७०,६२०	२९,४२,६१४	१५,२०,०१७	१४,८२,५९७	८,३४,७९६	६,५४,२७२	१,८०,५२४
पटना शहर	३२,८०२	१,८६,०८०	१,००,६२३	८८,४५७	७८,३४६	५५,०३६	२३,३१०
पटना सदर	९३,८२५	५,५५,५०९	२,९९,९३६	२,५५,५७३	२,०२,१७४	१,५२,४८६	४९,६८८
दानापुर	९७,५०५	६,१३,४३६	३,११,५२८	३,०१,९०८	१,५६,८७१	१,२७,६३७	३२,२३४
बाढ़	९६,४५५	६,०६,५५०	३,१०,४८८	२,९६,०६२	१,४८,८९७	१,२०,८०५	२८,०९२
बिहार	१,५०,०३३	९,७८,०३९	४,९७,४३२	४,८०,५९७	२,४५,५०८	१,९८,३०८	४७,२००
गया जिला	६,०५,७५४	३६,४७,२६८	१८,१९,५६१	१८,२७,७०७	७,०३,२१९	५,७५,८६६	१,२७,३५३
गया सदर	२,३७,७७४	१३,९३,५०३	६,९९,५२६	६,९३,९७७	२,६१,३४८	२,११,१४३	५०,२०५
नवादा	१,२१,८२७	७,४१,६४४	३,६२,०१५	३,७९,६२९	१,३०,५९२	१,०७,९४८	२२,६४४
जहानाबाद	१,०८,५८३	६,८३,१७२	३,४२,६७१	३,४०,५०१	१,५७,३१८	१,२७,९१३	२९,४०५
औरंगाबाद	१,३८,१७०	८,२८,९४९	४,१५,३४९	४,१३,६००	१,५३,९६१	१,२८,८६२	२५,०९९
शाहाबाद जिला	५,००,१२५	३२,२२,४७६	१६,२१,८३०	१६,००,६४६	६,९३,४८०	५,७८,०७१	१,१५,४०९
आरा	१,६२,७९७	१०,२४,१३१	५,०५,७३४	५,१८,३९७	२,३८,६९४	१,९७,८४८	४०,८४६
बक्सर	९७,८५९	६,४७,२९९	३,२५,१०९	३,२२,१८७	१,३५,४५४	१,११,२८१	२४,१७३
सहसराम	१,५२,४८१	१०,१८,९४९	५,२१,०८३	४,९७,८६६	२,२५,७६३	१,९०,५२७	३५,२२६
भभुआ	८६,९८८	५,३२,१००	२,६९,९०४	२,६२,१९६	९३,५६९	७८,४१५	१५,१५४

जिलों एवं सबडिवीजनों के अनुसार सन् १९६१ ई० में जन-संख्या और साक्षरता के आँकड़े (क्रमशः)

जिला और सब-डिवीजन	परिवारों की संख्या	कुल जन-संख्या			साक्षर		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
तिरहुत प्रमंडल							
सारन जिला	५,९७,५६०	३५,८५,५३१	१६,८२,०९८	१९,०३,४३३	६,५३,८६८	५,४५,९४१	१,०७,९४५
छपरा सदर	२,४०,१६३	१४,४७,९३४	६,७६,८९२	७,७१,०४२	२,९८,३१९	२,४८,००६	५०,३३१
सिवान	१,९७,४५९	१२,११,२९२	५,६३,२२०	६,४८,३७२	२,१५,१४८	१,७७,५१६	३७,६३२
गोपालगंज	१,५९,९३८	९,२६,००५	४,४१,९८६	४,८४,०१९	१,४०,४१९	१,२०,४१९	२०,०००
चम्पारन जिला	५,४६,०५३	३०,०९,८४१	१५,२०,१५४	१४,८९,६८७	३,९०,९०८	३,२४,६९०	६६,२१८
मोतीहारी सदर	३,०२,९२२	१६,८१,१६१	८,३८,५७६	८,४२,५८५	२,२४,५१०	१,८५,८७१	३८,६३९
बेतिया	२,४३,१३१	१३,२८,६८०	६,८१,५७८	६,४७,१०२	१,६६,३९८	१,३८,८१९	२७,५७९
मुजफ्फरपुर जिला	७,४०,०४४	४१,'६,३२०	२,०१४,७१०	२१,०१,६१०	७,०३,९७०	५,६७,८५०	१,३६,१२०
सीतामढी	२,६४,२३१	१३,८७,१८६	६,८४,९९१	७,०२,१९५	१,९२,७६५	१,५७,१७१	३५,५९४
मुजफ्फरपुर	२,८६,४०९	१५,९७,३३५	७,८१,५७०	८,१५,७६५	२,९१,५२१	२,३०,०७१	६१,४५०
हाजीपुर	१,८९,४०४	११,३१,७९९	५,४८,१४९	५,८३,६५०	२,१९,६८४	१,८०,६०८	३९,०७६
दरभंगा जिला	८,४३,४३८	४४,२२,३६३	२१,५०,०८१	२२,७२,२८२	७,४३,५६३	६,१२,१८३	१,३१,३८०
मधुबनी	३,१२,२४२	१६,०२,९०६	७,७९,३४४	८,२३,५६२	२,५३,५७९	२,१४,०६०	३९,५१९
दरभंगा सदर	२,४५,५५०	१२,५०,१०१	५,९९,३२४	६,५०,७७७	२,१२,५४०	१,७०,०२४	४२,५१६
समस्तीपुर	२,८५,६४६	१५,६९,३५६	७,७१,४१३	७,९७,९४३	२,७७,४४४	२,२८,०९९	४९,३४५

जिलों एवं सबडिवीजनों के अनुसार सन् १९६१ ई० में जन-संख्या और साक्षरता के आँकड़े (क्रमशः)

जिला और सबडिवीजन	परिवारों की संख्या	कुल जन-संख्या			साक्षर		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
भागलपुर-प्रमंडल							
मुंगेर जिला	६,१७,५१४	३३,८४,८९७	१७,०४,५२०	१६,८०,३७७	६,३३,६३०	५,११,६९७	१,२२,२३३
खगड़िया	१,२६,३४७	७,०५,३१२	३,६२,४७०	३,४२,८४२	१,०७,५२८	८९,७९७	१७,७३१
बेगूसराय	१,७८,३४४	९,५४,७२७	४,७३,१११	४,८१,६१६	१,७६,५३१	१,४१,७९३	३४,७३८
मुंगेर सदर	१,९३,१७४	१०,८७,२२६	५,५३,३५७	५,३३,८६९	२,५८,६९७	२,०२,५२७	५६,१७०
जमुई	१,१६,६४९	६,३७,६३२	३,१५,५८२	३,२२,०५०	९१,१७४	७७,५८०	१३,५९४
भागलपुर जिला	३,११,५२८	१७,१५,१२८	८,७८,१६६	८,३६,९६२	३,४१,६७८	२,७०,३५२	७१,३२६
भागलपुर सदर	१,८१,६३७	१०,२६,३५२	५,३१,१२६	४,९५,२२६	२,२९,७८८	१,७८,५२८	५१,२६०
बाँका	१,२९,८९१	६,८८,७७६	३,४७,०४०	३,४१,७३६	१,११,८९०	९१,८२४	२०,०६६
सहरसा जिला	३,१०,५१७	१७,२२,५४९	८,८६,०१५	८,३६,५३४	२,३६,७९०	२,०४,२१५	३२,५७५
सहरसा सदर	७६,४५२	४,१७,९७३	२,१३,१५८	२,०४,८१५	६२,४९०	५२,४९२	९,९९८
सुपौल	१,२०,१९९	६,६२,६५१	३,३९,९९०	३,२२,६६१	८७,६२६	७६,६३१	१०,९९५
मधेपुरा	१,१३,८६६	६,४१,९२५	३,३२,८६७	३,०९,०५८	८६,६७४	७५,०९२	११,५८२
पूर्णिया जिला	५,७६,७२९	३०,८७,४२८	१६,०५,८५६	१४,८१,५७२	४,८८,२४७	४,०६,४३३	८१,८१४
अररिया	१,४४,९४७	७,८०,४८१	४,०४,०८९	३,७६,३९२	१,२०,६५२	१,०१,६१७	१९,०३५
किशनगंज	९३,०४४	४,६०,५८९	२,४४,८९६	२,१५,६९३	७३,३३६	६२,५१५	१,८२१

जिलों एवं सबडिवीजनों के अनुसार सन् १९६१ ई० में जन-संख्या और साक्षरता के आँकड़े (क्रमशः)

जिला और सबडिवीजन	परिवारों की संख्या	कुल जन-संख्या			साक्षर		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
पूर्णिया सदर	१,७३,५६३	९,३९,८३२	४,८७,३९३	४,५२,४३९	१,४३,५७७	१,१९,९५९	२३,६१८
कटिहार	१,६५,१७५	९,०६,५२६	४,६९,४७८	४,३७,०४८	१,५०,६८२	१,२२,३४२	२८,३४०
संतालपरगना जिला	५,१३,४७६	२६,७४,३५४	१३,५१,५९८	१३,२२,७५६	३,४६,३१३	३,२२,३९०	६३,९२३
देवघर	८८,६६४	४,८२,११०	२,४६,३१५	२,३५,७९५	८८,५८२	७४,५५९	१४,०२३
दुमका	१,१७,८२५	६,११,६८३	३,०८,३०६	३,०३,३७७	८१,२८३	६७,९६८	१३,३१५
गोड्डा	९६,५४९	४,९६,९४३	२,४९,६२५	२,४७,३१८	६६,४५९	५९,६६	९,७९३
जामतारा	६०,०६७	३,२४,५०६	१,६३,७५४	१,६०,७५२	५१,५५३	४४,७४०	६,८१३
राजमहल	८२,२०२	४,१४,५२५	२,१०,१४०	२,०४,३८५	५८,९८०	४६,१२५	१२,८५५
पाकुड़	६८,१३९	३,४४,५८७	१,७३,४५८	१,७१,१२९	३६,४५६	२९,३३२	७,१२४
छोटानागपुर-प्रमंडल							
पलामू जिला	२,३१,९२१	११,८७,९१४	५,९९,७६४	५,८८,१५०	१,५९,११३	१,३५,५८४	२३,५२९
पलामू सदर	१,१४,३८७	५,८४,०९८	२,६५,५८०	२,८८,५१८	८८,५९६	७४,०२८	१४,५६८
गढ़वा	६९,३०६	३,५९,०६३	१,८०,९९०	१,७८,०७३	४२,०२१	३७,२८८	४,७३३
लातेहार	४८,२२८	२,४४,७५३	१,२३,१९४	१,२१,५५९	२८,४९६	२४,२६८	४,२२८
हजारीबाग जिला	४,३८,५२२	२,३६४,३१७	१२,०३,३१७	११,६१,०००	३,४६,१४५	२,९३,०७८	५३,०६७
हजारीबाग सदर	२,२०,९६१	१२,१७,८७७	६,१८,०५४	५,९९,८२३	१,८१,०३९	१,५२,५१२	२८,५२७

जिलों एवं सबडिवीजनों के अनुसार सन् १९६१ ई० में जन-संख्या और साक्षरता के आँकड़े (क्रमशः)

जिला और सबडिवीजन	परिवारों की संख्या	कुल जन-संख्या			साक्षर		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
चतरा	६०,६६०	३,२१,९८६	१,५८,९१२	१,६३,०७४	३३,०९७	२८,३३१	४,७६६
गिरीडीह	१,५६,८७१	८,५४,४५४	४,२६,३५१	४,२८,१०३	१,३२,००९	१,१२,३३५	१९,७७४
राँची जिला	४,०२,८४६	२१,३३,१८०	१०,७५,४७६	१०,५७,७०४	४,००,९५२	३,०७,१९९	९३,७८३
राँची सदर	१,६६,३११	८,९६,३९१	४,६१,३९९	४,३४,९९२	२,०२,२६०	१,५३,७१२	४८,५४८
खूँटी	८८,४२५	४,३६,४०५	२,१८,६१०	२,२०,७९५	६३,५५७	५२,०७३	११,४८४
गुमला	८८,५४२	४,८२,९४७	२,३९,१९६	२,४३,७५१	७४,४११	५८,२००	१६,२११
सिमडेगा	५६,५६८	३,१४,४३७	१,५६,२७१	१,५८,१६६	६०,७२४	४३,१८४	१७,५४०
धनबाद जिला	२,३३,६६२	११,५८,३६३	६,४७,३३५	५,११,०२८	२,६४,८६६	२,४०,७००	५४,१६६
धनबाद सदर	१,५४,७३४	७,४१,६०४	४,२४,४७१	३,१७,१३३	२,०७,२३७	१,६५,१५३	४२,०८४
बाघमारा	७८,९२८	४,१६,७५९	२,२२,८६४	१,९३,८९५	८७,६३२	७५,५४७	१२,०८५
सिंहभूम जिला	४,३०,०८७	२०,५२,४९९	१०,४७,६८०	१०,०४,८१९	४,५८,५६७	३,५५,१५८	१,०३,४०९
चाईबासा	१,६३,०२१	७,६५,०९०	३,७९,३११	३,८५,७७९	१,१९,२६१	९८,९३५	२०,३२६
धालभूम	१,८०,३२४	८,७६,५११	४,६२,५२२	४,१३,९८९	२,६६,४४०	१,९४,५१०	७४,६३०
सरायकेला	८६,७३२	४,१०,८९८	२,०५,८४७	२,०५,०५१	६९,८६६	६१,७१३	८,१५३
बिहार-राज्य	७७,०४,३९६	४,६४,५७,०४२	२,३३,२८,१७८	२,३१,२८,८६४	८४,७०,४२६	६९,०५,६४९	१५,६४,७७७

जलवायु और वर्षा

प्रमुख स्थानों का तापमान

(फेरेनहाइट के अंशों में)

प्रमुख स्थान	जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
पटना	९३ १	८१·३	९३·५	७५·७	९३·५	७५·५
गया	९४·१	८१·५	९५·०	७४·०	९५·००	७५·२
आरा	—	—	—	—	—	—
छपरा	—	—	—	—	—	—
मोतिहारी	—	—	—	—	—	—
मुजफ्फरपुर	—	—	—	—	—	—
दरभंगा	९२·१	८०·४	९४·६	७५·०	९६·०	७५·५
भागलपुर	९३·२	८६·२	९४·२	७२·८	९५·५	७३·६
पूर्णिया	९०·९	७९·७	९३·०	७४·३	९४·३	७३·२
दुमका	९२·४	७९·७	९३·०	७२·८	—	—
हजारीबाग	८७·२	७४·८	९२·२	७०·८	९१·४	६९·६
रॉंची	८५·६	७४·१	८९·६	६९·५	८८·८	७०·०
डालटनगंज	९३·५	७९·३	१०१·०	७३·१	९५·०	७४·०
चाइबासा	९०·१	७८·२	९५·०	७५·३	९५·०	७४·०

प्रमुख स्थानों की आर्द्रता

(अंशों मे)

प्रमुख स्थान	जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
	८-३० प्रातः	५-३० सध्या	८-३० प्रातः	५-३०सध्या	८-३०प्रातः	५-३०संध्या
पटना	७७	७१	८६	८३	७४	७६
गया	७५	६९	८४	७८	८८	८७
आरा	—	—	—	—	—	—
छपरा	—	—	—	—	—	—
मोतिहारी	—	—	—	—	—	—
मुजफ्फरपुर	—	—	—	—	—	—
दरभंगा	८३	७६	९०	८६	८२	७७
भागलपुर	७८	७३	८७	८१	८३	७९
पूर्णिया	८४	८१	८८	८८	८०	८३
दुमका	८०	७९	८१	८६	—	—
हजारीबाग	८५	७७	८८	८२	८७	८५
रॉंची	८८	८४	८८	८५	८९	८४
डालटनगंज	७७	७१	८०	७५	७४	७८
चाइबासा	८३	७६	८१	७८	८४	८१

प्रमुख स्थानों की वर्षा

(इंचों में)

प्रमुख स्थान	जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
	साधारण	वास्तविक	साधारण	वास्तविक	साधारण	वास्तविक
पटना	११'५८	६'२०	१३'०६	६'२६	८'६१	७ ८४
गया	१३'२१	८'००	१३'७५	१०'६८	७'५०	७'६५
आरा	१३'०२	६'७६	१२'५७	१५'४६	८'१६	६'०४
छपरा	१२'०७	५'७६	११'२८	१५'८५	७'४८	५'७५
मोतिहारी	१५'००	—	१२'६७	—	६'०५	—
मुजफ्फरपुर	१२'७८	—	१२'५६	—	८'६५	—
दरभंगा	१२'१२	७'६०	१३'५१	२३'६६	६'२४	८'८
भागलपुर	—	५'३०	११ २४	१२'६६	८ ८३	८'३७
पूर्णिया	१४'३२	७ ८४	१३ १५	२८'७८	११ ६०	१४ ८१
दुमका	१३'८२	१४'१६	१२'६४	२४'७६	६'५६	—
हजारीबाग	१३'०३	११'०८	१३'२१	१३'५६	८'६४	१३'६४
राँची	१५'४५	१६'६६	१३'८४	६'६३	६'३०	१३'४७
डालटनगंज	१३'४०	२१'०१	१३'५१	६'३३	७'१४	१०'६७
चाइबासा	१३'११	१३'६१	१२ २४	४'७६	७'६१	१०'०५

★

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और पिछड़ा वर्ग

जगलों और पहाड़ों मे रहनेवाली जातियों को, जिन्हें आदिम जाति भी कहा जाता है, भारतीय संविधान में 'अनुसूचित जन-जाति' कहा गया है। हिन्दू-समाज में जिन्हें अछूत कहा जाता था, उन्हे संविधान मे 'अनुसूचित जाति' कहा गया है। उससे ऊपर किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि तथाकथित ऊँची जातियों से नीचे की श्रेणी के लोगों को 'पिछड़ा वर्ग' कहा गया है। इन तीन श्रेणियों में कौन-कौन जातियाँ गिनाई गई हैं, यह नीचे दिया जाता है—

अनुसूचित जातियो के नाम (सविधान-आदेश १६५० के अनुसार)

(१) बौरी, (२) बंटार, (३) भोगता, (४) चमार, (५) चौपाल, (६) धोबी, (७) डोम (डोंगर-सहित), (८) दुसाध (ढाढ़ी-सहित), (६) घासी, (१०) हलालखोर, (११) हारी (मेहतर-सहित), (१२) कंजर, (१३) कुररियार, (१४) लालबेगी, (१५) मोची, (१६) मुसहर, (१७) नट, (१८) पन, (१६) पासी, (२०) रजवार, (२१) तूरी—सारे बिहार-प्रदेश में।

(२२) भूमिज—पटना और तिरहुत कमिश्नरी तथा मुँगेर, भागलपुर, पूर्णिया और पलामू जिले में।

(२३) भुइयाँ— पटना-कमिश्नरी और पलामू जिले में।

(२४) दबगर—शाहाबाद जिले में।

अनुसूचित जन-जातियों के नाम (संविधान-आदेश, १६५० के अनुसार)

(१) असुर, (२) बैगा, (३) बथूडी, (४) बेदिया, (५) बिझिया, (६) बिरहोर, (७) बिरजिया, (८) चेरो, (६) चिक बरैक, (१०) गोंड, (११) गोरैत, (१२) हो, (१३) कुरमाली, (१४) खरिया, (१५) खरवार, (१६) खोंड, (१७) किसान, (१८) कोड़ा, (१६) कोरवा, (२०) लाहरा, (२१) माहली, (२२) माल-पहड़िया, (२३) मुण्डा, (२४) ओरॉंव, (२५) पढ़ैया, (२६) संताल (२७) सौरिया-पहाड़िया, (२८) सवर--सारे बिहार-राज्य में, (२६) भूमिज—संताल-परगना, हजारीबाग, रॉंची, पुरुलिया, धनबाद और सिंहभूम जिलों में।

पिछड़े वर्ग की जातियाँ

(१) बारी, (२) बनपर, (३) बेलदार, (४) भठियारा (मुसलमान), (५) मेढ़िहर, (६) भुइयाँ, (७) बिन्द, (८) चिक, (मुसलमान), (६) डफाली (मुसलमान), (१०) धानुक, (११) धुनिया (मुसलमान), (१२) गोढी (छवि), (१३) हजाम, (१४) कहार, (१५) कसाव (कसाई मुसलमान), (१६) केवट (क्योट), (१६-अ) खटिक, (१७) माली (मालाकार), (१८) मल्लाह (सुरहिया-सहित), (१६) मदारी (मुसलमान), (२०) मिरियासिन (मुसलमान), (२१) नट (मुसलमान), (२२) नोनिया, (२३) पमरिया (मुसलमान), (२४) शेखरा, (२५) तँतिस (ततवा), (२६) तुरहा—सारे बिहार-राज्य में।

(२७) अघोरी, (२८) चाईं—पटना जिले में।

(२६) अघोरी, (३०) चाईं, (३१) कलन्दर (नवादा में), (३२) मुरियारी—गया जिले में।

(३३) अघोरी, (३४) चाईं, (३५) कोरकू, (भभुआ में)—शाहाबाद जिले में।

(३६) अघोरी, (३७) चाईं, (३८) धामिन, (३६) गन्धर्व, (४०) कलन्दर (सिवान में), (४१) खतवे—सारन जिले में।

(४२) अघोरी, (४३) चाईं (४४) धामिन, (४५) गन्धर्व, (४६) खतवे, (४७) भंगर, (४८) थारू—चम्पारन जिले में।

(४६) अघोरी, (५०) चाईं, (५१) धामिन, (५२) गन्धर्व, (५३) खतवे—मुजफ्फरपुर जिले में।

(५४) अघोरी, (५५) चाईं, (५६) धामिन, (५७) धीमर, (५८) गन्धर्व, (५६) खतवे, (६०) मेदारा—दरभंगा जिले में।

(६१) बेदिया, (६२) चाईं, (६३) गन्धर्व, (६४) गगोता (गगोला), (६५) कादर, (६६) नैया, (६७) तीअर—भागलपुर जिले में।

(६८) बेदिया, (६६) चाईं, (७०) गंगोता (गंगोला), (७१) नैया, (७२) तीअर—मुंगेर जिले में।

(७३) अबदल, (७४) बेदिया, (७५) चाईं, (७६) गगै (किशनगंज में), (७७) गगोता (गंगोला), (७८) कैवर्त्त (किशनगंज में), (७६) कोछ, (८०) नमः शूद्र (चाडाल), (८१) नैया, (८२) तीअर—पूर्णिया जिले में।

(८३) बंजारा, (८४) बेदिया, (८५) चाईं (८६) चपोटा, (८७) ढेकारू (दुमका में) (८८) गंगोता (गंगोला), (८९) जदुपतिया, (९०) कादर, (९१) खेलटा, (९२) कोनाई, (९३) कुमार भाग, (९४) पहाड़िया (राजमहल और पाकुर में), (९५) मार्कण्डे, (९६) मुरियारी, (९७) नैया, (९८) तीअर—संताल-परगने में।

(९९) भार, (१००) भुईंहार, (१०१) धनवार, (१०२) गोरैत, (१०३) गुलगुलिया, (१०४) कवार, (१०५) खेतौरी, (१०६) मझवार, (१०७) मालर (मलहोर), (१०८) प्रधान, (१०९) पहिरा, (११०) पराडो, (१११) पनगनिया, (११२) सौंता (सौता), (११३) तमरिया—राँची जिले में।

(११४) भार, (११५) भुइंहार, (११६) धनवार, (११७) गुलगुलिया, (११८) कवर, (११९) खेतौरी, (१२०) मझवार, (१२१) मालर (मलहोर), (१२२) प्रधान, (१२३) तमरिया—हजारीबाग जिले में।

(१२४) बागदी, (१२५) भार, (१२६) भुइंहार, (१२७) धनवार, (१२८) गुलगुलिया, (१२९) कैवर्त्त, (१३०) कवर, (१३१) खेतौरी, (१३२) मझवार, (१३३) मालर (मलहोर), (१३४) मौलिक, (१३५) प्रधान, (१३६) पहिरा, (१३७) तमरिया—मानभूमि जिले में।

(१३८) अगरिया, (१३९) भार, (१४०) भास्कर, (१४१) भुइंहार, (१४२) धनवार, (१४३) गुलगुलिया, (१४४) कवर, (१४५) खेतौरी, (१४६) मझवार, (१४७) मालर (मलहोर), (१४८) प्रधान, (१४९) तमरिया—पलामू जिले में।

(१५०) भार, (१५१) भुइंहार, (१५२) धनवार, (१५३) गुलगुलिया, (१५४) कौरा, (१५५) कवर, (१५६) खेतौरी, (१५७) मझवार, (१५८) मालर (मलहोर), (१५९) प्रधान, (१६०) सौंता (सौता), (१६१) तमरिया—सिंहभूम जिले में।

सन् १९५१ ई० में बिहार के अन्दर अनुसूचित जातियों की संख्या ५०,५७,८१२; अनुसूचित जन-जातियों की संख्या ४०,४९,१८३; पिछड़े वर्ग की संख्या ६२,७६,४४५ और गैर-पिछड़ा वर्ग (ऊँची जातियों) की संख्या २,४८,४२,५०७ थी।

नवम्बर, १९५६ ई० में १४,४२,१६९ जन-संख्यावाला बिहार का कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिल जाने के कारण उपर्युक्त संख्या में कमी हुई है।

अनुसूचित क्षेत्र

पिछड़े क्षेत्रों को उठाने के लिए खास-खास क्षेत्र चुनकर उनकी सूची बनाई गई है। भारतीय संविधान-आदेश, सन् १९५० ई० के अनुसार बिहार में उन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार इस प्रकार है—

राँची जिला	७,१५९	वर्गमील
संतालपरगना (गोड्डा और देवघर सबडिवीजन छोड़कर)....	३,६७८	,,
लातेहार सबडिवीजन (पलामू जिला)	१,६५५	,,
सिंहभूम जिला (धालभूम सबडिवीजन छोड़कर)	२,७४५	,,
	१५,२२७	

सन् १९५६ ई० में राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार पुराने मानभूम जिले के तीन क्षेत्र सिंहभूम में मिलाये जाने से सिंहभूम जिले की उपर्युक्त संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। यह अनुसूचित क्षेत्र बिहार के कुल क्षेत्र का करीब २२वाँ भाग है।

बौद्ध और जैन स्मारक

बौद्ध स्मारक

बिहार के साथ भगवान् बुद्ध का बड़ा ही घनिष्ठ एवं पुनीत सम्बन्ध रहा है। यहीं बोधि-वृक्ष के नीचे उन्हें दिव्य ज्ञानालोक प्राप्त हुआ था। उनके शिष्यों में सब वर्ग के लोग राजा से कृषक तक बिहार के ही थे।

बोधगया

बौद्धधर्मावलम्बियों के लिए बोधगया पवित्रतम तीर्थ-स्थान है। स्वयं भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से कहा था कि चार पवित्रतम तीर्थों में से बोधगया अन्यतम है। यहाँ वह बोधिवृक्ष है, जिसके नीचे भगवान् ने चरम ज्ञानालोक की उपलब्धि की थी। बोधिवृक्ष के पार्श्व में महाबोधि-मन्दिर है, जो भगवान् के भक्तों के लिए सर्वाधिक पूजा की वस्तु है। स्थापत्य-कला की दृष्टि से भी यह मन्दिर उत्कृष्ट है।

बोधगया के कुछ तीर्थस्थान निम्नलिखित हैं —

वज्रासन—बोधिवृक्ष के नीचे का वह प्रस्तर का आसन, जिसपर बैठकर बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था।

अनिमेष-चैत्य—वह स्थान जहाँ पर खड़े होकर भगवान् बुद्ध ने अपलक दृष्टि से बोधिवृक्ष को देखा था।

चंक्रमण चैत्य—जहाँ ध्यानस्थ होकर सात दिनों तक भगवान् बुद्ध ने पाद-चारण किया था।

रत्नागार-चैत्य—जहाँ आसीनावस्था में उनके शरीर से श्वेत नील, रक्त, पीत, श्वेत एवं नारंगी रंग की किरणें प्रस्फुटित हुई थी।

राजगीर

वर्षाकाल में कुछ वर्षों तक भगवान् बुद्ध यहाँ रहे थे। उस समय यहाँ मगध का राजा बिम्बिसार की राजधानी थी। राजगीर इस समय भी अपने उष्ण जल के कुंडों के कारण प्रसिद्ध है। राजगीर के कुछ पवित्र स्थल इस प्रकार हैं—

वेणुवन—राजा बिम्बिसार ने भगवान् बुद्ध के निवास के लिए यहाँ एक मठ बनवाया था। सारिपुत्त और मोग्गलायन को इसी मठ में भगवान् ने दीक्षा दी थी।

सप्तपर्णी गुहा—बुद्ध के महानिर्वाण के बाद प्रथम बौद्धधर्म-परिषद् यहीं बैठी थी।

पिप्पली गुहा—चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख किया है। यह तपोनिष्ठ योगियों का समागम-स्थल था। अर्हतों ने यहाँ बैठकर ध्यान-धारणा की थी। महास्थविर महाकाश्यप बहुत दिनों तक इस गुहा में रहे थे।

गृद्धकूट-पर्वत—अपने राजगृह के प्रवास-काल में भगवान् बुद्ध ने इस पहाड़ी को आवास के लिए चुना था।

मनियार-मठ—यहाँ के भवनों के अवशेषों से यह पता चलता है कि राजगृह और बोधगया के बीच यह एक मठ का स्थल था।

नालंदा

बौद्धधर्म से सम्बन्धित पवित्र स्थानों मे नालंदा का स्थान महत्त्वपूर्ण है। यहाँ के एक आम्रकुंज मे बुद्ध कुछ समय तक ठहरे थे। बाद में चलकर यहाँ एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चीनी यात्री ह्वेनसाग ने कई वर्षों तक यहाँ रहकर अध्ययन किया था। उस महान् विश्वविद्यालय के विशाल ध्वंसावशेष और उसके प्राङ्गण मे अवस्थित उच्च स्तूप नालंदा की अतीतकालीन महिमा की याद दिलाते हैं। पालि भाषा एवं बौद्धधर्म-सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन एवं शोध के लिए सरकार ने यहाँ 'नव नालंदा-महाविहार' नाम से एक संस्थान की स्थापना की है।

वैशाली

वैशाली भी एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। बुद्ध ने एकाधिक बार इस स्थान का परिदर्शन किया था। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वे यहाँ थे और यहीं से कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया था। प्रस्थान करते समय अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा था 'आनन्द, यह मेरा प्रिय नगर है।' वैशाली के नागरिकों को स्मृति-चिह्न के रूप मे उन्होंने अपना भिक्षापात्र दिया था। यहां पास के एक वन में कूटागारशाला नामक एक मठ था, जहाँ बुद्ध ने अवस्थान किया था। वैशाली की नगरवधू अम्बपाली ने, जो पीछे चलकर उनकी शिष्या हो गई, उनके लिए यहाँ एक मठ निर्मित कराया था।

अशोक-स्तम्भ—यह कोल्हुआ गांव मे अवस्थित है।

रामकुण्ड—यह एक छोटा-सा पोखरा है। कहा जाता है कि भगवान् बुद्ध के व्यवहार के लिए बंदरों ने इसे खोदा था।

स्तूप—वैशाली मे दो उल्लेखनीय स्तूप हैं। पहला स्तूप ईसवी सन् पूर्व पाँचवीं शती मे और दूसरा उसके १५० वर्ष बाद निर्मित हुआ था। खुदाई मे स्तूप के नीचे से सैलखड़ी की एक मजूषा निकली है, जिसके सम्बन्ध में विश्वास किया जाता है कि कुशीनगर से बुद्ध के जो शरीरावशेष लाये गये थे, वे इसी मंजूषा मे थे।

विक्रमशिला

भागलपुर जिले में पथरघट्टा को प्राचीन विक्रमशिला के रूप में पहचाना गया है। पाल-वंश के राजाओं के समय में यहाँ एक वृहत् विश्वविद्यालय था।

अन्य स्थान

बराबर पहाड़ की गुफाएँ और लौरिया-अरेराज, लौरिया-नन्दनगढ़ तथा रामपुरवा के अशोक-स्तम्भ विहार के बौद्धधर्म-सम्बन्धी स्थलों में उल्लेखनीय हैं।

जैन स्मारक

वैशाली

यह जैनधर्म के चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर की जन्मभूमि है। यहाँ उनकी जन्म-तिथि के अवसर पर एक महोत्सव होता है। यहाँ जैनधर्म एवं साहित्य के अनुसंधान के लिए एक प्राकृत, जैनशास्त्र और अहिंसा-शोध-संस्थान की स्थापना हुई है, जिसका कार्यालय इसके निजी भवन बन जाने तक के लिए मुजफ्फरपुर में रखा गया है। यहाँ समस्त भारत के जैनधर्मावलम्बी तीर्थ के लिए आते हैं।

पावापुरी

जैनधर्म के चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। यहाँ दो मंदिर हैं—एक जल-मन्दिर दूसरा स्थल-मंदिर। कहा जाता है कि जहाँ भगवान् महावीर की मृत्यु हुई थी, वहाँ स्थल-मंदिर और जहाँ उनका दाह-संस्कार किया गया था, वहाँ जल-मंदिर हैं। जल-मंदिर एक तालाब के अन्दर है। पावापुरी का पुराना नाम 'अपापापुरी' बताया जाता है।

पारसनाथ

हजारीबाग जिले के दक्षिण-पूरब कोने पर यह एक पहाड़ी है, जिसकी ऊँचाई ४,४८१ फुट है। यह जैनों का एक प्रधान तीर्थ-स्थान है। कहते हैं कि जैनों के तेईसवें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ ने अपने पूर्ववर्त्ती ६ तीर्थङ्करों के समान इसी पहाड़ी पर अपने तीस साथियों के साथ उपवास करते हुए कैवल्य प्राप्त किया था। यहाँ अनेक जैनमंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर पर सन् १७६५ ई० अंकित है।

भागलपुर

यहाँ जैनधर्म के बारहवें तीर्थङ्कर वासुपूज्य का जन्म हुआ था। इस समय यहाँ जैनों के दो सुन्दर मन्दिर हैं, जिनमें एक १६वीं सदी के प्रसिद्ध वणिक् जगतसेठ का बनवाया हुआ है।

शिक्षा की प्रगति

बिहार-प्रान्त में सन् १६०० ई० में ५ कॉलेज थे—पटना-कॉलेज, पटने का बी० एन० (बिहार नेशनल) कॉलेज, भागलपुर का तेजनारायण जुबली कॉलेज (अब तेजनारायण बनैली कॉलेज) मुजफ्फरपुर का ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज (अब लंगटसिंह कॉलेज) और हजारीबाग का सेएट कोलम्बा कॉलेज। ये सभी डिग्री कॉलेज थे। सन् १६१० में आकर कॉलेजों की संख्या ८ हुई। इस बीच मुँगेर में एक इएटरमिडियट तथा पटना में एक लॉ और एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। उन दिनों कॉलेजों में बहुत थोड़े लड़के होते थे। सन् १६११-१२ ई० में बिहार-उड़ीसा के अन्दर आर्ट और साइन्स में युनिवर्सिटी की डिग्री लेनेवालों की संख्या केवल ८६ थी। उन दिनों इस प्रान्त के सभी स्कूल-कॉलेज कलकत्ता-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे।

सन् १६१२ ई० में बिहार-उड़ीसा प्रान्त बंगाल से अलग किया गया और नवम्बर सन् १६१७ ई० में पटना-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तबसे यहाँ की शिक्षा में कुछ अधिक प्रगति हुई। सन् १६२० ई० में एक और इएटरमिडिएट कॉलेज खुलने से प्रान्त के

कॉलेजों की संख्या ६ हुई। सन् १६३० ई० में कुल १३ कॉलेज हुए। इनमें ८ आर्ट्स और साइन्स के कोलेज तथा ५ टेक्निकल कॉलेज थे। टेक्निकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा साइन्स कॉलेज नये खुले थे। सन् १६४० ई० तक कॉलेजों की संख्या १६ हुई; क्योंकि इस बीच आर्ट्स और साइन्स के ३ और कॉलेज खुले थे। इसके बाद के दस वर्षों में कॉलेजों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी, इससे सन् १६५० ई० में स्वीकृत कॉलेजों की संख्या ४० हुई। इनमें ३४ डिग्री कॉलेज और ६ इण्टरमीडियट कॉलेज थे। डिग्री कॉलेजों में २४ आर्ट्स और साइन्स के तथा १० टेक्निकल कॉलेज थे।

सन् १६१२ ई० में बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेजों के छात्रों की संख्या केवल १,४३० थी। पटना युनिवर्सिटी के खुलने पर सन् १६१७ ई० में यह संख्या २,५७५ तक पहुँची। सन् १६५१-५२ में केवल बिहार के कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की संख्या २८,८०६ थी।

प्रारम्भ मे कॉलेजों के अन्दर प्रायः छात्राएँ नहीं रहती थीं। सन् १६२२ ई० मे बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेज की छात्राएँ केवल १२ थीं; पर सन् १६३१-३२ ई० मे १४; सन् १६३४ ३५ ई० मे २२; सन् १६३६-४० ई० मे १२७ और सन् १६४०-४१ ई० में १६२ हुईं। सन् १६४२-४३ ई० मे आकर कॉलेज की छात्राओं की संख्या २३५ हो गई। सन् १६५१-५२ ई० में केवल बिहार के कॉलेजों मे ही छात्राओं की संख्या लगभग एक हजार तक पहुँची।

सन् १६५२ ई० में बिहार मे दो विश्वविद्यालय हो गये—पटना-विश्वविद्यालय और बिहार-विश्वविद्यालय। इनका सम्बन्ध केवल कॉलेजों से रहा, हाई स्कूलों से नहीं। पटना-विश्वविद्यालय मे केवल पटना-कारपोरेशन-क्षेत्र के कॉलेज रह गये। इस विश्वविद्यालय के काम शिक्षण और परीक्षण दोनो थे। बिहार के शेष कॉलेज बिहार-विश्वविद्यालय के अन्दर रखे गये। बिहार-विश्वविद्यालय का कार्यालय भी पटना मे रहा। सन् १६६० ई० में एक नया अधिनियम पारित करके पटना तथा बिहार-विश्वविद्यालयो के स्थान पर चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालय पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राँची मे आयोजित किये गये। चारों क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के सभी महाविद्यालयों मे तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग द्वारा अनुमोदित खर्च के राज्य-सरकार के हिस्से का ५० प्रतिशत अनावर्त्तक अनुदान भी स्वीकृत कर दिया गया है। द्वितीय योजना-काल में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या ५५ से बढ़कर १२४ हो गई है। इनके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत ६३ विश्वविद्यालय-विभाग, १८ व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक महाविद्यालय एवं ६ शोध-संस्थान चल रहे हैं। इन सब महाविद्यालयों मे कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या गत पाँच वर्षों मे ४८ हजार से बढ़कर ६० हजार के लगभग हो गई है। इस अवधि में केवल विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या ६ हजार से बढ़कर २१ हजार के लगभग हुई है। द्वितीय योजना-काल मे एक गैरसरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक (कान्स्टिट्यूएण्ट) महाविद्यालय के रूप में तथा पाँच गैर-सरकारी महाविद्यालयों को घाटा-अनुदान महाविद्यालयों में परिणत किया गया है।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए विश्वविद्यालय-विभागों और महा-विद्यालयों में प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों का विस्तार, छात्रों के लिए छात्रावास तथा शिक्षकों के लिए आवास-गृह-निर्माण की व्यवस्था, गरीब तथा मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाएँ, नटयूटोरियल्स की आयोजना इत्यादि योजनाएँ, जो द्वितीय योजना मे चालू की गईं, वे सभी विस्तृत रूप में तृतीय-योजना में चालू रखी जायेंगी। तृतीय योजना में विज्ञान की पढाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। अभी विज्ञान पढ़नेवाले छात्रों की संख्या समस्त छात्रों की संख्या का २३·६ प्रतिशत है। तृतीय योजना काल में इसे बढाकर कम-से-कम ३० प्रतिशत कर देने का विचार है। ये विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग की सहायता प्राप्त की जायगी।

बिहार की विभिन्नवर्गीय शिक्षा-संस्थाओं और यहाँ के शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों की संख्या सन् १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ ई० में इस प्रकार थी—

(१) शिक्षा-संस्थाओं की संख्या

संस्थाएँ	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
विश्वविद्यालय	२	२	२
अनुसंधान-संस्थाएँ	३	३	४
समान्य शिक्षा के महाविद्यालय	५४	५५	६५
व्यावसायिक शिक्षा के महाविद्यालय	२५	२७	२७
विशिष्ट शिक्षा के महाविद्यालय	३	७	७
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	—	—	—
उच्च विद्यालय	९४८	१,०१२	१,०७७
बुनियादी-उत्तर विद्यालय	१५	२१	२३
माध्यमिक विद्यालय	२,७०१	२,७६०	२,९०२
उच्च बुनियादी विद्यालय	६२०	६१९	६५४
प्राथमिक विद्यालय	२८,०५१	२८,०२८	२८,४१०
लघु बुनियादी विद्यालय	१,४९८	१,६५७	२,००१
शिशु-विद्यालय	४	७	९
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय	१७५	१६८	१९०
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालय	५,२९२	६,२३३	६,७७०
जोड़—	३९,३९१	४०,६००	४२,१६४
अस्वीकृत संस्थाएँ	९७३	९३१	८८४
कुल जोड	४०,३६४	४१,५३१	४३,०४८

(२) छात्रों की संख्या

संख्या	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
विश्वविद्यालयीय विभागों में	२,४५८	३,२००	३,४४६
अनुसन्धान-संस्थाओं में	७४	१००	९८
सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में	४०,०२६	४७,४२०	५७,१०८
व्यावसायिक शिक्षा के महाविद्यालयों में	७,४०६	८,१८५	६,१४८
विशिष्ट शिक्षा के महाविद्यालयों में	१३२	४०६	४२५
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों मे	—	—	४,४१४
उच्च विद्यालयों में	२,७५,५२२	३,००,१७५	३,२०,३०६
बुनियादी-उत्तर (पोस्ट बेसिक) विद्यालयों में	२,२०४	२,६५८	३,५०८
माध्यमिक विद्यालयों में	३,३३,३८३	३,५०,९१९	३,७८,४५२
उच्च बुनियादी विद्यालयों में	८४,२२१	८६,६३६	९०,४८१
प्राथमिक विद्यालयों में	१५,१३,४२३	१५,५६,३७०	१५,७८,४१०
लघु बुनियादी विद्यालयों में	८७,७८७	९७,६२२	१,१४,९०४
शिशु-विद्यालयों में	१९१	३८३	४९४
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में	१५,३१४	१४,७८९	१६,७६०
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालयों मे	२,०४,४४८	२,५३,२७५	२,६७,५०६
जोड़—	२५,६६,५८६	२७,२२,७४४	२८,४५,४६३
अस्वीकृत संस्थाओं में—	४७,९७८	४५,५३५	४४,५९४
कुल जोड़	२६,१७,५६७	२७,६८,२७९	२८,९०,०५७

(३) स्वीकृत तथा अस्वीकृत विद्यालयों में उपस्थित लड़के-लड़कियों की प्रतिशत संख्या—

लड़के	१०'३४	११'१९	११'३१
लड़कियो	१'७७	२'०६	२'२०
औसत जोड़	६'०८	६'६६	६'७९

(४) लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा—

संस्थाएँ	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
लड़कियों तथा महिलाओं की स्वीकृत संस्थाओं की संख्या ...	३,२५४	३,६०६	३,६८८
लड़के तथा लड़कियों की सभी प्रकार की स्वीकृत संस्थाओं मे लड़कियों की संख्या ...	३,६८,४३६	४,१३,१८३	४,५०,६७६
महिला छात्राओं की प्रतिशत संख्या	१'७३	२'०५	२'१६
लड़कियों तथा महिलाओं की अस्वीकृत संस्थाओं की संख्या	६८	१०३	६६
लड़के तथा लड़कियों की अस्वीकृत संस्थाओं में लड़कियों तथा महिलाओं की संख्या ..	४,१५६	५,३५६	५,८६१

(५) शिक्षकों की संख्या

	१९५५-५६ कुल शिक्षक	१९५५-५६ प्रशिक्षित शिक्षक	१९५६-५७ कुल शिक्षक	१९५६-५७ प्रशिक्षित शिक्षक	१९५७-५८ कुल शिक्षक	१९५७-५८ प्रशिक्षित शिक्षक
(१) स्वीकृत संस्थाएँ—						
विश्वविद्यालयीय विभागों में	१४६	—	१५८	—	२०८	—
अनुसन्धान-संस्थाओं में	२१	—	२४	—	२५	—
सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में	१,४९९	—	१,७१२	—	१,९८०	—
व्यावसायिक शिक्षा के महाविद्यालयों में	५६७	—	६३१	—	७०८	—
विशिष्ट शिक्षा के महाविद्यालयों में	१८	—	७०	—	७३	—
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	१०,९८०	४,११६	११,८२२	४,३७६	१२,८५५	४,८६५
बुनियादी-उत्तर (पोस्ट बेसिक) विद्यालयों में	१४२	१३९	१९३	१६५	२३९	१९३
माध्यमिक विद्यालयों में	१४,४७२	५,५२५	१४,३६८	४,८०८	१५,०३५	६,६३२
उच्च बुनियादी विद्यालयों में	४,०६३	३,६६१	४,०७६	३,७४४	५,२२०	३,९१५
प्राथमिक विद्यालयों मे	४६,२५०	२८,५६४	४५,८२६	२६,३५८	५६,४०६	३१,६२६
लघु बुनियादी विद्यालयों में	३,२५५	२,४११	३,३९१	२,६१०	३,९५३	३,१९८
शिशु-विद्यालयों में	८	७	१८	१५	२१	१४
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में	७६१	—	८४०	—	९९९	—
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालयों में	१,६६०	—	१,७१०	—	१,७८५	—
(२) अस्वीकृत संस्थाएँ—						
प्राथमिक विद्यालयों में	३६६	११	३८९	२२	३५३	४०
माध्यमिक विद्यालयों में	५५५	९३	४६०	९५	४४६	१०३
उच्च विद्यालयों मे	१,७३८	३४३	१,५६१	३५०	१,७३१	३६६
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में	६	—	५	—	४	—
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालयों में	८	—	—	—	१	—

पटना-विश्वविद्यालय

पटना-विश्वविद्यालय में एम० ए० के लिए स्वीकृत विषय इस प्रकार है—

विषय	विषय	विषय
१. प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व	१२. दर्शन शास्त्र	२३. साख्यिकी
२. अरबी	१३. राजनीति-विज्ञान	२४. यंत्र-विज्ञान
३. बंगाली	१४. फारसी	२५. शरीर-रचना-शास्त्र
४. अँगरेजी	१५. संस्कृत	२६. औषधि-विज्ञान
५. अर्थशास्त्र	१६. समाजशास्त्र	२७. धात्री तथा स्त्री-रोग-शास्त्र
६. भूगोल	१७. उर्दू	२८. चक्षु तथा कान के रोग
७. हिन्दी	१८. वनस्पति-शास्त्र	२९. रोग-विज्ञान
८. इतिहास	१९. रसायन-शास्त्र	३०. भेषज-विज्ञान
९. श्रम तथा समाज-कल्याण	२०. भूगर्भशास्त्र	३१. शरीर-विज्ञान
१०. मैथिली	२१. गणित	३२. शल्य-चिकित्सा-विज्ञान
११. मनोविज्ञान	२२. भौतिक शास्त्र	३३. शिक्षा
		३४. व्यावहारिक अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य ।

पटना-विश्वविद्यालय के अधीन पटना में एक संगीत-विद्यालय, एक मनोवैज्ञानिक अनुसधान-प्रतिष्ठान और एक सार्वजनिक शासन-प्रतिष्ठान हैं।

पटना जिला

स्थानीय महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. पटना कॉलेज	१८६३ ई०	एम० ए० तथा एम० कॉम०
२. बी० एन० (बिहार नेशनल) कॉलेज, पटना	१८८९ ई०	बी० ए० तथा बी० एस-सी०
३. ट्रेनिंग कॉलेज, पटना	१९०८ ई०	डिप-इन-एड० तथा एम० एड०
४. लॉ कॉलेज, पटना	१९०९ ई०	बी० एल० तथा एम० एल०
५. बिहार इञ्जीनियरिंग कॉलेज, पटना	१९२४ ई०	बी० एस-सी० (इञ्जी०)
६. मेडिकल कॉलेज, पटना	१९२५ ई०	एम० बी० बी० एस०
७. साइन्स कॉलेज, पटना	१९२७ ई०	एम० एस-सी०
८. वीमेन्स कॉलेज, पटना	१९४० ई०	बी० ए०
९. मगध-महिला-कॉलेज, पटना	१९४६ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी०

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१०. महिला ट्रेनिंग कॉलेज, पटना	१६५० ई०	डिप-इन-एड०
११. नालंदा कॉलेज, बिहारशरीफ	१६२० ई०	बी० ए० तथा बी० एस-सी
१२. बिहार वेटेरिनरी कॉलेज, पटना	१६३० ई०	बी० एस-सी० तथा ए० एच०
१३. अनुग्रहनारायणसिंह कॉलेज, बाढ	१६५१ ई०	बी० ए० तथा बी० एस-सी०
१४. कॉलेज ऑफ् कॉमर्स, पटना	१६५५ ई०	बी०कॉम० तथा बी०एस-सी०
१५. बिन्देश्वरीसिंह कॉलेज, दानापुर	१६५५ ई०	बी० ए० तथा बी० एस-सी०
१६. श्रीचन्द उदासीन कॉलेज, हिलसा	१६५७ ई०	बी० ए०
१७. किसान कॉलेज, सोहसराय	१६५८ ई०	बी० ए०, बी० कॉम०
१८. मालतीधारी कॉलेज, नौबतपुर	१६५८ ई०	बी० ए०
१६. रामरतनसिंह कॉलेज, मोकामा	१६५८ ई०	,, ,,
२०. सोमवती-महतावदास कॉलेज, पुनपुन	१६५८ ई०	,, ,,
२१. श्री जी० जे० कॉलेज, रामबाग, बिहटा	१६५६ ई०	,, ,,
२२. अनुग्रहनारायण कॉलेज, अनीसाबाद, पटना	१६६० ई०	,, ,,
२३. जगतनारायण लाल कॉलेज, खगौल	१६६० ई०	,, ,,
२४. गुरुगोविन्द कॉलेज, पटना सिटी	१६६० ई०	,, ,,
२५. ठाकुरप्रसाद सिंह कॉलेज, पटना	१५६० ई०	,, ,,

गया जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. गया कॉलेज, गया	१६४४ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
२. सच्चिदानन्द सिंह कॉलेज, औरंगाबाद	१६४४ ई०	बी० ए०, बी० कॉम० तथा बी० एस-सी०
३. स्वामी सहजानन्द कॉलेज, जहानाबाद	१६५५ ई०	बी० ए०
४. कन्हाईलाल साहु कॉलेज, नवादा	१६५७ ई०	,, ,,
५. गौतम बुद्ध महिला कॉलेज, गया	१६५६ ई०	,, ,,
६. जगजीवन महाविद्यालय, गया	१६६० ई०	,, ,,

शाहाबाद जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. हरप्रसाददास जैन कॉलेज, आरा	१६४२ ई०	बी०ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
२. शान्तिप्रसाद जैन कॉलेज, सहसराम	१६५२ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
३. महाराजा रामरणविजय प्र० सिंह कॉलेज, आरा	१९५५ ई०	बी०ए० तथा बी० एस-सी०
४. धरीक्षनाकुँवरी कॉलेज, डुमरी	१९५६ ई०	बी० ए०
५. सरदार वल्लभभाई पटेल, भभुआ	१९५७ ई०	,, ,,
६. अंजवीत सिंह कॉलेज, विक्रमगंज	१९५८ ई०	,, ,,
७. महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय, वक्सर	१९५८ ई०	,, ,,
८. महादेवानन्द गिरि महिला-महाविद्यालय, आरा	१९५९ ई०	,, ,,
९. जगजीवन कॉलेज, आरा	१९६० ई०	,, ,,

बिहार-विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. लगटसिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१८९९ ई०	एम०ए० तथा एम०एस-सी०
२. रामदयालुसिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१९४८ ई०	बी० ए०, बी० कॉम० तथा बी० एस-सी०
३. श्रीकृष्ण जुबिली लॉ कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१९४८ ई०	बी० एल०
४. महन्थ दर्शनदास महिला-कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१९४९ ई०	बी० ए० तथा बी० एस-सी०
५. सेठ राधाकृष्ण गोयनका-कॉलेज, सीतामढ़ी	१९४९ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
६. राजनारायण कॉलेज, हाजीपुर	१९५२ ई०	बी०ए० तथा बी० एस-सी०
७. मुजफ्फरपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ् टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर	१९५४ ई०	बी० एस० सी० (इञ्जी०)
८. लक्ष्मीनारायण कॉलेज, भगवानपुर	१९५८ ई०	बी० ए०
९. राघोप्रसादसिंह कॉलेज, जैतपुर	१९५८ ई०	बी० ए०
१०. जगन्नाथसिंह कॉलेज, चन्दौली	१९५९ ई०	बी० ए०
११. तिरहुत कॉलेज ऑफ अग्रिकल्चर, ढोली	१९६० ई०	बी० एस-सी० (कृषि)

दरभंगा जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. चन्द्रधारी मिथिला कॉलेज, दरभंगा	१९३८ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० बी० कॉम० तथा बी० एल०
२. रामकृष्ण कॉलेज, मधुबनी	१९४१ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
३. दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा	१९४६ ई०	एम० बी० बी० एस०

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
४. समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर	१६५५ ई०	वी०ए० तथा वी०एस-सी०
५. मिल्लत कॉलेज, लहेरियासराय	१६५७ ई०	वी० ए०
६. जगदीशनन्दन कॉलेज, वावूबरही	१६५६ ई०	वी० ए०
७. जनता कॉलेज, झंझारपुर	१६५६ ई०	वी० ए०
८. अनन्त कॉलेज, पण्डौल	१६५६ ई०	वी० ए०
६. सरिसव-पाही कॉलेज, सरिसव-पाही	१६५६ ई०	वी० ए०
१०. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा	१६५६ ई०	वी० ए०
११. रामाश्रय वालेश्वर कॉलेज, दलसिंगसराय	१६६० ई०	वी० ए०
१२. रोसड़ा कॉलेज, रोसड़ा	१६६० ई०	वी० ए०
१३. गढ़िया-महन्थ रामेश्वर दास कॉलेज, मोहनपुर	१६६० ई०	वी० ए०
१४. दलश्रृंगार वलदेव कॉलेज, जयनगर	१६६० ई०	वी० ए०
१५. शाहपुर-पटोरी कॉलेज, शाहपुर-पटोरी	१६६० ई०	वी० ए०

सारन जिला

१. राजेन्द्र कॉलेज, छपरा	१६३८ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
२. दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कॉलेज, सिवान	१६४१ ई०	वी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
३. जगदम्व कॉलेज, छपरा	१६५५ ई०	बी०ए० तथा बी०एस-सी०
४. जयप्रकाश महिला-महाविद्यालय, छपरा	१६५७ ई०	वी० ए०
५. गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज	१६५७ ई०	बी० ए०
६. गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ (सारन)	३६५७ ई०	वी०ए० तथा वी०एस-सी०
७. जनता कॉलेज, परसा	१६५८ ई०	वी० ए०

चम्पारन जिला

१. मुन्शीसिंह कॉलेज, मोतिहारी	१६४५ ई०	वी०ए० तथा वी०एस-सी०
२. महारानी जानकीकुँवर कॉलेज, वेतिया	१६५५ ई०	वी०ए० तथा वी०एस-सी०
३. डॉ० श्रीकृष्णसिंह वीमेन्स कॉलेज, मोतिहारी	१६५६ ई०	वी० ए०

भागलपुर-विश्वविद्यालय

महाविद्यालय के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. कॉमर्स	१९५४ ई०	एम० कॉम०
२. हिन्दी	१९५२ ई०	एम० ए०
३. लेवर ऐण्ड सोशल वेलफेयर	१९५९ ई०	एम० ए०
४. रूरल इकोनॉमिक्स ऐण्ड कोऑपरेशन	१९५६ ई०	एम० ए०
५. सोसियोलॉजी	१९५६ ई०	एम० ए०
६. साख्यिकी	१९५८ ई०	एम० ए०, एम० एस-सी०
७. विज्ञान		एम० एस-सी०

भागलपुर जिला

१. तेजनारायण वनैली कॉलेज, भागलपुर	१८८७ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
२. मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर	१९४१ ई०	वी० ए० तथा वी० कॉम०
३. सुन्दरवती महिला-महाविद्यालय, भागलपुर	१९४६ ई०	वी० ए० तथा वी० एस-सी०
४. विहार कृषि-कॉलेज, सवौर	१९४५ ई०	एम० एस-सी० (कृषि)
५. जयप्रकाश कॉलेज, नारायणपुर	१९५३ ई०	वी० ए० तथा वी० एस-सी०
६. मुरारका कॉलेज, सुलतानगज	१९५५ ई०	वी० ए० तथा वी० एस-सी०
७. गजाधर भगत कॉलेज, नौगछिया	१९५९ ई०	वी० ए०
८. तेजनारायण वनैली लॉ कॉलेज, भागलपुर	१९५९ ई०	वी० एल०
९. पण्डित वालीराम शर्मा कॉलेज, वाँका	१९५९ ई०	वी० ए०

मुँगेर जिला

१. राजा देवकीनन्दन और डायमण्ड जुविली कॉलेज मुँगेर	१८९९ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
२. गणेशदत्त कॉलेज, वेगूसराय	१९४५ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
३. कोशी कॉलेज, खगरिया	१९४८ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
४. श्रीकृष्ण-रामरुचि कॉलेज, वरवीघा	१९५५ ई०	वी० ए०
५. कुमार वालिका-मेमोरियल कॉलेज, जमुई	१९५६ ई०	वी० ए० तथा वी० एस-सी०
६. कवीर मोतीदर्शन-कॉलेज, परवत्ता	१९५७ ई०	वी० ए०

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
४. समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर	१९५५ ई०	बी०ए० तथा बी०एस-सी०
५. मिल्लत कॉलेज, लहेरियासराय	१९५७ ई०	बी० ए०
६. जगदीशनन्दन कॉलेज, बाबूबरही	१९५९ ई०	बी० ए०
७. जनता कॉलेज, झंझारपुर	१९५९ ई०	बी० ए०
८. अनन्त कॉलेज, पण्डौल	१९५९ ई०	बी० ए०
९. सरिसब-पाही कॉलेज, सरिसब-पाही	१९५९ ई०	बी० ए०
१०. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा	१९५९ ई०	बी० ए०
११. रामाश्रय बालेश्वर कॉलेज, दलसिंगसराय	१९६० ई०	बी० ए०
१२. रोसड़ा कॉलेज, रोसड़ा	१९६० ई०	बी० ए०
१३. गढ़िया-महन्थ रामेश्वर दास कॉलेज, मोहनपुर	१९६० ई०	बी० ए०
१४. दलश्रृंगार बलदेव कॉलेज, जयनगर	१९६० ई०	बी० ए०
१५. शाहपुर-पटोरी कॉलेज, शाहपुर-पटोरी	१९६० ई०	बी० ए०

सारन जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. राजेन्द्र कॉलेज, छपरा	१९३८ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
२. दयानन्द ऍग्लो-वैदिक कॉलेज, सिवान	१९४१ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
३. जगदम्ब कॉलेज, छपरा	१९५५ ई०	बी०ए० तथा बी०एस-सी०
४. जयप्रकाश महिला-महाविद्यालय, छपरा	१९५७ ई०	बी० ए०
५. गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज	१९५७ ई०	बी० ए०
६. गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ (सारन)	१९५७ ई०	बी०ए० तथा बी०एस-सी०
७. जनता कॉलेज, परसा	१९५९ ई०	बी० ए०

चम्पारन जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. मुन्शीसिंह कॉलेज, मोतिहारी	१९४५ ई०	बी०ए० तथा बी०एस-सी०
२. महारानी जानकीकुँवर कॉलेज, बेतिया	१९५५ ई०	बी०ए० तथा बी०एस-सी०
३. डॉ० श्रीकृष्णसिंह वीमेन्स कॉलेज, मोतिहारी	१९५९ ई०	बी० ए०

भागलपुर-विश्वविद्यालय

महाविद्यालय के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. कॉमर्स	१९५४ ई०	एम० कॉम०
२. हिन्दी	१९५२ ई०	एम० ए०
३. लेबर ऐण्ड सोशल वेलफेयर	१९५९ ई०	एम० ए०
४. रूरल इकोनॉमिक्स ऐण्ड कोऑपरेशन	१९५६ ई०	एम० ए०
५. सोसियोलॉजी	१९५६ ई०	एम० ए०
६. साख्यिकी	१९५८ ई०	एम० ए०, एम० एस-सी०
७. विज्ञान		एम० एस-सी०

भागलपुर जिला

१. तेजनारायण वनैली कॉलेज, भागलपुर	१८८७ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
२. मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर	१९४१ ई०	वी०ए० तथा वी०कॉम०
३. सुन्दरवती महिला-महाविद्यालय, भागलपुर	१९४६ ई०	वी०ए० तथा वी० एस-सी०
४. बिहार कृषि-कॉलेज, सबौर	१९४५ ई०	एम० एस-सी० (कृषि)
५. जयप्रकाश कॉलेज, नारायणपुर	१९५३ ई०	वी० ए० तथा वी०एस-सी०
६. मुरारका कॉलेज, सुलतानगंज	१९५५ ई०	बी० ए० तथा वी०एस-सी०
७. गजाधर भगत कॉलेज, नौगछिया	१९५९ ई०	वी० ए०
८. तेजनारायण वनैली लॉ कॉलेज, भागलपुर	१९५९ ई०	वी० एल०
९. पण्डित वालीराम शर्मा कॉलेज, वॉका	१९५९ ई०	वी० ए०

मुँगेर जिला

१. राजा देवकीनन्दन और डायमण्ड जुबिली कॉलेज मुँगेर	१८९९ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
२. गणेशदत्त कॉलेज, वेगूसराय	१९४५ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
३. कोशी कॉलेज, खगड़िया	१९४८ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
४. श्रीकृष्ण-रामरुचि कॉलेज, वरवीघा	१९५५ ई०	वी० ए०
५. कुमार वालिका-मेमोरियल कॉलेज, जमुई	१९५६ ई०	वी० ए० तथा वी० एस-सी०
६. कवीर मोतीदर्शन-कॉलेज, परवत्ता	१९५७ ई०	वी० ए०

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
७. जगजीवनराम श्रमिक-महाविद्यालय, जमालपुर	१६५८ ई०	वी० ए०
८. श्रीकृष्ण महिला-कॉलेज, वेगूसराय	१६५६ ई०	,, ,,
६. वाल्मीकि-राजनीति महिला-महाविद्यालय, मुँगेर	१६५६ ई०	,, ,,
१०. वदरीनारायण मुक्तेश्वर सिंह कॉलेज, वड़हिया	१६५६ ई०	,, ,,
११. रामस्वारथ कॉलेज, तारापुर	१६५६ ई०	,, ,,
१२. अयोध्याप्रसादसिंह मेमोरियल कॉलेज, वरौनी	१६६० ई०	,, ,,

पूर्णिया जिला

१. पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया	१६४८ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
२. दर्शनसाह कॉलेज, कटिहार	१६५४ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० तथा वी० कॉम०
३. गोरेलाल मेहता कॉलेज, बनमनखी	१६५६ ई०	वी० ए०
४. फारबिसगंज कॉलेज, फारविसगंज	१६५६ ई०	वी० ए०, वी० कॉम०

सहरसा जिला

१. सहरसा कॉलेज, सहरसा	१६५३ ई०	बी० ए० तथा वी०एस-सी०
२. ठाकुरप्रसादसिंह कॉलेज, मधेपुरा	१६५४ ई०	वी० ए०
३. हरिहरसाह कॉलेज, किशनगंज	१६४७ ई०	वी० ए०
४. वी० एस० एस० कॉलेज, सुपौल	१६५६ ई०	वी० ए०

संतालपरगना जिला

१. देवघर कॉलेज, देवघर	१६५१ ई०	वी० ए० तथा वी०एस-सी०
२. साहवगंज कॉलेज, साहवगंज	१६५३ ई०	वी० ए० तथा वी०एस-सी०
३. संतालपरगना कॉलेज, दुमका	१६५५ ई०	वी० ए० तथा वी०एस-सी०
४. गोड्डा कॉलेज, गोड्डा	१६५५ ई०	वी० ए०

राँची-विश्वविद्यालय

राँची जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. रांची-कॉलेज, रांँची	१६२६ ई०	एम० ए० तथा एम० एस-सी०
२. सेंट जेवियर कॉलेज, राँची	१६४५ ई०	वी० ए०, वी० एस-सी० वी० कॉम०
३. राँची वीमेन्स-कॉलेज, राँची	१६५४ ई०	वी०ए० तथा वी०एस-सी०
४. राँची कृषि-कॉलेज, कॉके, राँची	१६५० ई०	वी० एस-सी० (कृषि)
५. छोटानागपुर कॉलेज, राँची	१६५४ ई०	बी० एल०
६. बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ् टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची	१६५५ ई०	वी० एस-सी० (इञ्जी०) सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल

हजारीबाग जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. सेण्ट कोलम्वा कॉलेज, हजारीबाग	१८६६ ई०	वी०ए० तथा वी०एस-सी०
२. गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह	१६५५ ई०	वी०ए० तथा वी०एस-सी०
३. जगन्नाथ जैन कॉलेज, झुमरी-तिलैया	१६६० ई०	वी० ए०

पलामू जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. गणेशलाल अग्रवाल कॉलेज, डालटनगंज	१६५४ ई०	वी०ए०तथा वी०एस-सी०

धनवाद जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. इण्डियन स्कूल ऑफ् माइन्स एण्ड अप्लायड जियोलॉजी, धनवाद	१६२६ ई०	एम० एस-सी० (माइ-निंग), एम० एस- सी० (अप्लायड जियोलॉजी)
२. विहार इन्स्टिट्यूट ऑफ् टेक्नोलॉजी, सिन्द्री	१६५० ई०	वी० एस-सी० (इञ्जी०); सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल; वी०एस-सी० (मेटालर्जिकल इञ्जी०) और बी० एस-सी० तथा एम०एस-सी० (केमिकल-इञ्जीनियरिंग)

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
३. राजा शिवप्रसाद कॉलेज, झरिया	१६५२ ई०	बी० ए०, बी० एस-सी० तथा बी० कॉम०
४. रामसहाय मल मोरे कॉलेज, गोविन्दपुर	१६६० ई०	बी० ए०
५. श्रीलक्ष्मीनारायण महिला-महा-विद्यालय, धनबाद	१६६० ई०	बी० ए०

सिंहभूम जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर	१६५४ ई०	बी०ए०, बी० कॉम० तथा बी० एस-सी०
२. ताता कॉलेज, चाइबासा	१६५४ ई०	बी० ए०, बी०एस-सी०
३. जमशेदपुर वीमेन्स-कॉलेज, जमशेदपुर	१६६० ई०	बी० ए०
४. रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ् टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर	१६६० ई०	बी० ए०
५. जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, साकची	१६६० ई०	बी० ए०

सामाजिक शिक्षा

बिहार में सामाजिक या वयस्क-शिक्षा का कार्य मार्च, १६३८ ई० से आरम्भ हुआ था, जबकि साक्षरता के प्रचार के लिए एक योजना बनाई गई थी। सन् १६५० ई० और सन् १६५२ ई० में इस योजना पर पुनः विचार किया गया और इसके लिए नवीन कार्यक्रम तैयार किये गये। इस कार्यक्रम के सात मुख्य अंग इस प्रकार हैं—(१) वयस्कों तथा स्कूल न जा सकनेवाले बच्चों की शिक्षा; (२) वैयक्तिक और सामाजिक स्वच्छता; (३) स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा; (४) मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्य; (५) सामाजिक बुराइयों का निराकरण; (६) आर्थिक विकास तथा (७) प्रकाशन और प्रचार।

बिहार के १७ जिलों में सामाजिक शिक्षा के छोटे-छोटे कुल १,०८० केन्द्र हैं। इनमें अधिकांश राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्ड (N. E. S. Block) में हैं। ये ब्लॉक स्वतन्त्र रूप से भी कुछ केन्द्र चलाते हैं। कुछ केन्द्रों से सम्बद्ध १३३ भ्रमणशील पुस्तकालय हैं।

समाज-शिक्षा-विभाग की ओर से इन दिनों तीन जनता कॉलेज चलाये जा रहे हैं—(१) तुर्की (मुजफ्फरपुर), (२) रामबाग (बिहटा, पटना) और (३) नगरपारा (भागलपुर)। इन कॉलेजों में समाज-शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त दो सामाजिक कार्यकर्त्ता-प्रशिक्षण-संस्थान हैं, जिनमें एक देवघर में (केवल महिलाओं के लिए) है। कुछ प्रमुख उच्च विद्यालयों एवं सुसंगठित पुस्तकालयों से सम्बद्ध ३३७ समाज-शिक्षा-प्रशिक्षक हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखंड मे दो समाज-शिक्षा-संगठनकर्त्ता होते हैं। जनता के मनोरंजन

एवं समाज-शिक्षण के लिए संपूर्ण राज्य मे चार मोद-मंडलियाँ, एक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-दल तथा पाँच यात्रा-पार्टियाँ हैं, जिनमें ६० कलाकार काम करते हैं।

समाज-शिक्षा-बोर्ड में १ फिल्म-लाइब्रेरी है, जिसमे २१० फिल्में संगृहीत हैं। समाज-शिक्षा के कार्य में लगी हुई संस्थाओं को ३५६ रेडियो-सेट और १०७ मैजिक लैंटर्न दिये गये हैं। बोर्ड की ओर से एक ध्वनि-फिल्म और ८ न्यूजरील तैयार किये गये हैं।

बोर्ड के अधीन श्रव्य-दृश्य-शिक्षा-परिषद् (ऑडियो-विजुअल एडुकेशन-बोर्ड) कायम हुई है। इस योजना के अनुसार विभिन्न स्थानों में घूम-घूमकर गोष्ठियाँ की जाती हैं।

इस समय समाज-शिक्षा-बोर्ड की ओर से प्रति सप्ताह 'जन-जीवन' नाम की पत्रिका निकल रही है। यहाँ से विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी सवा सौ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं।

आयुर्वेदिक और तिब्बी शिक्षा

पहले आयुर्वेदिक शिक्षा संस्कृत-एसोसिएशन की कुछ पाठशालाओं में और तिब्बी या हकीमी की तालीम मदरसों में दी जाती थी। सन् १९२६ ई० से इनके लिए अलग-अलग स्कूल खोले गये। दोनों स्वदेशी औषधि-विभाग की देखभाल के लिए सुपरिण्टेण्डेण्ट और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट रहते हैं। इस समय सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रीप्रियव्रत शर्मा और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री ए० अहमद हैं। दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग परीक्षा-समितियाँ हैं। इस समय बिहार में निम्नलिखित पाँच आयुर्वेदिक कॉलेज और एक तिब्बी कॉलेज हैं—

१. आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना ;
२. यतीन्द्रनारायण अष्टाग आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर ;
३. अयोध्या-शिवकुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय (मुँगेर) ;
४. आयुर्वेदिक कॉलेज, मधुबनी (अस्वीकृत) ;
५. आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी (अस्वीकृत) ;
६. तिब्बी कॉलेज, पटना ;

संस्कृत-शिक्षा

बिहार-उड़ीसा में संस्कृत-शिक्षा का प्रचार और प्रसार एवं उसकी परीक्षा आदि की व्यवस्था के लिए सन् १९१५ ई० मे सरकार के प्रबन्ध में बिहारोत्कल संस्कृत-समिति की स्थापना की गई थी। उस समय इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर मे रखा गया था; पर सन् १९२० ई० में यह पटना लाया गया। उड़ीसा की अपनी संस्कृत-समिति अलग बन जाने पर इस समिति का कार्य-क्षेत्र बिहार तक ही सीमित रहा और इसका नाम बिहार-संस्कृत-समिति या बिहार संस्कृत-एसोसिएशन पड़ा।

बिहारोत्कल संस्कृत-समिति पहले बंगाल की भाँति अन्तिम परीक्षा पर तीर्थ की उपाधि देती थी, पर सन् १९२० ई० मे उपाध्याय की उपाधि और सन् १९२५ ई० से आचार्य की उपाधि देने लगी। सन् १९३३ ई० से आचार्य के नीचे शास्त्री की उपाधि देना भी आरम्भ किया गया है।

इन दिनो संस्कृत की चार परीक्षाएँ होती हैं—प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री और आचार्य। सन् १९५४ ई० से प्रत्येक परीक्षा प्राचीन एवं नवीन—इन दो पद्धतियों से होने लगी है। नवीन पद्धति में अनेक आधुनिक विषय भी हैं। प्रथमा परीक्षा के पूर्व एक प्रवेशिका परीक्षा भी लेने की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में वैठते हैं।

विहार में संस्कृत के १५ महाविद्यालय, लगभग चार सौ विद्यालय और सात-आठ सौ पाठशालाएँ हैं। विद्यालयों में ५ सरकारी विद्यालय भी हैं।

जहाँ केवल प्रथमा तक की पढ़ाई होती है, उसे पाठशाला; जहाँ उससे ऊपर की शिक्षा दी जाती है, उसे विद्यालय और जहाँ कम-से-कम पाँच विपयों मे शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई होती है. उसे महाविद्यालय कहते हैं।

विहार के नीचे लिखे १५ महाविद्यालयों में प्रथम चार राजकीय महाविद्यालय और शेप ११ राजकीय सहायता-प्राप्त महाविद्यालय हैं—(१) धर्म-समाज संस्कृत-कॉलेज, मुजफ्फरपुर; (२) पटना राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय; (३) भागलपुर राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय; (४) गणपति राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय, राँची; (५) महारानी रमेश्वरलता विद्यालय, दरभंगा; (६) महारानी महेश्वरलता विद्यापीठ, लहना रोड (दरभंगा); (७) हरिहर संस्कृत-कॉलेज, वकुलहर-मठ (चम्पारन); (८) सोमेश्वरनाथ संस्कृत-महाविद्यालय, अरेराज (चम्पारन); (९) रामनिरंजन दास मुरारका संस्कृत महाविद्यालय; चौक, पटना सिटी; (१०) संस्कृत कॉलेज, धनामठ, राजीपुर (पटना); (११) राजेन्द्र संस्कृत-महाविद्यालय, तरेतपाली (पटना); (१२) व्रजभूषण संस्कृत-कॉलेज, गया; (१३) अवधविहारी संस्कृत-कॉलेज, रहीमपुर (मुँगेर); (१४) वालानन्द संस्कृत-कॉलेज, करनीवाद, देवघर (१५) प्रतापनारायण संस्कृत कॉलेज लक्ष्मीपुर (भागलपुर)।

इस्लामी शिक्षा

विहार में इस्लामी शिक्षा के लिए तीन तरह की संस्थाएँ हैं—मदरसा, मकतब और उर्दू प्राइमरी स्कूल। मदरसों और मकतबों को सरकार से या जिला-वोर्डों या म्युनिसिपैलिटियों से सहायता मिलती रही है।

सरकार द्वारा संगठित मदरसा-परीक्षा-वोर्ड द्वारा उस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल नामक परीक्षाएँ ली जाती हैं। उस्तानिया सवसे छोटी परीक्षा है और फाजिल सवसे बड़ी। अन्तिम चार परीक्षाओं की पढाई दो-दो वर्षों की है।

विहार में स्वीकृत मदरसों की संख्या मार्च, १९५४ ई० तक ५८ थी। इनमें ३ मदरसों में फाजिल, ७ में आलिम; ७ में मौलवी, १० में फौकानिया और ३० में उस्तानिया तक की पढाई है। तीन फाजिल मदरसे हैं—मदरसा इस्लामिक शमशुल हुदा, पटना; मदरसा सुलेमानी, पटना सिटी और मदरसा अजीजिया, विहारशरीफ। इनमें पहला मदरसा, इस्लामिक शमशुलहुदा, सरकारी मदरसा है। प्रान्त में कई स्वतंत्र मदरसे भी हैं।

अन्य प्रमुख शिक्षा-संस्थाएँ

चित्र और मूर्त्तिकला-विद्यालय, पटना—सन् १६३६ ई० में चित्रकला की शिक्षा देने के लिए पटना स्कूल ऑफ् आर्ट्स की स्थापना की गई थी। १६ नवम्बर, १६४८ ई०, को यह सरकारी प्रबन्ध में आ गया और इसका नाम गवर्नमेण्ट स्कूल ऑफ् आर्ट्स ऐण्ड क्रैफ्ट्स रखा गया। इस समय इस विद्यालय में पाँच मुख्य विभाग हैं—ललित चित्रकला, व्यावसायिक कला, मूर्त्ति-निर्माण; शिल्प और प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम। सन् १६५६ ई० से यहाँ फोटोग्राफी-विभाग भी खुला है। यहाँ का पाठ्य-क्रम ६ वर्षों का है। अक्टूबर, १६५७ ई० से विद्यालय अपने नये भवन में आ गया है, जो अब दोमंजिला हो गया है। यहाँ छात्रावास का भी प्रबन्ध है। यहाँ मई मास में छात्रों की वार्षिक परीक्षा होती है। इसकी राज्य-चित्रशाला के लिए बिहार-सरकार प्रतिवर्ष २,७०० रुपये देती है। इस समय चित्रशाला में ३५४ चित्र हैं। इसके पुस्तकालय में १,५३० पुस्तकें हैं, जिसमें बहुत-सी अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। यहाँ प्रतिवर्ष अखिलभारतीय कला-प्रदर्शनी होती है। यहाँ के प्राचार्य श्रीराधामोहन हैं। यह विद्यालय भारत के पाँच चित्रकला-विद्यालयों में एक है। चार विद्यालय क्रमशः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लखनऊ में हैं।

भारतीय नृत्यकला-मन्दिर, पटना—बालिकाओं को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए पटना में सन् १६४६ ई० में भारतीय नृत्यकला-मन्दिर की स्थापना हुई थी। अब इसका एक अपना भवन भी बन गया है। नृत्य में यहाँ मणिपुरी, कथाकली और भरतनाट्यम् की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लोकनृत्य भी यहाँ सिखाया जाता है। संगीत में प्राचीन संगीत, रवीन्द्र-संगीत, भजन और गीत तथा वाद्य में मृदंग और वायलिन की शिक्षा दी जाती है। यहाँ की शिक्षा चार वर्षों की है, जिसके बाद सफल छात्र-छात्राओं को 'नृत्य-विशारद' की उपाधि दी जाती है। इस संस्था के निर्देशक श्रीहरि उप्पल हैं। करीब डेढ वर्षों से इस संस्था द्वारा बिहार के लोकनृत्य पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान-कार्य चल रहा है। सन् १६६०-६१ ई० के आर्थिक वर्ष में यहाँ के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न अवसरों पर अपनी नृत्य-संगीत-कला का प्रदर्शन किया।

हिन्दी-विद्यापीठ, वैद्यनाथ-देवघर—हिन्दी-विद्यापीठ का संगठन सन् १६३७ ई० में किया गया और इसकी ओर से स्वतन्त्र परीक्षाएँ चलाई गईं। ये परीक्षाएँ हैं—प्रवेशिका, साहित्य-भूषण और साहित्यालंकार। अब अहिन्दी-भाषा-भाषियों को हिन्दी की साधारण जानकारी की परीक्षा लेकर 'हिन्दी-विद्' का प्रमाण-पत्र भी दिया जाने लगा है। सन् १६४० ई० में बिहार-सरकार ने पूर्वोक्त तीनों परीक्षाओं को सरकारी विश्वविद्यालयों की क्रमश मैट्रिक, आई० ए० और बी० ए० परीक्षाओं के समकक्ष घोषित किया। इस समय भारत में इसके करीब छह सौ केन्द्र हैं, जिनमें लगभग डेढ सौ केन्द्र बिहार में हैं। सन् १६५८-५६ ई० में सम्पूर्ण भारत में विद्यापीठ की अलंकार-परीक्षा के ३२, भूषण-परीक्षा के १०२ और प्रवेशिका-परीक्षा के १०१ केन्द्र थे। उस वर्ष अलंकार-परीक्षा में १०१, भूषण-परीक्षा में ३४६, प्रवेशिका परीक्षा में ३७० और हिन्दी-विद्-परीक्षा में १०६ छात्र-छात्राएँ उत्तीर्ण हुए। संप्रति विद्यापीठ से भारत की १७ विभिन्न संस्थाएँ सम्बद्ध हैं। उक्त वर्ष में इस संस्था के आय-व्यय की राशि ७२,१६५ रुपये थी। इसके वर्त्तमान उपकुलपति प्रिं० मनोरंजनप्रसाद सिंह हैं।

हिन्दी-विद्यापीठ के अन्तर्गत गोवर्द्धन-साहित्य-महाविद्यालय-विभाग, ग्राम-सेवाश्रम-विभाग तथा उद्योग-विभाग भी हैं। ग्राम-सेवाश्रम-विभाग के अधीन ५० केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में प्राथमिक

इन दिनो संस्कृत की चार परीक्षाएँ होती हैं—प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री और आचार्य। सन् १६५४ ई० से प्रत्येक परीक्षा प्राचीन एवं नवीन—इन दो पद्धतियों से होने लगी है। नवीन पद्धति में अनेक आधुनिक विषय भी हैं। प्रथमा परीक्षा के पूर्व एक प्रवेशिका परीक्षा भी लेने की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठते हैं।

बिहार में संस्कृत के १५ महाविद्यालय, लगभग चार सौ विद्यालय और सात-आठ सौ पाठशालाएँ हैं। विद्यालयों में ५ सरकारी विद्यालय भी हैं।

जहाँ केवल प्रथमा तक की पढ़ाई होती है, उसे पाठशाला; जहाँ उससे ऊपर की शिक्षा दी जाती है, उसे विद्यालय और जहाँ कम-से-कम पाँच विषयों में शास्त्री और आचार्य की पढाई होती है उसे महाविद्यालय कहते हैं।

बिहार के नीचे लिखे १५ महाविद्यालयों में प्रथम चार राजकीय महाविद्यालय और शेष ११ राजकीय सहायता-प्राप्त महाविद्यालय हैं—(१) धर्म-समाज संस्कृत-कॉलेज, मुजफ्फरपुर; (२) पटना राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय; (३) भागलपुर राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय; (४) गणपति राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय, राँची; (५) महारानी रमेश्वरलता विद्यालय, दरभंगा; (६) महारानी महेश्वरलता विद्यापीठ, लहना रोड (दरभंगा); (७) हरिहर संस्कृत-कॉलेज, बकुलहर-मठ (चम्पारन), (८) सोमेश्वरनाथ संस्कृत-महाविद्यालय, अरेराज (चम्पारन); (६) रामनिरंजन दास मुरारका संस्कृत महाविद्यालय; चौक, पटना सिटी; (१०) संस्कृत कॉलेज, धनामठ, राजीपुर (पटना); (११) राजेन्द्र संस्कृत-महाविद्यालय, तरेतपाली (पटना); (१२) ब्रजभूषण संस्कृत-कॉलेज, गया; (१३) अवधविहारी संस्कृत-कॉलेज, रहीमपुर (मुँगेर); (१४) बालानन्द संस्कृत-कॉलेज, करनीवाद, देवघर (१५) प्रतापनारायण संस्कृत कॉलेज लक्ष्मीपुर (भागलपुर)।

इस्लामी शिक्षा

बिहार में इस्लामी शिक्षा के लिए तीन तरह की संस्थाएँ हैं—मदरसा, मकतब और उर्दू प्राइमरी स्कूल। मदरसों और मकतबों को सरकार से या जिला-बोर्डों या म्युनिसिपैलिटियों से सहायता मिलती रही है।

सरकार द्वारा संगठित मदरसा-परीक्षा-बोर्ड द्वारा उस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल नामक परीक्षाएँ ली जाती हैं। उस्तानिया सबसे छोटी परीक्षा है और फाजिल सबसे बड़ी। अन्तिम चार परीक्षाओं की पढ़ाई दो-दो वर्षों की है।

बिहार में स्वीकृत मदरसों की संख्या मार्च, १६५४ ई० तक ५८ थी। इनमें ३ मदरसों में फाजिल, ७ में आलिम; ७ में मौलवी, १० में फौकानिया और ३० में उस्तानिया तक की पढाई है। तीन फाजिल मदरसे हैं—मदरसा इस्लामिक शमशुल हुदा, पटना; मदरसा सुलेमानी, पटना सिटी और मदरसा अजीजिया, बिहारशरीफ। इनमें पहला मदरसा, इस्लामिक शमशुलहुदा, सरकारी मदरसा है। प्रान्त में कई स्वतंत्र मदरसे भी हैं।

तृतीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए ३८ करोड़ ६ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है; जिसमें से वर्त्तमान वितीय वर्ष में ४ करोड़ १८ लाख रुपये खर्च होंगे। इन ४ करोड़ १८ लाख रुपयों में से 'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत ३ करोड़ ४६ लाख ५७ हजार ५ सौ तथा अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत ६८ लाख ४२ हजार ५ सौ रुपयों का उपबन्ध किया गया है।

प्राथमिक, मिड्ल तथा बुनियादी शिक्षा

द्वितीय योजना के प्रारम्भ में प्राथमिक कक्षाओं में करीब १८ लाख ६० हजार छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सन् १९६०-६१ ई० के वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उनकी संख्या बढ़कर करीब २६ लाख ३७ हजार हो गई थी, जो वर्त्तमान वर्ष के अन्त तक करीब ३२ लाख हो जायगी। आज बिहार-राज्य में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की अनुमानित संख्या ५७ लाख ६० हजार है, जिसमें ५५.३ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में भरती हैं। तृतीय योजना में ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए अपेक्षित सभी स्कूलों की स्थापना कर देना और उनमें से कम-से-कम ७५ प्रतिशत को स्कूलों में भरती करना है। बिहार-राज्य में ४५ हजार प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता है, जिनमें करीब ३८ हजार स्कूल अबतक खोले जा चुके हैं। शेष ७ हजार स्कूलों में अधिकांश शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगे। तृतीय योजना के अन्त तक इस राज्य में ६ से ११ वर्ष के बच्चों की संख्या करीब ६४ लाख हो जाने की आशा है। इस अवधि के अन्त तक करीब ४८ लाख बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जिनमें ३० लाख लड़के और १८ लाख लड़कियाँ होंगी। तृतीय योजना के अन्त तक इस उम्र के करीब ९३.५ प्रतिशत लड़के और ५६.४ प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। सन् १९६१-६२ ई० में साढ़े तीन लाख अतिरिक्त बच्चों को भरती करने की योजना है।

द्वितीय योजना-काल में ११ से १४ वर्ष के बच्चों की संख्या स्कूलों में २ लाख ९१ हजार से बढ़कर साढ़े पाँच लाख तक पहुँच जाने की आशा की गई थी। तृतीय योजना-काल में इसे बढ़ाकर करीब ६ लाख २५ हजार करने का लक्ष्य है। इस तरह तृतीय योजना के अन्त में इस उम्र के करीब २७.६ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जबकि अभी केवल २० प्रतिशत ही बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इस अवधि में मिड्ल स्कूलों की संख्या ३,८०० से बढ़कर ५,४०० हो जायगी। सन् १९६१-६२ ई० के वित्तीय वर्ष में ३०० नये मिड्ल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इस वर्ष में इस उम्र के ७० हजार अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में भरती किये जायेंगे।

उपर्युक्त लक्ष्याङ्कों की पूर्त्ति के लिए प्राथमिक स्कूलों में करीब ४० हजार और मिड्ल स्कूलों में ८ हजार अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। सन् १९६१-६२ ई० में प्राथमिक स्कूलों में ८ हजार तथा मिड्ल स्कूलों में १,६०० नये शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सन् १९५९-६० ई० में २१ तथा १९६०-६१ ई० में १७ नये प्रशिक्षण-विद्यालय खोले गये हैं। इस तरह अवर स्नातक (अण्डर ग्रेजुएट) शिक्षकों के लिए कुल १०१ प्रशिक्षण-विद्यालय हो गये हैं। इनमें तृतीय योजना के प्रारम्भ से ही करीब १० हजार शिक्षक भरती किये जा सकेंगे। तृतीय योजना-काल में करीब ४० हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ये सभी प्रशिक्षण-विद्यालय बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर संयोजित किये जा रहे हैं।

शिक्षा का प्रबन्ध है तथा कुछ अन्य रचनात्मक कार्य भी होते हैं। विद्यापीठ के अपना प्रेस और प्रकाशन भी हैं।

गुरुकुल-महाविद्यालय, वैद्यनाथधाम—इसकी स्थापना पं० रामचन्द्र द्विवेदी के द्वारा सन् १६२८ ई० में हुई थी। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति के आधार पर बालकों को शिक्षा देकर उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नयन करना है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था है। गुरुकुल की ओर से छात्रों को 'विद्यारत्न' की उपाधि दी जाती है। यहाँ के छात्र शास्त्री, मैट्रिक, और विशारद की परीक्षा में भी बैठते हैं। इसके अन्तर्गत कृषि-विभाग, उद्योग-शाला, गोशाला, औषधालय तथा पुस्तकालय और वाचनालय हैं। गुरुकुल के अधिकार में ६६ एकड़ भूमि है, जिसमें इसके विभिन्न विभागों के भवन बने हुए हैं। इसके मुख्याधिष्ठाता श्रीमहादेवशरण हैं।

नेत्रहीन-विद्यालय—बिहार में तीन नेत्रहीन-विद्यालय हैं—पटना नेत्रहीन-विद्यालय, कदमकुआँ, पटना; एस० पी० जी० ब्लाइण्ड स्कूल, राँची और नेत्रहीन छात्र-विद्यालय, मुन्दीचक, भागलपुर।

मूक-बधिर-विद्यालय—बिहार में गूँगों और बहरों के लिए दो विद्यालय हैं—गूँगा-स्कूल, रामकृष्ण ऐवेन्यू, कदमकुआँ, पटना और क्षितीश बहरा-गूँगा-स्कूल, निवारणपुर, पो० हिनू (राँची)।

उपर्युक्त शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त राँची में एक **विकास-विद्यालय** है, जो अजमेर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एडुकेशन से सम्बद्ध है। **नेतरहाट** (पलामू) में बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय है, जहाँ चुने-चुनाये छात्रों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। भागलपुर जिले में मन्दार पर्वत के निकट **मन्दार विद्यापीठ** नामक एक विद्यालय है, जहाँ भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा का विशेष प्रबन्ध है। लक्खीसराय (मुँगेर) में **बालिका विद्यापीठ** नामक एक स्वतंत्र विद्यालय है, जहाँ भारतीय पद्धति से छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है।

द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा की प्रगति

सन् १६६१-६२ ई० में 'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर १५,८४,६४,०००) रु० खर्च करने का प्रस्ताव है, जिसमें ३,४६,५७,५००) रु० तृतीय योजना के अन्तर्गत होगा। गत वित्तीय वर्ष में शिक्षा के अन्तर्गत १३,२०,४६,०००) रु० का उपबन्ध था। इस तरह सन् १६६१-६२ ई० में गत वर्ष से २,६४,४५,०००) रु० अधिक खर्च की व्यवस्था है। सन् १६६१-६२ ई० में ८,४६,००,०००) रु० प्राथमिक शिक्षा के लिए; २,१६,३८,०००) रु० माध्यमिक शिक्षा के लिए; १,६२,६८,०००) रु० विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए और ३,२६,५८,०००) रु० अन्य प्रकार के शिक्षा-विषयों के लिए हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामान्य शिक्षा के विकास के लिए २० करोड़ ५० लाख ४० हजार रुपये की सीमा इस राज्य के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इस मद में केवल १७ करोड़ रुपये ही शिक्षा-विकास कार्यों के लिए प्राप्त हो सके। इनके अतिरिक्त करीब १ करोड़ रुपये केन्द्र-संचालित योजनाओं पर खर्च हुए हैं।

तृतीय योजना मे शिक्षा के विकास के लिए ३४ करोड़ ६ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है; जिसमे से वर्त्तमान वितीय वर्ष मे ४ करोड़ १८ लाख रुपये खर्च होंगे। इन ४ करोड़ १८ लाख रुपयों में से 'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत ३ करोड़ ४६ लाख ५७ हजार ५ सौ तथा अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत ६८ लाख ४२ हजार ५ सौ रुपयों का उपबन्ध किया गया है।

प्राथमिक, मिड्ल तथा बुनियादी शिक्षा

द्वितीय योजना के प्रारम्भ मे प्राथमिक कक्षाओं मे करीब १८ लाख ६० हजार छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सन् १६६०-६१ ई० के वित्तीय वर्ष के आरम्भ मे उनकी संख्या बढकर करीब २६ लाख ३७ हजार हो गई थी, जो वर्त्तमान वर्ष के अन्त तक करीब ३२ लाख हो जायगी। आज बिहार-राज्य मे ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की अनुमानित संख्या ५७ लाख ६० हजार है, जिसमें ५५.३ प्रतिशत बच्चे स्कूलों मे भरती हैं। तृतीय योजना में ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए अपेक्षित सभी स्कूलो की स्थापना कर देना और उनमें से कम-से-कम ७५ प्रतिशत को स्कूलों मे भरती करना है। बिहार-राज्य में ४५ हजार प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता है, जिनमें करीब ३८ हजार स्कूल अबतक खोले जा चुके हैं। शेष ७ हजार स्कूलों मे अधिकाश शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगे। तृतीय योजना के अन्त तक इस राज्य मे ६ से ११ वर्ष के बच्चो की संख्या करीब ६४ लाख हो जाने की आशा है। इस अवधि के अन्त तक करीब ४८ लाख बच्चे स्कूलों मे शिक्षा पाने लगेंगे, जिनमे ३० लाख लड़के और १८ लाख लडकियाँ होंगी। तृतीय योजना के अन्त तक इस उम्र के करीब ६३.५ प्रतिशत लड़के और ५६.४ प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढते रहेंगे। सन् १६६१-६२ ई० मे साढ़े तीन लाख अतिरिक्त बच्चों को भरती करने की योजना है।

द्वितीय योजना-काल मे ११ से १४ वर्ष के बच्चो की संख्या स्कूलों मे २ लाख ६१ हजार से बढ़कर साढ़े पाँच लाख तक पहुँच जाने की आशा की गई थी। तृतीय योजना-काल में इसे बढाकर करीब ६ लाख २५ हजार करने का लक्ष्य है। इस तरह तृतीय योजना के अन्त मे इस उम्र के करीब २७.६ प्रतिशत बच्चे स्कूलों मे शिक्षा पाने लगेंगे, जबकि अभी केवल २० प्रतिशत ही बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इस अवधि में मिड्ल स्कूलों की संख्या ३,८०० से बढ़कर ५,४०० हो जायगी। सन् १६६१-६२ ई० के वित्तीय वर्ष में ३०० नये मिड्ल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इस वर्ष में इस उम्र के ७० हजार अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में भरती किये जायेंगे।

उपर्युक्त लक्ष्याङ्कों की पूर्त्ति के लिए प्राथमिक स्कूलों मे करीब ४० हजार और मिड्ल स्कूलों में ८ हजार अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। सन् १६६१-६२ ई० में प्राथमिक स्कूलों में ८ हजार तथा मिड्ल स्कूलों मे १,६०० नये शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सन् १६५६-६० ई० मे २१ तथा १६६०-६१ ई० में १७ नये प्रशिक्षण-विद्यालय खोले गये हैं। इस तरह अवर स्नातक (अण्डर ग्रेजुएट) शिक्षकों के लिए कुल १०१ प्रशिक्षण-विद्यालय हो गये हैं। इनमें तृतीय योजना के प्रारम्भ से ही करीब १० हजार शिक्षक भरती किये जा सकेंगे। तृतीय योजना-काल मे करीब ४० हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ये सभी प्रशिक्षण-विद्यालय बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर संयोजित किये जा रहे हैं।

राज्य-सरकार ने प्राथमिक तथा मिड्ल स्तर पर बुनियादी शिक्षा की पद्धति अपनाने का फैसला किया है। तृतीय योजना-काल तक सभी प्राथमिक मिड्ल स्कूलों को इस योजना के दायरे में लाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त करीब ३ हजार मिड्ल स्कूल धीरे-धीरे बुनियादी पद्धति में बदल दिये जायेंगे।

उच्च माध्यमिक विद्यालय

माध्यमिक शिक्षा-आयोग की बहुत-सी सिफारिशों को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। अभी तक लगभग १,५०० स्वीकृति-प्राप्त उच्च विद्यालयों में से, करीब २०० विद्यालयों को बहूद्देशीय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित कर दिया गया है। तृतीय योजना-काल मे करीब ६०० अतिरिक्त स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों मे उत्क्रमित करने का प्रस्ताव है, जिनमें करीब ४० स्कूलों को बहूद्देशीय बनाया जायगा। सन् १९६१-६२ ई० में उत्क्रमित होनेवाले स्कूलो की सख्या करीब ७० होगी। वर्त्तमान ६५ राज्य-साहाय्य-प्राप्त हाइ स्कूलो के विकास के अलावा पिछडे हुए इलाकों मे ५० नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगे। अब जितने नये स्कूल खुलेंगे, सब उच्चतर माध्यमिक ही होंगे। यह अनुमान किया जाता है कि सरकार तथा जनता के सहयोग से तृतीय योजना के अन्त तक माध्यमिक स्कूलों की सख्या इस राज्य में करीब १,८५० हो जायगी, जिनमे करीब ६०० उच्चतर माध्यमिक या बहूद्देशीय विद्यालय होगे।

द्वितीय योजना-काल मे १४ से १७ वर्ष के स्कूलों में शिक्षा पानेवाले बच्चों की संख्या एक लाख ४७ हजार से बढकर तीन लाख १० हजार हो गई है। तृतीय योजना-काल में एक लाख ६० हजार अतिरिक्त बच्चों को स्कूलों मे भरती करने की योजना है। इस तरह सन् १९६५-६६ ई० तक इस उम्र के करीब १८ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जिनमें ३१.४ प्रतिशत लड़के और ४.३ प्रतिशत लड़कियाँ होगी। द्वितीय योजना-काल में करीब १५० माध्यमिक विद्यालयो में शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। तृतीय योजना-काल में २५० और विद्यालयों को इस मद मे सहायता देने का प्रस्ताव है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आगामी वर्ष मे वर्त्तमान ५ शिक्षक-प्रशिक्षण-महाविद्यालयों मे २७५ जगहें बढाने और दो नये महाविद्यालय, जिनमें से प्रत्येक में २०० जगहें होंगी, खोलने का प्रस्ताव है। माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य स्थिति में सुधार लाने के अलावा पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के विस्तार, साधारण स्नातक शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने की सुविधाएँ तथा गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने की भी व्यवस्था है।

स्त्री-शिक्षा

इस समय स्कूलों में ११ वर्ष के बच्चों में से तीन चौथाई लडके और एक चौथाई लड़कियाँ हैं। ११ से १४ वर्ष के बच्चों में जहाँ आठ लडके पढते हैं, वहाँ एक लड़की तथा १४ से १७ वर्ष की उम्र में जहाँ १४ लड़के पढते हैं, वहाँ एक लड़की पढती है। तृतीय योजना-काल मे लक्ष्य के अनुसार १६ लाख अतिरिक्त बच्चों मे से १० लाख केवल लडकियों को ही स्कूलों मे लाना है। इस योजना के अन्त मे लड़कों और लड़कियों का अनुपात ५ और ३ का कर देने का प्रस्ताव है। इस तरह, ११ से १४ और १४ से १७ वर्ष की लड़कियों के क्रमश: ११.४ प्रतिशत तथा ४.३

प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढने लगेंगी। द्वितीय योजना-काल में देहात के प्राथमिक स्कूलों में काम करनेवाली शिक्षिकाओं के लिए करीब एक हजार भाड़ा-मुक्त आवास-गृह निर्मित करने की योजना स्वीकृत हो चुकी है। तृतीय योजना-काल में इस तरह के और दो हजार आवास-गृह बनेंगे। लड़कियो को ७वें वर्ग तक मुफ्त शिक्षा दी जायगी।

सामाजिक शिक्षा

सामाजिक शिक्षा की योजना के अन्तर्गत द्वितीय योजना-काल में करीब १० लाख वयस्क साक्षर बनाये गये हैं। लगभग ४,६०० ग्रामीण पुस्तकालयों को अनुदान दिया गया है। केन्द्रीय पुस्तकालय तथा जिला-पुस्तकालयों के अतिरिक्त अनुमण्डल-पुस्तकालयों का संगठन किया गया है।

शारीरिक शिक्षा एव युवा-कल्याण-कार्य—शारीरिक उन्नति एवं स्वास्थ्य-शिक्षा के लिए सरकार ने पटना में एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा-बोर्ड की स्थापना सन् १९५३ ई० में की थी। इस बोर्ड के १४ सदस्य हैं। यह बोर्ड अखाड़ा, व्यायाम-शाला तथा शारीरिक सुधार के लिए काम करनेवाली अन्य संस्थाओं को अपने कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बिहार में दो शारीरिक शिक्षण-विद्यालय हैं—एक मुजफ्फरपुर में और दूसरा धनबाद में, जो बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन दोनों विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सन् १९५७ ई० के अगस्त महीने से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक महाविद्यालय स्थायी रूप में कार्य कर रहा है। इस महाविद्यालय के स्थायी स्थापन के लिए राजेन्द्रनगर (पटना) में भूमि सुरक्षित कर ली गई है और भवन भी बन रहा है।

सन् १९६०-६१ ई० तक राज्य के ५७ महाविद्यालयों और १८४ स्कूलों में एन० सी० सी० इन्फैण्टरी की २१३ युनिटें कायम हो चुकी हैं। इनके अलावा ३५ लड़कियों की टुकड़ियाँ ६ टेक्निकल, १४ हवाई तथा १२ नौसेना की शाखाएँ भी इन महाविद्यालयों और स्कूलों में खोली जा चुकी हैं। करीब ८५० स्कूलों में २,३१० ए० सी० सी० की युनिटें कायम की गई हैं। एन० सी० सी० राइफल्स की २१ कपनियाँ कायम की गईं, जिनमें करीब १८ हजार छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एन० सी० सी० राइफल्स की १२० कंपनियाँ कॉलेज के लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए ५ सब-ट्रूप्स, स्कूली लड़कों के लिए एन० सी० सी० के १०० ट्रूप्स और लड़कियों के लिए ३० ट्रूप्स, नौ सेना और हवाई प्रशिक्षण के प्रत्येक के १५ ट्रूप्स, टेक्निकल के १० ट्रूप्स तथा एन० सी० सी० की ५०० युनिटें कायम की जायेंगी।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षण-प्रतिष्ठान

भारत-सरकार ने एक 'नेशनल कॉन्सिल फॉर रूरल हायर एजुकेशन' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के अधीन सारे देश में १० प्रतिष्ठान प्रयोग के रूप में चलाये जा रहे हैं। इनमें एक बिहार-राज्य के बिरौली (जिला दरभंगा) ग्राम में भारत-सरकार की सहायता से संचालित हो रहा है। यहाँ शिक्षक तथा छात्र एक साथ रहकर सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी इस प्रतिष्ठान में त्रिवर्षीय ग्राम्य सेवा का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम चालू है। आवश्यक

विषय—मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, सभ्यता का इतिहास, ग्रामीण समस्याएँ तथा अँगरेजी हैं। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय कई खण्डों में बँटे हैं। प्रत्येक छात्र के लिए उद्योग के काम, खेती तथा समाज-सेवा अनिवार्य है। प्रतिवर्ष ५० छात्र भरती किये जाते हैं। भरती होने की न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी या पोस्ट-बेसिक परीक्षोत्तीर्ण होना है। इस प्रतिष्ठान का सारा व्यय भारत-सरकार तथा राज्य-सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं। जितने विद्यार्थी इसमें भरती होते हैं, उनमें ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है।

संस्कृत-शिक्षा

बिहार-राज्य में लगभग ५०० संस्कृत-शिक्षण-संस्थाएँ चल रही हैं। इनमें दो तरह की संस्थाएँ हैं—राजकीय और अराजकीय। राजकीय संस्थाओं मे दो प्रकार की संस्थाएँ हैं—विद्यालय एवं महाविद्यालय। विद्यालयों में मध्यमा तक की पढाई होती है और महाविद्यालयों में शास्त्री, तथा आचार्य की। राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय बिहार में ४ हैं, जो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राँची मे स्थित हैं। राजकीय विद्यालय प्रत्येक जिला में एक-एक हैं।

अराजकीय विद्यालय भी दो प्रकार के हैं—महाविद्यालय और विद्यालय। अराजकीय महाविद्यालयों की संख्या राज्य में १२ हैं तथा अराजकीय संस्कृत-विद्यालयों की संख्या ३७० है। राज्य-संपोषित विद्यालयों की संख्या ८ है। इधर दो और विद्यालय राज्य-संपोषित हो गये हैं।

सन् १९६० ई० में दरभंगा मे कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत-विश्वविद्यालय के नाम से एक संस्कृत-विश्वविद्यालय की स्थापना एक अधिनियम द्वारा की गई है। इसके लिए महाराजाधिराज, दरभंगा ने भूमि, भवन और पुस्तकालय का अपूर्व दान दिया है। इसके कुलपति (वाइस-चान्सलर) महामहोपाध्याय डॉ० उमेशमिश्र हैं। संस्कृत की सभी परीक्षाएँ इस विश्व-विद्यालय द्वारा ही परिचालित होती हैं।

सांस्कृतिक शिक्षा

सांस्कृतिक शिक्षा के प्रचार एवं विकास के लिए एक परिषद् की स्थापना की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय नृत्यकला-मन्दिर के प्रान्तीयीकरण का प्रस्ताव है। पटना में एक संगीत-महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड क्रैफ्ट्स को विकसित करने की योजना है। चाइबासा मे छाउ-नृत्य के विकास के लिए एक केन्द्र खुल चुका है। मोद-मण्डलियों को पुनर्गठित करने का भी प्रस्ताव है।

चन्द्रधारी-म्यूजियम, दरभंगा को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है। इसका अब राज्य-स्तर के म्यूजियम के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है। पटना-म्यूजियम का विकास राज्य-म्यूजियम के तौर पर पहले से ही किया जा रहा है। मोतिहारी में गांधी-स्मारक के साथ एक म्यूजियम की स्थापना की जायगी। वैशाली तथा गया में स्थापित दो स्थानीय म्यूजियमों का भी विकास किया जायगा।

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

विभिन्न स्तरों पर प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बिहार-राज्य में तीन भिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रम प्रचलित हैं—स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम, स्नातक पाठ्य-क्रम और उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) पाठ्य-क्रम।

विहार इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी मे स्नातक-पाठ्यक्रम के अतिरिक्त वैद्युतिक एव प्राविधिक इंजीनियरिंग के कतिपय विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम की शिक्षा दी जाती है।

स्नातक-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण निम्नलिखित शिक्षण-संस्थाओं में प्रदान किया जाता है—

(१) विहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना
(२) मुजफ्फरपुर इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर
(३) विड़ला इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची
(४) जमशेदपुर इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर

विहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना को छोड़कर, जो पटना-विश्वविद्यालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है, अन्य सव इंजीनियरिंग महाविद्यालय विभिन्न क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से सम्वन्ध हैं। जमशेदपुर की इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रवर्त्तन भारत-सरकार द्वारा किया गया था। इस संस्था में अन्य राज्यों के उम्मीदवार छात्रों के लिए भी कुछ स्थान सुरक्षित रहते हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेज का पाठ्यक्रम चार वर्षों का है। ८ इंजीनियरिंग विद्यालय मे डिप्लोमा-पाठ्यक्रम की शिक्षा सिविल, मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दी जाती है। तीन माइनिंग विद्यालयों में माइनिंग (खान-सम्वन्धी) की शिक्षा दी जाती है। पटना पोलिटेक्निक पटना में कतिपय प्रौद्योगिक विषयों की शिक्षा दी जाती है।

ये सव डिप्लोमा-शिक्षण-संस्थाएँ स्टेट वोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन से सम्वद्ध हैं। वोर्ड द्वारा ही इनकी परीक्षाओं का परिचालन होता है और वही उपाधि-पत्र प्रदान करता है। पाठ्य-क्रम तीन वर्षों का है।

कारीगरी विद्या-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम—सन् १९६० ई० मे विहार मे कुल १७ औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान थे। वाद मे दो और संस्थान—एक डालटनगंज और दूसरा लोहरदगा (राँची) में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इन संस्थानों में प्रशिक्षण की अवधि डेढ वर्ष की है। इसके वाद छात्रों को किसी उद्योग मे ६ महीने की शिशिक्षुता (अपरेंटिसगिरी) का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। ये सव संस्थान नेशनल कौन्सिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स (National Council for Training in Vocational Trades) के साथ सम्वद्ध हैं। नेशनल कौन्सिल ही परीक्षाओं का परिचालन करती है और उपाधि-पत्र प्रदान करती है।

ऊपर जिन प्राविधिक संस्थानों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा विहार में भारत-सरकार द्वारा परिचालित प्रशिक्षण-संस्थान 'इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड जियोलॉजी' (धनवाद) तथा रेल-विभाग और नेशनल कोल डेवलपमेण्ट के प्रशिक्षण-अधिष्ठान भी हैं। निजी उद्योगों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

डिप्लोमा के स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाएँ—(१) तिरहुत स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मुजफ्फरपुर; (२) राँची स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, राँची; (३) भागलपुर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर, (४) पटना स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पटना; (५) धनवाद पोलिटेक्निक, धनवाद, (६) पूर्णिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पूर्णिया, (७) स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग,

दरभंगा; (८) स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, गया; (६) पटना पोलिटेक्निक, गुलजारबाग, पटना; (१०) भागा माइनिंग स्कूल, भागा; (११) माइनिंग इन्स्टिट्यूट, कोडरमा; (१२) माइनिंग इन्स्टिट्यूट, धनवाद।

कारीगरी विद्या की शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (पाठ्यक्रम १८ महीना)—(१) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, दीघा; (२) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, रॉची; (३) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल, कोडरमा; (४) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, दरभंगा; (५) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, भागलपुर; (६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, देहरी; (७) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, चाइवासा; (८) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, कटिहार; (६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फरपुर; (१०) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, धनवाद; (११) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, गया; (१२) वेलफेयर टेक्निकल स्कूल, दुमका; (१३) वेलफेयर टेक्निकल स्कूल, रॉची; (१४) मरहौरा टेक्निकल स्कूल, मरहौरा (छपरा); (१५) इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, सुपौल; (१६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, मोतिहारी; (१७) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, हजारीबाग; (१८) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (वेलफेयर), डालटनगंज; (१६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (वेलफेयर), लोहरदगा, रॉची।

भाषाएँ और बोलियाँ

विहार की जन-संख्या, सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार ४,०२,२५,६४७ है। इसमें मातृभाषा के रूप में भारतीय आर्यभाषा-भाषी ३,६६,७१,१४२; मुंडाभाषा-भाषी २७,२६,३२३; द्राविड़-भाषा-भाषी ५,१७,१०६; अन्य भारतीय भाषा-भाषी २,०२३; भारतीय-भिन्न एशियाई भाषा-भाषी २,२५४ और यूरोपीय भाषा-भाषी ४,०६६ हैं। इनमें आर्यभाषाएँ बोलनेवाले ६१.६१ प्रतिशत, मुंडा-भाषाएँ बोलनेवाले ६.७८ प्रतिशत और द्राविड़-भाषाएँ बोलनेवाले १.२८ प्रतिशत हैं। भारतीय आर्यभाषा-भाषी ६१.६१ प्रतिशत व्यक्तियों में ८६.५५ प्रतिशत हिन्दी-भाषा-भाषी;॰ ४·३७ प्रतिशत बँगलाभाषा-भाषी और ७७ प्रतिशत उड़ियाभाषा-भाषी हैं।

भारतीय आर्यभाषा हिन्दी के अन्तर्गत विहार मे मैथिली, अगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मगही और नागपुरिया उपभाषाएँ या वोलियाँ हैं। बहुत-से लोग इन उपभाषाओं और बोलियों को स्वतन्त्र भाषाएँ ही मानते हैं। ये भाषाएँ क्रमश प्राचीन जनपद मिथिला, अंग, वैशाली, भोजपुर, मगध और नागपुर या झारखण्ड की भाषाएँ या वोलियाँ हैं।

मैथिली

विहार की उपर्युक्त उपभाषाओं या भाषाओं में साहित्यिक दृष्टिकोण से मैथिली का स्थान सबसे ऊँचा है। कहते हैं कि मैथिली का रूप दसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही स्थिर हो चुका था। इसकी पहली बड़ी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर का 'वर्णरत्नाकर' है, जो तेरहवीं सदी के लगभग लिखा गया था। चौदहवीं सदी में इसके सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति हुए, जो सूर, तुलसी, मीराँ और कबीर के भी पूर्ववर्त्ती बताये जाते हैं। विद्यापति के पदों का प्रचार समस्त पूर्वी भारत में हुआ था। अब तो समस्त हिन्दी-क्षेत्र मे इनका प्रचार है और ये हिन्दी के श्रेष्ठतम कवियों में एक माने

जाते हैं। विद्यापति के बाद भी गोविन्ददास, रामदास, लोचन, उमापति उपाध्याय, रमापति, लाल कवि, नन्दीपति, कर्ण जयानन्द, भानुनाथ झा, बोधनारायण, महीपति, चतुर्भुज, सरसराम, जयदेव, केशव, भंजन, चक्रपाणि, मानबोध, हर्षनाथ झा, चन्दा झा, रघुनन्दन दास, लालादास आदि डेढ़ सौ से भी अधिक कवि और नाटककार हुए। ये सब प्रायः दरभंगा जिला और उसके आसपास के ही रहनेवाले थे। इस बीसवी सदी में भी मैथिली के अनेक लेखक और कवि वर्त्तमान हैं। इन दिनों 'मिथिला-मिहिर' (पटना), 'मिथिला-दर्शन' (कलकत्ता), 'मैथिल-बन्धु' (अजमेर), 'वटुक' (इलाहाबाद), 'पल्लव' (नेहरा, दरभगा), 'वैदेही' (दरभंगा) आदि पत्र-पत्रिकाएँ भारत के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित हो रही हैं। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने मैथिली को एम० ए० तक की कक्षा में स्थान दिया है। मैथिली भाषा नेपाल के भी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है।

मैथिली की अपनी एक पुरानी लिपि है, जिसका व्यवहार पुराने मैथिल पंडितों तथा मैथिल कर्ण-कायस्थों के घरों में अब भी हो रहा है। वास्तव में ये ही दो जातियाँ मैथिली के मुख्यतः पृष्ठपोषक हैं। मैथिली-लिपि में अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इस लिपि में कुछ नई पुस्तकें भी मुद्रित हुई हैं।

अंगिका

अंगिका, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अंग-जनपद की भाषा है। न्यूनाधिक भागलपुर कमिश्नरी को ही लोग अंग-जनपद मानते हैं। अतः, अंगिका का दूसरा नाम भागलपुरी भी है। इस भाषा का मूल रूप हम विक्रमशिला के ८वीं से ११वीं सदी तक के सिद्धों की अपभ्रंश-रचनाओं में पाते हैं। १४वीं सदी में विद्यापति के पदों में अंगिका-भाषा का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। अंगिका की अनेक संज्ञाओं, सर्वनामों और क्रियाओं का प्रयोग उनके पदों में हुआ है, जो मैथिली के अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं हैं। सम्भवत, शैव होने के कारण चण्डी-स्थान, मुंगेर और वैद्यनाथ-देवघर मे बराबर जाते रहने के कारण विद्यापति यहाँ की भाषा से प्रभावित हुए हों। १८वीं सदी के अन्त में फादर ऐण्टोनियो ने 'गोस्पेल ऐण्ड ऐक्ट्स' का अंगिका-भाषा में अनुवाद किया था। कहा जाता है कि उत्तर-भारत की भाषाओं में सर्वप्रथम इसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ। जॉन क्रिश्चियन ने इस भाषा में बाइबिल के कुछ अंश का अनुवाद कर मुंगेर में लीथो से प्रकाशित किया था। सम्भवतः १८वी या १६वी सदी में रचित बिहुला-गीतिकाव्य का अंगिका-क्षेत्र में बहुत प्रचार है। कलकत्ता, बनारस आदि कई स्थानों में यह पुस्तक अबतक लाखों की संख्या मे छपी है। २०वीं सदी में भी इस भाषा में स्फुट कविताएँ करनेवाले व्यक्ति हैं। इस भाषा के प्राचीन साहित्य के सम्बन्ध में अभी शोध-कार्य नहीं हुआ है।

अंगिका की अपनी एक खास लिपि थी, जिसका उल्लेख छठी सदी के बहुत पूर्व लिखित 'ललितविस्तर' नामक सस्कृत बौद्ध-ग्रन्थ मे मिलता है। उसमें बिहार की दूसरी लिपियों, जैसे पूर्वविदेह-लिपि और मागधी-लिपि, का भी उल्लेख है।

वज्जिका

वज्जिका, वज्जि या वैशाली जनपद की बोली है। स्थूलत मुजफ्फरपुर जिला तथा उसके आसपास की भूमि वैशाली जनपद समझी जाती है। सन् १६४१ ई० में 'विशाल भारत' में लिखते हुए महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने बिहार की जनपदीय भाषाओं, अंगिका, वज्जिका आदि

की चर्चा की है। इसके प्राचीन साहित्य पर शोध-कार्य नही हुआ है, इससे लोगों को इसके विषय में विशेष पता नही है। वज्जिका मे कुछ पुराने कवियों की छिट-फुट कविताएँ मिली हैं। प्रसिद्ध कवि मॅगनीराम की रचनाएँ वज्जिका-प्रभावित बताई जाती हैं। आज के कुछ व्यक्ति भी इस भाषा में रचना करने लगे हैं। यह भाषा मैथिली से भिन्न है। इधर कुछ लोगों ने इस विषय पर अनुसंधान-कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पटना के 'उत्तर-बिहार' और 'स्वतंत्रता' नामक पत्रों में वज्जिका के लेख और कविताएँ प्रकाशित होती हैं।

मगही

मगही मागधी-अपभ्रंश से निकली है। साधारणतया पटना और गया जिले का क्षेत्र 'मगध' या 'मगह' कहलाता है। 'मगही' यहाँ की भाषा या बोली है। मगही में भी प्राचीन साहित्य प्राप्य नही है। सातवी सदी के सुप्रसिद्ध भाषाकवि ईशान को लोग मगही का आदि-कवि समझते हैं। कई सिद्धों की रचनाओं मे भी 'मगही' का प्रारम्भिक रूप देखने को मिलता है। अनुसंधान करने पर बहुत सम्भव है कि कुछ प्राचीन साहित्य मिले। सन् १८२६ ई० मे ईसाइयों ने 'न्यू टेस्टामेंट' का और सन् १८९० ई० में सेंट मार्क ने 'रिवाइज्ड वर्सन ऑफ गोस्पेल' का 'मगही' में अनुवाद किया था। इधर कुछ लोगों ने इस भाषा पर कार्य करना आरम्भ किया है। इस भाषा में दो-एक पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छोटानागपुर कमिश्नरी के विभिन्न जिलों में आदिम भाषाओं से भिन्न जो भाषाएँ बोली जाती हैं, वे मगही के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। साधारणतया इसे पूर्वी मगही भी कहते हैं।

नागपुरिया

छोटानागपुर-कमिश्नरी में आदिम जाति की बोलियों से भिन्न जो बोली है, उसे कुछ लोग 'नागपुरिया' कहते हैं। कुछ लोगों ने इसका ही पूर्वी मगही नाम दिया है। इस बोली के भी कई भेद-विभेद बताये जाते हैं। राँची जिले के सिल्ली, बरंडा, रहे, बुन्दु और तमार—इन पाँच परगनों की बोली को 'पंचपरगनिया' कहते हैं। तमार में खास तौर से बोली जानेवाली बोली तमारिया कहलाती है। कुरमी लोगों की बोली को कुरमाली, कुरमाली थार, कोरथा, खत्ता या खत्ताही भी कहते हैं। नागपुरिया वास्तव में मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढी, बॅगला और आदिम जातियों की भाषाओं की मिश्रित भाषा है। इ० एच्० ह्विटली ने 'नोट्स ऑफ् नागपुरिया हिन्दी' नामक पुस्तक लिखी थी। पी० इडनोज ने नागपुरिया में गोस्पेल का अनुवाद किया था। अब भी कुछ लोग इन बोलियों पर अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं।

भोजपुरी

भोजपुरी भोजपुर-क्षेत्र की भाषा या बोली है। पूर्वी बिहार एवं पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की लगभग ५० हजार वर्गमील भूमि 'भोजपुर' कहलाती है। साधारणत., बिहार में शाहाबाद और सारन तथा पलामू और चम्पारन जिलों के अधिकाश भाग में भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर-प्रदेश मे यह बलिया, गाजीपुर (पूर्वी आधा), गोरखपुर (सरयू और गंडक के बीच), फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर (पश्चिमी भाग) और मिर्जापुर (दक्षिणी भाग) जिलों में बोली जाती है। स्थान-भेद से इस बोली के भी विभिन्न भेद बताये जाते हैं। साधारणतः, शाहाबाद, सारन और बलिया जिलों मे तथा पलामू, चम्पारन, गाजीपुर और गोरखपुर जिलों के कुछ भागों में विशुद्ध भोजपुरी बोली जाती है।

कबीर, रविदास, दरियादास, धरनीदास आदि संतकवियों की रचनाओं पर भोजपुरी का बहुत प्रभाव दीखता है। इनके बाद के कवियों में ठाकुरविश्राम सिंह, बाबा रामेश्वर दास, बाबा शिवनारायण, रघुवीर नारायण, रामकृष्ण वर्मा 'बलवीर', महादेव, तेगअली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इधर पन्द्रह-बीस वर्षों से लोग भोजपुरी की उन्नति के लिए अग्रसर हैं और इस भाषा में अच्छे-अच्छे विद्वान् गद्य और पद्य की पुस्तकें लिखने लगे हैं। समय-समय पर इस भाषा में दो-एक पत्रिकाएँ भी निकलती रही हैं, जिनमें 'भोजपुरी', 'अँजोर' तथा 'गाँवघर' के नाम प्रमुख हैं।

☆

कृषि

बिहार मुख्यतया कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ की करीब ८६ प्रतिशत जन-संख्या कृषि पर निर्भर करती है (जबकि अखिलभारतीय औसत ६६·८४ प्रतिशत है)। बिहार-राज्य के उत्तरी भाग में और गंगा की तराई मे कृषि-योग्य भूमि अधिक है। यह भू-भाग खेती के लिए विशेष उपयोगी है और यहाँ पैदावार भी अधिक होती है। छोटानागपुर-भाग जंगलों और पहाड़ों से भरा होने के कारण कृषि के लिए उतना उपयुक्त नही है। यह भाग खनिज-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बिहार भारत के अति समृद्ध एवं उर्वर भू-खंडों मे एक है तथा यहाँ प्रायः सभी फसलें उपजाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें हैं—धान, ईख, मकई, गेहूँ, जौ, अरहर, जूट, तम्बाकू, मिर्च, आलू, सरसों, मटर, खेसारी आदि। दक्षिण-बिहार की भूमि उत्तर-बिहार की भूमि की तुलना में कम उपजाऊ है, फिर भी यहाँ धान, मकई, ज्वार, अरहर, ईख, तम्बाकू, गेहूँ, मिर्च, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि फसलें होती हैं। बिहार में फसलों के कटने के प्रमुख समय तीन हैं—भदई (बरसात), अगहनी (जाड़ा) और रब्बी (वसंत)।

भदई की फसलों में बहुत शीघ्र उपजनेवाली फसलों की ही प्रधानता है। ये फसलें मई और जून में बोई जाती हैं तथा अगस्त और सितम्बर में काटी जाती हैं। इस कोटि की फसलों में साठी चावल, मकई, ज्वार और जूट की फसलें प्रमुख हैं। मड़ुआ भी भदई फसल के अन्दर आता है, जो निम्नकोटि की जमीन में होता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिलों में इसकी उपज अधिक मात्रा में होती है। गंगा के उत्तर का मैदान, दक्षिण के मैदानों की अपेक्षा भदई की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। दियारा के भाग में मकई की फसल का प्रचुर उत्पादन होता है। छोटानागपुर के क्षेत्र मे साठी, ज्वार और दलहन (जैसे उरीद और मूँग) आदि फसलें भदई मे आती हैं।

अगहनी फसलें जून के मध्य में बोई जाती हैं। जुलाई और अगस्त में धान के बीज को एक खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में रोपा जाता है। अगहन से पूस (नवम्बर से दिसम्बर) तक मुख्य अगहनी फसलें कट जाती हैं। इसी समय धान के अतिरिक्त दूसरी फसलें—जैसे ईख, तिल, ज्वार आदि—भी कट जाती हैं। ईख फरवरी में बोई जाती है तथा नवम्बर से अप्रैल तक काटी जाती है।

बिहार में उपज की दृष्टि से चावल सबसे अधिक भू-भाग में उपजाया जाता है। गेहूँ, जौ, खेसारी, चना, मटर, तीसी, अरहर, राई, सरसों आदि रब्बी की फसलें हैं, जो आश्विन-कार्त्तिक में बोई जाती हैं तथा फाल्गुन-चैत्र महीने में काटी जाती है। बिहार की विभिन्न फसलों की उपज के आँकड़े आगे की तालिकाओं मे दिये गये हैं—

प्रमुख फसलों की उपज

फसलों की उपज के निम्नांकित आँकड़े फसल-कटाई-प्रयोग तथा दृष्टि-अनुमान पर आधारित हैं।

(हजार टनों में)

वर्ष	धान	गेहूँ	चना	जौ	मकई
१९५३-५४	६,१९६	३९१	२९०	२१६	२८१
१९५४-५५	३,९२०	४२०	२६३	१८९	४१३
१९५५-५६	३,६५७	३६२	२०८	२०४	२९२
१९५६-५७	३,९२४	१८१	१,४५७	१,२५७	३८३
१९५७-५८	३,४३०	२७०	२१५	१५६	३७०

वर्ष	मसूर	अरहर	खेसारी	मटर	ईख
१९५३-५४	९१	८५	३८४	३५	१,८४०
१९५४-५५	५७	९७	२६८	४२	२,१७५
१९५५-५६	६७	७५	३२१	२२	२,१३२
१९५६-६७	२५	४७	२३३	१२	३,६७१
१९५७-५८	१,२०१	८२	२०५	२६	३,१८३

वर्ष	आलू	तम्बाकू	जूट	मिर्च	
१९५३-५४	२२७	१०	४६८	१४	—
१९५४-५५	२२२	९	३८०	१८	—
१९५५-५६	२३९	१०	६४३	१२	—
१९५६-५७	२४८	७	१,३७७	६	—
१९५७-५७	२८१	९	७०७	३५	—

मुख्य फसलों के क्षेत्र

यहाँ १९५६-५७ में हुए बिहार के पूर्ण प्रगणन-सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य फसलों के क्षेत्र (१००० एकड़ में) दिखाये गये हैं।

जिला	चावल	गेहूँ	चना	जौ	मकई	मसूर	अरहर	खेसारी	मटर	ईख	तम्बाकू	आलू	जूट	मिर्च	मड़ुआ
पटना	६०२	१३९	१५०	३८	४३	८८	९	३५१	९	१४	*	११	....	५	७
गया	१,०५५	२६९	१९०	५०	४०	५०	३०	३५२	१६	२८	*	७	...	२	२६
शाहाबाद	१,०७३	३५३	३१८	७२	२१	३९	२१	४४२	१६	२३	*	२	....	१	१
सारन	४७३	१७२	५१	१७४	२५४	४	५२	२७	१६	८१	२	४	४	*	३१
चम्पारन	९६७	१०२	२३	१६३	९६	४१	२२	५४	११	१६२	१	२	२७	*	६
मुजफ्फरपुर	८३२	११४	४३	१२५	१३०	१५	१९	१७०	२	२७	१४	१	४	८	२२
दरभंगा	९११	१२१	३२	६७	७९	८	१६	१०५	२	३६	११	१	११	२८	३७
मुँगेर	४४८	२६६	१६३	४०	१८७	११	२३	८४	१५	७	१	१	३	८	६
भागलपुर	२९३	७४	७६	३८	७६	१	६	३७	१	९	२	२	*	....	१
सहरसा	३०८	४१	१	३०	६९	...	२	२०	२	२	..	१	१८६	..	३१
पूर्णिया	१,०७२	१७२	४०	७१	७३	८	६	३४	३	२	११	९	४५४	३	४
संतालपरगना	१,२२७	१३	२४	११	१२५	१	१६	४६	....	१	..	१	..	..	१०
हजारीबाग	९१४	१५	१०	६	९७	१	११	५	२	५	....	३	....	..	५७
रांची	१,१४१	६	१४	२	२३	१	२५	६	१	...	...	२	...	...	१०४
पलामू	२१४	२५	८४	३५	८०	६	५१	२१	२	४	...	...	....	१	९
धनबाद	२२०	....	...	....	४४	...	३	२	....	१	१	१	...	....	१०
सिहभूम	८२५	१	७	....	२०	७	६	११	२	*	*	*	.	..	१
कुल जोड़	१२,३४५	१,८८३	१,२२५	९२२	१,४५२	२७४	३१८	१,७६३	१००	४०२	४०	४७	६८९	५६	३९५

मुख्य फसलों की उपज

बिहार में १९५६-५७ मे किये गये पूर्ण प्रमणन-सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य फसलों की उपज का निम्नलिखित विवरण, फसल-कटाई-प्रयोग तथा दृष्टि-अनुमान पर आधारित है।

(हजार टनों में)

जिला	चावल	गे	चना	जौ	मकई	मसूर	अरहर	खेसारी	मटर	ईख	आलू	तम्बाकू	जूट	मिर्च
पटना	१९१	२४	३८	११	१३	१०	१	३६	..	९०	४१	*	.	१
गया	३३१	४१	४२	१०	११	३	३	४५	३	५०	३०	*	..	..
शाहाबाद	३३२	७८	७६	७१	८	४	४	५६	२	१५२	११	*	....	...
सारन	१०८	५२	१८	५३	७३	....	६	३	३	५८५	१६	१	८	.
चम्पारन	२०१	२४	५	३६	२०	३	३	५	१	१,७२३	५	..	४५	*
मुजफ्फरपुर	२३६	२७	१८	४९	४	१	३	४०	....	२५३	१	२	४	१
दरभंगा	२३४	१०	४	९	२६	१	२	११	१	६९७	५	१	१७	३
मुंगेर	१३५	३३	३१	७	५०	१	३	६	२	१५	१	*	६	१
भागलपुर	११८	५	१७	६	१७	....	१	२	...	५९	४	*	१	*
सहरसा	११५	६	...	५	१०	....	...	२	...	११	३	*	३९०	*
पूर्णिया	२१९	१०	८	१०	२०	१	....	४	...	१२	२०	३	९०६	*
संतालपरगना	४६५	२	६	२	३२	...	१३	१६	..	९	१	*	१	...
हजारीबाग	२८०	२	२	२	३०	..	१	१	...	४	२	*	...	...
राँची	३१५	...	४	..	७	..	४	१	...	...	२	*	...	...
पलामू	६२	३	१२५	११	३४	१	८	३	...	९	...	*	...	...
धनबाद	१२२	*	..	...	१२	...	१	...	...	२	...	*	...	...
सिंहभूम	२६०	*	...	...	४	...	१	२	१	*	*	*	...	...
कुल जोड़	२,७२४	३१७	३६४	२८२	३७१	२५	४७	२३३	१२	३,६७१	१४२	७	१,३७७	६

विहार की फसलों के सम्बन्ध में दी गई पिछले पृष्ठों की तालिकाओं से ज्ञात होता है कि धान यहाँ की प्रमुख उपज है। राज्य की कुल कृषि-योग्य भूमि के ५२ प्रतिशत मे धान की खेती होती है। धान के अतिरिक्त गेहूँ, मकई, चना, जौ और ज्वार भी उपजाये जाते हैं। यहाँ के ८.६ प्रतिशत क्षेत्र मे मकई की फसल होती है। दलहनों मे खेसारी सबसे वड़े भू-भाग में पैदा की जाती है।

तेलहन के उत्पादन में भी विहार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। खासकर तीसी, सरसों, राई, और रेंडी की यहा अच्छी उपज होती है। तीसी और तीसी के तेल के निर्यात में इस राज्य को प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था मे तेलहन का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

ईख, जूट, तम्बाकू, मिर्च और आलू विहार की मुख्य फसलें हैं, जिनसे नकद रुपये की प्राप्ति होती है। ईख-उत्पादन में उत्तर-प्रदेश के वाद विहार का ही स्थान है। ईख की खेती में करीव ४ लाख व्यक्ति लगे हैं। ईख की उपज मुख्यतया चम्पारन, सारन, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में होती है। दक्षिण-विहार के भी कुछ हिस्सों में यह उपजाई जाती है। ईख की उपज बढाने तथा इसकी खेती को उन्नत करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। ईख की अच्छी उपज तथा किस्म के लिए पूसा मे एक केन्द्रीय ईख-अनुसन्धानशाला तथा पटना मे एक उप-अनुसन्धानशाला सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।

अन्य फसलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए पटना, पूसा, सवौर तथा कोके मे क्षेत्रीय अनुसन्धान-निर्देशकों के अधीन चार अनुसन्धान-संस्थान कार्य कर रहे हैं। अनुसन्धान-कार्य के निर्देशन एवं सचालन के लिए मुख्यालय मे एक कृषि-अनुसन्धान-संचालक हैं। सरकार कृषकों को ईख-उत्पादक-सहकारी-समितियाँ वनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अच्छी खेती और अच्छी ईख की उपज के लिए तथा कृषि के नये ढंग अपनाने के लिए ये सहकारी समितियाँ वहुत-कुछ कर रही हैं। तम्वाकू और मिर्च की खेती मुख्यत. मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, दरभगा और पटना जिलों में होती है।

पूर्णिया और सहरसा जिलों में पाट की खेती होती है। सन् १९५५-५६ ई० मे विहार से १,४६,६५८ मन कच्चे और ४३,६४,२४२ मन पक्के पटसन का निर्यात किया गया। सन् १९५५-५६ ई० मे ७,२५,६७६ गज पटसन के वोरे एव कपड़े तैयार हुए। सन् १९५५-५६ ई० मे पटसन के अतिरिक्त ३६,८१७ मन सन का निर्यात हुआ।

उन्नत वीज

सन् १९५६-५७ ई० मे प्रमुख फसलों के उन्नत वीज तैयार किये गये और २,६३४ मन धान तथा १,६५० मन गेहूँ के उन्नत वीज उत्पादकों के वीच वॉटे गये।

कृषि की उन्नति के लिए सरकार का एक अलग विभाग है। इस विभाग के सवसे वड़े अधिकारी निर्देशक तथा उनके अधीन एक संयुक्त निर्देशक तथा उपनिर्देशक होते हैं। विहार-राज्य के अन्दर कृषि-सम्वन्धी कई अनुसन्धान-शालाएँ हैं। पूसा की अनुसन्धान-शाला सन् १९०४ ई० मे कायम हुई थी। सन् १९३४ इ० के भूकम्प के वाद इसका अधिकतर महत्त्वपूर्ण भाग उठकर दिल्ली चला गया। फिर भी, इन दिनों यहाँ कई महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान-कार्य हो रहे हैं। कृषि-महाविद्यालय,

सवौर मे भी कृषि-अनुसन्धान-शाला है। मुजफ्फरपुर के पास मुसहरी नामक स्थान में सन् १९३२ ई० में ऊख-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक अनुसन्धान-शाला खोली गई। इसी तरह धान और फलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान के लिए सन् १९३२-३३ ई० में सवौर में अनुसन्धान-शालाएँ कायम की गईं।

मानभूम जिले के सिन्दरी नामक स्थान में कृत्रिम खाद के उत्पादन के लिए भारत-सरकार की ओर से एक कारखाना खोला गया है, जो अपने ढंग का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में उत्पादित बिजली से अन्य औद्योगिक कार्य भी होंगे।

कृषि-सम्बन्धी सरकारी कार्य के लिए सम्पूर्ण बिहार-राज्य चार भागों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक भाग में एक मुख्य केन्द्र, एक बड़ा फार्म और कुछ छोटे फार्म हैं। कुछ फार्मों में पशुओं के नस्ल-सुधार के भी कार्य किये जा रहे हैं। इन फार्मों में उन्नत बीजों, अच्छे ढंग के औजारों, सिंचाई की व्यवस्था और उपयोगी खादों के व्यवहार द्वारा खेती की जाती है तथा उपज बढाने का प्रयत्न किया जाता है। कृषि-सम्बन्धी ये भाग, उनके केन्द्र एवं बड़े तथा छोटे फार्म निम्नांकित हैं—

	भाग	केन्द्र	बड़े फार्म	छोटे फार्म
१.	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	सेपाया (सारन)	मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, पूर्णिया और विरीह (चम्पारन)।
२.	पटना	पटना	पटना	विक्रम (शाहाबाद), गया, नवादा और सिरीस (गया)।
३.	भागलपुर	सबौर	सबौर	जमुई, मुँगेर, बाँका।
४.	छोटानागपुर	कॉके	कॉके	पुरुलिया, चाइबासा, नेतरहाट और चियाँकी (पलामू)।

कृषि-विकास के लिए सिंचाई के जितने साधन इस राज्य में लागू किये जा रहे हैं, उनमें प्रमुख ये हैं—नहर, आहर, पैन, नाला, नलकूप, कूप, बाँध, बिजली तथा अन्यान्य। इन साधनों के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में खेतों की उपज की पूरी जानकारी एवं किसानों को कृषि-सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण-आधार-कार्यकर्ता (वी० एल्० डब्ल्यू) तथा तहसीलदार नियुक्त किये गये हैं। समय-समय पर वे कृषि-विनाशी कीटों एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से फसलों की रक्षा करने के भी कार्य करते हैं। प्रत्येक थाने में एक कृषि-निरीक्षक तथा सबडिवीजनों एवं जिलों में कृषि-पदाधिकारी कृषि-सुधार एवं कृषि-विकास के लिए सरकार की ओर से नियुक्त हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्ड की सहायता से कृषि के अतिरिक्त, दूसरे प्रकार के सहायता-कार्य भी करते हैं। ग्राम-पंचायतों की स्थापना के बाद पंचायत का मुखिया तथा ग्राम-सेवक इस कार्य में सरकारी कर्मचारियों एवं प्रभारियों की यथोचित सहायता करते हैं।

सिंचाई

विहार में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। किन्तु, मौनसून की अनिश्चितता एवं वर्षा के न्यूनाधिक्य से यहाँ की मुख्य फसल धान की अच्छी उपज नहीं हो पाती। समान रूप से वर्षा न होने से किसी भाग में सूखा रहता है, तो कहीं बाढ आती है। अत:, कृषि की अच्छी उपज के लिए सिंचाई की प्रमुख व्यवस्था अनिवार्य है। सिंचाई के प्रमुख साधन हैं—नहर, कूप, नल-कूप और पंपिंग सेट। विहार मे इन साधनों के लिए क्या व्यवस्था है, यह नीचे दिया जा रहा है—

नहरें

सोन-नहर—बृहत् सिंचाई-योजना के अन्तर्गत यह नहर सवसे वडी और पुरानी है। यह सन् १८७५ ई० मे पूर्णतया तैयार हो गई थी। इसकी लम्बाई १,५८७ मील है, जिसमे ३६२ मील में मुख्य नहर एवं १,२२५ मील में शाखा-नहरें हैं। पहले यह खरीफ की फसलों की सिंचाई की अपेक्षा रब्बी के फसल के लिए अधिक उपयुक्त समझी गई थी, किन्तु अव स्थिति बिलकुल वदल गई है। अव इसका ८५ प्रतिशत व्यवहार खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए होता है तथा केवल १५ प्रतिशत रब्बी की फसलों की सिंचाई इससे हो पाती है।

सन् १६५५-५६ ई० में करीव ४३,०६,५८५ रु० नहर-कर से राजस्व के रूप मे प्राप्त हुए तथा २६,६६,११६ रुपये नहर-विभाग द्वारा खर्च किये गये।

इस समय सोन-नहर की खुदाई-योजना के अन्तर्गत नहर के नवीकरण मे २३,७५० लाख रुपये खर्च होंगे। इस योजना द्वारा १६० लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सोन-नहर की वर्त्तमान सिंचन-प्रणाली से इस समय ८५८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त वहे हुए जल से करीव ५ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। सोन-नहर-प्रणाली के नवीकरण एवं विस्तार से करीब ५ लाख एकड़ भूमि तथा नहर की सतह ऊँची कर देने से करीव २ लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। सोन-नहर-वराज से विभिन्न उद्योगों के लिए करीब ७,००० किलोवाट विजली ७ महीनों के लिए तथा १४,००० किलोवाट विजली ५ महीनों के लिए निकालने की भी योजना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के सफल होने पर विहार को अधिकाधिक लाभ हो सकेगा, ऐसी आशा की जा रही है।

त्रिवेणी-नहर—उत्तर-विहार में केवल यही एक वडी नहर-प्रणाली है। इस नहर की खुदाई का काम सन् १६१४ ई० में पूरा हो गया था। यह नहर २४६½ मील लम्बी है। इस नहर में ६१½ मील मुख्य तथा १८५½ मील की वितरक शाखाएँ हैं। इससे चम्पारन की करीव १,१६,००० एकड़ भूमि सींची जाती है। २६,७७,००० रुपये के अनुमित व्यय से २,८०० एकड़ के एक अतिरिक्त क्षेत्र को लेकर इस नहर की एक विस्तार-योजना अभी हाल में पूरी हुई है।

११,२६० लाख रुपये के खर्च के द्वारा मुख्य नहर की ६१½ मील की लम्बाई में ३२ मील अधिक विस्तार करने के लिए एक दूसरी योजना प्रारम्भ की गई है। इससे ६२ हजार एकड़ अतिरिक्त भू-भाग की सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। एक तीसरी योजना के अन्तर्गत त्रिवेणी-नहर-विस्तार-योजना भी चलाई जा रही है, जिसमे ६·५० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इससे ८ हजार एकड़ भूमि के सिंचन की व्यवस्था सम्भव है।

तेउर-नहर—इस नहर की मुख्य शाखा अपनी १६ वितरक शाखाओं के साथ केवल ६ मील की लम्बाई में फैली है। इससे चम्पारन जिले की करीब ४,००० एकड़ भूमि मे सिंचाई होती है।

त्रिवेणी, ढाका और तेउर नहर से सन् १९५५-५६ ई० में १३,७७,४४० रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए तथा ८,३०,९४५ रुपये व्यय हुए।

सोन और चम्पारन की नहरों से कुल १,०४३ लाख एकड़ भू-क्षेत्र में सिंचाई हुई।

सारन की नहरें—नील के पौधों की सिंचाई करने के लिए सन् १८७९ ई० में नील-उत्पादकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ८ लाख रुपये की लागत से यह नहर खुदवाई गई थी। अनेक कारणों से यह योजना सफल नहीं हुई और अन्ततोगत्वा सन् १८९८ ई० में इस नहर का काम बन्द कर दिया गया। अभी हाल में ४७४ लाख रुपये के व्यय से १०,६०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए यह पुन खोदी गई है।

सकरी-नहर—यह नहर सन् १९५० ई० में खोदी गई। ३४ मील लम्बी वितरक शाखाओं के साथ इसकी लम्बाई १२ मील है। इस नहर द्वारा मुँगेर, गया और पटना की करीब ५० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

कमला-नहर—२२'५७ लाख रुपये की लागत से यह नहर कमला नदी से निकाली गई है, जिससे करीब ३,८००० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है।

नल-कूप (ट्यूब-वेल)

कूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था वहुत पहले से होती आई है। किन्तु, नलकूपों से सिंचाई का काम प्रयोगात्मक रूप में सन् १९३८-३९ ई० में आरम्भ किया गया। सन् १९५७-५८ ई० तक सिंचाई-विभाग ने ९४६ नल-कूप (४५० उत्तर-विहार मे और ४९६ दक्षिण-विहार में) धँसवाये। इनके अतिरिक्त ५ आकस्मिक नदी-पम्पिङ्ग-सेट (जो १६ नलकूपों के वरावर हैं) की भी व्यवस्था हुई। इन नल-कूपों से करीव १'९५ लाख एकड़ भू-क्षेत्र सींचा गया। उत्तर-विहार के सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों के अतिरिक्त दक्षिण-विहार के शाहावाद, पटना, मुँगेर और गया के भू-भाग भी इस सिंचाई-व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं।

सिंचाई की नई उत्कृष्ट योजना

विहार की कृषि-योग्य भूमि की सिंचाई के लिए एक उत्कृष्ट योजना तैयार की गई है। विहार की कुल २५५'६० लाख एकड़ खेती-लायक जमीन मे १०४ लाख एकड़ की निश्चित रूप में सिंचाई हो सकेगी। इसमें १८४ करोड़ रुपया खर्च होगा।

दक्षिण-विहार के मैदानों में सम्पूर्ण जलस्रोत १०२'९ लाख एकड़ फुट है, जिसमें ६५ लाख एकड फुट का उपयोग कुल खेती-लायक जमीन, ७०'८९ लाख एकड़ में से २९ लाख एकड़ भूमि के पटवन में इस समय किया जा सकता है। इसमे ५२'६९ करोड़ रु० खर्च पड़ेगा। छोटानागपुर और संतालपरगना के उपत्यका-क्षेत्र मे सम्पूर्ण जल-स्रोत १६'७० (दस लाख) एकड़ फुट है, जिसमें ३०'७ लाख एकड़ फुट का उपयोग कुल खेती-लायक जमीन, ८१'४४ लाख एकड़, मे से १०'६० लाख एकड़ के पटवन में किया जा सकता है। कुल खर्च ३३'३४ करोड़ रु० पड़ेगा।

उत्तर-विहार में नदियों की प्रचुरता है और विशाल जल-स्रोत हैं। वहाँ मुख्यत: बाढ-नियंत्रण की समस्या है। सिंचाई की योजनाएँ परिकल्पित की गई हैं, जिनसे कुल १०३·४ लाख खेती-लायक जमीन में से ६४ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए १३२·४ लाख एकड़ फुट जल का (इसमें कोशी और गंडक-परियोजनाएँ भी शामिल हैं) उपयोग किया जा सकता है। इसमें ६८ करोड़ रुपया खर्च पड़ेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पूर्व विहार में कुल १०·३७ लाख एकड़ जमीन की निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त थीं। प्रथम-योजना काल में सुनिश्चित सिंचाई के साधनों द्वारा ५.१३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का सभावित लक्ष्य रखा गया। इसमें ३·१६ लाख एकड़ की सिंचाई का उपयोग प्रथम योजना-काल के अन्त में किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६·७९ लाख एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की संभाव्यता का लक्ष्य रखा गया था और ५·७५ लाख एकड़ भूमि को (जिसमें पहली योजना में उपयोग में नहीं लाई गई संभाव्यता का १·६७ लाख एकड़ भी शामिल है) सिंचाई के अन्दर लाने का भी लक्ष्य था।

प्रथम और द्वितीय योजनाओं में सिंचाई की जितनी स्कीमें थी, उन सवकी पूर्ति हो जाने पर कृषि का जो विकास होगा, उसके वावजूद विहार-राज्य खाद्यान्न के उत्पादन में स्वावलम्वी नहीं हो सकेगा। इसके भूमि-संसाधन सीमित हैं और जन-संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसलिए कृषि-उत्पादन के क्षेत्र में इस राज्य को दौड़ में आगे रहना होगा। सन् १९७६ ई० तक यहाँ की पैदावार इस समय की अपेक्षा दुगुनी हो जानी चाहिए, तभी वढती हुई जन-संख्या के लिए खाद्य का प्रवन्ध हो सकता है।

जन-संख्या बनाम अन्नोत्पादन

वर्ष	कुल जन-संख्या	वयस्क इकाइयाँ	खाद्य की आवश्यकता (लाख टनों में)
१९६१	४६·४	३८·६	७०·६७
१९६६	५१·१	४२·४	७७·८०
१९७१	५५·७	४६·३	८४·८०
१९७६	६१·३	५०·९	९३·२९

१९४९-५० के मूल्यों के आधार पर विहार के कृषि-वर्ग के लोगों की औसत वार्षिक आय प्रति व्यक्ति इस प्रकार है—

वर्ष	वार्षिक आय	वर्ष	वार्षिक आय
१९४९-५०	१०५·६८ रु०	१९५४-५५	६४·२२ रु०
१९५०-५१	८८·३९ रु०	१९५५-५६	७९·११ रु०
१९५१-५२	९९·१४ रु०	१९५६-५७	८६·३७ रु०
१९५२-५३	९८·८३ रु०	१९५७-५८	७२·४७ रु०
१९५३-५४	९३·५१ रु०		

जवकि सम्पूर्ण भारत का आँकड़ा १५२·३५ रु० है। यहाँ किसानों की प्रति व्यक्ति कृषि-आय वहुत कम है।

सतालपरगना

कुल क्षेत्रफल—	३५·१२ लाख एकड़	कृषि-योग्य ऊसर भूमि—१६६ हजार एकड़	
		वास्तविक जोती-बोई जानेवाली	
जंगल—	८२२ हजार एकड़	जमीन—१,५७४ हजार एकड़	
पहाड़—	७०७ हजार एकड़	सिंचाई की संभाव्यता—४·२० लाख एकड़	
वंजरभूमि—	२११ हजार एकड़	खर्च—	१२·६० करोड़ रुपये।

छोटानागपुर

कुल क्षेत्रफल—	१६१·८१ लाख एकड़	कृषि-योग्य ऊसर भूमि—	६·०२ लाख एकड़
पहाड़, नदी, ग्राम,		वास्तविक जोती-बोई जानेवाली जमीन	
नगर—	२८·५१ लाख एकड़	का क्षेत्रफल—	३६·१५ लाख एकड़
जंगल—	७१·७० लाख एकड़	सिंचाई की संभाव्यता—	६·४० लाख एकड़
वंजर भूमि—	१३·४३ लाख एकड़	खर्च—	२०·४४ करोड़ रुपये।

कोशी-परियोजना

पिछले १५० वर्षों में कोशी नदी क्रमशः दाईं ओर खिसकती हुई करीव ७० मील पश्चिम हटी है। इससे विहार और नेपाल की करीव ८ हजार वर्गमील जमीन वंजर हो गई। पहाड़ी क्षेत्रों से होती हुई यह नदी चतरा (नेपाल) के पास समतल भूमि में प्रवेश करती है। कोशी के प्रकोप से राष्ट्र को हर वर्ष १० करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ी है। कोशी पर कावू पाने के लिए १४ जनवरी, १६५५ को ४४ करोड़ ७६ लाख रुपये की एक परियोजना चालू की गई। इसकी वहती धाराओं के दोनों ओर करीव ७५-७५ मील के दो तटवन्धों ने कोशी के दायरे को ३ से १० मील के अन्तर्गत सीमित कर दिया है। इन दोनों तटवन्धों में पूर्वी तटवन्ध की ओर १६ मील तथा पश्चिमी तटवन्ध की ओर ४ मील आगे वढ़ाया जायगा। वराज के जलाशय से नहरों के लिए पानी मिलने लगेगा, जिससे करीव २५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। मुख्य पूर्वी नहर पर एक विद्युत्-उत्पादन-गृह वनाया जायगा, जिसकी अधिष्ठापित धारिता (इन्सटॉल्ड कैपेसिटी) २०,००० किलोवाट होगी। जितनी विजली पैदा की जायगी, उसका आधा हिस्सा नेपाल को मिलेगा। तटवन्धों का निर्माण अधिकांशतः स्थानीय पंचायतों और सहयोग-समितियों को सौंपा गया था। भारत-सेवक-समाज की देखरेख में विभिन्न इकाइयों ने काम किया। विहार और नेपाल की ८ हजार वर्गमील भूमि को कोशी की उच्छृङ्खलता से राहत मिली है। साथ ही, विहार और नेपाल की करीव ६ लाख एकड़ खेती-लायक जमीन का वचाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ है।

परियोजना के अनुमोदित कार्यक्रम में पूर्वी कोशी नहर-प्रणाली वनाने की वात थी, जिसमें एक नहर, चार शाखा-नहरें और प्रशाखा-नहरें शामिल हैं। इन नहरों से पूर्णिया और सहरसा जिलों में १४ लाख एकड़ जमीन की फसलों की सिंचाई होगी।

नहरों की खुदाई २ अप्रैल, १९५७ ई० में शुरू की गई और ७२ करोड़ घनफुट मिट्टी का काम अक्टूबर, १९६० ई० तक हो चुका था। इन नहरों से नहरी इलाकों में निश्चित सिंचाई के अलावा पूर्णिया तथा सहरसा जिले की करीब तीन लाख ५० हजार एकड़ बजर भूमि को आबाद करने में सहायता मिलेगी।

बराज के जलाशय से दो और सिंचाई-योजनाओं को कोशी-परियोजना के विस्तार के रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। (१) पश्चिमी कोशी नहर-प्रणाली तथा (२) राजपुर नहर-प्रणाली। पश्चिमी नहर-प्रणाली से दरभंगा जिले की ७ लाख २० हजार एकड़ जमीन की तथा राजपुर नहर-प्रणाली से सहरसा जिला की ४ लाख ३० हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की फसलों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

तिरहुत-प्रमण्डल (उत्तर-बिहार)

कृषि-योग्य कुल भूमि का प्रमुख फसलों के हिसाब से वितरण, सिंचाई की संभाव्यता के क्षेत्र तथा खर्च के आँकड़े नीचे दिये जा रहे हैं—

जन-संख्या—	१४६ लाख	बंजर भूमि—	६·७८ लाख एकड़
कुल भूमि—	८०·६० लाख एकड़	कृषि-योग्य ऊसर भूमि—	३·४५ लाख एकड़
गाँव, नगर, नदी, सड़क इत्यादि—	१३·७१ लाख एकड़	वास्तविक बोई जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल—	५५·०७ लाख एकड़
जंगल—	१·५९ लाख एकड़		

प्रतिशत ५८ भाग भूमि में धान
„ ९ „ „ गेहूँ
„ १० „ „ मकई
„ २३ „ „ अन्य फसलें
सिंचाई की संभाव्यता—३९·८४ लाख एकड़
खर्च— ६०·७६ करोड़

गण्डक-योजना

गंडक नदी नेपाल की पहाड़ियों तथा वन-प्रान्तर से होती हुई, भारत-नेपाल-सीमा के पास चम्पारन जिले के त्रिवेणी नामक स्थान में समतल में प्रकट होती है। त्रिवेणी से पटना के सामने तक, जहाँ यह नदी गंगा में गिरती है, इसकी धारा १७३ मील लम्बी है, जिसमें से दाहिने तट का ११½ मील नेपाल को छूता है।

गंडक घाटी, जिसमें प्रति वर्गमील १,०२० व्यक्ति निवास करते हैं, इस देश की सर्वाधिक घनी आबादीवाले क्षेत्रों मे से है। साथ ही, यह उत्तर-बिहार और नेपाल के सर्वाधिक उर्वर तथा समृद्ध कृषि-क्षेत्रों में से है। घाटी की मुख्य फसलें धान, गन्ना, मकई, जौ, पटसन, तम्बाकू, मिर्च, आलू और तेलहन हैं।

वर्तमान गण्डक-योजना का जन्म सन् १९४७ ई० में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, जो भारत के तत्कालीन कृषि और खाद्य-मंत्री थे, की प्रेरणा से हुआ। उन्होंने एक पत्र

लिखकर विहार-सरकार से अनुरोध किया था कि विहार के सारन, चम्पारन तथा मुजफ्फरपुर और उत्तरप्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिलों के वड़े क्षेत्रों तथा नेपाल के हिस्सों की सिचाई के लिए गण्डक से नहरें निकालने की संभावनाओं की छानवीन की जाय। इस सम्वन्ध का प्रथम सुसम्बद्ध योजना-प्रतिवेदन सन् १६५१ ई० में तैयार किया गया था। कोशी-योजना के कारण सन् १६५१ ई० से सन् १६५४ ई० तक गण्डक-योजना को प्रलम्बित रखा गया। लगभग तीन वर्षों की समझौता-वार्त्ता के वाद सन् १६५६ ई० के ४ दिसम्बर को वराज-निर्माण के स्थान-सम्वन्धी नेपाल से समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। गण्डक-योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे—

(१) वर्त्तमान त्रिवेणी नहर-प्रणाली के शीर्ष-यामक (हेड-रेगुलेटर) से लगभग १ हजार फुट नीचे भैंसालोटन में सड़क-पुल के साथ २,७४६ फुट लम्बे वराज का निर्माण।

(२) विहार के सारन जिले में १४·०८ लाख एकड़ तथा उत्तरप्रदेश में ८·३१ लाख एकड भूमि की सिचाई के लिए जल-नियंत्रक बाँध से १५,८०० घनफुट प्रति क्षण जल-नि.सरण के लिए मुख्य पश्चिमी नहर का निर्माण। मुख्य नहर की कुल लम्वाई १२० मील होगी, जिसमें से ११½ मील नेपाल में पड़ेगी, ६८½ मील गोरखपुर और देवरिया जिलों में और शेष विहार के सारन जिले में।

(३) मुख्य पूर्वी नहर का निर्माण, जिसमें नियंत्रक बाँध से १४,११० घनफुट प्रतिक्षण जल-निःसरण होगा। इससे विहार के चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों में १७·५४ एकड़ भूमि और नेपाल के तीन जिलों में १,०३,५०० की सिचाई होगी। इस नहर की कुल लम्वाई १५५ मील होगी और यह चम्पारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों से होकर जायगी।

इस योजना का कुल अनुमित व्यय ५१·४४ करोड़ रुपये है। इसमें से विहार के लिए योजना के अंश पर अनुमानतः ४०·४७ करोड़ और शेष उत्तरप्रदेश को लगेंगे। इस योजना से विहार में प्रति वर्ष २६·५२ लाख एकड़ भूमि की सिचाई निम्नलिखित प्रकार से होगी—

सारन	११·८२ लाख एकड़
चम्पारन	६·०० ,, ,,
मुजफ्फरपुर	६·४० ,, ,,
दरभंगा	२·३० ,, ,,
कुल	२६·५२ ,, ,,

जंगल

विहार में जंगल का कुल क्षेत्रफल ७० हजार वर्गमील है, जिसमें सीमाङ्कित जगल-क्षेत्र १३,२८८ वर्गमील है। जंगली क्षेत्र प्रधानत छोटानागपुर-प्रमण्डल में हैं। भागलपुर-प्रमण्डल के भागलपुर, मुंगेर तथा संतालपरगना और पटना-प्रमण्डल के पटना, गया और शाहावाद जिलों में जंगली क्षेत्र हैं। उत्तर-विहार में पूर्णिया और चम्पारन जिलों में जंगल हैं।

जगल से विहार-सरकार को प्रतिवर्ष १६५·७५ लाख रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं। जंगलों से लोग विना मूल्य जो लकड़ी और जलावन ले जाते हैं, उनका मूल्य ६६·८५ लाख और पशुओं को मुफ्त चराने का मूल्य ४० लाख रुपया कूता गया है।

जंगल-विभाग से सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसका विवरण इस प्रकार है—

वर्ष	राजस्व	वर्ष	राजस्व
१६५५-५६	८६·७८ लाख	१६५८-५६	१४१·२६ लाख
१६५६-५७	१०४·६१ ,,	१६५६-६०	१५० ०० ,,
१६५७-५८	१२१·७८ ,,	१६६०-६१	१६५·७५ ,,

द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे वन-विभाग मे २६० लाख रुपये और तृतीय योजना मे ५५० लाख रुपये का उपबंध किया गया है।

वन-विभाग से सम्बद्ध कई उद्योग भी हैं। रामगढ मे लकड़ी चीरने का एक कारखाना खोला जायगा और कारखाने मे पैकिंग-वक्स तैयार होंगे। इन वक्सों की, अवरख-व्यवसाय, कॉच के कारखानों, मुंगेर की तम्बाकू फैक्ट्री तथा जमशेदपुर, आसनसोल और कलकत्ता के कारखानों मे वड़ी माँग है। आदिवासी लड़कों को वढईगिरी का प्रशिक्षण देने की भी एक योजना है। मधु, सेमल की रूई, आँवला और पशु के चारे की घास के उपयोग पर भी जोर दिया जाने लगा है। गत वर्ष ८०० पाउण्ड मधु वोतलों मे वन्द करके वाजार में वेचा गया। इस वर्ष लगभग २० हजार पाउण्ड मधु तैयार करके विक्री के लिए भेजे जाने की आशा है।

चारे की घास के उपयोग मे वडी तेजी से प्रगति हो रही है। घास-संग्रह के लिए कई केन्द्र खोले गये हैं। यह प्रवन्ध किया गया है कि वन-विभाग जंगल में चारे की घास काटकर पशुपालन-विभाग के उपयुक्त केन्द्रों में भेज देगा और पशुपालन-विभाग उसे वाजार में भेजने की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार ५० से ६० लाख मन तक घास प्रतिवर्ष वाजार में भेजी जा सकती है और इससे वन-विभाग को लगभग १० लाख की अतिरिक्त आय हो सकती है।

वन-विभाग के मुख्य पदाधिकारी मुख्य वन-परिरक्षक कहे जाते हैं। राज्य वन-विभाग की ओर से सारे विहार-राज्य में साल के वन-रोपण का एक व्यापक कार्यक्रम स्वीकार किया गया है। छोटानागपुर-प्रमण्डल और दक्षिण-विहार मे शाल के पौधे १२ से १५ हजार एकड़ भूमि मे लगाये जायेंगे। इस काम मे सरकार लगभग १५ लाख रुपये लगाने जा रही है। उत्तर-विहार मे वनों का क्षेत्रफल लगभग ३६० वर्गमील है। यह भूमि भी शाल के उपवन के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। तीसरी योजना की अवधि मे प्रतिवर्ष ५०० एकड भूमि मे शाल के पौधे लगाने का विचार किया गया है।

उत्तर-विहार के वनरोपण-विभाग का प्रधान कार्यालय पूर्णिया से उठकर वेतिया आ गया है।

वन्य पशु

विहार के जंगलों मे जो वन्य पशु पाये जाते हैं, उनमे सिंहभूम के हाथी; पलामू के अरना भैंसा और कोडरमा के संभर प्रसिद्ध हैं। वाघ और चीता सर्वत्र जंगलों मे पाये जाते हैं। उनका कोई निश्चित वास-स्थल नहीं है। चम्पारन मे गैंडे, पूर्णिया मे जंगली भैंसे और शाहावाद में काले मृग पाये जाते हैं। विभिन्न जातियों के तीतर पक्षी तथा अन्य सिंहभूम, मुंगेर, हजारीवाग, पलामू, गया, रॉची और शाहावाद में मिलते हैं।

शिकार-आश्रय-स्थल—विहार मे सर्वप्रथम सन् १९३२ ई० में सिंहभूम जिले के कोलहन वन-प्रमण्डल के वमिया-वूरू वन-प्रखण्ड में एक शिकार-आश्रय-स्थल की सृष्टि की गई। इसके वाद क्रमशः पॉच और आश्रय-स्थल, कुल २७२ वर्गमील जंगली क्षेत्रों में, निर्मित हुए हैं। इन आश्रय-स्थलों में वन्य जन्तुओं को स्वाभाविक परिवेश के वीच स्वच्छन्द भाव से विचरण करते हुए देखा जा सकता है।

(१) सिंहभूम के सरंडा वन-प्रमण्डल में सरंडा शिकार-आश्रय-स्थल अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल ३५ वर्गमील है और पूर्वी रेलमार्ग के वड़ाजामदा स्टेशन से १०—१६ मील की दूरी पर है।

(२) सिंहभूम जिले के कोलहन वन-प्रमण्डल में वमिया-वूरू आश्रय-स्थल ५० वर्गमील क्षेत्रफल में अवस्थित है। दक्षिण-पूर्व रेल के कलकत्ता-नागपुर रेलमार्ग पर सोनेआ स्टेशन से १०—१२ मील की दूरी पर यह स्थापित है।

(३) सिंहभूम जिले के पोराहाट वन-प्रमण्डल मे ५२ वर्गमील जंगली क्षेत्र में सींगरा आश्रय-स्थल अवस्थित है। चक्रधरपुर से इसकी दूरी १६ मील है।

(४) पलामू वन-प्रमण्डल में ५६ वर्गमील क्षेत्रफल में वरेसंड आश्रय-स्थल अवस्थित है। नेतरहाट और गारू दोनों स्थानों से यहाँ पहुँचा जा सकता है।

(५) कोडरमा आश्रय-स्थल पटना-राँची सड़क पर ८० वर्गमील वन-क्षेत्र में अवस्थित है। आश्रय-स्थल के वीच से होकर सड़क जाती है।

नेशनल पार्क—हजारीवाग जिले में एक नेशनल पार्क विकसित किया गया है। इसके एक अनुभाग से होकर पटना-राँची सड़क और दूसरे अनुभाग से होकर हजारीवाग-वड़कागाँव सड़क जाती है। तिलैया और कोनार वॉध, वोकारो थर्मल पावर-स्टेशन और पारसनाथ पहाड़ी के यह वहुत समीप है। नेशनल पार्क के अन्दर चुने हुए स्थलों में ऊँची मीनारें वनी हुई हैं, जहाँ से जंगली जानवरों को उनके स्वाभाविक परिवेश में देखा जा सकता है और मनोहर दृश्यचित्र का आनन्द लिया जा सकता है।

पशु-पालन

भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का विशेष स्थान है। सन् १९५५-५६ ई० की पशु-गणना के अनुसार भारत मे २० करोड़ ३० लाख मवेशी (गाय, वैल और भैंस), ४ करोड़ भेंड़, ५ करोड़ वकरियाँ तथा ७ करोड़ ३० लाख कुक्कुटादि हैं। सन् १९५६ ई० की पशु-गणना में विहार में, गाय-भैंसों की संख्या एक करोड़ अठहत्तर लाख थी। राज्य के मवेशियों की कुल संख्या में ४० प्रतिशत सख्या वैलों की है।

पशुओं की नस्ल का सुधार करने के लिए राज्य को निम्नांकित चार प्रमुख पशु-प्रजनन अंचलों में विभक्त किया गया है—

१. **बछौड़-अंचल**—यह उत्तर-विहार में नेपाल की सीमा के समानान्तर फैला हुआ है। इस अंचल में चम्पारन जिला, मुजफ्फरपुर का सीतामढी सब-डिवीजन, दरभंगा जिले के सदर और मधुवनी सब-डिवीजन, सहरसा जिला तथा कटिहार सब-डिवीजन को छोड़कर पूर्णिया जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन पड़ते हैं। यहाँ की बछौड़-नस्ल के बैल खेती के लिए समस्त उत्तर-विहार में उत्तम और प्रसिद्ध हैं।

२. **हरियाना-अंचल**—यह अंचल गंगा नदी के कछार से उसके दोनों तरफ फैला हुआ है। इस अंचल में पहाड़ी इलाके को छोड़कर शाहाबाद जिले का शेष भाग, पटना जिले का बाढ़ सब-डिवीजन, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों (जमुई सब-डिवीजन) को छोड़कर मुँगेर जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों (बाँका सब-डिवीजन) को छोड़कर भागलपुर के अन्य सभी सब-डिवीजन, सारन जिला, मुजफ्फरपुर जिले के सदर और हाजीपुर सब-डिवीजन, दरभंगा जिले का समस्तीपुर सब-डिवीजन, पूर्णिया जिले का कटिहार सब-डिवीजन तथा संतालपरगना के दियारा-क्षेत्र पड़ते हैं। इस अंचल के पशुओं का पंजाब की प्रसिद्ध हरियाना-नस्ल के द्वारा विकास किया जा रहा है।

३. **थारपारकर-अंचल**—इस अंचल में बाढ़ सब-डिवीजन को छोड़कर पटना जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन तथा ग्रैण्ड-ट्रंक रोड से उत्तर गया जिले के हिस्से पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में थारपारकर-नस्ल के द्वारा स्थानीय गायों की नस्ल को उन्नत किया जा रहा है।

४. (क) **शाहाबादी अंचल**—इस अंचल में पलामू जिला, हजारीबाग जिला, ग्रैण्ड-ट्रंक रोड से दक्षिण, गया जिले का हिस्सा तथा नवादा सब-डिवीजन पड़ते हैं। यह अंचल शाहाबादी नाम की एक विशेष नस्ल के विस्तार के लिए उपयुक्त है, जो दुग्ध-उत्पादन और कृषि की दृष्टि से शाहाबाद और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय है।

(ख) **लालसिन्धी अंचल**—इस अंचल में राँची तथा सिंहभूम जिले पड़ते हैं।

उन्नत साँड़ों को पैदा करने के लिए उपर्युक्त अंचलों में निम्नांकित पशु-शालाएँ (कैट्ल-फार्म) खोली जा चुकी हैं—

(१) बछौड़ कैट्ल फार्म, पूसा, दरभंगा,
(२) हरियाना कैट्ल फार्म, डुमराँव, शाहाबाद;
(३) राजकीय कैट्ल फार्म (थारपारकर), पटना;
(४) राजकीय कैट्ल फार्म (लालसिंधी), गौरियाकरमा;
(५) रेड पूर्णिया कैट्ल फार्म, पूर्णिया और
(६) राजकीय कैट्ल फार्म (शाहाबाद), सरायकेला।

अबतक इस राज्य में ४६४ पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त, १८ चल-चिकित्सालय भी हैं।

दुग्धशाला—बरौनी मे एक मक्खन-शाला का शिला-न्यास ३० दिसम्बर, १६५६ को राष्ट्रपति द्वारा सम्पन्न हो चुका है। पटना, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में दूध की आपूर्त्ति के लिए सहयोग-समितियाँ काम कर रही हैं।

पशु-पक्षियों का विकास

कुक्कुटादि—सन् १९५६ ई० की पशुधन-गणना के अनुसार राज्य मे मुर्गियों की संख्या ८६·३७ लाख है। कुक्कुटादि के विकास-सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए अबतक तीन कुक्कुट-शालाएँ, दस कुक्कुट-विकास-केन्द्र, इक्कीस कुक्कुटादि प्रसार-केन्द्र तथा बयालीस अण्ड-जनन एवं एक अभिपोष्य केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों में खोले जा चुके हैं।

बकरे-बकरियाँ—सन् १९५६ ई० की पशुधन-गणना के अनुसार, इस राज्य में बकरे-बकरियों की संख्या ६५·५ लाख है। सरकार की ओर से यमुनापारी बकरे, विकास-खण्ड के उन ग्रामों में, जहाँ बकरियों की संख्या ज्यादा है, ग्राम-पंचायत के मुखिया या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास नस्ल-सुधार के लिए रखे जाते हैं। कृत्रिम प्रजनन-केन्द्रों में उन्नत बकरे कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखे गये हैं। इन बकरो की सेवा नि शुल्क प्राप्त की जा सकती है। आदिवासी कल्याण-योजना के अन्तर्गत, आदिवासियों को उन्नत यमुनापारी बकरे मुफ्त देने की व्यवस्था है।

भेड़—इस प्रान्त में भेड़ों की संख्या करीब १० लाख है और उन्हें प्रधानतः छोटानागपुर-कमिश्नरी तथा दक्षिण-बिहार में ऊन-उत्पादन के लिए पाला जाता है। सरकार की ओर से प्रति वर्ष ५० बीकानेरी भेड़ गड़ेरियों के बीच मुफ्त बाँटे जाते हैं। गया में एक ऊन-विश्लेषण-प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। राज्य के विभिन्न स्थानों में चार ऊन-कतरन तथा चार ऊन-विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

सूअर—देहाती सूअरों के नस्ल-सुधार के लिए यार्कशायरी नामक सूअर की नस्ल के सूअरों के प्रजनन की योजना डुमराँव, पूसा तथा गौरीकरमा की पशु-शालाओं में चालू है। इस योजना के अन्तर्गत, आदिवासी क्षेत्रों में २० उन्नत सूअर तथा २० उन्नत सूअरियाँ प्रतिवर्ष नस्ल-सुधार के लिए मुफ्त बाँटी जाती हैं।

बिहार मे पशुओं की संख्या और उनसे उत्पादित वस्तुएँ इस प्रकार हैं—

पशु	सख्या १९५१ ई०	संख्या १९५६ ई०
गाय	४७,४०,०००	४५,२०,०००
भैंस	१५,६०,०००	१७,०१,०००
भेड़	१०,१५,०००	११,००,०००
बकरी	५६,४१,०००	६६,४५,०००
कुक्कुट	८२,६०,०००	८६,३६,०००

उत्पादन	उत्पादित वस्तुएँ १९५१ ई०	१९६०-६१ ई० अनुमित
दूध	४,७०,००,००० मन	६,१८,४६,००० मन
अंडा	१५,०१,८०,०००	२६,७८,००,०००
मास	४२,००० टन	५२,००० टन
ऊन	३,३६,००० पौण्ड	८,६३,००० पौण्ड
हड्डी	—	—
चमड़ा	—	—
गोबर	—	—
टीका की दवा	—	५,४०,००० रुपये प्रतिवर्ष (मूल्य रूप में)

गोशालाओं का विकास

इस समय बिहार-राज्य में १३५ गोशालाएँ हैं। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य-सरकार ने गोशालाओं के विकास के लिए एक योजना तैयार की थी। इस योजना का उद्देश्य गोशालाओं के पास उपलब्ध साधनों, भू-सम्पत्ति, भवन आदि का अधिकतम उपयोग करते हुए गोशालाओं का विकास करना है, ताकि इन गोशालाओं से नागरिकों की दूध की आवश्यकता की पूर्त्ति होने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में पशु-सुधार-कार्य के लिए कुछ संख्या में उत्तम नस्ल के साँढ़ तैयार किये जा सकें।

(१) इस योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल की दस गायें तथा एक साँढ़ विकास-कार्य के लिए चुनी गई प्रत्येक गोशाला को दिये जाते हैं, बशर्ते कि उन्नत नस्ल की इतनी ही गायें और साँढ़ गोशाला की ओर से भी दिये जायँ।

(२) दुधारू गायों के पालन-पोषण पर बढते हुए खर्च को पूरा करने के लिए दो हजार रुपये वार्षिक की आवर्त्तक सहायता दी जाती है।

(३) उन्नत नस्ल के साँढ़ द्वारा प्रजनित प्रत्येक बाछा को उचित रूप से पोसने के लिए दस रुपये मासिक की सहायता दी जाती है।

(४) औजारों आदि की खरीदगी तथा मौजूदा मकान की मरम्मत और सुधार के लिए पाँच हजार रुपये की अनावर्त्तक सहायता दी जाती है।

गोशाला-विकास-योजना के अन्तर्गत अबतक निम्नलिखित ५३ गोशालाओं को विकास-कार्य के लिए हाथ में लिया गया है। इन गोशालाओं को वैज्ञानिक ढंग की व्यवस्था, शुद्ध दुग्धोत्पादन, पालन-पोषण एवं अभिजनन के सम्बन्ध में सलाह देने लिए राज्य-सरकार ने एक गोशाला-विकास-पदाधिकारी की नियुक्ति की है, जिसका कार्यालय पटना में है। उक्त ५३ गोशालाएँ निम्नलिखित स्थानों में समय-समय पर खोली गई हैं—

१९५६-५७ ई०

(१) पटना सिटी, (२) बिहटा, (३) बिहारशरीफ, (४) गया, (५) छपरा, (६) बेतिया, (७) सीतामढी, (८) दरभंगा, (९) नौगछिया, (१०) फारबिसगंज, (११) बड़हिया, (१२) वैद्यनाथधाम, (१३) राँची, (१४) गिरीडीह, (१५) कतरासगढ़।

१९५७-५८ ई०

(१) आरा, (२) मोतिहारी, (३) सिवान, (४) जयनगर, (५) दलसिंगसराय, (६) किशनगंज, (७) खगड़िया, (८) साहेबगंज, (९) टाटानगर, (१०) झरिया, (११) हजारीबाग।

१९५८-५९ ई०

(१) मोकामा, (२) बक्सर, (३) हाजीपुर, (४) मधुबनी, (५) भागलपुर, (६) मधेपुरा, (७) लखीसराय, (८) लोहरदगा, (९) कोडरमा, (१०) डालटनगंज।

१९५९-६० ई०

(१) दुमका, (२) बेगूसराय, (३) वाढ, (४) जहानावाद, (५) सहसराम, (६) डेहरी, (७) वैरगनिया, (८) जनकपुर रोड, (९) रोसडा, (१०) समस्तीपुर, (११) कहलगाँव, (१२) मुरलीगंज, (१३) शेखपुरा, (१४) मुंगेर, (१५) वरवीघा, (१६) कटिहार, (१७) माघोपुर।

भूदान की प्रगति

१८ अप्रैल, १९५१ को पोचमपल्ली (हैदरावाद का तेलंगाना-क्षेत्र) के श्रीरामचन्द्र रेड्डी ने एक सौ एकड़ भूमि दान-स्वरूप समर्पित की और उसी दिन से भूदान-यज्ञ का कार्यारम्भ संत विनोवा भावे द्वारा हुआ।

१४ सितम्वर, १९५२ को विनोवाजी ने विहार में पदार्पण किया। उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि उन्हें विहार से पचास लाख एकड़ भूमि दान-स्वरूप मिलनी चाहिए। वोधगया-सर्वोदय-सम्मेलन में सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता श्रीजयप्रकाश नारायण ने जीवन-दान की घोषणा की। ३१ दिसम्वर, १९५४ को विहार से प्रस्थान करते समय विनोवाजी को १९,३२,४७५ एकड़ भूमि का दान-पत्र प्राप्त हुआ। १ नवम्वर, १९५४ को विहार-भूदान-यज्ञ-समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष श्रीगौरीशंकरशरण सिंह और मंत्री श्रीवैद्यनाथप्रसाद चौधरी वनाये गये। १ जनवरी, १९५७ से विहार के प्रत्येक जिले में भूदान-यज्ञ-कार्यालयों की स्थापना हुई। विहार के सभी जिला-कार्यालयों में कार्यालय-मंत्रियों, भू-वितरण-पर्यवेक्षकों, भूदान-विकास-सेवकों, अमीनों और अन्य सहायक कार्यकर्त्ताओं की सम्मिलित संख्या अभी ९८ है।

वर्त्तमान—विहार-भूदान-यज्ञ-अधिनियम के अनुसार एक वार मनोनीत भूदान-यज्ञ-समिति चार वर्षों तक काम कर सकती है। वर्त्तमान समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम ये हैं—श्रीगौरीशंकरशरण सिंह (अध्यक्ष), श्रीवैद्यनाथ प्रसाद चौधरी (मंत्री), पं० विनोदानन्द झा, श्रीजयप्रकाश नारायण और श्रीरामदेव ठाकुर।

अग्रगामी योजना-कार्य—

२५० भूमिहीन, साधनहीन और गृहहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि-साधन और गृह-निर्माण की सुविधा देकर भूदान में प्राप्त जमीन पर वसाने की समिति-योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है। अग्रगामी योजना के निम्नलिखित १० केन्द्र हैं—

१. गांधीधाम (गया)—यह ग्राम गया जिले के कौआकोल थाने में सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा के पास है। भूदान में प्राप्त १०४ एकड़ जमीन पर २५ परिवार वसाये गये हैं, जिनमें अधिकांश हरिजन हैं। अवतक ७१ एकड़ जमीन सुधारी जा चुकी है।

२. भूपलार (गया)—यह गाँव शेरघाटी-औरंगाबाद रोड पर स्थित आमस गाँव से तीन मील दक्षिण है। यहाँ ६६ एकड़ जमीन पर कुल २४ भुइंया जाति के हरिजन-परिवार बसाये गये हैं और ५८ एकड़ जमीन खेती के लिए तैयार की गई है।

३. विनोबा-ग्राम (पलामू)—यह ग्राम पलामू जिले के हरिहरगंज थाने में हरिहरगंज-डालटनगंज रोड पर स्थित बमनडीह ग्राम से ६ मील पश्चिम है। यहाँ ७५ एकड़ भूमि पर १५ परिवार बसाये गये हैं। समस्त जमीन का सुधार हो चुका है।

४. विनोबा-ग्राम (भंडारकोला, भागलपुर)—भागलपुर-देवघर रोड पर स्थित बुढवा-कुरा नामक गाँव से आठ मील उत्तर यह गाँव है। यहाँ १३६ एकड़ जमीन पर २७ परिवार बसाये जानेवाले हैं, जिनमे १७ परिवार बस चुके हैं। सन् १९५९ ई० में ८५ एकड़ जमीन में खेती भी की गई।

५. भूदानपुरी (मुंगेर)—यह गाँव मुंगेर जिले के जमुई थाने में खादीग्राम, श्रम-भारती से तीन मील उत्तर है। इसके काम की देखरेख खादीग्राम से होती है। ९० एकड़ जमीन पर २६ परिवार बसाये गये हैं। ७० एकड़ जमीन में खेती होने लगी है।

६. सेन्दूर (हजारीबाग)—यह ग्राम हजारीबाग से करीब तीन मील दूर हजारीबाग-पटना रोड के किनारे है। यहाँ १२१ एकड़ जमीन पर ३५ परिवार बसाये जानेवाले हैं, जिनमें अभी १० परिवार बस गये हैं। ४२ एकड़ जमीन खेती के लायक बनाई जा चुकी है। ५ एकड़ जमीन श्रमदान से सुधारी गई है। ग्रामशाला का निर्माण हो चुका है।

७. बहेरा (हजारीबाग)—गया-हजारीबाग ग्रैंडट्रंक रोड पर चौपारन थाने से तीन मील दूर यह गाँव बसा है। यहाँ १२१ एकड़ जमीन पर ३१ परिवार बसाये जानेवाले हैं। इनमें से ९ परिवार बस चुके हैं। ७३ एकड़ जमीन खेती के लायक बनाई गई है।

८. बरबानकला (शाहाबाद)—यह गाँव भभुआ-अधौरा सड़क पर स्थित भगवानपुर से ४ मील पूरब-दक्षिण कैमूर पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ ८६ एकड़ जमीन पर २५ परिवार बसाये जानेवाले हैं, जिनमें से १३ परिवार बस चुके हैं। ४० एकड़ जमीन खेती के लिए बनाई जा चुकी है।

९. मेंहदिया (सारन)—यह गाँव गोपालगंज से ५ मील उत्तर गंडक नदी की नहर के किनारे बसा हुआ है। इसकी मिट्टी बलुआही है। यहाँ ७५ एकड़ जमीन पर १७ परिवार बसाये जानेवाले हैं, जिनमें १४ परिवार बस चुके थे, परन्तु ७ परिवार अन्यत्र चले गये। ४० एकड़ जमीन खेती के लायक बनाई गई। ५ एकड़ मे बगीचा लगाया गया है।

१०. शशिभूषण-ग्राम (संतालपरगना)—यह ग्राम देवघर-भागलपुर सड़क के किनारे देवघर से १० मील पर है। यहाँ ९० एकड़ जमीन पर २८ परिवार बसाये जानेवाले हैं, जिनमें १८ परिवार बसाये जा चुके हैं। सरकारी ट्रैक्टर की सहायता से ४१ एकड़ जमीन खटित की गई है और एक बाँध तैयार किया जा चुका है।

भूमि-प्राप्ति एवं वितरण का जिलावार विवरण (सितम्बर, १९६० तक)

	भूमि-प्राप्ति का विवरण				भूमि पानेवालों की संख्या				भूमि-वितरण का विवरण		
जिला	भू०प्राप्त ग्राम-सं०	दानपत्र-सं०	प्राप्त भूमि (एकड़ में)	वितरित भूमि (एकड़ में)	हरिजन	आदिवासी	अन्य	कुल	भू० वितरित ग्राम-सख्या	वितरण की अयोग्य भूमि (एकड में)	कुल निस्तारित भूमि(एकड़ में)
पटना	१,००८	३,४८६	१,८४५	५८७	३११	४६	२१२	५७२	३६७	×	५८७
गया	५,७००	६५,४२१	१,०५,४७५	२१,१४६	८,४७६	६	३४२१	११,९०३	२,२१०	४०,७७४	६१,६२०
शाहाबाद	१,६८७	४,६०६	१,६६,५०६	१२,१४६	६८०	२८	२,६५६	३,६६७	८०४	६२,५८४	७४,७३०
भागलपुर	१,४०५	७,८४२	१८,८५६	६,६८१	६०३	२६८	२,८७०	४,०४१	५८८	७,०३७	१३,७१८
मुंगेर	२,२०३	१२,५१०	४५,०६१	६,५६६	२,५६०	५८०	१,६८६	५,१५६	६३५	×	६,५६६
पूर्णिया	३,३११	२६,०६३	८८,०५४	२५,२०७	४,३०६	१,२८८	६,२१६	१४,८१३	६६७	३५,१५५	६०,३६२
संतालपरगना	२,६५७	१८,०२६	१,६३,७०५	६,०८१	१,१६६	१,२४२	२,२८०	४,६८८	८६२	१,२४,०६६	१,३३,१७७
सहरसा	१,४२४	२८,५६३	३८,४२४	६,७२४	२,३०३	३५	३,६५२	६,२६०	२३०	६००	१०,३२४
मुजफ्फरपुर	२,६५१	१६,६००	११,७६०	५,७३५	४,६६८	×	५,३१०	६,६७८	१,७८५	३४४	६,०७६
दरभंगा	३,२८२	४०,३४२	२६,२८६	१३,६७४	१०,२८७	×	१३,६७७	२४,२६४	१,५७३	३,२५४	१७,२२६
सारन	१,७१७	१२,७६४	१,०३,६४१	४,८०३	२,१५६	×	३,४१४	५,५७०	७६२	×	४,८०३
चम्पारन	१,५०१	७,५८५	६,६१८	२,७००	१,६३४	×	२,१६८	३,८३२	५,०६८	१६०	२,८६०
रांची	१,७६६	१२,७५४	१,०८,५८४	१३,२३४	७१८	२,५७७	१,७६०	५,०८५	१,०७०	२०,२५२	३३,४८६
पलामू	२,७१६	२७,५३७	२,६६,७३८	१७,०३२	३,६३४	१,५५८	२,१४५	७,३३७	७२३	१३,६२५	३०,६५७
हजारीबाग	३,३६३	८,३५०	८,८२,७२८	६३,०१६	१०,०३२	६,०२८	१६,१६६	३५,२५७	१,७६३	७,३०,४१६	८,२३,४३५
सिंहभूम	५५८	१,६६३	२५,१८६	३,८६६	१५५	६५८	६६२	१,७७५	२२७	७,६६०	११,८२६
धनबाद	३७६	१,०८८	७,६२५	१,८६३	४३८	३६०	३४७	१,१७५	२०८	४,७७३	६,६३६
कुल योग—	३७,६५५	२,६८,५३६	२१,३०,४५५	२,४७,३६७	५४,७५८	१५,००७	७५,६४१	१,४५,४०६	१५,५८२	१०,५१,०८१	१२,८८,४२८

द्रष्टव्य—प्रतिवेदन की अवधि में कुल २१,०८७ एकड़ जमीन वितरित की गई।

बिहार में ग्रामदान

ग्रामदान का विचार समाज में व्यक्ति के समाहार का विचार है। इस ग्राम-आन्दोलन का प्रारम्भ उत्तरप्रदेश के मँगरौठ नामक गाँव से मई, १९५२ में हुआ। बिहार-प्रान्त मे सर्वप्रथम ग्रामदान का आरम्भ पलामू जिले के सेन्ह नामक गाँव से ८ अगस्त, १९५३ को हुआ। बिहार में अबतक १५७ ग्रामदान की घोषणा हुई है। बिहार सर्वोदय-मंडल ने ऐसे गाँव को ग्रामदानी माना है, जिसके ८० प्रतिशत परिवारों ने और ८० प्रतिशत भूमिवानों ने ग्रामदान में शामिल होने की घोषणा कर दी है। सर्वोदय-मंडल द्वारा निश्चित ग्रामदानी गाँवों की जिलावार संख्या इस प्रकार है—

गया—८; शाहाबाद—१; मुजफ्फरपुर—४; दरभंगा—२; सारन—१; चम्पारन—१, भागलपुर—१; मुंगेर—६; पूर्णिया—१७; संतालपरगना—३३, सहरसा—१; राँची—१, पलामू—३; सिंहभूम—१; और धनबाद—१; कुल—८१।

इन ८१ गाँवों में कुल परिवार-संख्या २,३९४ और कुल जमीन ७,९८१ एकड़ है, जिनमें २,२१४ परिवार और ६,४८२ एकड़ जमीन ग्रामदान मे शामिल हैं।

खनिज पदार्थ

खनिज पदार्थ के मामले में बिहार भारत का सर्वाधिक सम्पन्न राज्य है। खनिज-उत्पादन के आँकड़ों से जैसा दृष्टिगोचर होता है, वस्तुतः उससे कहीं अधिक खनिज सम्पत्ति इसके भू-गर्भ में भरी-पड़ी है। वर्त्तमान समय में बिहार भारत के कुल खनिज-उत्पादन के ४० प्रतिशत की पूर्त्ति करता है। यहाँ कई ऐसे खनिज पदार्थ पाये जाते हैं, जिनकी बिक्री द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में इसका योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बिहार के खनिज पदार्थों का एक बड़ा भाग यहाँ के प्रचुर साधनों के उपयोग एवं विकास के लिए यहीं रह जाता है। यहाँ की खनिज समृद्धि को देखकर यह आशा की जाती है कि भविष्य में बिहार भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन सकेगा।

अबतक राज्य-सरकार के अधीन खान एवं खनिज-पदार्थ-सम्बन्धी कार्यों के लिए एक छोटा-सा खान-विभाग है, जिसके प्रमुख प्रधान खान-पदाधिकारी (चीफ माइनिंग ऑफिसर) होते हैं। भारत-सरकार के सन् १९४८ ई० के 'माइन्स ऐण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन ऐण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट' को कार्यान्वित करने के लिए प्रधान खान-पदाधिकारी के पद का निर्माण किया गया। सन् १९४९ ई० मे भारत-सरकार द्वारा खनिज-सुविधा-नियम (मिनरल्स कन्सेशन रूल्स) बनाये गये, जिनका उद्देश्य राज्य-सरकारों द्वारा दी जानेवाली लीज एवं अनुज्ञा-पत्र का नियमन करना था। प्रधान खान-पदाधिकारी तथा आठ जिला-खान-पदाधिकारियों के प्रमुख कार्य स्वीकृति के प्रमाण-पत्र के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल तथा उनका नवीकरण एवं अनुज्ञा-पत्र तथा लीज के आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल एवं नवीकरण हैं। राजस्व-संग्रह के अतिरिक्त प्रधान खान-

पदाधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य यह निरीक्षण करना है कि खानों की खुदाई एतत्सम्बन्धी कानूनों, नियमों एवं आदेशों के अनुसार की जा रही है, अथवा नहीं। साथ ही, यह विभाग उन खानों की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है, जिनकी खुदाई राज्य-सरकार द्वारा होती है। यह छोटे-मोटे खनिजों की खुदाई के लिए आदेशन-पत्र भी देता है।

केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ-सर्वेक्षण-विभाग एवं भारतीय खान-विभाग द्वारा इस राज्य में भी खनिजों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य किये जाते हैं, किन्तु ये कार्य संतोषप्रद नहीं हैं। फिर भी उक्त विभागों द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं; जैसे—शाहाबाद जिले के अमजोर नामक स्थान में पाइराइट की खान का पता लगाना, बिहार की कोयला-खानों का विस्तृत सर्वेक्षण आदि। सन् १९५६ ई० में राज्य-सरकार ने ५ वर्ष की अवधि के लिए भूगर्भ-शास्त्र का एक पृथक् निदेशालय (डायरेक्टरेट) खोला है। इसके लिए एक निदेशक, एक उप-निदेशक तथा आठ भूगर्भ-शास्त्रज्ञों के पद स्वीकृत किये गये। सितम्बर, १९५८ में माइनिंग और जियोलॉजी नामक दो विभाग उक्त निदेशालय में मिला दिये गये। इस निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ-शास्त्रीय सर्वेक्षण-विभाग को खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना है।

खान-विभाग के कार्य

सन् १९५७-५८ ई० में राज्य-सरकार द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के आँकड़ों से, जो निम्नांकित हैं, खान-विभाग के कार्यों का पता लग सकता है—

दी गई स्वीकृति के प्रमाण-पत्र	८०
स्वीकृति के प्रमाण-पत्रों का नवीकरण	३८०
प्रवृत्त अनुज्ञा-पत्र	१६
दी गई खान-लीज	४७
लागू की गई खान-लीज	१,१०४
बिहार-भूमि-सुधार-अधिनियम की धाराएँ ९ और १० के अन्तर्गत पुनस्संगठित खान की लीज	५५३
बिहार-भूमि-सुधार-अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत दी गई खान की लीज	४
उन खानों की संख्या, जिनका निरीक्षण किया गया	३४९
उन खान-लीजों की संख्या, जिनका सर्वेक्षण किया गया	४८
सन् १९५७—५८ ई० में खानों एवं ख़निज पदार्थों से आय	रुपये ८०,६५,४३३

भूगर्भ-विभाग के कार्य

मार्च, १९५८ ई० से (उपनिदेशक की नियुक्ति के वाद) इस विभाग ने भूगर्भ-अभियंत्रण-सम्बन्धी अन्वेषण के सम्वन्ध मे कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। जैसे, रॉची के पास हटिया में बृहत् मशीन-निर्माण-संयंत्र तथा फाउण्ड्री-फोर्ज-संयंत्र की स्थापना के लिए नीव की जॉच; राँची में हाई टेन्सन इन्सुलेटर फैक्ट्री के स्थान की जॉच; बिहार के प्राविधिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण में प्रयोगात्मक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् की सहायता आदि के सम्वन्ध में इस विभाग ने खोज और अध्ययन किया है। इस विभाग ने अनेक लघु अन्वेषण भी किये हैं।

विहार के कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ निम्नाकित हैं—

कोयला—यह भारत में सवसे अधिक परिमाण में पाया जानेवाला खनिज पदार्थ है। सम्पूर्ण देश के कुल कोयला-उत्पादन का लगभग ६६ प्रतिशत भाग विहार ही देता है। इसके वाद क्रम से वंगाल और मध्यप्रदेश का स्थान है। विहार में भरिया की खान से ही भारत को करीव ५० प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। यहॉ का कोयला सवसे अच्छी किस्म का है। यहाँ की खानों में ३३ अरव टन कोयला प्राप्त होने का अनुमान है। भरिया की खान के वाद वोकारो और करनपुरा कोयला-क्षेत्र का स्थान है। वोकारो का कोयला-क्षेत्र २२० वर्गमील में है। यहॉ १ अरव टन कोयला पाये जाने का अनुमान है।

उत्तरी और दक्षिणी करनपुरा के कोयला-क्षेत्र का क्षेत्रफल ६२० वर्गमील है। इसका कुछ भाग रॉची जिला में और कुछ पलामू जिला में पड़ता है। यहाँ करीव ८ अरव टन कोयला होने का अनुमान किया गया है। अन्य छोटे-छोटे कोयला-क्षेत्र ये हैं—पलामू जिले मे (१) डालटनगंज कोयला-क्षेत्र, (२) हुतार कोयला-क्षेत्र और (३) औरंगा कोयला-क्षेत्र; हजारीवाग जिले में (४) गिरिडीह कोयला-क्षेत्र और (५) चोप कोयला-क्षेत्र तथा संतालपरगना जिले मे (६) जयन्ती कोयला-क्षेत्र, (७) साहोजोरी कोयला-क्षेत्र और (८) कुंडित कुरमियाह कोयला-क्षेत्र।

लोहा—इस कल-कारखाने के युग मे लोहा का वहुत अधिक महत्त्व है। भारत के कुल लोहा का आधा से अधिक उत्पादन विहार में ही होता है। यहॉ का लोहा वहुत अच्छी किस्म का है। सिहभूम जिले के दक्षिणी भाग मे सवसे अधिक और सवसे अच्छा लोहा पाया जाता है। टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी, इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के काम में लाये जानेवाले लोहे का अधिकाश भाग नोआमुंडी, गुआ और चीना नामक स्थानों से प्राप्त होता है। सिंहभूम जिले के धरवार, सारन्द (कोलहान), वडावुरु, नोटूवुरु, पनसिरा वुरु आदि स्थानों में भी लोहा मिलता है। लोहे का यह क्षेत्र दक्षिण की ओर वढकर उड़ीसा के मयूरगंज, क्योंझर और वोनाय जिलों मे चला गया है। विहार मे ८ अरव टन कच्चा लोहा पाये जाने का अनुमान है। रॉची, पलामू, हजारीवाग, सन्तालपरगना तथा दक्षिणी भागलपुर में भी लोहे की छोटी-छोटी खानें हैं।

तॉवा—भारत के कुल उत्पादन का अधिकाश तॉवा (ताम्र, तामा) मुख्यतः विहार में ही पाया जाता है। यहॉ पुराने जमाने में वहुतायत से तोंवा निकाला जाता था, जिसके चिह्न छोटानागपुर मे जहॉ-तहॉं अव भी देखने में आते हैं। इस समय सवसे अधिक तॉवा सिंहभूम जिले में पाया जाता है, जहां इसकी खान ८० मील तक फैली हुई है। राधा, मोसावोनी धोवानी और वदरिया में तॉवा की खानें हैं। मोसावोनी से ६ मील दूर घाटशिला के पास मौभंडार नामक

स्थान में तॉंवा गलाने और शुद्ध करने का कारखाना है। खान से तॉंवा आकाशी रस्सा-मार्ग द्वारा कारखाने तक पहुँचाया जाता है। तॉंबे में जस्ता मिलाकर पीतल वनाया जाता है। सन् १६५१ ई० में १ करोड़, ६४ लाख रुपये का ३·७ लाख टन कच्चा तॉंवा निकाला गया। उस वर्ष देश की आवश्यकता की पूर्त्ति के लिए २ करोड़, ६० लाख रुपये का तॉंवा विदेशों से आयात किया गया। हजारीवाग जिले के वरमुएडा और गुलगी नामक स्थान में संतालपरगने के वैरुकी और वौद्धवॉध में तथा पलामू जिले के कुछ भागों में भी तॉंवे की खानें हैं।

अबरख—अवरख के लिए विहार भारत में ही नहीं, सारे संसार में प्रसिद्ध है। संसार के कुल उत्पादन का ७० प्रतिशत अवरख भारत पैदा करता है, जिसके कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत भाग विहार देता है। इस प्रकार संसार के कुल उत्पादन का ५२·५ प्रतिशत भाग अबरख विहार उत्पन्न करता है। विहार में अबरख की खानें ६० मील लम्वे और २० मील चौड़े भू-भाग में फैली हुई हैं। ये खानें गया जिले से हजारीबाग होती हुई मुँगेर और भागलपुर जिले तक चली गई हैं। हजारीबाग जिले का अवरख सवसे अच्छी किस्म का है। यहॉं का अधिकाश अवरख अमेरिका और इगलैंड भेजा जाता है। अवरख की खानों से पिच-ब्लैंड नामक धातु निकाली जाती है, जिससे रेडियम तैयार किया जाता है। विजली के यन्त्र, ग्रामोफोन के साउएड-वक्स, लालटेन के शीशे, आइने, एक प्रकार का चमकीला कागज आदि अवरख से तैयार होते हैं। झुमरी-तिलैया के पास 'माइका ऐएड माकेनाइट फैक्टरी' नामक एक कारखाना है, जहॉं प्रतिवर्ष तीन सौ टन अवरख के सामान तैयार होते हैं।

वॉक्साइट—यह रॉंची जिले के पकरीप और सेरेनडाग तथा पलामू जिले के नेतरहाट नामक स्थानों में पाया जाता है। इससे अल्युमिनियम नामक पदार्थ तैयार होता है। भारत में उच्च कोटि के वॉक्साइट की खानों में ढाई करोड़ टन वॉक्साइट पाये जाने का अनुमान है, जिसमें ६० लाख टन विहार में है। भारत में वॉक्साइट से अल्युमिनियम वनाने के दो कारखाने हैं—इरिडयन अल्युमिनियम कम्पनी लि० और अल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। इन कारखानों को विहार की खानों से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। ये कारखाने प्रतिवर्ष ३-४ हजार टन अल्युमिनियम तैयार करते हैं। विहार की खानों में प्रचुर मात्रा में वॉक्साइट पाये जाने के कारण इसके उद्योग-धंधे बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

चूना-पत्थर—चूना-पत्थर शाहावाद, पलामू, हजारीवाग, रॉंची और सिंहभूम जिलों में पाया जाता है। सीमेंट वनाने में इसका उपयोग होता है। शाहावाद जिले में रोहतास-अधित्यका की दक्षिणी ढाल पर करीव ४० मील की लम्वाई में इसकी खानें फैली हैं। वंजारी, रोहतास और वौलिया के पास चूना-पत्थर का काम होता है, जहॉं कल्याणपुर लाइम सीमेंट-कम्पनी, सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट-कम्पनी और डालमिया सीमेंट-कम्पनी पोर्टलैंड सीमेंट तैयार करती है। इन स्थानों से पश्चिम अपेक्षाकृत चूना-पत्थर अधिक पाया जाता है, परन्तु यातायात की असुविधा के कारण निकालने का काम नहीं हुआ है। सिंहभूम की खान से उत्पादित चूना-पत्थर से झिंकपानी की सीमेंट-फैक्टरी का काम चलता है। अन्य स्थानों की खानें अपेक्षाकृत छोटी हैं।

चीनी मिट्टी—चीनी मिट्टी मुख्यतः सिंहभूम, भागलपुर और संतालपरगना जिलों में पाई जाती है। भारत मे सवसे अधिक चीनी मिट्टी विहार ही पैदा करता है। सन् १६५१ ई० में

विहार के अन्दर ११'५६ लाख रुपये की चीनी मिट्टी निकाली गई थी, जो समस्त भारत के उत्पादन का ७३ प्रतिशत थी। चीनी मिट्टी से तरह-तरह के वरतन वनाये जाते हैं। कागज और कपड़े की मिलों में भी इसका उपयोग होता है, पर कपड़े की मिलें अधिकतर विदेशों से चीनी मिट्टी मँगाती हैं; क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी किस्म की नहीं होती।

ईंट की मिट्टी—झरिया, डालटनगंज, मुंगेर, संतालपरगना और सिंहभूम जिलों में एक विशेष प्रकार की ईंट की मिट्टी पाई जाती है। इससे पहले दरजे की वहुत अच्छी ईंटें वनाई जाती हैं, जिनका उपयोग पुल वगैरह वनाने के काम मे होता है।

मैंगनीज—यह लोहे की जाति की एक धातु है, जिसका उपयोग वढ़िया इस्पात तथा रासायनिक पदार्थ तैयार करने में होता है। सिंहभूम जिले में उत्तम कोटि के मैंगनीज की खानें हैं।

क्रोमाइट—लोहे के उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसे लोहे में मिला देने से जंग नहीं लगता। रासायनिक पदार्थ वनाने के काम में भी इसका व्यवहार होता है। यह चाइवासा के कोलहान स्टेट के पोरुवुरु और किमसी नामक स्थानों में मिलता है। भारत के कुल क्रोमाइट का २४ प्रतिशत भाग विहार से प्राप्त होता है।

ग्रेफाइट—इस धातु का उपयोग पेन्सिल का लेड और पेण्ट आदि तैयार करने मे होता है। यह डालटनगंज, मुँगेर जिले के वाघमारी तथा छोटानागपुर के अन्य कई स्थानों में पाया जाता है।

केनाइट—यह खनिज ताँवा की खानों से ही प्राप्त होता है। सिंहभूम जिले के लप्सावुरु, धागडीह और कन्यालुक नामक स्थानों में विशेष रूप से मिलता है। लप्सावुरु की खान दुनिया की सवसे वड़ी खान है। विहार में भारत के कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत केनाइट मिलता है। इसका अधिकाश भाग विदेशों को निर्यात होता है। इसका उपयोग धातु, सीसा, रसायन और विद्युत्-सम्वन्धी उद्योग-धन्धों मे होता है।

स्टीटाइट या सोपस्टोन—यह छोटानागपुर के अनेक स्थानों में, विशेषकर सिंहभूम जिले के वेले पहाड़ी, दीघा, भीतरदारी और नुरदा नामक स्थानों में अधिक मिलता है इससे खल्ली वनाई जाती है। शीशा और चमड़े को चिकना करने के काम में इसका उपयोग होता है। पेण्ट, कागज, कपड़ा, वर्नर, स्टोव आदि के कारखानों में भी इसका व्यवहार किया जाता है।

एपेटाइट—यह मुख्यतः सिंहभूम जिले के नन्दुप, पथरगारा, वदिया और सुनरगी नामक स्थानों में ताँवा की खानों के पास पाया जाता है। यह साधारणतः कृत्रिम खाद तथा लोहा तैयार करने के काम में व्यवहृत होता है।

पीराइट—गधक तैयार करने के काम में इसका उपयोग होता है। शाहावाद जिले में इसकी खानें हैं। अनुमान है कि इस जिले के आमजोर नामक स्थान में ७५ हजार टन पीराइट संचित है।

मैग्नेसाइट—इस धातु का उपयोग मैग्नेशिया नामक औषध तैयार करने मे होता है। यह सिंहभूम जिले के कोलहान स्टेट मे पाया जाता है।

अण्टीमनी—यह सीसा के साथ हजारीवाग जिले के हिंसातू नामक स्थान में मिलता है। इसकी कच्ची धातु से १२·२ प्रतिशत शुद्ध धातु तैयार होती है।

एस्वेस्टस—यह सिंहभूम जिले के वरवाना और सरंगपोसी नामक स्थानों में तथा मुँगेर जिले में पाया जाता है। सरंगपोसी एस्वेस्टस की सरकारी खान है।

यूरेनियम—यह एक ऐसी धातु है, जिसका उपयोग अणु-शक्ति-उत्पादन में होता है। गया, मुँगेर, रॉंची और हजारीवाग मे यह मिलता है।

टुंग्सटेन—यह सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के पास मिलता है। विजली-लैंप, टेलिग्राफ, रेडियो के औजार ग्रामोफोन की सूई आदि वनाने मे इसका उपयोग होता है।

टीन—हजारीवाग जिले के सिपरीतारी, पिपिहिरा, डोमचोंच, चप्पाटोंढ़ और तुरगो नामक स्थानों में इसकी खानें हैं। यह रॉंगे की जाति की एक धातु है। इसमें जंग नहीं लगता।

जस्ता—संतालपरगना और हजारीवाग जिले में इसकी खानें हैं। यह वरतन आदि वनाने के काम में आता है।

सोना—यह रॉंची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है। गरहा, शंख, दक्षिण कोयल, संजय, सोन और सुवर्णरेखा नदियों की वालू के कण से भी सोना निकाला जाता है, लेकिन दिन-भर के परिश्रम के अनुपात में इससे विशेष लाभ नहीं होता। सन् १९३५-३६ ई० मे यहाँ कुल ३३ औंस सोना निकाला गया था।

स्लेट और अन्य पत्थर—मुँगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ी के मारूक, सुखाल, गढ़िया, टिकाई, अमरनी और सीताकोवर नामक स्थानों में छत और लिखने के स्लेट मिलते हैं। सिंहभूम में भी स्लेट पाया जाता है। शाहावाद, गया, मुँगेर और छोटानागपुर के पहाड़ों में चक्की तथा मकान वनाने के काम में आनेवाले पत्थर मिलते हैं। गया, धनवाद और सिंहभूम जिलों के विभिन्न स्थानों में पत्थर की मूर्त्तियाँ, खिलौने और वरतन वनाने के उद्योग-धंधे चलते हैं।

शीशा या कॉंच की वालू—शीशा या कॉंच वनाने के लिए संतालपरगना के विभिन्न स्थानों में कई तरह की वालू मिलती है। कॉंच की कुछ अच्छी चीजें भी वनती हैं।

कसीस—कसीस शाहावाद जिले में मिलता है।

गेरू—यह लाल और पीले रंग का एक तरह का पत्थर है, जो रंग एवं दवा के काम में आता है। यह शाहावाद, मुँगेर और छोटानागपुर कमिश्नरी के जिलों में मिलता है।

गंधक—यह सिंहभूम जिले में पाई जाती है।

कीमती पत्थर—मुँगेर तथा छोटानागपुर के पहाड़ों में विभिन्न रंगों के कीमती पत्थर मिलते हैं, जिनमें वेरिल, गारनेट, काइनाइट, इगनस आदि मुख्य हैं।

लीथोग्राफ का पत्थर—शाहावाद जिले के रोहतासगढ़ नामक स्थान मे लीथोग्राफ के पत्थर मिलते हैं।

अन्य खनिज पदार्थ—उपर्युक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के खनिज यहाँ पाये जाते हैं, जिनका उपयोग दवा, रसायन वनाने आदि के भिन्न-भिन्न कामों में होता है; जैसे—कोरंडम, मोलिवडेनम, आर्सेनिक (संखिया विष), विसमुथ, फासफेट, सिलिका, वेराटोमाइट, कोलम्वाइट, लेटेराइट, लेपेडाइट आदि।

खनिज जल—झरनों से निकलनेवाले जल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिले रहते हैं। अत:, यह अनेक रोगों की दवा के रूप में काम में आता है। ऐसा खनिज-जल बिहार के अनेक स्थानों में मिलता है, पर इसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। सिर्फ कुछ कुंडों से दो-एक कम्पनियाँ खारा और मीठा पानी तैयार करती हैं। ऐसे झरनों में मुख्य हैं—पटना जिले के राजगृह के झरने; मुँगेर जिले के सीताकुंड, पंचभूर, शृंगरिख, ऋषिकुंड, रामेश्वर-कुंड, भुरका, जन्मकुंड और भीम बाँध के झरने; हजारीबाग जिले के लुरगुरथा, पिंडारकुंड, दोआरी, सूर्यकुंड, बेलकप्पी और केसोडी के झरने तथा संतालपरगना के भुमका, नुनबिल, सुसुमपानी, तापतपानी, ततलोई, झरियापानी, बरमसिया, लौलौदह के झरने आदि।

सन् १९५६ ई० में बिहार के मुख्य खनिज-पदार्थों का उत्पादन और सन् १९५४ ई० में यहाँ की विभिन्न खानों में प्रतिदिन काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या नीचे दी जा रही है—

खनिज पदार्थ	उत्पादन (१९५६ ई०)	मजदूरों की औसत संख्या (१९५४ ई०)
कोयला	१,९१,६५,४६६ टन	१,७७,१९२
लोहा	१८,१८,२४३ ,,	१५,११६
मैंगनीज	३६,७१० ,,	६०६
अबरख	५,६७५ ,,	१६,१०२
केनाइट	३,५०५ ,,	१,६४२
एस्बेस्टस	६८१ हंडरवेट	१०८
ताँबा	३,७६,५४१ टन	४,०३६
बॉक्साइट	५०,४७४ ,,	४९१
ग्रेफाइट	६८१ ,,	×
क्रोमाइट	४,०५६ ,,	२४६
स्टीटाइट	५२,६८० हंडरवेट	३२२
स्लेट	×	२२
चूना का पत्थर	१५,७२,४४३ टन	६,१८२
इगनस पत्थर	३,०७,१३२ ,,	२,८७५
चीनी मिट्टी	३४,६६० टन	२,२४५
ईंट की मिट्टी	४४,२०२ ,,	२६५
सिलिका	११,९६२ ,,	११८
सोपस्टोन	२९९ ,,	×
बेरिल	९८६ ,,	×
बेरटोमाइट	५०३ ,,	×
चूना	५,३०९ ,,	×
केसेटेराइट (टिन)	२५ ,,	×
प्रस्तर-धातु	११,१३२ ,,	×

खनिज पदार्थ	उत्पादन (१६५६ ई०)	मजदूरों की औसत संख्या (१६५४ ई०)
कोलम्नाइट	६ ,,	×
लेपेडाइट	१० ,,	×
लेटेराइट	७,७१३ ,,	×
लाल गेरू	१३८ ,,	×
पीला गेरू	४३ ,,	×

बिहार के विभिन्न खनिज पदार्थों का उत्पादन

खनिज-पदार्थ	१६५६	१६५७	१६५८
कोयला	१,६१,६५,४६८·६०	२,११,०५,०००	२,२१,६४,०००
कच्चा लोहा	१८,१८,२४३·२५	१६,३५,०००	२२,६२,०००
अबरख	५,६७५.१०	३,४६,०००	१६,८६०
मैंगनीज	३६,७१०	३६,०००	२२,०००
कीनाइट	३,५०५	२३,४६१	२६,०१४
एस्बेस्टस	६८१	६२०	६२५
कच्चा ताँबा	३,७६,५४१	४,०४,०००	४,११,४७१
क्रोमाइट	४,०५६	३,०५२	३,८७६
स्टीटाइट	५२,६८०	२,१३५	१,६३६
स्लेट	——	——	——
चूना-पत्थर	१५,७२,४४३·२१	१४,६६,०००	१८,०५,०००
आग्नेय चट्टान	३,०७,१३२	——	——
चीनी मिट्टी	३,४६,६०२	६४,३७७	६६,५३०
फायर क्ले	४४,२०२	५१,४२७	७४,८८०
सिलिका	११,६६२	——	——
बॉक्साइट	५०,४७४	६२,८०४	७७,४४८
ग्रेफाइट	६८,१०६	——	——
सोपस्टोन	२६६	——	——
बेरिल	६८६·४५	——	——
बेराटोमाइट	५०३	——	——
सड़क का पत्थर	४,४१५·२१	——	——
क्लम्बाइट	८·७७	——	——
लेपेडाइट	१०·१८	——	——
लेटेराइट	७,७१३	——	——
लाल मिट्टी	१३८	——	——

खनिज पदार्थ	१६५६	१६५७	१६५८
पीली मिट्टी	४३	——	——
चूना	५,३०६	——	——
टीन	२४·५०	——	——
प्रस्तर-धातुएँ	१३,१३२	——	——
एपेटाइट	——	६,१७८	१४,८०६

★

उद्योग-धन्धे

बिहार एक कृषि-प्रधान राज्य है। सन् १६५१ ई० की जन-गणना के अनुसार यहाँ के ८६·४ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। शेष लोग कृषि-भिन्न या अन्य उत्पादन-कार्यों में लगे हैं। उद्योग-धन्धों के विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी प्रचुरता रहने पर भी इस राज्य में उद्योग-धन्धों का उतना विकास नहीं हो सका, जितना होना चाहिए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयत्न होने लगे। सन् १६३६ ई० में बिहार में जहाँ निबन्धित फैक्टरियों की संख्या ३३७ थी, वहाँ सन् १६५४ ई० में ४,१७७ हो गई। इस संख्या-वृद्धि का कारण बहुत बड़ी संख्या में कारखानों का बढ़ना तो था ही, साथ ही एक यह भी कारण हुआ कि नये फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार बहुत-सी साधारण फैक्टरियों को भी अपने को निबन्धित कराना पड़ा था।

इन दिनों वृहत् एवं मध्यम पैमाने के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण का काम चल रहा है। राँची के पास हटिया नामक स्थान में भारत-सरकार की हेवी मशीनरी एवं फाउण्ड्री-फोर्ज योजना के लिए मानचित्र बनाने, भूगर्भ-सम्बन्धी जाँच करने और अभियान्त्रिक सर्वेक्षण के कार्य चल रहे हैं। बिहार की औद्योगिक संभावनाओं के सम्बन्ध मे प्राविधिक और आर्थिक सर्वेक्षण-कार्य भी हो रहा है।

राज्य-सुपरफास्फेट-कारखाना

सिन्दरी का राज्य-सुपरफास्फेट-कारखाना सन् १६५७-५८ ई० में ही तैयार हो गया था और अब वहाँ उत्पादन-कार्य भी होने लगा है। सुपरफास्फेट के लिए विस्तृत बाजार की व्यवस्था हो जाने पर उक्त कारखाने के विस्तार का कार्य प्रारम्भ होगा।

हाइ टेन्सन इन्सुलेटर फैक्टरी

राँची में इस फैक्टरी की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष २,४०० टन उच्च कोटि का इन्सुलेटर पैदा करनेवाली फैक्टरी बनाने के लिए संसार के विभिन्न भागों से टेण्डर मँगाये गये। इनमें स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट लि० का चेकोस्लोवाकिया से मशीनरी तथा अन्य सामान मँगाने का टेण्डर राज्य-सरकार की ओर से स्वीकार किया गया है। इसके लिए कच्चे मालों की खोज का भी काम पूर्ण हो गया है।

छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योग

निम्नाङ्कित उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था—

१. कम पूँजी की लागत से नई नियुक्तियों द्वारा बेकारी को कम करने का प्रयास;

२. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के कृषि से बचे हुए समय को उपयोग में लाना;

३. नष्ट होते शिल्पों और ग्रामीण उद्योग-धन्धों को जिलाना और उन्हें मजबूत करना;

४. उद्योग-धन्धों का अधिकतर विकेन्द्रीकरण और ग्रामीकरण;

५. स्वतंत्र रूप से काम करनेवाले कारीगरो को उन्नति करने का अवसर प्रदान करना और

६. तुलनात्मक दृष्टि से कम पूँजी की लागत से योजनान्तर्गत हुई आय के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपभोक्ता-सामग्री का उत्पादन।

द्वितीय योजना में विभिन्न उद्योगों के लिए जो खर्च रखा गया था, वह आगे की तालिका में दिया जा रहा है। उस विवरण को देखने से पता चलेगा कि राज्य के उद्योगों में लगे १२ करोड़ २३ लाख रुपये में से ६ करोड़ ६१ लाख रुपये कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए दिये गये थे।

हाथ-करघा-उद्योग

बिहार मे हाथ-करघा-उद्योग सबसे सुसंगठित उद्योग है। इसमें करीब दो लाख करघे हैं, जिनपर १० लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। इस उद्योग पर आश्रित दो लाख परिवारों में १ लाख ३० हजार परिवार ६८६ बुनकर-सहकारी-समितियों के अन्दर आ गये हैं। सन् १९५७-५८ ई० में इन समितियों द्वारा ५ करोड़ गज से भी अधिक कपड़े तैयार किये गये। इस उद्योग-धन्धे की पूँजी कपड़े की मिलों पर लगे अतिरिक्त कर से और रिजर्व बैंक से मिलती है। इस उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष २५—३० लाख रुपये अनुदान-स्वरूप मिलते हैं। सूती कपड़े के हाथ-करघा-उद्योग के विकास के लिए १ करोड़ ४२ लाख तथा रेशमी एवं ऊनी कपड़े के करघों पर २० लाख रुपये लगाये गये हैं। आदिवासी बुनकरों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। सारे राज्य में इस समय इस उद्योग द्वारा उत्पादित माल की बिक्री के लिए १०० बिक्री-केन्द्र खोले गये हैं। बुनकर-सहयोग-समितियों को सूत देने के लिए चार प्रधान बिक्री-केन्द्र हैं। प्रान्त के बाहर एजेण्टों एवं सहकारी दूकानों द्वारा हाथ-करघे के कपड़ों की बिक्री की व्यवस्था होती है। कलकत्ता और गौहाटी में इसके अपने इम्पोरियम हैं। गया, राँची, भागलपुर और सिवान (सारन) मे छोटे-छोटे रँगाई-घर हैं। बिहारशरीफ और लहेरियासराय में मशीनों द्वारा रँगाई एवं सजावट के काम की व्यवस्था की गई है।

विद्युत्-करघे

इधर हाथ-करघा-बुनकरों को प्रयोगात्मक रूप से व्यवहार करने के लिए विद्युत्-करघे दिये जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५०० विद्युत्-करघे चालू करने का विचार है। इनमे से ३०० विद्युत्-करघे बिहारशरीफ और मानपुर (गया) के बुनकरों को दिये जा चुके हैं। सन् १९५९-६० ई० के आर्थिक वर्ष मे इरबा (राँची), चम्पानगर (भागलपुर), महाराजगंज (सारन), चकिया (मोतिहारी), तिलौथू (शाहाबाद) और लहेरियासराय में ६०० विद्युत्-करघे

स्थापित किये जायेंगे। एक हाथ-करघे से जहाँ ६—८ गज कपड़े बुने जाते हैं, वहाँ विद्युत् करघे से ३०—४० गज कपड़े बुने जायेंगे। इन विद्युत्-करघों के कामों में सहायता पहुँचाने के लिए प्रत्येक ३०० विद्युत्-करघों के समूह पर मशीनयुक्त एक विशेष संयंत्र रहेगा। ऐसा एक संयंत्र बिहारशरीफ में खड़ा किया जा रहा है।

तसर-कीट-पालन-उद्योग

भारत के तसर-उद्योग में विहार सबसे आगे है। छोटानागपुर और संतालपरगने के आदिवासी तसर के कीड़े पालते और उनके कोओं की बिक्री से अपनी जीविका चलाते हैं। इस उद्योग के विकास के लिए एक तो नीरोग अण्डों को तैयार करना है और दूसरे, खरीद-बिक्री के बाजारों का निर्माण करना। पहले कार्य के लिए पहले से ३ केन्द्र और २ उपकेन्द्र चल रहे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ नये केन्द्र और १५ उपकेन्द्र कायम करने हैं। अबतक आदिवासी लोग अपने कोए बुनकरों के हाथ नहीं बेचकर बीच के खरीदारों के हाथ बेचा करते थे, जिससे उचित मूल्य पर कोओं की खरीद-बिक्री नहीं हो पाती थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन बीच के खरीद-बिक्री करनेवालों को हटाकर सरकार द्वारा सिंहभूम एवं संतालपरगना जिलों में खरीद-बिक्री की व्यवस्था की गई।

अण्डी-कीट-पालन-उद्योग

बिहार में अण्डी, अर्थात् रेंड़ी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अण्डी नामक रेशम का सूत इसी के पौधों पर पाले गये रेशम के कीड़ों से तैयार होता है। इसलिए, अण्डी की खेती करनेवाले किसानों को अतिरिक्त काम देने के लिए यहाँ इस उद्योग का विकास किया जा रहा है। राँची और बेगूसराय में अण्डी-रेशम के कीड़े पालने के केन्द्र खोले गये हैं। लोगों को जगह-जगह जाकर इस सम्बन्ध में शिक्षा देने के लिए २० प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई है।

रेशम की बुनाई

भागलपुर रेशमी कपड़े की बुनाई का प्रधान केन्द्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका से तसर के कपड़ों के आने से यहा के व्यवसाय को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसीलिए, सरकार ने विदेशी माल का आना बन्द कर दिया। उसके बाद से इस उद्योग में फिर जान आई है और केवल भागलपुर से ही प्रतिमास एक लाख रुपये से अधिक का माल बाहर भेजा जाने लगा है। भागलपुर में इसके लिए एक बड़ी मिल की स्थापना का भी निश्चय हो चुका है। किन्तु, विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण यह काम अबतक पूरा नहीं हो सका है।

हस्तशिल्प के काम

विभिन्न दस्तकारियों के विकास के लिए १५ योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—खिलौना-विकास-केन्द्र, राँची, कैलिको छपाई-केन्द्र, पटना सिटी; शीशा-चूड़ी-केन्द्र, मोतिहारी; सींक या सिक्की के सामान का केन्द्र, दरभंगा; वार्निश के सामान का केन्द्र, पटना; गुड़िया-केन्द्र, पटना और बाँस-केन्द्र, पटना। कागज की लुगदी की बनी चीजें, मिट्टी के चित्रित बरतन, लकड़ी की नक्काशी और पच्चीकारी आदि के भी केन्द्र खोले जा रहे हैं।

केन्द्रीय बहु-शिल्प-केन्द्र

पटना के कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीच्यूट का नाम अब बदलकर पटना पॉलिटेकनिक (पटना बहु-शिल्प-केन्द्र) कर दिया गया है। इसके पुनस्संगठन का काम सन् १९५६-५७ ई० से चालू है। यह संस्था विभिन्न औद्योगिक विषयों पर छात्रों को प्रशिक्षण देकर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देती है। कपड़े की बुनाई और धातु एवं मिट्टी के सामान बनाने के प्रशिक्षण पर डिप्लोमा दिया जाता है। बुनाई, रँगाई, छपाई, चमड़े का काम, दरी बनाने का काम, लकड़ी का काम, साबुन, बूट-पॉलिश, मोमबत्ती, खिलौना, गंजी, मोजा आदि बनाने के काम, बेंत और बाँस का काम, लोहारी का काम, लोहा-खराद का काम, जोड़ाई का काम, मिट्टी का काम आदि विषयों पर सर्टिफिकेट देने का प्रबन्ध है। सन् १९५७-५८ ई० में इन विषयों की विभिन्न परीक्षाओं मे ३८९ छात्र बैठे थे।

महिला औद्योगिक विद्यालय

राँची और मुंगेर के महिला औद्योगिक विद्यालय स्थायी बना दिये गये हैं और यहाँ प्रशिक्षण पानेवाली महिलाओं की संख्या ३० से ६० कर दी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चार और विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था थी। उनमें तीन विद्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया में खोले जा चुके। प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए ६० महिलाएँ ली जायेंगी। इन विद्यालयों में सिलाई, गंजी, मोजा आदि की बुनाई, कशीदा का काम चमड़े का काम, बेंत और बाँस के काम आदि सिखाये जाते हैं।

प्रशिक्षण एवं उत्पादन-केन्द्र

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न ग्रामीण उद्योग-धन्धों के विकास के लिए ३०० प्रशिक्षण एवं उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने की योजना थी। इसका उद्देश्य ग्रामों के विभिन्न उद्योग-धन्धों के करीगरों को प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य-क्षमता बढाना और जहाँ ये कारीगर नहीं हैं, वहाँ इन्हें तैयार करना है। सन् १९५७-५८ ई० में इन केन्द्रों की संख्या २६६ थी; जिनका ब्योरा विभिन्न उद्योग-धन्धों के अनुसार इस प्रकार है—

क्रम-सं०	नाम		इकाई-संख्या
१.	सिलाई और कटाई	....	३६
२.	शीशा की चूड़ियों का उत्पादन	...	२
३.	गंजी, मोजा आदि की बुनाई और कपड़ों की कशीदाकारी	....	३४
४.	दरी की बुनाई	...	३४
५.	हाथ-करघे की बुनाई	...	२१
६.	कैलिको-छपाई	....	१०
७.	लोहारी और टीन का काम	...	२६
८.	तीसी के रेशे से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन	...	५
९.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	....	५

क्रम-संख्या	नाम		इकाई-संख्या
१०.	ऊनी गंजी और लोहे की बुनाई	....	७
११.	बढ़ईगिरी	...	२२
१२.	रस्सी	....	६
१३.	बेंत और बाँस के सामान	....	१०
१४.	साबुन और विसंक्रामक पदार्थों का उत्पादन	....	१६
१५.	रेशम की बुनाई	...	१०
१६.	कागज की लुगदी बनाने का काम	...	१
१७.	चमड़े के सामान का निर्माण	...	८
१८.	चर्म-शोधन का काम	...	६
१९.	ताड़-गुड़ बनाने का काम	...	३
२०.	खजूर के पत्ते से निर्मित वस्तुएँ	...	१
२१.	मधुमक्खी-पालन	...	१३
२२.	धातु के चद्दर बनाने का काम	...	२
२३.	दरी की बुनाई	....	२
२४.	तसर के सूत की कताई और बुनाई	...	१
२५.	खिलौना बनाने का काम	...	२
२६.	मिट्टी के बरतन बनाने का काम	...	१२
२७.	पीतल के सामान बनाने का काम	...	१
२८.	पत्थर के सामान बनाने का काम	...	१
२९.	सींक (सिकी) के सामान बनाने का काम	...	१
		कुल ...	२६६

खादी और ग्रामोद्योग

अगस्त, १९५६ में बिहार-सरकार ने बिहार खादी और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कानून बनाया और उसी मास में बिहार-राज्य खादी-बोर्ड की स्थापना हुई। दो-तीन मास बाद इसका काम चालू भी हो गया। अपनी स्थापना के प्रारम्भिक दो वर्षों में इसे सरकार से १,०७,०५,४४० रुपये अनुदान-स्वरूप प्राप्त हुए और सन् १९५९ की जनवरी तक यह संस्था ८३ लाख रुपये खर्च कर चुकी थी। अधिकांश रुपये सहकारी एवं पंजीबद्ध संस्थाओं को पहले से स्थापित उद्योग-धंधों के विकास के लिए या नये उद्योग-धंधे चलाने के लिए दिये गये हैं। यह बोर्ड अपनी ओर से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विक्रयशाला, प्रशिक्षण-केन्द्र और संस्थान, आदर्श उत्पादन-केन्द्र तथा प्रदर्शन-केन्द्र चलाता है। बिहार में छह ऐसे केन्द्र हैं, जहाँ रुई का स्टॉक इसीलिए रखा जाता है कि पास के अम्बर-परीक्षणालय और खादी-केन्द्रों को कभी रुई अभाव न होने पावे। कोल्हू का तेल तैयार करने के लिए राजस्थान से चार लाख रुपये का सरसों ख़रीदकर जिला और सबडिवीजन के केन्द्रों में रखा गया है।

इसी प्रकार कुछ आवश्यक औजार भी खरीदकर केन्द्रों में रखे गये हैं, ताकि कारीगर आसानी से उन्हें प्राप्त कर सकें।

औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति

औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति का विवरण आगे की तालिका में दिया गया है, जिसमें १६५६ की जनवरी तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभागों के ब्यौरे दिये गये हैं। उससे प्रकट होगा कि सहकारी समितियों द्वारा अंशतः या पूर्णतः २०,४६,००० व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इस संख्या में खादी-ग्रामोद्योग-संघ द्वारा काम में लगे कातने-बुननेवालों एवं अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या समाविष्ट नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग-संघ

इसका उद्देश्य सन् १६५६-६० ई० मे दो करोड़ रुपये के मूल्य की खादी का उत्पादन करना था। अम्बर-चर्खा और उन्नत घानी से काम में विशेष प्रगति हुई है। सन् १६५७-५८ में २५,००० पुराने चर्खे भी चल रहे थे। ग्रामोद्योग में संलग्न कारीगरों की अनेक सहकारी समितियाँ पंजीवद्ध की गई हैं। अखिलभारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग-आयोग-विहार में (१) सीधे संघ द्वारा चलाये गये तिरिल (राँची), कौवाकोल (गया) और हंसा (दरभंगा) के घने विकास क्षेत्र को आर्थिक सहायता पहुँचाता है तथा (२) पुराने ढंग की खादी और अम्बर-चर्खा के विकास के लिए खादी-ग्रामोद्योग-संघ को अतिरिक्त कार्यकारी पूँजी तथा अन्य प्रकार की सहायता (जैसे—छूट) देता है।

प्रशिक्षण-कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदर्श कारखाने स्थापित करने और भ्रमणशील कारखाने खोलने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र कायम करना भी है। राज्य में इस समय २६ विभिन्न उद्योगों के ३५४ ऐसे केन्द्र कायम हो चुके हैं। इन उद्योग-धन्धों में लोहारी, बढ़ईगिरी, चर्म-शोधन, चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन, साबुनसाजी, विसंक्रामक पदार्थ बनाना, मधुमक्खी-पालन, बेंत और बाँस के काम, कपड़े की छपाई, खिलौने बनाना, सींक या सिक्की की वस्तुएँ बनाने आदि के काम शामिल हैं। द्वितीय योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं को सीना-पिरोना, कशीदाकारी करना और गंजी-मोजा बुनना सिखाने का कार्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रशिक्षण का अधिकतर कार्य सहकारी समितियों और पजीवद्ध संस्थाओं द्वारा होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में हाथ-करघों तथा खादी और ग्रामीण उद्योग-धन्धों की समितियों के अतिरिक्त राज्य में ६७६ औद्योगिक सहकारी समितियाँ थीं। द्वितीय योजना-काल मे और भी १५० कार्यशील सहयोग-समितियाँ स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया था।

सहकारी चीनी-मिलें

पूर्णिया जिले के बनमनखी नामक स्थान में एक सहकारी चीनी की मिल स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इसके लिए एक सहकारी समिति पंजीवद्ध हो चुकी है। समिति के एक उपनियम के अनुसार राज्य-सरकार द्वारा इसके संचालक-मण्डल का निर्माण भी किया जा

चुका है। प्रस्तावित योजनानुसार समिति के सदस्यों को दस लाख रुपये की पूँजी खड़ी करनी थी, जिससे वे राज्य-सरकार से उतनी ही रकम ले सकें और केन्द्रीय सरकार से भी अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। सन् १९५८-५९ ई० के अन्त तक योजना को पूरा कर देने का विचार था। इस योजना में राज्य की ईख-यूनियनों और ईख-समितियों का भी पूरा सहयोग रहा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

योजनाओं के नाम

(१) बृहत् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग-धन्धे

क्रम-संख्या		संशोधित योजना की रकम (लाख रुपयों में)
१. बृहत् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास के लिए जाँच-पड़ताल	...	५०·००
२. रेशमी कपड़े की मिल की स्थापना	...	१·००
३. बिहार-सुपरफॉस्फेट-कारखाने का विस्तार	...	२०·००
४. सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए साहाय्य	...	१०·००
५. हाइ टेन्सन-इन्सुलेटर कारखाने की स्थापना	...	४५·००
६. राज्य-वित्त-निगम (स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन) के पूँजी-हिस्सों में वृद्धि	...	२०·८८
७. भू-गर्भ-सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्य	...	१२·००
	योग—	१६८·८८

(२) औद्योगिक प्रक्षेत्र

क्रम-संख्या		संशोधित योजना की रकम (लाख रुपयों में)
८. एक बृहत्, एक मध्यम तथा दो छोटे औद्योगिक प्रक्षेत्रों की स्थापना	...	६०·००
	योग—	६०·००

(३) छोटे पैमाने के उद्योग

९. मुख्यालय के कार्यकर्त्ता	...	६·३१
१०. जिला-पदाधिकारी	...	१४·६०
११. विस्तार-कार्य के कार्यकर्त्ता	...	१०·००
१२. कुटीर-उद्योग-संस्थान (कॉटेज इंडस्ट्रीज इन्स्टिट्यूट, पटना) का बहु-शिल्प-संस्थान (पॉलिटेकनिक, पटना) में रूपान्तर	...	१७·००
१३. अनुदान-प्राप्त संस्थाएँ एवं महिला औद्योगिक विद्यालय	...	१५·६०
१४. राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्डों में उत्पादन-सह-प्रशिक्षण-केन्द्र	...	५०·००
१५. आदर्श कारखानों की स्थापना	...	२०·००

क्रम-संख्या		संशोधित योजना की रकम (लाख रुपयों में)
१६.	लघु उद्योग-संस्थान, सिन्दरी (धनबाद) ...	००·५६
१७.	ग्रामीण उद्योग के प्रयोगात्मक कारखाने की स्थापना ...	४·२५
१८.	औद्योगिक रूपांकन (डिजाइन)-संस्थान की स्थापना ...	१३·४०
१६.	वर्त्तमान औद्योगिक समूहों की सहायताए वं नये समूहों की स्थापना ...	५२·१७
२०.	नये लघु उद्योगों के लिए अग्र-योजना ...	३२·००
२१.	लघु उद्योगों द्वारा व्यवहृत विद्युत् के लिए आर्थिक सहायता ...	१·७८
२२.	उद्योगों को राजकीय साहाय्य-अधिनियम के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋण देने की योजना का विस्तार ...	१२०·००
२३.	हाथ-करघों, हस्त-शिल्पों और लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की सुविधाओं का विस्तार	५·००
	योग—	३४६·००

(४) ग्रामोद्योग

२४.	ग्रामोद्योगों का विकास	—

(५) खादी

२५.	खादी-उत्पादन का विकास	—
	योग—	३५८·६४

(६) हाथ-करघा

२६.	सूती हाथ-करघा-उद्योग को सहायता ..	१३३·०४
२७.	ऊनी वस्त्र-उद्योग को सहायता ...	५·७५
२८.	रेशम-बुनाई-उद्योग को सहायता ...	१८·२५
२६.	सहकारी बुनाई-मिल की स्थापना के लिए सहायता ...	१०·००
	योग—	१६७·०४

(७) रेशम-कीट-पालन (सेरिकल्चर)

३०.	रेशम-कीट-पालन का विकास ...	३०·००
	योग—	३०·००

(८) हस्त-शिल्प

३१.	हस्त-शिल्प का विकास ...	२६·००
	योग—	२६·००

(६) श्रम और श्रम-कल्याण

३२.	शिल्पकार-प्रशिक्षण-योजना ...	६४·००
	योग—	६४·००
	कुल योग—	१,२२३·८६

बिहार-सरकार की लघु उद्योग-विकास-योजनाएँ

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय औद्योगिक समूह	व्यय १६५६—५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १६५८ तक (रुपये)
१.	विहारशरीफ में विभागीय विक्रय की दूकान मे कच्ची वस्तुओं के संग्रह की योजना	७८,६००	४,७६३
२.	विहारशरीफ मे काष्ठ-कला-प्रशिक्षण-सह-सेवा-केन्द्र की योजना	१६,१२०	——
३.	राँची और पूसा में विक्रय एवं भाण्डार की योजना	१,५०,४००	४१,३१६
४.	सामूहिक सेवा-संगठन के अन्तर्गत मेहसी में सीप-बटन के उद्योग की योजना	१,३८,४७५	१५,४५४
५.	रेडियो के सामान का उत्पादन, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	५४,०००	११,८१७
६.	बिजली के सामान के उत्पादन की योजना, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र,	६४,६२०	६३०
७.	साइकिल और उनके पुर्जों का उत्पादन, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र की योजना	२,७१,८६६	१८,७८७
८.	सिलाई की मशीन के उत्पादन की योजना	(यह योजना सम्मिलित पूँजी के रूप मे एक व्यक्तिगत कम्पनी, शंकर सिलाई मशीन कम्पनी, लुधियाना के साथ पूरी की जायगी ।)	
९.	भ्रमणशील मोटर और परीक्षणात्मक प्रयोगशाला के साथ आदर्श फौण्ड्री, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	१,१७,८२४	८००
१०.	पटना, दरभंगा और राँची में खेल की वस्तुओं के विकास की योजना	६१,००३	५,३२३
११.	मिट्टी-बरतन-निर्माण-विकास-केन्द्र, राँची	२,८८,१००	१३,५३२
१२.	पटना में लोहारी और भवन-निर्माण-सम्बन्धी लोहे के समान के लिए सामान्य सुविधा सेवा-निर्माण-केन्द्र	१,३२,७६१	३६२
१३.	सामान्य सुविधा सेवा-निर्माण-केन्द्र, पटना की विकास-योजना	२,४७,०००	३५,०८८

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६—५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १९५८ तक (रुपये)
१४.	कच्चे माल की दूकान पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	३,२०,६००	३,१६५
१५.	बिजली मोटर-निर्माण, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	———	———
१६.	केन्द्रीय फिनिशिङ्ग निर्माण-केन्द्र, मैथन	———	२६,४४७
१७.	योग्यता-नियन्त्रण-योजना (दो इकाई)		(स्वीकृति-प्रतीक्षित)

लघु उद्योगों के लिए अग्रगामी परियोजनाएँ

१.	यान्त्रिकी व्यापार, बिहारशरीफ औद्योगिक प्रक्षेत्र	३६,४०३	१,१७६
२.	आराकशी मिल के साथ-साथ लकड़ी को व्यवहार-योग्य बनाने की योजना, हाजीपुर	८२,२१५	१,५२७
३.	लकड़ी के कुंदे को व्यवहार-योग्य बनाने का संयंत्र, चाइबासा	७२,०६७	४,४२६
४.	लघु औजार-निर्माण, रॉची औद्योगिक प्रक्षेत्र	३,२१,६०८	१२,६११
५.	लघु चर्म-उद्योग, सकरी	३,१३,१५०	३,७१६
६.	लघु चर्म-उद्योग, बिहटा	३,१३,६००	१४,६१७
७.	धान की भुस्सी से क्रियाशील कोयले का निर्माण, जयनगर	(योजना विचाराधीन)	
८.	शोरा-शोधन-केन्द्र, मेहसी	३६,०७१	२,०३०
९.	बैटरी-निर्माण, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	४४,२५०	१,३७०
१०.	हाथ-थैला (हैंडबैग) आदि के निर्माण के लिए चर्म-वस्तु-कारखाना, बेतिया	५७,६००	—
११.	दरभंगा में जूता-निर्माण के लिए आदर्श योजना	८४,७५८	—

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६—५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिस० १९५८ (रुपये)
१२.	छत के टाइल के निर्माण के लिए लघु इकाई-योजना, सकरी	३३,१०२	८९७
१३.	बिजली से सोना, चाँदी आदि का पानी चढाना और काली मीनाकारी करने का कारखाना (इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ब्लैक इनैमेलिंग युनिट), राँची औद्योगिक प्रक्षेत्र	२६,४४४	४,६३९
१४.	अल्युमिनियम सामान-निर्माण-केन्द्र, भागलपुर	१,१५,५८८	६,४४८
१५.	साइकिल-पुर्जा-निर्माण-संस्थान; बिहारशरीफ औद्योगिक प्रक्षेत्र	५१,५५३	६,७९८
१६.	यान्त्रिक खिलौना-उत्पादन-केन्द्र; पटना-औद्योगिक प्रक्षेत्र	१८,३६०	६४५
१७.	सरकारी ताला-निर्माण-केन्द्र, तिलैया	—	४३,००२
१८.	पूसा और सबौर में फल-संरक्षण-कारखाने के विकास के लिए केन्द्रों की स्थापना	अभी हाल में आरम्भ	
१९.	लीची-बिजलीयन (सुखाने) की योजना		

आदर्श कारखाने

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६—५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिस० १९५८ (रुपये)
१.	आदर्श बढईगिरी-केन्द्र, मुजफ्फरपुर	७२,९१०	६,२८८
२.	भ्रमणशील लोहारी-प्रशिक्षण मोटर-वान, बिहारशरीफ	४४,१६,८९७	४२०
३.	लोहारी का प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र, दरभंगा औद्योगिक प्रक्षेत्र	४४,२१९	३,४६५
४.	बिहारशरीफ में भ्रमणशील बढईगिरी-प्रशिक्षण-मोटर-वान	५५,२३७	—
५.	पूसा में आदर्श लोहारी कारखाने की स्थापना	३७,३२२	१७,०७०
६.	भ्रमणशील बढ़ईगिरी-प्रशिक्षण-मोटर-वान, पूसा	५५,२३७	६,७७४
७.	भ्रमणशील लोहारी मोटर-वान, पूसा	४४,१६८·९७	६,२१३

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६-५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १९५८ (रुपये)
८.	आराकशी मिल-सह-यान्त्रिकी-वढ़ईगिरी-केन्द्र, विक्रम	७४,७६०	५७५
९.	अराकशी मिल-सह-यान्त्रिकी-वढ़ईगिरी, दरभंगा-औद्योगिक प्रक्षेत्र	७४,७६०	३,८७०
१०.	समुन्नत लौहकर्म (लोहारी)-केन्द्र (पैडलॉक और सामान्य गणित के औजार वनाने के लिए), मुँगेर	२१,२२१	६,१६१
११.	कृषि और वढईगिरी के औजारों के निर्माण के कारखाने, विहारशरीफ-औद्योगिक प्रक्षेत्र	५०,६७५	४४०
१२.	आदर्श काष्ठकर्म (वढ़ईगिरी)-केन्द्र, दुमका	३४,३६६·१२	५,६१६
१३.	आदर्श काष्ठकर्म (बढईगिरी)-केन्द्र, पूसा	१४,९००	२,४११
१४.	आदर्श लौहकर्म (लोहारी)-केन्द्र, सहरसा	५१,७४४	४,९१६
१५.	आदर्श ग्रामीण लौहकर्म (लोहारी), मुँगेर	१७,२३१·५०	७,७६५
१६.	भ्रमणशील काष्ठकर्म (लोहारी) मोटर-वान, राँची	—	१,५००
१७.	भ्रमणशील लौहकर्म (लोहारी) मोटर-वान, राँची	—	१,५००

औद्योगिक प्रगति

द्वितीय योजना-काल

विहार की अर्थनीति इस समय भी कृषि-प्रधान वनी हुई है। कुल जन-संख्या के केवल लगभग ४ प्रतिशत लोग खेती के सिवा दूसरे रोजगारों से जीविका-निर्वाह करते हैं। इसलिए पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को खेती के अलावा दूसरे रोजगारों में काम मिल सके। प्रथम योजना में उद्योगों के लिए केवल १'३६ करोड़ का उपवन्ध किया गया था। इसके विरुद्ध द्वितीय योजना में ११'६७ करोड़ का उपवन्ध औद्योगिक विकास की स्कीमों के लिए किया गया। सन् १९५६ ई० में एक औद्योगिक विकास-परिषद् की स्थापना की गई। इस परिषद् की प्राविधिक समिति के अध्यक्ष श्री जे० जे० घाडी (ताता कम्पनी के) हैं, जो वृहत् उद्योगों के विकास से सम्वद्ध समस्याओं की जाँच-पड़ताल करते हैं।

अवरख-व्यवसाय के सम्वन्ध में सलाह लेने के लिए राज्य-सरकार ने सन् १९५८ ई० में अवरख-सलाहकार-समिति का पुनर्गठन किया। राज्य के खनिज-साधनों के विकास के लिए

सन् १९६० ई० में एक खनिज-सलाहकार-समिति का गठन किया गया। इसी प्रकार चीनी-व्यवसाय की उन्नति एवं विस्तार के सम्बन्ध में भी एक उच्चस्तरीय कमिटी गठित की गई है। दूसरी योजना की अवधि में छोटे-छोटे उद्योगों और हस्तशिल्पों के संगठन एवं विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है। बिहार-राज्य हाथ-करघा-बोर्ड का पुनर्गठन सन् १९५९ ई० में किया गया। चमड़े के व्यवसाय को विकसित करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए भी एक सलाहकार-समिति सन् १९६० ई० में कायम की गई है।

हाथ-करघा-व्यवसाय इस राज्य का एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष करीब दो लाख करघों पर लगभग १० लाख आदमियों को काम मिलता है।

वृहत् उद्योग के क्षेत्र में भारत-सरकार की ओर से राँची के निकट हटिया में एक भारी यंत्र निर्माण-संयंत्र (हेवी मेशीन बिल्डिंग प्लैएट) और एक भारी ढलाई भट्ठी-संयंत्र (हेवी फाउण्ड्री-फोर्ज प्लैएट) क्रमशः अमेरिका और चेकोस्लावाकिया के सहयोग से स्थापित हो रहे हैं। ये दोनों संयंत्र एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में काम करेंगे और प्रथम अवस्था में इनकी कुल उत्पादन-क्षमता ४५ हजार टन तैयार कल-पुरजों की, और द्वितीय अवस्था में ८० हजार टन कल-पुरजों की होगी। भारी मशीन-निर्माण-परियोजना का कुल लागत-खर्च ८५ करोड़ रुपये और ढलाई-भट्ठी-संयंत्र का आनुमानिक व्यय १७९ करोड़ रुपये होगा। पिछला कारखाना तीन अवस्था-क्रमों में निर्मित होगा। ये संयंत्र मुख्य रूप से लोहा और इस्पात-उद्योगों के लिए कल-पुरजे और साज-सामान तैयार करेंगे। खनिज तेल-उद्योग, कोयला-खुदाई-उद्योग तथा इंजीनियरिंग व्यवसाय से सम्बद्ध अन्यान्य यंत्रों के प्रयोजनों की पूर्त्ति भी इनके द्वारा होगी। भारी मशीन-निर्माण-संयंत्र में प्रतिवर्ष अनुमानतः १० करोड़ रुपये मूल्य का सन् १९६५-६६ ई० में और ४२ करोड़ रुपये के मूल्य का चतुर्थ योजना के अन्त में उत्पादन होगा। इन दो संयंत्रों के लिए जो सुनिपुण प्राविधिक कर्मक-दल आवश्यक होंगे, उनके प्रशिक्षण के लिए भारत-सरकार दो प्राविधिक शिक्षण-संस्थाएँ राँची में खोलने का विचार कर रही है। हटिया की दोनों परियोजनाओं में प्रथम अवस्था में करीब १० हजार और दूसरी अवस्था में करीब १५ हजार आदमी काम करेंगे।

भारत-सरकार ने राँची में एक भारी मशीन औजार-कारखाना खोलने का भी निश्चय किया है। इस कारखाने का आनुमानिक व्यय १५ करोड़ रुपये होगा। इसके लिए राज्य-सरकार ६०० एकड़ जमीन प्राप्त कर चुकी है।

भारत के चौथे इस्पात-संयंत्र के स्थान के लिए बोकारो को चुना गया है। इस कारखाने में १० लाख टन का उत्पादन होगा। तृतीय योजना में इसे समाविष्ट कर लिया गया है।

जमशेदपुर के आसपास भी कई नये-नये कारखाने खुलेंगे। टेलको द्वारा दो नये संयंत्र बैठाये जायेंगे—एक लुगदी और कागज तैयार करनेवाले यंत्र-समुच्चय के निर्माण के लिए और दूसरा, खानों में मिट्टी हटानेवालेउ त्खनकों (खुदाई करनेवाली मशीन) के निर्माण के लिए। सन् १९६१ ई० के अंत तक दोनों संयंत्रों में उत्पादन होने लगेगा। एक दूसरे टाटा फर्म को एक नई ढलाई मिल खड़ी करने के लिए लाइसेन्स दिया गया है। ब्रिटिश प्लेट कम्पनी को एक नई मिल खड़ी करके अपनी उत्पादन-क्षमता ७५ हजार टन से बढ़ाकर १५०,००० टन तक ले जाने की अनुमति दी गई है।

इंडियन स्टील ऐण्ड वायर प्रोडक्ट्स कम्पनी सन् १९६१ ई० में एक नई मिल खड़ी करके लोहे की छड़ें और डंडे उत्पादित करने की अपनी इस समय की ६५ हजार टन की क्षमता को बढ़ाकर १५०,००० टन करने जा रही है।

इसके सिवा राज्य-सरकार जमशेदपुर में और बहुत-से छोटे-छोटे उद्योग खोलने जा रही है, जो वहाँ के बड़े और मझोले उद्योगों के लिए अनुषङ्गी रूप में काम करेंगे। एक और क्षेत्र जो बड़ी तेजी से विकसित होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र में परिणत होने जा रहा है, वह है बरौनी। वहाँ जो तेल-शोधनशाला स्थापित होने जा रही है, उसमें सन् १९६३ ई० के अन्त तक अपरिष्कृत तेल से विभिन्न प्रकार की २० लाख टन पेट्रोलियम से बनी वस्तुओं का उत्पादन होगा। इस बात की भी संभावना है कि शोधनशाला की गैस तथा अन्य उपजात वस्तुओं से उर्वरकों तथा दूसरे प्रकार के रासायनिक द्रव्यों का निर्माण होने लग जाय। इसका अर्थ यह होगा कि आगे चलकर बरौनी-समस्तीपुर-क्षेत्र उत्तर-बिहार का औद्योगिक केन्द्र बन जायगा।

मेसर्स हिन्द इंजीनियरिंग कम्पनी बरौनी के निकट लोहे की ढलाई का एक कारखाना स्थापित करने जा रही है। इसके साथ ही एक टिन का कारखाना भी उक्त कम्पनी द्वारा वहाँ खोला जायगा, जिससे तेलशोधन-शाला के प्रयोजनों की पूर्त्ति हो सके।

बिहार-सरकार का पशु-संवर्द्धन-विभाग अमेरिका के प्राविधिक सहयोग से बरौनी में एक मक्खन बनाने का कारखाना खोलने जा रहा है। इस कारखाने में प्रतिदिन ५०० मन दूध का मक्खन तैयार होगा।

तेलशोधन-शाला तथा अन्य उद्योगों के विद्युत्-शक्ति-सम्बन्धी प्रयोजनों की पूर्त्ति के लिए बिहार-सरकार द्वारा बरौनी मे एक थर्मल पावर स्टेशन का अधिष्ठापन हो रहा है।

शाहाबाद जिले के अमजोर क्षेत्र की पहाड़ियों में पाइराइट नामक कच्ची धातु पाई जाती है। भारत-सरकार ने वहाँ एक कम्पनी खड़ी की है। यह कम्पनी नारवे की एक कम्पनी के साथ मिलकर भारत में सर्वप्रथम गंधक तैयार करनेवाले संयंत्र संस्थापित करेगी। पाइराइट को पिघलाकर गंधक तैयार किया जायगा।

राज्य-सरकार ने सिन्दरी में एक सुपरफास्फेट कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष १६ हजार टन सुपरफास्फेट तैयार होता है। इसकी उत्पादन-क्षमता को वार्षिक एक लाख टन तक बढ़ाने के लिए उपाय काम मे लाये जा रहे हैं।

राज्य-सरकार द्वारा राँची में एक हाइटेन्सन इन्सुलेटर फैक्टरी की स्थापना की जा रही है। इसमें हर साल २४ हजार टन ऊँचे तनाव के इन्सुलेटर (विद्युत्-विसंवाहक) उत्पादित होंगे। चेकोस्लोवाकिया की एक कम्पनी के प्राविधिक सहयोग से इस फैक्टरी का निर्माण हो रहा है। मकान बनकर तैयार हो गया है तथा मई, १९६१ से यंत्रों का सस्थापन आरम्भ हो किया गया है।

सहकारी क्षेत्र में १२ हजार तकुओं की एक सूत कातने की मिल स्थापित हो रही है। इसकी अभिदत्त अंश-पूँजी २० लाख रु० की है, जिसमे १० लाख रुपये की अंश-पूँजी सरकार ने खरीद की है।

राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम (नेशनल कोल-डेवलॉपमेण्ट कारपोरेशन) द्वारा कोयला साफ करने का एक कारखाना करगली में और मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा इसी काम के लिए तीन कारखाने दुगदा, भोजूडीह और पाथरडीह में खुलने जा रहे हैं।

अणु-शक्ति-आयोग (एटॉमिक एनर्जी कमीशन) सिंहभूम जिले के घाटशिला के निकट एक यूरेनियम-प्रोसेसिंग-प्लैण्ट स्थापित करने जा रहा है।

राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की स्थापना का गई है, जिसका प्रधान कार्यालय राँची मे होगा। हिन्दुस्तान स्टील लि० का कार्यालय राँची में अवस्थापित होगा।

द्वितीय योजना-काल में निजी क्षेत्र मे भी उद्योगों में बहुत-कुछ धन का विनियोग हुआ है। टाटा कंपनी का विस्तार किया गया है, जिससे उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन इस्पात की हो गई है। इसी प्रकार, टेलको की उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि हुई है और यह कम्पनी बड़ी तादाद मे डिजिल ट्रक और रेल-इंजिन तैयार कर रही है। हजारीबाग जिले के गोमिया की विस्फोटक द्रव्यों की फैक्टरी में उत्पादन आरंभ हो गया है। चीनी, सीमेण्ट और रिफ्रैक्टरी कारखानों ने द्वितीय योजना-काल में अपनी उत्पादन-क्षमता विस्तृत की है। डालमियानगर के कागज के कारखाने का विस्तार हुआ है। कागज की एक बड़ी मिल खोलने के लिए लाइसेन्स जारी किये गये हैं। कागज की एक बडी मिल हायाघाट (दरभंगा) मे स्थापित होगी और इसमें प्रतिदिन १०० टन कागज तैयार होगा। कागज की एक छोटी मिल समस्तीपुर में खुलेगी, इसमे हर साल ३,६०० टन कागज तैयार होगा। इसी तरह की एक मिल डुमराँव (शाहाबाद जिला) में खुलने जा रही है। ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स ने मालगाड़ी का डिब्बा तैयार करने के लिए मोकामा में एक कारखाना खोला है। फुलवारीशरीफ की बाइसिकिल फैक्टरी का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ है। राज्य-वित्त-निगम द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करके बिहारशरीफ और पटना-क्षेत्रों में बहुत-से कोल्ड स्टोरेज खुले हैं। इसी प्रकार धनबाद मे खनन-कार्य-सम्बन्धी सामग्री के निर्माण के लिए एक कारखाना खोला गया है। पटना, बिहारशरीफ, राँची और दरभंगा में ४ औद्योगिक प्रक्षेत्र (इंडस्ट्रियल एस्टेट) प्रतिष्ठित किये गये हैं।

पटना के औद्योगिक प्रक्षेत्र में एक कारखाना प्रतिष्ठित है, जिसमें औजार और रग तैयार होते हैं। इसके सिवा एक कारखाना बाइसिकिल के विभिन्न कल-पुरजों को एकत्र करके बाइसिकिल तैयार करने का है। इस कारखाने में १५ हजार से २० हजार तक बाइसिकिल प्रतिवर्ष तैयार करने का कार्यक्रम है। अभी तक ३ हजार बाइसिकिल तैयार हो चुके हैं। प्रतिदिन २० बाइसिकिल तैयार होते हैं। इस इकाई मे करीब ३० आदमी काम करते हैं। इस इलाके मे कितनी ही निजी औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं। सरकार द्वारा परिचालित लौहभिन्न ढलाई का कारखाना, रेडियो की संघटक इकाई, बिजली के उपसाधनों को निर्मित करने की इकाइयाँ, खेल-कूद के सामान, मोटर की बैटरी और कच्चे माल के डिपो इत्यादि इस इलाके में हैं।

राँची औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस इलाके मे राज्य द्वारा परिचालित छोटे-छोटे औजार और खेल-कूद के सामान के निर्माण के लिए चार इकाइयाँ (युनिट), एक खिलौना विकास-केन्द्र, एक बिजली द्वारा गिलट करने और काली कलई करने का केन्द्र अवस्थापित हैं। सब इकाइयाँ काम कर रही हैं। कुछ निजी उद्योगों में भी उत्पादन हो रहा है।

दरभंगा औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस प्रक्षेत्र में राज्य द्वारा परिचालित इकाइयों ने एक मॉडल लोहारी-कारखाना, एक यंत्रकृत बढ़ईगिरी इकाई तथा चमड़े के सामान और खेल-कूद के सामान बनाने के लिए दो इकाइयाँ अवस्थित हैं। इन सब स्कीमों में उत्पादन हो रहा है। इनके अलावा ६ निजी इकाइयों को घर आवंटित किये गये हैं, जिनमें तीन ने उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

बिहारशरीफ-औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस क्षेत्र में राज्य द्वारा परिचालित इकाइयों में एक लकड़ी का कारखाना, एक यान्त्रिक व्यापारों के प्रशिक्षण का केन्द्र, बाइसिकिल के कल-पुरजे और खेती के औजार निर्मित करने की एक इकाई अवस्थित हैं। ये सब स्कीमें चालू हैं। सिलाई-मशीन के हिस्से बनानेवाली एक निजी इकाई ने काम शुरू कर दिया है। दूसरी निजी इकाई द्वारा हाथ से कागज बनाने का काम शीघ्र ही शुरू होनेवाला है।

छोटे पैमाने के उद्योग

इस क्षेत्र में जो योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं, वे तीन वर्ग में विभाजित की जा सकती हैं- मॉडल कर्मशाला, औद्योगिक समूह और अग्रगामी परियोजनाएँ। मॉडल कर्मशाला का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कारीगरों को आधुनिक औजारों के व्यवहार का प्रशिक्षण देना है। इस समूह के अन्तर्गत १६ योजनाएँ राज्य के विभिन्न भागों में अवस्थित हैं, जिनमें १४ चालू हो गई हैं। सहरसा, दुमका और विक्रम की योजनाएँ शीघ्र चालू होनेवाली हैं। बाकी दो में एक आरा का मॉडल लोहारी-कारखाना और दूसरा छपरा का मॉडल बढ़ईगिरी केन्द्र इस साल के अंत तक चालू हो जायेंगे। औद्योगिक समूह में भी १६ योजनाएँ हैं, जिनमें १५ चालू हो गई हैं।

आदर्श कारखाने—आदर्श कारखाने खड़ा करने के लिए और शहरों एवं उनके आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत्-संचालित यंत्रों को चलाने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण देना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए १७ योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें लोहारी और बढ़ईगिरी की शिक्षा देने के लिए छह भ्रमणशील प्रदर्शन-गाड़ियों की व्यवस्था भी सम्मिलित है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए भी तीन योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आदर्श कारखानों के लिए भवन-निर्माण-कार्य चल रहा है।

औद्योगिक समूह-योजनाएँ—इस सम्बन्ध में १६ योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनके अन्दर मेहसी (चम्पारन) का बटन-उद्योग; बिहारशरीफ, पूसा, राँची और पटना-स्थित कच्चे माल की दूकान, तथा मैथोन का सेण्ट्रल फिनिशिङ्ग वर्कशाप हैं, जिनके काम चालू हैं। सबसे बड़ी योजना पटना के साइकिल-कारखाने की योजना है। छोटे-छोटे इंजीनियरिंग के कारखानों की सहायता के लिए पटना में एक बड़ा कारखाना खोलना है। अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बिजली के सामान, रेडियो के कल-पुरजे, खेल के सामान, मोटर की बैटरी आदि का बनाना है। इनके कार्य भी शीघ्र ही चालू हो रहे हैं।

अग्रगामी परियोजना—अग्रगामी इकाइयाँ स्थापित करने का उद्देश्य है छोटे पैमाने के उद्यमों, खासकर लघु निर्माणकारी उद्योगों की प्राविधिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता को सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा प्रमाणित कर देना, जिससे उद्यमी व्यक्ति राज्य के अन्य भागों में इसी प्रकार के उद्योग शुरू कर सकें। इस प्रकार की १८ इकाइयों में ७ चालू हो गई हैं। विहटा और सकरी की मॉडल चर्मशाला की योजनाएँ भी १९६१ के फरवरी महीने में चालू होनेवाली थीं।

द्वितीय योजना-काल में विहारशरीफ, पूसा और राँची में तीन अग्रगामी परियोजनाएँ (उद्योग) आरम्भ की जा चुकी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है इस बात की परीक्षा करना कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन-से लघु उद्योगों और घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास हो सकता है। विहारशरीफ की अग्रगामी परियोजना में १९५६ के जुलाई से और पूसा तथा राँची की परियोजनाओं मे मार्च, १९५७ से काम चालू है। इन अग्रगामी परियोजनाओं में सन १९६० ई० के मार्च तक ४३५ औद्योगिक सहकारी-समितियों का संगठन हो चुका है। इनके कुल सदस्यों की संख्या १०,३३८ और अभिदत्त अंश-पूँजी की राशि २,५४ लाख रुपया है। सन् १९६० ई० के मार्च तक कुल २४१ लाख रुपये के माल का उत्पादन हुआ और १६४ लाख रुपये के माल बाजार में भेजे गये।

कुटीर एवं ग्राम-उद्योग

विहार-राज्य का सर्वाधिक सुसंगठित कुटीर-उद्योग हाथ-करघा है। इस उद्योग में करीब दस लाख आदमी लगे हुए हैं। हाथ-करघा-व्यवसाय के विकास में सन् १९६०-६१ ई० में लगभग २८ लाख रुपया खर्च किया गया। १,०३१ बुनकर सहकारी-समितियों का संगठन किया गया और २·१२ करोड़ गज कपड़े का उत्पादन हुआ। ऊन के बुनकरों की भी सहकारी-समितियाँ संगठित की गई हैं और उन्हें आर्थिक सहायता उदारतापूर्वक प्रदान की गई है।

हाथ-करघा-बुनकरों में शक्ति द्वारा चालित करघों के प्रचार का प्रयोग हो रहा है। द्वितीय योजना-काल में ९०० शक्ति-चालित करघों को संस्थापित करने का प्रस्ताव था, जिनमे ३०० शक्ति-चालित करघे—१५० विहारशरीफ मे और १५० गया जिले के मानपुर में—चालू हो चुके हैं। इनके अलावा बाकी ६०० शक्ति-चालित करघे निम्नलिखित स्थानों में संस्थापित किये जायेंगे—

(१) महाराजगंज, तिलौथू के निकट (शाहाबाद जिला)		...	५०
(२) चंपानगर (भागलपुर)	...	...	१५०
(३) महाराजगंज (सारन)	...	...	१५०
(४) नागरी (रांची अग्रगामी परियोजना)	...	...	५०
(५) दूरवा (,, ,,)	...	...	५०
(६) लहेरियासराय (दरभंगा)	...	...	५०
(७) पडौल (,,)	...	...	५०
(८) चकिया (मोतिहारी)	...	...	५०

शक्ति-चालित करघे पर काम करके मानपुर का एक औसत बुनकर एक दिन में १०) रु० तक कमा लेता है, जबकि साधारण करघे पर उसकी रोजाना आमदनी सवा रुपये से डेढ़ रुपये तक थी।

रेशम के कीड़े का पालन—भारत मे विहार-राज्य मे सर्वाधिक तसर का उत्पादन होता है। इस उद्योग की विभिन्न शाखाओं में करीब एक लाख लोग लगे हुए हैं। छोटानागपुर और

संतालपरगना के आदिवासियों का बड़े पैमाने पर इस उद्योग में नियोजन हो रहा है। इस उद्योग को विकसित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं।

भारत में लाह की कुल पैदावार जितनी होती है, उसका प्रतिशत लगभग ३१ भाग बिहार में पैदा होता है। इस व्यवसाय में छोटानागपुर और खासकर पलामू जिले के बहुत-से लोग लगे हुए हैं। लाह के दाम में स्थिरता लाने और व्यवसाय-सम्बन्धी अस्वस्थ आचरणों को रोकने के लिए उपयुक्त सुधारमूलक उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

वित्तीय सहायता—बिहार-राज्य औद्योगिक सहायता-कानून के अन्तर्गत लघु उद्योगों और गृहशिल्पों को सन् १९६० ई० के सितम्बर तक द्वितीय योजना-काल में ११२·६५ लाख रुपये ऋण के रूप में सहायतार्थ दिये गये।

बिहार-राज्य वित्तीय निगम भी मझोले और लघु उद्योगों को लंबी मियाद पर रुपये उधार देता है। सन् १९६० ई० के दिसंबर तक निगम द्वारा २२२ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जाने की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से १६३ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। ऊपर के आँकड़ों में सन् १९६०-६१ ई० में लघु उद्योगों के लिए ऋण के रूप में मंजूर किये गये २०·४० लाख और खर्च किये गये ३·५७ रुपये लाख भी शामिल हैं। सन् १९६०-६१ ई० में लघु उद्योगों को ३० लाख रुपये ऋण दिये जाने की आशा थी। सन् १९६१-६२ ई० में छोटी इकाइयों को ५० लाख रुपये तक ऋण के रूप में दिये जाने की आशा की जाती है।

औद्योगिक रूपांकन-संस्थान

अप्रैल, १९५६ ई० में इस संस्थान की स्थापना राज्य-सरकार द्वारा पटना में हुई। इसके तीन अनुविभाग हैं: एक सूती कपड़े के लिए, दूसरा हस्तशिल्प के लिए और तीसरा लघु उद्योगों के लिए।

संस्थान के अनुविभाग ये हैं: (१) वयन, (२) रंगाई और छपाई, (३) साँचा-ढलाई, (४) बढ़ईगिरी, (५) मिट्टी का साँचा तैयार करना, (६) मिट्टी का बरतन, (७) वार्निश, (८) खिलौना, (९) काँसा, (१०) बाँस, (११) यान्त्रिक, (१२) चमड़ा, (१३) बेल-बूटे का काम, (१४) मानचित्र-कर्म, (१५) परंपरागत रूपाकनों के आधार पर नये-नये रूपांकनों को उद्‌विकसित करना, जो कला-संस्थान का मुख्य कार्य है।

सन् १९५९ ई० के जनवरी महीने से ६ महीने तक चलनेवाला प्रशिक्षण का एक वृत्तिका-ग्राही (स्टाइपेण्डरी) पाठ्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार विभिन्न शिल्पों में निम्नलिखित संख्या में प्रशिक्षणार्थी लिये जायेंगे—सूती कपड़ा १२; बाँस ६; खिलौना ४; मिट्टी का बरतन ४; चमड़ा ६।

वृत्तिकाग्राही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षणार्थी बिना वृत्तिका के भी भरती किये जाते हैं। इस संस्थान के साथ एक लोक-कला-संग्रहशाला संलग्न है, जिसमें कारीगरों और परिदर्शकों के लिए शिल्प की वस्तुएँ रखी गई हैं।

विभिन्न कारखाने, उनके उत्पादन तथा उनमें लगे श्रमिक

काल	फैक्टरियों के नाम	फैक्टरियों की संख्या	विवरण भेजनेवाली फैक्टरियाँ	उत्पादन	प्रतिदिन के औसत कार्यकर्त्ता
जुलाई १९५७ से जून १९५८	चीनी	३५	२६	४,०३,२८९ टन छोआ १,२६,२५५ टन	१४,७६५
१९५७	ह्यूम-पाइप तथा सीमेंट	२	२	६,४१६ टन	२१५
१९५७	लोकोमोटिव फैक्टरी	१	१	वायलर १०२ लोकोमोटिव ८०	६,५२६
१९५७	मेटल फैक्टरी	५	३	४२,०५७ टन	३,३८
१९५७	लालटेन	१	१	७८,२१६ संख्या	१०४
१९५७	अलकोहल	२	१	रेक्टिफाइड स्पिरिट १५,१५,४७७ एल० पी० गैलन पावर अलकोहल ५,२७,६२४ डिनेचर्ड स्पिरिट १,८६,६८२ बल्कगैलन ,, ,,	७५
१९५७	जूता का कारखाना	१	१	बनाये गये जूते १७,८२,१५८ जोड़े	७२७
१९५७	सीमेंट फैक्टरी	५	५	७,९६,१४४ टन	४,८३३
१९५७	चाय-कारखाना	१	१	२,०४,२५६ पौंड	३८
१९५७	ब्रिक, टाइल, पौटरी	१२	७	१,७८,३०० टन	८,८२०
१९५७	लेमनचूस, ट्रॉफी आदि	१	१	७७८ टन	१३२
१९५७	तम्बाकू	१	१	तम्बाकू २,३७,४१७ पौंड सिगरेट १,६८,६० लाख	२,५७८
१९५७	कॉटन मिल्स	२	१	सूत १,३७१ हजार पौंड में कपड़ा ५,१३६ हजार गज में	७३०
१९५७	जूट	३	२	हेसियन ४८१ टन बटा जूट २७३ टन बोरा १७,३२३	४,६२८
१९५७	होजियरी	६	१	गंजी १७,४७८ दर्जन	३४
१९५७	लाह	१५	३	सिलैक २,०१९ मन सिडलैक १७,५५७ मन बटन १,६११ मन	२०६

काल	फैक्टरियों के नाम	फैक्टरियों की संख्या	विवरण भेजनेवाली फैक्टरियाँ	उत्पादन	प्रतिदिन के औसत कार्यकर्त्ता
१६५७	कॉपर (तौंबा)	१	१	रोल्ड कॉपर ७,६६२ टन	
				रोल्ड ब्रास ७,५०६ टन	१,५०४
				ब्रास सर्किल ३२० टन	
१६५७	लीड (सीसा)	१	१	३,१७४ टन	५३२
१६५७	लोहा और इस्पात	८४	६	पिग आयरन १,१२,२५६ टन	३७,५७४
				स्टील इगार १०,७७,२६४ टन	
				स्टील कास्टिंग ६,६५१ टन	
				बिक्री-योग्य स्टील ७,६८,८६० टन	
				कृषि-औजार २६,२४,६६६ (संख्या)	
				फेरॉससलफेट १,५१० टन	
				रीडोक्साइड १७३ टन	
				टिन-प्लेट ६५,०६६ टन	
				रॉडविलो २६,६२५ टन	
				तार और तार का उत्पादन ३१,०५८ टन	
				अनटेस्टेड स्टील का री-रॉलिंग २२,७३३ टन	
				कण्टेनर्स ....१,०७,८४१ (संख्या)	
				वायर कॉपर, वायर सालिड और स्टैंडर्ड ... ५,३४२ टन	
				कपड़ा ढका तौंबा ३४२ टन	
				वायर और स्ट्रिप रबर-अवरोधित केबुल ....३,७०,६४,३५७ गज	
				रबर-अवरोधित लचीला केबुल ... १६,७८,३६५ गज	
				ए० सी० एस० आर० कण्डक्टर... ६३२ टन	
				पी० वी० सी० ... ४५,८३,३१५ गज	
				केबुल इनामेल कॉपर-वायर .... ——	

काल	फैक्टरियों के नाम	फैक्टरियों की संख्या	विवरण भेजनेवाली फैक्टरियाँ	उत्पादन		प्रतिदिन के औसत कार्यकर्त्ता
१६५७	पेपर, कोटिंग प्लैएट लुगदी मिल	४	३	पेपर	२५,०१६ टन	१,७२१
				कोटिंक	१,३०५ टन	८४६
				लुगदी	१६,६११ टन	१०,३६२
१६५७	केमिकल	१४	१०	कोक और हार्डकोक	३,६५,६७६ टन	८,४८६
				अलकतरा	३६,५२५ टन	
				सल्फ्युरिक एसिड	३,८३४ टन	
				अमोनिया सल्फेट	३,३५,३१६ टन	
				अमोनिया	६५,२६६ टन	
				विसंक्रामक	२६,२६४ गैलन	
				गैस-ऑक्सिजन	१४,०२,३३ हजार घनफुट	
				घुली हुई एसेटेलिन गैस	६,७५१ ,,	
				रॉ गैस	१,१७,०४,८६३ ,,	
				स्पिरिट-सम्बन्धी उत्पादन	१५,४१३ पौंड	
				गैर-स्पिरिट-सम्बन्धी उत्पादन	१६,३७० ,,	
				इन्जेक्शन-योग्य उत्पादन	१८,७०२ एम्पुल में	
				तार तेल	५४,६४० गैलन	
				अलमिनिया हाइड्रेट	१४,०६० टन	
				कैलसिएड अलमिनिया	२१,८१२ टन	
				कैलसिएड कोक	———	
१६५७	शीशा	१३	३	बिजली के लैम्प	२६,५४,२२० संख्या	१,६६७
				शीशा का चदरा	१२,७५३ टन	
				बरतन के सामान	५६,८२३ दर्जन	
				शीशा के सामान	२,१५,३२४ दर्जन	
				लालटेन के सामान	३,६४,२१४ दर्जन	
१६५७	चमड़ा	१	१	सिद्ध चर्म	४,०३,३६८ खण्ड	२७५
				,,	५१,८६,१११ किलोग्राम	
				,, उत्पादन में लगाये	१,५४,४८८ खंड	
				,, ,,	२२,०६,३४० किलोग्राम	
				,, उत्पादित	२,२१,५११ खंड	
				,, ,,	७,१६,५३२ किलोग्राम	

कला और शिल्प

विहार-राज्य में विभिन्न कलाओं और शिल्पों की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। नालंदा, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और बोधगया में जो उत्खनन हुए हैं, उनमें कला और शिल्प के ऐसे कितने ही नमूने मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि पुरातन काल में यहाँ हस्त-शिल्प अत्यन्त विकसित अवस्था मे था। शताब्दियों के वीत जाने तथा आर्थिक एवं वैज्ञानिक उन्नति का सामना करने पर भी यहाँ के कारीगरों ने हस्तशिल्प को जीवित रखा है।

कपड़े की रँगाई और छपाई का काम विहार का एक प्राचीन हस्त-शिल्प है। आज भी हजारों कारीगर पेशे के रूप में इस काम को कर रहे हैं। उनके सुदक्ष हाथों द्वारा सुन्दर कालीन, जाजिम, शमियाना, कनात, दरी, साड़ी, चादर, टेवुल पर का कपड़ा इत्यादि विभिन्न रंगों और नक्शों के छपे हुए तैयार किये जाते हैं। चुनरी का काम भी यहाँ लाल और पीले रंग में वहुत सुन्दर होता है। आधुनिक काल में इस हस्त-शिल्प में विशेष उन्नति हुई है और सूती तथा रेशमी कपड़े की नये-नये नमूनों में रंगाई और छपाई होने लगी है।

विहार-राज्य के विभिन्न भागों में, विशेष कर मिथिला में स्त्रियाँ सींकी की सुन्दर वस्तुएँ तैयार करती हैं। कुमारी कन्याएँ इस हस्तशिल्प का अभ्यास करती हैं और अपने हाथ की वनाई हुई कुछ सुन्दर सीकी की वस्तुएँ विवाह होने पर अपने साथ पतिगृह ले जाती हैं। अब नये-नये रूपाकनों की मनोहर एवं उपयोगी सींकी की वस्तुएँ वनने लगी हैं, जिनके ऊपर पशु, पक्षी, फूल, फल आदि की आकृतियाँ अंकित रहती हैं। 'सींकी एक तरह की घास होती है, जो इस राज्य में वहुतायत से उपजती है।

वाँस से कारीगरी की अनेक प्रकार की सुन्दर और उपयोगी वस्तुएँ निर्मित होती हैं। किसी समय यह इस राज्य का एक उन्नतिशील हस्तशिल्प था और सारे राज्य में फैला हुआ था। आज भी ऐसे कितने ही कारीगर पाये जाते हैं, जो वहुत साधारण औजार से वाँस की वनी कारीगरी की चीजें वेचकर जीविका-निर्वाह करते हैं। उन्नत रूपाकन की उपयोगी वास की वस्तुएँ प्रस्तुत करने और उनकी रँगाई तथा उन्हें रंगहीन करने की कला के सम्वन्ध में एवं कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त होने से वचाने के लिए शोध-कार्य हो रहे हैं।

लकड़ी पर सुनहरी पॉलिश का काम विहार की एक पुरानी दस्तकारी है। इसके लिए लाह का व्यवहार किया जाता है, जिसके उत्पादन के लिए विहार प्रसिद्ध है। यहाँ लाह की सुन्दर चूड़ियाँ भी वनती हैं। औद्योगिक रूपाकन-संस्थान इस शिल्प के सम्वन्ध में शीघ्र कार्य कर रहा है और सुनहरी पॉलिश के नये-नये रंगों का प्रचार किया है।

सभ्यता के आदिकाल से ही मिट्टी के वरतन वनाने की कारीगरी इस देश में प्रचलित है। विभिन्न रूपाकनों के—आकृतियों, आकारों और रंगों के मिट्टी के—वरतन यहो के कुंभकार प्रस्तुत करते हैं। उत्सवों और मेलों में इस प्रकार के वरतनों और रंग-विरंगे खिलौनों का विक्री के लिए प्रदर्शन किया जाता है। इस क्षेत्र में भी औद्योगिक रूपाकन-संस्थान उन्नत रूपाकनों द्वारा कारीगरों को सहायता पहुँचा रहा है।

सोना और चाँदी के जो आभूषण इस राज्य में निर्मित होते हैं, उनकी अपनी विशेषता होती है। सोने और चाँदी के आभूषणों-पर बहुत सूक्ष्म मीनाकारी का काम किया जाता है। छोटानागपुर-प्रमण्डल के जिलों में यह कारीगरी विशेष रूप में प्रचलित है। इस कारीगरी के विकास के लिए सरकार की ओर से आवश्यक प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं।

लकड़ी के खिलौने बनाने की कारीगरी भी इस राज्य मे पीढ़ी-दर-पीढी से चली आ रही है। सुदक्ष कारीगर लकड़ी के एक टुकड़े से बहुत ही सुन्दर एवं उपयोगी वस्तुएँ निर्मित करते हैं, जिनका कलात्मक मूल्य होता है। यों तो राज्य में सर्वत्र यह हस्त-शिल्प प्रचलित है, किन्तु छोटानागपुर और पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में कला एवं उपयोगिता की दृष्टि से इस कारीगरी का सतत अभ्यास किया जाता है। इस कारीगरी की उन्नति के लिए कारीगरों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इस उद्देश्य से कई स्थानों में खिलौना-विकास-केन्द्र खोले गये हैं।

चमड़े का काम बिहार का एक प्राचीन कुटीर-उद्योग है। आज भी बहुत-से कारीगर इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। प्राचीन काल में इस कारीगरी ने ऊँचे दर्जे की निपुणता प्राप्त की थी। वैज्ञानिक प्रणाली पर इस कारीगरी का विकास हो—इस दिशा में सरकारी शोध-संस्थान में शोध-कार्य हो रहे हैं। भारत में कच्चे चमड़े का उत्पादन करनेवाले राज्यों में बिहार का चौथा स्थान है। चमड़े के काम में जो रासायनिक वस्तुएँ तथा अन्य सामग्री प्रयुक्त होती हैं, वे इस राज्य की खानों और जंगलों पाई जाती हैं।

पत्थर पर रूपरेखा खोदकर मूर्त्ति बनाने की कारीगरी भी बिहार की एक विशेषता रही है। प्राङ्मौर्य, मौर्य और उत्तरमौर्य-युग की जो मूर्त्तियाँ विभिन्न संग्रहालयों में रखी हुई हैं, उनसे हमें पता चलता है कि यह कारीगरी उन दिनों कितनी उन्नत अवस्था में थी। इस समय यद्यपि इसका ह्रास हो गया है, फिर भी कुछ कारीगर इसे पथलकट्टी (गया), चाडिल और सरायकेला (सिंहभूम) जैसे स्थानों में जीवित रखे हुए हैं। पत्थर की बहुत-सी गृहोपयोगी वस्तुएँ अब तैयार होने लगी हैं। कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी समितियाँ स्थापित करके उन्हें संगठित किया जा रहा है।

बेल-बूटे और कशीदा काढ़ने का काम इस समय भी बहुत-से कारीगर कर रहे हैं। विशेष-कर गृहणियाँ इस कारीगरी में सुदक्ष होती हैं और अपने अवकाश के समय में कलात्मक सौन्दर्य से मण्डित सुन्दर एवं उपयोगी वस्तुएँ तैयार करती हैं। राज्य के विभिन्न भागों में इस कारीगरी के विकास के लिए प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं।

खनिज-संपत्ति की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध राज्य है। पीतल की मूर्त्तियों तथा काँसा और फूल की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए यह बहुत दिनों से विख्यात रहा है। कई स्थानों में खुदाई में भी ये सब वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। छोटानागपुर के मल्होर आज भी इन सब धातुओं की कलात्मक वस्तुएँ तैयार करते हैं, जिनपर सुन्दर नक्काशी और बेलबूटों का काम होता है।

बिहार में लाह की पैदावार बहुतायत से होती है। इसका निर्यात विदेशों में होता है। लाह की चीजों के बनाने में चपड़े का भी व्यवहार किया जाता है। लाह और चपड़े की कितनी ही कलात्मक वस्तुएँ निर्मित होती हैं।

हजारीबाग, राँची, धनबाद, पटना तथा अन्य स्थानों में वाद्य-यंत्र बनाये जाते हैं।

रंगीन तागों का व्यवहार न करके कई प्रकार के वस्त्र-खण्डों के ऊपर नकाशी का काम करना एक बहुत पुरानी दस्तकारी है। कपड़े के बदले अबरक और काँच के टुकड़ों का भी व्यवहार किया जाता है। बौद्धयुग में इसका विशेष प्रचलन था। आज भी शामियानों, चँदोवों, कनातों, जाजिमों, तकियों और बटुओं पर इस तरह की नकाशी की जाती है। मौर्य एवं गुप्त-युगों में इस हस्त-शिल्प की चरम उन्नति हुई थी।

सुजनी इस राज्य की एक पुरानी दस्तकारी है। रद्दी कपड़े के टुकड़ों को रँगकर उन पर सुई से आकृतियाँ और रूपरेखाएँ अंकित की जाती हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन, चंपारन, मुँगेर, शाहाबाद, गया, राँची आदि जिलों में घर की स्त्रियाँ अपने अवकाश के समय में यह काम करती हैं। इसमें किसी पूँजी की जरूरत नहीं होती।

कुछ समय पहले तक यहाँ के धनवान् लोग जरी के कपड़े का व्यवहार करते थे। कोट, अचकन, चोली, टोपी, साड़ी, लहँगा, चँदोवा, मसनद, चादर आदि पर जरी की सुन्दर नकाशी की जाती थी। अब सोने और चाँदी के तारों के बदले कृत्रिम तागों का व्यवहार किया जाता है। जरी के कशीदे का काम किया हुआ कपड़ा धनी घरानों की महिलाओं द्वारा विशेष पसंद किया जाता है।

बिहार-राज्य खादी-ग्रामोद्योग-संघ

बिहार-राज्य खादी-ग्रामोद्योग-संघ की स्थापना बिहार-राज्य खादी और ग्रामोद्योग-कानून, सन् १९५६ ई० के अनुसार हुई। बिहार-खादी-ग्रामोद्योग-कानून की धारा ११ के अनुसार संघ की सहायता करने तथा उसे उचित परामर्श देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति संगठित की गई है।

संघ सहकारी-समितियों और निबन्धित संस्थाओं के जरिये खादी और ग्रामोद्योग के विकास का काम करता है। संघ को व्यवस्था-खर्च राज्य-सरकार से मिलता है तथा उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय अनुदान केन्द्रीय सरकार से खादी-कमीशन द्वारा दिया जाता है।

अम्बर-चर्खा—दिसम्बर, १९६० तक संघ द्वारा १४,२६३ चर्खे चलाये गये थे। १२,६४६ कातनेवाले व्यक्ति प्रशिक्षित हुए। इन चर्खों से १,६२,७२१ पौंड सूत तैयार हुआ और १,६५,४३६ वर्गगज खादी तैयार की गई। संघ ने राज्य के विभिन्न स्थानों में १० खादी उत्पादन-केन्द्र खोल रखे हैं।

बिक्री-भवन—उक्त संघ पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा जमशेदपुर में एक-एक बिक्री-भवन खोलकर उसके जरिये खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध करता है। गया, जमालपुर, झुमरीतिलैया और राँची में भी अतिशीघ्र बिक्री-भवन खोले जा रहे हैं। विगत चार वर्षों मे ६० लाख रुपये की खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं की बिक्री की गई है।

ग्रामीण तेल-उद्योग—संघ ने इस राज्य में कुल ८,७७३ नये ढंग की तेल-घानियों को चालू किया है। इस उद्योग में ८३४ सहकारी-समितियाँ लगी हुई हैं। इस उद्योग द्वारा विगत वर्ष में २,१५,३०० मन तेल का उत्पादन हुआ है।

हाथकुटा-चावल-उद्योग—इस उद्योग में ३२४ सहयोग-समितियाँ एवं संस्थाएँ काम कर रही हैं। विगत वर्ष में ४,२२,०६२ मन धान कूटा गया।

अखाद्य तेल-साबुन-उद्योग—बिहार में अबतक ४६ उत्पादन-केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है, जिनमें १,११,४६६ पौंड साबुन का उत्पादन विगत वर्ष में हुआ।

ग्रामीण कुम्भकारी उद्योग—इस उद्योग में ८२ सहयोग-समितियाँ निबन्धित हो चुकी हैं और लगभग ५० हजार रुपये के मूल्य का सामान बनकर तैयार है।

गुड़-खाँडसारी-उद्योग—इस उद्योग में ६७ सहकारी-समितियाँ हैं, जो उत्तम ढंग से गुड़ और खाँडसारी बनाने का काम करती हैं। इस उद्योग में अभीतक १५ हजार मन गुड़-खाँडसारी का उत्पादन हो चुका है।

ताड़-गुड़-उद्योग—ताड़ और खजूर के वृक्षों से नीरा निकालकर उससे गुड़ और चीनी तैयार करने का काम संघ द्वारा होता है। विगत वर्ष में ५६० मन गुड़ का उत्पादन हुआ।

मधुमक्खी-पालन-उद्योग—बिहार में ५० मधुमक्खी-पालन-केन्द्र काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों में १६,५०१ पौंड मधु का उत्पादन हुआ है।

हाथ-कागज-उद्योग—राज्य में हाथ-कागज-उत्पादन-केन्द्र तीन हैं। इन केन्द्रों मे अभीतक २१,४०३ पौंड कागज का उत्पादन हुआ है।

ग्रामीण चर्मोद्योग—इस उद्योग में चर्मोद्योग-सहयोग-समितियों की संख्या १५ है, जिनमे बिक्री-केन्द्र ३ एवं आदर्श चर्मालय १२ हैं। इन स्थानों में शोधित चमड़े तथा हड्डी की खाद तैयार होती है।

कुटीर-दियासलाई-उद्योग—इस राज्य में कुटीर-दियासलाई के दो केन्द्र काम कर रहे हैं, जहाँ १,००० ग्रौस बक्से का उत्पादन हुआ है।

ग्रामीण रेशा-उद्योग—सघ की ओर से पटुआ, केतकी, ताल, खजूर, सावे घास आदि के रेशे से विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन करने के लिए ७ केन्द्र खोले जा रहे है।

प्रचार-प्रदर्शनी—संघ अभीतक पटना, जमशेदपुर, राँची और मुजफ्फरपुर मे राज्य-स्तर पर बड़ी प्रदर्शनियों का आयोजन कर चुका है। मध्यम दर्जे की प्रदर्शनियाँ डालटनगंज, सिवान और सहरसा में लगाई जा चुकी हैं।

★

सहकारिता-आन्दोलन

विहार में लगभग आधी शताब्दी से सहकारिता-आन्दोलन चल रहा है। सबसे प्रथम पूर्णिया जिले में सहकारी-समितियाँ खोली गई थीं। सन् १९०५ ई० मे सहकारी-समितियों की संख्या केवल १५ थी। प्रतिवर्ष वढते-वढ़ते इनकी संख्या सन् १९४६ ई० में ८,२३५ हो गई। सभी तरह की सहकारी-समितियों में लगी हुई पूँजी लगभग तीन करोड़ रुपये की थी। इतनी लम्वी अवधि में विहार के लगभग १७ प्रतिशत गाँवों में ही सहकारी-समितियाँ कायम हो सकी थीं।

वहुधंधी समितियाँ—विहार-सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों में विविध उद्देश्य और कार्य-सम्वन्धी सहकारी-समितियाँ कायम करने की योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। ये समितियाँ अच्छे वीज, अच्छे औजार और अच्छी खाद के जरिये सहकारिता के आधार पर ग्रामों में खेती की व्यवस्था करती हैं, किसानों को खेती के लिए कर्ज देती हैं तथा ग्राम-उद्योग-धन्धों और कला-कौशल को उन्नत वनाती हैं।

सन् १९४७ ई० मे प्रयोगात्मक रूप से औरंगावाद (गया), हाजीपुर तथा मुजफ्फरपुर सवडिवीजनों में एवं अन्य कई स्थानों मे ऐसी ५०० समितियाँ खोली गईं। सन् १९४८ ई० में इनकी संख्या ८५३ हुई। सन् १९४९ ई० की फरवरी तक राज्य-भर में वहुधन्धी सहकारी-समितियों की संख्या १,१०२ हो गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में वहुधन्धी सहकारी-समितियों की संख्या लगभग ८,००० थी तथा उक्त योजना-काल में इतनी ही और भी सहकारी-समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। इनके अलावा ५०० वृहदाकार समितियाँ भी स्थापित करने की योजना थी। इस योजना के अंतर्गत सन् १९५९ ई० के मार्च तक २५५ समितियाँ खोली गईं, किन्तु उसके वाद से भारत-सरकार के परामर्शानुसार ऐसी समितियों की स्थापना स्थगित कर दी गई।

वहुधंधी सहकारी समितियाँ दिनानुदिन लोकप्रिय होती जा रही हैं तथा वहुत-सी ऋण देनेवाली समितियाँ वहुधंधी समितियों में परिणत हो रही हैं।

सेण्ट्रल कोऑपरेटिव वैंक—इस वैंक का मुख्य कार्य प्राथमिक सहकारी-समितियों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त ऋण देना है। सन् १९५९ ई० के मार्च तक सम्पूर्ण राज्य में ऐसे वैंकों की संख्या ४७ थी, जिनमे अधिकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसीलिए, रिजर्व वैंक ऑफ इण्डिया की सलाह से राज्य-सरकार ने ऐसे सभी वैंकों को मिला-जुलाकर इनकी कुल संख्या २८ रखने का निर्णय किया है।

भूमि-वंधक-वैंक—कृपकों को दीर्घकालीन ऋण देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय भूमि-वंधक-वैंक स्थापित कर विहार-राज्य के सभी (१७) जिलों में इसकी शाखाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया था। अवतक सभी शाखाएँ प्रायः खुल चुकी हैं।

सहकारी कृपि-समितियाँ—द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ३०० सहकारी कृपि-समितियाँ खोलने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसी समितियों में सभी सदस्यों को अपनी-अपनी

भूमि पर पूर्ण स्वत्वाधिकार रखते हुए स्वेच्छापूर्वक सबकी भूमि को मिलाकर सहकारिता के आधार पर खेती करने का अधिकार दिया गया है। यह कार्य सहकारिता-विभाग के संयुक्त निबंधक तथा कृषि-विभाग के उपनिदेशक के सम्मिलित तत्त्वावधान में सम्पन्न होता है।

स्टेट-कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन—इसका संगठन किया जा चुका है। राज्य-सरकार ने इसमें १० लाख रुपये की हिस्सा-पूँजी लगाई है। इसके अलावा इसे ऋण तथा सहायता के रूप में भी समय-समय कुछ रकम दी जाती है। स्टेट-कोऑपरेटिव बैंक के खाद, पाठ्य-पुस्तक, कोयला आदि सम्बन्धी व्यापारिक कार्य सन् १६५६ ई० की जुलाई से इसी यूनियन को सुपुर्द किये गये हैं।

प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी—सन् १६५६ ई० के मार्च तक बिहार में विभिन्न प्रखण्डों के अन्तर्गत १२० प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज की स्थापना की गई। राज्य-सरकार की सहायता और ऋण के बल पर ऐसी सभी समितियों के लिए एक-एक गोदाम बनवाया गया है।

राज्य-गोदाम-निगम—इस निगम की आधी पूँजी सरकार की तथा आधी निगम की है। निगम द्वारा अबतक करीब एक दर्जन से अधिक गोदाम खुल चुके हैं।

जूट-क्रय-विक्रय-समितियाँ—सहकारी-संस्थाओं द्वारा जूट का क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से पूर्णिया में बहुत-सी जूट-क्रय-विक्रय-समितियाँ स्थापित हुई हैं। सरकार की दो लाख रुपये की सहायता से एक जूट की गाँठ बनाने का संयन्त्र स्थापित किया गया है।

औद्योगिक सहयोग-समितियाँ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों को सहकारिता के आधार पर चलाने के लिए औद्योगिक सहयोग-समितियों को विशेष महत्त्व दिया गया। इसके कार्य-संचालन के लिए एक पूर्णकालिक उपनिबंधक की नियुक्ति की गई। इसके अन्तर्गत हाथ-करघा-बुनकर सहकारी-समितियाँ, तैलकार सहकारी-समितियाँ, मत्स्यजीवी सहकारी-समितियाँ आदि हैं।

हाथ-करघा-बुनकर-सहयोग-समितियाँ—औद्योगिक समितियों में से ये समितियाँ सर्वाधिक सुसंगठित एवं सुविस्तृत हैं। इनके कामों की देखरेख के लिए एक पृथक् संयुक्त निबन्धक रहते हैं। इस समय संपूर्ण बिहार-राज्य में दो लाख से अधिक करघे हैं, जिनपर १० लाख व्यक्ति काम करते हैं। इनके सहायक उद्योगों—जैसे, रँगाई, छपाई, धुलाई और बढ़ईगिरी एवं विक्रय आदि—में २० लाख व्यक्ति लगे हैं।

इस प्रकार की पहली सहकारी-समिति सन् १६३० ई० में बिहारशरीफ में खुली थी। सन् १६५३ ई० तक इस कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं आई। किन्तु उसी वर्ष जब भारत-सरकार ने इस उद्योग-धन्धे के विकास के लिए एक अखिलभारतीय हाथ-करघा-बुनकर-परिषद् की

स्थापना की, तब से यहाँ का काम भी बहुत आगे बढ़ चला। पिछले छह वर्षों में इस कार्य की कैसी प्रगति रही, यह निम्नांकित आँकड़ों से स्पष्ट है—

	१९५२-५३	१९५८-५९
बुनकर-सहकारी-समितियों की संख्या	१३६	१,०२१
करघों की संख्या	१५,०००	१,३०,६७६
सदस्यों की सख्या	१५,०००	१,३०,६७६
विक्रय-शाखाएँ	१	१३०
उत्पादित वस्त्र (गजों) में	४,८२,३१४	३,७६,७६,१७९
उत्पादित वस्त्रों का मूल्य (रुपयों में)	४,१८,१८२	३,७१,७८,०७७

सभी बुनकर-सहकारी-समितियों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तथा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री के उद्देश्य से सन् १९४८ ई० में बिहार-राज्य हाथ-करघा-बुनकर-सहकारी-यूनियन कायम की गई। इस समय बिहार में यूनियन के १३० विक्रयालय हैं। यह यूनियन करघे के कपड़ों की सुन्दरता, टिकाऊपन तथा रूपाकन में उन्नति लाने का प्रयत्न करती है। विभिन्न कोटि के कपड़े तैयार करने के लिए राँची, भागलपुर, बिहारशरीफ, पटना, महाराजगंज और लहेरियासराय में खास तौर से कारखाने खोले गये हैं, जहाँ नये-नये रूपाकन के कपड़े तैयार किये जाते हैं तथा बुनकरों को इस उद्योग-सम्बन्धी उच्चकोटि की प्राविधिक शिक्षा दी जाती है।

सहकारिता के आधार पर आदिवासी बुनकरों को संगठित करने के लिए राँची, गुमला, चाइबासा और देवघर में केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

मोकामा में १२ हजार तकुओं की एक कताई-मिल की स्थापना की गई है, जिसमें आधी पूँजी सरकार की तथा आधी बुनकर-सहकारी-समितियों की रहेगी।

तैलकार-सहकारी-समिति—अखिलभारतीय केन्द्रीय तेलहन-समिति की प्रेरणा से सन् १९४९ ई० मे यह योजना प्रारम्भ की गई। इसमें आधी पूँजी उक्त राज्य-सरकार की तथा आधी पूँजी उक्त समिति की रहेगी। इसका उद्देश्य पुराने ढंग के ग्रामीण कोल्हू के स्थान पर उन्नत ढंग के कोल्हुओं द्वारा विशुद्ध तेल तैयार करना है। ३० जून, १९५८ तक बिहार में तैलकार-सहकारी-समितियों की संख्या ३४२ थी, जिनमें ९१,६०० रुपया की पूँजी लगी थी। उस ६६९ वर्धा-कोल्हू तथा २,२२५ पुराने ग्रामीण कोल्हू काम कर रहे थे। लगभग ८४ लाख रुपये का तेल और १७ लाख रुपये की खल्ली बिकी थी।

मत्स्यजीवी-सहकारी-समितियाँ—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य मे ऐसी १०० समितियाँ खोलने का लक्ष्य था। किन्तु, अबतक १२५ से अधिक समितियाँ कायम हो चुकी हैं। पटना, बक्सर, राजमहल और खगड़िया में सरकारी सहायता से इसके लिए कोल्हू स्टोरेज भी खुलनेवाले हैं।

सहकारिता के क्षेत्र में काम करनेवाले विभिन्न कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए देश और राज्य के अन्दर अनेक प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

सहकारिता-आन्दोलन
(१६५६-६०)

सहकारी-समितियों की संख्या		सदस्यों की संख्या	भुगतान की गई अंश-पूँजी	आरक्षित	चालू पूँजी	इस साल मे ऋण दिया गया	इस साल मे ऋण का भुगतान हुआ	साल के अन्त मे बकाया ऋण
						(हजार की संख्या मे)		
१. स्टेट कॉपरेटिव बैंक	१	१७७	४,४५६	१,७१६	४१,८७०	१७,६३६	१६,१०६	१४,७३७
२. सेण्ट्रल कॉपरेटिव बैंक	४७	२६,२००	५,५३५	२,२६०	३७,०२८	१७,१६६	१५,१७७	२३,०७३
३. कृषि-सम्बन्धी प्राथमिक सहकारी-समितियो	२४,२६२	१२,७०,२०४	१२,३०६	४,१७१	४२,६२६	१७,८८२	१४,६८६	२६,०६१
४. कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहकारी-समितियो	२,२५७	२,७०,१०५	१०,६६७	३,२६८	४८,६६८	३२,८६३	२६,३८२	३४,१७०
५. अन्यान्य	७७	४३,७४२	७,००७	४,७७६	४०,७०६	४,६६७	३,२२५	५,०८७

टिप्पणी—ऊपर जो ओकड़े दिये गये हैं, उनका सम्बन्ध केवल २६,६४४ सहकारी-समितियों से है। गत ३० जून, १६६० को सब प्रकार की सहकारी-समितियों की संख्या २७,०४५ थी।

वाणिज्य-व्यापार

विहार में रेलवे और नदियों द्वारा होनेवाले वाणिज्य-व्यापार-सम्बन्धी आँकड़े नीचे दिये जाते हैं—

वस्तुओं के नाम	इकाई	आयात			निर्यात		
		१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
पशु							
मवेशी (भेड़-बकरी छोड़कर)	संख्या	६०,४४७	५१,६१०	५०,२७६	७१,१५१	६८,५१४	६२,४७६
घोड़े, टट्टू और खच्चर	,,	२००	२९	५	१३१	७५	३८
भेड़-बकरी	,,	३,२७९	२,९७२	१,४३९	१,३२,१९६	९९,७८६	३०,२९९
अन्य मवेशी	,,	५,७८७	४,४०४	३,५७४	२५,६३८	३३,१६५	४३,४६८
हड्डियाँ	मन	१,०६१	४,७५५	१,९३८	५,२३,३९५	१,७१,४१३	२,१३,९७१
सीमेंट	,,	१५,१४,२३४	७,३१,०२८	८,८२,९९४	१,१६,३२,४५७	१,२८,४२,७५२	१,५१,५४,४१४
कोयला (कच्चा और जला)	,,	३,६२,८९,८२८	२,९०,७८,६०५	३,४९,३८,८४५	२८,८४,१३,२५७	२९,१७,३१,०५४	३०,६०,७२,४२७

वस्तुओं के नाम	इकाई	आयात			निर्यात		
		१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
कॉफी	मन	४६३	२८४	४८२	१७	४	८
रूई और सूत							
विदेशी ,,	,,	—	१९९	—	७	—	—
देशी ,,	,,	१,२६,०२४	१,४८,२१२	६५,२७८	५,८४४	८,५८८	३,७१०
विदेशी वस्त्र (गट्ठर में)		—	—	—	—	—	—
,, (बक्स में)		—	—	—	—	—	—
भारतीय वस्त्र (गट्ठर में)	,,	७,७८,०८९	५,४८,०५७	५,७६,८६३	११,८२८	११,९८९	१३,३६३
,, (बक्स में)		७६	—	—	३०	—	—
हरीतकी (हर्रे)	,,	४,७७०	२,२१९	७,८०४	१६,५२७	९,७७५	५,२७४
सूखा फल	,,	८४,८४६	१,१७,७६९	१,०३,४९९	२१,४४६	२४,२१३	६,२३५
शीशा	,,	९४,३७१	१,०१,७९३	७७,८०२	२,०२,३००	२,७२,३४५	३,५४,८३६

वस्तुओं के नाम	इकाई	आयात			निर्यात		
		१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
दलहन	मन						
(चना को छोड़कर)	,,	१२,१५,६६४	११,६६,३२८	१८,६६,०६५	१,२८,१९२	१५,५५,७८४	८,६४,४०७
चना	,,	१३,६५,५११	६,६८,६००	२४,४६,७४१	३,१३,०३४	२,८५,६२४	२,३८,७७६
मकई	,,	१०,४६,७४२	६,८६,३२५	५,३१,५४८	२१,३६६	५२,२५२	३६,०२४
ज्वार, बाजरा	,,	३,७८,४८५	१,२४,४१५	६०,६६५	३६,७९०	२०,६८०	८७७
जिनोरा	,,	३,२३२	७,६३०	५,८५७	२,२७६	८६५	६५
धान	,,	८,५२,३८८	६,१८,६३५	४,१२,१४५	२,०७,२८८	२,५७,८४६	८१,२८३
चावल	,,	५१,००,२९८	५८,६०,०३३	४१,२२,७६१	४,५१,०९८	१०,१९,६०५	४,७१,६५०
गेहूं	,,	१८,०३,२०६	२२,०१,४०४	७०,०८,८५५	१,७०,३१७	८१,६१७	७१,४८८
गेहूँ का आटा	,,	५,६७,१९६	५,६५,८६६	४,२६,४३२	९९,३०४	१,८४,७५३	८०,५३६
दूसरा अनाज	,,	७,९८,५४२	३,०५,८८५	५,७६,३०८	२,३२,५९३	१,९६,७०६	५६,०७८
रेशेदार चीज (जूट छोड़कर)	,,	२,६०७	६,४६५	३,२४३	३६,८१७	२२,६३२	११,२५३
कच्चा मोटा चमड़ा	,,	२६,६००	१८,७८५	२२,६८४	३,४२,७१०	३,७१,२७७	३,११,९८६
कच्चा पतला चमड़ा	,,	७१५	८३१	१७६	२६,४४९	३०,२२६	२४,७६४
शोधित चमड़ा	,,	६,७०५	१०,९३६	७,४८०	१६,७६६	१६,१०३	१६,३८३

वस्तुओं के नाम	इकाई	आयात			निर्यात		
		१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
कच्चा जूट	मन	६,६८६	५,०२३	१२,२७०	१,४६,६५८	८७,८६८	४२,१८१
जूट पक्का गट्ठर	,,	१,७५६	५२,६३४	८,८३६	४३,६४,२८२	४५,४०,०४८	४३,१५,९७२
बोरा टाट	,,	३,३२,८८६	४,५५,८६३	२,६८,४४०	७,२५,६७६	४,५०,६१६	६,७४,२६२
लोहा-स्टील	,,	४१,६८,८४६	५३,३२,६२६	५३,६१,६१६	१,४३,८१,४५४	१,५८,८५,८०५	१,६४,६६,६२६
लाह-शेलैक	,,	४६,४५०	६४,००५	७६,६८८	६६,६६३	३६,८५७	१४,६०८
मेंगनीज (ओर)	,,	४	८	—	१६,४५,३६३	२४,११,८५१	५०,३६,४३२
तेल-खल्ली	,,	७,००,८७०	५,५४,४४५	४,८४,६८२	६,२८,४७३	४,२४,८६०	८,४७६
किरासन तेल	,,	२८,७०,६२१	३५,१४,५३०	३४,२६,८२५	१,३६,४४४	७६,८२४	७८,७६५
नारियल तेल	,,	६०,०६४	६६,७२५	८२,२७२	१४,६०८	१३,५०२	१०,६५३
रेंड़ी तेल	,,	८,१८१	७,३४२	३,८३६	१८,४५८	१४,४४६	६,२४३
मूँगफली तेल	,,	२८७,४१६	२,३६,८७७	३,२८,२६२	४८,३२२	४०,४१२	७,७६२
अन्य तेल	,,	५,५२,२१६	३,५२,१०३	४,२१,६०७	१,७४,४१३	७१,६१०	४५,८३५
रेंड़ी	,,	२,३६४	२,१०६	२,४५४	१,६८,५०५	१,८७,३६६	१,६६,६०७
बिनौला	,,	११०	६२	३३२	३६,५६४	५१,४०८	५,८०२

वस्तुओं के नाम	इकाई	आयात १९५७-५८	आयात १९५६-५७	आयात १९५५-५६	निर्यात १९५६-५७	निर्यात १९५५-५६	निर्यात १९५७-५८
मूँगफली	मन	४३,३३०	४५,७७७	४३,८७१	१९,६९२	१५,२७७	७,११४
तीसी	,,	८२,३६६	८७,४८४	६५,६८५	६,७९,२१२	५,५४,०४१	१,९६,३०२
राई, सरसों	,,	५,५३,०५५	३,६३,८५७	२,४३,२२०	१,३९,०१९	१,४१,५२२	९७,९३८
तिल	,,	३६,७८५	७,८३१	५,९५४	१,१२,२६५	२२,४३६	११,५७८
घी	,,	११,५२३	५,९७५	३,९३२	२,७६७	२,५०३	२,२२९
नमक	,,	५७,६६,२४६	४१,६४,९३६	३८,५९,०९९	१,१२,०८१	८३,५९९	१,४१,०९८
कच्चा रबर	,,	७,३०३	१,५३१	१,७८२	—	—	३
चीनी	,,	१२,७३,६७२	८,८८,२९८	६,२२,१३९	२५,५५,२४३	२८,८५,००९	४०,३८,०६२
खोडसारी चीनी	,,	१,७५१	३,००३	३५,९८७	१,७७८	२,९१२	३५८
गुड़, राव, छोआ	,,	७,३६,९६७	३,४६,१४७	५,८५,५५३	६,१५,३३१	५,७७,४६५	७,२५,१९४
चाय	,,	४१,८०४	४३,५१५	२०,३३५	१२,४८६	१६,८४१	१७,१२१
तम्बाकू की पत्ती	,,	१,०६,७०७	१,०१,५१३	९३,६४४	२,९८,८९९	३,०९,३४५	९,४९,८९६
टीक की लकड़ी	,,	४६,०६८	३१,७२२	३८,०४१	२०,०२६	२,५६८	६,८६८
अन्य लकड़ी	,,	१०,८७,०६०	१५,९७,०८३	१२,९८,२२७	२०,५२,५१९	२५,३८,४८८	२९,४६,५६५
ऊन	,,	२,२७४	३,२१५	१,९१८	५,२६०	६,४३८	४,९५५

रेल-मार्ग

उत्तर-विहार में उत्तर-पूर्व रेल-मार्ग द्वारा सर्वत्र यातायात की सुविधा है। इस रेल-मार्ग की कुल लम्बाई विहार में १,३७८ मील है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित रेल-लाइनें हैं—

(१) गोरखपुर—छपरा—सोनपुर—मुजफ्फरपुर—कटिहार।

(२) छपरा—वाराणसी कैंरट

(३) मनिहारीघाट—कटिहार—किशनगंज—सिलीगुड़ी

(४) सोनपुर—शाहपुर-पटोरी—वरौनी

(५) समस्तीपुर—दरभंगा—नरकटियागंज (कुल लम्वाई १४४ मील, यह लाइन समस्तीपुर से दरभंगा और सीतामढी होकर नरकटियागंज जाती है।)

(६) मुजफ्फरपुर – नरकटियागंज (इस लाइन की लम्वाई १०० मील है), जिसका अधिकाश चम्पारन जिला में पड़ता है।)

(७) भागलपुर—थाना वीहपुर (केवल ३५ मील)। (रेलवे-स्टीमर द्वारा वरारीघाट और महादेवपुरघाट के वीच गङ्गा नदी को पार करना पड़ता है।)

(८) मनसी—हसनपुर—समस्तीपुर (लम्वाई ५६ मील)

(९)	दरभंगा—जयनगर	लम्वाई	४२	मील
(१०)	दरभंगा—निर्मली	,,	४५	,,
(११)	मानसी—सहरसा—सुपौल	,,	४०	,,
(१२)	सहरसा—दौराम-मधेपुरा—मुरलीगंज	,,	२६	,,
(१३)	सिवान—मशरक—छपरा	,,	४८	,,
(१४)	सिवान—गोरखपुर	,,	१०४	,,
(१५)	दुरौंधा—महाराजगंज	,,	४	,,
(१६)	कटिहार—जोगवनी	,,	६७	,,
(१७)	पूर्णिया—वनमनखी—मुरलीगंज	,,	३५	,,
(१८)	वारसोई—राधिकापुर	,,	३३	,,
(१९)	वनमनखी—विहारीगंज	,,	१७	,,
(२०)	कटिहार—सिंहवाद			
(२१)	रक्सौल—सुगौली	,,	१६	,,
(२२)	मुँगेरघाट—साहवपुर-कमाल	,,	६	,,
(२३)	नरकटियागंज—भिखना टोरी	,,	२३	,,
(२४)	नरकटियागंज—वगहा	,,	२६	,,
(२५)	महेन्द्र घाट—सोनपुर	,,	७	,,

महेन्द्र घाट (पटना) और पहलेजा घाट के वीच रेलवे-स्टीमर द्वारा गंगा को पार किया जाता है और फिर पहलेजाघाट से सोनपुर तक रेल।

(२६) मुँगेर और मुँगेरघाट के वीच एक प्राइवेट जहाज चलता है।

दक्षिण-विहार में पूर्वी रेलवे की कॉर्ड-ग्रैण्ड कॉर्ड और लूप-लाइनें हैं। विहार-राज्य में पूर्वी रेलवे की कुल लम्वाई १,७५४ मील है। दक्षिण विहार में यातायात करनेवाली रेल का

उत्तर-विहार के साथ महेन्द्र घाट—पहलेजाघाट, भागलपुर—महादेवपुरघाट और सकरीगली—मनिहारीघाट द्वारा संयोग है। किन्तु, सबसे महत्त्वपूर्ण संयोग मोकामा में गंगा नदी पर राजेन्द्र-पुल द्वारा मोकामा—बरौनी रेल-संयोग है।

छोटानागपुर अधित्यका (ऊर्ध्वभूमि) में पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेल द्वारा यातायात होता है। पूर्व रेल की शाखा-लाइनें निम्नलिखित हैं—

(१)	पटना-जंकशन – जहानाबाद—गया	लम्बाई	५७	मील
(२)	दक्षिण-विहार-शाखा गया से क्यिउल	,,	८१	,,
(३)	जसीडीह से वैद्यनाथधाम	,,	४	,,
(४)	मधुपुर—गिरीडीह शाखा	,,	२४	,,
(५)	गोमो—बरकाकाना—डेहरी-ऑन-सोन	,,	१५५	,,
(६)	टाटानगर—बरकाकाना—गोमो	,,	१३४	,,
(७)	धनबाद—पथरडीह	,,	१०	,,
(८)	धनबाद—कटरासगढ—चन्द्रपुरा	,,	२१	,,
(९)	तिनपहाड़—राजमहल	,,	८	,,
(१०)	जमालपुर—मुँगेर	,,	६	,,
(११)	भागलपुर—मंदारहिल	,,	३२	,,
(१२)	साहेबगंज—मनिहारीघाट			

हाल में चन्द्रपुरा और मुरी के बीच रेल-लाइन निर्मित हुई है।

दक्षिण-पूर्व रेल की मुख्य लाइनों में एक लाइन जो विहार होकर जाती है, वह है हावड़ा—टाटानगर—मुरी—बरकाकाना लाइन।

दक्षिण-पूर्व रेल की शाखा-लाइनें, जो विहार से होकर जाती हैं, ये हैं—

(१)	आद्रा—चक्रधरपुर	लम्बाई	९७	मील
(२)	भोजूडीह—चन्द्रपुरा	,,	२५	,,
(३)	गुआ—राज खरसाँवा	,,	६६	,,
(४)	लोहरदगा—राँची—पुरुलिया	,,	११७	,,
(५)	टाटानगर—बदामपहाड़—गुरुमहिसानी	,,	५६	,,

वायु-मार्ग—कलकत्ता—पटना—दिल्ली और कलकत्ता—पटना—काठमाडू के बीच इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के यात्री वायुयान द्वारा नियमित रूप से यात्रा करते हैं।

डाक और टेलीफोन

विहार के ६७,६७० गाँवों में से ३५,६९१ गाँवों में रोजाना; १५,७८२ गाँवों में सप्ताह में तीन बार; १०,५५० गाँवों में सप्ताह में दो बार और शेष गाँवों में कम-से-कम सप्ताह में एक बार डाक बाँटी जाती है। पटना, भागलपुर और जमशेदपुर नगर क्रमश: १२,७ और ९ डाक-अंचलों में बाँट दिये गये हैं। राज्य के कुछ महत्त्वपूर्ण नगरों में दिन में एकाधिक बार डाक बाँटी जाती है। पटना के जी० पी० ओ० में दिन में चार बार डाक बँटती है।

सन् १९६० ई० में लेटरवॉक्स की कुल संख्या १९०४ तक पहुंच गई है। सामुदायिक विकास या राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-प्रखण्ड में और ऐसे प्रत्येक गॉव मे, जिसकी आवादी २ हजार या अधिक है, एक डाक-घर होने का सिद्धान्त को मान लिया गया है। कई गॉव, जिनकी आवादी २ मील की परिधि में २ हजार हो, एक साथ मिलकर डाकखाना खोलने के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं, यदि वहॉ तीन मील की परधि में कोई डाकखाना नहीं हो।

विहार के १७ जिले और ४३ अनुमण्डलीय नगर इस समय तक टेलीफोन-लाइन द्वारा संयुक्त हो चुके हैं। विहार में ऐसा एक भी गॉव नही है, जहॉ डाक नही जाती हो। यह प्रतिवेदन विहार-मण्डल के डाक-तार-विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है।

सन् १९५५-५६ ई० में विहार में टेलीफोन एक्सचेंज की कुल संख्या ४७ थी। सन् १९६१ ई० में यह वढकर ७२ हो गई है।

अनुसंधान-सम्बन्धी संस्थाएँ

नवनालन्दा-महाविहार, नालन्दा—सन् १९५१ ई० के २० नवम्वर को विहार-सरकार द्वारा नवनालन्दा-महाविहार की स्थापना की गई। प्राचीन विश्वविद्यालय नालन्दा-महाविहार के नाम से विख्यात था। उसके खोये हुए गौरव के पुनरुद्धार के लिए नवीन संस्था की स्थापना की गई। अत', स्वभावत' इसे नवनालन्दा-महाविहार की संज्ञा दी गई। पहले यह संस्थान राजगृह में था और जव इसका अपना भवन नालन्दा में वनकर तैयार हो गया, तव संस्थान का सारा काम नालन्दा में ही होने लगा। इसके भवन मे पुस्तकालय के अतिरिक्त शोध-कार्य मे रत विद्वानों के लिए भी अलग-अलग कमरे हैं। नये-नये दो भवनों के अतिरिक्त पॉच अन्य भवनों की भी व्यवस्था है और उनके वन जाने पर महाविहार को स्थान की कमी न रहेगी। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण भी जल्द ही होने की आशा है।

नवनालन्दा-महाविहार में इस समय प्रायः साठ विद्यार्थी हैं, जिनमें से अधिकाश संसार के अन्य वौद्ध देशों से आये हैं। लंका, वर्मा, थाईदेश, कम्वोडिया, लाओस, वीतनाम, जापान, नेपाल तथा तिव्वत के विद्यार्थी यहा एक साथ रहकर अध्ययन करते हैं और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा भ्रातृभाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शोध-कार्य करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या ६ है, जिनमें एक कम्वोडिया के और एक जापान के हैं। वीतनाम के एक विद्यार्थी ने अपना शोध-प्रवन्ध विहार-विश्वविद्यालय को परीक्षणार्थ सौंप दिया है। तीन अन्य विद्वानों ने भी अपने-अपने शोध-प्रवन्ध परीक्षणार्थ विहार-विश्वविद्यालय को सौंप दिये हैं। इनमें महाविहार के एक अध्यापक भी हैं। महाविहार मे पालि की एम० ए० स्तर की पढ़ाई होती है। किन्तु, मुख्य उद्देश्य वौद्ध-धर्म, दर्शन, साहित्य तथा संस्कृति के सम्वन्ध में शोध-कार्य करना है। पालि के अतिरिक्त अँगरेजी, हिन्दी, संस्कृत तथा चीनी-जापानी के अध्ययन-अध्यापन की भी व्यवस्था है। अध्यापकों की संख्या ८ है, जिनमें तिव्वती और चीनी-जापानी अध्यापक भी हैं। शोध-कार्य की देख-रेख के

लिए एक अलग प्रोफेसर हैं। पुस्तकालय की सुन्दर व्यवस्था के लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। प्रशासनिक कार्य के लिए एक निबन्धक (रजिस्ट्रार) तथा एक निर्देशक (डायरेक्टर) हैं।

इस महाविहार की ओर से अबतक दो अनुसंधानात्मक ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है, जिनमें विभिन्न विद्वानों की शोधपूर्ण रचनाएँ संगृहीत हैं। बिहार-सरकार के सीधे नियंत्रण और संरक्षण में नवनालन्दा-महाविहार दिनानुदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-संस्थान—प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-शोध-संस्थान, वैशाली (मुजफ्फरपुर) की स्थापना राज्य-सरकार द्वारा २५ नवम्बर, १९५५ ई० को हुई थी। इस संस्थान को स्थापित करने के निमित्त राज्य-सरकार ने श्रीशान्तिप्रसाद जैन द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित उदार भेंटों को स्वीकार किया था—

(क) संस्थान के आवर्त्तक व्यय की पूर्त्ति के लिए पाँच वर्ष की अवधि तक प्रति वर्ष २५ हजार रुपये।

(ख) संस्थान के लिए भूमि, भवन, पुस्तकालय और उपस्कर की मद में जो सम्पूर्ण अनावर्त्तक व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए पाँच लाख रुपये एक मुश्त। वैशाली में वासुकुण्ड के समीप संस्थान को स्थापित करने का निश्चय किया गया। परंपरागत विश्वास के अनुसार वासुकुण्ड जैनधर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीर का जन्मस्थान माना जाता है। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने २३ अप्रैल, १९५६ ई० को इस संस्थान का शिला-न्यास किया

इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य है—इसे एक ऐसे विद्यापीठ के रूप में विकसित करना, जहाँ प्राकृत भाषाएँ एवं साहित्य, जैनधर्म और उसकी समस्त शाखाएँ, जैन-दर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यदि का सर्वाङ्गपूर्ण अध्ययन एवं शोध-कार्य हो सके। अहिंसा के सिद्धान्त एवं व्यक्ति और समाज द्वारा उसके आचरण का अध्ययन तथा विभिन्न काल में विभिन्न समाजों द्वारा अहिंसा की प्रविधि का जो प्रयोग किया गया है, उसका तुलना-मूलक अध्ययन। जिन छात्रों ने मान्य विश्व-विद्यालयों की स्नातक (बी० ए०) परीक्षा पास की है, उनको इस संस्थान में शिक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट किया जाता है और उन्हें बिहार-विश्वविद्यालय की प्राकृत एवं जैनधर्म-विषयक स्नातकोत्तर उपाधि-परीक्षा की शिक्षा दी जाती है। संस्थान में शोध-कार्य के लिए भी विद्वान् छात्र प्रविष्ट किये जाते हैं। संस्थान के अन्तर्गत एक प्रकाशन-विभाग भी है। इन दिनों संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी हैं—

(१) अधिष्ठात्री परिषद् (३५ सदस्य)।

(२) मंत्रणा-मण्डल (१५ सदस्य)।

(३) प्रबन्ध-समिति (११ सदस्य)।

(४) प्रकाशन-समिति (५ सदस्य)।

संस्थान का अवस्थान इस समय मुजफ्फरपुर में है। वैशाली में अपना भवन नहीं बन सका है। डॉ० हीरालाल जैन इसके वर्त्तमान संचालक हैं।

मिथिला-संस्कृत-विद्यापीठ, दरभंगा—यह संस्था संस्कृत-भाषा एवं साहित्य की प्राचीन परम्परा को पुनरुज्जीवित करने लिए सन् १९५१ ई० में स्थापित हुई थी। यहाँ प्राच्य विद्या-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य हो रहे हैं। यहाँ छात्र संस्कृत के विविध विषयों में एम० ए०, पी-एच० डी० और डी० लिट्० के लिए तैयार किये जा रहे हैं। यहाँ प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों का अन्वेषण और प्रकाशन भी हो रहा है। यह संस्था बिहार-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। डॉ० जनार्दन मिश्र इसके वर्त्तमान निदेशक हैं।

अरेबिक ऐण्ड पर्सियन इन्स्टिट्यूट (पटना)—अरबी और फारसी के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा पटना में सन् १९५५-५६ ई० से यह संस्थान चलाया जा रहा है। इस इन्स्टिट्यूट में छात्रों को अरबी और फारसी की उच्च शिक्षा दी जाती है तथा शिक्षोपरान्त उन्हें 'फाजिल' की उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अनुसंधान-कार्य की पर्याप्त सुविधा का प्रबन्ध है। अभी इन्स्टिट्यूट का कार्यालय एवं छात्रावास मदरसा इस्लामिया शमशुल हुदा के भवन में स्थित है। यहाँ से भी अरबी-फारसी साहित्य पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना—बिहार-सरकार ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए सन् १९५० ई० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्थापना की थी। पहले इसका कार्यालय सम्मेलन-भवन, कदमकुआँ, पटना में था, किन्तु इन दिनों यह शरीफ मंजिल (भिखनापहाड़ी) में अवस्थित है। इसका अपना भवन राजेन्द्रनगर में बन रहा है। शोध और अनुसंधान के लिए परिषद् के ये विभाग हैं—प्रकाशन-विभाग, लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग, प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग, बिहार का साहित्यिक इतिहास-विभाग, विद्यापति-विभाग, अनुसंधान-पुस्तकालय और अब्दकोश-विभाग। प्रकाशन-विभाग अपने यहाँ के शोध-ग्रन्थों के अतिरिक्त बाहरी विद्वानों के भी विशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन करता है। यहाँ प्रतिवर्ष पारितोषिक देकर विभिन्न विषयों पर विद्वानों के भाषण कराये जाते हैं। वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भिन्न-भिन्न भाषाओं पर निबन्ध-पाठ होते हैं एव विभिन्न विषयों के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों पर बिहार के तथा बिहार से बाहर के विद्वानों को सहस्र-सहस्र रुपये के पुरस्कार दिये जाते हैं। बिहार के एक वयोवृद्ध और एक उदीयमान साहित्यकार को क्रमश डेढ हजार रुपये और ५०० रुपये के पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है तथा विभिन्न विषयों पर लेख लिखाकर विद्यार्थियों को सौ-सौ रुपये के प्रतियोगिता-पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। साहित्यिक संस्थाओं को सद्ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है। रुग्ण और संकटापन्न साहित्य-सेवियों को राजेन्द्र-निधि से आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। परिषद् के प्रकाशन-विभाग द्वारा सन् १९६१ ई० के मार्च तक साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के भिन्न-भिन्न विषयों पर ६९ उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। अप्रैल, १९६१ ई० से 'परिषद्-पत्रिका' नामक एक साहित्य-संस्कृति-साधना-प्रधान त्रैमासिक का प्रकाशन हुआ है। परिषद् के प्रथम स्थायी संचालक आचार्य शिवपूजन सहाय हुए। वर्त्तमान सचालक, सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' एम० ए०, पी-एच० डी० हैं।

अनुग्रहनारायण सिंह-समाजाध्ययन-संस्थान, पटना— बिहार-सरकार की ओर से स्वर्गीय डॉ० अनुग्रहनारायण सिंह के स्मारक-स्वरूप पटना में सामाजिक अध्ययन के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है।

उद्देश्य एवं लक्ष्य—(क) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में, जिनका स्वतंत्र एवं अन्तर अनुशासिक अध्ययन अपेक्षित है, शोध-कार्य का उपक्रम करना; (ख) राज्य-सरकार, संघ-सरकार, स्थानीय स्वायत्त-संस्थाएँ अथवा इस प्रकार की अन्य संगठित पर्षदों द्वारा अपेक्षित होने पर विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन का उपक्रम करना, (ग) भाषणों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलन इत्यादि का संघटन इस खयाल से करना कि समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों-वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बीच पारस्परिक सम्पर्क की प्रोन्नति हो; (घ) पत्रिका, पुस्तक, पुस्तिकाओं, पर्चों तथा ऐसी अन्य सामग्री का प्रकाशन करना, जिनसे संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्रोन्नति में सहायता पहुँचे; (ङ) शोध के परिणामों का परिज्ञान कराना तथा (च) अन्य ऐसे कार्य-कलाप का उपक्रम करना, जिनसे सामान्यतः संस्थान के उद्देश्यों की प्रोन्नति हो। इसके वर्त्तमान निर्देशक श्रीगोरखनाथ सिंहजी हैं।

बिहार-रिसर्च-सोसाइटी, पटना—सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के प्रयत्न से इस शोध-संस्था की स्थापना जनवरी, १९१५ ई० में हुई। इतिहास, पुरातत्त्व, मुद्राशास्त्र, मानव-विज्ञान और दर्शन-शास्त्र के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना इसका उद्देश्य है। यहाँ से 'जर्नल ऑफ दी बिहार-रिसर्च-सोसाइटी' तथा 'इण्डियन न्युमिसमेटिक क्रॉनिकल्स' नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ भी निकलती हैं। सोसाइटी की ओर से बहुत वर्षों तक मिथिला के संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज होती रही है, जिनकी विषयानुक्रम सूची भी कई जिल्दों में प्रकाशित हुई है।

सोसाइटी का कार्यालय और पुस्तकालय पटना-म्यूजियम के भवन में है। इसके पुस्तकालय में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत से लाई हुई बहुत-सी हस्तलिखित दुर्लभ प्राचीन पुस्तकें संगृहीत हैं।

काशीप्रसाद जायसवाल इन्स्टिट्यूट, पटना—स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति में बिहार-सरकार ने भारतीय इतिहास और संस्कृति-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए सन् १९५० ई० में इस संस्था की स्थापना की है। तत्काल यहाँ तीन प्रकार के कार्य हो रहे हैं—महापण्डित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाये गये संस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती लिपि से नागरी लिपि में रूपान्तरण; पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्य और भारतीय इतिहास पर शोध-कार्य। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्त्तमान—इन तीन खण्डों मे बिहार का इतिहास तैयार हो रहा है। संस्थान ने तिब्बती-संस्कृत पुस्तकमाला के अन्तर्गत पाँच तथा ऐतिहासिक ग्रन्थमाला में तीन ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। तत्काल चार ग्रन्थ मुद्रित हो रहे हैं। डॉ० कालीकिंकर दत्त इसके वर्त्तमान निर्देशक हैं।

नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर—इसकी स्थापना सन् १९५० ई० के २६ नवम्बर को हुई। यह भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में एक है। इसका कार्य भिन्न-भिन्न धातुओं तथा अन्य खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में अनुसंधान करना है।

नेशनल फ्यूएल-रिसर्च इन्स्टिट्यूट दिघवाडीह, जमशेदपुर—इसकी स्थापना २३ अप्रैल, १९५० ई० को हुई थी। यह भी भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय अनुसंधान-शालाओं मे एक है। यह धनबाद से १० मील दक्षिण की ओर है। यह संस्था सब प्रकार के ईंधन (ठोस, तरल और गैस) की समस्याओं पर अनुसंधान-कार्य करती है।

इण्डियन लैक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नामकुम (रॉंची)—लाह के गुण और उपयोगिता बढाने, उसका उत्पादन-व्यय कम करने तथा शेलैक के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए नामकुम (रॉंची) में इस संस्थान की स्थापना की गई है।

कृषि-अनुसंधान-शालाएँ—विहार मे कृषि-सम्बन्धी अनुसंधान-शालाएँ पटना, पूसा (दरभंगा), सवौर (भागलपुर) और कॉके (रॉंची) मे हैं। पूसा का ईख-अनुसंधान-केन्द्र ईख-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर अनुसंधान-कार्य करता है।

संगीत-नृत्य-नाट्य-संस्थान, विहार, पटना— संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थान, विहार (विहार एकेडमी ऑफ म्युजिक, डास और ड्रामा) का उद्घाटन २७ जनवरी, १९५९ को हुआ था। इसका उद्देश्य एक सरकारी रंगमंच स्थापित करना तथा विहार के विभिन्न स्थानों मे स्थापित संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थाओं मे समन्वय स्थापित करना है। अवतक विहार के ५० से अधिक कला-केन्द्र इससे सम्बद्ध हो चुके हैं। यहॉ से 'विहार थियेटर' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। स्वतंत्रता-दिवस और गणतंत्र-दिवस के अवसर पर दिल्ली और पटना मे सरकार द्वारा आयोजित उत्सवों में इन संस्थाओं के लोग संगीत, नृत्य और अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। लोक-नृत्य में इन्हें सन् १९५६, १९५८ और १९५९ ई० में नेशनल ट्राफी भी मिल चुकी है।

पटना म्यूजियम तथा विहार के अन्य म्यूजियम

पटना-म्यूजियम सन् १९१७ ई० के अप्रैल में स्थापित किया गया था। उस समय उसकी संगृहीत वस्तुएँ हाइकोर्ट के एक हिस्से में थीं। सन् १९२८ ई० में म्यूजियम का वर्त्तमान भवन वनकर तैयार हुआ, जो मुगल-राजपूत-स्थापत्य-कला का एक सुन्दर नमूना है। भवन और संगृहीत वस्तुओं की दृष्टि से पटना-म्यूजियम भारत का एक सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम माना जाता है। यहाँ मुख्यत विहार मे मिली हुई प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है।

विहार के अन्य म्यूजियम या संग्रहालयों में पटना का कमर्शियल म्यूजियम, नालन्दा का म्यूजियम, वैशाली का म्यूजियम, दरभगा का चन्द्रधारी-म्यूजियम और वोधगया-म्यूजियम हैं।

प्रमुख सार्वजनिक संस्थाएँ

साहित्यिक एवं शैक्षिक सस्थाएँ

विहार-संस्कृत-संजीवन-समाज, पटना—यह एक पुरानी संस्था है, जिसकी स्थापना स्व० पं० अम्बिकादत्त व्यास ने की थी। इसका उद्देश्य संस्कृत-शिक्षा की उन्नति करना है। इसके पॉच प्रकार के सदस्य हैं—प्रमुख संरक्षक, संरक्षक, पदमूलक सदस्य, साधारण सदस्य, और आजीवन सदस्य। पटना-डिवीजन के इन्सपेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट संस्कृत स्टडीज, विहार और पटना-कॉलेज के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष इसके पदमूलक सदस्य होते हैं। इसकी प्रबन्धकारिणी समिति है, जिसे कौंसिल कहते हैं। इसकी बैठक दो-दो महीने पर हुआ करती है। समाज का वार्षिक अधिवेशन जनवरी में होता है। इसके पास १२ हजार रुपये का स्थायी कोष है, जिसके व्याज से इसका खर्च चलता है। इसके वर्त्तमान सभापति न्यायाधीश श्रीसतीशचन्द्र मिश्र और मंत्री डॉ० श्रीनागेन्द्रपति त्रिपाठी हैं।

बिहार प्रान्तीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन—इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन २३-२४ मई, १९४६ ई० को पटना सिटी में हुआ था। इसका उद्‌घाटन जगद्‌गुरु श्रीशंकर अभिनय-तीर्थ श्रीसच्चिदानन्द महाराज द्वारा हुआ था। इसके प्रधान सभापति श्रीब्रह्मदत्त द्विवेदी और प्रधान मंत्री श्रीवेणीमाधव मिश्र थे। इसका कार्यालय संस्कृत-महाविद्यालय, पटना सिटी में है।

आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा, आरा— इस सभा की स्थापना १२ अक्तूबर, १९०१ को हुई थी। इस सभा ने सबसे पहले सन् १९०१ ई० में अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन स्थापित करने का उद्योग किया था। अभी देश में जहाँ-तहाँ इसकी बीस शाखा-सभाएँ चल रही हैं। प्रारम्भ में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की भाँति ही इसने कई उच्च कोटि के साहित्यिक ग्रन्थ प्रकाशित किये। अब भी जब-तब इस संस्था द्वारा अच्छे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं। दो बीघा जमीन में इसका विशाल, पर अधूरा भवन बना हुआ है। सभा के पुस्तकालय में अलभ्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों, मुद्रित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की संख्या लगभग १५ हजार है। समय-समय पर इसे विभिन्न प्रान्तीय सरकारों और रियासतों से सहायता मिलती रही है।

बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना—बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना सन् १९१९ ई० में हुई। इसके वार्षिक अधिवेशनों के द्वारा बिहार में हिन्दी का अच्छा प्रचार हुआ। प्रारम्भ में १९३६ ई० तक इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में था, उसके बाद पटना आया। कदमकुआँ मुहल्ले में इसका एक विशाल भवन है, जिसमें इसके **पुस्तकालय और वाचनालय** हैं। इसका एक **अनुशीलन-विभाग** भी है। सम्मेलन के तत्त्वावधान में एक कला-केन्द्र भी चल रहा है, जहाँ बालिकाओं को संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है। अभिनय कला के उन्नयन के लिए एक **नाट्य-परिषद्** की भी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष श्रीब्रजशंकर वर्मा तथा प्रधानमंत्री आचार्य नलिनविलोचन शर्मा हैं।

यहाँ से 'साहित्य' नामक एक त्रैमासिक शोध-पत्रिका निकलती है, जिसके लिए बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से भी वार्षिक अनुदान मिलता है। इधर सम्मेलन ने एक पाक्षिक बुलेटिन के रूप में 'सम्मेलन-संदेश' का प्रकाशन प्रारम्भ किया है।

सन् १९५४ ई० में यहाँ बच्चनदेवी-साहित्य-गोष्ठी की स्थापना हुई, जिसमें भाषा और साहित्य के महत्त्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों के विचार-विनिमय होते हैं। इस गोष्ठी का नामकरण आचार्य शिवपूजन सहाय की दिवंगता पत्नी बच्चनदेवी के नाम पर हुआ। अबतक भारत के अनेक मूर्द्धन्य विद्वान् गोष्ठी में विभिन्न विषयों पर भाषण करने के लिए आ चुके हैं।

विभिन्न देशी और विदेशी भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था के लिए यहाँ मई, १९५६ ई० से **बदरीनाथ सर्वभाषा-महाविद्यालय** की स्थापना की गई है। इस महाविद्यालय मे इस समय फ्रेंच, जर्मन, रूसी, तेलुगु तथा अहिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी की पढ़ाई होती है। इसके प्राचार्य आचार्य शिवपूजन सहाय हैं।

सुहृद्-संघ, मुजफ्फरपुर—इस साहित्यिक संस्था की स्थापना सन् १९३५ ई० में हुई थी। इसका वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष बड़े समारोह से मनाया जाता है। इसका अपना भवन और पुस्तकालय है। इसने हिन्दुस्तानी और रेडियो की भाषा के विरोध मे प्रबल आन्दोलन चलाया था। बिहार के अहिन्दीभाषा-भाषियों के बीच इसने हिन्दी-प्रचार का कार्य भी किया है। इसके संस्थापक और प्रधान मंत्री श्रीनीतीश्वरप्रसाद सिंह हैं।

मैथिली-साहित्य-परिषद्—इस परिषद् की स्थापना सन् १६३६ ई० में हुई थी। इसके सभापति डॉ० गंगानाथ झा, डॉ० उमेश मिश्र, श्रीमान् कुमार गंगानन्द सिंह और श्रीजयानन्द कुमर रह चुके हैं। प्रारम्भ में ६-१० वर्षों तक इसके प्रधान मन्त्री श्रीभोलालाल दास थे। परिषद् ने अनेक प्राचीन और नवीन मैथिली-ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। इसके उद्योग से मैथिली को विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक स्थान मिला है और मैथिली-क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षण मैथिली में दिये जाने का कार्य आरम्भ हुआ है।

मगही-मंडल—मगही-भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए कई वर्ष हुए, एक मगही-मंडल की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं में डॉ० विन्देश्वरी प्रसाद, डॉ० शिवनन्दन प्रसाद, श्री श्रीकान्त शास्त्री, प्रो० रामनन्दन शर्मा, श्रीरामबालक सिंह आदि हैं। ये लोग पहले 'मगही' नामक मासिक पत्रिका निकालते थे, अब 'विहान' नामक मासिक पत्रिका निकाल रहे हैं।

भोजपुरी-परिषद्—यह संस्था भी बहुत वर्षों से कायम है। समय-समय पर इसकी जिला-सभाएँ एवं समस्त क्षेत्रीय सभाएँ हुआ करती हैं। पहले श्रीमहेन्द्र शास्त्री ने 'भोजपुरी' नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी, पीछे श्रीरघुवंशनारायण सिंह बहुत दिनों तक इस नाम की मासिक पत्रिका निकालते रहे। इस समय पटना से 'अँजोर' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकल रही है।

अंगभाषा-परिषद्—प्राचीन अंग-जनपद, अर्थात् न्यूनाधिक वर्त्तमान भागलपुर कमिश्नरी की भाषा अंगिका पर शोध-कार्य करने के लिए पटना में एक अंगभाषा-परिषद् की स्थापना हुई है, जिसके अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', उपाध्यक्ष श्रीसुरेन्द्र मिश्र, प्रधान मन्त्री श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ट तथा मंत्री श्रीशैलेन्द्रप्रसाद सिंह, श्रीमधुकर गंगाधर और श्रीअनुज शास्त्री हैं।

ऐतिहासिक और भौगोलिक संस्थाएँ

वैशाली-संघ—वैशाली-संघ की स्थापना सन् १६४५ ई० में हुई थी। इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं—एक तो वैशाली के ध्वंसावशेषों को प्रकाश में लाना और दूसरे वैशाली के निवासियों में एक नवीन सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जाग्रत् करना। इसके लिए यहाँ खुदाई का काम, संग्रहालय स्थापित करने का काम, ऐतिहासिक अनुसंधान का काम एवं ग्रामोत्थान के सब प्रकार के काम हो रहे हैं। संघ ने अबतक वैशाली के सम्बन्ध में सात पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

वैशाली-संघ के प्रयत्न से जैनधर्म और प्राकृत-साहित्य के अनुसंधान के लिए यहाँ एक प्राकृत-संस्थान की स्थापना की गई, जिसका भवन बन रहा है। तत्काल इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में रखा गया है।

भगवान् महावीर की जन्म-तिथि चैत्र सुदी त्रयोदशी को यहाँ प्रतिवर्ष महोत्सव मनाया जाता है। गत १६वाँ महोत्सव (१६६० ई०) श्रीसम्पूर्णानन्द के सभापतित्व में मनाया गया था।

संघ के सभापति पं० विनोदानंद झा, प्रधान मन्त्री श्रीजगदीशचन्द्र माथुर तथा मन्त्री श्रीजगन्नाथप्रसाद साहु, श्रीदिग्विजयनारायण सिंह और प्रो० योगेन्द्र मिश्र हैं।

बिहार ज्योग्रफिकल सोसाइटी—भूगोल-विद्या-सम्बन्धी अनुसन्धान और प्रचार के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना पटना में, मई, १६५३ मे, हुई। यह बिहार के भौगोलिक अनुसंधान का कार्य विशेष रूप से करेगी। अभी इसकी ओर से 'विहार इन मैप्स' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके सभापति डॉ० पी० दयाल और मन्त्री डॉ० एस० ए० मजीद हैं।

सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ

आदिमजाति-सेवामंडल— इसका प्रधान कार्यालय निवारण-आश्रम, पो० हिनू, जिला रॉंची है। इसके सभापति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, उपसभापति पं० विनोदानंद झा और मंत्री श्रीनारायणजी हैं। इसके द्वारा ढाई सौ से अधिक स्कूल चलाये जा रहे हैं। 'ग्राम-निर्माण' नामक एक मासिक पत्रिका भी निकलती है।

इंडियन कौंसिल ऑफ् पब्लिक एफेयर्स—८ नवम्बर, १६५२ को पटना में श्रीप्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास के सभापतित्व में इंडियन कौंसिल ऑफ् पब्लिक एफेयर्स, अर्थात् सार्वजनिक कार्य की भारतीय परिषद् नाम की एक संस्था कायम की गई। इस परिषद् का उद्देश्य दलगत राजनीति से सम्पर्क रखे विना सार्वजनिक कार्यों का अध्ययन करना है।

ईसाई मिशनरियाँ—विहार में अब भी कई विदेशी मिशनरियाँ काम कर रही हैं और ईसाइयों की संख्या वरावर बढ़ रही है। फलस्वरूप, विहार में सौ में एक आदमी ईसाई हो गया है।

भारत-सेवाश्रम-संघ—बिहार में भारत-सेवाश्रम-संघ का आश्रम गया में है। इस आश्रम के संन्यासी हिन्दू-धर्म और संस्कृति का प्रचार तथा सामाजिक सेवा-कार्य करते हैं।

रामकृष्ण-मिशन—रामकृष्ण-मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८६७ ई० में की थी। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता के पास वेलूर नामक स्थान में है। विहार मे ७ स्थानों में मिशन के केन्द्र हैं। इन सभी केन्द्रों मे धार्मिक शिक्षा का प्रवन्ध है तथा स्कूल, दातव्य औषधालय और पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में सवसे पुराना जमशेदपुर का केन्द्र है, जो सन् १६१६ ई० में खुला था। इसके वाद सन् १६२१ ई० में जामतारा (संतालपरगना) में केन्द्र खुला। सन् १६२२ ई० में पटना और देवघर में केन्द्र खोले गये। कटिहार का आश्रम सन् १६२६ ई० मे और रॉंची का आश्रम सन् १६२७ ई० मे खुले। मिशन ने सन् १६५० ई० में रॉंची से ८ मील पर डुंगरी नामक स्थान में यक्ष्मा के रोगियों के लिए एक चिकित्सालय खोला है। हाल ही इसका एक विशाल छात्रावास पटना-स्थित आश्रम में निर्मित हुआ है।

बिहार-आर्य-प्रतिनिधि-सभा—स्वामी दयानन्द सरस्वती सन् १८७२ ई० के अन्त में चार-पॉंच महीने तक विहार का दौरा करते रहे। उन्होंने सर्वप्रथम आरा में एक हिन्दू-सुधार-सभा की स्थापना की। दानापुर में कुछ लोगों ने सन् १८८६ ई० में ही हिन्दू-सत्य-सभा की स्थापना की थी। सन् १८७८ ई० में वही सभा आर्य-समाज के रूप में परिणत कर दी गई।

वंगाल-विहार आर्य-प्रतिनिधि-सभा की स्थापना सन् १६१०-११ ई० में हुई थी। उस समय उसका कार्यालय रॉंची में था। सन् १६२६ ई० में विहार-आर्यप्रतिनिधि-सभा अलग की गई और उसका कार्यालय दानापुर मे रखा गया। सम्प्रति इसका कार्यालय इसके निजी भवन (श्रीमुनीश्वरानन्द-भवन, पटना) में है। इस समय प्रान्त के तीन सौ से अधिक स्थानों में आर्य-समाज के अपने भवन भी हैं। समाज

की ओर से लड़के-लड़कियों के लिए लगभग दस हाइ स्कूल, १५ मिड्ल स्कूल, ५१ अपर प्राइमरी स्कूल, तीन गुरुकुल और एक डिग्री कॉलेज चलाये जा रहे हैं। इसके वर्त्तमान सभापति डॉ० दुखन राम, और प्रधान मन्त्री श्रीवासुदेव शर्मा हैं।

बिहार-थियोसोफिकल फेडरेशन—थियोसोफिकल सोसाइटी की बिहार-शाखा की स्थापना, पटना में सन् १९०२ ई० में हुई। सारे बिहार में इसके तीन दर्जन स्थानों में केन्द्र या लॉज हैं। इनमें ७ स्थानों में इसके अपने भवन हैं। बिहार में इसके सदस्यों की संख्या चार सौ से अधिक है। पटना से 'मेल-मिलाप' नामक इसकी एक छोटी-सी मासिक पत्रिका निकलती रही है। प्रान्त मे इसके कई स्कूल हैं और पटना में एक बृहद् छात्रावास है।

बिहार-दर्शन-परिषद्—इस परिषद् की स्थापना सन् १९४९ ई० मे हुई। इसके संयोजक प्रो० राजेन्द्र प्रसाद (पटना कॉलेज) हैं।

बिहार-प्रान्तीय सेवा-समिति—यह बिहार की एक बहुत पुरानी संस्था है। बिहार के अनेक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और नेता इसके सदस्य और पदाधिकारी रह चुके हैं। सोनपुर में इसके कार्यालय के लिए अपना एक भवन है।

बिहार-महिला-परिषद्—यह अखिल भारतीय महिला-परिषद् की शाखा है। इसकी स्थापना सन् १९२८ ई० मे हुई थी। इसकी अध्यक्षा श्रीमती कमलकामिनी देवी हैं, जिनके निवास-स्थान कदमकुआँ, पटना मे इसका कार्यालय है।

बिहार-हरिजन-सेवक-संघ—हरिजन-सेवक-संघ की बिहार-शाखा सन् १९३२ ई० से ही काम करती आ रही है। इसका कार्यालय एनिवेसेंट रोड, पटना में है। यहाँ से 'अमृत' नामक एक मासिक पत्रिका निकलती है। इसके सभापति आचार्य बदरीनाथ वर्मा और प्रधान मन्त्री नगेन्द्रनारायण सिंह हैं।

संताल-पहाड़िया-सेवा-मण्डल—सन् १९४४ ई० मे इस सेवा-संस्था का पुनर्गठन वर्त्तमान रूप में हुआ। इसका उद्देश्य आदिम जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास कर, उन्हें देश के अन्य नागरिकों के स्तर पर लाकर भारतीय राष्ट्र का प्रधान अंग बनाना है। मण्डल द्वारा संचालित आदिवासियों के शैक्षिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत ठक्कर बापा-योजना है। वर्त्तमान समय मे इस योजना के अन्तर्गत २ उच्च विद्यालय, ४ माध्यमिक विद्यालय, ८ छात्रावास, ६ पहाड़िया-सेवा-केन्द्र तथा २८ प्राथमिक पाठशालाएँ संचालित हो रही हैं।

पहाड़िया-कल्याण-योजना के अन्तर्गत ३० पहाड़िया-कल्याण-केन्द्र हैं। इन कल्याण-केन्द्रों मे पहाड़ियों, संतालों तथा पिछड़ी जातियों के बालक-बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक कल्याण-केन्द्र में कार्यकर्त्ता हैं, जो आसपास के ग्रामों में जाकर मुफ्त दवा वितरित करते हैं।

कुष्ठ-निवारण का कार्य योग्य डॉक्टरों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सहायता से किया जाता है। फतेहपुर में कुष्ठरोगियों के लिए २० शय्यावाला एक अस्पताल है।

कला-भवन, पूर्णिया—११ जून, १६५५ को श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' के प्रयास से श्रीरघुवंशप्रसाद सिंह की दी हुई भूमि पर कला-भवन, पूर्णिया की स्थापना हुई।

सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मुताबिक निबन्धित तथा बिहार संगीत-नृत्य-नाट्य अकादमी से सम्बद्ध यह कला-भवन एक सांस्कृतिक संस्था है। स्वीकृत विधानानुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(क) ललित तथा उपयोगी कलाओं का विकास, प्रचार तथा प्रसार करना; (ख) ललित तथा उपयोगी कलाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना; (ग) कला के प्रति प्रदर्शन तथा अन्य साधनों के द्वारा जनता में अभिरुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना; (घ) कलाकारों को समय-समय पर सम्मानित और पुरस्कृत करना; (च) कलाकारों को कला की साधना मे सहायता पहुँचाना; (छ) कलापूर्ण तथा ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का संग्रह करना।

अबतक कला-भवन द्वारा कार्यकर्त्ता-निवास, कार्यालय-भवन, गैलरी-सहित खुला रंगमंच और शिवमूर्त्ति-सहित पुष्करणी तैयार हो चुकी हैं। ओवर-हेड वाटर-टैंक अधूरा है। पुस्तकालय और वाचनालय खोले जा चुके हैं। संग्रहालय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और इसके लिए जिले का संग्रहालय-सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्य जारी है। यहाँ हिन्दी-विद्यापीठ, देवघर की परीक्षाओं का केन्द्र स्थापित हो चुका है।

कला-भवन की व्यवस्था के लिए ३१ सदस्यों की एक प्रबन्ध-समिति है। उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए कई विभागीय उप-समितियाँ हैं।

विविध कलाओं की शिक्षण-व्यवस्था अभी प्रारम्भ नहीं की जा सकी है; फिर भी समय-समय पर संगीत, साहित्य, नृत्य, वाद्य आदि गोष्ठियाँ हुआ करती हैं। नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए संगीत, नृत्य, वाद्य, निबन्ध तथा भाषण-प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं और प्रतियोगिताओं में विजयी व्यक्तियों को पदक, पुरस्कार आदि दिये जाते हैं।

सन् १६६०-६१ ई० में संगीत की ७ और साहित्य की ७ गोष्ठियाँ हो चुकी हैं। उपर्युक्त गोष्ठियों के अतिरिक्त वार्षिक समारोह के अवसर पर प्रतिवर्ष नियमित और निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर विविध कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक प्रदर्शन का आयोजन होता है, जिसमें संगीत-प्रतियोगिता, वाद्य-प्रतियोगिता, नृत्य-प्रतियोगिता, कुश्ती-दंगल, हाथी दौड़, घुड़दौड़ तथा विविध भाँति की खेल-कूद-प्रतियोगिताएँ होती हैं। कला-भवन के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम बड़े ही आकर्षक होते हैं तथा इन्हे देखने के लिए अपार जन-समूह एकत्र होता है।

कला-भवन के पास लगभग ५० हजार की सम्पत्ति है। इसके वर्त्तमान सभापति श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' तथा मंत्री श्रीरूपलाल मण्डल हैं।

आर्थिक और व्यावसायिक संस्थाएँ

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन—इस औद्योगिक संघ की स्थापना सन् १६४३ ई० में हुई थी। इसका गत अधिवेशन २३ मार्च, १६५३ को हुआ। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना मे है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स—विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों की यह संस्था सन् १६२६ ई० में स्थापित हुई थी। इसका अपना भवन और कार्यालय बाँकीपुर फौजदारी कचहरी के पास हैं। यहाँ से 'प्रोस्परिटी' नामक मासिक पत्र निकलता है। सरकार ने इस संस्था को मान्यता दी है और अनेक संस्थाओं से इसके प्रतिनिधि लिये जाते हैं। इसके वर्त्तमान सभापति श्रीरामदयाल जोशी और मन्त्री श्री के० एन० खन्ना हैं।

बिहार सूगर मिल्स एसोसिएशन—इसे सन् १६५० ई० में बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन से अलग कर एक स्वतन्त्र संस्था बनाया गया। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना में है।

छात्र-सम्मेलन और बालचर-संस्थाएँ

बिहारी छात्र-संघ—बिहारी छात्र-संघ की स्थापना सन् १६०६ ई० में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। उस समय यही एकमात्र बिहार प्रान्तीय संस्था थी। भारत का भी यह पहला ही छात्र-संगठन था। छात्रान्दोलन के नेताओं के असहयोग-आन्दोलन में पड जाने से इसके कार्य में शिथिलता आ गई। पीछे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में अलग-अलग छात्र-संघ कायम हुए; जैसे—बिहार स्टूडेण्ट्स कॉंगरेस, बिहार स्टूडेण्ट्स फेडरेशन; बिहार प्रगतिशील छात्र ब्लॉक; बिहार-विद्यार्थी-परिषद् आदि। अब इन सबके कार्य शिथिल पड़ गये हैं।

भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स—भारत में पहले दो बालचर-संस्थाएँ थीं— ब्वॉय स्काउट्स एसोसिएशन और हिन्दुस्तान स्काउट्स एसोसिएशन। सन् १६५० ई० में दोनों को मिलाकर भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स नामक एक संस्था बना दी गई है। इसे सरकार से सहायता मिलती है। इसकी बिहार प्रान्तीय शाखा का अपना भवन बुद्धमार्ग, पटना में है। इस समय इसके अध्यक्ष प्रान्त के मुख्य मंत्री पं० विनोदानन्द झा और चार उपाध्यक्षों में एक श्रीमान् कुमार गंगानन्द सिंह हैं। स्टेट चीफ कमिश्नर श्रीजगतनारायण लाल हैं। इसकी पिछली स्टेट-रैली १६५६ की फरवरी में पटना के पोलो मैदान में हुई थी।

कृषि और पशुपालन-सम्बन्धी संस्थाएँ

बिहार-उद्यान-समाज—बिहार में उद्यान-विज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए सन १६४४ ई० में भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर नामक स्थान में उक्त संस्था की स्थापना की गई। इसकी ओर से प्रतिवर्ष उद्यान-प्रदर्शनी और फल-प्रदर्शनी होती है। सन् १६४८ ई० से यहाँ से 'हार्टिकल्चरिस्ट' नामक मासिक अँगरेजी पत्र निकलता था। वह सन् १६४६ ई० से हिन्दी में द्वैमासिक रूप में 'बागवान' नाम से निकलने लगा है।

बिहार-गोशाला-पिंजरापोल-संघ—इसकी स्थापना मार्च, सन् १६४६ ई० में हुई थी। इस संघ के साथ बिहार की ११० गोशालाएँ सम्बद्ध हैं। यहाँ से पहले 'नन्दिनी' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। स्थानीय नस्ल की गंगातीरी गोवंश के सुधार के लिए 'श्रीराजेन्द्र गोकुल' नामक प्रयोगशाला स्थापित करने के निमित्त बिहार-सरकार ने इसे १०० एकड़ भूमि और पौने दो लाख रुपये दिये हैं। संघ के सभापति श्रीजगतनारायण लाल और मंत्री श्रीधर्मलाल सिंह हैं। इसका कार्यालय सदाकत-आश्रम, पटना में है।

बिहार-जीव-जन्तु-क्लेश-निवारिणी समिति (एस० पी० सी० ए०)—यह संस्था सन् १९३९ ई० में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य काम में लाये जानेवाले पशुओं के प्रति की जानेवाली निर्मम निर्दयता को दूर करना है। इसके सभापति दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह और मंत्री श्रीधर्मलाल सिंह हैं। इसका कार्यालय सदाकत-आश्रम, पटना में है। समिति के लगभग दो दर्जन इन्सपेक्टर विभिन्न जिलों में प्रचार का काम करते हैं। समिति को सरकार की ओर से निश्चित सहायता मिलती है।

किसानों की संस्थाएँ

समय-समय पर बिहार के किसान अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर कार्य करते रहे हैं। पहले प्रभावशाली राजनीतिक दल एकमात्र कॉंगरेस ही था और उसीके कुछ कार्यकर्त्ता इस आन्दोलन में भी भाग लेते थे। स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्रीयमुना कार्यी, श्रीयदुनन्दन शर्मा, श्रीकार्यानन्द शर्मा आदि किसानों के नेता समझे जाते थे। प्रान्तीय संगठन के रूप में सर्वप्रथम सन् १९२८ ई० में बिहार प्रान्तीय किसान-सभा की स्थापना हुई। उसने जमींदारी प्रथा के अन्त के लिए आन्दोलन चलाया। पीछे देश में अनेक राजनीतिक दलों के हो जाने पर सभी प्रमुख दलों ने अलग-अलग अथवा कई के सहयोग से अपने-अपने प्रभाव के अन्दर प्रान्तीय या स्थानीय किसान-सभाएँ कायम की—जैसे, बिहार-हिन्द-किसान-सभा, बिहार-हिन्द-किसान-पंचायत आदि-आदि।

मजदूरों की संस्थाएँ

किसान-संस्थाओं की तरह मजदूरों की भिन्न-भिन्न ट्रेड-यूनियनें भी भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है—

बिहार-ट्रेड-यूनियन कॉंगरेस—यह अग्रगामी दल के प्रभाव से संगठित मजदूर-सभा है। इसकी शाखाएँ जमशेदपुर, झरिया, कटिहार, खेलाडी (राँची), बक्सर, कोडरमा, गिरिडीह और बनजारी (शाहाबाद) में हैं।

बिहार नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंगरेस—यह कॉंगरेस-दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसके पदाधिकारी श्रीमाइकेल जॉन, श्रीनन्दकुमार सिंह, श्रीअवधेश्वरप्रसाद सिंह आदि रहे हैं। इसकी शाखाएँ बिहार के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में हैं।

बिहार-हिन्द-मजदूर-पंचायत—यह समाजवादी दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसका प्रथम अधिवेशन सन् १९४९ ई० में श्री आर० एस० रुइकर के सभापतित्व में हुआ था।

संयुक्त ट्रेड यूनियन कॉंगरेस—इसके सभापति समाजवादी क्रान्तिकारी दल के नेता श्रीरणेन्द्र चौधरी और मुख्य मंत्री श्री टी० परमानन्द रहे हैं।

शिक्षकों की संस्थाएँ

बिहार में कॉलेज-शिक्षकों की संस्था बिहार कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन है। हाइ स्कूल-शिक्षकों की संस्था बिहार सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन है। इसका 'ईस्टर्न एजुकेशनिस्ट' नामक पाक्षमासिक पत्र निकलता है। प्राइमरी और मिडल स्कूलों के शिक्षकों की संस्था बिहार-शिक्षक-सम्मेलन है। इसकी ओर से 'राष्ट्र-निर्माता' नामक पाक्षिक पत्र निकलता था।

पत्रकारों की संस्थाएँ

विहार-पत्रकार-सघ—यह विहार की सभी भाषाओं के पत्रकारों की संस्था है। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष श्रीगोपालकृष्ण प्रसाद और प्रधान मंत्री श्रीहीराप्रसाद चतुर्वेदी हैं।

विहार प्रेस एसोसिएशन—यह मुख्यतः प्रेस-रिपोर्टरों (संवाददाताओं) की संस्था है। इसके वर्त्तमान सभापति श्रीगोपालकृष्ण प्रसाद हैं।

विहार-हिन्दी-पत्रकार-संघ—हिन्दी-पत्रकारों की यह संस्था सन् १९५० ई० से काम कर रही है।

कानूनी पेशेवालो की संस्थाएँ

विहार मोख्तार-कान्फ्रेंस—यह मोख्तारों का सम्मेलन है, जिसका अधिवेशन समय-समय पर हुआ करता है।

विहार लॉयर्स-कान्फ्रेंस—यह वकीलों और बैरिस्टरों का सम्मेलन है। इसके भी अधिवेशन जब-तब हुआ करते हैं।

चिकित्सको की सस्थाएँ

विहार तिब्बी-कान्फ्रेंस—यूनानी चिकित्सा-पद्धति से चिकित्सा करनेवाले विहार के हकीमों या तिब्बों की कान्फ्रेंस १९५० ई० में पटना हुई थी।

विहार मेडिकल एसोसिएशन—मेडिकल ग्रैजुएटो की यह सस्था भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की शाखा है। सारे विहार मे इसकी लगभग ५० उप-शाखाएँ है। इसकी ओर से एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

विहार मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन—यह मेडिकल स्कूल से एल० एम० पी० का प्रमाण-पत्र-प्राप्त डॉक्टरों की संस्था भारत मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन की विहार-शाखा है।

विहार-वैद्य-सम्मेलन—वैद्यों के इस सम्मेलन का कार्यालय कदमकुआँ, पटना में है।

विहार होमियोपैथिक सम्मेलन—इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन सन् १९३१ ई० में गया में हुआ था। इसके उद्योग से सन् १९३२ ई० में अखिलभारतीय होमियोपैथिक सम्मेलन की स्थापना हुई। विहार-सरकार ने इस चिकित्सा-पद्धति को मान्यता दी है और वह इसके प्रचार में सहायक हो रही है। इसके प्रधान मन्त्री डॉ० गोपीकृष्ण कोहिली, पटना हैं।

★

पुस्तकालयों की प्रगति

विहार की सबसे पुरानी लाइब्रेरी गया पब्लिक लाइब्रेरी है, जो सन् १८५५ ई० में स्थापित हुई थी। उसके बाद सन् १८६३ ई० में पटना कॉलेज लाइब्रेरी और सन् १८८३ ई० में पटना सिटी में विहार-हितैषी लाइब्रेरी खुली। खुदावख्श ओरियण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, जिसके लिए पटना या विहार को ही नहीं, भारत को भी गौरव है, सन् १८६१ ई० में ट्रस्टियों के हाथ सुपुर्द की गई थी। यहाँ अरवी-फारसी की अप्राप्य प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें हैं। विहार के अन्य पुस्तकालयों मे नीचे लिखे पुस्तकालय मुख्य हैं—सिन्हा लाइब्रेरी, पटना; युनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पटना; सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी, पटना; विहार एसेम्वली लाइब्रेरी, पटना, विहार-रिसर्च-सोसाइटी लाइब्रेरी, पटना; अनुसंधान-पुस्तकालय, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, हेमचन्द्र सुहृद-परिषद्-पुस्तकालय, पटना; वैदिक हिन्दी-पुस्तकालय, पटना; महेश्वरी पब्लिक लाइब्रेरी पटना; विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-पुस्तकालय, पटना; गवर्नमेण्ट उर्दू-लाइब्रेरी, पटना; गेट लाइब्रेरी, पटना; विहार यंगमेन्स इन्स्टिट्यूट लाइब्रेरी, पटना; वराहमिहिर पुस्तकालय, पटना सिटी, चैतन्य पुस्तकालय, पटना सिटी, युनाइटेड स्टेट्स इनफॉरमेशन लाइब्रेरी, पटना; मित्र पुस्तकालय, पटना; हिन्दी-पुस्तकालय, सोहसराय (पटना); मन्नूलाल पुस्तकालय, गया; ओरियण्टल लाइब्रेरी, आरा, नागरी-प्रचारिणी-पुस्तकालय, आरा; वाल हिन्दी यज्ञनारायण-पुस्तकालय, वैना (शाहावाद); टाउन हॉल म्युनिसिपल लाइब्रेरी, मुजफ्फरपुर; सुहृद्-संघ-पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर, शारदा-सदन-पुस्तकालय, लालगंज (मुजफ्फरपुर); राज लाइब्रेरी, दरभंगा; लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, दरभंगा; कमला मेमोरियल म्युनिसिपल लाइब्रेरी, दरभंगा; भगवान पुस्तकालय, भागलपुर; श्रीकृष्ण-सेवा-सदन पुस्तकालय, मुंगेर; सरस्वती-सदन आनन्द पुस्तकालय, साहवगंज (संतालपरगना)।

कॉलेजों तथा स्कूलों मे पुस्तकालय हैं ही, प्रान्त में छोटे-वड़े स्वतन्त्र पुस्तकालयों की संख्या भी ४ हजार से अधिक है।

जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों और अनुमण्डल केन्द्रीय पुस्तकालयों के नाम इस प्रकार हैं—

जिला केन्द्रीय पुस्तकालय

(१) विहार हितैषी पुस्तकालय, पटनासिटी
(२) पब्लिक लाइब्रेरी, गया
(३) नागरी-प्रचारिणी पुस्तकालय, आरा
(४) श्री नन्दन पुस्तकालय, छपरा
(५) नवयुवक पुस्तकालय, मोतिहारी
(६) सुहृद्-संघ, मुजफ्फरपुर
(७) लक्ष्मीश्वर पुस्तकालय, दरभगा
(८) गाधी पुस्तकालय, सहरसा
(९) भगवान पुस्तकालय, भागलपुर
(१०) श्रीकृष्ण-सेवासदन-पुस्तकालय, मुँगेर
(११) अभ्युदय साहित्य-समाज, डालटनगंज
(१२) पब्लिक लाइब्रेरी, हजारीवाग

राजकीय पुस्तकालय

(१३) केन्द्रीय पुस्तकालय, दुमका
(१४) ,, ,, पूर्णिया
(१५) ,, ,, चाइबासा
(१६) केन्द्रीय पुस्तकालय, धनबाद
(१७) ,, ,, राँची

अनुमण्डलीय पुस्तकालय

(१) बिहार हिन्दी पुस्तकालय, बिहारशरीफ
(२) पब्लिक लाइब्रेरी, नवादा
(३) पब्लिक लाइब्रेरी, औरंगाबाद
(४) स्वर्ण-जयन्ती पुस्तकालय, बेगूसराय
(५) सनातनधर्म पुस्तकालय, सीतामढी
(६) महाराज महेन्द्र किशोर पुस्तकालय, बेतिया
(७) सरस्वती पुस्तकालय, पकौड़
(८) युवक-वाचनालय, मधुबनी
(९) सबडिविजनल लाइब्रेरी, सरायकेला,
(१०) बी० जे० इन्स्टिट्यूट, चतरा,
(११) कृष्ण पुस्तकालय, गढ़वा (पलामू)

बिहार-राज्य-पुस्तकालय-संघ—बिहार प्रान्तीय लाइब्रेरी-एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, १९३६ में हुई थी। उसके प्रयत्न से बिहार-पुस्तकालय-सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन गया मे फरवरी, १९३७ मे हुआ था। दूसरा अधिवेशन दिसम्बर, १९३७ मे पटना सिटी मे किया गया। इसमे प्रान्त के पुस्तकालयो के विकास की योजना तैयार करने के लिए डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा के सभापतित्व मे एक समिति बनाई गई, जिसने योजना तैयार कर फरवरी, १९३८ मे उसे बिहार-सरकार के पास विचारार्थ भेजा।

संघ का तीसरा अधिवेशन सन् १९४१ ई० में पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्रीभुवनेश्वरप्रसाद सिंह (अब मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय) के सभापतित्व मे पटना मे और चौथा अधिवेशन दरभंगा में श्रीचन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के सभापतित्व मे हुआ। इनके बाद पाँचवाँ, छठा और सातवाँ अधिवेशन क्रमशः भागलपुर, रहीमपुर (खगड़िया) और पूर्णिया में प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र के सभापतित्व में हुए। आठवाँ अधिवेशन गया मे श्रीदेवव्रत शास्त्री के सभापतित्व मे और नवाँ तथा दसवाँ अधिवेशन क्रमशः बेतिया (सन् १९५८ ई०) और बिहटा (सन १९६१ ई०) में प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र के सभापतित्व में हुए। सन् १९६० ई० में संघ से ३,७१८ ग्रामीण पुस्तकालय सम्बद्ध थे। संघ की ओर से अबतक ग्रामीण पुस्तकाध्यक्षों के लिए १६ सप्तदिवसीय प्रशिक्षण-शिविर चलाये जा चुके हैं, जिनमें सरकार से लगभग २,३०० रुपये की सहायता मिली और ५ हजार से अधिक रुपये स्थानीय चंदा से एकत्र किये गये। इन शिविरों में करीब डेढ़ हजार पुस्तकाध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया। बिहार-राज्य-पुस्तकालय-संघ के वर्तमान सभापति प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० एल० सी० और प्रधान मन्त्री श्रीनीतीश्वर-प्रसाद सिंह, एम० एल० ए० हैं। संघ का अपना मुखपत्र 'पुस्तकालय' है, जो प्रतिमास नियमित रूप से प्रकाशित होता है।

बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय अनुभाग है, जिसके अधीक्षक श्री[illegible] मिश्र हैं। पटना की सिन्हा लाइब्रेरी इस समय इस राज्य का केन्द्रीय पुस्तकालय है। बिहार के १७ जिलों में जिला के केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं, जिनमें राँची, धनबाद,

संतालपरगना और सिंहभूम—इन पाँच स्थानों में राज्य की ओर से केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं। ११ अनुमण्डलों में केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। प्रत्येक केन्द्रीय पुस्तकालय को वार्षिक ३ हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इस राज्य में १७ चल-पुस्तकालय हैं। सन् १९६०-६१ ई० में ४,६०० सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक लाख रु० के मूल्य की पुस्तकें अनुदान के रूप में दी गई। राज्य की ओर से १० बाल-पुस्तकालय हैं, जिनमें ४ पटना-नगर-निगम के अधीन हैं।

समाज-कल्याण

सन् १९५४ ई० के दिसम्बर में 'बिहार-राज्य समाज-कल्याण सलाहकार-बोर्ड' की स्थापना हुई। बोर्ड के १५ सदस्य हैं, जिनमें दो सरकारी और शेष १३ गैरसरकारी व्यक्ति हैं। श्रीमती कलावती त्रिपाठी बोर्ड की अध्यक्षा हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बोर्ड ने ६ ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ आरम्भ कीं, जिनके अन्तर्गत ३० केन्द्र और १,५०,००० की जन-संख्या थी। इसमें बोर्ड का १५,१०८ रुपया खर्च हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना मे इनकी संख्या बढ़कर १६ हो गई और इनके अन्तर्गत ८० केन्द्र और ४ लाख की जन-संख्या थी। इनके अतिरिक्त राज्य-सलाहकार-बोर्ड ने ५ सामुदायिक विकास-प्रखण्डों मे ५ कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ आरम्भ की हैं। समन्वित नमूने की और २८ कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ भी चालू की गई हैं। इन ३३ परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल ३५० केन्द्र ३,८९२ ग्रामों में तथा २५·२५ लाख जन-संख्या के बीच काम कर रहे हैं। इधर इस प्रकार की और भी १२ परियोजनाएँ आरम्भ करने का विचार किया गया था।

बहुत-सी ऐसी गैरसरकारी संस्थाएँ हैं, जो स्वेच्छा से समाज-कल्याण का कार्य कर रही हैं। इनमें २६ संस्थाओं को केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड से ८४,६०० रुपये की सहायता पहले ही मिल चुकी थी। प्रथम योजना-काल में राज्य बोर्ड ने ४३ अन्य संस्थाओं को सहायता मिलने के सम्बन्ध में सिफारिश की। प्रथम योजना-काल में इन गैरसरकारी संस्थाओं को कुल १,७८,००० रुपये का अनुदान मिला। द्वितीय योजना-काल में सन् १९५९-६० के अन्त तक बोर्ड ने ८,९५,८०० रु० की अनुदान की राशि खर्च की थी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बोर्ड ने सन् १९६०-६१ ई० में ११५ संस्थाओं को १,८७,३८० रु० सहायता के रूप मे अनुदान दिया।

केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार राज्य-बोर्ड विभिन्न प्रकार की अनेक योजनाएँ इस समय कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं मे मध्यवयस्का स्त्रियों के लिए दो वर्ष का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, बच्चों के लिए सदन, नगर-कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ, काम करनेवाली स्त्रियों के लिए होस्टल, परियोजना-केन्द्र के लिए भवन, रात्रि-आश्रम-स्थल इत्यादि सम्मिलित हैं। किसी ऐसे लघु उद्योग को, जिसमें ३० से ३५ स्त्रियों को काम मिल सके, चलाने के लिए स्वेच्छाकृत संस्थाओं को अधिक-से-अधिक ५० हजार रु० तक अनुदान देने का निश्चय केन्द्रीय बोर्ड ने किया है।

समाज-कल्याण-बोर्ड

भारत-सरकार ने १० अगस्त, १९५३ ई० मे आयोजना-आयोग के परामर्श से केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड की स्थापना की। इस केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड को जो कार्य सौंपा गया उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि बोर्ड का कार्य समाज-कल्याण-कार्यों के विकास तथा सुधार में सहायता पहुँचाना है। दिसम्बर, १९५४ ई० मे बिहार-राज्य-समाज-कल्याण-सलाहकार-बोर्ड की स्थापना की गई है। सन् १९५९ ई० में इसका पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड मे कुल १५ सदस्य हैं, जिनमें से दो सरकारी और शेष गैरसरकारी व्यक्ति हैं। श्रीमती कलावती त्रिपाठी बोर्ड की अध्यक्षा हैं। राज्य बोर्ड का मुख्य कार्य है—राज्य के अन्दर समाज-कल्याण कार्यक्रम और उसके कार्यों में सहायता प्रदान करना, उसमे सहयोग देना एवं सुचारु रूप मे तथा व्यक्तिगत आधार पर उसका विकास करना। नये कल्याण-कार्यक्रम एव कार्यों मे प्रशिक्षण तथा सहायता के लिए, राज्य में जहाँ आवश्यकता हो, राज्य-सलाहकार-बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड को सलाह और सहायता देता है। महिलाओं एवं बच्चों से सम्बद्ध समाज-कल्याण का जहाँतक सम्बन्ध है, राज्य-बोर्ड ने ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजनाओ और शहरी अग्रिम परियोजनाओं के द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम अपने हाथ मे लिया है। प्रत्येक समाज-कल्याण-परियोजना की इकाई मे २५ समीपस्थ गॉव सम्मिलित रहते हैं तथा उसमें करीब-करीब २० हजार की आबादी होती है। सामान्यतः एक विस्तार-परियोजना की इकाई मे पॉच केन्द्र होते हैं, जो सभी बहु-उद्देश्यीय हैं और उनमे उपर्युक्त कार्यक्रम चलाये जाते है। विभिन्न केन्द्रों के जरिये महिलाओं और बच्चों मे साधारणतः जो कार्य किये जाते हैं, उनका विवरण इस प्रकार है—

(क) बालबाडी, (ख) सामाजिक शिक्षा, (ग) अक्षर-ज्ञान, (घ) शिल्प-कला और दस्तकारी का प्रशिक्षण, (च) प्रसव-पाठ्य तथा पश्चात् सेवाएँ, (छ) मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्य, (ज) सफाई-आन्दोलन, (झ) त्योहारों का मनाना, (ट) दवा और दुग्ध-वितरण।

ग्रामसेविका के प्रशिक्षण की व्यवस्था बैनी (दरभगा) मे की गई है, जिसमे छह साल से ग्राम-सेविकाएँ प्रशिक्षित हो रही हैं।

☆

चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे १८ जिला-अस्पताल और ८ अनुमण्डलीय अस्पताल सरकार के प्रबन्ध में ले लिये गये। योजना के प्रथम वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य में पूरी आबादी का प्रति व्यक्ति खर्च साढ़े सात आना था, जबकि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में यह खर्च प्रति व्यक्ति १ रुपया १२ आना था। राज्य में कुल अस्पतालों एवं औषधालयों की संख्या ७२८ थी, जिसमें ८० अस्पतालों एवं औषधालयों का (८,२५६ शय्या के साथ) प्रबन्ध राज्य-सरकार के हाथ में था। द्वितीय योजना के प्रारम्भ में कुल अस्पतालों और औषधालयों की संख्या बढ़कर ८१६ हो गई। इनमें राजकीय संस्थाओं की संख्या १३७ थी तथा ५,७०२ रोगियों के लिए शय्या का प्रबन्ध था। प्रथम योजना के अन्त तक सभी सब-डिविजनल चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण हो चुका था। प्रथम योजना के अन्त में यक्ष्मा के रोगियों की चिकित्सा के लिए ४५१ शय्याओं का प्रबन्ध था।

सन् १९६०-६१ ई० में चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य के लिए ५६२'६६ लाख का बजट है। १ रुपया ४० नये पैसे का प्रति व्यक्ति खर्च पड़ता है। सन् १९५८ ई० में राज्य के अन्तर्गत ६,४०६ रजिस्टर्ड डॉक्टर थे। सन् १९६० ई० मे अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या १,०२२ थी। इनमें ५२० सरकारी अस्पताल और औषधालय हैं। ३१ मार्च, १९६१ ई० तक ५३ औषधालयों का प्रान्तीयीकरण किया जानेवाला था।

मार्च १९६१ तक शय्याओं की संख्या ८,३३६ हो गई है। इनमें ४५१ शय्याएँ यक्ष्मा-रोगियों की हैं। चिकित्सा के क्षेत्र मे अस्पातल-सम्बन्धी सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। सन् १९५० ई० में शय्याओं की संख्या १२,२७१ हो गई, जबकि सन् १९४७ ई० में यह संख्या ४,७६२ थी। सन् १९४७ ई० मे अस्पतालों और दवाखानों की संख्या ६७० थी, जो सन् १९६० ई० में बढकर १,१०६ हो गई।

राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक मे भरती (ऐडमिशन) की संख्या १५० कर दी गई है। इस तरह हर साल ४५० शिक्षार्थियों की भरती होगी। पटना में १६ लाख की लागत पर २१६शय्यावाला संक्रामक रोगों का अस्पताल खुलने जा रहा है। भवन-निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो चुका है। भागलपुर, चाइबासा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और डालटनगंज में नये-नये वार्ड बने हैं।

राज्य में मलेरिया से आक्रान्त रोगियों की संख्या को बहुत नीचे के स्तर पर ला दिया गया है। इस राज्य में ८ फाइलेरिया नियंत्रण-युनिट काम कर रहे हैं। इनमें दो पटना में और छह गया, भागलपुर, राँची, मुंगेर, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में अवस्थित हैं।

इस राज्य में कुल १४ कुष्ठ-साहाय्य-केन्द्र, ८० हजार से १ लाख तक जन-संख्यावाले विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं। सन् १९५९-६० ई० में दो और केन्द्र भागलपुर और मुंगेर में खोले गये। ब्राम्बे में १५० शय्यावाले एक नये चिकित्सालय का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। सरकार ने दरभंगा के रहमगंज कुष्ठ-निदान-गृह का प्रान्तीयीकरण कर लिया है। चेचक और हैजे से मृत्यु की संख्या बहुत कम हो गई है। प्रथम योजना में १० मातृ एवं शिशु-कल्याण-केन्द्र खोले गये थे। द्वितीय योजना-काल में ५० नये केन्द्र खोले गये हैं।

परिवार-नियोजन

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३० शहरी परिवार-नियोजन-केन्द्र खोले गये थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में २२ देहाती और ५ शहरी केन्द्र खोले गये। तीनों मेडिकल कॉलेजों में तीन केन्द्र खोले गये हैं। सभी देहाती औषधालयों और स्वास्थ्य-उप-केन्द्रों में परिवार-नियोजन-सम्बन्धी परामर्श दिये जाते हैं। कंट्रासेप्टिव (गर्भ-निरोधक साधन) के वितरण के लिए सन् १९६०-६१ ई० के आय-व्ययक में १,५०० रुपये प्रति केन्द्र की दर से १२ लाख २१ हजार रुपयों का उपबन्ध किया गया है।

देशीय चिकित्सा-पद्धति

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल मे आयुर्वेदिक एवं तिब्बी कॉलेज के विस्तार एवं विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया। आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज से सम्बद्ध एक भैषज्यालय की स्थापना की गई। आयुर्वेदिक और तिब्बी दवाओं के अनुसंधान के लिए एक

योजना शुरू की गई और एतदर्थ आयुर्वेदिक कॉलेज-भवन में शय्याओं का भी प्रबन्ध किया गया। प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों को सरकारी सहायता दी जाती है।

सन् १९५१ ई० में रजिस्टर्ड मेडिकल अफसरों की संख्या ४,८१३ थी, अर्थात् कुल जन-संख्या में प्रति ८,३५२ व्यक्तियों पर एक डॉक्टर था। सन् १९६० ई० के मध्य तक यह संख्या बढ़कर ६,७५३ हो गई, अर्थात् प्रति ५,९२४ व्यक्तियों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था हुई। सन् १९५५-५६ ई० में ८१६ अस्पताल और चिकित्सालय थे, जिनमें १३७ राज्य-सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। सन् १९६० ई० में अस्पतालों और चिकित्सालयों की संख्या बढ़कर १,०१२ हो गई है, जिनमें सरकारी चिकित्सालय ५२० हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में मार्च १९६० तक १९० चिकित्सालयों का प्रान्तीयीकरण हो चुका था। सन् १९६१ ई० के मार्च तक और भी ५२ चिकित्सालयों का प्रान्तीयीकरण किया गया है। सन् १९६० ई० के मार्च तक ५२ नये चिकित्सालय खुले हैं। सन् १९६१ ई० के मार्च तक इनकी संख्या ८४ हो गई। सन् १९५५-५६ ई० तक अस्पतालों में कुल ५,७०२ शय्याएँ थीं। सन् १९६१ ई० के मार्च तक इनकी संख्या ८,३३९ हो गई है। इनमे ४५१ वढी हुई यक्ष्मा-शय्याएँ हैं।

कोइलवर-यक्ष्मा-आरोग्यशाला

यक्ष्मा-आरोग्यशाला की योजना का सूत्रपात, सन् १९४७ ई० में एक देशभक्त सहृदय महिला, श्रीमती धरीक्षणा कुँवरि, द्वारा प्रदत्त डेढ़ लाख रुपये के उदारतापूर्ण दान के फलस्वरूप हुआ। २५ अप्रैल, १९५६ ई० को बिहार के स्वर्गीय मुख्य मंत्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह द्वारा इस आरोग्यशाला का शिलान्यास-कार्य सम्पन्न हुआ। इसके लिए लगभग ४२ लाख रुपये का अनुमित व्यय स्वीकृत हुआ। प्रारम्भ में उक्त आरोग्यशाला में केवल ६२ रोगियों के निवास एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी, किन्तु क्रमशः इसे परिवर्द्धित कर कुल २०० यक्ष्मा-पीड़ित रोगियो के निवास और चिकित्सा की व्यवस्था की जायगी।

खेल-कूद

अँगरेजी राज्य की स्थापना के बाद से ही यहाँ पाश्चात्य ढंग के खेल आरम्भ हुए। सेना, पुलिस तथा स्कूल-कॉलेजों से ये खेल धीरे-धीरे जन-जीवन में प्रवेश करने लगे। इन खेलों में फुटबॉल ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ।

बिहार में 'लाहिड़ी शील्ड', 'बर्थाऊड शील्ड' तथा 'इंगलिश शील्ड' की फुटबॉल प्रतियोगिताएँ बहुत पुरानी रही। लाहिड़ी शील्ड में कॉलेज की टीमें तथा नागरिक टीमें शामिल होती थीं और इंगलिश शील्ड में केवल स्कूल की टीमें। बर्थाऊड शील्ड की ओर से विजेता-दल के खिलाड़ियों को स्वर्ण-पदक भी दिया जाता था। लाहिड़ी शील्ड का आरम्भ १९वीं सदी के अन्तिम दशक में तथा इंगलिश शील्ड का आरम्भ सन् १९०० ई० से हुआ।

मुजफ्फरपुर में मॉट कप (१९०८) तथा नीवर कप भी इसी समय आरम्भ हुए। उत्तर-बिहार में मुजफ्फरपुर खेल-संगठन में अग्रणी रहा। सन् १९१२ ई० तक मैच नागरिक टीमों के बीच, खास कर या शील्ड के लिए होते थे। सन् १९१२ ई० में लाहिड़ी शील्ड में नागरिक टी

जाने के फलस्वरूप पटना के तत्कालीन जिला-पदाधिकारी तथा लेफ्टिनेएट गवर्नर के प्रोत्साहन पर बी० एन० कॉलेज के प्राध्यापक श्रीमोइनुलहक ने सन् १९१२ ई० में पटना एथलेटिक एसोसिएशन कायम किया और क्रांतिपूर्ण ढग से फुटवॉल खेल कराने की व्यवस्था की। उस समय से आजतक श्रीहक पटना-स्थानीय, बिहार-प्रान्तीय तथा अखिलभारतीय खेल-संगठनों में प्रमुख भाग लेते रहे हैं।

इस बीच सन् १९०६ ई० में बिहार यंगमेन्स इन्स्टिट्यूट की स्थापना हो चुकी थी, जो अन्य प्रकार के खेलों के आयोजन तथा संगठन में सन् १९१० ई० तक प्रमुख रूप से भाग लेता रहा।

सन् १९२३ ई० में भारत के प्रमुख खेल-आयोजकों ने सन् १९२४ ई० में पेरिस में होनेवाले विश्व खेल-महोत्सव (ओलिम्पिक) में भाग लेने का निर्णय किया। इस सिलसिले में मद्रास के यंगमेन्स क्लब के कुछ आयोजक पटना में श्रीमोइनुल हक से मिले और यहाँ सन् १९२३ ई० मे बिहार ओलिम्पिक एसोसिएशन कायम हुआ। उसी समय से श्रीहक इसके सचिव या अध्यक्ष होते आ रहे हैं। उक्त संस्था के तत्त्वावधान में बिहार के हर जिले में स्पोर्ट्स एसोसिएशन बना है, जो गैरसरकारी तौर पर इस प्रकार के खेल का संगठन और आयोजन करता है। अन्तर-जिला फुटवॉल-प्रतियोगिता, जिसका विजय-प्रतीक मोइनुल हक-कप कहलाता है, बिहार ओलिम्पिक एसोसिएशन के तत्त्वावधान में चलती है। उक्त एसोसिएशन अन्तर-राज्य फुटवॉल, हॉकी, क्रिकेट, वालीवॉल आदि प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन करता है।

बिहार तथा भारत में जब फुटवॉल खेल के लिए कोई संगठन नहीं बना था, दानापुर के बदरुद्दीन तथा पूर्णिया के समद ने बहुत प्रसिद्धि पाई थी और खेल दिखाने के लिए आमंत्रण पर इन्हें कई बार कलकत्ता जाना पड़ा था। समद को बाद में आई० एफ० ए० टीम तथा रेलवे टीम में भी ले लिया गया था।

पुराने खिलाड़ियों में सतीन घोष (भागलपुर) तथा मणि (जमशेदपुर को बहुत प्रसिद्धि मिली। घोष तो भारतीय टीम में द्वितीय एशियाई खेल में शामिल हुए तथा मणि भारतीय फुटवॉल-टीम के साथ सुरक्षित खिलाड़ी के रूप में बर्मा गये थे। घोष पटना-विश्वविद्यालय खेल-कूद मे विजेता हुए थे।

सन् १९४३ ई० में बिहार के के० सेन तथा एम० सेन को टेनिस खेल में प्रसिद्धि मिली। के० सेन० तो भारत के टेनिस-खिलाड़ियों में उस वर्ष १०वें स्थान पर थे। सेनद्वय अ० भा० विश्वविद्यालय टेनिस-प्रतियोगिता के विजेता भी उस वर्ष हुए।

अ० भा० विश्वविद्यालय-खेल-प्रतियोगिता के चलाने में बिहार के श्रीमोइनुल हक तथा पटना-कॉलेज के अँगरेजी के प्राध्यापक आर्मर साहब का हाथ था। इन दोनों सज्जनों ने सन् १९२६ ई० में कलकत्ता और ढाका-विश्वविद्यालय को फुटवॉल खेलने के लिए आमंत्रित किया और तत्कालीन उपकुलपति सर सुल्तान अहमद ने एक कप प्रदान किया। सन् १९२६ ई० तक इसी प्रकार खेल होते रहे। इसके बाद अन्तर-विश्वविद्यालय खेल-कूद-बोर्ड बना, जिसका स्थान अ० भा० विश्व-विद्यालय खेल-कूद बोर्ड ने ले लिया। पटना-विश्वविद्यालय की ओर से फॉरवर्ड से खेलनेवालों में श्यामसुन्दर, टिर्की और कॉजीलाल के सम्मिलित खेल श्लाघ्य थे और तीनों मे अच्छी प्रसिद्धि पाई थी।

सन् १९५६ ई० में पटना के तत्कालीन जिलाधीश श्री वी० एन० वसु, आई० ए० एस० एक संगठनकर्त्ता और आयोजक के रूप में विहार के खेल-कूद के क्षेत्र में उतरे।

पटना एथलेटिक एसोसिएशन में उन्होंने नई जान फूँकी। श्रीकृष्ण गोल्ड-कप को अखिलभारतीय फुटबॉल-प्रतियोगिता का रूप देने में इन्होंने अथक परिश्रम किया। ये इन दिनों विहार-सरकार के खेल-कूद-सचिव की हैसियत से पूरे राज्य में खेल के पुनर्गठन में लगे हुए हैं। इन्हें श्रीगोपेश्वर दयाल रुखैयार से इस कार्य में वड़ी सहायता मिलती है।

विहार में वरनैरड शील्ड (दानापुर, खगौल), कुँअरसिंह शील्ड तथा श्रीकृष्ण गोल्ड-कप—ये तीन ऐसी प्रचलित फुटवॉल-प्रतियोगिताएँ हैं, जिनमें विहार के वाहर की सुप्रसिद्ध टीमें भाग लेती हैं। वरनैरड शील्ड में अधिकतर रेलवे-टीमें शामिल होती हैं। यह प्रतियोगिता भी पुरानी है तथा वीसवीं सदी के दूसरे दशक से चली आ रही है। कुँअरसिंह-शील्ड में पटना-एकादश और एक वाहरी की, मुख्यतः कलकत्ता की, टीम के साथ १५ अगस्त को केवल एक खेल होता है और उसमें जो विजय पाता है, वह विजयी घोषित होता है।

श्रीकृष्ण गोल्ड-कप—यह रोवर्स कप (बम्बई) तथा डुरंड कप (दिल्ली) की तरह प्रसिद्ध हो चुका है और इसमें देश की सुप्रसिद्ध टीमें शामिल होती हैं। सन् १९५७ ई० से यह चालू किया गया है। इसके मुख्य संरक्षक राज्यपाल हैं। इसके विजेताओं की सूची अ० भा० खेल-कूद के अध्याय में दी गई है।

नीचे विभिन्न खेल-प्रतियोगिताओं में हुए विजेताओं की सूची वर्ष के साथ दी जा रही है—

कुँअरसिंह-शील्ड (१९५७)—१९५७ तथा १९५८ राजस्थान क्लव कलकत्ता; १९५९ मोहनवगान, कलकत्ता, १९६० मोहनवगान तथा पटना-एकादश संयुक्त विजयी।

वरनैरड शील्ड (दानापुर)—१९५९ पटना पुलिस; १९६० विहार सशस्त्र पुलिस (पाँचवा दस्ता)।

अन्तर-जिला मोइनुल हक-कप—१९५६ पटना; १९५७ और १९५८ जमशेदपुर; १९५९ पटना, १९६० जमशेदपुर।

लाहिड़ी शील्ड—१९५६ तथा १९५७ सचिवालय-क्लव; १९५८-पटना पुलिस; १९५९ तथा १९६० सचिवालय-क्लव।

पटना फुटवॉल-लीग (१९३४)—१९५६ तथा १९५७ सचिवालय-क्लव; १९५८ तथा १९५९ विहार सशस्त्र पुलिस (पांच दस्ता); १९६० सचिवालय-क्लव।

पटना हॉकी-लीग (१९३४)—१९५७ सचिवालय क्लव; १९५८ विहार रेजीमेंट (दानापुर); १९५९ और १९६० विहार सशस्त्र पुलिस (पाँचवाँ दस्ता), १९६१ रेंजर क्लव, पटना।

पटना क्रिकेट-लीग (१९४८)—१९६० तथा १९६१ पटना-कॉलेज।

विहार-सरकार की खेल-योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से राज्य के युवकों के शारीरिक गठन के लिए विहार-सरकार ने खेलों के पुनस्संगठन पर अधिक ध्यान देना आरम्भ किया। खेलों तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्य किये गये, जिनमें प्रशिक्षण देने का कार्य उल्लेखनीय है।

इस योजना के अनुसार कुशल खिलाड़ियों का चयन होता है तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। राज्य-भर में सम्प्रति ४ प्रशिक्षक नियुक्त किये गये हैं। स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा राजकीय महाविद्यालय, पटना भी उनकी (प्रशिक्षकों की) सेवाएँ लेता है। इसके अतिरिक्त पटना में दो स्थायी प्रशिक्षण-केन्द्र हैं—एक तो गांधी मैदान मे तथा दूसरा, पटना कॉलेजिएट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हाते मे।

ये प्रशिक्षक प्रमण्डल और मण्डल के स्तर पर प्रशिक्षण-शिविर चलाते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तथा क्षेत्र-मार्ग खेल-कूदों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिवर्ष औसतन २५ हजार रु० के हिसाव से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य के लिए १,२४,७०० रु० खर्च किया गया।

खेल-महोत्सव

सन् १९५७ ई० की १६ फरवरी से २२ फरवरी तक प्रथम राज्य-प्रशिक्षण-शिविर चलाया गया, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तथा क्षेत्र-मार्ग खेल-कूदों के आयोजन हुए। शिविर को दो दलों में विभक्त कर दिया गया—एक हॉकी और क्रिकेट का और दूसरा फुटबॉल तथा अन्य खेल-कूदों का। पटना सीनियर ट्रेनिंग स्कूल तथा पटना कॉलेजिएट स्कूल मे दोनों दलों के अलग-अलग आयोजन हुए, जिनमें ६६ युवक प्रशिक्षित किये गये।

सन् १९५८ ई० में राज्य के ५८ अनुमण्डलों में खेल-उत्सव के आयोजन किये गये। इसके बाद जिला (मण्डल)-स्तर पर खेल-कूद उत्सव हुए। हर जिले में ६ दिनों का शिविर चला। तदनन्तर प्रमण्डल-स्तर पर शिविरों के आयोजन किये गये। राज्य-स्तर पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तथा अन्य खेल-कूद के ४ शिविर चलाये गये, जिनमें अन्य खेल-कूद का शिविर पटना में तथा शेष तीन शिविर मुंगेर मे चलाये गये। मुंगेर मे सभी जिलों से ७५ खिलाड़ियों ने भाग लिया।

सन् १९५८ ई० में कचरापाड़ा (प० बंगाल) में तृतीय राष्ट्रीय स्कूल खेल-प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें यहाँ के २२ खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे। बिहार का स्थान इसमें चौथा रहा।

सन् १९५९ ई० में सन् १९५८ की तरह ही खिलाड़ियों-के प्रशिक्षण तथा चयन के लिए अनुमण्डल, मण्डल तथा प्रमण्डल स्तर पर शिविर चलाये गये और राज्य-शिविर की समाप्ति के बाद फुटबॉल तथा खेल-कूद-दल तो चतुर्थ राष्ट्रीय स्कूल-खेल-महोत्सव में भाग लेने के लिए दिल्ली गये तथा हॉकी और क्रिकेट-दल आमंत्रण पाकर कटक और पुरी में प्रदर्शन-खेल खेलने गये। कटक और पुरी में जितने भी खेल हुए, उनमें बिहारी दलों की जीत हुई और राष्ट्रीय स्कूल-खेल-प्रतियोगिता मे बिहार का स्थान तीसरा रहा।

सन् १९५९-६० ई० खेल-आन्दोलन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ष रहा है। राजकीय प्रशिक्षक कुशल खिलाड़ियों के चयन के लिए चाइबासा, रॉची, डालटनगंज, नेतरहाट, हजारीबाग, जमशेदपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, दुमका, भागलपुर, पटना, गया, आरा तथा धनबाद खेल-केन्द्रों मे गये। जिला-स्तर पर खिलाड़ियों के चयन के लिए जो शिविर हुआ, उसके हर खेल में अनुमण्डलों के ५० खिलाड़ी शामिल हुए तथा प्रमण्डल-स्तर पर हुए शिविर में हर खेल में जिलो के २५ खिलाड़ी सम्मिलित हुए। इन शिविरों से ३० सर्वोत्तम

खिलाड़ी चुने गये, जिन्हें राज्य-प्रशिक्षण-शिविर में १५ दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। अन्तर-राज्य-प्रतियोगिता के लिए इनमें से १४ खिलाड़ी चुने गये। फुटबॉल-दल क्षेत्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुआ। हॉकी और खेल-कूद दल पचम राष्ट्रीय स्कूल-खेल-प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ, जिसमें बिहार का स्थान दूसरा रहा।

बिहार-सरकार पटना में एक आधुनिक क्रीडाङ्गण बना रही है, जिसके लिए साढे १२ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। यह क्रीडाङ्गण राजेन्द्र-नगर में बन रहा है। दानापुर में जगजीवन-क्रीडाङ्गण ढाई लाख रुपये से बना है तथा पुलिस के जवानों ने फुलवारीशरीफ में मिथिलेश-क्रीडाङ्गण श्रमदान द्वारा बनाया है। जमशेदपुर का कीनन-क्रीडाङ्गण बिहार मे आधुनिक खेल का एक प्रमुख अड्डा तथा बिहार का सबसे पुराना क्रीडाङ्गण है।

★

तृतीय पंचवर्षीय योजना

बिहार में तीसरी पचवर्षीय योजना में ३३७'०४ करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया है। इस रकम मे भारत-सरकार ऋण एवं सहायता के रूप में २१८ करोड़ रुपया अग्रिम देगी। बाकी रकम राज्य के आभ्यन्तरिक आर्थिक स्रोत से संग्रह की जायगी।

तीसरी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में कृषि-उत्पादन-वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। सिंचाई, बिजली, संचार एव शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं समाज-कल्याण-मूलक कार्यों में ८२'४६ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। सिंचाई मे ७०'५७ करोड़, बिजली मे ७०'६२ करोड़, शिक्षा मे २४'०२ करोड़, सड़क-निर्माण में १६ करोड़ और परिवहन मे ३'४२ करोड़ खर्च किये जायेंगे। अतिरिक्त २० लाख एकड़ जमीन में सिंचाई करने के उद्देश्य से सिंचाई का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। तृतीय योजना-काल में बरौनी तेल-शोधनागार और भारी इञ्जीनियरिंग कारखाना तथा बोकारो के इस्पात-कारखाने का काम समाप्त हो जायगा। लघु-उद्योग के क्षेत्र में १४ बड़े और छोटे औद्योगिक प्रक्षेत्र (Industrial Estates) स्थापित होंगे। बिजली-उत्पादन का लक्ष्य १२,८३-५० मेगोवाट निर्दिष्ट किया गया है। इस व्यापक उत्पादन-कार्यक्रम के फलस्वरूप बिहार की बढ़ती हुई जन-संख्या की माँग की पूर्ति की जा सकेगी, ऐसी आशा की जाती है। यदि वर्त्तमान क्रम से जन-संख्या की वृद्धि होती रही, तो सन् १९६६ ई० में बिहार की जन-संख्या ५ करोड़ १२ लाख हो जायगी। तीसरी योजना में अतिरिक्त २०'२७ टन खाद्यान्न-उत्पादन निर्दिष्ट किया गया है। नि:शुल्क, सार्वजनीन अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में संविधान के निर्देश के अनुसार सन् १९६५-६६ ई० में बिहार में ३० लाख लड़के और १८ लाख लड़कियाँ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करेंगी। इसके लिए तीसरी योजना में १२ हजार अतिरिक्त क्लास-रूम बनेंगे और १,३५,००० शिक्षक नियुक्त होंगे। इसके सिवा विभिन्न विज्ञान-महाविद्यालयों के स्नातक-वर्ग में ५ हजार तक की संख्या में छात्रों को प्रविष्ट करने की व्यवस्था की जायगी। दरभंगा के संस्कृत-विश्वविद्यालय का विस्तार किया जायगा। विश्वविद्यालय-शिक्षा एवं शोध-कार्यों के लिए कुल ५'३० करोड़ रुपयों की रकम निर्दिष्ट की गई है। वयस्कों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है।

★

शासन-प्रबन्ध

शासन का विकास—विहार भारत का एक राज्य या प्रदेश है। ऑंगरेजी शासन-काल में, सन् १९१२ ई० में, बिहार-उड़ीसा बंगाल से अलग किया जाकर एक प्रान्त बनाया गया। पटना इसकी राजधानी हुआ। गर्मी के दिनों के लिए राजधानी रही रॉंची। उस समय यहॉं का शासन-भार एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के ऊपर रखा गया। शासन-संबंधी कार्यों मे परामर्श देने के लिए एक विधान-सभा गठित हुई, जिसके ४५ सदस्य थे। सन् १९१९ ई० के सुधार के अनुसार यह गवर्नर का प्रान्त बना और विधान-सभा की सदस्य-संख्या ४५ से बढाकर १०३ की गई। इसके अधिकांश सदस्य निर्वाचन द्वारा आने लगे। गवर्नर की सहायता के लिए एक एक्जिक्यूटिव कौंसिल कायम की गई, जिसके एक भारतीय और एक ऑंगरेज सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों मे से गवर्नर दो व्यक्तियों को मंत्री (मिनिस्टर) नियुक्त करते थे। शासन के विषय दो भागों में बॉंट दिये गये। एक भाग में संरक्षित विषय और दूसरे में हस्तान्तरित विषय रखे गये। गवर्नर संरक्षित विषयों का शासन एक्जिक्यूटिव के मेम्बरों की सहायता से और हस्तान्तरित विषयों का शासन मन्त्रियों की सहायता से करते थे। यह द्वैध शासन कहलाता था।

सन् १९३६ ई० के अप्रैल में उड़ीसा विहार से अलग कर दिया गया और सन् १९३७ ई० से नया शासन-विधान लागू हुआ। इसके अनुसार यहॉं एक के बदले विधान-संबंधी दो सदन कायम हुए। ऊपरी सदन विधान-परिषद् (लेजिस्लेटिव कौंसिल) और निचला सदन विधान-सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) कहलाये। विधान-सभा के १५२ सदस्य हुए, जिनमें सभी निर्वाचित थे। विधान-परिषद् के ३० सदस्य हुए, जिनमे २६ निर्वाचित और ४ मनोनीत थे। यहॉं का शासन पार्लमेंटरी ढंग से होने लगा। कानूनन गवर्नर को शासन में हस्तक्षेप करने का बहुत बड़ा अधिकार होते हुए भी उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के कार्यों में साधारणतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गवर्नर विधान-सभा के बहुमत-दल के नेता को बुलाकर उससे मंत्रिमंडल बनाने लगे। नेता अपने दल की राय से आवश्यकतानुसार मंत्री चुनने लगे और स्वयं मुख्यमंत्री का काम करने लगे। बिहार मे उस समय से अबतक विधान-मंडल में कॉंगरेस-दल का ही बहुमत होता रहा है। उसी समय से स्वर्गीय डॉ० श्रीकृष्ण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री होते रहे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या समय-समय पर बदलती रही। नवम्बर, १९३९ से १९४५ तक द्वितीय विश्व-महासमर-काल में कॉंगरेस-दल शासन-कार्य से अलग रहा और गवर्नर ही शासन चलाते रहे। सन् १९४६ ई० में फिर कॉंगरेस-मंत्रिमंडल बना। सन् १९४७ ई० के १५ अगस्त को भारत पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया और सन् १९५० ई० की २६ जनवरी को यह संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया तथा भारतीय संविधान के अनुसार यहॉं का शासन-कार्य किया जाने लगा।

राज्यपाल—सन् १९२० ई० में विहार के प्रथम गवर्नर लार्ड सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा हुए। अँगरेजी शासन-काल में समस्त भारत के अन्दर यही एक भारतीय गवर्नर हुए, जो सिर्फ एक ही वर्ष तक कार्य कर सके। इसके बाद सम्पूर्ण अँगरेजी राज्य-काल मे ऑंगरेज ही गवर्नर होते रहे। स्वतंत्र भारत मे विहार के गवर्नर या राज्यपाल क्रमशः श्रीजयरामदास दौलतराम, श्रीमाधव श्रीहरि अणे और श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर हुए। इस समय ६ जुलाई, १९५७ से डॉ० जाकिर हुसेन राज्यपाल का कार्य कर रहे हैं।

विधान-सभा और विधान-परिषद्—स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुसार सामान्य निर्वाचन सन् १९५२ ई० और १९५७ ई० में सम्पन्न हुए। आगामी चुनाव सन् १९६२ ई० में होनेवाला है। सन् १९५२ ई० मे बिहार-विधान-सभा के ३३१ सदस्य थे। बिहार के कुछ अंश बंगाल में चले जाने के कारण सन् १९५७ ई० में यहाँ केवल ३१९ सदस्य रह गये। सभा के ३१९ सदस्यों मे २४६ सदस्य साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से, ४० अनुसूचित जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से, ३२ अनुसूचित जन-जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से तथा एक मनोनीत होकर आये।

सन् १९५२ ई० में बिहार-विधान-परिषद् के ७२ सदस्य थे और सन् १९५७ ई० मे ९६ सदस्य हुए। इन ९६ सदस्यों मे विभिन्न कमिश्नरियों के स्नातक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८, शिक्षक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८, स्थानीय प्राधिकार-क्षेत्र से ३४, बिहार-विधान-सभा-क्षेत्र से ३४ और मनोनीत १२ सदस्य हैं।

भारतीय संसद् में बिहार के सदस्य—इस समय भारतीय संसद् की राज्य-सभा एवं लोक-सभा में क्रमश. २२ और ५३ सदस्य हैं।

बिहार-सरकार

राज्यपाल

डॉ० जाकिर हुसेन

मन्त्रिमण्डल

१. मुख्य मंत्री श्रीविनोदानन्द झा ··· नियुक्ति एवं राजनीति (जन-सम्पर्क और यातायात-रहित), मन्त्रिपरिषद्, वित्त, उद्योग एवं खानें, ग्राम-पंचायत, श्रम, आयोजन तथा सामुदायिक विकास।

२. श्रीदीपनारायण सिंह ··· वृहत् सिंचाई, विद्युत्, नदी-घाटी-योजनाएँ तथा जन-सम्पर्क।

३. श्रीभोला पासवान ··· वन, कल्याण, जनकार्य, जन-स्वास्थ्य, अभियंत्रण, उत्पाद (आबकारी)।

४. श्रीवीरचन्द पटेल ··· आपूर्त्ति एवं वाणिज्य, स्वास्थ्य, कृषि तथा लघु सिंचाई।

५. श्रीसत्येन्द्र नारायण सिंह ··· शिक्षा तथा स्वायत्त-शासन।

६. श्रीजाफर इमाम ··· विधि—धार्मिक न्यास तथा कारा-सहित।

७. श्रीरामप्रकाश लाल ··· सहकारिता एवं रेशम, गृह-निर्माण तथा पशु-पालन।

८. श्रीअख्तार हुसैन ··· परिवहन, राहत व पुनर्वास।

९. श्रीजानकीरमण मिश्र ··· राजस्व (लघु सिंचाई तथा राहत एवं पुनर्वास-रहित)।

उप-मंत्री

१.	श्रीअबुल अहद मुहम्मद नूर	...	खाद्य, सहायता और स्वास्थ्य।
२.	श्रीकेदार पाण्डेय	...	सामान्य प्रशासन, सूचना-रहित-राजनीति विभाग, सिंचाई, विद्युत्, परिवहन और श्रम।
३.	श्रीअम्बिकाशरण सिंह	...	वित्त, विधि और धार्मिक न्यास।
४.	श्रीचन्द्रिका राम	...	कृषि और उत्पाद।
५.	श्रीदेवनारायण यादव		सहकारिता, गृह-निर्माण, पशु-पालन, पशु-चिकित्सा, लोक-निर्माण-विभाग और लोक-स्वास्थ्य-अभियंत्रण-विभाग।
६.	श्रीदारोगा राय	..	सामूहिक विकास तथा ग्राम-पंचायत।
७.	श्रीश्यामूचरण त्यूविद	...	वन और कल्याण।
८.	श्रीलोकेशनाथ झा	...	सूचना।
९.	श्रीअब्दुल गफूर	..	राजस्व।
१०.	श्रीकमलदेवनारायण सिंह	...	उद्योग।
११.	श्रीमुंगेरी लाल	...	शिक्षा।
१२.	श्रीललितेश्वरप्रसाद शाही	..	योजना।
१३.	श्रीसहदेव महतो		कारा।
१४.	श्रीनवलकिशोर सिंह	..	स्वायत्त-शासन-विभाग।

संसदीय सचिव

१.	श्रीमती प्रभावती गुप्त	..	सामुदायिक विकास।
२.	श्रीमती मनोरमा पाण्डेय	..	वित्त।
३.	श्रीचन्द्रशेखर सिंह	...	उद्योग।
४.	श्रीलालसिंह त्यागी	...	ग्राम-पंचायत (उपर्युक्त चारों विभाग मुख्य-मंत्री के अधीन हैं।)
५.	श्रीमती सुमित्रा देवी	...	स्वास्थ्य।
६.	श्रीवैद्यनाथ मेहता	.	शिक्षा एवं स्वायत्त-शासन।
७.	श्रीवालेश्वर राम	.	शिक्षा एवं स्वायत्त-शासन।
८.	श्रीहरदेवनारायण सिंह	..	शिक्षा एवं स्वायत्त-शासन।
९.	श्रीजगन्नाथप्रसाद स्वतन्त्र	...	लोक-निर्माण।
१०.	श्रीडुमरलाल बैठा		कानून, जेल एवं धार्मिक न्यास।

मुख्य सचिव

१. मैसूर सुब्बा राव, आई० सी० एस०

प्रधान न्यायाधीश

१. वी० रामास्वामी, आई० सी० एस०, वार-ऐट-लॉ

इस समय विहार में ४ प्रमण्डल, १७ मण्डल, ५८ अनुमण्डल और ४६७ थाने हैं। इनके शासन क्रमशः प्रमंडलाधीश (कमिश्नर), मंडलाधीश (कलक्टर), अनुमंडलाधीश (सब-डिविजनल अफसर) और थानेदार द्वारा होते हैं। प्रशासन की सुविधाओं एवं विकास-कार्यक्रम को आगे बढाने के लिए जिले कई अंचलों और प्रखण्डों (ब्लॉकों) मे बाँटे गये हैं। प्रमण्डलों, मण्डलों और अनुमण्डलों के नाम 'क्षेत्रफल एवं जन-संख्या' शीर्षक अध्याय में दिये गये हैं।

स्वायत्त-शासन-संस्थाएँ

ग्रामीण क्षेत्रों में पाँच प्रकार की स्वायत्त-शासनिक संस्थाएँ हैं : जिलाबोर्ड, लोकल बोर्ड, यूनियन बोर्ड, यूनियन कमिटी और ग्राम-पंचायत। शहरी क्षेत्रों मे नगर-निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र-समिति (नोटिफाइड एरिया कमिटी) और इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट हैं। खान-क्षेत्रों मे जो स्वायत्त-शासन-संस्थाएँ हैं, वे माइन्स बोर्ड ऑफ हेल्थ कहलाती हैं।

जिला-बोर्ड—विहार में इस समय १७ जिला-बोर्ड हैं, जिनमें धनवाद की जिला-कमिटी भी शामिल है, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के डिप्टी-कमिश्नर करते हैं। सन् १९५८ ई० के अधिनियम के अनुसार बिहार-सरकार ने धनबाद जिला-कमिटी को छोड़कर बाकी सभी जिला-बोर्डों और लोकल-बोर्डों का नियंत्रण एवं प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है। इन संस्थाओं का प्रशासन जिला-मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा नियुक्त विशेष पदाधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। सरकार द्वारा एक नया विधेयक, जो इस समय प्रवर-समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थित है, शीघ्र ही विधान-मण्डल मे उपस्थापित किया जानेवाला है, जिसके अनुसार जिला-बोर्ड और लोकल बोर्ड के स्थान पर पंचायत-समितियों और जिला-परिषदों की स्थापना की जायगी। सन् १९५८-५९ ई० में लोकल बोर्डों की संख्या ३४ थी। लोकल बोर्ड जिला-बोर्डों के अधीनस्थ जिला के अनुमण्डलों में अपने वैध अधिकारों का उपयोग करते हैं। ये सब लोकल बोर्ड सन् १९५८ ई० के अधिनियम के अनुसार सरकार के नियंत्रण में आ गये हैं।

यूनियन कमिटी—बिहार-उड़ीसा स्थानीय स्वायत्त-शासन-अधिनियम की धारा ३८ के अनुसार कम-से-कम पाँच और अधिक-से-अधिक ९ सदस्यों को लेकर यूनियन कमिटी गठित की जाती है। यह जिला-बोर्ड के अधीनस्थ काम करती है। जिला-बोर्ड को अधिकार है कि वह यूनियन कमिटी को लोकल बोर्ड के अधीनस्थ प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुमति लेकर कर दे। यूनियन कमिटी के सदस्यों के कार्य-काल की अवधि दो वर्ष की है।

बिहार-उड़ीसा ग्राम-प्रशासन-अधिनियम, १९२२ के अनुसार यूनियन-बोर्डों का गठन किया गया था। इनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। इसलिए सरकार, ने निश्चय किया कि इनका स्थान ग्राम-पंचायत ग्रहण करे। कुछ ग्राम-पंचायतें यूनियन बोर्ड का स्थान ग्रहण कर चुकी हैं।

शहरी क्षेत्रों में सन् १९५८-५९ ई० में ४८ नगरपालिकाएँ और पटना में १ नगर-निगम थे।

विहार के विभिन्न जिलों की स्थानीय-स्वायत्त-शासन की संस्थाओं के नाम नीचे दिये जा रहे हैं—

पटना—पटना-नगर-निगम, वाढ़, विहारशरीफ, दानापुर और खगौल।

गया—गया, टिकारी, दाऊदनगर।

शाहावाद—आरा, जगदीशपुर, वक्सर, डुमरॉव, भभुआ, सहसराम।

सारन—छपरा, रिविलगंज, सिवान।

चंपारन—मोतिहारी, बेतिया।

मुजफ्फरपुर—मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लालगंज, सीतामढी।

दरभंगा—दरभंगा, समस्तीपुर, मधुवनी, रोसड़ा।

मुँगेर—मुँगेर, जमालपुर।

भागलपुर—भागलपुर, कहलगाँव।

पूर्णिया—पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, फारविसगंज।

संतालपरगना—देवघर, साहेवगंज, दुमका, मधुपुर।

हजारीवाग—हजारीवाग, चतरा, गिरिडीह।

पलामू—डालटनगंज।

रॉची—रॉची, लोहरदग्गा।

धनवाद—धनवाद।

सिंहभूम—चाइवासा, चक्रधरपुर, सरायकेला।

पटना-इम्प्रूवमेण्ट-ट्रस्ट का गठन १७ जून, १९५२ को और गया-इम्प्रूवमेण्ट-ट्रस्ट का १२ नवम्बर १९५६ को नगर के योजनाबद्ध विकास के लिए किया गया।

अधिसूचित क्षेत्र-कमिटी—नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र-कमिटी के कार्य प्राय: एक समान हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि इसके सदस्य मनोनीत होते हैं और इसमें सरकारी पदाधिकारियों की प्रधानता होती है।

सन् १९५८-५९ ई० में अधिकृत क्षेत्र-कमिटियाँ निम्नलिखित स्थानों में काम कर रही थीं—

(१) डोरंडा (रॉची), (२) जमशेदपुर, (३) जुगसलाई (सिंहभूम), (४) लौटाहा (चंपारन), (५) डुमरा (मुजफ्फरपुर), (६) डेहरी-डालमियानगर (शाहावाद), (७) खगड़िया (मुँगेर), (८) मोकामा, (९) सहरसा, (१०) बेगूसराय, (११) जसीडीह, (१२) मिहीजाम, (१३) झुमरीतिलैया (हजारीवाग), (१४) सिन्दरी (धनवाद), (१५) लखीसराय (मुँगेर), (१६) रक्सौल (चंपारन), (१७) गोपालगंज (सारन), (१८) जयनगर (दरभंगा), (१९) वड़हिया (मुँगेर), (२०) नौगछिया (भागलपुर), (२१) खरसॉवा (सिंहभूम), (२२) राजगीर, (२३) गढ़वा (पलामू), (२४) नवादा, (२५) वाँका (भागलपुर), (२६) मुरलीगंज (सहरसा), (२७) सुलतानगंज (भागलपुर), (२८) सुपौल (सहरसा)।

'झरिया माइन्स वोर्ड ऑफ हेल्थ' का पुनर्गठन सन १९५२ ई० में और 'हजारीवाग माइन्स वोर्ड' का पुनर्गठन सन् १९५६ ई० मे किया गया।

द्वितीय योजना के अन्त तक विहार मे कुल ११ हजार पंचायतों का गठन हो चुका है। सन् १९५८-५६ ई० तक ११०० ग्रामसेवक और ३६ पर्यवेक्षक प्रशिक्षित एवं नियुक्त किये गये हैं। लगभग २० हजार ग्राम-स्वयंसेवक-दल के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। पंचायतो को अव लगान वसूल करने का काम दिया गया है। पंचायतों द्वारा इस समय अनेक विकासमूलक योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं।

सामुदायिक विकास-परियोजना

सामुदायिक विकास-परियोजना-कार्यक्रम का आरम्भ २ अक्टूबर, १९५२ को किया गया। योजना-आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों मे अवस्थित ५५ सामुदायिक परियोजनाओं को लेकर इस कार्यक्रम का सूत्रपात किया। तदनुसार विहार में चार सामुदायिक अग्रगामी परियोजनाएँ और एक विकास-प्रखण्ड, अर्थात् (१) पूसा-समस्तीपुर-सकरा, (२) विहार-एकंगरसराय-वरवीघा, (३) भभुआ-मोहनिया-सहसराम, (४) ओरमाँझी-राँची-मदार सामुदायिक परियोजना और रानेश्वर विकास-प्रखण्ड को लेकर कार्यारम्भ हुआ। प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत लगभग ३०० गाँव थे, जिनकी कुल आवादी लगभग ३ लाख थी। फिर प्रत्येक परियोजना को तीन विकास-प्रखण्डों में विभाजित किया गया, जिनमे प्रत्येक मे करीव १०० गाँव थे। बाद में चलकर यह नमूना वदल दिया गया और विकास-कार्यक्रम को दो क्रमावस्थाओं में विभक्त किया गया। पहली अवस्था को राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-कालावधि और दूसरी को सामुदायिक परियोजना-कालावधि कहा गया।

विहार-राज्य को ५७४ प्रखण्डों में विभक्त करने की योजना है। १९५७ के अंत तक आवंटित प्रखण्डों की संख्या २५२ थी। सन् १९६३ ई० के अत तक राज्य के सारे प्रखण्डों में कार्य चालू हो जायँ, इसके लिए कालक्रमानुसार एक कार्यक्रम का खाका वनाया गया है, जो इस प्रकार है—

		प्रखण्डों की संख्या			प्रखण्डों की संख्या
अप्रैल	१९५८	— २३	अक्टूबर	१९६१	— २६
अप्रैल	१९५९	— १७	अप्रैल	१९६२	— ३५
अक्टूबर	१९५९	— १७	अक्टूबर	१९६२	— ३५
अप्रैल	१९६०	— २३	अप्रैल	१९६३	— ४६
अक्टूबर	१९६०	— २३	अक्टूबर	१९६३	— ४६
अप्रैल	१९६१	— २६			

आय-व्ययक, १९६१-६२ ई०

बिहार का कुल राजस्व ८४,४७ लाख रुपया आँका गया है, जो सन् १९६०-६१ ई० के संशोधित प्राक्कलन से ५८ लाख रुपया अधिक है। वसूली के स्रोतों के अनुसार आय का वर्गीकरण मोटा-मोटी निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

	(लाख रुपयों में)
१. राज्य-कर आय	३२,६२
२. अन्य राज्य स्रोतों से आय—	
(क) वन	१,६३
(क) सिंचाई	२,०६
(ग) सुपरफास्फेट फैक्टरी	५४
(घ) अन्य विभागीय आय	६,१२
३. केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	१८,१८
४. केन्द्रीय सरकार से साहाय्य-अनुदान— ..	
(क) द्वितीय वित्त-आयोग-पंचाट के अधीन अनुदान	४,२५
(ख) योजना-स्कीमों के लिए अनुदान	१२,००
(ग) गैर-योजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रवर्त्तित स्कीमों के लिए अनुदान	१,५०
(घ) साहाय्य-कार्य के लिए आर्थिक सहायता	२,२७
कुल	८४,४७

राजस्व-लेखा की मद में व्यय

कुल राजस्व-व्यय करीब ७६,०८ लाख रुपया होगा, जबकि सन् १९६०-६१ ई० में संशोधित प्राक्कलन में यह ७५,६२ लाख रु० था। सन् १९६१-६२ ई० में विभिन्न सेवाओं के मद्धे खर्च की जानेवाली रकम मोटामोटी निम्न वर्गों में रखी जा सकती है—

	(लाख रुपयों में)
(क) राजस्व-अर्जक विभाग	६,१८
(ख) सुरक्षा-विभाग	११,५६
(ग) राष्ट्र-निर्माण-विभाग	४७,२७
(घ) दुर्भिक्ष-साहाय्य	६०
(ङ) पेंशन	६६
(च) प्रकीर्ण अन्य विभाग	१२,१८
कुल	७६,०८

पूँजी-आय

पूँजी-आय में निम्न स्रोतों से होनेवाली आय शामिल है—

	(लाख रुपयों में)
१. उधार	५७,८४
२. ऋणों की वसूली	४,२०
कुल	६२,०४

उधार—सन् १९६१-६२ ई० में करीब ५७,८४ लाख रुपया उधार लेना पड़ेगा। इसमें २५,०० लाख रु० रिजर्व बैंक का अर्थोपाय अग्रिम है, जो साल के भीतर ही चुका दिया जायगा। दीर्घकालीन ऋण निम्न स्रोतों से उपलब्ध होंगे—

	(लाख रुपयों में)
(क) लोक-उधार	.. ...
(ख) भारत-सरकार से ऋण	३२,०६
(ग) जीवन-बीमा-निगम से ऋण	२८
(घ) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	३८
(ङ) नेशनल को-ऑपरेटिव-विकास वेयर-हाउसिंग बोर्ड	१२
कुल	३२,८४

ऋणों की वसूली—जनता को दिये गये ऋणों की वसूली से ४,२० लाख रु० प्राप्त होने की आशा की जाती है।

पूँजी-लेखा की मद में व्यय

कुल पूँजी-व्यय ३०,६६ लाख रु० होता है, जो निम्न प्रकार है—

	(लाख रुपयों में)
१. भवन	६,३६
२. सड़क	२,२६
३. सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण—	
(क) कोशी	७,६२
(ख) दामोदर-घाटी-निगम	१,८१
(ग) गंडक	१,४७
(घ) सोन-तटबन्ध और पुनर्गठन	१,००
(ङ) अन्य वृहत् सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण कार्य	२,६८
(च) लघु और मध्यम सिंचाई	३४

४. वन	...	....	१४
५. जल-आपूर्त्ति और लोक-स्वास्थ्य	..	...	६६
६. कृषि	....	...	१०
७. औद्योगिक विकास—			
(क) सुपरफास्फेट फैक्टरी	...	...	८५
(ख) इन्सुलेटर पौरसिलेन फैक्टरी	.	...	५
(घ) सहयोग-समिति तथा अन्य कारवारों में धन-विनियोग	...	...	४३
(ङ) अन्य औद्योगिक स्कीमें	...	...	२८
८. खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार	...	...	१०
९. सड़क-परिवहन	....	..	२५
१०. जमीदारों की क्षतिपूर्त्ति	...	...	४,००
		कुल	३०,६६

द्वितीय योजना-उद्व्यय

(लाख रुपयों में)

		योजना उद्व्यय	केन्द्रीय अंशदान	राज्य-अंश
१९५६-५७	वास्तविक	२५,२३	१०,५०	१४,७३
१९५७-५८	,,	२९,२७	१६,००	१३,२७
१९५८-५९	,,	३२,४५	१६,७०	१५,७५
१९५९-६०	,,	४१,२३	१९,००	२२,२३
१९६०-६१	(सीमा)	४६,६४	२२,६५	२३,९९
	योग	१,७४,८२	८४,८५	८९,९७

तृतीय पंचवर्षीय योजना

सन् १९६१-६२ ई० के वजट में ४७,८३ लाख रु० योजना-उद्व्यय की व्यवस्था की गई है। भारत-सरकार और राज्य-सरकार का कुल अंशदान निम्नांकित है—

(लाख रुपयों में)

कुल योजना-उद्व्यय १९६१-६२ से १९६५-६६ तक	१९६१-६२ का योजना-उद्व्यय	केन्द्रीय अंशदान	राज्य-अंशदान
३,२७,०० (लाख)	४७,८३ (लाख)	३१,५०	१६,३३

★

परिषद् के गौरव-ग्रन्थ

१.	हिन्दी-साहित्य का आदिकाल—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी	३.२५
२.	यूरोपीय दर्शन—स्व० महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा	३.२५
३.	हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल	६.५०
४.	विश्वधर्म-दर्शन—श्रीसाँवलियाविहारीलाल वर्मा	१३.५०
५.	सार्थवाह—डॉ० मोतीचन्द्र	११.००
६.	वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा—डॉ० सत्यप्रकाश	८.००
७.	सन्त कवि दरिया : एक अनुशीलन—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री	१४.००
८.	काव्य-मीमांसा (राजशेखर-कृत)—अनु० स्व० प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत	६.५०
९.	श्रीरामावतार शर्मा-निबन्धावली—स्व० महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा	८.७५
१०.	प्राङ् मौर्य विहार—डॉ० देवसहाय त्रिवेद	७.२५
११.	गुप्तकालीन मुद्राएँ—डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर	६.५०
१२.	भोजपुरी भाषा और साहित्य—डॉ० उदयनारायण तिवारी	१३.५०
१३.	राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त—श्रीगोरखनाथ सिंह	१.५०
१४.	रबर—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा, एम्० एस-सी०	७.५०
१५.	ग्रह-नक्षत्र—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्०	४.२५
१६.	नीहारिकाएँ—डॉ० गोरखप्रसाद	४.२५
१७.	हिन्दू-धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह आइ०सी०एस्०	३.००
१८.	ईख और चीनी—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा एम० एस-सी०	१३.५०
१९.	शैवमत—मूल लेखक और अनुवादक डॉ० यदुवंशी	८.००
२०	मध्यदेश : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिंहावलोकन—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा	[illegible].००
२१-२४.	प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (भाग १ से ४ तक)	[illegible].२५
२५-२८.	शिवपूजन-रचनावली (चार भागों में) आचार्य शिवपूजन सहाय	१६.२५

२६. राजनीति और दर्शन—डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा १४.००

३०. बौद्धधर्म-दर्शन—आचार्य नरेन्द्रदेव १७.००

३१-३२.मध्य एसिया का इतिहास (दो खण्ड में)—महापण्डित राहुल सांकृत्यायन २०.७५

३३. दोहाकोश—ले० सरहपाद; छायानुवादक : म० पं० राहुल सांकृत्यायन १३.२५

३४. हिन्दी को मराठी संतों की देन—आचार्य विनयमोहन शर्मा ११ २५

३५. रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना—डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' १०.२५

३६. अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन—स्व० श्रीवेंकटेश्वर शर्मा ७ ५०

३७. प्राचीन भारत की सांग्रामिकता—पं० रामदीन पाण्डेय ६.५०

३८. बाँसरी बज रही—श्रीजगदीश त्रिगुणायत ८.००

३९. चतुर्दशभाषा-निबन्धावली—(संकलित) ४.२५

४०. भारतीय कला को बिहार की देन—डॉ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह ७.५०

४१. भोजपुरी के कवि और काव्य—श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ५.७५

४२. पेट्रोलियम—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा एम०एस-सी० ५.५०

४३. नील-पंछी—(मूल लेखक : मॉरिस मेटरलिंक) अनु० डॉ० कामिल बुल्के २.५०

४४. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ् मानभूम ऐण्ड सिंहभूम—(सम्पादित) ४.५०

४५. षड्दर्शन-रहस्य—पं० रंगनाथ पाठक ५.००

४६. जातककालीन भारतीय संस्कृति—श्रीमोहनलाल महतो 'वियोगी' ६.५०

४७. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण—ले० श्रीपिशल; अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी २०.००

४८. दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा—महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ६.००

४९. भारतीय प्रतीक-विद्या—डॉ० जनार्दन मिश्र ११.००

५०. संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री ५.५०

५१. कृषिकोश (प्रथम खण्ड)—संपादक : डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ३.००

५२. कुँवरसिंह-अमरसिंह—ले० का० किं० दत्त; अनु० पं० छविनाथ पाण्डेय ५.००

५३. मुद्रण-कला—पं० छविनाथ पाण्डेय ७.२५

५४. लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची—सं० श्रीनलिनविलोचन शर्मा ०.५०

५५. लोकगाथा-परिचय—सं० श्रीनलिनविलोचन शर्मा ०.२५

५६. लोककथा-कोश—सं० श्रीनलिनविलोचन शर्मा ०.३२

५७. बौद्धधर्म और बिहार—पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय' ८.००

५८. साहित्य का इतिहास-दर्शन—श्रीनलिनविलोचन शर्मा ५.००

५९. मुहावरा-मीमांसा—डॉ० ओमप्रकाश गुप्त ६.५०

६०. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ५.००

६१. पञ्चदशलोकभाषा-निबन्धावली—(संकलित) ४.५०

६२. हिन्दी-साहित्य और बिहार (७वीं से १८वीं शती तक)—सम्पादक : आचार्य शिवपूजन सहाय ५.५०

६३. कथासरित्सागर (प्रथम खण्ड) ले० सोमदेव; अनु० के० ना० शर्मा सारस्वत १०.००

६४. अयोध्याप्रसाद खत्री-स्मारक ग्रन्थ—(सम्पादित) ५.००

६५. सदलमिश्र-ग्रन्थावली—सम्पादक : श्रीनलिनविलोचन शर्मा ५.००

६६. रंगनाथ रामायण—(तेलुगु से अनूदित)—अनु० श्री ए० सी० कामाक्षि राव ६.५०

६७. गोस्वामी तुलसीदास—श्रीशिवनन्दन सहाय ५.५०

६८. वेणु-शिल्प—शिल्पाचार्य श्रीउपेन्द्र महारथी ११.००

हमारे आगामी प्रकाशन

१. कथासरित्सागर (दूसरा खण्ड)—अनु० स्व० पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत

२. पुस्तकालय-विज्ञान-कोश—श्रीप्रभुनारायण गौड़

३. विद्यापति-पदावली—(परिषद् के विद्यापति-विभाग द्वारा प्रस्तुत)

४. दरिया-ग्रन्थावली (दूसरा खण्ड)—सम्पादक—डॉ० धर्मेन्द्रब्रह्मचारी शास्त्री

५. भारतीय संस्कृति और साधना—महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज

६. तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि—महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज

७. भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा—आचार्य बलदेव उपाध्याय

८. मात्रिक छन्दों का विकास—डॉ० शिवनन्दन प्रसाद

९. हिन्दी-साहित्य और बिहार (दूसरा खण्ड)—सम्पादक : आचार्य शिवपूजनसहाय

१०. कृषिकोश (दूसरा खण्ड)—(परिषद् के लोकभाषा अनुसन्धान-विभाग द्वारा प्रस्तुत)

११. कृषिविनाशी कीट और उनका दमन—श्रीशैलेन्द्रकुमार, बी० एस-सी० (कृषि)

१२ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (पाँचवाँ खण्ड)—

१३. कंब रामायण (तमिल भाषा से अनूदित)—अनुवादक : श्रीएन० वी० राजगोपालन

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना-३

परिषद्-प्रकाशनों पर कतिपय अभिमत

परिषद् की पुस्तकों को देखकर प्रसन्नता होती है और गर्व भी होता है। परिषद् हिन्दी के भाण्डार को सर्वाङ्ग-सम्पन्न बनाने का काम जिस सफलता से कर रही है, उसको देखकर यह विश्वास होता है कि शीघ्र ही हिन्दी-वाङ्मय ऐसे स्तर पर पहुँच जायगा कि किसी को उसपर आक्षेप करने का साहस न हो सकेगा।

—*डॉ० सम्पूर्णानन्द*

विविध मानव-समाजोपयोगी एवं वैज्ञानिक विषयों पर विशिष्ट ग्रन्थों को प्रकाशित कर परिषद् ने उच्चतम सांस्कृतिक महत्त्व का कार्य किया है। हिन्दी-माध्यम के द्वारा यह जो सेवा कर रही है, वह भारतीय समाज के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी। यद्यपि परिषद् अल्पकाल से ही कार्य कर रही है, तथापि इसके द्वारा प्रकाशित विशेषतः भारतीय जनोपयोगी विभिन्न विषयों के ग्रन्थों के कारण इसे अपने देश की, सांस्कृतिक महत्त्व की, अग्रगण्य संस्थाओं में स्थान मिला है।

—*डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या*

तपस्या से ही बड़ा काम हो सकता है, यह बात इन (परिषद् के) प्रकाशनों से और भी स्पष्ट हो गई।

—*डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी*

परिषद् की ग्रन्थ-निधि देखकर चित्त गद्गद हो गया। परिषद् नई-नई विजय करती जा रही है। परिषद् की पुस्तकें नया साहित्यिक स्तर सामने लाती हैं।

—*डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल*

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना-६